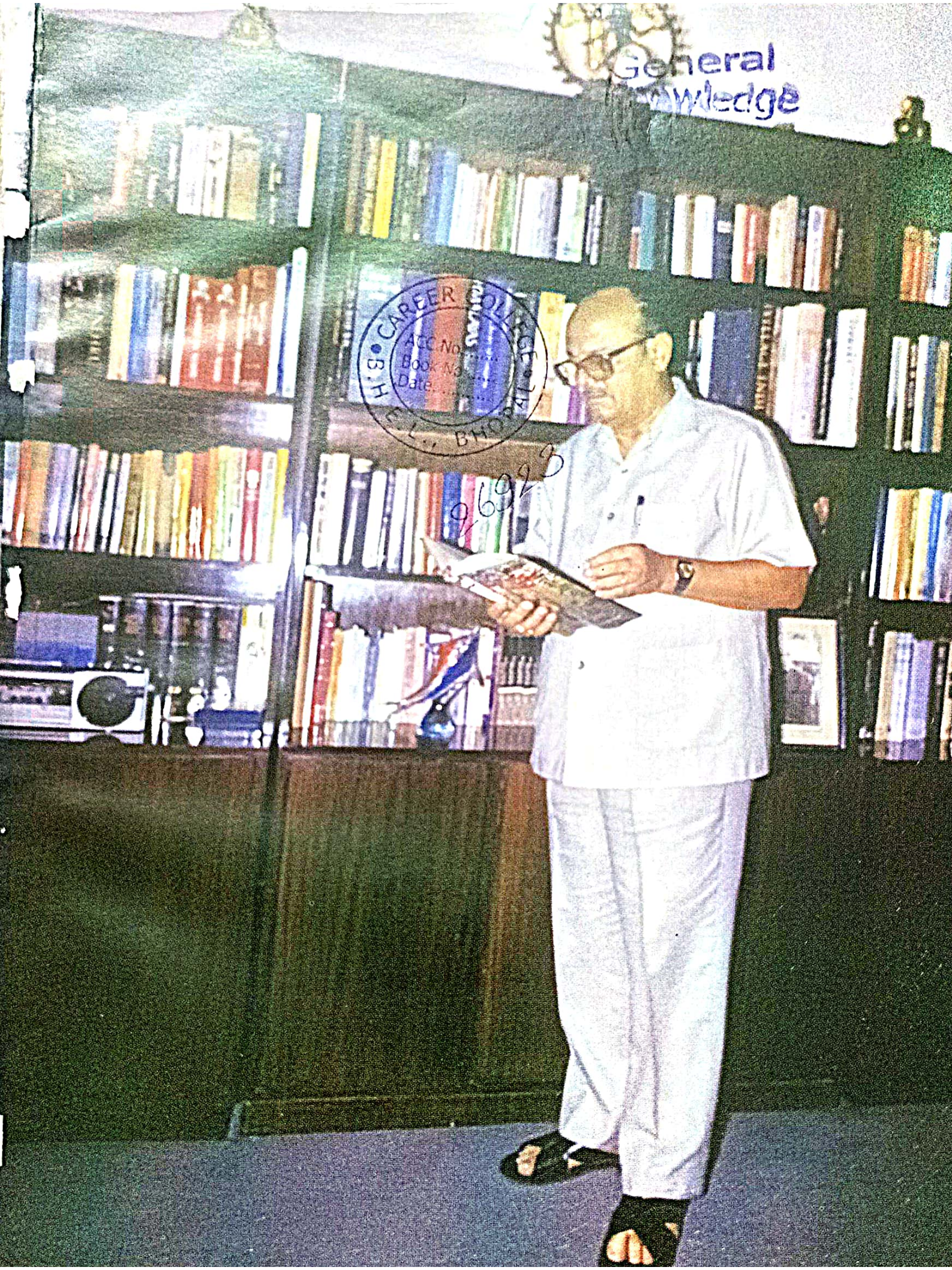
26923



श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

पक्ष-प्रतिपक्ष


General
Knowledge
H.B. CAREER COLLEGE
ACC. No.
Book No.
Date
BHOPAL
9692

General Knowledge

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

पक्ष-प्रतिपक्ष

(तृतीय खण्ड)

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
B.H.E.L., BHOPAL
26923

संयोजक
मुरारीलाल अग्रवाल

सम्पादक
विष्णु राजोरिया

संयोजन
इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन, कोलकाता
प्रकाशन
श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति, भोपाल

26923
CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
BHOPAL

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

तृतीय खण्ड : पक्ष-प्रतिपक्ष

संयोजन : *इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन, कोलकाता*

प्रकाशन : *श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति,*
4 इन्दिरा प्रेस परिसर, महाराणा प्रताप नगर,
भोपाल-462011

☐ प्रथम आवृत्ति

☐ कार्तिक कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत् 2061, 5 नवम्बर, 2004

☐ © लेखकों के सौजन्य से संपादक

☐ **प्रस्तुति दिग्दर्शक : आशीष**

☐ **मुद्रण निदेशक : मनीष**

कम्पोजिंग : आकृति फोटोटाइपसेटर्स एण्ड प्रोसेसर्स

मुद्रण : आदर्श प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स

4/1,इन्दिरा प्रेस परिसर, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462 011

☎ : *2555442, 2550291*

General Knowledge

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
H.E.L., BHOPAL
26923

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति

खुशवन्त सिंह
सैय्यद हैदर रज़ा
प्रो. के. अयप्पा पणिकर
प्रो. कल्याणमल लोढ़ा
जिया फरीदुद्दीन डागर
प्रोफेसर डॉ. धनंजय वर्मा
दिग्विजय सिंह
डॉ. बिन्देश्वर पाठक
विष्णु खरे
कमलाकर सोनटके
मदन मोहन जोशी
प्रो प्रेमशंकर रघुवंशी
अजीत जोगी
प्रभात गांगुली
राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
सुभाष यादव
झुमकलाल भेड़िया
बी.आर.यादव

राजेन्द्र सिंह
महेन्द्र सिंह चौहान
बंशीलाल धृतलहरे
प्रताप सिंह बघेल
श्रीमती उर्मिला सिंह
मोहम्मद अकबर
कांतिलाल भूरिया
चरणदास महन्त
डॉ. आर.के. बिसार्य
सत्यनारायण शर्मा
दीपचंद यादव
मोहम्मद युनुस
बी.एल. सिंह
भूपेन्द्र गुप्ता
मुरारीलाल अग्रवाल
पी.सी. पाठक
आशिस सान्याल
छतरसिंह
विष्णु राजोरिया

संपादन सलाहकार
पद्मभूषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक
प्रोफेसर डॉ. धनंजय वर्मा
डॉ. उज्जल कुमार मजुमदार
डॉ. अवधेश प्रसाद पाण्डेय
माधव शुक्ल मनोज
प्रो. प्रेम शंकर रघुवंशी
मदन मोहन जोशी
आशिस सान्याल
संपादन सहयोगी
पंकज शर्मा
संजय द्विवेदी
डॉ. हरिकृष्ण दत्त
अहद प्रकाश
मोहम्मद युनुस
उत्पल बैनर्जी
ज्योतिष जोशी
सहायक संपादक
मनोहर चौरे
संपादक
विष्णु राजोरिया



पुरोवाक्

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृषि पुराना धन्धा है और उसके उत्तरदायित्व को वर्तमान समय में निभाने के लिए हमारे नेता महोदय ने मंत्रिमण्डल के अल्पायु सदस्य को इसे सौंपा है। यह मेरे प्रति उनके विश्वास का द्योतक है। मैं इसको वर्तमान नवयुवकों के लिए चुनौती समझता हूँ।

नये मध्यप्रदेश के सबसे युवतम कृषि राज्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने कृषि और किसान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को चुनौती के रूप में उस समय स्वीकार कर लिया था जब वे अपने जीवन के पहले तारांकित प्रश्न का सदन में सामना कर रहे थे। उन्होंने 1962 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता और 30 सितम्बर 1963 को पंडित द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने उन्हें प्रदेश के कृषि राज्यमंत्री का पद सौंपा।

उन दिनों उनके प्रतिद्वन्द्वियों ने संदेह भी किया कि श्री अर्जुनसिंह एक राज-परिवार से आये हैं और शायद वे सामंती प्रवृत्तियों को बढ़ावा देंगे। पर उनका यह भ्रम जल्दी ही दूर हो गया क्योंकि श्री अर्जुनसिंह इस विचार के हिमायती थे कि — "धन और धरती में जो असमानता है उसमें कमी हो क्योंकि धरती व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं है बल्कि समाज की अमानत है।"

श्री अर्जुनसिंह ने कृषि राज्यमंत्री का दायित्व संभालते ही मध्यप्रदेश में देश की पहली कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना के संकल्प को दुहराया और ठीक एक साल बाद 1964 में जबलपुर में (जिसे कभी विनोबा भावे ने मध्यप्रदेश की संस्कारधानी कहा था) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो गयी। वे खेती के पारंपरिक संसाधनों और आधुनिक कृषि प्रविधियों के बीच नया उर्वर समीकरण खोजना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए खेती के विशेषज्ञों को अगुवा बनाया और नयी शोध पर बल दिया। इतना ही नहीं 1966 में पूरे प्रान्त की पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उनके नेतृत्व में एक विधेयक भी पारित हुआ। वे उन दिनों एक उर्वर प्रदेश का सपना देख रहे थे।

उन्हें अपने पद की फ़िक्र प्रारम्भ से ही नहीं रही — याद आती है 25 मार्च 1965 की वह घटना जब श्री अर्जुनसिंह अपने विभाग की माँगों का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय कुछ प्रतिपक्षी सदस्यों ने उन पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दूसरे दिन अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का अत्यंत शालीनतापूर्वक उत्तर देते हुए उन्होंने जिस निर्भयता का परिचय दिया वह एक मिसाल है। उन्होंने आरोप लगाने वालों को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हुए यह चुनौती दी कि मेरे विरुद्ध जितने भी आरोप हों उन्हें दस दिनों के भीतर हलफ़नामे के साथ अदालत में प्रस्तुत करें और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि मेरे विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच हाईकोर्ट के जज से करवाएँ और यदि मैं दोषी पाया जाऊँ तो मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र देना ही है, मैं विधानसभा से भी त्यागपत्र दे दूँगा। उन्होंने सदन में यह भी कहा कि यह सब मैं किसी घमण्ड या अभिमान के कारण नहीं कर रहा हूँ बल्कि जिस प्रजातंत्र में मेरी गहरी आस्था है उसकी पवित्रता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कह रहा हूँ। वह आरोप-पत्र फिर कभी प्रस्तुत नहीं हुआ।

इस घटना की रोशनी में उनके वे शब्द बार-बार याद आते हैं जिन्हें उन्होंने 28 सितम्बर 1966 को पंडित द्वारिकाप्रसाद मिश्र मंत्रिमण्डल के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल होते हुए प्रकट किये थे—

यह बात हमारे और आपके समझने की है कि राजनैतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, मनुष्य या कोई भी व्यक्ति गौण होता है। महत्त्वपूर्ण होते हैं वे सिद्धांत, वे आस्थाएँ जिनके आधार पर समाज संचालित होता है और जिनके द्वारा हम अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से और विशेषकर द्वेष की भावना रखने वाले उन माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि आप किसी व्यक्ति की तस्वीर सामने रखकर उस व्यक्ति को द्वेष की भावना से साँचे में ढालने की कोशिश न करें।

मध्यप्रदेश की चौथी विधानसभा में श्री अर्जुनसिंह कुछ विलम्ब से आये। वे 1967 के आम चुनावों में चुरहट विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रतिद्वन्द्वी श्री चन्द्रप्रताप तिवारी से पराजित हो गये थे। बाद में वे उमरिया चुनाव क्षेत्र से विजयी होकर आये और 4 जुलाई 1967 को सदन की सदस्यता ग्रहण की तथा प्रदेश के योजना एवं विकास मंत्री हुए। इसी बीच एक अनहोनी हो गयी। कांग्रेस के 36 सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी और विरोधी पक्ष में शामिल हो गये। 31 जुलाई 1967 को मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री गोविन्दनारायण सिंह मुख्यमंत्री बने। इस सत्ता परिवर्तन में मुख्य भूमिका श्रीमती विजयाराजे सिंधिया ने निभायी थी। उस समय सदन में श्री अर्जुनसिंह ने कहा था —

प्रजातंत्रीय शासन के परिवर्तन में जिन हथकण्डों को अपनाया गया है और जो प्रजातंत्र का मखौल किया गया है उससे यह फलता-फूलता प्रजातंत्र का पेड़ नहीं फलेगा। मैं इस समय यह कहना चाहूँगा कि यह बीज हमारे प्रजातंत्र को अन्दर ही अन्दर खोखला कर डालेगा। उस समय भारतवर्ष के लोग उन लोगों की ताईद करेंगे कि जो किसी एक व्यक्ति की अतुल धन-सम्पत्ति के आगे, किसी डर और भय के आगे अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। तो वही धर्म सच्चा और सही माना जावेगा।

दो साल के भीतर ही संविद सरकार गिर गयी। कांग्रेस की वापसी हुई। 20 मार्च 1969 को श्री श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री हुए। पर इस 40 सदस्यों के मंत्रिमण्डल में श्री अर्जुनसिंह शामिल नहीं हुए। 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती और श्री प्रकाशचन्द सेठी नये मुख्यमंत्री हुए। चाहे सरकार कांग्रेस की ही क्यों न हो श्री अर्जुनसिंह कमियों की ओर ध्यानाकर्षण करने में कभी नहीं चूके। 25 जुलाई 1972 को शिक्षा विभाग की माँगों पर बोलते हुए उन्होंने बेबाक टिप्पणी की कि सिर्फ़ शालाएँ खोलकर बच्चों को पढ़ाना और उन्हें डिग्रीधारी बना देना यह कोई शिक्षा नीति नहीं है। हमें प्रदेश की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुरूप सर्वमान्य शिक्षा नीति तय करना चाहिए; नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी।

15 अगस्त 1972 को सेठी मंत्रिमण्डल का पुनर्गठन हुआ और प्रदेश के शिक्षा विभाग का दायित्व श्री अर्जुनसिंह को ही सौंपा गया। वे शिक्षामंत्री हुए। वे जिस पद पर होते हैं; काम में जुट जाते हैं। सिर्फ़ सवा तीन वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने मध्यप्रदेश में उच्चशिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम की एकरूपता पर बल दिया। पाठ्य पुस्तकें स्वच्छ-सुन्दर-सस्ती हों और विद्यार्थियों को समय पर मिलें, इसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने की। जब वे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के लिए संशोधन विधेयक सदन में लाये तो प्रतिपक्षी सदस्य श्री शीतला सहाय यह कहे बिना न रह सके कि "भाग्य है, हमें सांस्कृतिक और साहित्य और कला की दृष्टि से उपयुक्त शिक्षा मंत्री मिले हैं।" संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने जो किया वह तो सर्वविदित है।

अपने विवेकपूर्ण निर्णयों पर दृढ़ रहना श्री अर्जुनसिंह के व्यक्तित्व का अनिवार्य गुण है। 1975 में आई.टी.आई. के शिक्षकों ने शासन के इस प्रस्ताव को ठुकराने की ज़ोरदार पहल की कि शिक्षकों को अपने कौशल की परीक्षा देना चाहिए। अनेक विधानसभा सदस्यों ने भी शासन पर दबाव डाला कि वह परीक्षा न ले। पर शिक्षामंत्री के रूप में श्री अर्जुनसिंह ने साफ़ तौर पर इनकार करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि आधुनिक समय में जो नया ज्ञान आ रहा है उसके लिए छात्रों के हित में शिक्षकों को अपनी कार्यकुशलता प्रमाणित करना ही होगी।

उनकी राजनीति वस्तुस्थिति और तथ्यों पर आधारित रही है। मार्च 1975 में उन्होंने शिक्षा विभाग की माँगों का प्रस्ताव रखा। जिस पर दस सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे। श्री अर्जुनसिंह ने तत्काल उन कटौती प्रस्तावों के संदर्भ में सदस्यों को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति की जानकारी दी जिससे कि सदस्यगणों को वास्तविकता का भान हो सके। उनकी इस त्वरित पहल की साम्यवादी नेता श्री होमी दाजी ने प्रशंसा की। आज जो लोग सार्वजनिक जीवन में श्री अर्जुनसिंह के पत्र लेखन से चिढ़ते हैं, क्या वे कभी इस बात पर गौर कर पायेंगे कि पत्र हमेशा अपने आत्मीय सहचरों को ही लिखे जाते हैं और उनके माध्यम से अपने मन की बात कही जा सकती है। पत्रों में यह गुण है कि वे मन में लगी हुई राग-द्वेष की गाँठों को खोल देते हैं। शायद यही कारण है कि वे अपने राजनैतिक सहकर्मियों, प्रशासकों और जनता को भी अक्सर अपने मन की बात कहने के लिए पत्र लिखा करते हैं।

25 जून 1975 को आपात की उद्घोषणा हो चुकी थी। दिसम्बर 1975 में श्री प्रकाशचन्द सेठी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में ले लिए गये और पुनः श्री श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री हुए। आपत्काल के कुछ ऐसे दुष्परिणाम सामने आये कि 1977 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गाँधी भी चुनाव में पराजित हो गयीं। उन दिनों कांग्रेस पार्टी गहरे राजनैतिक अकेलेपन से घिर गयी थी। उन दिनों मध्यप्रदेश की विधानसभा में श्री अर्जुनसिंह ने कांग्रेस के एक वफ़ादार कार्यकर्ता के रूप में जो वक्तव्य दिया वह संकट और पराभव की घड़ी में गहरे आत्मालोचन की ओर संकेत करता है। 28 मार्च 1977 को सदन में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को इन शब्दों में पुकारा था—

यथार्थ की खोज और उसके प्रकाश में काम करने की क्षमता के आधार पर ही देश में प्रजातंत्र जीवित रखा जा सकता है। हमें निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हम खोज करने के लिए तैयार हैं? हमें यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हम यथार्थ के दर्शन करने के लिए तैयार हैं? हमें यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि दर्शन करने के बाद उसके प्रकाश में आचरण करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस दल की ऐतिहासिक भूमिका से ही इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें यथार्थ को देखना है। यह प्रयास भले ही कटु हो, हमारा अहंकार, हमारा स्वयं का स्वार्थ हमारे आड़े आ सकता है, लेकिन इस अवसर पर, प्रजातंत्र की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए हमें आत्म-विवेचन और आत्म-निरीक्षण निर्भीकता के साथ करने की आवश्यकता है। यह किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता, यह प्रजातंत्र के प्रत्येक पुजारी पर लागू होता है।

1977 में ही जनता पार्टी की सरकार मध्यप्रदेश में बनी। मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी चुने गये और श्री अर्जुनसिंह कांग्रेस विरोधी दल के नेता हुए। उनके साहसी व्यक्तित्व का परिचय इसी बात से मिल जाता है कि संकट के दिनों में उन्हें यह स्वीकार करने में ज़रा भी हिचक नहीं हुई कि आपत्काल में समाचार-पत्रों पर जो बंधन लगाया गया वह उचित नहीं था। सदन में श्री अर्जुनसिंह की यह स्वीकारोक्ति प्रजातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उनकी गहन आस्था की परिचायक है।

1978 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। श्री अर्जुनसिंह कांग्रेस (आई) और श्री बसन्तराव उइके कांग्रेस के दूसरे ग्रुप के नेता हुए। सदन में बहस छिड़ गयी कि विरोधी दल का नेता कौन हो? तब श्री अर्जुनसिंह ने अध्यक्ष महोदय से कहा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विवाद को यहाँ उठाया गया। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था क्योंकि यह क्षेत्र माननीय अध्यक्ष महोदय आपका है और इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा..... अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किस पार्टी की मान्यता है और किस पार्टी की मान्यता नहीं है, इसका निर्णय जोर से चिल्लाने से नहीं होगा; उसका निर्णय तो जनता ही करेगी।

आखिरकार जनता ने अपना निर्णय दिया और 1980 में कांग्रेस (आई) फिर उसी गरिमा के साथ विजयी हुई। श्री अर्जुनसिंह के शब्द सच साबित हुए।

यह अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ का तीसरा खण्ड है। यहाँ हमने 3 अक्टूबर 1963 से 31 अक्टूबर 1979 तक मध्यप्रदेश विधानसभा की उन कार्रवाइयों को संक्षेप अथवा विस्तार के साथ यथास्थान प्रकाशित किया है जिनके माध्यम से श्री अर्जुनसिंह के निरंतर विकसित होते प्रखर राजनैतिक व्यक्तित्व पर रोशनी पड़ती है। इस अवधि में वे पक्ष और प्रतिपक्ष की दोनों ही भूमिकाओं में एक निर्भीक-संघर्षशील राजनेता के रूप में सामने आते हैं।

जो ज्वार की चढ़ती हुई लहर के साथ जाने का साहस करते है, उन्हें ही सफलता और कर्त्तव्य निभाने का संतोष प्राप्त होता है और जो लोग उचित समय पर संदेह और हिचकिचाहट की भावनाओं में फँस जाते हैं उन्हें लौटते हुए भाटे का प्रभाव जीवन के महासागर में बिना किसी संकेत-चिह्न के जलमग्न कर देता है।

— अर्जुनसिंह
(15 दिसम्बर 1977)





1963

3 अक्टूबर 1963 को मध्यप्रदेश विधानसभा का शरदकालीन सत्र प्रारंभ हुआ। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र सदन के नये नेता हुए। मध्यप्रदेश के लौहपुरुष और राजनीति के चाणक्य विशेषणों से संबोधित पंडित मिश्र पूर्व मध्यप्रदेश के गृहमंत्री रह चुके थे। कुछ समय वे राजनीति से दूर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में भी संलग्न रहे। उन्हें 1948 में सागर विश्वविद्यालय ने डी.लिट् की उपाधि से सम्मानित किया। बाद में वे 1956 में इसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। उनके द्वारा रचा गया 'कृष्णायन' काव्य प्रसिद्ध है। 1962 में उपकुलपति के पद से त्यागपत्र देकर वे फिर सक्रिय राजनीति में प्रविष्ट हुए। मई 1963 में कसडोल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को 24 सितम्बर 1963 को काँग्रेस विधानसभा दल का नेता चुना गया और 30 सितम्बर 1963 को उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वे पूर्व मध्यभारत के मुख्य मंत्री श्री तखतमल जैन को पराजित करके विजयी हुए थे। मुख्य मंत्री श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई ने कामराज योजना के अन्तर्गत मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के बीस सदस्यीय मंत्रीमण्डल में श्री अर्जुनसिंह को कृषि राज्यमंत्री का काम सौंपा गया। उन्होंने 30 सितम्बर 1963 को राज्यमंत्री पद की शपथ ली।

7 अक्टूबर 1963 को वित्त मंत्री श्री शम्भुनाथ शुक्ल ने अनुपूरक माँगें प्रस्तुत कीं। अध्यक्ष ने माँगों पर चर्चा की अनुमति दी। इस पर औचित्य का प्रश्न भी उठा। अनुपूरक माँगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई। कुछ सदस्यों ने कृषि सम्बन्धी माँगों को लेकर कृषि विभाग पर आक्रमण किये। अपने विभाग की माँगों पर उठी आपत्तियों का श्री अर्जुनसिंह ने पूरी तैयारी के साथ प्रतिउत्तर दिया। कुछ सदस्यों के प्रश्न और कृषि राज्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के उत्तर यहाँ दिये जा रहे हैं।

9 अक्टूबर 1963 को कृषि राज्यमंत्री के रूप में श्री अर्जुनसिंह का सामना पहले तारांकित प्रश्न से हुआ। सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, जिन्होंने मुख्य चुनाव में डॉ. कैलाशनाथ काटजू को पराजित किया था, उन्होंने ही यह तारांकित प्रश्न पूछा। 7 से 9 अक्टूबर के बीच की कार्रवाई के अंश यहाँ दिये जा रहे हैं। प्रदेश के युवा कृषि राज्यमंत्री होने के नाते श्री अर्जुनसिंह ने अपने प्रथम वक्तव्य में ही इस बात की ओर ध्यानाकर्षण किया कि हमारे आदिकालीन व्यवसाय खेती की रक्षा का दायित्व नवयुवकों के लिए चुनौती है —

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक अनुदान में इस विभाग से संबंधित कुल माँगें थीं जिनके संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है।

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं उन विशेष प्रश्नों पर जिन पर माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है, कुछ कहूँ, मैं यह कहना चाहूँगा कि कृषि विभाग एक शासकीय विभाग मात्र नहीं है और कृषि विभाग यदि केवल शासकीय विभाग मात्र बनकर रह जायेगा तो एक विरोधाभास पैदा हो जायेगा और विभाग का कृषकों के पास जाना कठिन हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह सैद्धांतिक बातें हैं, व्यावहारिक बातें हैं, इस विभाग का यह प्रयत्न रहेगा कि यह विभाग

कृषकों के लिये उपयोगी बने ताकि उनकी जो रोजमर्रा की कठिनाइयाँ हों या शासकीय कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयाँ होती हैं उनके लिये हमारा प्रयत्न होगा कि वह कठिनाइयाँ दूर होकर अनेक सुविधाएँ उनको प्राप्त हों, जो वह चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, श्री रामस्वरूप वर्मा, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं उन्होंने विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इतना बड़ा यह विभाग है और शासकीय कर्मचारियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता कि जिन बातों के कारण वह प्रकरण विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, उस पर जाँच जारी है, जब उसकी पूर्ण रूप से जाँच हो जायेगी तो उसके तथ्यों को लाने का प्रयत्न करूँगा।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने शुरू में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में शासन किसी को भी, कहीं भी संरक्षण देने को तैयार नहीं। चाहे वह कितना ही छोटा कर्मचारी हो और चाहे कितना ही बड़ा कर्मचारी क्यों न हो। इस विभाग में और खासकर इस शासन में केवल एक ही वाद है और वह है समाजवाद और समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जितने भी कदम हमें बढ़ाने पड़ेंगे हम बढ़ायेंगे। भाई-भतीजावाद या और दूसरे वाद जो अब तक सुनाई देते रहे हैं वे इस सदन में अब सुनाई न देंगे क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी के संरक्षण में यह शासन अब यह अवसर न देगा। माननीय विरोधी दल के नेता श्री सखलेचा जी ने कंटूर वंडिंग योजना के बारे में विचार प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, यह तो मान सकते हैं कि किसी भी स्कीम, नई योजना में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं और शायद यही कारण है कि जिस आलोचना को श्री सखलेचा जी ने यहाँ रखा वह आश्चर्य नहीं स्वाभाविक बात है। यह केवल उनके क्षेत्र से संबंधित है। हमको जहाँ तक जानकारी मिली है...

श्री बालकृष्ण पालधीकर : कंटूर बंडिंग योजना सभी जगह निष्फल रही है, मैं भी प्रमाण दे सकता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : महाराज के क्षेत्र का मुझे मालूम नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मेरा यही निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जिले में यही है, मैं माहिती दे सकता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपके क्षेत्र का विस्तार जिले तक कर सकता हूँ। इसके अलावा जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रदेश के किसी जिले से इस तरह की शिकायत नहीं आई है।

श्री ज्वालाप्रसाद : सरगुजा में शिकायत है कि काम तेजी से नहीं हो रहा है।

श्री खुमानसिंह : लोगों ने अर्जियाँ दी हैं कि धोखा देकर लोगों से दस्तखत करवा लिया गया है, यह नाटक है।

श्री अर्जुनसिंह : यदि मैं त्रुटि नहीं कर रहा हूँ तो उसी जिले से आप भी शायद आये हैं। मैं तो कहूँगा कि उल्टे इसी तरह की शिकायतें मिली हैं और प्रश्नों आदि के समय मैं बताऊँगा। अनेक जिलों से यहाँ शिकायत मिली है कि कंटूर वंडिंग योजना की जितनी आवश्यकता है उतनी यह पूरी नहीं की जा रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह विभाग इन आलोचनाओं के प्रति सजग है। ज्यों ही शिकायत मिली यहाँ से ज्वाइण्ट डायरेक्टर, सॉयल कंजरवेशन को वहाँ भेजा गया। माननीय सखलेचा जी कमेटी के काम से यहाँ आये थे, इसलिए वे मौजूद नहीं थे। उसके बाद ज्वाइण्ट डायरेक्टर ने सबसे पूछताछ की और बात करने पर गाँव वालों ने बताया कि हमने ग़लतफहमी में आकर एप्लीकेशन दे दिये थे, लेकिन हमारी ये कठिनाइयाँ दूर कर दी जायें तो हम इस स्कीम को मानने के लिये तैयार हैं। अब वहाँ जिले भर में फिर से सर्वे का काम चालू हो गया है। मैं समझता हूँ कि जितना काम पिछले समय में आपके क्षेत्र में नहीं हुआ उससे ज्यादा काम अगले सीजन में होगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं चाहता हूँ कि किसानों की मर्जी से यह किया जाये, जबर्दस्ती से नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ जबर्दस्ती का प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि यह जो भूमि का काम किया जा रहा है यह वस्तुतः लैंड इम्प्रूवमेन्ट एक्ट के तहत किया जा रहा है। इसके तहत बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान है और वह बोर्ड स्थापित हो रहा है जो कि उसने काम करना शुरू नहीं किया है और उसके अलावा प्रत्येक जिले में उसकी कमेटियाँ बननी हैं और इस लैंड इम्प्रूवमेन्ट एक्ट की धारा 9 (2) पर अगर आप ध्यान देंगे, —

"If the owners of not less than Seventy-five percent of land in any area apply to the State Government for providing a scheme for such area, and give an undertaking

in writing for depositing the estimated cost thereof in advance, the State Government shall, by order, direct the Board to prepare a scheme accordingly together with plans and estimates therefor.".

इसका तथ्य यह निकलता है कि यदि किसी भाग के 75 प्रतिशत किसानों ने लिखकर अपनी अनुमति दे दी तो बाकी 25 प्रतिशत किसानों की अनुमति मान ली जावेगी, चूँकि बोर्ड के गठन में और कार्य करने में विलम्ब हो गया है इसलिये कहीं-कहीं अधिकारियों द्वारा 25 प्रतिशत किसानों की स्वीकृति मान लेने की जो बात है उसमें कहीं से जबर्दस्ती की भावना आ सकती है। ऐसे प्रकरणों में शासन ध्यान देगा और जहाँ ऐसा पाया गया है वहाँ कार्य बन्द कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् एक सदस्य ने एग्रीकल्चर स्कूल्स के बारे में कहा कि उनका खोलना अभी बन्द रखा जावे, जब तक कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम न हो जावे। जहाँ तक मेरी जानकारी है एग्रीकल्चरल स्कूल्स एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा नहीं चलाये जाते हैं लेकिन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री जी थे उन्होंने इसी सदन से बड़ी लगन से यूनिवर्सिटी के विधेयक को पारित करवाया और मैं आशा करता हूँ कि सदन शीघ्र इस बात को जानने पायेगा कि इस प्रदेश में प्रथम कृषि यूनिवर्सिटी कायम होगी।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उनसे पहले वाले कृषि मंत्री जी के पास पूरा समय था देने के लिये, क्या आप उतना समय दे सकेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : मेरे पास उतना काम नहीं है जितना तामोट जी के पास है, इसलिये मैं अपना अधिक समय इस विभाग को दे सकूँगा।

श्री योगेन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विचार व्यक्त किये थे वह यह थे कि जबलपुर कृषि यूनिवर्सिटी कायम हो रही है इसलिये अभी जो शिक्षा हम गाँवों में दे रहे हैं उसको बन्द करके कृषि संबंधी शिक्षा गाँवों में दी जावे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि विश्वविद्यालय खुलने तक को उसे रोका जावे। गाँवों में शिक्षा-प्रणाली के स्कूल खोले जावें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृषि पुराना धंधा है, मैं समझता हूँ कि मानव जाति के बिलकुल शुरू-शुरू के इतिहास से संबंधित यह धंधा है और उसके उत्तरदायित्व को वर्तमान समय में निभाने के लिये हमारे नेता महोदय ने मंत्रिमण्डल के अल्प-आयु के सदस्य को इसे सौंपा है। यह मेरे प्रति उनके विश्वास का द्योतक है, मैं समझता हूँ वहाँ मैं इसको वर्तमान नवयुवकों के लिये चुनौती समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि श्रीमान् आपकी प्रेरणा से, जो सदैव विधानसभा में पिछले सात वर्षों से मिलती रही है और विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के सहयोग से उस दायित्व को पूरा करने में मैं कुछ हद तक सफल हो सकूँगा।

श्री बालकृष्ण पालधीकर : आप आश्वासन दे रहे हैं या केवल बातचीत ही है अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है।

श्री शम्भुनाथ शुक्ल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ देखा नहीं तो देखते जाइये धीरे-धीरे।

अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स जो रखी गई वह इतनी हार्मलैस है, मामूली है लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने बड़ा तूल उनको दिया है। एक महाशय ने कहा कि स्टेट का दिवाला हो गया। दिवाला हो गया तो हम और आप यहाँ कैसे बैठे हैं। दिवाला हो जायेगा तो हम और आप उड़ जावेंगे यह बिलकुल साफ मान लीजिये, यहाँ बैठ नहीं सकते, जिस दिन स्टेट का दिवाला हो जायेगा। (अपूर्ण)....

(इसके पश्चात् सभा की कार्रवाई मंगलवार, दिनांक 8 अक्टूबर 1963 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/7 अक्टूबर 1963, पृष्ठ - 286-288)

2. (क्र. 85) श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्राम पिपलौदा, तहसील जावरा, जिला रतलाम में कंटूर वंडिंग का कार्य गत मई, 1963 में हुआ है? (ख) क्या यह सही है कि कृषकों पर दबाव डाला गया व धौंस देकर कार्य किया गया? इस संबंध में

वहाँ के कृषकों ने बी.डी.ओ. पिपलौदा और शासन के अन्य अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित किया है? (ग) उनके प्रार्थना-पत्र पर तत्काल क्या कार्यवाही हुई?

श्री अर्जुनसिंह : (क) हाँ, (ख) यह सही नहीं है कि कृषकों पर दबाव डाला गया व धौंस देकर कार्य किया गया। इस संबंध में वहाँ के कृषकों ने विकास खण्ड अधिकारी पिपलौदा तथा जिला अध्यक्ष को एक आवेदन-पत्र दिया था। (ग) उक्त आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों ने संबंधित कृषकों को भूमि संरक्षण का महत्व समझाया किन्तु उनके न मानने पर भूमि संरक्षण का कार्य दिनांक 2 जून 1963 से बंद कर दिया गया।

श्री लक्ष्मीनारायण पांडे : यह शिकायत बी.डी.ओ. और कलेक्टर को कब प्राप्त हुई?

श्री अर्जुनसिंह : इस तरह की पहली शिकायत 14-5-63 को प्राप्त हुई।

श्री लक्ष्मीनारायण पांडे : 14-5-63 को प्राप्त हो गई थी तो तत्काल कार्यवाही न करके 2 जून को जब झगड़ा होने की नौबत आई तब काम बन्द किया गया इसका क्या कारण है?

श्री अर्जुनसिंह : जबदरस्ती करने के कारण झगड़ा उत्पन्न होने का जहाँ तक सवाल है, विभाग ऐसा नहीं मानता कि जबरदस्ती की गई।

श्री खुमानसिंह : जो आवेदन-पत्र शिकायती दिये गये यह किसके द्वारा अधिकारियों के पास पहुँचाये गये?

श्री अर्जुनसिंह : यह जानकारी नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपने बताया कि धौंस देकर या दबाव डालकर नहीं कराया गया तो पिपलौदा ग्राम में कितने प्रतिशत किसानों ने स्वीकृति दी थी?

श्री अर्जुनसिंह : यहाँ पर 269.23 एकड़ भूमि में कंटूर वंडिंग का कार्य हुआ जिसमें से 206.93 एकड़ भूमि के काश्तकारों ने अपनी सहमति दी थी, इसका मतलब है कि 77 प्रतिशत भूमि के किसानों ने सहमति दी थी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपने उत्तर में बताया है कि बोर्ड का गठन नहीं हुआ और स्टेट गवर्नमेन्ट की स्वीकृति नहीं थी फिर क्या कानूनन अधिकार था कि खेतों में कार्य करें?

श्री अर्जुनसिंह : इसीलिये कार्य बन्द कर दिया गया।

श्री लक्ष्मीनारायण पांडे : कृषकों से स्वीकृति प्राप्त की गई या प्रार्थना-पत्र लिये गये? वह कब लिये गये और कार्य कब प्रारंभ किया गया?

श्री अर्जुनसिंह : सूचना चाहिये।

श्री हरिभाऊ जोशी : आपने जो डेट बताई और 2 जून की डेट में काफी फर्क है फिर तत्काल कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

अध्यक्ष : बहुत बड़ा अन्तर नहीं है।

श्री हरिभाऊ जोशी : तुरन्त बन्द क्यों नहीं कर दिया गया, एक महीने तक जबरदस्तियाँ हुई, इसका क्या कारण है?

श्री अर्जुनसिंह : कोई जुल्म या ज्यादती हुई ही नहीं थी इसलिये एक महीने का सवाल नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीनारायण पांडे : कौन-कौन अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और किसानों को समझाने का कार्य किया?

श्री अर्जुनसिंह : वहाँ पर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी और कलेक्टर दोनों ने साथ जाकर किसानों से बात की।

श्री नरेन्द्रसिंह देव : क्या वहाँ सॉयल कन्जरवेशन एक्ट लागू किया गया था?

श्री अर्जुनसिंह : सॉयल कन्जरवेशन एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत सारे प्रदेश में लागू है। बोर्ड का गठन वहाँ अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मीनारायण पांडे : उस दिन घटनास्थल पर जब घटना होने की नौबत आई क्या उस समय डी.वॉय.एस.पी., तहसीलदार व दूसरे अधिकारी पहुँचे थे?

श्री अर्जुनसिंह : पूर्व सूचना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह देव : लैण्ड इम्प्रूवमेन्ट में तो यह प्रावधान है उसके अनुसार ही क्या 60 प्रतिशत लोगों ने स्वीकृति के दस्तखत कर दिये थे और जो बाकी रहे हैं 40 प्रतिशत क्या वे इन्कार करने वाले थे?

श्री अर्जुनसिंह : जी हाँ।

श्री लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या पिपलौदा ग्राम में इसके खिलाफ बहुत एजिटेशन हुआ और लोगों ने उसका बहुत विरोध किया था तो क्या काम तत्काल बन्द कर दिया गया था इसकी क्या शासन को जानकारी है?

श्री अर्जुनसिंह : जो भी शिकायतें आईं उनकी जाँच की गई, लोगों को समझाया गया लेकिन जब लोग नहीं माने तो काम बन्द कर दिया गया।

श्री नरेन्द्रसिंह देव : जब कि लैण्ड इम्प्रूवमेन्ट एक्ट बना हुआ है और 60 प्रतिशत लोगों ने उसके पक्ष में हस्ताक्षर कर दिये तो जो 40 प्रतिशत रह गये क्योंकि सॉयल कन्जरवेशन का जो आपका केचमेन्ट एरिया है वह भी पूरा करना है तो क्या शासन इसको पूरा करेगा?

श्री अर्जुनसिंह : कानून की समस्याएँ कुछ और होती हैं लेकिन कुछ मानवीय समस्याएँ भी होती हैं जिनको देखना पड़ता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/9 अक्टूबर 1963, पृष्ठ - 414-416)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग एवं बलिदान देश-निर्माण की दिशा में देशवासियों के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। स्वतंत्रता-संग्राम सेनानियों के मूलभूत संकल्प, उनकी निष्ठा और मान्यताओं को, देश के निर्माण की दृष्टि से सार्वजनिक रूप से अपनाने की आवश्यकता है।

— अर्जुनसिंह
(17 अगस्त, 1973)



1964

5 फरवरी 1964 को मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र प्रारम्भ हुआ। राज्यपाल श्री हरिविनायक पाटस्कर के अभिभाषण पर सदस्य श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन्होंने आज ही विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। 10 फरवरी को अनेक सदस्यों ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किये जिनमें कृषि विभाग संबन्धी संशोधन भी शामिल थे। जिनमें प्रमुख तौर पर बीज वितरण, खाद वितरण, कृषि उपज की मार्केटिंग और भूमि संरक्षण आदि के विषय में आपत्तियाँ उठायी गयी थीं। कृषि राज्य मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने इन सभी आपत्तियों का संयत उत्तर दिया। उनके इस वक्तव्य से प्रकट होता है कि वे शासन की कमियों को छिपाने में विश्वास नहीं करते बल्कि सबके साथ मिल बैठकर विधेयात्मक रास्ते की खोज ही उनके राजनैतिक कर्म का मूलाधार है। उन्होंने अपने विभाग का पक्ष इस तरह प्रस्तुत किया—

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है उसके दौरान माननीय विरोधी दल के सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किये गये और उसके अतिरिक्त जो यहाँ पर चर्चा की गई उस संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूँ।

मैं प्रथम में यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अपने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कृषि को सर्वोपरि मानते हुए जितना ध्यान केवल शासकीय रूप से ही नहीं अन्य रूप से भी पूरे देश को देना चाहिए वह हम नहीं दे सके। इसमें किसी प्रदेश के शासन या किसी विशेष दल का प्रश्न नहीं है। इसके पीछे एक भावना है कि चूँकि कृषि एक जीवन चलाने का धंधा है इसलिये यह तो चलता ही रहेगा, उसमें थोड़ा-बहुत भी मदद कर दी जावे तो बाकी चीजें स्वयं होती रहेंगी। धीरे-धीरे जैसे ही हमें इस बात का भान होने लगा कि जब तक इस क्षेत्र को केवल सर्वोपरि समझने के लिए ही नहीं उस पर प्राथमिकता देकर कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारी पूरी योजना सफल नहीं हो सकेगी। अब शासन ने भी और हमारे किसानों ने भी काफी तत्पर होकर प्रयास करना शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रत्येक ऐसे मसले पर दो पहलुओं से विचार किया जा सकता है। एक तो यह है कि इस सम्बन्ध में नीति क्या हो, कृषि नीति क्या हो? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूँ कि कृषि के सम्बन्ध में किसी भी नीति को निर्धारित करने में कठिनाइयाँ क्या हैं, वैसे तो यह सदन की अपेक्षा माननीय सदस्यों की अपेक्षा करना कि कृषि के बारे में तो नीति स्पष्ट होना चाहिये, लेकिन जिन सीमाओं के अन्दर आज इस देश में काम हो रहा है उसमें क्या संभव है कि केवल कृषि के लिए एक स्वतंत्र नीति की घोषणा शासन द्वारा की जा सके और उस पर अमल कर सके। मेरी तुच्छ राय है कि जिन सीमाओं के अन्दर हम काम कर रहे हैं यह संभव नहीं है। अन्य देशों में फार्म पॉलिसी, कृषि नीति के रूप में अलग से शासन द्वारा घोषित करते हैं और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। इस दशा में केवल एक ही जरिया रह जाता है कि हम नीति के बारे में घोषणा न करते हुए इन तमाम साधनों को एक योजनाबद्ध तरीके से किसानों के पास पहुँचावें और जिसके जरिये देश में कृषि की उन्नति की जा सकती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

साथ-ही-साथ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कृषि से संबंध रखने वाली अनेक समस्यायें हैं

लोगों पर असर करने वाला है और जब कम लोगों और ऐसे लोगों पर असर करने वाला है जो वेल्थ टैक्स देते हैं, जो स्टेट ड्यूटी देते हैं या जो गिफ्ट दे रहे हैं तो यह तो वे दो रुपया साठ नये पैसे भी दे सकते हैं, उन पर पचास रुपये बढ़ाना अनुचित नहीं होगा। गाँवों में ऐसे अपढ़ और साधारण लोग रहते हैं जिनके पास पच्चीस एकड़ जमीन है, यदि उन पर असेसमेन्ट किया गया और उसकी जमीन की कीमत दो हजार रुपये लगाई गई तो साधारण स्थिति में अपील की स्थिति पैदा होती है, यदि वह अपील करता है तो जिसके लिये उसे दो रुपये साठ नये पैसे लगता था वहाँ उसको टिकट में पचास रुपये लगाने पड़ेंगे, लेकिन व्यावहारिक जीवन में कितनी कठिनाई लोगों के सामने आप पैदा कर रहे हैं जब कि आज भ्रष्टाचार में लोगों को इतना पैसा देने के लिये मजबूर कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मध्यप्रदेश की जो आबादी है, तीन करोड़ है और यदि पाँच लोगों के परिवार का अन्दाज करें तो साठ लाख परिवार होंगे, उनमें यदि दस लाख परिवार भिखारियों का निकाल दें और दस लाख परिवार जो बड़े लोग हैं जिनको घूस में शामिल नहीं होना पड़ता तो चालीस लाख परिवार को पटवारी, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब मिलकर सौ रुपया हिसाबें तो चालीस करोड़ रुपया इन लोगों को भ्रष्टाचार में देना पड़ता है। इस भ्रष्टाचार को आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसको नहीं रोकते, तब तक किसानों की जेब से पैसा निकालने के लिए जो विधान आप बना रहे हैं वह ठीक नहीं है। पहले भ्रष्टाचार को रोकिए, फिर टैक्स बढ़ाइये। गाँवों में जाकर देखिये कि जिसके घर का एक बुजुर्ग मर गया है उसको मालूम नहीं कि उस पर मृत्यु कर भी लगा है। फिर दो एक साल बाद उसको मालूम होता है कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लग गया है फिर वह अपील करता है उस अपील में जाने के लिये उनको यदि आप सहूलियत नहीं दें तो मालूम होगा कि आप न्याय भी सहूलियत से देना नहीं चाहते। मैरिज एक्ट, डायवोर्स एक्ट में जहाँ एक रुपया लगता था, अब उनको बीस रुपया लगेगा। एक ओर आप टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी ओर रिफॉर्म्स बनाकर आप सहूलियत दे रहे हैं। आप कहते हैं इन एक्ट्स में ज्यादा सहूलियत उनको मिलेगी जो आप लोगों को प्रलोभन में लाकर टैक्स ले सकें। यदि आप अपने टैक्स को फर्स्ट हैंड समझते हैं तो फिर करते जाइये जिससे लोग प्रलोभन में फँस जावें और यदि आप इसको रिफार्म कहते हैं तो फिर टैक्स नहीं लगना चाहिये। रिफार्म्स को टैक्स का माध्यम मत बनाइये, लोगों को रिफार्म के नाम पर सहूलियत मिलना चाहिये। रिफार्म्स के रूप में स्वीकार कर टैक्स का जरिया मत बनाइये। यहाँ पर हमारे विद्वान मंत्रियों द्वारा जब प्रस्ताव लाया जाता है और कहते हैं कि एकीकरण किया जावेगा, दोनों के बीच में समन्वय किया जावे, जिसको बहुत ज्यादा है कम किया जावे और जिसका कम है बढ़ाया जावे तो ठीक है। एकीकरण कर दीजिए। एक रुपये के बदले 20 रुपये 10 नये पैसे बढ़ा रहे हैं इस पर आप, विचार कर लीजिये कि जो रिफार्म्स आप सामाजिक सुधार के नाम पर चलाना चाहते हैं और जनता टैक्स के रूप में देती है वह उसे भार न हो। कहीं ऐसा न हो कि रिफार्म्स के नाम पर लोग बाद में आपके टैक्स में फँस जावें।

श्री रुक्मिणीरमण प्रताप सिंह (मनगँवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार का प्रयोग हर जगह, हर स्थान पर उचित माना जाने लगा है। कोई भी अच्छा लेजिस्लेशन आवे उसके लिये यही कहा जाता है कि इससे भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा इसलिये यह ठीक नहीं है। यह अमेन्डमेन्ट बिल है, बिलकुल स्पष्ट है कि इनकम टैक्स के तहत अगर कोई हाईकोर्ट में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे 50 रुपये और जब गिफ्ट हो तो 2 रुपये 60 नये पैसे लगते हैं। शासन यह चाहता है कि इनकम टैक्स पूँजीपतियों को देना पड़ता है, गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है इसलिये 50 रुपये बराबर कर दिया जावे।

अगर किसी किसान के पास 10-12 एकड़ जमीन है तो उस पर भी लग जावेगा। यह कहा गया है जो किसान 10 एकड़ का है उस पर न वेल्थ टैक्स लगा है और न आयन्दा भी लगने वाला है। यह तो उन पर ही लगता है जिन पर धन है। जब हम समाजवादी समाज रचना की बात करते हैं तो कितने लोगों को कृदत्त जी की बात पसन्द होगी उनका यह तर्क नहीं जमता कि कृदत्त साहब इसका विरोध करें कि वेल्थ टैक्स की क्यों वृद्धि की जा रही है, जिनके पास काफी आमदनी है उनसे यदि हम कुछ पैसा ले लेते हैं तो क्या बुराई करते हैं। हर समाजवादी सरकार को वही करना चाहिये जो यहाँ कर रहे हैं। डायवोर्स एक्ट के तहत जो प्रार्थना होती है वह

सामाजिक सुधार है अतः कम टैक्स का प्रावधान है किन्तु कृदत्त जी ने कहा कि टैक्स मत लीजिये, चलने दीजिये, ठीक है, किन्तु हम चाहते हैं कि यदि पति-पत्नी इकट्ठे रह सकते हैं कोई फर्क नहीं आ गया है तो अलग रहें , हम कृदत्त जी की तरह यह नहीं चाहते कि हर पति-पत्नी अलग हो जावें , उनको प्रोत्साहन देना चाहते, इसलिये मामूली टैक्स का प्रावधान है। क्या हिन्दू मैरेज एक्ट का पालन इतनी सुगमता के साथ हो जाये कि कोई पति-पत्नी अपना जीवन व्यतीत न कर सके? गाँव के लोग भी पति-पत्नी का जीवन व्यतीत करते हैं इसलिये शासन ने तीस रुपये से घटाकर बीस रुपया कर दिया। तो जहाँ गाँव का सवाल है शासन टैक्स घटा रहा है। आप कहते हैं कि बिलकुल छूट दे दें । तो क्या आप चाहते हैं कि पति-पत्नी एकदम से अलग हो जायें और इतनी छूट हो जाये कि पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाये। इसलिये बीस रुपया टैक्स लगाया है वह बेजा नहीं लगाया है। ऐसी स्थिति में जो टैक्सेशन का प्रावधान है वह सुन्दर है और मैं इसका स्वागत करता हूँ।

श्री रामेश्वर अग्निभोज (पथरिया) : अध्यक्ष महोदय, जब हम सौ दो सौ रुपये की जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो लगभग बीस-पच्चीस रुपये लग जाते हैं और शादी-विवाह तो जीवन-मरण का मसला है। इन कानूनों के तहत सुधारवाद के नाम पर यदि शादी-विवाह करते हैं और उस पर रजिस्ट्री की कुछ फीस देते हैं तो बुरा नहीं है। जो रजिस्टर्ड मैरेज करेगा वह घर के पंडितजी का खर्च बचायेगा, मंडप वगैरह का खर्च बचायेगा। इस तरह से हजारों रुपये का फायदा होगा। जो रजिस्टर्ड मैरेज करेगा, ऐसे आदमी से शासन की तरफ से रजिस्ट्री की कुछ फीस ली जाये तो बुरा नहीं है।

श्री कृष्णपालसिंह : वह स्टाम्प ड्यूटी है।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : वही सही। एक बार एक सर्टिफिकेट मैरेज का मिल जाने के बाद वह शादी कन्क्लूसिव प्रूफ समझी जाती है और भविष्य में दुनिया में कोई सवाल नहीं उठेगा कि शादी हुई थी या नहीं, कानूनी थी या गैर-कानूनी थी ...

श्री कृष्णपालसिंह : चैलेंज हुए हैं और गैर-कानूनी साबित हो जाते हैं।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : वह गलत चीज है। स्पेशल मैरेज एक्ट, 1954, हिन्दू मैरेज एक्ट, 1954 से मैंने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे लड़े हैं और जीते हैं ...

श्री कृष्णपालसिंह : खुद के?

श्री रामेश्वर अग्निभोज : खुद का नहीं, दोस्तों के। तो जो इस एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मैरेज करेगा उसके जीवन में कभी कोई झगड़ा आयेगा तो सर्टिफिकेट मैरेज का पेश करेगा, वह कन्क्लूसिव प्रूफ होगा और कोई भी जाति या पंचायत उस पर सवाल नहीं उठा सकती है भविष्य में। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन के समय अगर स्टाम्प ड्यूटी इस कानून के तहत लगाई जाती है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे एक भाई ने वेल्थ टैक्स, डेथ टैक्स के बारे में कहा। ऐसे टैक्स नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आप बड़े समाजवादी बनते हैं, समाजवाद के हामी हैं, आप गरीबों का भला करना चाहते हैं तो इन कानूनों का क्यों विरोध करते हैं? यदि शासन सही दिशा में जाता है तो उसका समर्थन करना चाहिये, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

डॉ. बी.बी. राय (सुरखी) : अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से बिल का कुछ विरोध किया गया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ इस विधेयक का लक्ष्य है, वह बड़ा सुन्दर लक्ष्य है। जैसा कि अभी मेरे एक भाई ने कहा कि ये जो टैक्स लगते हैं, यह उन्हीं बड़े लोगों पर लगते हैं जिनमें सामर्थ्य होती है कि दे सकें और इतने बड़े-बड़े कामों को आज के इस युग में दो रुपये कुछ नये पैसे देकर चलाना चाहते हैं, वह सचमुच अनुचित है, इसलिए जो बढ़ोत्तरी 50 रुपये तक की, की गई है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। साथ ही एक बात मुझे इसके सम्बन्ध में अवश्य कहनी है कि जो न्यायालय की फीस बढ़ाई गई है मेरे ख्याल से अभी भी यह बहुत कम है, ऐसा मेरा विचार है। इंडियन डायवोर्स एक्ट में 20 रुपया न्यायालय की फीस रखी गई है। जहाँ तक फीस बढ़ाने का सवाल है उस सम्बन्ध में, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता परन्तु डायवोर्स को बिलकुल सरल बना दिया जाये और चंद पैसों से न्यायालय की फीस अदाकर डायवोर्स हासिल कर लिया जाये, यह भी अनुचित लगता है। माननीय

अध्यक्ष, पति-पत्नी का सम्बन्ध बहुत पवित्र सम्बन्ध होता है और उसमें अवश्य कुछ स्थायित्व होना चाहिये। यह एक्ट बना, ठीक है, क्योंकि मानव जीवन में कभी-कभी कुछ ऐसी बातें हुआ करती हैं, जिसमें इस तरह की प्रथा का प्रावधान रखना चाहिये, बहुत ज्यादा कठोरता नहीं रखनी चाहिये, परन्तु वैवाहिक सम्बन्ध सरलता से तोड़ दिया जाये, यह भी अच्छा नहीं है। इसलिये जहाँ पर 20 रुपये फीस रखी गई है उससे बहुत से लोग फीस अदाकर न्यायालय तक पहुँच सकते हैं। इसलिये यह फीस 20 के बजाय कम-से-कम 200 रुपये रखी जानी चाहिये, जिससे बड़ी आसानी से लोग न्यायालय न जा सकें और यह पवित्र सम्बन्ध इतनी सरलता से न तोड़ा जा सके। वैसे यह बिल आज के युग के लिये आवश्यक है इसलिये जो कुछ किया गया है वह अच्छा किया गया है। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना था।

श्री ज्वालाप्रसाद उपाध्याय (वैकुण्ठपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो यह अमेंडिंग बिल रखा गया है उसके सम्बन्ध में आज यहाँ जो बहस हो रही है उसको सुनकर यह मालूम होता है कि लोग जो इसके लिये अर्जियाँ पेश किये हैं उनको कुछ तकलीफ होती है और इस कानून के तहत कार्यवाही किये जाने पर उसमें कोई पिटीशन देना चाहते हैं और उस पर अधिक-से-अधिक फीस लगाना चाहिये, ऐसी लोगों की भावना दिखाई देती है और शायद यह सोचकर कि यह व्यक्ति मालदार है और इससे डेथ ड्यूटी या गिफ्ट ड्यूटी वसूल होनी चाहिये और चूँकि उसके पास बहुत धन है इसलिये अदालत की फीस भी लगनी चाहिये लेकिन मेरे ख्याल से कम-से-कम धन में यदि न्याय मिल सकता है तो वही सबसे अच्छा न्याय माना जाता है यह सर्वमान्य चीज है भी कि न्याय कम-से-कम समय में सस्ते-से-सस्ता मिले तो वही सबसे अच्छा न्याय होता है। डेथ ड्यूटी लगी, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं, गिफ्ट ड्यूटी या इनकम टैक्स पर कोई एतराज नहीं लेकिन उन ड्यूटीज को लगाते समय किसी को यह मालूम होता है कि उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो उस हालत में क्या ऐसी परिस्थिति पैदा कर देनी चाहिये कि यदि उसके पास पैसे की कमी है तो वह न्याय भी न पा सके? न्याय पाने का हक तो सबको है और न्याय भी सरलता और जल्दी-से-जल्दी मिलना चाहिये, यह शासन का कर्त्तव्य है। इसलिये इन ड्यूटीज को अधिक बढ़ाना सरल न्याय देने के पक्ष में नहीं होता, इससे तो न्याय और महँगा हो जाता है और जैसे अभी भाषण हुये इसमें लोग समझते हैं कि डेथ ड्यूटी, गिफ्ट ड्यूटी या इनकम टैक्स से बच जाते हैं तो इसका विरोध करके इस टैक्स से भी बचना चाहते हैं और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था से अलग जाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी ओर यह डायवोर्स के लिये जो ड्यूटी है 20 रुपये कम की गई है, अभी माननीय राय साहब ने इसका विरोध किया लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर हो सके तो इससे भी कम की जानी चाहिये। डायवोर्स के जो केसेस होते हैं, उसमें अध्यक्ष महोदय, पुरुष तो पिटीशन या एप्लीकेशन देने के लिए समर्थ रहता है लेकिन जो हमारे समाज की व्यवस्था है, जो स्त्री समाज है वह कमजोर रहती है अगर उन्हें किसी अदालत की शरण लेना पड़े तो वे इस हालत में नहीं होतीं कि अपने डायवोर्स की जो ड्यूटी है उसे इकट्ठा कर सकें, इस तरह की उनके सामने समस्या आ जाती है। जो समाज की व्यवस्था है उसमें भाग्यहीन स्त्रियों को, लड़कियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, न तो उसके माँ-बाप मदद करते हैं और न दूसरे लोग, उसे विवश होकर अदालत की शरण में जाना पड़ता है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पैसे के अभाव में न्याय के लिये अदालत भी नहीं जा सकती, उनके पास पैसा नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी कमी न्याय के मामले में की जा सकती हो, की जानी चाहिये, अच्छा होगा और आज उसकी आवश्यकता है। जब स्त्री और पुरुष का समान अधिकार माना गया है, उस स्थिति में यह उचित है कि उसको बराबर हक मिलना चाहिये। मैं इस कमी का समर्थन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ इससे भी और कमी की जाये तो अच्छा होगा।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृदत्तजी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में जैसा कहा, कुछ भ्रम पैदा किया है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ जो यह 3 विधेयक के सम्बन्ध में, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और स्टेट टैक्स के सम्बन्ध में कहा है, इनमें वेल्थ टैक्स के बारे में माननीय कृदत्त जी ने कहा कि इसमें काश्तकार आ सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो 50 हजार तक की जमीन का मालिक है उसको इससे एग्जेम्प्ट

किया गया है। मान लीजिये किसी काश्तकार की 25 हजार एकड़ की भूमि है। 2 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से भी उसको माना जाये तो वह एग्जेम्प्ट लिमिट है उसके बाहर आता है .....

श्री पंढरीराव कृदत्त : असेसमेन्ट के बारे में कहा है, उसे देखिये, गलत हो जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : इतना इसमें फर्क नहीं होता। 5 हजार का 50 हजार नहीं हो सकता, इसमें भ्रम पैदा करने वाली बात नहीं है। जहाँ तक डायवोर्स एक्ट का सम्बन्ध है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यह विधेयक उचित है या अनुचित इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। शासन का दृष्टिकोण केवल इतना ही है इस विधेयक के अन्तर्गत कोई कदम उठाता है, कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसको निर्णय करना होता है और वह निर्णय पैसों के ऊपर आधारित नहीं होता। इतना बड़ा निर्णय करने के लिये पर्याप्त कारण होना चाहिये। इतना बड़ा निर्णय केवल पैसों के आधार पर नहीं किया जा सकता है और अधिक, कम भी नहीं रखा जा सकता था नहीं तो एक तरह का मखौल हो जाता।

श्री पंढरीराव कृदत्त : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह मानते हैं कि कम लिया जाये तो केवल एक मखौल रह जायेगा?

श्री अर्जुनसिंह : स्टाम्प ड्यूटी जो लगाई जाती है उसके पीछे कुछ बैक ग्राउन्ड होता है उसमें कई तरह के खर्च होते हैं इसलिये उनका भी ध्यान रखा जाता है।

श्री ज्वाला प्रसाद : एग्रीव्ड परसन्स को सस्ता न्याय दिलाना शासन की जिम्मेदारी है।

श्री अर्जुनसिंह : सस्ता न्याय दिया जा रहा है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 6, 1964) पर विचार किया जावे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 6, 1964) पारित किया जावे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 6, 1964) पारित किया जाये।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 6, 1964) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/17 फरवरी 1964, पृष्ठ/684-687)

20 फरवरी 1964 को लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल 1960-31 मार्च 1960) पर चर्चा प्रारम्भ हुई। श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा और अन्य कई सदस्यों ने आयोग की निष्पक्षता का प्रश्न सदन में उपस्थित करते हुए शासन पर आरोप लगाये और नियुक्तियों, प्रमोशन, कॉन्फिडेन्शल रिकार्ड और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के बारे में सैद्धान्तिक चर्चा करते हुए अनियमितताओं का आरोप लगाया। इस पूरी बहस में कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने शासन का पक्ष रखते हुए अत्यन्त संवेदनशील ढंग से प्रतिपक्ष को उत्तर दिये। बहस 21 फरवरी को भी जारी रही। इस चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से आज तक माननीय सदस्यों ने आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की और उसके अनेक पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किये। मैं इन चर्चाओं को दो भागों में बाँटना चाहूँगा। एक तो कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं, जिनका उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है, दूसरे जो विभिन्न प्रकरण उद्धृत किये गये हैं वे हैं, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है और जिनके लिए माननीय सदस्य यह समझते हैं कि प्रजातांत्रिक मान्यताओं और सिद्धांतों का जिनकी पृष्ठभूमि में इस आयोग को बनाया गया है, उनकी शासन ने अवहेलना की है। मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन को आपके माध्यम से निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शासन की यह धारणा कभी नहीं रही कि जिन मान्यताओं के आधार पर हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है, उनको आघात पहुँचाया जाये यदि कोई त्रुटि होती है तो उसके बारे में शासन सदैव क्षमा माँगने को भी तैयार है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : प्रायश्चित भी जोड़ लीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय विरोधी दल के नेता द्वारा प्रमोशन, कॉन्फिडेन्शल रिकार्ड और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के बारे में जो चर्चा सैद्धांतिक रूप से रखी गई उसके विषय में कहना चाहता हूँ। मैंने कल ही डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ के बारे में बताया था कि यदि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में ज्यादा डिले होता है तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिये जैसा मैंने कल बताया शुरू होने से एक साल के अन्दर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी पूरी हो जाना चाहिये और यदि पर्याप्त कारण न होते हुए जाँच पूरी नहीं होती तो इन्क्वायरीकुनिन्दा के खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जावेगा। जहाँ तक कॉन्फिडेन्शल रिकार्ड का सवाल है आयोग ने भी लिखा है कि जो तरीका अपनाया गया है और जो व्यावहारिक तरीका है उसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। आयोग ने यह भी लिखा है कि इसमें बहुत से शासकीय अधिकारियों पर अन्याय हो जाता है। शासन ने उस पर ध्यान दिया है। मैं सदन को बताऊँगा कि स्वयं शासन और मुख्य मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं और जिस प्रकार भी हो विचार पूरा होते ही इस सम्बन्ध में नियम और अनुबन्ध जिनके द्वारा यह रिपोर्ट लिखी जाती है .....

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय में आप संकोच में तो कुछ नहीं कर डालेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : मैं न संकोच में गलती करता हूँ, न संकोचवश किसी बात को मानता हूँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि संकोच में वह कर गये इसलिये मैंने पूछा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद प्रमोशन के सम्बन्ध में माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा। इस सम्बन्ध में भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रमोशन के जो भिन्न-भिन्न तरीके शासकीय विभागों में बनाये गये हैं, कोशिश की जाती है कि उन्हीं के अनुसार काम किया जाये और जिनके मामले आयोग के माध्यम से किये जाते हैं वह आयोग के पास भेजा जाता है। इंस तरह शासकीय सिफारिशों को लगभग 98 प्रतिशत आयोग मान लेता है और किसी प्रकरण में वह कुछ अनुचित समझता है तो वह अपनी आपत्ति लिखकर भेज देता है। कुछ माननीय सदस्य कार्य परिधि और कार्यक्षमता के विषय में कुछ भ्रम में हैं। यह आयोग हाईकोर्ट के जजमेंट जैसा नहीं है इसके महत्व को, इसके पद को देखते हुए आयोग को हाईकोर्ट के समकक्ष संविधान में रखा गया है। शासन के पास इसकी सिफारिशें आती हैं, शासन परम्परा के अनुसार प्रत्येक सिफारिश को मानने की कोशिश करता है, लेकिन यदि शासन किसी कारण या किन्हीं प्रशासनिक कारणों से उनकी बात पर मतभेद रखता है तो उस मतभेद को शासन के समक्ष लाकर कार्यवाही करता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि इस तरह की टिप्पणी यदि वह इस आधार पर करते हैं कि आयोग की सभी सिफारिशें शासन को मान्य हों तो वह आधार उचित नहीं है, सही नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : जिन लोगों को सुपरसीड किया जाता है उनका भी पूरा रिकार्ड आयोग के सामने जाये और आयोग उन पर भी विचार करे, इस पर भी प्रकाश डालिएगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय विरोधी दल के नेता का आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रजा समाजवादी दल के नेता महोदय ने कहा कि सन् 1961-62, 1962-63 की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आई

और उनके लिये शासन जिम्मेदार है। मैंने अध्यक्ष महोदय, इस बात को जानने की चेष्टा की कि ऐसे कौन-कौन से कारण थे कि यह रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आई। मैं सदन को तारीखवार बताना चाहता हूँ कि कब आयोग की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। 13 को पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई, 24-10-63 को प्रिंटिंग कॉपी प्राप्त हुई उसके बाद शासन की ओर से विभिन्न विभागों को लिखा गया कि आपका एक्सप्लेनेशन क्या है, सब विभागों की ओर से 9-12-63 को उत्तर प्राप्त हुआ, उसके बाद इन सब चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 18-1-64 को रखा गया और स्वीकृत होने के बाद 31-1-64 को कौन्सिल द्वारा पारित हुआ और उनका रूपान्तर होकर सदन में आया।

अध्यक्ष महोदय, 1962-63 का सवाल है उसका प्रारूप आयोग द्वारा दिसम्बर की 28-29 को प्राप्त हुआ है इसमें भी इतनी ही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसे-जैसे पूरा होगा सदन के सामने रखा जावेगा। इसके बताने का तात्पर्य यह है कि शासन सदन के सामने उसे रखना नहीं चाहता यह उचित नहीं है, उसे सदन के सामने रखना ही होगा और सदन को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी उस पर टीका-टिप्पणी करने की, इसकी देरी के जो कारण हो सकते थे वह मैंने बताये। दूसरा सवाल उठता है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमीशन द्वारा नियुक्ति की जावे। कहने को यह सुझाव सुन्दर है। इस विषय में स्वयं आयोग ने अपना मत प्रकट किया है। स्वयं आयोग उचित नहीं समझता कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति आयोग द्वारा की जावे, ऐसा करने से उनके पास बहुत काम हो जावेगा, जो वह ठीक से नहीं कर सकते, आयोग उनमें जो कम्पीटीशन द्वारा नियुक्ति की जाती है, सिफारिश करता है। मैं समझता हूँ माननीय तिवारी जी आयोग की इस राय से सहमत होंगे, उनको आयोग की राय से सन्तोष हुआ होगा, चाहे शासन की राय से सन्तोष न हो .....

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अगर आयोग को स्वयं के काम के अलावा समय नहीं है तो उनको टेक्स्ट बुक कमेटी में क्यों लिया जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : उनको टेक्स्ट बुक कमेटी में रख दें, जब उनको बड़े काम हैं तो फिर यह क्यों प्रपोज किया जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : समय नहीं है तो माननीय आयोग के सदस्य कह सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : शासन को यह समझना चाहिये कि वह स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने यह सुझाव दिया था कि आयोग दो-तीन राज्यों को मिलाकर गठित किया जावे। संविधान में प्रॉवीजन अवश्य है लेकिन व्यावहारिक रूप से अभी किसी राज्य ने उसका उपयोग नहीं किया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें कठिनाई हो सकती है, फिर भी जो सुझाव आया है इस पर विचार किया जा सकता है, विचार किया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् जो विशेष प्रकरण इस रिपोर्ट में दर्शाये हैं और पैरावाइज उल्लेख किया है उसके पैरा 15 पर माननीय सदस्यों ने काफी टीका-टिप्पणी की है जिसमें यह दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक अधिकारी के चयन करने को एडवरटाइजमेंट निकाला था, जब अधिकारी का नाम चयन होकर पहुँचा उसकी नियुक्ति नहीं की और बाहर के अधिकारी को बुलाकर नियुक्ति की। अध्यक्ष महोदय, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जिन कारणों से उस व्यक्ति का एपॉइन्टमेंट किया वह यह थे कि जो प्रमाण केंडीडेट के एपॉइन्टमेंट के लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से लिखे गये थे वह उन आठ केंडीडेट्स में से किसी भी केंडीडेट के नहीं थे। कम-से-कम उस व्यक्ति को 8 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्म या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म का एक्सपीरियेंस होना चाहिए। यह उनमें से किसी के पास नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बाहर से बुलाकर नियुक्त करना पड़ा। दूसरा प्रश्न पैराग्राफ 19 के संबंध में है जिसमें लोक-कार्य विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में कहा गया है जो कि रिपोर्ट में भी प्रकट होगा। चूँकि उनके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही थी इसलिए उनकी नियुक्ति उस समय नहीं की जा सकी । केवल विचाराधीन प्रकरण यह है कि जब डिपार्टमेंटल

इन्क्वायरी में निर्दोष साबित हो गया उसके पश्चात् उनको फिर से नियुक्त क्यों नहीं किया गया जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस संबंध में, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आयोग की सिफारिश की मियाद साधारणतया एक वर्ष तक होती है और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी पूरी होने के बाद उस समय से ज्यादा हो गया, इसलिए शासन के उस विभाग ने पुनः नियुक्त करना उचित नहीं समझा। फिर वेटेरिनरी सर्विसेज के बारे में उल्लेख किया गया, पैराग्राफ 22 में। उसमें परिस्थिति यह है कि वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति डायरेक्टर ऑफ वेटेरिनरी सर्विसेज बिना आयोग की अनुमति के करते थे। इस पर आयोग ने आपत्ति की। उसको शासन द्वारा विचार किया गया और आयोग की आपत्ति में तर्क और न्याय समझा गया तथा अब शासन इस पर विचार कर रहा है कि इनकी नियुक्ति डायरेक्टर ऑफ वेटेरिनरी सर्विसेज आयोग की सिफारिश पर करें। उस समय आवश्यकताएँ बहुत ज्यादा थीं। डेवलपमेंट स्कीम इतनी बढ़ रही थी कि तुरन्त एपॉइन्ट करना आवश्यक था इसलिए एपॉइन्ट किया गया। उसको रेगुलराइज करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री तुलाराम सगर : क्या हरिजनों के मसले को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने कहा है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं हरिजनों के मसले को बहुत महत्व देता हूँ लेकिन उससे ज्यादा महत्व किस समय पर किस चीज को कहना चाहिए, इसको देता हूँ। प्रतिवेदन पर विचार करने के समय बहुत से माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं, जिसका इससे संबंध नहीं था, इसलिए बाध्य नहीं हूँ कि उसका उत्तर दूँ।

श्री तुलाराम सगर : अगर हरिजन आदिवासियों के मसले को महत्व नहीं देते तो मैं वाक-आउट करता हूँ।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : पूरी बहस का जवाब श्री अर्जुनसिंह देंगे या मुख्यमंत्री भी देंगे?

अध्यक्ष : केवल श्री अर्जुनसिंह जवाब देंगे।

श्री बापूलाल मालवीय : जबकि इतने भाई पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ बोले हैं तो आप जवाब देना क्यों पसन्द नहीं करते?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये शासन उस पर दुर्लक्ष्य नहीं करेगा लेकिन यह अवसर नहीं है कि शासन अपनी नीति की घोषणा कर सके।

श्री बापूलाल मालवीय : हरिजनों के बारे में उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : जब बजट पर चर्चा होगी या राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा हुई थी तो इसको उठाया जा सकता था और मुख्यमंत्री जी कुछ कहते।

श्री बापूलाल मालवीय : आप क्यों नहीं कहते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं कहना चाहता हूँ कि हरिजनों के अधिकारों के बारे में शासन सजग है तभी इतना संरक्षण दिया गया है। इसके बारे में दो राय नहीं है, लेकिन आज कहिए घोषणा कर दें कि अगली नियुक्ति हरिजन की की जायेगी तो उसके लिए यह अवसर नहीं है....

एक माननीय सदस्य : यह संरक्षण जो उनको दिया गया है वह प्रेक्टीकल अमल में नहीं लाया जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव यहाँ दिये हैं आयोग को आगे कार्यवाही चलाने के लिये वह उसके पास भेज दिये जावेंगे, उन सुझावों को आयोग के पास प्रेषित कर दिया जावेगा और आयोग से अपेक्षा की जाती है कि इनको ध्यान में रखकर कार्यवाही करेगा।

श्री बापूलाल मालवीय : हरिजनों को जवाब न देना यह उनकी अवहेलना होती है। हम जो यहाँ पूछते हैं वह अपने राइट के नाते पूछते हैं, उनका जवाब हरिजनों को सही तरीके पर देना चाहिये ताकि हरिजनों को संतोष हो।

श्री अर्जुनसिंह : शासन हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये तत्पर है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि अगली नियुक्ति किसी हरिजन की ही की जावेगी।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों की आयोग द्वारा सीटें रिजर्व हैं लेकिन उसके पास गवर्नमेंट की ओर से ठीक नाम नहीं भेजे जाते हैं। इसलिये यहाँ यह कहना आवश्यक है कि आगे इस संबंध में

आप क्या करेंगे या उनकी क्या स्थिति होगी।

श्री अर्जुनसिंह : जो माननीय सदस्यों ने यहाँ सुझाव दिये हैं शासन उनको आयोग के पास भेजेगा इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है।

श्री एल.ए. जामनिक : अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय मंत्री ने जो शिड्यूल कास्ट के संबंध में कहा है कि एक शिड्यूल कास्ट का है तो यह इर्रिलेवेन्ट है। यह इसलिये नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके पेज 2 पर लिखा है कि एक चेयरमैन और दो सदस्य। अगर इसमें एक शिड्यूल कास्ट का सदस्य होता तो बहुत सुविधा मिलती। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इसका जवाब जरूर दें। वह रिलीवेंट है जब तक कमीशन पूरा नहीं होता इसमें एक मॉरल सवाल यह है कि .....

अध्यक्ष : आप इतना भी नहीं जानते कि कमीशन में आजकल कितने सदस्य हैं। आप बैठें।

श्री एल.ए. जामनिक : मैंने इसीलिये पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखा है ।

अध्यक्ष : वह रिपोर्ट 60-61 की है।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना चाहता था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक जगह खाली है उसके संबंध में कुछ कह सकें तो अच्छा हो। जितनी बहस इस पर माननीय सदस्यों ने की उसको देखते हुए गुड गेसचर में जवाब दे सकें तो अच्छा हो।

श्री सूर्यदेव शर्मा : श्री मनोहरसिंह मेहता हैं, वह शिड्यूल कास्ट के हैं।

एक माननीय सदस्य : इसके पूर्व वह हरिजन सेवक संघ के सदस्य थे।

एक माननीय सदस्य : क्या किसी बनिये को हरिजन में कनवर्ट किया जा सकता है?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, टेम्परेरी के संबंध में कहा गया था कि अस्थायी नियुक्ति 6 माह से अधिक चलने वाली हो तो उसी समय प्रकरण आयोग को भेजा जावे तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री अर्जुनसिंह : उनकी संख्या भी बहुत कम हो रही है। हमारी यह इच्छा रहेगी कि 6 माह के एपॉइण्टमेंट किये जावें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, सदन का कुछ समय बढ़ा दिया जावे।

अध्यक्ष : मैं अभी सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ मंत्री जी कितनी देर और बोलना चाहेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसा माननीय सदस्य अग्निभोज ने कहा कि गुड गेसचर होना चाहिये। यह अग्निभोज जी जानते हैं कि केवल गेसचर देना पर्याप्त नहीं है, उसको कार्यान्वित करना चाहिये।

(इसके पश्चात् सभा उपाहार के लिये स्थगित हुई तथा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में 3 बजे पुनः प्रारम्भ हुई) ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/21 फरवरी 1964, पृष्ठ/1047-1051)

17 फरवरी 1964 को सामान्य प्रशासन विभाग की माँगों पर चल रही चर्चा में कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने विधिपूर्वक शासन का मत प्रस्तुत किया। उन्होंने यह बात बहुत साफ तौर पर कही सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष के आपसी तालमेल से ही प्रशासनिक ढाँचे में गति आ सकती है। सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करने से काम नहीं बनेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें राजहठ को छोड़कर राजधर्म का पालन करना चाहिए। चर्चा इस प्रकार हुई-

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सामान्य प्रशासन विभाग की माँगों की चर्चा करते समय कई महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उपस्थित किये हैं ....

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं था। विष्णार जी ने कुछ जानकारी दी है ...

श्री सज्जनसिंह विष्णार : आपने जो आरोप लगाये थे, बिलकुल गलत थे ...

श्री रमेशचन्द्र दुबे : मैं चैलेन्ज करता हूँ।

अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : आपकी कार में घूमते देखा है।

श्री सज्जनसिंह विष्नार : वह चोर नहीं थे। एक कांग्रेसी भाई थे।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : आपका कहना बिलकुल गलत है।

अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। आप बैठ जायें।

श्री अर्जुनसिंह : कुछ महत्वपूर्ण विषय जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं और जिनका संबंध सार्वजनिक नीति से है उस पर माननीय मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे। मैं कुछ अन्य प्रशासनिक विषयों पर, जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, दो-चार शब्द कहना चाहता हूँ। शासन में जो शिथिलता है, कार्यक्षमता में जो कमी है उसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने अपने दृष्टिकोण से किया है मैं यह नहीं कहना चाहता, यहाँ पर खड़े होकर कि शासन में जितना हो रहा है, वह ठीक हो रहा है जैसे होना चाहिये उस तक करने के लिये हमें काफी चेष्टा करनी पड़ेगी लेकिन माननीय सदस्यों को इस बात के लिये आश्वस्त होना चाहिये कि उनकी आकांक्षाएँ शासन से जिस तरह की हैं उनकी पूर्ति के लिये शासन अपने को उतना ही उत्तरदायी समझता है और कोशिश की जायेगी, शासन से समय-समय पर नियमों द्वारा, आदेशों द्वारा और जहाँ नियम पहले से हों उनका अच्छी तरह से पालन कराकर सक्षम बनाया जाये। उदाहरण के लिये वयोवृद्ध माननीय सदस्य श्री काशीप्रसाद पांडे ने फाइलों के मूवमेन्ट में जितना समय लगता है, उस पर आपत्ति की और कहा कि इसकी रोक होनी चाहिये। इस संबंध में नियम बने हैं जो अध्याय 6 और 9 सेक्रेटेरिएट आदेश हैन्ड बुक में हैं उसमें निर्देश दिये गये हैं कि एक फाइल ज्यादा से ज्यादा पाँच दिन में सबमिट होनी चाहिये। अगर इससे ज्यादा पेंडिंग रखता है तो उसकी सूचना अन्डर सेक्रेटरी को देनी चाहिये उसमें और विलम्ब हो तो उसकी सूचना ऊपर वाले अधिकारियों को देनी चाहिये और इसका कारण स्पष्ट करना चाहिये। यह हो सकता है कि व्यवहार में इसमें सख्ती न बरती जाती हो लेकिन इन नियमों का अब सख्ती से पालन करना प्रत्येक शासकीय कर्मचारी के लिये अनिवार्य माना जावेगा। जहाँ तक पांडे जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने मंत्रीगण के दौरे के संबंध में आक्षेप लगाया कि मंत्री दौरे पर जाते हैं तो पूरे जिले का प्रशासन ठप्प हो जाता है क्योंकि उनकी आवभगत में सारे अधिकारी लग जाते हैं। मैं हिम्मत के साथ और उसके साथ कहना चाहता हूँ .....

श्री गुलाबचन्द तामोट : बहुत हिम्मत के साथ उसके साथ ऐसा कहा, उसके साथ का क्या मतलब है।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा मतलब है तामोट जी की प्रेरणा के साथ। मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रथा बिलकुल गलत है कि यदि कोई मंत्री महोदय दौरे पर जायें तो उसके साथ एक फौज लगाई जाये।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अभी मिश्रीलाल जी महीदपुर गये थे तो उनके साथ पूरी एक लारी भरी हुई थी।

श्री अर्जुनसिंह : आसपास आप भी रहे होंगे।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : अध्यक्ष महोदय, श्री रमेशचन्द्र दुबे ने जो बात उठाई है, मैं उसके संबंध में नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि न तो कलेक्टर मेरे साथ था, न अन्य कोई अधिकारी था। पुलिस जाप्ते के अनुसार दो एक सिपाही थे, लेकिन शासकीय अधिकारियों में विकास खण्ड अधिकारी मेरे साथ था व एस.डी.ओ. मेरे साथ था।

श्री गुलाबचन्द तामोट : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, श्री मिश्रीलाल गंगवाल जी की तबियत खराब थी इसलिये उनकी सेवा करने के लिये पुलिस के कुछ सिपाही साथ थे।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दौरे के संबंध में, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री ने विस्तृत आदेश दिये हैं। यह आदेश दिया गया है कि जब मंत्रीगण दौरे पर गये हों तो जिस कार्य के लिये गये हों, उस कार्य के लिये जिस अधिकारी को बुलावें, उसी अधिकारी को आना चाहिये, अन्य के आने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कलेक्टर और एस.पी. के आने का सवाल है, उनके जिले में मंत्री के आने की वजह से एक कर्टसी के नाते, यदि वे कुछ निश्चित अवधि में आते हैं, तो आने के लिये कहा गया है किन्तु यदि मंत्री रात को 12 बजे आते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि कलेक्टर और एस.पी. सर्किट हाउस

में खड़े रहें या स्टेशन में आवें। एक कर्टसी के नाते ही उनको आने को कहा गया है। यह बात नहीं है कि हम लोग जन भावना के बारे में अपने को उदासीन समझते हों या भावना की चिन्ता ही हमें न हो। हम लोग भी प्रजातंत्र के बारे में सजग हैं। आज शासन दल कोई दूसरी पार्टी बना रहा है और आप विरोधी दल में हैं पर आपके कहने के मुताबिक हमें भी चिन्ता है। यदि प्रजातंत्र का पतन हो जायेगा तो न तो आपकी सरकार बनेगी, न कांग्रेस की सरकार बनेगी।

श्री गुलाबचन्द तामोट : आप हम लोगों के अर्थ को गलत न समझें। हमने आपकी प्रशंसा की है। आप में जो तत्व शामिल हैं उनकी हमने निन्दा की है। हम आपको सर्वांग पूर्ण बनाना चाहते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य श्री तामोट जी ने कहा कि जो शिकायतें की जाती हैं, उनको इस तरह से देखा जाता है कि जैसे पहला कर्त्तव्य यही हो कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको कैसे बचाया जाये। यह अच्छा ही हुआ कि माननीय सदस्य ने अपना मत यहाँ रख दिया। माननीय सदस्य की ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिये कि किसी की शिकायत होना ही पर्याप्त प्रमाण है। यदि आप इस नीति पर चलना चाहेंगे तो देश में रूल ऑफ लॉ नहीं चल सकेगा।

श्री गुलाबचन्द तामोट : निष्पक्ष भाव से शिकायत की सुनवाई होनी चाहिये इसमें क्या एतराज है?

श्री अर्जुनसिंह : इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : बहुत दिनों तक पेंडिंग नहीं रहना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक शिकायतों का सवाल है, वह अपने स्थान पर रहेंगी। मैंने पहले भी बता दिया कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शिकायतों की जाँच किस तरह से होनी चाहिये। एक माननीय सदस्य श्री शाकिर अली खाँ ने पोलिटिक्स सफरर्स के बारे में कहा। माननीय शाकिर अली साहब स्वतंत्रता संग्राम के तपे तपाये सेनानी हैं। हम उनकी भावना का आदर करते हैं। अन्य लोगों ने भी जो क्रांति में भाग लिया है, उनके प्रति भी मेरे मन में आदर है। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हम एडहॉक बेसिस पर काम करेंगे तो वह उचित न होगा। राज्य व्यापी पोलिटिकल सफरर्स की लिस्ट बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। उसके अनुसार, जो नियम हैं उनके मुताबिक सहायता दी जायेगी।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : शाजापुर के श्री किशोर भाई को शासन ने 40 रुपये मंजूर किये हैं परन्तु उनको 25 रुपये ही मिल रहे हैं। इस पर ध्यान दीजियेगा।

श्री अर्जुनसिंह : एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि 'कडुवा-कडुवा थू मीठी-मीठी गप्प,' माननीय अध्यक्ष महोदय, मुहावरा बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि आपने चुना अच्छा है। मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि वे समझते ही नहीं,– शासन राजधर्म का पालन करता है, उन्हें कड़वा लगता है, हम राजधर्म का पालन करते हैं लेकिन राजहठ पर कभी न अड़ेंगे। इसीलिये यदि हमें अपने ही निर्णय को बदलना पड़े तो हमें आपत्ति न होगी। एक बात और कहना है, इस प्रशासनिक ढाँचे को और सक्षम बनाना, उसमें गति लाना, बहुत कुछ हम और आप पर निर्भर हैं यदि हम इसे अपने से अलग चीज समझेंगे, ऐसी रोज मुठभेड़ होगी तो इस प्रशासनिक ढाँचे में न कुशलता ही आयेगी और न सक्षमता ही आवेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सीधी से आये हुए विधायक महोदय ने एक प्रश्न का उल्लेख किया और कुछ मेरे विषय में कहा। मैं इस विषय में कुछ न कहकर इसे अपने नेता के ऊपर छोड़ता हूँ, वह जो कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे, वह कहेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/17 मार्च 1964, पृष्ठ/2357-2359)

वर्ष 1964-65 के आय-व्ययक पर मतदान। 18 मार्च 1964 को कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कृषि विभाग की माँगों पर विस्तार से बहस हुई और श्री अर्जुनसिंह ने अपने विभाग से संबंधित प्रत्येक विषय पर पूरी तैयारी के साथ सदस्यों के प्रश्नों के सारगर्भित उत्तर दिये। अपने विभाग के प्रति उनकी गहरी चिन्ता इस बात से प्रकट होती है जब उन्होंने यह

कहा कि- "जब किसी धन्धे पर नियंत्रण करते हैं तब उत्पादक और कन्जूमर्स दोनों का ख्याल रखा जाता है। किसी भी धन्धे में कन्जूमर्स का ध्यान रखकर प्रॉडेक्शन को कम और अधिक किया जा सकता है, उस पर बन्धन लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है और उसका जो आधार है वह इससे भिन्न मालूम होता है, उस पर बन्धन लगा दिया जाये तो वह कृषि क्षेत्र के लिये अच्छा नहीं है।" इन माँगों पर आये कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस चर्चा के कुछ अंश यहाँ प्रकाशित हैं-

श्री तुलाराम सगर : तकाबी के मामले में हरिजन आदिवासियों की क्या हालत है यह बताएँगे?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जहाँ तक तकाबी का संबंध है इसके लिए तकाबी कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट यहाँ पर है उससे मालूम हुआ था कि 50 से लेकर 70 तक का जो उपयोग किया जाना चाहिए वह नहीं होता। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को तकाबी की अधिक जरूरत है लेकिन कुछ कानूनी अड़चनें ऐसी हैं जिनके कारण उनको नहीं मिल पाती है और तकाबी पाने के लिए वह लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं। यह सारे के सारे काश्तकारों के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि आज बहुत-सी जगहों पर जंगलों में खेत हैं और जो वहाँ खेती होती है तो चूहे और जंगली जानवर बहुत न्युसेन्स पैदा करते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या जानवर को सेन्स होता है कि न्यूसेन्स न हो।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इन जंगली जानवरों के कारण करीब 10 प्रतिशत और इससे भी अधिक अनाज नष्ट हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी प्राबलम यह है ....

श्री सूर्यदेव शर्मा : क्या आवारा मवेशी बहुत घूम रहे हैं?

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या मंत्री जी जानवरों को पकड़ कर उनको सेन्स सिखायेंगे?

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानवरों को तो पकड़ सकता हूँ बाकी को नहीं पकड़ सकता।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 मार्च 1964, पृष्ठ/2477)

श्री गुलाबचन्द तामोट : सभापति महोदय, आपने स्वयं देखा है कि चार-पाँच दिन से हम लोग सात-सात बजे तक बैठे रहते हैं। हम लोग कृषि मंत्री जी के उत्तर को सुनना चाहते हैं, सुनेंगे, किन्तु 5 मिनट में क्या बिगड़ता है उमराव सिंह जी को जरूर समय मिलना चाहिये।

श्री उमराव सिंह : मैं 5 मिनट में क्या बोल सकूँगा।

श्री तुलाराम सगर : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि कृषि मंत्री जी बोलें तो अच्छा हो, उधर समय देंगे तो मुझे भी समय देना पड़ेगा।

सभापति : यदि श्री उमरावसिंह जी चाहें तो केवल 5 मिनिट बोलें।

श्री धनसाय वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषि की विशेष शिक्षा के लिए किसानों के लड़कों को ही विदेश भेजा करें तो इससे खेती की अधिक उन्नति होगी। इसके साथ ही गाँव में दवा दारू के लिये वैद्यों को भी रखना चाहिये जिससे गाँव वालों का स्वास्थ्य ठीक रह सके और खेती की उन्नति हो।

सभापति : आपका समय समाप्त हो गया, यदि उमरावसिंह जी विशेष उत्सुक हों और कोई खास बात हो तो 5 मिनिट बोल लें। वैसे वह अनेक बार बोल चुके हैं। चाहें तो केवल 5 मिनिट बोलें अन्यथा कृषि मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री गुलाबचन्द तामोट : सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनिट का समय चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि कृषि मंत्री मेरी सहायता करेंगे। मैं केवल दो मिनिट में अपना कथन समाप्त कर दूँगा।

सभापति : अच्छी बात है, आप दो मिनिट बोलें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : सभापति महोदय, मैं अपने नौजवान कृषि मंत्री महोदय को इस समय केवल दो-तीन सजेशन मात्र देना चाहता हूँ। पहला यह कि खाद के गड्ढे फर्टिलाइजर और बीज के इस्तेमाल करने का जो ढंग

है उसको कृषि मंत्री महोदय स्वयं जाकर देखें और विधायकों का उसमें सहयोग प्राप्त करें। इसमें सुधार करने से खेती के उत्पादन में सहायता मिलेगी। दूसरे यह कि जितना बड़ी-बड़ी मशीनें एग्रीकल्चर की, पी.डब्ल्यू.डी. की और इरीगेशन की हैं उनका एक कॉमन पूल बनाया जाये तो इससे पंचवर्षीय योजनाओं के लिये काफी बचत हो सकती है। तीसरे यह कि आपने लगभग 90 परसेन्ट बजट में से रुपया माँगा है। सन् 60 में गेहूँ की पैदावार 18 लाख टन थी वह सन् 62 में 21 लाख टन हुई। मैं चाहता हूँ कि उत्पादन के मामले में ऐसी स्थिति होना चाहिये कि जितना खर्च किया जाता है, उसी अनुपात से पैदावार भी बढ़े क्योंकि टैक्स पेयर्स की जेब का 90 प्रतिशत रुपया इन कृषि योजनाओं पर खर्च करते हैं इसलिये यह जरूरी है कि उसी अनुपात से प्रगति भी हो। चीनियों से लड़ने के लिये जितनी ताकत की जरूरत है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह चीज है। मुझे पूरा भरोसा है कृषि मंत्री महोदय इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे। इसी प्रकार कांग्रेस की बैंचेज की तरफ से जो सुझाव आये हैं और जो सजेशन्स विरोधी दल की तरफ से आये हैं उन्हें कृषि मंत्री महोदय समय-समय पर अमल में लायेंगे। इसी आकांक्षा के साथ मै अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, आज सम्पूर्ण दिन माननीय सदस्यों ने अपनी ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रखे और जो आलोचना की वह बहुत हीं सूक्ष्म थी। मेरी यह मान्यता है कि उन सब से विभाग को अपने कार्य संचालन में सक्षमता लाने में सहायता मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, जिन भावनाओं को माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया, जिन शंकाओं को उत्पन्न किया और जिन आशाओं को प्रकट किया, उन सब में, मैं स्वयं उनका साझीदार हूँ। मैं कृषि मंत्री के नाते उनका कोई ऐसा उत्तर नहीं देना चाहता कि जो कुछ विभाग में हो रहा है, वह सब ठीक हो रहा है और उचित हो रहा है, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि किसी जगह पर यदि प्रेक्टिकल एप्रोच को सामने रखा जायेगा तो सफलता की आशा अधिक रहेगी बनिस्बत इसके कि सब ठीक हो रहा है, यह मान कर चला जाये और उसी के अनुसार काम किया जाये। हो सकता है कि मेरी यह एप्रोच गलत हो, फिर भी मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर अपनाना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में कृषि के क्षेत्र में एक अजीब विडम्बना है। जब-जब भी इन विडम्बनाओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है तब ही वह विडम्बनाएँ अपना बड़ा रूप लेकर सामने आई हैं। माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये फिर भी मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि एक धंधा है, धंधे को मान लेना चाहिये और इस पर धंधे की तरह काम करना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूँ, जब किसी धंधे पर नियन्त्रण करते हैं तब उत्पादक और कन्जूमर्स दोनों का ख्याल रखा जाता है। किसी भी धंधे में कन्जूमर्स का ध्यान रखकर प्रोडक्शन को कम और अधिक भी किया जा सकता है, उस पर बन्धन लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है, और उसका जो आधार है, वह इससे भिन्न मालूम होता है, उस पर बन्धन लगा दिया जाये तो वह कृषि क्षेत्र के लिये अच्छा नहीं है। इससे भाव का स्तर नीचे जाने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया उद्योग के बारे में शासन को अधिकार है उसका लायसेंसिंग कर दे, उत्पादन कम कर दे। इस तरह का प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। कन्जूमर्स के दृष्टिकोण से उद्योग धंधे का काम होता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र का जहाँ तक सम्बन्ध है, इस दृष्टिकोण से काम करते हैं कि इसका उत्पादन कम है, इसलिये उत्पादक को प्राथमिकता देनी होगी जिससे प्राइस का स्तर बहुत ऊँचा हो जायेगा, कन्जूमर्स के लिये अच्छा नहीं रहेगा।

श्री यशवन्तराव मेघावाल : यह नीति का प्रश्न है, आप उत्पादक का ध्यान नहीं रखना चाहते कन्जूमर्स का ही ध्यान रखना चाहते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपके तर्क से सहमत हूँ, इसके अमल में कुछ दिक्कत होगी जैसा कि मैंने बताया जो आपत्ति है, उसको सामने रखना होगा।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई और इस पर माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किये कि जो-जो नियम बने हैं उनमें छूट दी जाये। लैण्ड रिफार्म के जो नियम हैं उन पर छूट दी जाये और शासन उस पर कुछ नहीं करे। मैं माननीय सदस्यों के सामने निवेदन करना चाहता हूँ, लैण्ड रिफार्म के पीछे शासन का

यह ध्येय है, जो मेहनत करता है अधिकांश में उसको जमीन मिलना चाहिये। इस दिशा में कदम उठाये गये हैं और बहुत से प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं और उसके अच्छे नतीजे भी निकले हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ कि इस बारे में शासन सजग नहीं रहे, शासन का ध्यान इस ओर है। जमीन के सम्बन्ध में जो भी कानून बनाये गये हैं उनका तो एम्प्लीमेन्टेशन करना ही होगा। लैण्ड रिफार्मेशन में यदि ऐसा लगेगा कि उनके एम्प्लीमेन्टेशन में कमी आ रही है, शासन अवश्य इस पर कुछ करेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपके भाषण से तो ऐसा मालूम होता है कि जो कानून लैन्ड रिफार्म्स् के अब तक बन गये हैं उनका तो एम्प्लीमेन्टेशन करेंगे ही लेकिन आगे कोई नये कानून नहीं बनायेंगे और उनमें कोई नई तरमीम नहीं करेंगे, जैसे सीलिंग एक्ट है उसके बारे में आपकी क्या राय है।

श्री अर्जुनसिंह : सीलिंग एक्ट तो बन गया है और यदि उसके एम्प्लीमेन्टेशन में कोई खामी आती है तो उसमें अमेन्डमेन्ट करेंगे सौ बार अमेन्डमेन्ट करेंगे, लेकिन किसान यह सोचेंगे कि अब कोई कानून नहीं लाया जायेगा और .....

श्री तुलाराम सगर : गरीबों को तकाबी नहीं मिल रही है क्या गरीबों को तकाबी मिल सके मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : श्री सगर जी नहीं बोल सके हैं मैं उनकी तरफ से बोलने का प्रयत्न करूँगा। इसके पश्चात् माननीय सदस्यों ने क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी के बारे में क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बैंक के सम्बन्ध में बहुत कहा है कि यह बैंक सक्षम नहीं है, इसके कारण बड़े व्यवधान खड़े हो जाते हैं। को-ऑपरेटिव्ह के सम्बन्ध में तो मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूँ उसके सम्बन्ध में सहकारी मंत्री जी कहेंगे लेकिन जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है मैं उस सम्बन्ध में थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि सहकारी संस्थाओं के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसके दो कारण हैं एक तो यह है कि शासन के साधन सीमित हैं, शासन यदि कोई ऋण देना चाहे तो 100 रुपये से अधिक नहीं दे सकता और सहकारी बैंक दो-तीन सौ रुपया क्रेडिट के रूप में दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे साधन बहुत ही सीमित हैं, साधन सीमित होने के कारण से ही यह सहकारिता का रास्ता अपनाया है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी प्रणाली हमारी दृष्टि में नहीं आई है और यदि कोई दूसरी प्रणाली माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में लायेंगे तो उसको मानने में कोई दो राय होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

श्री भैरव भारतीय : क्या मंत्री महोदय यह प्रयत्न करेंगे कि काश्तकारों को सीधे सेन्ट्रल सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक से पैसा मिल जाये। यह जो बीच में एपेक्स बैंक आता है उसको खत्म कर दिया जाये जिससे काश्तकारों को ब्याज की अधिक दर नहीं देना पड़ेगी।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, ऋण के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने कहा है कि इन्ट्रेस्ट की दर बहुत है, यह बात हम भी मानते हैं कि दर कुछ ज्यादा है और इसके लिये यह प्रयत्न कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक से और एपेक्स बैंक से इन्ट्रेस्ट की दर कुछ कम हो जाये .....

श्री चम्पालाल आर्य : जो कन्दूर वंडिंग कराई गई हैं जिनके कारण से पानी भरने से फसल गल गई है क्या भविष्य में भी उसी प्रकार करेंगे या काश्तकार से पूछ कर करेंगे, इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य थोड़ा सब्र करें मैं सब चीजों पर आ रहा हूँ। इसके पश्चात् बिजली के सवाल का उल्लेख किया गया और किलेदार साहब ने दरों की भिन्नता के सम्बन्ध में कुछ आँकड़े भी प्रस्तुत किये हैं। बम्बई में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मैं भी था। उसमें यह जोरदार शब्दों में स्वीकार किया गया था कि एग्रीकल्चरल परपज के लिये बिजली के सम्बन्ध में प्राथमिकता देनी चाहिये और ऐसी दर रखी जाना चाहिये जो कृषि के लिये लाभदायक हो, यदि लाभदायक न भी हो तो उचित हो। कोई ऐसी औसत दर रखी जाना चाहिये और वही लगाई जाये तो इस आधार पर हम लोग विचार कर रहे हैं इसके पॉवर प्रोजेक्ट जितने भी हैं उनका एक निश्चित प्रोग्राम है तो मैं निश्चित रूप से तिथि तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन शासन इसकी ओर जल्दी ही निर्णय लेगा कि किसानों को निश्चित तौर से लोन मिले। तो आपने जो अपनी चर्चा के दौरान में प्रश्न किया, अपने क्षेत्र के लिये कि दरें अधिक हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह डीजल के सिलसिले में दरें ली जाती होंगी तो जब

इन सबका एकीकरण हो जायेगा तो इसमें सुधार हो जायेगा। इसके बाद माननीय सदस्यों ने यह जानने की अपेक्षा की है कि कृषि विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तो उनमें हमें कहाँ तक सफलता मिली है। तो इसके लिये मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों का ध्यान कंटूर वंडिंग की ओर आकर्षित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कि इस समय पूरे रकबे में 6 प्रतिशत सिंचाई होती है उसमें भी पूलों से इरिंगेशन 40 परसेन्ट और तीस परसेन्ट कुओं से सिंचाई होती है तो ऐसी अवस्था में यह जरूरी था कि शासन का ध्यान इसकी ओर जाता कि हम कुछ अनियमितताओं को रोक सकें। तो यह कन्टूर वंडिंग का जहाँ तक सवाल है इसका व्यवहारिक रूप जो है वह आप अपने क्षेत्र में देखते हैं तो मैं इसके बारे में दो एक बातें आपके सामने बतलाना चाहता हूँ। सबसे पहले किसान चाहता है कि हमारे खेत में कोई बाँध बनाया जाये तो क्यों बनाया जाये, यह सवाल तो ऐसा है कि जो कि एक दृष्टि से देखने में असंगत मालूम होता है कि हम अपने घर में बिजली नहीं लगवाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम तो तुम्हारे घर में बिजली लगाकर के ही जायेंगे। तो जब माननीय सदस्य इसको अपने क्षेत्र में समझते हैं तो भी उनको भी तो कुछ-कुछ प्रयत्न करना चाहिए। तो अब कंटूर वंडिंग के लिए हमने यह आदेश दिये हैं क्योंकि कहीं इससे 75 फीसदी लोग .सहमत होते हैं बाकी के 25 प्रतिशत लोगों की इसमें सहमति मान ली जावे तो हमने माननीय सदस्यों की भावना जानकर अब यह आदेश दिये हैं कि जब तक 100 परसेन्ट वहाँ के लोगों की कंसेन्ट न मिल जावें तब तक इसको न किया जावे।

श्री चम्पालाल आर्य : जहाँ पर कि कपास और मूँगफली की पैदावार होती है ऐसे किसानों के खेतों पर कंटूर वंडिंग की जाती है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मंत्री जी ने जैसा अभी बतलाया है कि 100 परसेन्ट जब तक कंसेंट न मिल जावे तब तक न किया जावे तो मेरा कहना है कि आपको 50 परसेन्ट कंसेंट मिल जावे तभी आप इसको शुरू कर दीजिये क्योंकि 100 परसेन्ट राय कभी नहीं हो सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने अभी जो कहा है उसमें कहा है कि मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखकर ऐसे आदेश दिये हैं। मैंने माननीय सदस्यों पर एक जिम्मेदारी दी है क्योंकि किसी महत्वपूर्ण विषय पर जब कुछ बात कही जाती है तो उस पर जनभावना को देखना पड़ता है।

श्री हरिभाऊ जोशी : जो यह कंटूर वंडिंग का कार्य होता है ठीक प्रकार से प्रचार नहीं हो पाता है आपके जो लोग गाँवों में जाते हैं और तहकीकात करते हैं तो किसानों की समझ में ठीक से बात नहीं आती है और वे किसानों को ठीक से समझा भी नहीं पाते हैं कि कंटूर वंडिंग किस प्रकार से होना है। तो आप इसका ठीक प्रकार से प्रचार करवाइए, तब ठीक हो सकेगा।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य के सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है जो माननीय सदस्यों ने उठाया....

श्री शाकिर अली खाँ : 100 परसेन्ट का मतलब 95 परसेन्ट समझें?

श्री अर्जुनसिंह : शाकिर साहब जो समझ सकते हैं वह समझ लें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने डिमांस्ट्रेशन पर जोर दिया है कि जब किसानों को उन्नतिशील तरीकों का डिमांस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो कैसे अपेक्षा करें कि वह अनुसरण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, डिमांस्ट्रेशन के बारे में कृषि विभाग सबसे ज्यादा महत्व देता है क्योंकि मेरी मान्यता है और विभाग की मान्यता है कि भारतीय कृषक में सदियों के अभ्यास, निरन्तर उपयोग की वजह से बहुत-सी ऐसी प्रतिभाएँ अपने आप में हैं जिनको सही दिशा देना है तब वह स्वयं काफी फायदा उठा सकता है। यह केवल डिमांस्ट्रेशन के द्वारा होगा। अध्यक्ष महोदय, बाबूलाल पाटौदी जी ने एक मौलिक सुझाव उत्पन्न किया है। मैं उनके सुझाव का आदर करते हुए माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य को यह अवसर दिया जावे कि वह अपने क्षेत्र में एक ग्राम को चुन लें और वह उसके विकास में सहयोग दें और जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं उनका ज्ञान करें कि उस पर कैसे काबू पाया जावे और वह इसके लिये शासन को मदद करें। मैं उनके इस सुझाव का स्वागत करता हूँ।

श्री हरिभाऊ जोशी : हमने हमारे जिले में प्रयत्न किया था, ब्लॉक लेबिल पर प्रयत्न किया लेकिन एक गाँव की डिमान्ड इतनी है कि सारा ब्लॉक का बजट उनको पूरा नहीं कर सकेगा।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि योजनाबद्ध विकास की कठिनाइयाँ क्या होती हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि मैं माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करता हूँ और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वह प्रत्येक संभाग से दो-दो गाँव चुन लें और 20 अप्रैल तक मुझे सूचना दे दें कि किस-किस गाँव को चुनना चाहते हैं और किस तरह कार्य करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्यों ने कुछ विभाग के गठन और कार्यकलापों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया, माननीय नरेन्द्रसिंह ने कहा कि कृषि विभाग जैसा आज है वह इस दिशा में नहीं है कि वह कुछ कार्य कर सके क्योंकि जितने अंग हैं वह सब दूसरे विभागों से संबंधित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय देव को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अहम् प्रश्न सदन में उठाया और मैं उनकी राय से बहुत हद तक सहमत हूँ। यह इसलिये भी कह रहा हूँ कि कृषि विभाग मेरे चार्ज में है और फिर भी कह रहा हूँ कि चूँकि यह सत्य है कि कृषि विभाग के कार्यकलाप में सक्षमता लाने के लिये आवश्यक है कि कुछ हेर-फेर होना चाहिये ताकि जितना एक्ज़ीक्यूशन है उस पर कृषि विभाग का नियंत्रण हो सके। इस पर शासन स्तर पर विचार हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि जिन्होंने इस विषय को उठाया है उस दिशा में बढ़ने में सफल होगा। श्री काशीप्रसाद जी पांडे ने कोऑरडीनेशन के विषय में चर्चा की कि यह न होने से बहुत-सी चीजें नहीं हो पातीं व समन्वय कितना आवश्यक है इसमें दो मत नहीं हो सकते। मैं माननीय सदस्य को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि कैबिनेट लेबिल पर एक सब-कमेटी बनाई गई है। समन्वय दो-तीन स्तर पर होता है। एक हॉयर लेबिल पर जहाँ-जहाँ विभाग के अलग-अलग मंत्री हैं और एक लोअर लेबिल पर जहाँ काम होता है। जहाँ तक हॉयर लेबिल का प्रश्न है कैबिनेट, जिसमें मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं और वह सब-कमेटी पूरे कैबिनेट के पॉवर से काम करती है और जितने समन्वय के प्रश्न आते हैं वह सब-कमेटी के सामने जावेंगे। फिर अधिकारियों के स्तर पर, सेक्रेटेरिएट लेबिल पर कमेटी का निर्माण किया गया है। जहाँ तक लोअर लेबिल और जिले का सवाल है इस दिशा में माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूँ कि समन्वय और योजनाओं का क्रियान्वयन और उसमें गति लाने में शासन यह महसूस करता है कि जिला स्तर पर एक प्रॉडॅक्शन कमेटी बनाई जावे जिसमें कि सारे सदस्यों से राय ली जावेगी कि प्रॉडक्शन प्रॉबलम को किस तरह ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। इस कमेटी में को-ऑपरेटिव्ह इरीगेशन के जिला अधिकारी रहेंगे और जिला स्तर पर एक जिले के आधार पर बनाकर उसमें पूरी मदद देंगे.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन को रखेंगे?

श्री तुलाराम सगर : आपको रखेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तामोट जी के उठने से ही समझ गया था कि वह क्या कहना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि आप सन्तुष्ट रहेंगे हम जो करेंगे।

श्री गुलाबचन्द तामोट : हम कन्वीनर से तो सन्तुष्ट नहीं हैं। जो जन प्रतिनिधि हैं उनसे तो आप कतराना चाहते हैं उनको क्यों न प्रिसाइड करने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्वाइंट को जरा स्पष्ट कर दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : जिस वक्त यह कमेटी बनेगी उस समय देखिए कौन होगा।

श्री गुलाबचन्द तामोट : सभापति जी मेरा मतलब है कि इसमें कुछ राज है और शासन का दिल साफ नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के माननीय सदस्यों से विभाग के गठन के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूँगा। विभाग पूरे प्रदेश में फैला हुआ है .....

श्री चतुर्भुज गोरानी : सभापति जी, मंडियों के सम्बन्ध में जिनका कि सम्बन्ध कृषि मंत्री जी से है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करूँगा कि आज मंडियों में बड़ा अन्धेर चल रहा है। इन्दौर में और दूसरे नगरों की मंडियों में तोल में लूटा जा रहा है। इसके बारे में मंत्री जी स्पष्टीकरण कर दें तो उचित होगा।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक विभाग का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहूँगा कि यह विभाग पूरे प्रदेश में बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है और मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि इसमें मौलिक रूप में रीऑरगनाइजेशन होने की

आवश्यकता है और इस दिशा में हम वर्कआउट कर रहे हैं और अगले समय इसकी कुछ रूपरेखा लायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने मंडियों के बारे में कहा तो मैं कहूँगा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में 150 मंडियों का प्रावधान था। इस समय ९९ मंडियाँ काम कर रही हैं और बाकी की बनना हैं उसके लिये हम प्रयत्न करेंगे और आशा है कि उसमें सफल होंगे और थर्ड फाइव ईयर टारगेट के अन्दर यह पूरी हो जावेंगी। मंडी क्रमेटी का जहाँ तक विषय है उसमें बहुत-सी खामियाँ हैं जो कि विभाग के सामने आई हैं। इस सम्बन्धी कानून में भी संशोधन करने का शासन विचार कर रहा है। जैसी इसके बारे में रूपरेखा तैयार होगी वही सदन के सामने आयेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं वेटरनरी विभाग के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहूँगा। माननीय सदस्यों ने इस पर ज्यादा उल्लेख तो नहीं किया है फिर भी वह कृषि कार्य-क्षेत्र में ज्यादा अंग रखता है इसलिये मैं कहना चाहूँगा। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह आप पशुओं के बारे में ऐसी नीति क्यों बरतते हैं कि वह कसाईखाने में भेज दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कोई नहीं चाहता कि पशु कसाईखाने में भेजे जावें लेकिन जब कभी ऐसी प्रत्यक्ष चीज से आँख मूँदना चाहें और जो भले ही आवारा हों लेकिन एक लॉजिक आफ इकॉनॉमिक्स होने के नाते से कहना पड़ेगा कि आज हमारे देश में पशुधन किस स्थान और किस तरह हमारी जमीन पर रह सकते हैं, इस तरफ इतना ध्यान आज नहीं दिया गया है। उतने ही आदमी हमारे यहाँ खाने वाले हैं और उतने ही हमारे यहाँ पशु खाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, लॉजिक ऑफ इकॉनॉमिक्स उसका चाहें तो उसका दुर्लक्ष नहीं कर सकते हैं उसको देखते हुए आप इस पर विचार करें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं मंत्री जी से कहूँगा कि वह इसको स्पष्ट करें कि उन्होंने क्या इसको रिमेडी मान लिया है।

श्री अर्जुनसिंह : यह कोई रिमेडी नहीं है। आपने प्वाइंट आउट करके कहा था इसलिये मैं कह रहा हूँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट : कुछ खामियाँ हैं जिनके कारण खुराक आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

सभापति : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन्टरप्शन करने का उनको पूरा अधिकार है फिर भी उनसे यह आशा की जाती है कि वह कोई ऐसा इन्टरप्शन न करें जिससे भाषण में गड़बड़ हो।

श्री अर्जुनसिंह : मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा कि पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिये जो कदम हमने उठाये हैं उससे रिन्डरपेस्ट को दूर करने में हमको काफी सफलता मिली है।

श्री विनय कुमार दीवान : अध्यक्ष महोदय, पशुओं के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वह इस सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं और पशुओं की संख्या कम हो रही है वह कहते हैं कि वह यह जानते हुए भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जब आप इसको सैद्धान्तिक रूप से मानते हैं, कार्यान्वित क्यों नहीं करते। इससे कृषि पर बुरा असर पड़ रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्यों ने यहाँ पर कुछ विचार व्यक्त किये। श्री रामस्वरूप वर्मा के विशेष प्रकरण को उद्धृत करके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रीजेन्टिंग शुरू नहीं करना चाहता हूँ कि कोई उँगली उठाये और मैं पीछे पड़ जाऊँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई तथ्य यहाँ और कोई भी शंका होगी तो कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों न हो उस पर कार्यवाही की जावेगी। जिस प्रकरण का उन्होंने उल्लेख किया है मैं उसके संबंध में ए.जी. को कह रहा हूँ कि वह उसकी छानबीन करें उसके बाद उसकी रिपोर्ट आयेगी।

अब मैं दो-तीन बातों के सम्बन्ध में और कहना चाहूँगा एक माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चरल एज्युकेशन के संबंध में कहा जैसा मालूम है कि इस प्रदेश में जुलाई से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम करने लगेगी और 6 कॉलेज जो इस समय प्रदेश में काम कर रहे हैं वह उन यूनिवर्सिटी के अन्डर में आ जायेंगे। फिर उसके बाद हम नियोजित ढंग से काम करने का प्रयत्न करेंगे। जिस भावना से आज इस बात की माँग पर माननीय सदस्य ने चर्चा में भाग लिया उनको मैं बहुत आदर से देखता हूँ।

श्री भालचन्द्र बागदरे : मेरे क्षेत्र में वह 10 रु. प्रति क्विन्टल के भाव से बेचे जाते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक बीज के भाव का संबंध है भावों का निर्धारण करने में विलम्ब होता था। अब यह नियम बनाया है कि ब्लॉक और तहसील लेबल पर एक कमेटी रहे और वह भाव तय करे जब ऐसा हो जावेगा, तब यह दिक्कत नहीं रहेगी।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं मशीनरी के बारे में भी जानता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इतने कम समय में कैसे उत्तर दे सकूँगा। मेरे 10 मिनट तो तामोट साहब ने ही ले लिये।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैंने मंत्रीजी के कहने पर ही समय लिया था।

सभापति : मैं पाँच मिनिट का समय और बढ़ा देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह बता देना चाहता हूँ कि .....

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को पूरा-पूरा उनकी समस्याओं का जवाब मिल जाये इसलिये केवल 10 मिनट मंत्री जी के लिये बढ़ा दिये जायें तो अच्छा है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सभापति जी, मैं अब उस विषय पर भी यहाँ कुछ जानकारी रख देना चाहता हूँ जिसके बारे में यहाँ कोई किसी माननीय सदस्य का कटमोशन भी नहीं आया है और वह है मत्स्य पालन के संबंध में। मैं देख रहा हूँ कि शर्मा जी मेरी ओर इस विषय पर कहते ही कुछ नाराज होकर देख रहे हैं। यह ऐसा विषय है जो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में बहुत शीघ्र ही ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जा सकेगा कि उससे काफी बड़ी धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। माननीय सदस्यों को विदित ही है कि एक लाख पचास एकड़ इनलैंड वाटर एरिया हमारे यहाँ है। प्राइवेट सेक्टर से लगभग प्रतिवर्ष 80 लाख रुपये का मछली का उत्पादन किया जाता है जो कि हमारे यहाँ से कलकत्ता भेज कर विदेशी मुद्रा के बचाव में बहुत सहयोग मिलता है। अब वहाँ केवल 3.4 लाख पाकिस्तान से आता है। 80 लाख की पूर्ति इसमें मध्यप्रदेश कर रहा है। इससे हम न केवल विदेशी मुद्रा का बचाव कर सकेंगे बल्कि पंचायतों की भी मदद कर सकेंगे जिनके द्वारा तालाबों का वितरण किया जाता है। अब मैं डिपार्टमेंट के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने इस बारे में जैसा कि पहले कहा था .....

श्री सूर्यदेव शर्मा : अगर रुपया मिले तो अध्यक्ष महोदय, लोग तो अपने पितरों को भी बेच देंगे।

श्री तुलाराम सगर : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वाइंट इन्फार्मेशन सर, क्या शर्मा जी का सीट नंबर बदल दिया गया है?

सभापति : नहीं।

श्री किशोरी मोहन : अध्यक्ष महोदय,, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुशरान जी ने जो सवाल उठाया था कि अनाज खेतों से जो पैदा होता है उसकी कीमत कम न होने पाये, इसके लिये वे क्या सोच रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय पर पहले ही कहा था, संभवतः माननीय सदस्य ने सुना नहीं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि किसी विभाग के सक्षम कार्यों के लिये उस विभाग के कर्मचारियों को यह भान होना चाहिये कि उनके कार्यों का अवलोकन किया जाता है और उनके द्वारा जो विभाग की सफलताएँ होती हैं या असफलताएँ होती हैं उनके लिये वे भी जिम्मेदार हैं। जो सफलताएँ होती हैं उनके लिये भी शासन उन्हें जिम्मेदार समझता है और उन्हें उचित लाभ भी उस संबंध में देता है। माननीय सदस्यों ने यह कहा कि प्रमोशन्स, रिवर्शन्स और रिक्रूटमेन्ट के बारे में बहुत शिकायतें हैं और ये सब सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि यह विचार मेरे विभाग में किया गया है, प्रोमोशन्स, रिक्रूटमेन्ट जो विभाग से किया जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात तो अलग है लेकिन जो विभाग से होता है और रिवर्शन के बारे में भी एक छोटी-सी कमेटी वरिष्ठ अधिकारियों की रहेगी जो प्रोमोशन के बारे में विचार करेगी और केवल एक अधिकारी के मत से प्रोमोशन नहीं होगा न कोई एक्शन लिया जावेगा तो यह जो शिकायत बाहर करने का मौका मिलता है कि व्यापक रूप से अन्याय हो रहा है एक आदमी जो चाहता है, वह करता है, तो वह शिकायत अब नहीं रहेगी।

अन्त में माननीय सदस्यों से एक वाक्य कहना चाहता हूँ इस गुरुतर भार को वहन करने की क्षमता .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मंत्री जी ने जो कमेटी की बात कही वह उत्तम तरीका नहीं होगा जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वहन करना चाहिये। इस तरीके पर रिवर्शन तो किसी का होगा नहीं और प्रोमोशन भी जिसको मिलना चाहिये उसको मिल नहीं पायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : यह मत का प्रश्न है, मेरा मत इसके विपरीत है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था, यह शासन प्रत्येक

सदस्य और प्रत्येक व्यक्ति से कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहयोग प्राप्त करेगा, उसको सिद्धांत रूप में यह विभाग लेता रहेगा। हो सकता है आरंभ में दो वर्ष कहीं-कहीं असफलताएँ नज़र आयें लेकिन आपको खोया हुआ अवसर पुनः नहीं मिलेगा।

सभापति : प्रश्न यह है कि माँग संख्या 20-21 और 40 के संबंध में प्रस्तुत समस्त कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किये जावें।

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य को संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को अनुदान संख्या 20-/कृषि के लिये 4,89,96,000 (चार करोड़ नवासी लाख, छियानवे हजार) रुपये अनुदान संख्या 21-/पशुपालन के लिये 1,85,17,000 (एक करोड़, पचासी लाख, सत्रह हजार) रुपये अनुदान संख्या 40-/कृषि योजनाओं पर पूँजी की लागत के लिये 1,32,45,000 (एक करोड़, बत्तीस लाख, पैंतालीस हजार) रुपये तक की राशि दी जावे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

स्वर्णकारों की समस्या पर नियम 53 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा -

श्री पंढरीराव कृदत्त (धमतरी) : दिनांक 20 मार्च 1964 के प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 809 के द्वारा स्वर्णकारों की समस्या पर चर्चा करने के लिए आधे घंटे की अनुमति दी गई। पूरे सत्र में इतने सदस्यों ने इस पर प्रश्न किया था जिनको देखने से यह मालूम होता है कि प्रदेश में चारों तरफ स्वर्णकारों की जो अवस्था है वह अत्यन्त दयनीय है। माननीय सदस्यों ने उनकी दयनीय अवस्था को सामने रखने का प्रयत्न किया परन्तु शासन के द्वारा जो उत्तर मिला उससे उनकी समस्या का कोई समाधान हो सकेगा, ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ी। आपको उदाहरण के बतौर बताऊँ, देवास जिले में जहाँ 5 तहसीलों से 152 दरख्वास्तें थीं, वहाँ केवल 9 लोगों की दरख्वास्तें मंजूर हुईं, बाकी के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका। उसी प्रकार श्री दुलीचन्द अहेरवार ने एक प्रश्न किया था उसमें अशोकनगर में 56 स्वर्णकार पीड़ित थे जिनमें से 4 को ऋण मिला। इसी प्रकार श्री वृन्दावन तिवारी जी ने पूछा था तो मालूम हुआ कि गुना जिले में 211 स्वर्णकार प्रभावित हुए लेकिन केवल 8 को ऋण मिला। श्री सुमेरसिंह अमरैया के प्रश्न के उत्तर में बताया कि 443 स्वर्णकार प्रभावित हुए हैं लेकिन केवल 117 को प्रमाण-पत्र मिल सके। इसी तरह से हरदा में 375/स्वर्णकारों के आवेदन आये, जिनमें से 21 लोगों को ऋण मिला। इसी प्रकार से अनेक स्थानों पर जो बातें सूचना के तौर पर आई हैं उनसे मालूम होता है कि रायपुर सम्भाग में जहाँ पचास लाख की आबादी है, वहाँ पर प्रश्न पूछने पर मालूम हुआ कि 39 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जा सकी। जहाँ पचास लाख की आबादी है वहाँ 39 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि स्वर्णकार जो स्वर्ण-नियंत्रण कानून के अनुसार डिसप्लेस्ड हुए हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस पर विचार करें तो यह मालूम होगा कि स्वर्णकार जिन-जिन स्थानों पर हैं, आज उन्हें खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन्होंने आज 1 वर्ष से भीषण दुर्दशा का सामना किया है उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को भूखों रहना पड़ता है। उनके जीवन में एक प्रकार की अव्यवस्था आ गई है। वह कोई साधारण अव्यवस्था नहीं है। उनके दिमाग को खराब करने के लिये यह कारणीभूत रूप हो रहा है। यदि अधिक दिन लगे, उनकी समस्या की उपेक्षा करते रहे तो मालूम नहीं उनके समाज की क्या अवस्था होगी। दिन-प्रतिदिन उनकी हालत गिरती जा रही है। हमारे जो कुशल कारीगर हैं, जो सोने-चाँदी का काम करते थे, वे बर्बाद हो रहे हैं, उनका जीवन अस्त-व्यस्त होता जा रहा है। हम अपने कुशल कारीगरों से वंचित हो रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने कुछ नियम बनाये हैं, उन नियमों के आधार पर उन्हें पैसा मिलता है। आप ऐसी नियमावली बनाते हैं जिसे रिहेबिलिटेशन रूल से यह मालूम होता है कि हम उन लोगों को इस प्रकार की मदद देते हैं मानो वे डिसप्लेस्ड नहीं हैं, वे अच्छी तरह से खा-पी रहे हैं और सरकार ने उनको किसी प्रकार के ऋण देने की व्यवस्था की है। आज ऐसी व्यवस्था उन सरीखे डिसप्लेस्ड लोगों के लिये कभी ठीक नहीं हो सकती। उन्हें जो ऋण दिया जाता है, उसकी अदायगी के बारे में इस तरह से रखा गया है कि 9 महीने बाद कर्जे की किस्त देना शुरू हो जावेगी। आप किसी को 500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक का ऋण दें और यह कहें कि 9 महीने बाद

पहली किस्त ब्याज सहित दे देवें तो आपका यह सोचना गलत है। जब आप उसको संभलने के लिये ऋण देते हैं तो उसके लिये दो-तीन वर्ष का समय दीजिये .... आप उसका अकाउन्ट माँग सकते हैं कि वह 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में उसका हिसाब देता रहे किन्तु ऋण की अदायगी का समय दो-तीन वर्ष का होना चाहिये। आपने यह नियम रखा है कि यदि वह किस्त न पटा सके तो आप पेनाल्टी के साथ उसकी वसूली करेंगे। उस पर 8 रुपये की दर से ब्याज लगेगा। मैं कहता हूँ कि यह क्रुएल्टी है। आप यह न समझिए कि उसे आप सहूलियत दे रहे हैं बल्कि आप उसे खतरे में पहुँचा रहे हैं।

माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि नियम बना दिये गये हैं जिनके अनुसार कुछ-न-कुछ किया जाता है। मेरा निवेदन है कि उसमें कोई ऐसा आधार या सिद्धांत नहीं है जिसके अनुसार ऋण दिया जाये। उस नियम को आप ठीक प्रकार से बनाइए, बनाकर लोगों की जानकारी में लाइए, जिससे लोगों को मालूम हो सके। यदि ऐसा न हुआ तो ऋण देने में पक्षपात होगा, जिसको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिल जायेगा और जिसको मिलना चाहिये, उसको नहीं मिल सकेगा। जो स्वर्णकार का काम करते हैं, उसको नहीं मिल सकेगा। जो बोल सकता है, उसको मिलेगा। जो नहीं बोल सकता, उसे न मिल पायेगा। शासन ने उन लोगों की जबान बन्द करने के लिये कुछ पैसा देना मंजूर कर लिया। आज उनके संगठन में फूट हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह शासन का दोष नहीं है। जितना पैसा केन्द्र से शासन के पास आता है, वह दे दिया जाता है। यह उनके संगठन का भी दोष है। आपने कुछ पैसा दे दिया, जिनको पैसा मिल जाता है, वे चुप हो जाते हैं और जिनको पैसा नहीं मिलता, वे परेशान होते हैं, इस तरह से उनमें फूट हो जाती है। आप उनके संगठन में फूट डाल रहे हैं, आज आप अपनी जिम्मेदारी से बरी होना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप विस्थापित किनको मानते हैं, आप उन्हें विस्थापित मानते हैं जो सोने का काम करते थे। सोने का काम कितने लोग करते थे? पूरी तरह से सोने का काम बहुत लोग करते थे। ज्यादातर वे लोग सोने और चाँदी का काम करते थे, और आप देखें कि जो सोने का काम करते थे, उन्हें 10 प्रतिशत काम मिलता था और 90 प्रतिशत मजदूरी मिलती थी। जो चाँदी का काम करते थे उन्हें 40 प्रतिशत काम मिलता था और मजदूरी 10 प्रतिशत मिलती थी। इसलिये जब आपने इस आधार पर जो स्वर्णकार सोने का काम करते थे उन्हें ही डिसप्लेस्ड माना है जो चाँदी का काम करते थे उन्हें नहीं माना। स्वर्णकारों में जो सोने का काम करते थे और चाँदी का काम करते थे, दोनों को डिसप्लेस्ड मानना चाहिये। इसके बाद यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज और स्कूलों से यह शिकायतें बराबर आ रही हैं कि वहाँ स्वर्णकारों के बच्चों को सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं। रायपुर संभाग के स्कूलों मे कुल 39 विद्यार्थियों को सुविधा दी गई है। इसलिये इसे आपको पुनः देखना पड़ेगा। इसी तरह सागर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, इस प्रकार की सूचना मेरे पास है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से जब पूछा गया तो वह कहते हैं, सरकार हमें इसके लिये कोई ग्रान्ट नहीं दे रही है, इसलिये हम अपने ऊपर यह बोझ उठाने में असमर्थ हैं— इसलिये शासन को इस समस्या को शीघ्र हल करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिये ताकि स्वर्णकारों के बच्चे पढ़-लिख सकें।। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने यह प्रावधान कर रखा है कि वह स्वर्णकार कोई दूसरा धंधा नहीं कर सकते यदि उन्हें कोई दूसरा धंधा लाभप्रद मालूम होता है तो वह दूसरा धंधा कर सकें इस तरह की छूट ऋण के प्रावधान में शासन को देना चाहिये। स्वर्णकारों को यह कहा गया है कि वह ईंटें बनायें, कबेलू बनायें और इस तरह के दूसरे काम करें। इस तरह के काम उनसे लेने में जो उनकी कला है और उसमें जो उनकी निपुणता है उसमें भारी कमी आ जाती है। इसके स्थान पर उन्हें दूसरे तकनीकी काम करने में प्रोत्साहन देना चाहिये, जैसे घड़ी बनाना, रेडियो पुर्जे बनाना आदि। इस संबंध में, मैं यह उदाहरण पेश करना चाहता हूँ कि पश्चिम निमाड़ जिले के अंजड़ ग्राम में एक सीताराम सोनी ने ऐसी कई चीजें बनाई हैं जो इलेक्ट्रिक के पंखों को चला सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाये तो उद्योग के क्षेत्र में भी ये लोग लाभप्रद साबित हो सकते हैं। उनको काम भी मिल सकता और बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकती है। एक बात और यह कहना चाहता हूँ कि सोने या चाँदी के आभूषण जो स्वर्णकार बनाते हैं उनमें से अधिकांश सोने-चाँदी के जेवर जो किसान लोग खरीदते हैं और महीने-दो महीने बाद उन्हें बेचने

आते हैं तो उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। स्वर्णकार और खरीददार के बीच में सोना-चाँदी के धंधे करने वाले व्यवसायी आ जाते हैं, उन्हें मजदूरी का नफा अधिक मिल जाता है और स्वर्णकारों को बहुत कम मिलता है, उसे पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। जनता को इस दिक्कत से बचाने के लिये मेरा यह सुझाव है कि इसके लिये को-ऑपरेटिव सोसायटी या गवर्नमेन्ट डिपो की व्यवस्था की जाये जहाँ उन्हें चाँदी मिल सके। इससे जो स्वर्णकारों का एक्सप्लायटेशन होता है, उससे वह बच जायेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाँदी में 10 और 12 तोले तक जस्ते बट्टा मिलाया जाता है और एक और धातु है जिसे केडमियम कहते हैं वह सौ तोले में 12 तोले मिलाते हैं उसके बाद उसके जेवर बनाकर बेचे जाते हैं। किसान जब उन्हें वापस बेचते हैं तो बहुत कम दाम मिल पाते हैं। किसानों के पास सोना तो अब रहा नहीं, चाँदी जो खरीदते हैं उसकी भी पूरी कीमत बेचने पर नहीं मिलती। इससे आवश्यकता इस बात की है कि चाँदी ठीक रूप से किसानों को आभूषण खरीदने के लिये मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि स्वर्णकारों को चाँदी अलग से दिलाई जा सके जिससे वे अपनी पूरी मजदूरी पा सकें और उनको आभूषण बेचने का अधिकार हो। आभूषण बेचने का अधिकार ऐसे लोगों को न दिया जाये जो आभूषण बनाना नहीं जानते। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाये तो अपना इतना बड़ा समाज स्वर्णकारों को पाल सकता है। मगर सौ-पचास या हजार-दो हजार देकर आप स्वर्णकारों को हमेशा आश्रित नहीं रख सकते। देश के लिये स्वर्ण-नियंत्रण कानून आवश्यक था उसके अनुसार एक अलग से व्यवस्था भी करनी थी जिससे ये लोग अपने धंधे में लगे रहे होते .....

श्री भैरव भारतीय : हम लोग भी बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय नहीं दे सकता। इसके लिये पहले से सूचना चाहिये थी।

श्री पंढरीराव कृदत्त : उनके लिये शासन ने कृषि-योग्य भूमि भी उपलब्ध नहीं कराई। इस तरह से अनेकों आवश्यकताएँ हैं जिनकी तरफ शासन को ध्यान देना चाहिये, लेकिन आज स्वर्णकारों के बारे में सरकार यही समझती है कि केन्द्र से पैसे आयेंगे तो वितरण कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक अधिकारी की इस हेतु नियुक्ति कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक शासन में एक राजा साहब थे। राजा अपने नाई से प्रजा का हाल पूछा करता था। नाई उसके पास आया ही करता था। नाई के पास गाय-भैंस थीं और उसको दूध पीने को मिल जाता था। उसकी स्त्री के पास कुछ सोने आदि के आभूषण भी थे। तो जब राजा पूछता था कि राज्य का क्या हाल है। नाई कहता था कि साहब, सब आराम से हैं और दूध-घी खाते हैं। लोगों के यहाँ औरतें पीले-पीले आभूषण सोने के पहने हुई रहती हैं। इस तरह से हमेशा राजा पूछता था और नाई यही बताया करता था लेकिन एक दिन राजा शिकार से लौट रहा था तो उसने एक घर में देखा कि उसके बच्चे खाने बिना रो रहे थे। औरत से पूछा तो उसने बताया कि कई दिनों से हमारे यहाँ खाने-पीने को नहीं है और वह राजा को कोस रही थी और उसको फिर मालूम हुआ कि चारों तरफ यहाँ यही स्थिति है। लेकिन राजा ने सोचा कि जरा नाई के यहाँ का पता लगवाया जाये। वहाँ एक आदमी भेजा तो पता लगा कि उसके पास गाय-भैंस हैं और उसकी औरत के पास सोने आदि के कुछ आभूषण भी हैं। तब उसे असलियत का पता लगा। तो यही हाल आज हमारे शासन का है। उसके भी कुछ नाई लोग हैं जिनकी बात पर विश्वास करके वह बैठे रहे हैं। खुद जाकर कहीं देखते नहीं हैं। आज बेचारे स्वर्णकारों के बच्चे भूखों मर रहे हैं, पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही है। आज कम-से-कम 20 लाख लोग मध्यप्रदेश में होंगे जो इससे प्रभावित होंगे। मैं समझता हूँ कि शासन इसकी ओर गौर करके उचित व्यवस्था करेगा।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री कृदत्त जी ने इस आध घंटे की चर्चा में सदन का ध्यान स्वर्णकारों की स्थिति की ओर दिलाया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय अग्निभोज जी ने कहा कि उससे मालूम होता है या तो कृदत्त जी को नाई से कोई एलरजी रही या नाई को कृदत्त से एलरजी रही .....

श्री पंढरीराव कृदत्त : हमने दाढ़ी बढ़ा ली तो कुछ लोग मूछें बनवाते हैं तो वह पैसा आ जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि शासन अपने स्वर्णकार भाइयों को न तो अपने देश में विस्थापित मानता है और न ऐसा ही मानता है कि उनको इस तरह का अपंग बनाकर छोड़ दिया जाये, वे किसी काम के न रहें। उपाध्यक्ष महोदय, देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी

पड़ी, देश में इस तरह के जितने भी कानून होते हैं उनसे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है उस पर हमारा और आपका ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्णकार भाइयों के लिए जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उनकी मदद करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह सिद्धांत की बात नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सिद्धांत एक तरफ होता है और मानव समस्याएँ दूसरी होती हैं। सिद्धांत सर्वोपरि होता है। मानवीय समस्याएँ, सुलझाना हमारा कर्त्तव्य है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूँ, प्रदेश-स्तर को छोड़कर जिला-स्तर पर समितियाँ गठित की गई हैं, वे समितियाँ काम कर रही हैं जो भी कठिनाई होंगी, स्वर्णकार भाइयों की होंगी, उनसे अवगत होने पर, शासन कार्य कर सकता है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह समितियाँ आधे जिलों में कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा हमें बहुत-सी जानकारी मिल रही है। हमें आशा है हमें उनके द्वारा पूरी मदद मिलेगी। माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा, धन नहीं मिलता तो हम क्या करें जैसा कि अभी कहा है, माननीय उपाध्यक्ष, धन की कमी तो है ही इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है लेकिन इस विषय में जो भी आवश्यकता धन की होगी हम उसे करेंगे, इस वक्त 22 1/2 लाख रुपये 63-64 में इस दिशा में खर्च किया गया है, जहाँ-जहाँ से माँग आती रहती है हम उसे पूरा करने की चेष्टा करते हैं। जहाँ तक, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बच्चों की पढ़ाई के संबंध में कहा, मैं यह मानता हूँ कि जितनी तत्परता से सब स्कूलों में सूचना पहुँचनी थी वह नहीं पहुँच सकी। इस संबंध में भी कुछ व्यावहारिक कठिनाई हैं। इस बात की जानकारी मिलने में देरी हुई कि अमुक स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्कूल में तो मालूम था लेकिन अधिकृत रूप में नहीं कहा जा सकता था उसमें कुछ विलम्ब हुआ। जहाँ तक फीस के संबंध में कहा कि बच्चों ने फीस दे दी है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी फीस रिफण्ड की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सागर यूनिवर्सिटी के बारे में माननीय सदस्य ने कहा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने सागर यूनिवर्सिटी को लिख दिया कि स्वर्णकार बच्चों से फीस न ली जाये, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एजूकेशन कन्शेसन के ऊपर 50 हजार रुपया शासन की तरफ से दिये जा चुके हैं।

इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया कि जो सोना और चाँदी का सम्मिलित काम करते थे, 10 परसेन्ट सोना का और 90 परसेन्ट चाँदी का काम कर रहे थे लेकिन उसका प्रभाव भी उसी प्रकार से होगा जिस तरह से सोना और चाँदी दोनों पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया हो। यह तो मत का प्रश्न हो सकता है। जो प्राथमिक रूप से ही चाँदी का काम करता होगा वह स्वर्ण-नियंत्रण में कैसे आ सकता है। फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री पंढरीराव कृदत्त : सोने की एक अँगूठी बनाने में उसको 5 रुपये मजदूरी मिलती थी और चाँदी की अँगूठी बनाने में उसको आठ आने मिलते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : 10 और 90 का अनुपात भी बहुत होता है। चाँदी के काम पर शासन ने अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है और न ही उसका दायित्व ही शासन पर आता है। अभी स्वर्ण-नियन्त्रण में जो संशोधन हुआ है जो कि माननीय सदस्य को मालूम ही है, उसके द्वारा स्वर्णकारों को सक्षम बना दिया गया है और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि 14 केरिट से अधिक के जेवरों को वे सुधार सकते हैं या तोड़कर फिर से बना सकते हैं। इसके लिये उनको लाइसेन्स दिये जाने की व्यवस्था की गई है और इस काम को करने के लिये हमारे प्रदेश में 6,500 दरख्वास्तें आई हैं लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये। पूरे राज्य में सब तरह की सहायता मिलाकर, जो प्रार्थना-पत्र आये हैं उनकी संख्या आठ हजार है। हमारे पास उसी धंधे को करने के लिए इतनी अधिक अर्जियाँ आई हैं, उनके लिए हमने यह सुविधाएँ दी हैं कि जब तक लाइसेन्स देने का निर्णय नहीं हो जाता है उस समय तक भी वे काम कर सकते हैं उसमें यह माना जायेगा कि उनकी अर्जी पर निर्णय ले लिया गया है। उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। यह भी कहा गया कि सरकार स्वर्णकारों की ओर से उदासीन है और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है और उसमें उपमा और उपमेय भी दिया गया था, इस संबंध में मुझे माननीय सदस्य को समझाने का अधिकार तो है नहीं, मुझे तो केवल कहने का अधिकार है और कह ही सकता हूँ। इस दिशा में

जितने भी प्रयत्न होंगे शासन उनको करेगा और कर रहा है और इस दिशा में माननीय सदस्यों और हमारे स्वर्णकार भाइयों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा जिससे उनका जीवन-क्रम चलने लगे।

जहाँ तक नियमों का प्रश्न है उसके संबंध में जो उल्लेख किया गया है, नियम तो बहुत ही स्पष्ट हैं और यह हो सकता है कि कहीं पर अधिकारियों को समझने में और कहीं पर स्वर्णकार भाइयों को समझने में कठिनाई आई हो और उसका मतलब समझ लिया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रकरण यदि शासन के समक्ष आयेगा तो उस पर शीघ्र ही आदेश देगा। शासन हर समय हमारे स्वर्णकार भाइयों की मदद करने के लिये तत्पर है और रहेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/27 मार्च 1964, पृष्ठ/3285-3289)

31 अगस्त 1964 को जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर करने के लिए एक विधेयक लाया गया जिसे कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने प्रस्तुत किया। विरोध के बावजूद विधेयक पारित हुआ। विधेयक पर चर्चा यहाँ प्रस्तुत है -

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 35, 1964) का पुरःस्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 35, 1964) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात होगा कि जबलपुर में कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय कायम करने की घोषणा और उस पर अमल करने का शासन ने निश्चय किया था। इसके द्वारा उसका नाम बदल कर स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू के नाम पर करने का इस बिल द्वारा सदन से प्रस्ताव किया गया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बारे में मुझको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका एक और अंश है होम साइन्स के सब्जेक्ट का, इस विश्वविद्यालय में प्रावधान था, वह भी इसके अन्तर्गत होगा किन्तु उचित यह समझा गया बाद में कि होम साइन्स अलग हो, उसका भी संशोधन है।

अध्यक्ष : वह रखा है कि निकाल दिया?

श्री अर्जुनसिंह : रखा है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 35, 1964) पर विचार किया जाये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : अध्यक्ष महोदय, कुछ बड़ी विचित्र बात लगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विरोध की बात न होगी। अध्यक्ष महोदय, यह आज परम्परा नहीं है। परम्परा की दृष्टि से भारत में आज तक सैकड़ों बड़ी-बड़ी चीजें बनी हैं लेकिन हमारे प्राचीन भारत की यह भावना रही है कि किसी के नाम से उसे सम्बद्ध न किया जाये, यहाँ तक कि उसके नाम तक का पता न चलेगा। नालन्दा जैसी विश्वविद्यालय का किसी के नाम पर नहीं हुआ उसका निर्माण। आज पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित नेहरू आदि जीवित होते तो वे भी सम्भवतः यह न करते। मैंने समाचार-पत्रों में भी पढ़ा है उसको उन्होंने नापसन्द किया था।

इस प्रकार से किसी भी विश्वविद्यालय के नाम के आगे किसी भी पुरुष का नाम रख दिया जायेगा। यह बात ठीक है कि उन्होंने हमारे देश के बनाने में बहुत योग दिया था। हमने उनको इसी सदन में बैठकर श्रद्धान्जलि भी दी है। पहले रविशंकर शुक्ल के नाम पर नाम रखा गया उसके पश्चात् अब यह नाम बदला जा रहा है। इसके पश्चात् यूनिवर्सिटी का नाम बदला जायेगा। फिर उसके बाद और दूसरा नाम बदला जायेगा। इस प्रकार की प्रथा चालू करना यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मंत्री महोदय ने रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे और

उन्होंने हमारे देश के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम यह चाहते हैं कि उसी प्रकार से यहाँ का यह विश्वविद्यालय प्रथम रहे और उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहे। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक (लिधौरा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी मंत्री महोदय ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय का सम्बन्ध किसानों से रहेगा और पंडित जी किसानों को बहुत प्यार करते थे उनके हृदय में किसानों के लिये विशेष जगह थी। इस विश्वविद्यालय के साथ उनका नाम जरूर जोड़ा जाना चाहिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में अधिक न बोलते हुए केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं तो प्राचीन परम्पराओं का ज्ञाता नहीं हूँ जितने हमारे सखलेचा जी और उनकी बगल में बैठे हुए श्री कृदत्त जी हैं। मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि हमारे देश में जो भी ऊँचे काम हुए हैं उनका नाम किसी भी महापुरुष के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि उनके चले आ रहे आदर्शों के साथ भारत में उनका नाम जोड़ दिया जाये, नवीन भारत में तो यह परम्परा चल रही है। बहुत से बड़े-बड़े अस्पताल पूज्य महात्मा गांधी के नाम पर बनाये गये हैं। ऐसी दशा में इसका विरोध करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। हो सकता है कि माननीय सदस्य की कुछ अपनी परिस्थिति होगी, इसी कारण से वे इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि नवीन भारत में यह प्रथा चालू कर रहे हैं जहाँ तक प्राचीन भारत का प्रश्न, यह प्रथा उस समय में नहीं थी। बनारस विश्वविद्यालय बनाने में पंडित मदनमोहन मालवीय ने बहुत प्रयत्न किये उसके लिये चन्दा माँगा उसी के कारण के इतने विख्यात हुए लेकिन उनके नाम पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का नाम नहीं रखा गया। मदनमोहन मालवीय भी बनारस विश्वविद्यालय का नाम रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ....

श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, मालवीय जी स्वयं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्माता थे, वे स्वयं अपना नाम कैसे रखते।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : बाद में संशोधन लाया जा सकता था, बहुत से इस प्रकार से संशोधन हुए हैं। इस प्रकार से इन्स्टीट्यूशन्स का नाम रखना उचित नहीं है, वैसे उनकी स्मृति चिरस्थाई है। नाम रखने से ही इस प्रकार नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि - मध्यप्रदेश कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 35, 1964) पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।
प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3,4,5,6 इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2,3,4,5,6 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 1964 (क्रमांक 35, 1964) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - मध्यप्रदेश कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1964 (क्रमांक 35, 1964) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि - मध्यप्रदेश कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 1964 (क्रमांक 35, 1964) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)
(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्यवाई/31 अगस्त 1964, पृष्ठ/675-677)

24 अगस्त 1964 को मध्यप्रदेश विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र प्रारम्भ हुआ था। 25 अगस्त को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचनाएँ अध्यक्ष को प्राप्त हुईं। इन पर चर्चा के लिए पहली से तीसरी सितम्बर की तारीखें सुनिश्चित की गयीं। यह अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दल के नेता श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा और संसोपा के नेता श्री रामप्रकाश मलहोत्रा ने रखा था। पहले दो दिन बहुत ही तीखी बहस होती रही फिर तीसरे दिन कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने शासन की ओर से चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कृषि विभाग से संबंधित आपत्तियों के उत्तर दिये और इस बात पर बल दिया कि आजादी के बाद जो नयी सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं उनमें हम ऐसा योग न दें कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बल मिले। अन्ततः सदन में अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया। यहाँ तीसरे दिन की चर्चा के कुछ अंश प्रकाशित किये जा रहे हैं -

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता श्री सखलेचा जी और संसोपा के नेता श्री मलहोत्रा ने जो इस सदन में इस मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा था आज दो दिनों से उस पर चर्चा हो रही है और उसके पक्ष तथा विपक्ष में अनेकों भाषण भी हुए। कुछ तो ड्रेमेटिक भाषण हुए और कुछ तथ्यों पर भी भाषण हुए, किन्तु दुःख तो इस बात का है कि परसेन्टेज ड्रेमेटिक भाषणों का ही ज्यादा रहा और किसी वस्तुस्थिति और तथ्यों के प्रति संकेत करने वाले कोई एक ही दो माननीय सदस्य बोले। मैं यह मानता हूँ कि अविश्वास का प्रस्ताव रखना विधानसभा के किसी भी माननीय सदस्य का अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग करने के बाद सदन में ऐसा अवसर उपस्थित करना जिसमें कि माननीय सदस्य तात्कालिक शासन के बारे में अपनी राय जाहिर कर सकें, यह भी कोई बुरी बात नही है, परन्तु अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय विरोधी दल के नेता ने इस प्रजातान्त्रीय प्रक्रिया का जो उपयोग होना चाहिये था, वह इस प्रस्ताव को लेकर नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि आपने जो आलोचनाएँ कीं .....

राजकुमारी प्रभावती राजे : अध्यक्ष महोदय, मैं विनती करती हूँ कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि हमने उसका दुरुपयोग किया है .....

श्री अर्जुनसिंह : अगर माननीय राजकुमारी जी भी उस समझौते में शामिल थीं तो ठीक है।

राजकुमारी प्रभावती राजे : समझौता नहीं मैं तो आपके दुप्रयोग कहने के लिये शास्त्रार्थ-चुनौती देती हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : शास्त्रों के मुताबिक तो मैं कुछ नहीं बोल सकता।

राजकुमारी प्रभावती राजे : मतलब ही नहीं समझ पाये हो, शास्त्र और शास्त्रार्थ में बहुत अन्तर होता है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय विरोधी दल के नेता ने और बहुत से माननीय सदस्यों ने जो तस्वीर यहाँ पर खींची उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के समय का चक्कर 15 अगस्त 1947 से बन्द हो गया और उसके बाद आज ही माननीय विरोधी दल के नेता ने घड़ी की ओर सबका ध्यान दिलाया। इस बीच के 17 सालों में इस देश में कोई हँसा नहीं, कोई मुस्कराया नहीं और कोई ऐसे अच्छे काम नहीं हुए जिनके बारे में माननीय सदस्य को कोई ज्ञान नहीं है और इसलिये वे चाहते हैं कि इन भाषणों के द्वारा इस प्रदेश और देश में उस भावना को फैलायें कि सन् 1947 के 15 अगस्त के बाद से देश की सारी घड़ियाँ बन्द हो गईं और आप जहाँ पर थे वहीं पर अब भी खड़े हो बल्कि आप तो कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 से और पीछे 1930 में चले गये।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : किसी समय आप भी हमारे साथ यहाँ पर बैठते थे तो आपको भी यही दिखाई देता था अब वहाँ जाकर आपको दूसरा दिखाई देने लगा।

श्री अर्जुनसिंह : जब मैं आपके पास वहाँ था तो उस समय इस तरह के अविश्वास के प्रस्ताव नहीं आया करते थे। आप अपने आपको सन्तोष देने के लिये भले ही इस तर्क को लायें परन्तु इन 17 सालों में जो नये

प्रगतितीर्थ इस देश में बने हैं उनकी तरफ से आप देश या प्रदेश के लाखों लोगों की आँखें बन्द नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस देश में सुई भी बाहर से मँगाई जाती थी वहाँ पर आज हवाई जहाज और टैंक तथा बड़ी-बड़ी मशीनरी बन रही है.....

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि भाखड़ा नंगल, तुंगभद्रा जैसी बड़ी-बड़ी योजनाएँ सफलीभूत होकर जो देश के करोड़ों लोगों को फायदा पहुँचा रही हैं क्या यह सब तथ्य नहीं, कोई मृग-मारीचिका है और क्या उनका एक्जिस्टेन्स आज नहीं है? क्या खड़े होकर कोई माननीय सदस्य इससे इन्कार कर सकते हैं तो कहें?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मंत्री जी का भाषण ड्रेमेटिक है या रियलिस्टिक?

श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र : यह उपदेश आपको तामोट जी को देना चाहिये जिन्होंने सन् 47 से शुरू किया था।

श्री रामदास अग्रवाल : यह तो मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास है यहाँ भाखड़ा और तुंगभद्रा का उदाहरण क्यों दे रहे हैं आप?

श्री सूर्यदेव शर्मा : जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा तो क्या यह तामोट नं. 2 बोल रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : जिस दिन मैं तामोट नं. 2 यदि बन जाऊँगा उस दिन इस सदन में से चला जाऊँगा यहाँ न रहूँगा।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मध्यप्रदेश में भी आप चम्बल देखिए, ऐसे-ऐसे कई हैं।

श्री रामस्वरूप खरे : अभी जैसी चर्चा चल रही है सदन में यह भी मिश्रा मन्त्रिमण्डल की ही देन है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, एक गंगवाल बांध भी है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय सदस्य ने उस गंगवाल फॉल को फोड़ दिया है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : जैसा कि अभी कृषि मंत्री जी ने कहा कि यदि वे तामोट नं. 2 बन जायेंगे तो सदन से चले जायेंगे तो मैं यह कहूँगा कि तामोट नं. 2 नहीं यदि आप उसका सौवां हिस्सा भी बन जायेंगे तो अपने स्वाभिमान की रक्षा व गौरव रखने के लिये अवश्य सदन से चले जायेंगे। यह गौरव आप कभी न चाहेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय लल्लू भैया की बात जहाँ तक है तो मैं अब कटनी चलना चाहता हूँ, माननीय सदस्य कटनी से चुनकर आये हैं। कटनी की जो हालत 15 अगस्त 1947 को थी वह उन्होंने देखी थी आज उस कटनी की क्या हालत है जरा बताइए।

श्री रामदास अग्रवाल : कटनी तो अक्सर दौरे में जाते रहते हैं जरा उसके इन्टीरियर में जाइये तो देखिये कि 15 अगस्त 1947 से भी कहीं अधिक बद्तर है।

श्री अर्जुनसिंह : तब तो कटनी के बाहर इन्टीरियर में आप भी नहीं गये हैं यह पता चलता है।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : कटनी की हालत तो पहले से आज बहुत अच्छी है।

श्री रामदास अग्रवाल : वहाँ की नगरपालिका ने जो शासन से कर्ज लिया है वह तो आज तक चुका नहीं सकी। लल्लू भैया की राज्य में तो नगरपालिका कर्ज देने की स्थिति में थी।

एक माननीय सदस्य : कटनी की नाली में जो पानी बह रहा है वह मिश्रा मन्त्रिमण्डल का ही पानी बह रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : वह लल्लू भैया की नाली से बह रहा है।

अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेताओं ने तथा जितने माननीय सदस्यों ने संकेत किया कृषि विभाग के सम्बन्ध में मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे एक भ्रम अपने दिमाग से निकाल दें। कृषि विभाग कोई ऐसा विभाग नहीं है जो स्वयं किसी प्रोडक्शन में रत हो, कृषि विभाग केवल एक ऐसा विभाग है जो विस्तार सेवाओं के द्वारा अपने प्रदेश के लाखों किसानों के सामने आधुनिक नये तरीके से खेती करके उपाय, बीज तथा अन्य प्रकार की चीजें रखने के लिये चेष्टा करता है और कोशिश करता है कि हमारे किसान जिनको हम सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं वह इस बात को समझें कि उन्नतिशील बीज और फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकें जिससे उनकी हालत सुधरे।

श्री बालकृष्ण पालधीकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि आदर्श रखना चाहिये। आदर्श वह होता है जिससे उन्नति होती है, जिससे लाभ होता है, विकास होता है,

लेकिन यहाँ तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इसलिये मंत्री महोदय अपने शब्द वापस लें और इस प्रकार के शब्द कहकर जनता को धोखे में न डालें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मुझे मुँह तो चलता दिखाई नहीं पड़ रहा है फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सखलेचा जी से ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ही पूर्व में उसको उठाया था और यह स्वाभाविक है कि उनको जिले का अधिक ज्ञान होगा। यह कहा गया था इसी विधानसभा में कि पिछले 10 वर्षों से जो योजनाएँ चल रही हैं वे असफल रही हैं। भूमि संरक्षण कार्य जो मन्दसौर जिले में चल रहा है उससे हानि हुई है, उसको तुरन्त बन्द कर दिया जाये। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हीं के जिले में भूमि सुधार का जो कार्य हुआ है उसके लिये क्या अब वहाँ से अधिक माँग नहीं आ रही है? बहुत से किसान हमसे माँग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भूमि संरक्षण का कार्य किया जाये। क्या यह सही नहीं है.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भूमि संरक्षण के कार्य से बहुत से किसानों को नुकसान पहुँचा है और आज भी उनकी यह माँग है कि यहाँ पर भूमि संरक्षण का कार्य बन्द किया जाना चाहिये। यह जो मंत्री जी ने अभी कहा है कि वहाँ के किसानों की माँग है, यह सही नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : जब हमने वहाँ की यूनिट समाप्त की तो आपकी ओर से ही समाप्त न करने की माँग आई थी। इसके पश्चात् फर्टिलाइजर्स को लीजिये। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई भी जनसंघ का या संसोपा का या रामराज्य परिषद् का सदस्य है जो यह कह सके कि उसने किसानों की भलाई के लिये परचे छपवाकर यह कहा हो कि किसानों के लिये अच्छे खाद और अच्छे उन्नतिशील बीज और मीन्स का उपयोग करना चाहिये। क्या जनता का इस प्रकार से आव्हान किया है कि यह उपयोगी चीज है इसका प्रयोग करना चाहिये ....

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय कह रहे हैं मैंने हर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी में हर बी.डी.सी. की मीटिंग में फर्टिलाइजर्स के बारे में कहा है, उसका समर्थन किया है कि वह किसानों को लेना चाहिये और उसके बारे में समझाया भी है। कुछ स्थानों पर भूमि संरक्षण के संबंध में भी हमने माँग की है लेकिन कुछ स्थानों पर उससे नुकसान भी पहुँचा है।

श्री यशवन्तराव मेघावाले : मैंने अपने यहाँ के कलेक्टर से कहा है और परचे छपवाकर बँटवाये हैं कलेक्टर के कहने पर-- यह आप कलेक्टर से पूछ सकते हैं?

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि आरोप तो हमने लगाये हैं। मंत्री महोदय को उसका उत्तर देना चाहिये कि वे उल्टा हमसे पूछ रहे हैं। उनको हमसे पूछने का क्या अधिकार है?

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या यह चाहते हैं कि उनके जो गलत काम हो रहे हैं उनका भी विरोध न किया जाये? अधिक अन्न उपजाया जाये इसका किसने विरोध किया? क्या मंत्री जी एक भी उदाहरण बता सकते हैं कि किसी भी जनसंघ के नेता ने या संसोपा के नेता ने या रामराज्य के नेता ने कहा हो कि अधिक अन्न न उपजाया जाये? मैं तो मंत्री जी को यह आव्हान करता हूँ कि अगर हमने सहयोग न किया होता तो यह आपकी एक भी योजना सफल नहीं हुई होती। लेकिन आप एक अच्छी चीज की आड़ में सब बुराइयों को क्यों छिपाना चाहते हैं?

श्री वृन्दा सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि मंत्री जी भाषण कर रहे हैं, उनको बोलने दिया जाये। बीच-बीच में इस प्रकार से इन्ट्रप्शन नहीं करना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खजनेरी : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य जवाबी के बजाये सवाली बनते जा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ और मैं यह मानता हूँ कि कहीं-कहीं और किसी-किसी क्षेत्र में कमी हुई है। इस कमी के कारण कठिनाई है जो कि सामने रखी है, अपने कार्य को बढ़ाने के संबंध में। जैसा कि कहा, जवाब देने के सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ यह सर्वमान्य बात है देश का और प्रदेश का उत्पादन बढ़ाने के लिए केमीकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, मैं आपके सामने निवेदन करना

चाहता हूँ और कुछ आँकड़े सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ .....

श्री हरिभाऊ जोशी : केमीकल फर्टिलाइजर उपयोग कहाँ किया जाता है यह भी आपको ज्ञात है? इसका उपयोग जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हों वहाँ किया जा सकता है और दूसरी जमीन में नुकसान देता है यह एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है।

श्री रामदास अग्रवाल : केमीकल फर्टिलाइजर पर आपने करोड़ों रुपया खर्च किये इसके बाद भी आप उत्पादन नहीं बढ़ा सके। इससे साबित है इससे प्रान्त का फायदा नहीं हुआ है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का जवाब तो सुनिए। वह बता रहे हैं क्या-क्या लाभ फर्टिलाइजर से होते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा : फर्टिलाइजर के कारण नुकसान हुआ है।

श्री अर्जुनसिंह : आपने तो फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया, नहीं तो सर में बाल नहीं होते।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आँकड़े देना चाहता हूँ, अपने देश में और प्रदेश में काफी शंका थी जैसा कि अभी हरिभाऊ जोशी ने कहा है .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। हमने जो स्पेसिफिक चार्जेज लगाये हैं उनका तो कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। फर्टिलाइजर से क्या हुआ, किसके क्या हुआ, जो स्पेसिफिक चार्जेज हैं उनका जवाब देना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि शासन ने कृषि का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, यह चार्ज लगाये गये हैं। मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सखलेचाजी ने स्पेसिफिक चार्ज लगाया था कि 10,12 करोड़ कृषि विभाग ने खर्च कर दिया और कोई लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार स्पेसिफिक चार्जेज लगाये थे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैंने यह चार्ज लगाया था कि इतना रुपया खर्च करने के बाद भी पैदावार नहीं बढ़ा सके .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ आँकड़े देकर यह बताना चाहता हूँ.....

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर्स का पैदावार पर क्या असर पड़ा है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : किसी भी सदस्य ने नहीं कहा है कि आपने रुपया खर्च नहीं किया है या आपने फर्टिलाइजर बाँटा नहीं है। हमारा तो यह कहना है कि जो रिजल्ट हुआ है वह ठीक नहीं हुआ और पैदावार नहीं बढ़ी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जितने नये प्रयोग हैं उनमें जब तक किसान का सहयोग, किसान की आस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम उसको प्रयोग में ला नहीं सकते, उसको प्रयोग में लाने से लाभ नहीं हो सकता।

श्री रामदास अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि मूँड़ कटा काहू का और लड़का सीखा नाऊ का। जनता की गहरी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च हो गया और फिर भी पैदावार नहीं बढ़ी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे शासन ने इस दिशा में प्रयत्न किया कि हमारे प्रदेश के किसानों की इन विधियों को, उपायों को मान्यता प्राप्त कर सके और इनके सम्बन्ध में उनकी रुचि पा सके। इस दिशा में कृषि विभाग सफल हुआ है और उसके लिये मैं कुछ आँकड़े देना चाहता हूँ क्योंकि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि आपने यहाँ आकर क्या किया है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सन् 61-62 में नाइट्रोजन का उपयोग 26,720 टन व फासफेट का 6,735 टन था वह बढ़कर 62-63 में नाइट्रोजन का 31,823 टन व फासफेट का 10,449 टन हो गया।

श्री रामदास अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ ऑर्डर है। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने केमीकल फर्टिलाइजर में दस करोड़ रुपया खर्च कर दिया फिर 61-62 व 62-63 में इसके द्वारा उत्पादन कितना बढ़ा?

अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में वह बता रहे हैं, आप सुन लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जब कोई सदस्य पाइन्ट ऑफ ऑर्डर की वजह से खड़ा होता है तो हम आशा करते हैं कि वह कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करेगा। मगर देखा यह गया है कि कुछ भी कहने के लिये पाइन्ट ऑफ ऑर्डर के नाम पर सदस्य खड़े हो जाते हैं। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इससे अधिक औचित्य का उपयुक्त प्रश्न हो नहीं सकता था कि जो बात ऐतराज में कही जावे उसका उत्तर दिया जावे। हम यही कह रहे हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र : मंत्री जी कुछ अंक देकर उत्तर दें तो उसके लिये धैर्य नहीं रखा जा सकता?

श्री रामदास अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गलत उत्तर देने पर पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठता है।

श्री रामप्रकाश मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, केमीकल फर्टिलाइजर पर इतना धन व्यय करने पर भी सन् 61 से पैदावार निरन्तर हर साल 5 लाख टन खाद्यान्न की घटी है इसका क्या कारण है?

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि माननीय सदस्य धैर्य रखें। मैं बहुत नम्रतापूर्वक उनसे पूछना चाहता हूँ कि कल उनका धैर्य कहाँ चला गया था?

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : उत्पादन कितना घटा यह बार-बार कहा जा रहा है। जो माननीय सदस्य इस प्रश्न को करते हैं, मैं उनसे अत्यन्त नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ कि पिछले दो-तीन वर्षों के भीतर प्रान्त में क्या दो अकाल नहीं पड़े? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि विन्ध्यप्रदेश में इस साल अकाल की परिस्थिति है। जब परमात्मा ही आपके विरोध में है तो आप कुछ भी करें, कोई उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। आप क्या भूल जाते हैं कि अकाल के कारण उत्पादन में कमी हुई है?

राजकुमारी प्रभावती राजे : श्रीमान् पाण्डेजी के प्रश्न का उत्तर मैंने उसी दिन दे दिया था। अकाल क्यों पड़े हैं इसका सच्चा जवाब काल को पूछना चाहिये। काल के विधान को बताने वाले वेद हैं जिनमें छंद आदि हैं। शासन के पापों के कारण राष्ट्र में अकाल पड़ रहा है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अकाल निवारण के लिये विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र का होने से आपको मंत्री बनाया गया है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि अर्जुनसिंह जी बोल रहे हैं और पाण्डे जी हेडमास्टर मुकर्रर किये गये हैं।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : मुझे कुछ कहना नहीं है यदि माननीय सदस्य ने अपने दिमाग की खिड़कियों को बन्द करके रक्खा है।

एक माननीय सदस्य : आपके दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा : पाण्डे जी को जितनी जानकारी है, वही दे रहे हैं।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : जिनकी इस प्रदेश में फर्टिलाइजर की जिम्मेदारी है सहकारिता आदि पर तो जनसंघ के नेता रायपुर के यहाँ बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे अधिक फर्टिलाइजर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में बेचे जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से कहूँगा कि वह अपना भाषण देने के पहले पाण्डे जी से सलाह कर लें तो अच्छा होगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि जो हमारे विभाग का मुख्य उद्देश्य है, उसकी पूर्ति में आगे बढ़ा है। आपने कहा कि उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अनेक कारण हैं। प्रकृति का प्रकोप जिसे हम और आप दोनों ही चाहते हैं कि प्रकृति के प्रकोप के कारण हम हाथ पर हाथ रखकर न बैठें। इस भावना में हमें और आप दोनों को एक साथ प्रयत्न करना जरूरी है। इन छोटे से कारणों को लेकर हमारे पूरे प्रयत्नों पर आप परदा डालना चाहते हैं, अविश्वास प्रकट करना चाहते हैं.....

श्री रामस्वरूप वर्मा : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, यहाँ आपकी किसी भी योजना के प्रति अविश्वास नहीं प्रकट किया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

H.B. CAREER COLLEGE
Acc. No.....
Book No.....
Date.....
BHOPAL
26923
26923
26923

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ किसी ने भी आपकी किसी योजना पर अविश्वास प्रकट नहीं किया, अविश्वास प्रकट किया है आपकी कार्यवाही पर।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अविश्वास में सभी चीजें आ जाती हैं। मेरा कृषि मंत्री जी पर पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। वह अध्यक्ष महोदय, को कह लेने देते कि पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। जल्दबाजी न किया करें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सखलेचा जी की आपत्ति पर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ, प्रसंग इसलिये है कि माननीय सदस्य ने, विरोधी दल के नेता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी और मन्त्रिमण्डल कहता है एक बात और करता है दूसरी बात। इसी विषय में मैं सखलेचा जी और सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि सखलेचा जी ने आपत्ति उठाई थी जब मुख्यमंत्री जी ने गोलवलकर का जिकर किया था। मैं उसका फिर जिकर नहीं करना चाहता लेकिन उन्होंने कहा था कि अच्छा होता यदि ग्वालियर में जो कान्फ्रेंस हुई है उसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी करते तो हम बताते। स्वयं आपने वहाँ क्या कहा था, सखलेचा जी ने प्रधानमंत्री के सम्बन्ध में जब शोक प्रस्ताव लाया गया था, कहा था कि "अपने नाम के अनुसार वास्तव में वह जवाहर थे" और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष ने क्या कहा था वह सुनिए। मैं तामोट जी से कहूँगा कि चूँकि यह भाषण अंग्रेजी में है इसलिए मैं अंग्रेजी में ही उसे पढ़ रहा हूँ।

"Shri Deo Prasad Ghosh : Indeed it seems an irony of fate and a tragedy of history, that Jawaharlal Nehru the impatient idealist, who had at the outset of his career as Premier of India. 17 years ago bravely proclaimed his resolve to hang the blackmarketeers and the profiteers by the nearest lamp-post, should have become transformed towards the close of his career virtually into the 'Lord Protector' of all the corrupt elements of India's public life; and behind his protecting wings, all these sought shelter".

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय, माननीय सखलेचाजी ने अपने भाषण के दौरान यह कहा "आखिर समय तक वे ....."

श्री रामप्रकाश मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी किस बात का जवाब दे रहे हैं?

अध्यक्ष : वे केवल जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अगर माननीय सखलेचा जी ने जवाब दे दिया होता तो मैं उनको रोक देता, परन्तु अब उनकी स्थिति दूसरी है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो जवाहरलाल जी के विरुद्ध उल्टा प्रचार हो रहा है।

श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र : मालूम होता है आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है उनके भाषण पढ़ने से।

श्री पंढरीराव कृदत्त तथा अन्य सदस्य : हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, पढ़ने दिया जावे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वे तो पूरा भाषण पढ़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो देवप्रसाद घोष ने ग्वालियर में भाषण दिया था वह और श्री सखलेचा ने जो भाषण दिया था वह दोनों आप पढ़ दीजिए तो आपको मालूम हो जावेगा।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पण्डित जवाहरलाल जी के खिलाफ खाँमुखाँ प्रचार कर रहे हैं।

श्री रामप्रकाश मल्होत्रा : जब आप माननीय सखलेचा जी के बारे में बतलाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी ने अभी उनके बारे में अपने भाषण में क्या कहा था और 1951 में नागपुर विधानसभा में क्या कहा था, उन दोनों को पढ़ दीजिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र : उसका उत्तर तो मैं दूँगा, अर्जुनसिंह जी से आप क्या कहते हैं।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनसिंह जी तो कृषि विभाग के इन्चार्ज हैं, उन्हें अपने विभाग से संबंधित बातों का जवाब देना चाहिये और अन्य बातों का जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र : उनको बाद में बोलने दिया गया होता तो ठीक होता। उनकी बात स्वीकार नहीं की गई और उन्होंने उसका तात्पर्य नहीं समझा।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अध्यक्ष महोदय, इससे तो सदन का वातावरण और बिगड़ेगा। अतः इन 11 महीनों में कृषि विभाग में क्या हुआ उसका आप जवाब दीजिए। बाकी की बातों का जवाब मुख्यमंत्री जी

देंगे। इस प्रकार की विवादास्पद बातें करने से इस सदन का और दोनों पक्षों का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके यहाँ से कुछ भी कहा जाता है परन्तु हम कुछ नहीं कहते और जब हम कुछ कहते हैं तो आप लोग तिनंग जाते हैं।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी यही प्रार्थना है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू को कन्ट्रोवर्शियल फिगर न बनाया जावे।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य का कहना ठीक है परन्तु उनका जो स्टेंड है उसको क्लियर करना पड़ेगा।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह अर्ज है कि उनको जितना वे चाहें बोलने दीजिए, पूरी स्वतंत्रता से बोलने दीजिए।

श्री रामस्वरूप वर्मा : किसी मरने वाले के संबंध में, उसके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में और उसकी संवेदना प्रगट की जा रही है या कि सामान्य नीतियों की आलोचना की जा रही है? क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं या अलग-अलग?

अध्यक्ष : आप बैठें, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं पण्डित जवाहरलाल जी को कन्ट्रोवर्शियल फिगर नहीं बनाना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय विरोधी दल के नेता एक समय क्या कहते हैं और अन्य समय में क्या कहते हैं, यह बताना चाहता हूँ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इसको छोड़ देता हूँ। जो माननीय सदस्य ने कहा.....

(सदन की आवाज-- हम चाहते हैं आप पढ़िए)

अध्यक्ष महोदय, श्री सखलेचा जी ने कहा "आखिर समय तक भी वे अपनी पूरी शक्ति से कार्य करते रहे और उनका यह कहना है कि मैंने अब आखिरी फायल भी निपटा दी है कितने बड़े व्यक्तित्व को प्रकट करता है।" आगे श्री देवप्रसाद घोष हैं :—

"Nehru had been ailing at least since 1962, and latterly in January 1964, he had a serious 'Stroke' while at Bhubneshwar but madly in love with work and Power as he was, he would not retire-not even share his onerous duties with a Deputy Premier but continued stubbornly (and much against medical advice) to keep all the reins of office in his own hands-until the very end, when the grip of his hands snapped."

Some years ago Nehru was reported to have said, 'I do not want to fade out; I want to die in harness'. And indeed Nehruji has died in harness. His labours are now ended. After life's fitful fever he sleeps well. May his soul rest in peace.

इसके बाद माननीय सखलेचा जी को कहना पड़ा "पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जिस रूप में कल्पना की थी, ठीक उसी रूप में हम उसको आगे बढ़ायें और उसकी कल्पना को हम साकार करें तभी सच्चे रूप में उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी।" आगे श्री घोष ने कहा :—

"Now, however, Jawaharlal Nehru with all his greatness and weaknesses- is no more; he is no longer bestriding the Indian world like a colossus; the great incubus is lifted and India can breathe more freely. The decks in the Indian ship of state should now be cleared for action. One epoch ended and a new epoch should begin.

On the political plane it is imperative the hangover from the effects of Nehru regime with its record of vacillations and surrenders must not be allowed to persist any longer in the Government of India."

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सखलेचा के उस भाषण की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के उस वक्तव्य पर उन्होंने कहा था कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेट ट्रेडिंग के बारे में गोलवलकर जी के लिए कहा उस सिलसिले में श्री घोष ने जो अध्यक्षीय भाषण दिया उसमें और इसमें कितनी एकरूपता है यह आप निर्णय करें.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हम भी स्टेटमेन्ट सुनाना चाहते थे लेकिन आपने हमें रोकने की कोशिश की.....

श्री अर्जुनसिंह : आप इसको समझ नहीं सकते। उन्होंने कभी स्टेट ट्रेडिंग के बारे में प्रिन्सिपल नहीं कहे। माननीय घोष ने यह कहा कि.....

श्री हरिभाऊ जोशी : आप स्टेट ट्रेडिंग को प्रिन्सिपल मानते हैं और हम प्रिन्सिपल की नीति को स्वीकार नहीं करते। एक दूसरे के दृष्टिकोण में इतना ही विरोध है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री घोष ने कहा है:--

"Mere thinkering with this life and death question will not do. Favourite 'socialistic' nostrums like State Trading, Nationalisation, etc., will carry us nowhere for frankly speaking it is state interference with the normal channels of trade, commerce and industry, and the encroachments of State control and State capitalism in most spheres of public activities that have brought about this deplorable state of things."

माननीय सदस्य ने उस दिन ऐसा कहने की चेष्टा की थी कि हम स्टेट ट्रेडिंग के विपरीत नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, संसोपा दल के नेता महोदय ने एक मौलिक बात उठाई और तामोट जी.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं श्री अर्जुनसिंह जी से यह अपेक्षा करूँगा कि वह स्टेट ट्रेडिंग और मोनोपोली में डिफरेन्स बताएँ।

श्री अर्जुनसिंह : मोनोपोली तो बाद को आती है, आप तो इन्टरफियरेन्स के पक्ष में नहीं हैं, पहले आप अंग्रेजी समझिए। हमारे तामोट जी ने एक मौलिक प्रश्न उठाया और उन्होंने प्रजातंत्र के भविष्य के बारे में गहन चिन्ता व्यक्त की। मैं अपने दल के ऊपर लगाये गये सब आरोपों को मानकर भी एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप निहित स्वार्थ के रूप में क्यों न मान लें, हर एक व्यक्ति के इस प्रजातंत्र में निहित स्वार्थ है। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र को खतरा कहाँ हो सकता है। इस सम्बन्ध में, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें सबसे मूलभूत सिद्धांत बालिग मताधिकार का है और कोई भी बात कहीं भी नहीं होती है। हमने बालिग मताधिकार को गणतंत्र में सर्वोपरि माना है और उसके द्वारा यहाँ सारी चीजें होती हैं.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें आपका क्या अहसान है, यह तो हमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है

श्री अर्जुनसिंह : मैं मानता हूँ कि उसमें हमारा कोई अहसान नहीं है .....

श्री गुलाबचन्द तामोट : यह सब उन लोगों के पुरुषार्थ का नतीजा है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया।

राजकुमारी प्रभावती राजे : श्रीमान्, मंत्री महोदय जो बोल रहे हैं उसका उत्तर मेरे भाषण में आ चुका है कि :--

"Democracy is the Government for the people, of the people and by the people. But in democracy we do not choose between the good Government and bad Government but Self-Government and that Self-Government is not represented by living soul by counting of the living skulls."

श्री अर्जुनसिंह : क्या आपका कहना यही है.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : राजा-महाराजा कबसे स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय लेने लगे?

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह श्रेय नहीं ले रहा हूँ। आपने कहा कि हम लोगों ने जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, समर्थन किया है, वह कहें कि वह समझते हैं कि बालिग मताधिकार क्या है, फिर उन्होंने कहा कि वह मंत्रिमंडल को पागल बनाना चाहते हैं.....

(एक साथ कई माननीय सदस्यों का बोलना)

अध्यक्ष महोदय, यह सदन के समय का दुरुपयोग है। मैं यह कह रहा था कि बालिग मताधिकार को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। तामोट जी ने कुछ बात कही। मैं कहूँगा कि उनको चॉइस थी कि कहाँ पैदा हों, मुझे नहीं थी। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस ....

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मेरा रिफरेन्स उन्होंने दिया है इसलिये मैं कहता हूँ कि मुझे कोई एतराज नहीं कि वह राजघराने में पैदा हुए, परन्तु जिन लोगों ने त्याग किये, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उनकी

बदौलत आप यहाँ बैठे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं कह रहा था कि बालिग मताधिकार है इसलिये.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : इसमें आपका कोई श्रेय नहीं है।

श्री गंगाराम तिवारी : अध्यक्ष महोदय, तामोट जी काँग्रेस का पक्ष ले रहे हैं। काँग्रेस ने त्याग किया है। उसको अधिकार है.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : काँग्रेस को छोड़ो।

श्री गौतम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं तामोट जी से कहूँगा कि उनका स्तर बहुत ऊँचा है, इसलिये वह उलझा न करें। इससे उनका स्तर गिरता है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं केवल यह कह रहा था कि प्रजातंत्र को लाने में मेरा कोई योग नहीं। आज उन्हीं की बदौलत सही .....

श्री गुलाबचन्द तामोट : श्री गौतमजी ने जो कहा उससे खुशी हुई कि अब उनकी अकल ठिकाने तो आ गई।

श्री अर्जुनसिंह : आज भारत में क्या प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार नहीं हैं? यदि आप यह कहना चाहते हैं तो बात दूसरी है। मैं यह कहना चाहता हूँ, प्रजातांत्रिक समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास रखने वालों से कि वह विश्व के इतिहास पर दृष्टि डालें। जहाँ-जहाँ प्रजातांत्रिक प्रणालियों पर अविश्वास प्रगट किया गया, इसके विपरीत दूसरे रास्ते दिखाये गये, उन परिस्थितियों में जो प्रतिक्रिया हुई उसका अठारहवीं से बीसवीं शताब्दियों पर सबसे अधिक आघात पहुँचा समाजवादी शक्तियों पर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक नजर डालें यूरोप पर-- फ्रांस में 1877 में राजशाही को खत्म किया गया, थोड़े दिनों के लिए प्रजातंत्र आया और उसके बाद असेम्बलियों के बजाये बाहर निर्णय होने लगे। नतीजा यह हुआ कि नेपोलियन का डिक्टेटरशिप आया। इसी तरह रूस में क्रांति हुई, जारशाही को पल्टा गया और प्रजातंत्र आया। उसके बाद जब से सड़कों पर निर्णय लिये जाने लगे तब वहाँ भी डिक्टेटरशिप आया.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो आपको सहायक होगी कि जारशाही समाप्त होने के बाद प्रजातंत्र में वहाँ आप जैसे ही निकम्मे शासकों के कारण डिक्टेटरशिप आया।

श्री अर्जुनसिंह : इसके बाद आप जर्मनी को देखें-- माननीय तिवारी जी जानते हैं शायद उनको भूल गया होगा-- मैं जब उनके साथ बम्बई में वर्ल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फोर्स कान्फ्रेन्स में गया था, वहाँ पर जर्मनी के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फोर्स के प्रतिनिधियों ने क्या नहीं बताया था कि हिंडन को खत्म करने के बाद नाजी डिक्टेटरशिप आया। उसी तरह सन् 1947 से जब से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ उसके बाद में उदाहरण देना चाहता हूँ बर्मा, पाकिस्तान और इण्डोनेशिया का पहले वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना हुई लेकिन कुछ ऐसे ही लोगों ने प्रजातंत्र के बारे में अविश्वास दिखलाया और निर्णय असेम्बलियों के बाहर होने लगे तो वहाँ क्या परिस्थिति हुई। उसके बाद वहाँ जो डिक्टेटरशिप आया वह समाजवादी शक्तियों का डिक्टेटरशिप नहीं आया.....

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : बर्मा, पाकिस्तान और इण्डोनेशिया में डिक्टेटरशिप लाने में वहाँ की जनता क्या जिम्मेदार थी? और शासकों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी?

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूँ।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अब अगले चुनाव में पार्लियामेण्ट का टिकट देना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी शक्तियों को बल दे रहे हैं जो देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बल देंगी .....(कोलाहल)

श्री गुलाबचन्द तामोट : कल यह कायदा मुख्यमंत्री जी कहाँ भूल गये थे?

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : यह भी प्रक्रिया है कि दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाये तो पहले को बैठ जाना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : जो सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं उसमें ऐसा योग न दें ताकि प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बल मिले.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 सितम्बर 1964, पृष्ठ/1104-1115)

यदि आज प्रत्येक नागरिक अपने कार्यों का मूल्यांकन कर सके कि उससे समाज और राष्ट्र का कितना फायदा और नुकसान हो रहा है, तो कई समस्याएँ सहज ही सुलझ सकती हैं।

— अर्जुनसिंह
(8 सितम्बर, 1973)



1965

1965 का बजट सत्र 8 फरवरी से प्रारम्भ हुआ। 11 फरवरी को नये राज्यपाल श्री के.सी. रेड्डी ने राजभवन में शपथ ग्रहण की। 12 फरवरी को श्री अर्जुनसिंह के राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने खेती के बीमा के लिए एक अशासकीय संकल्प सदन में प्रस्तुत किया जिसकी कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने प्रशंसा की और वह एक छोटे-से संशोधन के साथ स्वीकृत हुआ। इस संकल्प पर पूरी चर्चा यहाँ दी जा रही है जो प्रतिपक्ष और सरकार के बीच एक रचनात्मक सम्बन्ध की द्योतक है—

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि :—

"इस सदन का यह मत है कि राज्य शासन खेती का बीमा कराने हेतु आवश्यक कानून बनाने की दिशा में शीघ्र अग्रसर हो।"

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत है कि :—

"इस सदन का यह मत है कि राज्य शासन खेती का बीमा कराने हेतु आवश्यक कानून बनाने की दिशा में शीघ्र अग्रसर हो।"

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है वह आज की जो परिस्थिति है उसके सर्वथा अनुकूल है बल्कि कहना तो यह चाहिये कि वह आज के समय की सब से बड़ी माँग है। हिन्दुस्तान जैसे देश में और खासतौर पर मध्यप्रदेश में इसलिये आवश्यक है कि मध्यप्रदेश के ऊपर हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्त भी अन्न के मामले में निर्भर करते हैं, इसलिये ऐसी व्यवस्था हो जाने से हम अधिक अन्न का उत्पादन कर सकेंगे और हिन्दुस्तान को जो अन्न के अभाव के कारण विदेशों से अन्न मँगाना पड़ता है, उसमें कमी हो सकेगी।

उपाध्यक्ष : मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इसके लिये समय केवल एक घण्टे का है और आप आधा घण्टे का समय ले सकते हैं। आप अपने आप में तय कर लीजिये, अगर आप शासन का उत्तर सुनने के बाद भी जवाब देना चाहते हों तो समय कम लीजिये। आप स्वयं तय कर लीजिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं अपने आधा घण्टे में से ही उत्तर के लिये समय छोड़ दूँगा और यदि नहीं छोड़ा तो बाद में उत्तर के लिये समय नहीं लूँगा।

पूरे देश के लिये यह योजना बहुत जरूरी है और खास कर मध्यप्रदेश के लिये जहाँ सबसे अधिक इस प्रदेश का 80 प्रतिशत किसान है और उनकी हालत क्या है। वह खेती करते हैं, रात-दिन मेहनत करते हैं उनके बच्चे भी लगे रहते हैं, उनकी बीवी भी लगी रहती है। आधा पेट भूखा रह कर वह मेहनत करता है लेकिन उसका परिणाम क्या मिलता है या तो उसकी फसल पानी नहीं बरसने के कारण सूख जाती है या कभी-कभी उसकी फसल में कीड़ा लग जाता है। उसको बहुत दुख तो उस समय होता है जब कि वह यह कल्पना किये बैठा होता है कि दो-चार दिन में उसकी फसल कटने वाली है और रातों-रात में जब कभी ओले पड़ जाते हैं और उसकी फसल सारी नष्ट हो जाती है। जो इस देश का अन्नदाता है और उसकी हालत क्या है। जब उसके ऊपर मुसीबत आती है उस समय उसका कोई साथ नहीं देता है न तो शासन उसका साथ देता है और न ही दूसरी ऐजेन्सी ही उसका साथ देती है। सब लोग अलग हो जाते हैं। उसको कोई सहारा नहीं देता है और इसीलिये हमारे देश में जो

संविधान बनाने वाले थे उन्होंने इसी प्रकार की तमाम बातों को सोचा होगा जब ही उन्होंने हमारे देश के अन्नदाता किसान के लिये इस प्रकार की व्यवस्था की होगी, मैं सदन का ध्यान संविधान की धारा 43 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ :—

The State shall endeavour to secure by suitable legislation or economic organizaton or in any other way, to all workers agricultural, industrial or otherwise, work a living wage conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular. the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

आर्टीकल 43 में यह स्वयं कहा गया है कि वर्कर्स को गारेन्टी होना चाहिये। एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबर को सेक्यूरिटी दी जाना चाहिये। वर्कर्स के माने केवल लेबर तक ही सीमित नहीं रहते हैं क्योंकि किसान भी खेती में काम करता है। इसलिये वर्कर्स में वह भी आ जाता है। धारा 43 के अनुसार उसको सेक्यूरिटी मिलना चाहिये। शासन को इस संबंध में कानून बनाना चाहिये था लेकिन आज तक कानून इस प्रकार कोई कानून बनाने में असमर्थ रहा है। अपने इस देश में बहुत-सी चीजों के इन्शोरेन्स होते हैं। रोजगार का इन्शोरेन्स, कारखाने का इन्शोरेन्स, मालगोदाम का इन्शोरेन्स, कारखाने में जो रुई रखी रहती है उसका इन्शोरेन्स, मोटर का इन्शोरेन्स सरकारी कर्मचारियों का इन्शोरेन्स यह जितनी भी निर्जीव वस्तुएँ हैं उन सबका इन्शोरेन्स होता है परन्तु जो देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज खेती है उसके बारे में यह शासन मौन है। योजनाओं के संबंध में शासन के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि सेक्यूरिटी के संबंध में व्यवस्था की जा रही है लेकिन आज तक शासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ शासन से किसान का और उसकी फसल की सेक्यूरिटी का प्रबन्ध होना चाहिये। इसी प्रकार का आर्टीकल 48 में प्रावधान किया गया है, उसकी ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। खेती के बारे में जो नवीन औजारों का निर्माण हो वह भी किसान को उपलब्ध कराये जाना चाहिये।

48. The state shall endeavour to organizce agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.

श्री तुलाराम सगर : तिवारी जी हिन्दी में पढ़ते तो ठीक था.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह संविधान अंग्रेजी में है, हिन्दी में नहीं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्राप्स इन्शोरेन्स माडर्न स्थिति में बहुत ही आवश्यक है। 1938 में अमेरिका में भी इसको बहुत ज्यादा लागू किया गया। एलीमेन्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स यह जो पुस्तक है, उसके पृष्ठ 324 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :—

4. **Crop Insurance—** Compared with other well-established types of insurance, crop insurance is very new indeed. The Federal Crop Insurance Corporation was created by act of Congress in February, 1938. Originally only wheat was included in the programme but in 1941 the programme was extended to include cotton. In 1945 the law was expanded to cover trial insurance on corn and Tobacco.

तम्बाकू तक को लिया जा रहा है, इसका भी इन्शोरेन्स किया है। अमेरिका में इस तरह श्रीमान् जी क्राप्स इन्शोरेन्स का काम चला हुआ है। जो लोग क्राप्स को बढ़ाना चाहते हैं, खेती को बढ़ाना चाहते हैं फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं उसके लिये इन्शोरेन्स की जरूरत है, उनकी फसल की सेक्यूरिटी की आवश्यकता है। अमेरिका जो कि केपीटलिस्ट है, उसको छोड़कर हमारे प्रदेश में ही, मध्यप्रदेश में ही पहले देवास स्टेट थी, कहते हैं वहाँ पर भी क्राप्स इन्शोरेन्स की शुरुआत की थी.....

श्री कृष्णपाल सिंह : मैं तिवारी जी से जानना चाहता हूँ केपीटलिस्ट देशों में इन्शोरेन्स की बात कही है, समाजवादी देशों में को-ऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसको आप दूसरी ओर ले जा रहे हैं.....

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ स्टेट ही सब कुछ देखता है वहाँ को-ऑपरेटिव फार्मिंग का तरीका अपनाया जाता है, जो कि केपीटलिस्ट देश हैं, प्राइवेट उद्योग करते हैं, वहाँ इन्शोरेन्स होता है, इसलिये इसमें फर्क आता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : कृष्णपाल सिंह और अर्जुनसिंह दोनों रूस हो आये हैं, इसलिये को-ऑपरेटिव फार्मिंग की बात कहते हैं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ किसानों को अपनी खेती की सेक्यूरिटी होना चाहिये.....

श्री कृष्णपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े फार्मिंग का नेशनलाइज न हो तो बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हमारे दोस्त की बहुत ही कन्फ्यूज्ड थिंकिंग मालूम होती है। श्रीमान् मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि क्राप इन्शोरेन्स का काम शासन इसलिये शुरू करे कि वह वैज्ञानिक है, माडर्न है और जिसके लिये संविधान के अनुच्छेद 48 में इशारा किया गया है और संविधान की धारा 48 द्वारा जो ध्यान खींचा उसके मुताबिक स्टेट की यह ड्यूटी है कि वह किसानों को उनकी फसल की सेक्यूरिटी दे। सवाल आता है कि आखिर इन्शोरेन्स से लाभ क्या होता है। किसान को सेक्यूरिटी तो मिलेगी और जब उसे अपनी सुरक्षा का भरोसा रहेगा तो वह जी-जान से और अधिक पैदा करने में लग जायेगा। यही नहीं जितना धन आज वह लगाता है उससे और अधिक लगायेगा क्योंकि उसे फिर कोई डर नहीं रहेगा कि सारा अनाज हमने खेत में डाल दिया, सारा रुपया खर्च कर दिया और फसल न हुई तो क्या खाएँगे, क्या करेंगे। फिर तो वह अपना सर्वस्व लगा देगा और उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन हिन्दुस्तान का किसान अपना सर्वस्व खेती में लगाने को तैयार हो जायेगा, खाली खून पसीने से नहीं बल्कि घर की सारी मिल्कियत लगाकर, उस दिन हमें कतई जरूरत न होगी कि हम बाहर से अनाज मँगायें। फिर तो हम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज में से हो जायेंगे इम्पोर्ट का सवाल ही नहीं उठेगा जो आज शर्मनाक हालत चल रही है। इसके अलावा जिस किसान का उत्साह जागृत होगा तो वह एक विशिष्ट बात होगी। एक चीज और है, मैं निवेदन करूँ कि हमारे यहाँ जो लाइफ इन्शोरेन्स का काम चलता है, उसमें क्या होता है, किसान उस लाइफ इंश्योरेन्स पॉलिसी में बहुत कम जाता है। दूसरी तरफ मजदूर और इंडस्ट्रियलिस्ट और सरकारी मुलाजिम ही इसका लाभ उठाते हैं। कृषि में काम करने वाला किसान इसका लाभ नहीं उठा पाता, इसलिए वह इसमें नहीं जा पाता क्योंकि उसको अपनी फसल की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। वह निश्चित नहीं है कि उसकी फसल कैसी होगी। अगर खराब गई तो कहाँ से वह प्रीमियम दे सकेगा। बात सही है कि देश के करोड़ों लोगों को इससे लाभ होता है और लाइफ इन्शोरेन्स की आमदनी से देश के आर्थिक ढाँचे पर बड़ा इम्पेक्ट है, लेकिन किसान तो तभी इसमें जा सकता है जब उसको अपनी क्राप की सेक्यूरिटी हो और अगर उसकी क्राप की सेक्यूरिटी हो जाये तो उसका सीधा असर यह होगा कि किसान लाइफ इन्शोरेन्स की ओर दौड़ेगा। हाँ, यह भी हो सकता है कि जब क्राप इन्शोरेन्स की बात की जाये तो उसके प्रीमियम के लिये पैसे के स्थान पर अन्न की वसूली कर ली जाये। यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूँ कि यह और अधिक अच्छी व्यवस्था होगी। वैसे तो इसे अर्थशास्त्री लोग ही जाँच कर बता सकते हैं कि कहाँ तक उपयुक्त होगा अथवा नहीं किन्तु मेरी समझ, मेरे ज्ञान के अनुसार खेती के प्रीमियम को अन्न के रूप में लेने से किसान को भी सहूलियत होगी और जो दूसरे बफर स्टॉक बनाने का और प्राइस सपोर्ट का सवाल है, स्टेबिलिटी लाने का सवाल है, प्राइस स्ट्रक्चर में और खास तौर से खाद्यान्न के स्ट्रक्चर में उसके लिये बहुत जरूरी और लाभप्रद होगा। मेरा अन्दाज है कि कई बरसों तक इस नियम में जो शुरू किये हैं आपको आगे जाना पड़ेगा। बफर स्टॉक रखना मार्केटिंग को फ्लक्टुएट करने के लिये होगा वह बफर स्टॉक, अपने आप इसी प्रीमियम के सहारे बन जायेगा। आज तो बफर स्टॉक बनाने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। मैं सारे विवरण में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस तरह के बफर स्टॉक अपने आप जरूर बन जायेंगे और साथ ही प्राइस स्टेबिलाइजेशन ऑटोमेटिकली होता जायेगा और इसके अतिरिक्त यही एग्रीकल्चर इकॉनॉमी का स्ट्रक्चर है जो बिलकुल माडर्न आदर्श तरीका है। इसलिये मेरी नम्र राय है कि सदन इस बार प्रस्ताव को पास करे ताकि राज्य शासन इस

ओर अग्रसर हो। मैं एक मिनट का समय और लेना चाहूँगा। वह यह कि राज्य शासन यह कह सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिये हमको चलाने में कठिनाई होती है, यह बड़े आश्चर्य की चीज होगी। आपके पास सारी योजनाएँ जो आप बनाते हैं उसके लिये पैसा जुटाना पड़ता है और यदि नहीं है तो जुटाइए। आपके खेती उद्योग में बड़े-बड़े लेण्ड-लार्डस और बड़ी आमदनी वाले लोग हैं उनसे पैसा लाइए। इसके अतिरिक्त और भी तरीके हैं लेकिन पैसा आप लाइये और इस स्कीम को लागू कीजिए। इससे सेन्स ऑफ सेक्यूरिटी मिलेगी और इससे उन किसानों को लाभ होगा, एक सुनहला मौका होगा।

हमारा शासन कह सकता है कि इन्श्योरेन्स का काम करने में हमारे बहुत से डेवलपमेंट के कार्य रुक जायेंगे। मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से क्राप इन्श्योरेन्स के काम में एग्रीकल्चरल एकॉनॉमी को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलना चाहिये। जहाँ आज आप सिंचाई और पॉवर को प्राथमिकता देते हैं मेरी समझ में नहीं आता कि इसके सामने और कोई प्राथमिकता नहीं होती। किसान को सेक्यूरिटी दी जाये। उसकी फसल खराब हुई, दैव दुर्विपाक से या अन्य किन्हीं कारणों से तो उसके जीवन के सामने अंधेरा नहीं रहेगा, उसको जिन्दा रहने का हक होगा, उसके सामने आगे चलने का साधन होगा इसलिये गवर्नमेंट को इस पॉलिसी पर टॉप प्रियार्टी देना चाहिये। इस पर यदि ध्यान दिया गया तो पैसा इधर-उधर से खींचकर लाया जा सकेगा।

हमारे माननीय कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा, वे आज इंडिया के यंगेस्ट मिनिस्टर हैं और वह अपनी जवानी का प्रभाव इस प्रगतिशील प्रस्ताव में दिखावें और अपना समर्थन दें ताकि यह प्रस्ताव यदि पास हुआ तो कहा जायेगा कि नवजवान मंत्री ने अपनी जवानी दिखायी तो एक अच्छे काम की तरफ बढ़ाया.....

श्री नरसिंहराव दीक्षित : नहीं दिखाई तो आप बूढ़ा मानेंगे?

श्री गुलाबचन्द तामोट : मगर उनकी जवानी का चैनल बदल गया है, तो क्या होगा?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये निवेदन करता हूँ कि इसे पारित करने में सदन अग्रसर हो।

श्री लाल कमलेश्वर सिंह (त्योंथर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प संख्या 2 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :—

"संकल्प संख्या 2" की पंक्ति में शब्द "दिशा में" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :—

"अपने साधनों की उपलब्धता को देखते हुए।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि "संकल्प संख्या 2" की पंक्ति 2 में शब्द "दिशा में" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :—

"अपने साधनों की उपलब्धता को देखते हुए।"

श्री लाल कमलेश्वर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय तिवारी जी ने अपने इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने में जो भावना दिखाई है वह आदर के योग्य है और यह मानी हुई बात है कि हमारे प्रदेश में और देश में काश्तकार ही अधिक हैं और काश्तकारों की समस्या उनकी खेती पर ही निर्भर है और जो खेती की स्थिति हमारे प्रदेश की है, उससे आर्थिक स्थिति बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। बल्कि हर जगह जो अकाल की स्थिति नजर आती है। आज हम फसल की जितनी आशा करते हैं, जैसी उम्मीद होती है, उस प्रकार नहीं उत्पन्न कर पाते। बहुत-सी कठिनाइयाँ आती हैं। अभी काश्तकार के सामने ऐसा कोई उपाय नहीं है। वह जो आशा करता है उसके मुताबिक वही अपने साल के आखीर में यानी फसल के आखिर में प्राप्त कर सके। इसलिये शासन के सामने जो यह सुझाव रखा गया है यह सही है लेकिन इसके साथ ही शासन के सामने कठिनाई आ सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा छोटा विषय नहीं है जैसा कि दो पंक्ति के संक्षेप में कहा गया। यह तो बहुत बड़ा मसला है। इसमें तमाम बड़ी-बड़ी कठिनाई आ सकती हैं और इस पर शासन को विचार करना पड़ेगा कि कितने अधिक धन की आवश्यकता है, इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि यह जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, यह बहुत आवश्यक है, इसमें शासन के लिए यह छूट दी गई है कि शासन आर्थिक साधनों को देखते हुए इस संकल्प को कार्यान्वित

करेगा। इस संकल्प से हम पूरी तरह से सहमत हैं और मैं माननीय तिवारी जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। इससे शासन की कार्यवाही करने के लिये साधन जुटाने होंगे और उसकी तैयारी में शासन निरंकुश नहीं होगा। इतना ही मुझे कहना है।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (मुंगावली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प श्री तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने एक नई दिशा में हमें सोचने का मौका दिया है। आज उनके और हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं परन्तु जहाँ तक समाजवाद की दिशा में इस प्रदेश को बढ़ाने का सवाल है, मुझे भरोसा है कि हम और आप दोनों एक रहें और मैं समझता हूँ कि आज यह संकल्प सही दिशा में सोचने का मौका देता है। इस प्रदेश में 80 प्रतिशत भूखे, नंगे किसान मजदूर हैं और हमें उनकी दशा सुधारनी है। वे समाज के शोषण से तबाह हो रहे हैं, उससे हमें उनको मुक्त कराना है और जब तक उनका शोषण नहीं रुकता उनकी स्थिति ठीक नहीं हो सकती। जितनी भी हमारी योजनाएँ हैं, चाहे उत्पादन बढ़ाने की हों, चाहे दूसरी हों हमें तो उसी तरफ सोचना पड़ेगा। हमारे पास साधन उपलब्ध न होने के कारण हम यह देखते हैं कि क्यों अकाल पड़ता है तो कभी भुखमरी पड़ती है और किसानों की हालत दयनीय होती जाती है। इसके लिये हमें साधन जुटाने होंगे और जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह इसीलिये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमें सही दिशा में बढ़ना है तो उसके लिये हमें साधन जुटाने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी काफी गुंजाइश है कि अगर हम किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाजवाद की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उनके शोषण का अन्त करना होगा और ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें छीना-झपटी न हो, ऊँच-नीच का भेदभाव न हो और इसके लिये यही एक तरीका है कि खेती का बीमा किया जावे। जैसा कि भारतीय बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, इससे हमारे नागरिकों की अपने आपकी सुरक्षा हो गई है, कोई कहीं भीषण परेशानी आती है तो वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज हम देखते हैं कि किसान रात-दिन मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है फिर भी पेट भर अन्न खाने को नहीं मिलता है। जो भी योजनाएँ हैं उनसे हमने लाखों-करोड़ों रुपये किसानों को दिये परन्तु इसके बावजूद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इससे हमें काफी आशा रखनी चाहिये, हम सब इसका स्वागत करते हैं और हमारे प्रगतिशील नवयुवक मंत्री महोदय से आशा भरी दृष्टि से देखते हैं कि वे शीघ्र से शीघ्र, एक बिल लाकर तिवारी के संकल्प को साकार रूप देंगे, मैं इन शब्दों के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

डॉ. गोवर्धन शर्मा (बदनावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, संकल्प तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर हम देखें तो शासन के प्रशासन की त्रुटियों के कारण इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती जा रही है। लोग आपस में संघर्ष करते हैं और अज्ञानता के कारण या कहिए उनकी दूषित मनोवृत्ति के कारण और जैसा कि मैंने बताया प्रशासनिक दुर्बलता के कारण ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं कि एक कृषक दूसरे कृषक की फसल को जला देता है और इस तरह से गाँवों में एक होड़-सी लग जाती है कि जिसके परिणामस्वरूप इस देश के अन्दर जबकि खाद्यान्न का संकट वैसे ही बहुत अधिक है और अधिक मात्रा में संकट होता चला जा रहा है इस स्थिति में फसल की बीमा होना आवश्यक है। अगर इस प्रकार का संकल्प पारित करके हम यह प्रावधान रख देते हैं कि कृषक जो इस प्रकार से अपनी गाढ़ी मेहनत के बाद फसल पैदा करता है जिससे सारे लोग जीवित रहते हैं वह अपनी मेहनत करके पुरुषार्थ करता है, देश को खुशहाल बनाता है, वंश को उन्नत करता है तो यह आवश्यक है कि हम अगर उनके लिये इस प्रकार की योजना लागू कर दें तो वास्तव में जो स्थिति आज देहातों में होती है वह रुक जावेगी। आज किसान ऐसी स्थिति में अपने अबोधपने से या अज्ञानता से करता है कि अगर मैंने उसकी फसल जला दी तो उसको नुकसान होगा और वह अपने मन में इसका आनन्द अनुभव करता है तो यदि जीवन बीमा की योजना लागू हो जावेगी तो वह सोचेगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा उससे उसका तो कुछ बुरा नहीं होगा और इस तरह से आज जो घटनाएँ घटती हैं वह शनैः शनैः समाप्त हो जावेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपने जिले की ही बात बताता हूँ। मुझे अपने जिले का अनुभव है जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि ओले इत्यादि से फसल नष्ट हो जाती है इसको आप प्रकृति का प्रकोप ही कहिए

लेकिन वहाँ पर ऐसे वन्य पशु भी हैं और जो इतनी अधिक मात्रा में हैं कि जिनको पकड़ने में शासन भी असमर्थ हो रहा है और यह वन्य पशु इतनी अधिक मात्रा में फसलों को नष्ट करते हैं जिसके कारण वहाँ, जहाँ पर कि एक ओर कृषकों की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है उसके साथ-साथ इसका असर अधिक अन्न उत्पादन योजना पर भी पड़ता जा रहा है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैं निवेदन करूँगा कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसको पास किया जावे और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री विष्णुचरण जोशी (शुजालपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो हर जगह हर क्षेत्र में इन्श्योरेन्स करने की हवा चली है, कई लोग अपनी जायदादों का बीमा करा रहे हैं, हर वर्ग में इन्श्योरेन्स की हवा है। कोई नेल पालिस, लिपस्टिक और सौन्दर्य के साधन सुरक्षित रहें इसका ही बीमा करा रहे हैं इस तरह से इसकी हवा हर जगह चली हुई है। एक फेशनेवुल लेडी ने अपने कुत्ते का ही इंश्योरेन्स कराया। यह जो हवा चली है उसका मतलब यह है कि हम हर चीज इंश्योरेन्स कर देने से सुरक्षित समझते हैं। यह ठीक है और इसके लिये किसी वक्त में पंजाब सरकार ने भी सोचा था कि काश्तकारों के लिये खेती की फसलों का इंश्योरेन्स किया जाये और अभी भी बहुत-सी प्रान्तीय सरकारें भी इन पर सोच रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे प्रदेश की सरकार इस चीज को न करे, लेकिन यह एक हवा चली है। इस तरह से इंश्योरेन्स इन्स्पेक्टर आदि की एक बड़ी फौज कायम करेंगे जो खेतों में जाकर किसानों से कहेगी कि तुम अपनी फसलों का बीमा करा लो। किसानों को खुशी होगी। आज हम देख रहे हैं कि बादल की गड़गड़ाहट हो रही है और सोच रहे हैं कि कहीं हमारी इससे चने और गेहूँ की फसल खत्म न हो जाये। किसानों को भी इसका डर रहता है कि कहीं मेरी फसल नष्ट न हो और सोचता है कि मेरी फसल के लिये सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाये। वह यह सोचता है कि कोई ऐसी एजेन्सी कायम हो जो खेती का बीमा ले लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमारे प्रान्त में बड़ा काम अभी हुआ है जागीरदारी, जमींदारी खत्म हुई और सीलिंग का काम सरकार को करना है यह सरकार अपने सीमित साधनों के अन्दर ही करा सकती है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा है, तिवारी जी के प्रस्ताव में उन्होंने अमेन्डमेन्ट रखा है कि हमारे साधन उतने पर्याप्त हो जावें कि हम किसानों की खेती का बीमा कर सकें हम किसानों के पास पूरे साधनों के साथ जावें, यह न हो कि हम उनके साथ खिलवाड़ करें और इन्श्योरेन्स के नाम पर नये एक्सप्लायटेशन शुरू हो जावें। इसलिये निवेदन करता हूँ कि जो अमेन्डमेन्ट पेश हुआ है उसके साथ में तिवारी जी के प्रस्ताव पर गौर किया जावे।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं मूलतः इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ क्योंकि जो उद्देश्य माननीय तिवारी जी का इस प्रस्ताव को रखने का है उस उद्देश्य से शासन पूर्णतः सहमत है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और सदन को यह बताना चाहूँगा कि खेती के संबंध में चाहें या न चाहें कुछ प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ेगा। उसका कारण केवल यह है कि जो साधन आज अपने देश में हमारे पास उपलब्ध हैं उन साधनों का उपयोग किस आधार पर और किस प्राथमिकता से हो यह विचारणीय विषय है। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि यह हो सकता है कि खेती के विभिन्न क्षेत्रों में कोई इस प्रकार की योजना हो जो अपने स्थान में महत्व रखती हो जिसका अपने स्थान में फायदा है, जिसको इन प्राथमिकताओं के आधार पर उस क्रम से नहीं ले सकते जैसी कुछ लोगों की अपेक्षा है। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार का कुछ सामंजस्य इस प्रस्ताव के ऊपर शासन के सामने है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि यदि आप इस क्राप इन्श्योरेन्स की हिस्ट्री को देखें, आपने उदाहरण दिया कि अमेरिका में 1938 से चालू हुआ। वस्तु स्थिति यह है कि 1915 से शुरू-शुरू में वहाँ काम चालू किया गया।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : 1938 से यह योजना निश्चित दिशा में चली।

श्री अर्जुनसिंह : 1915 से वहाँ पर कार्यवाही की गई। यदि आप अमेरिका के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा, मैं कोई तर्क देने को यह बात नहीं कह रहा हूँ, जो उनके पब्लिकेशन्स हैं उनके आधार पर कह रहा हूँ कि इस सेन्चुरी के पहले अमेरिका की एग्रीकल्चर उस परिस्थिति में थी जिसमें हम

आजादी के 17 साल बाद में पहुँच पाये हैं। अमेरिका में हमसे ज्यादा बड़े हुए लोग थे लेकिन फॉर्मस् के जो मॉडर्न टूल्स हैं उनको पूर्णतः उपलब्ध करने में इस सेन्चुरी से पहले वह सफल नहीं हो पाये इसलिये जब मॉडर्न टूल्स किसान के पास पहुँच गये तब क्राप इंश्योरेन्स पर अमेरिका में ध्यान दिया गया और आगे बढ़ने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर भी इसके बारे में कुछ एक्सपेरीमेन्ट्स हुए। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि सबसे पहले जो इंश्योरेन्स करने का मापदंड बनाया गया, सिद्धांत बनाया गया वह इस आधार पर बनाया गया कि किसी-किसी फसल को किसान बोयेगा और इन्श्योरेन्स कम्पनी इस आधार पर उसकी फसल का इन्श्योरेन्स करेगी कि फसल नष्ट हो जाती है तो प्रति एकड़ के हिसाब से रकम निश्चित की जावेगी और इन्श्योरेन्स कम्पनी उस फसल को खरीदेगी। उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उस कीमत से जो पैदावार होती है प्रायः काफी भिन्न हुआ करती है नतीजा यह हुआ कि बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद कास्ट ऑफ प्राडक्शन के आधार पर इंश्योरेन्स किया गया उसमें भी नतीजा यह हुआ कि काफी नुकसान हुआ। अंत में सबसे प्रचलित सिद्धांत है कि किसी विशेष घटना से कमी हो जावे, फ्रास्ट हो जावे तो इन्श्योरेन्स कंपनीज उसे कवर करती है। जो रिस्क का स्कोप होता है, रिस्क का स्कोप कम करने की दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ पूरे क्राप के संबंध में सफल नहीं रहे, कास्ट ऑफ प्राडक्शन के संबंध में सफल नहीं रहे तब विशिष्ट घटनाओं पर वहाँ काम चल रहा है।

माननीय सदस्य ने फेडरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन के बारे में उल्लेख किया, माननीय सदस्य को यह भी मालूम होना चाहिये, इस कारपोरेशन को 5 वर्ष में अमेरिका में 370 मिलियन डालर्स का नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ क्या जहाँ हम आज काम कर रहे हैं यह एस्ट्रॉनॉमिकल फिगर्स हैं जिसको आज हम बरदास्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं है। इन्श्योरेन्स से जो सबसे ज्यादा फायदा है वह हम किसानों के दिमाग से अनिश्चितता की भावना को दूर कर सकते हैं। मैं यह मानता हूँ कि इस भावना को दूर करने में इन्श्योरेन्स काफी सफल होगा, लेकिन जहाँ तक हमने सिद्धान्तों को देखते हुए, प्राथमिकता को देखते हुए बताया उदाहरणार्थ अच्छे बीज हों, अच्छे औजार हों खाद हो, सिंचाई के साधन हों, अन्य प्रकार के साधन हों उनको उपलब्ध करना, मैं समझता हूँ कि अपनी परिस्थिति में प्राथमिकता देना अनिवार्य है और इसीलिये पिछली 3 पंचवर्षीय योजनाओं में खेती के क्षेत्र में इन्हीं पर खर्च अधिक रखा गया है। इन चीजों कों उपलब्ध कराने के बाद जबकि किसान को ज्यादा हद तक सुधरे हुए तरीके से खेती करने के साधन मिले तो माननीय सदस्य को ज्ञात है कि किसान के दिमाग से पैदावार के उचित मूल्य मिलने के संबंध में अनिश्चितता थी उसको दूर करने का शासन ने एक कदम उठाया और इसके बारे में चेष्टा की जा रही है। यह कदम भी जो अनिश्चितता है उसके हिसाब से काफी सफल हो सकता है। उसके पश्चात् मैं इस बात को मानता हूँ, टूल्स, फॉर्मस् की हालत में कोशिश करेंगे। उसके पश्चात् माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर भी विचार किया जा सकता है और उस स्थान में, उस समय पर इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में शासन को अपने सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में कोई भी आक्षेप नहीं है। शासन आपके इस प्रस्ताव को मानता है और माननीय कमलेश्वर सिंह ने जो संशोधन रखा है उसको मानते हुए आपके इस प्रस्ताव को मानने को तैयार हैं। केवल जो प्राथमिकता का बंधन है और जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं उसे समय पर रखिए जब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अग्रसर होंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे माननीय मित्र कमलेश्वर सिंह ने रखा है उसे मैं आगे-पीछे करते हुए स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो नहीं था लेकिन श्री कमलेश्वर सिंह का जो संशोधन है वह शासन को छुट्टी देता है कुछ इसलिये कम से कम उसूलन एक भी माना तो जावे। मैं श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करूँगा पुराने मध्यभारत एसेम्बली की तरफ, वहाँ भी इस तरह का एक प्रस्ताव आया था और आश्वासन मिला था, फिर मध्यप्रदेश की असेम्बली में एक प्रस्ताव आया था लेकिन कोरा आश्वासन ही चलता रहा और दस बारह साल में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो अगर मंत्री जी इस शर्त को मानने के लिये तैयार हैं तो हम भी अमेंडमेंट मानने के लिये तैयार हैं। थोड़ा डिले सही लेकिन उसूल से मानते हैं इसलिये धन्यवाद देता हूँ। मैं एक चीज और निवेदन करूँगा, मंत्री जी ने बताया कि अमेरिका के कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को छोड़ा जा रहा है,

खाली फसल का बीमा किया जा रहा है। अगर मंत्री जी हमारे प्रस्ताव को देखेंगे तो पायेंगे कि यह बड़ा अपटूडेट है। आज जिस एक्सपेरीमेंट के आधार पर अमेरिका आगे बढ़ा है हमारा प्रस्ताव उसी तरह का है। हमने खेती का बीमा रखा है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं किया है.....

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य यह तो समझते हैं कि जब इस चीज को किसी विधि का प्रारूप दिया जायेगा तो खेती का बीमा कहकर नहीं दिया जायेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हमें एतराज नहीं होगा, हम स्वागत करेंगे कि पहले आप क्रॉप इंश्योरेन्स करो....

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : आप इस बात से तो सहमत हैं कि इस बीमा के लिये जो जोखिम है उसको कुछ मर्यादित किया जाये।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : पंजाब गवर्नमेंट ने यह निश्चय कर लिया है और पंजाब के एक जिले में वे इस प्रकार का इंश्योरेन्स अनिवार्य कर रहे हैं। तो जो बात पंजाब गवर्नमेंट कर सकती है कोई कारण नहीं कि हमारी भी गवर्नमेंट चाहे छोटे पैमाने पर करे, उसका सूत्रपात क्यों न करे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, आज काका सचमुच काका जँचे.....

श्री अर्जुनसिंह : काका यहीं पर काका जँच रहे हैं।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : वह काका आपको तभी जँचते हैं जब आपके अनुकूल बात करते हैं वर्ना बाबा भी नहीं जँचते हैं। .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह स्वाभाविक है जब बच्चों को पसन्द आते हैं तभी काका कहते हैं.....

श्री रामेश्वर अग्निभोज : किन्हीं अनिवार्य कारणों से वक्त पर काका कह दिया जाये तो वह भी उपयुक्त होता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरी यह धारणा है कि किसान के जितने जोखिम होते हैं चाहे कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन के हों, चाहे फसल के हों, मवेशी के हों, उस सारे जोखिम के लिये इंश्योरेन्स का प्रावधान होना चाहिये लेकिन चूँकि राज्य शासन एक नई चीज को शुरू भी नहीं कर सकी है इसलिये पहली किश्त पर खाली फसल का बीमा करना शुरू कर देते हैं तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इस धारणा के साथ चल रहा हूँ कि अगर भविष्य में जरूरत हो तो और चीजों पर इंश्योरेन्स बढ़ा दिया जाये। वह कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका में जो अनुभव हुए ठीक वही यहाँ हों। हो सकता है दूसरे अनुभव हों और मेरी धारणा है क्राप इंश्योरेन्स अगर शुरू किया गया तो यह अनुभव आने वाला है कि आप घाटे में नहीं रहेगे, फायदे में रहेंगे और आपकी जो खाद्य नीति है सब चीज को एक लुब्रीकैंट का काम करेगा, आपके काम में अड़ंगा नहीं आने वाला है बल्कि सारी स्कीम को चलाने में मददगार होगा, इतना ही अभी काफी है। बहुत से देशों में लाभ भी हुआ है। बहुत सारी स्कीम आपने चलाई, फेल हुई। यह एक्सपेरिमेंट की स्टेज है फिर इंश्योरेन्स से बहुत से देशों में लाभ भी हुआ। इन्श्योरेन्स के मामले में बहुत से एक्सपेरिमेन्ट्स कई स्टेटों में हो चुके हैं। तो आप इसको एक छोटी-सी योजना बनाकर के चलाइए और अगर इसमें घाटा होता है, तो बहुत सारी चीजों में आपको घाटा होता है, फिर भी अगर घाटा होता है उसको आगे देखेंगे, लेकिन आप तो कदम उठाइए क्योंकि श्योरिटी देनी है। अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लाल कमलेश्वर सिंह जी ने भी जो इसमें संशोधन रखा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और आशा करता हूँ और आशा है कि सभी सदस्य इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं लाल कमलेश्वर सिंह जी से यह जरूर अपेक्षा करता हूँ कि वह अपने संशोधन को ध्यान में रखेंगे कि कहीं इसके पास होते हुए भी वह पास न होने की दिशा में न आ जावें और अगर कभी ऐसा सवाल उठाया जावे तो वे इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब शासन को नहीं करना होता है तो शासन कह देता है कि अभी हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो लाल कमलेश्वर सिंह जी इस चीज को मानते हैं या नहीं? अब अन्त में, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री कृष्णपाल सिंह : इसकी कोई टाइम लिमिट तो बतलाइये?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अगर इसके लिये कोई टाइम लिमिट हो सकती है तो आप मंत्री जी से मनवाईए क्योंकि अब आप तो कॉंग्रेस में पहुँच ही गये हैं तो आप इसको मनवाईए कि कोई इसके लिए टाईम लिमिट हो।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार देखा है कि जब भी तिवारी जी से कोई बात कहूँ वे व्यक्तिगत बात को कहते हैं। मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूँ और वे व्यक्तिगत बात कह देते हैं। मैंने तो सिर्फ टाइम लिमिट के बारे में कहा था कि कोई टाइम लिमिट बतलाइए। इसके लिये और आप व्यक्तिगत कह रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : जब अपने दोस्त गैरों की बगल में पहुँच जाते हैं तो ऐसा ही होता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जहाँ तक टाइम लिमिट का सवाल है मैं तो चाहता हूँ कि बराबर हो टाइम लिमिट लेकिन अब इस चीज को मंत्री जी से आप कहिये न?

श्री रामेश्वर अग्निभोज : तिवारी जी तो श्री कृष्णपाल सिंह जी से सहयोग माँगते हैं कि आप भी जोर लगाइए?

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है संकल्प संख्या 2 की पंक्ति में शब्द "दिशा में" के पश्चात् शब्द "अपने साधनों की उपलब्धता को देखते हुए" जोड़े जावें।

(संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष : श्री चन्द्रप्रताप तिवारी का संकल्प संशोधित रूप में।

प्रश्न यह कि इस सदन का यह मत है कि राज्य शासन खेती का बीमा करने हेतु आवश्यक कानून बनाने की दिशा में अपने साधनों की उपलब्धता को देखते हुए शीघ्र अग्रसर हो।

(संकल्प सर्वसम्मति से संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/12 फरवरी 1965, पृष्ठ/404-413)

2 मार्च 1965 को मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने विभिन्न विभागों की माँगों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इन माँगों पर उसी दिन चर्चा प्रारंभ हुई। सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे जावरा ने इन माँगों पर चर्चा शुरू की। इसके बाद सदस्य श्री राघवेन्द्र सिंह बोले। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीधी के श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने सरकार की तीखी आलोचना की और अनेक आरोप लगाये। उन्होंने श्री अर्जुनसिंह पर भी व्यक्तिगत छींटाकशी की जिसका संयत और अनुकूल प्रतिउत्तर श्री अर्जुनसिंह ने दिया। यह चर्चा 3 मार्च को भी चलती रही। यहाँ इस चर्चा के कुछ अंश इस ध्येय से दिये जा रहे हैं कि अब की कौन कहे पहले भी कभी-कभार विधानसभा में ऐसे क्षण आते थे—

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी) : उपाध्यक्ष महोदय, मिश्रा जी का मंत्रिमंडल बना, बड़ी अच्छी चमकदार गाड़ी चली, उसमें ड्रायवर की जगह पर मिश्रा जी बैठ गये, लोग खुश हो गये, सदन में बड़ी प्रशंसा हो गई मिश्रा जी का बड़ा अच्छा ड्रायवर है, अच्छी गाड़ी चलेगी, लेकिन नहीं चली। उपाध्यक्ष महोदय, दस कदम चली कि एक्सीडेंट हो गया तो वह एक्सीडेंट हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, लड़खड़ा गई गाड़ी, मालूम हुआ सब सत्यानाश हुआ, गड़बड़ हो गई। किसी तरह उसे निकाला गया, यह खंदक जो है, जिसको हाईकोर्ट ने चादरवाला कहा है उस खंदक से निकालकर फिर आगे बढ़ते हैं तो बहुत से पुराने टूटे-फूटे, लोहा-लंगड़ अभी से माननीय अर्जुनसिंह ने उसे इकट्ठा करके उसमें रख दिये। गाड़ी की धीमी रफ्तार थी, और धीमी पड़ी है। मुख्यमंत्री कहते थे कि अधिकतम जोत का कानून तरमीम करेंगे ताकि किसानों को जमीन बँट जावे। जो टूटा-फूटा लोह-लक्कड़ इकट्ठा किया उसकी वजह से गाड़ी धीमी हो गई, नतीजा यह हुआ कि सुधारवाला कानून आज तक सदन में नहीं आया है। आश्वासन दिया था कि वह जरूर करेंगे क्योंकि समाजवादी हैं इसलिए।

उधर, उपाध्यक्ष महोदय, गाड़ी चली, एक एक्सीडेंट हो गया वेदराम जी का मामला आ गया। हमारे भाइयों ने कहा कि उन्होंने शादी कर ली। इस तरह आप देखेंगे कि रोजाना कोई न कोई चीज चलती रही है। गाड़ी की चमक-दमक खत्म हो गई। टूटी-फूटी, अंजर-बंजर गाड़ी चल रही है, खट-खट चल रही है।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : खट-खट भले ही चल रही है गाड़ी पर बहुत से लोग लालायित हैं और बहुत से आकर बैठ जाना चाहते हैं। दूसरे लोग भी इसमें चलने की कोशिश करते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसलिए मैं बैठता ही नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ क्या तरमीम करनी है। यह तो बहुत मामूली चीज है किन्तु मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं उसकी लॉयल्टी मुख्य मंत्री के प्रति होती है, डिवाइडेड लॉयल्टी वाले मंत्री नहीं होने चाहिए। एक जोड़ा मंत्रिमंडल के पहलवानों का मल्ल-युद्ध में जुटा है। एक बालि और सुग्रीव का जोड़ा मल्ल-युद्ध में जुटा है अर्जुनसिंह और गोविन्द नारायणसिंह का वे दोनों भाई हैं। एक को बालि मानते हैं और एक को सुग्रीव मानते हैं। एक मल्ल-युद्ध चल रहा है, बीच में मुख्यमंत्री जी ने खिलवाड़ कर दिया। दूसरा जोड़ा तैयार हो गया है, दीक्षित जी और गौतम शर्मा जी की लड़ाई हो रही है। दीक्षित जी कहते हैं मैं शिक्षा में यह करूँगा, शर्मा जी कहते हैं मैं उद्योग में यह करूँगा।

श्री गंगाराम तिवारी : आप काँग्रेस की तो कहते हैं लेकिन संसोपा और सोपा में लड़ाई चल रही है उसकी भी तो कहिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप सो कर उठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह थोड़ा विनोद तो अच्छा है।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : तामोट साहब के पास बैठ कर आप भी शंकरदयाल जी का नाम लेने लगे?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : कुछ समय के लिए विनोद चलता है मुख्यमंत्री हमेशा मजा लेते रहें, कुछ काम भी जरा गहराई से सोच कर करें और ऐसा सोचेंगे तो निश्चित रूप से उनको कुछ मंत्रियों को अपने यहाँ से अलग करना पड़ेगा, कुछ के विभागों का परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके पहले कि मैं कोई बात उनसे निवेदन करूँ कि क्या उन्हें तरमीम करनी चाहिए, अभी ऐसा कोई प्रोग्राम या प्रस्ताव देने वाला नहीं हूँ। मुख्यमंत्री को एक बार समय दूँगा कि वे स्वयं सोचें और अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर अगली बार निवेदन करूँगा। मंत्रियों को स्वयं अपनी जिम्मेदारी निभाना ठीक है। मैं तो यह नहीं कह सकूँगा कि मंत्री अब सस्पीशन रहें लेकिन चैस्ट तो रहें। हालत यह है कि किसी भी मंत्री के बारे में कुछ न कुछ किस्सा सुनने को मिल जाता है। अभी सुना कि कामराज साहब आये तो वहाँ से दिल्ली ले जाये गये अपने मध्यप्रदेश के प्लेन से, प्लेन अपने मध्यप्रदेश का था। ऐसा मैंने सुना वहाँ गये तो क्या तमाशा रहा? 1 लाख 1 हजार का चन्दा मिल मालिकों की तरफ से घोषित किया गया। जब वह घोषणा करने लगे मिल मालिक कामराज साहब को देने के लिए तो सुनते हैं खाद्य मंत्री जी वहाँ गये, अर्जुनसिंह जी कहते हैं वे नहीं थे तो मैं मान लेता हूँ लेकिन विश्वस्त रूप से पता है कि खाद्य मंत्री जी गये और उन्होंने मिल मालिकों से कहा एक लाख एक हजार नहीं एक लाख ग्यारह हजार कर दिया जाये, तो मिल मालिकों ने कहा हम एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह कर देते हैं। 111 का ताजीरात हिन्द में आप जानते हैं कि जो किसी जुर्म में न फँसता हो वह फँसे। मैं जानना चाहता हूँ क्या मिल मालिकों को मालूम नहीं था कि कामराज नाडार कौन हैं? वे जानते थे ये काँग्रेस के प्रेसीडेंट हैं, मिलों का नेशलाइजेशन कर सकते हैं, इसलिए प्रेसीडेंट महोदय को खुश करें। वह टेलीफोन से मामूली इशारा पाने पर उतना दे देते लेकिन खाद्य मंत्री की जाने की कोई जरूरत नहीं थी और न उनसे इस तरह की बातें करने की। यहीं से आपका काम भी हो जाता और बदनामी भी न होती। जो शंका जनता के मन में पैदा होती है कि दरअसल कोई स्टेट ट्रेडिंग या अन्न के बारे में जो कानून-कायदे बनाने की बात सोचते हैं या समय-समय पर नोटिफिकेशन वगैरह निकालते हैं वे थोथे हैं, ऐसी शंका न हो। मैं एक बात गौतम शर्मा से और सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं तो जमकर मुर्गा खाइए लेकिन पंख सिर पर न बाँधिए क्योंकि उसका समाज पर बुरा असर होता है। अभी सुनने में आया सेन्ट्रल गवर्नमेंट काला धन निकलवाने जा रही है। यहाँ मजेदार किस्सा आया। हमारे शर्मा जी सिंचाई मंत्री हैं, सुना 80-90

हजार की जमीन बेची। कोई बुरी बात नहीं, लेकिन रजिस्ट्री 18-19 हजार की कराई। जाहिरा कह सकते हैं स्टाम्प बचाने के लिए किया.....

श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा : आपने चार्ज लगा दिया लेकिन आपने जो एक्ट बनाया है लैंड सीलिंग के लिए उसके मुताबिक लैंडलेस लेबरर को ही बेचना है और उस अनुपात से बेचना है जिस अनुपात में दिया है। उसके अनुसार बेची गई है, तीन साल पहले आप इन्क्वायरी करा लीजिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह सुनते हैं इन्क्वायरी करा रहे हैं। एक डिप्टी कलेक्टर एक मिनिस्टर के खिलाफ जाँच कर रहा है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, स्टाम्प का पैसा मारा गया, इसकी तकलीफ नहीं है, तकलीफ यह है कि चोरी का धन कैसे छिपा रहता है। एक लाख की जायदाद को दस-बीस हजार में रजिस्ट्री करायेंगे और 90 हजार रुपया चुराकर अपने काम में उपयोग किया तथा टैक्स व अन्य कानूनों से बच गये। तो काले धन को प्रोत्साहन मंत्रिमंडल से नहीं मिलना चाहिए, यह छोटा-सा निवेदन था। मैं यह भी नहीं जानता, मुख्यमंत्री शायद जानते होंगे जो सुनने में आ रहा है कि मंत्रियों से हिसाब-किताब लेते हैं। पता नहीं लेते हैं या नहीं। अगर नहीं लेते हैं तो मेहरबानी करके ले लें, वर्ना एक लाख की चीज दस हजार में बिक जायेगी.....

श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा : मैं तीन साल से हिसाब दे रहा हूँ ए.आई.सी.सी. को, और दो वर्ष से मुख्य मंत्री जी को तब से दे रहा हूँ जब से आदेश अ.भा.का.क. का हुआ है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अगर ऐसा करते हो तो खुशी की बात है और जमीन जो बेची है वह हिसाब में अगले साल जुड़ जायेगी.....

श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा : इसका भी हिसाब है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : धन्यवाद। तो आज जो हमारे मंत्रिमंडल की कठिनाई है उस पर मैं ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करता, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। काम कर नहीं पाते, कुछ परेशानियाँ हैं। एक परेशानी है अपनी कुर्सी बचाने की, नहीं तो गुट गड़बड़ हो गया तो गये। इसी में सारा समय चला जाता है, जनता की तकलीफें सुनने का समय नहीं मिलता है। इसका उपाय मुख्यमंत्री जी सोचें, जो भी रास्ता वे उचित समझें वैसे करें, चाहे डिपार्टमेंटली प्रमोशन हों और कुछ तो हैं ही परमानेन्ट, 4-6 मिनिस्टर तो इसमें परमानेन्ट हैं ही, तो आप उनसे कह दीजिए कि जब तक यह कांग्रेस मिनिस्ट्री रहेगी तब तक तुम परमानेन्ट रहोगे।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रियों के खिलाफ आप शिकायत करते हैं, तो आप भी तो किसी कुर्सी पर बैठे हैं और उसको बचाने के लिये आप बहुत-सी शिकायत करते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं आपकी बात समझ नहीं पाया?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : बात बिलकुल स्पष्ट है आप मंत्री जी को कह रहे हैं कि मंत्री जी कुर्सी पर तो आप भी एम.एल.ए. की कुर्सी पर हैं तो आप भी तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं और आपका भाषण भी ऐसा ही है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपका भाषण तो खाली नेताओं के लिए होता है। तो मैं यह भी कहता हूँ कि ये जो मंत्री लोग हैं उनके लिए जनता की धारणा अच्छी बने इसके लिये जो वे आये दिन सिफारिश करते रहते हैं अपने-अपने की वह नहीं होना चाहिये और उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सिफारिश वाला काम है यह भी बड़ा भारी काम है, और होता क्या है कि 10 जगहों से लोग आते हैं और ज़ायज़-नाज़ायज़ सिफारिशें अपनी पहुँच के अनुसार करवाते हैं। तो इसमें मंत्रियों का आधे से ज्यादा समय बेकार चला जाता है। सिफारिश के लिए एक मंत्री दूसरे को टेलीफोन करता है और दूसरा तीसरे को करता है तो यह सिफारिश का काम इस तरह से भारी काम हो

गया है, तो अच्छा हो कि इसके लिए इसमें से आप एक मंत्री को सिफारिश मंत्री कर दीजिये.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : इनमें कौन-सी बुराई है। मंत्री एम.एल.ए. हैं और अगर कोई एम.एल.ए. काम के लिए आया और वह उसको किसी दूसरे से कह देता है तो इसमें क्या हर्ज हो गया?

श्री सूर्यदेव शर्मा : क्या आप ऐसा समझते हैं कि हम विरोधी दल के लोग आपकी केवल बुराई ही बुराई करते हैं आप कुछ अच्छाई भी समझिए?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से चुप बैठा था तब भी उनको शिकायत थी और बोला तो भी उनको शिकायत है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सिफारिश जो होती है तो उसमें किसी नियम कायदे को देखकर के काम होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन होता यह है कि कोई इन्टरव्यू हुआ तो यह मेरा है इसलिए फलाँ ऑफिसर को फोन कर दिया। इसलिये आप चाहें जिसको एक सिफारिश मंत्री नियुक्त कर दीजिये और वह उसको देखें और अगर नियम कायदे के अन्दर हो सके तो उसको करें न हो सके तो न करें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : ऐसा मंत्री जो नियुक्त हो वह फुल टाइम रहेगा बदलेगा नहीं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं इसको मंजूर करता हूँ अपनी तरफ से।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अगर तामोट जी इधर होते तो मैं उनको ही यह काम सौंप देता।

श्री सूर्यदेव शर्मा : इसी प्रकार आश्वासन दे दे कर तो एक दर्जन ले गये?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, अगर वे चाहें तो मैं उनको भी आश्वासन देने के लिए तैयार हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अब उपाध्यक्ष महोदय, यह वोट कैचिंग का मामला है तो उसके लिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने बतलाया है वैसा ही है उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वोट कैचिंग डिवाइडेड है। इसके लिए जो पुनरीक्षित बजट अनुमान था वह 96 हजार था और इसमें खर्च होता है सवा लाख रुपया। जो बजट स्मृति-पत्र पृष्ठ 50 पर आइटम 14 है वही मैं पढ़ रहा हूँ। वह 68 था, 70 हो गया, सन् 1964-65 में, फिर 1964-65 का पुनरीक्षत 96 हुआ। फिर 1965-66 का 94 होगा, फिर 94 का एक सवाया और बढ़ेगा। बहरहाल इतना तो तय है कि 70 का जाकर अब 94 हो गया तो करीब 24 के बढ़ गया। अगले साल फिर इसी तरह से 24-26 बढ़ेगा।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : उसके लिए जो राशि है वह निश्चित है उसमें बहुत घटना बढ़ना होता नहीं है, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब की राशि कम रही होगी इसलिए उसमें बढ़ा होगा। कुछ स्टेट मिनिस्टर का निश्चित है 3,000, इसी तरह मिनिस्टरों का 3,500, वही रखा है।

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : आइटम 14 में 94 हजार है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : 94 रखा है तो स्वाभाविक है उसका सवाई हो जायेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, पहले डिप्टी मिनिस्टर को नहीं मिलता था, राज्य मंत्री होने की वजह से बढ़ा है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इस समय जबकि चुनाव आ रहा है, उस समय पर बढ़ाने से लोगों को शंका होती है कि वोट लेने के लिए बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो सवाल-जवाब होते हैं, उन सवालों का जो जवाब दिया जाता है, कई जगह वे जवाब गलत दिये जाते हैं, जिसके लिये हम नहीं कहते कि मंत्री उत्तरदायी हैं लेकिन वे जवाब गलत रह जाते हैं और माननीय सदस्यों को यह मान लेना पड़ता है कि मंत्री महोदय जानबूझकर गलत जवाब देते हैं। ऐसी स्थिति में उचित होगा कि शासन ऐसी व्यवस्था करे कि सदन में जितने सवालों का जवाब हो, उससे यदि माननीय सदस्यों को सन्तोष नहीं होता अथवा वे कहते हैं कि जवाब गलत है,

इसकी जाँच मौके से होनी चाहिये जिले में। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूँ, पिछले सत्र में हमने एक सवाल उठाया था कि 60-70 हजार की एक अनार्जित (अन अर्न्ड इनकम) का लाभ माननीय कृषि मंत्री जी के भाई ले रहे हैं, उसका उत्तर सफेद झूठ आया कि मेला केवल दो दिन लगता है जबकि वहाँ पर हर बसन्त पंचमी और शिवरात्रि को मेला लगता है। हजारों, लाखों आदमियों की भीड़ इकट्ठा होती है। हमने गुरू साहब से कहा कि आप इसकी जाँच करवा लीजिये किसी एक आदमी को भेजकर कि कितने दिन मेला होता है। उन्होंने वादा भी किया लेकिन फिर उन्होंने देखा नहीं। नाज़ायज़ लाभ एक आदमी खा रहा है, शासन का उसमें प्रोटेक्शन है और लोग नहीं जानते तो कृषि मंत्री जी तो जानते हैं मंत्रिमण्डल में रहकर.....

श्री अर्जुनसिंह : मैं इसका जवाब दूँगा, अभी मैं कुछ नहीं कहता, आप बोलते जाइए।

श्री सूर्यदेव शर्मा : वह तो मानी हुई बात है, अन्त में शासन उत्तर देगा ही, वह कौन नई बात है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अब मंत्रिमण्डल के बाद मैं पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूँ। वैसे उसको कहते हैं सूचना और प्रकाशन विभाग; किन्तु असलियत यह है कि वह प्रकाशन करता है, सूचना तो कुछ है नहीं। आज क्या हाल है कि जो भी सूचना, सूचना विभाग अखबारवालों को भेजता है उसमें अधिकांशतः मंत्रियों की फोटो होती है और उन्हीं का भाषण होता है। कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, कौन-कौन काम हो रहे हैं जिसका प्रचार होना चाहिये, वह सब यह विभाग नहीं करता है। अगर मंत्री महोदय कहीं गये हैं तो उनका फोटो और उनका कुछ काम देंगे। प्राथमिकता काम को देनी चाहिये ताकि अखबारों में अधिक-से-अधिक छपे कि कहाँ क्या काम हो रहा है। वह मंत्रियों के फोटो छापें, उसमें हमें एतराज नहीं है। सवाल यह है कि अखबार वाले मटीरियल नहीं पाते। अखबार वालों को ही शिकायत है कि आखिर हम मंत्रियों के फोटो कब तक छापते रहें। हमारा भी यही कहना है कि उसमें सुधार करने की जरूरत है। अभी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग की मंत्राणी श्रीमती इन्दिराजी ने एक वक्तव्य दिया है, उसे सबने देखा होगा। उसमें उन्होंने यह सुझाव दिया है, उन्होंने यह माना है कि अभी विभाग का काम वन-वे ट्रेफिक का हो गया है, होना यह चाहिये कि आँखों देखें, कानों सुनें और फिर दूसरों के कान से सुनी और दूसरों की आँख से देखी गई बातें उन तक पहुँचाई जायें। मसलन कोई काम गाँव में हो रहा है, पहले उसका अच्छी तरह से प्रसार किया जाये और उसके बाद यह भी देखा जाये कि उस काम को जनता ने कैसा समझा और जनता का उसके बारे में क्या रिएक्शन हुआ उसकी सूचना वहाँ से आना चाहिये और मंत्री तक पहुँचना चाहिये। फिर वह देखें कि जनता ने इसको किस ढंग से लिया है। इस प्रकार आपकी योजनाएँ जिस तरह जनता तक पहुँचती हैं उसी प्रकार यदि जनता की प्रतिक्रियाएँ भी आपके पास तक पहुँच सकें तो आपका यह विभाग काम का हो सकता है। सच तो यह है कि आज तक इस दिशा में सोचा ही नहीं गया और इस तरह से पैसा वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जिलों में आपने एक-एक अधिकारी रख दिया है और बारह-चौदह अधिकारी भोपाल में डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स आदि बड़ी-बड़ी तन्ख्वाहों वाले रख छोड़े हैं। नतीजा यह हो रहा है कि उनके पास काम है ही नहीं दिन भर खाली बैठे रहते हैं। आपने एक कमेटी बनाई, बचत और एफीसिएन्सी देखने के लिये, उस कमेटी को देखना चाहिये कि सूचना और प्रकाशन विभाग में जो फौज की फौज खड़ी है वह कौन-सा काम करती है और उसका वर्क लोड क्या है। जब उनके पास कोई काम नहीं है बेकार बैठे रहते हैं तो उनको इधर-उधर डिवीजन्स में खिसकाइए। सारी-की-सारी पलटन यहीं रखने से तो कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा मैं निवेदन करूँगा कि किस प्रकार विभाग का काम-धाम है कि वह ज्यादातर पेपर्स रिकमेन्ड करते हैं। एडवरटाइजमेन्ट के लिये। इस सम्बन्ध में शासन कह चुका है कि एडवरटाइजमेन्ट कितने के किसको देते हैं, वह नहीं बताया जा

सकता। एडवरटाइजमेन्ट के नाम पर काफी पैसा फोकट में कितना लुटा रहे हैं वह तो आइरन करटेन (लोहे के परदे) के पीछे है फिर भी कुछ चीजें हमारी जानकारी में आ ही जाती हैं। मैंने पिछली बार जिक्र किया था, एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी कहा था और सदन में भी कहा था। एक छोटा-सा उदाहरण है। एक बहुत ही दिवालिया मनोवृत्ति का किसान पंचायत नाम का अखबार छपता है जो व्यक्ति उसे निकालता है वह कृषि मंत्री महोदय का प्रिय पात्र है और वह सड़ियल किस्म का अखबार चला रहा है और सूचना तथा प्रसारण विभाग उसको एडवरटाइजमेन्ट देता है। वैसे वह वीकली पेपर है, लेकिन देखा यह गया कि जब कभी उसे सरकारी एडवरटाइजमेन्ट मिल जाते हैं, अखबार निकल जाता है, वैसे नहीं छपता। जिस तरह उसके साप्ताहिक अंक निकलना चाहिये वह नहीं निकलते। जब उसको एडवरटाइजमेन्ट मिलता है तभी छपता है। जब छपता है तो उसमें एडवरटाइजमेन्ट रहते हैं, कुछ गाली-गलौच रहती है या कृषि मंत्री की प्रशंसा और उनका फोटो। न उसका कोई स्टेन्डर्ड है और न उसका स्टेन्डर्ड का सम्पादकीय है, कुछ भी नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष, समाजवादी और कर्त्तव्यनिष्ठ हैं; किन्तु वह भी इसमें सुधार नहीं कर सकते। वह इस बालि और सुग्रीव की लड़ाई में सुग्रीव का ही पक्ष लेना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूँगा कि इस तरफ आप देखें कि मंत्री लोग आपकी छत्रछाया में मनमानी न करते रहें तो अच्छा है।

इसके बाद मैं शासकीय सेवा के सम्बन्ध में निवेदन करूँगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिये एक कमेटी भी बनाई गई। बहुत से भ्रष्टाचार के कारण हैं, अलग-अलग हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन्स अपूर्ण हैं। इनमें इतना लेकुना है कि काम ठीक नहीं हो पाता। उसे ठीक करने के लिये मण्डलोई साहब का मंत्रिमण्डल था उस समय सुझाव दिया था, एक कमेटी बनाइये जो रूल्स और रेगुलेशन्स बना सके.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : माननीय अध्यक्ष, बालि और सुग्रीव का क्या किस्सा था, वह बता दें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अर्जुनसिंह और गोविन्द नारायण सिंह का।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : आपका और अर्जुनसिंह का सुना था।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कृष्णायन के लेखक को रामायण ही नहीं मालूम.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : मुझे याद है, वह खुद ही रामायण भूल गये, कहें तो सुनाऊँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट : जी हाँ, सुना दीजिये.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : जैसा कि हमारे मित्र ने कहा—

जेहि सायक मारा मैं बाली।
तेहि सर हतौं मूढ़ कहँ काली।।

श्री सूर्यदेव शर्मा : इससे तो तिवारी जी के कथन का समर्थन होता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सेवाओं के सम्बन्ध में, मैं निवेदन कर रहा था, एक कॉन्फीडेन्शल सरक्यूलर निकला, मैं उसे पटल पर रख दूँगा, 75 नम्बर का है, जी.ए.डी. से निकला है:—

"Review of cases of State Government servants who were punished for participation in the Strike in December, 1959".

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : माननीय अध्यक्ष, मैं ही इसको पटल पर रख देता हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : ठीक है, मुलाजिमों की यह माँग थी कि स्ट्राइक पीरियड की तनख्वाह दी जाये और उन लोगों को ले लिया जाये। 8 जनवरी 1965 को मुख्यमंत्री जी से डेप्यूटेशन मिलता है, और उसको मान लेते हैं। यह रिपोर्ट है हितवाद की 7 फरवरी की, उसमें भी दिया है। यानी दोनों बातों का फैसला हो चुका है, फिर मुख्यमंत्री जी दूसरी बात कहते हैं.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : जितने का होना था वह हो गया। बाकी का यह कहा था कि फिर सोचेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जनवरी में निकलता है, और फरवरी में यह कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि फिर विचार किया जायेगा, यह फैसला जनवरी का उन्हीं दोनों बातों पर है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : उनको न लेने का फैसला तो कई बार हो चुका है, लेकिन वे बार-बार आते हैं तो बार-बार सोचना पड़ता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो मैं थोड़ा पढ़ ही दूँ :—

The matter has been very carefully examined from all angles and it has been decided that no leniency is called for in respect of those Government servants who have been punished for serious offences and have consequently been dismissed, removed or discharged from service.

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : They were presented to the Government at that time.

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो मैं निवेदन करूँ और आशा करूँ कि आप फिर से इस पर विचार करेंगे। अब आपने मुलाजिमों का जो महँगाई भत्ता बढ़ाया है उस पर थोड़ा-सा निवेदन करूँगा। आप मुलाजिमों को भिखारी मत बनाइए। एक नियम कानून के मुताबिक चलिए जिससे मुलाजिमों को अर्जी देने, सभा सोसायटी करने, हड़ताल करने की जरूरत न पड़े। इसलिये आप ऐसी परिस्थिति न लायें और ऐसा करें जिससे काम अपने आप होता जाये। आपने कुछ नियम बना रखा है। ताराचंद कमेटी आपने बैठाई थी। उसने बताया था कि सूचकांक जिस प्रकार बढ़ता है उसी प्रकार महँगाई भत्ता आप बढ़ाते जायें, इसको आपने स्वीकार भी किया है लेकिन बढ़ाते समय कुछ देखते नहीं हैं और नतीजा यह है कि कभी 5 रुपया बढ़ा दिया और कभी कुछ बढ़ा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर अपने प्रांत के मुकाबले पड़ौसी प्रांतों को देखा जाये तो महँगाई में कोई खास फर्क कहीं नहीं है, लेकिन महँगाई भत्ता जो पड़ौसी स्टेट्स में दिया जाता है उसका फर्क आप देखें कि महाराष्ट्र में 250 रुपया पाने वाले तक को 40 रुपया महँगाई भत्ता मिलता है, मद्रास में 299 रुपया पाने वाले को 40 रुपये मिलते हैं, आन्ध्र में 300 रुपये पाने वाले को 32 रुपये मिलते हैं, राजस्थान में 299 रुपये तक पाने वाले को 30 रुपये मिलते हैं और हमारे प्रदेश का क्या हाल है कि 300 रुपये तक पाने वाले को मात्र 20 रुपये मिलते हैं। अब आप स्वयं सोचें कि जो महँगाई आपने घोषित की है वह कहाँ तक उचित है। मैं मानता हूँ कि आप पर वित्तीय संकट आता होगा लेकिन इस वित्तीय संकट की सजा केवल मुलाजिम वर्ग ही भोगे, यह कहाँ तक उचित है। इसलिए कुछ तो आपको बीच का रास्ता निकालना होगा। आपने ताराचन्द कमेटी बनाई थी और उसकी जो रिपोर्ट आई उसको आपने रिजेक्ट नहीं किया। सदन में उस पर चर्चा हुई थी तो आपने उसके फैसले को माना और मानने के बाद अब आप किस आधार पर कह सकते हैं कि महँगाई भत्ता इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते और फिर क्या जो काटजू मिनिस्ट्री में मुलाजिमों ने स्ट्राइक भी की थी उसका आवाहन करना चाहते हैं। सही हो या गलत लेकिन चुनाव के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, नागरिकों के कुछ हौंसले बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं उनसे स्पष्ट कुछ कहूँगा और आपको मानना पड़ेगा। इसलिये श्रीमान् चुनाव नजदीक आ रहा है, मेहरबानी करके आप फैसला अब भी कर लीजिये। ताराचंद कमेटी की रिपोर्ट जो आपने मानी थी उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं इससे अनरेस्ट होगा और आपको फिर परेशानी होगी। इसलिये आप पहले ही सोच लें तो अच्छा है, जिससे वह स्थिति ही न आये।

इसके अलावा मैं निवेदन करूँगा कि कुछ डिप्टी कलैक्टर्स का प्रमोशन हुआ नायब तहसीलदार और तहसीलदार से। बड़ी विचित्रता है। लिस्ट तो निकली, डिप्टी कलैक्टर्स के प्रमोशन देने की वह जुलाई 1964 में निकली और उसके बाद फिर और भी निकली होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस डिमान्ड में वह शायद नहीं आती।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह सामान्य प्रशासन का है न इसलिये मैं कह रहा हूँ। 78 आदमियों का प्रमोशन हो गया। कई तो नायब तहसीलदार थे, 90 में, पर थे उनका प्रमोशन हो गया, 95 का हो गया, 98 का हो गया,

107 का हो गया, 190 का हो गया, 189 का हो गया, 85 का हो गया। यह सब प्रमोशन हो गया। अब मैं नहीं जानता कि जो प्रमोट हुए उनमें नीचे के नम्बर वाले कितने नम्बर ऊपर चले गये और उनका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ?

श्री अर्जुनसिंह : मैं केवल वास्तविक सूचना देना चाहता हूँ। यह जो प्रमोशन्स होते हैं, यह शासन के केवल अपने अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता। इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन, चेयरमेन होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं और चीफ सेक्रेटरी उसके सदस्य होते हैं और ये प्रत्येक नियुक्ति का ध्यान रखते है। इन लोगों के रिकॉर्ड को देखते हैं। अब अगर किसी बीच वाले का रिकॉर्ड अच्छा न होगा तो वह सुपरसीड होगा। अब यहाँ मत का प्रश्न है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : माना मैंने उसमें बड़े-बड़े लोग रहते हैं। मैं पक्षपात का आरोप नहीं लगाता। मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। उससे क्या नतीजा निकलता है आप जानो। आप बराबर कर सकते हैं एफीशियन्सी लाने के लिये लेकिन यदि किसी मामले में किसी के खिलाफ एडवर्स एन्ट्री होती है तो उसको प्रमोट करने में जब उससे रुकावट आती है इतना बड़ा भविष्य बरबाद होता है उसका तो उसको आपको जवाब देने का मौका जो होता है वह तो देना चाहिये। किसी का इतना बड़ा कैरियर खराब करने जा रहे हैं और आपने उसको नोटिस तक दिया नहीं? कम-से-कम उसका भी उत्तर तो लेते। बिना किसी सुनवाई के आपने उसका कैरियर खराब कर दिया। मैं नहीं कहता, आपने नहीं किया, नहीं किया। लेकिन उसके पहले सुनवाई का जो हक था उनका, वह अवश्य दिया जाना चाहिये। यह हक न देने से एक प्रकार की जबरदस्ती है और भारी दिक्कत होती है लोग दौड़े-दौड़े इधर-उधर भागते हैं। कोई कहता है वह फलाँ का आदमी है इसलिये ऐसा नाज़ायज़ हुआ। तो ऐसा मौका क्यों देते हैं आप। आप उनको नोटिस देते, तुम्हारे खिलाफ सुपरसीड की कार्यवाही क्यों न की जाये? तुम्हें क्या कहना है। इसलिये मैं कहूँगा कि इसके प्रोसीजर में तरमीम करना आवश्यक है।

दूसरी बात, यातायात का मामला है। इसमें कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि करों की चोरी बहुत होती है इसमें पैसेन्जर टैक्स की। इसको शासन तो स्वीकार करता होगा। मैं इसमें यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें पंजाब सरकार ने बड़ा सुन्दर तरीका चलाया है। वहाँ जो पैसेन्जर टैक्स का टिकिट है जब वह मुसाफिरों को टिकिट देंगे तो फाड़कर आधा टिकिट मुसाफिर देंगे और आधा अपने पास रखेंगे। अगर पैसेन्जर टैक्स चुराने के लिये वह टिकिट नहीं देंगे तो मुसाफिर ही अपने आप चिल्लायेंगे, हल्ला मचायेंगे। आपका एक मुलाजिम जो चैकिंग करता है वह सारे-सारे मुसाफिर स्वयं आपका चैकिंग करने लगेंगे। जैसा मनोरंजन कर का सिनेमा में होता है वही सिस्टम कर लें। कई लाख रुपया जो चोरी में जा रहा है बच जायेगा। आप पंजाब गवर्नमेंट से सूचना मँगाईए और मैं कहता हूँ निश्चित रूप से शासन इससे सहमत होगा।

मैं अन्त में यह थोड़ा-सा निवेदन करूँगा कि यह जो गजेटियर का है इसका बड़ा अजीब हाल है। आपने बताया कि 1 जुलाई 1958 से 1960 तक में 10 गजेटियर प्रकाशित होने की घोषणा की थी लेकिन हुआ क्या 65 तक एक भी प्रकाशित नहीं हुआ। इसमें जो भी लोग हैं पैसा खा रहे हैं तृतीय योजना के अन्तर्गत केवल 30 गजेटियर का मुद्रण हो जाना था इसलिये जरा इस विभाग की ओर भी देखिए। इसमें बहुत-सा घपला है, मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता। कुछ अजीब हालत है इतिहास को लेते हैं और किताबों को नहीं लेते हैं। इस प्रकार की कुछ मनमानी है।

थोड़ा हिन्दी के अपनाने के सम्बन्ध में निवेदन करूँगा कि अँग्रेजी का कारोबार चलता है और इसका काम बिलकुल होपलैस है, केवल इतिहास-भर की किताब खरीदना उचित नहीं है और भी किताबें हिन्दी में छपवाईए। हिन्दी में उसको छपवायें, बल्कि ऐसा किया जावे कि उसमें जितने मुलाजिम हैं, अफसर हैं वे कुछ काम कर सकें, उनको संभागों में भेज दिया जावे, सब के सब इकट्ठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते।

अन्त में, मैं पुलिस विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। सब माननीय सदस्य तो बोलेंगे क्योंकि इसकी "हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता" है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पुलिस को उन्होंने अन्त में क्यों रखा है, उस पर वे क्यों अधिक नहीं बोलना चाहते।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अगर मेरा बस चले तो मैं तो ऐसा समाज लाना चाहता हूँ कि जिसमें पुलिस की कोई आवश्यकता न पड़े। तो मैं यह निवेदन कर रहा था अभी जैसा कि डॉ. साहब ने बताया कि कुछ पाकिस्तान के लोग बिना पासपोर्ट के आये हुए हैं यहाँ के नागरिक नहीं हैं, और जब यहाँ के नागरिकों की शिकायतें होती हैं तो उनको नजरअन्दाज कर दिया जाता है। यह बड़ी चीज है और यदि पुलिस विभाग के कोई कर्मचारी इस प्रकार करते हैं तो उनको कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये, यह तो राष्ट्रद्रोह है। सही है या गलत है, मैं नहीं जानता। शर्मा जी के जिले में थानेदार को अर्जी दी गई कोई सज्जन हैं जिनका नाम है मुस्तफा खाँ 5-1-65 को अर्जी दी गई थी कि फरीद अहमद साहब के यहाँ कुछ पाकिस्तान के लोग रहते हैं परन्तु उसकी कोई जाँच नहीं हुई है। ये सज्जन यहाँ के नागरिक नहीं हैं, परन्तु उनकी शादी यहाँ हुई है। तो कभी तो वे बीबी को साथ लेकर वहाँ चले जाते हैं और कभी यहाँ आ जाते हैं। इस प्रकार करते रहते हैं, इसकी कोई जाँच-पड़ताल नहीं हुई है। यह शर्मा जी के यहाँ हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है।

श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कौन जिला है, क्या है?

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, डॉ. शर्मा जी तो मियाँ-बीबी के चक्कर में नहीं पड़ते।

श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जिला 22 लाख का है, न मालूम कौन आया और कौन गया, अब आपने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, कार्यवाही करेगी।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अभी तक उसका पता नहीं चला है? आपको उसका पता नहीं है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप तो वहाँ दावत खाने के लिये गये थे और आपको पता नहीं है?

श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले में किसी मुसलमान भाई के यहाँ दावत खाने को नहीं गया।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह तो मामला देशद्रोह का है।

श्री शाकिर अली खाँ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जान-बूझकर यहाँ यह बात कहना चाहता हूँ कि इसका असर अक्सर आम मुसलमानों पर पड़ता है, इसलिये यह तय हो जाना चाहिये कि कौन शख्स ऐसा है और उसको सजा मिलनी चाहिये और दूसरे आदमी मुसीबत में न पड़ें। जो शख्स इस किस्म का जुर्म करता है, वह सामने आ जावे ताकि बाकी आदमी अमनचैन से रह सकें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आम मुसलामन ईमानदार भी होता है, बेईमान भी होता है, उसी तरह से हिन्दू भी ईमानदार होता है और बेईमान भी होता है, कोई इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। मैं यह कह रहा हूँ कि दूसरे देश का कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट के बिना यहाँ रहता है, उसकी सूचना पुलिस थाने में दी जाती है तो उसकी जाँच की जानी चाहिये, उस संबंध में कदम उठाये जाने चाहिये, कार्यवाही की जानी चाहिये। शाकिर साहब इसको गलत न समझें..... (अपूर्ण)

इसके पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 3 मार्च 1965 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 मार्च 1965, पृष्ठ/1529-1537)

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी) (भाषण पूर्वानुबद्ध): अध्यक्ष महोदय, मैं कल पुलिस महकमे पर निवेदन कर रहा था। मैंने कहा था कि विभाग के कामों में तो अच्छे और बुरे काम होते ही रहते हैं और उस पर मैं न आऊँगा लेकिन विभाग के लोग ठीक से काम करने पायें और उन पर इन्टरफियरेन्स न हो यह मैं जरूर चाहूँगा। यह होता है और उसमें कभी कोई चीज ऐसी हो तो उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिये। इसके सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी माताटीला बाँध से जो सीमेन्ट चुराया गया तो उसमें एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और दो-चार और लोग पकड़े गये। उसे मध्यप्रदेश की पुलिस ने पकड़ा था। अब उसका सवाल यू.पी. की विधानसभा में उठाया गया कि हमारे यहाँ के कौन-कौन से लोग मध्यप्रदेश की पुलिस द्वारा पकड़े गये और उन्होंने पूछा कि उस पर क्या कार्यवाही चल रही है। तो वहाँ पर यह जवाब दिया गया कि यह सारा मध्यप्रदेश शासन का काम है जिन्होंने उनको पकड़ा है। हम नहीं जानते उस पर क्या कार्यवाही हो रही है। अब उसके बाद यहाँ सवाल उठा, तो हुआ

क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जानकारी नहीं थी लेकिन एक द्वारका प्रसाद नाम के कोई सज्जन श्री उइके के पास आये। वे द्वारका प्रसाद कोई दूसरे हैं झाँसी के। ये हमारे मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद नहीं हैं, परन्तु जैसे ही श्री उइके सा ने सुना द्वारका प्रसाद आये हैं तो उनकी हवा उड़ गई। वे समझे यही हैं। उन द्वारका प्रसाद ने इनसे कहा कि यह मुकदमा दबा दिया जाये और इन्होंने फौरन टेलीफोन उठाकर ठोंक दिया और मामला दबा दिया गया।

श्री गुलशेर अहमद : जिस मसले को माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका लॉ डिपार्टमेंट से संबंध है। जिन माननीय सदस्य को कहा गया है कि उन्होंने किसी तरकीब से यह मुकदमा वहाँ के मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफर कराने की कोशिश की और आज यह मुकदमा दोनों तरफ से चल रहा है। झाँसी में भी पैरवी होती है और हमारे यहाँ भी होती है। अन्डर जुडिशियल कार्यवाही है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपको इस सूचना के लिये धन्यवाद। लेकिन यहाँ की पुलिस का विशेष अनुरोध है कि उसको यहाँ चलाया जावे। मेहनत हम लोग करते हैं और इसको दबाया जा रहा है।

श्री गुलशेर अहमद : कशमकश जरूर है। उनका कहना है कि हमारे काम में मध्यप्रदेश क्यों दखल देता है, लेकिन हमारा काम है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मध्यप्रदेश पुलिस के लोग जिन्होंने इसको पकड़ा वे सब परेशान हैं, मेहनत की और अब केस नहीं चलने दे रहे हैं।

श्री वसन्तराव उइके : हमारा नाम किस रिफरेन्स में लिया है?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : शायद किसी उपन्यास से सुना रहे थे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं कविता भी नहीं लिखता, कृष्णायन जैसी कविता। साहित्यकार तो बिलकुल ही नहीं हूँ। मैं तो केवल सूचना दे रहा हूँ। अगर आप कार्यवाही कर रहे हैं तो धन्यवाद दूँगा।

तीसरी चीज है, यह मजबूरी की है, ऐसी मामूली नहीं है और इसका उत्तर भी शायद आप न दे सकेंगे? श्री लक्ष्मीनारायण जी नायक ने दि. 9 फरवरी 1965 को एक सवाल पूछा था कि वहाँ एक डाका कुछ लोगों ने डाला और वे लोग ट्रक में बैठकर गये थे और उसमें ट्रक मालिक भी गया था। उसमें जब प्रश्न पूछा गया कि वह किसका ट्रक है तो उसका नाम बताने से इन्कार कर दिया। ट्रक पकड़ा गया।

श्री वसन्तराव उइके : ट्रक नहीं पकड़ा गया।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : उत्तर में छपा है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : दि. 9 फरवरी 1965 का उत्तर है। श्रीमान् उसमें सवाल था क्या यह सत्य है कि डकैती ट्रक से डाली गई? उसमें आपने कहा है— "जी हाँ, और भी बातें हैं कौन-कौन, कहाँ-कहाँ के गिरफ्तार किये गये। बहरहाल वह ट्रक किसका है? यह जानकारी तो आपको है।

श्री वसन्तराव उइके : आगे आपने पढ़ा नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ट्रक किसका है?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : तिवारी जी जमा नहीं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जम तो गया, आप न जमने दें तो क्या होगा? बहुत से लोग पार्टी के होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन खराब लोगों को प्रश्रय देना उचित नहीं है। पुराने मन्त्रिमण्डल में भी यही होता था तो हम उसकी निन्दा करते थे और अब आपके मन्त्रिमण्डल में भी यही होगा तो फिर हम क्या करें? इस पर आपको ध्यान देना चाहिये। इस ट्रक के मालिक की जानकारी आपको है। झाँसी का है और नाम न जानते हों तो नायक जी नाम भी बता देंगे कहिए तो अभी बता दें। लेकिन मेहरबानी करके इसको रोकिए। अब मैं आपसे एक चीज यह निवेदन करना चाहता हूँ कि.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप तामोट जी के पास से श्री तिवारी जी की सीट अलग कर दीजिये, क्योंकि उनका इन पर असर पड़ने लगा है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरे ऊपर किसी का असर नहीं होता और अगर तामोट का मेरे ऊपर असर होगा

तो उनके ऊपर मेरा भी होगा।

श्री गुलाबचन्द तामोट : तिवारी जी आपका तो निजी ढंग है जो मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सब लोगों का अपना-अपना ढंग होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूँगा कि यह जो स्वर्ण नियंत्रण के संबंध में आपने अलग विभाग खोला है, उसके संबंध में आपने यह कहा कि यह विभाग भारत सरकार के आदेश से खोला गया है, आपने एक अलग उप-सचिव रख दिया है और भी मुलाजिम रख दिये हैं, लेकिन आप सोचिए कि इसके पास काम क्या है? इसका काम है ऋण देना, यह ऋण कलेक्टर और उद्योग संचालक के द्वारा दिया जाता है, अनुग्रह देना, अनुदान देना, शैक्षणिक अनुदान देना, मतलब यह है कि जो जिस विभाग से संबंधित काम है वह उसके द्वारा किया जाता है, फिर इस विभाग का अलग से खोलने का मतलब क्या है? दूसरी बात यह है कि स्वर्णकारों को मदद देने का यह काम स्थायी रूप से तो चलने वाला नहीं है, कुछ दिन तक ही चलने वाला है, इसके पश्चात् समाप्त हो जावेगा। हमेशा तो आप मुआवजा देते नहीं रहेंगे। अभी जो लोग विस्थापित हो गये हैं उनको आप स्थापित कर रहे हैं। जब एक अफसर आता है तो वह परमानेन्ट हो जाता है और बजट पर भी उसका बोझा आता है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भ्रम है। भारत सरकार से ही ऐसा आदेश आया है कि इस प्रकार का विभाग खोला जावे और एक आई.ए.एस. ऑफिसर की इसके लिये नियुक्ति की जावे। यह अफसर कोई बाहर से नहीं रखा गया है और जब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो इसको दूसरा कार्य दे दिया जावेगा। यह अफसर रखने का आदेश भारत सरकार ने दिया है और इसलिये कि जिसमें कि बाकी जिलों में जो कार्य चल रहा है, उस पर इसका दबाव रहेगा और स्वर्णकारों को बसाने का काम ठीक ढंग से चलेगा। हमने कोई अफसर बाहर से नहीं बुलाया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : नीचे की जितनी जगह खाली होती हैं, तो अफसरों की संख्या बढ़ती जाती है और टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होता जाता है, उसको बचाना चाहिये। अभी जितने अफसर थे उनमें से ही किसी को यह काम दे देते, जो खाली स्थान होता है फिर उसको भरना पड़ता है और दूसरे को प्रमोट करना पड़ता है। मेरा यह कहने का मतलब है कि अलग से यह विभाग खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्त में, मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूँ। यह काँग्रेस की प्रमुख पत्रिका है...

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ही यह योजना है और उन्होंने ही आदेश दिया है और वे ही रुपया देते हैं, इसीलिये यह विभाग खोला गया है और अलग से नियुक्ति की गई है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो मैं उसका विरोध नहीं करता, राज्य सरकार का खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा हो आप जानो। मैं यह कह रहा था कि इस पत्रिका का प्रकाशन साल भर से शुरू हुआ है। इसमें कुल 47 पृष्ठ हैं, इनमें 25 पृष्ठों का विज्ञापन है, कोई विज्ञापन राइस मिल वालों का है, कोई ट्रान्सपोर्ट वालों का है, इसके अलावा तीन पृष्ठों का विज्ञापन सरकारी है, सूचना विभाग की ओर से दिया गया है। यह महज इस पत्रिका को फाइनेन्स करने के लिये और अध्यक्ष महोदय, यह सख्त एतराज की चीज है। इसको शासन का कोई विज्ञापन नहीं मिलना चाहिए। यह तो हाल की पत्रिका है और इससे भी बड़े स्टेंडिंग की पत्रिकाएँ हैं, उनको नहीं मिलता। (श्री सूर्यदेव शर्मा : इस पत्रिका का नाम क्या है?)— मध्यप्रदेश काँग्रेस पत्रिका। अध्यक्ष महोदय, सारे काँग्रेस के लोग सोशियलिस्ट हैं, और जो काँग्रेस के चीफ हैं वे सबसे बड़े सोशियलिस्ट हैं और वही इसके सम्पादक हैं श्री मुश्रान साहब। तो मैं यह निवेदन करूँगा कि उनके सम्पादकत्व में जो उनके यह आदर्श की बात है, यह सूचना विभाग ने किस आधार पर एडवरटाइजमेन्ट दिया और किसने इसको एप्रूव्ड किया और क्या इसमें पक्षपात हुआ या नहीं और जितने पूँजीवादियों के इसमें विज्ञापन हैं वह कुल 25 पेज के हैं तो यह आपका कैसा समाजवाद होगा? इस पत्रिका को निकालने में इतना खर्च नहीं हुआ कि कितनी बड़ी धनराशि उन्होंने इकट्ठा कर ली है। यह पूँजीपति राइस मिल वाले और ट्रान्सपोर्ट वाले हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा...।

श्री रामस्वरूप वर्मा : पूँजीवादी समाजवादी नहीं होंगे तो क्या गरीब समाजवादी होंगे?

श्री सूर्यदेव शर्मा : काँग्रेस वाले पूंजीपतियों से रुपया नहीं खीचेंगे तो समाजवाद नहीं होगा, तो कैसे समाजवाद होगा!

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : ठीक है वह रुपया खूब खीचें लेकिन जनता के हित के लिये और शासन के हित के लिये न कि निजी हितों के लिये या अपने दलीय हित के लिये खीचें...

श्री श्यामसुन्दरनारायण मुशरान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह काँग्रेस पत्रिका और शासन से क्या मतलब है? इस समय तो बजट पर चर्चा चल रही है। मैं समझता हूँ कि सूचना विभाग से कोई विज्ञापन दे दिया गया है उसकी तरफ इनका इशारा है। एडवरटाइजमेन्ट तो कई पत्रिकाओं में दिये जाते हैं और गैर काँग्रेस की पत्रिकाओं में भी दिये गये हैं और जिसका ज़्यादा सरक्यूलेशन हो और जो मण्डल में भी पढ़ा जाता हो, मैं नहीं समझता कि इसमें आपको क्यों आपत्ति है और इससे बजट का किसी प्रकार का कोई संबंध भी नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : यह पार्टी की आपत्ति है, इसमें चिन्ता की बात नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस पत्रिका का शासन से संबंध नहीं होना चाहिए। पार्टी का काम अलग से हो, शासन के ढंग का कोई उपयोग पार्टी में नहीं लिया जाये...

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : क्यों नहीं होना चाहिये?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अगर होना चाहिए तो आपको मुबारिक हो।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : क्या इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाये?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अगर आपने इससे ज्यादा चलने वाली पत्रिका को दिया होता तो...

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का भ्रम दूर करना चाहता हूँ। एडवरटाइजमेन्ट दो प्रकार के दिये जाते हैं पत्र या पत्रिकाओं को और जो कुछ लोग एडवरटाइजमेन्ट निकालते हैं तो डिस्प्ले एडवरटाइजमेन्ट देखा जाता है कि इसमें इसका कितना सरक्यूलेशन होगा और शासन को जो बात कहना है या लोगों तक पहुँचाना है वह कहाँ तक पहुँच सकती है। इस तरह का डिस्प्ले एडवरटाइजमेन्ट दिया जाता है तो जहाँ तक मान्यता की श्रेणी में आने का सवाल है तो जितनी मान्यता पहुँचती है उस मुताबिक कार्यवाही की जाती है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह मान्यता की श्रेणी में कैसे आता है? मैं निवेदन करूँगा कि डिस्प्ले एडवरटाइजमेन्ट देने के लिये आपके यहाँ और भी कई पत्रिकाएँ हैं तो क्या उसमें भी एडवरटाइजमेन्ट्स दिये जावेंगे?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : औरों को भी दिये जाते हैं और आप पूर्व सूचना देंगे तो मैं आपके सामने सब रख दूँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : ठीक है मैं इस संबंध में प्रश्न पूछूँगा कि और किन-किन पत्र-पत्रिकाओं को एडवरटाइजमेन्ट दिये गये हैं। यह अलग प्रश्न रहा।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, मुशरान साहब ने जिन्होंने यह कहा मैं उनको स्पष्ट कर दूँ कि काँग्रेस संस्था को राइस मिल और ट्रान्सपोर्ट से चन्दा मिला है...

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे उठेगा?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, ठीक है आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। अब मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा।

अब अन्त में मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं से समाप्त करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा आप बालि-सुग्रीव का मल्ल-युद्ध ज्यादा दिनों तक न चलायें और इतना ध्यान रखियेगा कि बालि-सुग्रीव को राजतिलक न करिएगा।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल तीन के नाम लिये थे, बालि, सुग्रीव और विभीषण। उन तीनों को यहाँ ढाल देंगे तो आप किस श्रेणी में आवेंगे?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं विभीषण की श्रेणी में आने को तैयार हूँ, उसने रावण का नाश तो कराया।

श्री गुलाबचन्द तामोट : विभीषण बनना है तो उधर जाकर बैठो।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : विभीषण राम के दल में गया था, रावण के दल में नहीं रहा था।

श्री गुलाबचन्द तामोट : आप पहले यहाँ से वहाँ पधारो, फिर इधर आ जाना।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं तामोट जी को धन्यवाद देता हूँ।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी की विभीषण बनने की चर्चा तो 5-6 महीने से चल रही थी लेकिन आज बात स्पष्ट हो गई।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था यह दोनों जो हैं यह बड़ा शिकार खेलने वाले हैं बालि, सुग्रीव दोनों यह मनमानी शिकार खेलने जाते हैं, रिजर्व फारेस्ट में जाते हैं, कानून तोड़कर जाते हैं, दोनों शिकार करते फिरते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि बालि-सुग्रीव का राजतिलक मत करिए। यह दिल्ली के खम्भे गढ़े हैं, मध्यप्रदेश में राजाओं और जागीरदारों के खम्भे गढ़े हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो माँग की है, माननीय सदस्य उनमें से किस आयटम पर भाषण कर रहे हैं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मंत्रिमंडल की मांग पर। मैं इस खतरे पर आगाह करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जितनी आप जमींदारों की पलटन घेरे हुए चलते जाते हैं उतना खतरा बढ़ता जाता है। चारों तरफ से जितनी भी जमींदारों की लपेट होती है वह अर्जुनसिंह की लपेट में चल रही है, उनसे सतर्क रहिए। आपने सेठों से लड़ाई ली, उसमें आप बहादुर साबित हुए। मैं चाहता हूँ कि जमींदारों से भी लड़ाई लेने में आप बहादुर साबित हों। जमींदारों का जो गुट यहाँ बन रहा है, उस जाल में आप न फँस जावें। आप कहते हैं लेकिन आपमें समाजवादी ढंग से काम करने की हिम्मत नहीं है। अभी आप कह तो सकते हैं लेकिन वह कहना भी बन्द हो जावेगा क्योंकि आपका गला यह जमींदार दबा देंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने जो वार्निंग दी है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 मार्च 1965, पृष्ठ/1622-1627)

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन के जितने लोग हैं सब-के-सब हिन्दी-प्रेमी हैं, यह तो मैं जानता था।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हर हिंदी-भाषी प्रान्त के मुख्य मंत्रियों ने हिन्दी के लिए प्रयत्न किया है और उसके लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई है। राजस्थान और बिहार के मुख्य मंत्रियों ने वाकआउट किया और आपने जो कहा वह यह कहा कि नेहरूजी के आश्वासनों को कानूनी रूप दिया जावे जो स्वयं नेहरूजी भी नहीं चाहते थे।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : वाकआउट किसी ने नहीं किया है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वाकआउट नहीं किया है लेकिन असहमति व्यक्त की थी।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : असहमति किसी ने नहीं की।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं उस बुड्ढे सेठ गोविन्ददास की तारीफ करता हूँ, जिसको राजर्षि टण्डन और पं. मदनमोहन मालवीय की आत्मा आज भी स्वर्ग से आशीष दे रही है, जो आज भी अपने पथ पर दृढ़ है। वह आज भी उनके पद-चिन्हों पर चल रहे हैं। जान से मार देने की धमकी भी सेठजी को दी गई; परन्तु वह कर्मवीर विचलित नहीं हुआ। आपने जो वहाँ पर नरमी बरती है उसकी अपेक्षा हम आपसे नहीं करते थे; क्योंकि हम आप पर श्रद्धा इसीलिये करते हैं कि आप हिन्दी के और हिन्दू धर्म के कट्टर समर्थक माने जाते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : माननीय सदस्य को कैसे मालूम हुआ कि मैंने नरमी बरती थी।

श्री सूर्यदेव शर्मा : वह सब पेपरों में आया था।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : इसीलिये मैं कहता हूँ कि आप पेपर न पढ़ा करें तो अच्छा हो।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अभी भी क्या फेक्ट्स हैं, आप हम लोगों को साफ-साफ बतलावें कि आपने क्या-क्या किया है। आप हम लोगों की छाती ठण्डी करें।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अभी आपने उपदेश दिया कि सब कुछ गुप्त रखा जाये, अब आप कहते हैं कि सब साफ-साफ बताइए।

श्री सूर्यदेव शर्मा : आपने कहा कि गुप्त रखने का युग नहीं है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ और अपनी

बात को वापस लेता हूँ। आप स्पष्ट तो कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आपका समय समाप्त।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कल से सामान्य प्रशासन की माँग पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। इन कटौती प्रस्तावों के द्वारा शासन का ध्यान जितनी कुछ विशेष बातों की ओर आकर्षित किया गया उनमें जिनका उल्लेख माननीय सदस्यों ने यहाँ पर किया है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जनसंघ के डॉ. पाण्डे ने बोलते हुए यहाँ पर यह कहा कि इस शासन ने प्रदेश के हितों के बारे में, प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की योजनाओं के बारे में सतर्कता नहीं बरती। जो कदम समय पर उठाने चाहिये, नहीं उठाता। यह कहकर उन्होंने यह साबित करने की चेष्टा की कि माननीय मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में चलने वाला यह शासन इस प्रदेश को बहुमुखी विकास की तरफ ले जाने में असफल हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति, किसी भी शासन का तात्कालिक मूल्यांकन किन्हीं विशिष्ट बातों पर कैसे अंकित हो सकता है। मैं यह अवश्य कह सकता हूँ कि जब नवनिर्मित मध्यप्रदेश के इतिहास की रचना की जायेगी, इन पिछले डेढ़ वर्षों में इस प्रदेश की एक नहीं अनेक समस्याओं के बारे में जिस तत्परता और जिस विशेष लगन से शासन ने कदम उठाये हैं वह विशेष उल्लेख किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता, उस रूप में तो नहीं ही कहना चाहता जिसे माननीय सदस्य आत्मप्रशंसा के रूप में उसकी संज्ञा दे सकें। मैं आपसे केवल इतना आग्रह करता हूँ कि आप विचार करें उन दो-तीन मुद्दों पर जो इस प्रदेश को बनाने और बिगाड़ने में विशेष महत्व रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन को ज्ञात है कि मध्यप्रदेश का भविष्य, यहाँ की जो नैसर्गिक सम्पत्ति है, चाहे वह खनिज के रूप में हो, चाहे अन्य प्रकार की हो, उनके विकास पर भी निर्भर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि इस सम्पत्ति के संजोने, इस सम्पत्ति के विकास करने और उस सम्पत्ति के नियोजित एक्सप्लाइटेशन की ओर क्या इस शासन ने ध्यान नहीं दिया है। जो नर्मदा सदियों से यहाँ बहती रही, जो नर्मदा अमरकंटक से निकलकर इस प्रदेश के मध्य से होती हुई इस प्रदेश के बाहर गयी, उस नर्मदा माता का जो पुण्य हमें मिलना चाहिये था, उसके बारे में क्या प्रदेश में कभी कुछ किया गया था और उसको क्या इस शासन ने मुख्य रूप से अपने इस सदन के सामने और प्रदेश की जनता के सामने इस तरह खड़ा नहीं किया कि प्रदेश ही नहीं, देश के विशेषज्ञों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट हुआ। सभी यह महसूस करते हैं कि नर्मदा घाटी के विकास से न केवल अपने प्रदेश की खाद्यान्न समस्या हल होगी बल्कि पूरे राष्ट्र की खाद्यान्न समस्या को हल करने में...

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरा औचित्य का प्रश्न है, डिमाण्ड्स पर बहस के समय जिन मुद्दों को उठाया गया था या जिन बातों पर एतराज किया गया है, उन्हीं का जवाब मिलना चाहिए। बहुत से काम अच्छे-अच्छे आपने किये होंगे...

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : आपका औचित्य का प्रश्न गलत है। मंत्री मण्डल के कार्यों के सम्बन्ध में उन्होंने जो रिमार्क्स दिये थे वह उनका उत्तर दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को यहीं पर छोड़ता हूँ और उसे इस प्रदेश के भावी नागरिकों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वह इस समय के कार्यकलापों का क्या मूल्यांकन करते हैं। माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट बात का जिक्र किया था पोस्टमास्टर जनरल के सर्किल के ऑफिस की स्थापना के सम्बन्ध में। उन्होंने अपनी सूचनाओं के स्रोत भी बताये थे, किन्तु उनसे मेरा सम्बन्ध नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे : मैं एक सूचना और दे देना चाहता हूँ। वह सूचना पहले भी अखबारों में विस्तार के साथ प्रकाशित हुई है कि किस तरह अपने यहाँ के कर्मचारी उसकी माँग कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय उसको भी देखने की कृपा करें।

श्री अर्जुनसिंह : कर्मचारी जो माँग कर रहे हैं वह अपने दृष्टिकोण से कर रहे हैं, वह शासन का कहना नहीं है। यदि आप उसे समझने की कोशिश करते तो पता चलता कि उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, लेकिन उसे आपने जानने की कोशिश नहीं की। मैं यह बताना चाहता हूँ कि केपीटल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इसके लिये 22 एकड़ जमीन निश्चित कर दी है और यह कोशिश की जा रही है कि केन्द्रीय शासन से धनराशि प्राप्त की जाये

ताकि ऑफिस भी स्थापित किया जा सके।

इसके बाद सीधी से आये हुए माननीय सदस्य ने गजेटियर के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया। मैं बिना तनिक भी संकोच के यह कह सकता हूँ कि गजेटियर के सम्बन्ध में उन्होंने जो राय व्यक्त की है, वह काफी हद तक सच है और इसके लिये शासन स्वयं महसूस करता है कि जिस द्रुतगति से गजेटियर का काम बढ़ना चाहिये था, किन्हीं विशिष्ट कारणों से ऐसा नहीं हो सका। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस गजेटियर को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये जितना प्रयत्न किया जा सकता है, कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि साल डेढ़ साल में इसकी प्रगति के बारे में सदन संतोष व्यक्त करेगा...

श्री हरिभाऊ जोशी : डिस्ट्रिक्ट लेविल पर भी गजेटियर के सम्बन्ध में अव्यवस्था है, भिन्न-भिन्न है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : उन्होंने कहा है कि जो उनकी आलोचना हुई है वह बहुत दूर तक ठीक है। हम उसको ठीक तौर पर संगठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सीधी से आये हुए विधायक महोदय ने डिप्टी कलेक्टर्स की बढ़ती हुई संख्या की तरफ भी संकेत किया। हम यह मानते हैं कि शासकीय सेवकों की संख्या और उन पर किये जाने वाले व्यय का अनुपात एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिये। इस दिशा में माननीय सदस्य को और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शासकीय व्यय में वृद्धि न करने के लिये शासन ने कड़ी नज़र रखी है। आपको मालूम ही होगा कि पिछले वर्ष वित्त मंत्री महोदय ने सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि अनावश्यक व्यय कम करने की दिशा में शासन सफल हुआ है। डिप्टी कलेक्टर्स की संख्या का जहाँ तक प्रश्न है, आप स्वयं जानते हैं कि आजकल के प्रशासन में और आज से 15-20 वर्ष पहले के प्रशासन में बहुत बड़ा अन्तर है और जो 15-20 वर्ष पूर्व जो बहुत से कार्य अपने निजी खर्च से लोग कर लिया करते थे, आज प्रजातंत्रीय राज्य हो जाने के कारण से शासन की जिम्मेदारी आ गई है। यदि यह कहा जाये कि आज 10-15 वर्ष पूर्व जितने अधिकारियों से काम चलता था आज भी उतने ही अधिकारियों से काम चल सकता है, तो मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूँगा कि उनका यह तर्क न्यायसंगत नहीं है। प्रजातंत्र में वेलफेयर स्टेट को न केवल सुचारु रूप से चलाने के लिये बल्कि उसको एक समृद्धिशाली स्टेट बनाने की जो आकांक्षा हम आप दोनों सम्मिलित रूप से करना चाहते हैं और जो जनता की भी आकांक्षा है, इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इनकी वृद्धि की गई है। मध्यप्रदेश बनने के पहले जो चार घटक राज्य थे— महाकौशल, विन्ध्यप्रदेश, भोपाल, मध्यभारत, इन सब में अलग-अलग प्रकार के प्रशासनिक ढाँचे थे। महाकौशल क्षेत्र में प्रत्येक जिले में कितने डिप्टी कलेक्टर्स रखे जायें यह निश्चित था। इसी प्रकार से मध्यभारत में कुछ और निश्चित था और विन्ध्यप्रदेश में कुछ और था, भोपाल में कुछ और था जब चारों राज्यों का एकीकरण हुआ, वे सब ही नियम जो सबसे बड़े घटक महाकौशल में चल रहे थे उनको ही यहाँ पर अंगीकृत किया गया। एक्सटेन्शन ऑफ लॉज के आधार पर। पूर्व विन्ध्यप्रदेश में, पूर्व भोपाल में, पूर्व मध्यभारत में जो चीजें नहीं थीं उनको भी यहाँ पर लाया गया है। इसलिये इसका फैलाव भी पूर्व भोपाल, पूर्व विन्ध्यप्रदेश, पूर्व मध्यभारत पर ही होने वाला है...

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पुराने महाकौशल में एक सिविल लिस्ट छपा करती थी कि कौन अधिकारी किस जिले में, जिसको देखने से सारी जानकारी मिल जाती थी, क्या अब वह छपना बन्द हो गई है? उससे जनता को भी सारी जानकारी हो जाया करती थी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सिविल लिस्ट तो छपती है, न मालूम माननीय सदस्य को न मिली हो।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय जिस तरह से पुराने मध्यप्रदेश में जो सिविल लिस्ट छपा करती थी उस प्रकार की यहाँ पर नहीं छप रही है, कौन-कौन अधिकारी कहाँ पर हैं जिसके देखने से पूरी जानकारी हो जाया करती थी। कुछ दिन पूर्व ही मेरा इस ओर ध्यान गया था। इससे सब ही लोगों को फायदा होगा। उसी आधार पर जिस आधार पर पुराने मध्यप्रदेश में छपती थी शीघ्र ही छपने लगेगी। इसका हम प्रयत्न करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् सीधी से आये माननीय सदस्य ने कहा डिप्टी कलेक्टर्स की

संख्या के संबंध में। जो हमारा ढाँचा बना उसके अनुसार जो आवश्यकता पड़ी, प्रशासनिक आधार पर जो शासकीय आवश्यकता थी वहाँ योजना आयोग ने भी योजना के कार्यान्वयन के लिये और चतुर्थ योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये जो संख्या उन्होंने बताई उसकी वजह से भी इसमें वृद्धि हुई है। जहाँ तक तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को प्रमोशन का प्रश्न था डिप्टी कलेक्टर की पदोन्नति के लिये, उसके लिये माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्रमोशन के लिये जो लिस्ट बनाई जाती है वह विवेकपूर्ण तर्कों के आधार पर नहीं बनाई जाती है। मेरा यह निवेदन है कि जो भी पदोन्नति की जाती है वह वस्तुस्थिति को देख कर की जाती है और पदोन्नति का जब सलेक्शन होता है उसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनका भेजा हुआ कोई भी प्रतिनिधि एक उसमें होता है। और चीफ सेक्रेटरी और दो सीनियर कमिश्नर उसके सदस्य होते हैं। यह सब बैठ कर ही उनकी योग्यता के आधार पर और अन्य बातों के आधार पर तय करते हैं कि यह पदोन्नति के योग्य है या नहीं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य और सदन इस बात से सहमत होगा कि जब इस तरह की पदोन्नतियाँ करनी होती हैं तो प्रायः शासन स्वयं करता है। उसमें केवल ऐसा है कि इस पदोन्नति या पदोन्नतियों में किसी प्रकार की शंका न रहे और साथ ही साथ पदोन्नतियाँ इस आधार पर हों कि हमको अच्छे अधिकारी मिल सकें। इसलिए हमने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इसी स्टेज पर सम्मिलित कर लिया है। वरना माननीय सदस्य जानते हैं कि होता यह है कि पदोन्नतियाँ शासकीय विभाग अपनी तरफ से कर देते हैं और फिर केवल कन्फर्मेशन के लिये पी.एस.सी. को भेज देता है। उसमें होता ऐसा है कि प्रमोशन दे देते थे और कन्फर्मेशन के लिये भेज देते थे लेकिन कभी-कभी काफी अन्तर हो जाता है और कभी-कभी जब प्रमोशन कन्फर्म नहीं होता है तो बड़ी एम्बेरसिंग पोजीशन आ जाती है। माननीय अध्यक्ष, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन तमाम कठिनाइयों को देखते हुए ऐसे प्रशासनिक अंग पर जिसका सीधा सम्बन्ध हमारे जिलों से रहता है उसमें शासन ने पहले ही इस स्टेज पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। उनके ही परामर्श से यह पदोन्नतियाँ की जाती हैं। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार माननीय सदस्य इसमें आपत्ति उठा सकते हैं।

श्री तुलाराम सगर : पदोन्नतियों में हरिजन आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया जाता है या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पदोन्नतियाँ उन्हीं को दी जाती हैं जो सेवा में रहते हैं। सेवा से बाहर वालों को तो पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता। अब सेवा में चाहे हरिजन हो चाहे कोई भी हो, उचित होने पर सबको दिया जाता है। माननीय सीधी से आये हुए विधायक नें पब्लिसिटी विभाग के सम्बन्ध में उल्लेख किया। माननीय सीधी के विधायक के अतिरिक्त कुछ और माननीय सदस्यों ने यह बताने की चेष्टा की कि सूचना विभाग शासन के पास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इन्स्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा शासन अखबारों के ऊपर, अखबारी नीति पर कोई अंकुश लगाना चाहता है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सूचना विभाग के द्वारा शासन का यह कतई मन्तव्य नहीं है कि पत्रों की रीति-नीति पर कोई अंकुश लगाया जाये। आप इस बात को महसूस करेंगे कि विज्ञापन शासन देता है और विज्ञापन व्यक्तिगत भी लोग देते हैं और जहाँ तक विज्ञापन देने का सम्बन्ध है, व्यक्तिगत देने वाला भी यह चाहता है कि वह विज्ञापन ऐसे किसी पत्र को दे जो अधिक-से-अधिक लोगों के पास पहुँच सके। इसी प्रकार शासन का भी यही मन्तव्य रहता है कि वह भी विज्ञापन ऐसे अखबारों को ही दे जिससे उसकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। दूसरे जैसा कि आप सब जानते हैं, शासन की तरफ से विज्ञापन देने का एक और मन्तव्य यह है कि शासन की ओर से प्रान्त की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये या जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये जो हमारा प्रयास है या उनमें जो कठिनाइयाँ पैदा होती हैं उनके बारे में हम जनता को अपने निकट सम्पर्क में ला सकें। अध्यक्ष महोदय, इस दूसरे मन्तव्य के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि इस मन्तव्य को पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि सूचना प्रचार विभाग द्वारा केवल मंत्रियों की फोटो और उनके दौरे आदि के बारे में ही समाचार रहता है। अध्यक्ष महोदय, यह कहना आसान तो जरूर है लेकिन मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। केवल जनवरी 64 से दिसम्बर 64 तक 2713 विज्ञप्तियाँ सूचना प्रचार विभाग ने निकालीं। इसमें से केवल 246 में मंत्रियों के दौरे या भाषण का उल्लेख था। आप देखेंगे

कि 10 परसेंट से भी कम ऐसी विज्ञप्तियाँ थीं जिनमें माननीय मंत्रियों का उल्लेख था।अन्य विज्ञापन जो थे उनका अन्य प्रोग्रामों से सम्बन्ध था। ऐसी अवस्था में आपका यह कहना कि सूचना प्रचार विभाग केवल मंत्रियों के फोटो छापता है या दौरे का प्रोग्राम देता है, मैं समझता हूँ कि न्यायसंगत नहीं है। इसी के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने कुछ विशिष्ट अखबारों का उल्लेख भी किया और उन्होंने यह भी बताया कि यह अखबार चूँकि व्यक्तिगत मेरा या मुझसे सम्बन्धित है इसलिये मैं इसको अधिक प्रश्रय देता हूँ और मैंने इसे विज्ञापन वालों की सूची में लाने की कोशिश की और जब विज्ञापन मिलता है तभी यह पेपर निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के बारे में आपके ख्याल भी बहुत ऊँचे हैं। आप उनको बहुत सीनियर सदस्य मानते हैं और इस सदन के सभी माननीय सदस्य भी मानते हैं तथा हमारे नेता मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं लेकिन तथ्यों के विपरीत केवल निजी भावना के आधार पर यदि आरोप लगाये जायें तो अपने इस मन को बदलने के लिये हमको भी विवश होना पड़ता है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : नवभारत जो हिन्दी का निकलता है, सबसे पुराना अखबार है, लोकप्रिय है, उसको आपने कितना दिया है? पक्षपात नहीं तो और क्या है?

श्री अर्जुनसिंह : जिस वीकली के बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया उसमें जनवरी 1964 से दिसम्बर 1964 तक कुल 38 प्रतियाँ छपीं। उनमें से केवल 6 में शासकीय विज्ञापन दिये गये और शासन की तरफ से उसको कुल रकम जो दी गई थी वह रुपये 168.80 मात्र थी, लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि जब विज्ञापन मिलता है तभी यह पेपर निकलता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं एक मिनट आपका समय लूँगा। पहली चीज तो यह सर्वथा गलत है कि जितनी प्रतियाँ आपने बताईं कि इतना अंक निकला है। मैं चाहता हूँ कि श्रीमान् इसकी जाँच कर लें क्योंकि हम लोगों को इसमें गालियाँ रहती हैं और हम बड़े चाव से उसको पढ़ते हैं...

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अगर आपको गालियाँ रहती हैं तो देखना होगा कि उसको विज्ञापन मिले या नहीं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : नहीं, आप उसको अवश्य दें। श्रीमान् (हाथ में पेपर दिखाते हुए), यह एक अंक है 4 पेज का और यह आप देखें कि पूरा विज्ञापन से भरा हुआ है। इधर आधा भरा हुआ है और प्रथम पेज का आधा भरा हुआ है। इस तरह से आधे से अधिक में विज्ञापन है। इस तरह के पच्चीसों अंक हैं जिनको मैं ला सकता था, मैंने पिछले सत्र में तारीख तक बताया है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : आप मुझे दे दीजियेगा।

श्री अर्जुनसिंह : विधानसभा के माननीय सदस्यों को जानना चाहिये कि छोटे जो अखबार निकलते हैं उनके सामने कितनी कठिनाइयाँ रहती हैं और आप किसी अखबार के बारे में उल्लेख कर सकते हैं लेकिन क्या आपने यह भी देखा कि इस स्तर के जो लगभग और हमारे प्रदेश में 100 अखबार निकलते हैं वे किस प्रकार से अपना अखबार चला रहे हैं। मेरी मान्यता है और शासन ने इस पर काबू पाने का प्रयास करने की चेष्टा भी की है कि अपने प्रदेश में निकलने वालें छोटे अखबारों को बढ़ाने में पूरी सहायता दी जाये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अगर आप ऐसे सड़े अखबारों...

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : राज्य मंत्री जी समाजवाद की बात कह रहे हैं और हमारे मित्र जो समाजवादी हैं वे पूँजीवाद की बात कर रहे हैं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अगर आप ऐसे-ऐसे सड़े अखबारों को ही प्रोत्साहन देते हैं तो मुबारक हो आपको आपका ऐसा समाजवाद।

श्री अर्जुनसिंह : मैं समाजवाद पर तो बाद में आऊँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप बिलकुल आयें, मैं जाता नहीं हूँ, बैठा हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने माननीय सदस्य का भाषण आद्योपान्त शान्ति से सुना वैसे ही वह भी करें तो बड़ी कृपा होगी। माननीय सदस्य ने मिनिस्टीरियल सर्विस के बारे में कुछ कहा और यह कहा कि शासन मिनिस्टीरियल सर्विसेज के बारे में कुछ उपेक्षापूर्ण नीति अपना रहा है। अभी दो दिन

पहले इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उससे विदित होता है कि छोटे कर्मचारियों के बारे में शासन की क्या नीति है, उसके बारे में क्या भावना है। माननीय सदस्य ने यहाँ तक कि एक कॉन्फीडेन्शल सरक्यूलर भी पढ़ कर सुना दिया और कहा कि जनवरी में एक निर्णय ले लिया गया था फिर फरवरी में पुनर्विचार की बात कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का सामूहिक रूप से हित हो, हम लोग सोचना नहीं चाहते। मेरा निवेदन है कि हर पहलू पर विचार करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये और कहा कि प्रशासनिक ढाँचे में सुधार होना चाहिये और सुझाव भी दिये गये। मैं, अध्यक्ष महोदय, उन सुझावों का स्वागत करता हूँ। पूरे सुझाव जो जो कार्यरूप में परिणित हो सकते हैं उन पर हम विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधी से आये माननीय सदस्य ने यह बताया, अपने दो घण्टे के भाषण में, एक घण्टा 30 मिनिट पर उन्होंने मेरे स्वयं के ऊपर भाषण दिया। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य को मैं आज से नहीं बहुत दिनों से पहचानता हूँ और माननीय सदस्य भी मुझसे बहुत दिनों से परिचित हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत संबंधों के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह शिष्टता से परे होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, सदन में किस प्रकार से कहा है, जितनी जिम्मेदारी हम जैसे नये सदस्यों की है उससे कई गुनी जिम्मेदारी वरिष्ठ सदस्य की होती है। वह सदन ने वरिष्ठता दी है, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य ने जो मान्यता होती है, उस मान्यता का ध्यान नहीं रखा है। मैं ऐसे कोई कड़े शब्द नहीं कहूँगा, यद्यपि कह सकता हूँ, परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बैठकर आपसे जो शिक्षा-दीक्षा मिली है उसके अनुरूप नहीं माने जा सकते। इसलिए उनका कहना मैं गलत समझता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजवाद के संबंध में यह उल्लेख किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को सचेत किया कि वह संभलकर रहें, यह आपके लिए खतरा उत्पन्न करेंगे। समाजवाद को खतरा उत्पन्न करते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ प्रजातन्त्र में, समाजवाद में व्यक्ति परीक्षण होता है जो व्यक्ति परीक्षण में तत्पर नहीं है, पिछली पृष्ठभूमि और उसके बाप-दादा क्या थे उसको लेकर चलते हैं और वह लोग समाजवाद की बात कहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोग समाजवाद की मान्यता से अनभिज्ञ हैं, जो पूर्वजों के नाम को साथ में लेकर कहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है सन् 1957 में, मैं चुनाव लड़ा था और उस समय इस सदन में आया था। स्वतन्त्र उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ा था।

श्री रमेश दुबे : पहले यहाँ बैठते थे।

श्री अर्जुनसिंह : एक स्वतन्त्र उम्मीदवार के सामने कितनी कठिनाई होती है, आप भलीभाँति, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं। चुनाव में किया था, सीधी में, मैं उनकी पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ा था, मैंने कहा था मैं विधानसभा में जाकर ऐसी जमीन वास्तव में देने के लिये ऐसे कानून पास कराने का प्रयत्न करूँगा कि धन और धरती में जो असमानता है उसमें कमी हो, और धरती व्यक्तिगत भोग के लिए नहीं है, समाज की अमानत है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि अपनी सीमित क्षमता के होते हुए, अपनी सीमित शक्ति के होते हुए भी जैसा कि सीधी से आये हुए विधायक ने उल्लेख करके हमारे ऊपर छींटा उड़ाने का संकेत किया, हम उन्हीं को स्मरण दिलाना चाहते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैंने व्यक्तिगत रूप से आप पर कोई छींटा नहीं उछाला है, आपने जो जमींदारों का जखीरा इकट्ठा करना शुरू किया है उस पर कहा और वह तो मैं अब भी कह रहा हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : इतना जल्दी आपने अपना स्टंट बदल लिया। मैं तो कुछ कह भी न पाया लेकिन कल जिन माननीय सदस्यों ने आपका भाषण सुना है उन्होंने उसका अर्थ कुछ दूसरा ही लिया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैंने जो कहा है, वह अब भी कहता हूँ, वह आप पर व्यक्तिगत हमला नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अधिकतम जोत-सीमा कानून इसी विधानसभा से पारित हुआ। इस विधानसभा की कार्यवाही इसका प्रमाण है। तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने डेढ़ वर्ष तक कार्यवाही नहीं की तो समय-समय पर मैंने अपने भाषणों आदि के द्वारा उसका उल्लेख किया और जब विधेयक के रूप में वह सदन में आया कि अधिकतम सीमा

क्या रखी जाये और उस पर जो बहस हुई, तो अध्यक्ष महोदय, आपकी ही सौजन्यता से मैंने उसमें संशोधन रखा जो शासन के द्वारा 32 प्रमाप एकड़ अधिकतम सीमा जोत-भूमि की रखी गई थी वह 28 एकड़ की जाये और उस संशोधन को इस विधानसभा ने सर्वानुमति से माना। यदि हमारी मान्यताएँ हैं, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, ऐसा संशोधन इस पवित्र विधानसभा में कतई न लाते, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने वायदों का क्या किया? पिछले आम चुनाव में जनता को क्या वायदे किये और जब चीनी आक्रमण हुआ था उन्होंने स्वयं तात्कालिक मुख्य मंत्री श्री मण्डलोई को लिखा था— "सम्पूर्ण समर्पण पत्र"। उनका पत्र मेरे पास इस समय मौजूद है। उसका अंश इस प्रकार है—

"किन्तु लड़ाई की तीव्रता को और दुश्मन की मजबूती को देखते हुए यह जरूरी है कि अब मैं सम्पूर्ण समर्पण राष्ट्र के लिये कर दूँ। इसके लिये सम्पूर्ण पत्र के रूप में यह मुख्यमंत्री श्री मण्डलोई को लिख रहा हूँ। मैं सीधी पहुँचते ही अपनी जायदाद की पूरी फेहरिस्त बनाकर कलेक्टर को शीघ्र दे दूँगा। उस जायदाद में से जो कुछ और जिस समय भी सरकार उचित समझे युद्ध के लिये ले सकेगी।" माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 नवम्बर, 1962 को माननीय सदस्य ने यह पत्र दिया। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा में एक सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया जो 29 मार्च, 1963 को इस विधानसभा में आया। उसमें यह पूछा गया कि "क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि— (क) श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, विधायक सीधी ने सुरक्षा कोष में जो अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान में दी उसकी कीमत क्या है और किसने आँकी है? (ख) क्या यह सत्य है कि इस तरह के दान के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सरक्यूलर जारी किये हैं कि सम्पत्ति को बेचकर नकद रुपया कोष में जमा किया जावे? (ग) क्या यह सत्य है कि दानकर्ता की जायदाद इस आदेश के मुताबिक इसलिये नहीं बेची जा सकी क्योंकि उन्होंने पूर्णरूपेण दान न देकर स्वामित्व सुरक्षित रखते हुए केवल उपयोग का अधिकार शासन को दिया है? (घ) क्या यह सत्य है कि श्री तिवारी ने जो फेहरिस्त अपनी जायदाद की दी है उसमें अपनी जीप कार जो कि दान की वस्तुओं में सम्मिलित हैं, वह चार हजार रुपये में अन्यत्र कहीं गिरवी बताई है? इसका उत्तर है—

(क) श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, विधायक सीधी द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति सुरक्षा संबंधी कार्य में संकटकालीन अवधि में केवल उपयोग हेतु समर्पित की गई है, उसका दान नहीं दिया गया है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग में इस संबंध में आदेश जारी नहीं किये हैं। वित्त विभाग द्वारा इस विषय में आदेश प्रसारित किये हैं किन्तु वे इस प्रकरण को लागू नहीं होते (ग) और (घ) जी हाँ।"

इस संबंध में श्री चन्द्रप्रताप तिवारी जी ने भी स्पष्टीकरण दिया था जो इस प्रकार है:—

"मैं इसमें स्पष्टीकरण कर दूँ क्योंकि यह प्रश्न मेरे से संबंधित है, बाकी शासन का उत्तर ठीक है। मोटर में 4,000 का जो कर्जा है उसमें से हमने पेमेंट कर दिया और अब केवल डेढ़ हजार बाकी है और कार का उपयोग उस कर्जे की वजह से रुका हुआ नहीं था। वह हमारे उपयोग में आता था और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में पैसा इकट्ठा करने के लिये दौरे पर जाता था तो उपयोग में आया, मकान का जहाँ तक संबंध है रिक्रूटिंग आफिसर फौज के आये थे, कलेक्टर ने कहा इनको रहने के लिये चाहिये, हमने मकान भी खाली कर दिया, इतनी सूचना है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग उसी जिले के रहने वाले हैं, हमें यह अच्छी तरह से मालूम है कि एक दिन भी उनकी मोटर उपयोग में नहीं लाई गई। इसी कारण क्योंकि उस समय आप नेता थे प्रजा समाजवादी दल के...

श्री रामप्रकाश मल्होत्रा : जैसा कि आपने कहा कि उनकी जीप का जिले में कभी उपयोग नहीं हुआ है, तो आप माननीय सदस्य के खिलाफ झूठ का इल्जाम लगाना चाहते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो आपका कन्क्लूजन है, आप चाहे जैसा मतलब उसका निकाल सकते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी एक-एक चीज का जवाब दूँगा और मुझे आशा है कि श्रीमान् मुझको बोलने का मौका देंगे।

श्री रामेश्वर अग्निहोत्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह औचित्य का प्रश्न है कि माँग तो पुलिस सामान्य विभाग आदि की चल रही है और यहाँ पर व्यक्तिगत चरित्र पर छींटाकसी की जा रही है, क्या इस प्रकार की चर्चा करना यहाँ पर उचित होगा। मैं आशा करूँगा कि मंत्री जी अच्छा भाषण दे रहे हैं, इस चीज को कहकर अपने

भाषण को न बिगाड़ें तो ठीक होगा, अपना भाषण जारी रखें।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सचमुच में अर्जुनसिंह बड़ा खतरनाक आदमी है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अग्निभोज जी ने जो कहा, उसको मैं सर्वथा उचित मानता हूँ परन्तु जब इसी बजट पर और इसी अनुदान पर चर्चा करते हुए माननीय सदस्य ने आक्षेप लगाये हैं तो जब उस ओर कुछ कहा जाता है तो मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नज़र को देख रहा हूँ, इस प्रकरण को यहीं छोड़ देता हूँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूँगा कि इस प्रकरण का हमारे दल और सदन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इस प्रकार अधूरी बात कहना दुनिया को धोखे में डालना है और किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना है। आप पूरी-पूरी बात कहें, वर्ना हम तो यही समझेंगे कि कुछ बात नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : माननीय अर्जुनसिंह जी जितना चाहें मेरे संबंध में उतना कहें, और श्रीमान् से मैं प्रार्थना करूँगा कि वे मुझे कहने का मौका दें।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, श्री अग्निभोज जी ने जो कहा उसको श्री अर्जुनसिंह जी ने स्वीकार कर लिया और भी बहुत-सी बातें उनके बाबत कहें, इनको यहीं छोड़ दें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने यह किया कि उन्होंने सीधा आरोप लगाया, उसके संबंध में, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। वह आरोप यह था कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को जोड़ रखा है, जो सामन्तवादी हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, या तो अर्जुनसिंह जी, जो उन्होंने इल्जाम लगाया है उसको पूरा का पूरा वापस लें या पूरी-पूरी बात कहें।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जितना उन्होंने कहा है उसको वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ वे कहना चाहते हैं सम्पूर्ण बात कह डालें और मैं श्रीमान् से प्रार्थना करूँगा और सदन से भी प्रार्थना करूँगा कि मुझे भी मेरी बात कहने का मौका दिया जावे और सदन कुछ अधिक समय तक बैठे। मुझे भी कहने का मौका दिया जावे।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : आप तो दूसरे विषय पर बोलिये, इसको यहीं छोड़िये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि काँग्रेस पार्टी में...

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप जो कुछ कहना चाहते हैं, उसको सब को कह डालिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि जब आप बोल रहे थे तो मैंने कभी इन्हें नहीं रोका और न बीच में बाधा डाली और मैं जब बोलने खड़ा हुआ हूँ तो वे मेरी बात नहीं सुनना चाहते।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह सब पूरा कह डालें।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने पूरा कर दिया है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी तो नाराजी में कह रहे हैं कि सब कुछ कह डालिए, इन सब बातों की जरूरत क्या है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अब उन्होंने कह दिया अन्त में अब कुछ नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूँगा कि इस विवाद को यहाँ पर ही समाप्त किया जावे।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि हमने कटौती प्रस्तावों द्वारा बहुत से विषयों को उठाया है जिनमें हमारे सब-डिवीजन के मामले हैं तो इस बहस-मुबाहिसे में हमारे मामलों का भी जवाब मिल जावे तो उचित है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं और उनको कार्यान्वित करने के सुझाव दिये हैं, उनके लिये मैंने कहा है कि इन पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह आरोप जो लगाये जाते हैं कि कुछ फ्यूडल

एलेमेन्ट्स इकट्ठा हो रहे हैं, काँग्रेस के अन्दर। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति सामन्तवादी हो और वह उस वक्त हो जबकि काँग्रेस में आया हो और यदि वह जनसंघ और प्रजा समाजवादी दल में आ जावे तो क्या वह सामन्तवादी नहीं रह जाता है? यदि ऐसी मान्यता है और सदस्य महोदय का यही कहना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। सीधी से आये हुए एक माननीय सदस्य प्रजा समाजवादी सदस्य को हराकर आये हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी दोहरी मान्यता वह विधानसभा में रखने की चेष्टा करेंगे तो क्या यह विधानसभा के साथ अन्याय नहीं होगा?

श्री सूर्यदेव शर्मा : सामन्तवादियों को हम साँप-बिच्छू नहीं समझते इसलिये आलोचना होती है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सीधी से कौन किसको हरा कर आया है, आपका मतलब नहीं समझा?

श्री अर्जुनसिंह : वह धोंसर से आये हैं जो कि एक एक्स-जमींदार थे, जिनको आप बहुत बुरा मानते हैं, वह प्रजा समाजवादी के उम्मीदवार को हराकर आये हैं। यह मैं एक तथ्य बता रहा हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मुझे स्वीकार है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो शासन के प्रति शंकाएँ प्रकट की हैं और वे शंकाएँ माननीय मुख्यमंत्री और इस शासन के अन्य सदस्यों के प्रति की हैं तो इस शासन द्वारा पिछले डेढ़ वर्षों से जो काम कराया जाता है उसको देखते हुए यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह शासन समाजवादी समाज रचना के लिये अग्रसर है। इसमें आपस में मत-विभेद हो सकता है। हो सकता है जो रास्ता आप उचित समझते हों कि इस रास्ते से चलें तो हम न समझते हों और हमारा रास्ता आपको पसन्द न हो तो यह एक मत-मतान्तर का प्रश्न है। एक मत आप रखते हैं और जो हम रखते हैं, हो सकता है उसका मेल न खाता हो और इस तरह से आपकी शंकाएँ हमारे उद्देश्य के बारे में हों तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में इस शासन ने जो भी कार्य गत डेढ़ वर्षों में किये हैं वह चाहे तेंदू पत्ते के राष्ट्रीयकरण का हो या ट्रान्सपोर्ट के राष्ट्रीयकरण का हो, वह एक लक्ष्य सामने रखकर किये हैं और वह लक्ष्य यह है कि हमें अपने प्रदेश में समाजवादी समाज की रचना करना है और हमारे जो सीमित साधन हैं उसके बावजूद भी हम अपने प्रदेश में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को...

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम शाजापुर, सुसनेर तहसील कोर्ट के बारे में चार साल से प्रश्न उठाते आ रहे हैं, क्योंकि यह शाजापुर बहुत अन्बैलेंस्ड है। शाजापुर में इसका हैडक्वार्टर होने से तहसीलदार को 15-15 दिन का दौरा करना पड़ता है। अगर हैडक्वार्टर यहाँ हो तो दौरे-भत्ते में पैसा खर्च न करना पड़े, लोग भी बहुत परेशान होते हैं, केसेज में भी ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है। हमने पूर्व में भी इस चीज को प्रश्नों द्वारा उठाया था।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर विस्तार से इसलिये नहीं कहा और माननीय सदस्य ने जब यह बात कही तो टोका नहीं क्योंकि स्पष्टतः इसका संबंध राजस्व विभाग से है। मैं सामान्य विभाग के संबंध में चर्चा कर रहा था, इसलिये मैंने इसका उल्लेख नहीं किया। जब राजस्व विभाग की माँगों पर चर्चा होगी उस समय इस विषय पर कहा जा सकेगा।

श्री तुलाराम सगर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय मंत्री बार-बार कहते हैं कि इस मंत्रिमंडल को कार्य करते हुए डेढ़ वर्ष हुआ है, तो डेढ़ वर्ष का क्या मतलब होता है? यह दो वर्ष क्यों नहीं कहते, चार-पाँच वर्ष क्यों नहीं कहते? आने वाला शासन पिछले शासन के कामों का जिम्मेदार होता है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : डेढ़ वर्ष का मतलब 18 महीने होते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह मैंने नहीं कहा। मैंने डेढ़ वर्ष का उल्लेख मिश्र मंत्रिमण्डल के लिये किया है क्योंकि माननीय सदस्यों ने मिश्र मंत्रिमण्डल के संबंध में आपत्तियाँ की हैं, इसलिये मैंने उसको

इस काल के लिए सीमित रखा। वैसे जिम्मेदारी पूरी है और उस जिम्मेदारी को हम स्वीकार करते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो माँग रखी गई है, वह जो मंत्रिमण्डल है उसकी तरफ से रखी गई है। इसलिये मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसमें कोई बुराई मालूम नहीं होती और साल भर के लिये बजट बनाया जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अन्त में, मैं सदन से आग्रह करूँगा कि इन माँगों को स्वीकार करे ताकि आगामी वर्ष में जो हमारी योजनाएँ हैं उनको पूरा किया जा सके।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : श्रीमान्, मुझे स्पष्टीकरण का मौका देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : उनकी कौन-सी बात पर स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

चन्द्रप्रताप तिवारी : उन्होंने मेरे संबंध में जो बातें कही हैं उनका स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, कम-से-कम बीस मिनट उन्होंने लिये हैं, हमारे बाबत बोलने में।

अध्यक्ष महोदय : आपने उनके बारे में बोलने में बहुत समय लिया था। आप ज्यादा से ज्यादा जो उन्होंने आपकी जायदाद के संबंध में कहा है उसके संबंध में परसनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उन्होंने कहा है कि मेरी समाजवाद में आस्था नहीं उसका भी मुझे जवाब देना पड़ेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप दिन-रात कहते हैं कि हमारा ध्येय समाजवादी समाज व्यवस्था का नहीं है।

श्री रामप्रकाश मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सदन में गलत बोलने का भी आक्षेप लगाया है।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि खामियाँ हैं, तिवारी जी उनको पूरी कर दें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कटु शब्द कह सकता था लेकिन नहीं कहता, बड़ी अच्छी बात है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आपने यह बात कहने के लिये समय नहीं दिया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे साथ अन्याय होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अभी पुलिस विभाग और कई विभाग हैं जिन पर शासन का उत्तर होना है, फिर समय नहीं रह जावेगा।

अध्यक्ष : मैंने आपको परसनल एक्सप्लेनेशन के लिये समय दिया है। यह जनरल बहस की बात है कि कौन सोशलिस्ट है और कौन काँग्रेस मैन है। जो डायरेक्टली आपके संबंध में बातें आती हैं उनके संबंध में ही आप कहें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कभी वह अप्रासंगिक, निरर्थक बातें नहीं रोकीं.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है। मैं माननीय सदस्य की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने स्वयं देखा, आपसे प्रार्थना की कि इसे, इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जावे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : 'से दी मेक्जिमम दैट ही कुड से' वह अधिक से अधिक जो कुछ कहना चाहते हैं कहें। उनके पास रह ही क्या गया है?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : आपको क्या मालूम, शायद उन्होंने एक-चौथाई कहा हो और तीन-चौथाई बाकी हो।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उन्होंने कहा है, बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन किया है, अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन किया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मुझे कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना था उन्होंने कहा और सच्चाई कब तक छिप सकती है.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : चूँकि हमारा दल इस इल्जाम से बहुत प्रभावित है। अभी हाल अर्जुनसिंह जी ने कहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। उस पर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इशारा किया तभी संभवतः अर्जुनसिंह ने पूरा किया। बाद में मुख्यमंत्री का कहना है क्या मालूम एक-चौथाई कहा हो और तीन-चौथाई बाकी हो इसलिए उसमें कुछ नहीं है। चरित्र का इल्जाम है, बात बुरी होगी यदि हम कुछ न कहेंगे, अपने दल की बात।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बालि-सुग्रीव का झगड़ा उस बेंच पर भी शुरू हुआ है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : यहाँ न बालि की बहू पर सुग्रीव आशिक है और न सुग्रीव की बहू पर बालि आशिक है, यह तो वहीं हो सकता है। हमारे यहाँ साफ-साफ झगड़े होते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं माननीय तामोट जी से पूरा सहमत हूँ और अध्यक्ष महोदय, आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि माननीय अर्जुनसिंह के पास जो कुछ मसाला हो मेरे खिलाफ वह कहें, या मुख्यमंत्री जी साफ कहें कि उनके पास ऐसा नहीं है तो कहें या शब्दों को वापस लें। मैं इतनी बात चाहता हूँ, मैं अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ, अभी तो मेरी उनकी चली है, सदा चले, बाद में छिन्दवाड़ा आयेगा.....

अध्यक्ष : उनका कुछ कहना नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी यह हो सकता है उनके पास तीन-चौथाई बाकी हो। मैं यह चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री माननीय राज्य मंत्री से यह बात पूछें।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, तामोट जी ने कम-से-कम ठीक तरह से उद्धृत किया। यह स्पष्ट है मैंने और अध्यक्ष महोदय ने उनको रोका है और तीन-चौथाई कहा तो शायद शब्द लगा है। मैं क्या जानूँगा कि तीन-चौथाई है या आधा है या 1 परसेन्ट बचा है। मैंने रोक दिया इतना स्पष्ट है और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि आपने शुरू किया, उन्होंने कुछ कहा फिर आपने कहा और फिर उसके बाद जब समय मिले तब कहना। अधिकांश लोगों को कुछ दिलचस्पी नहीं है। कभी फिर मौका मिल जायेगा फिर आप उनको रगड़ना और कहना, आज भी हो जायेगा, पुलिस विभाग में कुछ नहीं है, ग्राम पंचायत में कुछ नहीं किया और मैं माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूँगा कि 5 बजे माँगों को.....

अध्यक्ष महोदय : मैं समय बढ़ाऊँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मगर, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी मुझको मौका नहीं देते। हमेशा आज यहाँ और बाहर जहाँ कहीं भी माननीय राज्य मंत्री जो कुछ भी कहना चाहें मैं तैयार हूँ। मुझे अपने आचरण पर भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह याद रखें कि शीशे के मकान में रहने से पत्थर दूसरी तरफ नहीं फेकेंगे, नहीं तो काँच टूट जाता है और उसको ही लगता है। मेरे बाबत ज्यादा नहीं कह पायेंगे। मैं उनका ग्रंथ लिख सकता हूँ। आपने कहा सीलिंग कानून में मैंने तरमीम दिया और वह पास हुआ।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आपने उनको कुछ जायदाद वाले मामले में कहने को समय दिया है।

अध्यक्ष : कानून के संबंध में उनका कोई आक्षेप नहीं है। आपकी जायदाद के सिवाय और कुछ आरोप नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि वह सोशलिस्ट हैं और उनको मौका मिला है। मुझे यह मौका हो कि मैं सिद्ध करूँ कि मैं बेहतर सोशलिस्ट हूँ। उसका मौका मिलना चाहिए। आप नहीं देंगे तो बात दूसरी है। तो मैं श्रीमान् से कहूँ, मैं चाहता हूँ इस बारे में, सीलिंग के कानून के बारे में बातचीत कर लें।

श्री अर्जुनसिंह : मेरे सर्टिफिकेट के संबंध में हो तो मैं प्रस्ताव करूँगा कि आप सबसे बड़े सोशलिस्ट हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपने पहले दूसरी बात कही और अब दूसरी बात कहने लगे। तो मैं सीलिंग के बारे में थोड़ा-सा निवेदन कर दूँ.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि अर्जुनसिंह जी ने खुद मुझसे कहा है कि कुछ दिन तिवारी जी उनके गुरू रह चुके हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मुख्यमंत्री ठीक कहते हैं। मैंने द्रोणाचार्य के पाँव छूकर काम शुरू किया है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : गुरू मानकर शुरू किया है, इसलिये अब तो क्षमा कर दें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : गुरू के कई अर्थ होते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की बात मानकर छोड़ता हूँ। तो आपको चाहिए था कि मैंने जितने पत्र लिखे थे उन सभी को उद्धृत करते और कम-से-कम जो पत्र आपने पढ़ा था उसको पूरा पढ़ते तो सदन में बात साफ होती। मैंने मण्डलोई साहब को वह समर्पण-पत्र दिया था, डेढ़ पेज का साइक्लोस्टाइल पत्र था और उसको देने के बाद सीधी पहुँचा तथा कलेक्टर को सूचना दी कि कल टाऊन हॉल

में मीटिंग करूँगा, आप पधारें और मेरी जायदाद का ब्यौरा लें। पूरे शहर को बुला लें और सारी पार्टी के लोग आये, काँग्रेस के प्रेसीडेन्ट आये, जनसंघ के भाई आये और उनके सामने अपनी जायदाद का ब्यौरा दिया। मेरी पत्नी ने जेवरात उतारकर कलेक्टर को दिये। इसकी काँग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने प्रशंसा की, जनसंघ के भाई ने प्रशंसा की लेकिन उसके बाद करीब दस-पन्द्रह दिन, सोना ले लिया मैंने रुपया ले लिया लेकिन मकान, मोटर कुछ नहीं लिया, तब, कलेक्टर को फिर से याद दिलायी कि मेहरबानी करके मकान लीजिए, मोटर लीजिये और सब लीजिए क्योंकि सब समर्पित है। तो कलेक्टर ने कहा, ऊपर से आर्डर के इंतजार में हूँ। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, वह भी डेढ़ पेज का था, और स्पष्ट लिखा था कि मेरी आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि जो सारी की सारी जायदाद नेशनल डिफेन्स के लिये समर्पित किया है उसको लें और सम्हाल करें। उसके बाद मुझे यह खबर मिली, मैं नहीं कहता कहाँ तक सही है या गलत है, यह मामला कैबिनेट में गया कि भुखमरे की जायदाद ले लेंगे 30-35 हजार की तो शायद मंत्रिमण्डल के सामने संकट आ जाये लेकिन डेढ़ महीने बाद उत्तर मिला कि शासन ने निर्णय किया है कि अभी कोई जायदाद नहीं ली जायेगी। यह उत्तर मुख्यमंत्री जी का मिला। इसके बाद मैंने विधानसभा में एक कत्थे के चोरी का देवसर का सवाल उठाया तो अर्जुनसिंह जी को कुछ बुरा लगा। तो अपने एक मित्र द्वारा सवाल मेरे बारे में उठवाया गया.....

श्री अर्जुनसिंह : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। आपने उन्हें स्पष्टीकरण का मौका दिया है या आरोप लगाने का मौका दिया है। अगर वे आरोप लगाते हैं तो मैं फिर स्पष्टीकरण दूँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। देवसर के कत्थे के चोरी का सवाल उठाया था। उस चोरी के प्रकरण के सामने आनें से किसी वजह से आपको परेशानी थी.....

अध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंह जी ने जो प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है उसमें जोर है। मैंने आपको पर्सनल एक्सपलेनेशन देने के लिए कहा था। अब अगर आप उन पर आरोप लगायेंगे तो उनको भी जवाब देने के लिए समय देना पड़ेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी लेकिन उस प्रश्न का जिसका हवाला दिया.....

श्री सूर्यदेव शर्मा : शास्त्रार्थ का दिन नियत कर दिया जाये। आज मुख्यमंत्री जी अपने दोनों पट्ठों को सम्हाल लें और खत्म करें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो जिन माननीय विधायक के संबंध में कहा था कत्था चोरी के संबंध में.....

श्री अर्जुनसिंह : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि विधानसभा की पवित्र प्रक्रियाओं का किसी माननीय सदस्य ने अपने निज लाभ के लिए उपयोग किया और प्रश्न रखकर दबाव डाला कि यहाँ यह सवाल न उठायें.....

अध्यक्ष : माननीय तिवारी जी आप सुनें। माननीय अर्जुनसिंह को छोड़िए। माननीय विधायक, क्या किसी भी माननीय विधायक के संबंध में यह कहना उचित है, यह बात आप स्वयं सोचें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आज नहीं कहा था उस समय मैंने कहा था और कई बार कहा था तो मैं चाहता हूँ कि श्रीमान् इसके संबंध में अवश्य कुछ जाँच करवायें और उनसे डिनाई करवायें यह श्रीमान् की बड़ी कृपा होगी।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, अगर कलेक्टर ने कोई रजिस्ट्री उस समय नहीं की थी तो उसको अब किया जा सकता है उसमें क्या हर्ज है?

अध्यक्ष : अग्निभोज जी आप तिवारी जी से इतने क्रोधित क्यों हैं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, तो आखिर वह सवाल आया तो उस समय मुख्यमंत्री तो वही थे तो सारा पत्र-व्यवहार उनका कलेक्टर से हुआ और उसके आधार पर उन्होंने जवाब दिया। अब उसमें सवाल क्या रखा गया कि 'दान' और मैंने उसमें लिखा है 'समर्पण'। मैंने लिखा है कि मेरी सारी जायदाद राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए समर्पण है। मैंने उसको राष्ट्रीय रक्षा के लिए दान नहीं दिया था क्योंकि मैं तो छोटा-सा आदमी हूँ। मेरे पास है ही क्या जो कि किसी को दान देता और जो इस तरह से राष्ट्रीय रक्षा के लिए दान देता है उससे ज्यादा

मूर्खता और क्या होगी। तो उसके अन्दर जो पवित्र भावना थी उसको तो नहीं समझे और कानून के अन्दर उसको खींचने लगे। तो उस बारे में शासन का जो उत्तर था उसको मैंने कहा कि ठीक है। अब वह जो मोटर थी उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय रक्षा में हुआ है और क्या वे कह सकते हैं कि उस मोटर का उपयोग राष्ट्र रक्षा में नहीं हुआ। मंत्री जी सीधी जिले से आते हैं, वे जानते हैं कि उस मोटर का इस्तेमाल हुआ है और अगर इन्कार करें तो वे आज भी जाँच कर सकते हैं कि राष्ट्र रक्षा में चंदे की वसूली के समय उस मोटर का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसकी जाँच करें और उस जाँच से यह साबित हो जायेगा, मैं सच कह रहा हूँ और मंत्री जी झूठ कह रहे हैं, यह स्पष्ट हो जायेगा। और आप कलेक्टरों पर अपना अच्छा प्रभाव रखते हैं तो आप कलेक्टरों को खत लिखकर के इसकी जानकारी मँगवा लीजिए कि मोटर राष्ट्र रक्षा में चन्दे की वसूली के समय इस्तेमाल में आई या नहीं। अब दूसरी बात जब मिलिट्री ऑफिसर रिक्रूट करने के लिए सीधी गया था तो मैंने कहा था कि मिलिट्री ऑफिसर आने वाले हैं, मैं उनके लिए मकान खाली कर दूँ या कमरे से काम चले तो कमरा खाली कर दूँ। तो कलेक्टर ने कहा था कि हम आपके मकान में मिलिट्री ऑफिसर को नहीं ठहरायेंगे, हम उनको सरकिट हाऊस में ठहरायेंगे। तो जब यह सवाल आया था तो आप तो उसमें विशेष दिलचस्पी रखते थे। आप इस बारे में कलेक्टर से पूछ सकते थे और अगर नहीं पूछ सकते थे तो बड़े भारी जनप्रिय नेता किसान पंचायत के सम्पादक डी.सी.सी. के प्रेसीडेन्ट से आप पूछ सकते थे। तो यह चीज बहुत समय आपके मन में थी और मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुझे इस बात का स्पष्टीकरण करने का मौका मिला, और जब आप मिलिट्री का बिल लाये थे इस विधानसभा में तो क्या आपको मालूम नहीं था कि आपकी आँखों में चश्मा लगता है?

अध्यक्ष : नहीं अब उसको आप न कहें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : न कहूँ, अच्छी बात है न कहूँगा। अब मैं एक मिनट में ही खत्म करता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कोई त्यागी-तपस्वी नहीं हूँ जैसा कि श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा कि मैं समाजवादी नहीं हूँ। यह हो सकता है क्योंकि हमने, अध्यक्ष महोदय, अपनी माँ का दूध पिया है, कभी किसी मेम का दूध नहीं पिया, पक्के समाजवादी कैसे हो सकते हैं, हमने कभी स्वतंत्रता संग्राम के समय अँग्रेजों से मिलकर जनता पर गोलियाँ चलवाकर राजा बहादुर की पदवी नहीं ली इसलिये शायद समाजवादी न हों।

अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अब आप बैठें।

श्री वसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वाहनों पर कर, यातायात आदि विभागों की माँग जो प्रस्तुत की गई, उस पर जो कटौती प्रस्ताव आये हैं और जो खास-खास बातें उस पर उठाई गई हैं, जो गंभीर आरोप लगाये गये हैं, उनका जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस झगड़े में पुलिस बच गई।

अध्यक्ष : मैं सदन से निवेदन करूँगा कि वह कम से कम सवा-पाँच बजे तक बैठने की कृपा करें।

श्री हरिभाऊ जाशी : अध्यक्ष महोदय, आप सदन का समय बढ़ा रहे हैं। जैसी सदन की परम्परा रही है, जितने कटौती प्रस्ताव आये हैं उनका सबका अगर जवाब मिलता है तो ठीक है और यदि सबका जवाब नहीं मिलता तो फिर बाद में बैठने का क्या मतलब है?

श्री वसन्तराव उइके : उनका जवाब दिया जायेगा।

श्री हरिभाऊ जोशी : अगर समय बढ़ाकर जवाब देना है तो जो हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं उनके बारे में जवाब मिलना चाहिये।

अध्यक्ष : वे कहते हैं कि जवाब मिलेगा।

श्री हरिभाऊ जोशी : जवाब क्या मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहते हुए दुःख है कि जब मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देने के लिये सवा घण्टे का समय चाहिये तो कहा गया कि क्या जरूरत है, एक घण्टा, आधा घण्टा दे दीजिए। अब जब मैंने कहा कि 15 मिनट में जवाब हो जायेगा तब आप कहते हैं कि 1 घण्टा रखा जाये। आप पहले

यदि यह कहते कि दो घण्टों का समय उनको दीजिये, तो मैं उनको यह समय देता जब वे मुझसे समय माँग रहे थे।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 3 मार्च 1965, पृष्ठ/1656-1671)

राज्यमंत्री कृषि श्री अर्जुनसिंह ने 25 मार्च 1965 को अपने विभाग की माँगों का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। अनेक सदस्यों ने इन माँगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। सदस्य श्री यशवन्तराव मेघावाले (कुरुद) ने माँगों पर चर्चा आरंभ करते हुए कहा कि नौजवान कृषि मंत्री से जो अपेक्षाएँ थीं वे पूरी नहीं हो सकी हैं। उन्होंने पैदावार में हो रही धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त किया। चर्चा 26 मार्च को भी चली। सदस्य श्री विनय कुमार दीवान ने तो अधिकारों के दुरुपयोग का ही आरोप लगा दिया। इस चर्चा में श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने भी व्यक्तिगत तानाकशी की।

26 मार्च को इन सब आरोपों का बहुत ही शालीनतापूर्वक उत्तर देते हुए श्री अर्जुनसिंह ने कहा कि श्री तिवारी और श्री दीवान ने जो आरोप लगाये हैं उनसे मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुँची है। इस प्रकार के अपमानित जीवन में रहना कोई भी पसन्द नहीं करेगा। श्री अर्जुनसिंह ने श्री विनय कुमार दीवान को ही अपना त्याग-पत्र सौंपते हुए पत्र लिखा कि वे मेरे द्वारा पद के दुरुपयोग संबंधी कारणों पर हलफनामा अदालत में दें। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इसकी जाँच किसी हाईकोर्ट के जज से करवाई जाये। यदि मैं दोषी पाया जाऊँ तो मैं मंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूँगा। उन्होंने जोर देकर साहसपूर्वक कहा कि प्रजातंत्र में मेरी गहरी आस्था है और उसे मैं अक्षुण्ण बनाये रखना चाहता हूँ। चर्चा के अंश यहाँ प्रकाशित हैं :—

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल से माननीय सदस्य कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग की माँगों पर चर्चा कर रहे हैं और विशेषकर कृषि विभाग की माँगों पर बोलते हुए हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने पैदावार की वृद्धि में हो रही धीमी प्रगति पर अपनी उद्विग्नता और रोष प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रत्येक सुझाव का आदर करता हूँ और मैं उनको सदैव की भाँति आश्वस्त करता हूँ कि उनके जो सुझाव हैं वे विभाग द्वारा यथासंभव कार्यान्वित किये जावेंगे। जहाँ तक आपकी उद्विग्नता और रोष का प्रश्न है वह ठीक है और मैं इसमें हिस्सा बँटाना चाहता हूँ। लेकिन जब हम अपने देश में विद्यमान कुछ मूल तथ्यों की ओर नजर डालते हैं तो केवल उद्विग्नता और रोष से ही काम नहीं चल सकता है। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि वे इसके लिए कुछ आँकड़ों को देखें कि इस प्रदेश में 49 लाख अलग-अलग खाते हैं जिनमें कि प्रदेश की कृषि योग्य भूमि विभाजित है। इनमें 75 प्रतिशत ऐसे खाते हैं जो कि 10 एकड़ से कम हैं और उनके मालिक 1 करोड़ 6 लाख विभिन्न-विभिन्न किसान हैं जो कि 76 हजार ग्रामों में रहते हैं। तो जब हम प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें इन आँकड़ों को भी देखना चाहिये और तब इस पर चर्चा करना या बात करना उचित है। तो आज हमको यह सोचना पड़ेगा कि जो किसान खेती में दूर-दूर फैले पड़े हैं उनको हम किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से सहायता पहुँचा सकते हैं। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय चन्द्रप्रताप तिवारी जी और माननीय दीवान साहब ने जो आशंका की थी उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैं उसका स्पष्टीकरण करूँ या उसके लिए अर्चना करूँ यह मेरी समझ में नहीं आ सका है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर जो होशंगाबाद के किस क्षेत्र से आये हैं मुझे मालूम नहीं इसलिये, मैं उनको होशंगाबाद से आये हुए विधायक ही कहूँगा। मेरे ऊपर कुछ चार्जेज लगाये हैं, मुझे यह नहीं मालूम कि उनको यह जानकारी कहाँ से मिली है। उसमें माननीय सदस्य ने यह कहा था सन् 62 में मैंने पूजनीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उसमें अपना एक वर्ष का जो मार्केटिंग सरप्लस है, देने का वादा किया। माननीय सदस्य स्वयं तो कुछ स्पष्ट कह नहीं कह पाये लेकिन माननीय चन्द्रप्रताप तिवारी जी ने खड़े होकर कहा— मेरे पास पूरी प्रोसीडिंग है— "दान का कहा था और फिर एक कौड़ी भी नहीं दी गई।" माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति लेकर कुछ डाकूमेन्ट सदन के पटल पर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहला डाकूमेन्ट दिनांक 7-2-64 का लिखा हुआ एक पत्र है जो मैंने जिलाधीश

सीधी को लिखा था। मैंने उसमें उन्हें यह सूचना दी थी कि मैंने बैंक ड्राफ्ट नम्बर एन. 597576, दिनांक 7-2-64 के द्वारा श्रीमती इन्दिरा गाँधी को, जो सेन्ट्रल सिटिजन कौंसिल, न्यू दिल्ली की चेयरमेन हैं, एक हजार रुपया भेजा है, जिसकी सूचना भेज रहा हूँ। उसमें मैंने उन्हें यह भी लिखा था कि इसका प्रचार न किया जाए क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि व्यक्तिगत कर्तव्यपालन अपना धर्म है और व्यक्तिगत कर्तव्य का पालन का एक सार्वजनिक कार्यकर्ता द्वारा स्वयं ढिंढोरा पीटना न केवल अनुपयुक्त है बल्कि नैतिकता के विरुद्ध भी है। इसी धारणा की वजह से मैंने जिलाधीश सीधी को लिखा था।

Consistant with my previous views expressed to you in this matter, I would request you not to give any publicity to this question.

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सुरक्षा फण्ड की तरफ से जो मुझे रसीद आई, वह है न्यू दिल्ली, 17-2-64, रसीद नम्बर 35921.

Received with thanks from Shri Arjun Singh Minister State for Agriculture Bhopal (M.P.) the sum of Rs. one thousand only by cash/money orders/cheque on 7-2-64.

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गाँधी की ओर से जो सूचना आई, उसमें लिखा है :—

I am directed by Shrimati Indira Gandhi to acknowledge with thanks the receipt of your letter dated the 7th February, 1964 and the Demand Draft for Rs. 1,000/- sent therewith. The Draft is being sent to the Secretary National Defence Fund for credit to the Fund Account as your contribution.

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर वह कहते हैं कि मैंने एक कौड़ी भी सुरक्षा कोष में दान नहीं दिया। मैंने एक गलती जरूर की थी कि मैंने इन सब चीजों को विज्ञापनार्थ नहीं भेजा था जैसा कि श्री तिवारी जी ने अपने तथाकथित दान या सम्पूर्ण समर्पण-पत्र का किया था, मैंने जान बूझकर यह गलती की है और इसी की सजा मुझे मिलती है तो सहर्ष झेलने को तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि वे विधानसभा के जिम्मेदार सदस्य हैं, कोई भी तथ्य इस सदन में कहने के पहले जिम्मेदारी के नाते वे मुझसे भी पूछे होते तो क्या बिगड़ जाता। मैं जानता हूँ, प्रेरणा किसी और की थी, बोल कोई और रहे थे।

श्री कृष्णपालसिंह : प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, क्या तिवारी जी ने आक्षेप लगाया धा और यह कहा था कि उन्होंने एक कौड़ी भी नहीं दिया है। यदि ऐसा कहा था तो उन्हें अपने वे शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : ऐसा प्रोसीडिंग में लिखा है।

श्री कृष्णपालसिंह : क्या वे इसको ध्यान में रखते हुए अपने शब्द वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं शब्द वापस नहीं लूँगा। मैं साफ कर दूँ, इन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें यह लिखा था कि एक साल का जो मार्केटिंग सरप्लस होगा, वह देंगे। यह रुपया भेजा गया पहले और ऑफर दिया गया बाद में।

श्री अर्जुनसिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय सदस्य के कहने का यह आशय है कि मैंने पैसा पहले दिया और पत्र बाद में लिखा?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जहाँ तक मैं समझता हूँ पत्र लिखा नवम्बर 62 में और रुपया भेजा फरवरी 62 में। अब आप सोच लें कि नवम्बर पहले होता है या फरवरी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, फरवरी 62 में न इमरजेन्सी थी और न चीनी आक्रमण हुआ था। मैंने वे पत्र पटल पर रखे हैं, सदन देख सकता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैंने ठीक से सुना नहीं था कि आपने क्या बताया।

श्री अर्जुनसिंह : जब आपने सुना नहीं तो खड़े क्यों हो गये बोलने के लिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पत्र लिखा नेहरूजी को, चेक भेजा इन्दिरा गाँधी को। लोगों ने मध्यप्रदेश सरकार को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, मन्त्रियों को दिया, कलेक्टरों को दिया, वी.डी.ओज. को दिया। लेकिन उन्होंने एक को पत्र लिखा और दूसरे नेता को रुपया भेजा। क्या यह मन्त्री पद में आने की होड़ का प्रतीक

नहीं था। एक बात.....

श्री कृष्णपालसिंह : आप एक बात मानते हैं, इसमें प्रान्त का और केन्द्र का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है.....।

अध्यक्ष : आप बैठें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं शब्द वापस नहीं लेता, उसका कारण है।

अध्यक्ष : अब आप बैठें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है.....

श्री चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी : मेरा औचित्य का प्रश्न है और वह यह कि श्री तिवारी जी द्वारा अभी सदन की परम्परा के खिलाफ यह कहा गया कि मन्त्री पद पाने की होड़ लगी हुई थी, यह शब्द अपमानजनक है। उन्हें वह शब्द वापस लेना चाहिये।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों प्रश्नों पर क्या डिमान्ड का पास होना या फैल होना निर्भर है? डिमान्ड्स का पास होना या फैल होना इन बातों के ऊपर निर्भर नहीं है, अतः यह व्यक्तिगत बहस न की जावे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरा औचित्य का प्रश्न है। उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने शब्द वापस लेने का कहा है, उसका जवाब दूँ या नहीं?

अध्यक्ष : वह हो गया।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं एक लाइन में यह कहना चाहता हूँ कि इसका क्या प्रमाण है कि उस जमीन की मार्केट वेल्यू एक हजार रुपये एकड़ थी, जो सेल की है जब कि 3 1/2 सौ एकड़ आपके पास वेस्ट लैण्ड है।

इसके बाद मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री जी ने अभी स्पष्ट रूप से कहा है और एक बार नहीं दो बार कहा है कि माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उनके पास पूरी सूचना नहीं थी और वह दूसरों की प्रेरणा से बोल रहे थे। श्रीमान्, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि किसी भी सदस्य पर क्या इस तरह का लांछन लगाया जा सकता है कि वह अपने मन से नहीं बोल रहे थे, दूसरे की प्रेरणा से बोल रहे थे।

अध्यक्ष : यह औचित्य का प्रश्न बिलकुल नहीं है प्रेरणा का अंग्रेजी में अर्थ होता है, इंन्स्पीरेशन (Inspiration)। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इन्स्पीरेशन ले सकता है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि वह तथ्यों को जान लें। तिवारी जी ने 3 1/2 सौ एकड़ जमीन मेरे पास बताई है यदि सचमुच मेरे पास होती तो क्या कहना था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सीलिंग के कानून से बचने के लिये बेच दी है और उसका मुआवजा भी अधिक ले रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे पास किसी भी समय 3 1/2 सौ एकड़ जमीन नहीं थी, मैं चैलेंज करता हूँ तिवारी जी को उनके परिवार को मेरे पिताजी ने दी होगी तो बात दूसरी है। मेरे पास 3 1/2 सौ एकड़ जमीन नहीं है, यह बात रेवेन्यू रेकार्ड से सिद्ध है।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री विनयकुमार दीवान ने एक दूसरा आक्षेप लगाया और उसमें एक पत्र का उल्लेख किया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह के पत्र हम लोगों के पास और प्रत्येक माननीय मंत्रियों के पास अनेकों आया करते हैं, लोग लिखा करते हैं, आपने यह करवा दिया वह भी करवा दें। लेकिन यह पत्र माननीय सदस्य के पास है, यह प्रमाणित हो गया, मेरे पास तो आया नहीं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपके बंगले से आया है, उसमें यह लिखा है कि आपने यह नाजायज काम करवा दिया उसके लिये धन्यवाद, एक नाजायज काम और करवा दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे अभी तक यह नहीं मालूम था कि हमारे घर से चोरी भी माननीय सदस्य कराया करते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : नहीं तो मंत्रियों को पकड़वायेंगे कैसे।

श्री अर्जुनसिंह : लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जो भी आग्रह इस पत्र में किया गया है उसमें से कोई भी काम मैंने किसी भी अधिकारी से नहीं कराया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उन्होंने पत्र में यह लिखा था कि आपने जो काम करा दिया है उसके लिये धन्यवाद एक काम और कमिश्नर से करा दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता पर इतने हल्के स्तर पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। जितने हल्के स्तर पर माननीय दीवान जी तथा श्री तिवारी लगाते हैं। यहाँ विधानसभा में आने में और राजनैतिक जीवन में आने पर मेरी कुछ मान्यताएँ थीं और मैं समझता हूँ कि हर मनुष्य को कुछ मान्यताएँ रखनी चाहिये। मैं अपनी इन्हीं मान्यताओं के आधार पर कार्य करने की चेष्टा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने जो बातें बताई हैं उनके द्वारा मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुँची है। मैं इसको इसलिये और भी गंभीरता से देखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी आपका थोड़ा-सा भी प्रेम पाया होगा वह अपने आत्म सम्मान पर ठेस पहुँचने पर इस मंत्रिमण्डल की सदस्यता से क्या इस विधानसभा की सदस्यता से क्या, वह इस प्रकार के अपमानित जीवन में रहना पसन्द नहीं करेगा। इसके पश्चात् भी अध्यक्ष महोदय, मैं एक मानव हूँ और वे सभी कमजोरियाँ जो मानव में होती हैं वे मुझ में भी हैं, हो सकता है श्री तिवारी इन कमजोरियों से मुक्त हों, इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र श्री दीवान को लिखा है और साथ में अपना त्याग-पत्र भी शामिल कर दिया है, इस पत्र में मैंने उनसे आग्रह किया है कि आज की दिनांक से दस दिन के अन्दर मेरे मंत्रिमण्डल में आने के बाद पद के दुरुपयोग के जितने भी उदाहरण इकट्ठे कर सकते हों उनको तैयार कर लें और उन पर अपना हलफनामा लगाकर अदालत में दे दें और मैंने जो त्याग-पत्र उनके पास भेजा है उसको वे मुख्यमंत्री महोदय को भेज दें। उस त्याग-पत्र में मैंने मुख्य मंत्री महोदय से जो कि न केवल हमारे मंत्रिमण्डल के मुखिया हैं बल्कि जिनमें व्यक्तिगत रूप से भी मेरी निष्ठा है और श्रद्धा करता हूँ, यह निवेदन किया है कि वह जो भी मेरे विरुद्ध इलजाम लगाये गये हों उनकी जाँच किसी भी हाईकोर्ट के जज से करायें और अगर मैं उसमें दोषी पाया जाऊँ तो मंत्री परिषद् से तो त्याग-पत्र देना अनिवार्य है ही, मैं विधानसभा से भी त्याग-पत्र दे दूँगा; और यदि यह हलफनामा न पेश करें तो मेरे प्रति उठाये गये प्रवाद के लिए सदन में क्षमा याचना करें। मैं यह प्रार्थना किसी घमण्ड या अभिमान से नहीं कर रहा हूँ। केवल प्रजातंत्र की पवित्रता जिसमें कि मेरी गहरी आस्था है, उसे अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए कह रहा हूँ। अपनी निष्ठा, अपनी मान्यताओं एवं अपने कर्तव्य को समझते हुए मैंने यह निवेदन किया है। माननीय तिवारी व दीवान जी आये दिन स्वस्थ परम्पराओं की दुहाई देते रहते हुए भी उल्लंघन करते रहते हैं, वह क्या करेंगे मैं उनके विवेक और हिम्मत पर छोड़ता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 26 मार्च 1965, पृष्ठ/2934-2939)

29 मार्च 1965 को वित्त मंत्री श्री शम्भुनाथ शुक्ल ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 1965 प्रस्तुत किया। विधेयक पर श्री सुन्दरलाल पटवा ने चर्चा प्रारम्भ की। इस विधेयक पर 30 मार्च को भी चर्चा जारी रही। चर्चा में श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने हिस्सा लिया। उन्होंने 26 मार्च को कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह द्वारा सदन में दिये गये भाषण का उल्लेख करते हुए पुनः उन पर आरोप लगाये साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि— "अगर एक नौजवान मंत्री इस तरह की भावना व्यक्त करता है कि वह खुली जाँच हाईकोर्ट जज से कराने के लिये तैयार है तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। यदि उनका ऐसा ही तरीका रहा तो अपने जीवन में सफलता पा सकेंगे।" 29 मार्च की चर्चा के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं—

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी) : अध्यक्ष महोदय, अभी 26 तारीख को माननीय कृषि मंत्री अर्जुनसिंह ने सदन में यह जाहिर किया कि वह हाईकोर्ट जज के द्वारा जाँच कराने के लिये तैयार हैं। मैं इसके लिये उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। किसी भी नौजवान मंत्री को हमेशा इसके लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री सूर्यदेव शर्मा : मेरी समझ में इस समय अर्जुनसिंह जी को बुलवा लिया जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : वह जा रहे थे मैंने इशारा किया था तो उन्होंने भी इशारे से कहा था कि वह आ रहे हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : मैं बुला लाऊँ जाकर।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : देखिये वह आ भी गये। अगर एक नौजवान मंत्री इस तरह की भावना व्यक्त करता है कि वह खुली जाँच हाईकोर्ट जज से कराने के लिये तैयार है तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। यदि उनका ऐसा ही तरीका रहा तो अपने जीवन में सफलता पा सकेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह ब्राह्मण का आशीर्वाद है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : कृपा करके शांति से सुन लें। इसमें एक कठिनाई आती है। जो बात वह कह रहे हैं, उसमें वह कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वह खुली जाँच कराने के लिये हाईकोर्ट जज को नियुक्त करें। आज का जो तरीका है, उसमें हमें एक डर है। मुख्यमंत्री का काम होता है कि वह मंत्रियों को बचाये, प्रधानमंत्री का जैसे काम होता है कि वह प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को बचाये। इसके अनेकों उदाहरण देश में हैं, जैसे सी.बी.आई. रिपोर्ट है और कैरों का जाँच प्रकरण है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री जी यह वचन देने को तैयार हैं, जैसा अर्जुनसिंह जी ने कहा है, अगर एफिडेविट फाइल होगी तो वह निश्चित रूप से हाईकोर्ट जज को मुकर्रर करेंगे जाँच कराने के लिये। नहीं तो फिर कह देंगे कि यह छोटा-मोटा मामला है और जाँच कराने के आदेश न दें। फिर कहा यह जायेगा कि मंत्री जी तो बहादुर हैं, वह बच जायेंगे, और खुली जाँच होगी नहीं। दूसरी बात यह कि मुझे जानकर दुःख हुआ। माननीय कृषि मंत्री जी अर्जुनसिंह जी विद्वान हैं, समझदार हैं, और उम्र कम होते हुए भी अनुभवी हैं और संसदीय परम्पराओं के प्रति उनकी आस्था है यह मैं भी मानता हूँ। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जो विधानसभा में बात कही गई है तो उसी के आधार पर वह हाईकोर्ट जज से जाँच कराने के लिये तैयार क्यों नहीं हैं। जब एफिडेविट फाइल किया जायेगा तभी जाँच कराने के लिये तैयार हैं। विधानसभा का गौरव न्यायालय से कम है, क्या आप ऐसा मानते हैं। अगर ऐसा मानते हैं, तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हो सकता। शायद इसके पीछे यह भावना हो सकती है, जैसा अक्सर होता है, अगर किसी ने आपके सम्बन्ध में कोई बात कही तो कह दिया कि मैं उसको ठीक करूँगा। अगर यही भावना है और इसी दृष्टि से बाहर जाकर एफिडेविट फाइल करने की बात कही है तो उस हालत में मंत्री जी बरी होंगे और जिसने एफिडेविट फाइल किया है, जाँच में वह सही न पाया जाने पर उसको सजा दिला सकेंगे। अगर आपकी यही भावना है तो भी हम उसका स्वागत करने के लिये तैयार हैं। हम विरोधी पक्ष के लोग किसी मामले में डरते नहीं हैं। यदि वह साबित नहीं तो उसके लिये सजा पाने के लिये सहर्ष तैयार रहते हैं। मंत्री जी अगर कहें कि यह सदन के बाहर कहो, परचे छापकर बाँटो और भाषण दो, तो उसके लिये भी हम निश्चित रूप से तैयार हैं। विधानसभा का गौरव न्यायालय से ऊँचा है, उन्होंने विधानसभा का गौरव कम करने की बात कही है, यह उनके कथन से स्पष्ट होता है, इसका मुझे अफ़सोस है। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय यह स्पष्ट आश्वासन दें कि इसमें किसी तरह की टाल-टूल नहीं होगी और हाईकोर्ट जज से इसकी जाँच कराई जायेगी तो मैं सदन में यहाँ पर श्री दीवान साहब की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि वे एफिडेविट करेंगे और उसका जो भी परिणाम होगा यदि उनके पक्ष में हुआ तो आपको भोगना पड़ेगा और आपके पक्ष में होगा तो वे भोगेंगे। दूसरी बात यह कही गई थी कि मेरा और श्री अर्जुनसिंह जी का कुछ झगड़ा है, यह बात बिलकुल गलत है मेरा और उनका कोई झगड़ा नहीं है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और सदन में जो कुछ भी आलोचना करता हूँ वह इसलिये नहीं करता हूँ कि उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे। वह इसलिये करता हूँ कि उनके कदम ठीक दिशा की ओर आगे बढ़ें। वे एक पढ़े-लिखे नौजवान हैं, योग्य व्यक्ति हैं वे आगे बढ़ें। इस सब का यह मतलब कतई नहीं है कि मुझे उनसे प्रेम नहीं है। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि भाषण के दौरान वे जो भी बातें कहते हैं उनमें उम्र के हिसाब से गंभीरता होना चाहिये। यह कहा गया था कि उन्होंने इन्दिरा गाँधी को चेक भेज दिया और पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री को सन् 62 में। उन्होंने इसके संबंध में इन्कार नहीं किया है इसका मतलब यह है कि उनको यह स्वीकार है यदि वे इन्कार करेंगे तो मैं पत्र की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत कर सकता हूँ। इन्दिरा गाँधी को आपने चेक भेजा और पत्र लिखा सन् 62 में उसमें क्या लिखा गया इसका उल्लेख और दिनांक मैं यदि आप चाहें तो बता सकता हूँ।....

श्री चित्रकान्त जायसवाल : तिवारी जी पत्र किस दिनांक को लिखा गया था?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : 23-1-62 को पत्र लिखा गया था आपने इन्दिरा गाँधी को चेक भेजा जबकि आप सदस्य थे और पत्र लिखा मंत्री बनने के बाद जो रुपया भेजा गया मुझे ऐसा जाहिर होता है कि....

श्री प्रेमचन्द कश्यप : तिवारी जी अब आपको केवल इतनी ही शिकायत है कि विलम्ब क्यों हुआ?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप जरा सुनिए तो मैं सब बताए देता हूँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट : यह ऊँचे स्तर की बातें हैं यह हमारी समझ के बाहर हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह ही समझ लीजिये। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब उस समय लोगों ने अपना पैसा दिया, सोना दिया, चाँदी दी, सब लोगों ने अपना सब कुछ दिया। काँग्रेस पार्टी की विधायकों की एक मीटिंग में विधायकों ने कहा कि हम सबने सब कुछ दिया है परन्तु अर्जुनसिंह जी ने कुछ नहीं दिया है इस प्रकार की जब चर्चा विधायक पार्टी में चली तो तुरन्त आपने चेक भेज दिया।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने संसदीय काँग्रेस पार्टी के निर्णय का प्रश्न है उसके संबंध में तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता हूँ परन्तु हाँ इतना अवश्य यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुझे आज्ञा दें तो यह सदन में साबित कर सकता हूँ कि कभी भी मेरे प्रति ऐसे आरोप नहीं लगाये गये हैं। काँग्रेस पार्टी के सब ही माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे मालूम किया जा सकता है।

श्री बाबूलाल पाटोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी हर पार्टी मीटिंग में मौजूद रहता हूँ मुझे अच्छी तरह से याद है कि कभी भी इस प्रकार का आरोप अर्जुनसिंह जी पर नहीं लगाया गया है।

श्री नरेन्द्रसिंह जूदेव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि इस समय जो चर्चा हो रही है क्या यह एप्रोप्रिएशन बिल पर हो रही है। नम्बर दो जो समय इस चर्चा में लगा है क्या वह एप्रोप्रिएशन बिल की चर्चा में से काटा जायेगा।

श्री बाबूलाल पाटोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी से एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में भी इस तरह की खबर है कि आपने भी कुछ चन्दा देने की बात कही थी वह भी नहीं दिया है जरा उसको भी खुलासा कर दीजिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ के कुछ लोग आपकी पार्टी के लोगों को प्रेरणा देते हैं और आपकी पार्टी के कुछ लोग हमारी पार्टी के लोगों को प्रेरणा देते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में तो तिवारी जी ने स्वयं कहा था कि वे तो विभीषण हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : यह पुरानी बात है, पद के लालच करते हुए फैसला बदलते रहते हैं— ।.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह आप अपने आप कहिए।

श्री गुलाबचन्द तामोट : आप ही डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बात कहिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसको छोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खाते का नम्बर लेने के लिये किसानों को 2 साल, 3 साल तक भुगतना पड़ता है..... ।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विधानसभा में बहुत महत्व का काम होने के कारण समय नहीं है लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे नाम जो जमीन है इतना ही नहीं मेरी पत्नी के नाम, बच्चे के नाम जो भी जमीन है वह इसी विधानसभा के सत्र समाप्त होने के पूर्व पूरी जानकारी पटल पर रख दूँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उस समय का विवरण जबकि पंडितजी को लिखा था..... ।

श्री कृष्णपालसिंह : माननीय अध्यक्ष, श्री अर्जुनसिंह जी ने तिवारी जी के नाम ट्रान्सफर कर दी हो.... ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप जो लेबर लीडर की बात कह रहे हैं— इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बाबूलाल पाटोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विधानसभा नियमावली के नियम 159 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ—

"विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों के अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की

CAREER COLLEGE L.L., BHOPAL ACC. No. Book No. 26923

माँगें विचाराधीन थीं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जनरल डिस्कशन हुआ था सब बातें पूरा पुराण हो चुका है, एग्रीकल्चरल विभाग की माँगें प्रस्तुत हुई उस समय भी यह पुराण हो चुका है, अब हम यह पुराण कब तक सुनते रहें, इस पर श्रीमान् को ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष : इस पर तिवारी जी आपको क्या कहना है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह सामान्य प्रशासन की माँगें हैं और उसके लिये यह एप्रोप्रिएशन है, उस पर हो सकती है....।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि माननीय अर्जुनसिंह जी और तिवारी जी आपके चेम्बर में बैठ जायें और आपके सामने इस पर विचार कर लें....।

अध्यक्ष : जो चर्चा माँग के समय नहीं हुई है और महत्वपूर्ण है उस पर ही चर्चा कर सकते हैं, इस प्रकार का यह नियम है, इस पर आपको क्या कहना है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्री बनने के लिये क्या-क्या साधन अपनाये गये यह बता रहा हूँ....।

श्री बाबूलाल पाटोदी : मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ जो कि इसमें दिया है—

"अध्यक्ष, वाद-विवाद की पुनरुक्ति को रोकने की दृष्टि से, विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों को उन विशिष्ट विषयों की पूर्व सूचना देने को कह सकेगा जो वे उठाना चाहते हों और वह ऐसे विषयों को उठाने के लिये अनुज्ञा रोक सकेगा जो उसकी राय में किसी अनुदान की माँगों के सम्बन्ध में चर्चा किये गये विषयों की पुनरुक्ति प्रतीत होते हों या जो पर्याप्त लोक महत्व के न हों।"

माननीय अध्यक्ष, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ जो इमरजेन्सी का उपयोग किया है वह कुल मिलाकर अपने आप में प्रमाण है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को न देकर प्रधानमंत्री को दिया। अध्यक्ष महोदय जबकि विरोधी पार्टियों ने भी यह कहा कि हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, देश पर संकट है, उस समय शासन में आने के लिये भोपाल और दिल्ली एक कर दिया और स्टेटमेंट दिये, जब केन्द्रीय गवर्नमेंट ने मना कर दिया और कहा कि अब आये तो अनुशासनहीनता की कार्यवाही होगी। कम-से-कम उस समय जब देश पर संकट आया था।

अध्यक्ष : वह रिलेवेन्ट नहीं है इसमें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अच्छा इसको छोड़ दिया अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, बेस्ट पार्लियामेन्टरियन बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप जैसे उच्चकोटि के प्राणी के कहने से यदि मुझे स्वर्ग भी मिलेगा तो मैं छोड़ दूँगा।

श्री बाबूलाल पाटोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था यह दोनों महानुभावों को आप अलग-अलग बैठने का प्रबन्ध कर दीजिये नहीं तो किसी भी क्षण एक बड़ा संकट आ जायेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरे लिये तो वह सौभाग्य की घड़ी आयेगी।

श्री गुलाबचन्द तामोट : कभी तो आप अकेले ही होंगे इस सदन में।

अध्यक्ष : आप तिवारी जी अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन सुझाव दिया था कि हमारे यहाँ रूल्स की एक बहुत बड़ी कमी है। हर विभाग में रूल्स बनाने के लिये मैं चाहूँगा कि शासन एक परमानेन्ट कमेटी बनाये। क्योंकि जितना कुछ भी जोरों का भ्रष्टाचार हो रहा है वह रूल्स की कमी और रूल्स की ही गड़बड़ी के कारण है। इसलिये इस रूल्स कमेटी के निर्माण में शासन शीघ्र विचार करे ऐसा मैं चाहता हूँ। ट्रान्सफर और प्रमोशन के रूल्स तो बहुत स्पष्ट होने चाहिये ताकि पक्षपात और सिफारिश की जरूरत ही न पड़े। अभी पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जैसा कि वह जानते हैं कि सिफारिश अगर होती है, कोई उचित न्याय कर देता है तो जाहिर है कोई बुरा नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय, बुरा इसलिये होता है कि ऐसे एक व्यक्ति को यदि उचित हक उसका

दिला दिया तो वह एक ही व्यक्ति के लिये उचित हुआ लेकिन बाकी के अनेक और सैकड़ों ऐसे रह जाते हैं जो उचित हक बिना सिफारिश के नहीं पाते। इसलिये ऐसे रूल्स बनाने के लिये कमेटी की अधिक आवश्यकता है। बल्कि उसमें विधानसभा सदस्यों की 7-8 की कमेटी बनाई जाये। यदि ऐसा होगा तो बहुत बड़ा काम होगा।

अब अध्यक्ष महोदय, शासन को सफलता को प्राप्त करने में और भ्रष्टाचार दूर करने में जो लाखों रुपये की कटौती की गई है.....

श्री कृष्णपालसिंह : मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी का चेयरमेन तिवारी जी को बना दिया जाये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरा समय जा रहा है श्रीमान्, अब तो मैं श्री अर्जुनसिंह पर नहीं बोल रहा हूँ। तो जो कामों को रोक कर शासन ने कटौती कर दी है, वह नहीं करना चाहिये था। जैसे सैकड़ों का काम था, उसे बन्द करके कटौती की गई, आप फिजूलखर्ची रोक कर कटौती बतायें तो उस पर मैं शासन को धन्यवाद दूँगा। मैं चाहूँगा कि, इस साल तो कटौती के नाम से कई जगह के महत्वपूर्ण काम बन्द हो गये। इतना ही नहीं काम तो बन्द हो ही गये और दोहरा नुकसान हुआ क्योंकि जो अफसर अधिकारी इंजीनियर वगैरह रहे वे सब के सब सुस्त पड़ गये। आज तक वे ऐसे ही सुस्त पड़े हैं अब कितनी बड़ी रकम का दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ फौज में भरती हुई है वह शायद केन्द्र से 8 प्रतिशत हमारे यहाँ से निर्धारित है किन्तु हम उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारा राज्य शासन भरती करने वाले अधिकारियों को सुविधा नहीं दे रहा है। पंजाब सरकार ने वहाँ रहने का और कन्वेएन्स की सुविधा दे रखी है और काफी लोग भरती होते हैं। इसलिये राज्य शासन हमारे यहाँ भी उनकी व्यवस्था करे ताकि हमारे यहाँ से लोग फौज में ज्यादा से ज्यादा भरती हों और हम गौरव कर सकें।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ शासन से कि वह स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पर कृपा कर के गौर करें। उस रिपोर्ट में राज्यों में इमोशनल इण्टीग्रेशन लाने के लिये कुछ सुझाव दिये हुये हैं। एक सुझाव उन्होंने यह दिया था कि टीकमगढ़-छतरपुर होते हुये सतना तक एक रेल लाइन डाली जावेगी जिससे इन समस्त जिलों को कनेक्ट कर दिया जावेगा तो मेहरबानी करके आप उसे पढ़ लें।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं शासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जो मैंने संसदीय कार्य के लिये एक विभाग बनाने का सुझाव दिया था, मुझे सूचना मिली है कि शासन ने उस पर ध्यान दिया है और वह विभाग खोल दिया है और एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। उसके लिये मैं शासन को धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात गजेटेड ऑफिसर्स के वेतन के संबंध में मैंने कहा था वह भी सूचना मिली है शासन ने कर दिया है। उसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

अब इसके बाद मैं बसेज चलने के सम्बन्ध में शासन की नीति के बारे में कहना चाहता हूँ कि वह बहुत ही खराब और आलोचनीय है। नई बसेज चलाने का काम प्रायः बन्द कर दिया है। टीकमगढ़, मुरैना, सीधी आदि जिलों से रिपोर्ट्स आई हैं प्रस्ताव आये हैं कि फलाँ लाइन पर हमको और बस चाहिये, नई बसेज चाहिये लेकिन उन प्रस्तावों का साल दो साल, तीन साल तक पता नहीं और उनको ठण्डे बस्ते में डाल रखा है। यह तरीका ठीक नहीं है। आप सड़क बनवाते हैं, बस चलाते हैं तो ज्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो शासन को मुनाफा होगा।

इसके बाद अब कुछ मैं मंत्रियों के दौरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि अभी तरीका यह था कि जो मंत्री दौरे पर जाता था उसके बारे में जो सरक्यूलर निकाला जाता था उसमें कलेक्टर को लिखा रहता था कि स्थानीय सदस्य से मिलकर प्रोग्राम दौरा वहाँ का तय करें। लेकिन अभी सीधी में राजस्व मंत्री का दौरा हुआ था उस प्रोग्राम के सरक्यूलर को मैंने देखा उसमें कलेक्टर को कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई थी। काँग्रेस के लोगों को छोड़कर मानो दूसरे कोई जनप्रतिनिधि होते नहीं तो इस प्रकार प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में न रखना उचित नहीं। मंत्री महोदय उस पर ध्यान देंगे तो उचित होगा।

एक मिनट का समय अब मैं जलप्रदाय के सम्बन्ध में लेना चाहता हूँ जैसा कि आपने अभी सदन में सुना होगा इतनी भद्दी और खराब हमारी योजनाएँ बनाई जाती हैं कि उसकी कोई हद नहीं। यही टीकमगढ़ से शिकायत

आती है, यही रतलाम से शिकायत आती है, यही उज्जैन से शिकायत आती है। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने टीकमगढ़ का जो स्रोत है उसका पानी एक बोतल में लेकर यहाँ लायब्रेरी में रखा है यदि श्रीमान् देखेंगे तो स्वतः यह अनुभव करेंगे कि यह पीने लायक पानी है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, शासन जो लाखों और करोड़ों दवा करने में खर्च करता है, लोक स्वास्थ्य के संबंध में पानी देने की दिशा में उसको ज्यादा सक्षम होना चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार गजेटियर विभाग के संबंध में कुछ निवेदन किया था और माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार करके जाँच करने और उसमें सुधार करने का आश्वासन दिया था। उसके संबंध में मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि अभी जो गजेटियर्स बन रहे हैं वे अँग्रेजी में बन रहे हैं। कृपा करके आप उनको हिन्दी में ही बनवायें, नहीं तो बाद में झंझट में आप पड़ेंगे। दूसरी चीज यह है कि इस विभाग का और प्रेस का क्या झगड़ा है कि जो गजेटियर वहाँ छपने भेजे जाते हैं, उनके पेज के पेज गायब कर दिये जाते हैं, इतना ही नहीं जो नक्शे विभाग द्वारा बड़ी मेहनत से बनाये जाते हैं, हजारों रुपया खर्च करके बनाये जाते हैं, वे भी गायब कर दिये जाते हैं तो कृपा करके इसको भी देख लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो अफसरों की आपस में लड़ाई हो जिससे कि इस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है और इससे शासन का नुकसान हो रहा है। अन्त में मैं फिर से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था मुख्यमंत्री जी से हमें यह आश्वासन मिल जाये कि वह हाईकोर्ट के जज से जाँच करायेंगे तो हमें चुनौती स्वीकार है।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण करने की अनुमति चाहता हूँ। सीधी से आये हुये माननीय विधायक ने दो बातें मुख्य रूप से कहीं हैं। प्रथम तो यह है कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिले, उसके पश्चात् ही वह कुछ कदम उठायेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने जो इस विधानसभा में उस दिन श्री दीवान जी से प्रार्थना की और उसी प्रार्थना को उनको पत्र रूप में भेज दिया, वह मेरा इस सदन के प्रति अपमान का द्योतक माना गया है क्योंकि मैंने हाईकोर्ट के जज द्वारा जाँच कराने की बात कही थी.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अपमान इसलिये कि एफिडेविट फाइल करने की बात कही गई थी, तब जाँच होगी।

श्री अर्जुनसिंह : ऐसा जो मैंने दीवान जी को लिखकर दिया है तो क्या मैंने सदन के प्रति अनादर का भाव रखकर ऐसा किया है? जहाँ तक पहली बात का प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें तो उसके लिये तो मैं स्वतः जिम्मेदार नहीं हूँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि यह प्रश्न तो अब आपकी व्यवस्था का मोहताज है। जो अनादर की बात है उसके संबंध में तो सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न भी आ चुका है, जो कुछ चाहते हैं सदन में कहें, वह भी कान्ट्राडिक्ट हो चुका है। अब तो दोनों आदमियों का नैतिक बंधन है। वह भी कान्ट्राडिक्ट हो रहा है कि वह फाइल करेंगे और जाँच करायी जावे।

श्री अर्जुनसिंह : तो जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ तक पहली बात का सवाल है माननीय सदस्य मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके प्रति काफी श्रद्धा रखते हैं, वह उनसे मिल सकते हैं और आश्वासन ले सकते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, यहाँ आज विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है, और मंत्री जी अपनी व्यक्तिगत बात कह रहे हैं। आपने इस संबंध में अपने रूलिंग के द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया है और चर्चा को सीमित कर दिया है। मंत्री जी यहाँ कोई जवाब तो दे नहीं रहे हैं?

अध्यक्ष : वे जवाब नहीं दे रहे हैं, वे तो व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि माननीय तिवारी जी मुझसे यह अपेक्षा करते हों कि मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, तो मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी से, इस सदन से और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से, यह कह देना चाहता हूँ कि ऐसी प्रार्थना करके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं करना चाहता। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा जिस मुख्यमंत्री जी ने इस पवित्र सदन में यह आश्वासन दिया हो कि यदि आप कोई भी ऐसी बात हमारे पुत्र के खिलाफ भी साबित कर

देंगे तो वह उसको गोली मार देने के लिये तैयार हैं तो मैं उस मुख्यमंत्री से आपको आश्वासन दिलाऊँ कि वह मुझे नहीं बचायेंगे तो मैं निवेदन करूँ कि जिसके प्रति मैं सदा आदरभाव रखता हूँ उनसे मैं ऐसा आग्रह करूँ यह मैं उनका अपमान समझता हूँ और कभी भी ऐसा आग्रह नहीं करूँगा।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक दूसरा प्रश्न है—

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं तो इस खास मसले पर आश्वासन चाहता हूँ आम मसले पर नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : आप यदि उनके मनोभाव समझने में समर्थ हैं तो जो कुछ उन्होंने इस पवित्र सदन में कहा है उससे आप उनका मतलब समझ सकते हैं और यदि आप उनके मनोभावों को नहीं समझते हैं और अपना स्वार्थ रखते हैं तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं समझता हूँ कि आप फिर गुस्से में आ गये हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं गुस्से में नहीं आता। यह तो आपने ही कहा था कि मेरा खून गरम है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मित्र होने पर गरमी कम हो जाती है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूँगा कि 20 साल पुराना हिसाब न बतायें तिवारी जी के बारे में।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि मैं व्यक्तिगत स्तर पर आकर इस पवित्र सदन का कीमती समय का दुरुपयोग तो नहीं करना चाहता। मैं तिवारी जी के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कभी कुछ नहीं कहूँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी कभी भी उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं कहूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस दूसरे प्रश्न का सवाल है मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा और सदन से आग्रह करना चाहूँगा कि वह अपनी सार्वभौम सत्ता के बारे में कुछ गलतफहमी कर रहे हैं। मैं इसलिये यह कहने के लिये विवश हुआ हूँ कि यदि आपकी यह धारणा है, यह विधानसभा इस देश की सार्वभौम सत्ता है तो मेरी तुच्छ राय में यह तथ्यों के विपरीत है.....

अध्यक्ष : मैं माननीय अर्जुनसिंह जी से कहूँगा कि यह प्रश्न कैसे उठता है। उन्होंने तो केवल यह कहा है कि इसमें उन्होंने जो कहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा पत्र उनको लिखा है तो वह सार्वजनिक सत्ता के बारे में कैसे हो सकता है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल ठीक किया जो चर्चा को रोक दिया। मैं समझता हूँ यह एक कन्ट्रोवरशियल प्वाइन्ट रहा है और हाईकोर्ट में एक ऐसा फैसला हो चुका है तब इस बात को यहाँ नहीं कहना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में जो अधिकार माननीय सदस्यों को प्रदत्त है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि अपन अपना संविधान उठाकर देखें तो इसके प्रियम्बिल में आपने लिखा है कि हम सब लोग इस प्रदेश में, इस देश में, इस गणतंत्र में सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है और यह कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी है इसीलिये मैंने माननीय सदस्य को आग्रह किया है कि आप पहले हाई कोर्ट में एफिडेविट दें तब इस पर कुछ हो। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा में आकर आप भी कुछ कहते हैं तो हम भी कुछ कहते हैं और आप उसका स्पष्टीकरण देते हैं तो हम भी देते हैं और उसका प्रत्यारोपण करते हैं। मैंने आग्रह किया है कि हम जो करते हैं उसकी एक प्रक्रिया है। मेरी कोई आपत्ति करने की मंशा नहीं है। मैंने तो यह कहा है कि आप उनको भी एक मौका दीजिये जो हम सबके मालिक हैं। मैंने उन मालिकों को आपका और हमारा मूल्यांकन करने के लिये अवसर दिया था। आप नहीं चाहते तो न करें....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हम बिलकुल इसको स्वीकार करते हैं लेकिन जब मुख्यमंत्री जी एक शब्द कह दें तब....

श्री अर्जुनसिंह : तो आप उनसे वचन चाहते.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना ऐसी है कि दोनों तरफ से शायद परदे को ओट में रखकर काम हो रहा है। तिवारी जी अगर आरोप लगाते हैं तो दीवान जी को बीच में क्यों लाते हैं और अर्जुनसिंह

जी अगर जाँच कराने को तैयार हैं तो वह मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करें कि हाईकोर्ट जज जाँच करने को मुकर्रर कर दिया जाये। अर्जुनसिंह जी मुख्यमंत्री की ओट क्यों लेते हैं। दोनों का मामला साफ होना चाहिये। अर्जुनसिंह जी मुख्यमंत्री जी की ओट लें और तिवारी जी दीवान जी की ओट लें यह उचित नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं किसी परदे की ओट लेने का आदी नहीं हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं यह कह रहा हूँ कि एफिडेविट फाइल करूँगा लेकिन मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे देंगे तभी करूँगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 30 मार्च 1965, पृष्ठ/3197-3206)

दो तारांकित प्रश्न— पहला, श्री गुलाबचन्द तामोट ने कृषि राज्य मंत्री श्री अर्जुनसिंह के विरुद्ध हलफनामे के बारे में मुख्यमंत्री पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र से पूछा। दूसरा, श्री भैरव भारतीय और श्री बाबूलाल पॉलीवाल ने किसानों से गन्ना क्रय किये जाने के सम्बन्ध में कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह से पूछा—

राज्य मंत्री कृषि के विरुद्ध हलफनामा

6. (क्र. 70) श्री गुलाबचन्द तामोट : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री विनयकुमार दीवान या चन्द्रप्रताप तिवारी ने दिनांक 25-3-65 को कृषि मंत्री द्वारा कहे गये तथ्यों के संदर्भ में हलफनामा किसी अदालत में देकर हलफनामा या उसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के पास भेजी है? (ख) यदि हाँ तो मुख्यमंत्री ने हलफनामे में लिखित तथ्यों के बारे में किसी हाईकोर्ट जज से जाँच करवाने के लिये कदम उठाये या नहीं?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : (क) मुख्यमंत्री को इस प्रकार कोई हलफनामा या उसकी प्रतिलिपि नहीं मिली। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या यह आपको ज्ञात है कि माननीय अर्जुनसिंह जी के बारे में श्री दीवान जी ने आपसे हलफनामा देकर जाँच का निवेदन किया है, जैसा कि माननीय अर्जुनसिंह ने कहा था?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रश्न हो रहा है जो प्रश्न किया गया था उसमें यह चीज उठती नहीं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : आप सुन लें, अपना निर्णय दे दें। प्रश्न नहीं किया है। माननीय अर्जुनसिंह जी ने दीवान जी से निवेदन किया है कि हलफनामा पेश कर देंगे तो वे इस्तीफा दे देंगे, किसी हाईकोर्ट जज के सामने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा कोई हलफनामा दीवान जी ने प्रस्तुत किया है? इसकी जानकारी आपको है?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र (मुख्यमंत्री।) : मुझे विदित है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : आपने आश्वासन दिया था सदन में कि मैं जाँच करूँगा।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : सदन में जो आश्वासन दिया होगा आपने सुना होगा और सदन ने सुना होगा।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं उस समय नहीं था, इसलिये जानना चाहता हूँ, जब आपने आश्वासन दिया था।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : जब झगड़ा हुआ था तब मैं स्वयं नहीं था।

श्री गुलाबचन्द तामोट : आपने दि. 30-3-65 को सदन में कहा है जैसा कि उसकी कार्यवाही में है। यदि आप इजाजत माँगने आयेंगे तो मैं दूँगा।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : इस आशय की बात जरूर कही थी। बिलकुल शब्द क्या उपयोग में लिये थे वह स्मरण नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : इसकी जाँच के लिये कमीशन तय हुआ है क्या?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : जब शर्त पूरी होगी तब प्रश्न उठेगा।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : माननीय अर्जुनसिंह ने हलफनामा देने के लिये कहा था। दीवान सा. ने दिया नहीं। तो ऐसा लगता है कि आरोप सही नहीं है। इसलिये वह खेद प्रगट कर दें मामला समाप्त हो जायेगा।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के आरोप के संबंध में 2, 3 प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं। एक संथानम कमेटी की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार ने तय किया है कि ऐसे आरोप अगर लगाये जाते हैं मंत्री पर तो उसकी मुख्यमंत्री जाँच करेंगे?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि यह विवाद उठ ही नहीं सकता।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लें।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : उसी प्रक्रिया के आधार पर मुख्यमंत्री जी क्या स्वयं जाँच करेंगे?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : उस प्रक्रिया के आधार पर मुख्यमंत्री तब जाँच करता है जबकि मुख्यमंत्री को यह विश्वास हो जाता है कि इस तरह की कोई बात हुई है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस तरह की व्यवस्था देंगे कि आरोप गलत है, सब्टेनशिएट नहीं कर सकते तो खेद प्रगट करें। विधानसभा में इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाना और उसको सब्टेनशिएट करने में असमर्थ होना तब फिर अध्यक्ष महोदय, आपको चाहिए कि आप दीवान जी से आग्रह करें कि वे इसके लिये क्षमा प्रार्थना करें।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : मैं जोशी जी का अनुमोदन करता हूँ क्योंकि कल ही उन्होंने एक आरोप लगाया था और उनकी पार्टी ने उसके लिये खेद प्रगट किया था।

श्री सूर्यदेव शर्मा : कल जनसंघी का नम्बर था और आज समाजवादियों का नम्बर है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : मैं इसके लिये उनसे आग्रह नहीं कर सकता।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : जोशी जी अभी वह स्थिति नहीं आई है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आपने इजाजत भी दे दी है लेकिन प्रश्न पूछने नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : झगड़े की जड़ तिवारी जी ही हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जाँच कराने के लिये क्या आपने कोई हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है। जब प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट का जज नियुक्त होता है तो हलफनामा दिया जाता है। हलफनामा देने के लिये सबसे पहले मैं तैयार हूँ, बाद में और दूसरे लोग देंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि उनको इस बात की पूरी छूट है कि वे किसी भी अदालत के सामने हलफनामा दे सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : जब विधानसभा में आरोप लगाये जाते हैं तो उसको सब्टेनशिएट किया जाना चाहिये तो यह स्वस्थ परंपरा होगी।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जब तक जाँच करने वाला कोई मुकर्रर नहीं है तो हलफनामा किसको दिया जाये। आप जाँच करने वाले का नाम बतावें। चन्द्रप्रताप तिवारी, पहला आदमी होगा जो सबसे पहले हलफनामा पेश करेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ कि किसी भी कोर्ट में जाकर हलफनामा दे सकते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह कोई कानून प्रोसीजर नहीं है। जो जाँच करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास हलफनामा दिया जाता है। अभी जैसे कैरों साहब के मामले में हुआ.....।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : माननीय सदस्य गलती कर रहे हैं। जैसा कि कृषि मंत्री जी ने कहा था कि आज यहाँ जो यह प्रश्न आया है मैं इससे सम्बन्ध रखता हूँ उन्होंने कहा था कि हलफनामा किसी भी कोर्ट में दे दिया जावे और मैं मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे दूँगा। इस्तीफा मंजूर करना मेरा काम है वह किसी भी कोर्ट में हलफनामा देकर मुझे सूचना दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा किसी दूसरे के सामने पेश नहीं हो सकता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : कृषि मंत्री जी को जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ बात कही है, इसमें कान्ट्रोवर्सी का सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जी

ने तो स्पष्ट उत्तर दे दिया है अब यह काम आपका है। उन्होंने साफ कहा है कि आप किसी भी अदालत में हलफनामा दे सकते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि यह स्पष्ट बात हुई फिर भी प्रोसीजर के बारे में झगड़ा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बारे में निर्णय चाहता हूँ। कल उन्होंने यहाँ चार्ज लगाया और जब वह अपना चार्ज सबस्टेनशिएट नहीं कर सके तो उन्होंने खेद प्रकट किया।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप कल की बात छोड़ दीजिए। आज की बात करिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : पहले आप सुन लीजिये आप समझिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपकी समझ बड़ी है।

श्री हरिभाऊ जोशी : आप अपनी टाँगे ऊँची करके दुनिया को थामना चाहते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कल जो उन्होंने चार्ज लगाया वह उन्होंने वापस लिया, श्रीमान् ने कहा कि सबस्टेनशिएट करा नहीं सके। आज जब हाउस में इलिगेशन किया गया तो क्या कहेंगे कि चार्ज वापस लीजिए या साबित कीजिए। श्रीमान्, दोनों के बारे में एक-सी प्रक्रिया होना चाहिए जब यहाँ यह चार्ज लगाया जा रहा है तब कानून के पंडित बोल नहीं रहे हैं कैरों साहब का उदाहरण.....

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा एफिडेविट किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। भोपाल में दो नोटरी हैं उनके सामने भी दिया जा सकता है, वह उनको दे दें।

अध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है कि कल सदन के समक्ष चार्ज लगाया था तब मैंने कहा था अब यह प्रश्न है चार्ज नहीं लगाया गया है।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : यह किसी के सामने हलफनामा देने का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार की इन्क्वायरी के लिये मुख्यमंत्री को हलफनामा दिया जा सकता है। अगर हलफनामा दिया जावे तो क्या वह कमीशन बैठाने को तैयार हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, यह हाईपोथीटिकली क्वेश्चन है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर उनको शिकायत लिखकर दी जावे तो क्या वह जाँच कराने को तत्पर हैं?

श्री रामेश्वर अग्निभोज : यह सब हाईपोथीटिकल क्वेश्चन्स हो रहे हैं इसलिए अब इनको क्लोज करना चाहिए।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि यहाँ हलफनामे की बात कही जा रही है कि अदालत में दिया जावे। अदालत की बात हम इसलिये कहते हैं कि वहाँ तसदीक करा दिया। परन्तु जब हम यहाँ सदन में कोई बात कहते हैं तो फिर हलफनामे की क्या आवश्यकता है। कृषि मंत्री जी पर यहाँ चार्ज लगाये जाने पर वह जाँच नहीं करायेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि हलफनामा जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, किसी अदालत के समक्ष दे दें तो उसकी जाँच के लिये हाईकोर्ट जज बैठायेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि अर्जुनसिंह ने जो दस दिन की मियाद घोषित की थी वह कायम है या उसके बाद भी दिया जा सकता है?

अध्यक्ष : यह प्रश्न मुख्यमंत्री से सम्बन्धित नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जाँच करने का विषय है यह तो मुख्यमंत्री से उठता है श्रीमान्।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के बारे में जो माननीय सदस्य (चन्द्रप्रताप तिवारी) की भावना है वह चल रही है इसलिये वही चलने दीजिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : वह तो है ही और उसके लिये हम हलफनामा देने को तैयार हैं और सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूँ।

(कई आवाजें— हलफनामा दीजिये, हलफनामा दीजिये न)

श्री विनयकुमार दीवान : माननीय मुख्यमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री कृषि ने जो दस दिन की मियाद दी थी वह दस दिन तक ही है या उससे आगे भी?

अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं उठता, इसमें इन्सुनिएशन है।

श्री रामप्रकाश मल्होत्रा : क्या यह तय हो गया कि चन्द्रप्रताप तिवारी और दीवान हलफनामा देने नहीं जा रहे हैं?

(शोरगुल)

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यदि जाँच अधिकारी कायम किया जाये तो हम हलफनामा देकर सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, अब यह स्पष्ट हो चुका कि माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमण्डल के किसी भी सदस्य के विरुद्ध भी कोई लिखकर देगा तो वह उसकी जाँच कराने के लिये तैयार होंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं चुप रहता हूँ तो माना जावेगा कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही है लेकिन मेरे पास शिकायतें तो बहुत-सी आती हैं जिनमें कुछ तथ्य मालूम होता है उन्हीं की जाँच करता हूँ तो ऐसा मेरे सम्बन्ध में माननीय सदस्य का कहना मेरे साथ अन्याय करना है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : तो यह और भी स्पष्ट हो गया कि हलफनामा पेश होगा तो माननीय मुख्यमंत्री अवश्य जाँच करेंगे।

श्री हरिभाऊ जोशी : क्या यह सरकार कोई नई प्रक्रिया अपनाने जा रही है.....

शासन द्वारा खाचरोद व रतलाम तहसीलों में किसानों के गन्ना क्रय किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था किया जाना

7. (क्र. 78) श्री भैरव भारतीय, (श्री बाबूलाल पालीवाल) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाचरोद तहसील और रतलाम तहसील गन्ने के लिये रिझर्व्ह जोन है? (ख) यदि हाँ तो उक्त दोनों तहसीलें किस-किस जोन में हैं तथा उक्त दोनों तहसीलों में 31 मार्च, 1965 को कुल कितना गन्ना किस-किस तहसील के क्षेत्र में खेतों में खड़ा है? (ग) क्या उक्त खेतों में खड़े गन्ने को जावरा और महिदपुर शुगर मिल ने लेने से इन्कार कर दिया है? (घ) यदि उत्तर हाँ में है तो क्या खेतों में खड़े गन्ने को क्रय करने की शासन ने कोई व्यवस्था की है? (ङ) क्या रिझर्व्ह जोन घोषित करने के पूर्व जावरा एवं महिदपुर शुगर मिल से ऐसा कोई लेखी में शर्तनामा लिया गया है कि फेक्ट्री तमाम गन्ना खरीदेगी और न खरीदने पर गन्ने का मूल्य देगी? (च) क्या यह भी सही है कि शासन ने इन रिझर्व्ह गन्ना जोन क्षेत्रों में गुड़ या खाण्डसारी बनाने पर पाबन्दी लगाई है? (छ) क्या 28 मार्च से 5 अप्रेल, 1965 तक गन्ना तौल काँटे पर जो गाड़ियाँ मैनेजमेंट द्वारा मँगवाई गई थीं वे गाड़ियाँ न तुलाई जाकर वापस गई हैं? (ज) यदि हाँ तो किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी? (झ) जावरा में स्थित असिस्टेंट केन कमिश्नर ने इस बीच कितनी बार उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया? (ञ) किसानों के गन्ने को क्रय करने के लिये शासन क्या व्यवस्था कर रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : (क) हाँ। (ख) सम्पूर्ण खाचरोद तहसील एवं रतलाम तहसील का कुछ भाग महिदपुर शुगर फैक्ट्री जोन में तथा रतलाम तहसील का शेष अधिकांश भाग जावरा शुगर फैक्ट्री जोन में है। खाचरोद तहसील में किसान के खेतों में खड़े गन्ने का अनुमान 30,000 क्विंटल है। रतलाम तहसील बाबत् जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जावरा शुगर मिल, समस्त उपलब्ध गन्ना पेरने के पश्चात् व काश्तकारों को विधिवत् नोटिस देकर दिनांक 22-3-65 से बन्द कर दी गई है। महिदपुर शुगर फैक्ट्री में दिनांक 28-3-65 से श्रम-विवाद के कारण हड़ताल है व फैक्ट्री बन्द है। अतएव इन्कार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) ऊपर (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) नहीं। (च) काश्तकारों (गन्ना उत्पादकों) द्वारा उसके अपने गन्ने का गुड़ या खाण्डसारी बनाने पर कोई पाबन्दी नहीं है। (छ) और (ज) ऊपर (ग) में बतलाये अनुसार जावरा शुगर फैक्ट्री दिनांक 22-3-65 को बन्द हो गई थी अतः उसके द्वारा गाड़ी मँगवाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। महिदपुर शुगर फैक्ट्री में दिनांक 31-3-65 तक जितनी गाड़ियाँ आईं वे तुलाई जाकर फैक्ट्री द्वारा ले ली गईं। इसके पश्चात् 5-4-65 तक जो गाड़ियाँ आईं उनका गन्ना फैक्ट्री के अहाते में रखा गया। (झ) असिस्टेन्ट केन कमिश्नर जावरा ने दिनांक 28-3-65 से 5-4-65 तक उक्त क्षेत्र का कोई निरीक्षण नहीं किया। (ञ) जावरा फैक्ट्री के रिजर्व्ह जोन

बाबत यह प्रश्न बिलकुल उपस्थित नहीं होता। महिदपुर फैक्ट्री पुनः कार्यारम्भ करे इस हेतु शासन प्रयत्नशील है।

श्री भैरव भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से कि खाचरोद तहसील में 31 हजार एकड़ में गन्ना है जिसकी कीमत डेढ-दो लाख रुपया होती है। अब किसान लोग गुड़ नहीं बना सकते और उनका नुकसान होगा उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह सामयिक है। शासन प्रयत्नशील है कि गन्ना को किसी प्रकार से क्रय कराया जावे। लेबर ट्रबल होने के कारण कारखाना बन्द हो गया है इससे कृषि विभाग से कोई संबंध नहीं है। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि किसी तरह फैक्ट्री चालू हो और मैं यह आश्वासन देता हूँ कि शासन जो कुछ भी करेगा इसमें आपकी भी राय ली जावेगी।

श्री भैरव भारतीय : अध्यक्ष महोदय, उस मिल मालिक को डी.आई.आर. के अन्दर बन्द करके उसको कारखाना चालू करने के लिये फोर्स क्यों नहीं किया जाता?

श्री अर्जुनसिंह : आपके इस सुझाव पर भी विचार किया जावेगा।

श्री शाकिर अली खाँ : जबकि सरकार ने यह पाबन्दी लगा दी है कि किसानों को कारखाने को ही गन्ना देना पड़ेगा तो यह सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसी सूरत पैदा न होने दे और कारखाने के मालिक पर जोर डाले कि वह रकम अदा करे?

श्री अर्जुनसिंह : इसीलिये तो मैंने आश्वासन दिया है कि जितने उपाय हो सकेंगे माननीय सदस्यों से सलाह लेकर करेंगे।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : यदि किसानों का गन्ना खराब हो गया तो सरकार ने तो ऐसा ऑर्डर किया है कि वे अपना गन्ना किसी को बेच नहीं सकते तो क्या सरकार उनके हरजाने को भरेगी?

श्री अर्जुनसिंह : रिजर्व्ह जोन के अन्दर किसान स्वयं गुड़ और खाण्डसारी बना सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह विशेष परिस्थिति है अतः सरकार किसानों के हित में पूरा प्रयत्न करेगी, यह मैं आश्वासन देता हूँ।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : क्या सरकार कारखाने को अपने कब्जे में करके कारखाना चलायेगी? (कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

श्री बाबूलाल पालीवाल : क्या जावरा और महिदपुर कारखानों का एक ही मालिक है? अभी दोनों बन्द हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जैसा कि आपके गन्ना नियंत्रण विधान में किसानों पर प्रतिबन्ध है, क्या वैसा कोई प्रतिबन्ध मालिकों पर भी है जब उनकी कैपेसिटी नहीं है तो आपने उतना एरिया रिजर्व्ह क्यों किया है?

श्री अर्जुनसिंह : क्षमता आदि सब बातों पर विचार करने के बाद ही रिजर्व्ह जोन बनाया जाता है, जहाँ तक कारखाने पर प्रतिबन्ध का सवाल है, साधारणतः उनको लेना चाहिये परन्तु अभी से असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री बाबूलाल पालीवाल : रतलाम तहसील के अन्दर और जावरा फैक्ट्री में गन्ना पड़ा हुआ है, जावरा फैक्ट्री भी बन्द है अतः महिदपुर फैक्ट्री में गन्ना जाने लगा परन्तु वह भी बन्द हो गई तो महिदपुर वाले ने क्यों बन्द कर दी?

श्री अर्जुनसिंह : जावरा फैक्ट्री 22-3-65 को बन्द हुई और 28-3-65 को महिदपुर की फैक्ट्री बन्द हो गई, उनको क्या मालूम था कि जावरा का कारखाना बन्द हो जावेगा और उनको पेरना पड़ेगा।

श्री बाबूलाल पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जावरा महिदपुर में आपने संकट तो बता दिया लेकिन जावरा शुगर मिल में रतलाम तहसील के अन्दर जो जावरा मिल को गन्ना दिया जाता था तो उक्त मिल द्वारा पूरा गन्ना न खरीदते हुए क्या कारण है कि उन्होंने कारखाना बन्द कर दिया?

श्री अर्जुनसिंह : अभी जैसा कि मैंने कहा कि जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और माननीय सदस्य की सूचना यदि सही है तो उसके बारे में सोचेंगे कि क्या एक्शन लिया जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, यह श्रम संकट निवारण होगा तब तक पानी न होने से गन्ने को पानी पिला नहीं सकते तो गन्ना खराब हो जावेगा और विचारे गरीब किसान को इसका दण्ड मिलेगा तो उसका क्या होगा?

श्री अर्जुनसिंह : यह हमारी भी चिन्ता है कि हम इस पर क्या कार्यवाही करें और जो कार्यवाही करेंगे उससे माननीय सदस्य को पता चल जावेगा और माननीय सदस्य जिस क्षेत्र से आये हैं उनके परामर्श से कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरव भारतीय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर फैक्ट्री जल्दी नहीं चलती तो क्या शासन सीहोर और दलोदा फैक्ट्रीज के मालिकों को गन्ना लेने का तत्काल आदेश देगा?

श्री अर्जुनसिंह : यही चीजें हैं जिन पर हमको विचार करके निर्णय लेना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा : फैक्ट्री जो बन्द कर दी गई है तो क्या ऐसी स्थिति में शासन की जिम्मेदारी नहीं है कि फैक्ट्री बंद होने के कारण जो किसानों को नुकसान होगा उसका कम्पेनसेशन किसानों को दे?

श्री अर्जुनसिंह : अगर जिम्मेदारी न होती तो मैं इतना सवाल जवाब क्यों करता।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि दलोदा शुगर फैक्ट्री चल रही है तो जो 18 फरवरी तक गन्ना आ गया है उसको दलोदा पहुँचायेगी और इसमें जो नुकसान पड़ेगा उसको किसानों को दिलायेगी?

श्री अर्जुनसिंह : इन सुझावों के आधार पर जो कार्यवाही करेंगे और आपकी इसमें सलाह लेंगे और आपके सुझावों पर विचार करेंगे और जो किया जा सकता है वह किया जावेगा।

श्री कुँवर किशोरसिंह : यह रिजर्व जोन का जो गन्ना है उसको शुगर फैक्ट्री में लेने के लिए कारखाने में डालने का विचार करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : यह भी एक सुझाव है लेकिन वहाँ गन्ना नहीं पिराया जा सकता तो सोचा जावेगा कि किस तरह गन्ना पिरायें।

श्री रामप्रकाश मल्होत्रा : महिदपुर शुगर मिल में 31 मार्च तक गाड़ियाँ तुलवा ली हैं तो इसके बाद जो गाड़ियाँ आई हैं वह खाली करवाई हैं और उनमें से कितनी गाड़ियाँ तुलवाई हैं?

श्री अर्जुनसिंह : पूर्व सूचना चाहिये।

श्री दुर्गादास सूर्यवंशी : 31 तारीख के बाद में लगभग 80 गाड़ियाँ तुलने के लिये आईं तो मिल मालिकों ने यह लिखाकर उनसे ले लिया व रुक्के उनसे छीन लिये गये कि जब तक मिल नहीं चलता तब तक हम गाड़ी नहीं लगायेंगे तो क्या यह माननीय मंत्री जी को मालूम है?

श्री अर्जुनसिंह : यह जानकारी आप अधिकृत रूप में देंगे तो मैं इसका पता लगाऊँगा।

श्री दुर्गादास सूर्यवंशी :कागज मेरे पास है जो उन लोगों से मिल मालिकों ने लिखाया है और उनसे दस्तखत कराये हैं और 80, 82 गाड़ियों के हैं जिनमें दस्तखत हैं। वे रुक्के भी मेरे पास हैं आप कहें तो टेबल पर रख दूँगा।

(शेम शेम की आवाजें)

श्री भैरव भारतीय : महिदपुर शुगर मिल में दि. 5-4-65 तक जो गाड़ियाँ आई हैं उनका गन्ना फैक्ट्री के अहाते में रखा गया है तो यह तुलवाकर रखा गया है या बिना तुलवाये रखा गया है?

श्री अर्जुनसिंह : क्या कोई भी माननीय सदस्य यह मानेगा कि कोई भी किसान अपना माल तुलाये बगैर चला जायेगा।

श्री भैरव भारतीय : यह असिस्टेंट केन कमिश्नर जो जावरा में रहता है तो महिदपुर में 28 तारीख से जो किसान परेशान हैं तो उनकी हालत देखने के लिये उसने उन दिनों में दौरा क्यों नहीं किया?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल 5 तारीख तक की सूचना दी है कि 28 तारीख से इस दिन के बीच में वह नहीं गये।

श्री दुर्गादास सूर्यवंशी : मंत्री महोदय ने बताया कि कोई भी काश्तकार बगैर गाड़ी तुलाये नहीं गये मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम बंजारी के काश्तकार बगैर गाड़ी तुलाये गये उसकी जाँच करा लेंगे?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री खुमानसिंह : मध्यप्रदेश सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने रतलाम रेलवे स्टेशन से लेकर नीमच रेलवे स्टेशन तक 15-15 मील के क्षेत्र में गन्ना बोना चाहिए; अन्य फसल नहीं बोना चाहिए ऐसा प्रबन्ध कर रखा है,

दूसरी फसल नहीं बोने दिया है और राजस्थान का गन्ना पहले बुलवाते हैं इसलिए मध्यप्रदेश का इतना गन्ना लेना बाकी है क्या?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा प्रश्न है। इसमें से कैसे उठता है।

डॉ. गोवर्धनलाल शर्मा : यह जो निर्णय शीघ्रातिशीघ्र किस तिथि तक ले लेंगे। यह बतायेंगे इस मामले में विशेष परिस्थिति में वह निर्णय लेकर कि कब वहाँ काश्तकारों का गन्ना उपयोग में आ सकेगा यह निश्चित बतायेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : मैं कोशिश करूँगा, 2-3 दिन के अन्दर इस पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 8 अप्रैल 1965, पृष्ठ/4083-4049)

1965 के साल का वर्षाकालीन सत्र 23 अगस्त से 12 सितम्बर 65 तक चला। 10 सितम्बर को कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1965 प्रस्तुत किया। इस पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित हुआ। पूरी कार्रवाई यहाँ दी जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 (क्रमांक 52, 1965) का पुरःस्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 (क्रमांक 52, 1965) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा-सा विधेयक है जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 संशोधन के रूप में लाया गया है। मैं इस संबंध में विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यदि कोई माननीय सदस्य किसी प्रश्न पर आपत्ति करेंगे तो उस समय उसका मैं उत्तर दूँगा।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 (क्रमांक 52, 1965) पर विचार किया जाये।

श्री यशवन्तराव मेघावाले (कुरुद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जो संशोधन विधेयक लाये हैं इसके संबंध में, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह एक छोटा-सा विधेयक है तो मैं इसे छोटा-सा विधेयक नहीं मानता हूँ। यह तो बहुत बड़ा विधेयक है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि यह कृषि विश्वविद्यालय एक्ट जिस समय पास हुआ था तो उस समय मंत्री महोदय को यह सोचना था कि जो सर्विसेज शासकीय सेवकों के कृषि विश्वविद्यालयों में गवेषणा वालों के जो कर्मचारी थे तथा जो पशु महाविद्यालयों में कार्य कर रहे थे उन्हें अपने विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जब ले लिया था तो उसके पश्चात् उस विधेयक का प्रभाव कुछ उनकी पेंशन, वेतन और ग्रेच्युटी तथा प्रमोशन पर पड़ा था और उसी प्रकार फिर से शासन यह संशोधन विधेयक का प्रस्ताव ला रहा है और मंत्री महोदय ने इस संशोधन विधेयक में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है; क्योंकि अगर कुछ लोग विश्वविद्यालय में आये तो उससे यह होगा कि सीनियर जूनियर हो जावेंगे और जूनियर सीनियर भी हो सकते हैं, इसलिये आपको यह बताना चाहिये कि वे सीनियर रहेंगे या जूनियर रहेंगे, क्योंकि जब वे शासन से विश्वविद्यालयों की सेवा में गये तो उनके जूनियर सब सीनियर हो गये। जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वे डिप्टी डायरेक्टर हो गये। अब वे पुनः दो वर्षों के बाद अपने विभाग में आयेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। क्या वे उनके अधीनस्थ काम करेंगे या फिर उसी प्रकार समय के अनुसार प्रमोट होंगे। आप इसको कृपा स्पष्ट करेंगे। उनकी पे में और पेंशन वगैरह में क्या परिवर्तन होने वाला है। दो साल के अन्दर उनको सर्विसेज लेंगे तो सारी बातों पर फर्क पड़ेगा। तो इन सब बातों पर आपको विचार करना चाहिये कि वे वहाँ जूनियर बन कर जा रहे हैं या सीनियर बन कर जा रहे हैं या उनकी पे वगैरह किस प्रकार रिवाइज होने वाली है। इसको कृपया आप स्पष्ट करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने शंका की है तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उन कर्मचारियों का सवाल है जो पहले शासकीय कर्मचारी थे और विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी हुए उनकी पेंशन अथवा ग्रेच्युटी में किसी प्रकार कोई अन्तर नहीं आयेगा क्योंकि एक्ट में ही उनको प्रोटेक्ट किया गया है। उनका उतना-का-उतना ही अधिकार बना रहेगा। जहाँ

तक दूसरी बात का सवाल है कि संशोधन करके कुछ लोगों को वहाँ से लायेंगे तो मैं एक चीज को स्पष्ट कर दूँ कि यह विश्वविद्यालय गत वर्ष ही स्थापित हुआ और जो प्रावधान कर रहे हैं वह इस प्रकार का कर रहे हैं कि जिस दिनांक को स्थापित हुआ या जिस दिनांक को ऑप्शन का राइट इसको हुआ उससे यह होगा कि उसकी कंटिन्युटी में कोई फर्क नहीं होगा। इस तरह से 2 सालों के जो कर्मचारी शासकीय सेवा में लेंगे उनकी सीनियारिटी और पे वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैं इसके संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की स्थापना केवल एक विश्वविद्यालय बनाने कृषि के लिये ही नहीं किया गया बल्कि इसलिये किया गया कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा और अन्वेषण करके प्रयोग किया जा रहा है उससे कृषि विभाग का जीता जागता संबंध बना रहे ताकि उनकी जो उपलब्धियाँ हों उनको हम अपनी तरफ ले लें जिससे हम अपने कार्य को और सफल बना सकें और साथ-ही-साथ अपनी, तरफ से समय-समय पर विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग ग्राउंड में भेज दें। इस दृष्टिकोण से यह संशोधन लाया जा रहा है और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इसको स्वीकार किया।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 (क्रमांक 52, 1965) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष : अब विधेयक पर खण्डशः विचार होगा।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 (क्रमांक 52, सन् 1965) पारित किया जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 (क्रमांक 52, सन् 1965) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 (क्रमांक 52, सन् 1965) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)
(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 10 सितंबर 1965, पृष्ठ/1392-1394)

स्वतंत्रता समाज के कतिपय लोगों का भार नहीं, अपितु हर वर्ग, हर समुदाय के लिए सबको संविधान ने समान अधिकार दिए हैं। आत्मविश्वास के आधार पर यदि हम आगे बढ़ने की तमन्ना करें, तो हमारे प्रगति के चरण को कोई रोक नहीं सकता है।

— अर्जुनसिंह
(3 फरवरी, 1975)



1988

1966

सोमवार, सात फरवरी 1966 से विधानसभा का बजट सत्र प्रारम्भ हुआ। 9 फरवरी को कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1966 प्रस्तुत किया। इस पर श्री यशवन्तराव मेघावाले (कुरुद) ने चर्चा में भाग लेते हुए कुछ सुझाव दिये और कहा कि संशोधन के लिये कृषि मंत्री ने जो कारण बताये हैं वे पर्याप्त नहीं जान पड़ते। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्य श्री ज्वाला प्रसाद उपाध्याय (बैकुण्ठपुर) ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे यहाँ खेती मूर्खों के हाथ में चली गयी है। श्री अर्जुनसिंह ने बहस का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही है कि कृषि की शिक्षा किताबी ज्ञान पर आधारित न हो और विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता अखण्ड रहे। जो बोर्ड के सदस्य हैं वे अपने अधिकारों का उपयोग करें। यह विधेयक पारित हुआ। पूरी चर्चा यहाँ प्रकाशित है—

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1966 (क्र. 8, 1966) को पुरःस्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1966 (क्र. 8, 1966) पर विचार किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मूल विधेयक में संशोधन के लिये लाया गया है और वह इस परिस्थिति में लाया जा रहा है कि जो पहला एक्ट था उसमें यह प्रावधान था कि एक्ट के लागू होने के एक साल के अन्दर विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट बोर्ड का गठन हो जाना चाहिये और उस मैनेजमेंट बोर्ड के गठन के लिये अन्य लोगों की सदस्यता के अलावा उनमें जिला पंचायतों की तरफ से भी हर एक संभाग से एक-एक सदस्य के आने का प्रावधान था, चूँकि जिला पंचायतों के चुनाव इमरजेंसी के कारण नहीं हो सके इसलिये इस बोर्ड के गठन में विलम्ब हुआ। इसी वजह से यह आवश्यक हुआ कि एक साल की अवधि को बढ़ाकर 18 महीने किया जावे और जिला पंचायतों के चुनाव के अभाव में पंचायतों के प्रतिनिधियों को इसमें लेने की व्यवस्था की जावे। केवल इसी दृष्टिकोण से यह आर्डीनिन्स जारी किया गया था वरना यूनिवर्सिटी का काम एक्ट के मुताबिक चलना गैर-कानूनी हो जाता, साथ-ही-साथ इस अवसर पर जो प्रस्ताव हमारे पास केन्द्रीय अनुसंधान समिति की ओर से आया था उसको मान्य करके उनके प्रतिनिधि को हमने मैनेजमेंट बोर्ड में रखा है। इतना ही इसमें संशोधन किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1966 (क्र. 8, 1966) पर विचार किया जावे।

श्री यशवन्तराव मेघावाले (कुरुद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो विधेयक है उसमें संशोधन करने के लिए कृषि मंत्री जी ने जो दो कारण बताये हैं वह मुझे पर्याप्त नहीं जान पड़ते। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो सम्पूर्ण विधेयक है उसके बोर्ड में एक सदस्य के नाते मुझे जब जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने स्वयं इसके जो रूल्स हैं और जो स्टेट्यूट्स हैं उसे मनन करने का प्रयत्न किया। मैंने देखा कि सर्व-प्रथम हमारे प्रदेश की निगाह थी कि हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिये और उसके

अनुसार शासन ने हमारे प्रदेश में जबलपुर में उसकी स्थापना की। बाद में पी.एल. 480 के अन्तर्गत जो सहायता हमारे देश को प्राप्त हुई उसके तहत हमारी सरकार ने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने का निश्चय किया और जल्दी-जल्दी में उस कॉलेज के रूल को ही सम्पूर्ण प्रांत के लिये यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाकर रख दिया। मुझे ऐसा लगता है कि केवल दो संशोधनों से ही काम नहीं चलेगा, सम्पूर्ण एक्ट को रिवाइज करना चाहिये क्योंकि एक्ट में शुरू से अन्त तक जो प्रावधान हैं अन्य यूनिवर्सिटी के प्रावधानों से भिन्न हैं। मैं बताऊँगा कि इसमें किस तरह के डिफेक्ट्स हैं। जहाँ राज्यपाल चांसलर हैं, वहाँ हम चांसलर को गवर्नमेंट बाडी मानते हैं और उप-कुलपति चांसलर का नामीनी है। चांसलर को छोड़ और बाकी के बोर्ड के सदस्यों को लिया जावे तो बोर्ड में अधिकांश नामीनेशन ही दिखाई देता है। हमें ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्सिटी पर सरकार हावी रहना चाहती है। अप्रजातांत्रिक तरीके अपनाना चाहती है। देश में प्रोडक्शन को हम महत्व देना चाहते हैं, आज जबकि वैज्ञानिक युग बढ़ता जा रहा है उसके आधार पर हम कृषि को महत्व देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी विधेयक आज जितने यूनिवर्सिटीज के हैं उससे भी सुपरफ्लोअस रूप में हमारे प्रदेश में यह कृषि विश्वविद्यालय का एक्ट लाया जाता है तो प्रदेश की जनता कहीं अधिक अच्छे रूप में स्वीकार करती। एक्ट के जो डिफेक्ट्स हैं उनकी तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जबलपुर में जो यूनिवर्सिटीज कायम की गई हैं, उसके अन्तर्गत 2 वेटेरेनरी कॉलेज एवं 6 एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे प्रदेश में हैं। इस एक्ट के लागू होने के पश्चात् तथा गवर्नमेंट का वर्चस्व रहने के पश्चात् उसी जबलपुर कॉलेज को या तो उसे यूनिवर्सिटी कह लीजिये या कॉलेज कह लीजिये— सारा-का-सारा बजट या अधिकांश भाग एलाट हुआ है। बाकी के सारे कॉलेज जो रीवा के हैं, रायपुर के हैं उनको किसी प्रकार की विशेष राहत नहीं दी गई है। सबसे बड़ी चीज एक और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जब एक संशोधन विधेयक पिछले समय हमारे असेम्बली में आया था तभी हमने शंका प्रकट की थी। जो शासन के कर्मचारी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं उन्हें च्वाइस दी गई थी कि वे दो वर्ष के भीतर यदि चाहें तो गवर्नमेंट में वापस जायें या फिर चाहें तो यूनिवर्सिटी में ही रहें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी श्री बहल के हस्ताक्षर से एक सर्क्यूलर जारी किया गया है कि यद्यपि एक्ट के संशोधन के अनुसार जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है उसके अनुसार— च्वाइस दी गई है किन्तु मैं यह कह देना चाहता हूँ कि यदि आप फिर से गवर्नमेंट में वापस आयेंगे तो हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट में प्रमोशन दिया जाये। मतलब यह है कि शासन के द्वारा एक प्रकार की धमकी दी गई है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही रहना चाहिये, गवर्नमेंट में लौटना नहीं है। जो कॉलेज के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, जो गवर्नमेंट की सेवा में 25 साल तक काम करने वाले शासकीय कर्मचारी हैं और जो यूनिवर्सिटी को ट्रान्सफर किये गये हैं उनके लिये च्वाइस दी गई थी, कृषि मंत्री जी द्वारा यहीं पर असेंबली के फ्लोर पर वायदा किया गया था। परन्तु आज चाहे वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों चाहे प्रिन्सिपल ग्रेड के हों, उनके लिये शासन ने इस तरह की धमकी भरा पत्र दिया है। अब उन कर्मचारियों को लगता है कि यदि हम गवर्नमेंट में वापस जाते हैं तो ज्वाइन्ट डायरेक्टर बन सकेंगे या नहीं, यदि वे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी जिस दिन से खुली है उस दिन से ही वे नौकरी में प्रभावित होते हैं, जो उनके विद्यार्थी रहे हैं वे ही आज उनके आफिसर बन जाते हैं। एक स्टूडेण्ट जो रिसर्च स्कालर था और जो अब यूनिवर्सिटी के बोर्ड में भी आ गया है, वह उनसे ऊपर हो जाते हैं और वे यूनिवर्सिटी के नये सर्विस में आने के कारण नीचे आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्ट में इतने डिफेक्ट्स हैं जिनके संशोधन करने की आवश्यकता है। आपने किस तरह से च्वाइस दी थी कि वे चाहें तो गवर्नमेंट में आ जायें या फिर चाहें तो यूनिवर्सिटी में रहें और अब उनको धमकी दी गई है कि उनको यूनिवर्सिटी में ही रहना चाहिये। हमने यह बात विश्वविद्यालय की बैठक में भी रखी थी तो वहाँ के उप-कुलपति ने कहा कि यह तो असेम्बली की बात है उसे यहाँ पर लाना उचित नहीं है। मैं कृषि मंत्री महोदय का ऐसे कर्मचारियों की सर्विसेज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि रायपुर में एक ड्राइवर है, रायपुर में था और पुराने जमाने में नागपुर में भी वह ड्राइवर एग्रीकल्चर विभाग में था उसने इ.ए.डी से लेकर ज्वाइन्ट डायरेक्टर तथा डायरेक्टर तक को लिखा-पढ़ी की है उसको जो पे दी जाती है वह आज भी कन्टिन्जेंसी से दी जा रही है, आज तक उसकी पे

कन्टिन्जेंसी से ही चल रही है जबकि उसको उसी नौकरी में 22 साल हो गये हैं। नौकरी करते हुए अभी उसको पत्र पहुँचाया गया है कि अब तुम यूनिवर्सिटी को लिखो क्योंकि तुम्हारी सर्विसेज यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। यूनिवर्सिटी भी क्या करे क्योंकि वहाँ पर उसकी सर्विस केवल दो साल की है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिये। आज मंत्री के उत्तर से मालूम यह हुआ कि अनुसंधान केन्द्र बन्द किये जा रहे हैं क्योंकि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यह कार्य ही हुआ करेगा। उसका एरिया बढ़ गया है। मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ रायपुर में तो एग्रीकल्चर कालेज टेण्ट में लग रहा है, वहाँ पर विद्यार्थी टेण्ट के भीतर बैठकर पढ़ रहे हैं। जबलपुर में कॉलेज बिल्डिंग अच्छी है, सिनेमा घर के समान बड़ी सुन्दर लगती है परन्तु रायपुर में तो टेण्ट में ही पढ़ाई हो रही है। एक ही प्रकार की शिक्षा में इस प्रकार की असमानता नहीं होना चाहिये उसको दूर किया जाना चाहिये। मैं कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक्ट में परिवर्तन करना चाहिये, एक्ट को रिवाइज्ड करना चाहिये। पंचायतों के चुनाव के संबंध में मंत्री महोदय ने बताया है कि यह तो शासन की हमेशा की नीति रही है कि ऐसे अवसर पर कुछ-न-कुछ स्टण्टबाजी खड़ी करवा देना और फिर वहाँ पर नामीनेशन करा देना। इस बोर्ड में भी पाँच व्यक्तियों को नामजद किया गया है। वे किसान हैं या नहीं, वे पंचायत में हैं या नहीं, यह भी शासन को नहीं मालूम है। जो शासनाधीशों के यस मैन हैं उनको ही ले लिया गया है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्था में भी इस प्रकार की बातें चलती हैं। हमें जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये और जनता को कुछ सिखाना चाहिये। यह तो कृषि विश्वविद्यालय में हैं इसमें तो कृषकों के बच्चों को ही लिया जाना चाहिये। ऑफीसरों के घर में ऑफीसराना वृत्ति होती है। जो ऑफीसरों के बच्चों को ही लिया जाता है उनकी टेंडेंसी होती है जब वे यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं उसके बाद भी वही टेंडेंसी काम करती है। वे किसानों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यदि इसमें किसानों के बच्चों को लिया जाये तो वे यूनीवर्सिटी से निकलने के बाद यदि उसको नौकरी भी नहीं मिल सकेगी तो वे अपने गाँवों में भी जाकर अपनी खेती का काम कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार कर एक्ट में संशोधन करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद उपाध्याय (बैकुण्ठपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उस पर बोलने के पहले मैं इस सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ। आज भी हम कृषि के बारे में सोच रहे हैं जिस तरह से अंग्रेजी राज्य में हिन्दुस्तान में जो कृषि विद्यालय चला करते थे, उसी तरह के कृषि कॉलेज इस देश में कायम रखना चाहते हैं चाहे उनका नाम हम कुछ भी रख दें चाहे, उनको विश्वविद्यालय कहें। आजकल जितने भी पढ़े-लिखे लोग कॉलेज से निकलते हैं वे काग़ज पर ही खेती किया करते हैं। जितने भी कृषि स्नातक हैं, उनकी पढ़ाई के ज्ञान का लाभ साधारण कृषक नहीं उठा पाता है। वे भी जो प्रैक्टीकल ज्ञान है उससे दूर रहते हैं। तो हम अभी भी वही पुरानी प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं। कृषि विश्वविद्यालय कायम किया है, इतनी आपत्ति आने के बाद देश में हम यह कहने की हालत में हो गये हैं चाहे हम किसी मोर्चे पर कामयाब रहे हों लेकिन खेती के मोर्चे पर हमने हार खाई है। हम दुनिया के सामने मुँह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। शासन का रवैया है कि हर जगह राजनीति से काम किया जाता है। सब जगह राजनैतिक दृष्टि से विचार करते हैं। क्या इस प्रकार से कार्य आगे बढ़ सकता है। खेती के संबंध में तो राजनीति नहीं बरतना चाहिये। इस बात को नहीं देखा जाता कि कार्य हुआ भी है या नहीं। कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस राजनैतिक दांवपेंच के आधार पर काम हो रहा है। इसी को लेकर कानून बने और वह कानून चलते हैं, उसी भूमिका के अनुसार जितनी भी कार्यवाही होती है वह चल रही है, अमेन्डमेन्ट पेश किये जाते हैं, उन्हें पास किया जाता है, वह भी चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सबका नतीजा क्या होगा? कॉलेज-पर-कॉलेज खोले जा रहे हैं, पैसा बर्बाद किया जा रहा है। स्नातक-पर-स्नातक निकल रहे हैं, चाहे कृषि कॉलेज से निकलें चाहे दूसरे शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निकलें। देहात के बच्चे इन संस्थाओं से निकलने के बाद देहात से नफरत करने लगते हैं। वे देहात की तरफ नहीं जाते हैं, उनको देहात से नफरत हो जाती है। कृषि विश्वविद्यालय के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम रखा जाये तो ठीक होगा। इसके अलावा अध्यक्ष

महोदय, सब जगह नामीनेशन की बात सोची जाती है। इतना बड़ा अनर्थ नामीनेशन का यह शासन कर रहा है, कहीं देखने को नहीं मिल सकता। इस प्रकार अनर्थ की पराकाष्ठा पहुँच गई है। अभी नामीनेशन के नाम सामने आये हैं एक श्री मुश्रान का नाम कृषि के संबंध में और दूसरा श्री रणबहादुर का नाम कृषि के संबंध में लिया गया है। रणबहादुर साहब को यह तक पता नहीं होता कि हल का मूँठ किधर होता है। इनसे खेती का क्या संबंध है, फिर बात खेती की कहते हैं। जब आपको यही करना था तो आप इसको सदन में ही क्यों लाये, इसकी क्या आवश्यकता थी? इस सदन की प्रतिष्ठा को क्यों धूल झोंक रहे हैं? जिनका खेती से कोई संबंध नहीं रहा उनसे क्या खेती की उन्नति की आशा कर सकते हैं? इसका नतीजा सामने अध्यक्ष महोदय, आ रहा है। अकाल-पर-अकाल पड़ रहा है। खाने के लाले पड़ रहे हैं। इस तरह का संशोधन करके आप क्या तरक्की कर सकते हैं, संशोधन में यह कहा गया है कि जिले पंचायत का गठन नहीं हुआ है इसलिये पंचायत के निर्वाचन से 60 सदस्यों को कृषि विश्वविद्यालय में नामीनेशन करेंगे। आप अब अध्यक्ष महोदय, देख सकते हैं यह कितने बड़े-बड़े काश्तकार हैं जिनका कि अध्यक्ष महोदय, नामीनेशन किया गया है। श्री मुश्रान साहब, काँग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने खेती पर पाँव तक नहीं रखा, खेती की कीचड़ जिनके कभी पाँव में नहीं लगी, फिर नामीनेशन किया गया है। हम सब लोग किस प्रकार से आँखें बन्द किये हैं, पर अब भी आप अपनी राजनैतिक चाल चलाना चाहते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उसकी दुर्दशा मत होने दीजिये। कृषि विश्वविद्यालय में भी राजनैतिक चालबाजी करना, राजनीतिक का अखाड़ा बनाना अध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है, उनको अपने राजनीतिक ढाँचे में आप ढालना चाहते हैं यह बड़े शर्म की बात है। मैं यह कहूँगा कि इन विश्वविद्यालयों का उपयोग क्या है? मुझे, आप यह बताइये.....

श्री भैरव भारतीय : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उपयोग कैसे नहीं है, उपयोग तो है उज्जैन में जो बुक-डिपो है उसके मालिक को वहाँ के माध्यमिक विद्यालय ने डॉ. की उपाधि दे दी है।

श्री ज्वालाप्रसाद : तो मैं यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय, कि शासन राजनीति में इतना डूब गया है कि उसको सब जगह राजनीति ही चाहिये परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर इससे ऊपर नहीं उठता है तो इस सदन को अलग होकर शासन से विचार करना चाहिये कि आज देश की और प्रान्त की जो खाद्य नीति है और कृषि की जो हालत है उसको देखते हुए किसी और तरह से सुधार हो सकते हैं जो खाद्य में आत्मनिर्भर बना सके। किस तरह के एक्ट बनाये जायें, किस तरह की कृषि की संस्थायें कायम की जायें इन पर विचार किया जाना चाहिये। इस कृषि की शिक्षा के नाम पर सब जगह आप चाहे कितने भी बड़े-बड़े विद्यालय, विश्वविद्यालय खोल दें, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज की पढ़ाई का नवयुवकों पर इतना बुरा असर पड़ रहा है जिससे हम लोगों को लगता है कि आज जो भी थोड़ा-सा पढ़-लिख लेता है उसका खेती की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता। हमारे यहाँ खेती बिलकुल मूर्खों के हाथ में चली गई है यही कारण है कि आज हम इस अधोगति को पहुँच रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मेघावाले जी ने इस विधेयक के ऊपर विचार करते समय मूल विधेयक के संबंध में अपनी एक राय जाहिर की और इस बात पर भी अपनी राय जाहिर की कि जो पद्धति विश्वविद्यालय में शिक्षा की चलाई जा रही है वह पद्धति ही आमूल रूप से गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और सदन को यह बताना उपयुक्त समझता हूँ कि जहाँ तक विधानसभा के सामने इस बिल को लाने का तात्पर्य था वह तो मैंने स्पष्ट किया और जहाँ तक इस बात का संबंध है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई की क्या पद्धति होनी चाहिये उस विषय में मैं समझता हूँ कि बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी इसलिये है कि जब हमने इस विधेयक को सदन में रखा और सदन ने इसे पारित किया और विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था उसी समय इस बात को स्पष्ट किया गया था कि जो वर्तमान पद्धति कृषि शिक्षा की है उसमें परिवर्तन करने के लिये ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह संभव हो सकता है कि यह परिवर्तन जितनी शीघ्रता से आना चाहिये था न आया हो इस बारे में शिकायत हो सकती है और इस बारे में, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता .....

श्री ज्वालाप्रसाद उपाध्याय : आप तो इतना बता दीजिये कि कितने अकाल और पड़ेंगे जब वह परिवर्तन आयेगा?

श्री अर्जुनसिंह : अगर माननीय सदस्य का कहने का मतलब यह है कि अकाल मेरी वजह से पड़ गया

तो जो शिक्षा वैधानिक आधार पर होती है उसके कितना अनुकूल माननीय सदस्य कहते हैं, इस पर यह सदन विचार कर सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक मैं मानता हूँ कि कृषि शिक्षा जो अभी तक किताबी ज्ञान पर दी जाती थी केवल किताबी ज्ञान पर ही न दी जाये यही इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य था कि स्नातक शिक्षा प्राप्त करते समय प्रेक्टिस ज्ञान भी उसे मिले।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, अभी बिलासपुर में हम लोग गये थे तो वहाँ के सारे-के-सारे किसानों ने एक ही शिकायत की थी और वह यह कि जो यह खेतों में सरकारी खाद डालते हैं उससे उनकी फसलें तो बढ़ती हैं लेकिन उससे हमारी एक चीज की बड़ी हानि हो गई है, जब से वे लोग इस खाद को खेतों में डालने लगे हैं तब से उड़द की खेती बिलकुल सत्यानाश हो गई है और यही शिकायत रायपुर में भी किसानों ने की, तो इतनी बड़ी घटनाएँ हो जावें और उस खाद का अन्वेषण तक न हो इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष : क्या हुआ तिवारी जी? क्या कहा आपने, क्या नहीं हुआ?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, खेतों में जो खाद डाली जाती है तो उससे उड़द की खेती बिलकुल नहीं होती है और जो दूसरी छिटक कर चीजें बोई जाती हैं वे भी बिलकुल पैदा नहीं होती हैं और इस तरह से उनकी खेती का सर्वनाश हो गया है। तो यह जो सर्वनाश उनकी खेती का हुआ विभाग द्वारा इसकी जानकारी होनी चाहिये थी। हर जिलों में जो डिप्टी डायरेक्टर इसके लिए बने हैं उनसे हमने बिलासपुर में पूछा और बिलासपुर के अधिकारियों से पूछा लेकिन अध्यक्ष महोदय, उनको इसकी कतई, कुछ भी जानकारी नहीं है। तब आप यह बताइये कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की मान्यता है उसका ध्येय कहाँ तक पूरा होगा?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तिवारी जी की प्रत्येक चीज को मानता हूँ। आपने जो कुछ कहा है यह अपना महत्व रखती है तो मैं इस चीज को देखूँगा और जब मेरी डिमान्ड पर बहस होगी तो इसको आपके सामने रखूँगा। जहाँ तक इसके उद्देश्य का सवाल है तो आप यह न समझिए कि केवल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है बल्कि इसकी नीतियों को परिवर्तित करने का जहाँ तक सवाल है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। अभी डेढ़ साल हुआ है विश्वविद्यालय की स्थापना हुए और इस डेढ़ साल में ही एकदम से कोई चीज परिवर्तन कर दी जावे यह सम्भव नहीं है लेकिन हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक सदस्यों का कहना यह है कि शासन इस विश्वविद्यालय पर हावी रहना चाहता है तो आपको आश्वासन देता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को प्रगति करने के लिए जितनी भी सहायता और सहयोग की आवश्यकता होगी उसको पूरा करने के लिए विभाग सचेष्ट रहेगा और मैं माननीय सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक किसी भी प्रकरण में हमने विश्वविद्यालय से कोई भी पत्र-व्यवहार नहीं किया है जिससे कि उन पर कोई दबाव पड़ा हो। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश की आशाओं के रूप में आया है, तो हम उसको आगे बढ़ाने के लिये जो कुछ भी सहायता हो सकेगी या हम जो कुछ भी कर सकेंगे, करेंगे और उसमें कोई दबाव डालने की चेष्टा नहीं करेंगे। जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है तो इसके लिए माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह बिल क्यों लाया गया है और इसमें सर्विसेज में ऑप्शन दिया जाना चाहिये.....

श्री यशवन्तराव मेघावाले : यह मैं नहीं समझता हूँ बल्कि आपके यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी कहते हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : ऐसा वह गलत समझ रहे हैं और जो आपने शब्द दिया उसी गलतफहमी को दूर करने के लिये यह बता रहा हूँ। यह हमारी बिलकुल मंशा नहीं है कि उन पर दबाव डाला जाये लेकिन उनको यह बताना आवश्यक है कि यदि आज यूनिवर्सिटी में स्थित कर्मचारी विभाग में आना चाहे तो जिस पद पर वे हों वह स्थान यदि हमारे विभाग में न हो तो यह उनके हित में होगा कि वे यह जान लें कि उनको यहाँ जरूरी तौर पर तरक्की नहीं मिल सकती। इसलिये सोच समझकर के ऑप्शन करें।

श्री हरिभाऊ जोशी : आपने एक हाथ से ऑप्शन दिया है और दूसरे हाथ से छीन लिया है। जो रेग्युलर चैनेल के लोग हैं कोई कारण नहीं कि यदि वे आपके यहाँ से अपने विभाग में वापस जाते हैं, अपना लियन होने

के कारण तो उनको स्वाभाविक गति में जो प्रोमोशन मिलता उससे भी आप रोक दें।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने यह नहीं कहा कि उनको प्रोमोशन मिलेगा ही नहीं, लेकिन सवाल है कि पोस्ट तो हो। जैसे वहाँ कोई प्रिन्सिपल है जिसके समकक्ष पोस्ट यहाँ पर ज्वाइन्ट डाइरेक्टर की है लेकिन अगर यहाँ पर कोई पोस्ट वैकेन्ट नहीं है तो कैसे उनको मौका दे सकते हैं। स्थान होगा तभी तो तरक्की दी जायेगी।

श्री यशवन्तराव मेघावाले : तो आप यह क्यों न कर दें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हों या शासन में काम कर रहे हों वे वहीं के वहीं रहेंगे ऐसा कोई डेफिनेट प्रॉविजन हो तो वे आश्वस्त हो जायेंगे कि हमको यहीं पर रहना है।

श्री अर्जुनसिंह : ऑप्शन का मतलब है कि किसी को अपनी पसन्द से चुनने का अधिकार दिया जाये। जब हम ही कर देंगे तो ऑप्शन क्या रह जायेगा।

श्री हरिभाऊ जोशी : ऑप्शन तो आपकी उदारता का नाटक मात्र रह गया है। आपको तो साफ कह देना चाहिये कि जो लोग हमारे विभाग में आयेंगे उनको कोई प्रोमोशन नहीं मिलेगा। हमारे पास पोस्ट नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : ऑप्शन का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी यूनिवर्सिटी के कार्यकलाप से बहुत असन्तुष्ट है और हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हम 'न' नहीं कहेंगे।

श्री काशीप्रसाद पाण्डेय : परिस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय में उनको वेतन ज्यादा मिल रहा है। वे चाहते हैं कि यहाँ पर लियन बना रहे और वहाँ की तनख्वाह मिले। परिणाम यह है कि विभाग के लोगों की तरक्की रुकती है।

श्री यशवन्तराव मेघावाले : हमारे शासन में जो लोग काम करते थे वे प्रिन्सिपल वगैरह बनाकर भेज दिये गये हैं। उनके नीचे जो लोग काम करते थे उनको ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल गया। अब आपने ऑप्शन दिया है और वे वापस आना चाहते हैं। तो क्या वे अब आकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी के हाथ के नीचे काम करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : जो लोग कॉलेज में थे उनका प्रमोशन टीचिंग साइड में होता है और फील्ड के जो हैं उनका फील्ड में होता है। केवल समानान्तर पोस्ट वालों के लोग जो फील्ड में हैं उन लोगों का ही सवाल है। बाकी लैक्चरर्स वगैरह का कोई सवाल नहीं है। अब जहाँ तक असली चीज का सवाल है, माननीय सदस्य जो कोर्ट में गये होंगे वे जानते होंगे कि हमने उम्मीद की थी कि विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद स्केल्स ऑफ पे रिवाइज किया जायेगा और यू.जी.सी. के अनुसार दिया जायेगा, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण रिवीजन अभी तक नहीं हो सका। एक दफे वह रिवीजन हो गया तो दूसरी तरफ होड़ लग जायेगी विभाग में कि हमें विश्वविद्यालय में भेज दिया जाये। यह तो थोड़े समय की बात है, जैसे ही हमारी वित्तीय परिस्थिति ठीक होगी वह स्केल लागू होंगे तो इस समय जो संकट है वह दूर हो जायेगी। जहाँ तक विश्वविद्यालय के काम करने का जो तौर-तरीका है, जैसा मेघावाले जी ने आशा की है, उसके अनुकूल विश्वविद्यालय के आन्तरिक कार्यकलापों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता यदि आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की स्वतन्त्रता अखण्ड रहे और मुझसे यह अपेक्षा करें कि मैं उसके बारे में कोई टीका-टिप्पणी करूँ तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। उसके लिए एक्ट बना हुआ है, आप वहाँ सम्माननीय सदस्य हैं बोर्ड के। इसी विधानसभा ने 5 सदस्यों को चुनकर वहाँ भेजा है और आप लोगों ने उस जिम्मेदारी को लिया है। आप वहाँ अपने अधिकारों का उपयोग करें।

श्री हरिभाऊ जोशी : नामीनेशन का जो क्राइटेरिया है, वह क्या है?

श्री अर्जुनसिंह : एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत वाइस चान्सलर, चान्सलर के पास नाम भेजता है और चान्सलर नियुक्त करता है।

श्री बाबूलाल पालीवाल : विश्वविद्यालय उदारतापूर्वक डिग्री बाँट रहे हैं, जैसे उज्जैन विश्वविद्यालय आदि, तो क्या यह विश्वविद्यालय भी उसी उदारतापूर्वक डिग्री बाँटने का काम करेगा।

श्री अर्जुनसिंह : यह प्रश्न आप उप-कुलपति जी से पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1966 (क्रमांक 8, 1966) पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1966 (क्रमांक 8, 1966) पारित किया जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1966 (क्रमांक 8, 1966) पारित किया जाये।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1966 (क्रमांक 8, 1966) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)
(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 9 फरवरी 1966, पृष्ठ- 220-227)

15 फरवरी 1966 को इन्दौर काँग्रेस अधिवेशन की बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में श्री भालचन्द्र बागदरे ने राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक तारांकित प्रश्न कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह से पूछा। श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने यह आरोप भी लगाया कि यह राशि दलीय हित में वसूल नहीं की जा रही है। प्रश्न, पूरक प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री भालचन्द्र बागदरे : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश काँग्रेस कमेटी की ओर 1957 के इन्दौर में हुए काँग्रेस अधिवेशन के समय से जो रकम बकाया थी उसमें से रु. 14,000 (चौदह हजार) वसूली का नोटिस मध्यप्रदेश काँग्रेस कमेटी को मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिया था? (संदर्भ ता.प्र.सं. 1 (क्र. 13) दिनांक 31-8-65) (ख) यदि हाँ, तो उस पैसे की कितनी रकम अब तक वसूल हुई? (ग) शेष जिस रकम के बारे में अधिकारियों द्वारा जाँच चल रही थी वह जाँच किस स्टेज पर है?

श्री अर्जुनसिंह : (क) 14,000 रुपये तुरन्त अदा करने के लिये सेक्रेटरी, मध्यप्रदेश काँग्रेस कमेटी भोपाल को लिखा गया है (ख) कुछ नहीं (ग) शासकीय स्तर पर एक कमेटी नियुक्त की गई है और उस कमेटी द्वारा वसूली का प्रश्न जाँचा जा रहा है।

श्री भालचन्द्र बागदरे : 31-8-1965 को 14 हजार रुपया वसूल करने का जो नोटिस दिया गया था काँग्रेस कमेटी को, अभी तक यह रुपया क्यों वसूल नहीं हो पाया है?

श्री अर्जुनसिंह : इस संबंध में काँग्रेस कमेटी को लिखा भी गया और 14 हजार रुपये के बारे में स्वयं मैंने अध्यक्ष काँग्रेस कमेटी से चर्चा की और उनसे कहा कि आपको जितने रुपये देने में कोई आपत्ति नहीं है उतने तो दे दीजिये और जिसके बारे में आपत्ति हो उसको बता दीजिये उस पर विचार कर जाँच करली जायेगी। इस पर वे राजी हो गये थे कि हमको दो हजार रुपया हमारे हिसाब से निकलता है जिसको हम दे देंगे और बाकी के बारे में आपत्ति है। जैपुर अधिवेशन में जाने के पूर्व यह चर्चा हुई थी। दो हजार रुपये का चैक तो वे आज दे देंगे।

श्री भालचन्द्र बागदरे : सन् 1957 से वसूली का प्रकरण चल रहा है उसके संबंध में मंत्री महोदय ने सदन को बताया है कि 14 हजार रुपया अनविवाद निकलता है। यह जो 14 हजार रुपया का नोटिस दिया गया है क्या इसमें भी कुछ अनडिसप्यूटेड रुपया है?

श्री अर्जुनसिंह : शासन कम करने के लिये नहीं कह रहा है लेकिन किसी ने आपत्ति उठाई है तो उसका

समाधान करना भी तो शासन का धर्म है।

श्री भालचन्द्र बागदरे : आप कह रहे हैं कि 14 हजार में कोई झगड़ा नहीं है लेकिन वे कम से कम कुछ पैसा तो दें तो फिर यह नोटिस क्यों नहीं दिया गया है?

श्री अर्जुनसिंह : नोटिस तो उनको 57 हजार का दिया गया था आप यह भी कहेंगे कि इतने का नोटिस क्यों दिया गया है। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि शासन की उनसे वसूल करने की मन्शा है और उनकी भी मन्शा देने की है।

श्री यशवन्तराव मेघावाले : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी कई बार आया है। जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय श्री द्रविड़ साहब कृषि मंत्री थे उनसे पूछा गया था कि जिस प्रकार से लैन्ड रेवेन्यू के बकाया पर किसानों से ब्याज लिया जाता है क्या काँग्रेस कमेटी के इस बकाया पर भी ब्याज लिया जायेगा?

श्री अर्जुनसिंह : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : शासन वसूल करना चाहता है और काँग्रेस कमेटी देना भी चाहती है तो फिर सन् 1957 से आज 9 साल हो गये अभी तक वसूल न होने के क्या कारण हैं?

श्री अर्जुनसिंह : इसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ थीं जिनके कारण यह वसूल अभी तक नहीं हो पाया है। अब वे दो हजार रुपया दे रहे हैं और बाकी रुपये के बारे में कुछ विवाद है उसके बारे में जाँच की बात कह रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह प्रश्न जब से अधिवेशन हुआ था सन् 1957 में उसके पश्चात् करीब-करीब हर सत्र में पूछा गया है इतना होने के पश्चात् भी अभी तक एक कौड़ी भी सरकार वसूल क्यों नहीं कर पाई है इसका क्या कारण है?

श्री अर्जुनसिंह : इसका तो बार-बार जवाब दिया जा चुका है।

श्री खुमानसिंह : नोटिस देने के पश्चात् जो भी और कानूनी कार्यवाही होती है क्या वह शासन की ओर से की गई है?

अध्यक्ष : शासन ने इसका उत्तर दिया है।

(इस समय उपाध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया)

श्री रमेशचन्द्र दुबे : प्रदेश काँग्रेस कमेटी के कार्यालय नीलाम आदि की कार्यवाही की गयी है?

श्री अर्जुनसिंह : यह स्वप्न कभी भी साकार नहीं होगा।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : तो फर्नीचर आदि तो नीलाम हो ही जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : आप उस फर्नीचर पर बैठना चाहते हैं लेकिन वह आपको मिलेगा नहीं।

श्री हरिभाऊ जोशी : सब हिसाब देखने के बाद अध्यक्ष महोदय 14 हजार रुपया काँग्रेस कमेटी से लेना था अब यह 9 साल हो गये, 14 हजार रुपये वसूल करने किसी भी संस्थान से इतना समय लग रहा है, क्या यह ढिलाई नहीं है?

श्री अर्जुनसिंह : यह तो मत का प्रश्न है।

श्री भालचन्द्र बागदरे : यह जो समिति का बताया गया है, इस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं?

श्री अर्जुनसिंह : वित्त मंत्री जी के सभापतित्व में समिति गठित की गई है, वित्त मंत्री जी ही हिसाब देख रहे हैं अगर उनको सहायता होगी तो बुला लिया जायेगा?

श्री भालचन्द्र बागदरे : यह घोटाला कब खत्म होकर, और रकम वसूल होकर खजाने में दाखिल हो जायेगी?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यह कोई घोटाला नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह कोई सिविल सूट तो था नहीं काँग्रेस शासन का और काँग्रेस संस्था का निपटारा होना था, इतने वर्ष इसमें गुजर गये, क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि यह दलीय हित में वसूल नहीं किया गया?

श्री अर्जुनसिंह : दलीय हित में वसूल नहीं किया गया यह बात बिलकुल गलत है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 15 फरवरी 1966, पृष्ठ- 584-586)

15 फरवरी 1966 को विपक्ष के नेता श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) ने अपनी ओर से एक अशासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि— "राज्य की खाद्यनीति सर्वथा असफल सिद्ध हुई है।" राज्य की वर्तमान खाद्य स्थिति पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव श्री चन्द्रप्रताप तिवारी का भी था।

श्री सखलेचा ने प्रस्ताव रखते हुए चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद सदस्य श्री बाबूलाल पाटौदी (मध्य इन्दौर शहर) ने अपने विचार रखे। इस चर्चा में श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी) ने कई बार शामिल होते हुए सरकार पर आक्रमण किये और कुछ सुझाव भी दिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने कहा कि— "मैं कहता हूँ कि यह मर्ज है इस सरकार का, उससे कोई सुनिश्चित नीति नहीं तय की जाती और उसके अनुसार कोई काम नहीं चलाया जाता।" उन्होंने आगे कहा कि— "हर पाँच-छह साल में अकाल की स्थिति होती थी, पहले यह बीस-पच्चीस साल में रिपीट होती थी, अब दुर्भाग्य से यह या इनके शुभ कर्मों से चार-पाँच साल में रिपीट होती है।" उन्होंने खाद्य समस्या का हल सुझाते हुए कहा कि— "जब तक हम मोनोपोली परचेज का, समान वितरण करने का और यूनिवर्सल राशनिंग करने का तरीका नहीं अपनाते हैं तब तक इस समस्या को हल नहीं कर पायेंगे।" उन्होंने याद दिलाया कि— "जब कभी भी सदन में फुड पर डिवेट हुआ है मैंने सदैव यही कहा है कि फुड जोन्स हटना चाहिए ... फुड जोन्स बनाकर आप देश के टुकड़े मत करिए।" उन्होंने इस बात पर बल दिया कि— "आप लेवी से छूट दीजिए।" श्री तिवारी ने कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह पर आरोप लगाया कि उनके चुनाव क्षेत्र की पंचायत में भूख से लोग मरे हैं, कृषि मंत्री ने गल्ला बेचने का अधिकार सहकारी समिति को छोड़कर एक व्यक्ति विशेष को दिया है आदि ...

इस प्रस्ताव पर चर्चा 16 फरवरी को भी जारी रही। श्री अर्जुनसिंह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रत्येक आरोप के नियमानुकूल उत्तर दिये। इस दूसरे दिन की चर्चा के अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। चर्चा के पश्चात् प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 51 और विपक्ष में 118 मत पड़े। प्रस्ताव गिर गया—

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का केवल बहुत ही थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे कुछ कहने का अवसर नहीं था लेकिन हमारे परम मित्र सीधी के विधायक ने कल जो बातें कहीं, उनके दृष्टिकोण के संबंध में तो मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता क्योंकि उनकी अधिकांश बातें, इस सदन के बाहर से संबंध रखती हैं फिर भी चूँकि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में वह अंश जो उन्होंने मेरे संबंध में कहा वह विधानसभा की बाहर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, यदि उत्तर में कहीं उसका कोई जिक्र आ जावे तो आप मुझे क्षमा करेंगे।

सबसे पहले तो, अध्यक्ष महोदय, जिन तथ्यों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा उनके बारे में स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि तथ्य तो निर्विवाद होने चाहिए, टीका-टिप्पणी हमारी आपकी अलग हो सकती है, उसके बारे में मत में विभेद हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने कल यह कहा कि को-आपरेटिव मूवमेंट को जो शासन की ओर से प्रेरणा मिल रही है उसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कई मंत्री लोग बाधक हो रहे हैं और उदाहरण स्वरूप उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा, कि चुरहट में फेयर प्राइस शॉप का चार्ज सहकारी समिति को न देकर एक निजी व्यक्ति को दिया गया है जिसकी सिफारिश मैंने की है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : फेयर प्राइस शॉप नहीं कहा सरकारी गल्ले की दूसरी दुकान कहा है।

श्री अर्जुनसिंह : सरकारी गल्ले की फेयर प्राइस शॉप के अलावा और कौन-सी दुकान होती है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : 57 पैसे प्रति किलो के हिसाब से अनाज बेचा जाता है तो दुकानदार यह कहते हैं कि कलेक्टर से मंजूरी ले लेते हैं और दूसरे जिले से गल्ला खरीद लेते हैं और लोगों को कन्ट्रोल रेट से बेच देते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि सबसे पहले श्री तिवारी जी उसको समझ लें। सरकारी गल्ले की केवल फेयर प्राइस शॉप ही होती है और फूड लाइसेन्स के अंतर्गत की दुकान दूसरी होती है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : एक वह भी फेयर प्राइस शॉप से संबंधित नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : श्री तिवारी जी के मन में भ्रम था जो आपने स्पष्ट नहीं किया। सबसे पहले अध्यक्ष

महोदय, माननीय सदस्य ने फेयर प्राइस शॉप की बात दोहराई थी, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जानकारी मेरे देने की नहीं है इसकी पुष्टि भी की जावे। चुरहट ग्राम में फेयर प्राइस शॉप चल रही है जो एक व्यक्ति द्वारा सन् 64 से शासन के नियम के मुताबिक चलाई जा रही है और वह व्यक्ति एक स्वर्णकार है जो स्वर्ण नियंत्रण के तहत प्रभावित हुआ है और वह दुकान आज तक वहाँ चलती है। दूसरी फेयर प्राइस शॉप आज तक चुरहट में कोई नहीं है और जहाँ तक मेरी जानकारी है सहकारी समिति ने कोई आवेदन पत्र भी नहीं दिया है। मेरा तो कहना है कि इसका प्रश्न ही कहाँ उठता है जबकि वहाँ सन् 64 से दुकान चल रही है और नया प्रस्ताव आया या नहीं और माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मैंने को-आपरेटिव सोसायटी को न दिलवाकर एक व्यक्ति विशेष को दिलवा दिया। अब जहाँ दूसरी तरह की दुकान का प्रश्न आता है तो माननीय सदस्य को यह स्मरण होगा कि जब खाद्य मंत्री जी रीवा पधारे थे .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप जरा बरखेड़ा का भी बताईए।

श्री अर्जुनसिंह : इसका तो आपने उल्लेख नहीं किया था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप चुरहट का भी और बरखेड़ा दोनों का बताईए। आपका कॅन्ट्रॉडिक्शन तो चुरहट तहसील के लिये था। मैंने उस समय नाम बताना दूसरों के लिये अच्छा नहीं समझा था। आप कहते हैं तो मैं नाम बताये देता हूँ। जयरामदास ने दुकान लगायी और सरकारी कन्ट्रोल दुकान से गल्ला आता था और बरखेड़ी में जो दुकान है वह आपने प्रायवेट समर्थक को दिलाई है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो आप अब कह रहे हैं पहले ही साफ-साफ कह देते। मेरा तो इतना ही कहना है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप पूछते तो मैं उस समय नाम बता देता मैंने दूसरे सदस्यों को नाम बताना उचित नहीं समझा।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अध्यक्ष महोदय, कोई विधानसभा सत्र नहीं खाली जाता कि अर्जुनसिंह और तिवारी जी की इस तरह से न चलती हो। आप उनको कक्ष में बुलाकर समझा दीजिए।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह अंगद-रावण संवाद के लिये तो एक दिन निश्चित हो जावे तो ठीक रहेगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब खाद्य मंत्री महोदय रीवा गये थे उस समय सब की बैठक हुई थी और सब लोग मौजूद थे तो मोनोपाली और प्रोक्योरमेन्ट का आर्डर नहीं चालू किया गया था बल्कि उस समय इस बात पर कि इसमें संभाग से बाहर किसी तरह से भी ज्यादा से ज्यादा गल्ला आ सके उन उपायों पर वहाँ चर्चा हुई और उस चर्चा में एक सुझाव यह सुझाया गया कि संभाग के बाहर से कोई व्यक्ति प्रायवेट ट्रेडिंग पर गल्ला बाहर से लाना चाहे तो संबंधित जिला अधिकारी से आज्ञा लेकर वह वहाँ गल्ला लाये और निर्धारित भाव पर गल्ला बेचे यह सुझाव सब ही विधायकों ने, आप भी मौजूद थे और शास्त्री जी भी थे, सब ही के सुझाव थे और सबने ही कहा था कि कुछ बंधनों के साथ प्रायवेट लोग लायें और गल्ला बेचें। तो इस तरह से इन व्यक्तियों को दिया गया यह कोई खास चुरहट के लिये नहीं है .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : वह चुरहट में रहते हैं और जहाँ नेहरूजी का स्टेचू लगा हुआ है वहाँ दुकान लगी हुई है।

श्री अर्जुनसिंह : आपने तो कहा कि मैंने एक प्रिफरेन्स देकर दुकान दिलाई है, मेरा कहना है कि शासन की नीति के मुताबिक उनको और जिले के कई अन्य लोगों को परमिट्स मिले हैं।

श्री गौतम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई लायसेंस या परमिट देने का सवाल नहीं था। सवाल था कि जो भी व्यापारी इस बात की घोषणा करे कि मैं बाहर जिले को ग्रामीण क्षेत्र से गल्ला ला सकता हूँ उनको परमिट दिया जावे। इससे किसी व्यक्ति विशेष को कहना कि तुम जाकर लाओ ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो फिर यह मार्केटिंग सोसायटी को क्यों नहीं दिया गया उनको ही क्यों दिया गया?

श्री अर्जुनसिंह : मार्केटिंग सोसायटी खुद लाई है। मैं पूछता हूँ कि क्या बाहर से नहीं लाई गई है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपने लाने को क्यों नहीं कहा?

श्री अर्जुनसिंह : इसमें आप और हम का प्रश्न नहीं है। यहाँ तो जिले के अन्दर बाहर से गल्ला लाने का प्रश्न है।

श्री भैरव भारतीय : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों पहलवानों को किसी अखाड़े में बुलाकर कुश्ती करा दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रकरण बताया है कि ग्रामीण पंचायत का जो सुझाव था उसके आधार पर दुकान दी गई थी। अक्टूबर के पहले आपने जिस सोसायटी का जिक्र किया था उसने भी माँग की और ग्राम पंचायत की ओर से भी माँग की गई थी। अक्टूबर के पहले गल्ले की इतनी आमद नहीं थी....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अर्जी पहले किसकी थी?

श्री अर्जुनसिंह : मान लीजिये को-ऑपरेटिव सोसायटी की ही थी। लेकिन प्रश्न हुआ कि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया कि पंचायत द्वारा दुकानें चलाई जायें, तो पंचायत के प्रस्ताव को ज्यादा महत्व दिया गया। परसों ही आपने ग्राम पंचायत के प्रश्न को लेकर सदन से वाकआउट कर दिया था और आज उसी की खिलाफत करते हैं। पूरे जिले में 138 दुकानें चल रही हैं, 69 दुकानें को-ऑपरेटिव सोसायटी की ओर से चल रही हैं, 49 दुकानें ग्राम पंचायत की ओर से चल रही हैं और केवल 5 दुकानें निजी लोगों की ओर से चल रही है। यह तथ्य की बात रही। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने सदन के बाहर न केवल माननीय सदस्य ने बल्कि इनके पूरे दल ने पिछले दो-तीन महीने से यह प्रचार किया कि जिस जिले से चुनकर कृषि मंत्री यहाँ से गये हैं और वह यहाँ की स्थिति के बारे में शासन को अंधकार में रखते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हाँ कहा है और अभी भी कह रहा हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि एक व्यक्तिगत.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरा औचित्य का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, और वह इसलिये कि बाहर जो भाषण मैंने दिया है उसका हवाला यह देकर मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं और यहाँ वह जो जवाब दे रहे हैं उसका जवाब देने के लिये मुझे मौका नहीं दिया जायेगा जैसा कि पिछले बार किया गया था, इसलिये मैं भी जवाब दूँगा।

अध्यक्ष : आपने जो भाषण यहाँ दिया है उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यहाँ जो भाषण दिया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप जरा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह क्या कह रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने कहा कि पृष्ठभूमि क्या थी उसका जवाब मैंने दिया.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप जवाब दें लेकिन बाहर जो कुछ कहा है उसका जवाब जब आप सदन में दे रहे हैं तो मैं भी उसका जवाब दूँगा।

अध्यक्ष : बाहर के भाषण से निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हैं आप?

श्री अर्जुनसिंह : निष्कर्ष यह निकालना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य ने संपूर्ण रूप से शासन की नीति से सहमति व्यक्त की ....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : पूर्ण रूप से मैंने व्यक्त नहीं की।

श्री अर्जुनसिंह : यह भी सही, कल ही तो माननीय खाद्य मंत्री ने इसके लिये आपको बधाई दी और आपने स्वीकार किया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैंने कोई बधाई स्वीकार नहीं की है न शासन की नीति से पूर्ण सहमति व्यक्त की।

श्री अर्जुनसिंह : अच्छी बात है, मैं इसको भी मान लेता हूँ माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहते हैं तो—

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आई वान्ट टू फेस यू एट एवरी प्वाइंट।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें आपको और इस सदन के प्रत्येक सदस्य को विभिन्न दायित्वों में काम करना पड़ता है। मेरा दायित्व मेरे चुनाव क्षेत्र से है और मेरा एक दायित्व मेरे नेता ने जिस स्थान पर मुझे बिठा दिया है उसका है। प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिये यह अवश्य है कि विभिन्न और प्रायः परस्पर विरोधी दायित्वों के रहते हुए भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह हो कि इस प्रजातंत्र की जिसमें हम आप और सभी आस्था रखते हैं इसे आघात न पहुँचे। मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ कि भले ही मैं सीधी से चुनकर आया हूँ और हमारा क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित है अकाल से लेकिन जो कुछ अपने दायित्व को निभाते हुए मैंने किया है मैंने प्रत्येक समय पर अपने नेता

को सीधी की परिस्थिति के बारे में जानकारी दी है और शासन ने उस पर कार्यवाही की है। मैंने कभी भी वहाँ की हालत के बारे में मुख्य मंत्री को भ्रम में नहीं रखा। इसका ढिंढोरा नहीं पीटा जैसा कि माननीय तिवारी जी करते हैं। मुझे एक भी अवसर ऐसा देखने को नहीं मिला जबकि इस प्रदेश के किसी हिस्से चाहे वह सीधी हो, रायपुर हो, मंदसौर हो वहाँ की शोचनीय समस्याओं को हमारे मंत्रिमण्डल ने या नेता महोदय ने क्षेत्रीयता की भावना से देखा होता, अगर ऐसे समय में, मैं खड़ा होता तो मुझे कह सकते हैं। हमारे प्रदेश की विभिन्न समस्याएँ इसी प्रकार से देखी जाती हैं जैसी मानवीय दृष्टि से देखी जाना चाहिये। इस पर भी माननीय सदस्य ऐसा कहें तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 2-3 मृत्युओं के बारे में चर्चा की थी। और साथ ही साथ यह कहा था कि हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वह क्षेत्र उनके क्षेत्र में मिल गया इसलिये उनकी फिकर नहीं है, वोट नहीं देते इसलिये फिकर नहीं है। यही पृष्ठभूमि थी जो मैंने थोड़े पहले प्रार्थना की थी। वोट किसको देते हैं। यह भूत माननीय सदस्य के सिर पर चढ़े हैं, वह बात किसी न किसी रूप में आती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, यह जो समय है खाद्य समस्या के विचारार्थ है, अब यहाँ चुनाव की बात शुरू हो गई।

अध्यक्ष : वह पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री रामस्वरूप वर्मा : फिर आप कहेंगे कि एक मिनिट देंगे, दो मिनिट देंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : क्या माननीय सदस्य का मत है कि खाद्य समस्या से चुनाव का संबंध नहीं है? खाद्य समस्या से चुनाव का संबंध आता है। सारा भाषण जो है उसको ध्यान में रख कर कहा जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : जो संकेत माननीय मुख्य मंत्री ने किया वह केवल मेरे लिए मार्गदर्शक के रूप में है। मानवीय समस्याएँ जो प्रदेश में हैं उसे दलीय या चुनाव की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इससे एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो। पर वह क्या हमारा कर्तव्य है? किसने वोट दिया है, किसने नहीं दिया है ये माननीय सदस्य आँकड़े रखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। स्वयं माननीय सदस्य के क्षेत्र के लोगों ने मुझसे कहा है, वहाँ दुकानें खुलवाने के लिए कहा है और मैंने आवश्यकता को देखते हुए खैराग्राम में दुकान खोलने के लिये कहा।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : आप वहाँ वोट तोड़ने के लिए गये थे?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : आपका अंदाज बिलकुल ठीक है।

श्री अर्जुनसिंह : व्यक्तियों की मृत्युओं के बारे में वहाँ जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बारी ग्राम पंचायत के संबंध में उल्लेख किया और 3 लोगों के संबंध में एक गुलही की माँ 80 वर्ष की उमर की थी, काफी दिनों से बीमार थी, उसकी मृत्यु हुई। बोड़ी 76 वर्ष की थी, बीमारी से मृत्यु हुई है, छोटी-सी दुकान चलाती थी .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सरपंच का लिखा सुनाते हैं या पता लगाया है, क्या यह जाँच के आधार पर है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सीधी के 31 तारीख को सीधी में थे। ये चीजें अखबार में पहले छप चुकी हैं, मैं दिनांक दे सकता हूँ। 31-2-66 के इशु में छपा, उसमें यह भी था तिवारी जी ने अनुमोदन किया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : और उसके छपने के पहले कलेक्टर को लिखकर दे दिया और उसकी कापी मुझे दे दी थी।

श्री अर्जुनसिंह : उनका कहना है कि तिवारी जी ने स्वयं नहीं कहा। आपकी जानकारी में था और आप डिस्ट्रिक्ट एडवॉयजरी मीटिंग में थे, लेकिन जिलाधीश को आपने नहीं बताया।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : कलेक्टर सत्यवादी है और आप असत्यवादी हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो तीन व्यक्ति हैं इनमें से दो का मैंने बतला दिया और तीसरा व्यक्ति कल्याणसिंह गोंड है जो कतरी गाँव का रहने वाला है और जिसकी उम्र 16-17 वर्ष की है। यह व्यक्ति बहनी स्केयरसिटी वर्क्स में काम करता था, इसलिये यह कहना कि उसको कोई काम नहीं मिला इसलिये वह भूख से मर गया तो वह बात बिलकुल गलत है। असल बात यह है कि काम पर आने के बाद उसके पेट में दर्द पैदा हुआ और वह घर चला गया। घर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई बाद में यह पता चला कि उसके घर में कुछ

अनाज भी मौजूद था जिसकी संख्या भी बता देता हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : कितना क्विंटल था।

श्री अर्जुनसिंह : कम से कम भूख मिटाने के लिये तो था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : घास के सिवाय एक दाना नहीं था।

श्री अर्जुनसिंह : उसके घर में उसके भाई और अन्य व्यक्ति, सब लोग मौजूद थे, यह तथ्य है मैं केवल इतना ही अंत में कहूँगा कि माननीय सदस्य ने जैसा कहा भले उनके लिये वैसा ही उचित हो लेकिन कृपा करके किस चीज की हम लोगों ने शपथ ली है उसको हमें पूरा करना है। आपको हमारी नीति से जो विरोध है, व्यक्तिगत लांछन लगाना हो लगावें लेकिन जो तथ्य हैं उनसे आप इंकार नहीं कर सकते आप जो प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं उसको निबाहने के लिये कम से कम आप इन चीजों को ठंडे दिमाग से सोचें, यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष : (श्री गौतम शर्मा की ओर देखते हुए) आपको कितना समय चाहिए?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, कम से कम मुझे जवाब देने के लिये मौका दीजिए?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आप इन दोनों को अपने कक्ष में बुलाकर समझा दें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिये, आप एक तरफा कार्यवाही करें और हम बात नहीं कर सकते, यह नहीं होना चाहिये मुझे भी सफाई देने का मौका मिलना चाहिये।

श्री गौतम शर्मा : मुझे बोलने के लिये एक घण्टा चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : मैं नहीं बोलूँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी) : मैं दो मिनिट स्पष्टीकरण के लिये चाहता हूँ। पहली बात मुझे यह कहनी है कि जब को-ऑपरेटिव सोसायटी दुकान रखने को तैयार नहीं होती तब उसके बाद ग्राम पंचायत से कहा जाता है कि तुम रखो और जब ग्राम पंचायत तैयार नहीं होती तब फिर व्यक्ति विशेष को दिया जाता है यह तरीका चलता है। को-ऑपरेटिव सोसायटी की अर्जी पड़ी हुई थी फिर भी।

श्री गौतम शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि को-ऑपरेटिव सोसायटी को अगर फेयर प्राइस शॉप खोलना है तो उसे आवेदन-पत्र देना पड़ता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : को-ऑपरेटिव सोसायटी की अर्जी पड़ी थी, उसने इंकार नहीं किया था, इसके बावजूद भी उसको नहीं दिया गया। उसने पहले दी थी लेकिन पंचायत को इजाजत दे दी। पंचायत ने स्वयं नहीं ली बल्कि एक व्यक्ति विशेष को दे दिया, इस तरह से प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि पहले मार्केटिंग सोसायटी इसको लेने को तैयार थी लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति विशेष को दे दिया। खाद्य मंत्री इसकी जाँच कर लें। मैंने वह कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया था, यह कहा था कि खाद्य का सवाल जब मार्केटिंग सोसायटी के माध्यम से करना चाहते हैं तो दूसरे मंत्रियों का सहयोग भी लीजिये, वह बदनाम न करें। यह कोई बड़ा आरोप नहीं था। यह इशारा मात्र था कि और मंत्री ऐसा कर सकते हैं इसलिये आपका ध्यान दिलाया था। अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी ने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि चन्द्रप्रताप तिवारी ने क्षेत्रीयता की भावना से प्रेरित होकर, जातीयता की भावना से प्रेरित होकर यह कहा कि सीधी जिले में अकाल है, तकलीफ है और कृषि मंत्री जी ठीक रिपोर्ट नहीं देते।

श्री पंढरीराव कृदत्त : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा करने केलिये आधा घण्टा समय और बढ़ाया जावे?

अध्यक्ष : मैंने तिवारी जी को दो मिनट दिये हैं, उनको कह लेने दीजिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं 45 मिनट बोला हूँ, अभी तक मेरे दल का और कोई सदस्य नहीं बोला है।

अध्यक्ष : मैं समय दूँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्षेत्रीयता की भावना से प्रेरित होकर नहीं बल्कि मैं वहाँ का

रहने वाला हूँ और वहाँ रहता हूँ, वहाँ की जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है इसलिये मैंने कहा है कि सीधी जिले में अकाल है, भुखमरी है उसके लिये शासन प्रयत्न करे और यह भी कहा कि कृषि मंत्री प्रयत्नशील नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिये।

अध्यक्ष : आप बैठ जावें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं क्यों बैठ जाऊँ? मुझे उनकी बात का जवाब देने दीजिए। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि हमने जरूर कहा कि हमारे कृषि मंत्री जी यह नहीं कहते हैं कि सीधी जिले में अकाल है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। आपकी शिकायत पर मैंने सदन के बाहर की बात नहीं कही थी लेकिन उसी का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप सीधी जिले में अकाल मानते हैं या नहीं यह स्पष्ट कहें? दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि वोट कौन किसे देता है यह बात हमारे दिमाग में है उनके दिमाग में नहीं है। मैं आपसे निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि वोट कौन किसे देता है यह देखकर कितने अधिक काम आपके पक्षपात और भ्रष्टाचार के, सिफारिशबाजी के आपके द्वारा होते हैं इसकी नजीर यदि श्रीमान् चाहेंगे और मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो दे दी जावेगी, वैसे नजीरें बहुत-सी मुख्य मंत्री जी को दी जा चुकी हैं और भी दी जा सकेंगी। मुख्य सवाल यह है कि वोट लेने के लिये हम इन्सानियत को नहीं भूलते हैं, हम क्षेत्रीयता और जातीयता को नहीं पनपाते हैं जैसा अर्जुनसिंह जी कर सकते हैं। वह बतायें कि उन्होंने जिस तरह क्षत्रिय महासभा की बैठक बुलाई उस तरह हमने भी कोई ब्राह्मण महासभा की बैठक बुलाई?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह सही बात है। आप जैसे जातिवादी लोगों की वजह से प्रजातंत्र को खतरा होगा। मुझ जैसे से नहीं होगा।

अध्यक्ष :आप बैठ जावें। ....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 16 फरवरी 1966, पृष्ठ - 851-858)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता-ज्ञापन की चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपने लम्बे भाषण के दौरान श्री गुलाबचन्द तामोट ने हिन्दी भाषा में राजकाज करने पर जोर देते हुए एक शिकायत की। उन्होंने कहा— "... मैं नहीं जानता मुख्य मंत्री जी हिन्दी में उसे छपवायेंगे या नहीं। और मैं क्या बताऊँ, हमारे कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँगा कि कृषि के डायरेक्टर साहब ने मुझे एक निमन्त्रण पत्र भेजा और वह अँग्रेजी में। फल-फूलों की कोई प्रदर्शनी लगी थी और उसमें जाने का मेरा बड़ा मन था, क्योंकि इस उम्र में फल-फूल नहीं देखूँ अध्यक्ष महोदय, तो फिर क्या देखूँ। लेकिन कृषि विभाग के डायरेक्टर महोदय ने जो अँग्रेजी में निमन्त्रण दिया उसके कारण मैं न देख सका और उसका मुझे अफसोस है।"

यह सुनकर कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह बोले— "अध्यक्ष महोदय, कृषि के डायरेक्टर द्वारा जो अँग्रेजी में निमन्त्रण भेजा गया उसके लिए में खेद प्रकट करता हूँ और तामोट जी को अपनी सरल हिन्दी में वह प्रदर्शनी देखने के लिए निमंत्रित करता हूँ।"

इस पर तामोट जी बोले— "अब तो वे फूल बासी हो गये होंगे साहब! मैं तो ताज़े फूल देखने का आदी हूँ। लेकिन खैर! जैसा कि अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 21 फरवरी 1966, पृष्ठ - 1158)

इन्दौर और उज्जैन में बारदाना खरीद को लेकर श्री भैरव भारतीय का तारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न और उनके उत्तर—

20. **(क्र. 1525) श्री भैरव भारतीय** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क)

मध्यप्रदेश के कृषि विभाग ने उज्जैन या इंदौर के व्यापारियों से अक्टूबर, नवम्बर या दिसम्बर, 1965 में बारदाना (थैले) की कितनी गठानें किस-किस व्यापारी से किस भाव पर खरीदीं? (ख) क्या इसके लिये टेंडर हेतु कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी? (ग) यदि हाँ, तो किन-किन समाचार-पत्रों में? (घ) यह बारदाना कितने का खरीदा गया? (ङ) जिस दिन बारदाना लिया गया उस दिन बारदाना के भाव बाजार में क्या हैं? क्या इसकी जाँच कराई गई थी?

श्री अर्जुनसिंह : (क) माह नवम्बर सन् 1965 में उज्जैन के ही व्यापारी श्री रामदयाल रामरतन जनरल मर्चेन्ट एन्ड कमीशन एजेंट से रु. 1.87 पैसे प्रति बोरा स्थानीय डिलीवरी के भाव से 460 गठानें खरीदी का आर्डर 27-11-65 को दिया गया था। इस आर्डर का माल दिसंबर में प्राप्त हुआ। उपरोक्त भाव में सब प्रकार का खर्च सम्मिलित है। (ख) हाँ (ग) दैनिक हितवाद व नवभारत टाइम्स में। (घ) कुल राशि 3,62,480.00 का बारदाना खरीदा गया। (ङ) आर्डर देने के समय कलकत्ता के 'स्पाट कोटेशन' समाचार-पत्रों में देख लिये गये थे, जिस पर बाजार रहता है, जिससे कि खर्च मिलाकर स्थानीय भाव का अन्दाजा किया जा सकता है। वैसे टेन्डर मँगाने पर बाजार के भाव का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरव भारतीय : 460 गठानें बारदाने की उज्जैन से खरीदी गई हैं इसके कोटेशन्स के लिये, टेन्डर्स के लिये मध्यप्रदेश के और खासकर उज्जैन, इंदौर के समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली गई?

श्री अर्जुनसिंह : दो समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई थी, वहीं के अखबारों में क्यों नहीं निकाली गई। इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जिन अखबारों में निकाली गई वह राज्य के प्रमुख अखबार हैं।

श्री भैरव भारतीय : नवभारत टाइम्स राज्य का प्रमुख अखबार नहीं है, अँग्रेजी का हितवाद अवश्य राज्य का प्रमुख है लेकिन मध्यप्रदेश के अन्य प्रमुख अखबारों में यह विज्ञप्ति न निकालने का क्या कारण है?

श्री अर्जुनसिंह : हितवाद को तो आप भी राज्य का प्रमुख अखबार मानते हैं और नवभारत टाइम्स भारतवर्ष का प्रमुख अखबार है।

श्री भैरव भारतीय : हितवाद सिर्फ अँग्रेजी का अखबार है नवभारत टाइम्स एक लीडिंग अखबार है लेकिन वह देहली से या बम्बई से निकलता है लेकिन मध्यप्रदेश के हिन्दी के जो प्रमुख अखबार हैं उनमें यह विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली गई?

श्री अर्जुनसिंह : इसकी जाँच करवा लूँगा।

श्री भैरव भारतीय : यह जो आपने रु. 1.87 पैसे फी बोरा के हिसाब से 460 गांठें खरीदीं क्या आप जाँच करवायेंगे कि उस वक्त बाजार में भाव 1.65 का था जबकि 1.87 के भाव से खरीद की?

श्री अर्जुनसिंह : उस समय के कलकत्ता के स्पाट कोटेशन्स के अनुसार 173 प्रतिशत का भाव था। जिस भाव पर खरीद की गई है वह भाव स्पाट डिलीवरी का है।

श्री भैरव भारतीय : जो बारदाना खरीदा गया वह किस क्वालिटी का था, किस किस्म का था?

श्री अर्जुनसिंह : नोटिस चाहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा : इस सम्बन्ध में टेन्डर्स का नोटिफिकेशन हुआ था तो कितने टेन्डर्स आये थे?

श्री अर्जुनसिंह : इसके लिये नोटिस चाहिए।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सप्लीमेन्टरी में पूछा जा सकता है कि कितने टेन्डर्स आये और उनमें लोएस्ट किसका था और हाइएस्ट किसका था यह जानकारी मंत्री जी को ज्ञात होना चाहिये?

श्री अर्जुनसिंह : नोटिस दें तो बता सकूँगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। मुझे यह बताया जावे कि नोटिस देने की आवश्यकता क्या है जबकि 25 दिन पहले नियमानुसार नोटिस दिया जाता है और प्रश्न शासन के पास जाता है और उस पर से शासन जवाब तैयार करता है। मंत्री जी को ज्ञात होना चाहिये था कि यह प्रश्न सप्लीमेन्टरी में पूछा जा सकता है कि कितने टेन्डर्स आये, उनमें लोएस्ट कितने का था और हाइएस्ट कितने का था?

अध्यक्ष : आप उत्तर को पढ़िए।

श्री रामस्वरूप वर्मा : प्रश्न पूछा था कि कितनी गठानें किस भाव पर खरीदीं तो उत्तर दिया गया है कि माह नवम्बर 1965 में उज्जैन के ही व्यापारी श्री रामदयाल रामरतन जनरल, मर्चेन्ट एन्ड कमीशन एजेण्ट से रुपये 1.87 पैसे प्रति बोरा स्थानीय डिलीवरी के भाव से 460 गठानें खरीदी का ऑर्डर 27 नवम्बर 1965 को दिया गया था?

अध्यक्ष : टेन्डर के बारे में पढ़िए?

श्री रामस्वरूप वर्मा : टेन्डर आये हैं यह निश्चित बात है।

अध्यक्ष : इसीलिये उन्होंने कहा है कि आप नोटिस देंगे तो बताएँगे। वह प्रश्न में पूछा नहीं गया है, इसलिये वे कहते हैं कि नोटिस चाहिए।

श्री भैरव भारतीय : अध्यक्ष महोदय, इसमें भयंकर घपला हुआ है, हजारों रुपये का घपला हुआ है, क्या आप इसकी जाँच करवायेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : यदि माननीय सदस्य मुझे कोई निश्चित जानकारी देंगे तो मैं निश्चित रूप से जाँच करवाऊँगा।

श्री भैरव भारतीय : उस समय 165 रुपये का भाव था। उसमें व्यापारियों से मिलकर घोटाला किया गया है तो क्या आप इसकी जाँच करवायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि आप ये सब चीजें लिखकर उनको दें तो वे जाँच करवायेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा : जब प्रश्न सदन में पूछा गया था तो उस पर लिखकर देने की क्या आवश्यकता है, वे जाँच क्यों नहीं करवाते?

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि ये सारी बातें लिखकर दे दीजिये। आपने उनका उत्तर सुना नहीं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : जिनसे यह माल खरीदा गया, आपने उत्तर में बताया है कि ऑर्डर देने के समय कलकत्ता के 'स्पाट कोटेशन' समाचार-पत्रों में देख लिये गये थे तो ये कलकत्ता के "स्पाट कोटेशन" समाचार-पत्र कौन-कौन से हैं?

श्री अर्जुनसिंह : स्पाट कोटेशन किस अखबार से देखे, यह मैं इस समय कैसे बता सकता हूँ क्योंकि उस समय देखे होंगे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : उस समय देखे गये होंगे तो आपको बताना चाहिए?

श्री अर्जुनसिंह : मैं कहता हूँ कि स्पाट कोटेशन देखकर भाव निर्धारित किये गये; लेकिन किस अखबार से देखे गये, यह मैं इस समय कैसे बता सकता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : स्पाट कोटेशन कितने का था और किस भाव से खरीदे गये हैं?

श्री अर्जुनसिंह : 173 रुपये प्रति सैकड़ा था और उसमें सब जोड़कर किया गया है जो उत्तर में बताया गया है।

श्री कृष्णकुमार कटारे : क्या आपने टेण्डर बुलवाये थे और अगर बुलवाये थे तो कितने टेन्डर आये थे?

श्री अर्जुनसिंह : मैं इस पूरे प्रकरण को मँगाकर देख लूँगा और जो जानकारी माननीय सदस्यों ने दी है, उस पृष्ठभूमि पर भी इसको देख लूँगा।

श्री कृष्णकुमार कटारे : टेन्डर बुलवाये थे या नहीं और अगर बुलवाये थे तो कितने टेन्डर आये थे?

श्री अर्जुनसिंह : जो जानकारी मेरे पास थी वह मैंने माननीय सदस्यों को दे दी। अब यदि माननीय सदस्य उस पर संतुष्ट नहीं हैं तो मैं वचन देता हूँ कि उस पूरे प्रकरण को मँगाकर देख लूँगा।

अध्यक्ष : क्या मैं इस प्रश्न को दूसरे दिन के लिये रख दूँ?

श्री अर्जुनसिंह : हाँ, रख दीजिये।

अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को दूसरे दिन के लिये रखे देता हूँ।...

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 23 फरवरी 1966, पृष्ठ - 1294-1297)

श्री भैरव भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो बारदाने की गठानें खरीदी गईं तो ये किस क्वालिटी की गठानें थीं?

श्री अर्जुनसिंह : इसके लिए नोटिस चाहिये।

श्री भैरव भारतीय : उस दिन भी मैंने पूछा था तो आपने कहा था कि जानकारी लेकर बताऊँगा। इसलिए मंत्री जी यह बतायें कि कलकत्ता के कौन-से समाचार-पत्रों में आपने ये स्पाट कोटेशन देख लिए थे।

श्री अर्जुनसिंह : दिनांक 26 नवम्बर, 1965 के इंडियन एक्सप्रेस में ये अंक देखे थे।

श्री भैरव भारतीय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस दिन के इंडियन एक्सप्रेस में किस किस्म के बारदाने के क्या-क्या भाव बताये थे और आपके अधिकारियों ने किस किस्म का खर्च करना तय किया?

श्री अर्जुनसिंह : स्पाट कोटेशन्स का इसमें देखा था। जो अलग-अलग दो टेन्डर्स आए थे और उसमें जो प्राइस कोट किया इन सबको जब मैं देख लूँगा तब बता सकूँगा।

श्री भैरव भारतीय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि हितवाद में और नवभारत टाइम्स में विज्ञापन प्रकाशित किया गया? आमतौर पर मध्यप्रदेश के व्यापारी मध्यप्रदेश के अखबारों को ही ज्यादा देखते हैं और वह भी हिन्दी अखबार तो फिर क्या कारण है कि आपके अधिकारियों ने हिन्दी के अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया। आपने हितवाद और नवभारत टाइम्स में विज्ञापन निकाला, उसका मुझे एतराज नहीं है, लेकिन इंदौर से, उज्जैन से और भोपाल तथा अन्य जगहों से भी हिन्दी के समाचार-पत्र निकलते हैं तो उनमें क्यों नहीं निकाला?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञप्ति निकालने का पूरा कार्य संचालक सूचना विभाग के कार्यालय से होता है और हर एक विभाग अपनी आवश्यकता निकलवाना चाहता है तो उनको सूचित करता है कि यह अखबारों में निकालें। हिन्दी का अखबार नवभारत टाइम्स और हितवाद अपने प्रदेश का एक प्रमुख अखबार माना जाता है इसलिए उन्होंने उसमें निकाला, लेकिन दूसरों में क्यों नहीं निकाला, इसका में उत्तर नहीं दे सकता।

श्री भैरव भारतीय : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात की जाँच करवायेंगे कि जिस फर्म से बारदाना खरीदा गया 750 रु. का उस दिन मार्केट भाव 165 था जबकि यह 187 में खरीदा गया। इस तरह से 3 1/2 लाख रुपयों का बारदाना खरीदा गया तो क्या आप इसकी जाँच करवायेंगे कि इसमें आपके विभाग के अधिकारियों ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है और जानबूझकर किया है व्यापारियों के माध्यम से?

श्री अर्जुनसिंह : यदि कोई तथ्य सामने आते हैं जिनसे कि माननीय सदस्य के आरोपों से पुष्टि मिलती है तो मैं अवश्य जाँच करवाऊँगा।

श्री भैरव भारतीय : यह बिलकुल स्पष्ट है कि .....

उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने जाँच करवाने का आश्वासन तो दे दिया है।

श्री भैरव भारतीय : वे स्पष्ट आश्वासन दें मेरे आरोप का। दिल्ली के हिन्दी अखबार, मध्यप्रदेश के अँग्रेजी अखबार, जहाँ से जिस डिपार्टमेंट ने बारदाना खरीदा है, में विज्ञापन नहीं देंगे। प्रदेश के जो हिन्दी अखबार निकलते हैं उनमें देंगे। मेरा आरोप है कि जानबूझकर आपके अधिकारियों ने यहाँ के, इन्दौर के, उज्जैन के हिन्दी समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया।

उपाध्यक्ष : इसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री भैरव भारतीय : उत्तर नहीं आया है, मैं विभाग पर आरोप लगाता हूँ कि उसमें 20 लाख रुपयों का गबन हुआ है।

श्री आत्माराम इंगोले : मेरा औचित्य का प्रश्न है कि जब माननीय सदस्य स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि 20 लाख रुपयों का गवन किया गया है तो मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए?

श्री अर्जुनसिंह : मैं जाँच का आश्वासन पहले ही दे चुका हूँ, अब अगर माननीय सदस्य नहीं मानते तो मैं क्या करूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 2 मार्च 1966, पृष्ठ - 1881-1882)

वर्ष 1966-67 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के दौरान सदस्य पंडित सूर्यदेव शर्मा दतिया ने बहस में हिस्सा लेते हुए कुछ रोचक परिभाषाएँ प्रस्तुत कीं। उनके वक्तव्य के अंश यहाँ प्रस्तुत हैं—

श्री सूर्यदेव शर्मा (दतिया) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1962 के आम चुनाव के बाद इस काँग्रेस गवर्नमेन्ट का यह पाँचवा समाजवादी बजट प्रस्तुत हुआ है और इस पर सदन बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है।

उभय पक्ष के सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं। बहुत से लोगों ने तो इसमें डुबकी लगाकर समाजवाद का स्वाद लेना चाहा। हमारे माननीय तिवारी जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत डुबकी लगाई, इसमें समाजवाद की बू नजर नहीं आ रही है। अध्यक्ष महोदय, समाजवाद की व्याख्या अभी तक नहीं हो पाई कि समाजवाद क्या चीज है, फिर समाजवाद की ढूँढ लगाने वाले व्यस्त हैं, व्यग्र हैं या चिन्तित हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी से पूछिए, हमारे मुख्य मंत्री जी से पूछिए कि समाजवाद क्या है तो वे कहेंगे कि "A society without जनसंघ is fit for socialism" मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि जनसंघ को खत्म कर दीजिए तो समाजवाद आ जायेगा। माननीय तिवारी जी कहेंगे कि ए मिनिस्ट्री विदाउट अर्जुनसिंह इस फिट फार सोशलिज्म। अगर आप कहीं तामोट जी से पूछ बैठे तो वे कहेंगे कि ग्रेटेस्ट एनमी आफ सोशलिज्म इज डॉ. शर्मा। अगर आप हमारे जनाबेआली से पूछिए....

उपाध्यक्ष : आप अपनी कहिए।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, समाजवादी बजट है, उस पर बोल रहा हूँ। यह जनरल डिस्कशन है, आप भूलें मत। तो जनाबेआली कहेंगे कि अगर कहीं चाऊ एन लाई और रूस वाले मिल जायें तो अपने आप समाजवाद आ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि समाजवाद जिनका नारा है उनके चेहरे फीके पड़े हुए हैं, ये लुटे बैठे हैं।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : आपने रामराज्य की रानी साहिबा के बारे में नहीं बताया।

श्री सूर्यदेव शर्मा : आप बैठ जाइये। रामराज्य में समाजवाद नहीं है और न जनसंघ में समाजवाद है। यह समाजवाद का ढोंग अपनी तरफ नहीं है। अब अध्यक्ष महोदय, ये समाजवादी क्यों परेशान हैं, यह क्यों ठगे हुए से हैं, उनका नारा ही काँग्रेस ने छीन लिया है। पाटौदी जी ने कहा कि पंचतन्त्र सुनाइये। तो मैं पंचतन्त्र की एक कथा सुना रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक जंगल में एक शेर था। वह दिन भर शिकार को ढूँढता रहा, उसको शिकार मिला नहीं, वह भूखा था। कोई सिद्धान्त, गांधीवाद या कोई फिलासफी उसकी मदद नहीं कर रहा था। बेचारा भूखा था। ढूँढते-ढूँढते उसने देखा तो एक गुफा गीदड़ों की थी, उसने सोचा कि इसी में घुस जाओ। उसे भूख लग रही थी, उसने सोचा कि इसमें अपने आप जानवर आयेंगे और मैं उनको खा लूँगा। वह उसी में घुस गया। जो गुफा में जाने वाले जानवर थे, वे जल्दी-जल्दी उसमें घुसते गए और वह उनको एक-एक कर मारता खाता रहा। उस गुफा में अशोक मेहता, आचार्य कृपलानी जैसे आते गए। यहाँ पर भी रामकिशोर शुक्ल जैसे अनेकों घुसते गए। एक गीदड़ उसमें चालाक था। मैं गीदड़ इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें गीदड़ ही लिखा है। एक चालाक था। उसने देखा कि इसमें शेर के अन्दर जाने के चिन्ह हैं किन्तु बाहर लौटने के नहीं हैं। ऐसा न हो कि शेर गुफा के अन्दर ही बैठा हो। उनसे बाहर से ही पुकारना शुरू किया कि ऐ कन्दरा, ऐ कन्दरा, ऐ बिल, ऐ बिल, क्या तुम भूल गए हो कि हमारा तुम्हारा करार है कि जब हम आवाज लगायें तब तुम जवाब दो और तभी हम भीतर आयेंगे, नहीं तो नहीं आयेंगे। बैठे हुए शेर ने सोचा कि बिना बोले यह आता नहीं है। ऐसा लगता है कि यह बिल हमारे आने के कारण डर गया है इसीलिए नहीं बोल रहा है। उसने जोर से आवाज लगाई, हाँ, चले आओ। वह गीदड़ डाक्टर लोहिया समझा जाये, उसने सोचा कि इसमें खतरा है। उसने फौरन छलांग लगाई और लौट गया। उसने इस श्लोक को कहा—

"अनागतं या गुरुते स शोभते...."

वह कहता है कि बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाता है, उसमें पछताना पड़ता है इसलिए सोच समझ कर काम करना चाहिए। गीदड़ ने सोचा कि हमारी जिन्दगी जंगल में बीत गई, यह पहली बार गुफा के अन्दर से आवाज आ रही है समाजवाद, समाजवाद बुड्ढा शेर बैठा हुआ है। एक-एक को खाता जाता है। समाजवाद का नारा लगाता जाता है, यह बात गड़बड़ है। उस गीदड़ ने सब लोगों को बुलाया और कहा कि आप सब मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाइए, सन् 1967 का चुनाव आ रहा है। नहीं तो शेर हम सबको खा जायेगा। यह काँग्रेस का बजट है, इसमें खामखाँ को समाजवाद ढूँढ रहे हैं। उनका समाजवाद क्या है, मैं बताये देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने चढ़ाई की सितम्बर में अक्टूबर में देशभक्ति से ओतप्रोत होकर, भावनाओं के वशीभूत होकर हमारे मन्त्री मण्डल के

सब राज्य मन्त्रियों ने अपने वेतन में से दस परसेन्ट की कटौती कर दी और उसको डिफेन्स फण्ड में दे दिया सब राज्य मन्त्री मिलाकर 20 मंत्री हैं करीब 17 सौ रुपया आता है। इस प्रकार अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर तीन महीने इन्होंने दिया होगा इनकी ईमानदारी पर शक नहीं करता हूँ। इस प्रकार 17 सौ रुपया महीना दिया तो कुल 51 सौ रुपया हुआ। यानी पांच हजार रुपया हुआ। एक विधानसभा का प्रश्न है जिसमें बताया गया है कि अगस्त से दिसम्बर तक टी.ए.डी.ए. में 35 हजार रुपया मंत्रियों ने लिया है। तो पाँच हजार देकर 35 हजार ले लिया यह कहाँ तक बुरा है, और इतना सुन्दर समाजवाद कहाँ आएगा, और तारीफ सुनिए हमारे समाजवादी बजट की। जिस प्रदेश की स्थिति के बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं है। हमारे यहाँ विन्ध्य क्षेत्र में और महाकौशल क्षेत्र में चारों ओर हा-हा-कार मचा हुआ है। मजदूर दाने-दाने को तरस रहा है। सदन के सब ही सदस्य चाहे वे उधर के हों चाहे इधर के हों, चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहाँ अनाज नहीं है, यह सब सर्वे रिपोर्ट है।

16 हजार गाँव ऐसे हैं जहाँ पर शुद्ध पीने के पानी की अत्यन्त आवश्यकता है वहाँ पर कुएँ नहीं। 12 हजार ऐसे गाँव हैं जहाँ पर कुएँ तो हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, इसलिए उनको गहरा करना या सुधारना बहुत आवश्यक है। जिस प्रदेश में यह दशा हो लोगों को शुद्ध पानी तक पीने को नहीं मिलता हो अनाज नहीं मिलता हो। दूसरी ओर समाजवाद का नमूना आपको देखने को मिलेगा कि एक विशाल सुन्दर भवन एक करोड़ रुपया लगाकर सेक्रेटिएट बना दिया गया है। अगर एक किसान वहाँ जाए तो उसको झाँकने में ही उसकी पगड़ी गिर जाए। किसान तो भीतर जा भी नहीं सकता है। जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है। यदि कोई विधानसभा का सदस्य भी वल्लभभवन के भीतर जाना चाहे तो नहीं जा सकता है एक नोटिस आया था कि जो भी विधानसभा के सदस्य वल्लभभवन जाना चाहते हैं वे पास बनवा लें। वहाँ जाकर कोई की सुनवाई भी तो नहीं हो सकती है। मैंने तो मना कर दिया कौन जाए वहाँ पर धक्का-मुक्का करने के लिए। किसी नागरिक का काम अपने आप हो नहीं सकता और बिना परमीशन के कोई उस भवन में घुस नहीं सकता। स्थिति विचित्र है। इस राज्य से अच्छी तो जहाँगीर की शासन व्यवस्था थी, जिसके महल के नीचे घण्टा तो लटक रहा था, जिसके बजा देने से सम्राट स्वयं फरियाद सुन लेता था।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : उपाध्यक्ष महोदय, घण्टा इसलिए नहीं बांधा उन्होंने कि यह 24 घण्टे हिलाते रहते।

श्री सूर्यदेव शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट के घण्टे का इनको बहुत पता रहता है। यह जो समाजवादी जैसा कि मैंने अभी बताया है बजट हमारे प्रदेश के वयोवृद्ध वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है जिसके शुरू में ही 33 करोड़ रुपये का घाटा बताया गया है, खर्च अधिक है, परिवार बड़ा है जिस प्रकार से कम आय वाले और बड़े परिवार वाला मुखिया परेशान रहता है उसको चारों तरफ की चिन्ताएँ घेरे रहती हैं उसी प्रकार से पंडित जी भी परेशान हैं। मस्तिष्क ठिकाने नहीं है सब कुछ भूल गए हैं।.....

14 मार्च 1966 को मुख्य मंत्री पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र ने 1966-67 के आय-व्ययक की अपने विभाग की माँगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 15 मार्च को भी इन माँगों पर चर्चा जारी रही। सामान्य प्रशासन विभाग पर हुई चर्चा का जवाब कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने दिया—

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में जो अपने विचार रखे, बहुमूल्य सुझाव दिए, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मुख्य-मुख्य दो-तीन बातें जो सुझाव के बतौर या आलोचना के बतौर कहीं गई हैं, उनके सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ।

श्री बागदरे जी ने यह आक्षेप लगाया कि मन्दसौर में दौरे के समय माननीय श्रम मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री किसी ऐसे पंच के यहाँ ठहरे थे कि जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही थी। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि सहकारिता सम्मेलन हो रहा था और उसमें शामिल होने के लिए वे गए थे और वे किसी के घर नहीं ठहरे थे।

इसके पश्चात् माननीय दुबे जी ने भी कुछ अधिकारियों और पुलिस के सम्बन्ध में बातें कहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको सुन लिया है, मैं केवल इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को, शिकायतों को

बड़ा महत्व दिया जाता है उनके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही जानकारी आएगी वैसी कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरिभाऊ जोशी : कमिश्नर चटर्जी के सम्बन्ध में दो महीने से शिकायत की गई है आपने अभी तक क्या किया। मेरे यहाँ ताकले में डाक बंगले के एक चपरासी या चौकीदार को पीटा गया, उन्होंने शराब पी और अनन्त साहब को भी निकाल दिया था।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : जाँच अभी समाप्त नहीं हुई है चल रही है।

श्री मोहनलाल सेठिया : माननीय मंत्री जी ने गलत जवाब दिया है, मंत्री लोग ऐसे आदमी के यहाँ ठहरे थे यह बात गलत है परन्तु मैं कहता हूँ कि उनका कहना गलत है वे वहाँ ठहरे ही नहीं थे बल्कि उसको सरकारी गाड़ी में घुमाया, उसको जिसने कि भ्रष्टाचार किया और गबन किया और जिसके खिलाफ कि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : सीधी से आए हुए माननीय विधायक ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्थायी समिति की बैठकें नहीं होतीं एक ही हुई है। वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग की दो बैठकें 1964 में 13.1.64 को हुई और 1965 में दो बैठकें हुई 5-2-65 को और 28-3-65 को और इन चारों बैठकों में माननीय सदस्य उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसके सम्बंध में भी कहा है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा जो भी विज्ञापन दिये जाते हैं वह केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से दिए जाते हैं, इसलिये मैं सदन और माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूँ कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा जो विज्ञापन दिए जाते हैं वह इस प्रकार की कोई मान्यता के आधार पर नहीं दिये जाते हैं। इसका प्रमाण यह है कि इस प्रदेश में जो विरोधी पार्टी द्वारा चलाये हुए पत्र हैं उनको भी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से विज्ञापन दिए जाते हैं इसलिए यह कहना सर्वथा गलत होगा कि केवल राजनैतिक दृष्टिकोण वाले पत्रों को ही दिए जाते हैं।

इसके बाद मैं माननीय सदस्यों के सामने एक सिद्धान्त रूप से .....

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : जो विरोधी पार्टी के सदस्य हैं उसमें भी राजनैतिक दृष्टिकोण हो सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : यह आपका मत हो सकता है। हम तो निष्पक्ष मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन की एक प्रजातांत्रिक शासन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इन जिम्मेदारियों को शासन कैसे निभा रहा है यह उस आलोचना और समालोचनाओं का प्रश्न हो जाता है जबकि कुछ माननीय सदस्यों ने इस तथ्य पर भी उसके कार्यकलापों की समीक्षा की। इसलिये मैं माननीय सदस्यों के सामने कहना चाहूँगा कि प्रजातान्त्रिक शासन में प्रशासन के दो अंग होते हैं, एक तो वह जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर शासन का क्या नियन्त्रण है व किस प्रकार से शासन और उनके बीच में क्या सम्बन्ध हैं और उनका क्या हित है और वह सुरक्षित हैं या नहीं और उनके कार्य करने में विश्वास दिया गया है या छूट दी गई है या नहीं, और दूसरा अंग है सम्पूर्ण प्रशासन की मशीनरी से, जनता के साथ कार्य करते समय किस निष्पक्षता से कार्य कर रही है और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह प्रशासन की मशीनरी किस प्रकार चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पहले हिस्से का सवाल है कि प्रशासन के अन्दर काम करने वाले कर्मचारी उनकी सेवा, उनकी पदोन्नतियाँ, उनका सक्षम रूप से कार्य करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग, केबिनेट द्वारा समय निर्धारित करने की पूरी तरह जाँच की गई और प्रत्येक विभाग में किस तरह काम चल रहा है और किस प्रकार उनकी उन्नति की जा सकती है और उसका स्पष्ट परिणाम हमारे सामने आया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विभाग है और इस विभाग में जहाँ कि हमारे लाखों बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है और पर्याप्त धन न होने के कारण उन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है उसके तरफ शासन ने नज़र की और जहाँ कि पिछले तीन वर्षों में पहले 10 लाख रुपया इसके लिए दिया जाता था वहाँ सन् 1965 में 30 लाख रुपया दिया गया।

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है शिक्षकों की। इस सम्बंध में इस सदन में और सदन के बाहर भी शिक्षकों की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं और वास्तव में जो महाकौशल क्षेत्र में शिक्षकों की

परिस्थिति थी उसके बारे में सदन में बार-बार कहा गया इसीलिए शिक्षकों के बारे में शासन ने यह निर्णय लेकर 36 हजार से अधिक शिक्षकों को अपने नियंत्रण में लिया और उनकी तनख्वाहों और भत्तों का भार शासन पर आया इसलिए शिक्षक अपने भविष्य के बारे में पुष्ट हो जायें और बच्चों के मन में किसी प्रकार की कोई अशांति न रहे।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सीधा सम्बंध हजारों लाखों किसानों से पड़ता है और आये दिन सदन के बाहर पटवारी से लेकर कलेक्टर तक किसानों को मजबूर करते हैं, उनको कब्जे में रखा जाता है इस प्रकार की बहुत-सी शिकायतें होती हैं। इन सब बातों को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की देखभाल और उनकी समीक्षा किये जाने के बाद यह तय किया गया कि प्रत्येक किसान को उसके खाते के बारे में रसीद देंगे वह रसीद बही उसके पास सदा ही रहेगी फिर उसको किसी के पास इत्तखाब के लिए पटवारी के पास नहीं जाना होगा उन रसीद बहियों का बाँटना शुरू हो गया है और आशा है इस वर्ष के अंत तक सभी को रसीद बहियाँ मिल जावेंगी।

अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू विभाग जैसा ही जंगल विभाग है। उसका सीधा सम्बंध हमारे नागरिकों से होता है। वह आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सदन जानता है कि पिछले दो वर्षों से जंगल विभाग ने किस प्रकार से समाजवादी समाज रचना की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी आय को बढ़ाया है। तेंदू पत्ती के राष्ट्रीयकरण के अलावा अन्य वनोत्पादन के राष्ट्रीयकरण की ओर कदम उठा रहे हैं। इसलिए यह कहना कि अन्य विभागों की तरह इस ओर कदम नहीं उठाया गया है वह उचित नहीं है।

श्री रामस्वरूप खरे : छतरपुर जैसे बुन्देलखण्ड के प्रमुख जिले में बार-बार नए-नए लोगों को तरक्की दी जाती है छोकरे कलेक्टर को भेज दिया जाता है उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कौन-कौन छोकरा है और कौन बूढ़ा है यह मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे भी वह कुछ कह सकते हैं और मैं भी माननीय सदस्य के बारे में कुछ कह सकता हूँ ....

श्री रामस्वरूप खरे : गैर अनुभवी लोगों को कलेक्टर बनाकर भेज दिया जाता है जिनको कोई अनुभव नहीं रहता। शासन को चाहिए पहले दो एक साल उनको सेक्रेटेरियेट में रखे ताकि उनको कामकाज का कुछ अनुभव हो जावे। नहीं तो वे लोग कानून कायदे से तो बिलकुल अनभिज्ञ रहते हैं और लोगों को उनकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है।

अध्यक्ष : उनको आपने समझा नहीं। उनका कहना है कि आप भी यंग हैं और वह भी यंग हैं, वह भी छोकरे हैं और आप भी छोकरे हैं। (हँसी)

श्री रामस्वरूप खरे : खैर हम भी छोकरे हैं लेकिन कानून कायदे की कुछ जानकारी तो रखते हैं लेकिन ऐसे लोगों को भरती कर लिया जाता है जिनको कानून कायदे की कोई जानकारी नहीं रहती और उसकी वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ती है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : दोनों सज्जन एक ही उम्र के हैं, अध्यक्ष महोदय, और हमारे और आप जैसी उम्र वालों की कद्र करते हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : चार साल से कट-मोशन द्वारा हम इस बात को प्रेस कर रहे हैं कि शाजापुर में सब-डिवीजन का झगड़ा है उसको निबटा दिया जावे मैंने शम्भूनाथ जी से भी कहा था लेकिन अभी तक सब-डिवीजन तीन दिन सुसनेर रहता है.....

श्री अर्जुनसिंह : मैं बताता हूँ— माननीय सदस्य ने जो सब-डिवीजन का प्रश्न किया वह केवल शाजापुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सब-डिवीजन का विचार करके निर्णय ले रहे हैं.....

श्री हरिभाऊ जोशी : तीन वर्ष से विचाराधीन ही है हर बार यही जवाब मिल जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : हाँ, इसीलिए जवाब मिल रहा है— केवल एक सब-डिवीजन पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरे प्रदेश के सब-डिवीजन पर विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रशासनिक सेवाओं के सम्बंध में बताना चाहता हूँ.....

श्री मदनलाल भण्डारी : सन् 1957 से हम शिकायत करते आ रहे हैं आखिर विचाराधीन की अवधि कहाँ तक है?

श्री अर्जुनसिंह : सन् 1967 में जब आप चुनकर आयेंगे तब उत्तर मिलेगा।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। आप कहते हैं सन् 1967 में जब चुनकर आयेंगे तब जवाब मिलेगा लेकिन उनका तो क्षेत्र बदल गया है।

श्री अर्जुनसिंह : इसके लिए मुझे दुख है— जहाँ तक प्रशासनिक सेवाओं का प्रश्न है मैं सदन से इतना निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासनिक सेवाओं के प्रमोशन्स और भरती तथा अन्य सेवाओं के भरती और प्रमोशन्स के बारे में शासन उतना ही सजग है जितना अन्य के बारे में। अभी माननीय सदस्य ने जो कहा कि उनको किस तरह से भरती किया जाता है, किस तरह पदोन्नत किया जाता है, किस तरह अवनत किया जाता है इसके बारे में एक मॉडल तरीका अपनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस विषय में बताना चाहूँगा कि शासन ने रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के नियम बनाये हैं एक मॉडल नियम बनाये हैं। नवम्बर 1964 में बनाकर पूरे प्रान्त में दिया है उनके अनुसार रिक्रूटमेंट और प्रमोशन्स होते हैं। जहाँ तक डिप्टी कलेक्टर्स की बात की थी मैं बताना चाहता हूँ कि डिप्टी कलेक्टर्स को प्रोमोट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है.....

श्री मदनलाल तिवारी : महाकौशल में आठ-आठ साल के नायब तहसीलदारों को प्रोमोशन नहीं मिल रहा है इसके बारे में क्या कहना है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब वह किस नायब तहसीलदार के बारे में है वह कैसे बता सकता हूँ। वे सवाल पूछ लें तो मैं बता सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसा है कि कौन आदमी जिन्दगी भर नायब तहसीलदार रह गया कौन नहीं रह गया.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : आप सुन तो लीजिए, वे कह रहे हैं कि पूरे महाकौशल के नायब तहसीलदारों के बारे में निर्णय नहीं हुआ है। आपने शायद गलत समझा है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि नायब तहसीलदार का सम्बंध मुख्य रूप से रेवेन्यू विभाग के अन्तर्गत है। जब कोई ऐसा विवाद खड़ा हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग में आता है। माननीय सदस्य कह रहे हैं मैं उसकी जानकारी लेकर दूसरे अवसर पर बता सकता हूँ।

श्री मदनलाल तिवारी : कम से कम 3 साल की सेवा पर क्वासी परमानेंट करना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : जानकारी लेकर बताऊँगा।

श्री देवप्रसाद आर्य : कार्यपालिका के कर्मचारी दबाते हैं, वहाँ के निवासियों को भारी तकलीफ है तो आपका क्या विचार है?

श्री अर्जुनसिंह : इसमें शासन की नीति स्पष्ट है और आप इतना मंजूर करेंगे आज ऐसे बहुत ही कम स्थान हैं जहाँ ऐसी परिस्थिति है और निकट भविष्य में एक भी स्थान नहीं रहेगा ऐसी कोशिश हो रही है।

श्री देवप्रसाद आर्य : निश्चित अवधि बता दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : निश्चित अवधि यहाँ बताना बिलकुल उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न जो है डिप्टी कलेक्टर्स के बारे में तिवारी जी ने कहा था, मैं बताना चाहता हूँ कि डिप्टी कलेक्टर्स तहसीलदार से प्रमोट करने की समिति बनी है वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होगा चीफ सेक्रेटरी, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर उसके सदस्य रहते हैं और प्रत्येक तहसीलदार का कान्फिडेंशियल रिकार्ड देखकर उसकी सिफारिश करते हैं और शासन सिफारिश को मानता है और उसको पुनः पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजते हैं। वहाँ कमीशन देखता है उसमें गलती होती है उसको वह सुधार सकता है इसलिए यह कहना कि पक्षपात करने की गुंजाइश है ऐसा कहना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक सेवाओं का प्रश्न था। इन सेवाओं का साधारण जनता से संबंध है यह वह प्रश्न है जिसके सम्बंध में माननीय सदस्यों का स्वाभाविक ज्यादा अनुभव है और उसी के संबंध में माननीय सदस्यों ने यहाँ बातें कही हैं। इस बात के महत्व को देखते हुए हमारा जो प्रशासन है उसका एकमात्र उद्देश्य केवल यही है कि जिस जनता के द्वारा चुनकर यहाँ आये हैं उस जनता की सेवा और सुख सुविधा का ध्यान पूर्ण रूप से

रखा जा सके, यह हमारा परम कर्तव्य है। उसके नियमों के अनुसार बहुत-सी चीजें बनी हैं लेकिन उन सबको देखते हुए यह सबसे आवश्यक देखा गया कि जो सेवाओं का काम करते हैं उनके कार्य का समय-समय पर पुनरीक्षण होता रहना चाहिए। कोई अधिकारी बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया जावे तो ढीला हो सकता है, उद्दंडता आ सकती है इसलिए शासन ने इस पूरे प्रकरण पर पुनर्विचार करके और बहुत सूक्ष्म तौर से अधिनियम में परिवर्तन किया है और जिसे मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ जिसके द्वारा कि समय-समय पर हर एक स्तर पर नीचे से लेकर ऊपर तक पुनरीक्षण करें, रिपोर्ट दें और कार्यवाही हो। उसके लिए जो नियम बनाये हों वे सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, आज सेवाओं के द्वारा जो काम करवा रहे हैं उसके अन्दर इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से बहुत हद तक माननीय सदस्यों की शिकायत ठीक है। जो प्राथमिकता माननीय सदस्य देते है वहाँ सम्भव है अधिकारी उतनी प्राथमिकता न देते हों। मेरे विचार में प्राथमिकता में मतभेद हो सकता है लेकिन यह हमारा परम कर्तव्य है, हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है उनके बारे में हमारा कोई मतभेद नहीं है और इसलिए हम आपके साथ इस बात से सहमत हैं कि हमारे जो शासकीय अधिकारी हैं वे इस सदन के और इस प्रदेश की जनता के सेवक हैं। वे हमारे और आपसे ऊपर नहीं हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए हमारे माननीय सदस्यों की जो आकांक्षाएँ हैं और जनता की जो आकांक्षाएँ हैं उनको पूर्ण करने के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर को विशेष तौर से जिम्मेदार ठहराया गया है। यह जिम्मेदारी उसे तानाशाह बढ़ाने के लिए नहीं दी गई है यह इसलिए दी गई है ताकि विभिन्न विभागों में जो योजनाबद्ध विकास हो रहा है, कार्य हो रहे हैं उनके संबंध में यदि कहीं गलती हो, यदि मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो बजाये अलग-अलग विभाग अपने तौर से केन्द्र से मार्गदर्शन लें, चेष्टा करें, इसलिए जिले के ही स्तर पर मार्गदर्शन हो सके इस कारण ही उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जो माननीय सदस्यों को शंकाएँ हैं.....

श्री शाकिर अली खाँ : एक सवाल है कि कलेक्टर को ज्यादा अख्तयार दिए गए हैं ये मुलाजिमों के काम पर नज़र रखने के लिए तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो लेबर डिपार्टमेंट के आफिसरान हैं और सेल्स टैक्स के आफिसरान हैं उनको कलेक्टर के नीचे क्यों रखा गया है। जुडिशियल को अलग रखा गया है यह बात तो समझ में आती है लेकिन सेल्स टैक्स और लेबर डिपार्टमेंट को कलेक्टर के मातहत क्यों रखा गया है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह अलग प्रश्न है इसलिए कि सेल्स टैक्स एक अर्धन्यायिक व्यवस्था है। इसी प्रकार से लेबर डिपार्टमेंट भी है। श्री शाकिर साहब कहीं कलेक्टर साहब पर दबाव डालकर अपना काम न करवा लें ऐसी बात नहीं है, इसका कुछ दूसरा कारण है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अक्सर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से काम करता है। कहीं हड़ताल हो या झगड़ा हो तो उस पर नियंत्रण उसका रहे। अगर कहीं हड़ताल हो तो उस मामले में कार्रवाई करनी पड़े तो वही व्यक्ति एक हैसियत से एक निर्णय करेगा और दूसरी हैसियत से दूसरा निर्णय करेगा। इसलिए लेबर को उससे अलग इसीलिए रखा गया है कि लेबर के साथ में किसी तरह का प्रिजुडिस रख कर कोई कार्रवाई न की जाये। लेकिन अगर हमारे माननीय मित्र शाकिर साहब लेबर का हरदम काम करते हैं और वे चाहते हों तो इसको भी शामिल कर दिया जाये, इसमें शासन को कोई एतराज नहीं है।

श्री शाकिर अली खाँ : मेरा कहना है जब 2 1/4 करोड़ रुपया सूबे का लेबर पर खर्च हो रहा है तो फिर उससे मजदूर को, जनता को इससे क्या फायदा होने वाला है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : आप देख रहे हैं कि इतनी मिलें बन्द हो रही हैं शासन अपने हाथ में लेता जा रहा है तो फायदा सामने ही नजर आ रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय बागदरे साहब ने एक बात कही थी जिसे मैं जानता हूँ कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी। उनका कहना था कि खाद्य समस्या के बारे में शासन ने जो नीति बनाई है वह अचानक बना ली गई है, एक एडहॉक तरीके से बना ली गई है, उसमें कोई विचार शासन की ओर से नहीं किया गया है। मैं इस संबंध में यह जानकारी देना चाहता हूँ कि खाद्य की जो स्केयरसिटी है इसके संबंध में मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल ने एक

उस-समिति बनाई है और उसके सामने यह पूरा प्रकरण खाद्य नीति का है।

श्री भालचन्द्र बागदरे : यह कब बनी है? दिसम्बर 1965 के बाद आपने उसे रेगुलराइज किया है

श्री अर्जुनसिंह : यह उसके पहले बनाई है। मैं इस सम्बन्ध में तथ्य दे दूँगा, अभी इस समय नहीं है। इसलिए यह कहना कि यह एक एडहॉक की बात किसी एक आदमी के दिमाग की उपज है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिसमें कि हमारे तरफ के कुछ माननीय सदस्य भी हैं, एक बात यहाँ पर यह की कि जो उनकी आकांक्षाएँ थीं, जो उनकी उम्मीदें बँधी थीं कि इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के आने के बाद वे आशाएँ, वे आकांक्षाएँ किसी हद तक पूरी नहीं हुईं। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक व्यक्तिगत विवेक का प्रश्न है इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ और पूछ भी सकता हूँ कि इस प्रदेश की जनता की वे आशाएँ क्या हो सकती हैं? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता की आशाएँ 3 हो सकती हैं— एक तो यह कि प्रदेश के अन्दर शांति और व्यवस्था बनाई रखी जावे क्योंकि शांति और व्यवस्था नहीं रहती तो फिर कोई काम नहीं हो सकता चाहे प्रगति का हो या रोजमर्रा का हो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि बिना अपने दलगत चश्मे को देखते हुए आप इस बात को देखने की कोशिश करें कि भारतवर्ष में पिछले तीन वर्षों में जो परिस्थितियाँ रहीं उसके बीच में इस प्रदेश में अपने भारतवर्ष के ही अन्य प्रदेशों के अनुपात में शांति और व्यवस्था बनी या बिगड़ी। इसका निर्णय मैं माननीय सदस्यों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। दूसरी अपेक्षा इस प्रदेश की जनता की यह हो सकती है कि मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश में रहने वाली बहुसंख्यक जनता को इस प्रदेश में रहने वाले बहुमत को, जो उसके हित में है उनकी रक्षा करते हैं या नहीं? अध्यक्ष महोदय इस प्रदेश में बहुसंख्यक किसान रहते हैं। उनके हितों, उनके भविष्य की कल्पना हम कर सके या नहीं कर सके यह देखना है।

श्री हरिभाऊ जोशी : साधारण जनता की अपेक्षा यह है कि उसको दो जून भरपेट खाने को मिले लेकिन आप जनता को दो जून भरपेट नहीं दे पा रहे हैं, जनता को सस्ता अनाज मुहैया नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य कभी नहीं मानेंगे और क्यों नहीं मानेंगे यह मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक किसानों का सवाल है आज मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इस प्रदेश में उन करोड़ों किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए शासन ने कोई कदम उठाकर नहीं रखा है चाहे वह उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में रखता हो, चाहे धन्धे से सम्बंध रखता हो, चाहे और किसी से सम्बंध रखता हो, चाहे वह लागत के सम्बंध में हो, चाहे खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में हो, चाहे लेवी के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि जिस लेवी को आप हौआ मानते हैं यह लेवी का निर्धारण किसानों के हित में हुआ है और किसान उसको अपने हित में मानते हैं चाहे आप मानें या न मानें।

श्री देवप्रसाद आर्य : बस्तर इलाके में आदिवासियों पर जो अशान्ति बुलाई जा रही है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस सम्बंध में आपका क्या कहना है?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप किसानों के हित की बात कह रहे हैं, आप बतायें कि आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि जबकि आपने किसानों से 32) के भाव से ज्वार लेकर 54) के भाव जनता को बेची, 90) के भाव चना लेकर 170) के भाव बेचा?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो किसानों को सन्तुष्ट करने का निश्चय किया था, उससे व्यापारियों के हित को जरूर नुकसान पहुँचा है। उनके पक्षपाती सन्तुष्ट नहीं हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपने 70) के भाव चना किसानों से खरीदकर 170) के भाव बेचा और 32) के भाव ज्वार खरीदकर आपने 54) के भाव बेची इससे किसानों का हित कैसे हुआ?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में पूरे देश में खाद्यान्नों की कमी रही। खाद्यान्नों की कमी की वजह से निश्चय ही इस परिस्थिति में भी सदन के माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि भारतवर्ष में ऐसी विषम परिस्थिति के बीच में भी उपभोक्ताओं को जिस मात्रा में खाद्यान्नों की उपलब्धि मध्यप्रदेश में हुई उतनी इस देश के और किसी प्रदेश में नहीं हुई।

श्री हरिभाऊ जोशी : यह सफेद झूठ है।

श्री अर्जुनसिंह : सफेद झूठ आपके कहने से नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जो तीसरी आशा इस प्रदेश की जनता को मुख्य मंत्री जी से हो सकती है वह यह कि प्रदेश के भविष्य को बनाने वाले जो कार्य हैं उनकी ओर उन्होंने तत्परता दिखाई है या नहीं? उसके बारे में कई एक ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वह नर्मदा घाटी योजना का प्रश्न हो, चाहे वह प्रदेश में पाँचवा स्टील प्लान्ट लाने की बात हो .....

श्री रामस्वरूप खरे : चाहे वह बालू से बने दुधावा बाँध की बात हो।

श्री अर्जुनसिंह : चाहे वह माननीय खरे जी के बारे में चिन्ता की बात हो, चाहे जबलपुर की गन कैरिज फैक्टरी का प्रश्न हो, चाहे कुछ ऐसी जटिल समस्या हों, जो गत दिनों से चली आ रही हैं.....

श्री बालकृष्ण पालधीकर : मेरा दावा है कि जो कृषि मंत्री कह रहे हैं, वह वास्तविक असत्य है। उन्होंने पानी पर टैक्स लगाया, बैंक के ब्याज का रेट बढ़ाया.....

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूँगा कि दाढ़ी पर भी टैक्स लगा देना चाहिए। नहीं तो कम से कम माननीय गुलशेर अहमद साहब से कहूँगा कि वे उस पर सेल्स टैक्स तो लगा ही दें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इस प्रदेश के बहुमुखी विकास की ओर इस शासन ने मुख्य मंत्री की प्रेरणा से जो अनवरत प्रयत्न किया है, वह जारी रहेगा और उन प्रयत्नों को सफलता मिलेगी इसमें भी मुझे कोई सन्देह नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि कम से कम उन प्रयत्नों में हमारे माननीय सदस्य अपना पूरा सहयोग देंगे।

श्री पंढरीराव कृदत्त : आपने कहा है कि सभी विभागों में आमदनी बढ़ी है। कंटेन्जेन्सी पेड सर्वेन्ट्स की तनख्वाह वैसी की वैसी ही है, दूसरे कर्मचारियों का दो बार बढ़ा है उनके वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है, क्या आप इस पर विचार करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : पंचायतों के चुनाव जो नहीं हो सके वह केवल .....

श्री भालचन्द्र बागदरे : जो सेक्रेटेरियेट वर्किंग के बारे में मैंने कुछ विचार रखे थे क्या आप उसे स्वीकार करते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : सेक्रेटेरियेट वर्किंग के बारे में जो आपने कहा, उस पर विचार होगा। मैंने कहा कि जो आपके सुझाव हैं उन पर माकूल विचार होगा। पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके। सीधी से आये हुये माननीय विधायक ने चर्चा में कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका मुझसे कुछ सम्बंध था लेकिन व्यक्तिगत शिष्टता और माननीय सदस्यों का जो रुख है उसको देखते हुए मैं उस सम्बंध में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि माननीय सदस्य एक बहुत बड़े प्रजातांत्रिक हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि ऐसे महान प्रजातांत्रिक जिनकी अलौकिक क्षमता से हम सब परिचित हैं, उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा है, मैं उसका जवाब यहाँ न दूँ और यह उनसे अपेक्षा करूँगा कि .....

श्री गुलाबचन्द तामोट : क्या आप माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा में कह रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय सीधी से आए हुए विधायक के सम्बंध में कह रहा हूँ।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : माननीय तिवारी जी सीधी से हैं, करते टेढ़ी बात हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो संकेत हमारे सदन की ओर से और दल के नेता के द्वारा दिया गया था कि इस झगड़े का कोई प्रजातांत्रिक हल निकालना चाहिए, वह हल यही है कि जिस जनता का विश्वास और मत प्राप्त करके मैं यहाँ आया हूँ उस जनता को माननीय सदस्य इस बात से पूर्णतया संतुष्ट करा दें कि जिसको आपने चुनकर भेजा है, उसमें वे सब अवगुण विद्यमान हैं, जो वे कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं कहा है कि मुझमें कोई ज्ञान नहीं है और जो क्षमता माननीय सदस्य में है वह भी मुझ में नहीं है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि जो कोई विश्वास करे उसके साथ विश्वासघात न करो और जो आपके साथ उपकार कर दे उसके साथ कृतघ्नता मत करो। इतना ही कहना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि सदन इन माँगों को स्वीकार करेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 15 मार्च 1966, पृष्ठ - 2378-2385)

एक स्थगन प्रस्ताव—

उपाध्यक्ष (श्री गौतम शर्मा से) : क्या कल के स्थगन प्रस्ताव की जानकारी आ गई है?

श्री गौतम शर्मा : मैंने उस पर जाँच आदेश दिया है। अभी रिपोर्ट आई नहीं है और आते ही मैं श्रीमान् को सूचना दूँगा।

श्री ज्वालाप्रसाद उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कब तक जानकारी आयेगी।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा कि जैसे ही आयेगी वह सूचना कर देंगे। इसमें देरी का प्रश्न क्या है। मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने जाँच के आदेश दे दिये हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी पेपर में मालूम हुआ कि पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि जो पंजाब में ऊधम करेगा उनको गोली से उड़ा दिया जायेगा तो क्या शिक्षा मंत्री जी भी ऐसी हिम्मत कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष : मेरे पास तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है, जिसको मैं पढ़ना उचित नहीं समझता— एक पागल कुत्ते के बारे में है और एक पागल हाथी के बारे में है।

श्री भैरव भारतीय : अध्यक्ष महोदय, उसने बड़ा भारी उत्पात मचा रखा है।

उपाध्यक्ष : ठीक है स्वास्थ्य विभाग की माँगों पर चर्चा के समय कह दीजिएगा।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पागल कुत्ता और पागल हाथी के संबंध में स्थगन प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से तो नहीं आया?

(हँसी)

श्री रामेश्वर अग्निभोज : इसका सम्बन्ध अध्यक्ष महोदय, वेटेरिनरी से है स्वास्थ्य विभाग से नहीं।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पागल हाथी को यहाँ विधानसभा का मार्शल बना दीजिए।

(हँसी)

उपाध्यक्ष :मैं आपको पागल हाथी तो समझता नहीं।

(जोर की हँसी)

श्री भैरव भारतीय : अध्यक्ष महोदय, हाथी वाला प्रस्ताव भी पढ़ दीजिए वह लोगों की कारें उलट देता है।

उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

यह प्रस्ताव भैरव भारतीय, शाकिर अली खाँ और सुमेरसिंह अमरैधा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार है :—

"तहसील हुजूर, जिला सीहोर के ग्राम हताईखेड़ा खुर्द, खजूरी कला छाओनी आदि गाँवों में एक हाथी लोगों की खेतीबाड़ी को नुकसान कर रहा है। इस हाथी के द्वारा जान-माल का नुकसान न हो इसके लिये भोपाल से करीब 60 पुलिस के सिपाही भेजे हैं। ये पुलिस के सिपाही इन ग्रामों में लोगों की फसलों का हाथी से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। यही नहीं जो ग्रामीण उक्त हाथी को जंगल में भगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पुलिस द्वारा पीटा जाता है। भुज्या चमार और नत्थू करडे को इसीलिये पीटा गया। इस क्षेत्र में हाथी से ज्यादा खौफ पुलिस का फैल रहा है। इससे लोगों में भयंकर असन्तोष है।

अतः इस सार्वजनिक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर चर्चा के लिये आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि यह स्थगन प्रस्ताव हाथी के संबंध में आया है कि पुलिस के संबंध में फिर भी चूँकि पुलिस का जिक्र है इसलिए मैं वक्तव्य दे रहा हूँ—

"महन्त नन्दकिशोर दास जो वृन्दावन, उत्तरप्रदेश के निवासी हैं, अपना हाथी लेकर वृन्दावन से उज्जैन जा रहे थे कि दिनांक 12 मार्च, 1966 को रायसेन से भोपाल मार्ग पर ग्राम खजूरी खुर्द के पास हाथी मस्त हो गया और उसने महावत को पटक दिया तथा एक ट्रक को नुकसान पहुँचा था। इस घटना की सूचना प्राप्त होने पर विशेष सशस्त्र-बल के एक प्लाटून कमाण्डर, दो हैड कान्स्टेबिल तथा आठ कान्स्टेबिलों को आस-पास के ग्रामीणों की जान की रक्षा के हेतु ग्राम खजूरी के पास तैनात किया गया। इनके साथ ही रायसेन जिले के हवलदार एवं तीन सिपाही तथा थाना गोविन्दपुरा के दो सिपाही भी वहाँ देख-भाल के लिए रखे गये हैं। हाथी के मालिक ने हाथी को काबू

में करने की कोशिश की; किन्तु वह अभी तक उसे काबू में नहीं कर पाये हैं और हाथी हताईखेड़ा, खजूरी खुर्द, खजूरी कलाँ छावनी आदि गाँवों में गन्ने की फसलों को हानि पहुँचा रहा है। इस लोक कण्टक (पब्लिक न्यूसेन्स) को हटाने की गरज से हाथी के मालिक महन्त नन्दकिशोर दास के विरुद्ध 21 मार्च, 66 को द.प्र.सं. की धारा 113 के अंतर्गत इस्तगासा दायर कर दिया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

यह सच नहीं है कि 60 पुलिस के सिपाही तैनात किये गये, केवल उपर्युक्त अनुसार पुलिस बल तैनात हैं। भुजिया चमार और नत्थू करडे किस ग्राम के निवासी हैं, यह प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है और इन नामों के किसी व्यक्ति की पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने की कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाने की कोई सूचना अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर उचित कार्यवाही की जावेगी।"

उपाध्यक्ष : शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् श्री शाकिर अली भाई और श्री भैरव भारतीय मस्त हो गये होंगे, इसलिये मैं इसे अपनी अनुमति नहीं देता।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 1 अप्रैल आ गई है इसलिये धीरे-धीरे हाँक कर मुख्य मंत्री जी की कोठी की ओर ले जाना चाहिए।

श्री शाकिर अली खाँ : रघुवरदयाल वकील जाने-पहचाने प्रतिष्ठित वकील हैं। सब जानते हैं। उन्होंने लिखा है। पुलिस वहाँ इसलिये नहीं मानी है गाँव वालों ने पूछ शुरू कर दी है। आखिर इसका फैसला तो ऐसा किया जावे.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् से यह बताऊँ यह तकलीफ है, आतंक है, हाथी परेशान कर रहा है। यह जरूर है पुलिस द्वारा हाथी पर काबू नहीं पाया जा सकता है और मैं शासन को सुझाव देना चाहता हूँ और शासन से आश्वासन चाहूँगा, पुलिस की एक नहीं हजार टुकड़ियाँ लगा दी जावें हाथी पर काबू नहीं पा सकते हैं। इन बंदूकों से 320 से हाथी नहीं मरता है, उसके लिए लोहे के काँटे बिछाकर पकड़ना चाहिए, काँटे लगाना चाहिए। हमारे यहाँ हाथी की तकलीफ थी, यही किया, पुलिस के लोग फट्-फट् करते घूमते रहे।

श्री अर्जुनसिंह : उस समय तिवारी जी बंदूक लेकर उस हाथी को मारने गये थे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : ये नाहीं करदें तो करूँगा, बराबर जा सकता हूँ और वह ठीक हो जायेगा।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : श्री अर्जुनसिंह को फिर जरूर सहयोग लेना चाहिए। कम-से-कम कभी तो एक साथ मिलें।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि कम-से-कम यह रोक करदें हाथी को यह न मालूम हो पाये कि जनाबेआली ने स्थगन प्रस्ताव उसके खिलाफ रखा है।

उपाध्यक्ष : मैंने इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 23 मार्च 1966, पृष्ठ- 3056-3088)

विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र 12 सितम्बर 1966 से प्रारम्भ हुआ।

राज्य के कृषि महाविद्यालयों में अमेरिकन शिक्षा प्रणाली अपनाये जाने को लेकर छात्रों ने हड़ताल की थी। इस पर सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री कैलाशचन्द्र जोशी, श्री भालचन्द्र बागदरे और श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री की सूचनाएँ सदन को प्राप्त हुईं। सदस्यगण चाहते थे कि शासन इस विषय में हस्तक्षेप करे। कृषिमंत्री के रूप में श्री अर्जुनसिंह ने उत्तर देते हुए इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया कि कृषि विश्वविद्यालय स्वायत्त शासित संस्था है और उसके मामलों में शासन का दखल देना उचित नहीं। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाये यह विश्वविद्यालय और शिक्षाशास्त्री ही तय करेंगे। विशिष्ट संस्थाओं की स्वायत्तता के विषय में यह बहस ध्यान देने योग्य है—

अध्यक्ष : कृषि महाविद्यालय बंद होने के संबंध में श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री भालचन्द्र बागदरे तथा श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री की सूचना है। इन्हें मैं पढ़कर सुनाता हूँ। श्री रामस्वरूप वर्मा की सूचना इस प्रकार है—

कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के निर्देश पर तथा विद्यार्थियों द्वारा पिछले.....

श्री हरिभाऊ जोशी : जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय का विषय है।

अध्यक्ष : कृषि विश्वविद्यालय है, आपने जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहा है।

श्री हरिभाऊ जोशी : आपके शहर की घटना है।

अध्यक्ष : "कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के निर्देश पर तथा विद्यार्थियों द्वारा पिछले दस दिनों से लगातार हड़ताल पर होने के कारण कृषि महाविद्यालय ग्वालियर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। यह विवाद कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा हाल ही में अपनाए गए पाठ्यक्रम, जिनमें अमेरिकन शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा देने की प्रक्रिया है, के कारण उत्पन्न हुआ। कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के छात्रों ने जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अमेरिकन शिक्षा प्रणाली को अपनाए जाने की भर्त्सना की है और यू.एस.ए. के कृषि विभाग की लैंड ग्रांड कॉलेज की शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध सत्याग्रह भी विद्यार्थी कर रहे हैं, शासन अनावश्यक और अव्यवहारिक, अनुपयुक्त इस शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों पर हठधर्मी से लादना चाहता है अतः इस अविलंबनीय सार्वजनिक महत्वों पर, निश्चित विषय पर चर्चा करने के लिए दिनांक 12-9-66 को सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जावे।"

श्री भालचन्द्र बागदरे तथा श्री कैलाशचन्द्र जोशी का स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है—

"मध्यप्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में अमेरिकन पद्धति की परीक्षा प्रणाली के कारण प्रदेश के कृषि पठन वाले छात्रों में अत्यंत असंतोष व्याप्त होने के फलस्वरूप प्रदेश में कई कृषि विद्यालयों में हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा छात्र जगत में इस कारण अशांति का वातावरण व्याप्त है। इंदौर तथा जबलपुर में इस असंतोष ने धीरे-धीरे उग्र रूप धारण कर लिया है। इस असंतोष के मूल कारण को समझकर उसे दूर करने में शासन असफल रहा है एवं केवल दर्शक के रूप में विद्यार्थियों की इस दुःस्थिति की ओर देख रहा है इससे प्रदेश के कृषि विद्यालयों के छात्रों में एवं पालकों में क्षोभ व्याप्त है। परिस्थिति गंभीर बनती जा रही है। अतः इस सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय प्रश्न की चर्चा हेतु आज की सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे।"

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री का स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है—

"मध्यप्रदेश के कतिपय कृषि महाविद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा गत सप्ताह से हड़ताल की जा रही है। यह हड़ताल इन महाविद्यालयों में अमेरिका के लैंड ग्रांट्स कालेजेज की पद्धति के अनुसार लागू की गई शिक्षण प्रणाली के विरोध में की जा रही है। रीवा और ग्वालियर के महाविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिसके फलस्वरूप वहाँ के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस प्रश्न पर चर्चा हेतु आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे।"

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : स्थगन प्रस्ताव का संबंध कृषि महाविद्यालय ग्वालियर की हड़ताल से है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना उचित है कि कृषि विश्वविद्यालय स्वायत्त शासित संस्था है और उसके अन्दरूनी मामलों में शासन द्वारा दखल देना उचित नहीं समझा जाता है। शिक्षा पद्धति एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में विश्वविद्यालय को ही निर्णय लेना होता है न कि शासन के द्वारा। फिर भी स्थगन प्रस्ताव में यह बताया गया है कि विद्यार्थियों ने हड़ताल इसलिए की है क्योंकि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई शिक्षा पद्धति पसंद नहीं है। इसका आशय यह है कि पुरानी शिक्षा पद्धति ही जारी रखी जावे। इस संबंध में यह विचार करने योग्य है कि आखिर नई प्रणाली क्या है और पुरानी प्रणाली क्या थी जैसा कि सर्वविदित है पुरानी प्रणाली के अंतर्गत वर्ष में एक सालाना परीक्षा होती थी परन्तु नई शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति सदैव जागरूक रहना होगा। ऐसा नहीं है कि वर्ष के आखीर हिस्से में कुछ दिन पढ़कर परीक्षा दे दी जावे। इस दृष्टि से नई प्रणाली पुरानी प्रणाली से अच्छी है, इसके अंतर्गत वर्ष में तीन बार परीक्षा होगी। वर्ष 1948 में राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि— हम इस बात से सन्तुष्ट हैं कि यदि शिक्षा में कोई सुधार करना आवश्यक है तो वह सर्वप्रथम परीक्षा पद्धति है।" वर्ष 1962 की यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन ने भी विद्यमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का सतत् मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि वर्ष में एक बार परीक्षा लेने की प्रथा ठीक नहीं है। केन्द्रीय शासन द्वारा जो शिक्षा आयोग

गठित किया गया था और जिसका प्रतिवेदन हाल में ही प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का सुझाव है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कृषि विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा पद्धति अपनाई है वह आधुनिक विचारों के अनुसार है। इस संबंध में यह भी बताना उपयुक्त है कि इस नई पद्धति के अंतर्गत फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कम हो जाती है।

अन्त में फिर से मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि शिक्षा पद्धति के तय करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है, और उसमें शासन द्वारा दखल देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने जो पढ़कर अभी सुनाया उसमें यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को बन्द करने की हिदायत क्यों दी। ऑटोनामस बॉडी होने का तो यह मतलब नहीं होता कि यूनिवर्सिटी ताला लगाकर अपने घर चल दे और वह कॉलेजों को भी बन्द करके लोगों को घर जाने की हिदायत दे दे और शासन कहे कि हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। विश्वविद्यालय अपने आन्तरिक प्रशासन के मामले में स्वतन्त्र है लेकिन विश्वविद्यालय बन्द करके कॉलेजों को भी बन्द करने का आदेश दे दें कि ताला डालकर घर चले जाओ इसके लिये वह स्वतंत्र नहीं हैं इसमें शासन को हस्तक्षेप करना चाहिये।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उसमें मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा कि देश में केवल जबलपुर का ही एक कृषि विश्वविद्यालय नहीं है दूसरे राज्यों में भी कृषि विश्वविद्यालय हैं लेकिन केवल जबलपुर के विश्वविद्यालय में लैण्ड ग्राण्ट पद्धति की अमेरिकन शिक्षा प्रणाली अपनाने और यदि उसने यह प्रणाली अपनाई तो आपने क्यों यह उचित नहीं समझा कि इसकी जाँच करते कि अन्य स्थानों में भी यह प्रणाली है या नहीं और यदि वह अच्छी प्रणाली थी तो अन्य विश्वविद्यालयों में भी उसको जारी करते। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कृषि मंत्री जी ने बताया है कि साल भर में अनेक परीक्षाएँ होती हैं यह सुविधा है यहाँ, पर इस तरह की अनेकों परीक्षाओं की बात नहीं है बल्कि अन्य और भी बातें हैं जिनकी वजह से न केवल रीवा में बल्कि रीवा, जबलपुर, ग्वालियर सभी जगहों के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर रखी है। उनकी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाये एक ओर जहाँ आप कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय खुलवा रहे हैं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद करवा रहे हैं यह अधिकार यूनिवर्सिटी को कहाँ से मिल गये? यूनिवर्सिटी ऑटोनामस है तो रहे लेकिन कॉलेज तो शासकीय हैं उनको शासन को देखना चाहिये कि शासन के कॉलेज बन्द न हो जायें। इस सम्बन्ध में शासन से मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा कि देश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों को देखते हुए क्या आप इस प्रणाली में परिवर्तन करेंगे?

श्री भालचन्द्र बागदरे : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैंने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि क्या शासन दर्शक के रूप में यह सब देखता जायेगा— उसके लिये वह कहते हैं वह ऑटोनामस बॉडी है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अमेरिकन प्रणाली जो शुरू कर दिया गया है उसका देश के ऊपर गम्भीर प्रभाव पड़ने वाला है। जिस प्रकार से हमारे सामने फर्टिलाइजर डील का फ्रॉड सामने आया उसी प्रकार यह कुछ लोगों का ऐसा षडयंत्र चल रहा है जिसके द्वारा सारी अमेरिकन बातें अमेरिकन प्रणाली इस देश में लाई जा रही है। शासन को चाहिये कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक देखे नहीं तो कृषि का उत्थान इस देश में नहीं हो सकेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जितना यह अहम सवाल है, उनको तो नहीं लगता है लेकिन हमको तो लगता है कि इस पर लाखों रुपया प्रदेश का खर्च हो रहा है और जिसको कि शासन से सहायता और अनुदान दिया जा रहा है वही विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेज और उसमें पढ़ने वाले छात्र, उनके साथ खिलवाड़ चल रहा है। निश्चित रूप से में शासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके द्वारा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से पूछा गया है कि उनके बन्द करने का उद्देश्य क्या है? आपने तो केवल कह दिया कि यह ऑटोनामस बॉडी है इससे काम नहीं चलता। वहाँ जो संकट हो रहा है क्या आप उसको मूक होकर बैठकर देखना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस ओर क्या कदम उठाया है। यह कह कर तो काम नहीं चल सकता कि यह एक ऑटोनामस बॉडी है। हम इसके लिए खजाने से पैसा देते हैं और पैसा यहाँ बैठकर स्वीकार करते हैं। तो इस सिलसिले में क्या व्यवस्था चल रही है या क्या

व्यवस्था चल रही है। आपको अधिकार है आप विश्वविद्यालय से पूछ सकते हैं। आपने इसके संबंध में जानकारी नहीं दी, दो-दो मास से कॉलेज बन्द पड़े हैं, छात्र भटक रहे हैं, उनकी क्या-क्या शिकायतें हैं इसका पता आपको लगाना चाहिये। विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनका भाग्य है। उनकी परीक्षा में पास फेल का जो फैसला होता है वह वहाँ के अध्यापकों के हाथ में है जो उनका असेसमेन्ट करते हैं और यह जो सिस्टम बदल गया है उसका कैसा उपयोग होता है, उससे उनको लाभ है या हानि इसके सम्बन्ध में आपने क्या कभी विचार किया है? इस सबकी जानकारी आपको सदन में देना चाहिये, केवल आपका कह देना कि वह ऑटोनामस बॉडी है कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि शासन की तरफ से विश्वविद्यालय को यह लिखा जाना चाहिये कि वह बोर्ड की बैठक बुलायें और उसके सम्बन्ध में विचार करें और शासन इतना कहकर नहीं छोड़ सकता कि ऑटोनामस बॉडी है। शासन की तरफ से ऐसा सुझाव जाना चाहिये कि वह देखें कि विद्यार्थियों की क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं और उसको किस प्रकार हल किया जा सकता है और इस पद्धति को लागू करने के लिये विद्यार्थियों को और कोई सुविधा देने की जरूरत है या क्या इस तरह के निर्देश बोर्ड को होना चाहिये।

अध्यक्ष : आपका यह कहना है कि ऐसा सुझाव शासन की तरफ से जाना चाहिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जी हाँ।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अध्यक्ष महोदय, हमारा सारा खाद्य पदार्थ अमेरिका से आता है, गल्ला वहाँ से आता है और इस पर भी विशेषता यह है कि हमारे माननीय कृषि मंत्री जी अभी अमेरिका से लौटकर आये हैं और फिर अमेरिका के प्रति ऐसा कहना यह उसके प्रति साजिश है। अगर ऐसी गारन्टी कर दी जाये कि अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश न की जायेगी, एन्टी-अमेरिका कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तो उनको कोई आपत्ति न होगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : दिमाग वहीं का रहता है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है और कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों का संबंध है इसको शासन काफी महत्व देता है जो हड़ताल हो गई है उससे शासन को कोई प्रसन्नता नहीं है लेकिन इसके पहले ही माननीय सदस्य अपनी कोई अन्तिम राय ही बनालें और जैसा कि मुझे प्रतीत हुआ है कि उन्होंने बना ली है। हमें इस संबंध में दो-तीन बातों पर विचार करना है, सबसे पहली मौलिक बात यह है कि विद्यार्थियों के पढ़ने और पढ़ाने की पद्धति क्या होगी और विद्यार्थी किस प्रकार पढ़ेंगे यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसके बारे में, हम भी और आप भी किसी न किसी समय विद्यार्थी थे और पढ़ते थे तो यदि हम विद्यार्थियों को ही यह मान्यता दे दें और उन पर छोड़ दें कि वह किस प्रकार पढ़ेंगे तो मुझे इस सम्बन्ध में कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : तो क्या अमेरिका के लोग ही इसका निर्णय करेंगे।

श्री भालचन्द्र बागदरे : अध्यक्ष महोदय में आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि वास्तविक रूप से हम इस प्रश्न पर डिस्कशन करने के लिये तैयार हैं और आज की शिक्षा पद्धति में क्या गुण और दोष हैं इस पर बहस करने के लिये मैं किसी भी समय तैयार हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मौलिक रूप से हम इस बात को नहीं मान सकते और मेरे विचार से सदन का कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो यह चाहेगा कि विद्यार्थी कहें कि किस प्रकार से पढ़ें उस प्रकार की शिक्षा लागू की जावे। जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में लागू की गई है उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया। इस सदन से विश्वविद्यालय का एक्ट पास हुआ है। उसके अनुसार एकेडेमी कौन्सिल बनी है वही तय करती है कि कौन-सी पद्धति चालू होगी। इसके सम्बन्ध में शासन की तरफ से आदेश नहीं जाता कि इस सम्बन्ध में अमुक प्रकार से निर्णय लिया जावे। जो एकेडेमी कौन्सिल ने निर्णय लिया उसके अनुसार शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। मैंने माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इस पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी की एक टीप बनवाई है और वह विश्वविद्यालय की तरफ से आ गई है। उसकी प्रतियाँ मैं आज माननीय सदस्यों को वितरित करवा दूँगा। उसको पढ़कर माननीय सदस्य स्वयं अपनी जानकारी

के आधार पर बता सकेंगे कि वह पद्धति कहाँ तक उचित है? जहाँ तक उसके एक-एक पहलू का प्रश्न है, जैसा कि पटवा जी ने कहा और बागदरे जी ने कहा कि अध्यापक के हाथ में अधिकार चला जाता है वह विद्यार्थी के भाग्य को बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकता है। यह सही है कि नम्बरिंग का अधिकार अध्यापक के हाथ में है लेकिन नम्बरिंग की कॉपी विद्यार्थी को वापिस की जावेगी और अगर विद्यार्थी को किसी तरह की शिकायत है तो वह रिप्रेजेन्ट कर सकेगा कि उसको नम्बर नहीं दिये गये हैं। वर्तमान में जो परीक्षा लेने की प्रणाली है उसमें भी विद्यार्थी को मालूम नहीं होता है कि उसको नम्बर कितने-कितने मिले हैं किस-किस प्रश्न में। यदि विद्यार्थी चाहे तो केवल मतगणना के संबंध में शिकायत कर सकता है। अतः मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वह विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में किसी प्रकार की शंका न करें। जहाँ तक तिवारी जी के सुझाव का प्रश्न है, तिवारी जी स्वयं विश्वविद्यालय के मैनेजिंग बोर्ड के मेम्बर हैं। यदि वह बोर्ड और वाइस चान्सलर मीटिंग बुलाना चाहता है तो मैं उनके आड़े नहीं आ सकता लेकिन मैं उनसे कैसे कह सकता हूँ कि मीटिंग बुलाना चाहिये। ऑटोनॉमस बॉडी होने के नाते यदि मैं कहूँगा तो मैं उसके अधिकारों में दखल देने का दोषी ठहराया जाऊँगा और ऐसा करके मैं स्वयं भी अपने अधिकारों का उल्लंघन करूँगा। तिवारी जी स्वयं बोर्ड की मीटिंग बुलवा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खुजनेरी जी ने कहा कि अमेरिका से लाकर यह पद्धति लाद दी गई है। मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा कि अमेरिका हो चाहे रशिया हो, इससे हमें कोई सम्बन्ध नहीं है, हमें तो इस बात से सम्बन्ध है कि विश्वविद्यालय से जो हमारे स्नातक निकलें वह उचित मापदण्ड के निकलें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, यदि पद्धति को भारतीय प्रणाली में अनुकूल समझते हैं तो मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ, मैं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ और न मुझमें विशेष क्षमता है लेकिन जो शिक्षा शास्त्री हैं, इसके विषय में तीन-तीन कमीशन इन्डिया में बैठे हैं और इन तीनों ने इस पद्धति को हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में लाने का अनुमोदन किया है, एजूकेशन कमीशन ने भी इसका अनुमोदन किया है। इस कमीशन के सदस्य थे जिन्होंने राय दी है कि इस शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर लागू किया जावे। इसलिये अमेरिका और रूस का झगड़ा नहीं उठेगा यह तो केवल शिक्षा शास्त्री ही निर्णय करेंगे कि भारतीय पद्धति कौन-सी निकल सकती है, यदि इन बातों का निर्णय हम करने बैठेंगे तो काम बजाये बनने के और बिगड़ जायेगा। आगे जो कुछ परिस्थिति होगी उसके अनुसार कार्य किया जावेगा।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : तो क्या आप कॉलेजेज बन्द कर रहे हैं? उनके खोलने के बारे में आपने क्या किया है?

अध्यक्ष : मैं श्री तिवारी जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जैसा कि आपने सुझाव दिया है वैसा सुझाव देना उचित होगा?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इस प्रकार का प्रावधान है, शासन या चान्सलर की तरफ से इस तरह का सुझाव दिया जा सकता है। यदि शासन की तरफ से सुझाव जायेगा तो अच्छा होगा। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि मैं लिख सकता हूँ तो यह कोई जरूरी नहीं है कि मेरे लिखने से बोर्ड की बैठक बुला ली जायेगी उसमें तो बहुत से मेम्बर होते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि यदि शासन उचित समझता है तो शीघ्रातिशीघ्र निर्णय हो सकता है।

अध्यक्ष : क्या विधान में ऐसा प्रावधान है कि शासन ऐसा सुझाव दे सकता है

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : बिलकुल है।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : मैं विधान देखकर ही विचार करूँगा।

अध्यक्ष : तो मैं इसे कल के लिए रख देता हूँ। निर्णय तो एकेडेमिक कौन्सिल करती है और तिवारी जी ने भी वही सुझाव दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं निर्णय नहीं ले सकता, सुझाव के प्रश्न पर विचार करूँगा कि सुझाव दे सकता हूँ या नहीं।

अध्यक्ष : ठीक है, मैं कल के लिये रखे देता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 12 सितम्बर 1966, पृष्ठ- 70-75)

नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण—

अध्यक्ष : श्री दुर्गादास सूर्यवंशी एवं श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे का ध्यान आकर्षण है।

श्री दुर्गादास सूर्यवंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन कृषि मंत्री महोदय का ध्यान

अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें।

विषय इस प्रकार है—

यह कि महिदपुर रोड, जिला उज्जैन की शुगर मिल की ताला बन्दी दिनांक 12 सितम्बर 1966 से मिल मालिक की ओर से की गई है जिसके कारण तहसील महिदपुर के कृषकों, श्रमिकों तथा स्थानीय जनता में चिन्ता व बेचैनी व्याप्त है तथा स्थानीय मिल मजदूर संघ की ओर से इसके विरोध स्वरूप अनशन किया जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, महिदपुर रोड में एक शुगर मिल है, जिसकी क्षमता लगभग 450 सौ टन प्रतिदिन की है। पिछले वर्ष में इस फैक्टरी के मैनेजमेन्ट ने यह नोटिस दिया है चूँकि मिल घाटे में चल रही है और गन्ना भी अल्प मात्रा में उत्पन्न हुआ इसलिये मिल का चलाना असंभव हो गया है। नोटिस दिनांक 11-7-66 को निकाला गया है। इसमें यह कहा गया है कि दो माह के उपरान्त मिल अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर दी जावेगी। मिल का घाटे या लाभ पर चलना मिल की व्यवस्था पर निर्भर है। मिल को चलाने के लिए गन्ने की उपलब्धता का संबंध है, स्थिति यह है कि मिल के क्षेत्र में लगभग 3 हजार एकड़ में इस समय गन्ना बोया हुआ है, जिसमें लगभग 45 हजार टन का उत्पादन होने का अनुमान है। साधारणतया 3 हजार टन गन्ना उपलब्ध हो सकता है। यह कहना कि गन्ना उपलब्ध नहीं है, उचित नहीं है। कृषि विभाग द्वारा मिल के नोटिस की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त फौरन कार्यवाही की गई है। श्रम विभाग को प्रकरण भेजा गया है और लेबर कोर्ट के समक्ष प्रकरण भेजे जाने का प्रस्ताव डिप्टी लेबर कमिश्नर ने दिया है। आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

मिल द्वारा इस समय लगभग 150 मजदूरों को नौकरी दी जाती है। उत्पादन के मौसम में लगभग 300 मजदूरों को नौकरी मिल जाती है। हजारों मजदूरों की रोजी रोटी का प्रश्न उठता ही नहीं, फिर भी जैसा ऊपर बताया गया है आवश्यक कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जा रही है, स्थिति विस्फोटजनक नहीं है।

मैं इतना और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि मैंने मैनेजमेन्ट को भोपाल बुलाया है। इस सम्बन्ध में उनसे चर्चा करूँगा और उस क्षेत्र के माननीय सदस्यों को भी बुलाऊँगा और विभागों के हित में ही निर्णय लूँगा।

श्री दुर्गादास सूर्यवंशी : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने बतलाया है कि मिल घाटे में है तो यह बात बार-बार कही जाती है और इसके लिए मिल मालिकों ने गत वर्ष भी प्रयास किया था और श्रमिकों और कर्मचारियों का जो वेतन आदि का प्रकरण था वह भी श्रम न्यायालय में गया था लेकिन वहाँ से फैसला जो हुआ वह श्रमिकों के पक्ष में हुआ था, तो उसके लिए मिल मालिक चाहते थे कि श्रमिकों को वेतन आदि जो देना है वह न देना पड़े और इसके लिए गत वर्ष भी उन्होंने अपने मिल को बन्द कर रक्खा था। वहाँ पर किसानों का गन्ना भी आया था लेकिन उसको मिल मालिक ने नहीं लिया और उन किसानों का सारा गन्ना रखा-रखा सूख गया था। जैसा कि अभी कृषि मंत्री जी ने बतलाया है, वहाँ गन्ना होता है और उस गन्ने से 3-4 महीने तक मिल अवश्य चल सकता है। ऐसी स्थिति में मिल मालिकों के ऊपर कार्यवाही न करके श्रमिकों के ऊपर जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं और मजदूर हैं उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है और माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि वहाँ पर कोई असंतोष नहीं है, यह सही नहीं है। वहाँ असंतोष है और आज की स्थिति में छोटे-छोटे लोगों की रोजी-रोटी से खिलवाड़ हो यह उचित नहीं है। वहाँ पर श्रमिकों द्वारा अनशन हो रहा है और लोगबाग इस बात पर डटे हैं कि वे इसका निर्णय कराके ही रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जो आजकल के पूँजीपति हैं वे सीधी तरह से मानने वाले नहीं हैं। इस तरह की शिकायत आने पर पहले भी शासन ने शक्ति का प्रयोग किया और अनेकों टैक्सटाइल मिलों को अपने अन्डर में ले लिया है उसके बाद से वे ठीक से चल रही हैं। उसी तरह से यहाँ भी शासन को शुगर मिल को अपने अन्डर में ले लेना चाहिये, ताकि श्रमिकों और किसानों का नुकसान न हो।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सूर्यवंशी जी ने जो कहा तो उनकी व्यवस्था से मैं पूर्ण सहमत हूँ क्योंकि यह केस उनके क्षेत्र का ही है इसलिए मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि किसानों के हित को ही शासन सदैव ध्यान में रखकर के निर्णय लेगा और ऐसा नहीं है कि मिल मालिकों ने जो कह दिया उसी को हम

मान लें। अभी तो मिल चालू होने का सवाल नहीं है मिल तो चालू होंगे दिसम्बर में। तो शासन जो निर्णय लेगा वह किसानों के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं मिल मालिकों की ओर से एक नोटिस पहले भी दी गई थी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं हुई और अब तो दो महीने की अवधि भी बीत चुकी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है श्रम विभाग की ओर से और कलेक्टर की ओर से जो मध्यस्थता की गई थी उसका भी कुछ हल नहीं निकला है। क्या आप बतायेंगे कि निर्णय क्या हुआ?

श्री श्यामसुन्दर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मिल मालिकों की तरफ से जो नोटिस दी गई थी वह 11 जुलाई को दी गई थी उसमें कहा गया था कि मिल 12 सितम्बर से बन्द कर दी जावेगी। इस प्रकार मिल बन्द करने का औचित्य तथा उनका अधिकार है या नहीं, यह मामला श्रम न्यायालय को संदर्भित किया गया है और उसके विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले भी इसी तरह से हुआ था नोटिस दी गई थी और मिल बन्द कर दिया गया था और इस बार भी ऐसा ही हुआ है तो जो नोटिस दी गई थी उसको दिये हुए भी दो महीने हो गये हैं। तो अब आपने उसके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की है? अध्यक्ष महोदय, मिल व्यवस्थापक इस बात के लिये तुल गये हैं कि इस मिल को घाटा बताकर बन्द रक्खा जावे। तो आपने इस सम्बन्ध में क्या किया है?। किसानों का गन्ना गत वर्ष भी सैकड़ों एकड़ में सूख गया था कहीं वही बात फिर न हो इसलिये आपने क्या उपाय सोचा है? क्या आप बतायेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक तुले होने का प्रश्न वह तो समय बतायेगा कि कौन न्याय कर रहा है, कौन न्याय नहीं कर रहा है। अगर वे जान-बूझकर किसानों का अहित करना चाहते हैं तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि शासन इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसमें कितने वर्ष से कितना-कितना घाटा आ रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : सम्पूर्ण जानकारी सामने रहेगी तभी उनसे विचारविमर्श किया जायेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 13 सितम्बर 1966, पृष्ठ- 236-238)

14 सितम्बर 1966 को कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने मध्यप्रदेश पड़त भूमि कृषिकरण विधेयक, 1966 (क्रमांक-39 सन् 1966) का प्रस्ताव किया। उपाध्यक्ष महोदय ने इस विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी। चर्चा की शुरुआत विरोधी दल के नेता श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा ने की। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये। श्री सखलेचा ने इस विधेयक का विरोध करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किये जिनका अत्यन्त संयत उत्तर कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने दिया। चर्चा 15 सितम्बर को भी जारी रही। यही दूसरे दिन की चर्चा यहाँ दी जा रही है। विधेयक पारित हुआ।—

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) (भाषण पूर्वानुबद्ध) : अध्यक्ष महोदय, यह पड़त भूमि का कृषिकरण विधेयक के बारे में मैंने कल श्रीमान् के समक्ष निवेदन किया था कि इस प्रकार के आर्डिनेन्स जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा मैंने यह निवेदन किया था कि .....

श्री शाकिर अली खाँ : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। मैंने उस वक्त अर्ज किया था, डॉ. साहब ने मेरा नाम लिया, इसलिये मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया जाये।

अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं था कि आप क्या कहना चाहते थे? अगर आप यह कहते कि मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता।

श्री शाकिर अली खाँ : उसी की तो मैं सफाई करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : मगर इस समय तो न कहें, दो बजे के बाद कहिए, उस समय मुझे आप स्मरण करा दें। अभी इस बिल पर चर्चा खत्म हो जाने दें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, तो मैंने कल निवेदन किया था कि इस विधान को पारित करने की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस विधान के कारण कृषि उत्पादन में कोई

विशेष वृद्धि हो जायेगी, ऐसी बात नहीं है। इसके उद्देश्य और कारणों में जो लिखा हुआ है कि 50 लाख एकड़ जमीन इस प्रकार की पड़त है तो ये फिगर्स सही नहीं हैं। इस दृष्टि से इस विधेयक को पारित करना उचित नहीं है। मैंने कल भी यह निवेदन किया था कि मध्यभारत में इस प्रकार का कानून था, लेकिन शासन के कानूनों में सुसंगति नहीं है। पहले सन् 61 में कानून को रिपील कर दिया। सीलिंग एक्ट और लैंड रेवेन्यु कोड के पास होने के कारण इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन अब सन् 66 में इसको लाकर आर्डिनेन्स जारी कर दिया जबकि पहले से इसके कानून में प्रावधान है। मैंने यह निवेदन किया था कि तहसीलदारों को पावर्स दे देने से उनका वे दुरुपयोग करेंगे और वह किसानों का परेशानी का कारण बनेगा, ऐसा करना भ्रष्टाचार का अधिक साधन बनेगी, यह मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का साधन बनेगा, किस प्रकार कृषि उत्पादन बढ़ना संभव नहीं है। तहसीलदार को बहुत पावर्स दिये गये हैं। व्यावहारिक दृष्टि से माननीय कृषि मंत्री जी यदि विचार करते तो काश्तकारों के पास बहुत-सी भूमियाँ होती हैं। उसमें प्रतिबंध रखा है। 5 एकड़ तक जो भूमि है उसको सबको आबाद करें। मेरा यह निवेदन है कि काश्तकारों के पास कई प्रकार की भूमियाँ होती हैं, जिनको पड़त रखना आवश्यक होता है और पड़त रखना आवश्यक है पर आपने रखा है कि 5 एकड़ तक अपनी पड़त भूमि को फाड़ा जावे और छूट चाहे तो तहसीलदार से परमीशन लें, अर्जी दें और परमीशन प्राप्त करें। उसके अन्दर सबसे अधिक भ्रष्टाचार होगा। विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। छोटे काश्तकार कुएँ के फेरे के लिए, घास के लिए बैलों के चराने के लिए बीड़ के लिए पड़त भूमि रखते हैं जो कि आवश्यक है। बीड़ के रूप में पड़त भूमि की आवश्यकता होती है और सारी जमीनों को खलियान के लिए छोड़कर, बाकी जमीन का विचार न कर प्रावधान कर दिया गया है और उसके कारण अध्यक्ष महोदय, किसानों पर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली हैं। मुझे स्वयं अपने जिले का मालूम है हजारों की संख्या में छोटे-छोटे काश्तकार हैं, वहाँ पर साधारण खाते 5 एकड़ से कम के हैं, ऐसी स्थिति में यदि कानून के द्वारा सब जमीनों को फाड़ा गया तो मैं एक सिद्धान्त का प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि किसान पर बंधन के रूप में इतनी सीमा लादना चाहते हैं तो क्या किसान को स्वयं उत्सुकता नहीं है कि उत्पादन बढ़ना चाहिए। यदि किसान की जमीन है, वह आबाद करेगा, तो उसकी स्वयं की आर्थिक स्थिति सुधरती है पर आप इस बात को कानून से करवाना चाहते हैं, हर बात को दण्ड का भय बताकर, अधिकारियों को और अधिक-अधिक अधिकार देकर किसानों की स्वतंत्रता का हनन करना चाहते हैं। हर कदम पर किसान को कानूनी बन्धन लगाना चाहते हैं। क्या आपके अन्दर यह क्षमता नहीं है कि लोग स्वयं आपकी प्रेरणा के द्वारा कि हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना है, प्रत्येक एकड़ जमीन, एक-एक इंच जमीन आबाद कर सकते हैं? इस रूप में कानून का प्रावधान लगाकर तहसीलदार को अधिकार दे दिया है, उनका दुरुपयोग होगा, किसानों पर जुर्माने होंगे, उनकी जमीन को छीनकर दूसरों को दे देंगे। सारे प्रदेश की विभिन्न परिस्थितियों पर विचार न करके यह हथियार देने जा रहे हैं जिससे किसानों की परेशानियाँ बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। किसान क्रो इस भाव पर देना पड़ेगा, इस सेन्टर पर देना है, एक-एक कदम पर एन्क्रोचमेंट किया जा रहा है और इसी कारण अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ पर सिद्धान्तः इस कानून का विरोध करने के लिए खड़ा होना पड़ा। शासन में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि समस्या का हल करने के बजाये कानून और अधिकारों के आधार पर यह सारे कानून लागू करने का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार का रिपीलिंग एक्ट पास होने के बाद 4 साल तक कोई कार्यवाही न करके आपको यह अन्दाज नहीं हुआ कि किसानों की बहुत-सी ऐसी जमीन है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कुछ आबाद करने के लिए, कुछ पड़त जमीनों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है । कई काश्तकार साधन न होने के कारण आबाद नहीं करते। यदि वास्तव में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इस दृष्टि से प्रयास करते। 5 एकड़ से कम के काश्तकार हैं या दस एकड़ से कम के काश्तकार हैं उनको जमीन का उत्थान करने के लिए किस प्रकार शासन उनकी सहायता करने वाला है इसका इसमें कोई उद्धरण नहीं है। इस बाबत आपने कहीं कुछ बताया नहीं इसलिये मेरा मूलभूत विरोध इस कानून से है, इसको पास करवाकर कुछ लाभ होगा नहीं। कानून पास कराकर केवल किसानों की परेशानी शासन बढ़ाता जा रहा है और इसके पास होने से केवल एक बात होगी, किसानों को परेशान किया जावेगा शासन

और शासन के अधिकारियों की मनमानी होगी, इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। अगर आपको कुछ करना है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, तो विचार करके विचारों के साथ कृषि उत्पादन कीजिये, किसानों को बाँधने और परेशान करने से कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। वैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होने के लिये आपको कुछ करना है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, तो विचार करके विचारों के साथ कृषि उत्पादन कीजिये, किसानों को बाँधने और परेशान करने से कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा। वैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होने के लिये स्वयं शासन दोषी है, जिसके पास लाखों एकड़ भूमि पड़त पड़ी हुई है लेकिन आज तक किसी को वितरित नहीं किया। अगर शासन कृषि उत्पादन वृद्धि करना चाहता है तो वह घोषणा करे कि उसके पास जितनी भूमि कृषि योग्य है उसको एक साल के भीतर वितरित कर दिया जावेगा और जो अधिकारी वितरण में विलम्ब करेंगे या बाधा पैदा करेंगे उनको दण्डित किया जावेगा, ऐसा प्रॉविजन आप लावें, तो मैं समर्थन करने के लिये तैयार हूँ। इसके लिए एक सन्तुलित विचारधारा होनी चाहिये। आज हम-आप सभी देखते हैं कि पशुओं के चारे की कमी है और इस एक बात को लेकर एक गाँव का पशु दूसरे गाँव में चला गया तो कितने झगड़े-फसाद में किसानों को फँस जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं उनको देखे बिना, उन पर विचार किये बिना अन्धाधुन्ध कानून बनाते जाना, दण्ड का भय बढ़ाते जाना यह तो उचित नहीं है। आप इस तरह के कानूनों द्वारा अधिकार सम्पन्न होकर भी कोई नई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकेंगे और कृषि की वृद्धि के लिये जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, आज जब कि विदेशों पर अनाज के लिये हमारे देश को निर्भर होना पड़ रहा है, उसके लिये आवश्यकता है किसानों को उत्साहित करने की, उनको सहयोग देने और उनको उत्साहित करके, उनकी सहायता करके यदि आप कुछ करेंगे तो कुछ लाभ हो सकेगा।

श्री केशवलाल गोमाश्ता (बालोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गये बजट सत्र के समाप्त होने के बाद चार महीने बीतते-बीतते ग्यारह अध्यादेश जारी हो गये और उन ग्यारह में से एक यह है जो अब विधेयक के रूप में पेश है। इतने अध्यादेशों का जारी करना असाधारण बात है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अध्यादेश का तरीका विधान बनाने का बिलकुल अनुचित है, परन्तु अध्यादेश के जरिये कानून बनाने का तरीका अपवाद रूप से काम में लाना चाहिये। यह एक साधारण तरीका है कि विधानसभा द्वारा कानून बनाये जावें और इस रीति का साधारण उपयोग करना चाहिए। जो शासन कम-से-कम कूनन बनाता है वह अच्छा शासन कहलाता है और जो बिना एक भी अध्यादेश जारी किये काम चलाता है वह उत्तम शासन है। अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश जारी करने के संबंध में माननीय लक्ष्मीनारायण गुप्त ने राज्यपाल महोदय के प्रति विशेषाधिकार संबंधी एक प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। उधर से कहा गया कि गवर्नर साहब ने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें से अनेक अध्यादेश ऐसे हैं जो विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश हो चुके थे, कई अध्यादेश ऐसे हैं जिनके संबंध में विधेयक, सदस्यों को वितरित हो चुके थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधानसभा चलते समय ही शासन को यह विश्वास हो गया था कि शासन को इन कानूनों के बनाने की आवश्यकता है। संविधान में अध्यादेश जारी करने की शर्त यह है कि सत्र चालू न रहे और सत्र नहीं रहते समय में आवश्यकता महसूस हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इधर से आपत्ति यह थी कि विधानसभा चल रही थी, उस समय आवश्यकता महसूस हो गई थी न कि विधानसभा के सत्र के दौरान में आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी, इसलिये गवर्नर साहब ने जो अध्यादेश जारी किया वह उचित नहीं है। इसका जवाब विधि मंत्री ने दिया कि गवर्नर साहब का समाधान हो जाये कि अध्यादेश जारी करना जरूरी है। इतना ही काफी है अध्यादेश निकालने के लिये। उद्देश्य अच्छा हो या बुरा, यह विचारने की जरूरत नहीं है राज्यपाल महोदय को। अनुचित या उचित है अध्यादेश यह प्रश्न करने के लिए तो किसी को अधिकार नहीं है। मैं उससे सहमत हूँ.....

अध्यक्ष : *मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह अध्यादेश जरूर था लेकिन यह इस समय बिल है। आज तो उन्होंने.....*

श्री केशवलाल गोमाश्ता : *अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में से अध्यादेश का निरसन हो रहा है इस तरह इसमें अध्यादेश की चर्चा तो है। विधि मंत्रीजी ने यह जवाब दिया और उससे मैं सहमत हूँ कि गवर्नर साहब को*

यह समाधान हो जाये कि अध्यादेश की आवश्यकता है तो वे अध्यादेश निकाल सकते हैं। राज्यपाल महोदय के समाधान को चुनौती कोई नहीं दे सकता, लेकिन सवाल यह है कि गवर्नर साहब शासन की सलाह पर काम करते हैं। शासन द्वारा गवर्नर साहब को गलत सलाह देकर, गैर जिम्मेदारी से सलाह देकर एक गलत अवैधिक काम कराया गया। इसको विधि मंत्री जी इंकार नहीं कर सकते। यह जिस विषय पर अध्यादेश जारी किया जा रहा है वह विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश हो चुका था या सदस्यों को वितरित हो चुका था। यह विधेयक विधानसभा द्वारा सीज्ड है, यह गवर्नर साहब को बताया नहीं गया, उल्टे शासन ने गवर्नर साहब को यह सलाह दी होगी कि विधान बनाने सम्बन्धी इस समय कोई ऐसा जरूरी काम नहीं है कि विधानसभा का सत्र जारी रखा जाये, इसलिए विधानसभा सत्र को समाप्त किया जाये। बताना यह था कि आवश्यक कार्य है और सत्र जारी रहेगा, लेकिन शासन ने गलत जानकारी देकर, गलत सलाह देकर विधानसभा का सत्र समाप्त कराया और विधानसभा सत्र को समाप्त हुए एक सप्ताह भी नहीं बीत पाया कि शासन ने वही विधेयक अध्यादेश के रूप में जारी करा दिया। विधानसभा के अधिकार प्राप्त विधेयक के संबंध में अध्यादेश जारी करा कर विधानसभा का अपमान किया गया और राज्यपाल महोदय को गलत सलाह दी गई शासन द्वारा। यह आरोप तो रहे सही।

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक कानून बनाया जा रहा है इसमें यह प्रावधान है कि अगर तहसीलदार को यह समाधान हो जाये कि अमुक किसान अपने खाते की जमीन पड़त रख रहा है और इस कानून के विरुद्ध वह पड़ती रख रहा है तो तहसीलदार को यह अधिकार होगा कि वह किसान के कब्जे से जमीन ले लें और जमीन को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को लीज याने पट्टे पर दे दें। तहसीलदार चाहे तो स्थायी परमानेन्ट लीज दे सकता है, कानून में कोई अवधि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी किसान की सम्पत्ति का कब्जा लेना और बिना मुआवजा दिये जमीन छीन लेना, इस तरह से किसी की सम्पत्ति को छीनकर किसी दूसरे आसामी को ट्रांसफर कर देना, यह संविधान के विरुद्ध है। जब तक इसके लिये कोई स्कीम ऑफ कम्पेनसेशन निश्चित न किया जाये और जब तक मालिक को उचित मुआवजा न दिया जाये तब तक उसकी सम्पत्ति ली नहीं जा सकती। तहसीलदार ने पट्टे पर दिया और मालिक को उस जमीन को पट्टे पर लेने वाले से कुछ रकम लगान के रूप में दिलाई गई, वह मुआवजा नहीं होगी, वह अनिश्चित, लगान होगी। एक रुपया हो, दो रुपये हों, मुआवजा तो योजनाबद्ध रूप से पूर्व निश्चित होता है। बिना मुआवजा दिये किसी की सम्पत्ति पर कब्जा करना, किसी हेतु हाँसिल करना, एक्स एप्रोप्रियेशन विदाउट कांपेन्सेशन संविधान के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सखलेचा जी ने बताया कि पुराने मध्यप्रदेश में सन् 1948 में संविधान के पूर्व पड़त भूमि नहीं रहने देने और उसे काश्त कराने के लिये एक कानून बना था और वह बाद में निरस्त हुआ, इसलिए निरस्त हुआ कि लैण्ड रेवेन्यू की दफा 255 में ठीक इसी उद्देश्य का एक प्रावधान और अब पड़त भूमि काश्त कानून की आवश्यकता नहीं रह गई, नई भू-राजस्व संहिता में एक व्यापक प्रावधान कर दिया गया कि किसान अपनी जमीन पर किस तरह खेती करे, खुद खेती करे, पूरी जमीन पर खेती और उत्पादन पूरी तरह करे। किसान खेती का स्तर ऊँचा करें और उत्पादन बढ़ावें। इस विधेयक का भी यही उद्देश्य है। मध्यभारत और महाकौशल क्षेत्र के पड़त जमीन पर काश्त संबंधी विधान इसीलिए निरस्त कर दिए गए कि भू-राजस्व संहिता में व्यापक प्रावधान के बाद उन कानूनों की जरूरत नहीं रही। निरस्त अधिनियम फिर से कानून बनाये जा रहे हैं। इस कानून के बनने के बाद दो कानून एक ही विषय पर, एक ही उद्देश्य वाले अमल में होंगे। दो कानूनों में संघर्ष होगा, दो विभाग के अधिकारियों में मतभेद और संघर्ष होगा। अदालत किस कानून के मुताबिक फैसला देगी। इस तरह भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के समकक्ष समान उद्देश्य का यह दूसरा कानून बनाया जा रहा है। यह अवैधानिक होगा, अव्यवहारिक होगा। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक असंवैधानिक है, अवैधानिक है यह विधान बनने के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इस तरह से अनुचित कानून बनाने की सलाह विधि विभाग द्वारा दी जाती है। विधि विभाग को सलाह बहुत निर्भीकता से देनी चाहिये, यदि विधि विभाग दबाव में आकर कमजोर हो गया तो फिर प्रजातंत्र के लिए इससे बढ़कर घातक बात और नहीं हो सकती।

श्री गुलशेर अहमद : अध्यक्ष महोदय, गुमाश्ता साहब मेरे बुजुर्ग है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वह खुद मंत्री रह चुके है और वह जानते है कि प्रोसीजर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोई कानून बनाना चाहता है, उसकी प्रेंसी बनती है। वह ड्राफ्ट बनाकर भेजता है। विधि विभाग देखता है कि हमारा कॉन्स्टीट्यूशन है, संविधान है, उसके मुताबिक कानून के मुताबिक, इस किस्म का कानून बनाया जा सकता है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता हूँ कि मेरे महकमे के जितने बनाये हुए कानून हैं वह सभी ठोस हैं, पक्के हैं, कभी-कभी हाईकोर्ट से कोई कानून गलत भी हो जाता है लेकिन जब हाईकोर्ट के फैसले सेट एसाइड हो सकते हैं, सुप्रीमकोर्ट खुद अपना फैसला बदल सकती है, तो मेरे महकमें के द्वारा बनाया हुआ कानून गलत करार दे दिया जावे तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। कानून ऐसा विषय है जिसके बारे में दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह सब कुछ जानता है। अगर वह ऐसा दावा करता है तो गलत है। मेरा महकमा भी ऐसा दावा नहीं करता है। जो इल्जाम आपने लगाया है उसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे महकमे द्वारा जो सही राय होती है वह दी जाती है। उसके बाद अगर वह महकमे नहीं मानें तो हम क्या करें? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारी राय को नहीं मानता है, तो हम क्या कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा मौका आता है कि जो कानून की मंशा है, वह बता दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चाहता है कि जो लॉ विभाग ने राय दी है उसमें तब्दीली हो सकती है और अगर बाद में कोर्ट से कुछ होगा तो बदल लेंगे तो, इसके लिए लॉ डिपार्टमेंट को दोष नहीं दिया जा सकता। आपने जो आरोप लगाया है कि विधि विभाग कमजोर दिखता है, यह आरोप सही नहीं है।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : मैंने लॉ मिनिस्टर साहब के लिए कुछ नहीं कहा, मैंने तो यह कहा है कि लॉ डिपार्टमेंट ने गलत सलाह दी। मेरा मतलब कानूनी सलाहकार से है।

श्री गुलशेर अहमद : मैं लॉ मिनिस्टर हूँ और मेरे डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में कुछ कहा जावेगा, तो उसका जवाब देने की मेरी जिम्मेदारी है, लॉ सेक्रेट्री तो जवाब देने आवेगा नहीं।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : लॉ मिनिस्टर साहब द्वारा कानूनी सलाह देने के प्रोसीजर बताने से मेरी राय मैं बदल नहीं सकता, इसका मुझे अफसोस है। यह विधेयक जिस तरह से आया है, इसी तरह के बहुत से विधेयक सामने आये हैं। कानूनी सलाहकार दबाव से गलत सलाह देते हैं, यह राय अभी भी कायम है। जो लॉ डिपार्टमेंट है, यह रबर का पुतला है, उसे जैसा चाहे वैसा शासन मोड़ सकता है। अगर लॉ डिपार्टमेंट ने ठीक सलाह दी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट नहीं माने तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, वह बहुत दावा करते हैं समाजवादी होने का। मैं ढोंग तो नहीं कहूँगा, शायद तिवारी जी ऐसा कह दें परन्तु वह दावा बहुत करते हैं और वे दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रशासन में तरक्की कर रहा हूँ, कृषि की तरक्की के लिए नया तरीका निकाल रहा हूँ, ठीक है, उनका उद्देश्य यह है कि कृषि का उत्पादन बढ़े लेकिन उत्पादन बढ़ने का यह तरीका नहीं है। इसका दुरुपयोग होगा, भ्रष्टाचार होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, 1948 में आर.के. पाटिल साहब कृषि मंत्री थे, उन्होंने पड़त भूमि की काश्त का वह कानून बनाया जो निरस्त हुआ है, दो-चार साल कानून अमल में रहा। विधानसभा के हर सत्र में वे आँकड़े देते थे कि फलाँ जिले में इतने एकड़ पड़त जमीन में काश्त हुई, फलाँ जिले में इतने एकड़ में काश्त हुई। मैंने एक बार उनसे पूछा कि इतनी जमीन पर काश्त तो हो गई लेकिन उत्पादन कितना बढ़ा? तो वह चुप हो गये। मुझसे उन्होंने बातें कीं। मैंने कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर से पड़ती जमीन पर काश्त करने का हिसाब जरूर बुलावें और ज्यादा जोर इस बात पर दें कि जो ज्यादा काश्त हुई उसमें उत्पादन कितना बढ़ा? आज की तरह उस समय भी श्रेय लेने के लिये अधिकारी पड़ती जमीन काश्त होने के रकबे बढ़ा-चढ़ाकर देते थे, परन्तु असल उद्देश्य अनाज के उत्पादन में बढ़ती का कहीं पता नहीं था। इस कानून के अमल का नतीजा यह होगा कि पटवारी गाँव में जावेंगे और छोटे-छोटे किसानों को पकड़ कर तंग करेंगे। बड़े किसानों के पास तो पैसा प्रभाव रहता ही है पड़त जमीन रखने पर भी उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होगी। छोटा किसान पड़त जमीन नहीं रखेगा तो भी उसके खिलाफ शिकायत होगी। पटवारी तो छोटे-छोटे किसानों को ही तंग करते हैं। उनके खिलाफ ही अतिक्रमण की रिपोर्ट करते हैं बड़े लोगों के खिलाफ कभी शिकायत

नहीं होती। उसी तरह पड़त जमीन के सम्बन्ध में शिकायत छोटे लोगों के खिलाफ ही होगी। बड़े लोग बड़ा रकबा पड़त रखने पर भी अछूते रहेंगे। पटवारी पूरा रकबा काश्त होने पर भी किसानों से कहेंगे कि हमारे रिकार्ड में तुम्हारी जमीन पड़त दर्ज है। तुम्हारी रिपोर्ट होगी, जमीन निकल जावेगी। बेचारे डर से रुपये देंगे और छुटकारा पावेंगे। सच बात तो यह है कि छोटे किसान के पास पड़ती जमीन रहती नहीं है। उनके पास उनके जोतने के लायक भी जमीन नहीं है। पड़त जमीन तो भूतपूर्व जमींदार, जागीरदार और पवाईदार के पास है। कई जमींदारों ने जो जमीन वे सुप्रीमकोर्ट तक हार गये थे अपना प्रभाव डालकर, तिकड़म जमाकर उस पर कब्जा कर लिया। कई लोगों ने अपनी जमीन बीबी-बच्चों के नाम दर्ज करा दी। खुद भूमिहीन हो गये और भूमिहीन के नाम पर वही अलावे जोत की भूमि ले ली। कई लोगों ने अपने लड़कों और रिश्तेदारों के नाम भूमिहीन की हैसियत से सैकड़ों एकड़ जमीन ले ली। कोई मैला भराने की जमीन काबिल काश्त के नाम से लेकर मैला भर रहे हैं और लोगों से हजारों रुपये टैक्स वसूल कर रहे हैं। जिसका कि उनको अधिकार नहीं है। तिवारी जी ने इसकी चर्चा की थी, मुझे गाँव याद नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : गाँव का नाम बढ़ोरा है।

श्री अर्जुनसिंह : तिवारी जी ने आपको रात में बताया होगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हम लोग तो दिन में बात किया करते हैं रात में तो आप लोग करते हैं।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : रात को तो ये गोली चलाते हैं।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : उनकी गोली से कोई मरे या न मरे; परन्तु गोमाश्ता जी की गोली से जरूर मरेगा।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : इस तरह से बड़े लोगों के पास ही ज्यादा जमीन है, और वे अपनी जमीन शिकमी या बटाई से उठा देते हैं या पड़त रखते हैं। उत्पादन वे बढ़ाते नहीं हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी नहीं। जिन लोगों ने नाजायज तरीके से जमीन हड़प ली है, वह जमीन उनसे निकालकर सही किसानों को दी जाये। यही समाजवादी तरीका होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, (अन्य सदस्यों के बोलने पर)

अध्यक्ष : इसका समय हो गया है, इसको 1.40 पर समाप्त हो जाना चाहिये था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हमारी पार्टी को समय नहीं मिला है।

श्री देवप्रसाद आर्य : (चौकी-संरक्षित स्थान) अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रार्थना है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जावे मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह बात बिलकुल स्वयं सिद्ध हो गई है कि यह सरकार निकम्मी है। कहीं कृषि उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिये डण्डे से काम लिया जा सकता है। जो सरकार कृषकों को डण्डे के बल पर बाध्य करना चाहती है कि तुमको खेती करना पड़ेगी, उससे कहाँ तक उत्पादन बढ़ सकता है। किसानों की माली हालत ठीक नहीं है। आज आजादी प्राप्त हुए 19 वर्ष हो गये हैं फिर भी किसान तंगी हालत में रह रहे हैं। उनके पास न बैल हैं, न कृषि औजार ही सुधरे हुए हैं, जिनसे कि वे खेती की उन्नति कर सकें। इसके लिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसानों की माली हालत सुधारना चाहते हैं तो उनकी माली हालत सुधारने के लिए उनके लिये धीरे-धीरे ज्यादा प्रावधान किये जावें और ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जावें, जिससे कि किसानों की हालत सुधर सके, वे कृषि में दिलचस्पी ले सकें और अपनी खेती में अधिक से अधिक उत्पादन करके देश और देश के लोगों का कल्याण करने में सहायक हो सकें। अब मैं सदन से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी शासन के अधिकार में ऐसी हजारों एकड़ भूमि पड़त पड़ी हुई है जिसकी ओर कि शासन का ध्यान बिलकुल नहीं जा रहा है बल्कि किसानों में असन्तोष फैलाया जा रहा है और भयभीत किया जा रहा है कि खेती मत करो, खेती करना महापाप है, इसीलिये यह विधेयक लाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे दुर्ग जिले में वहाँ किसानों को बैल आदि की और बीज वगैरह की सब तरह की सहायता दी जा रही है लेकिन चौकी खास में न तो अधिकारी और शासकीय कर्मचारी लोग किसानों को कोई बीज की ही सुविधा देते हैं और न कोई दूसरी तरह की सुविधा देते हैं और करीब दो-तीन सौ गाड़ियाँ वहाँ से वापिस भी हो गई हैं। फिर एक दिन वहाँ पर कलेक्टर साहब दौरे पर गये और उन्होंने सारे हालात

को देखा, तो फिर वहाँ शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने किसानों को मजबूर होकर के सहायता दी। यह हालत है, इस प्रकार से आपके शासकीय कर्मचारी और अधिकारी किसानों को तंग करते हैं ऐसे कई उदाहरण हैं.....

अध्यक्ष : अब आप बैठेंगे।

श्री रामचरनलाल (गोहद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मध्यप्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं इसका विरोध करता हूँ और इसमें यह बतलाया है कि 50 लाख एकड़ भूमि बिना कृषि के पड़ी हुई है और उसमें से कुछ भूमि तो चारागाह के लिए छोड़ दी जावे और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि इसमें छूट दी जावे और जिस भूमि में कांस होती है उसको चारागाह के लिये छोड़ने के लिये निस्तार पत्रक आदि भी लैंड रेवेन्यू में बनाये जा रहे हैं, तो चारागाह के लिये जमीन छोड़ने का उद्देश्य जो रक्खा गया है वह गलत रक्खा गया है और इसमें यह है कि 50 लाख एकड़ जमीन को काश्तकारों के खातों में शामिल करली जावे, तो ऐसा कौन-सा कानून है, यह मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। पड़त भूमि से तात्पर्य, किसी विशिष्ट वर्ष के सम्बन्ध में, उस भूमि से है जो कि उस वर्ष बिना खेती की हुई पड़ी रही हो; किन्तु जिस पर उस वर्ष के ठीक पूर्व के छः वर्ष के भीतर किसी समय खेती की गई हो। उसमें खेती करना लाजिमी है, अगर खेती नहीं करेंगे तो वह कानून का उल्लंघन है। जो पड़त भूमि अर्से से चली आ रही है, जो 15 वर्ष से पड़त चली आ रही है जिस पर पहले खेती होती थी, उसको भी लेना चाहिये। 6 वर्ष लेने से कानून का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, उस भूमि में यह कानून लागू नहीं होता है। दूसरे इसमें बताया गया है कि भूमिधारी कौन होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें बताया गया है कि 'धारक' से तात्पर्य राज्य के भीतर की भूमि के भूमि स्वामी या मौरूसी कृषक से और उसमें सम्मिलित है— शासकीय पट्टेदार, मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 को धारा 183 के तात्पर्य के अन्तर्गत ग्राम सेवक और धारा 168 की उपधारा (2) में उल्लिखित किये गये भूमि स्वामी का पट्टेदार। अध्यक्ष महोदय, लैण्ड रेवेन्यू कोड में यह प्रावधान पहले से ही मौजूद है कि असमर्थ व्यक्ति अपनी ओर से दूसरे व्यक्ति को भूमि खेती के लिये दे सकता है। वह जमीन पड़त पड़ जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह पड़त भूमि पर कृषि करने का विधान है, इससे शासन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मैं इसके बारे में यह निवेदन करूँगा कि इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई काश्तकार इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे कम-से-कम 25 रुपये प्रति एकड़ की शास्ति की जायेगी और भूमि उसके कब्जे से ली जाकर दूसरे को दे दी जायेगी। अगर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा वह ऐसी चूक करेगा तो उसे 50 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना होगा। उस जुर्माने की कोई अपील नहीं होगी। उसके लिए वह किसी सम्पत्ति न्यायालय में भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसलिये यह बिलकुल काला कानून है। किसान के पास योजना है कि वह काश्त करे। इस कानून के बन जाने से यह सवाल पैदा हो जायेगा कि तहसील और न्यायालय में भागता फिरेगा। कहीं एक काश्तकार को पट्टा कर दिया, कहीं दूसरे को पट्टा कर दिया जिसकी कोई अपील भी नहीं। इससे किसान को सिर्फ परेशानी ही प्राप्त होगी। यह कानून निरस्त कर दिया जाये।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है, उसमें सुझाव देना चाहता हूँ। उसके लिये 5 मिनट दे दिये जायें।

अध्यक्ष : मगर है कहाँ समय?

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : जबकि 40 मिनट बचे थे और सदन में आपकी आज्ञानुसार कुछ समय बढ़ाया गया, तो कुछ समय और दे दिया जाये।

अध्यक्ष : आप 5 मिनट चाहते हैं, लेकिन 1.40 पर समय समाप्त हो जावेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : मेरा निवेदन है कि अभी समय है, 5 मिनिट दे दीजिए।

अध्यक्ष : अच्छा, आप दो मिनिट बोल लें। श्री खुजनेरी, आपको भी समय दूँगा।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस कानून के बारे में जो विरोधी पक्ष ने कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि मध्यप्रदेश के जितने जिले हैं इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जो कैटिल ब्रीडिंग के लिये मशहूर हैं। जैसे हमारा जिला राजगढ़ है, वहाँ से सारे जिलों

के लिये साँड़ और बैल जाते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनके जिले में साँड हार जाते हैं।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खजनेरी : मैं निवेदन कर रहा था कि जो कैटिल ब्रीडिंग एरिया है, उनमें पड़त भूमि का रकबा बढ़ायें ताकि कैटिल बढ़ सकें क्योंकि अगर हमारी एग्रीकल्चर में पड़त भूमि का एरिया कम हो जायेगा तो कैटिल ब्रीडिंग कम हो जायेगी। मैं चाहूँगा कि वे इसमें परिवर्तन करें और कैटिल ब्रीडिंग के लिये अधिक से अधिक भूमि रखने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त (पिछोर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो इसमें उपबन्ध निर्धारित किये हैं वह मुख्यतः अथवा पूर्णतः कृषि करने वाले को बर्बादी में डालने वाला है। कृषि के साथ-साथ जो साइड बिजिनेस करते हैं उनको जरूर संरक्षण देने वाला है। इसमें पड़त भूमि की परिभाषा दी गई है और जो 6 वर्ष के भीतर जोते गये हैं उसको भी माना है, किन्तु 6 वर्ष पूर्व के जो पड़त भूमि के भाग चले आ रहे हैं उसको नहीं माना है। जो लोग साइड बिजिनेस करते हैं और सैकड़ों बीघा जमीन दबाये पड़े हैं उनको जरूर संरक्षण देने वाला है। इसलिये धारा 2 में जो उपबन्ध कायम किये हैं वह विचारणीय हैं। जो किसान पूर्णतः खेती करता है उसके लिए सीमा 5 एकड़ की रखी है किन्तु जो किसान 100 एकड़ जमीन रखता है और उसमें से केवल 5 एकड़ पर खेती करता है तथा 95 एकड़ पड़त पड़ी है उसके लिए छूट है। इसके अतिरिक्त इसमें जो जुर्माने की व्यवस्था है उसके लिए पहले किसानों को कोई इत्तला नहीं दी जायेगी कि अगर तुमने खेती नहीं किया, पड़त भूमि रखा तो जुर्माना होगा बल्कि एकदम से उस पर जुर्माना कर दिया जायेगा। वास्तव में पहले उसको नोटिस देना चाहिये और धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही होनी चाहिए। बीड़ की भूमि भी अगर किसान अपनी खेती के लिए बनावें तो उसके लिए भी कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। तहसीलदार चाहे तो 100 साल का भी पट्टा दे दे, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। यह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, जो लगान निर्धारित किया जायेगा पट्टे का, वह किस तरह से वसूल किया जायेगा यह निर्धारित नहीं है, कोई प्रावधान उसका नहीं किया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि किसानों के लिए यह विधेयक उनको बर्बाद करने वाला है। हमने मंत्री महोदय से स्वयं जानकारी की तो उन्होंने कहा कि यह तो हम केवल प्रचार के लिए कर रहे हैं, किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। उपबन्ध बिलकुल अपूर्ण रखे हैं। यदि कोई लगान जमा नहीं करता तो वह भू-राजस्व के समान वसूल होना चाहिए। बीड़ की मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने संशोधन दिया है उसको मंजूर करना चाहिए और तभी किसानों को कुछ संरक्षण मिल सकेगा, अन्यथा नहीं।

अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों के अनुरोध पर कुछ को बोलने का समय दिया है, इसलिए 2 बजे के बाद भी 10-5 मिनिट सदन बैठेगा।

श्री चन्द्रभानुसिंह चौहान (मुंगावली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय ने जो इस विधेयक द्वारा समाजवादी कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि हमारे समाजवादी मित्रों ने असन्तोष व्यक्त किया है, किन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों से जमीन लेकर अगर बिना जमीन वालों को दी जा रही है तो उसका उपयोग खेती में न करके घास-फूस पैदा करते हैं तो क्या आपत्ति है। आज जब कि देश खाद्यान्न की दृष्टि से संकट में है और करोड़ों रुपये का खाद्यान्न विदेशों से मँगाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कृषि की पैदावार यदि बढ़े क्योंकि आज 50 लाख एकड़ जमीन खेती के लायक है ..... ऐसे लोगों के पास में जो खेती नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को खेती मिलना चाहिये जो खेती करना चाहते हैं, जिससे उत्पादन देश का बढ़े। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ जो आर्डीनिन्स आया है जिसके कारण हमने देखा है बहुत से सेठ और साहूकार अपनी जमीनों को बेचने लगे हैं और इससे ऐसे लोगों को जमीन मिल रही है जो खेती करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं देश की जनसंख्या बढ़ रही है और बेकारी अधिक से अधिक बढ़ रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी खेती बेकार हो उस पर खेती की जाये। इससे ज्यादा अध्यक्ष महोदय, कोई प्रगतिशील कदम हो नहीं सकता है। जो पड़त भूमि है उस पर खेती की जाये। मुझे अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य हुआ,

एक तरफ तो राजस्व विभाग किसानों को जमीन दे रहा है दूसरी तरफ ऐसी बहुत-सी जमीन वनों में लाखों एकड़ पड़ी हुई है उसे इस इमरजेन्सी में पट्टे के आधार पर बाँटा जाना चाहिये। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है राजस्व विभाग ने आदिवासी लोगों को जमीन दी थी, वन विभाग उन आदिवासियों की फसलें नष्ट कर रहा है और उन्हें बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों को उनके कब्जे से हटाया जा रहा है। यह एक प्रगतिशील कदम है जो मन्त्री जी ने उठाया है जो देश की सबसे प्राथमिक आवश्यकता थी उसकी तरफ ध्यान दिया गया है। अब आवश्यकता है कि एक-एक इंच की जमीन में खेती की जाये और पैदावार को बढ़ाया जाये। मंत्री जी बड़े-बड़े जमींदार और पवाईदारों की जमीन ले रहे हैं। यह कोई राजनैतिक बात नहीं है, बहुत ही प्रगतिशील कदम है। राजनैतिक दाँव-पेंच के लिए तो चुनाव आ रहे हैं, पब्लिक प्लेट फार्म पर कह सकते हैं। यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि यह बहुत ही प्रगतिशील कदम है।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में कल, माननीय विरोधी दल के सम्मानीय नेता महोदय ने अपना भाषण शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने दल की नीति और स्वयं के तर्क से विचारों को व्यक्त किया। दूसरे माननीय भूतपूर्व राजस्व मन्त्री जिन्हें अब पटवारियों की खामियों का भान हुआ है। दूसरे अध्यक्ष महोदय, अन्य कुछ साथियों ने अपनी राय व्यक्त की है। अलग-अलग तर्क दिये गये इस कानून में गलती को बताने के लिए। मैं सबसे पहले विरोधी दल के नेता ने जो बातें कहीं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि माननीय सखलेचा जी ने ये जो बातें कहीं, मैं कल ही उस समय उत्तर नहीं देना चाहता था। क्योंकि मुझे जो आँकड़ा उन्होंने दिया था उसके बारे में शक था, सखलेचा जी ने 50 लाख एकड़ को गलत बताया वह गलत छप गया है, फायलों को देखने से विदित हुआ कि वह 33 लाख एकड़ था। मैं उनका आभारी हूँ उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। जहाँ तक प्रश्न इस विधेयक के औचित्य का है, मैं माननीय सदस्यों से इतना ही कहना चाहता हूँ, पैदावार बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। यह कदम भी मुख्य रूप से उनमें से एक है। यह कोई सर्वव्यापी विधेयक नहीं है कि कृषि के उत्पादन में जितनी भी समस्याएँ आती हैं उन सबका इससे समाधान हो जावेगा। अगर इसी दृष्टिकोण से इस विधेयक को देखें तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें बहुत-सी अच्छी चीजें मिलेंगी। मैं स्वयं इस चीज को मानता हूँ कि बहुत-सी चीजें इसमें होना चाहिये जो नहीं हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस पर उस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी अभी नहीं बताया जा सकता है कि तत्कालीन फायदा क्या हुआ है। जुलाई से अक्टूबर तक जो जमीन पड़त पड़ी थी उसकी खेती हो सकी। जहाँ तक खेती होने के आँकड़ों का प्रश्न है वह तो अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं, मिलने पर बताये जा सकते हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि इसका असर हुआ है। जहाँ पर बड़े-बड़े खेत पड़े हुए हैं, उनमें खेती हुई है। जैसा कि कहा गया था कि पहले एक्ट था और उसके पश्चात् इसको रिपील किया गया और जब सीलिंग एक्ट आ गया है तो फिर इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं श्री सखलेचा जी की इस बात से सहमत हूँ, एक पुराने मध्यभारत में इस प्रकार का एक एक्ट था उसको रिपील किया गया है यह तो सत्य है, लेकिन इस बात के बहुत से प्रमाण हैं और हम और आप सब ही जानते हैं जो गाँव में रहते हैं कि लाखों एकड़ जमीन पड़त पड़ी है। श्री सखलेचा जी ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है कि पहले यह समस्या नहीं थी और समस्या का लोप हो गया था और आपने ही यह आर्डीनिन्स निकाला है.....

श्री दुलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह नोटिस है कि पड़त भूमि तोड़ी जायेगी यह नोटिस गया था, लेकिन अभी तक वहाँ पर भूमि नहीं तोड़ी गई है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक शासकीय पड़त भूमि को खेती योग्य बनाने का प्रश्न है, उसके लिए तो कई सालों से प्रयत्न हो रहे हैं और उसमें प्रगति भी हुई है। 2-3 लाख एकड़ पड़त भूमि जो होल्डिंग से बाहर आती थी, उसको कृषि योग्य बनाया गया है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मंत्री महोदय ने बताया है कि 33 लाख एकड़ भूमि पड़त है जो कि होल्डिंग के अन्दर नहीं आती है। मेरा यह निवेदन है कि वे इसकी भी फिगर्स मँगा लें कि

बहुत-सी भूमि का पड़त रहना भी आवश्यक होता है। घास की बीड़ों के लिए, यदि उसको नहीं रखा जाये तो फिर मवेशी आदि कैसे रखी जा सकती है। कुएँ, सवड़े हैं के अंतर्गत आती है, उनके लिए भी रखा जाना आवश्यक होता है। इसीलिए हमने किसान की मरजी पर छोड़ने का निवेदन किया था क्योंकि उसको सब मालूम होता है।

श्री दुलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं, जमींदार हैं वे लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और जानबूझकर भूमि को पड़त रखते हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : उसके लिए तो सीलिंग एक्ट बना हुआ है, कोई भी 25 एकड़ से अधिक भूमि पड़त नहीं रख सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सखलेचा जी ने जो कुछ कहा है वह अपने स्थान पर उचित है, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि तहसीलदार इस बात के लिए संतोष करेगा कि जो भूमि साधारण तौर से खेती में नहीं ली जानी चाहिए वह न ली जाये। इसके प्रावधान हैं विधेयक में। मैं मानकर चलता हूँ कि ऐसी भूमि निकलेगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो भूमि पड़त .....

श्री अर्जुनसिंह : आपने तो भाषण भी नहीं दिया।

श्री रामस्वरूप वर्मा : तो इसका मतलब है कि भाषण दे वही पूछ सकता है और कोई दूसरा नहीं पूछ सकता। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि तहसीलदार पर डिस्क्रिशन क्यों छोड़ा। मवेशी चराने वाला किसान है, उसको जरूरत है, इसमें तहसीलदार साहब क्या सोचेंगे? किसान पर क्यों नहीं छोड़ा?

श्री अर्जुनसिंह : इस विधान के अन्तर्गत आदेश देने के लिए डिस्क्रिशन किस पर छोड़ा जाये, यह तो माननीय सदस्य एक विधायक हैं, सोच सकते हैं। व्यक्ति विशेष पर या अधिकारी पर छोड़ा जा सकता है?

श्री रामस्वरूप वर्मा : इसके लिए आप उसे मापदण्ड दे दें कि इस विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। लेकिन तहसीलदार पर नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूँगा कि आप राजगढ़ जिले में आ गये हैं, जहाँ कि श्री खुजनेरी ने आवेदन किया है। आप ब्यावरा में आ गये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा : नहीं, मैं आपके पास आ जाऊँगा।

श्री अर्जुनसिंह : आपका स्वागत है।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि श्री रामस्वरूप वर्मा के सिर पर खेती पड़त है, उसके लिए क्या करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : उसके लिए सखलेचा जी से आग्रह करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल की धारा 11 में प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया है कि इसमें क्या लैण्ड लेकर दी जायेगी या सबलेट की जायेगी, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है। नियम का जो विधान किया गया है उसमें यह प्रावधान किया जा सकता है। जो बातें नियम में लिखी जानी हैं वे विधेयक में नहीं लिखी जातीं और यह आवश्यक भी नहीं है।

हमारे भाई श्री गोमाश्ता जी ने यहाँ पर कुछ बातों का उल्लेख किया और उन्होंने मुख्य रूप से आर्डिनेन्स के रूप में विधेयक की आलोचना की। उस पर काफी चर्चा हो चुकी है और अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग भी दे दी है इसलिमें उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन चलते-चलते उन्होंने कुछ छींटा-कशी कर दी। मैं नहीं समझ सका कि यह उनकी खुद की प्रेरणा थी या क्या था। लेकिन उन्होने जो संकेत किया वह गलत जानकारी के आधार पर किया। वे एक वयोवृद्ध नेता हैं और वे पहले मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने स्वयं ने इस ट्रेजरी बैंच में रहकर उत्तर दिये हैं। इसलिए मेरा कहना है कि वे सही जानकारी लेकर ही कोई बात कहें। इससे कोई एक व्यक्ति के लाभ उठाने का प्रश्न नहीं है और न ही उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने की कोई बात है। यह तो किसानों की खेती का प्रश्न है। उनकी भूमि पड़त न रहे इसके लिए यह उपबन्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इसे पारित किया जायेगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अधिकांश सदस्यों ने और मैंने विशेष रूप से आपत्ति की थी कि किसान की

खुद की प्रेरणा है, वह स्वयं उत्पादन करना चाहता है। इसलिए आप तहसीलदार को अधिकार दे रहे हैं यह अनुचित है। आप स्वयं इसका निर्णय करें जबकि कोई आवश्यक जमीनें होती हैं 5 एकड़ के खाते में देने का कोई प्रावधान नहीं है, यह रखना चाहिए, किसान की स्वतन्त्रता को क्यों छीनना चाहते हैं उसका तो कुछ स्पष्टीकरण दें।

श्री अर्जुनसिंह : किसान पर पूरा विश्वास है और निश्चित मानिए 2,4,5 एकड़ भूमि वाले किसान पर असर नहीं होने वाला है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : 5 एकड़ वाले किसानों पर होगा जिसका प्रावधान किया है।

श्री अर्जुनसिंह : वे तो स्वयं ऐसा करते हैं। 5 एकड़ जिसकी भूमि है वहाँ इसके सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई चारा नहीं है। 60-70 एकड़ जमीन होती है वे लोग छोड़ते हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : 60-70 एकड़ जमीन होने के बाद सीलिंग एक्ट में नहीं निकल रही है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सखलेचा जी वकील हैं। सीलिंग एक्ट पढ़ा है। 25 स्टेंडर्ड एकड़ होगी, क्या मतलब होता है समझते हैं? 75 एकड़ होती है मैंने 70 एकड़ कहा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय मंत्री जी ने कहा है पड़त वह रखता है जिसके पास 70 एकड़ होती है। 5 एकड़ वाला स्वयं प्रेरणा से फाड़ डालता है तो उन पर प्रतिबंध लगाने का क्या आशय है? यदि पड़ती रखेंगे तो यह विधान लाग नहीं होगा? जिसके पास 5 एकड़ का खाता या नीचे है यह प्रावधान इसमें क्यों नहीं किया?

श्री अर्जुनसिंह : जो पड़त नहीं रखेंगे उस पर लागू नहीं होगा। जो नहीं रखेंगे उस पर नहीं लागू है तो उसके बारे में यहाँ कानून में क्या जरूरत है।

(संशोधन श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे व गुप्त का है)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

मध्यप्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण विधेयक, 1966 (क्रमांक 39, सन् 1966) प्रस्थापनानुसार निर्मित प्रवर समिति को सौंपा जावे।

(संशोधन स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

मध्यप्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण विधेयक, 1966 (क्रमांक 39, सन् 1966) पर विचार किया जावे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 और 3

अध्यक्ष : खण्ड 2 पर श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा और श्री कैलाशचन्द्र जोशी के संशोधन प्रस्तुत हुए अब मैं इनको मत के लिये रख देता हूँ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जावे—

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : इस पर हमारा संशोधन है, समय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष : जो समय सदन ने इस विधेयक के लिये निश्चित कर दिया है उसके भीतर ही तो .....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : महत्वपूर्ण संशोधन कानून के संबंध में है।

अध्यक्ष : यदि सदन 3 बजे तक बैठने को तैयार हो, तो मैं समय दूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : तैयार है।

अध्यक्ष : क्या सदन 3 बजे तक बैठने को तैयार है?

(कुछ आवाजें— नहीं है, 2 बजे से आवश्यक मीटिंग है)

मैं समय नहीं दूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : क्या इसी ढंग से कानून पास करना चाहते हैं?

अध्यक्ष : उस समय क्यों नहीं कहा कि संशोधन है?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सबको मालूम है, संशोधन है।

अध्यक्ष : आपने उतना समय क्यों लिया? संशोधनों पर बोलते।

श्री भालचन्द्र बागदरे : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिए। सखलेचा जी ने संशोधन के बारे में कहा है और कहा था संशोधन प्रस्तुत करते वक्त प्रकाश डालूँगा।

अध्यक्ष : आपने कहा था। 1 घण्टे का समय है। कैसे समय दे दूँ?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : 3 बजे तक नहीं तो ढाई बजे तक रख लीजिए। आपने 3 बजे तक पूछा है, ढाई बजे तक का पूछ लीजिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं।

श्री बाबूलाल पाटौदी : 15 मिनट में निपटा देते हैं, तो और बैठ जाते हैं। उनको कह लेने दीजिए।

अध्यक्ष : अच्छा बोलिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : जिस ढंग से इस कानून को बनाया, वह गलती करके और बाद में विधेयक लाये। संशोधन यह है कि खण्ड 2 में परिभाषा दी है, इसके बारे में यह संशोधन है। खण्ड दो में पड़त भूमि, खलियान के शब्दों के आगे.....

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। अभी 2 बजे से इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी है और 2 बजकर 5 मिनट हो गये हैं।

अध्यक्ष : सदन से पूछ कर बैठ रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : यह पड़त भूमि के बारे में कानून पड़त भूमि पर अवलंबित है इस डैफिनेशन में यह लिखा है कि 'पड़त भूमि' से तात्पर्य, किसी विशिष्ट वर्ष के संबंध में, उस भूमि से है जो कि उस वर्ष बिना खेती की हुई पड़ी हो किन्तु जिस पर उस वर्ष से ठीक पूर्व के 5 वर्ष भीतर किसी समय खेती की गई हो, इसमें अध्यक्ष महोदय, यह जो सेढ़े-मेढ़े रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत होते हैं, जहाँ चावल की खेती होती है, वहाँ तो बन्धान होता है और जहाँ चावल की खेती नहीं होती वहाँ सेढ़े दो खेतों के बीच में रहता है। इसी तरह कुओं के पास चरस जहाँ चलता है, वह जमीन छोड़नी पड़ती है इसके अलावा सामान रखने के लिये, जानवरों को बाँधने के लिये बाड़ा होता है, इन सारी जमीनों को नहीं छोड़ा गया है तो कृषि मन्त्री जी कह रहे हैं कि पाँच एकड़ वाले सब जमीन फाड़ डालते हैं, लेकिन पाँच एकड़ वाले जमीन वाले किसानों को भी बाड़ा मेढ़ें-सेढ़ें रखना पड़ता है, अगर वह उस जमीन को भी फाड़ डालेंगे तो क्या स्थिति होगी। कृषि मन्त्री जी को मालूम नहीं, कृषि कैसे की जाती है इसलिये उन्होंने सेढ़े-मेढ़े इन चीजों को छोड़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो किसानों की हालत है जो कृषि के तरीके हैं, उसमें बाड़ा सेढे-मेढ़े को भी छोड़ना चाहिये नहीं तो किसानों के प्रति बड़ा अन्याय होगा। यह धारा 2 के बारे में मेरा संशोधन है।

धारा 3 में भी इसी आशय का मेरा संशोधन है।

अध्यक्ष : क्या आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप कृपया यह बताइये कि मालवा या ग्वालियर में खेती का अनुभव आपको हो तो दो खेतों के बीच में जो जमीन रहती है जिसे मेढ़ कहते हैं और चरस के घूमने के लिये जो जमीन छूटती है क्या ऐसी जमीनों को भी फाड़ने का आपका प्रावधान है?

श्री अर्जुनसिंह : मेढ़ें-सेढें तो सभी जगह होती हैं।

अध्यक्ष : माननीय कृषि मन्त्री, इस पर आपको विचार करना चाहिए। आप इन जमीनों को पड़त भूमि मानेंगे या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : यह मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के नोटिस जब आयेंगे तहसीलदार के पास तब उनको छूट मिलेगी।

अध्यक्ष : और इससे किसानों को कितनी हार्डशिप बढ़ जावेगी वह भी ख्याल है?

श्री अर्जुनसिंह : नियमों में इसका स्पष्टीकरण दिया जावेगा।

अध्यक्ष : सवाल यह नहीं है। कानून बन रहा है तो कानून में ये जो संशोधन करना चाहते हैं उस संबंध

में वह पूछ रहे हैं कि क्या आप उन जमीनों को पड़त भूमि मानेंगे या नहीं यह स्पष्टीकरण वे आपसे माँगते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : कृषक प्रथा के अनुसार जो जमीन छोड़ी जाती है उसका प्रॉविजन है।

अध्यक्ष : क्या है कृषक प्रथा?

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह सैकड़ों किसानों का सवाल है। आप न मानें तो कानून बना डालें, लेकिन इससे जो परेशानी पैदा होगी, वह बहुत बड़ा अन्याय होगा।

अध्यक्ष : क्या आप इस पर विचार करेंगे?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : मुझे इजाजत दें तो दो शब्द बता दूँ। अध्यक्ष महोदय, मेड़ का कोई एक माप नहीं रहता, एक हाथ, दो हाथ और चार हाथ भी होती है, तो इस तरह मेड़ के बारे में अपवाद रूप में जमीन को एक्जेक्ट करना उचित नहीं होगा। खेतों का जो रकबा है, उसी में मेड़ का रकबा शामिल रहता है। छूट की मात्रा बढ़ाई जाये।

अध्यक्ष : ठीक है। आप उत्तर दीजिये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने अधिकारी की चिट पर से कह दिया है कि धारा 3 में इस प्रकार का संशोधन है। 5 एकड़ तक जो जमींदार पड़त भूमि को फाड़ डालता है तो तहसीलदार इसके लिये नोटिस देगा। इसमें उनको जवाबदेही करना होगी और इस तरह से किसानों को कितना नुकसान होगा, इसलिये मैंने संशोधन किया है कि धारा 3 (1) उपखण्ड (2) की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जावे। दस एकड़ तक तीन एकड़ और दस एकड़ से अधिक किन्तु 15 एकड़ से अधिक नहीं, पाँच एकड़ और 15 एकड़ से अधिक पड़त भूमि का आधा भाग। इसमें 5 एकड़ तक सम्पूर्ण भाग है और पाँच एकड़ से अधिक किन्तु दस से अधिक नहीं पर पाँच एकड़ है और दस एकड़ से अधिक पर पड़त भूमि का आधा भाग है। तो अब जितने बड़े काश्तकार हैं उनकी मंत्री जी बात कर रहे हैं, जो 60,70 एकड़ वाले हैं उनके पास इतनी जमीन है कि उनको आधी जमीन की छूट मिल गई है। यह सबसे बड़ी मुसीबत आयेगी तो छोटे-छोटे किसानों को आयेगी। उनको अदालत में पेशी पर जाना होगा और बहुत-सी मुसीबतें झेलना पड़ेंगी। सीलिंग एक्ट में सीलिंग पास होने के बाद बड़े काश्तकारों को 35 एकड़ की छूट दे दी गई है और इस तरह पड़त भूमि की आधी छूट मिल चुकी है, इसलिए हमने कहा था कि छोटे काश्तकारों को छूट देना चाहिए और आप बड़ों को दे रहे हैं, इसलिए संशोधन दिया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा संशोधन जो प्रस्तुत है, वह धारा 3 के उप खण्ड (5) में अंक '25' के स्थान पर अंक '10' रखे जावें तथा शब्द और अंक 'तथा 200 रु. से अनधिक'' लुप्त किये जावें, यह संशोधन दिया है। इस तरह का अधिकार दिया जायेगा तो काश्तकार घास उत्पादन करने के बजाये अन्न उत्पादन करेंगे और उससे उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन शासन ने ऐसा न करने पर तहसीलदार को जुर्माना करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा भी इसमें एक गंभीर बात यह है कि उनको सिविल कोर्ट में जाने तक का रास्ता बन्द कर दिया है। अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से मनमाने अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। किसान को तहसील से न्याय न मिलने पर वह दीवानी कोर्ट में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है, इसका प्रावधान होना आवश्यक है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इसके खण्ड 10 में भी मैंने संशोधन दिया है कि मौजूदा खण्ड को लुप्त करके मेरे दिये हुए संशोधन के मुताबिक खण्ड 10 कायम किया जावे। इस तरह से विधेयक पास करा लेना यह एक अन्याय का तकाजा है। भले ही आप इसको अपने बल पर पास करालें लेकिन में निवेदन करूँगा कि आपके दल के लोग भी खुश नहीं हैं। यह कोई न्याय का तकाजा नहीं है कि आप 5 एकड़ वाले काश्तकार पर जुल्म करने जा रहे हैं। अगर आप आज इसको पास करा लेते हैं तो कल ही आपको संशोधन लाना होगा।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया धारा 3 के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें ऐसी कृषि प्रथाओं का उल्लेख किया है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम अपने प्रदेशमें जो चालू कृषि प्रथाएँ हैं उनका उल्लेख कर दें, तो माननीय अध्यक्ष, इधर मालवा से उधर बस्तर तक का अपना प्रदेश है और अलग प्रथाएँ हैं कुछ हिस्से में कुछ विशिष्ट प्रथाएँ जमीन छोड़ने की हैं। अब आप इसकी

सूची चाहते हैं। इसमें एक चीज छोड़ी गई है उसको शामिल नहीं कर सकते। जनरल तौर पर रखी गई और जो छोड़ी गई है उसको हमें शामिल करने का प्रावधान है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : किसमें छोड़ने की बात कह रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं इस खण्ड का उपखण्ड (ग) पढ़कर बताता हूँ जो इस प्रकार है "वह क्षेत्र जो कि प्रायः कृषि प्रथा के अनुसार खेती किये बिना छोड़ दिया गया हो वह क्षेत्र जिसमें कि उपजाऊ मिट्टी हो जिसे पुनरुद्धार या विराम की आवश्यकता हो" यह इसके लिये है। यह प्रावधान इसलिए है कि किसी जमीन को उसके उपभोक्ता को अगर पड़त रखना आवश्यक होता है तो यह कोई शेड बाड़े में नहीं आयेगी किसान काम करता है और पड़ती रखता हो तो उसमें आती है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य प्रश्न है। कृषि मंत्री जी ने अभी कृषि प्रथा के सम्बन्ध में बतलाया है, कृषि प्रथा के अनुसार तो परिवर्तनीय भूमि को छोड़ना पड़ता है।

अध्यक्ष : आप बैठ जावें, यह उन्होंने माना है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाँच एकड़ के किसानों के संबंध में माननीय सदस्य सखलेचा जी ने बहुत जोर दिया है। उन्होंने यह तो मान लिया है कि जो ज्यादा रकबे वाले किसान हैं, उनको तो इससे लाभ होगा। मैं निवेदन करूँगा कि सीलिंग के द्वारा एक किसान के पास 55 एकड़ असिंचित भूमि रखी है, तो उसकी सारी भूमि पड़ती पड़ी हो, यह तो नहीं कह सकते। जितनी पड़ती पड़ी है, उसकी आधी वह रख सकेगा।

अध्यक्ष : मान लीजिये उसने 40 एकड़ पड़ती जमीन रखी?

श्री अर्जुनसिंह : पहले साल 20 एकड़ पर करेगा, लेकिन उस भूमि को वह दूसरे को दे देगा।

अध्यक्ष : लेकिन उसको तो फायदा होगा?

श्री अर्जुनसिंह : वह इसलिये लागू नहीं होता कि जिसके पास कम भूमि होती है, उसको कम साधनों की आवश्यकता पड़ती है।

अध्यक्ष : आपको इस पर विचार करना चाहिये कि वह बाड़ा बनाता है या कुएँ से खेत सींचता है, तो इसके लिये तो स्पष्ट प्रावधान होना चाहिये?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह चीज इसमें बिलकुल छोड़ी जावेंगी, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यदि आप (ग) और (घ) को पढ़ें तो, यह स्पष्ट हो जावेगा। आप कहें तो एक सूची बना दी जाये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, (ख) जो है वह कांस और घास के बारे में है। इसमें कैसे छूट जावेंगे? (घ) में वह क्षेत्र है जो खेती के लायक न हो।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेड़ खेती के लिये उपयुक्त नहीं होती है, जहाँ चरस चलता है, वह भी उपयुक्त नहीं होती।

अध्यक्ष : आप समझें, मैं तो आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि यह आपका इन्टरप्रिटेशन है, तहसीलदार इसका दूसरा इन्टरप्रिटेशन कर सकता है। इसलिये इसको आप अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में तो मैं कह ही रहा हूँ कि उन समस्त विषयों पर जिन पर सखलेचा जी ने कहा है, इस प्रकार की छूट इसमें दी जावेगी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, जो मेड़ की जमीन है, वह खेती के लिये उपयुक्त है, लेकिन किसान वह अन्य कार्यों के लिये उसको पड़त रखते हैं, मेड़ पर खेती की जा सकती है, लेकिन उसको पड़त रखना आवश्यक होता है। इसलिये इस परिभाषा में वह आती है। कोर्ट में मामलाजावेगा तो वहाँ आपका इन्टरप्रिटेशन नहीं चलेगा।

श्री भैरव भारतीय : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से काम नहीं चलेगा, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट धारा होना चाहिये?

अध्यक्ष : वक्तव्य से काम चल जावेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का जो मंत्वय है, वह सखलेचा जी समझने का प्रयत्न करेंगे तो सब झगड़ा मिट जावेगा। इसका मंत्वय यह है कि छोटे-छोटे किसान और जमीन पाने के लिये

झगड़ा न करें। छोटे किसान रोज झगड़ा करते हैं कि और जमीन दो और जमीन बड़े लोगों से छीनी जावेगी, तभी तो उनको दी जा सकेगी। बड़े लोग जमीन रख सकें यही इनका मंतव्य है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय तिवारी जी ने इस विधेयक का बहुत विकृत रूप प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जावेः—

(1) उपखण्ड (ख) में शब्द "खलिहान" के स्थान पर शब्द "खलिहान, बाड़े, बीड़, खेड़े और मेड़" रखे जायें।

(2) उपखण्ड (घ) में शब्द "खलिहान" के स्थान पर शब्द "खलिहान, बाड़े, बीड़ खेड़े और मेड़े" रखे जायें।

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(खण्ड 2 विधेयक का अंग बना)

अध्यक्ष : खण्ड 3 पर श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा, श्री कैलाशचन्द्र जोशी और श्री सुखेन्द्रसिंह के संशोधन प्रस्तुत हुए। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में निम्नलिखित संशोधन किया जावेः—

(1) उपखण्ड (2) की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जायेः—

सारणी

धारित पड़त भूमि का क्षेत्र (1)	पड़त भूमि का क्षेत्र जिस पर खेती की जाती है (2)
1. दस एकड़ तक	तीन एकड़
2. दस एकड़ से अधिक किन्तु पंद्रह एकड़ से अधिक नहीं	पाँच एकड़
3. पन्द्रह एकड़ से अधिक	पड़त भूमि का आधा भाग

(2) उपखण्ड (3) के पद (क) में शब्द "आठवें" के स्थान पर शब्द "पाँचवे" रखे जायें।

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष : (श्री सुखेन्द्रसिंह का संशोधन) : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में निम्नलिखित संशोधन किया जावेः—

उपखण्ड (5) में अंक "25" के स्थान पर अंक "10" रखे जायें तथा शब्द और अंक "तथा 290 रुपये से अनधिक" लुप्त किये जायें।

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(खण्ड 3 विधेयक का अंग बना)

खण्ड 10

अध्यक्ष : खण्ड 10 पर श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा और श्री कैलाशचन्द्र जोशी के संशोधन प्रस्तुत हुए। प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में निम्नलिखित संशोधन किया जावे—

खण्ड 10 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेः—

"इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये आदेश के विरुद्ध यदि तीन माह में सिविल न्यायालय में उक्त आदेश को रद्द कराने बाबत वाद प्रस्तुत कर दिया जाये तो उक्त आदेश सिविल न्यायालय से निर्णय होने तक लम्बित माना जावेगा, व दीवानी न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही आगे कार्यवाही की जावेगी।"

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(खण्ड 10 विधेयक का अंग बना)

खण्ड 4 से 9, 11 से 13 विधेयक के अंग बने)

(खण्ड 1 विधेयक का अंग बना)

(पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने)

श्री अर्जुनसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण विधेयक, 1966 (क्रमांक 39, सन् 1966) पारित किया जावे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण विधेयक, 1966 (क्रमांक 39, सन् 1966) पारित किया जावे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, इस कार्य करने से या इस कानून के पास करने से माननीय कृषि मंत्री जी इस देश के कृषि उत्पादन के अलावा काश्तकारों का भी अहित करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश पड़त भूमि का कृषिकरण विधेयक, 1966 (क्रमांक 39, सन् 1966) पारित किया जावे।

(विभाजन द्वारा मतदान हुआ)

अध्यक्ष : प्रस्ताव के पक्ष में 83 मत, विपक्ष में 57 मत आये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 15 सितम्बर 1966, पृष्ठ - 472-493)

16 सितम्बर 66 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से शासन पर यह आरोप लगाया कि ताईचुंग धान के खेती में प्रयोग से असफलता हाथ लगी है और इसके लिए कृषि मंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए। यह पूरी चर्चा यहाँ दी जा रही है। सदस्यों की आपत्तियों का पूरी विशेषज्ञता से उत्तर देते हुए कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने आरोप लगाने वाले माननीय सदस्यों से ही प्रश्न किया कि क्या हमें पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों के सामने खेती की नयी पद्धति ले जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए?—

नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, श्री खामसिंह कोमर्रा, श्री नारायणसिंह शाण्डिल्य, श्री हरिप्रेम बघेल और श्री रामस्वरूप वर्मा का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है—

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे (जावरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन कृषि मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। विषय इस प्रकार है—

"मध्यप्रदेश के चावल उत्पादक अनेक जिलों में जैसे धमतरी तहसील के अभावग्रस्त क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, बालाघाट, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जिलों में राज्य के कृषि विभाग द्वारा चावल का ताइचुंग बीज व 16 नं. बीज आग्रह करके किसानों को बोने के लिए दिया गया और बीज वितरण में मुख्यतया ताइचुंग व 16 नं. बीज देकर फसल बोने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया गया। इस बीज को बोने से चावल उत्पादक जिले के हजारों काश्तकारों की फसलें खराब हो गई हैं। गत वर्ष भी वर्षा के अभाव के कारण काश्तकार अभाव पीड़ित थे और इस वर्ष भी शासन द्वारा गलत बीज वितरण के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई और हजारों एकड़ चावल उत्पादन न होने से राष्ट्रीय हानि हुई जिसके लिए शासन पूर्णतया उत्तरदायी है। अतः इस सार्वजनिक महत्व के विषय पर माननीय मन्त्री अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें।

(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मन्त्री) : 1. अध्यक्ष महोदय, ताईचुंग धान बीज लगाने का कार्यक्रम मध्यप्रदेश में केवल पाँच जिलों ...बालाघाट, सिवनी, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में कार्यान्वित किया गया है। इस वर्ष 1.25 लाख एकड़ में इस नये बीज को लगाने का कार्यक्रम था। ताईचुंग धान लगाने का कार्यक्रम इसलिए हाथ में लिया गया क्योंकि इसकी पैदावार स्थानीय बीज की तुलना में कहीं अधिक है। पिछले वर्ष प्रयोग के रूप में इस बीज को बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ इत्यादि जिलों में लगाया गया था यद्यपि वर्षा कम हुई थी फिर भी स्थानीय धान की तुलना में ताईचुंग धान की पैदावार दुगुनी से अधिक थी। इस प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 1.25 लाख एकड़ में कार्यक्रम को लेने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि मध्यप्रदेश में धान का रकबा लगभग 107 लाख एकड़ है। इसलिए जिस रकबे में ताईचुंग धान इस वर्ष बोया गया है वह लगभग एक प्रतिशत है।

2. ताईचुंग धान को रोपे पद्धति से बोना आवश्यक है। इसमें रासायनिक खाद भी अधिक मात्रा में लगती है और इसको कीड़ों से बचाने के लिए खास कदम उठाने पड़ते हैं। इन सब बातों की जानकारी सम्बन्धित काश्तकारों को समय-समय पर कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा दी गई थी।

3. आरम्भ में बोनी बहुत ही संतोषजनक थी। नर्सरी में ताईचुंग धान के अंकुरण दूसरे स्थानीय धान की तुलना में कहीं अच्छे रहे। जुलाई माह के आरम्भ में वर्षा कुछ कम रही किन्तु इतना होने पर भी ताईचुंग धान की हालत संतोषजनक रही। बाद में अत्यधिक वर्षा हुई जिसके कारण खेतों में पानी जमा हो गया। इस का नतीजा यह हुआ कि न केवल ताईचुंग धान, बल्कि अन्य धान के पौधे भी पीले पड़ गये, चूँकि ताईचुंग धान एक नया प्रयोग था इसलिये काश्तकारों के मन में यह भय उत्पन्न हुआ कि ऐसा न हो कि पूरी फसल ही खराब हो जावे। कृषि अधिकारियों ने हर प्रकार से कृषकों को यह सान्त्वना दी की मौसम खुलने पर फसल की हालत सुधर जावेगी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि खेतों से पानी निकाल दिया जावे। कीटाणुनाशक दवाई के छिड़काव पर विशेष जोर दिया गया और यह कार्य बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया। कृषि सचिव, कृषि संचालक, अतिरिक्त कृषि संचालक ने तथा कृषि विश्वविद्यालय के अनेक विशेषज्ञों ने पाँचों जिलों में दौरा किया। सबको यह अनुमान था कि मौसम खुलने पर फसल की हालत सुधर जावेगी। कृषि सचिव ने रायपुर में समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को यह बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है और कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। केन्द्रीय शासन को भी स्थिति से अवगत कराया गया और वहाँ से भी अनेक विशेषज्ञ आये मैंने स्वयं पाँचों जिलों का दौरा किया जिससे कि स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जावे। मैंने भी यह ही कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है और शासन द्वारा हर प्रकार से कृषकों की सेवा की जावेगी। मैंने प्लान्ट प्रोटेक्शन कार्य को और भी बड़े पैमाने पर करने के लिए सभी जिलों को आदेश प्रसारित किए। अतिरिक्त औजार और औषधियाँ भेजने की कार्यवाही की गई। भाग्यवश अगस्त माह के बीच में मौसम खुल गया और निरन्तर जो वर्षा हो रही थी वह रुक गई। परिणाम यह हुआ कि जो पौधे पीले पड़ गये थे वे फिर से हरे हो गये अब फसल की हालत संतोषजनक है।

4. यह कहना कि हजारों काश्तकारों की फसल खराब हो गई है ठीक नहीं है। लगभग 10 हजार एकड़ में काश्तकारों ने भय के कारण दूसरे प्रकार का धान लगा लिया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, हालत संतोषजनक है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस रकबे की पैदावार स्थानीय धान के मुकाबले में कहीं अधिक होगी। हजारों एकड़ में चावल का उत्पादन न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि शासन को सदैव कृषकों की सेवा करते रहने का ध्यान बना रहता है और हर प्रकार से उनकी सेवा के लिए तत्पर है। अभाग्यवश कुछ कृषकों ने ताईचुंग धान की खेती करने का जो तरीका बताया गया था, उसका पालन नहीं किया और यह भी एक कारण है कि उनकी फसल को कुछ हानि पहुँची है।

5. हमने एक नया प्रयोग किया है। इस दृष्टिकोण से कि उत्पादन शीघ्रातिशीघ्र बढ़े, जबकि स्थानीय धान की पैदावार सिंचित क्षेत्र में 20-25 मन प्रति एकड़ आती है, ताईचुंग धान की पैदावार लगभग 50-60 मन है।

इस प्रकार इस धान के लगाने से जो लाभ है वह स्वयं स्पष्ट है। मौसम के प्रतिकूल होने से या बताए हुए तरीकों के पालन न करने से यदि कुछ क्षति हुई है तो यह ताईचुंग धान का दोष नहीं है। किसी भी नये कार्य को आरम्भ करने में कुछ कठिनाई तो होती ही है, परन्तु उनका निराकरण करना चाहिये न कि कार्यक्रम का परित्याग।

6. अभी भी हम हर प्रकार से सतर्क हैं क्योंकि नया प्रयोग हाथ में लिया हुआ है और उसकी ओर बेफिक्री की गुंजाइश नहीं है।

मैं उस क्षेत्र के कृषकों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि शासन उनकी कठिनाइयों और हानि के बारे में पूरी सहानुभूति रखता है और उस सम्बन्ध में अपने दायित्व को पूरी तरह निभाने को तत्पर है। पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है और जो भी वस्तुस्थिति सामने आयेगी उसके प्रकाश में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिन किसानों ने आपके कहने पर या आपके प्रोत्साहन पर ताईचुंग धान बोया और उनकी फसल 75 प्रति सैकड़ा, 80 प्रति सैकड़ा नष्ट हो गई है अब उनका कोई सहारा नहीं रहा है तो उनके लिए यह शासन क्या करने जा रहा है। उनको आप तकाबी देते हैं, दवाई देते हैं और दूसरी सुविधाएँ आप देते हैं लेकिन उनका सहारा तो कोई रहा नहीं फिर उनके जीवित रहने के लिए शासन क्या विचार कर रहा है और उनको कम्पेन्सेशन देने के बारे में और उनके जीवित रहने के लिए शासन क्या विचार कर रहा है इसको आप स्पष्ट करिए?

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरा औचित्य का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमने मन्त्री जी का वक्तव्य सुना है और मन्त्री जी कहते हैं कि सब ठीक है कोई असन्तोष नहीं है। कोई स्थिति खराब नहीं है और हमने उसके लिए सब कुछ किया है और दवाई वगैरह भी भेजी है और तकाबी भी दी है और कलेक्टर को भी लिखा है लेकिन दूसरी तरफ जो माननीय सदस्य, उसी क्षेत्र से आते हैं वे कह रहे हैं कि सारी फसल नष्ट हो गई है और आप उनको कोई कम्पेन्सेशन देंगे या क्या करेंगे आखिर वे जीवित कैसे रहेंगे। तो ये जो शासन की तरफ से दो वक्तव्य हैं इनमें से सही कौन-सा है, किसको हम सही मानें और मैं यह जानना चाहता हूँ क्या आपके अधिकारीगण इसी तरह से आपको वक्तव्य तैयार करके देते हैं।

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है, उनके विषय में मैंने कहा है।

उपाध्यक्ष : श्री जायसवाल, अगर आपका पर्सनल नॉलेज है, तब बात दूसरी है। अगर हाइपाथेटिकल है, तो फिर बात दूसरी है।

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यहाँ विधानसभा में आने के पहले कई किसान मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की 25 प्रतिशत, कुछ की 50 प्रतिशत, कुछ की 75 प्रतिशत और कुछ की शत-प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। जिनकी शत-प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है, उनके बारे में शासन क्या कर रहा है?

श्री मुरलीधर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने स्वयं बिलासपुर, रायपुर जाकर स्थिति का अध्ययन किया है। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था डाइरेक्शन के रूप में, कि जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई है या नष्ट हो रही है, उसका सर्वे किया जाये। हमारी रिपोर्ट के अनुसार वहाँ सर्वे कुछ हद तक हो गया है और मेरा स्वयं का अनुभव यह है कि 30-40 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है और नष्ट हो रही है। जिन्होंने शासन के कहने पर उस धान को बोया था, उनके बारे में शासन कुछ विचार करेगा, क्या कुछ आश्वासन देगा?

श्री उदयराम : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री जी ने बताया कि ज्यादा पानी के कारण फसल पीली पड़ गई, खराब हो गई। मेरे क्षेत्र में पानी बहुत कम बरसा है। तन्दूला का पानी मिला नहीं है। जिन खेतों को थरहा के लिए रखा था, वे अभी तक सब खाली पड़े हैं। बिना पानी के लोग रोपा नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि जहाँ थरहा डाला गया था, वह वहीं का वहीं रहा और सब कीड़े खा गए। हमारे तन्दूला में 20-25 फुट पानी है। वह भिलाई कारखाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पानी से फसल नष्ट हो गई, दूसरी तरफ पानी ही नहीं है। फिर भी फसल खराब हो गई। जो नियम शासन द्वारा बताए गए, मैंने स्वयं उन सबका पालन किया, बहुत बड़े रकबा की फसल हमारी स्वयं की खराब हो गई है।

श्री हरिप्रेम बघेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी जब रायपुर गए थे, तब उन्होंने वहाँ पर एक बैठक की थी। मैं उनकी उस बैठक में उपस्थित था। उस पर विचार हुआ था कि जो फसल नष्ट हो गई, उस पर क्या किया जाये। उसी समय मन्त्री जी ने कहा था कि 10 प्रतिशत नुकसानी की रिपोर्ट मिली है। हमारे पास कई किसान लोग आए थे। मैंने मन्त्री जी को बताने की कोशिश की थी कि हमारे जिले में नई किस्म की धान उगाने की कोशिश की गई थी। पिछले वर्ष भी वहाँ पर भयंकर अकाल था। लोगों के पास बीज के लिए धान नहीं थी इस कारण बीज वितरण की व्यवस्था शासन से की गई। जो बीज वहाँ पर गया, उसका भी पर्याप्त वितरण नहीं हो सका। किसानों ने जो साधारण बीज धान का माँगा था, उनको भी ताईचुंग का वितरण कर दिया गया। हमारे क्षेत्र में एक ग्राम महुदी है, उसमें तीन-चार सौ एकड़ में इस धान की खेती की गई थी। हालत यह है कि जिस रास्ते से मन्त्री महोदय गये थे वहाँ पर दो गाँव पड़ते थे, जहाँ पर 10-12 एकड़ में इस धान की खेती की गई थी। मैं उनको वह गाँव दिखना चाहता था किन्तु मेरे पहुँचने के पहले ही मन्त्री महोदय वहाँ पहुँच गये थे उनको भी ताईचुंग का बीज दिया गया था, उनमें छोड़ना पड़ा और बो दिया और वह फिर समूचा नष्ट हो गया। वहाँ के किसान रोते-रोते मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा कि तुम यह जानकारी कलेक्टर को जाकर दो, वह शासन को लिखेंगे। रायपुर में भी बुआई प्रथा से बोने को धान दे दी और वहाँ भी वह समूची नष्ट हो गई किताब में कहा गया है कि .....

श्री बाबूलाल पालीवाल : मन्त्री जी को त्याग-पत्र दे देना चाहिए।

श्री हरिप्रेम बघेल : यह अगस्त तक चलती रहती है। जब मन्त्री महोदय 25 तारीख को महोदी ग्राम गये उस समय 300 एकड़ की रुपाई रह गई थी। गाँव के किसान उसकी रक्षा कर रहे थे। इस पर 300 रु. प्रति एकड़ खर्चे की बात है परन्तु उस पर 440 रु. प्रति एकड़ खर्चा पहुँच जावेगा और वह अब तक 250 रु. प्रति एकड़ खर्च कर चुके हैं। अब हालत वहाँ यह थी कि अगस्त आखीर तक वहाँ रुपाई नहीं हुई थी। धान ऊगी भी नहीं थी। वहाँ किसान परेशान थे। हमने मन्त्री महोदय से कहा था कि आपके प्रयत्न के बावजूद यह हालत हो रही है तो इसके लिए आपका शासन जिम्मेदार है।

श्री रेशमलाल जाँगड़े : मैंने रायपुर जिले के पलारी और बिलासपुर जिले के पामगढ़ सर्किल का स्वतः पता लगाया। मन्त्री महोदय से कहा तो मन्त्री महोदय, ने कहा कि किसान को घबराने की कोई बात नहीं है परन्तु जब धान ऊगी नहीं तो फिर घबराने की बात क्यों नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि वहाँ धान ऊगी नहीं है और खेत खाली पड़े हैं। पामगढ़ ऐसा क्षेत्र है जहाँ इसकी फसल अत्यधिक होती है वहाँ किसानों ने फसल बोयी परन्तु समूची की समूची नष्ट हो गई। मन्त्री महोदय ने रिपोर्ट दी है वहाँ के सम्बन्ध में, मैं बताना चाहता हूँ कि रायपुर जिले में यह प्रयत्न असफल रहा है वहाँ के किसानों को इससे बड़ी आमदनी होती थी। अब उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया है इसके लिए क्या व्यवस्था होने वाली है, मैं जानना चाहूँगा।

श्री परानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक धान की बुबाई का सम्बन्ध है मेरा भी इस पर बोलना जरूरी है, मैं भी इस पर बोलूँगा .....

उपाध्यक्ष : मैं बोलने को समय दूँगा।

श्री नारायणसिंह शाण्डिल्य : अध्यक्ष महोदय, मेरी माँग है कि मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनको काश्तकारी का अनुभव नहीं है। मैंने धमतरी नगरी सोसायटी में जाकर देखा कि धान दी जा रही है। मैंने उनसे पूछा कि इसको कैसे बोया जाता है, कैसे रोपा जाता है तो कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद 8 हजार बोरा धान एस.ए. नगरी सोसायटी लिया और उसमें से अपने खेत में बोया गया तो सारी फसल नष्ट हो गई। सिहावा क्षेत्र में 8 हजार बोरे बोया गया वहाँ भी नष्ट हो गया मैंने कलेक्टर से कहा कि वह इसकी जाँच कराये, वहाँ की फसल नष्ट हो गई है। मेरा कहना है कि मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए।

श्री परानसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा है। छत्तीसगढ़ में चावल इतना अधिक पैदा होता है कि वहाँ के लोग सारे प्रदेश को देते हैं। वहाँ गत वर्ष अकाल पड़ा था और इस वर्ष वहाँ शासन ने अकाल कर दिया। अब इसका जवाबदार कौन होगा? जो अनाज दिया गया है वह हमारे प्रदेश का नहीं है हमारे

देश में इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र धान देता था आज वहाँ पर यह विदेशी धान देकर फसल को बर्बाद करा दिया है, सब धान नष्ट हो चुकी है उसकी जवाबदारी कौन की रहेगी .....

श्री खामसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो शासन द्वारा ताईचुंग और 16 नम्बर की धान का बीज दिया है वह रायपुर से 136 मील की दूरी से जुलाई-अगस्त में उड़ीसा से जूनागढ़ होता हुआ 223 मील दूरी से ठेलों में भर-भर कर वितरण किया गया है, वह सब बीज जो वितरण किया गया है, वह सब मर गया है। आम लोगों की फसल की यह हालत है 16 नम्बर और ताईचुंग बिलकुल ही खत्म हो गया है।

श्री विनयकुमार दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, ताईचुंग नेटिव के सम्बन्ध में पिछले वर्ष प्रयोग किया गया था जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है। मैं मंत्री महोदय को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के खासकर कृषि क्षेत्र के जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं डॉ. वी.जी. पैन्से उनका कहना है यह ताईचुंग नेटिव धान या सोनाग गेहूँ का 3 या 4 वर्ष तक परीक्षण किया जाना चाहिए। सिलेक्टेड क्षेत्रों में इसका प्रयोग होना चाहिये, वरना खतरा रहेगा। यह कृषि वैज्ञानिक की राय है। उन्होंने अपनी राय में यह बताया है कि स्थानीय जलवायु तथा जमीन की किस्म आदि से वह बीज लगातार बोये जाने से अनुकूल हो जाता है। अन्यथा नुकसान की संभावना बनी रहेगी। डा. पेन्से ने स्पष्ट रूप से कहा है 3 और 4 वर्ष तक विभिन्न जिलों में इसका परीक्षण होना चाहिये, इस तरह अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं.....

श्री मथुराप्रसाद दुबे : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल कई क्षेत्र में यह ताईचुंग धान आ गई थी और किसानों को बोने के लिए दी गई थी जिसके कारण बहुत से किसानों का नुकसान हुआ है .....

श्री बाबूलाल पाटौदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा क्या कि यह चाऊएन लाई वाली चीन की ताईचुंग धान है या कहाँ की है।

श्री बाबूलाल पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह अमेरिका की है, वहाँ से आई है।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इस धान के लिये न मालूम कैसे और क्यों कृषि विभाग के अधिकारियों ने बड़े दबाव के साथ इस धान को इन्ट्रोड्यूज कराया था, किसानों को दबाव दिया गया था इस धान को बोने के लिए। जहाँ तक मुझे मालूम है आगे कृषि मंत्री जी बतायेंगे, कृषि विभाग के जो रिसर्च अधिकारी हैं उनकी इस धान के बारे में बड़ी खिलाफ राय थी, यह धान खरीफ की फसल में काम नहीं देगी इसके लिए कम पानी चाहिये लेकिन फिर न मालूम क्यों इस धान को बोने के लिए किसानों को बड़ी बुरी तरह से परेशान किया गया है। नतीजा यह हुआ कि यह धान बोई गई और जो छोटे-छोटे किसान थे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यह हमारे जो सिंचाई मंत्री बैठे हैं यह भी किसान हैं इन्होंने भी वह धान बोया था लेकिन फिर से उसको उखाड़कर दूसरा बोया। आजकल तो इनका भाग्य जोरों पर है क्या हुआ उसका यह तो मालूम नहीं। लेकिन कई किसानों को जिन्होंने ताईचुंग धान बोई थी उसको उखाड़कर दूसरी धान को बोना पड़ा जिसके कारण उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है, उनकी लेबर बेकार गई, उनकी फसल नष्ट हुई, उसके स्थान पर फिर से धान बोना पड़ा। किसान लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। यह कह देने से कि छोटी-मोटी गलती हो गई है काम नहीं चलेगा। जिन एग्रीकल्चर अधिकारियों ने गलती की है उनको दण्ड दिया जाना चाहिए कि उन्होंने रिसर्च इन्स्टीट्यूट की विरुद्ध राय होते हुए भी इस प्रकार की गलती क्यों की है और किसानों को कुछ कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए, लेवी माफ की जाना चाहिए। हमारी तो समझ नहीं आता है कि उन लोगों को किस प्रकार से समझाया जाए, हमारी स्थिति बड़ी खराब हो गई है। जो ग्रामसेवक हैं उनके सामने बड़ी अड़चनें आ रही हैं, ग्रामसेवकों ने ही नहीं एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट्स ने भी काफी समझ कर यह धान बुआयी थी लेकिन अब उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है। उनको मार खाना पड़ रही है, कई अधिकारियों को थप्पड़ पड़ गये हैं यह नहीं होना चाहिये था बड़े दुख की बात है। जो भी गलती हो गई है उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। रिसर्च वालों की जो राय है उनको मालूम करना चाहिए। आज किसानों की बड़ी हालत खराब है, मैं यह झूठ नहीं कह रहा हूँ आज हमारे सामने यह बड़ी समस्या है कि हम उनको कैसे समझायें, क्योंकि हमने जो वादे किये थे वह पूरे नहीं हुए हैं

किसानों का विश्वास उठ गया है। चाहे हम एक हजार भाषण दें चाहे किताबें छपवा कर बँटवा दें, चाहे जो कुछ कहें लेकिन आज स्थिति बड़ी खराब हो गई है। किसानों की जो हानि हुई है उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जैसा ध्यान आकर्षण करते समय कहा था कि यह सारी बातें बिना उचित विचार किये की गई हैं। दबाव डालकर किसानों को यह बीज दिया गया है। जब यह मालूम था कि यह बीज संभवतः ठीक न हो तो फिर यह क्यों दिया गया? इसकी लागत प्रति एकड़ 320 रुपये से लेकर 440 रुपये तक आती है और यह धान थोड़ी एरिया में नहीं बल्कि 1 लाख 30 हजार एकड़ भूमि में बुवाया गया है। मेरा तो यह कहना है कि कहीं-कहीं पर तो 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है और कहीं-कहीं पर 95 प्रतिशत और कहीं-कहीं पर तो सारी की सारी फसल नष्ट हो गई है। जैसा कि अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने जो उन क्षेत्रों से आये हैं वहाँ की स्थिति को बताया है कि वहाँ पर किस प्रकार फसल खराब हो गई है वास्तव में फसल खराब हुई है और किसान बर्बाद हो गये हैं, लेकिन राज्य शासन के मंत्री महोदय यहाँ पर चुपचाप बैठे हुये हैं और वे कुछ कहने में असमर्थ हैं। मंत्री महोदय को ऐसी अवस्था में जबकि समस्त जिलों में हजारों किसान बेकार हो गये हैं, बेरोजगार हो गये हैं उनको बिलकुल असहाय छोड़ दिया गया है। इसलिए मंत्री महोदय, को इस्तीफा देना चाहिए, यही उनके लिए एक उपाय है। इस बात के साथ ही इसके बारे में एक विशेषज्ञ समिति बनाकर इन बातों की जाँच कराई जानी चाहिए कि किन परिस्थितियों में किसानों को इस प्रकार के बीज दिये गये हैं। एक्सपर्ट कमेटी की वह रिपोर्ट बीज किन अवस्थाओं में दिया जाना चाहिये था उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए, लेकिन उसको टाल करके जवाब दिया गया है। आपकी नेकनियती का यही सबूत होगा अगर आप उस रिपोर्ट को पटल पर रखें और इस्तीफा देकर अलग हट जावें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था कि.....

उपाध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप खड़े हैं इसलिये मैं बैठ जाता हूँ।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वे जवाब दें इसके पहले मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख 10 हजार एकड़ में उन्होंने यह फसल बुवाई की और 440 रुपया प्रति एकड़ खर्च हुआ है। 5 करोड़ रुपया लगभग इस खेती पर खर्च किया गया है। माननीय सदस्यों ने बताया है कि 500 से 1000 हजार एकड़ में फसल नष्ट हो गई है जब कि उस पर 5 करोड़ खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि कई माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि फसल नष्ट हो गई है। सिंचाई मंत्री जी ने स्वयं बीज बोया लेकिन वह भी नष्ट हो गया। श्री जाँगड़े जी ने भी कहा कि 95 प्रतिशत तक की फसल नष्ट हो गई है। एक भी सदस्य यह नहीं कहता कि सफलता मिली है धान की फसल में। यह एक भयंकर प्रकरण है। यह केवल ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव नहीं है, यह तो 5 करोड़ रुपये जो शासन ने अपने बजट के अतिरिक्त खर्च किया है, ये 5 करोड़ रुपये किसकी गलती से बर्बाद हो गये? किसानों का जीवन साल भर के लिये बर्बाद हो गया वह कैसे चलेगा? ये लोग पहले से ही 2 साल से संकट में से होकर गुजर रहे हैं। आखिर यह जिम्मेदारी किसकी है? इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए एक दिन या दो घण्टे का समय नियत किया जाना चाहिए ताकि बहस हो सके। कृषि मंत्री जी को इस बात का अधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिये और इस गलती के लिए मंत्री जी को जवाबदार होना चाहिए। एक भी सदस्य यह कहने को तैयार नहीं है कि इस फसल की सफलता संतोषजनक ढंग से हुई हो। लेकिन उल्टे शासन द्वारा यह कहा जाता है कि संतोषजनक है, समाधानकारक है। इसलिये आपकी इस पर व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष : मेरी इसमें क्या व्यवस्था होगी, इसकी प्रक्रिया आपको मालूम है?

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं प्रार्थना करता हूँ प्रक्रिया के अन्तर्गत।

उपाध्यक्ष : कहिए।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अध्यक्ष महोदय, आपने इस बीज के बारे में, जो निर्जीव था शासकीय और अशासकीय पक्ष इन दोनों पक्ष को सुना। इस समय जो व्यक्ति खामोश है बोल नहीं रहा है, वह श्री गौतम शर्मा जी है। असली में किसान की फसलें खराब हुई हैं।

श्री गौतम शर्मा : मैं तो स्वागत करता हूँ ऐसे प्रयोगों के लिए और इस प्रकार के प्रयोग के लिए मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ।

श्री हरिभाऊ जोशी : इनको भी इस्तीफा देना चाहिए।

श्री गौतम शर्मा : प्रगति के कामों में ऐसा होता ही है।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अगर स्वागत करना है तो अपने घर कीजिए। लोगों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है?

उपाध्यक्ष : सावधान, सावधान।

श्री हरिभाऊ जोशी : लोगों के घर जल रहे हैं और आप कहते हैं कि सफल हो रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद सत्येन्द्र खुजनेरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय गौतम शर्मा एक्सपेरीमेंट का स्वागत करते हैं। खेतों में अर्जुनसिंह एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, और गोदाम में गौतम शर्मा एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं। भिण्ड जिले में धान गोदाम में रखी है, वह खराब हो गई है।

उपाध्यक्ष : उसकी बात नहीं है, खुजनेरी जी।

श्री रामस्वरूप वर्मा : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर .....

उपाध्यक्ष : कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है.....

श्री रामस्वरूप वर्मा : आपने सुना नहीं.....

उपाध्यक्ष : मैं नहीं सुनूँगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा : मुझे तो सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष : मैं नहीं सुनूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में इस ध्यान आकर्षण प्रश्न को लेकर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि माननीय सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर इस सदन में अपने विचार व्यक्त किये और अपने क्षेत्र के बारे में जो कुछ भी मालूम था उन्होंने यहाँ पर बताया। मैं इस प्रश्न पर चाहूँगा कि सदन ठण्डे दिमाग से इस पर विचार करे। मैं स्वयं इस बात से सहमत हूँ.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप बर्फ मँगवाकर सबके सिर पर रख दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : बिना बर्फ मँगाए माननीय सदस्य ठण्डा दिमाग रखते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा : आपको ठण्डा रखने के लिए कूलर रखा है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय सदस्यों से चाहूँगा कि वे सबसे पहले इस समस्या के आकार पर दृष्टि रखें। किसी भी विषय पर विचार करने के लिए उसके आकार पर ध्यान रखना आवश्यक है (उपाध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया) इस प्रदेश में 1 लाख 25 हजार एकड़ में यह प्रयोग किया है। अपने प्रदेश में धान का रकबा 107 लाख एकड़ है।

श्री हरिभाऊ जोशी : बालाघाट का मामला भी बता दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : वह भी बताऊँगा। 107 लाख में से 1 लाख 25 हजार एकड़ में कार्यक्रम था। एक प्रतिशत ही आता है, पूरा एक प्रतिशत भी नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह तो समस्या का आकार है। इस परिस्थिति में यदि मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूँ, जब किसी विशेष प्रकरण पर अपनी राय दें तो इस बात को इस रूप में न कहें जैसा हमारे कुछ माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने कहा है कि पर साल छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसने से और इस साल अकाल पड़ गया ताइचुंग धान बोने से (कुछ माननीय सदस्यो के बोलने पर) मैंने तो चुपचाप बैठकर सुना था आप भी चुपचाप बैठ कर तो सुनिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस प्रकार जितनी जो सही, जो कुछ उसमें बातें हैं उसको नजर अंदाज करने में सहायक होती हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, वे एकड़ की बातें कर रहे हैं परसेन्टेज का एकड़ प्रदेश के टोटल का एक प्रतिशत भी नहीं है, क्या आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि एक नहीं सैकड़ों की तादाद में अकाल से पीड़ित हैं इसलिए ऐसा बीज देने से परिस्थिति और बिगड़ी है, उनके जीवन का क्या होगा?

श्री अर्जुनसिंह : कृपा करके आपने जो उल्लेख किया है उस पर न आऊँ तब आप नाराज हों।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आखिर उस किसान का अनुभव करिए उसका क्या हाल होगा?

श्री गौतम शर्मा : यह तो आप स्वीकार कर चुके हैं कि एक परसेन्ट से अकाल नहीं पड़ेगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक यह प्रश्न उठाया गया है, माननीय सदस्य अपने तरीके से प्रश्न पूछते हैं और मुझसे भी अपेक्षा करते हैं कि मैं उत्तर भी उनके ही तरीके से दूँ। मैं सही 2 जो चीज है वह बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक यह सवाल है कि ताईचुंग धान बोने से छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कृत्रिम अकाल पड़ जायेगा या डाल दिया गया है, मैं समझता हूँ कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस तथ्य को मानेगा। अकाल पड़ जायेगा यह मेरी समझ में तो बात आती नहीं। यह इतने रकबे में नहीं जिससे कि उस पर असर पड़ सके।

अब दूसरा प्रश्न आता है कि जिसे हमारे माननीय श्री दीवान साहब ने उठाया है और वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस ओर संकेत दिलाया। यह सही है कि जब कभी कोई नया प्रयोग अपने देश या प्रदेश में आता है तो वैज्ञानिक उस पर विवेचना करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेन्ट होता है। फील्ड में एक फार्म बनाया जाता है फिर उसका प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ यह भी सही है कि एक या दो वैज्ञानिकों में मतभेद भी हो सकता है, लेकिन उन सब मतभेदों को देखते हुए भी और अपने देश और प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए और अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता को महसूस करते हुए इस देश में कृषि पर किसी सिद्धान्त को ले जाकर तब ही खड़ा कर सकते हैं जब हम उस पर ध्यान दें और उसके लिये हमें किसी मात्रा में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। जब हम किसान के सामने कोई नई पद्धति ले जायें और उसके लिये पूरी कोशिश करें और जो रिस्क है उसका मुकाबला करें.....

श्री विनयकुमार दीवान : आपने अभी कहा कि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में मतभेद हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्डियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, क्या उन्होंने अपने बहुमत से कह दिया था कि बिना इसका 3-4 वर्ष पूर्व प्रयोग किए आप धान बो सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इन्डियन काउन्सिल रिसर्च सोसायटी कटक में इसका प्रयोग किया गया है और इसके बाद केन्द्रीय शासन ने उनकी रिपोर्ट ली और उनकी रिपोर्ट अनुकूल पाते ही वहाँ और अपने अन्य प्रदेशों में इस धान को बोने का प्रबंध किया गया। यह अपने ही प्रदेश में नहीं बल्कि कई प्रदेशों में धान बोई गई है .....

श्री विनयकुमार दीवान : मेरा यह कहना है कि जिन प्रदेश के जिलों में बोयी है वहाँ कुछ सिलेक्टेड एरिया में बोई गई है।

श्री अर्जुनसिंह : इसमें जो लोग सक्षम हैं उन्होंने राय ली है और जिन जिलों का उल्लेख किया गया है वहाँ हमने बोया है। तो इतना रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। यह बात निश्चय मानिए कि जो काम सैकड़ों वर्षों में किया जाता है उसके लिए हम विवश होकर उस काम को करने के लिए बाध्य हैं.....

श्री हरिप्रेम बघेल : आप स्पष्ट करें कि रायपुर या बिलासपुर जिलों में कि जहाँ किसानों को धान बोने के लिए दिया गया तो क्या उनको वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार उनको बताया गया कि इतने पानी का इतना प्रभाव रहेगा, अमुक-अमुक स्थिति रहे। क्या इस तरह के स्पष्टीकरण के साथ उनको बीज बाँटा गया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि एक व्यापक दृष्टिकोण से .....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अपने पेशे के लिए रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने यह सूचना दी है कि यह धान अपने लोकल कण्डीशन के लिहाज से स्यूटेबिल नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : यह वैज्ञानिक कहाँ गए, कब गए और कितना-कितना एक्सपेरिमेन्ट किया क्या इसकी सूचना आप सदन को दे सकेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बहुत-सी

बातें कहीं हैं। यह बातें जायसवाल जी ने कहीं, वयोवृद्ध नेता मथुराप्रसाद जी दुबे ने कहीं, मुरली बाबू ने कहीं, जाँगड़े साहब ने कहीं और विपक्ष में बैठे कुछ माननीय सदस्यों ने कहीं। इस सम्बन्ध में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक दफा हम इस बात को जैसे ही निश्चित कर पावेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने कृषकों ने इस धान के बीज को बोया है, इस धान के बीज के प्रभाव की वजह से किस अनुपात में किसको क्या नुकसान हुआ है इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि इसका विस्तृत एक-एक खेत का सर्वेक्षण करवा रहे हैं ताकि किसी के बारे में शंका न रह जावे कि किसने कितने रकबे में इस धान के बीज को लगाया। किसी किसान ने सम्पूर्ण रकबे में धान का ही बीज लगा दिया या किसी ने कम रकबे में लगाया यह चीज मत पर से नहीं समझी जा सकती, यह तो सर्वेक्षण के बाद ही बता सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने सम्पूर्ण रकबे में इस बीज को बोया और ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने 3, 4 या 5 एकड़ बोया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस परिस्थिति में हूँ कहने को कि ऐसे किसान जिन्होंने अपने सम्पूर्ण रकबे में ताईचुंग धान को लगाया है, उनका परसेन्टेज जितनी जानकारी मुझे हैं शायद जिन्होंने इस कार्यक्रम को लिया है उसमें 5-10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिन्होंने कि अपने सम्पूर्ण रकबे में इस बीज को लगाया है वरना किसी ने 1 एकड़ में, किसी ने 2 एकड़ में और किसी-किसी ने 3 और 4 एकड़ में लगाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में गया, वहाँ बहुत से सदस्य मेरे पास आये, हमारे साथी कार्यकर्ता मेरे पास आये, मैं विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला, काँग्रेस के लोगों से भी मिला, उन्होंने इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी दी और साथ ही साथ मैंने इस बात के बारे में भी जानकारी ली कि आपकी जानकारी के मुताबिक कितने लोगों ने इस प्रकार का धान का बीज कितने रकबे में बोया, तो मुझे सबने बताया कि अधिकांश ने, जितनों ने बोया था उसमें से अधिकांश ने 1, 2 या 3 एकड़ में बोया। फिर भी शासन की इस सम्बन्ध में रुचि है और जो स्वाभाविक है क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रदेश के किसानों से है। मैं एक क्षण भी जो माननीय सदस्यों की अपेक्षा है उससे नीचे नहीं गिरना चाहता और यह कह देना चाहता हूँ कि जैसे ही सर्वेक्षण रिपोर्ट आवेगी इस पर विचार किया जायेगा। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व मुख्य मंत्री जी से आग्रह करके उनके द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह किया है और यहाँ पर जो परिस्थिति निर्माण हुई है उससे उनको अवगत कराया है। हमारा सर्वेक्षण जैसे ही पूरा होगा, उस परिस्थिति में किस तरह किसानों की क्षति पूर्ति करना है इस सम्बन्ध में जिस तरह की आवश्यकता होगी, जैसे प्रदेश शासन को सहायता केन्द्रीय शासन से मिलेगी, उसके अनुसार कार्य किया जावेगा। इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री जी ने 10, 15 दिन पहले, जैसे ही मैंने उनको जानकारी दी, मुख्य मंत्री जी ने केंद्रीय शासन को पत्र लिख दिया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी होने के बाद, जिन व्यक्तियों को जिस प्रकार की हानि हुई होगी, उसमें उनको कितनी सहायता दी जा सकती है उस पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और सहायता देगा। मैं केवल एक आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप अपने वाद-विवाद में, अपनी आलोचना के भंवर में, जिसके लिये मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के सामने उपस्थित हुई कठिनाइयाँ प्रमाण देती हैं, कृपा करके एक चीज न भूल जावें कि हम और आप सभी, चाहे मैं यहाँ कृषि मंत्री बना रहूँ या आपकी गवर्नमेंट बनेगी तो आप किसी को कृषि मन्त्री बनायेंगे, वह कृषि मंत्री से क्या आप अपेक्षा करते हैं कि सदियों से चले हुए तरीके हैं, जो तरीके खेती करने के सदियों से चले आ रहे हैं उस तरीके के चलते हुए क्या आप कृषि की पैदावार बढ़ा सकेंगे? यदि आपकी यह मान्यता है तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहूँगा कि यह सदन अगर इस बात को चाहता है कि इसी प्रकार से काम हो तो मैं समझता हूँ कि आज की परिस्थिति में कोई भी कृषि मंत्री देश में काम नहीं कर सकता। मैं ऐसी मान्यता रखता हूँ कि व्यावहारिक जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं उनके सम्बन्ध में आपके विचार सही हो सकते हैं। मैं उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। यदि आप मेरे पूर्व कथित सिद्धान्त के समर्थक हैं तो मैं आप से आग्रह करूँगा कि कृपा कर आप इस प्रकार की आलोचना न करें जिससे कि इस प्रदेश के किसानों का विश्वास— मैं तो इतनी क्षमता नहीं रखता, मैं तो केवल जैसा कि मैंने कहा कि मैंने एक कार्यक्रम चलाया है उसमें अपना एक तुच्छ योगदान दे रहा हूँ। उससे किसानों का विश्वास आधुनिक खेती की ओर बढ़ता जा रहा है, कृपा करके उस विश्वास को कुण्ठित न होने दें हमारे द्वारा ऐसी कोई बात न होने देना चाहिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसमें दो राय नहीं हैं कि वैज्ञानिक तरीके से खेती होनी चाहिए। जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए यह जरूरी होता है कि प्रिप्रकाशन लिये जावें कि जिसकी जो दवा हो उसको वही दवा दी जावे। यह नहीं कि बिना मर्ज देखे, हालत देखे, दवा देते गए। इसमें विश्वास नहीं रह सकता। आपके विभाग द्वारा दो, चार क्षेत्र चुनकर उनमें प्रयोग किये जाने थे और दूसरी बात यह है जनता को यह जानकारी नहीं दी गई कि कितना पानी चाहिए, किस मिट्टी में बोनी चाहिए, पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी, वह नहीं दी गई, इस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है, वह कृपा करके कहिए?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय बघेल साहब का भी यह आरोप था कि किसानों को नहीं बताया गया। हमारे बघेल साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन्होंने स्वयं आकर बहुत-सी बातों की जानकारी दी, वही आपकी पार्टी की तरफ से मेरे पास आए थे। रायपुर का जिला एक ऐसे जिलों में से आता है जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है। रायपुर में जो बीज वितरण किया गया था तथा उससे सम्बन्धित सारे कागजात मैं सदन की पटल पर रख दूँगा और माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि वे स्वयं पढ़ लें कि जो सिफारिशें की गई थीं उन सब चीजों का उनमें उल्लेख है या नहीं। उनके पढ़ने के पश्चात् श्रीमान् तिवारी जी जो आज्ञा देंगे उसका मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ।

श्री खुमानसिंह : मैं मन्त्री महोदय, से यह जानना चाहता हूँ कि जो रायपुर जिले में शासन का कृषि फार्म है, गरियाबन्द में वहाँ की धान नष्ट हो गई? किसान तो बेचारे अपढ़ हैं परन्तु फार्म क्यों नष्ट हो गई?

श्री अर्जुनसिंह : एक माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि किसानों को धान जबरदस्ती दी गई है। मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता कि किसने कहा है। यह भी कहना था कि चूँकि दूसरा बीज उपलब्ध नहीं था इसलिए ताईचुंग धान के बीज बाँटे गये।

श्री हरिप्रेम बघेल : एक किसान का कहना है कि मुझको जबरन दिया गया है। उसने सरकार से प्रार्थना की है कि उसको सहायता दी जावे, उसने 45 एकड़ में इस धान की खेती की है जो नष्ट हो गई है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इसकी जाँच करूँगा कि क्यों जबरदस्ती दी गई। अध्यक्ष महोदय, रायपुर जिले में 16 नं. की धान के एक लाख क्विंटल बीज का वितरण किया गया। ताईचुंग और दूसरी धान के बीज भी वितरित किये गये और उसके बाद आज लगभग 40 हजार क्विंटल बीज नहीं बाँटा जा सका है, क्योंकि वह नहीं लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि बीज नहीं मिल रहा था इसलिए ताईचुंग दिया गया, यह बात गलत है। मैं आशा करता हूँ तो अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ.....

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि अब तो धान बोया नहीं जा सकता है और अब अक्टूबर में रबी की फसल में ही उसको लिया जा सकता है तो वहाँ उसमें आप प्रबन्ध करेंगे, जिससे कि उसमें गेहूँ बोया जा सके।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अग्निभोज जी तो छत्तीसगढ़ से आते हैं तो सब जानते ही होंगे। अब वे किस क्षेत्र से आते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं तो उनको सर्वज्ञ ही मानता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय,, जैसा कि अपने वक्तव्य में कहा है कि जिन आदमियों ने ताईचुंग निकालकर दूसरा धान बो दिया है उनके तो नुकसान होने का सवाल नहीं उठता है अब जिन्होंने कि दूसरा धान नहीं बोया है, तो जैसे ही सर्वेक्षण पूरा हो जावेगा उसकी पूरी जानकारी मैं इस प्रदेश की जनता को दे दूँगा अब जिन काश्तकारों का नुकसान हुआ है या फसल मारी गई है उनको सहायता देने के बारे में शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

श्री हरिप्रेम बघेल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जिन किसानों पर आपत्ति आयेगी या आई है उनको शासन सहानुभूतिपूर्वक पूरी-पूरी सहायता देगा। तो मेरे पास किसानों के आये हुए कई प्रार्थना-पत्र हैं उनको मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को दे देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष : उसको पटल पर रख दीजिए।

श्री उदयराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि फसल आने के बाद जब आप दुबारा सर्वेक्षण करें तो उसमें आप यह जरूर देखें कि फसल जो कम हुई है उसमें गलती किसकी है। वह किसानों की गलती से

ऐसा हुआ है या कि शासकीय अधिकारियों की गलती से ऐसा हुआ है और फसल कितनी आनी चाहिए और कितनी आई है। यह सब उसमें होना चाहिए और इस सर्वेक्षण को अकेले पटवारी न करें बल्कि सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत के सरपंच की भी सहमति ली जावे तो उचित होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका सर्वेक्षण जो अभी हुआ है उसकी जानकारी सदन को इसलिए नहीं दी है, क्योंकि अभी उसका सर्वेक्षण जो होगा वह होगा 3-4 स्टेजेज में, अब मान लीजिये जिसने उस घास को हटाकर के दूसरा धान बो दिया उसके तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं है उसकी जानकारी तो अभी मिल जायेगी और 100 में से 25 ऐसे काश्तकार हैं। लेकिन जिन्होंने उसको नहीं बोया है और उसी धान को बचाया है, तो उसकी जानकारी में अभी समय लगेगा तो जैसे ही मेरे पास जानकारी आ जायेगी में सदन को दूँगा।

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह सर्वेक्षण कार्य कब तक में पूर्ण हो जावेगा और कब तक में शासन किसानों के सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करेगा?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य उदयराम जी ने बतलाया है जब सम्पूर्ण सर्वेक्षण हो जावेगा तो रिपोर्ट आ जावेगी।

श्री प्रानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो आदमी इसमें काम करते हैं वे काश्तकारों को गुमराह करते हैं, कृषि के सम्बन्ध में। इसलिए मेरा निवेदन है कि वे लोग काश्तकारों को कृषि के मामले में किसी प्रकार के भ्रम में डालें। किसान अपने भगवान के भरोसे खेती करता है तो उनको आपको ढाढस बँधाना चाहिए। जो लोग बैल तकाबी देते हैं, बीज देते हैं, तकाबी देते हैं और दूसरी सहूलियतें देते हैं वे काश्तकारों को किसी भी प्रकार से गुमराह न करें, यह मेरी प्रार्थना है। आज किसानों के पास बैल नहीं हैं, बीज नहीं हैं। कुछ नहीं है.....

उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप बैठ जाइए।

श्री प्रानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं सब जानता हूँ। संसार मर जाये लेकिन किसानी न मरे। ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना नुकसान हुआ है, हम ही जानते हैं।

अध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने उस धान के साथ जो पैम्फलेट बाँटा है, उसमें अँग्रेजी में लिखा है.... क्या उस श्रेणी के अनुसार स्प्रेइंग किया जा सका, क्या ऐसे साधन उपलब्ध थे?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले ही बताया कि उसकी व्यवस्था की गई। आपने जो पैम्फलेट बताया, वह कृषि विभाग द्वारा नहीं बाँटा गया। वह सीड के साथ आया होगा। हमने जो पैम्फलेट बाँटा है, वह हिन्दी में है। मैं उसको पटल पर रख दूँगा। मैं आपसे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं एक-दो जगह की बात नहीं करता जहाँ पर व्यावहारिक कठिनाई हुई हो या किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण दवाई न पहुँची हो लेकिन हमने वह दवाई मँगवाई है और वह दवाई स्थान-स्थान पर पहुँचवाई है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, यह नेशनल बीज कॉर्पोरेशन की ओर से आपने प्रचार किया। आपने डिनाई किया कि हमने नहीं किया। एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया मैं बताना चाहता हूँ कि बालाघाट जिले में किसानों को कहा गया कि जब तक यह बीज नहीं लोगे तब तक आपको तकाबी नहीं दी जायेगी। आपने ऐसा बीज क्यों दिया? किसान अपना बीज बोते। आपने कहा कि इस बीज से 50 प्रतिशत उत्पादन अधिक बढ़ेगा। इस कारण आप पर इसका पूरा उत्तरदायित्व है। इसके कारण ही किसान की पूरी की पूरी फसल नष्ट हुई है। जिस सीड का आप प्रचार करते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था नहीं की गई।

श्री अर्जुनसिंह : यह आपका मत है। मैंने कहा है कि पूरा प्रयत्न किया गया है।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, अब ध्यानाकर्षण हो गया। अब इसको समाप्त कीजिए।

श्री खुमानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से मंत्री महोदय से बड़े अदब से पूछता हूँ कि बाकी सब जाने दीजिए, आपका जो सरकारी कृषि फार्म दरियावन है, जहाँ पर सरकारी कृषि अधिकारी थे, जिनको सब ज्ञान था, सब साधन थे, वहाँ की फसल क्यों नष्ट हो गई।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने कहाँ कहा है कि मैंने पूरा विवरण दिया है? अभी विशेषज्ञों की अन्तिम राय आने को है। आप एक तरफ से प्रश्न पूछते रहेंगे तो मैं उत्तर कैसे दूँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहिए। वह यह कि धान का बीज देने में जिस तरह की बेहद लापरवाही बरती गई, फिर उसको किस तरह से बीज बोना, किस तरह से क्या करना, इसकी जानकारी नहीं दी गई, बीज का कतई प्रयोग नहीं किया गया। यह आप ताईचुंग की बात करते हैं, हमारे जिले में जो आन्ध्र का बीज गया, वह भी सब सत्यानाश हो गया। मैं यह चाहता हूँ कि मंत्री महोदय एक विस्तृत स्टेटमेंट इस बात का दें, इसमें कितना घाटा हमारे प्रदेश को हुआ, धान का कितना घाटा हमारे प्रदेश को हुआ, मंत्री जी बतावें क्योंकि सारा बीज उनका नष्ट हो गया और मेरे क्षेत्र का भी बीज नष्ट हो गया है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप उनका उत्तर लीजिए।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मैं क्या करूँ।

श्री अर्जुनसिंह : यह ताईचुंग बीज का प्रश्न था, परन्तु आपने सोलह नम्बर बीज का प्रश्न पूछ लिया तो मैं क्या करूँ?

श्री परानसिंह : यह ताईचुंग बीज कहाँ का है?

श्री अर्जुनसिंह : यह फिलीपाइन का है।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय .....

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझसे बैठने के लिए कहा जाता है, बार-बार बैठने के लिए कहा जाता है। मुझे बैठने का ही काम रह गया है और कोई काम ही नहीं है मुझे बैठने को ही कहा जाता है....

उपाध्यक्ष : अच्छा आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि दो प्रकार की बातें हमारे सामने आई हैं। हमारा आक्षेप यह है कि 90 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है, परन्तु आप 10 प्रतिशत हानि ही स्वीकार करते हैं तो क्या आप यह समझते हैं कि आपकी जानकारी सही है हम आपको चुनौती देते हैं कि आप इसकी जाँच करावें और यदि हमारी बात सही हो तो आप इस्तीफा दे दें और यदि आपकी बात सही हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे, शासन इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है.....

श्री रामेश्वर अग्निभोज : यह जो प्रश्न उठाया गया यह सही नहीं है इस्तीफा तो अपने आप हो जावेगा, जब यह असेम्बली डिजोल्ब हो जावेगी।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य प्रतिष्ठा की बात बना लेते हैं। मैं तो इसको प्रतिष्ठा की बात नहीं समझता हूँ।

श्री रामस्वरूप वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदस्य तो इत्तला देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि नुकसान हुआ है, परन्तु शासन प्रतिष्ठा की बात समझता है। मंत्री महोदय साबित करें कि नुकसान 10 प्रतिशत हुआ है, नहीं तो हम साबित करते हैं कि नुकसान 90 प्रतिशत हुआ है, अगर हम साबित नहीं कर सकेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे और वह न कर सकें तो वह इस्तीफा दे दें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 16 सितम्बर 1966, पृष्ठ - 594-609)

19 सितम्बर 1966 को राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों की माँगों के सम्बन्ध में एक तारांकित प्रश्न मुख्य मंत्री से सदस्य श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री ने पूछा। पूरक प्रश्नों के उत्तर कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने दिये। यही प्रश्न 26 सितम्बर को पुनः लिया गया—

(क्र. 35) श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि 8 जून 1966 को प्रांत के अराजपत्रित कर्मचारियों ने प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर जुलूस निकाल कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया? (ख) यदि हाँ, तो उन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की माँगें क्या थीं तथा उन माँगों पर शासन ने क्या निर्णय लिया?

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : (क) जी हाँ, (ख) माँगों का विवरण संलग्न विवरण पत्रक में दिया गया है। जहाँ तक वेतन तथा महँगाई भत्ते से संबंधित माँगों का सवाल है, मुख्य मंत्री ने कुछ दिन पूर्व यह घोषणा कर दी है कि केन्द्रीय शासन द्वारा नियुक्त गजेन्द्र गड़कर कमेटी की सिफारिशों के प्रकाश में राज्य शासन भी निर्णय लेगा। शेष माँगें अभी शासन के विचाराधीन हैं।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : गजेन्द्र गड़कर कमीशन केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बना है। उसकी सिफारिशों के अनुसार आप काम करेंगे तो क्या आप बता सकेंगे कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में स्टेट कर्मचारियों का मामला आता है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन की जो रिपोर्ट आयेगी उसके प्रकाश में हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करेंगे। व्यापक दृष्टि से वह कमीशन अनेक परिस्थितियों और समस्याओं के बारे में बैठा है और बहुत महत्वपूर्ण कमीशन है, उसकी राय के प्रकाश में शासन काम करेगा।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूँ कि केन्द्रीय शासन ने जो कमीशन बैठाया है उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स हैं वे केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं, उसमें स्टेट के कर्मचारियों का मामला नहीं आता, फिर आप कैसे कहते हैं कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप निर्णय लेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : चाहे यह प्रश्न केन्द्रीय कर्मचारियों का हो या स्टेट के कर्मचारियों का हो, दोनों की समस्याएँ करीब-करीब एक जैसी हैं और जब एक हाई पॉवर कमीशन बैठा है तो उसकी रिपोर्ट आने पर उसके प्रकाश में हम विचार करेंगे।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों का वेतनमान और महँगाई भत्ता स्टेट के कर्मचारियों से भिन्न है, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है। फिर दोनों की परिस्थिति समान कैसे हो सकती है? तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आप अलग से विचार करने के लिए कोई दूसरा प्रयास करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक आंतरिक समस्याओं के निराकरण का प्रश्न है सदन के नेता ने घोषणा कर दी है और वह तुरंत लागू कर दी गई है।

श्री हरिभाऊ जोशी : क्या आप गजेन्द्र गड़कर कमीशन के सिद्धांतों को स्टेट के कर्मचारियों के संबंध में भी लागू करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : यह तो रिपोर्ट प्रकाशित होने पर ही निर्णीत किया जा सकता है कि उसकी सिफारिशों पर कहाँ तक अमल किया जा सकता है।

श्री हरिभाऊ जोशी : आप जो कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं तो क्या आप वेतनमान और महँगाई भत्ते के संबंध में कमीशन के सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : चूँकि कमीशन महत्वपूर्ण है और उसके इन्चार्ज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इसलिये उसकी रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है, शासन उसको महत्व देगा ही।

श्री हरिभाऊ जोशी : मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या आप उस कमीशन के सिद्धांतों को, उसकी सिफारिशों को स्वीकार करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : यह तो कोई भी शासन नहीं कह सकता।

श्री विनयकुमार दीवान : मैं यह जानना चाहता हूँ कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन की सिफारिशों के प्रकाश में अराजपत्रित कर्मचारियों की जो 12 माँगें हैं, इनमें से कौन-कौन सी सिफारिशों पर आप विचार कर रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : सभी पर विचार किया जावेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जैसा कि आपने स्वयं कहा कि वे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो कि इसके अध्यक्ष हैं, उस रिपोर्ट पेटर्न या ब्राड प्रिन्सिपल को सरकार मानेगी?

श्री अर्जुनसिंह : यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सवाल स्पष्ट है, जबकि आप इसको टाल रहे हैं, रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हम यह नहीं कह सकते और न ही आक्षेप करेंगे कि आप रिपोर्ट सारी की सारी मान ही लेंगे, सवाल यह है कि क्या उसके पेटर्न और प्रिन्सिपल्स को मान लेंगे, या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : महत्व देते हैं, इसलिए इस प्रश्न को नहीं टाल रहे हैं, हम उसके ब्राड प्रिन्सिपल्स और पेटर्न को पूरा महत्व देंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : रिपोर्ट के आने के पश्चात् शासन निर्णय करके उस संबंध में कुछ कदम उठायेगा या कि उसके पश्चात् स्टेट लेवल पर कोई कमीशन या कमेटी नियुक्त करने पर विचार करेगा?

श्री अर्जुनसिंह : यह प्रश्न तो हाइपोथैटिकल है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन का हवाला देकर मंत्री जी कहते हैं कि वह उनकी रिपोर्ट आने तक फैसला नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसको प्रिन्सिपल्स और पेटर्न भी दिया होगा, इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह उसके प्रिन्सिपल और पेटर्न को मानकर निर्णय करेंगे या फिर उस पर कोई कमीशन बैठायेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : कमीशन की रिपोर्ट के बाद तत्काल जो निर्णय लेने होंगे, ले लेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : इस गजेन्द्र गड़कर रिपोर्ट आने के पहले शासन कर्मचारियों को कोई रिलीफ दे रहा है या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : इस पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य हो चुका है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : मैं जानना चाहता हूँ कि गजेन्द्र गड़कर कमेटी बनी है क्या इसके निर्माण में प्रांतीय सरकार की सलाह ली गई थी?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, यहाँ थोड़ी कठिनाई है, क्या आप उस पर विचार करेंगे? गजेन्द्र गड़कर कमीशन जो भी निश्चित करेगा वह आप करेंगे या नहीं करेंगे? यह कमीशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है क्या आप उसके सामने अपने यहाँ का केस रखने वाले हैं? कर्मचारियों के वेतन और महँगाई भत्ते का?

श्री अर्जुनसिंह : अगर आप सूचना दें तो मैं टर्म ऑफ रिफरेन्स देखकर उत्तर दूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : फिर यह उत्तर कैसे दिया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट आने पर हम विचार करेंगे। जब आप कहते हैं कि टर्म्स ऑफ रिफरेन्स नहीं मालूम है, जब कर्मचारियों के महँगाई भत्ते आदि के सम्बन्ध में उसको सूचना नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : जैसे मैंने पूर्व में कहा कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह हाई पॉवर कमीशन बनाया गया, अन्य राज्यों ने भी इसके सम्बन्ध में निर्णय लिया है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है। आप टर्म्स ऑफ रिफरेन्स देखें जब कमीशन के सामने प्रान्तीय सरकारों के कर्मचारियों के महँगाई भत्ते आदि का प्रश्न उसमें नहीं है तो फिर उससे क्या लाभ होगा?

अध्यक्ष : मैं जहाँ तक समझता हूँ टर्म्स ऑफ रिफरेन्स मँगवाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो कमीशन की रिपोर्ट होगी उसमें सारे प्रान्त के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित होंगे जिनसे प्रांतीय सरकारों को उनसे सहायता मिलेगी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : वह टर्म्स ऑफ रिफरेन्स आ जावेंगे तो हमको भी मालूम हो जावेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू ऐसा ही कर रहा हूँ कि उसमें सिद्धान्त होंगे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : उसमें क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक बात है?

अध्यक्ष : अगर मैं इसको दूसरे दिन के लिए रखूँ तो उससे क्या लाभ होगा?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पे स्केल होंगे?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि नहीं है और उसमें हो भी कैसे सकते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस समय टर्म्स ऑफ रिफरेन्स नहीं है बाद को दे सकता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : वह सदन में उसके टर्म्स ऑफ रिफरेन्स रखें।

अध्यक्ष : मुझे कोई एतराज नहीं है, परन्तु वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिये हैं इसलिये उनमें प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों के टर्म्स ऑफ रिफरेन्स कैसे हो सकते हैं

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, उसमें सिद्धान्त होंगे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : वह तो सारे भारतवर्ष के होंगे।

श्री अर्जुनसिंह : जी हाँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, गजेन्द्र गड़कर कमीशन के सामने स्टेट कर्मचारियों को क्या डी.ए. दिया जाता है और क्या उनकी माँगें हैं यह तो कुछ भी विचार करने के लिए नहीं है न उनके सामने गया ही है तो आप यह किस आधार पर कहते हैं कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन की रिपोर्ट आने पर विचार किया जावेगा?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : प्रश्न जो किया गया है वह यह कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन की जो रिपोर्ट आयेगी तो क्या उस पर विचार करेगा। उसके लिए स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि केन्द्रीय शासन द्वारा गजेन्द्र गड़कर कमेटी की सिफारिशों के प्रकाश में राज्य शासन भी निर्णय लेगा। तो इसमें भी लिखा गया है, यह स्पष्ट तो है।

श्री हरिभाऊ जोशी : गजेन्द्र गड़कर कमीशन के सामने कर्मचारियों की डी.ए. संबंधी कोई टर्म्स ऑफ रिफरेन्स तो कोई है नहीं, न कर्मचारियों की कोई माँगें ही हैं और जब उसके सामने कोई मामला ही नहीं है तो ऐसी सूरत में आप गजेन्द्र गड़कर रिपोर्ट के प्रकाश में कैसे विचार करने वाले हैं और जब तक हमें टर्म्स ऑफ रिफरेन्स ही न मालूम हो तो इस पर सप्लीमेन्ट्री क्या हो?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रश्न को आप दूसरे दिन के लिए रख दें क्योंकि मैं टर्म्स ऑफ रिफरेन्स यहाँ नहीं लाया हूँ।

अध्यक्ष : ठीक है, मैं उसको दूसरे दिन के लिए रख देता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 19 सितम्बर 1966, पृष्ठ - 646-649)

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो 19 तारीख को पूछा गया था उसमें आपने कहा था कि गजेन्द्र गड़कर कमेटी की रिपोर्ट आने पर हम विचार करेंगे और आपने कहा था कि हम इसके लिए टर्म्स ऑफ रिफरेन्स नहीं लाये हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप टर्म्स ऑफ रिफरेन्स लाये हों तो क्या उसमें राज्य के कर्मचारियों का प्रश्न सम्मिलित है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम होगा केन्द्रीय कर्मचारियों का प्रश्न गजेन्द्र गड़कर कमेटी के सामने है ऐसा मानकर मुख्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था। उसके संबंध में जो टर्म्स आफ रिफरेन्स हैं वह मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ। वह अँग्रेजी में है उसको मैं पढ़े देता हूँ—

To consider and recommend alternative forms of assistance which might be given to ensure real benefit to Government employees without necessarily increasing inflationary pressures on the economy.

(1) To examine the principles which should govern the grant of dearness allowance to Central Government employees in future, having regard among other relevant factors to the repercussions on the finance of State Government, public sector undertaking local bodies etc.

(2) To consider and recommend alternative forms of assistance which might be given to ensure real benefit to Government employees without necessarily increasing inflationary pressures on the economy.

(3) To review the existing formula for the grant of dearness allowance as recommended by the Second Pay Commission and to recommend what changes, if any, in this formula are desirable and feasible.

(4) Specifically, to report on the following issues—

(a) Considering that the non-plan Revenue expenditure of State Governments get reflected in the financial assistance given by the Centre on the recommendations of

the Finance Commissions and in the annual plan allocations, and having regard to the existing disparities between the pay scales of Central and State employees, is ti justifiable to follow a different policy at the Centre from the States and to treat the employees of the former more liberally in the matter of dearness allowance.

(b) Any relief which the Central Government gives to its employees entails a burden on the rest of the community, particularly other vulnerable sections with fixed incomes. To what extent should Government give preferential treatment to the section of the community which is directly under its employ.

(c) Is it justifiable to compensate Government employees for rise in prices due to taxation and other policy induced causes, or to occasions such as a severe crop failure or a threat to national security necessitating higher levels of expenditure.

(d) Should the capacity of Government, and therefore of the community to pay be the determining factor for granting relief to Government employees? To what extent can this be reconciled with the concept of dearness allowance as a device to protect, to a varying degree, the real income of salaried employees from the effects of rise in prices?

(5) To examine and report on such further questions as may be referred by Government.

(3) In making its recommendations, the Commission will take into account the historical background, the various causes of the rise in prices the impact of increased emoluments on prices, the state of the economy with particular regard to the requirements of developmental planning and national security, and other relevant circumstances such as the benefits admissible in addition to dearness allowance and the capacity of low-paid employees to bear price rise burdens.

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से देखेंगे कि स्टेट का भी है और ऐसे सिद्धांत हैं जो व्यापक तौर पर सब पर लागू होंगे।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : उस कमीशन के सामने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अपना मेमोरेण्डम फायल कर दिया है। उसी तरह से क्या आप स्टेट कर्मचारियों को भी उनका मेमोरेण्डम गजेन्द्र गड़कर कमीशन के सामने रखने की अनुमति देंगे कि वे अपनी माँगों का स्मरण-पत्र गजेन्द्र गड़कर कमीशन के सामने पेश कर सकें?

श्री अर्जुनसिंह : गजेन्द्र गड़कर कमीशन के सामने कौन पेश करना चाहता है इसमें राज्य शासन की अनुमति का प्रश्न नहीं है। अगर वह लेते हैं तो उनको दे सकते हैं।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी फेडरेशन ने कमीशन के टर्म्स ऑफ रिफरेन्स में सुधार की माँग की है और सुधार न होने पर कमीशन का बहिष्कार किया और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अक्टूबर में स्ट्राइक करने का फैसला किया है?

श्री अर्जुनसिंह : उससे हमारा संबंध नहीं है।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो महँगाई भत्ता मिलता है, क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उससे कम भत्ता मिलता है तथा दूसरे प्रांतों में महँगाई भत्ते के मुकाबले में भी मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को सबसे कम महँगाई भत्ता मिलता है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वस्तुस्थिति की बात है, यह देखा जा सकता है।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : उसका जवाब मिलना चाहिए।

अध्यक्ष : उसका जवाब दिया है।

श्री हरिभाऊ जोशी : क्या स्टेट का उसके परव्यू के बाहर है?

श्री अर्जुनसिंह : उसका निर्णय कमीशन करेगा।

श्री हरिभाऊ जोशी : वह स्टेट एम्प्लाईज के रिप्रेजेन्टेशन को स्वीकार नहीं करता है, आप न्याय देने को तैयार नहीं हैं, आप गजेन्द्र गड़कर कमीशन का नाम बताते हैं, वह उसके परव्यू में आता नहीं है?

श्री अर्जुनसिंह : जैसा मैंने टर्म्स ऑफ रिफरेन्स सुनाया उन व्यापक मुद्दों पर जिन पर गजेन्द्र गड़कर कमीशन विचार करेगा, कोई भी व्यक्ति अपना मेमोरेण्डम दे सकता है।

श्री हरिभाऊ जोशी : जब गजेन्द्र गड़कर कमीशन की रिपोर्ट आयेगी, उसको स्टेट कर्मचारी स्वीकार करें या न करें, आप आज की परिस्थिति में स्टेट के एम्प्लाईज को महँगाई भत्ते में कुछ देना चाहते हैं या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : उसके संबंध में मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य हो चुका है, उसके आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपने टर्म्स ऑफ रिफरेन्स सुनाया, किंतु राज्यों से जहाँ तक संबंध है, पैसे की कितनी एड देना, वह उनके टर्म्स ऑफ रिफरेन्स में आता है, कहाँ तक स्टेट वाले करेंगे, क्या स्टेट कर्मचारियों का प्रपोर्शन रहेगा, क्या किस राज्य के कर्मचारियों का महँगाई भत्ता रहेगा, वह कोई टर्म्स आफ रिफरेन्स में नहीं है, फिर आप किस आधार पर उनका इंतजार कर रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों की पोजीशन रेफर की गई है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जिन पर कमीशन जो निर्णय लेगा उससे थोड़ा प्रकाश सरकार को निर्णय लेने में मिल सकेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसलिये हम जानना चाहते हैं कि उनके सिद्धान्त जो बनेंगे उसको आप अपने यहाँ समझ-बूझ कर लागू करेंगे तो ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि बढ़ती हुई महँगाई में आप कर्मचारियों को कुछ रिलीफ दें और कुछ उस पर निर्णय लें जब कोई कमीशन बैठायें

श्री हरिभाऊ जोशी : आज जो भिन्न-भिन्न स्टेट्स में भिन्न-भिन्न महँगाई भत्ता दिया जाता है और आपके यहाँ जो महँगाई भत्ता दिया जाता है उसके हिसाब से आपके यहाँ कर्मचारी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और कम पाते हैं ऐसा कोई डिटेल्स चार्ट आपके पास है?

श्री अर्जुनसिंह : कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो भी माँग आती है, उस पर विचार किया जाता है। जो माँगें हमको अब दी हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। मैंने यह कहा था कि इन्टरिम रिलीफ के बतौर जो कुछ दिया जा सकता था उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है।

श्री हरिभाऊ जोशी : और स्टेट्स के मुकाबले में अपने यहाँ के कर्मचारियों को महँगाई भत्ता बहुत कम मिलता है और उनकी हालत अच्छी है या बुरी इसके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री अर्जुनसिंह : यह तो मत का प्रश्न है, हमारी क्षमता क्या है उसके अनुसार हमने किया है और व्यक्तिगत मत हम अपना कुछ भी देते रहें।

श्री हरिभाऊ जोशी : औचित्य का प्रश्न हमारा है, कि इसमें व्यक्तिगत मत का क्या प्रश्न है। भत्ता यहाँ सबसे कम मिल रहा है या नहीं तो यह जानकारी की बात है।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि स्टेट की क्षमता पर भी यह डिपेन्ड करता है।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : क्या यह सही नहीं है कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन की नियुक्ति के पश्चात् राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महँगाई भत्ते बढ़ाये हैं?

श्री अर्जुनसिंह : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिए।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : मेरा तात्पर्य यह है कि जब उनके सामने भी गजेन्द्र गड़कर कमीशन नियुक्त हो चुका था तो उन्होंने कोई आड़ उस कमीशन की नहीं ली?

अध्यक्ष : आपने जो सवाल किया उसके लिये कहा कि पूर्व सूचना चाहिए।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : यह तो उनके पास रहना ही चाहिए।

अध्यक्ष : कैसे रहेगा आज कि किसने-किसने क्या दिया है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं चाहूँगा कि श्रीमान् हमारे अधिकारों की रक्षा करें, जब इन्होंने केन्द्रीय गजेन्द्र

गड़कर कमीशन का सहारा लेकर इस प्रश्न को टरकाना चाहा तो जाहिर है कि हम यह पूछेंगे कि और प्रदेशों में क्या दे रहे हैं और क्या वे भी इसी कमीशन के आधार पर टरका रहे हैं। आपको यह तो मालूम होना चाहिये कि कहाँ पर क्या दिया और क्या हालत है।

अध्यक्ष : जब यह सवाल दूसरे दिन के लिये रख दिया गया था तब भी यह कल्पना नहीं की गई थी। यह तो केवल टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के लिए रखा गया था।

श्री हरिभाऊ जोशी : कल्पना तो उस दिन ही होनी चाहिये थी। अगर शासन इतना अक्षम है कि वह यह नहीं भी सोच सका कि औरों की तुलना में हमारे यहाँ क्या स्थिति है तो मैं आपसे सहमत हूँ कि शासन अक्षम है और इतना भी नहीं सोच सका कि मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को सबसे कम मिलता है।

हमारी स्टेट में सब से कम वेतन भत्ता मिल रहा है इस स्थिति में शासन इन्टेरिम रिलीफ देना उचित नहीं समझता क्या?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, और स्टेट में क्या मिल रहा है उस दिन यह प्रश्न सामने नहीं था।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ताराचन्द वेतन समिति ने यह कहा था कि साल भर के अन्दर जीवन निर्वाह अंक 20 प्वाइन्ट बढ़ जाता है तो अन्तरिम रिलीफ देना चाहिये, अगस्त से 20 प्वाइन्ट से अधिक जीवन निर्वाह अंक बढ़ा है? ताराचन्द वेतन समिति की सिफारिश को मानते हुए अन्तरिम महँगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय शासन ले रहा है क्या?

श्री अर्जुनसिंह : जितना इन्टेरिम रिलीफ कर्मचारियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने के लिए देना था उसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने कर दी है।

श्री रामस्वरूप खरे : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि गजेन्द्र गड़कर कमीशन के सामने केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनकी सर्विस कन्डीशन और दूसरी बातों पर विचार होगा। क्या आप भी कमीशन के सामने स्टेट के कर्मचारियों की सर्विसेज की हालत के बारे में कोई तथ्य रख रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कमीशन जिन सिद्धांतों पर निर्णय करेगा, हम उन्हीं सिद्धान्तों को देखकर निर्णय करेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 26 सितम्बर 1966, पृष्ठ - 1314-1319)

16 सितम्बर 1966 को सदस्य श्री कैलाशचन्द्र जोशी ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया— "यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (निर्वाचन स्थगन) अध्यादेश 1966 (क्रमांक 9, 1966) का अनुमोदन करता है।" उपाध्यक्ष महोदय ने श्री जोशी का अनुमोदन सदन में प्रस्तुत किया। आगे की कार्रवाई 19 सितम्बर को पूर्वानुबद्ध हुई। संकल्प अस्वीकृत हुआ। 19 सितम्बर की चर्चा के अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (बागली) (भाषण-पूर्वानुबद्ध) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति निर्वाचन अध्यादेश जो शासन की ओर से जारी किया गया था उसके संबंध में जो विवरण दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कि आपात स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह वांछनीय एवं इष्टकर समझा गया कि मण्डी समितियों के सदस्यों के चुनाव स्थगित कर दिये जायें। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आपात स्थिति हमारे देश में कब लागू हुई। यह आदेश दिनांक 28 जून 1966 को लागू किया गया जबकि आपात स्थिति देश में महीनों और दिनों से नहीं बल्कि बरसों पहले घोषित हो चुकी थी और उसके अन्तर्गत बाकी के सारे निर्वाचन रोक दिए गये थे। यह जो कृषि उपज मण्डी समितियाँ हैं इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ये तो केवल व्यापारिक और कृषि उपज संबंधी समितियाँ होती हैं और यदि समय पर इनका चुनाव न हो तो इसका विपरीत प्रभाव सारी परिस्थितियों पर पड़ता है। जिस दिन यह अध्यादेश जारी किया गया था उस दिन लगभग 90 प्रतिशत मंडियों के चुनाव की तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं, मतदाता सूची बन चुकी थी, कई जगह नियोजन पत्र भी प्रस्तुत हो चुके थे। गुना में तो यह स्थिति थी कि जिस दिन यह अध्यादेश जारी हुआ वहाँ के जिलाधीश तक को यह ज्ञान नहीं था कि मण्डी

समितियों के चुनाव स्थगित करने हेतु अध्यादेश जारी किया जा रहा है। कुछ लोगों को आशंका हुई और जिलाधीश के पास गये, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना हमको नहीं है और फिर तार द्वारा जिलाधीश को अध्यादेश की सूचना दी गई जबकि वहाँ सारे मतदाता एकत्रित हो चुके थे और कई जगह सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं। जो अध्यादेश जारी किया गया उसके पीछे जो भावना है आपात स्थिति की उसको हम मान सकते हैं किन्तु तब प्रश्न यह आता है कि आपात स्थिति कब से लागू हुई और उसके बाद बरसों तक क्या विभाग सोता रहा और कोई आर्डिनेन्स क्यों नहीं निकलवाया गया। फिर आर्डिनेन्स ऐसे समय में निकाला जब कि प्रदेश में कई जगह चुनाव सम्बन्धी सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं और हजारों, लाखों रुपये खर्च हो चुके थे। जिस समय यह अध्यादेश जारी हुआ उसके महीने-डेढ़ महीने बाद विधानसभा की बैठक होने वाली थी और जहाँ शासन ने इतना विलम्ब किया था वहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी कि अध्यादेश जारी करके चुनाव रुकवाता। हमारी यह मान्यता है कि किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी नहीं। आपात स्थिति लागू होने के बावजूद प्रदेश के बाकी सारे काम ज्यों के त्यों चल रहे हैं, इसलिए मण्डी समितियों के चुनाव ही स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं था जबकि सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं। ऐसा मेरा मत है कि इस अध्यादेश से प्रदेश में हानि पहुँची है। मण्डी समितियों का निर्वाचन रोककर शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। इस कारण अध्यक्ष महोदय, मैंने अनुमोदन के लिए इस संकल्प को प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (निर्वाचन स्थगन) अध्यादेश, 1966 (क्रमांक 9 सन् 1966) का अनुमोदन करता है।

श्री विनयकुमार दीवान (देनवा) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (निर्वाचन स्थगन) अध्यादेश, 1966 (क्रमांक 9 सन् 1966) पर जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसके अनुमोदन के लिए मैं उसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय यह बड़े ताज्जुब की स्थिति है जैसा कि इसके सम्बन्ध में बताया गया 28 जून को कौन-सी ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी जिसके कारण महामहिम राज्यपाल महोदय को अध्यादेश निकालना पड़ा। ऐसी कौन-सी परिस्थिति थी जिससे लाचार होकर राज्य शासन ने महामहिम राज्यपाल महोदय को सुझाव दिया। जो चुनाव होने वाले थे सारे चुनाव स्थगित कर दिये गये। परिस्थिति केवल यह थी कि गुना मण्डी कमेटी का चुनाव इसी तारीख 28 को होने वाला था। गुना में मण्डी कमेटी में काँग्रेस ने प्रयास किया लेकिन जब यह पता लगा कि उसे बहुमत मिलने वाला नहीं है तो कलेक्टर के स्तर पर चुनाव स्थगित करने का प्रयत्न काँग्रेसियों द्वारा किया गया। भोपाल में भी आना-जाना, दौड़-धूप की गई, कलेक्टर जब चुनाव नहीं रोक सकता था तब राज्य शासन ने अध्यादेश का सुझाव दिया और चुनाव स्थगित किये गये। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अध्यादेश जारी करने का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि संकटकालीन स्थिति निर्मित हो गई थी इस कारण चुनाव स्थगित करने के लिए किया गया.....

(इस समय उपाध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष महोदय का आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक तथ्य आपके माध्यम से इस सभा-भवन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पिछले अक्टूबर-नवम्बर, में पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया था उसी समय जबकि पूर्ण रूप से संकटकालीन स्थिति थी उस समय राज्य शासन द्वारा मण्डी कमेटी के चुनाव कराये जाने का कार्यक्रम निश्चित किया। उस समय मण्डी समितियों से शासन ने आग्रह किया कि इस समय संकट की स्थिति में चुनाव न कराये जायें लेकिन राज्य शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और चुनाव कराये, उस समय शासन की मानसिक स्थिति चुनाव के पक्ष में थी। अध्यक्ष महोदय, जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था उसके उपरान्त जो स्थिति निर्मित हुई थी, आग्रह किया गया लेकिन उस समय चुनाव स्थगित नहीं किये गये। 28 जून को आर्डिनेन्स जारी करके चुनाव स्थगित कराए गए यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह शासन की दुर्बलता ही कहा जा सकता है। चुनाव लड़ना चाहिए था गुना में या दूसरी जगह हार जाते तो कोई बात नहीं थी। दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए। 132 कुल मण्डी समितियाँ हैं उनमें मुश्किल से 20-25 का चुनाव होना था। केवल 20-25 मण्डी समितियों के चुनाव को निर्धारित समय से केवल इसलिये रोका गया कि सरकार को यह आशंका थी कि वहाँ पर काँग्रेस पक्ष की हार हो जायेगी और दूसरा कारण इनको स्थगित करने का नहीं था। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यदि कुछ स्थानों पर काँग्रेस पक्ष की हार

भी हो जाती तो उससे कोई बड़ा भारी फर्क पड़ने वाला नहीं था और 28 जून को ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि पाकिस्तान का किसी प्रकार का हमला होने वाला था न ही कोई संकटपूर्ण स्थिति उस समय प्रदेश में थी जिसके कारण यह अध्यादेश निकालना पड़ा। यदि आप मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा विगत वर्ष कृषि मण्डी अधिनियम, 1960 में संशोधन प्रस्तावित करने वाली विशेष समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संशोधन लाने के लिये कोई अध्यादेश लाते तो हम स्वागत करते। उसमें जो कुछ अच्छी बातें सुझाई गई थीं उनको पूरा करने के लिये यदि आप अध्यादेश निकालते तो मालूम पड़ता कि आप प्रगतिशील हैं। जो समिति गठित की गई थी उसने एक साल तक मेहनत करके अपना प्रतिवेदन तैयार किया था उसमें बहुत कुछ अच्छे सुझाव भी दिये गये थे जिसके कारण किसानों की स्थिति में काफी सुधार होने वाला था और उसके कारण मण्डी अधिनियम में परिवर्तन हो सकता था। उससे किसानों को लाभ भी पहुँचता। मण्डी की भी हालत ठीक होती, इसके लिये आप आर्डिनेन्स निकालते तो वह एक अच्छी बात कही जा सकती थी, लेकिन आपको जो आर्डिनेन्स निकालने की शक्ति मिली हुई है, उसका इस तरह के आर्डिनेन्स निकालकर शासन ने उनका दुरुपयोग किया है। अच्छे कामों के लिये कभी भी यह अध्यादेश नहीं निकालते हैं जिससे कि किसानों को कुछ लाभ पहुँचे, दो-चार मण्डियों के चुनाव आप स्थगित करना चाहते थे क्योंकि शासन को भय था कि कहीं काँग्रेस पक्ष के लोगों की हार न हो जाये, उनको प्रसन्न करने के लिये आपने इस प्रकार से अध्यादेश निकाला है, यह बहुत ही घटिया बात है, ऐसी घटिया बात के लिये आपने अध्यादेश का सहारा लिया और उसके लिये महामहिम राज्यपाल महोदय का उपयोग किया, यह अच्छी परम्परा नहीं है। केवल 20-25 मण्डियों का तो चुनाव ही होना था। उस छोटे से काम के लिये आपने इस प्रकार का अध्यादेश निकाला यह उचित बात नहीं है। इतना ही कहते हुए मैं जो अनुमोदन का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूँ। आशा करता हूँ कि शासन उसको वापस ले लेगा और अनुमोदन को स्वीकार कर लेगा।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय कैलाशचन्द्र जी जोशी ने माननीय पटवा जी की तरफ से जो प्रस्ताव रखा है और जिसका समर्थन श्री दीवान ने किया है। मैं उस अनुमोदन प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके उद्देश्य और कारणों में बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि अध्यादेश क्यों निकालना पड़ा। वह किसी भी दलगत राजनीति के उद्देश्य से नहीं निकाला गया था। यह जो आरोप लगाये गये हैं वह सही नहीं हैं.....

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 28 जून को कौन-सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण यह निकालना पड़ा?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 27 जून कैलेन्डर में एक तारीख थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल यही बात थी।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाए गए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (निर्वाचन स्थगन) मध्यप्रदेश, 1966 (क्रमांक 9, सन् 1966) पर विचार किया जाये।

श्री मदनलाल अग्रवाल : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि सदन में इस समय कोरम पूरा नहीं है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष : है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घन्टी बजाई गई तथा माननीय सदस्य सदन में आ गये)

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाए गए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (निर्वाचन स्थगन) अध्यादेश, 1966 (क्र. 9, सन् 1966) का अनुमोदन करता है।"

(संकल्प अस्वीकृत हुआ)

19 सितम्बर 1966 को सदस्य श्री भालचन्द्र बागदरे खरगौन ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया।— यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये जाँच आयोग (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश 1966 (क्रमांक 8, 1966) का अनुमोदन करता है।" उपाध्यक्ष महोदय ने श्री बागदरे का संकल्प

सदन में प्रस्तुत किया। चर्चा के पश्चात् संकल्प अस्वीकृत हुआ। अगले दिन 20 सितम्बर को कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने विधेयक का पुरःस्थापन किया। विधेयक पारित हुआ। 20 सितम्बर की कार्रवाई यहाँ दी जा रही है—

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जाँच आयोग (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1966 (क्रमांक 45, 1966) का पुरःस्थापन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जाँच आयोग (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1966 (क्रमांक 45, 1966) पर विचार किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह उचित समझता हूँ कि माननीय सदस्य और भी जो चर्चा करना चाहें वे चर्चा कर लें फिर मैं दोनों चर्चाओं का उत्तर दे दूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "जाँच आयोग (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1966 (क्रमांक 45, 1966) पर विचार किया जावे।"

श्री भालचन्द्र बागदरे (खरगौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के अनुमोदन के समय मैंने बताया था कि उसका कोई औचित्य या कोई कारण नहीं है। मेरा अभी भी निश्चित मत है कि जिन कारणों से आपने यह विधेयक बनाने या अध्यादेश जारी करने को आवश्यक समझा था उनका अगर हम विवेचन करें तो जिस प्रकार से कोई आदमी एक पैनिकी कण्डीशन में काम करता है उसी प्रकार का कार्य आपने किया है। पाण्डे जाँच आयोग की नियुक्ति के समय इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन इसके लिये केन्द्रीय कानून जिसका आज तक कई बार उपयोग हुआ है और कमीशनों पर कई आक्षेप होते रहे हैं। पगारे आयोग उज्जैन में कायम हुआ उसके सम्बन्ध में ऐसे पोस्टर लगाये गये थे, अन्याय तेरा नाम पगारे आयोग। बाँचू कमीशन भी कायम हुआ उसका भी क्रिटीसिज्म हुआ जब उसने पब्लिक इन्क्वायरी खुले में की तो उसको पब्लिक सपोर्ट भी मिला। पगारे आयोग के बारे में कोई भी बात उसकी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स में उसके घटनाओं के फैक्ट्स थे उनके बारे में कोई भी आपत्ति नहीं आई। मैं यह मानता हूँ कि शासन के कतिपय लोगों से शासन का लगाव हो सकता है, यह तो ह्यूमन फैक्टर है। गुलशेर अहमद जी और अर्जुनसिंह जी के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मुझे खराब लगना स्वाभाविक है, यह ह्यूमैन फैक्टर है परन्तु जब आप एक नीति बनाते हैं तो बात दूसरी हो जाती है। हमारे पाण्डे साहब से कुछ लोगों का विशेष प्रेम हो सकता है, यह मैं मानता हूँ और होना भी चाहिए, पुराने साथी हैं, इसके बावजूद भी ह्यूमेन फैक्टर को पूर्ण अलाउन्स देते हुए भी एक पैनिकी कन्डीशन में आर्डिनेन्स निकालना और फिर विधेयक लाना यह चीज अच्छी नहीं है। यह न तो इस प्रदेश के लिये और न किसी-किसी के लिये ही यह अच्छी बात है। शासन ने अध्यादेश के अनुमोदन के समय इसका उत्तर नहीं दिया है। हमारे विधि मन्त्री जी शायद कुछ कहना चाहते थे परन्तु आपने समय नहीं दिया।

उपाध्यक्ष : मैंने समय दिया है, मेरे पास समय है, मैं आपको दे रहा हूँ।

श्री भालचन्द्र बागदरे : दिया नहीं।

श्री हरिभाऊ जोशी : वे जानते थे कि विधि मन्त्री जी की दलील काम की नहीं।

भालचन्द्र बागदरे : विधि मन्त्री जी बोल रहे थे वे इस प्वाइंट पर आ गए कि कोर्ट का एक डेकोरम होता है, उस इन्स्टीट्यूशन को देखते हुए यह आवश्यक है कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिये। उसकी डिगनिटी को मेन्टेन किया जावे। अतः यह आवश्यक है कि उसको संरक्षण दिया जावे। इसलिये इन सारी बातों को देखकर किसी का ख्याल उसकी ओर न जावे। इसलिए इन सारी बातों का आयोजन आपने किया है। इस प्रकार की दलील विधि मंत्री जी दे रहे थे कृषि मन्त्री जी ने जिन्होंने कि विधेयक को प्रस्तुत किया है वह भी उसी प्रकार की बात कर रहे थे, उन्होंने भी कमीशन की महत्ता की बात कही थी, उन्होंने अँग्रेजी के एक शब्द का प्रयोग किया मुझे याद नहीं आ रहा है किसी प्रकार से अपमानित करने, अपमानजनक बात करने के बारे में जैसा कि वे सोचते हैं लाइबल के बारे में सोचते हैं, वही बात वे कमीशन के द्वारा निर्णय के पालन के बारे में भी सोचते हैं क्या? तो

एक तरफ तो आप उसको कोर्ट का स्टेट्स देना चाहते हैं जैसा कि खुजनेरी जी ने कहा कि यह तो कोर्ट है और उनको जो सजा देनी चाहिए वह इनके द्वारा ही देना चाहिये। तो अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी ही नम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 1952 में जब यह बिल डिसकस हुआ था तो यह सवाल पार्लियामेन्ट के सामने भी आया था और इसके सम्बन्ध में एक अमेन्डमेंट श्री पी.टी. चाको ने दिया था और उसको डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने जो कि उस समय गृह मन्त्री थे इसको स्वीकार किया है। तो चाको साहब ने जो अमेन्डमेंट रक्खा था कि आयोग के अधिकार किस प्रकार से होने चाहिये और क्या होने चाहियें वह मैं आपको पढ़कर के बतलाता हूँ। खण्ड— 4 के अन्तर्गत आयोग को अधिकार दे दिए गए हैं जो अन्य न्यायालयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 और 482 के अधीन दिए गए हैं। धारा 480 के अन्तर्गत उन अपराधों को सुना जाता है जैसे बयान पर हस्ताक्षर न करना, शपथ न लेना या किसी प्रश्न का उत्तर न देना। धारा 482 के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय ऐसे मामलों को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, जिसे उसे सुनने का अधिकार हो। मेरे संशोधन का उद्देश्य आयोग के अधिकारों को सीमित करना है। मेरा कहना यह है कि आयोग को इस प्रकार का अधिकार न दिया जाए कि वह धारा 480 के अन्तर्गत अपराध करने वालों को तुरन्त ही वहीं पर दण्ड दे दे। बात यह है कि हो सकता है कि आयोग उन कानूनों से परिचित न हो जो कि ऐसे मामलों में लागू होते हैं। मेरे विचार में आयोग को धारा 480 में उल्लिखित अधिकार न दिए जायें, बल्कि उसे यह अधिकार दिया जाये कि वह इस प्रकार मामलों को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज दें जो उसे सुनने का अधिकार रखता हो।

अब आयोग जो नियुक्त होता है वह तो आप किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं और उनको दण्ड प्रक्रिया मालूम नहीं होती है तो फिर कैसे होगा। यह चीज पार्लियामेंट में डिसकस हो चुकी है और इसको डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने उसको इस रूप में स्वीकार किया है वह भी मैं बतलाए देता हूँ। उन्होंने कहा है कि— इस रूप में उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ क्योंकि में यह नहीं चाहता कि आयोग को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह किसी भी व्यक्ति को दण्डित कर सके या उस पर जुर्माना कर सके, यह है उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि यह चीज पार्लियामेंट के दिमाग में थी जबकि यह चीज जो ओरीजनल बिल था उसमें नहीं थी, तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने भी उसको कोर्ट नहीं माना है। अब सिलेक्ट कमेटी की इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट जो थी वह क्या है। यह तो मैंने वहीं देखा है, लेकिन उसके अधिकारों के बारे में जोर दिया गया है कि उसके अधिकारों को सीमित दायरे में रहना चाहिए। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो विचार आपके लीगल जुडीशियल इन्क्वायरी के बारे में है वही विचार कमीशन के निर्णय के बारे में क्यों नहीं, क्योंकि वह अधिकार एक्जीक्यूटिव के हैं और उनको अगर आप दे देंगे तो फिर किसी भी रिपोर्ट को मानने या न मानने का शासन का अधिकार निकल जावेगा तो ऐसा शासन नहीं चाहता है कि हमारे जो एक्जीक्यूटिव के अधिकार हैं, उन पर कोई कुठाराघात हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक आप इस सम्बन्ध में कोई निर्णय न लेंगे तब तक आप जनता को पेनेलाइज क्यों करेंगे। यह मेरा निवेदन है।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री (सिरमौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डीनिन्स विधि बनाने के लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूँ। जो कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत कमीशन नियुक्त किये जाते हैं संविधान के अनुसार वे कोई स्थायी अदालत नहीं हैं। आमतौर से ये कमीशन नियुक्त किये जाते हैं जनता की माँग पर, विधायकों की माँग पर अथवा शासन को समाधान होने पर किसी ऐसी कोई परिस्थिति है, किसी लोक-महत्व के विषय पर जाँच करना आवश्यक है तब इस तरह के कमीशन नियुक्त किये जाते हैं और उन कमीशनों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उनकी रिपोर्ट शासन शत-प्रतिशत मान ले। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि किसी खास मामले के लिये कमीशन नियुक्त किये गये, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उनका मानना तो दूर रहा, उनकी रिपोर्ट को प्रकाशित तक नहीं किया गया और शासन यह अधिकार अपने पास रखता है कि वह जो कमीशन नियुक्त करे, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करे या न करे, उसको माने या न माने। उन कमीशनों के द्वारा केवल गोलीकाण्ड की ही जाँच नहीं होती, किसी अपराध की ही जाँच नहीं होती अपितु तरह-तरह की जाँचों के लिये इस कानून के तहत कमीशन बैठाये जाते हैं। अभी जयन्ती शिप कम्पनी के सम्बन्ध में कमीशन बैठ रहा है, वह जाँच करेगा।

दूसरा शान्तिलाल कम्पनी के संबंध में कमीशन बैठा, वह कमीशन बिबियान बोस के नाम से बना और भी इस तरह के कमीशन बनते हैं। तो जिस समय वह कानून बनाया गया था, उस समय यह समझा गया था कि इसके तहत तरह-तरह के कमीशन बनाए जायेंगे। उस समय उस कानून में इस प्रकार के प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी कि उन कमीशनों के सम्बन्ध में कोई कुछ न कहे, क्योंकि ये कमीशन जो बनते हैं, वे किसी लोक हित के विषय पर बनते हैं, उसको व्यापक अधिकार रहते हैं। उसके सम्बन्ध में कहने का अधिकार रहना ही चाहिये। यह समझा गया था। इसीलिये जब सन् 52 में कानून बना तब यह बात उसमें नहीं रखी गई जो आप इस संशोधन के द्वारा रखना चाहते हैं। जितने भी कमीशन बने, उनके संरक्षण के लिये इस तरह के आर्डीनिन्स नहीं निकाले गये। यह मध्यप्रदेश सरकार का ही अनोखा तरीका है, यहाँ नये-नये तरीके अपनाये जाते हैं। कहाँ-कहाँ यह कमीशन नहीं बैठाया गया। जब पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री सरदार प्रतापसिंह कैरो के बारे में कमीशन बैठाया गया, जिसके न्यायाधीश श्री एस.के. दास थे, उस कमीशन के बारे में भी पंजाब के खास लोगों ने उसका बहिष्कार किया। कुछ अकाली दल के लोगों ने कहा कि हमको इस कमीशन पर विश्वास नहीं है और हम अपना मेमोरेण्डम इसके सामने नहीं देंगे। उनको तो दण्ड नहीं दिया गया। वे भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश थे। उनको यह अधिकार नहीं दिया गया कि आपके विरुद्ध कोई कहे तो उसको दो वर्ष की सजा दी जायेगी, क्योंकि वह इतने महत्व का विषय होता है कि उसके बारे में अलग-अलग विचार होने ही चाहिये। कभी-कभी ऐसे कमीशन भी बनाये जाते हैं जैसे अनाज के मूल्यों का स्थिरीकरण कैसे किया जाये, इसके बारे में कमीशन अपनी रिपोर्ट दे या मूल्यों की स्थिति ऐसी हो गई कि उसके लिये कुछ सुझाव देना आवश्यक हो गया तब उसके लिये भी कमीशन बैठाये जाते हैं। तब उनके बारे में कोई राय दे, क्या यह उचित है। अगर उनके बारे में कोई यह कहे कि हमें आप पर विश्वास नहीं है या आपके ऊपर पूँजीपतियों का प्रभाव है या कोई दूसरी बात कहे, तो उस कमीशन के बारे में इस तरह के कथन को रोक देना उस कमीशन के महत्व को नष्ट कर देना है। गोलीकाण्ड के बारे में भी जहाँ-जहाँ इस तरह के कमीशन नियुक्त किये गये उन पर भी इस तरह की रोक नहीं लगाई गई। अभी बंगाल में उपद्रव हुए, वहाँ पर काफी सम्पत्ति की क्षति हुई। पहले वहाँ के मुख्य मंत्री कमीशन बैठाने को तैयार न थे, जब भारत सरकार के गृह-मन्त्री नन्दा जी वहाँ गये और उन्होंने काफी समझाया बुझाया तब वहाँ के लिये एक न्यायिक जाँच बैठाई गई। लेकिन वहाँ बंगाल में सरकार ने जरूरत नहीं समझी कि इस तरह का कोई कानून बना दिया जाये। इसी तरह से अपने मध्यभारत में जब इंदौर में एक बार गोलीकाण्ड हुआ था। माननीय मिश्रीलाल गंगवाल जी उस समय वहाँ मुख्य मंत्री थे तो उस समय एक बहुत ख्यातिप्राप्त जज जाँच के लिये नियुक्त किये गये थे और वह था बाँचू कमीशन, लेकिन उस समय भी इसकी जरूरत नहीं समझी गई उसकी। कमीशन की रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं हुई। अभी थोड़े दिनों पहले जब माननीय मिश्र जी इस गद्दी पर विराजमान नहीं थे उस समय उज्जैन में एक काण्ड हुआ था जिसमें सत्र तथा न्यायाधीश ने जाँच की थी उनका वहाँ की नागरिक समिति ने बहिष्कार किया। उनके खिलाफ पोस्टर छापे, भाषण हुए, अखबारों में वक्तव्य आये लेकिन उस समय भी यह आवश्यकता नहीं महसूस की गई। अभी उत्तरप्रदेश में कुछ दिनों पहले बाँदा में गोलीकाण्ड हुआ और बड़ी अजीब परिस्थिति वहाँ उत्पन्न हो गई। लोगों ने आवाज उठाई लेकिन वहाँ की मुख्य मंत्री जाँच कराने के लिए तैयार नहीं थीं। स्वयं उनके पतिदेव आचार्य कृपलानी ने वक्तव्य दिया कि जाँच तो होनी चाहिये, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने आन्दोलन किया तब जाकर उनको स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने जाँच के लिए एक जज बैठाया और उन्होंने इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस नहीं की। समझ में नहीं आता कि मध्यप्रदेश शासन को फिर इस तरह के कमीशन की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई जबकि जनता का कुछ कहना आवश्यक था। इतनी बड़ी घटना घटी थी जिसकी मिसाल स्वाधीन भारत में न होगी। चूँकि स्वयं इसके विवरण में आपने कहा है इसलिए वस्तर के बारे में यह कहना असंगत न होगा। आपने कहा है कि कमीशन की नियुक्ति के बाद इस तरह के बयान शुरू हो गये हैं और लोगों ने शक जाहिर करना शुरू कर दिया है इसलिए आपको बनाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी घटना थी जिसके कारण सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई

और हम लोगों ने ही नहीं लोकसभा में माँग की गई कि जाँच आयोग जो इसके लिए बनाया जाये और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ-साथ एक अन्य हाईकोर्ट का जज भी साथ में रखा जाये। देश के बड़े-बड़े नेताओं ने यही कहा और काँग्रेस पक्ष के कुछ स्वतन्त्र विचार रखने वाले नेताओं ने भी कहा कि इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिये, इसलिए अगर आम जनता के मन में आपको न्याय के प्रति आस्था जमानी है और यह भ्रम दूर करना है कि सरकार तथ्यों को छिपाना चाहती है तो आवश्यक है कि इन मा. न्यायाधीश महोदय के अतिरिक्त एक सुप्रीम कोर्ट का जज तथा एक अन्य हाईकोर्ट का जज भी रखा जाये अन्यथा न्याय के प्रति जो आशंका लोगों ने व्यक्त की थी वह बढ़ती ही गई और यह स्थिति जब आई कि देखने में आया कि जनता को वहाँ आतंकित किया जा रहा है, आर्म्ड फोर्स पेट्रोल कर रही है, लोग साक्ष्य देने न आ सकेंगे तो स्वयं मा. न्यायाधीश महोदय ने शासन को पत्र लिखा कि—

"I myself visited several villages, including largely attended market places, in the interior of the district and did not find any sign of such terror. In any event, there is at present no material before me to show that the members of the two forces are terrorising the people .....

इस तरह से जो फाइंडिंग उनको अपने फैसले में देनी चाहिये थी वह उन्होंने दी। इसलिये यह स्वाभाविक था कि जनता इस बात की आलोचना करती। 3 तारीख को उन्होंने लिखकर दिया, अखबारों में छपा इसके लिये अचानक 6 जून को आपने आर्डिनेन्स जनता के सामने रख दिया कि कोई बोल नहीं सकता। अन्यथा उस पर इतना जुर्माना होगा और कारावास दिया जायेगा। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के मूलभूत जो अधिकार हैं उन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। क्या कारण था जिसकी वजह से आर्डिनेन्स रखा गया और इस आर्डिनेन्स को वैध करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि जो मूलभूत अधिकार हैं, उनकी राय का अधिकार है, उस अधिकार से जनता को वंचित नहीं किया जाना चाहिये। मेरा ऐसा निवेदन है कि इस, विधेयक को पारित नहीं किया जाये।

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के विरोध में कुछ तथ्य रखे हैं और उन्होंने वही बातें दोहराईं जो प्रस्ताव के समय चर्चा के दौरान में आई थीं। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रश्न को निष्पक्षता और जूडिशियल वेरिंग को कायम करने के लिए यह बात बहुत ही आवश्यक हो जाती है जैसा कि अभी श्री बागदरे जी ने कहा सन् 52 की रिपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया और तत्काल के न्याय मंत्री श्री काटजू का वक्तव्य पढ़ा। मैं तो अध्यक्ष महोदय, नहीं कहता सन् 52 में जो परिस्थिति आई है और उन परिस्थितियों को देखते हुए माननीय काटजू साहब ने अपनी राय दी हो वह गलत है, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा समाज और राजनैतिक जीवन की उस समय की वह स्थिति नहीं रही जो सन् 52 में रही थी। जो सन् 52 में थी वह सन् 66 में नहीं है। आज की परिस्थिति में इस बात को प्रमाणित करना उचित नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बदलती हुई परिस्थिति देखते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो न्याय के विशिष्ट अंग हैं हम साधारण लोग उन लोगों के विचारों तक नहीं पहुँच सकते, जो कानून के ज्ञाता हैं, वही इसे अच्छी तरह जान सकते हैं। समाज की गतिविधि के बारे में अपनी राय वह निष्पक्षता से व सक्षमता से रखते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, सदन में यह कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने आर्डिनेन्स निकालकर गलत काम किया, या उनको शासन को बचाने के लिए यह आर्डिनेन्स निकाला गया वह गलत है। अध्यक्ष महोदय, जो लॉ कमीशन का संकेत है, जो केन्द्रीय शासन द्वारा गठित जिसके मुख्य श्री कपूर न्यायाधीश थे उनकी रिपोर्ट दिसम्बर 62 में पब्लिश हुई है जिसके पृष्ठ 10 के पैराग्राफ 6 में दिया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—

"We are aware that the offence of defamation is already punishable under sections 499 to 502 of the Indian Penal Code. But in spite of such provisions, virulent attacks have made on Commissions and their members. A fact to which our attention has been drawn by several distinguished persons who had served on various Commissions

of Inquiry appointed under the Act. We think that if the Act itself creates a specific offence of the kind suggested the attention of the public will be focussed on the penal consequences of defamatory attacks on a Commission or its members. We consider it unnecessary to encumber the proposed provision with the various Exceptions and Explanations contained in section 499 of the Indian Penal Code, because we think that the clause, without the Exceptions and Explanations, will be interpreted by the courts in a reasonable manner.

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी मत के अनुसार सेक्शन 5 में संशोधन होना चाहिये। प्रस्ताव में लिखा है इसके पृष्ठ 24 में स्पष्ट है—

(5) If any person by words either spoken or intended to be read makes or publishes any statement or does any other act which is calculated to bring Commission or any member therefore into disrepute, he shall be punishable with simple imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

(6) The provisions of Section 198-B of the Code of Criminal Procedure, 1898 shall apply in relation to an offence under sub-section (5) as they apply in relation to an offence referred to in sub-section (1) of the said section 198-B subject to the modification that no complaint in respect of such offence shall be made by the public prosecutor except with the previous sanction—

(a) in the case of a commission or member of a Commission appointed by the Central Government of that Government;

(b) in-the case of a commission or a member of a commission appointed by the State Government of that State Government."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हूबहू वही शब्द इस्तेमाल किये गये हैं जो इसमें हैं.....

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : इसको पार्लियामेंट या अन्य स्थानों पर क्यों नहीं लाया गया?

श्री अर्जुनसिंह : हम मध्यप्रदेश विधानसभा मे कार्य कर रहे हैं यहाँ के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। अन्य विधानसभाओं में क्यों नहीं लाया गया इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। लॉ कमीशन ने जो सिफारिश की है उसी के अनुसार लाया गया है। मैं आशा करता हूँ इसे आप स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जाँच आयोग (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1966, (क्रमांक 45, सन् 1966) पर विचार किया जाये?

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा—

खण्ड 2 व 3 विधेयक के अंग बनाये गये।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "जाँच आयोग (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1966, (क्रमांक 45, सन् 1966) पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "जाँच आयोग (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1966, (क्रमांक 45, सन् 1966) पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "जाँच आयोग (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1966, (क्रमांक 45, सन् 1966) पारित किया जाये"।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 20 सितम्बर 1966, पृष्ठ - 893-899)

23 सितम्बर 1966 को अध्यक्ष के समक्ष मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत हुई। 28 सितम्बर को इस प्रस्ताव पर जमकर चर्चा चली और पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र के मंत्रिमण्डल पर आरोपों की वर्षा हुई। इस लम्बी बहस में हिस्सा लेते हुए कृषि मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अपने विभाग से सम्बन्धित आरोपों के उत्तर दिये साथ ही प्रजातंत्र में काँग्रेस दल की आस्था का स्मरण कराया। अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 83 और विपक्ष में 170 मत पड़े। इस प्रस्ताव पर हुई लम्बी चर्चा से कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

(इसी के साथ सत्रावसान हो गया)

मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष : मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूँ कि आज 10 बजे के लगभग हमारे सचिवालय में 4 माननीय सदस्यों श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा, श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त और श्री रामप्रकाश मल्होत्रा द्वारा मंत्रिमण्डल पर अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना आई है। उस सूचना को मैं सोमवार को लूँगा क्योंकि मेरे पास इतना काम था कि मैं उस पर विचार नहीं कर सका।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : इस सूचना की एडमिसिविलिटी का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष : उसको देखना है, दिन भी निश्चित करना है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : दिन बाद में फिक्स करें।

अध्यक्ष : पढ़ तो लूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : श्रीमान् यह जानते हैं मंत्रिमण्डल पर एक बार अविश्वास का प्रस्ताव.....

अध्यक्ष : मैंने सदन को सूचित कर दिया।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप दिन बाद में फिक्स कर दें लेकिन पढ़ तो दें।

अध्यक्ष : मैं देखूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : पूरे सदन को तो सुना दें।

अध्यक्ष : मैं सुना तो देता हूँ लेकिन विचार सोमवार को ही करूँगा।

श्री बाबूलाल पालीवाल : मेरी भी अविश्वास प्रस्ताव की सूचना है।

अध्यक्ष : मैं देखता हूँ— हाँ, है मैं पढ़ रहा हूँ।

"हम नियम 143 के अन्तर्गत निम्न अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना देते हैं—

"प्रस्ताव"

यह सदन श्री द्वारका प्रसाद मिश्र के मंत्रिमण्डल पर अविश्वास प्रकट करता है, क्योंकि—

(1) सारे राज्य को एक जनतांत्रिक शासन के बजाये पुलिस राज के रूप में चलाया जा रहा है। निरीह शांतिप्रिय नागरिकों पर, व छात्रों पर पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार किये जा रहे हैं। गोलीबारी व लाठी चार्ज की अनेक घटनाएँ प्रदेश में घट चुकी हैं। धारा 144 व कर्फ्यू का प्रयोग कर जनता के अधिकारों को रौंधा जा रहा है व न्यायोचित जाँच भी नहीं कराई जा रही है।

(2) प्रदेश में खाद्य समस्या शासन की सर्वथा गलत नीति के कारण अत्यन्त कठिन बनी हुई है। प्रदेश के अनेक नगरों व गाँवों में जनता भुखमरी से त्रस्त है। महँगाई व अभाव से जन-जीवन दूभर बना हुआ है।

(3) हजारों एकड़ में कृषि विभाग द्वारा किये गए ताईचंग व नं. 16 के धान के बीज की फसल नष्ट हो गई व अकाल पीड़ित किसानों की फसलें नष्ट होने से स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है।

(4) प्रदेश में भ्रष्टाचार, पक्षपात व मनमानी का बोलवाला हो रहा है।

(5) डाकूग्रस्त क्षेत्र में जनता को संरक्षण पुलिस नहीं दे पा रही है और डकैती, अपहरण, बलात्कार तथा लूट की घटनाओं से प्रदेश की जनता का जीवन दूभर हो गया है।

"अन्य अनेक ऐसे कारण हैं जिससे जनता को प्रदेश के वर्तमान शासन पर विश्वास नहीं रह गया है।"

यह सूचना श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा, श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, श्री रामप्रकाश मल्होत्रा की ओर से आई है।

और ऐसी ही सूचना श्री बाबूलाल पालीवाल जी की है। मैं अब इस पर सोमवार को विचार करूँगा कि सूचना ऑर्डर में है या नहीं। मैंने अभी विचार नहीं किया है मैं सोमवार को लूँगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 23 सितम्बर 1966, पृष्ठ - 1274-1276)

श्री अर्जुनसिंह (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय विरोधी दल के नेता श्री सखलेचा जी और प्रजा समाजवादी दल ने नेता श्री तिवारी जी ने जो अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं तो उन्होंने जो अपने-अपने तर्क दिये हैं तो दोनों भाषणों में सैद्धांतिक और वास्तविक दृष्टिकोण में बहुत ही अन्तर है और इसको वे स्वयं भी मंजूर करेंगे और अगर कुछ समानता है तो वह यह कि मन्त्रिमण्डल और उसके जो नेता हैं माननीय मुख्य मंत्री के प्रति जहाँ तक देश का सवाल है, वह एक दूसरे से शायद ही कम होगा और इस समानता के आधार पर दोनों महानुभावों ने अपने विचार प्रकट किये। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे और आपके समझने की है कि राजनैतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, मनुष्य या कोई भी व्यक्ति गौण होता है, महत्वपूर्ण होते हैं वे सिद्धांत, वे आस्थाएँ जिनके आधार पर समाज संचालित होता है और जिनके द्वारा हम अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से और विशेषकर केवल द्वेष की भावना रखने वाले उन माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि आप किसी व्यक्ति की तस्वीर सामने रखकर उस व्यक्ति को द्वेष की भावना से साँचे में ढालने की कोशिश न करें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सभी मंत्रियों के सम्बन्ध में मैंने गम्भीर आरोप लगाये हैं। उनके प्रति द्वेष का भाव तो नहीं है। यह आप अपने प्रति मानते हैं। तभी तो धमकियाँ दिलवाते हैं कि चुनाव लड़ोगे तो गोलियों से उड़वा देंगे। यह आप अपनी बात हम पर क्यों लगा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मान न मान मैं तेरा मेहमान। कम से कम आप अपने स्तर में मुझे न रखें, क्योंकि मैं आपका स्तर जानता हूँ। उस स्तर पर न मैं लड़ाई लड़ूँगा और न दोस्ती करूँगा। वह मुझे आता नहीं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपने यह मान लिया कि आप हमारे स्तर के नहीं हैं।

श्री अर्जुनसिंह : हाँ मैं उस स्तर का नही हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : भगवान न करे कि हम आपके स्तर के हों और हमारे ऊपर गोलियाँ चलें।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : आपने कहा कि दोस्ती आती नहीं। मुझसे रहेगी या नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : आपसे पूरी दोस्ती है और रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि जिस समय इस प्रकार के प्रस्ताव पर बहस में भाग लें, कृपा कर इससे जरा ऊपर उठकर सम्पूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन करें। आपने सबसे बड़ा आरोप इस मंत्रिमण्डल पर यह लगाया कि पिछले तीन सालों से इस मंत्रिमण्डल के द्वारा इस प्रदेश में जितना अत्याचार पुलिस की ओर से किया गया, जितनी गोलियाँ चलाई गईं, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था और गोलियों और लाठियों के बल पर यह शासन कायम रहना चाहता है। हमारे तिवारी जी को विकृत रूप से अनोखी सूझ आया करती है। उन्होंने इसमें एक और शिगूफा जोड़ दिया इस पूरी पृष्ठ भूमि में .....

श्री हरिभाऊ जोशी : पहले द्वारका प्रसाद जी के मिनिस्ट्री में आने के पहले गोली नहीं चली, उनके आने के बाद चली।

श्री अर्जुनसिंह : उन्होंने एक ओर जोड़ दिया कि इस पूरे विद्यार्थी आन्दोलन के पीछे मेरा हाथ है। यह उनकी अनोखी बुद्धि चलती है। कोड़ी को हजार बना देना इस तरह से हमने देखा है। मेरे ऊपर यह आरोप लगा देना कि पूरे छात्र आन्दोलन का संचालन युवक काँग्रेस की ओर से मेरे द्वारा किया गया, यह उनकी अनोखी सूझ

है। मैं उनके भाषण के समय चुप रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी भले ही प्रत्येक प्रकरण को रंगीन चश्मे से देखना पसन्द करते हैं, मनुष्य चाहे विरोधी पक्ष में हो या शासन में बैठा हो, कुछ भूलभूत बातों के सम्बन्ध में भ्रम नहीं रहना चाहिये और उनमें किसी दूसरे का प्रभाव नहीं आना चाहिये। जहाँ तक छात्र आन्दोलन युवकों के बीच में जो उनके मन में चंचलता है, द्वेष है— अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा के अन्दर खड़े होकर यह कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में ही नहीं हमारे देश के अन्दर आजादी प्राप्त होने के बाद जो सहानुभूति, जिस प्रकार का दृष्टिकोण और कार्यक्रम है, जो देश प्रदेश के युवकों के सामने आना चाहिये था वह न हम रख सके और न आप रख सके, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपसे जब यह मैं कहता हूँ तो यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि हम अपने नवयुवकों के दिल व दिमाग को सचमुच पढ़ना चाहते हैं तो हमें तत्काल की भावनाओं के आवेश में आकर किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये। मैं आपको सूचित कर दूँ, तिवारी जी को जानकारी हो या न हो, लेकिन मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि पिछले तीन वर्षों में इस देश के अन्दर यदि किसी भी प्रदेश ने नवयुवकों के मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से उनकी समस्याओं और विचार के जानने की चेष्टा की है तो सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश शासन ने किया है और इसका श्रेय यदि किसी को है तो वह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को ही है और इसलिये मैं कहता हूँ कि समय-समय पर प्रत्येक पहलू पर उसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। इसलिये आपका यह आरोप लगाना कि किसी द्वेष की भावना से छात्रों पर गोली बरसाने के लिये शासन ने ऐसा किया है तो कृपा कर अपने दिमागी ख्याल तो आप उसे बना रख सकते हैं लेकिन समझ लें कि वह वस्तुस्थिति नहीं हो सकती है। जहाँ तक नीति का प्रश्न है, सबको मालूम है कि स्पष्ट रूप से माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों की जो माँगें हैं या कमजोरियाँ हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिये शासन तत्पर रहेगा। कई बार इसका उल्लेख किया गया लेकिन यह तो एक सर्वमान्य सिद्धांत है और आपको भी मानना पड़ेगा कि भले ही आप विरोधी पक्ष में बैठने के नाते अपनी जिम्मेदारी महसूस न करें, किसी भी देश के प्रजातंत्र को बनाये रखने के लिये उस देश के रहने वालों में से किसी एक विशेष वर्ग को यह अधिकार कदापि नहीं दिया जा सकता कि वह समाज की शान्ति-व्यवस्था को भंग करने लगे और फिर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो, ऐसा यदि आप न मानते हों तो कृपा कर आप अपने को प्रजातन्त्र का हिमायती न कहें, और चाहे जो कुछ भी कहें।

जहाँ तक तिवारी जी ने कुछ नामों का उल्लेख किया, उस सन्दर्भ में आपने एक हसनात सिद्दीकी का नाम लिया। जी हाँ, हैं वह तदर्थ समिति में हैं और उन्होंने गलत काम किया, उनको गिरफ्तार किया गया। यही तो इस शासन की निष्पक्षता का सबूत है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर है तो उसके कारण किसी जुर्म में साधारण प्रक्रिया जो सबके साथ बरती जाती है उससे वह भी वंचित नहीं किया जा सकता। यह और समय में भले ही रहा हो लेकिन कम से कम इस शासनकाल में ऐसे उदाहरण आये हैं जब अपने ही दल के लोगों से उसी प्रकार की न्याय प्रक्रिया चालू करने के लिये एक मिनिट का भी संकोच हमारे मा. मुख्य मंत्री ने नहीं किया। जहाँ तक माननीय सखलेचा और तिवारी जी ने धान और उसके सम्बन्ध में कहा तो मैं जानता हूँ कि वे दोनों स्वाभाविक तरीके से कृषकों के हितों के सम्बन्ध में चिन्तित हैं और उनके बारे में कोई शंका नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि इस विषय में कृपा करके प्रि-जज करके किसी इश्यू पर विचार न करें। मैं कितना ही बयान दूँगा उससे आपको संतोष शायद न होगा। मैंने उस दिन भी बताया था कि किस प्रकार इस बैरायटी को हम प्रदेश में लाये, देश में लाई गई। हमारे वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में अपनी राय दी। कटक राइस इन्स्टीट्यूट, बैरायटी रिलीज कमेटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसने स्टॅडी किया, जो अच्छे फार्म्स और साइंटिस्ट हैं उन सबकी संयुक्त मीटिंग हुई और उन्होंने जो रिलीज किया वह जानकारी आपके ध्यान आकर्षित करने के समय जो आपने दी तो मैंने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से ली, वह प्रोसीडिंग मँगवाई और उसको देखने के बाद आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमने आँख बन्द करके इसमें अपना हाथ नहीं डाला। जबर्दस्ती किसी एक के साथ अगर हो सकती है तो आप उसे बताइये, मेरा ध्यान आप आकर्षित करें, मैं आपके साथ हूँ। किसानों पर किसी प्रकार की जबर्दस्ती नहीं की गई है और न ही हमारा जबर्दस्ती करने का कोई कार्यक्रम ही रहा है। जबर्दस्ती 2-4 किसानों

पर हो सकती थी लेकिन प्रदेश के पूरे किसानों पर कोई जबर्दस्ती की बात पैदा नहीं होती है। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय, ताईचुंग धान के नुकसान का प्रश्न है उसका सर्वेक्षण हो रहा है। शासन जो कुछ कर सकेगा वह करेगा। यह प्रश्न आपके मत से मैं मानता हूँ, कुछ भिन्नता हो सकती है, क्योंकि अलग-अलग लोगों में अलग-अलग मनोभावना होती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि कल से विधानसभा का सत्र समाप्त होने जा रहा है। मैं आपसे खासतौर से विरोधी दल के नेता श्री सखलेचा जी से और पी.एस.पी. के नेता श्री तिवारी जी से अपेक्षा करूँगा कि ये दोनों महानुभाव और भी अन्य माननीय सदस्य जो चाहते हैं, वह 4-5 दिन का समय दें जहाँ ताईचुंग धान बोई गई है उसका अध्ययन करने के बाद बताएँ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में शासन को क्या करना चाहिये.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मुझे निश्चित सूचना मिली है, धर्मपुरा कृषि फार्म पर ताईचुंग और संत गुरमटिया धान बोई गई थी उसके लिए जो खाद की आवश्यकता थी वह दिया गया इसके बाद भी धान पैदा नहीं हुई।

श्री अर्जुनसिंह : आप जिस फार्म के बारे में कह रहे हैं उसकी जानकारी मेरे पास भी है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि आप तमाम बातों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालें। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय तिवारी जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाये विभाग के बारे में और कुछ व्यक्तिगत मेरे ऊपर। अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं यहाँ तिवारी जी को देखता हूँ, आज के तिवारी जी नहीं 20-25 वर्ष पहले तिवारी जी, जो मेरी नजरों के सामने से निकलते हैं, क्योंकि हम दोनों मैं और तिवारी जी एक ही स्थान पर पैदा हुए, एक स्थान से मतलब पास ही दूसरी जगह पैदा हुए थे, साथ में ही बहुत समय तक पढ़े-लिखे और उसी दौरान में साथ में रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आज भी बहुत से ऐसे पत्र है उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में सामन्जस्य और एकता रही है। आज अध्यक्ष महोदय, मुझे सहसा विश्वास नहीं होता, कौन-सा कारण है जो मतैक्य और सौजन्यता में फर्क हो गया। अध्यक्ष महोदय, विचारों की स्वतन्त्रता होना कोई हानि नहीं है.....

श्री रामस्वरूप वर्मा : यह मिश्रा जी के कारण हुआ है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र (चौपाई) : मैं इतना ही कह रहा हूँ जलज और जौंक एक ही स्थान में उपजे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विचारों की स्वतन्त्रता का .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : महिमा बड़ी समुद्र की जब रावण बसें समुद्र किनारे। मैं पिछली बार ही सुना चुका हूँ कि जिस प्रकार से समुद्र की गति की महिमा है उसी प्रकार से रावण की भी है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : माननीय सदस्य ने कैसे समझ लिया और नाराज हो गये। मैं उनको जौंक थोड़े ही कह रहा हूँ। मैंने तो जलज और जौंक इन दोनों को ही कहा है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूँ कि माननीय अर्जुनसिंह दरअसल में एक अच्छे आदमी हैं और मैं उन्हें आज भी अच्छा मानता हूँ लेकिन इनका साथ जो है उसने उनको बरबाद कर दिया है।

श्री द्वारका प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी ने एक बार यहाँ कहा था कि ये हमारे गुरू रह चुके हैं तो जो कुछ गुरू ने पढ़ाया है वही हैं आज ये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, अब तो वे गुरू घण्टाल के पास पहुँच चुके हैं।

(बड़े जोरों की हँसी)

श्री अर्जुनसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि विचारों की स्वतंत्रता को मैं बहुत महत्व देता हूँ और सभी प्रबुद्ध नागरिक जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं वे भी इन विचारों को उतना ही महत्व देते हैं किसी एक विषय पर चाहे वह सामाजिक हो या राजनैतिक हो उनमें मतभेद हो सकता है और अपना अलग-अलग रास्ता अपना लें तो यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन तिवारी जी ने जो सामन्तवाद के खिलाफ एक दृष्टिकोण लिया है वह अपने स्थान पर बहुत उचित है। वे आज शायद भूल गये हों लेकिन वे इस विषय पर मुझसे मतैक्य रखते थे, यह बात उनको आज याद नहीं है या वे उसको याद नहीं रखना चाहते हों, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से क्योंकि बार-बार इस प्रकार का प्रसंग तिवारी जी इस सदन में उठाते हैं इसलिये सदन से कहूँगा कि सामन्तवाद, जातिवाद ये एक दोष हैं, रोग हैं इस देश के लिये। लेकिन

यदि आप यह समझें कि इन्हीं बातों को समय-समय पर जिनको आप पहले लक्ष्य बनाये हुए थे उसको लक्षित कर दोहराते रहें तो इससे यह रोग हटेगा नहीं। यह आपकी एक बड़ी भूल होगी। यह रोग तो तभी हटाया जा सकता है जबकि आप स्वयं इस प्रकार की विचारधारा को छोड़ देंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सामन्तवाद का सबसे बड़ा सिद्धान्त है कि लाइन ऑफ प्रिमेचर याने पिता-पुत्र नीचे चलते रहेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह ठीक है न।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आपके विचारों में, आपकी नजरों में मेरी तस्वीर की जगह किसी दूसरे की तस्वीर नजर आती है, भले भी उसने कुछ नहीं किया हो, बरबाद किया हो, लड़ाई ली हो और उसी के द्वेष से प्रेरित होकर मुझ पर वार किया करते हैं तो वही सामंतवाद की प्रक्रिया आप उपयोग में ला रहे हैं जिसके कि आप विरोधी होने का दावा करते हैं।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यदि शोषण की है तो सामन्तों के हाथ से शोषण करने के समस्त साधन आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने छीन लिये हैं जो कि आज उनके पास नहीं रहे। न उनके पास इलाके हैं और न ही उनके पास कोई दूसरे साधन ही हैं। आज के एक साधारण नागरिक की तरह बने हुए हैं। यदि कुछ लोग साधारण नागरिकों के अधिकारों के उपयोग के लिये तत्पर हैं और उसमें भी आप उनको अपने सहयोगी के नाते लेने को तैयार नहीं हैं तो क्या वह शुद्ध मनोवृत्ति कही जायेगी, क्या आपने और इस देश के लोगों ने इस पर विचार किया कि जिन लोगों के बारे में आजादी प्राप्त होने के बाद इस देश में जो विषाक्त वातावरण था उनके विरुद्ध आज एक हवा थी जिनको जिस स्थान पर बैठाने के लिये इस देश के नेताओं ने कोशिश की और सामाजिक और राजनैतिक सुधार के दृष्टिकोण से आपने पूरा किया। आज क्या कारण है कि वे आपको इतने बड़े हौवे नजर आ रहे हैं? आज क्या कारण है कि हम और आप जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इस गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं, इस देश के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर चलाना चाहते हैं और लोगों की मनःस्थिति, लोगों के विचारों को प्रजातन्त्र की ओर ढालना चाहते हैं आज हम लोग उनसे डर रहे हैं जिनको आप स्वयं कहते हैं उनके खिलाफ हैं ऐसी कमजोरी हममें और आप में क्यों आ रही है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मुख्य मंत्री जी से पूछिए कि राजाओं की खुशामद क्यों करते हैं चुनाव के लिए?

श्री अर्जुनसिंह : आपने उनको गुरू घण्टाल बना दिया है, इसलिये एक मिनिट आकर उनसे सीख जाइये कि वे किससे डरते हैं, किससे नहीं डरते हैं। यह वातावरण अपनी सिद्धि के लिए अगर है तो समाज के लिए बिलकुल नहीं.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : पुरानी बातों को पुनः प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ इसलिये उसके दिल में कड़ी चोट मैं कर रहा हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : रूढ़िवादिता के विरोधी होते तो सदन के बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि आपके विचार क्या हैं? फिर आप अपना मंत्र फूँक कर घर-घर जाकर चुनाव के समय वोट माँगते क्यों फिरते हैं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपके भाई-बंधुओं को भी मंत्र दिया है, शायद भूल गये आपको भी मैंने मन्त्र दिया है, यह तो हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने तो मन्त्र लिया नहीं, जहाँ तक विधायक कुछ विचारों .....

श्री बाबूलाल पालीवाल : श्री अर्जुनसिंह का भाषण तो स्वतंत्र पार्टी के नेता का भाषण मालूम होता है।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो आप जैसा समझते हैं वैसा मालूम होता है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक विभाग के कुछ विषयों के बारे में तिवारी जी ने कहा है.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसी पर चलिए और वहाँ बढ़िए चर्चा हो और जरा खुल जाते।

श्री अर्जुनसिंह : जी हाँ, अध्यक्ष महोदय, विभाग का प्रश्न है तिवारी जी ने जो उदाहरण यहाँ पर दिए उनके बारे में, मैं एक ही बात कह सकता हूँ यदि किसी व्यक्ति के किसी पद पर आ जाने के बाद अपने आप में यह बात मान ली जाए कि जितने सगे-संबंधी, रिश्तेदार हैं वह अपने आप में भ्रष्टाचारी हो गए, यह कि उसका नाजायज फायदा उठाएँगे। यदि ऐसा मानकर चलते हैं तो यह तर्क दोनों तरफ लगता है। मेरे रिश्तेदार हैं वे लम्बा

भ्रष्टाचार करेंगे, आपके रिश्तेदार छोटा भ्रष्टाचार करेंगे क्योंकि आप भी एम.एल.ए. हैं, लेकिन इसमें बड़ा और छोटा भ्रष्टाचार नहीं होता, है, लेकिन यह मानकर कोई प्रिजम्पशन नहीं करेंगे, एकाएक सबके बारे में यह मानकर चलें कि ऐसा होता है, तिवारी जी एक प्रमुख विधायक हैं। तीन बार चुन कर आये हैं ऐसा उन्होंने अपने मुँह से कहा है। ऐसे विधायक यदि तथ्यों के बारे में अपने को संतुष्ट न करें और इस सदन में उल्लेख करें जिनसे सावधानी और सत्य की अपेक्षा की जाती हो तो उचित नहीं मालूम होता है। आपने डी.एन. सिंह का नाम लेकर कह दिया कि उनके आ जाने के 15 दिन में ग्रेड बढ़ा दिया। आपने जानने की कोशिश नहीं की है और जानते होंगे तो छिपा लिया है। वेटेरिनरी डिपार्टमेंट के जितने व्यक्ति हैं उनमें से 10-12 लोग हैं। वेटेरिनरी साइंस का डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, इंडियन डेयरी डिप्लोमा करने के बारे में इस शासन की नीति है, मेरे मन्त्री होने के पहले थी कि जो लोग इस डिप्लोमा को पास करेंगे उनको डेयरी मैनेजर का पद मिलेगा। डी. एन. सिंह मध्यप्रदेश शासन में मेरे मंत्री बनने के पहले से कर्मचारी थे और उन्हें बंगलोर ट्रेनिंग के लिये भेजा गया था। दुर्भाग्य की बात है तिवारी जी के मत में इस डिप्लोमा में बंगलोर में इस सेशन की जो टीम थी उसमें उन्होंने उसको सबसे से अधिक हाईयेस्ट मार्क दिया तो उसमें मेरा क्या वश था? और उसके बाद भी वह कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी में हैं और चूँकि कृषि विभाग में इतनी संख्या नहीं थी कि जो लोग वापस आना चाहें उन सबको रख लिया जावे और कुछ लोग जो आये हैं उनको रख लिया गया है.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : गलत बात है आपने सरक्यूलर भेजा है उसका यह अर्थ नहीं उन लोगों ने निकाला है।

श्री अर्जुनसिंह : आप भूल क्यों रहे हैं, आपको स्मरण दिलाता हूँ, इसके लिये तो एक्ट आया है और दिसम्बर तक मियाद है और कृषि विभाग में जिन लोगों ने अर्जियाँ दी थीं, उनको मैंने अपने डिपार्टमेंट में लिया है.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जो सरक्यूलर था उसका यह अर्थ नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : कृषि विभाग से विश्वविद्यालय में गये हैं, कुछ लोग और आपके स्वयं सुपुत्र गये हैं .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : लेकिन आपने जो सरक्यूलर भेजा है उसका यह अर्थ नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अगर वह आना चाहते हैं तो मैं उनको भी ले लूँगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं इस झंझट में क्यों पड़ूँ। जहाँ आप मंत्री हैं वहाँ मैं अपने लड़के को क्यों लाऊँ?

श्री अर्जुनसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन पर प्रभाव डाला गया, चार्ज लगाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना महत्व है— ठीक है, विधानसभा में हमको, आपको स्वतंत्रता है जिसके ऊपर जो चाहें कह दें लेकिन हाईकोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन या इस तरह की जो संस्थायें हैं उनके महत्व को कायम करने के लिये हम और आप विचार नहीं करेंगे तो बाहर के जो लोग हैं, जिनको इतना संयम नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको कैसे बता सकेंगे कि उनके सम्बन्ध में कोई भी आलोचना .....

श्री रामस्वरूप वर्मा : पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक नॉमिनेटेड आदमी रहता है और मेरे पास यह निश्चित सूचना है कि उसने उन लोगों को सबसे अधिक मार्क दिया है, जो गलत तरीके से गये हैं।

श्री अर्जुनसिंह : ऐसा मालूम होता है जब वह मार्क दे रहे। तो आप वहाँ बैठे थे?

श्री रामस्वरूप वर्मा : आप मार्क-लिस्ट अगर यहाँ रखें तो मेरे पास निश्चित सूचना है कि आपके डिपार्टमेंट के जो आदमी गये हैं उनको सबसे अधिक मार्क मिला है।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो साधारण प्रक्रिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हर डिपार्टमेंट से एक एक्सपर्ट जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा : थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास में कैसे चला गया?

श्री अर्जुनसिंह : मैं कहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने किस आधार पर किया, किस आधार पर उनको मार्क्स दिये यह शासन न कभी पूछता है न मैंने कभी पूछा। उन्होंने एक लिस्ट भेजी और फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट वेटिंग की भेजी।

श्री रामस्वरूप वर्मा : क्लास फर्स्ट के लिये कम क्वालिफिकेशन और क्लास सेकण्ड के लिए अधिक क्वालिफिकेशन रखने का क्या कारण है यह तो शासन ही तय करता है?

श्री अर्जुनसिंह : क्लास सेकण्ड में ज्यादा पोस्ट्स थीं। मैं चाहता था कि हमारे जो छात्र पढ़-पढ़ाकर आये हैं उनमें से कम्पीटीशन करके, उनमें जो सबसे अच्छे हों, उनको लें और जो एग्रीकल्चर असिस्टेण्ट के स्तर से ऊपर भरती हो जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, चूँकि वह पोस्ट फर्स्ट क्लास की थी उसके लिए यह तरीका अपनाया गया। क्लास फर्स्ट के लिये कभी भी डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। अपने प्रदेश में काम करने वाले या जो अनुभवी व्यक्ति हों वह इसमें आ सकें, इसके पीछे केवल एक ही बात थी और आप जो संकेत कर रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिये बी.एस.-सी. की क्वालीफिकेशन डाली गई, मैं कहता हूँ कि वह एम.एस.-सी. (एग्री.) है, बी.एस-सी. की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने व्यापक रूप से एक तस्वीर खींचने की कोशिश की (उसके संबंध में दो शब्द कहना चाहूँगा। आपको यह बताना चाहता हूँ) कि इस प्रदेश में मुख्य मंत्री, उनका मंत्रिमंडल और यह पूरा दल एक तरह से उन सभी सर्वमान्य सिद्धान्तों से, उन सभी सर्वमान्य आस्थाओं से जिनके बल पर प्रजातंत्र चलता है उनका हनन करने के लिये तुला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह तो आने वाले दिन बतायेंगे कि जिस समय इस प्रदेश के बहुत से लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और न किसी दल का नाम लेना चाहता हूँ, जिस समय उन लोगों ने प्रजातंत्र में संयम, सहनशीलता और सहिष्णुता की हमें उतनी ही आवश्यकता है तो इन तीनों को भंग कर और तलाक देकर इस प्रदेश में कुछ एक ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की कि जिससे उनको तात्कालिक राजनैतिक लाभ भले ही होता लेकिन उसने देश को एक जबरदस्त धक्का पहुँचता, तो अध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में काँग्रेस ने देश में प्रजातंत्र की रक्षा की है, उसका हनन नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, बीच में तिवारी जी ने अपनी एक इच्छा जाहिर की है। मनोवैज्ञानिक लोग इसको कोई दूसरी संज्ञा देंगे और वह तो स्वयं इसके वेत्ता हैं पढ़े-लिखे हैं कहते हैं। ईश्वर करे मेरा नसीब न हो कि मैं आपका मुख्यमंत्री के रूप में भाषण सुनूँ। अध्यक्ष महोदय, डकोरिस्ट नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है और मैं कहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं सुनना चाहते तो मैं भी कहता हूँ कि पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना आज भी सचेष्ट रहे और चुनाव के बाद भी सचेष्ट रहेगी और वह मुख्यमंत्रित्व करेंगे। यदि आपको मुख्यमंत्री के रूप में सुनने की इच्छा नहीं है तो मैं भी इसकी पूर्ति करूँगा और आशा करूँगा कि आप भी इस विधानसभा के सदस्य के रूप में न आयें.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं उनको मुख्य मंत्री के रूप में देखना पसन्द करूँगा यदि वह मायनस अर्जुनसिंह हों और मैं उसके लिये स्वयं कोशिश करूँगा .....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 28 दिसंबर 1966, पृष्ठ - 1656-1662)

शासकीय कर्मचारी समाज के प्रमुख अंग हैं। उन्हें अपनी कठिनाईयों के निराकरण के लिए संगठित होने के साथ ही समाज के प्रति अपने दायित्व एवं समाज की वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए।

— अर्जुनसिंह
(24 जनवरी, 1974)



1987

1967

मध्यप्रदेश की चौथी विधानसभा के पहले सत्र में श्री अर्जुनसिंह नहीं थे। वे आम चुनाव में श्री चन्द्रप्रताप तिवारी से चुरहट विधानसभा क्षेत्र में पराजित हो गये।

विधानसभा की पहली बैठक 23 मार्च 1967 को सामयिक अध्यक्ष श्री रत्नाकर झा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। नये सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र कटंगी से विजयी हुए थे। 24 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के पहले आठ सदस्यों ने शपथ ली, इनमें उमरिया से विजयी होकर आये श्री रणविजय प्रतापसिंह भी शामिल थे। उन्होंने सदन की सदस्यता की शपथ लेने के तुरन्त बाद विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

यह सूचना पाकर सदस्य श्री रमेशचन्द्र दुबे ने कहा— "उन्होंने अपने आप त्याग नहीं किया है। अर्जुनसिंह जी को जिताने के लिये श्री रणविजय प्रतापसिंह से त्याग कराया गया है। हम अर्जुनसिंह को फिर हरायेंगे।"

श्री अर्जुनसिंह उमरिया चुनाव क्षेत्र से काँग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। उन्हें योजना और विकास मंत्री का पद दिया गया। उन्होंने वर्षाकालीन सत्र में 4 जुलाई 1967 को अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे के सम्मुख सदन की सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

जनवरी से मार्च 1967 के बीच हुए राहत कार्यों पर सदस्य श्री मोहनलाल सेठिया ने तारांकित प्रश्न पूछा। इस पर हुए पूरक प्रश्न और योजना एवं विकास मंत्री श्री अर्जुनसिंह द्वारा दिये गये उत्तर यहाँ प्रस्तुत हैं —

2. श्री मोहनलाल सेठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राहत कार्यों पर किस-किस जिले में कितना-कितना रुपया माह जनवरी, फरवरी व मार्च 1967 में खर्च हुआ?

श्री अर्जुनसिंह (योजना एवं विकास मंत्री) : सूची संलग्न है।

श्री मोहनलाल सेठिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 38 जिलों में राहत कार्य खोले गये हैं तो केवल पाँच जिलों में ही न खोले जाने के क्या कारण हैं? क्या आधार हैं?

श्री अर्जुनसिंह : आधार उन जिलों की परिस्थिति है।

श्री मोहनलाल सेठिया : परिस्थिति कौन-सी है?

श्री अर्जुनसिंह : अभाव की परिस्थिति।

श्री मोहनलाल सेठिया : दमोह जिले में जनवरी मास में 33 लाख 12 हजार, फरवरी माह में 43 लाख 92 हजार और मार्च माह में 26 लाख 72 हजार। इस प्रकार से तीन माह में एक करोड़ छः लाख का काम करवाया गया है जबकि और जगह नहीं खोले गये तो ऐसी क्या अभाव की वहाँ स्थिति थी?

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ काम कराया जाता है वहाँ यह भी देखा जाता है कि अभाव की स्थिति है या नहीं और यह भी देखा जाता है कि लोग काम पर आते हैं या नहीं। और ये जो 1 करोड़ 92 हजार रुपया है यह केवल तीन माह का ही नहीं है इसमें वह रकम भी शामिल है जो पहले की थी और एडजस्ट नहीं हो सकी थी।

श्री मोहनलाल सेठिया : झाबुआ जिले में सबसे कम राहत के कार्य खोले गये जबकि दमोह जिले में

सबसे अधिक खोले गये जबकि परिस्थिति तो यह है कि झाबुआ जिले की तो सबसे अधिक भयंकर स्थिति थी?

श्री अर्जुनसिंह : तुलनात्मक ढंग से राहत कार्य नहीं खोले जाते बल्कि अलग-अलग कमिश्नर और कलेक्टर स्थिति का सिंहावलोकन करते हैं उनकी रिपोर्ट पर राहत कार्य खोले जाते हैं। मैं नहीं कह सकता कि झाबुआ जिले में क्यों नहीं खोले गये?

श्री मोहनलाल सेठिया : वह पहले गुरुजी का क्षेत्र था और चुनाव के कारण ही तो दमोह में ये अधिक कार्य नहीं खोले गये हैं?

अध्यक्ष : नहीं यह प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। पर्सनल (व्यक्तिगत) चीज यहाँ नियमों के अनुसार नहीं कही जा सकती।

श्री सूर्यदेव शर्मा : यह तो एक सीधी-सी बात है। अध्यक्ष महोदय, इसमें पर्सनलिटी कहाँ से घुसड़ गई?

श्री रामहित : अध्यक्ष महोदय, फरवरी मार्च में तो इतनी अभाव की स्थिति थी कि 11 लाख 89 हजार का कार्य कर डाला और उसके बाद ही वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि कार्य बन्द कर दिए गये?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने बताया कि यह सारी रकम तीन ही महीनों की नहीं है बल्कि पिछले महीनों की भी एडजस्ट की गई है।

श्री रामहित : केवल मार्च महीने के जो फिगर्स हैं, मैं समझता हूँ कि बाद में 1 बटा 10 भी मजदूर वहाँ नहीं लगाये गये। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि पुनः वहाँ कब से कार्य चालू किए जायेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ आवश्यकता होगी अवश्य शुरू किए जायेंगे।

श्री रामहित : अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि आवश्यकता होगी तो शुरू किए जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन-सी बात है कि मार्च तक तो आवश्यकता थी और मार्च के बाद आवश्यकता है या नहीं यह देखा जायेगा। किस पर से वे समझते हैं कि आवश्यकता नहीं भी रह सकती है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का आरोप बिलकुल निराधार है। मार्च महीने में फसल कटने का समय आ जाता है जिसके कारण मजदूर खाली हो जाते हैं इसलिए ऐसा जाहिर करना गलत है कि यह सब जानबूझ कर हम कर रहे हैं। इसमें दो मत नहीं है कि जहाँ पर आवश्यकता समझी जाती है राहत कार्य खोले जाते हैं।

श्री रामहित : किसी भी जिले के अन्दर एम.एल.ए. को राहत कमेटी के अन्दर नहीं रखा गया है?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने राहत कमेटी नहीं कहा, जिला सलाहकार समिति (डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी) कहा है।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहूँगा, प्रश्न के उत्तर में रीवा जिले के संबंध में कहा गया है कि सूचना उपलब्ध नहीं हुई है जबकि पिछले सत्र में 5 अप्रैल को जनवरी-फरवरी की जानकारी दी गई थी, अब यह उत्तर दिया गया है कि सूचना उपलब्ध नहीं है। इसका क्या कारण है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इसको देख लूँगा। शास्त्री जी मुझे यह जानकारी दे दें कि कौन-सा प्रश्न था?

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : 5 अप्रैल को पूछा गया था प्रश्न 5, क्रमांक 189 के उत्तर में दिया गया था कि जनवरी-फरवरी में रीवा जिले में कितना खर्च हुआ है। अब बताया है कि सूचना नहीं आई है, यह गलत जानकारी क्यों दी जा रही है। एक मर्तबा बताया गया अब तथ्यों को क्यों छिपाया जा रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : सदन में जानकारी छुपाने का सवाल नहीं है क्योंकि एक मर्तबा सदन में बताया गया है इसलिए छुपाने का कोई प्रश्न नहीं है। गलती हुई है मैं यह मानता हूँ।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : अब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। शहडोल जिले का अपूर्ण उत्तर दिया है। 5 अप्रैल को जानकारी दी गई थी, आज शहडोल जिले के संबंध में जानकारी नहीं दी है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं गलती स्वीकार करता हूँ।

श्री कृष्णकुमार नूतन : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि विदिशा जिले में तुषार के कारण गेहूँ और चना की फसल 12 और 15 आना खराब हो जाने से शासन ने लगान माफ किया था ऐसी स्थिति को देखते हुए भी वहाँ राहत कार्य क्यों नहीं खोले गये?

श्री अर्जुनसिंह : पूरे स्थानों के संबंध में इस समय कैसे क्या स्थिति रही है, कैसे बता सकता हूँ, यदि

आप चाहेंगे तो मैं आपको सूचना दे दूँगा।

श्री कृष्णकुमार नूतन : क्या आप जानकारी पटल पर रख देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : आपने पूछा है आपको बता दूँगा, पटल पर रखने का सवाल नहीं है।

श्री कल्याण जैन : मंत्री जी ने जो रकम के एडजस्टमेंट की बात कही थी क्या मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं दी गई थी?

श्री अर्जुनसिंह : मजदूरी का सवाल नहीं है हिसाब के बुकिंग का सवाल है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सूची में जो बताया गया है वह बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उनको देखने से पता लगता है कि किसी आधार को मान कर राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। सरगुजा जिले की आबादी $3_{1/2}$ लाख की है और सरगुजा की आबादी 1 लाख की है। फिर यह राहत कार्य दमोह में इतनी अधिक मात्रा में क्यों खोले गये हैं। आँकड़े स्पष्ट बताते हैं कि सरगुजा की भी परिस्थिति भयंकर थी, वहाँ पर भी राहत कार्यों को अधिक से अधिक संख्या में खोला जाना चाहिये था। पिछली साल भी वहाँ की बड़ी भयंकर परिस्थिति थी फिर भी उस ओर अधिक ध्यान न देते हुये दमोह में इतने अधिक राहत कार्य क्यों खोले गये हैं?

श्री अर्जुनसिंह : आँकड़ों से आपने यह इन्फरेन्स ड्रा किया है और दूसरा कोई और दूसरा इन्फरेन्स ड्रा कर सकता है। किस स्थान पर क्या आवश्यकता है वहाँ पर क्या कार्य किया जाना चाहिए इसके लिए राज्य शासन यहाँ से कोई आदेश नहीं देता है जो भी स्थानीय अधिकारी रहते हैं वे स्वयं चाहें जितना काम कर सकते हैं, यह तो कलेक्टर पर निर्भर रहता है कि वह जितना काम चाहे कर ले। स्थानीय अधिकारियों के विवेक पर ही निर्भर करता है कि वे वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर राहत कार्य करायें।

Book No.....
Date.....
26923

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सरगुजा में लाखों लोग भूखों मर रहे हैं, वहाँ की स्थिति पहले से ही बड़ी भयंकर थी। वहाँ की आबादी दस लाख है और बहुत बड़ा जिला है। दमोह जो उसका एक बटा तीन भाग भी नहीं वहाँ पर 13 लाख रुपया खर्च किया गया है और सरगुजा में चार लाख 85 हजार खर्च किया गया है। अगर वहाँ के कलेक्टर ने कोई कार्य नहीं किया था तो क्या आपका भी यह कर्तव्य नहीं था कि आप उस ओर ध्यान देते?

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि राहत कार्य आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि मजदूरों का अभाव दूर करने के लिए खोले जाते हैं। जहाँ पर जितने मजदूर मिले हमने वहाँ पर उतने ही राहत कार्य खोले हैं। जहाँ पर मजदूर नहीं मिले हैं वहाँ पर राहत कार्य कम खोले गये हैं। आप जहाँ पर ऐसी जरूरत समझते हैं वहाँ पर आप मजदूर दिलाईये वहाँ पर काम खोले जायेंगे।

श्री मुल्तानमल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो बात श्री तामोट जी ने कही है वह सही नहीं। वे इस प्रकार की बात कह कर सदन को मुगालते में डालना चाहते हैं। मैं आपको चन्देरी की हालत बताता हूँ, वहाँ पर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और लोग भूखों मर रहे हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। तामोट जी ने जो अभी कहा है वह बिलकुल झूठ है। इस प्रकार की गलत बात सदन में उनको नहीं कहना चाहिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं अब व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। जबकि श्री गुरुजी का विभाग श्री अर्जुनसिंह जी देख रहे हैं और वे उसका उत्तर दे रहे हैं तो फिर इस प्रकार से बीच में उठकर श्री तामोट जी ने जो इंटरफियेरेन्स किया है क्या यह करना उचित है?

श्री गुलाबचन्द तामोट : आप शायद यह तो जानते होंगे कि ज्वाइन्ट रिस्पान्सिबिलिटि है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यह तो बिलकुल इररिस्पान्सिबिलिटी है।

अध्यक्ष : ज्वाइन्ट रिस्पान्सिबिलिटी तो ठीक है लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मंत्री महोदय हैं वे अपने विभाग के कार्य को अच्छी तरह से समझ रहे हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब तामोट जी इस तरफ थे तब भी अध्यक्ष को कुछ नहीं समझते थे और अब भी कुछ नहीं समझते हैं इनमें कुछ फर्क नहीं आया है।

श्री अर्जुनसिंह : आँकड़ों को देखकर यह बतायें कि वहाँ की कैसी परिस्थिति थी उसी हिसाब से राहत कार्य खोले जाते हैं, इन्फरेन्स ही किया है। यह बात दूसरी है। जहाँ तक वर्तमान प्रश्न का संबंध है उसमें दमोह तथा

सरगुजा की तुलना नहीं की जा सकती। आपको मालूम है सरगुजा जिले में अकाल की हालत इस साल हुई है और पहले हालत वहाँ अच्छी थी इसलिए वहाँ आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई थी और ज्यों-ज्यों काम वहाँ बढ़ता गया त्यों-त्यों काम खोले गये लेकिन दमोह की स्थिति इससे भिन्न थी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मेरा निवेदन है कि आँकड़े और तथ्य ऐसे हैं जिससे स्पष्ट है कि दमोह में अनड्यू खर्च किया गया है। आप कहते हैं कि सरगुजा में इस साल ही अकाल की स्थिति थी, लेकिन 1966 की बरसात के बाद अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर सब महीने वहाँ अभाव था और सरगुजा के अलावा रीवा में तो बहुत पहले से अकाल चला आ रहा है तो आप केवल लोकल अधिकारियों के विश्वास पर नहीं चल सकते। आप इसको क्यों नहीं स्वीकार करते कि दमोह में बिना कारण खर्च किया गया? सरगुजा में बरसात के 6 महीने बाद क्या होता रहा?

श्री अर्जुनसिंह : यह आपका निष्कर्ष है, मैं क्या कह सकता हूँ।

श्री सूर्यदेव शर्मा : पक्षपात और बेईमानी का उत्तर क्या हो सकता है?

श्री कल्याण जैन : आपका कहना है कि जहाँ जरूरत है वहाँ राहत कार्य खोले गये। हमारे इन्दौर में बहुत से मजदूर बेकार पड़े हैं जिसको श्री गंगाराम तिवारी भी जो बगल में बैठे हैं जानते हैं वहाँ पर 1 लाख खर्च किया गया और दमोह में 35 लाख खर्च किया गया।

श्री अर्जुनसिंह : अभाव की परिस्थिति भिन्न-भिन्न होती है, वैसे तो अभाव सभी जगह है और भिन्न-भिन्न परिस्थिति का सामना भिन्न तरीके से होता है।

श्री शीतला सहाय : श्रीमान् मेरा माइक काम नहीं करता है। अभी मंत्री महोदय ने बताया कि लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर काम छोड़ दिया जाता है। मेरे यहाँ ग्वालियर जिले का कलेक्टर तो कहता है कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जबकि वास्तव में परिस्थिति ऐसी है और सरकार उससे मुँह नहीं मोड़ सकती। कोई बात नोटिस में आती भी है तो आप स्थानीय प्रशासन के आधार पर काम नहीं खोलते तो फिर क्या कोई इसके अतिरिक्त भी साधन है जिससे आप पता लगा सकें कि वहाँ वास्तव में ऐसी परिस्थिति है या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : सूचना माननीय सदस्य या कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्ता दे सकता है और उस पर विचार किया जाता है लेकिन शासन स्थानीय प्रशासन पर ही निर्भर रहता है यह बात गलत है। हम सबकी तुलना करके देखते हैं।

श्री शीतला सहाय : क्या आपको ऐसी जानकारी नहीं है कि ग्वालियर संभाग में सूखा की स्थिति है और किसान परेशान हैं, वह रोजगार ढूँढने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं दिया जाता है। जिले में राहत कार्य शुरू नहीं किये गये जिससे कि लोगों को राहत मिल सके?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभाव की परिस्थिति सब जगह कुछ न कुछ रहती है लेकिन जिन परिस्थितियों में शासन को विशेष रूप से प्रयत्न करना पड़ता है वह परिस्थिति दूसरी ही होती है। उन परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जितनी हालत और जिलों की खराब थी उतनी ग्वालियर की नहीं थी।

श्री वसन्तराव प्रधान : आपने कहा है कि दमोह की परिस्थिति भयंकर थी इसलिये वहाँ पर ज्यादा खर्च हुआ है तो क्या अन्य किसी जिले की इतनी भयंकर परिस्थिति नहीं थी?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैं पहले सखलेचा जी को दे चुका हूँ।

श्री गोवर्धनदास खण्डेलवाल : क्या आपने अकाल की परिस्थिति के बारे में कोई बेसिस फिक्स किया था जिसके आधार पर यह निश्चय किया कि कहाँ पर अकाल ज्यादा है और कहाँ पर कम है? अकाल के लिये आपने जिलों की कोई प्रायर्टी फिक्स की थी और उसके अनुसार पैसा खर्च किया?

श्री अर्जुनसिंह : अकाल की परिस्थिति किस जिले में कितनी है यह वहाँ के अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया और अकाल की परिस्थिति के अनुसार काम कराना स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ दिया गया।

श्री गोवर्धनदास खण्डेलवाल : क्या आपके पास यह जानकारी नहीं है कि किस-किस जिले में कितना-कितना अकाल है?

श्री सूर्यदेव शर्मा : यह मंत्री लेट हुए हैं इसलिये इनके पास पूरी जानकारी नहीं है। मंत्री जी का यह कहना

गलत है कि अधिकारियों को खर्च करने की छूट थी। हमारे दतिया का कलेक्टर रो रहा था और कहता था कि हम पैसा माँग रहे हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा है। दमोह के लिये लाखों रुपया मिल गया। गुरुजी को राष्ट्रपति पदक दिया जाना चाहिये कि उन्होंने अपने यहाँ लाखों रुपया खर्च करा दिया।

श्री खुमानसिंह : मंत्री जी बार-बार सदन में कह रहे हैं कि जिलों से जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर कार्य करते हैं तो मंत्री जी बतायेंगे कि सतना और दमोह की रिपोर्ट क्या आई?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास वह रिपोर्ट नहीं है, देखकर उत्तर दे सकता हूँ।

{11 बजकर 18 मिनट पर उपाध्यक्ष महोदय (श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव) पीठासीन हुए}

श्री खुमानसिंह : आपने बार-बार सदन में यह बताया है कि जिलों से जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर कार्य किये गये तो सरगुजा व दमोह की रिपोर्ट आप सदन की टेबिल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ।

श्री खुमानसिंह : अध्यक्ष महोदय, लगभग 20 मिनट से यह प्रश्न चल रहा है और मंत्री जी बार-बार यही कह रहे हैं कि जिलों की रिपोर्ट के आधार पर कार्य किये गये तो सरगुजा व दमोह के कलेक्टर्स की जो रिपोर्ट आई उनको सदन की टेबिल पर रखने की कृपा करें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं रिपोर्ट देखने के बाद ही निर्णय कर सकता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बिना रिपोर्ट के सदन में उत्तर कैसे दे रहे हैं। जब रिपोर्ट के आधार पर ही काम खोले गये तो रिपोर्ट को सदन की टेबिल पर रख दीजिये?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रक्रिया है उसके अनुसार मैं उत्तर दे रहा हूँ कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। मैं रिपोर्ट देखकर ही बता सकता हूँ कि उसको सदन की टेबिल पर रख सकूँगा अथवा नहीं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सदन की टेबिल पर रिपोर्ट रखने में आपको क्या आपत्ति है? जो तथ्य है उसको छिपाने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप तो दोनों जिलों की रिपोर्ट सदन की टेबिल पर रख दीजिये, सदन निर्णय करेगा कि रिपोर्ट के अनुसार काम हुआ या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं इस पर अन्तिम रूप से कुछ नहीं कह सकता।

श्री गोवर्धनदास खंडेलवाल: अध्यक्ष महोदय, राज्य कोष के धन का दुरुपयोग किया जाता है। जहाँ अकाल की परिस्थितियाँ नहीं हैं वहाँ तो रुपया खर्च किया जाता है। बैतूल में हजारों मजदूर बेकार हैं, मैं इसका प्रमाण बतला सकता हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि अभी मा. मन्त्री जी ने बताया कि जो रिपोर्ट आई है उसको वे पटल पर रखने से आनाकानी कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूँगा कि ऐसी रिपोर्ट हैं जिसके आधार पर आप सदन में जवाब दे रहे हैं तो उस डाकूमेंट को आप सदन में कैसे छिपा सकते हैं। आप आनाकानी नहीं कर सकते। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूँगा कि अगर वह कहें कि वह सीक्रेट है तो बात अलग है, वरना उनको वह रिपोर्ट पटल पर रखना चाहिए, वे समझदार मन्त्री हैं ऐसा नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष : जो माननीय तिवारी जी ने औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था यह है कि अध्यक्ष किसी माननीय मंत्री को किसी प्रकार के उत्तर देने के लिए या रिपोर्ट पटल पर रखने के लिये मजबूर नहीं कर सकता। रिपोर्ट उपस्थित करना न करना यह स्वेच्छा की बात है, मैं उनको कोई निर्देश नहीं दे सकता।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं श्रीमान् से निवेदन करूँगा जो आपने व्यवस्था दी है वह तो सामान्य प्रकार की और अपनी जगह पर सही है। सदन के प्रत्येक सदस्य को प्रश्न का उत्तर पाने का अधिकार है। यदि कोई बात जनहित की है तो आप उसे रोक सकते हैं, नहीं तो आप रोक नहीं सकते।

श्री सूर्यदेव शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी की स्वेच्छाचारिता पर यदि आप नियन्त्रण नहीं रख सकते, यह बात तो समझ में नहीं आई, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जो आपने व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है, आमतौर से आपने जो बात कही है वह अपनी जगह पर सही है लेकिन जो खास प्रसंग है, उस पर, मैं श्रीमान् से निवेदन

करूँगा कि वे विचार करें और अपनी व्यवस्था दें। केन्द्रीय सरकार से जो खतोकिताबत होता है वह गुप्त होता है, उसको भी हमने पटल पर रखवा लिया है, यह तो मामूली कलेक्टर की रिपोर्ट है, इसका तो कोई सवाल नहीं है। परन्तु सदन की परम्परा को ध्यान में रखते हुए, श्रीमान् इसकी ओर उचित ध्यान देंगे तो अच्छा होगा।

श्री सूर्यदेव शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस तरह से मन्त्रियों से डरते हैं, मामूली-सी कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं रखवा सकते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा?

श्री खुमानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि सरगुजा और दमोह की रिपोर्ट क्या है तो आपने बताया कि मैं देखकर बताऊँगा तो मैंने उनसे कहा कि आप दोनों रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे, यही मैंने उनसे प्रश्न किया।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं रखूँगा और न मैंने कहा कि रखूँगा, मैंने तो यह कहा कि मैं देखकर बताऊँगा और देखकर ही निर्णय ले सकूँगा, मैंने इतना ही तो कहा था।

श्री मोहनलाल सेठिया : आप तो हैडमास्टर से पूछेंगे, तब उत्तर देंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह अधिकार शासन का नहीं है, वह तो रखना ही होगा जब आप एक बार रिपोर्ट का रेफरेन्स देते हैं तो वह अधिकार खत्म हो जाता है। आप और मन्त्री जी दोनों ही योग्य व्यक्ति हैं उपाध्यक्ष महोदय, केवल मुझे यही चीज खटक रही है, श्रीमान् कोई आर्डर नहीं देते हैं, मुझे तकलीफ हो रही है।

उपाध्यक्ष : मुझे तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है। मन्त्री जी ने तो यह कहा है कि देखने के पश्चात् वे निर्णय लेंगे और उसके बाद ही पेश करेंगे या नहीं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : फिर मेरी प्रार्थना करने का मतलब ही क्या रहा। उनको रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना पड़ेगी। या तो वे कहें कि जनहित में नहीं रखी जा सकती नहीं तो आप उन्हें कम्पैल करें कि वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं तिवारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि यह कोई बहुत मूल्यवान बात नहीं है कि रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जावे या नहीं क्योंकि जो महत्वपूर्ण कागजात होते हैं उनकी देखभाल, हिसाब-किताब की देखभाल लोक-लेखा समिति किया करती है, फिर मैं नहीं समझता कि आप जरा-सी बात के लिये क्यों आग्रह कर रहे हैं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह विषय तामोट साहब के लिए बिलकुल नहीं है। फिर क्यों टाँग अड़ा रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं टाँग नहीं अड़ा रहा हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप फालतू की बातें किया करते हैं। क्या इसी बात के लिए तामोट साहब को मन्त्रिमण्डल में लिया है?

श्री गुलाबचन्द तामोट : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बात पर एतराज है और मेरा औचित्य का प्रश्न है। ये गैर-जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। आप क्या आरोप लगायेंगे, आप पर मेरा आरोप है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप खुद अनुभव करेंगे कि आप कैसी फालतू बातें करते हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : आप स्वयं कितनी बार कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि अभी जो फालतू की बातें शब्द कहे गये इनको एक्सपंज किया जाये प्रोसीडिंग्ज़ से।

उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है, वह कहना माननीय सदस्य के लिए शोभनीय नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं बताता हूँ। मैंने विचार करके कहा है केवल ऐसे ही नहीं कहा है। अभी तामोट साहब ने सदन के सामने कहा है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी जाँच करती है।

उपाध्यक्ष : आपने जो असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है वह आपके लिए शोभनीय नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : ये असंसदीय शब्द नहीं हैं, जिस विषय पर प्रश्नोत्तर चल रहे हैं और मन्त्री जी ने उत्तर दिया, इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि किसी अन्दाज के आधार पर किसी मन्त्री को इन्टरफियर नहीं करना चाहिये। मैं आपका ध्यान प्रश्न 3 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रश्न 3 इस प्रकार है कि (क) क्या यह सच है कि दमोह, रीवा तथा सीधी जिलों में की फसल अनावृष्टि के

कारण 1966-67 की खरीफ व रबी में नष्ट हो गई? (ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक जिलों में औसत उपज एक रुपये में कितने पैसे की हुई? इस पर अर्जुनसिंह ने उत्तर में बताया कि :—

(क) दमोह..... खरीफ 0.39 पैसे रबी 0.48 पैसे

मन्त्री जी कह रहे हैं कि सन् 66 में दमोह में अकाल नहीं था, लेकिन अब सदन के अन्दर गलत उत्तर दे रहे हैं, तो सदन की परम्परा के अनुकूल और शोभनीय नहीं है।

उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : प्रश्न 3 के उत्तर में.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। पहले मेरी बात पर निर्णय हो जाये तब फिर दूसरी का निर्णय होना चाहिये। मैं चाहूँगा कि जो फालतू शब्द कहा है उस पर व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री वीरेन्दरकुमार सखलेचा : इंटरफियर करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष : मैंने अपना निर्णय दे दिया है कि वह शब्द असंसदीय है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय सखलेचा जी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस संदर्भ में आपने पूछा उसके संदर्भ में उत्तर दिया। आपने सरगुजा का उल्लेख किया और उसके संदर्भ में आपने दमोह का प्रश्न उठाया तो उसका उत्तर दिया।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैंने रीवा के बारे में पूछा था। अन्य जिलों में अन्न का ज्यादा अभाव है और उस कारण से ज्यादा खर्च किया, इसलिये मेरा कहना है कि जो सही जवाब हो वही देना चाहिये।

उपाध्यक्ष : आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : इस प्रश्न 3 के उत्तर में आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि रीवा जिले की अधिक फसल को हानि हुई है। ऐसी हालत में आपने दमोह में सन् 66 में 39 पैसे और 48 पैसे खरीफ और रबी की उपज बताई है। तो आपने वहाँ पर इतना रुपया क्यों खर्च किया।

श्री अर्जुनसिंह : रुपया खर्च करने का मापदण्ड आप न बनायें। जहाँ मजदूर ज्यादा आते हैं वहाँ पर ज्यादा खर्च होगा। पैसों के सम्बन्ध में क्यों रिलेटिव जोड़ते हैं? मैं कहता हूँ कि रीवा में स्केयरसिटी नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपने स्वयं कहा कि अकाल और अभाव की स्थिति में राहत कार्य खोले जाते हैं तो क्या इसके लिये कोई मापदण्ड नहीं है?

श्री अर्जुनसिंह : मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अभाव की परिस्थिति में शासन कार्य खोलता है, केपेसिटी कितनी है, कितना पैसा खर्च हो रहा है यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने तामोट जी के बारे में यह व्यवस्था क्या दी है?

उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 4 जुलाई 1967, पृष्ठ- 94-103)

बुधवार, 19 जुलाई 1967। समय 3 बजे। कुछ काँग्रेसी सदस्यों द्वारा काँग्रेस पक्ष से त्याग-पत्र देकर विरोधी पक्ष में शामिल होने की सूचना सदन को प्राप्त हुई। विरोधी दल की तरफ़ से बार-बार मेजें थपथपायी जा रही थीं। सदस्य श्री बृजलाल वर्मा (बालोदा बाजार) काँग्रेस छोड़ रहे 36 विधायकों के नाम पढ़कर सुना रहे हैं— श्री गोविन्द नारायण सिंह, श्री रत्नाकर झा, श्री रामचरण राय, श्री बृजलाल वर्मा, श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, श्री शशिभूषण सिंह, श्री गणेशराम अनन्त, श्री प्रतापलाल बिसेन, श्री हेतराम दुबे, श्री पछीता, श्री दिग्पाल शाह, श्री थानसिंह, श्री झंकार सिंह, श्री देवीलाल शर्मा, श्री बलवन्त, श्री धर्मपाल सिंह गुप्त, श्री बिसाहू दास महन्त, श्री फतेह भानुसिंह चौहान, श्री धन्नालाल चौधरी, श्री भँवरसिंह, श्री वासुदेव चन्द्राकर, श्री प्रभुदयाल गहलोत, श्री विश्वेश्वर प्रसाद, श्री केजूराम, श्री हटेसिंह, श्री अजमेर सिंह, श्री विपिनलाल पटेल, श्री नरबदाप्रसाद

श्रीवास्तव, श्री अनोप सिंह, श्री कन्हैयालाल शर्मा, श्री लछमनदास, श्री विजयसिंह, श्री महिपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री गोपालशरण सिंह और चन्द्रचूड़ प्रसाद सिंह।

विरोधी दल के सदस्य अध्यक्ष से यह कहते हैं कि किसी भी विषय पर मतदान करवा लीजिये, शक्ति परीक्षण हो जायेगा।

इसके बाद 1967-68 के आय-व्ययक की माँगों के अन्तर्गत शिक्षा विभाग की माँगों पर चर्चा शुरू होती है। सदन में आरोपों-प्रत्यारोपों के कारण भारी व्यवधान उपस्थित होता है। अगले दिन के लिए कार्रवाई स्थगित हो जाती है।

20 जुलाई को श्री काशीप्रसाद पाण्डे की अध्यक्षता में सभा फिर प्रारम्भ हुई और राज्यपाल श्री के.सी. रेड्डी के आदेशानुसार सत्रावसान की घोषणा हुई।

वर्ष का तीसरा सत्र 28 जुलाई 67 को पुनः प्रारम्भ हुआ। पूरे दिन बार-बार व्यवधान के बीच काँग्रेस छोड़ने विषयक चर्चा चलती रही। 29 जुलाई को शिक्षा विभाग की माँगों पर चर्चा का जवाब शिक्षा मंत्री श्री परमानन्द भाई पटेल ने दिया। शिक्षा विभाग की इकतीस करोड़, सत्ताइस लाख, बाइस हजार की माँगों पर मत विभाजन हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 137 और विपक्ष में 153 मत पड़े। जाहिर प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। 30 जुलाई को रविवार की छुट्टी थी।

सोमवार 31 जुलाई 1967 को मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री गोविन्द नारायण सिंह प्रदेश के नये मुख्यमंत्री बने। श्री काशीप्रसाद पाण्डे ने विधानसभा के अध्यक्ष पद से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया। नये मुख्यमंत्री ने उनसे निवेदन किया कि वे इस्तीफा वापस ले लें।

इसी दिन नये वित्तमंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा ने लेखानुदान प्रस्तुत किया। इस पर हुई चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं जिसमें उमरिया से चुनकर आये श्री अर्जुनसिंह ने भी अपने विचार प्रकट किये —

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य का 1967-68 का अंतरिम बजट अनुमान विधानसभा को मार्च 1967 में पिछली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था और अप्रेल से जुलाई, 1967 तक के चार महीनों की अवधि के व्यय की पूर्ति करने के लिए लेखानुदान लिया गया था, बाद में 3 जुलाई 1967 को वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान इस सम्मानीय सदन के समक्ष रखा गया था। यह पुनरीक्षित बजट जिन कारणों से पारित नहीं हो सका वे माननीय सदस्यों को पहले ही ज्ञात है।

चूँकि वर्तमान सरकार ने अभी ही कार्यभार ग्रहण किया है, इसलिये उसे 1967-68 के पुनरीक्षित बजट अनुमान का विस्तृत परीक्षण करने का समय नहीं मिल पाया। इस परीक्षण को सरकार यथासमय पूरा कर लेगी और तब पूर्ण वर्ष के लिये अनुदान प्राप्त करने के हेतु संशोधित बजट अनुमान विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी। चूँकि मार्च में लिए गये लेखानुदान की अवधि कल समाप्त हो रही है, इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि द्वितीय लेखानुदान अतिशीघ्र प्राप्त किया जाये ताकि राज्य की संचित निधि में से व्यय कर सकने की असमर्थता के कारण लोक सेवा में कठिनाई उत्पन्न न हो।

अतएव, मैं अगस्त से नवम्बर, 1967 तक के चार महीनों की अवधि के लिये द्वितीय लेखानुदान प्राप्त करने के हेतु माँगों तथा विनियोगों की अनुसूची प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेखानुदान के लिये अपेक्षित 1,70,46,90,000 रुपये की राशि का अनुमान लगाते समय मैंने पुनरीक्षित बजट अनुमान में दर्शाई गई 1967-68 के लिये 4,50,87,73,700 रुपये की सम्पूर्ण आवश्यकता अप्रैल से जुलाई 1967 तक की अवधि के प्रथम लेखानुदान के द्वारा प्राप्त की गई 1,50,77,20,000 रुपये की राशि, आकस्मिकता, निधि से पहले ही स्वीकृत किये जा चुके अग्रिम जिनकी कि आपूर्ति की जाना है, तथा नवीन व्यय की मदों संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। मुझे विवश हो कर ऐसा करना पड़ा है क्योंकि पूर्ण वर्ष के संशोधित अनुमान तैयार करने में कुछ समय लगेगा।

जय हिन्द

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के एक भाग अर्थात् दि. 1 अगस्त, 1967 से दिनांक 30 नवम्बर, 1967 तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से प्रथम लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि के अतिरिक्त, कुल 1,20,78,47,000 (एक अरब, बीस करोड़, अठहत्तर लाख सैंतालीस हजार) रुपये की धनराशि जिसमें पृथकतः वितरित माँगों तथा विनियोगों की अनुसूची के स्तम्भ 10 में दी हुई राशियाँ स्तम्भ दो में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित माँगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के एक भाग अर्थात् दिनांक 1 अगस्त, 1967 से दिनांक 30 नवम्बर, 1967 तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से पृथक् लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि के अतिरिक्त कुल 1,20,78,47,000 (एक अरब, बीस करोड़, अठहत्तर लाख, सैंतालीस हजार) रुपये की धनराशि जिसमें पृथक्तः वितरित माँगों तथा विनियोगों की अनुसूची के स्तम्भ 10 में दी गई राशियाँ स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित माँगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें।

इस प्रस्ताव पर अब चर्चा होगी। इस चर्चा के लिये मैं आज दो बजे दिन तक का समय नियत करता हूँ।

श्री कुन्जीलाल दुबे (जबलपुर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आशा यह थी कि यह लेखानुदान चार महीने का न होकर दो महीने का अधिक से अधिक होगा। दो महीने का पर्याप्त समय होता जिसमें कि वह बजट प्रस्तुत कर सकते थे। यह हम मानते हैं कि खर्च की स्वीकृति देना जरूरी है क्योंकि गवर्नर का शासन चलता ही रहना चाहिये इसका हमें कोई विरोध नहीं है। हम इस लेखानुदान का विरोध इस बिना पर ही कर रहे हैं कि जो समय इसके लिये लिया गया है वह अधिक है। इतने समय की आवश्यकता नहीं थी, वैसे हम सब इस पक्ष में हैं कि जो खर्चा जरूरी है वह मिलना ही चाहिये ताकि शासन चले। पर हमारा विरोध इस प्रकार है कि चार महीने का समय बहुत अधिक है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिये हम इस अवधि का विरोध करते।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हमारा इसके सम्बन्ध में यह निवेदन है कि श्रीमान् आपको और माननीय सदस्यों को जो विशेष परिस्थिति आज विद्यमान है और सबको अच्छी तरह से विदित है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी विशेष परिस्थिति जब नहीं थीं और जब आप सरकार के अन्दर थे तो चार महीने का वोट-ऑन-एकाउन्ट प्रस्तुत किया था। उस परिस्थिति में और आज की विशेष परिस्थिति जो विद्यमान है जबकि इतना सारा परिवर्तन हुआ। हम चार महीने का वोट-ऑन-एकाउन्ट स्वीकृत कर रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के उपनेता का भाषण मैंने सुना, थोड़ी हँसी भी आई जब उन्होंने कहा कि दो महीने का लेखानुदान लेने को। जैसा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी-अभी कहा कि जब आप गवर्नमेंट में थे तो साधारण परिस्थिति जो रहा करती थी तब भी आप चार महीने का लेखानुदान लाते थे, लेकिन आज सवाल यह है कि लेखानुदान के लिये अधिक से अधिक समय क्यों न लिया जाये, इसका भी एक कारण होता है और वह यह कि उसके बारे में माननीय सदस्यों को चर्चा करने का समय नहीं मिलता है। पूर्व शासन यदि चार महीने का समय लेता था तो यह आवश्यक नहीं कि माननीय वित्त मन्त्री जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि वे उनका उदाहरण न दोहरायें, वे उनका बिलकुल ही अनुकरण न करें। उन्हें जहाँ तक संभव हो अपने को काँग्रेस शासन से अधिक प्रगतिशील शासन बनावें। इसलिये आगे के लिये मैं उनसे निवेदन करूँगा कि काँग्रेस ने किया तो किया लेकिन आज की मजबूरी की परिस्थिति में चूँकि यह पहला मौका है इसलिये हम इसकी चार महीने की लेखानुदान की आलोचना नहीं करते किन्तु इसका भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चन्द्रप्रताप तिवारी जी को निश्चित रूप से यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमें चार महीने का वोट ऑन-एकाउन्ट बिलकुल नहीं लाना है। आज परिस्थिति में ही ऐसा हुआ है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में चर्चा के दौरान मैंने सोचा था कि हमारे काँग्रेस पक्ष के जो आज विरोधी पक्ष में हैं कुछ और बातें कहेंगे, कुछ रोशनी देंगे लेकिन ऐसी बात उन्होंने कुछ नहीं कही।

इसलिये सही माने में तो इस लेखानुदान पर चर्चा का प्रारम्भ यूँ कहिये कि हमी से करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि जो नया मंत्रिमंडल बना है उसका मैं हृदय से अभिवादन करना चाहता हूँ क्योंकि यह जनता की इच्छा थी, जनता की भावनाओं के अनुरूप जो यह एक रेडिकल चेन्ज हुआ है, यह एक जबरदस्त परिवर्तन है। जनता की भावनाओं के अनुकूल जो यह नया एक मन्त्रिमण्डल बना है, काँग्रेस विरोधी मन्त्रिमण्डल गैर-काँग्रेसी सरकार उसकी पूर्ति, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, जनता की भावनाओं की पूर्ति भी यह शासन करेगा, ऐसी अपेक्षाएँ जनता को उससे हैं और हम सब सदस्यों को भी हैं। मैं यह निवेदन करता हूँ कि वैसे तो न्यूनतम कार्यक्रम बनता ही रहता है और उस पर मन्त्रिमण्डल भी समय-समय पर विचार करता रहता है लेकिन अकाल की जो छाया हमारे प्रदेश में है और जिस अकाल की घोषणा करने में काँग्रेसी शासन ने इन्कार किया था मैं यह चाहता हूँ कि उस अकाल की घोषणा को यह शासन तत्काल करेगा ताकि जनता को यह दिखे कि काँग्रेसी सरकार ने तो इस संबंध में कुछ नहीं किया है लेकिन जो दूसरी गैर-काँग्रेसी सरकार आई है उसने इस संबंध में क्या किया है और सोचा है। अध्यक्ष महोदय, अभी एक जुल्ल काँग्रेस शासन द्वारा चुनाव के पूर्व छोड़ी गई थी, लगान की माफी की तो यह गैर-काँग्रेसी सरकार जो बनी है वह इस संबंध में देखेगी और सोचेगी और जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी और पूर्ण लगान माफी की ओर प्रयास करेगी ताकि गरीब किसानों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके तो इस संबंध में यह सरकार शीघ्र ही घोषणा करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नये मुख्यमन्त्री से विस्तृत तौर से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बहुत दिनों तक काँग्रेस में रहे हैं और जिस समय वे काँग्रेस में थे तो हम उनकी आलोचना किया करते थे लेकिन आज वे काँग्रेस छोड़कर विरोधी दल में आये तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और वे जो काँग्रेस छोड़कर विरोधी दल में आये तो उसके भी कारण हैं और कारण उसका यह है कि काँग्रेस की जो रीति-नीति थी उसका उसने पालन नहीं किया है और इसलिये उन्होंने काँग्रेस को छोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि काँग्रेसी सरकार ने पूरे देश के लिए समाजवादी कार्यक्रम स्वीकार किया है और लोकसभा में वह प्रस्ताव पास हुआ है इसलिए उस लोकसभा के प्रस्ताव से सभी शासन बँधे हैं और यह शासन भी बँधा है इसलिए मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो यह गैर काँग्रेसी सरकार है वह भी उस प्रस्ताव से मुक्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, समाजवादी कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्चतम कृषि जोत की भूमि का कानून भी आता है तो अनेक ऐसे चोर दरवाजे थे जिससे कि वास्तव में गरीब किसानों का भला नहीं हो पाया था इसलिये यदि यह गैर-काँग्रेसी सरकार इस संबंध में यदि कोई तरमीम करे जिससे कि भूमिहीन किसानों को भूमि मिल सके और जो बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने है उसके लिए यह शासन कोई ऐसा समाधान करेगा जिससे कि बेरोजगारों को एक निश्चित भत्ता मिल सके। अध्यक्ष महोदय, शासन तो बदलते ही रहते हैं और उसमें मध्यम जनता को खुशी होती है लेकिन सवाल यह होता है कि जो लोग वास्तव में भूखे मर रहे हैं, और जो अपनी रोटी अर्जन नहीं कर सकते हैं उनके लिए यह शासन रोटी-रोजी का प्रबन्ध करे वास्तव में वही सरकार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने वित्त मन्त्री महोदय से कि हो सकता है कि राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्तों से वह सहमत न हों फिर भी काँग्रेस ने जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया चलाई है उसको आप बंद नहीं करेंगे जैसे कि बसों का राष्ट्रीयकरण का सवाल है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, राईस के जो मिल हैं, राईस के जो किंग हैं जिन्होंने कि छत्तीसगढ़ में तमाम राईस को तबाह करके रख दिया है उस ओर यह शासन ध्यान देगा। मैं निवेदन करूँगा कि अभी बार-बार सवाल उठाया जाता रहा है कि मंत्री गड़बड़ करते हैं मेरा विश्वास है कि गैर काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल जो शपथ लेता है वह बारह घण्टे के अन्दर अपनी मौजूदा सम्पत्ति का हिसाब विधानसभा के समक्ष रखेगा और उसके बाद सालाना हिसाब भी विधानसभा में रखा करेगा अभी तक जो गोरखधंधा चलता था उसमें हिसाब मुख्यमंत्री जी को दिया जाता था। सास, पतोहू तक ही रहता था अब वह नहीं होना चाहिये वह हिसाब अब मन्त्रिमण्डल विधानसभा में रखे जिससे विधानसभा के सदस्यों को उसके अवलोकन करने का मौका मिल सके और मन्त्रिमण्डल में भ्रष्टाचार नहीं हो सके। अध्यक्ष महोदय, मनुष्य में फर्क नहीं होता, अच्छे और बुरे सभी दलों में होते हैं, यह कहना कि काँग्रेस में सभी बुरे हैं उचित नहीं है। कायदे-कानून मनुष्य को बुरा बनाते हैं। मैं इस मन्त्रिमण्डल से

यह निवेदन करूँगा कि वह ऐसे नियम बनावे जिससे मन्त्रियों को भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो, यदि मन्त्रियों में भ्रष्टाचार समाप्त हो सका तो फिर यह आप समझिये कि राज्य मन्त्रियों का हिसाब विधानसभा में प्रस्तुत करने से जितने ऑफीसर्स तथा अधिकारी हैं उन सब में भ्रष्टाचार, जो आज भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबे हैं, समाप्त हो जावेगा। पचास प्रतिशत भ्रष्टाचार केवल इतने से ही मिट जावेगा कि जिस दिन मन्त्रीगण अपना हिसाब यहाँ रखेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में यह कदम आवश्यक होगा यह मेरा सुझाव है।

जहाँ तक न्यूनतम कार्यक्रम पर बैठकर सोचने का प्रश्न है हमारे देश और इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है वह कृषि उत्पादन बढ़ाने की है। अभी तक जो सरकार बनी है वह इंग्लैंड और अमेरिका को ही फॉलो करती रही है उसने हिन्दुस्तान के खेतिहर किसान की ओर ध्यान नहीं दिया। वह संकर मक्का और ताईचुंग में ही भूला रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि हमें प्रॉयरिटी देना पड़ती है। प्रॉयरिटी में एक मात्र सिंचाई ही हो सकती है दूसरा कोई कार्य नहीं है। अगर सिंचाई के सम्बन्ध में इस शासन ने उच्च स्तर पर काम किया तो बीज खाद के बगैर भी हमारी कृषि बढ़ सकेगी और हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। हमारा मध्यप्रदेश वास्तव में आत्मनिर्भर होकर रहेगा। मेरा निवेदन है कि सिंचाई के सम्बन्ध में यह शासन गोलमाल कार्य नहीं करेगा, जल्दी करेंगे, पम्प लगेंगे ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। मध्यप्रदेश के खेतिहर किसान को यह मालूम होना चाहिये कि कितनी सिंचाई कितनी अवधि में होने वाली है ऐसी घोषणा यदि होती है तो मध्यप्रदेश के इतिहास में यह ऐतिहासिक घोषणा होगी और हमारा मध्यप्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बनकर रहेगा, इतना ही निवेदन मैं इस समय करूँगा।

एक शब्द अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी सदस्यों से भी कहना चाहूँगा। प्रजातन्त्र में आदमी को स्पोर्ट्स स्प्रिट आना चाहिये। यदि विरोधी दल जनता की सेवा करता है और जब उसकी भावना जनता के अनुकूल हो जाती है तभी उसे शासन करने का अवसर मिलता है। हमारा मौजूदा शासन ऐसा मौका आवे इसके लिये बराबर तैयार रहेगा, आप सेवा करें और फिर यहाँ आवें, यही आदान-प्रदान यदि होता रहेगा तो हमारा प्रजातन्त्र प्राणवान् होगा। प्रजातन्त्र में परिवर्तन होते हैं, मैं नम्रता से कहूँगा यदि इस विचार से वह सोचें, सत्ता का परिवर्तन होगा। ऐसा उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वास्तव में सत्ता का परिवर्तन तो 19 तारीख को ही हो चुका था लेकिन उन्होंने चर्चा और बढ़ाई यह एक बड़ी पार्टी के लिये गरिमा की बात नहीं थी। इससे प्रजातन्त्र का कलुषित इतिहास ही बना है इसे आप शान्त दिल से सोचें.....

जो हुकूमत में बैठता है वह किस धारणा से बैठता है उनमें प्रजातन्त्र को, देश के हितों को बढ़ाने के लिये कितनी लगन है यह देखना पड़ता है। आज भी हमारे विरोधी दल के नेता की हैसियत से माननीय द्वारकाप्रसाद जी मिश्र सदन में नहीं पधारे। मैं चाहता था कि वे आते। मेरी मनोकामना पूरी हो। अपनी आँखों से.....

अध्यक्ष : आप शांत हो जाईये वे यहाँ नहीं हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : काँग्रेस शासन ने गड़बड़ी की लेकिन मुझे विश्वास है शासन दल प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं करेगा। मित्रता और उदारता से काम करेगा ऐसी मेरी भावना है और मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तावित जो वोट-ऑन-अकाउन्ट है जैसा हमारे उपनेता ने स्पष्ट किया मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ क्योंकि वह साधारण शासन को चलाने के लिए आवश्यक है और शायद इस अवसर पर और कुछ भी नहीं बोलता यदि मेरे सम्माननीय मित्र तिवारी जी ने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लगभग 100 गज दूर बैठकर अपना वक्तव्य नहीं देते.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह तो आदत का सवाल है, दूर बैठना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, दूरी केवल गज और फीट में अपने नापने की दूरी नहीं है और इसलिए केवल संकेत को समझें। मैं तिवारी जी की बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। तिवारी जी का संकेत एक समाजवादी पार्टी के सदस्य होने के नाते बहुत ही उपयुक्त है और अध्यक्ष महोदय, आज विरोधी पक्ष में बैठकर उन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ कि आज इस नये शासन के पहले दिन के कार्यकाल में ही.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं शासन के पक्ष में हूँ, विरोधी पक्ष में नहीं हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं बैठा हूँ, जो उन्होंने दबी जबान से हिचकिचाते हुए दूसरे शब्दों को तोड़ मरोड़कर एक डिस्एलूज़नमेंट का संकेत किया है मैं उसकी ताईद करता हूँ, वह इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता परिवर्तन प्रजातन्त्र में अवश्यम्भावी है, आज होगा, कल होगा उसको अनुचित न मानते हुए लेकिन इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रजातन्त्र में सत्ता परिवर्तन के कुछ मूलभूत सिद्धांत और आधार होते हैं। यदि आज जिनके हाथ में शासन है उनकी यह मान्यता है कि प्रजातन्त्र में भी सत्ता हथियाने के लिए कोई भी काम किया जा सकता है तो अध्यक्ष महोदय, मुझे विवश होकर उसके प्रति अपना विरोध यहाँ पर व्यक्त करना पड़ेगा और मैं यह कहना चाहूँगा कि कम से कम मध्यप्रदेश में इस सत्ता को हथियाने के लिए जो कुछ किया गया है वह प्रजातांत्रिक नहीं था। हम इस अप्रजातांत्रिक तरीके को भी प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये प्रजातांत्रिक तरीके से मुकाबला करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमारा किसी का कदम, हमारा किसी का कार्य ऐसा हो जो हम लोगों के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है इस देश में, प्रदेश में प्रजातन्त्र की स्थापना को धक्का पहुँचे। लेकिन जब हम यह संयम रखते हैं तो प्रजातन्त्र के लिए यह कहना अनिवार्य है, जिन तरीकों को अपनाकर सत्ता अपनाई गई है वे तरीके हमारे प्रजातन्त्र के इतिहास में कभी नहीं सुने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने समाजवादी साथियों के, उनके सामने एक विचार के लिए प्रश्न रखना चाहता हूँ। मैं यह उनके सामने इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि इस छीना झपटी के उन्माद में उनको सोचने के लिये मौका नहीं मिला, लेकिन इस छीना झपटी का अंत हुआ और किसी प्रकार सत्ता हाथों में आ गई तो कुछ लोग जब इस पर विचार कर रहे हैं ऐसा कुछ संकेत तिवारी जी के भाषण से मिला।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप गलतफहमी में न रहें। मैं चाहता हूँ कि यह नवीन सरकार अभी चले।

श्री सूर्यदेव शर्मा (सेवढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्जुनसिंह जी से यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सत्ता आपने रो-रो कर दी है उसकी सारी दुनिया गवाही है और यदि चन्द्रभान गुप्तजी की तरह से दे दी जाती तो आपकी बड़ी तारीफ होती लेकिन आपने सत्ता रो-रो कर दी है....

श्री प्रभुनारायण टंडन (दमोह) : आप क्या कहते हैं यह भी दुनिया जानती है और सारा देश जानता है कि किस तरह आपने ली है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री सूर्यदेव शर्मा जी के कथन पर इसलिये टिप्पणी करना नहीं चाहता कि सूर्यदेव शर्मा चाहे इधर बैठें या उधर बैठें उनकी भूमिका एक ही रहेगी उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि "सूर्य कटारी विप्र धन प्राण दिये पर देत" कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यवान अपनी कटारी, ब्राह्मण अपना धन प्राण जाने पर ही देता है वही हाल मिश्र जी ने किया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रजातन्त्र में अप्रजातांत्रिक तरीके से काम किया जाता है तो वह काम प्रजातन्त्र के लिये उज्ज्वल और प्रकाशवान नहीं हो सकता। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है चाहे इतिहास में जो इस प्रकार के उदाहरण उसको वे भुला दें और चाहे वे उनकी तरफ से आँखें मूँद लें लेकिन यह सत्य नहीं है कि जो चीज किसी के हाथ में रहेगी उसका उस पर पूर्ण अधिकार हो गया। अध्यक्ष महोदय, कौन मुख्यमंत्री है, कौन मंत्री है यह इतिहास मैं कोई बात नहीं रहती। कल पं. द्वारकाप्रसाद का मंत्रिमण्डल था और आज दूसरी पार्टी का है इसको समाज ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन समाज और देश में सहयोगी और सत्यता को ज्यादा महत्व देता है और बाकी की चीजें गौण समझी जाती हैं। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात को अधिक महत्व देता हूँ कि प्रजातंत्रीय शासन के परिवर्तन में जिन हथकंडों को अपनाया गया है और जो प्रजातंत्र का मखौल किया गया है उससे यह फलता-फूलता प्रजातन्त्र का पेड़ नहीं फलेगा और अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय यह कहना चाहूँगा कि इस समय यह बीज हमारे प्रजातन्त्र को अन्दर ही अन्दर खोखला कर डालेगा। उस समय भारतवर्ष के लोग उन लोगों की ताईद करेंगे कि जो किसी एक व्यक्ति की अतुल धन सम्पत्ति के आगे, किसी डर और भय के आगे अपने ईमान को बेचने के लिये तैयार नहीं हुए तो वही धर्म सच्चा और सही माना जावेगा।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने लोभ के लिये और चंद चाँदी के टुकड़ों के लिये अपने ईमान को बेचने को तैयार होकर शासन पर बैठे हुए हैं.....

(व्यवधान)

श्री कल्याण जैन (इन्दौर-3) : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक काँग्रेसी शासन के लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने 20 साल के शासन काल में ज्यादा पाप किये हैं। हम तो चाहते हैं कि अब केन्द्र में भी विरोधी दल का शासन बने और हमारे शासन को इसके लिये विरोध करना चाहिये.....

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह तो सही है कि इस प्रान्त की जनता गये वर्षों से इस बात की उम्मीद लगाकर बैठी थी कि एक दिन वह आयेगा जब कि हम अपने सिर पर जो बोझा इतने दिनों से लादे बैठे हैं, उस बोझ से उन्मुक्त होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विश्वास के साथ, स्वाभिमान के साथ यह बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मध्यप्रदेश की जनता ने वह दिन देखा। इस दिन को मनाने के लिए जो उसके दिल में गुबार था वह सब निकाला और आज मध्यप्रदेश की जनता उन्मुक्त होकर विश्वास की साँस ले रही है। निश्चय ही गये दिनों में वह जिस शासन से दुखी थी उससे उसे आज छुटकारा मिला है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी श्री अर्जुनसिंह जी ने कुछ सिद्धान्त की बातें आपके सामने रखीं। मेरा निवेदन है कि जिस प्रजातन्त्र की उन्होंने दुहाई दी हम उसमें विश्वास रखते हैं और विश्वास के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो संसदीय प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं वे क्या उन्होंने जो काम किया वह प्रजातान्त्रिक आधार पर था? वह भी जानते हैं कि नहीं जब उन्हें सदन का विश्वास प्राप्त नहीं रहा तब क्या कारण था कि साढ़े 11 बजे मतदान में काँग्रेस जब अल्प मत में आ गई, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर डटे ही रहे और प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री ने रात के 11 1/2 बजे इस्तीफा दिया? केवल इसीलिए कि इतने समय वे केन्द्र से सम्पर्क ही साधते रहे। केवल इस आशा से कि संभवतः कामराज महोदय हमें प्रजातन्त्र के खिलाफ भी काम करने में साथ दे दें।

और अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज शासन जो अपने हाथ में लिए हुए हैं वे आज तक प्रजातन्त्र के लिए लड़ते आ रहे हैं और वे आपके समक्ष इस विश्वास के साथ आये हैं कि जनता के हित में काम करेंगे। आज वह शासन समाप्त हो गया है, जिसमें कि जनता फँसी हुई थी। एक इतिहास का पृष्ठ समाप्त हो गया है। आज जब कि हमारे प्रान्त में अकाल की स्थिति सब तरफ से व्याप्त है, मैं शासन से आपके द्वारा अनुरोध करूँगा कि जहाँ-जहाँ अकाल की स्थिति है और काँग्रेस शासन जहाँ अकाल कहने में शरमा रही थी वहाँ वह अकाल घोषित करे और भूखों को राहत दे। यह एक सही कदम होगा जिसको काँग्रेस शासन ने नहीं उठाया। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में जनता को संरक्षण प्रदान करेंगे। अब कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, गये दिनों हमने, इस प्रान्त की जनता ने बहुत दुर्दिन देखे हैं और उनका निकाल अभी तक नहीं हुआ है। वह घटनाएँ हिन्दुस्तान के इतिहास में काले धब्बे के समान हैं और उनका निराकरण होना आवश्यक है। बस्तर काण्ड के खून के धब्बे आज भी हमारे कपालों पर चमक रहे हैं। उस सम्बन्ध में जो बातें की गईं और जो छिपाई गई हैं उनके बारे में काम करना बहुत जरूरी है जो कि पुरानी काँग्रेसी सरकार नहीं कर सकी है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से और सखलेचा जी से मैं निवेदन करूँगा कि वे ग्वालियर काण्ड की जाँच पूरी ताकत के साथ करावें और जो भी उसके दोषी हों उन सबको जनता के समक्ष लाकर खड़ा करना चाहिये। इस तरह के बहुत से काण्ड हुए हैं। भ्रष्टाचार के एक नहीं हजार मामले हैं जो सब फाइलों में दबे पड़े हुए हैं। मैं इस नई सरकार से निवेदन करूँगा कि आज वह जनता को यह बताये कि पुराना काँग्रेसी शासन कितना भ्रष्ट था और एक-एक बात लेकर यह कह सके जिससे यह साबित हो सके कि पुराना शासन कितना अन्याय करता था। हमारे समक्ष एक बड़ी समस्या महँगाई की है। (कुछ व्यवधान के पश्चात्) अध्यक्ष महोदय, हमारा दल कितना मजबूत होता जा रहा है कि आज श्री भण्डारी जी भी हमारे दल में यहाँ आकर मिल गये हैं। अभी हमारा एक भाषण हुआ और एक सदस्य आ गए और दूसरा भाषण होगा तो दूसरे सदस्य आ जायेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले दिनों

जो भ्रष्टाचार का विष जड़ों में फैल चुका था उससे प्रजातन्त्र की जड़ें खोखली हो चुकी थीं जिनका दूर करना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो आज सबसे बड़ी समस्या महँगाई की है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस दिन से जनता को यह मालूम हुआ है कि नया शासन विरोधी दल का आया है उस दिन से अनाज तथा तेल आदि के भाव गिरने लगे और बराबर गिरते जा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगा कि यह सरकार जनता का विश्वास लेकर अपना शासन चलायेगी। क्योंकि विश्वास पहाड़ का वह पत्थर है जो एक बार गिरने के बाद गिरता ही जाता है। इसी तरह से काँग्रेस के विश्वास का पत्थर गिरता गया और गिरता जाएगा क्योंकि यह वह पत्थर था जिसमें सड़ांध और बदबू आ रही थी।

अन्त में, मैं सखलेचा जी से निवेदन करूँगा कि वह भी यह विश्वास दिलाएँ कि जिस जनता का विश्वास प्राप्त किया है उसके हित और इच्छा के अनुसार काम करते रहेंगे।

श्री गंगाराम तिवारी (इन्दौर-2) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर निवेदन करूँगा कि मा. सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने जो अपनी सारी बातें अभी यहाँ रखी थीं अपनी इस नई सरकार के सामने तो मैं नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करूँगा कि आज जो आशाएँ वह रख रहे हैं थोड़े दिनों बाद ही वे सारी आशाएँ निराशा मात्र में बदल जायेंगी और निराशा ही उनके हाथ लगेगी। उन्होंने जिस भ्रष्टाचार को मिटाने का उल्लेख किया, राजनैतिक भ्रष्टाचार के सहारे जो सरकार बनी है वह समाज में भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती। उन्होंने यह कहा था कि जनता की दिली इच्छा थी कि काँग्रेस बदले और गैर-काँग्रेसी सरकार बने। अध्यक्ष महोदय, जनता ने जो इच्छा व्यक्त की थी 5 महीने पहले ही चुनाव में काँग्रेस को चुना था। अगर आप फिर जनता के सामने जाते और जीतकर आते तो मैं आपको धन्यवाद देता। जिस जनता ने भारी बहुमत से काँग्रेस को चुना 5 महीने पहले। जनता ने गैर-काँग्रेसी सरकार को भारी बहुमत से नहीं चुना है। जनता ने भारी बहुमत से 167 की संख्या में यहाँ भेजा था। जनता ने काँग्रेस को चुना था उस जनता के साथ लोगों ने विश्वासघात किया है असल बात यह है। यहाँ जनता की इच्छा के विपरीत किया है। इस मन्त्रिमण्डल के लोगों ने जनता के ईमान को भ्रष्ट किया है और लोगों को भ्रष्ट करके इस मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : केन्द्र के अन्दर भी काँग्रेस समाप्त होने जा रही है। आप कोशिश करते हैं कि सब लोग भ्रष्ट हो जायें.....।

श्री गंगाराम तिवारी : माननीय चन्द्रप्रताप तिवारी जी ने समाजवाद की बात कही एक प्रतिशत भी उनकी बात पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद ही गलत है। यह कभी भी समाजवाद नहीं ला सकती है। आप कहाँ रेगिस्तान में पानी ढूँढ़ रहे हैं। वहाँ पर समाजवाद की हत्या होने के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को भूमि दी जायेगी। आज हजारों एकड़ भूमि पर राजा और महाराजाओं ने कब्जा कर रखा है और उनकी सम्पत्ति है और उन्हीं के नेतृत्व में यह सरकार बनी है, समाजवाद कभी नहीं आ सकता.....

श्री यज्ञदत्त शर्मा : तिवारी जी को यह कब मालूम हुआ यह पहले मालूम नहीं था.....

श्री गंगाराम तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आलोचना होती रही और यह कहते रहे, मन्त्री मोटर में घूमते हैं, अब मालूम हो जायेगा वह क्या मोटर नहीं लेंगे। आप सब तनख्वाह की बात करते थे आप सब पचमढ़ी जाने की बात करते थे, मोटरों में घूमने की बात करते थे अब देखते हैं कि आप सब लोग कितना पैदल घूम-घूम कर काम करते हैं। जैसा कि चन्द्रप्रताप तिवारी ने कहा कि सम्पत्ति का हिसाब देना चाहिये था। हम तो 25 साल से राज्य कर रहे थे सम्पत्ति का हिसाब जरूर लिया जाना चाहिये। मैंने तो इन्दौर में कहा था कि मैं सम्पत्ति बदलने के लिये तैयार हूँ। मुझे अन्त में इतना ही निवेदन करना है कि हम रचनात्मक सहयोग के लिये सदा ही तैयार हैं जिससे जनता का भला होता हो। जैसा कि तिवारी जी ने कहा है समाजवाद की बात को अगर उसका एक अंश

भी यह सरकार पूरा कर सके तो धन्यवाद की पात्र होगी। यह भी कहा गया कि 19 तारीख को हमने कामराज जी के कहने से त्याग-पत्र दिया है। कामराज जी हमारे नेता हैं, हमने उनका आदेश माना है। यह कहते हैं कि हम जनता की मरजी से आये हैं तो उसके लिये तो आप चुनाव लड़ लेते फिर मालूम हो जाता कि जनता क्या चाहती है? उसके लिये आपने साहस नहीं दिखाया।

श्री कल्याण जैन : अध्यक्ष महोदय, हम तो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार थे लेकिन तिवारीजी फिर से जीत कर नहीं आते क्योंकि वे केवल 500 मतों से तो जीत कर ही आये हैं।

श्रीमती विजयाराजे सिन्धिया (करेरा) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट, दो शब्द कहने के पूर्व मैं अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए आभार प्रदर्शित करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोगों में यह शक्ति भर दी कि जो इस प्रदेश में इतने दिनों से अन्यायी शासन मौजूद था उसको खत्म करने में हम सब लोग सफल हुए हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूँ साथ ही अपने समस्त साथियों को बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने अथक् प्रयत्नों द्वारा, अपूर्व त्याग द्वारा उन्होंने अपनी अन्तरात्मा की पुकार को सुना जिसके कारण आज यह स्थिति आ सकी है....

श्री रुक्मिणिरमण प्रतापसिंह (मनगंवा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो काँग्रेस से बाहर गये हैं उन्हें मंत्री मत बनाइए।

श्री रमेशचन्द्र दुबे (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या इनके कहने से सरकार चलेगी?

श्रीमती विजयाराजे सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भी बोलने का अवसर मिलेगा, यदि इजाजत हो तो मैं अपना भाषण कन्टीन्यू करूँ। उन्होंने जनता की आकांक्षाएँ पूरी करने के लिए अपनी अन्तरात्मा की पुकार को सुना और जिस चिर प्रतीक्षित बेला का सबको इन्तजार था आज वह आ गई है, इसके लिये मैं अपने सब ही साथियों को जिन्होंने अपूर्व त्याग किए हैं बधाई देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज जो भी विरोधी पक्ष में हैं वे भी इन्सान हैं उनको भी जनता की इच्छाओं का भान होता है जिस प्रकार से एक-एक, दो-दो करके आ रहे हैं वे लोग भी आयेंगे.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है..... .....

(व्यवधान)

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरा निवेदन यह है कि दुख होता है श्री अर्जुनसिंह जैसे पार्लियामेन्टरी भी, जब राजमाता की स्पीच चल रही है, उस समय वह इन्टरप्ट करते हैं, यह सदन की गरिमा नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपका व्यक्तिगत रूप में बहुत आदर करता हूँ। मैं कदापि खड़ा न होता आपके बोलते हुए लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जो आव्हान किया सदन के अन्दर इस पक्ष में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों का वह प्रजातन्त्र के लिए पोषक नहीं, घातक है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : क्या अर्जुनसिंह जी, जैसा कि राजमाता ने अभी कहा कि अपनी अन्तरात्मा की आवाज को पहचान कर कार्य करें, तो क्या आप अन्तरात्मा के बजाये किसी और से काम करना चाहते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : हम शराब पीकर अन्तरात्मा को नहीं पहचानते हैं।

अध्यक्ष : आप लोग एक बात का ख्याल रखें कि सदन में जो अन्तरात्मा होती है वह कार्यों की अन्तरात्मा होती है, इसमें व्यक्ति नहीं रहता है।

श्री चित्रकान्त जायसवाल (बिलहा) : आपके जिन नेताओं ने जनता की आवाज सुनकर पक्ष बदला है उनको आप जनता के दरबार में भेज दीजिए यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्रीमती विजयाराजे सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह नहीं मालूम था कि सदन के कक्ष के अन्दर हम लोग अन्तरात्मा का नाम नहीं ले सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति जो सदन में बैठा है वह अन्तरात्मा की पुकार

सुनकर अपने कर्तव्यों को वहन कर रहा है, इसी विश्वास पर मैंने अन्तर आत्मा की पुकार सुनने को कहा था, यह नहीं कहा कि आप क्या करें और क्या न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज वह दिन आया है जबकि जनता ने उन्मुक्त वातावरण में और स्वच्छ हवा में साँस ली है। आज हमारे पीछे जनता है जिसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ और वह यह कि अभी हमने जो स्ट्राइक का काल दिया था उससे स्पष्ट पता चलता है कि जनता हमारे साथ है। इसके अलावा जो खुशियाँ बड़े-बड़े शहरों में मनाई जा रही हैं और जो मिठाइयाँ शहरों और छोटे-छोटे गावों में बाँटी जा रही हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं वह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस उदाहरण को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे पीछे दैवी शक्ति है। हम शक्ति के आधार पर अड़े हुए हैं, हम किसी पाशविक शक्ति के आगे सिर नहीं झुकायेंगे, चाहे हमें कितनी ही तकलीफ उठाना पड़े और कितना ही त्याग करना पड़े लेकिन हम अडिग रहेंगे हम अपने साथियों को बधाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन मैं विधानसभा में आई, मैंने यही जानना चाहा कि मैं कैसे पक्ष में आई हूँ। मुझे खुशी और गर्व होता है कि मैं इस पक्ष में हूँ हमारे कुछ साथियों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनको प्रलोभन दिया गया है, चाँदी के टुकड़ों पर वह इस पक्ष में आ गये हैं लेकिन चाँदी के टुकड़े किस तरफ फिक रहे हैं यह हम नहीं जानते हैं। यह तो केवल जनता ही गवाही देगी। आज प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए और प्रजातन्त्र के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए हम सब साथ-साथ डटकर रहेंगे मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह हमें शक्ति दे कि किसी प्रकार के डर, आतंक और प्रलोभन के सामने हम न झुक जावें। हम न तो अभी तक झुके हैं और न आगे झुकेंगे। मैं पहले केन्द्रीय शासन को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अन्त में हमारी पुकार को सुना और सही रास्ते को अपनाते हुए वैधानिक तौर से जो हमारा हक था, वह अधिकार हमको दिया इसके लिए मैं केन्द्रीय शासन को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और सहयोग की अपेक्षा उनसे करती हूँ। केन्द्रीय शासन ने जिस प्रकार का हमें सहयोग दिया है उसी प्रकार से सहयोग देता रहा तो हमें अवश्य सफलता हासिल होगी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तो इस बात को बड़े आनन्द के साथ सुन रही थी कि हमारे यहाँ मिड टर्म पोल होने वाले हैं, दुबारा चुनाव होने वाले हैं अभी तक जो जनता को भ्रम में डाल रखा था तो उनके अपने भ्रम को निवारण करने का अच्छा मौका मिलेगा परन्तु वह बात नहीं हुई। आगे फिर कभी पाँच साल बाद मौका आयेगा तो यह जो चुनौती की बात करते हैं, उसको हम स्वीकार कर सकेंगे और उसका सामना कर सकेंगे। मुझे परमात्मा पर विश्वास है और उस विश्वास पर खड़ी होकर, बड़े आराम के साथ बड़ी खुशी के साथ मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करती हूँ। मैं यह कहती हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। हमारी तरफ जो शक्ति है प्रजातन्त्र की, जनता की शक्ति है, जनता हमारे पीछे है। हम अपने आपको दुबारा जनता के सामने पेश करेंगे। (श्री चित्रकान्त जायसवाल के बोलने पर)— आप तो कामराज से कहिए उन्होंने तो देख लिया कि आप लोगों में कितनी सत्यता है। उन्होंने प्रजातन्त्र की और संविधान की रक्षा की है उसके लिये हम श्री कामराज और जितने भी केन्द्र के नेतागण हैं उनको धन्यवाद देते हैं और मुझे आशा है कि इसी प्रकार मध्यप्रदेश जो कि हिन्दुस्तान का हृदय है यहीं से सफाई शुरू हुई है। यदि हम अपना कर्तव्य पालन करते रहे तो सारे प्रान्तों में भी सफाई करने में हमारा काम सहायक होगा। मैं अपने साथियों और मुख्यमंत्री जी को और अन्य मंत्रीगण को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और अपना भाषण समाप्त करती हूँ।

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं हैं। वे अपने हद पर बैठकर तो हमें बहुत चुनौतियाँ देते थे परन्तु वे हमारी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिये यहाँ पर नहीं हैं, यह अफसोस की बात है।

श्री महेन्द्रकुमार मानव (छतरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बजट पर चर्चा चल रही है। पाँच महीने पूर्व हमारे प्रदेश की जनता ने काँग्रेस को बहुमत से चुनकर भेजा था और उसने काँग्रेस पर अपनी आस्था और विश्वास प्रकट किया था यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे यहाँ जयचन्दों का इतिहास बहुत पुराना है परन्तु वह इस समय ताजा हो गया है।... इतिहास की पुनरावृत्ति होती रहती है। हजारों वर्ष पहले की घटनाएँ फिर से बीसवीं

शताब्दी में घट सकती है। जो घटनाएँ पाँच हजार वर्ष पहले घटी थीं वे आज घट सकती हैं और पाँच हजार वर्ष बाद भी घट सकती है। अँग्रेजी में कहावत है— हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल रात को एक स्वप्न देखा था कि कप्तान अवधेश प्रतापसिंह— स्वर्ग में आठ-आठ आँसू रो रहे हैं कि मेरे पुत्र ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। कप्तान अवधेश प्रतापसिंह की आत्मा स्वर्ग में रो रही है और वह अपने पुत्र को बराबर धिक्कार रही है कि मेरे पुत्र ने यह क्या किया?

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मानवजी साहित्यिक आदमी हैं, इसलिए हमें उनके साहित्य में ही आनन्द लेना चाहिए और कुछ नहीं।

श्री महेन्द्रकुमार मानव : हमारे सूर्यदेव जी शर्मा हमेशा अच्छी बात ही देखते हैं इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उनको कभी बुराई नहीं दिखती। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो दिया बुझने को होता है तो वह बड़ी तेजी से जलता है और फिर बुझ जाता है। आज सामन्तवाद मृतप्राय है और मरते वक्त उसमें बहुत बड़ी लौ आ गई है। इससे हमें यही समझना चाहिए कि सामन्तवाद की जो बढ़ती हुई हवा है यह बुझने के लिए ही है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हीं सामन्तवाद को बरकरार रखने के लिए आपको आदेश दिया था तो फिर आज आपको कैसे तकलीफ हो रही है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : आप राजाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी तरफ दर्जनों राजे बैठे हैं।

श्री महेन्द्रकुमार मानव : मैं सामन्तवादी तत्व की बात कह रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ राजा नहीं है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, यहाँ वालों के लिए और वहाँ वालों के लिए।

श्री कल्याण जैन : छतरपुर राजा की आप बुराई नहीं कर सकते क्योंकि आपको उन्होंने जिताया है।

श्री रमेशचन्द दुबे : घर में आग लगी है घर के चिराग से ही, यह बतला रहे हैं वे।

श्री महेन्द्रकुमार मानव : आपका कहना बिलकुल ठीक है। मैं यह कह रहा था कि सामन्तवाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है, मरते-मरते लौ उसकी बहुत तेज हो गई है, जनता इससे चकाचौंध न हो जाये, यही मेरा कहना है। यह सामन्तवाद समाप्त होकर रहेगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं शासन पक्ष में था और उस समय मैंने तो शासन के बजट की कटु आलोचना की थी तो आज आप लोग जो शासन पक्ष में जाकर बैठे हैं तब आपने विरोधियों की हैसियत से मेरे भाषण का अनुमोदन किया था। मैं यह समझूँगा कि मेरी आलोचना के मुताबिक यदि आप अपने बजट को बना लेते हैं और उसमें वैसी कटौती करते हैं जो फालतू के डिपार्टमेंट्स हैं अगर आप उनको खत्म कर देते हैं तो मैं समझूँगा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आज अखबारों में पढ़ा कि यह जो सरकार है वह लगान माफ कर देने वाली है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरी यह समझ में नहीं आया कि यह किस कारण से किया जा रहा। यह तो जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए किया गया है। मैं कहता हूँ। Half stop, और विवेक से काम किया जाना चाहिये। इस तरह के कदम उठाने के लिए आप शासन के जो नियम हैं, प्रशासन के नियम हैं उनको भी भुलाये जा रहे हो कि एकदम लगान माफ कर दिया। जिस किसान का आप लगान माफ करने वाले हैं वही किसान मुझसे कह रहा था कि क्या हुआ, लगान माफी के बदले एग्रीकल्चरल टैक्स लगा देंगे और वह भी दस गुना कर देंगे। आपकी तरफ जो बहुत से बड़े-बड़े जागीरदार बैठे हैं जिनके पास हजार-हजार एकड़ जमीन है उनके लिए ही यह लगान माफी की जा रही है। वे लोग दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने लिए ही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो राजमाता ने ईश्वर की दुहाई दी है, सत्य की दुहाई दी है और सिद्धान्तों की दुहाई दी है, मैं उनके व्यक्तित्व की बड़ी कद्र करता हूँ लेकिन यदि वे निडर हैं और जनता की आवाज सुनती हैं तो यह कहें कि प्रिवीपर्स को खत्म करने के लिये वे तत्पर हैं। यह जनता से कहें। चूँकि यह जनतंत्र की मूल भावना के विपरीत है, इसी तरह हमारे जो समाजवादी मित्र हैं जिन्होंने कि शासन में हिस्सा नहीं लिया है, वे सही दिशा में काम करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी, पी.एस.पी. तथा एस.एस.पी. के लोग जनता की सही आवाज को सुनेंगे और एक सही बजट बनाने में मदद करेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 31 जुलाई 1967, पृष्ठ- 1246-1257)

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री महोदय ने जो एप्रोप्रिएशन बिल सदन के

समक्ष रखा है और जिस प्रकार से हमने वोट-ऑन-एकाउन्ट का विरोध नहीं किया उसी प्रकार से हम इस एप्रोप्रिएशन बिल का भी विरोध नहीं करते क्योंकि यह बिल उन्हीं अनुदानों को एक अंतिम रूप देने का बिल है लेकिन माननीय वित्तमंत्री महोदय के भाषण में और उनके पक्ष में बैठे हुए कई माननीय सदस्यों के भाषण में जो एक झलक हमें मिली भावी कार्यक्रम की और उस कार्यक्रम को पूरा करने की चेष्टाएँ कीं उसके संबंध में मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा। जहाँ तक इस प्रदेश की विभिन्न समस्याओं के हल करने का प्रश्न है उन समस्याओं को आज किसी व्यक्ति के नाम, किसी सरकार के नाम या किसी पार्टी के नाम से नहीं देखते हैं जो समस्याएँ मूलभूत रूप से सार्वजनिक समस्याएँ होती हैं उन समस्याओं को सुलझाने की दिशा में निश्चित रूप से जो सही कदम उठेगा तो उसके साथ हमारी सहानुभूति रहेगी, लेकिन हम आपसे और इस भानुमति के कुनबे से दो शब्द इसलिए कहना चाहेंगे कि यहाँ पर विचार व्यक्त करना, इच्छा व्यक्त करना एक बात है लेकिन उसे कार्यरूप में परिणत करना दूसरी बात है। उनको परिणत करते समय अपने सिद्धांतों के प्रति आस्था से भी कोई कार्य चला सकते हैं इसमें मुझे संदेह है। अभी हमारे मित्र शाकिर साहब ने क्यों इसका अनुमोदन किया और अपना तर्क दिया। मैं शाकिर साहब का बहुत आदर करता हूँ और मुझे विश्वास है कि उन्होंने अपनी निष्ठा पर ही कुछ किया होगा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस संयुक्त विधायक दल में जो विभिन्न दल हैं, उन दलों की अपने दलों की हैसियत से जो नीतियाँ हैं, जो घोषित नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम हैं, उन घोषित नीतियों और कार्यक्रमों का इस दल के जो विभिन्न दलों का संगठक दल है क्या कोई विरोधाभास नहीं है। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय, केवल वैकल्पिक प्रश्न नहीं है यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय, पार्टी गवर्नमेंट, प्रजातान्त्रिक सरकार चलाने के लिये जो कुछ सिद्धान्त अवश्यम्भावी रूप से हमें मानना पड़ता है उनके लिये इनका महत्व है। अभी हमारे शाकिर साहब ने और पूर्व में हमारे साथी श्री तिवारी जी ने नेशनलाइजेशन की बात की। स्पष्ट है, सदन को स्मरण होगा इस सदन में जब कभी कोई अवसर आया है, सीलिंग ऑफ लैण्ड होल्डिंग के संबंध में मैंने अपनी राय जाहिर की है। सीलिंग का जो काम किया गया उस काम को करने का प्रस्ताव हम लाये और शासन ने स्वीकार किया। नेशनलाइजेशन और लैण्ड होल्डिंग का ऐसा कोई अवसर नहीं था जब सदन में हमारे साथियों ने उसके पक्ष में, कोई आवाज न उठाई हो। हम जानना चाहते हैं कि मौलिक रूप से वित्त मन्त्री जी जिस संस्था के रहने वाले हैं क्या उन्होंने मौलिक रूप से नेशनलाइजेशन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि सीलिंग ऑफ लैण्ड होल्डिंग के सम्बन्ध में.....

एक माननीय सदस्य : छत्तीसगढ़ में जो आपने नहीं किया वह भी करने वाले हैं।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो समय बतायेगा आप क्या करने वाले हैं।

श्री रमेशचन्द्र दुबे (शाजापुर) : हम आपका राष्ट्रीयकरण जनता से कराने वाले हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : संतोष से सुनिये, इन्टरप्ट न कीजिए। मैं कम्प्लीट जवाब दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : जवाब दे देंगे आप, हम आपके जवाब की कद्र करेंगे। रमेशजी राष्ट्रीयकरण की बात हम पर लागू नहीं होती लेकिन आपका जरूर राष्ट्रीयकरण हो गया है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : मैंने अपना राष्ट्रीयकरण कर लिया तभी तो आप वहाँ बैठे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मौलिक प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूँ कि जिन परिस्थितियों में यह सदन बैठ रहा है उन परिस्थितियों में विचार करने के लिये शायद हम मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं हैं। आज शासन बदला है कुछ लोगों के हाथ में नई सत्ता गई है। राग-द्वेष होना भी स्वाभाविक है। लड़ाई में नहीं मिलीं, लेना चाहते थे। मेरे मन में रोष-द्वेष हो और सद्भावना न हो, ऐसी बात नहीं है। मैं केवल यह बात कह रहा हूँ, केवल राजनैतिक महत्व एक्सपीडियेन्सी के आधार पर, तात्कालिक लाभ होने के आधार पर प्रजातन्त्र चलाने में कदापि सामर्थ्य नहीं हो सकता इसकी कसौटी आज नहीं तो कल आपके सामने आयेगी। मैं आज इस प्रश्न को केवल इसलिये उठा रहा हूँ कि आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए न कि आलोचना करने के लिये ताकि कल जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो और आपको स्वयं संकट से बचने में जीतोड़ कोशिश करनी पड़े और जिन सिद्धान्तों का प्रयोग आज आपने किया, कल जब कोई तस्वीर दूसरी नजर आये तो कम से कम आप यह दोष तो न लगा सकेंगे इस सम्बन्ध

में आपने कोई जिक्र नहीं किया। इसलिये मैं आपके सामने यह बात कह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिये सदन में हमारे साथी समाजवादी दल के यह कल्पना करते हों कि यह शासन समाजवाद की ओर जनता के सिद्धान्तों को लेकर चलेगा? उन्होंने अभी तक अपनी आस्थाओं को लेकर पार्टी बना रखी थी.....

श्री शाकिर अली खाँ : समाजवाद की तरफ बढ़ने का कोई मतलब तय नहीं किया गया बल्कि इन साधनों से फौरी सवालात जो हैं उन्हें हल करने के लिए कोशिश की गई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कौन-सा बढ़ेगा, कौन-सा नहीं बढ़ेगा लेकिन आज तो तात्कालिक समस्याओं की बात है।

श्री गुलाबचन्द तामोट (भोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं शाकिर साहब से जानना चाहता हूँ कि फिरकापरस्ती के बारे में आपने क्या सोचा था क्या उसको भी जलता हुआ सवाल माना था वोट देते समय?

श्री शाकिर अली खाँ : वह तो हमने किस्मत को माना है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : जिन्दगी में पहली बार आपने कदम उठाया इस प्रकार से और उसमें हम ईमानदार साबित हुए।

श्री शाकिर अली खाँ : अगर हम यह देखेंगे कि उनके व्यूज़ हमसे नहीं मिल रहे हैं और उसको वे दूसरी तरह से सोच रहे हैं तो हमें चाहिये कि हम उनके व्यूज़ को बदलें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपने फिरकापरस्ती को भी जलता हुआ सवाल माना है या नहीं?

अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। देखिये अर्जुनसिंह जी बोल रहे हैं और बीच में आप टोकते जा रहे हैं तो उसमें अर्जुनसिंह जी का समय कटता जा रहा है। इसलिए जब आपके दल के ही लोग बोल रहे हैं तो कृपया आप बीच में न बोलिए?

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, बीच में सवाल-जवाब तो होते हैं, अब आप क्या कोई नई परम्परा बना रहे हैं?

अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। आप बैठ जाइए और अगर आप बोलना चाहेंगे तो फिर मैं अर्जुनसिंह जी को बैठाल दूँगा।

श्री गुलाबचन्द तामोट : बैठाल देने का सवाल नहीं है, सवाल तो सवाल-जवाब करने का है।

अध्यक्ष : अच्छा अब आप बैठ जाइए।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाई शाकिर साहब का बड़ा आभारी हूँ और उन्होंने जो अभी आदर्श की बात कही तो मैं स्वयं उस ओर आने वाला था लेकिन शाकिर साहब ने उस बात को कहकर मेरे काम को सरल कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, शाकिर साहब ने कहा है कि वे ऐसा विश्वास करते हैं कि यह दल जो पॉवर में आया है वह समाजवाद की ओर नहीं बढ़ेगा लेकिन तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने के लिये यह शासन जरूर आगे बढ़ेगा इसलिए इन्होंने इनका साथ दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, शाकिर साहब बुजुर्ग हैं और आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी रह चुके हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ और इस प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि यह कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोग यह भूलकर के उनके अगले कदम का क्या परिणाम होगा और उसको आप तात्कालिक समस्याएँ कहिये या कोई आश्वासन कहिए या कोई लोभ कहिए जो लोग इसमें आगे बढ़े हैं वे जरा इतिहास को देखें और सबने उससे सीख ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इसके एक उदाहरण को उपस्थित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, शाकिर साहब को स्मरण होगा कि सन् 1935 में जर्मनी में सोशलिस्ट मूवमेंट हुआ और समाजवाद की सरकार कायम हुई और जर्मनी में पहली लड़ाई का नतीजा यह निकला कि वहाँ के बढ़ते हुए राज्य के लिये वह एक समस्या बन गई। तो उससे बेरोजगारी बढ़ी उसको उसने हल करने की कोशिश की लेकिन उस समय एक प्रगतिशील लोगों की एक नाजी पार्टी का उदय हुआ और उसने लोगों को आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को वह हल कर सकती है और उस समय हमारे समाजवादी साथियों ने उनका साथ दिया और वे मौन धारण किए बैठे रहे। इसके कारण यूरोप के इतिहास में ही नहीं विश्व के इतिहास में जो लाखों, करोड़ों माताओं को परिणाम भुगतना पड़ा वह एक इतिहास है जिसे आप न भूलें। आज और कल का राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है लेकिन परसों भी आता है यदि बगैर सोचे हुए कोई कदम उठाया तो उससे राष्ट्र का हित नहीं होगा, अहित ही होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब यहाँ उपस्थित नहीं था तब एक विरोधी भाई ने यह उल्लेख किया था कि मैं स्वतन्त्र

रूप से चुनकर आया था और उसके बाद काँग्रेस में चला गया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मैं सन् 57 में चुनकर आया और सन् 60 में काँग्रेस में शामिल हुआ लेकिन शामिल होने से पहले मैंने अपने पूरे क्षेत्र में जहाँ से मैं चुनकर आया था स्थान-स्थान पर जाकर इसका स्पष्ट संकेत दिया और उनसे राय ली.....

एक माननीय सदस्य : यहाँ भी बधाई के सन्देश आ चुके हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जनता के समर्थन के बाद मैंने यह कदम उठाया है। मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूँ, राजनीति में उतार-चढ़ाव आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए यहाँ तैयार होकर आना चाहिए जिनको इसमें संकोच होता है उनको अपने घर तराजू लेकर तोलना चाहिए। उनको यहाँ आने का हक नहीं है। अब मैं अध्यक्ष महोदय, एक ही बात और कहना चाहता हूँ जो विंस्टन चर्चिल ने लिखी है। मैं उसे एक मिनट में सुनाना चाहता हूँ.....

The only guide to a man is his conscience; the only shield to his memory is the rectitude and sincerity of his actions. It is very imprudent to walk through life without this shield, because we are so mocked by the failure of our hopes, but with this shield however the Fates may play, we march always in the ranks of honour.

अध्यक्ष : अगर आप लोग ज्यादा उठेंगे तो आप इस बात को याद रखिये कि मैं आपका समय काट दूँगा फिर आप शिकायत न करिए कि हमें मौका नहीं मिला।

श्री सूर्यदेव शर्मा (सेंवढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी गौतम-कपिल को छोड़कर चर्चिल के चेले कैसे हो गये।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री (सिरमौर) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में गत् 20 वर्षों में से इस प्रान्त में जो शासन चला उसकी वजह से सम्पूर्ण प्रदेश की जनता ऊब चुकी थी, लोगों में तड़पन थी कि किस तरह से उससे छुटकारा मिले और जिन माननीय सदस्यों ने काँग्रेस पक्ष छोड़कर इस शासन को बनाने में सहयोग दिया उन्होंने जनता की उस आकांक्षा की पूर्ति की है इसमें कोई सन्देह नहीं है।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 31 जुलाई 1967, पृष्ठ- 1278-1281)

विधायक श्री रामानन्द सिंह ने 15 नवम्बर 1967 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि— "सागर नगर में मेडीकल कॉलेज खोलने की माँग प्रस्तुत करने के लिए सागर के विद्यार्थी भोपाल आ रहे थे तो विदिशा रेल्वे स्टेशन पर अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने छात्रों पर हमला कर दिया तथा विद्यार्थियों को निर्ममता पूर्वक पीटा गया। इतना ही नहीं पास ही खड़ी पुलिस ने विद्यार्थियों की रक्षा के लिए कुछ किया नहीं उल्टे अपनी लाठियाँ छात्रों पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों को दे दीं जिसका उपयोग उन्होंने छात्रों को पीटने के लिए किया। छात्रगण हजारों की संख्या में भोपाल आ चुके हैं तथा उनमें गंभीर रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर चर्चा हेतु आज सदन की कार्रवाई स्थगित की जाये।"

अध्यक्ष ने चर्चा की अनुमति दी। इस चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं इसमें श्री अर्जुनसिंह ने भी हिस्सा लिया —

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने किसी दल विशेष पर और खासतौर से किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हमारे भाई सखलेचा जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता..... लेकिन हम सदन के सामने और इस प्रदेश की जनता के सामने कुछ ऐसे मूलभूत सवालों को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिनको कि विधानसभा के अन्दर चाहे जो भी कोई माननीय सदस्य हों और वे चाहे किसी भी दल विशेष के हों यदि उन्हें प्रजातन्त्र पर आस्था है तो वे उन मूलभूत आधारों को मद्देनजर रखते हुए इसको नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज विदिशा की घटना ने जिस छोटे रूप में हमारे सामने सारी चीजों को प्रकट किया है वह

ऐसी हैं जिनके ऊपर कि प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला व्यक्ति बिना आवाज किये ही उन पर विचार करने के लिए तैयार हो जावेगा और यह मैं मानता हूँ जैसा कि हमारे माननीय सदस्य नूतन जी ने कहा तो हो सकता है कि वे उस क्षेत्र के पास के रहने वाले हों या वे वहाँ चले गये हों.....

श्री कृष्णकुमार नूतन : मैं खास उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अच्छा ठीक है। तो उन्होंने उस घटना का कुछ अंश देखा हो। फिर भी हम यह मानते हैं कि नूतनजी ने सब कुछ कहते हुए भी एक बात तो कही ही है और दबी जुबान से कही है कि इधर से भी लोग आये और उधर से भी लोग आये और पुलिस ने संयम नहीं रखा और धीरे से आपने यह भी कहा कि यह भी हो सकता था कि स्थिति में उस समय सुधार लाया जा सकता था जो कि नहीं लाया गया और बाद में जनसंघ के लोगों ने आकर के बीच-बचाव किया।

श्री कृष्णकुमार नूतन : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है कि पुलिस ने आकर के बीच-बचाव किया है।

श्री अर्जुनसिंह : अच्छा ठीक है। तो किसी भी शासन के लिए चाहे वह किसी भी पार्टी का हो उसको आवश्यक है कि वह शांति व्यवस्था बनाये रखे और यदि वह शासन चाहे वह किसी भी दल विशेष का शासन हो यदि वह शांति की सुरक्षा नहीं कर सकता है और असामाजिक तत्वों को दबाकर रखने में असमर्थ है तो वह शासन, शासन करने की क्षमता नहीं रखता है। अध्यक्ष महोदय, यह चीज किसी दल विशेष से संबंध नहीं रखती है बल्कि इस प्रदेश में प्रजातन्त्र कायम है या नहीं उससे इसका संबंध आता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम घटनाओं से मन में शंका होती है। मैं सीधे सखलेचा जी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार की शंकाएँ हैं, लोगों के मन में, आपको उनको दूर करना चाहिये।

इसके बाद जो दूसरा मूलभूत सिद्धान्त है जिनकी कि अवहेलना की गई है जिसके लिये कि मुझे शंका है कि भविष्य में ऐसी अनेकों घटनाएँ होंगी और उसका कारण यह है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप वर्तमान में ही रहते तो ज्यादा अच्छा होता?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान में ही हूँ। इसका अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला मूलभूत कारण यह है जिसको कि हमारे माननीय सदस्य रामानन्दसिंह जी ने कहा है कि भानुमति का पिटारा इकट्ठा किया है। उन्होंने तो कथरी का प्रयोग किया है लेकिन मैं भानुमती का पिटारा कहता हूँ.....

ठाकुर मोहनसिंह (मन्दसौर) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय अर्जुनसिंह जी ने भानुमती का पिटारा शब्द इस शासन के लिये प्रयोग किया है वह उनके लिये शोभा नहीं देता है क्योंकि हम अगर भानुमती का पिटारा हैं तो उनको क्या कहें? उनको यदि हरजाइयों का कुनबा कहा जावे तो क्या ठीक होगा?

श्री अर्जुनसिंह : अच्छा मैं संविद कहता हूँ। उसको तो मानेंगे आप। माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी शासन की जिम्मेदारी है। उप-मुख्य मंत्री जी हैं उनकी शान्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी स्वास्थ्य मन्त्रालय की जिम्मेदारी है। इस तरह से सब के पास अपनी-अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकार किसी और के पास है और जब प्रजातंत्र में अधिकार और जिम्मेदारी दोनों अलग-अलग हाथों में रहेगी तो यह तो अभी छोटी-सी घटना घटी है, मैं नूतन साहब को आगाह करना चाहूँगा कि जरा आप दुनिया के प्रजातांत्रिक इतिहास को पढ़ें.....

(व्यवधान)

मैं आपके भाषण को चुपचाप सुनता रहा लेकिन बीच में नहीं बोला। इस तरह की एक नहीं अनेक घटनाएँ होंगी। इसलिये राजमाता घोषणा करेंगी एक जगह और प्रतिक्रिया होगी दूसरी जगह। आगे ऐसी घटनाएँ न हों, यह

भी हमारा दृष्टिकोण है इसलिये मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहता लेकिन संक्षेप में आप समझ लें कि अधिकार और जिम्मेदारी आप कृपा करके एक हाथ में ही सौंप दीजिये। मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री जी की तरह काम करें, यह नहीं कि टेलीफोन आ गया वहाँ यूनिवर्सिटी खोली जाये, खुल गई वहाँ मेडीकल कॉलेज खोला जाये, खुल गया.....

श्री राजभानु शुक्ल (बहोरीबन्द) : टेलीफोन की बात आपने कही, मुझे मिश्रा जी का शासन याद आ गया जब सारे काम टेलीफोन पर होते थे।

श्री अर्जुनसिंह : यहाँ श्रीमती सिंधिया नहीं हैं नहीं तो उज्जैन में उन्होंने कहा था कि नहीं। इसलिए मैं श्रीमान् आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि अभी तक जिस पहलू से पुलिस को चलाया गया लेकिन अब कृपा करके अपने राजनीतिक मन्तव्यों को पूरा करने की आप कोशिश न करें। (व्यवधान) क्योंकि हम नहीं चाहते कि छात्रों के अन्दर ऐसा बीज बोया जाये जिससे उनके अन्दर हिंसा की भावना भड़के और समाज में अव्यवस्था हो। आप इस प्रदेश में ऐसे शासन का सूत्रपात करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास करे कि उसकी स्वयं की व्यवस्था, उसकी शान्ति और उसका जिस्म सुरक्षित है और प्रदेश के किसी शहर या किसी गाँव के गुण्डों के हवाले नहीं है जो कहीं से संरक्षण पा रहे हैं। (व्यवधान) विद्यार्थियों का सवाल ऐसा है जो किसी दल से संबंध नहीं रखता। यहाँ पर बैठे हुए ज़नसंघ के नेता जो आये दिन प्रजातन्त्र में विश्वास करते रहते हैं और प्रजातन्त्र का अपने को रक्षक मानते हैं, मैं तो नहीं मानता था। वे इस प्रकार की घटनाएँ रोकें वरना जितनी घटनाएँ होंगी इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।

श्री परमानन्द (बुरहानपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी यहाँ पर माननीय सदस्य श्री रामानन्दसिंह जी ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जनसंघ की चारित्रिक ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। मैं उनको अपने दल की ओर से कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने यह कहा कि जनसंघ के सदस्य अपनी सरकार समझते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। जो चारित्रिक ईमानदारी का उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थिति झूठ नहीं बोल सकती। सागर में मेडीकल कॉलेज खोला जाये इसकी माँग साइन्स की 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी करें ठीक है, यहाँ पर जो विद्यार्थी थे उनमें सभी विद्यार्थी हो सकते हैं, विद्यार्थी में कक्षा 5वीं से लेकर एम.ए. तक के विद्यार्थी माने जायेंगे। जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है उन्होंने इस बात को जानने का प्रयत्न नहीं किया इनमें कौन-सी कक्षा के लोग थे, हाई स्कूल के छात्र थे, कौन से छात्र थे। वह इस बात को नहीं जानते। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ आर्टस के विद्यार्थी को क्या मतलब, जो साइंस का विद्यार्थी है तीसरा और चौथे साल में है वह क्यों आने लगा। इस बात को जानने की आप कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन लोगों को विद्यार्थी के नाम लेकर यहाँ पर जो लोग सहानुभूति बता रहे हैं उनके दिमाग में यह बात साफ हो जाना चाहिये कि वह विद्यार्थी लेस मात्र भी नहीं थे, अगर उनको उनसे सहानुभूति थी तो वह उन विद्यार्थियों से बातचीत करते, लेकिन उनसे सहानुभूति दिखाने वालों में से किसी ने बातचीत नहीं की। वह कौन लोग थे, मैं अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूँ, उन कुछ विद्यार्थियों के अन्दर बीड़ी वाले मजदूर थे, जो उनके साथ आये थे। उनका यह प्रयत्न था कि वह दंगा करायें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था.....

(व्यवधान)

श्री श्यामाचरण शुक्ल (राजिम) : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी आये थे उनका अपमान बीड़ी मजदूर और मोटर वाला कहकर तो न करें।

श्री गुलाबचन्द गुप्ता (मुड़वारा) : मैं वक्ता महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो संघर्ष समिति के मेम्बर बने हैं और यहाँ बैठे हैं जिन्होंने यह जलसा बनाया है उनसे पूछेंगे कि इस जलसे में वे कहाँ के लोग लाये हैं। तुम्हारा पाप तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोलेगा। संघर्ष समिति के मेम्बर तुम्हारे आदमी थे और हमसे पूछ रहे हो कि बीड़ी वाले आये, मोटर वाले आये।

एक माननीय सदस्य : मैं संघर्ष समिति का सदस्य हूँ और विधानसभा का भी सदस्य हूँ। आप उस पचड़े में न पड़िए।

श्री सूर्यदेव शर्मा : गंगाराम तिवारी जी तो असत्य न बोलें, क्योंकि गुलाबचन्द जी तो नर्मदा में स्नान कर पाप धो लेंगे लेकिन तिवारी जी को नदी नहीं मिलेगी।

श्री परमानन्द : मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे वातावरण को जिस ढंग से रखा गया है तो इस प्रकार आक्रोश करने और आक्रमण करने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न यह है कि कोई भी बात हुई तो यह इक फेबिया हो गया है। 'जनसंघ' के नाम पर हमारे मंत्रियों पर सवार हो गये। आज जहाँ भी ये बैठते हैं इन्हें यही दिखाई देता है कि जनसंघ दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता नजर आने लगा है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि.....

एक माननीय सदस्य : आपको पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र नजर आने लगते हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 15 नवम्बर 1967, पृष्ठ- 174-176)

चौथा सत्र 14 नवम्बर 1967 से प्रारम्भ हुआ और 30 नवम्बर तक चला। विधानसभा अध्यक्ष पर सदन में जूता फेंकने और उन पर हमला करने के आरोप में दो सदस्यों को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर साधारण न्याय प्रक्रिया का मामला भी चलाया गया। फिर इस मामले को न्यायालय से वापस उठाने की अर्जी दी गयी। यह प्रसंग श्री अर्जुनसिंह ने सदन के समक्ष उठाया कि प्रजातन्त्र के मंदिर में ऐसी घटना क्यों हुई। इसी चर्चा के दौरान श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री ने विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उपस्थित किया। चर्चा के कुछ अंश यहाँ प्रकाशित हैं —

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आम चर्चा के समय माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन का ध्यान आपके माध्यम से एक मूल बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं चाहता और न ही यह मेरी मन्शा है और न आदत। मैं आपके सम्मुख अध्यक्ष महोदय, सदन में यह बताना चाहता हूँ इस शासन में, रचना करने वालों में, डिफेन्डरस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र के रक्षक के नाम से आये हैं। अध्यक्ष महोदय, वह प्रजातन्त्र के रक्षक किस प्रकार के हैं बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वह मूक रक्षक हैं। इस बात की ओर न केवल आपका और न सदन का बल्कि पूरे प्रदेश के नागरिकों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रजातन्त्र के रक्षकों के किस प्रकार के कारनामे हैं जो प्रजातन्त्र की रक्षा के नाम पर कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान इसी विधानसभा में 17 मार्च 1966 में जो अप्रिय घटना हुई उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पद पर बैठे हुए श्री नर्बदाप्रसाद श्रीवास्तव के ऊपर दो सदस्यों ने हमला किया था और उन पर जूता फेंका था। इस सदन की मर्यादा की रक्षा के लिए इस प्रदेश की विधानसभा ने यह कदम उठाया उन दोनों माननीय सदस्यों को सदन से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया, क्योंकि उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष पर हमला करने की कोशिश की थी। उन पर आगे साधारण न्याय प्रक्रिया का मामला भी चलाया गया। आज जो कहते हैं यह विधानसभा जो कि प्रजातंत्र का पवित्र मन्दिर है, यहाँ पर ऐसी घटना हुई हो, वह सारी की सारी न्याय प्रक्रिया बन्द कर दी जाये और जो केस उन पर चल रहे हैं उनको वापस लेने के लिए अर्जी दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं भोपाल न्यायालय द्वारा दिया गया उस अर्जी पर फैसला सुनाता हूँ.....

श्री गोवर्धनदास खण्डेलवाल (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है, यह मामला अदालत में है, इसका अभी निर्णय नहीं हुआ है, यह सबजुडिस है इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा अध्यक्ष महोदय, निवेदन है, केस को वापस लेने के संबंध में जो अर्जी दी गई थी उस पर कोर्ट का निर्णय हो चुका है, वही सुनाना चाहता हूँ.....

श्री गोवर्धनदास खण्डेलवाल : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस एप्लीकेशन का हवाला दे रहे हैं वह जुडीशियल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में चल रही है उसके ही अन्तर्गत यह दरख्वास्त दी गई थी

और उस पर जो निर्णय दिया गया है वह एक प्रकार से इन्टेरिम नेचर का निर्णय है इसलिए कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसके बारे में यहाँ जो क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो आगे वह किस मैरिट पर क्या असर होगा इस पर भी निर्भर करता है। केस का डिसीजन निश्चित नहीं हुआ इसी आधार पर हमारा अनुरोध है कि जब प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उस पर यहाँ चर्चा करना सबजुडिस होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उस एप्लीकेशन पर जो जजमेंट हुआ है, वह लाया हूँ और आप कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स चल रही है। अध्यक्ष महोदय, आप इस जजमेंट को तो सुनने की कृपा करें, मैं साथ लाया हूँ।

श्री गोवर्धनदास खण्डेलवाल : कोर्ट के अन्दर अभी भी केस चल रहा है या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : आपने एप्लीकेशन जो वापसी की दी है उस पर कोर्ट का निर्णय हो चुका है। कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय दे दिया है।

श्री गोवर्धनदास खण्डेलवाल : मामला तो कोर्ट के अन्दर अभी भी चल रहा है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनसिंह जी ऐसी बात नहीं कह सकते जो कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाये, इतने वे समझदार हैं। उनके कहने में आपको चीटा क्यों काट रहा है? कहने दीजिए उनको?

श्री बसन्तराव प्रधान (धार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि मामला वापस लेने की अर्जी दी गई है किन्तु अभी उस प्रकरण का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। यदि इन्टेरिम नेचर की कोई एप्लीकेशन दी गई हो और प्रकरण विचाराधीन हो तो उसे कैसे सबजुडिस नहीं माना जा सकता है?

अध्यक्ष : सारा सवाल इस पर निर्भर करता है कि निर्णय हुआ या नहीं?

श्री बसन्तराव प्रधान : निर्णय नहीं हुआ (व्यवधान)।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (चुरहट) : फेक्चुअल रिपोर्ट है.....

श्री कुन्जीलाल दुबे : श्री अर्जुनसिंह का कहना है कि दरख्वास्त अदालत में दी गई है और उस पर निर्णय हो गया है तो अब वह दरख्वास्त कैसे पैंडिंग है? उस पर तो निर्णय हो चुका है।

श्री शाकिर अली खाँ : अरे भाई साहब बोलने तो दीजिए। उसकी अच्छाई-बुराई पर क्यों जा रहे हैं? क्या यह भी नहीं कहें कि दरख्वास्त क्या दी गई है और उस पर निर्णय क्या हुआ है। केस पर तो वह नहीं बोल रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अदालत ने अपने जजमेंट में लिखा है कि (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, यह एप्लीकेशन किस आधार पर दी गई उस आधार को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस एप्लीकेशन को दिया गया लेकिन देने का कोई कारण नहीं बताया गया। अदालत ने कहा कि कारण बताओ तब विचार होगा। तब दूसरी सप्लीमेन्टरी एप्लीकेशन दी गई और कारण बताया कि पब्लिक इन्टरेस्ट में है, पब्लिक पॉलिसी है इसलिए यह शासन जो घटना सदन में हुई उस मुकदमे को वापिस लेता है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गोविन्दनारायण सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि एक सीमा से बाहर कोई काम जल्दी में नहीं करेंगे लेकिन यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस सदन में जो घटना घटी वह प्रजातन्त्र के ऊपर एक कलंक है, तो उसके बारे में उनके अन्तर्गत गठित शासन ने जो कदम उठाया है वह उनको शोभा नहीं देता है। यदि उन्होंने किसी दबाव में आकर यह कार्य किया है तो भी उनको शोभा नहीं देता। अब मैं अपने मित्र श्रीवास्तव साहब से कहता हूँ कि आप हमारे मित्र हैं ऐसा मैं मानता हूँ। जिस समय घटना घटी थी आप उस स्थान पर बैठे थे जो प्रजातन्त्र का प्रतीक है और उस समय आपकी बेइज्जती की गई। यदि ऐसे शासन में आप रहेंगे तो मैं ऐसा मानूँगा कि प्रजातन्त्रीय मान्यताएँ लोप हो गईं और आप कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं।

श्री नर्बदाप्रसाद श्रीवास्तव (लोक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। चूँकि मेरा नाम लिया गया है इसलिये यह उचित है कि मैं स्पष्टीकरण दे दूँ। माननीय अध्यक्ष, यह बहुत आवश्यक है कि माननीय अर्जुनसिंह ने जो प्रश्न उपस्थित किया उसका मैं स्पष्टीकरण दूँ। जब मैं अध्यक्षता कर रहा था उस वक्त एक घटना घटी थी। उस वक्त की प्रोसीडिंग देखी जावे तो मैंने उस समय कहा था कि यदि प्रजातन्त्र की रक्षा करने को मुझे आत्म बलिदान करना होगा तो वह भी मैं कर दूँगा। मैं उस बात को आज भी दोहराता हूँ।

उस वक्त जो कार्यवाही चली, शिकायत की गई, कम्पलेन्ट दायर की गई और वह तत्कालीन माननीय अध्यक्ष की अनुमति से की गई थी। मैं नियमों से परिचित था और आज भी परिचित हूँ। विधानसभा के अन्दर जो कार्यवाही हो वह अध्यक्ष की अनुमति से होना चाहिये इस संबंध में जो निर्णय लिया गया था वह यह था कि राजनैतिक जो मामले चल रहे हैं उनको उठाया जावे। माननीय गृह मंत्री ने मुझसे संपर्क साधा तो मैंने तत्काल उनसे कहा कि चूँकि मैं शिकायतकर्ता हूँ लेकिन यह बात मेरे हाथ में नहीं है। यह माननीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र की बात है इसलिए इस संबंध में आप उनसे संपर्क स्थापित कर लीजिये। शायद अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आपसे संपर्क स्थापित किया था और आपने अनुमति दे दी थी तब मुझे लिखित देना पड़ा और उसको मैं पटल पर रखने को तैयार हूँ। मैंने कहा है कि माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दे दी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यही मेरा स्पष्टीकरण है। जहाँ तक प्रजातन्त्र की रक्षा करने का सवाल है, जब समय आता है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या करके दिखायेंगे यह समय ही बताएगा।

श्री कृष्णकुमार नूतन (कुरवाई) : आपका जो फर्जी गोलीकाण्ड था, वैसा फर्जी गोलीकाण्ड यह नहीं था।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, चूँकि यह महत्वपूर्ण विषय है और शासन की ओर से कहा गया है कि उन्होंने आपकी अनुमति ले ली है, इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तो वस्तुस्थिति क्या है यह आप बताने की कृपा करें? क्या आपने इस मुकदमे के बारे में अपनी अनुमति दी है?

अध्यक्ष महोदय : मैं कल बताऊँगा, आज नहीं बता सकता।

श्री रामहित गुप्त (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह परिवर्तित बजट जो कि सन् 1967-68 का सदन में प्रस्तुत किया गया.....

श्री शाकिर अली खाँ : जनाबवाला, यह तो रिकार्ड कर लिया जाये कि मेरे बार-बार खड़े होने पर भी और बोलने के लिये मौका माँगने के बावजूद भी मुझे इस साल के बजट पर बोलने के लिये कोई मौका नहीं दिया गया, जबकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही मेम्बर हूँ। यह बात रिकार्ड कर ली जाये।

श्री रामहित गुप्त : मैं बड़ी गौर से माननीय सदस्यों के भाषण को सुनता रहा हूँ। विशेष कर उन माननीय सदस्यों के जो आज विरोधी पक्ष की ओर बैठे हुए हैं। जब माननीय सदस्यों ने अपना भाषण दिया मुझे आशा यह थी कि भले ही यह बजट केवल चार महीने के लिए ही हो इसमें इतनी जल्दी यह संभव नहीं था कि कुछ विशेष परिवर्तन कर पाते। प्रजातंत्र की कम से कम यह परम्परा रही है, बजट को पढ़कर उसका अध्ययन करके कि उसके अन्दर क्या बात लिखी हुई है, उसकी गहराई के अन्दर जाते फिर उसकी आलोचना, समालोचना के अन्दर जाते तो अति उत्तम रहता, मुझे आलोचना में ऐसा देखने को नहीं मिला विरोधी दल की यह स्वस्थ परम्परा रही है कि जो भी बजट के अन्दर होता था उसको पूरी तरह से अध्ययन करके वास्तव में क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको सदन के समक्ष रखते थे जिससे सदन को मार्गदर्शन मिलता था। यह कार्य आज के विरोधी दल में बैठे माननीय सदस्यों को करना चाहिये था वह उन्होंने नहीं किया कल ही मेरे मित्र शर्मा जी ने बताया था कि प्रदेश के अन्दर एक के समय विशेष कठिनाईयाँ थीं चारों तरफ हो रहा था राहत कार्यों से बड़ी कठिनाइयाँ हो रही थीं। लोग दाने-दाने को तरस रहे थे। मोहताज थे। आज वह स्थिति समाप्त हो गई है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 21 नवम्बर 1967, पृष्ठ- 452-455)

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर यह है। मेरा यह आपसे निवेदन है कि कल बहस के दौरान आपने यह आज्ञा दी थी। यह आश्वासन दिया था कि कल जो हमारे मित्र श्रीवास्तव जी के प्रकरण में जो यह कहा गया था कि आपसे अनुमति लेकर मुकदमा उठाया गया है आपने यह फरमाया था कि मैं कल बताऊँगा, श्रीमान् के द्वारा कोई स्वीकृति दी गई है या नहीं इस संबंध में कृपा करके अपना निर्णय देने का कष्ट करें।

अध्यक्ष : इस संबंध में मेरे सचिवालय में कोई फाइल नहीं है।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री (सिरमौर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही सरकार ने मुकदमा वापिस लेने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है जिसके

कारण से सदन का विशेषाधिकार भंग हुआ है क्योंकि जब मुकदमा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चलाया गया था तो उसको अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही वापस लेना चाहिये। शासन के इस प्रकार के कार्य से सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है मैं इस विशेषाधिकार भंग की सूचना आपको देना चाहता हूँ। मौखिक रूप से और लिखित रूप से आपकी सेवा में अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न है और इस पर कार्यवाही की जावे।

श्री बृजलाल वर्मा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मामला अदालत में चल रहा है, ऐसी स्थिति में इस पर चर्चा करना उचित नहीं है ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय लॉ मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूँ, जो प्रश्न विचाराधीन है उसके संबंध में हम कदापि चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर विषय यह उपस्थित हुआ है कि लोक कार्य मन्त्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने गृहमन्त्री जी के आश्वासन पर कि माननीय अध्यक्ष ने इस मुकदमे को वापस ले लिया है, स्वीकृति दे दी है इसलिए इस राज्य शासन ने इसको वापस ले लिया है तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे बतावें कि इस प्रकार की उन्होंने कोई अनुमति दी है?

अध्यक्ष : मैंने अपने सचिवालय से पता लगाया है कि इस प्रकार की कोई फाइल विधानसभा के कार्यालय में नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मामला और भी गम्भीर हो जाता है क्योंकि अभी तक तो हम समझते थे कि साधारण प्रक्रिया से इस प्रकार के विषय की शिकायत जो संबंधित विभाग होता है वह गृह विभाग को देता है और यदि वह किसी मुकदमे को वापस लेना चाहता है तो वह फायल इनीशिएट की जाती है और फिर उस पर लॉ डिपार्टमेंट की राय ली जाती है और फिर मुख्यमंत्री उस पर अन्तिम निर्णय लेते हैं। यह विधानसभा से संबंधित मुकदमा है और इस विषय में उपयुक्त यह था कि अध्यक्ष महोदय से ही इसकी अनुमति ली जाती, लेकिन आपके कथनानुसार यह प्रतीत होता है कि किसी प्रकार की फाइल, किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी शासन की ओर से अगर की गई है तो उसमें आपकी अनुमति का प्रश्न नहीं है और उसमें आपकी अनुमति है। माननीय श्री नर्बदाप्रसाद श्रीवास्तव ने यहाँ कहा कि सखलेचा जी ने यह आश्वासन दिया कि आपने अनुमति दे दी है और इस प्रकार से सखलेचा जी ने गलत जानकारी दी श्री श्रीवास्तव जी को। यह प्रश्न अत्यन्त गम्भीर है। श्री शास्त्री जी ने जो विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है उसी प्रकार का प्रस्ताव हम लोग भी देने वाले हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह प्रश्न व्यक्ति का नहीं है, यह प्रश्न श्री श्रीवास्तव का या सखलेचा जी का नहीं है मुख्यमंत्री जी का नहीं है (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा उस पर तो विचार होगा ही।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (उप-मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किस मोशन पर बोल रहे हैं, यदि वे कोई मोशन प्रस्तुत करेंगे तो उस पर विचार किया जावेगा और जो कुछ ठीक वस्तुस्थिति होगी उसकी जानकारी दी जावेगी। आप अलग से मोशन दें। अभी इस प्रकार की कोई बात सदन में नहीं है, सदन में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ कि बीच में आप खड़े हो गये।

अध्यक्ष : आपको मोशन देना है तो दे दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : मोशन तो प्रिविलेज का हम देंगे ही, उसका पहलू कुछ और ही होगा जब वह आपके सामने आयेगा तो उस पर चर्चा होगी। मैं तो कुछ दूसरी ही बात आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा आपसे यह निवेदन है.....

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : अध्यक्ष महोदय, ये किस विषय पर बोल रहे हैं और किस के कहने से, किसकी आज्ञा से बोल रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं भी इसी चक्कर में हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके स्पष्टीकरण ने हम सबको ही नहीं बल्कि लाखों, करोड़ों लोगों को

जो इस प्रजातन्त्र में आस्था रखने वाले हैं, चक्कर में डाल दिया है। मैं इस पर मोशन दूँगा आप उस पर विचार करेंगे.....

श्री गोवर्धनदास खण्डेलवाल (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर कल भी चर्चा हुई थी और कहा था कि जाँच करेंगे। श्री अर्जुनसिंह कह रहे हैं कि जो निर्णय मुकदमा उठाने का लिया गया है वह ठीक है इस पर आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति इसके लिए थी या नहीं? इन सारी बातों पर चर्चा करना जबकि वह प्रकरण न्यायालय के अन्दर है क्या उचित होगा? इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब आपके सामने विशेषाधिकार का प्रश्न आ रहा है कि आपने उसको अनुमति दी या नहीं या गलती की, तो यह सारे तथ्य आपके सामने आने वाले हैं। आप मुकदमे पर बहस करना चाहते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि जब विशेषाधिकार का प्रश्न आये तब चर्चा कर लीजिये। आप इस प्रश्न को आज उठा रहे हैं कल फिर उठायेंगे चार दिन बाद फिर उठायेंगे तो इसमें समय व्यर्थ जाने वाला है। आप कहते हैं कि प्रजातन्त्र की हत्या हुई है तो यहं तो हम बतायेंगे कि प्रजातन्त्र की हत्या हमने की है या आपने की है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (चुरहट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय को बार-बार नहीं उठाना चाहिये कि यह केस सबजुडिस है या इससे कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। यह सबजुडिस नहीं है और इससे कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है क्योंकि अर्जी इसमें दी गई और उठा ली गई है। इसलिए कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। यह सर्वसम्मति है कि तत्कालीन अध्यक्ष ने कोर्ट में ले जाने की अनुमति दी और दूसरे अध्यक्ष ने उसको वापस लेने की अनुमति दी, लेकिन इसमें देखना यह है कि इजाजत देने के बाद दूसरे अध्यक्ष को क्या बिना सदन की अनुमति लिये वापस लेने की अनुमति देने का अधिकार है। क्या एक अध्यक्ष जो रूलिंग देता है उसको दूसरा अध्यक्ष बदल सकता है। श्रीमान् मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूँगा मैं समझता हूँ कि इसमें गलती हुई है। अगर अध्यक्ष महोदय को इजाजत देना थी तो वह सदन से पूछ कर दे सकते थे। एक बात यह साफ है कि जब अध्यक्ष महोदय ने इजाजत नहीं दी जैसा कि अभी पता चला और न उनसे इजाजत माँगी गई थी। तो यहाँ जो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अर्जी वापस लेने की बात कही गई यह किन तथ्यों पर आधारित है यह स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री परमानन्द (बुरहानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि अर्जुनसिंह जी प्वाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर पर बोल रहे हैं। हाउस के सामने बिजिनेस है उस पर बोलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपने सूचना दे दी है.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जो यहाँ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आपकी अनुमति से ही खड़ा हुआ हूँ।

श्री परमानन्द : अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने बिजिनेस है और मेरा निवेदन है कि उसी बिजिनेस पर बातचीत होनी चाहिये। कल आपने यहाँ कहा था कि मैं हाउस को सूचना दूँगा.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हमें उससे अधिक और भी सूचना चाहिए.....

श्री परमानन्द : श्री तिवारी जी तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं, मेरी उनसे आपसे प्रार्थना है कि सुन लें। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने कल एक सूचना देने का वायदा किया आपने सूचना दी और उस सूचना से श्री अर्जुनसिंह जी और श्री शास्त्री जी को कुछ असंतोष प्राप्त हुआ कि सदन के अधिकारों का हनन हो रहा है। नोटिस भी दे दिया है या कहते हैं कि देने वाले हैं तो इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती। अब तो जो बिजिनेस हमारे सामने है, उस पर चर्चा की जानी चाहिये.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ही बोल रहा हूँ।

श्री परमानन्द : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर एतराज होकर बात करें तो मुझे आपके सामने कुछ निवेदन करना है कि आपने उन्हें कोई अनुमति नहीं दी। माननीय सदस्य खड़े हुए और बोलना शुरू कर दिया।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी और इसलिए ही मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं एक ही वाक्य में कह देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न किसी एक पार्टी या दल विशेष का नहीं है यह प्रश्न तो विधानसभा की मर्यादा का है। इस पर आप छानबीन करें जिससे कि पूरी-पूरी जानकारी सदन को मिल सके। सदन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वह नहीं होना चाहिये।

श्री रामगोपाल तिवारी (अकलतरा) : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय के सामने गलत तथ्य रखे और आपने यह सूचना दी मेरे पास कोई फाइल ऑफिस में नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दोनों बातों में से कौन-सी बात सही है?

श्री वीरेन्दरकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय तिवारी जी अध्यक्ष महोदय को मिसलीड कर रहे हैं।

अध्यक्ष : यही तो मैं भी समझ रहा हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी सूचना किसने दी कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति मिल गई है श्रीवास्तव जी को.....

अध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई है और श्री सखलेचा जी चुप हैं तो क्या मैं यह समझूँ कि बिना अध्यक्ष की अनुमति के ही यह अर्जी दी गई है?

श्री परमानन्द : मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउस में किसी भी मोशन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। विदाउट एनी मोशन देअर केन नोट बी एनी डिस्कशन। गड़बड़ी यह हो रही है कि आरोप यह लगाया जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय को उप-मुख्य मंत्री महोदय ने गलत सूचना दी और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि अगर मान लीजिये किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है उसके तहत कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरे आपने विशेषाधिकार मोशन दे दिया है या उसकी भूमिका दे रहे हैं यह दोनों चीजें आ गई हैं तो अब इसके बाद क्या चर्चा करने का सवाल रह जाता है? अध्यक्ष महोदय ने सूचना दे दी है अब वह कौन-सी और सूचना देंगे जो माननीय तिवारी जी ने सूचना माँगी है। अब प्रिविलेज मोशन आने ही वाला है पहले मोशन आ जावे उसके बाद देखा जावेगा कि यह वैधानिक अधिकार था या नहीं था। गलत था यह नहीं था इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे.....

(व्यवधान)

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगंवा) : यह प्रिविलेज मोशन से संबंधित नहीं है जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जब कभी कोई सूचना सदन में देते हैं तो उसको क्लेरीफाइ कराने का हम सदस्यों को अधिकार है। जब-जब अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी है और यह सूचना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई लिखा-पढ़ी में नहीं है और श्रीवास्तव साहब का स्टेटमेन्ट था उस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि अनुमति ले ली है तो मैं समझता हूँ कि आपकी अनुमति बिना केस वापसी की अर्जी दी गई क्या यह साफ हो जाना चाहिये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यह प्रश्न पूछा जावेगा तब जवाब दूँगा। आप सारी गलत बयानी कर रहे हैं। कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : मोशन की बात तो शास्त्री जी और अर्जुनसिंह जी ने कही है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बताया तो मैं अपनी जानकारी के लिये पूछना चाहता हूँ कि श्रीवास्तव साहब और सखलेचा जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुकदमा वापस उठा रहे हैं.....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। सदन के सामने दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि यह मामला सबजुडिस है या नहीं। जबकि प्रधान मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ। जहाँ तक यह मामला है, मैं देखता हूँ कि सदन के दोनों पक्ष के लोग परस्पर विरोधी बातें कहते हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न पर स्वयं निर्णय न लेते हुए एडवोकेट-जनरल

को बुलाना चाहता हूँ और उनकी सलाह के बिना अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी बात यह है कि आप जो मोशन देना चाहते हैं वह दे दें। उस पर चर्चा होगी। अब आप बैठ जावें। इस विषय पर अब आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठें। श्री कृष्णमोहन।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 22 नवम्बर 1967, पृष्ठ- 547-551)

देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों को सामाजिक न्याय के विषय में विचार करते हुए यह निर्णय करना है कि सामाजिक हित के लिए निर्मित विधि-विधान किस दिशा में कितने लाभदायक हैं।

— अर्जुनसिंह
(25 जनवरी, 1974)



1968

19 फरवरी से 1968-69 के साल का बजट सत्र प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू के निधन की सूचना सदन को दी। उनका 17 फरवरी की रात्रि में देहावसान हो गया था। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सदन की कार्रवाई दूसरे दिन तक के लिए स्थगित हो गयी।

30 मार्च 1968 को सदस्य श्री श्यामाचरण शुक्ल (राजिम) ने श्री गोविन्दनारायण सिंह मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात् श्री शुक्ल ने आरोपों की तालिका प्रस्तुत की फिर उनका भाषण हुआ। सत्तापक्ष के सदस्य श्री सूर्यदेव शर्मा (दतिया) ने काँग्रेसी राज्य के ख़िलाफ लम्बा-चौड़ा वक्तव्य दिया। इसके बाद इस अविश्वास प्रस्ताव पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह बोले और उन्होंने आरोप लगाया कि यह शासन तो कोई शासन नहीं है क्योंकि इसकी कोई रीति-नीति ही स्पष्ट नहीं है। दूसरे दिन 1 अप्रेल को सत्रावसान की घोषणा हो गयी। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन प्रजातंत्र शासन के प्रजातंत्र प्रणाली से चलते हुए शासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग के द्वारा इस सदन में इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ और इसके पहले इस अधिवेशन की शुरूआत से लेकर अभी तक माननीय सदन की कार्यवाही मैंने चुपचाप बैठकर सुनी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने के लिये विवश हो रहा हूँ कि हम यहाँ पर इसी शासन के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने में जो हम स्वयं इस ओर बैठे हैं और जो उस ओर बैठे हैं प्रजातंत्र प्रणाली पर विश्वास उठने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाकर अपने तर्क को पूरा करना उचित नहीं समझता लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह आज सर्वविदित है और प्रमाणित है, न केवल इस प्रदेश में बल्कि इस देश में कुछ दिनों से हमारी आजादी की लड़ाई इधर और उधर दोनों ओर बैठे हुए महानुभावों के सहयोग से लड़ी गई थी उस लड़ाई के बाद जिस प्रजातंत्र की स्थापना देश में हुई है आज उसके लिये बहुत बड़ा धक्का पैदा हो गया है। यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं, यह समय इस बात का नहीं है कि ठाकुर लड़ गये ब्राह्मणों से या ब्राह्मण लड़े ठाकुरों से या हरिजन विरुद्ध हो गये और आदिवासियों का यह हुआ, वह हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह समय इस बात का नहीं है। कोई सदन में आकर इस बात की डींग हाँके कि मैं इस कुल का हूँ और वह उस कुल का है या मेरे पूर्वजों ने यह किया। अध्यक्ष महोदय, यदि हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि प्रजातंत्र का असली स्वरूप जो है उस पर विश्वास है तो यह अविश्वास का प्रस्ताव अनुचित है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अपना सिर नीचा करके मुझे कहना पड़ता है, आज मुझे दस साल से विधानसभा का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज जनता के बीच जाकर मुझे स्वीकार करने में शर्म लगती है कि हम सब आजाद हैं। अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधियों का आये राम गये राम— इस समय मैं अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि शासन प्रजातंत्र की रक्षा कर रहा है या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिये प्रजातंत्र की आहुति दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ मध्यप्रदेश में पिछले जुलाई से आरम्भ हुआ

वह प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय, चाहे उसके पीछे आदरणीय राजमाता साहिबा रही हों, उस प्रक्रिया के पीछे चाहे हमारे भाई श्री गोविन्दनारायण सिंह रहे हों, मेरा स्पष्ट मत है कि वह प्रक्रिया देश के लिये और प्रजातंत्र के लिये घातक सिद्ध होगी।

खाद्य मंत्री (श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा) : क्या यह सच नहीं है कि आप भी प्रारम्भ में स्वतन्त्र रूप से या विरोध पक्ष से चुनकर आये थे और बाद में काँग्रेस में शामिल हो गये थे?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है काँग्रेस में सम्मिलित होने का। मैं इसलिये काँग्रेस में सम्मिलित हुआ था कि किन्हीं सिद्धान्तों पर विश्वास रखता था और उन्हीं सिद्धान्तों पर बने रहने को आज भी तैयार हूँ।

श्री कल्याण जैन : आप स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़कर बाद में काँग्रेस में घुसे थे तो उस समय आपने जनता के बीच में जाकर जनता की राय पूछी थी?

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वह नियमों का पालन करें। जब अध्यक्ष खड़ा हो और कोई आर्डर दे तो उसको सुनें। जब अर्जुनसिंह जी स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो किसी माननीय सदस्य को बीच में बोलने की ज़िद नहीं करना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, फिर चारों तरफ से लोग क्यों खड़े होने लगे? मैं किसी माननीय सदस्य का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ।

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : आप कृपया एक मिनिट मेरी बात सुन लें। आपने कहा है कि मैं काँग्रेस में इसलिये गया था कि उसके सिद्धान्तों पर मुझे गर्व था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने काँग्रेस के खिलाफ स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़ा था तब भी आपको काँग्रेस के सिद्धान्तों पर विश्वास था तो आपने उसके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा?

श्री अर्जुनसिंह : जिस वक्त मैंने वह चुनाव लड़ा था उस समय शीतला सहाय जी क्या कर रहे थे यह तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं और किसी को प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत करना नहीं चाहता, हमारे साथी श्री चन्द्रप्रताप तिवारी उस जिले के हैं वह जानते हैं कि मैं स्वतन्त्र रूप से उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मैंने निश्चित रूप से अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि मैं समाजवादी समाज की रचना में विश्वास करता हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चुने जाने के बाद भी मैं इन्हीं सिद्धान्तों पर अड़ा रहूँगा। मैंने जो काँग्रेस ज्वाइन की वह किसी मिनिस्टरी के लालच में नहीं की थी। मैं एक साधारण सदस्य के नाते तीन साल तक काँग्रेस में रहा। मैंने एक साधारण सदस्य का जो दायित्व होता है उसका निर्वाह करने की पूर्ण चेष्टा की। मुझे काँग्रेस में आने का किसी ने प्रलोभन नहीं दिया। काँग्रेस में आने की प्रेरणा मुझे राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू से मिली। उस धरोहर को मैं अपने जीवन से ज्यादा महत्व देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ पिछले जुलाई में इस प्रदेश में किया गया है, हम दोषारोपण किसी पर देते रहें मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उस प्रक्रिया का अन्त किसी शासन को गिराने अथवा उठाने में चाहे न हुआ हो लेकिन प्रजातन्त्र के लोप होने में अवश्य हुआ। आप मुख्यमंत्री हैं, कुछ लोग मंत्री हैं, आप सोचते हैं कि हम आपका मंत्रित्व छीनना चाहते हैं। आप हमारा मंत्रित्व छीनना चाहते थे तो हमको बुरा लगता था लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि प्रजातन्त्र में व्यक्ति विशेष का महत्व होता है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप बहुत ऊँचे सिद्धान्त की बात कर रहे हैं लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में काँग्रेस का बहुमत नहीं आया तो वहाँ पर लोगों को तोड़कर मंत्रिमण्डल बनाने की काँग्रेस के द्वारा प्रक्रिया बरती गई तो उसका खण्डन करने में आपने अपनी सिद्धांतवादिता बताई।

श्री अर्जुनसिंह : मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं उसका विरोधी हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की शंका है तो आज तक आप हमारे विचारों को समझे नहीं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप एक बात का और जवाब दे दीजिए कि काँग्रेस हाई कमाण्ड जब इतना सक्षम नहीं है तो आपने काँग्रेस पार्टी क्यों न छोड दी?

श्री श्यामाचरण शुक्ल : राजस्थान में किसी पार्टी का विशेष बहुमत नहीं था इसलिये विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया गया।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि यदि हमारे शरीर में कहीं पर कुछ खराबी आ

जाये तो हम अपना गला काटकर सामने रख दें। यह अपने-अपने मत का प्रश्न है। यदि कोई खामी है तो दुरुस्त करेंगे। पार्टी के अन्दर का प्रश्न है इसकी वजह से अपनी पार्टी को त्याग के नहीं जायेंगे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यह आप सिद्धान्त की बात बता रहे हैं तो आपके पार्टी के मध्यप्रदेश के लोग जब आये तो उनको रोकते।

श्री अर्जुनसिंह : कोई अपने मत से जा रहा है, हम क्यों रोकें?

एक माननीय सदस्य : आना जाना किसी पार्टी में इतना बुरा नहीं है। केवल बुराई इस बात की है कि एक बीमारी होती है कुर्सी पाने की, इसके लिये जाते हैं, वह बुरा है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इसलिये इस बात को ज्यादा महत्व देता हूँ कि जो काम अच्छी नियत से शुरू नहीं किया जाता उसका परिणाम एक न एक दिन बुरा होता है और अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं आशा करता हूँ कि अपने कक्ष में हम लोगों की बात सुन रहे होंगे, क्यों उनका दोष है, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसकी पृष्ठभूमि में कौन-सी बात है जिसके कारण आज सात दिन से उनकी और उनके सहयोगियों की नींद हराम है। यह होता है अध्यक्ष महोदय, और अब उन लोगों को यही पता नहीं है कि आज हो सकता है कुछ या कल होगा।

श्री गंगाराम जाटव (सारंगपुर, संरक्षित स्थान) : आपने कहां कि कल होगा तो..... होके वही रहता है जो मंजूरे खुदा होता है।

श्री अर्जुनसिंह : गनीमत है, इस आपातकाल में खुदा भी याद आया।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपके उत्तर में, मैं यह कह दूँ "आबाने खल्क को, नक्कारे खुदा समझो।"

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य जैसा कि बार-बार कहा करते हैं कि प्रजातंत्र के अंदर शासन को चलाने के लिये हम लोगों ने शपथ ली है, आपने अपने पद की, मन्त्री की, मैंने साधारण सदस्य की हैसियत से शपथ ली है और माननीय सदस्यों ने भी ली है तो यह सोचेंगे कि प्रजातन्त्र शासन का संवैधानिक आधारभूत सिद्धांत क्या है? प्रजातन्त्र केवल एक चीज पर चलता है वह विश्वास पर। आप जब ऊँचे से इस बात को शुरू करें अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र दल के किसी भी रूप में इस देश की सार्वभौम सत्ता जिन वोटरों के पास निहित है उनके पास जाते हैं। हम उनकी मदद से उनके मत के साथ उनके विश्वास की भी याचना करते हैं और बताते हैं कि अमुक-अमुक सिद्धांतों को लेकर हम आये हैं और वे अपना मत इन्हीं सिद्धांतों के प्रति अपना विश्वास प्रकट करके देते हैं। एक विश्वास अकेला होता है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, दूसरा ढाँचा आता है। हम आप चुने हुए लोग हैं, 5 साल की संविधान की निर्धारित अवधि है, 5 साल के लिए जिस तरह हम चुनकर आये हैं, अगर कोई पार्टी बहुमत में आती है तो वह शासन चलाने की कोशिश करती है.....।

श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा (उप-मंत्री सिंचाई) : जिस आदमी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया हो और वह किसी दूसरे की छाया में चुनाव लड़कर आये और मंत्री पद प्राप्त करने के लिए पचमढ़ी में चक्कर लगाये। उसके संबंध में आपका क्या ख्याल है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि किसी पार्लियामेंटरी विषय पर टिप्पणी करेंगे लेकिन आप मंत्री बनने की प्रक्रिया जो उन्होंने की, बताने लगे जो कि मैंने नहीं अपनाई। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आखिर विश्वास ही होता है प्रजातंत्र में शासन को चलाने के लिए.....।

श्री कृष्णपाल सिंह : शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, आपने अपने भाइयों को जेल में बंद कराके उनकी सम्पत्ति को हड़प कर ली है, यह प्रक्रिया आप अपना रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही यह असमर्थता व्यक्त की कि मैं व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं चाहता। तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि विश्वास आखिर प्रजातंत्र में शासन चलाने के लिए चुने हुए लोगों पर जो 5 साल की अवधि के लिए चुनकर आये हैं, जो प्रजातंत्र के ढाँचे की नीति निर्धारित करते हैं

और शासन चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। यह सब विश्वास पर ही तो है। विश्वास पर ही तो शासन की नीति निर्धारित होती है और उनको कार्यान्वित करने की जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी उनके विवेक पर होती है। यह सब विश्वास के द्वारा ही तो होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो तब क्या होगा। जब हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध आते हैं। इस प्रकार का वितरण शासन निर्माण में होता है। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय इस बात का सम्बन्ध है मैं बताना चाहता हूँ अगर गलती नहीं करता तो हमारे 43 जिलों में से 41 जिला अध्यक्षों का स्थानांतर किया गया है। 41 जिलों के जिलाध्यक्षों का स्थानांतर कौन-सी नीति चलाने के लिए किया गया? क्या वे आपकी नीति को चलाना नहीं चाहते थे, क्या उन्होंने आपकी नीति को चलाने में मदद नहीं की? जिसके कारण आपने 41 जिलों के जिलाध्यक्षों का स्थानांतर किया। इसकी क्या आवश्यकता थी इसका आखिर आधार क्या है? यह जो भानुमति का कुनबा है इसके एक-एक घटक.....।

श्री मोहनसिंह (मन्दसौर) : आपको भानुमति का कुनबा तो नहीं कहना चाहिये। अगर आप इसको भानुमति का कुनबा कहते हैं तो क्या आपकी पार्टी को हम हरजाई का कुनबा कहें?

श्री अर्जुनसिंह : मुझे दुःख है, अगर मोहनसिंह जी को बुरा लगता है तो मैं इसे वापस ले लेता हूँ। यह शासन अलग-अलग दल के लोगों से बना है। मुख्यमंत्री हमारे और माननीय सखलेचा जी जिनको मैं जानता हूँ। मैं तो अध्यक्ष महोदय यह बता सकता हूँ कि अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता उसका एक सप्ताह में 3-3 बार स्थानांतर किया गया। तीसरी जगह पहुँचे कहाँ यहाँ से भी ट्रांसफर हो गया। कहें तो मैं नाम भी बता सकता हूँ लेकिन यह उचित न होगा। मैं पूछता हूँ कि जिस तंत्र के द्वारा आप अपनी नीतियों को, यदि कोई हों, तो उनका अनुसरण करवाते हैं तो आपने उन का भी विश्वास खो दिया है और शासन भले ही आपका बना रहे लेकिन जिस काम के लिये आप यहाँ बैठे हैं वह फायदा आप जनता को नहीं दे सकते और हम केवल अपना भत्ता पाने के लिये और आप मंत्री के पद पर बैठ कर उससे मिलने वाले फायदों के लिये ही भले बने रहें लेकिन कम से कम कोई विवेकशील यह नहीं कह सकता कि मंत्री केवल मंत्री के पैसे लेने के लिए वहाँ बना रहे। इसलिये आपने विश्वास की दूसरी कड़ी को भी खो दिया है। अब तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह यह कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो सदन के नेता भी हैं, वे इस रूप में भी कार्य कर रहे हैं परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बड़े भाई श्री गोविन्दनारायण सिंह जी जो हैं किसी समय उन्होंने सोचा था कि ऐसी विषम परिस्थितियों में उनकी नजर किसी पर बहुत चिढ़ी हुई थी और उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह किया था। आज उनको देखकर न केवल दुःख हो रहा है बल्कि तरस भी आता है कि आज वह स्वयं परिस्थितियों के काबू में हैं। उदाहरण के लिये मैं आरोप के रूप में नहीं बल्कि तथ्य के रूप में देना चाहता हूँ क्योंकि श्री गोविन्दनारायण सिंह जी को मैं बहुत ही दिनों से जानता हूँ। वे बड़े विवेकशील हैं, साहसी हैं और नेता होने के कारण हर एक गुण उनमें विद्यमान हैं। लेकिन मर्यादा की बात की जाती है तो यह सब गुण मिलकर मनुष्य को मर्यादा पुरुषोत्तम बना देते हैं और अगर इन गुणों को भंग किया जाता है तो वह बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। सदन को विदित होगा कि पिछले सत्र में मैंने इस विषय को सदन के सामने रखा था कि किसी भी कारण से क्यों न हो शासन ने उस प्रकरण को जो इस सदन के सम्बन्ध का था वापस लेने की सिफारिश की थी। उस समय हमारे भाई नर्मदाप्रसाद श्रीवास्तव उपाध्यक्ष थे। माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय काका पाण्डेय और सखलेचा जी 4 मुख्य ऐक्टर्स थे। हमने अध्यक्ष काका पाण्डेय से अध्यक्ष के नाते कई बार कहा लेकिन इन तीन मासों में जो कुछ हुआ वह सदन के सामने आया कि हर एक ने एक-दूसरे के ऊपर जिम्मदारी डालने की कोशिश की। जो कुछ भी मंतव्य हमारे मा. मुख्यमंत्री और भाई नर्बदाप्रसाद श्रीवास्तव का रहा हो, सखलेचा जी तो मौन रहे क्योंकि वह होशियार आदमी हैं वह जानते हैं कि कहाँ कब मौन रहना चाहिये लेकिन जिन तथ्यों को मैं बताना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों से विवश होकर वे अपने विवेक और स्वयं के दायित्व को वे भूल गये या उसके लिये असमर्थ पा रहे हैं। मेरे पास प्रमाण है कि मुकदमे में स्वयं मुख्यमंत्री और श्री नर्मदाप्रसाद श्रीवास्तव गवाह के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं और उसके बावजूद न मुख्यमंत्री जी की न श्रीवास्तव साहब की हिम्मत पड़ती है वहाँ जाने की.....

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव (लोक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। आप बहुत सिद्धांत तथा परम्पराओं की बात कह रहे हैं। मैं आपको भी बता सकता हूँ। अदालत से जो नोटिस मेरे पास आया वह सीधे मुझे भेजा गया। संसदीय परम्परा के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा वह आना चाहिये और यही मैंने इसमें प्रस्तुत की है कि जब तक वह सम्मन माननीय अध्यक्ष द्वारा प्राप्त नहीं होता या अध्यक्ष अथवा सदन की अनुमति प्राप्त नहीं होती मैं उपस्थित नहीं हो सकता यह वैधानिक स्थिति है और आप उसको जानते हैं यह मामला अदालत के विचाराधीन है उसमें आप जानते हैं कि मैं गवाह के रूप में नहीं कार्यकर्त्ता के रूप में जाने वाला हूँ और वहाँ पर जो वस्तुस्थिति होगी उसको मैं बोलने वाला हूँ ।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे खुशी हुई कि जो वस्तुस्थिति थी उसका माननीय नर्बदाप्रसाद जी ने दिग्दर्शन करवाया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अब आप से यह कहना चाहता हूँ कि जैसी कि अभी माननीय नर्बदाप्रसाद जी ने कहा कि नोटिस उनको सीधी मिली और उन्होंने कहा कि जब तक उनको अध्यक्ष महोदय के द्वारा नोटिस नहीं मिलेगी तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप यह जानकारी दें कि आप उसमें क्या करने वाले हैं, उस नोटिस को रोकने वाले हैं या सदन की राय उसके संबंध में लेने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। यह हम जानना चाहते हैं। तो इसके संबंध में जो भ्रम है उसको आज सदन के समाप्त होने के पहले ही दूर कर देंगे ऐसी आशा है।

श्री नर्बदाप्रसाद श्रीवास्तव : प्वाइंट ऑफ आर्डर। मैंने जो वस्तुस्थिति थी उसको स्पष्ट कर दिया है अब आपके मन में भ्रम है तो मैं क्या करूँ और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको पटल पर रख दूँगा लेकिन आपके मानस पटल पर आ जावे तो है।

श्री अर्जुनसिंह : मेरे मानस पटल पर तो है।

श्री नर्बदाप्रसाद श्रीवास्तव : इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप आज इस सदन के उठने से पहले सूचना दें तो उचित होगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, चूँकि अर्जुनसिंह जी ने इस प्रश्न को उठाया है इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप चार्ज लगाते हैं कि संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना मंत्रिमण्डल में नहीं है और जब किसी बात का मुख्यमंत्री जी उत्तर देने लगते हैं तो आप कहते हैं कि बाकी सदस्य मौन क्यों बैठे हैं। तो इस प्रकार से कहना कहाँ तक उचित है। अब दूसरी बात जो है वह यह है कि सदन ने जो पंढरीराव कृदत्त को दण्ड दिया कि शेष सत्र से हटाया जावे तो आप यह बतला दीजिये कि उनका अपराध क्या था और आपने जो दण्ड दिया, सदन ने जो दण्ड दिया उसमें दो मत हो सकते हैं। मामला अदालत के विचाराधीन है। और अगर आपमें नैतिकता थी तो आप उसी समय खड़े होकर के कहते कि इनका दोष क्या है? यह तो बतलाइये? जो कि उनको पूरे सत्र के लिए हटाया गया था?

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, सदन ने जो निर्णय लिया है और जो सजा पंढरीराव कृदत्त को दी थी उस पर अगर आप कुछ भी कहते हैं तो वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ चूँकि अर्जुनसिंह जी ने प्रश्न को उठाया है इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बतलाइये जब उनको पूरे सत्र से हटाया गया तो उस समय उनका दोष क्या था?

श्री अर्जुनसिंह : सदन ने उनको दोषी समझा इसलिए उनके विरुद्ध निर्णय लिया।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप प्रजातंत्र और सिद्धांतों की बातें कर रहे हैं। यदि प्रजातंत्र में आपको विश्वास होता तो आप खड़े होकर यह कहते कि पंढरीराव कृदत्त का कोई दोष नहीं है।

उपाध्यक्ष : सदन ने जो निर्णय लिया था कृदत्त जी के बारे में और उस सम्बन्ध के प्रकरण जो अदालत में चल रहे हैं, उसकी चर्चा यहाँ समाप्त कीजिए और आगे बढ़िए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठता है कि जैसा शर्मा जी का जोर का भाषण हुआ इसीलिए

वह बाहर चले गए। शर्मा जी गीता और महाभारत का उल्लेख करके तर्क देते रहे लेकिन यहाँ कई ऐसे हैं जो गीता और महाभारत का उद्धरण नहीं दे सकते हैं, घर में पढ़ते हैं, देखते हैं फिर इसमें दिक्कत आती है कि किस संदर्भ में कौन-सा उद्धरण दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज अवश्य जानना चाहता हूँ वह यह कि शासन को ले लेना या छोड़ देना यह राजनैतिक परिस्थिति पर डिपेन्ड करता है, चाहे आपके हाथ में रहे या हमारे हाथ में रहे मैं इसे कोई महत्व नहीं देता। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रजातंत्र में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, महत्व है तो सिद्धांत का है जिसके आधार पर प्रजातन्त्र की स्थापना हुई है। यहाँ कई दल शासन में बैठे हैं और शासन चला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूँ, शायद माननीय सदस्य शर्मा जी का उत्तर आ जावे। इस प्रदेश को कृपा करेंगे यदि मुख्यमंत्री जी इस बात से परिचय करावेंगे कि उनका शासन किस नीति के आधार पर चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री गोविन्द नारायण सिंह जी को बड़ा भाई मानता हूँ। हम इधर होकर विरोध करते हैं लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमें व्यक्ति विशेष को महत्व देकर प्रजातन्त्र को आगे चलाना है। कुछ दिन पहले स्वयं मुख्यमंत्री ने रतलाम या कहीं पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि यथाकथित 25 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है.....

श्री शीतला सहाय : जानकारी ले लीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : जानकारी लेने मैं उनके कक्ष में जाऊँगा नहीं। उन्होंने यह मुख्यमंत्री जी की हैसियत से सार्वजनिक सभा में अनभिज्ञता प्रकट की और उसका सुन्दर चित्र और स्वयं के हस्ताक्षर से हमें बाँटा गया। अध्यक्ष महोदय, यह दिशाविहीन, उद्देश्यविहीन, परम्परा की कमी इस प्रजातांत्रिक शासन को हम क्या मानें यह मुख्य मंत्री जी स्वयं बतावें। हम गीता युग में नहीं पड़ना चाहते, महाभारत की दुहाई नहीं देना चाहते हम तो आज के भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। हम स्वतंत्र भारत में जो विचारों का संघर्ष है उस संघर्ष के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की नीति क्या है? मैं औरों से नहीं पूछना चाहता क्योंकि बाकी जो लोग शामिल हो गए हैं उनकी नीति यही थी कि गवर्नर का पत्र मिले कि आकर शपथ लीजिए। लेकिन कभी-कभी वह ऊँची बातें कर देते हैं इसलिए मैं विशेष रूप से उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि यह शासन किस नीति के आधार पर चल रहा है। जिसके बारे में आपस में आपके घटकों में मतभेद है.... (अपूर्ण)

(दो से तीन बजे तक अन्तराल)

{उपाध्यक्ष महोदय (श्री रामकिशोर शुक्ल) पीठासीन हुए।}

श्री अर्जुनसिंह (भाषण पूर्वानुबद्ध) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में हल्ला बहुत हो रहा है।

उपाध्यक्ष : सावधान, सावधान। जो शोर हो रहा है, वे शांत रहें, दर्शक दीर्घा में जो शोर हो रहा है वे शांत हो जाइए।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि नीति, दिशा और उद्देश्यविहीन यह शासन केवल एक एडहॉक शासन के बतौर प्रदेश में शासन तंत्र को चला रहा है और उसका प्रमाण है एप्रोप्रिएशन के बिल का उत्तर देते हुए स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। वह प्रमाण इस प्रकार था। आपको मालूम है कि संपूर्ण लगान की माफी का एक बहुत बड़ा इस प्रदेश का प्रश्न संविद की जो घटक पार्टियों ने उठाया है। 25 सूत्रीय कार्यक्रम में भी पहला कार्यक्रम है। जब यह कार्यक्रम बना तभी से इस कार्यक्रम के अन्दर घटक पार्टियाँ विशेषकर संसोपा और प्रसोपा और कौतूहलवश उनके शासन के बाहर अन्य सार्वजनिक महत्व के लोगों ने इस शासन की अंतिम नीति जानने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री से लेकर और जो माननीय मंत्री प्रभारी हैं श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त और वित्त मंत्री दूसरे गुप्त ये सब लोग गुप्त रखे रहे और अपने-अपने तरीके से इस इशु के चारों तरफ बातें कहते रहे हैं। कभी कहा किसान नहीं चाहते, कभी कहा कि इसके द्वारा जो क्षति होगी उसके लिए पूर्ति का प्रबंध कर लें और कदम उठायें। इस तरह के भाषण समाचार पत्रों में और इस सदन में भी होते रहे। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही उनके संविद शासन के एक घटक संसोपा ने कहा, 2 अप्रैल तक इस विषय में कोई

निर्णय नहीं होगा, तो वे बाध्य हैं इस शासन से अपना समर्थन वापिस लेंगे। ऐसे प्रश्न, सभी प्रश्न जिनकी वजह से वित्त मंत्री की नींद हराम हो गई, एकाएक रातों रात गायब हो गए और यहाँ कहा है.....

श्री रामानन्द सिंह : कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनसंघ की राय नहीं है।

श्री कृष्णकुमार नूतन (कुरवाई) : जनसंघ भी पक्ष में था।

श्री रामानन्दसिंह : जनसंघ के माननीय उप राजस्व मंत्री ने जगह-जगह कहा है जनसंघ नहीं चाहता है कि लगान माफ हो, न लगान माफ जमीन ऐसा वह नारा क्या समाप्त है।

श्री कृष्णकुमार नूतन : वह बिलकुल सच है कि किसान का लगान माफ होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा श्री रामानन्द जी से एक ही निवेदन है कि वे अपने बारे में चाहें तो गलत वक्तव्य दें लेकिन दूसरों के बारे में गलत वक्तव्य न दें।

श्री रामानन्दसिंह : मैं श्री सखलेचा जी से यह जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है लगान माफी के संबंध में क्या उसके लिए जनसंघ की अनुमति उनको मिल चुकी है?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : जवाब में उत्तर मिल जाएगा।

श्री रामानन्दसिंह : यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वित्त मंत्री जी ने बजट में लगान से भी इनकम बताई है फिर यह नाटकीय ढंग से घोषणा क्यों की गई है? जहाँ तक 25 सूत्रीय कार्यक्रम का सवाल है उसमें यदि हत्या करने की बात भी रख दी जाये तो मैं मान लूँगा।

उपाध्यक्ष : सावधान, सावधान। देखिए जो प्रश्न रामानन्दसिंह जी ने उठाया है उसका जब शासन जवाब देगा, उत्तर मिल जाएगा। समय बहुत कम है। अब मैं श्री अर्जुनसिंह जी से कहूँगा कि वे दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सब स्वयं इस बात को प्रमाणित करता है। माननीय मुख्यमंत्री और उप-मुख्य मंत्री के बीच में क्या बात हुई और क्या नहीं हुई उस बारे में तो मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि थोड़ी देर पहले सखलेचा जी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो उसमें उनकी भी सहमति है। मैं यही मान कर चलता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का प्रमाण है कि कितने एडहॉक तरीके से यह शासन चल रहा है। इस एडहॉक तरीके से शासन तंत्र चलने से इसमें ऐसी अस्तव्यस्तता हो गई है कि इसका परिणाम भोपाल में नहीं जिलों में जाकर देखें तो पता चलता है कि किस अस्तव्यस्तता से यह शासन चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर एक शब्द श्रीमती विजयाराजे सिंधिया राजमाता जी साहिबा से निवेदन करना चाहता हूँ। उनकी अनुपस्थिति में ही सही लेकिन मैं यह बात मानता हूँ और आशा करता हूँ कि उन तक मेरी बात पहुँचेगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वे एक साधारण सदस्या नहीं हैं बल्कि वे उस दल की नेत्री हैं। दल की नेत्री होने के नाते उस दल के प्रत्येक क्रियाकलापों के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व उनका स्वयं का है और मैं आशा करता हूँ कि उस उत्तरदायित्व से वे अपना मुख नहीं मोड़ेंगी। हमारे साथी श्री कृष्णपाल सिंह जी ने जो कहा था उस पर उन्होंने आपत्ति प्रकट की थी हम उनकी आपत्ति उचित समझते थे और लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के गठबंधन में सरकार बन जाना एक चीज है लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र के अन्दर कुछ मान्य सिद्धांतों के आधार पर इस शासन तंत्र को प्रेरित करना नेत्री के नाते इस सदन को गलत रास्ते पर जाने से बचाना एक अलग चीज है। उन्होंने अपने नेतृत्व में यह कर्त्तव्य नहीं निभाया है। केवल निभाया ही नहीं है बल्कि मेरा आरोप यह है कि इस शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनिश्चितता का बहुत कुछ श्रेय श्रीमती राजमाता विजयाराजे सिंधिया को है। इस संबंध में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सदन में बात हो चुकी है। श्रीमती राजमाता उज्जैन पधारी थीं। वहाँ पर उन्होंने उज्जैन के छात्रों एवं नागरिकों के काले झण्डों से बचने के लिए लिखित रूप में आश्वासन दिया कि वहाँ पर मेडीकल कॉलेज खुल जायेगा। ओरीजनल कागज मेरे पास है जिसमें उन्होंने दस्तखत बनाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सदन के स्वास्थ्य मंत्री महोदय कहते हैं कि जबलपुर में मेडीकल कॉलेज होगा। उसके बाद सागर के लोग राजमाता के पास पहुँचे, राजमाता सागर को अपना मायका बताती हैं, तो मायके के लोग

पहुँचे उनको भी वरदान मिल गया कि आपको भी मेडीकल कॉलेज मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, शासन स्वयं अपना मत नहीं बना सका कि मेडीकल कालेज कहाँ होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी बिलासपुर का कभी-कभी नाम लेते हैं। इस प्रकार शासन में दायित्व एक जगह है और अधिकार दूसरी जगह हैं। इसमें सिवाय अनियमितताओं के और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर माननीय राजमाता साहिबा ने सच्चे रूप से अपने भाव प्रकट किए थे शायद शासन उनके पौराणिक महत्व को कम कर रहा है बढ़ा नहीं रहा है। इस प्रकार उत्तरदायित्व से परे होकर राजनैतिक लाभ उठाने के लिए स्वयं राजमाता साहिबा ने रीवा के अन्दर जब कि उनके साथ वित्त मंत्री भी थे, वहाँ उनका स्वागत किया गया, स्वागत उनका करना चाहिए इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। वहाँ पर एक सार्वजनिक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे इस बात के कहने में दुख हो रहा है क्योंकि शायद श्री सूर्यदेव शर्मा यह भूल जाते हैं कि यह मध्यकालीन युग नहीं है यह 68 का युग है, सार्वजनिक सभा में माननीय मुख्यमंत्री ने राजमाता की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि रीवा में विश्वविद्यालय चाहते हैं तो आप राजमाता से कहिए। वे कहेंगी तो मैं विश्वविद्यालय खोलूँगा।

श्री गोपालशरण सिंह (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, बहुत से लोग वहाँ थे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने राजमाता से हाथ जोड़कर कहा था कि राजमाता से कहिए।

श्री अर्जुनसिंह : हाथ नहीं जोड़े होंगे वैसे ही कहा होगा कि उनसे प्रार्थना करिए। कहा जरूर गया कि प्रार्थना करिए। प्रार्थना से गदगद होकर वरदानस्वरूप राजमाता ने घोषणा की कि अगली जुलाई से वहाँ पर विश्वविद्यालय खुल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जो कि स्वयं वहाँ के रहने वाले हैं। अन्य मंत्री भी वहाँ मौजूद थे उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस समय इस बजट की पूर्ति करके मंत्रिमंडल में और सदन में लाने वाले थे आपको मालूम था कि राजमाता ने रीवा में विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कोई प्रावधान इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पेश नहीं किया। यूनिवर्सिटी की घोषणा हो चुकी है और उसका कोई भी प्रावधान बजट में रखा नहीं गया और अब जो सेशन होगा वह अगस्त में होगा तो फिर रीवा में यूनिवर्सिटी किस प्रकार से खुलेगी।.....

श्री गोपालशरण सिंह : यूनिवर्सिटी बिना यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की आज्ञा के नहीं खुल सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : आपने यूनिवर्सिटी की घोषणा तो राजमाता साहिबा से करा दी क्योंकि राजमाता साहिबा अब विराजमान हो गईं हैं इसलिए मैं यह सब उन्हीं के सामने कहना चाहता हूँ। वे एक बहुत बड़े घराने की संभ्रांत महिला हैं उनकी जनता में जो प्रतिष्ठा, है जो मान है उनको राजनीति के दाव-पेचों का ज्ञान नहीं है और यह शासन जो कि उनके नेतृत्व में चल रहा है उनकी घोषणाओं को पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। जो घोषणा उन्होंने सार्वजनिक रूप से की है उसको पालन करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस रोज हमें बन्द करने की कोशिश की गई थी उसमें कुछ सचाई थी। इस प्रकार से जो राजमाता साहिबा की जनता में प्रतिष्ठा है उसको यह सार्वजनिक स्थानों में घोषणा करवा के और उनको पूरा न करके उनकी मान और प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके इस कुनबे के द्वारा जिसकी आप नेता हैं आपकी प्रतिष्ठा भंग की जा रही है।

एक बात और मैं मुख्यमंत्री महोदय के बारे में कहना चाहता हूँ क्योंकि वे इस समय यहाँ पर हैं नहीं फिर सम्बोधन तो उन्हीं को करना पड़ेगा क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव तो उन्हीं के मंत्रिमण्डल के विरुद्ध आया है। मेरे भाई गोविन्दनारायण सिंह में वे सब गुण विद्यमान हैं जो एक नेता में होना चाहिए केवल एक ही बात की कमी है कि किस समय किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक समय उन्होंने इस विधानसभा में कहा था कि जो प्रणाली है उसको अधिक विकृत मत करिए। मैं उनके ही शब्दों को यहाँ पर दोहराता हूँ कि वे प्रजातंत्र की रक्षा के लिए क्योंकि यह शासन तो कोई शासन नहीं है। उनका जो दायित्व है प्रजातंत्र के प्रति उसका वे पालन करें। और प्रजातंत्र को और अधिक विकृत होने से बचायें। उसको बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठायें। मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का क्योंकि दुर्भाग्य से इसको अविश्वास का प्रस्ताव कहना पड़ रहा है क्योंकि प्रणाली ऐसी है, इस प्रस्ताव का तो वे सब समर्थन करेंगे जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 30 मार्च 1968, पृष्ठ- 1934-1942)

सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय दर से महँगाई भत्ता देने के लिए अन्वेषण समिति के प्रतिवेदन पर श्री के.एन. प्रधान का तारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न और उनके उत्तर। श्री अर्जुनसिंह ने महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न किये—

श्री के.एन. प्रधान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने शासकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष महँगाई भत्ता देने के लिये साधन सम्बन्धी सुझाव देने के लिये जो साधन अन्वेषण समिति बनाई थी, उसको किन-किन मुद्दों पर प्रतिवेदन देना था? (ख) उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन शासन को कब प्रस्तुत किया? (ग) समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशें की हैं? (घ) शासन ने समिति की सिफारिशों पर कब और क्या-क्या निर्णय किये?

श्री गोविन्दनारायण सिंह (मुख्यमंत्री) : (क) साधन अन्वेषण समिति को निम्नांकित मुद्दों पर प्रतिवेदन देना था :—

(1) राज्य शासन के 450 रु. प्रति मास वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बढ़ा महँगाई भत्ता उपलब्ध करने के लिये किन तरीकों से राशियाँ प्राप्त की जा सकती हैं,

(2) शासन को उस तिथि के संबंध में सुझाव देना जब से बढ़ा महँगाई भत्ता दिया जाये,

(3) संघ की अन्य माँगों पर भी जाँच करना और उस सम्बन्ध में शासन को सिफारिश करना,

(ख) उपर्युक्त (1) तथा (2) मुद्दों पर साधन अन्वेषण समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन 4-5-68 को प्रस्तुत किया, (ग) केन्द्रीय दर से महँगाई भत्ता दिया जाने के सम्बन्ध में सिफारिश की, (घ) समिति के सिफारिश में बढ़ा महँगाई भत्ता दिया जाने की तिथि में मतैक्य न होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासन ने महँगाई भत्ता दिनांक 1-12-68 से स्वीकार किया।

श्री के.एन. प्रधान : क्या यह सही नहीं है कि जब यह समिति गठित हुई थी तो यह आश्वासन शासन द्वारा दिया गया था कि केन्द्रीय महँगाई भत्ता, जैसा समिति रिपोर्ट देगी, उसी हिसाब से दिया जायेगा।

श्री गोविन्दनारायण सिंह : ऐसा आश्वासन मैंने कभी नहीं दिया है, न सदन में, न सदन के बाहर।

श्री के.एन. प्रधान : इस प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि समिति में मतैक्य नहीं था तो इसका क्या मतलब है इसको भी जरा स्पष्ट कर दें तो अच्छा हो। वैसे अध्यक्ष महोदय, अभी शास्त्री जी ने जो प्रश्न पूछा उसका भी यही आशय था कि दो बार लिखित रूप में यह आश्वासन दिया जा चुका है कि 1-4-67 से कर्मचारियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता दिया जावे, उसके बाद भी आपने नहीं दिया। अब आप गलत बोल रहे हैं। तो आपने जो आश्वासन दिया है उसका आप चाहें तो किसी से भी इन्टरप्रिटेशन करवा लीजिये तो उससे बिलकुल स्पष्ट हो जावेगा।

श्री गोविन्द नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस पत्र के लिखने वाले हम और अब उसका इन्टरप्रिटेशन हम किसी दूसरे से करवायें, यह तो कुछ समझ में नहीं आता, एक बात। दूसरी बात समिति में मतैक्य नहीं था जैसा कि उत्तर में दिया है और अगर उनमें मतैक्य हो भी जाये तो भी हम नहीं दे सकते थे।

श्री के.एन. प्रधान : पत्र लिखने वाले आप, कर्मचारियों पर लाठी चलाने वाले आप, नौकरी से निकालने वाले आप, सस्पैंड करने वाले आप, गिरफ्तार करने वाले आप, फिर उनको आश्वासन देकर पत्र लिखकर मुकर जायें, तो उनका फैसला कौन करेगा, यदि आप ईमानदारी से काम लेना चाहते हैं तो उन पत्रों का किसी निष्पक्ष व्यक्ति से इन्टरप्रिटेशन करा लीजिए।

श्री गोविन्दनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी का प्रश्न मैंने श्री प्रधान साहब के लिए ही छोड़ दिया है क्योंकि उनसे ज्यादा ईमानदार मुझे ढूँढ़ने से भी मिला नहीं। उसके बाद रह गया यह प्रश्न कि कर्मचारियों को किसने कितना उकसाया, उसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसके संबंध में जो हमने निर्णय लिया है उसको हमने आपको बतला दिया है और अगर आप उसको अमान्य करते हैं तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर के हमको निकाल दीजिए। हमने कह दिया है कि हम 1-4-67 से महँगाई भत्ता नहीं दे सकते हैं। हम

1-12-68 से महँगाई भत्ता केन्द्रीय दर पर देंगे यह हमारा निश्चित निर्णय है।

श्री के.एन. प्रधान : उस रिपोर्ट में समिति ने जो दूसरे सुझाव दिये हैं उसके संबंध में क्या अमल किये गये हैं?

श्री गोविन्दनारायण सिंह : दूसरे जो सुझाव आये हैं वे 2½ करोड़ रुपयों के टैक्स जनता पर लगाने के संबंध में आये थे। तो जनता के ऊपर टैक्स लगाकर हम कर्मचारियों को महँगाई भत्ता नहीं दे सकते हैं। जब आपका टर्न आयेगा तो आपे कर्मचारियों को महँगाई भत्ता जनता के ऊपर टैक्स लगाकर के दे दीजियेगा।

श्री गंगाराम तिवारी : अभी आपने कहा है मेडीकल जुरिस्प्रुडेन्स के अनुसार नहीं कहा जा सकता है कि चोट काहे से आई तो यह कैसे है?

श्री गोविन्द नारायण सिंह : मैं रिपोर्ट का पैराग्राफ ही पढ़ देता हूँ :

"As regards payment of increased D.A. from 1-4-68.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : प्वाइंट ऑफ आर्डर। यह हिन्दी में काम हुआ है या अँग्रेजी में?

श्री गोविन्द नारायण सिंह : मैं इसका हिन्दी में अनुवाद कर देता हूँ। वैसे यह रिपोर्ट 15 अगस्त 1968 के पहले की है, यह 6-6-68 की रिपोर्ट है। अच्छा, इसका आप अनुवाद सुन लीजिये—

"जहाँ तक 1-4-68 से महँगाई भत्ता देने का सवाल है उसके संबंध में जो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर थे और उसमें कर्मचारी यूनियन के सदस्य भी थे, उनकी राय थी कि 1-4-68 से केन्द्रीय दर से महँगाई भत्ता दिया जावे। लेकिन बाकी जो सदस्य थे उन्होंने यह कहा कि डीअरनेस एलॉउन्स की तारीख अधिकारियों के ऊपर छोड़ दी जावे।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही सदस्यों का समान उत्तरदायित्व नहीं था?

श्री गोविन्द नारायण सिंह : यह देखने का उत्तरदायित्व उनका था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है कि जिन-जिन पर यह उत्तरदायित्व था, क्या सभी की यह राय है। हम पर भी उत्तरदायित्व था और अगर उत्तरदायित्व नहीं था तो उत्तरदायित्व विहीन लोगों को आपने इस कमेटी में क्यों रखा?

श्री गोविन्द नारायण सिंह : तिवारी जी ने इसे गलत समझा, इस गलती के लिये आप मुझे क्षमा करें। जो राय है, वह मैंने आपको बता दी। सभी उत्तरदायी हैं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : आपने उस कमेटी में नॉन-ऑफिशियल मेम्बर्स को भी रखा था। उन्होंने जो सुझाव दिया, उसे आपने नहीं माना और जो शासकीय अधिकारी थे, जो आपके इशारों पर चलते थे उनकी राय को आपने मान लिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो गैर-सरकारी सदस्य थे उनकी राय को देखते हुए आप क्यों मँहगाई भत्ता नहीं देते?

श्री गोविन्द नारायण सिंह : जहाँ तक गैर-सरकारी सदस्यों की बात है, जितनी हमें सुविधा है उतना ही काम हम कर सकते हैं। मैंने कह दिया कि उनकी राय भी हो तो भी हम नहीं दे सकते, 1-7-67 से नहीं दिया जा सकता। आप यदि आयें शासन में फिर आप भी नहीं दे सकेंगे। आप वहाँ बैठे हैं, आपको अपनी जय बुलवाना है। इसलिये आपने कह दिया। लेकिन आप यदि यहाँ आ जायें तो आप भी नहीं दे सकते, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री अर्जुनसिंह : आपने जो शासकीय अधिकारी थे उनकी राय को महत्व दिया और जो गैर-सरकारी सदस्य थे उनकी राय से सहमत नहीं हुए। मैं उन स्पष्ट परिस्थितियों को जानना चाहता हूँ जिन में आपने समिति का गठन किया था? क्या इसका यह अर्थ निकाला जावे कि आपने जिन शासकीय सदस्यों को बैठाया था उन्होंने गैर-सरकारी सदस्यों को.....

(श्री द्वारका प्रसाद मिश्र के सदन में प्रवेश करने पर डेस्कों की थपथपाहट।)

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह ताली नहीं पीटी जा रही है। यह श्री श्यामाचरण शुक्ल के फोड़े पर नमक छिड़का जा रहा है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, विरोधियों को काँग्रेसियों में एकता देखकर तकलीफ हो रही है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : पंडित जी नमक छिड़कने का काम औरों पर छोड़ दीजिए। उनको छिड़कने दीजिए।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पुरानों में एक कथा है कि ययाति ने अपने पुत्र की जवानी ले ली और उसे बुढ़ापा दे दिया। उसी प्रकार श्री डी.पी. मिश्र ने अपने जवान भतीजा श्री श्यामाचरण शुक्ल की नेतागिरी को छीनकर दल के नेता बन गये हैं। संविद तो इनका स्वागत करती है क्योंकि जब तक महाराजा ययाति नेता पद पर रहेंगे, संविद सुरक्षित है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको चलने दिया जावे। जो रिपोर्ट है उसको क्या मुख्यमंत्री जी सदन में रखने की कृपा करेंगे?

श्री गोविन्द नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो उसका सदस्य था नहीं। मेरा विश्वास है उनको पूरी जानकारी हो गई है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना सही है कि जो शासकीय अधिकारी समिति में नियुक्त थे, मैं समझता हूँ कि उनमें फायनेन्स सेक्रटरी भी थे तो यदि उन लोगों ने समिति को प्रदेश की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी दे दी थी उसके बावजूद यदि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों ने इस प्रकार की सिफारिश की तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या मापदण्ड था और यह जानने के लिये आवश्यक है कि समिति की पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जावे ताकि हम समझ सकें कि ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसके कारण समिति के गैर-सरकारी सदस्यों ने एक सिफारिश की और जो समिति के शासकीय सदस्य थे उन्होंने दूसरी सिफारिश की। इसका क्या मापदण्ड था, उसको हम जानना चाहते हैं। इसलिये समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जावे। जानकारी के अभाव में हम कह नहीं सकते कि उन्होंने जो राय जाहिर की वह सही आधारों पर की या जानबूझकर जनता को धोखा देने के लिये जाहिर की?

श्री गोविन्दनारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष, आदरणीय मिश्रा जी आ गये हैं उनका पहले स्वागत कर दूँ और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कम से कम काँग्रेस विधायक दल की ओर से ऐसे प्रश्न न उठाये जावें जो आगे चलकर उनके गले पड़ने वाले हों। जैसे कि कर्मचारियों के महँगाई भत्ते का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि वह समय-समय पर अपने दल के लोगों को निर्देश देते रहे कि ऐसे प्रश्न न उठाये जावें कि जब हम पहुँचें तो मुश्किल हो। अब मैं जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट को सदन में रखना इसलिये उचित नहीं समझता कि फेक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के रूप में वह समिति बनी थी और उसकी रिपोर्ट पर शासन ने निर्णय ले लिया है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी यह चाहिये कि क्या विभीषण का स्वागत रावण ने स्वीकार कर लिया?

श्री अर्जुनसिंह : मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शासन ने रिपोर्ट पर निर्णय ले लिया यह बात अलग है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में स्वयं कहा है कि गैर-सरकारी सदस्यों और सरकारी सदस्यों की राय में मतैक्य नहीं था ऐसी परिस्थिति में गैर-सरकारी सदस्यों की राय को प्रधानता नहीं दी गई। इसके कौन से कारण थे, यह क्या जनहित में बताना उचित नहीं है? यदि ऐसा आप नहीं मानते तो जो रिपोर्ट गैर-सरकारी सदस्यों ने दी, वह चाहे किसी भी दल के हों लेकिन वह जनता के प्रतिनिधि के रूप में समिति में गये थे। फिर क्या कारण है कि रिपोर्ट में मतैक्य नहीं हो सका यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इसलिये मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि वह समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें?

श्री गोविन्दनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि हम निर्णय ले चुके हैं इसलिये समिति की रिपोर्ट को पटल पर रखने का कोई अर्थ नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या पटल पर रखना जनहित में नहीं है?

श्री गोविन्द नारायण सिंह : किसी भी हित में नहीं है।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जो फैसला किया है वह प्राइस इण्डेक्स के अनुसार महँगाई तय करने का सिद्धान्त है या नहीं?

श्री गोविन्दनारायण सिंह : प्राइस इण्डेक्स से महँगाई फिक्स करने के चक्कर में न पड़िए, यह बड़ा भारी चक्कर होगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 9 सितम्बर 1968, पृष्ठ- 24-28)

विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में 11 सितम्बर 1968 को सदस्य श्री कल्याण जैन (इन्दौर-2) ने टाट पट्टी प्रकरण के बारे में प्रश्न पूछते हुए मुख्यमंत्री श्री गोविन्द नारायण सिंह से वक्तव्य देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया किन्तु सदस्यगण संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई करने की माँग की। इस बहस में श्री अर्जुनसिंह ने भी हिस्सा लिया। बहस दूसरे दिन भी चलती रही। 18 सितम्बर को इसी प्रकरण के संबंध में विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गयी जिसमें श्री अर्जुनसिंह भी शामिल थे —

श्री कल्याण जैन (इन्दौर-2) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। टाट पट्टी प्रकरण की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत हो गई है और उस पर शासन क्या कर रहा है? मालूम ऐसा हुआ है कि जो घपले उसमें बताये गये हैं उनको दबाया जा रहा है। उस पर मुख्यमंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल (लोरमी) : टाट पट्टी प्रकरण में काफी घपले हुए हैं और उसमें शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी इन्वाल्व्ड हैं उनको निलम्बित किया जाना चाहिये और ऐसा भी मालूम हुआ है कि उसमें शिक्षा मंत्री का भी हाथ है इसलिये उनसे त्याग पत्र ले लिया जाना चाहिये। उस रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होनी चाहिये। उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार नूतन (कुरवाई) : टाट पट्टी प्रकरण की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उस पर सदन में चर्चा का समय निश्चित कर दिया जाना चाहिये।

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल : इस प्रकरण में चर्चा के लिये समय निश्चित कर दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री (सिरमोर) : अध्यक्ष महोदय, टाट पट्टी की जो रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई है उस पर चर्चा करने के लिये समय नियुक्त किया जाना चाहिये क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मेरा यह निवेदन है।

टाट पट्टी प्रकरण के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच कराने सम्बन्धी मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री गोविन्दनारायण सिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, टाट पट्टी प्रकरण की जो रिपोर्ट सदन समय 12-3 के समक्ष प्रस्तुत हुई है वह बहुत बड़ी है.....।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकरण को टाट पट्टी प्रकरण न कहें बल्कि धर्मपाल गुप्ता प्रकरण कहें।

श्री धर्मपालसिंह गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गुलाबचन्द तामोट के कथन पर घोर आपत्ति करता हूँ।

श्री गोविन्दनारायण सिंह : जो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई है उसमें यह तो सदन स्वीकार करेगा कि टाट पट्टी प्रकरण में हमारी नीयत किसी प्रकार से गोल-माल करने की नहीं है। (शोर गुल) और इसीलिये सब से पहले, यह पहला प्रेसिडेन्स है जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जिसमें ऐसे प्रकरण के लिये विधानसभा की समिति को जाँच के लिये सौंपा गया हो। जाँच की रिपोर्ट आई, काफी लम्बी रिपोर्ट है— सबसे बड़े आश्चर्य की बात रिपोर्ट में मुझे यह मालूम हुई कि यह समिति नियुक्ति होने के बाद भी धाँधलेबाजी चलती रही। उसकी जाँच करने के लिये मैंने एक अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार किया। लोगों ने सोचा कि श्री राधाकृष्णन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन को नियुक्त किया जावे। क्योंकि आदमी ऐसा होना चाहिये जिसकी इण्टीग्रीटी के सम्बन्ध में किसी को कोई शंका न हो लेकिन उनको हम नियुक्त नहीं कर सके क्योंकि आगे इसकी फाइलें उनके पास आ सकती हैं। इसलिये एक्स चीफ जस्टिस श्री भट्ट से पूछने के लिये हमने जबलपुर फोन लगाया, मालूम हुआ कि वह वृंदावन

गये हैं। उसके बाद मालूम हुआ कि वह अपने लड़के के पास मुरैना गये हैं। मैंने मुरैना फोन लगाया, वहाँ से मालूम हुआ कि वह दुर्ग गये हुए हैं। दुर्ग से फोन पर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इस प्रकरण की जाँच करना स्वीकार कर लिया है। श्री भट्ट जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उनको हम नियुक्त करने जा रहे हैं। सदन की रिपोर्ट हमें अमान्य है लेकिन उसको कानूनी रूप देने के लिये एक डिपार्टमेंटल जाँच द्वारा काम करना है। उसमें यदि क्रिमिनल केस साबित हुआ तो उनको कानून के हवाले किया जावेगा और यदि डिसमिसल का केस हुआ तो उनको डिसमिस किया जावेगा। सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम किसी बात को छुपाकर नहीं रखना चाहते, उसकी पूरी जाँच होगी, कोई भी बात छुपाने की नहीं। मैं इन्तजार कर रहा हूँ कि भट्ट साहब आ जायें और प्रकरण को देख लें और उनमें जो अधिकारी इन्वाल्व्ड होंगे उनको निलम्बित करूँगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाऊँगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

(शोरगुल)

अध्यक्ष : ऑर्डर— आप सब लोग बैठ जाइये। श्री मथुराप्रसाद दुबे।

श्री मथुराप्रसाद दुबे (कोटा) : इस प्रकरण में भट्ट साहब को आपने नियुक्त किया, वह जाँच करके अपनी राय देंगे और फिर कार्यवाही होगी। उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन जब हाउस की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और जिसके कुंजीलाल दुबे पहले चेयरमेन थे जो एक जिम्मेदार आदमी हैं, मैं नहीं समझता उनके प्रति किसी को किसी तरह की भावना होगी और उन्होंने पूरी छानबीन करके रिकार्ड रखा है। काफी गम्भीर आरोप हैं। मुख्यमंत्री जी आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि घटनाएँ अशोभनीय हैं। प्रश्न यह है कि इस काम में कुछ न कुछ हो सकता है और कोई इसमें ढील करने की आवश्यकता नहीं है। यह आप पर है कि उसकी प्रक्रिया क्या हो। लॉ डिपार्टमेंट है वह राय देगा। उसमें कुछ प्रायवेट आदमी हैं जिन्होंने फोरजरी किया है, वह प्रमाणित है। अनियमितता की है, अगर फोरजरी किया है, धोखा दिया है, चीटिंग किया है, गबन किया है, प्रॉफीटियरिंग किया है तो उसको सी.आई.डी. इन्क्वायरी को देवें और उनकी जाँच हो। माननीय प्रधान साहब जिम्मेदार आदमी हैं। मेरे बड़े भारी मित्र हैं, मैं आदर करता हूँ, माननीय सदस्यों ने आदर दिया है पर आप धर्म संकट में जरूर हैं। मैं भट्ट जी के संबंध में कुछ नहीं कह सकता वे सर्वमान्य व्यक्ति हैं। इस मामले की जाँच की आवश्यकता है? आप स्वयं में इतने बुद्धिमान हैं आप से कोई बात छिपी नहीं है। आप परीक्षण करिए और उसके आगे काम चले और उचित कार्यवाही हो।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, उन्होंने जो अभी घोषणा की वह घोषणा अपने स्थान पर किसी विभिन्न पृष्ठभूमि में बड़ी सराहनीय होती। मुझे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यह निवेदन करना पड़ेगा कि उन्होंने एक्स चीफ जस्टिस श्री भट्ट को नियुक्त करने की घोषणा की उसके पीछे क्या उद्देश्य है? अध्यक्ष महोदय, जैसा सदन को स्मरण होगा इस विषय को इस सदन में माननीय सदस्यों ने उठाया। मुझे आप क्षमा करेंगे इसका 2 मिनट उल्लेख करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन की इच्छा को देखते हुए और स्वयं के दायित्व को देखते हुए उन्होंने सचमुच में सदन में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। सदन की समिति नियुक्त करने का निर्णय किया। अध्यक्ष महोदय, आपने इस समिति की नियुक्ति की। आपने माननीय सदस्यों को और वरिष्ठ सदस्यों को नियुक्त किया। माननीय श्री वसंत सदाशिव प्रधान सभापति हैं। पहले दुबे जी सभापति थे वे कुछ कारणों से अलग हो गये।

अध्यक्ष महोदय, समिति ने 4-6 महीने लेबर किया, प्रयत्न करके अधिकारियों की साक्ष्य लेकर डॉकुमेंट एग्जामिन करके रिपोर्ट प्रस्तुत किया। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो तथ्य समिति के द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये क्या उन तथ्यों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्रिमंडल को किसी प्रकार का संदेह है जिसके ऊपर एक्स चीफ जस्टिस माननीय भट्ट वहाँ बैठकर निर्णय करें।

दूसरा प्रश्न यह है कि जहाँ तक विभागीय इन्क्वायरी करने का प्रश्न है मैं समझता हूँ एक्स चीफ जस्टिस भट्ट के पुनः इन्क्वायरी करने के बाद विभागीय इन्क्वायरी करने का प्रश्न फिर भी आपके सामने उपस्थित होगा। भट्ट साहब द्वारा इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता रह गई है। वे भले ही दूसरे प्रश्न सामने लायें लेकिन विभागीय

कार्यवाही आज भी मुख्यमंत्री ले सकते हैं। शायद सदन की समिति पर विश्वास न हो इससे भट्ट साहब से इन्क्वायरी करा कर पुष्टि करना चाहते हैं तब तो कोई एतराज नहीं है लेकिन आज भी इस सदन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं जिसके आधार पर संबंधित मंत्री और विभाग इन्क्वायरी कर सकता है उनको दण्ड दिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ा हम लोगों का अधिकार है उसके संरक्षण की हम आपसे अपेक्षा करते हैं। यह हमारे सदन की समिति थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा उदाहरण देश के किसी हिस्से में प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं भाई गोविन्दनारायण सिंह जी से जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है आगे भी उसके अनुरूप आचरण करेंगे, पूरी अपेक्षा करता हूँ। सबसे प्रथम सदन की समिति की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत हुई। इससे पूर्व कि सदन के बाहर का कोई भी व्यक्ति इन तथ्यों पर विचार करे, इन्क्वायरी करे, इसे सदन का अनुमोदन मिलना चाहिये। आज जो सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उस पर सदन में बहस हो इसकी ही माँग प्रस्तुत की है, उस पर सदन का अनुमोदन हो। जब सदन द्वारा अनुमोदित हो जाये तब डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराइए। आपको इसके लिये भट्ट साहब की सहायता की आवश्यकता हो, भले आप ले सकते हैं। रिपोर्ट का अनुमोदन सदन के द्वारा होना चाहिये ताकि सदन की सील लग सके फिर आप भट्ट साहब की सील लगवाना चाहें, लगवा सकते हैं।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगवाँ) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं तीन निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहला, सदन की समिति की रिपोर्ट जो आई, माननीय मुख्यमंत्री जी का नैतिक कर्त्तव्य था कि रिपोर्ट को देखते ही कोई एक्शन उन अधिकारियों के खिलाफ लेते। माननीय अध्यक्ष, आपके पास मैंने और भाई अर्जुनसिंह जी ने बाकायदा प्रस्ताव भेजे हैं। इस सदन की सार्वभौम शक्ति है, किसी को, अपराधी को दण्ड देने का हमारा अधिकार है। इस रिपोर्ट के ऊपर बहस करने का जो एक गंभीर आरोप आरोपित है तो अब सदन के माननीय सदस्यों का हक है उस पर बहस करने का। आज बहस करने को सदन प्रस्तुत है। सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है जो सदन के पास सार्वभौम शक्ति है जो स्वयं इन सबको दण्ड दे सकता है।

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि क्या उनको मालूम है इस रिपोर्ट के आने के बाद स्वनामधन्य शिक्षा मंत्री महोदय ने अपराधी अधिकारियों की पदोन्नतियाँ की हैं?

श्री धर्मपालसिंह गुप्त (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह कह रहे हैं वह सर्वथा गलत है। या तो उन्हें गलत बताया गया है या उन्हें भ्रम हो गया है।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : माननीय अध्यक्ष, सिर्फ इस बात पर फैसला हो जाना चाहिये कि उन अपराधी अधिकारियों की पदोन्नति की गई है या नहीं। अगर पदोन्नति की गई है तो यदि धर्मपालसिंह गुप्त में थोड़ी भी नैतिकता है तो बिना मुख्यमंत्री के कहे तुरन्त त्याग-पत्र दें।

श्री धर्मपालसिंह गुप्त : जो माननीय रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह बोल रहे हैं कि पदोन्नतियाँ हुई हैं तो इसका मुझे स्मरण नहीं है, जाँच करा ली जाये और जाँच रिपोर्ट आने के बाद बोला..... (शोरगुल) जरा सुन लीजिये इस तरह हो-हल्ला करने से क्या होगा? हम तो चुपचाप सुनते रहे जब आप कहते थे। तो अध्यक्ष महोदय, जो पदोन्नतियाँ की गई हैं उसकी जाँच कराने का और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आश्वासन दे सकता हूँ। मैं माननीय रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह से कह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री महोदय को बधाई देना चाहिये, जिस शासन के वे अंग हैं उस शासन ने इतिहास में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसका उदाहरण इतिहास में नहीं है। सदन के कहने पर समिति गठित की उसके लिये बधाई देने के बजाये आप इस्तीफा देने की माँग करते हैं।

(शोरगुल)

इस सदन में पिछले शासन के मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाये गये। माननीय अर्जुनसिंह के मामले को आप सभी जानते हैं। सारे प्रदेश में दूर-दूर तक उनका प्रकरण गूँजता रहा, लेकिन क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? भ्रष्टाचार के मामले और दूसरे मामले सदन में आये क्या किसी ने इस्तीफा देने की हिम्मत की? उन पर कोई असर नहीं हुआ। क्या इस तरह का सदन में जाँच कराने का ऑफर दिया गया, नहीं, उन पर

कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। कई भ्रष्टाचार के प्रकरण उनके विरुद्ध सामने आये, इस प्रकार की कोई कमेटी का गठन नहीं किया। लेकिन हमने इस बात को महसूस किया, यदि कहीं किसी मामले में गलती हुई है तो सदन की कमेटी उसकी जाँच करे। जिन लोगों के खिलाफ कमेटी ने आरोप लगाये हैं हमने उनको फोर्स लीव दे दी है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 11 सितम्बर 1968, पृष्ठ 232-35)

टाट पट्टी प्रकरण के सम्बन्ध में पृच्छा—

श्री कल्याणमल जैन (इन्दौर-3) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे अभी जानकारी मिली है कि जिस सेठ द्वारकाप्रसाद अग्रवाल का टाट पट्टी प्रकरण में घपला करना बताया गया था, उसी को तीन दिन पहले फिर चार लाख रुपये का टेंडर दिया गया है। क्या शिक्षा मंत्री उसको ब्लेक लिस्ट कर रहे हैं?

श्री धर्मपालसिंह गुप्त (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, टाट पट्टी कमेटी का जो प्रतिवेदन है उस पर विचार कर शासन यदि उपयुक्त समझता है तो ब्लेक लिस्ट किया जायेगा।

श्री कृष्णकुमार नूतन (कुरवाई) : अध्यक्ष महोदय, कल्याणमल जी यह पूछ रहें हैं कि अभी टाट पट्टी प्रकरण में उस व्यक्ति (द्वारकाप्रसाद अग्रवाल) ने घपले किये ही हैं और फिर उसको 10 लाख रुपये का ऑर्डर क्यों दिया गया है उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया?

(भारी शोरगुल)

श्री कल्याणमल जैन : पाइण्ट ऑफ ऑर्डर, मैं उप-मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के खिलाफ टाट पट्टी जाँच समिति ने आरोप लगाया है उसको ब्लैक लिस्ट में शासन घोषित कर रहा है या नहीं?

अध्यक्ष : टाट पट्टी का मामला आयेगा तब आपको मौका दूँगा।

श्री कल्याणमल जैन : अध्यक्ष महोदय, जाँच समिति की रिपोर्ट आने के बाद पुनः उसी व्यक्ति को 4 लाख रुपये का टेण्डर तीन दिन पहले दिया गया है यह मैं अध्यक्ष महोदय को सूचना दे रहा हूँ।

(भारी शोरगुल)

श्री धर्मपाल गुप्त : मुझे जहाँ तक जानकारी है उसको फिर से चार लाख का माल सप्लाई करने का ऑर्डर नहीं दिया गया है चूँकि माननीय सदस्य यहाँ सूचना दे रहे हैं; मैं जाँच करके सदन को बताऊँगा।

श्री रमेशचन्द्र दुबे (शाजापुर) : अगर कोई बात नहीं थी तो सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को, और गोयल को छुट्टी देकर क्यों भगा दिया मंत्री जी ने।

(जोरों का शोरगुल)

श्री कल्याण जैन : ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जिस पर कमेटी ने आरोप लगाया है क्या शासन उसको ब्लैक लिस्ट करेगा?

श्री रमेशचन्द्र दुबे : जिन व्यक्तियों के ऊपर सदन की कमेटी ने आरोप लगाया है उनको शिक्षा मंत्री जी ने छुट्टी देकर भगा दिया यह है करतूत शिक्षा मंत्री जी की।

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल (लोरमी) : (भारी शोरगुल के बीच) दस लाख रुपये का माल सप्लाई करने का जो ऑर्डर साइण्टिफिक एक्विपमेण्ट्स आदि का द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को दिया गया है क्या शासन उसको वापस लेगा यह मैं शासन से जानना चाहता हूँ।

(जोरों का हल्ला)

श्री कल्याण जैन : उप-मुख्य मंत्री जवाब दे रहे हैं, खड़े होकर उनको जवाब देने दीजिए।

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल : शासन का जवाब आ रहा है जवाब दे दें उस पर।

(व्यवधान)

श्री कल्याण जैन : अध्यक्ष महोदय, उप-मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं उनको स्पष्ट उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रमेशचन्द्र दुबे : फातिमा चौधरी को शासन ने छुट्टी क्यों दी यह मेरा आरोप है। (व्यवधान)

श्री कल्याण जैन : अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार का सवाल है।

अध्यक्ष : सावधान, सावधान। मैंने कई बार कह दिया है जब समय आयेगा तब विचार करूँगा। अभी क्यों (व्यवधान) चर्चा आप कर रहे हो। मैं अधिक से अधिक समय दे रहा हूँ। अभी आप कृपया बैठ जाइए।

श्री कल्याण जैन : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कल्याण जैन : उसे ब्लैक लिस्ट में घोषित करें, शासन क्यों नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (उप-मुख्य मंत्री) : जैसी श्रीमान् ने अभी व्यवस्था दी है उस प्रकरण पर कल दो घंटे बहस हो गई। दो घंटे की बहस में जितने सुझाव आये हैं उन्हें मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। उन मामलों को पुलिस को सुपुर्द करने का, कार्यवाही करने का विचार मुख्यमंत्री ने प्रकट किया है। दो घंटा चर्चा होने पर श्रीमान् ने फिर भी कहा कि और समय निर्धारित करेंगे। शासन की तरफ से जो भी दोषी पाया जावे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, पूरा आश्वासन दिया है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : उन भ्रष्टों को छुट्टी दी गई।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री चित्रकांत जायसवाल (बिल्हा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री (सिरमोर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण बिलकुल भिन्न है। रिपोर्ट से भिन्न बात है। इस प्रकरण पर बहस नहीं होगी। रिपोर्ट आने के बाद 10 लाख का माल सप्लाई करने का आदेश हुआ है। (व्यवधान) । क्या द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को सरकार को लूटने की छूट दी गई है। 10 लाख का टेंडर दिया गया? व्यवधान

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मेरा निवेदन यह है हम सारे नियमों को महत्व देते हैं। हमें इस आधार पर दंडित करना है कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। जब श्रीमान् ने व्यवस्था दी है हम चर्चा के समय निर्धारित करने वाले हैं। 2 बजे मीटिंग बुलाई है। सारे बिजनेस को बंद करके यहाँ चर्चा करना क्या उचित होगा क्या केवल इसी पर चर्चा करना उचित है। (व्यवधान)

श्री रमेशचन्द्र दुबे : सरकार ने पक्षपात किया है। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : आपने अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इस सम्बन्ध की जो रिपोर्ट थी उसको जो महत्व दिया था और उसमें जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उद्‌गार प्रकट किये थे आज हमें उन उद्‌गारों के प्रति शंका प्रकट होने की परिस्थिति पैदा हो गई है। मैं नहीं चाहता कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिसके महत्व को समझते हैं और जिस गंभीरतापूर्वक सदन में उन्होंने वचन दिया है उनके प्रति सदन में संदेह पैदा हो, ऐसा मैं कतई नहीं चाहता। इसलिये जो प्रसोपा के भाई कल्याणमल जी ने और शास्त्री जी ने मूलभूत प्रश्न उठाये और जिनका इस रिपोर्ट से वर्तमान में कोई संबंध नहीं है; कल, परसों या चाहे जब उसमें जो चर्चा हो, लेकिन जिस कमेटी के बारे में उन ने महत्वपूर्ण रिपोर्ट में उल्लेख किया है, उसके बारे में रिपोर्ट आने के पश्चात् पुनः 10 लाख का टेण्डर दिया जाना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है। उस रिपोर्ट में कब डिस्कशन होगा, इसको सदन की अनुमति प्रदान होगी या नहीं, इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रश्न पर मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष : आपको शासन से जितनी सूचना चाहिए कृपया आप मुझको लिखकर भेज दीजिये। मैं उन सूचनाओं के उत्तरों को शासन से बुलवाने का प्रयत्न करूँगा अब कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बचता।

श्री गोविन्दनारायण सिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और हमको जो सूचना जानना चाहते हों लिखकर दे दी जाये, उसकी जानकारी मिल जायेगी। (व्यवधान)

यमुनाप्रसाद शास्त्री : आप शिक्षामंत्री जी से पूछ लीजिये तो मालूम हो जायेगा कि उसको 10 लाख का टेण्डर और मिला कि नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका शासन द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को खुली छूट देता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का और शासकीय खजाने की खुली लूट करे। उसका नाम आप ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं करते?

अध्यक्ष : आप क्या सूचना चाहते हैं, कौन-कौन-सी बातों की जानकारी चाहते हैं। आप मेरे पास लिखकर भेज दें। मैं शासन से उत्तर देने के लिये अनुरोध करूँगा।

यमुनाप्रसाद शास्त्री : शिक्षामंत्री जी बैठे तो हैं यहाँ पर, बोलें, इसका क्या कारण है? जब तक यह शिक्षामंत्री रहेंगे द्वारकाप्रसाद अग्रवाल को यह फीड करते रहेंगे।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है, जिस प्रकार इसमें लाखों रुपयों का घपला हुआ है अब फिर से जनता का 10 लाख रुपया घपले में पड़ने जा रहा है। मेरी एक प्रार्थना है कि अब आप तुरन्त इस आर्डर को स्टे कीजिए। जब तक फाइनल डिसीजन न हो जाये मेरी यही रीक्वेस्ट है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब से मिश्रा जी लीडर चुन लिये गये हैं जायसवाल जी की बोलती जो बन्द हो गई थी अब तो आपको सुन लेनी चाहिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई-12 सितम्बर 1968, पृष्ठ--327-329)

विशेषाधिकार भंग की सूचना

अध्यक्ष : मेरे पास कई विशेषाधिकार भंग की सूचना आई हैं जो श्री परमानन्द गोविन्द जी वाला, विमलचन्द्र जैन तथा श्री अर्जुनसिंह की हैं ये तीनों ही टाट पट्टी से संबंधित हैं। मैं इनको विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूँ इस पर मैं अपनी व्यवस्था कल दूँगा जो जरा लम्बी व्यवस्था होगी।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अभी आपने मेरा नाम लेकर एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का निर्णय सुनाया। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने एक विशेषाधिकार भंग की सूचना आज दी है और एक आज से 8 दिन पहले।

अध्यक्ष : एक दिन में केवल एक ही आ सकती है।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : अध्यक्ष महोदय, एक दिन में एक ही विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है यह मैं मानता हूँ। चूँकि कमेटी की ओर से उद्भूत जिसने भी प्रश्न हैं जिनमें से एक वह भी है जिसका सदन में उल्लेख करने पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि माननीय हाईकोर्ट के यहाँ से जानकारी मँगाकर सूचना दी जावेगी। आपने भी स्वयं मुझे कहा था कि आप जानकारी उपलब्ध करायेंगे। यहाँ की कार्यवाही हाईकोर्ट में पेश हुई। मैं आपकी अनुमति से हाई कोर्ट के जजमेंट का उतना अंश सदन को बताना चाहूँगा।

अध्यक्ष : मैं कल देखूँगा।

श्री मुल्तानमल सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अर्जुनसिंह : मैं सुराना जी से आग्रह करूँगा कि एक मिनट बोल लेने दें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ आप विषय को सदन में उठाकर ला रहे हैं। चूँकि यह विषय विधानसभा सचिवालय से संबंधित है इसलिए मैं समझता हूँ कि सूचना विधानसभा सचिवालय के किसी एक व्यक्ति द्वारा दी गई और हाईकोर्ट में प्रोड्यस की गई।

अध्यक्ष : उसको कल ले लेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह यह है कि यह परम्परा अच्छी नहीं है कि विधानसभा के किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ बहस हो। यह प्रश्न यहाँ पर उठाया, इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ, इसे अपने अधिकारों के तहत रखें, विशेषाधिकार समिति को न भेजें। सदन में इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हमारे सचिवालय से संबंधित समस्याओं की चर्चा सदन में न हो। मैं इसे अच्छा नहीं समझता। अन्य विषयों की साधारण प्रक्रिया है उसके अनुसार उन्हें लें। पर इस विषय को जिसका संबंध सचिवालय से है, उस प्रक्रिया के अंदर न लेवें। जजमेंट की कॉपी आपके पास आ गई है इस सदन की कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष को दी गई और उसने

उस कार्यवाही के आधार पर रिट पेटीशन हाईकोर्ट में दी है और जजमेंट में हाईकोर्ट ने लिखा है फलाँ-फलाँ तारीख को प्रोसीडिंग दी गई।

अध्यक्ष : वह ठीक है। मैं देख लूँगा।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। अभी आपने विशेषाधिकार समिति को सौंपने संबंधी सूचना दी है कि विशेषाधिकार का प्रश्न है जिसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। मैं आपसे निवेदन करूँगा, इन सबके लिए विधानसभा नियमावली में नियम है और उन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। नियमों के अनुसार यह आवश्यक है जिस माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है उस माननीय सदस्य को कहें।

अध्यक्ष : नियम 169 पढ़ लीजिये उसके अंतर्गत कार्यवाही की है। अब मैंने व्यवस्था दे दी है अब कुछ नहीं सुनूँगा।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : मेरी बात एक मिनट सुन लें।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 18 सितम्बर 1968, पृष्ठ- 839-840)

समाज के अंदर रहकर जो व्यक्ति कुछ दे सकते हैं, उनका सहयोग करोड़ों लोगों के हित के लिए प्राप्त करना सही अर्थों में समाजवादी कदम है।

— अर्जुनसिंह
(11 सितम्बर, 1974)



1969

1969 का बजट सत्र 17 फरवरी से प्रारम्भ हुआ। अभी राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण प्रारम्भ ही किया था कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य श्री कल्याण जैन ने बीच में ही बोलते हुए कहा— "अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह फैसला है कि 15 अगस्त के पश्चात् सरकार का सारा काम हिन्दी में होगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद होता है कि राज्यपाल महोदय अपना सारा दौरे का कार्यक्रम अँग्रेजी में भेजते हैं। इस राज्य का सबसे बड़े प्रमुख 15 अगस्त के बाद भी अँग्रेजी में काम करते हैं। मेनन एण्ड मेनन का उद्घाटन भी अँग्रेजी में किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक राज्यपाल महोदय ने कुछ भी लिखकर नहीं दिया, साथ ही साथ वह अँग्रेजी में ही बोलते हैं। यह सरकार के लिए शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, जो अँग्रेजी में लिखा हुआ है उसे सदन में माचिस लगाता हूँ ...।"

(राज्यपाल का अँग्रेजी में दौरा कार्यक्रम और मेनन एण्ड मेनन का अँग्रेजी में उद्घाटन भाषण दोनों को माचिस लगाकर सदन में जलाया) (शेमशेम की ध्वनि) यह सब होते हुए सदन में राज्यपाल का भाषण जारी रहा। इसी बीच श्री कल्याण जैन फिर बोलने लगे— "अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि जो राज्यपाल का काग़ज़ जल रहा है उसके समान ही जब समय आयेगा तब लोग इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री गोविन्दनारायण सिंह को 4 साल के अन्दर जनता द्वारा ज़िन्दा जला दिया जायेगा। यह शर्म की बात है कि राज्यपाल महोदय जो राज्य के एक प्रमुख हैं अपना सारा कार्य अँग्रेजी में करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के इस कृत्य के विरोध में सदन का त्याग करता हूँ।"

इस प्रकार एक के बाद एक संसोपा के सदस्यों श्री मदन तिवारी, श्री देवप्रसाद आर्य और श्री रघुवीर कुशवाहा ने सदन से बहिर्गमन किया। राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। ऐसा रहा बजट सत्र का पहला दिन।

19 फरवरी 69 को सदस्य श्री अर्जुनसिंह से संबंधित विशेषाधिकार भंग की सूचना सदस्य श्री माधवलाल दुबे ने दी— श्री अर्जुनसिंह विधायक के विरुद्ध अधिकार प्रेस, सीधी द्वारा "महल के शिखर पर यदि कौआ बैठ जाय तो इससे क्या वह गरुड़ थोड़े ही बन जायेगा" नामक बुलेटिन प्रकाशित करने के सम्बन्ध में—

अध्यक्ष : मेरे पास श्री माधवलाल दुबे, सदस्य विधानसभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की सूचना दी गई है जो इस प्रकार है :—

"श्री वैजनाथ प्रसाद दुबे भारद्वाज किसान मजदूर सभा सीधी (मध्यप्रदेश) व श्री त्रिपाठी व्यवस्थापक अधिकार प्रेस सीधी ने माह फरवरी 1969 के प्रथम सप्ताह में "महल के शिखर पर यदि कौआ बैठ जाये तो इससे क्या वह गरुड़ थोड़े ही बन जायगा?" नामक बुलेटिन जानबूझकर श्री अर्जुनसिंह विधायक के विरुद्ध सदन में किए गए कार्यों की आलोचना करने की नीयत से प्रकाशित किया व जनता के बीच में वितरित किया गया। उक्त बुलेटिन का निम्नलिखित अंश विचारणीय है :

"जनता को मालूम हो कि टाट पट्टी काण्ड के सिलसिले में उन्होंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न सेठ द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, जो इस काण्ड के मुलजिम हैं, के खिलाफ विधानसभा में रखने की सूचना दी। इसमें भी इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया और अभी तक यह पहेली बनी हुई है कि महोदय अब विशेषाधिकार समिति के सामने उपस्थित होने से कतरा रहे हैं, देखना है आगे क्या गुल खिलता है।"

उपरोक्त वाक्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त श्री बैजनाथ प्रसाद दुबे, भारद्वाज व श्री त्रिपाठी ने सदन की मर्यादा भंग की है, सदन के अन्दर हुई कार्यवाही को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने रखा है व सदन के अन्दर विधायक की हैसियत से श्री अर्जुनसिंह ने जो कार्य किया, उसकी आलोचना करते हुए जनता के बीच में भ्रामक एवं असत्य स्थिति का निर्माण करने का प्रयत्न किया है। निश्चयतः ऐसा करके भविष्य में भी विधायक के रूप में सदन के अन्दर श्री अर्जुनसिंह द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अप्रत्यक्ष व्यवधान डालने की कोशिश की है।

अतः श्री बैजनाथ प्रसाद दुबे, भारद्वाज व श्री त्रिपाठी व्यवस्थापक अधिकार प्रेस सीधी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर उचित कार्यवाही की जाये।

सदस्य द्वारा दी गई सूचना नियमानुकूल है। मैं इस विशेषाधिकार प्रश्न को उठाने की अनुमति देता हूँ।

श्री गुलाबचंद तामोट (भोजपुर) : एक विशेषाधिकार की सूचना परसों दी है उसके बारे में औचित्य का प्रश्न है। उसके बारे में अब तक कुछ नहीं हुआ है।

अध्यक्ष : आपके प्रस्ताव पर मैं कल विचार करूँगा।

श्री माधवलाल दुबे (पाण्डुर्णा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव जो अभी आपने पढ़कर सुनाया उसे प्रस्तुत करने के लिये मैं सदन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने के पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जायें

(माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

क्योंकि 10 से अधिक सदस्य अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं अतः अनुमति दी गई।

अब सभा नेता इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के संबंध में प्रस्ताव रखेंगे।

श्री गोविन्दनारायण सिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री माधवलाल दुबे द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और उसको निर्देश दिया जावे कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत कर दे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि श्री माधवलाल दुबे द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और उसको निर्देश दिया जावे कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अन्तिम दिन प्रस्तुत कर दे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री माधवलाल दुबे द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए और उसको निर्देश दिया जावे कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत कर दे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 फरवरी 1969/पृष्ठ - 132-133)

10 मार्च 69 को 1969-70 के आय-व्ययक पर चल रही चर्चा के दौरान सदस्य श्री जुगल किशोर बजाज ने उपाध्यक्ष श्री रामकिशोर शुक्ल को यह सूचना दी— "अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मुझे यह सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना त्याग-पत्र राज्यपाल महोदय को दे दिया है। कृपया स्पष्टीकरण दिया जायें।" उपाध्यक्ष महोदय ने कहा— "अभी हमारे पास यहाँ कोई सूचना नहीं है, आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है।"

इसके बाद पुनः बजट पर चर्चा शुरू हो गयी। इस दिन चर्चा अधूरी रही। श्री माधवलाल दुबे बजट पर बोल रहे थे उनका भाषण भी अधूरा रहा। 11 मार्च को उन्हें फिर बोलना था लेकिन 11 मार्च को विधानसभा 12 मार्च के ग्यारह बजे तक बिना कार्रवाई के स्थगित हो गयी।

12 मार्च को सत्रावसान की घोषणा हो गयी। इस बीच श्री गोविन्दनारायण सिंह मंत्रिमण्डल का पतन हो गया।

20 मार्च 1969 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया। दो सदस्यीय मंत्रिमण्डल ने शपथ ली। श्री श्यामाचरण शुक्ल, मुख्यमंत्री और श्री कुंजीलाल दुबे वित्त मंत्री हुए। 20 मार्च को बिना किसी कार्रवाई के विधानसभा की बैठक 26 मार्च 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गयी।

26 मार्च को वर्ष 1969-70 का लेखानुदान वित्त मंत्री श्री कुंजीलाल दुबे ने प्रस्तुत किया। लेखानुदान पर चर्चा यहाँ दी जा रही है जिसमें श्री अर्जुनसिंह ने भी हिस्सा लिया। इसी दिन सत्रावसान की घोषणा कर दी गयी—

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे अधिक बोलना नहीं है। लेखानुदान जो प्रस्तुत किया गया और मुख्यमंत्री जी ने जो उसके साथ वक्तव्य दिया उसके बाबत यहाँ निवेदन करना है। जहाँ तक आपने यहाँ आकांक्षा व्यक्त की है हम प्रदेश से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को यदि मिटा नहीं पाये तो कम करने का प्रयास करने की एक निश्चित भावना आपने व्यक्त की। आपने यह भी कहा कि प्रदेश के अंदर बहुत अधिक साधन व स्त्रोत हैं जिसके आधार पर प्रदेश की जनता की उन्नति के लिये प्रयास किये जा सकते हैं। यह देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद भी और प्रचुर साधन होने के बाद भी हमारे यहाँ बहुत-सी कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिये प्रयास किया जा सकता है। जहाँ तक इस प्रकार की भावनाओं का प्रश्न है तो हम विरोधी पक्ष की तरफ से आपको निश्चय कर कह सकते हैं कि यदि आपके इस दिशा में प्रयास रहे तो हम उन प्रयासों का समर्थन करेंगे। (थपथपाहट की आवाजें) हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये समर्थन देंगे।

आपने अभी जो यह चर्चा की कि प्रदेश के अंदर 2 वर्षों से कुछ कम अवधि में संविद शासन रहा और उसके शासन-काल में अराजकता-सी रही तो इस संबंध में मेरा कहना है कि आपका यह कथन बिलकुल असत्य है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह कथन असत्य है। चाहे मिश्र जी मुख्यमंत्री रहे हों या पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हों उनके शासन-काल में जो अराजकता रही वह पिछले 18-19 महीनों के संविद शासन-काल में कभी नहीं रही। एक ओर आप कहते हैं कि संसदीय परम्पराएँ गलत डाली गईं और शासकीय मशीनरी में खराबी पैदा की गई और भ्रष्टाचार का नवीनतम कीर्तिमान स्थापित किया गया जिसे हम रोकना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर देखते हैं तो आपके कार्य उसके विपरीत हो रहे हैं। आपने जिस प्रकार से प्रदेश में शासन बनाया है वह आपकी व्यक्त की गई भावना के प्रतिकूल है। जब आप यह कहते हैं कि संविद शासन के अंदर इस प्रकार की चीजें की गई हैं तो आपने एक क्षण इस बात का विचार क्यों नहीं किया कि आपके शासन का जो एक अंग आपसे आकर मिला है जो कि खराब है उसे आपने पार्टी के अंदर कैसे सम्मिलित किया? उन पर जो आरोप हैं उनको क्यों नहीं देखते? आपने उनको प्रश्रय देकर साबित किया है कि आपने किस प्रकार की गलत सरकार बनाई है। इसीलिये हमने माँग की थी कि जनता जो कि सर्वोपरि होती है उसके समक्ष जाकर फैसला करा लें। प्रजातंत्र की मालिक जनता है, इस नाते से जनता के समक्ष जाकर पब्लिक वरडिक्ट प्राप्त किया जाये। आपको इसके लिये साहस क्यों नहीं होता? कथनी और है करनी कुछ और है। कथनी और करनी के अंदर स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। एक ओर आरोप लगाते हैं तो दूसरी ओर आप उन्हीं आरोपों के आधार पर अपनी सरकार बनाये बैठे हैं। जब आप यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किया है तो आप अपने शासन के अंदर के दूषित अंग को क्यों सम्मिलित किए हुए हैं? उसके आधार पर ही आपने अपना शासन बनाया है, यह एक स्पष्ट कन्ट्रॉडिक्शन है।

दूसरी दुःख की बात यह है कि जहाँ आप परम्पराओं की बात करते हैं वहीं आप दूसरी तरफ संविधान और परम्पराओं पर आघात पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। यह आपके नेताओं द्वारा किया जा रहा है। प्रजातंत्र का तकाजा था कि जो संविधान बना है उसके तहत जो अधिकार दिये गये हैं, उनका पालन किया जाता। संविधान के तहत

गवर्नर के लिये मुख्यमंत्री की राय बाइंडिंग है। गवर्नर केवल संवैधानिक प्रमुख है, इस नाते से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने जो राय गवर्नर को दी थी वह मानी जानी चाहिये थी। इससे ऐसा लगता है कि संविधान और परम्पराएँ हमारी सुरक्षित नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर गवर्नर को चलना चाहिये। आज आप ही हैं, अगर आप गवर्नर को एडवाइस देते हैं और उसके मुताबिक गवर्नर नहीं करते तो आप चिल्लायेंगे। लेकिन आप में जनता के सामने जाने का साहस नहीं था। संविधान के तहत चीफ मिनिस्टर की एडवाइस गवर्नर के लिये बाइंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर ने एक बार नहीं अनेक बार पार्लियामेंट के अन्दर इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ कान्स्टीट्यूशन इस प्रकार का है कि जिसके अन्दर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस गवर्नर को बाउण्ड है। चव्हाण साहब ने लोकसभा में कहा था—

The Union Home Minister, Shri Y.B. Chavan has gone on record in the Lok Sabha saying:

"The Constitution is very clear on this point. The Governor of a State is a Constitutional head except in three Articles.

I have referred to the latest scholarly edition of the Constitution published by Mr. Seervai, the Advocate General of Maharashtra, and he has said that only, under three Articles the Governor of a State functions as an agent of the President. They are Articles 239 (2), 200 and 356. Except in these three Articles the Governor functions as the Constitutional head."

"The Point is when a Chief Minister gives an advice to a Governor, as Members of Parliament, as politicians, as democrate, as the supporters of the Constitution, what is our position? When an advice is given by the Chief Minister to a Governor, the question is whether the Governor is bound by his advice or not? My answer to that he is bound to accept that advice."

"It has for some time been a convention of the Constitution that the Sovereign will dissolve Parliament at the request of the Prime Minister."

यहाँ यह पोजीशन है, अध्यक्ष महोदय, कि वहाँ जिस पदलिप्सा की चर्चा कर रहे थे तो फिर क्या चीफ मिनिस्टर की दी हुई एडवाइस को गवर्नर साहब के द्वारा ठुकराया नहीं गया? जब आप जानते हैं कि परम्परा बिगड़ गई है तो फिर अब यह पदलिप्सा क्यों? जब कांग्रेसी शासन का पतन हुआ था तब कांग्रेस के नेता ने कहा था कि हम मेंढकों को तौलेंगे नहीं बल्कि हम मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं, फिर आपने तब गवर्नर साहब को एडवाइज नहीं दी और आज जब कॉंग्रेस को पुनः सत्ता में आना था तब आप उसके लिये अपने दल में लेने के लिये तैयार हो गये।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मैं इस औचित्य प्रश्न के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जिस समय राज्यपाल महोदय किसी निर्मित शासन की राय के मुताबिक कोई कार्य करते हैं तब उनके कार्यों की आलोचना करने का हमें पूरा हक होता है, इस राज्य विधानसभा के अन्दर। लेकिन जिस कार्य के संबंध में माननीय सखलेचा जी उल्लेख कर रहे हैं वह कार्य राज्यपाल महोदय ने शासन की सलाह के मुताबिक नहीं किया है बल्कि वह उन्होंने अपने विवेक के द्वारा किया है। जो कार्य उनके विवेक द्वारा होगा क्या उस पर यहाँ आलोचना हो सकती है या नहीं?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कॉंग्रेस के नेता और कॉंग्रेस दल के बारे में कह रहा था।

अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय की आलोचना नहीं कर रहे हैं आप?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं यह कह रहा हूँ कि स्वयं कॉंग्रेस पार्टी को यह स्वीकार करना चाहिये कि वह जनता के बीच में जाकर मेन्डमस कराये ताकि यह गलत परम्परा न बने।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : जब कॉंग्रेस 1967 के आम चुनाव में जनता के द्वारा भारी बहुमत प्राप्त कर आई थी और फिर उस प्रजातंत्र के सिद्धांतों की अवहेलना करके, जनता की भावनाओं पर कुठाराघात करके आपने

संविद शासन बनाया था तब क्यों नहीं सोचा था? आज जब हम जनता की उन भावनाओं का आदर कर रहे हैं तब आप मध्यावधि चुनाव की माँग कर रहे हैं। मध्यावधि चुनाव आज हों उसके क्या परिणाम होंगे? समझ लीजिये कि फिर से आज जनता ने काँग्रेस को भेजा तो क्या फिर से आप डिफेक्शन करके जैसा कि पूर्व में किया था जनता की भावनाओं पर कुठाराघात करके संविद शासन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मेरा यह निवेदन है कि डिफेक्शन करके कौन लोग गये।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : उन्होंने अन-ड्यू किया, उन्होंने गलत किया और उस गलती को ही वापस आकर सुधारा है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, जिनके विरुद्ध नो कॉन्फीडेन्स मोशन लाया गया था उन्हीं के साथ आप मिल गये और अपने दल में आपने शामिल कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपसे क्या आशा की जा सकती है? अध्यक्ष महोदय, यह पदलिप्सा नहीं है तो क्या है? उन लोगों से आपने कम्परोमाइज किया जब कि हम जनता के सामने जाने की माँग कर रहे थे। आपकी जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई।

श्री रमेशचन्द्र दुबे (शुजालपुर) : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप बैठिये। शिष्टाचार यह है कि जब मुख्यमंत्री या विरोधी दल के नेता बोल रहे हों तो बीच में नहीं बोलना चाहिये।

श्री प्रभुनारायण टण्डन (दमोह) : मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। ये विरोधी दल के नेता नहीं हैं। यह नेता नहीं हैं, आप गलत कह रहे हैं। राजमाता नेता हैं।

अध्यक्ष : यह कोई प्वाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था आपने जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं की। उन्हीं लोगों को सम्मिलित करके शासन बनाया गया है जिन्हें आप भ्रष्ट कहते थे मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त कर सकेंगे। वास्तव में आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, जनता की उन्नति के लिए कदम उठाना चाहते हैं तो हम आपका साथ देंगे। आपने भूमि विकास कर समाप्त करने के संबंध में कहा। जहाँ तक हमारे पक्ष का प्रश्न है, इससे हमें वास्तव में कोई विरोध नहीं है लेकिन इसके साथ ही मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रदेश के 80 प्रतिशत किसानों के लिए, उनकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के संविद शासन ने कदम उठाये थे, उनको आप निष्पक्ष रूप से देखकर कार्य करें। 80 प्रतिशत किसानों के हित में बहुत से कदम उठाये गये। सिंचाई सुविधाएँ उनको पहुँचाने के लिए, अधिक उत्पादन बढ़े और वे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें जिसके लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में विद्युत पम्प दिये गये और बेरोजगारी को दूर करने के अनेक प्रयास किये गये, इस भावना से यदि आप भी काम करेंगे तो हमारा आपके साथ समर्थन रहेगा। पदलिप्सा का हमने हमेशा विरोध किया है, यदि आपने गलत काम किये तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे, अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा आपके साथ समर्थन रहेगा। इस प्रदेश में आपके गलत कामों को चलने नहीं दिया जायेगा, जो कुछ भी नवीन मंत्रिमण्डल बना है वह जनता के हित में काम करेगा। इस प्रकार से मैं अपने विचार रखकर स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सूर्यदेव शर्मा (सेवढ़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महाकवि कालिदास का एक श्लोक है ऋतु संहार का जिसका अर्थ यह है कि महाकवि कालिदास ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भयंकर ग्रीष्म ऋतु के कारण तालाब सूख गया है, जो दलदल है, थोड़ी-सी कीचड़ वह भी सूख गयी है, उसके कारण जो मेंढक उसमें रहता था वह उस तालाब से कूदकर बाहर निकल गया है। तालाब के किनारे उसको बाहर आने पर भयंकर लू ने चपेट लिया तब उसे कुछ न सूझा और वह तालाब के किनारे बैठे हुए सर्प के फन के नीचे छाया में जाकर सुस्ताने लगा और आराम करने लगा। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि 1 1/2, 2 वर्ष पहले जब द्वारकाप्रसाद मिश्र के क्रोध रूपी ग्रीष्म में मेंढक रूपी जो डिफेक्टर साँप के फन रूपी सामन्तवाद के नीचे जाकर शांति अनुभव करने लगे थे, आज थोड़े से श्यामघन आने के कारण आज वे मेंढक वापस कीचड़ रूपी तालाब काँग्रेस में चले गये हैं। भगवान उनका भला करें। मैं उनके लिए कोई दुर्भावना से नहीं, अच्छी भावना से ही कह रहा हूँ। अध्यक्ष

महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भाषण सुना और उनकी घोषणा को भी सुना। पथ-कर उन्होंने माफ किया इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी घोषणा जो आपने की जो कि किसानों के हित से संबंधित है, उसे भी आपने समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो संविद शासन ने किया है वह सब बुरा ही बुरा है। जो अच्छी चीजें हैं उनको मान लेना चाहिये । यह जो किसानों से संबंधित है वह उनके विकास के लिए है, यह अच्छा है इसको मान लेना चाहिये था ऐसा नहीं कि जितना भी संविद शासन करे वह सब बुरा है, अध्यक्ष महोदय, मैंने दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री जी की जन्मपत्री देखी थी और मैंने उनसे कहा था कि मुख्यमंत्री बनोगे, नक्षत्र बहुत ऊँचे हैं केवल राजा ययाति जरा तंग कर रहे हैं उनको आप धक्का देकर भगा दीजिये तो सफलता मिल जायेगी। अब जो आपने अपना मंत्रिमण्डल बनाया है उसमें कुंजीलाल दुबे जैसे विद्वान लोग हैं .....

अध्यक्ष : आप आशीर्वाद दे रहे हैं या लेखानुदान की बात कर रहे हैं?

श्री सूर्यदेव शर्मा : मैं पथ-कर की बात कर रहा हूँ और आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। कोई श्राप तो नहीं दे रहा हूँ। अगर श्राप दूँ तो आप रोक दीजियेगा। अध्यक्ष महोदय, लेखानुदान के संबंध में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो ८ महीने का लेखानुदान माँगा है वह मिलना चाहिये और उससे आप जो कार्य करेंगे वह चार महीने बाद जुलाई के महीने में जो शिकवा-शिकायत होगी उसको हम आपसे फिर कर लेंगे और आप किस प्रकार से शासन चलाते हैं उस समय यह भी हम आपको बतला देंगे। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो इधर से उधर गये हैं मायके में वे बहुत दिन तक उधर नहीं रह पायेंगे क्योंकि उनकी जो मदर-इन लॉ हैं श्री गोविन्दनारायणसिंह वह भी उधर चले गये हैं। यह खतरा है आपको। आपको बराबर सतर्क रहना पड़ेगा और आप सतर्कता भी उन पर रखेंगे। ठाकुर गोविन्दनारायण सिंह आपके पक्ष में चले गये हैं यह आपको मुबारिक हो लेकिन मुझे मालूम है विन्ध्यप्रदेश में शंभुनाथ शुक्ल और मध्यभारत में तख्तमल, मध्यप्रदेश में मण्डलोई और मिश्रा जी सबसे आपने मिलकर करवट बदली और राजा नरेशचन्द्रसिंह को तो ऐसा धोबीपाट किया है कि वह न घर के रहे न घाट के, तूफान मच गया। जिन मंत्रियों पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे वह आज आपकी बगल में ही जाकर बैठ गये हैं। अब आपकी नैतिकता और घोषणा के आधार पर पता लगेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं? आप जैसा नौजवान मुख्यमंत्री घोषणा करता है कि यदि आपके पास कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आवेगी तो आप उस पर एक्शन लेंगे। आपको जो शिकायतें थीं वह आपने इसी विधानसभा में प्रस्तुत की हैं अब और शिकायतें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में थोड़ा भी साहस है, यदि आप भ्रष्टाचार के पीछे लाठी लेकर पड़े हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे। आपके अपने एक्शन और ड्यूटी समझकर अपने कर्त्तव्य का पालन करके भ्रष्टाचार को दूर करने का यत्न किया तो हम आपका समर्थन करेंगे। हम देखेंगे कि आपने ऐसे लोगों पर एक्शन लिया अथवा संरक्षण दिया यही मुझे इस सम्बन्ध में कहना है।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान का मैं समर्थन करता हूँ और कहता हूँ कि आपकी जन्मपत्री में उच्च के गृह पड़े हैं यह आज भी कहे देता हूँ। आपने पंडित कुंजीलाल दुबे को मंत्रिमण्डल में सम्मिलित किया है, उनको शिक्षा विभाग दीजिये, उन जैसे योग्य कम मिलते हैं, उनको आप शिक्षा विभाग देंगे तभी आपका शासन ठीक चलेगा, यही मुझे कहना है।

एक माननीय सदस्य : कब तक ठीक चलेगा?

श्री सूर्यदेव शर्मा : जुलाई तक ठीक चलता रहेगा।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : (इन्दौर-4) : अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों राजधानी की राजनीति में बड़े तूफान आये हैं।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगवां) : अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस पक्ष की ओर से अर्जुनसिंह जी बोलने वाले थे।

अध्यक्ष : मेरे पास काँग्रेस पक्ष की ओर से श्री जगदीशप्रसाद तिवारी का नाम आया है

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मैंने कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने भेज दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे पक्ष से जो खड़े हों उनको टाइम दीजिए, मैंने आपको कोई नाम नहीं दिया।

श्री जगदीशप्रसाद तिवारी (मऊगंज) : मैंने स्वयं अपना नाम दिया है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि गये दिनों मध्यप्रदेश की राजनीति में राजनैतिक

इतने तूफान आये कि सारी राजनैतिक पार्टियाँ तितर-बितर हो गईं। उन्होंने अपने निर्णय बदले, दोहराये, फिर बदले और उसके पश्चात् आज की स्थिति हमारे सामने है।

अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में कहा जाता है और हम भी देखते हैं कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल शासकीय पक्ष के ऊपर होता है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल विरोधी पक्ष का होता है। शासकीय और विरोधी पक्ष में एक प्रकार की अन्डरस्टैंडिंग होती है। जैसे-जैसे शासन काम करता जावे विरोधी दल का कर्त्तव्य होता है कि शासन के गलत कामों की आलोचना करे ताकि जनहित में काम होता रहे। अध्यक्ष महोदय, इन दो दलों के अलावा एक तीसरा दल होता है, उसकी पहुँच इन दोनों दलों की तलहटी तक होती है। वह विधायकों के दिलों को टटोलता है कि कौन कहाँ कच्चे हैं। यह वह दल है जो एक पक्ष को बहुमत में लाता है, कभी दूसरे पक्ष को बहुमत में लाता है और इसके पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। गये दिनों काँग्रेस पक्ष में रहा और यदि उनका आरोप है कि संविद शासन ठीक से काम नहीं चला सका तो काँग्रेस पक्ष भी विरोधी पक्ष के रूप में काम नहीं कर पाया, इसलिए हो सकता है दोनों अपनी सही जगह बैठ गये हों। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जितने भ्रष्टाचार संविद शासन में हुए हैं या सुने गये हैं वे बहुत अधिक थे और उसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, वास्तव में संविद का शासन नहीं बल्कि एक का शासन था, वह शासन गोविन्दनारायण का था क्योंकि अधिकांश विभाग उन्होंने अपने हाथ में ले लिये, कई मंत्रियों का काम अकेले करते रहे और भ्रष्टाचार किये। गये दिनों जो बातें सदन के समक्ष मैंने रखी हैं उन्हीं को फिर रखना चाहता हूँ। एक विधायक जो स्वतंत्र रूप से जीतकर आया है शासकीय पक्ष को को-आपरेट करे और विरोधी पक्ष को बताये कि यह चीज लानी है। विरोधी पक्ष के रूप में काँग्रेस पार्टी ने जो बातें सदन में रखी थीं गोविन्दनारायणसिंह के खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव के समय जो चार्जेज लगाये थे, मैं समझता हूँ वे सब सही थे। मैं इसको पार्टी में और यहाँ भी तथा जनता के समक्ष रखता आया, इसका मुझे नाज है। लेकिन एक बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है, एक व्यक्ति जो अपने सिर पर इतने पापों का बोझा लादे है उसको काँग्रेस पनाह दे यह बड़े दुःख की बात है। जहाँ तक मध्यप्रदेश काँग्रेस का सवाल है उसने उनको पार्टी में नहीं लिया, यह प्रस्ताव ऊपर से थोपा गया लेकिन यहाँ का काँग्रेस पक्ष इतना कर सकता है कि एक सर्वानुमति प्रस्ताव पास करे कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एक नहीं कई घृणित चार्जेज लगाये हैं और जो उनका जवाब नहीं दे पाया उसको पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि पार्टी में लिया जायेगा तो इससे काँग्रेस की इज्जत जनता में गिरेगी, ऐसा प्रस्ताव पास करना था लेकिन नहीं किया। मुझे आशा है मुख्यमंत्री जी इस तरफ कदम उठायेंगे। मैंने यहाँ चार्जेज लगाये थे जिनका काँग्रेस पक्ष ने समर्थन किया था। बिरला उद्योगों के 70 लाख का मसला था, किस प्रकार बीच कमेटी से फाइल मँगाकर आर्डर दिया, किस प्रकार एडवोकेट जनरल की राय माँगी जो पहले से मौजूद थी, ये सारी बातें सामने रखीं और आपने मंजूर किया फिर क्यों उनको काँग्रेस में ले लिया? इस तरह का एक दल है जो दोनों तरफ रास्ता ढूँढता है जैसा कि देखते हैं कि गरमी में जानवर खाकर शीतल छाया में जुगाली करता है ताकि खाया-पिया हजम हो जाये वही कार्य गोविन्दनारायणसिंह कर रहे हैं कि काँग्रेस की सुरक्षित चौकी में जाकर वह खाया-पिया पचाना चाहते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है, कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वह व्यक्ति जिसके खिलाफ सब दलों ने चार्जेज लगाये वह काँग्रेस की सुरक्षित चौकी में पहुँच जाये। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ अगर कठोर जाँच करायेंगे, सी.बी.आई. को रेफर करेंगे, सदन से जाँच करायेंगे तो स्वागत करूँगा। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, गये दिनों इस प्रान्त में बहुत तूफान उठा, आज भी केन्द्रीय कर्मचारियों के खिलाफ सारे प्रान्त में मुकदमे चल रहे हैं। चार सौ, साढ़े चार सौ मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे शीघ्र ही इसके सम्बन्ध में घोषणा करें, जिस तरह केरल और पंजाब आदि अन्य प्रदेशों में मुकदमे वापस ले लिये गये हैं, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री भी उनके खिलाफ मुकदमों को वापस ले लें। साथ ही जहाँ तक प्रान्तीय कर्मचारियों का सवाल है, उनको जो लगभग 12 दिन का वेतन काट लिया गया है, वह उनको वापस होना चाहिये। आपके शासन को मजबूत करने के लिये, आपके नियमों

को मजबूत करने के लिये यह आवश्यक है कि उनका कटा हुआ पैसा वापस दे दिया जाये। हम काँग्रेस शासन को गुण-दोष के आधार पर सहयोग देने को तैयार हैं। वे अपने पुराने कमिटमेन्ट को याद करें। वे ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को उठाकर बाहर कर दें। उनके साथ वही सलूक किया जाये जो किसी भी गद्दार के साथ किया जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री सखलेचा जी विरोधी दल की ओर से शासन को उचित और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले कार्यों में जो सहयोग देने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं सखलेचा जी से एक स्वस्थ विरोध की परम्परा निभाने की हैसियत से उनसे यही अपेक्षा करता था। मैं यहाँ माननीय सदस्यों को आज से डेढ़ वर्ष पहले विधानसभा में प्रस्तुत हुए एक अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी, उसका स्मरण दिलाना चाहता हूँ। मैंने उस वक्त कहा था और मुख्यतः श्रीमती विजयाराजे सिन्धिया को सम्बोधित करके कहा था कि आपने इस प्रदेश में, इस प्रदेश के प्रजातांत्रिक ढाँचे में जो विष घोला है, वह विष इस प्रजातंत्र के प्रत्येक पुजारी को एक न एक दिन डसने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम था कि डेढ़ साल के अन्दर ही राजमाता साहिबा पर यह विष स्वयं उनके सिर चढ़कर बोलने लगेगा। मुझे दुख है, एक संभ्रांत महिला भी इस पचड़े में आकर पड़ गई। मैं केवल सखलेचा जी और उनकी तरफ से दलील देने वाले इस प्रदेश के उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितनी प्रजातंत्र की मान्यता की दुहाई आप दे रहे हैं यह प्रजातंत्र की मान्यता न केवल आपके चलाने से चलेगी और न केवल हमारे चलाने से चलेगी, यह हमारे और आपके दोनों के चलाने से चलेगी लेकिन दुःख इस बात का है कि इन मान्यताओं को भंग करने का पहला कदम— दुर्भाग्य कहिए या आपकी मति भ्रष्ट हो गई थी— आपने उठाया है। हम लोग यह जानते हुए भी कि मान्यताएँ भंग हो रही हैं और हमें इस बात का नैतिक अधिकार है कि हम जनता की अदालत में जाकर जनता का मत जानें ....

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्जुनसिंह जी सरीखे सुलझे हुए नेता से यह आशा करता हूँ कि यह जो विष घोलने की बात आप कह रहे हैं कि राजमाता ने घोला, वह सही नहीं है। वह विष आपने घोला, आप 167 से बढ़कर 172 हो गये थे। पहले आपने दलबदल किया था।

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : उसके पहले आप 141 आये थे और आपने दलबदल कराकर कितनी बड़ी संख्या बना ली थी? उस समय दल बदल को आप अच्छा समझते थे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दलबदल अपने आप में अच्छी चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि माननीय सखलेचा जी को, राजमाता साहिबा तो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं कि श्री सखलेचा और अन्य विरोधी पार्टियों के लोगों ने यह वक्तव्य दिया था कि जो काँग्रेस छोड़कर आने वाले होंगे उनका मंत्रिमण्डल में बाहुल्य रहेगा और इस प्रकार मध्यप्रदेश में काँग्रेस टिकिट पर चुने हुए व्यक्तियों को जो काँग्रेस छोड़कर आते हैं, मंत्रिमण्डल में बाहुल्य का स्थान रहेगा, मुख्यमंत्री भी उनमें से ही बनाया जावेगा।

श्री परमानन्द (बुरहानपुर) : आन्ध्र और केरल में किसने शुरू किया था? 1951 में चुनाव हुआ उसी वक्त से आपने शुरू किया।

श्री अर्जुनसिंह : मैं तो अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ।

श्री सूर्यदेव शर्मा : उस समय तो काँग्रेस पर महामारी फैल गई थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार आदि में यही हुआ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हमने तो यहाँ तक कहा कि पूरा का पूरा मंत्रिमण्डल आप ही बनाइए। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी घटीं, जिनके कारण ऐसा नहीं हो सका। हमने तो उनको ब्लैंक चैक दिया था।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो आपका निर्णय था और हमने यह निर्णय लिया है कि हम ऐसे लोगों को कोई पद नहीं देंगे और मध्यावधि चुनाव हुआ तो उनको कोई टिकट नहीं दिया जावेगा।

श्री राजभानु शुक्ल (बोहरीबन्द) : और प्रगतिशील दल वालों का क्या होगा?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : क्या आप उनकी वोटों के बिना इस सदन में रह सकेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ किसी निश्चित उद्देश्य से जन प्रतिनिधि को लोभ देकर उनको किसी

लाभ के पद का लालच देकर दलबदल करवाया जावे तो वहाँ पर हमारी मान्यताओं का उल्लंघन होता है।

श्री शीतला सहाय : जो प्रगतिशील दल वाले हैं क्या आप उनको मंत्रिपद नहीं देंगे?

श्री श्यामाचरण शुक्ल प्रगतिशील विधायक दल के लोगों ने स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण किया है और उन्होंने तो सामन्तशाही के खिलाफ बगावत की है। ग्वालियर का जो वातावरण था, प्रजातन्त्र की मान्यताओं को तिलांजलि देकर सामन्तशाही का जो वातावरण फैला उसके खिलाफ विद्रोह किया।

श्री शीतला सहाय : आप उनको मंत्रि परिषद् में लेंगे या नहीं? वह तो कल आपके बगल में बैठने वाले हैं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : आपने जो प्रगतिशील विधायक दल के लोगों की बात कही है उस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित होकर आये हैं और जो काँग्रेस के सिद्धांतों में, उसकी मान्यताओं में विश्वास रखते हैं और जनसंघ की कार्यप्रणाली और उसके सिद्धान्तों और उसकी असलियत को जानकर, उससे नाराज होकर और निराश होकर डिस-इल्युजनमेंट के कारण आ गये हैं, उनके संबंध में अवश्य विचार किया जावेगा।

श्री शीतला सहाय : कथनी और करनी में बड़ा अन्तर रहता है, वह तो साफ मालूम पड़ रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : आप कृपा करके देखिए जैसा कि अँग्रेजी में कहते हैं 'दि व्हील हैज कम वन फुल सर्किल', एक घेरा पूरा हो गया है, अब कम से कम इस प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम और आप, हमारे और आपके उपस्थित होने का औचित्य, हमारे आपके दायित्व, इस प्रदेश के प्रति इस बात पर निर्भर करता है कि कम से कम आगे हम इस प्रदेश की प्रगति के लिये, इस प्रदेश में ऐसी समाज की स्थापना करें जहाँ शोषण के कारण किसी व्यक्ति की मान्यताएँ भंग न हो जावें। इस प्रकार के समाज की रचना करने के लिये अग्रसर होकर दृढ़ संकल्प होने का यह अवसर आया है। हम अपने सब ही पुराने मतभेद भुलाकर यह कोशिश करें कि हमारा मध्यप्रदेश, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था, यह प्रदेश भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों से अधिक समर्थ हो सकता है। मेरी भी ऐसी मान्यता है। मेरा यह निवेदन है कि इसी मान्यता के आधार पर हम अपना कार्य प्रारम्भ करें। हमें केवल इतना ही नहीं सोचना है कि शासन तन्त्र हमारे हाथ में रहे। शासन तन्त्र किसी के भी हाथ में रहे परन्तु हमारी जो प्रजातन्त्र की मान्यताएँ हैं उनका पालन होना चाहिये। किसी भी शासन के लिये उद्देश्यों से हटकर शासन करना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिये कि सत्ता केवल सत्ता के लिये ही कायम रखी जाये, यह कोई उद्देश्य नहीं है। पुनः जो हमको यह अवसर मिला है अपने प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने का उसमें सारी कटुता को भुलाकर सहयोग देना चाहिये। आपने अपने शासनकाल में जो भी एक परसेन्ट अच्छे काम किये हैं हम उन अच्छे कामों की ताईद करते हैं लेकिन उनकी आड़ में आपने दूसरे ऐसे काम किये हैं जिनके कारण उन अच्छे कामों की भी बात कहने में हिचक होती है। जो भी हमारे पिछले मन-मुटाव थे उनको भुलाकर इस प्रदेश को भ्रष्टाचार से रहित प्रदेश, बुराइयों से अलिप्त प्रदेश का निर्माण करना है, ऐसी रूपरेखा के लिये हमको आपका सहयोग चाहिये। जिसके कारण से हमारे प्रदेश में व्याप्त गरीबी मिट सकती है। इस प्रदेश का जो पिछड़ापन है वह दूर हो सकता है। हमारे यह जो हरिजन और सैकड़ों की संख्या में आदिवासी हैं उनमें पुनः आशा का संचार हो सकता है कि हमारे प्रदेश में अब अच्छा शासन मिलेगा। श्री सखलेचा जी ने जो दूसरी बात विधानसभा भंग करने के बारे में कही है उसके बारे में, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय ने क्या किया, क्या नहीं किया उस समय के मुख्यमंत्री जी ने उनसे विधानसभा भंग करने की माँग की थी उसको उन्होंने नहीं माना। क्या यह माँग जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री की माँग थी? क्या यह माँग बहुमत दल के मुख्यमंत्री की माँग थी? मैं इस माँग को दुर्भाग्यपूर्ण माँग कहूँगा और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिये कहूँगा कि यह माँग राजा नरेशचन्द्रसिंह जी द्वारा की गई। नरेशचन्द्रसिंह जी मेरे करीब के मित्र हैं, इसलिये मुझे बहुत दुःख हुआ कि एक सज्जन आदमी को आपने मिलकर इस प्रकार से परेशान किया। यह माँग उनके द्वारा कराई, उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगाया, जबकि वे स्वयं कहते हैं कि मैं तो जीरो हूँ। उस जीरो व्यक्ति से आपने इस प्रकार की माँग कराई कि इस विधानसभा को भंग कर दिया जाये, यह कहाँ तक उचित कहा जा सकता है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या संविधान में इस प्रकार की कोई शर्तें हुई हैं कि कौन-सा मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की माँग कर सकता है और कौन-सा नहीं? संविधान में तो स्पष्ट लिखा है कि मुख्यमंत्री के सहयोग से राज्यपाल काम करेंगे।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जिस मुख्यमंत्री ने इस सदन का विश्वास प्राप्त नहीं किया, शक्ति परीक्षण के पूर्व ही त्याग-पत्र दे दिया, वह मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों की विधानसभा को भंग करने की सलाह दे, इससे अधिक अनैतिक बात कोई नहीं हो सकती।

अध्यक्ष : चार महीने तक अब कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री (सिरमौर) : अध्यक्ष महोदय, आज जब यह लेखानुदान विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, श्रीमान् मैं बड़ी चिन्ता के साथ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो शासनारूढ़ होता है कम से कम इतना उसको ख्याल रखना चाहिये कि कभी उन्होंने क्या कहा था? मुझे याद है जब संविद शासन का निर्माण हुआ और संविद शासन की ओर से चार महीने का लेखानुदान प्रस्तुत किया गया तब श्री दुबे जी ने कहा था कि मुझे आपत्ति है कि चार महीने का लेखानुदान माँगा जा रहा है। लेखानुदान बहुत आवश्यक परिस्थिति में माँगा जाता है। लेखानुदान के कारण विधानसभा का जो अधिकार है अपना विचार व्यक्त करने का उसका अवसर नहीं मिलता है। दुबे जी ने कहा था हमें थोड़े समय का लेखानुदान माँगना चाहिये, एक महीने का माँगना चाहिये और बाकी विस्तृत बजट शीघ्र प्रस्तुत करना चाहिये ताकि विधानसभा में शासन की नीति के संबंध में, बजट के संबंध में हमें अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिल सके। लेकिन मुझे दुःख है, अध्यक्ष महोदय, कि इस देश में इस बात की हवा चल पड़ी है कोई व्यक्ति अपनी बात का आदर नहीं करना चाहता कि कब हमने क्या कहा था? यदि इस देश की जनता को यह विश्वास होने लगेगा कि इस देश के कर्णधार, इस देश के नेता की बात में कोई तथ्य नहीं तो फिर इस देश के प्रजातंत्र का भविष्य बड़ा अन्धकारमय है। मैं चाहता था कि इस विधानसभा में शासनारूढ़ दल द्वारा अगले महीने का लेखानुदान माँगा जाता और सत्र चलता रहता और उस बीच में अपना विस्तृत बजट पेश करते। श्रीमान् यह परम्परा है जो लोकसभा में भी अपनाई जाती है, 15 अप्रैल या 15 मई तक का लेखानुदान माँग लेते हैं जिससे चालू खर्चा चलता रहे और सत्र चलता रहता है उसी में विस्तृत बजट पेश करते हैं और पास करवाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है काँग्रेस शासन उसी मार्ग पर जा रहा है जिसकी उसने आलोचना की थी। इसके बाद, श्रीमान् जो सब से बड़ी चिंता की बात है उसकी ओर मैं आज के कर्णधार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस शासन का निर्माण हुआ— मैं चाहूँगा पंडित श्यामाचरण शुक्ल, दुबे जी अथवा डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जो लोकतंत्र के भविष्य पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हृदय पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए कि क्या आपने सही काम किया है? क्या काँग्रेस शासन यह कह सकता है कि दल बदलने वालों को लेकर हम शासन का निर्माण करने वाले नहीं हैं। यदि आपने ऐसा किया होता तो इस देश में ऐसी परम्परा बनती जिससे ज्ञात होता कि प्रजातंत्र में आपकी कोई आस्था है। आपने स्वयं कहा था जो दलबदल कर गये हैं उनके आधार पर सरकार नहीं बनेगी क्योंकि जो सत्ता-लोलुप व्यक्ति, सत्ता के लोभ से अपने दल पर लात मारते हैं उनके द्वारा जो शासन बनेगा वह समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता। दो बरस पहले जब देश में दलबदल की समस्या चल पड़ी काँग्रेस की ओर से बड़ी चीख-पुकार चली। उसके लिये लोकसभा के सदस्यों की एक समिति बनी उससे कहा गया दलबदल को रोकने का उपाय बताइए। उस समिति ने कुछ सिफारिश की लेकिन उसके बाद जब आपको अवसर मिला कुर्सी पर बैठने का तो आपने उन सिफारिशों की ओर ध्यान नहीं दिया। आपने ही ध्यान नहीं दिया, आपके हाई कमांड ने भी नहीं सोचा कि हम कौन-सा अनर्थ करने जा रहे हैं? आप कहते हैं कि आपने मंत्रिपद का लालच नहीं दिया। मैं जानता हूँ राजमाता ने मंत्रिपद का लालच दिया तो हमने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की थी पर आप कहते हैं कि हमने मंत्रिपद का लालच नहीं दिया।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मैं शास्त्रीजी को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि जितने नये लोग

अभी काँग्रेस पक्ष में शामिल हुए हैं किसी को भी एक भी सदस्य को मंत्रिपद का प्रलोभन नहीं दिया गया और न आश्वासन दिया गया है, जो नये-नये शामिल हुए हैं .....

श्री कल्याण जैन (इन्दौर-3) : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपने एक भी सदस्य को लालच नहीं दिया। मैं श्री श्यामाचरण शुक्लजी से पूछना चाहता हूँ तो क्या इस प्रकार दलबदल करके सरकार बनाना चाहिए, जवाब 'हाँ' में हो या 'ना' में कहिए?

श्री श्यामाचरण शुक्ल : जिस प्रकार से संविद शासन चल रहा था उसे किसी भी प्रकार गिराना सबसे बड़ा धर्म था (काँग्रेस पार्टी की ओर से मेजों की थपथपाहट)।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 मार्च 1969/पृष्ठ-39-49)

1969 का नया सत्र 23 जून से 8 जुलाई 69 तक चला। मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल के 40 सदस्यीय मंत्रिमण्डल में श्री अर्जुनसिंह शामिल नहीं हुये।

विरोध वह होता है, जो देश को नई राह दे, प्रगतिशील विचारधारा से उसे नई गति प्रदान करे किन्तु यदि द्वेष से प्रेरित विरोध व्यक्तिगत स्तर पर उतर आए, तो देश की शांति-व्यवस्था भंग होती है और प्रगति का चक्र रुक जाता है।

— अर्जुनसिंह
(17 सितम्बर, 1974)



1970

1970 के साल का बजट सत्र 7 जनवरी से शुरू हुआ। अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे पीठासीन हुए। .... इस वर्ष का वर्षाकालीन सत्र 14 सितंबर से आहूत हुआ। सभापति श्री चन्द्रप्रताप तिवारी पीठासीन हुए। 17 सितंबर 70 को मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल ने म.प्र. विनियोग विधेयक 1970 विचारार्थ प्रस्तुत किया। विदिशा से चुनकर आये श्री राघवजी ने चर्चा की शुरूआत की। इसके पश्चात श्री अर्जुनसिंह ने चर्चा में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री (श्री श्यामाचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 1970 (क्रमांक 19 सन् 1970) पर विचार किया जाये।

श्री राघवजी (विदिशा) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिये आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उप-चुनाव में अथक प्रयास करके मेरे मतदाताओं को इस बात के लिये उत्साहित किया कि वह मुझे विजयी बनायें। मुझको यह उम्मीद है कि भविष्य में भी वह इसी प्रकार की कृपा बनाये रखेंगे।

माननीय सभापति जी, यह विनियोग विधेयक जिसमें, 6 करोड़ 60 लाख की माँग की गई है, और इस सदन में यह प्रस्तुत किया है, उसके बारे में, मेरा कहना यह है कि माँग वास्तव में वाजिब है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, जिस शासन के हाथ में यह 6 करोड़ रुपया देने वाले हैं, यह क्या इस लायक है कि उसको यह रुपया सौंपा जावे। इस बात पर जब हम विचार करते हैं तो पता यह चलता है कि यदि शासन दूरदर्शिता से कार्य करता, दूरदर्शिता से काम लेता, फिजूलखर्ची कम करता तो यह माँगें लाने का मौका न आता इस प्रदेश में फिजूलखर्ची किस तरह की जा रही है, इसके एक नहीं, अनेक नमूने हैं, यह 40 मिनिस्टरों की फौज यदि न होती तो, यह अनुपूरक अनुदान की माँग, और यह विनियोग, विधेयक लाने की आवश्यकता ही न पड़ती। माननीय सभापति जी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो 6 करोड़ की माँग है, यदि मध्यप्रदेश शासन आदेश प्रस्तुत करके, समस्त विधायकों के दस प्रतिशत पर, मिनिस्ट्री में सीलिंग करके, आदर्श मंत्रिमण्डल बनावे तो बहुत कम धन की आवश्यकता पड़ेगी। सभापति महोदय, एक नहीं, अनेक फिजूलखर्ची के नमूने हैं, उनमें से एक-दो नमूने मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जब दौरा होता है तो, यह मालूम होता है कि वाईसराय जिले में आ रहा है। विदिशा जिले में जब मुख्यमंत्री जी आये थे, तो ऐसा लगता था कि ब्रिटिश राज्य है और ब्रिटिश राज्य का वाईसराय पधार रहा है। उनके लिये दो हजार पुलिस मेन, होम गार्ड, और चौकीदारों को बुलाकर व्यवस्था की गई थी। चारों तरफ आतंक फैला हुआ था। उनके लिये खास तौर से सड़कें सुधारी गई थीं। बिजली का फिटिंग हुआ, और भोजन का प्रबंध किया गया। इसमें वहाँ की जनता का अनुमान है और मेरा भी यह अनुमान है कि मुख्यमंत्री जी के वहाँ के दौरे में, 30 हजार रुपया खर्च हुआ। इसी प्रकार से यदि हर जिले में खर्च किया जाता है तो कितना खर्चा होता होगा। यदि इसमें कमी की जावे तो, बजट में कितना अन्तर पड़ेगा। इसी प्रकार से अन्य मंत्रियों का भी यही हाल है।

सभापति महोदय, वहाँ मण्डी कमेटी का उद्घाटन करने के लिए दो मंत्रियों का प्रोग्राम पहुँच गया। हमारे मंत्री, उद्घाटन, भाषण और चाटन करने के बड़े प्रिय हैं, दोनों मंत्रियों ने दबाव डाला कि उनसे उद्घाटन कराया जावे।

इसलिये दोनों मंत्रियों के लिये ही व्यवस्था करनी पड़ी। एक मंत्री द्वारा वहाँ की पंचायत भवन की छत को रिपेयर कराकर, कुछ सुधार कर, उसी भवन का उद्घाटन कराया गया, जिसका कि उद्घाटन तख्तमल जी पहले कर चुके थे। दुबारा उसी भवन का उद्घाटन करना फिजूलखर्ची है। इस प्रकार की कई फिजूलखर्चियाँ इस शासन में हो रही हैं।

सभापति महोदय, जब यह सत्र आया, तब मैं अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में गया। वहाँ एक काँग्रेसी मित्र ने कहा कि आजकल मिनी का जमाना है। मिनी स्कर्ट, मिनी बस चलती है, और इसीलिये मिनी सेशन, मेरा कहना है कि आप भी मिनी केबिनेट बनाईये। मिनि मिनिस्टर रखिये, सब काम मिनी कीजिये। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी तरस रहे थे कि उनको पाँच मिनिट का समय दिया जावे .....

श्री सभापति : मिनी ऑपोजीशन भी हो जावेगा।

श्री परमानंद : सभापति महोदय, स्पीच चल रही है।

सभापति : यह कहा जा सकता है, यह रोका नहीं जावेगा।

श्री राघवजी : क्या-क्या आवश्यकता थी, यदि उस पर यह शासन नजर रखता तो यह फिजूलखर्ची न होती।

दूसरी बात, सभापति महोदय, जिस पर कि मैं जोर देना चाहता हूँ। वह यह कि जिस राज्य शासन को यह रकम सौंप रहे हैं, वह योग्य है या नहीं? उसको यह रकम सौंपना उपयोगी होगा या नहीं। इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 23 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह अवसर आया है कि जब कि मण्डी कमेटी और को-आपरेटिव बैंक में अध्यक्ष को नॉमीनेट किया गया है। यद्यपि वहाँ प्रभारी अधिकारी मौजूद हैं, फिर भी उनको हटाया गया और फिर भी अपने आदमी का नॉमीनेशन किया गया। यह नहीं देखा गया कि वह जनता द्वारा चुनकर आया है। केवल काँग्रेस को अपने आदमी को बैठाना है, इसलिये उनको नॉमीनेट कर दिया गया। मैं अपने यहाँ की मण्डी कमेटी का उदाहरण देना चाहता हूँ। जिसने कि गुलाबी चने में घपला किया था। और जिस पर म.प्र. शासन ने 420 में मुकदमा दायर कर रखा है। उसको इस शासन द्वारा मण्डी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वह सारे क्षेत्र में बदनाम आदमी है। ऐसे व्यक्ति को मण्डी कमेटी का अध्यक्ष बनाकर कार्य किया जा रहा है। माननीय सभापति जी, विदिशा को-आपरेटिव बैंक के संबंध में भी यही स्थिति है। वहाँ जो कि चुनाव कराया गया, वह जिस व्यक्ति को काँग्रेस दल पर खड़ा करने वाला था, उसको विदिशा को-आपरेटिव बैंक चेयरमैन बनाया गया। ऐसा व्यक्ति जो कि कभी बैंक का डायरेक्टर नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति को को-आपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया गया जो कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसे व्यक्ति के हाथ में करोड़ों रुपयों की राशि दे दी। अभी सभापति महोदय, ओला पड़ने की घटना हुई थी। उसमें जो लोन दिया गया, उसमें वही नीति अपनाई गई। "अंधा बाँटे रेवड़ी, चीन्ह-चीन्ह कर देय" कुछ लोगों को लोन दिया गया। बहुत से लोगों को नहीं दिया गया। इस तरह के व्यक्ति को को-आपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया गया उप-चुनाव में हारने या तुरन्त ही नूतन जी के पिता को जो को-आपरेटिव बैंक में थे उनको रिटायर कर दिया गया। इस तरह के कार्य उस चेयरमैन के द्वारा किये जा रहे हैं, जो किसी तरह से भी उचित नहीं कहे जा सकते।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग के संबंध में, दस्यु समस्या को हल करने के लिये कुछ लाख रुपये विनियोग विधेयक में माँगे गये हैं, बड़ी ठीक बात है, लेकिन मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में आप ईमानदारी से डाकू समस्या का हल करना चाहते हैं? आज लोगों को दिन ब दिन डाकू समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर जिले के एक गाँव में एक स्कूल के पूरे के पूरे बच्चों का डाकुओं के द्वारा अपहरण किया गया। पुलिस और डाकुओं की साँठ-गाँठ से वहाँ के लोगों के कुछ बच्चे मिल सके। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, इसी राजधानी में मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे से, एक व्यक्ति का अपहरण डाकुओं के द्वारा हुआ। वह आपको मालूम है। जब वह व्यक्ति छूटकर आया तो उसने बताया, कोइन्सीडेंस ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री के ही समान वह भी डाकू है। माननीय पटेरिया जी के पास उसके रिश्तेदार गये तो उन्होंने यह कह दिया कि रुपया दे आओ और उसे छुड़ा लाओ। जबकि अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस बात को कहें फिर यह समझ में नहीं आता कि किस तरह से आप इस समस्या का हल करेंगे? प्रदेश के अन्दर बराबर डाकुओं के द्वारा लूट का

माल औरतों के जेवर बेचे जा रहे हैं, लेकिन शासन कुछ नहीं कर पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब विदिशा पहुँचे और उन्होंने अभी कहा है कि वृहत् सिंचाई योजनाओं को ध्यान देंगे। विदिशा में उनसे हलाली बाँध योजना के संबंध में कहा गया कि उसका सर्वे हो गया है, इंजीनियर्स क्वार्टर बन गये हैं, वे सारे काम हो गये हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को नहीं लिया। बरगी, बाण और दूसरी योजना को ले लिया। आखिर यह भेदभाव क्यों किया जाता है? क्षेत्रीयता क्यों बरती जाती है? मैं सभापति महोदय, क्षेत्रीयता की बात बताना चाहता हूँ। इस विनियोग विधेयक में 3-4 नये काम बताये गये हैं, वे सारे के सारे रायपुर जिले में किए जा रहे हैं, चाहे सघन कृषि योजना हो, चाहे परिवार नियोजन हो, वे सारे के सारे काम रायपुर जिले में किये जा रहे हैं और विदिशा जिले की उपेक्षा की जाती रही है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं विदिशा में कहा कि काँग्रेस के व्यक्ति जिताइए, अपने आप सारे काम होंगे, इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, वोटरों को प्रलोभन दिया गया।

इस प्रकार, सारी की सारी बातें वहाँ पर हो रही हैं, मेडीकल के बारे में कुछ माँगें रखी गई हैं, लेकिन इसमें कितनी अनियमितताएँ हुई हैं और किस प्रकार से प्रदेश में धाँधली मची हुई है, यह भी देखना चाहिये। मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिये कि अहमद शरीफ जो नाम से ही मुसलमान है, उसको कैसे अनुसूचित जाति में बताया गया है और सीहोर जिले में उसे अनुसूचित जाति में प्रवेश दिया गया है, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर मुसलमान जाति को कब से अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया गया है? इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, एक नहीं, अनेक बातें हैं, इसी प्रकार से वन विभाग के लिये विनियोग विधेयक में 2 करोड़, सत्तर लाख रुपये की माँगें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किस प्रकार से खर्च करेंगे? खाली व्यय भर लिख दिया गया है, हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप स्टाफ की नियुक्ति करेंगे या कि क्या कदम उठायेंगे? इसमें कोई हवाला नहीं दिया गया है, हम यह चाहते हैं कि आप पूरा विस्तृत विवरण दें। जनसंघ कभी भी इस तरह से राष्ट्रीयकरण नहीं पसंद करता है कि जो जनता के लिये हानिकारक हो। जनता को आपकी इस प्रकार की नीति के कारण प्रतिवर्ष लाखों रुपयों की हानि होती है। श्री पटेरिया जी को जवाब देने में इस नीति में काफी तकलीफ होगी और जब घाटा होगा तब जवाब देने में और भी तकलीफ होगी। सारे के सारे पैसे जनता की ही जेब से जाने वाले हैं, जनता को ही सारा भार उठाना पड़ेगा इसलिये कोई आवश्यकता नहीं है कि लकड़ी के व्यापार के राष्ट्रीयकरण के लिये इतनी बड़ी राशि दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से पृथक राजस्व की बातें हैं, पृथक राजस्व में वर्ष 67-68, 68-69 में आठ लाख और तीन लाख दिखाया गया है, वह किस प्रकार से किया है एवं इसी वर्ष क्यों लिया गया? यह हमारी समझ में नहीं आता है, जहाँ तक सामान्य प्रशासन की बात है, कनिष्ठ लोक सेवा आयोग की स्थापना आज तक नहीं की गई है। जगह-जगह वहाँ पर पक्षपात किया जाता है काँग्रेसी जो कि वहाँ पर फैले हुए हैं, वह नियुक्तियों के लिये पाँच-पाँच हजार की रिश्वत लेते हैं, यहाँ तक कि एक ड्रायवर की नियुक्ति यदि राज्य परिवहन में होती है तो उसकी वे पाँच-पाँच हजार की रिश्वत लेते हैं, इस अव्यवस्था को श्री पटेरिया जी किस प्रकार से हल कर सकेंगे। जो ड्रायवर पाँच सौ रुपया रिश्वत देकर नियुक्त होगा वह किस प्रकार से राज्य परिवहन के हित के लिये कार्य कर सकेगा। इसलिये कई बार यह माँग की गई है कि कनिष्ठ सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।

इसी प्रकार से अपेक्स मार्केटिंग सोसायटी का प्रश्न है, इसमें इतनी घपलेबाजी है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसको उर्वरकों आदि के लिये दस लाख रुपया सौंपा जा रहा है, यह उचित नहीं है।

माननीय सभापति जी, अनुदान के अन्तर्गत निर्वाचन के लिये भी माँग रखी गयी है। वहाँ उपचुनाव हुए, उनके लिये माँग रखी गयी है, लेकिन शासन किसी भी तरह से, निष्पक्ष चुनाव नहीं कर पाता। चुनाव के लिए ऐसा मालूम पड़ता था कि उम्मीदवार नहीं, बल्कि स्वयं सरकार यह चुनाव लड़ रही है। चुनाव के समय एक तहसीलदार का स्थानान्तर किया गया केवल इसलिये कि वह काँग्रेस उम्मीदवारों के कहने पर, किया गया और जब तक कि

उससे घुटने नहीं टिकवा लिये गये, उससे यह वायदा नहीं ले लिया गया कि वह काँग्रेस के पक्ष में कार्य करेगा, तब तक उसका यह स्थानान्तर रद्द नहीं किया गया। जब यह पूछा गया कि किन-किन लोगों के स्थानान्तर किये गये थे तो उसके नाम को छिपाया, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं बताया गया, वास्तव में यह बड़ा घातक है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी जाकर, नियमों का उल्लंघन करते हुए सभा करते रहे। हमारे कार्यकर्ता टोकते रहे, स्वयं शीतला सहाय जी ने भी तार किया, इसी प्रकार हर एक स्थानों पर जीपों का दुरुपयोग किया गया। उसके पेट्रोल का दुरुपयोग किया गया। यह सारा का सारा दुरुपयोग सरकारी पक्ष के लिये किया जाता रहा। इस प्रकार एक नहीं, अनेक अनियमितताएँ बरती गईं। सारा का सारा मंत्रिमण्डल कार्य करता रहा। स्वयं पटेरिया जी गुलाबगंज में पड़े थे। पुलिस की सहायता लेकर, जनसंघ के झण्डे उतरवाये गये और काँग्रेस के बिल्ले पुलिस की सहायता से बँटवाये।

श्री बृजकिशोर पटेरिया : माननीय सभापति महोदय .....

सभापति : जब नये माननीय सदस्य आते हैं तो उनकी पहली स्पीच में कोई नहीं छेड़ सकता है, लेकिन समय की अवधि लगाई जा सकती है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूँगा कि वह अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री कृष्णपालसिंह (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता था कि, सामने वाली बेंच का, गलत बातें कहने का कहीं ज्यादा असर न आ जाये।

सभापति : उनको इन्टरेप्ट न करें। आप दो मिनिट में समाप्त करें।

श्री राघवजी : पटेरिया जी जब काँग्रेस का प्रचार करने निकले, तब उनका सफाया हो गया जहाँ-जहाँ पद यात्रा की, वहाँ-वहाँ ओलों से फसलों का सफाया हो गया। अब मंत्रिमण्डल के बारे में मुख्यमंत्री जी को चिन्ता करनी चाहिये। मैं अब भूमि वितरण के सम्बन्ध में और बता देना चाहता हूँ। राजस्व अधिकारी जानबूझकर गलत जानकारी देता है, पटवारी रिश्वत लेकर खसरे की नकल देते हैं, हमने पूछा कि इस तहसील में आप कितनी जमीन वितरण करने वाले हैं? उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। वे गलत जानकारी देते हैं, वहाँ ऐसी जमीनों के पट्टे कर दिये जिसमें कि पहले से ही लोग काश्त करते थे माननीय पटेरिया जी ने विदिशा जिले में जाकर ऐसी भूमि के पट्टे दिये, जिसमें कृषक पहले से ही काश्त करते थे। 450 बीघा पर 10 साल पहले से लोग खेती कर रहे थे। उनको पट्टा दिया गया, वे हरिजन आदिवासी भी नहीं थे। वहाँ पर जो समिति बनी हुई है, उनको पट्टा नहीं दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (मुख्यमंत्री) : माननीय सभापति महोदय जी, यह तो माननीय सदस्य की मेडन स्पीच है, जनसंघ के सदस्यों को उनका स्वागत करना चाहिये था। उनको संसदीय परम्परा का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : माननीय सभापति जी, विदिशा के नव निर्वाचित सदस्य ने अपनी पहली तकरीर यहाँ पर की। हम सब उसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने जो यह आशा व्यक्त की है कि वे जिस प्रकार से चुनाव जीतकर आ गये हैं उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की ओर से अगले चुनाव में भी प्रयत्न किया जायेगा। यह उनकी गलतफहमी है और मैं उनकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। अभी तो वे चुनकर आ गये हैं, परन्तु अगली दफा आने में उनको मुश्किल पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे मुँह से अध्यक्ष महोदय ही निकलता है और वास्तव में आप अध्यक्ष के आसन पर तो विराजमान हैं ही।

सभापति : आप जितना सम्मान देना चाहें वह थोड़ा ही है।

श्री अर्जुनसिंह : जो अनुपूरक अनुदान उपस्थित किये गये थे उनके संबंध में यह विनियोग विधेयक यहाँ पर पेश किया गया है। उसके सिलसिले में, मैं दो-चार शब्द आपकी अनुमति से कहना चाहूँगा। अनुपूरक अनुदान का अपना स्वयं का स्थान होता है। फाइनेन्शियल अरेन्जमेंट में। साथ ही साथ एक अवसर भी हमें मिलता है बजट सेंशन के बीच में शासन के कार्यकलापों का सिंहावलोकन करने का जिनके संबंध में यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। इस पृष्ठभूमि में, मैं यह कहना चाहूँगा कि पिछले एक-डेढ़ साल से जो मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि इस प्रदेश में जो अनेक समस्याएँ हैं, जो अनेक आवश्यकताएँ हैं उन समस्याओं और आवश्यकताओं की ओर से इस शासन ने और मुख्यमंत्री ने जितना भी उनसे सम्भव हो सका, ध्यान देने का

प्रयत्न किया है और इसमें भी दो राय नहीं हैं कि हमारी पार्टी के जो सिद्धांत हैं जिनका पोषण करने के लिये शासन का निर्माण होता है, उन सिद्धांतों की पूर्ति के लिये शासन ने कदम उठाये हैं। पहली जो प्राथमिक आवश्यकता है आज उसको ध्यान में रखकर प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई की व्यवस्था और साथ ही साथ उद्योगों का विकास हो सके ताकि हमारी प्रगति एकांगी न हो जाये। इन सभी दिशाओं में शासन की ओर से प्रयत्न किया गया है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि पहले जो शासन था उसने इस दिशा में कोई काम नहीं किया लेकिन जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है उसी का लेखाजोखा हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इसी में शासन ने कुछ ऐसी सिंचाई योजनाओं का प्रावधान किया है जिनके बारे में प्रदेश के कई हिस्सों से बहुत दिनों से माँग चली आ रही थी। इसमें नर्मदा घाटी योजना और विन्ध्यप्रदेश की वाण सागर योजनाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से खेती की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न किया गया है। इसके खर्च की भी उतनी तत्परता दिखायें ऐसी मैं आशा करता हूँ।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, जो हमारे नीति संबंधी काम हैं उनके संबंध में पार्टी ने यह स्वीकार किया है कि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये। जितने भी ऐसे कार्य हैं जिनमें अधिकांश लोगों का सम्पर्क होता है वहाँ पर लोगों का शोषण किया जाता है, उसके लिये पार्टी की तरफ से यह कार्य निश्चित किया गया है कि वन विभाग में लकड़ी का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा, इस विधेयक में उसके लिये भी राशि रखी गई है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। परन्तु राष्ट्रीयकरण जितना आवश्यक है उतना ही जनता की साधारण आवश्यकताओं का भी सवाल है। इसलिये राष्ट्रीयकरण की जो भी स्कीम हो वह बहुत ही सरल एवं सुगम हो, जिससे राष्ट्रीयकरण में किसी प्रकार की बाधायें न आयें और हमारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सकें। साथ ही साथ जनता भी सुविधा प्राप्त कर सके। अभी जो राष्ट्रीयकरण किया गया है और उसमें जो भी अड़चनें आई हैं उनसे शिक्षा ली जानी चाहिये और भविष्य में उस ओर से सावधान रहना चाहिये। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को अनुभव है क्योंकि उन्होंने चर्चा के बीच में सारी कठिनाइयों को बताया था। जब उन्होंने महुआ का राष्ट्रीयकरण किया था उस समय जो भी अड़चनें आई थीं, उस अनुभव को सामने रखते हुए इस कार्य को करना चाहिये जिससे आगे चलकर कठिनाइयाँ न हों और जनता को भी किसी प्रकार से असुविधा न हो सके। उत्पादन बढ़ाने की ओर शासन का ध्यान है, उसके संबंध में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। उद्योग मंत्री जी बड़े लगनशील हैं,मैं समझता हूँ उद्योग विभाग एक नीरस विभाग है लेकिन उसमें भी हमारे उद्योग मंत्री बड़े लगन से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि उत्पादन तो बढ़ाये जायें, उसको बढ़ाने की कल्पना तो की जाये परन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि हमारे प्रदेश में कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं। उन उद्योगों को ही लिया जाना चाहिये केवल उद्योगपतियों के कहने पर ही कोई काम नहीं किया जाना चाहिये। उद्योगपतियों की कृपा पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस देश में अन्य प्रदेशों में उद्योगपतियों को अधिक सुविधा दी जा सकती है उनको वहाँ पर अधिक साधन मिल सकते हैं जिससे वे वहाँ जायेंगे और हमारे प्रदेश में आना स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं इसलिये हमको उन खनिज पदार्थों से संबंधित उद्योगों को ही लेना चाहिये, जनरल उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। मैं इसकी सिफारिश इस समय इसलिये करना चाहता हूँ कि पिछले सालों के बजट में भी होता रहा है परन्तु खनिज पदार्थों की खोज में जितना काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। जितने खनिज पदार्थ हमको उपलब्ध होना चाहिये थे, वे नहीं हो सके। पदार्थ कहाँ पर हैं और कौन-कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं इस दिशा में शासन ने कोई कार्य नहीं किया इस ओर उद्योग विभाग को प्रयत्न करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूँगा। क्योंकि और माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज जो तस्वीर प्रदेश की हमारे सामने है उस तस्वीर को बनाकर रखना शासन का काम है उसकी देखरेख उसकी सफाई करने का दायित्व शासन का है इसलिये मैं उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार की समस्याएँ इस प्रदेश में विद्यमान हैं, उन समस्याओं का समाधान केवल सहयोग, सहकारिता और लगन से ही हो सकता है और इसमें विरोधी और हमें एक साथ

मिलकर उस उपाय में कार्य करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी शासन की तस्वीर जो हमारे सामने रखी जायेगी उसमें बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारी ही होगी। इस तरफ के बैठे हुए प्रत्येक सदस्य उसमें हैं और सबसे ज्यादा माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो इस दल के नेता हैं उनकी है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूँगा कि शासन के साधारण रोज ब रोज के जो काम हैं वे अपनी तरह से चलते रहते हैं, उनमें हस्ताक्षर किस तरह से होना चाहिये न होना चाहिये, यह आप स्वयं विचार कर सकते हैं, लेकिन जब शासन चलता है और जब कुछ बुराइयाँ सामने आती हैं तो उन बुराइयों को किस तरह से निपटाना चाहिये उसका एक निश्चित मापदण्ड है, एक निश्चित प्रक्रिया है और एक निश्चित कदम है। मेरी नम्र राय में सभापति महोदय, इस दिशा में हम इतना कुछ नहीं कर सके कि जितना हमको करना चाहिये था। जिस सामाजिक क्रांति की कल्पना करके हम शासन की बागडोर अपने हाथ में सम्पालकर कोशिश कर रहे हैं, उस सामाजिक क्रांति को मूर्तरूप देने के लिये यह आवश्यक है कि जिस मशीनरी से, जिस तंत्र से इस क्रांति का बहुत कुछ हिस्सा लागू करना चाहिये उस तंत्र पर हमारे कुछ अधिकार होने चाहिये। उसमें जो कुछ बुराइयाँ हों, उनको दूर करने की हम में क्षमता होनी चाहिये। मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि इस समस्या पर, अन्य समस्याओं में उलझे होने के कारण हमें जितना ध्यान देना चाहिये, नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे प्रदेश में नौकरशाही की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से जिस सामाजिक क्रांति, जिस आर्थिक क्रांति को करने के लिये हम कटिबद्ध हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। मुझे सभापति महोदय, संदेह है, मुझे ऐसा कहने के लिये विवश होना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय इस ओर दें क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होंगे और बीच में ही उनके नष्ट होने की आशंका है। उदाहरण के तौर पर प्रदेश में एक सतर्कता आयोग सफलता से काम कर रहा है और उसकी सफलता का लेखा-जोखा विधानसभा कर सकती है। हमने एक प्रक्रिया तो निर्धारित की, प्रदेश में भ्रष्टाचार न हो, उसकी रोक के लिए एक प्रक्रिया बनाई। स्वयं मेरा नहीं लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं इस वक्त प्रदेश में आमतौर से लोगों का ख्याल है कि भूतपूर्व न्यायाधीश श्री सेन की मृत्यु के बाद सतर्कता आयोग का कोई भी आयुक्त नहीं नियुक्त हुआ।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : श्री अर्जुनसिंह जी अक्सर पिछले दिनों प्रान्त से बाहर रहे हैं इसलिये उनकी नजर न पड़ी होगी। जस्टिस श्रीवास्तव सतर्कता आयोग के आयुक्त नियुक्त किये जा चुके हैं।

सभापति : फिर भी मुख्यमंत्री की यह गलती है कि उनको पत्र लिखकर सूचित नहीं किया।

श्री अर्जुनसिंह : मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहूँ लेकिन उनको मालूम है कि में उन से सम्पर्क बनाये रखता हूँ।

सभापति : मुझसे सम्पर्क रखते हैं कि मुख्यमंत्री से।

श्री अर्जुनसिंह : आप से तो है ही, मुझे दुख है कि उस सम्पर्क के बारे में आपको शंका हो जाती है, मुझे तो नहीं होती।

(जोर की हँसी)

सभापति महोदय : ऐसा मालूम है कि नियुक्ति अभी हाल ही में हुई होगी। एक हफ्ते पहले हुई है ऐसा हमारे मित्र कह रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले और उनकी मृत्यु के बीच कई महिने बीत गये।

श्री परमानन्द : हिन्दुओं में मृत्यु के पश्चात् ऐसी मान्यता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा पितृपक्ष में लौटकर आ जायेगी, इसी प्रकार का ख्याल मुख्यमंत्री जी को रहा होगा कि सेन साहब की आत्मा लौटकर कहीं फिर आ जायेगी।

श्री अर्जुनसिंह : इस प्रकार मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि शिथिलता की वजह से किस प्रकार से लोगों में भ्रष्टाचार का एक छत्र साम्राज्य कायम किये हुए हैं। इसका एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ। मैं इसको अपनी ओर से नहीं बल्कि स्वयं शासन ने इसी विधानसभा में 1969 के जुलाई सत्र में जो उत्तर दिया है, केवल उनके उत्तरों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करके मैं अपना भाषण समाप्त करूँगा। 1969 की 4 जुलाई की प्रश्नावली में एक प्रश्न विधायक श्री रुक्मिणीरमण प्रताप सिंह ने पूछा था। मैं पूरा पढ़कर सदन का समय नहीं लूँगा लेकिन उसका कुछ हिस्सा पढ़कर बताऊँगा। प्रश्न शिक्षामंत्री जी से पूछा गया था। "क्या शिक्षामंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) रीवा जिले के भूतभूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री विक्रमादित्य तिवारी के विरुद्ध गत तीन वर्ष से किन-किन आरोपों की जाँच किस-किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है अथवा की गई है? (ख) क्या यह सत्य

है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध डम्बुल्स लेजम आदि की खरीदी में शासकीय धन के गोलमाल संबंधी शिकायत की जाँच पूर्ण होकर लगभग 6 माह से शासन के पास विचाराधीन है? (ग) यदि हाँ, तो शासन ने क्या कार्यवाही की?

अवस्थी जी का उत्तर : (क) विवरण निम्नानुसार है।

मुख्य आरोप थे : (1) सामान खरीदी में अनियमितताएँ, (2) छात्रों की शुल्कराशि का दुरुपयोग (3) गलत टी.ए. बिल लेना (4) शिक्षकों के अनियमित परिवर्तन (5) घूस लेना (6) राजनैतिक कार्यों में भाग लेना (7) भ्रष्टाचार करना (8) योग्यता संबंधी सर्टीफिकेट का गलत होना (9) शिक्षक का चाँदी का पंखा वापिस न करना। इसके उत्तर में लिखा गया है कि आरोप एक से आठ तक संभागीय शिक्षा अधीक्षक संयुक्त संचालक श्री भटेले द्वारा जाँच की गई थी। अंतिम के बारे में लिखा गया है कि संभागीय शिक्षण अधीक्षक रीवा द्वारा जाँच की गई (ख) शासन ने निर्णय तो लिया है। (ग) शासन ने श्री विक्रमादित्य तिवारी को कठोर चेतावनी देने और उनसे चार हजार डेम्बुल्स की खरीदी में की गई हानि की वसूली करने का निर्णय लिया है।

यह 4-7-69 का प्रश्न शिक्षामंत्री के लिये था। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसी संदर्भ में आज ही एक प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न में जानकारी यह दी गई है।

श्री रामानन्द सिंह : आप समझ लीजिए सभापति जी यह सारी चोट आपके ऊपर हो रही है।

श्री अर्जुनसिंह : बिलकुल गलत। हम यह शिष्टता बरतते हैं बोलने में, किसी को चोट पहुँचाने के लिये नहीं कहते।

श्री रामानन्दसिंह : सभापति महोदय के विरुद्ध नहीं बल्कि चन्द्रप्रताप तिवारी के विरुद्ध तो यह चोट है क्योंकि उन्होंने ही विक्रमादित्य सिंह तिवारी को रखा था।

सभापति : मैंने आपको अभी वकील तो नहीं बनाया और न मुझ पर कोई आक्षेप है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मौके का फायदा श्री अर्जुनसिंह पूरा उठा रहे हैं, और आप कुछ बोल नहीं सकते।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय नेता महोदय, आपसे तो यह अपेक्षा नहीं थी।

सभापति : नेता महोदय को यह पता नहीं कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, उसके बगैर ही चल जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : आज ही के प्रश्न में शिक्षामंत्री से पूछा गया था कि—

सभापति : वह प्रश्न बताइये?

श्री अर्जुनसिंह : प्रश्न संख्या 36 है; प्रश्न में पूछा गया था—

(क) क्या 4 जुलाई 1969 को श्री विक्रमादित्यसिंह तिवारी भूतपूर्व जिला शिक्षा अधीक्षक के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न क्रमांक 51 के उत्तर खण्ड (क) में दर्शाये गये सभी आरोंपों की जाँच पूरी कर ली गई बताया गया था। तो उसके पश्चात् क्या कार्रवाई की गई? (ख) क्या शासन को विन्ध्य संभागीय शिक्षक संघ की ओर से श्री तिवारी के विरुद्ध वर्तमान समय में सीधी जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के संबंध में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार करने की शिकायत प्राप्त हुई? (ग) यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जो उत्तर दिया गया सभापति महोदय, अवस्थी जी द्वारा वह इस प्रकार है—

(क) श्री विक्रमादित्य तिवारी को अनियमित कार्य करने के लिये कठोर चेतावनी का दण्ड दिया गया है उनसे डम्बल्स खरीदी में शासन को हुई हानि की रकम उसमें रुपये नहीं थे, अब अंकन किया गया है, 3497.50 रु. की वसूली के आदेश दिये गये हैं। उनके विरुद्ध प्राप्त अन्य शिकायतों तथा कदाचरण बाबत आरोपों के सम्बन्ध में पृथक से नियमित विभागीय जाँच के आदेश दिये गये हैं तथा आरोपों की जाँच की जा रही है।

तो सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि 1 साल पहले प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि जाँच पूरी कर ली गई है। जो दोनों मुद्दों में जाँच पूरी की गई उसमें वे दोषी पाये गये, नुकसान हुआ वह भी मालूम हो गया। तब आप इस संबंध में फाईल मँगाकर देख लें कि 4 जुलाई 1969 को जवाब देने के पश्चात् विभागीय जाँच के आदेश कब दिये गये और अभी तक उनसे यह रुपया जो उन्होंने नाजायज खरीदी की, उसकी वसूली के आदेश किस दिनाँक को दिये गये यह पता चल जायेगा।

श्री कल्याण जैन : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूँ कि ये तिवारी जी अभी कहाँ पर हैं जिनका

कि आपने नाम लिया?

श्री अर्जुनसिंह : सीधी में हैं और जिला शिक्षा अधीक्षक हैं।

श्री कल्याण जैन : एक जिला शिक्षा अधीक्षक के बारे में जब इतनी सारी शिकायतें हों फिर भी उनको दूसरे जिलें में उसी पद पर रखा जाये यह शोभाजनक बात नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह निवेदन करूँगा कि यह एक प्रमाण है, इसको आप देखें। मैंने शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उनसे इस बात की जानकारी ली तो पता चला कि वहाँ पर अभी भी वही चीज हो रही है जिन शिकायतों का पहली जाँच में दोषी पाया गया वे ही अभा भी सीधी जिले में चल रही हैं। यह चीज डंके की चोट पर की जा रही है इसलिये मुझे दुख होता है। सभापति महोदय, हम लोगों ने सामूहिक रूप से एक संकल्प किया है, इसलिये उस संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी शासन पर आती है। हम लोग उससे हटना नहीं चाहते हैं, दल की तरफ से प्रत्येक सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह उसे पूरा करने में सहयोग दें। इसलिये आप कृपा करके शुद्ध एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से जो आपको उचित मालूम पड़े वह काम करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो धीरे-धीरे लोग यह समझेंगे कि भ्रष्टाचार उन्मूलन जो हमारा अभियान है और वह प्रमुख अभियान है, जो कि शासन का एक संकल्प है वह केवल एक कल्पना बनकर रह जाये। उस अभियान में हम कुछ व्यक्तिगत लोगों की बातें सामने रखकर और कुछ की न रखकर चलते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि जाँच के लिये संचालक महोदय ने एक उच्च अधिकारी को भेजा उन्होंने क्या जाँच की, क्या नहीं की मुझे नहीं मालूम। जाँच उन्होंने पूरी नहीं की। उनको दुबारा जाँच को जाने के लिये कहा। मैं कहूँगा मेरी जानकारी के मुताबिक रोका गया कि दुबारा जाँच के लिये न जायें। इस हद तक ऐसे प्रकरणों में हस्तक्षेप होगा तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ कि हमारी, किसी पार्टी की या विधानसभा की उज्जवल तस्वीर सामने आने वाली है?

श्री केशवप्रसाद सिंह : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि श्री विक्रमादित्य तिवारी के संबंध में कि श्री रुक्मिणीरमण प्रताप सिंह और श्री चन्द्रप्रताप तिवारी से कोई समझौता हुआ था?

श्री अर्जुनसिंह : मुझे किसी समझौते से कोई मतलब नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ।

श्री रुक्मिणीरमण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूँकि मेरा नाम आया है, इसलिये दो मिनट का समय चाहता हूँ। मैं विक्रमादित्य तिवारी के विरुद्ध 57 से 69 तक शिकायतें करता रहा। कोई न कोई मंत्री उनका समर्थक रहा है। वे कभी डी.ओ. और कभी प्रिंसिपल रहे हैं। मैंने यह कहा कि रीवा जिले में उनके चरण न पड़ें बाकी वे कलेक्टर रहें, कमिश्नर रहें इससे मुझे क्या मतलब।

श्री अर्जुनसिह : इन सब चीजों की जानकारी मुझे नहीं है न उनसे मेरा कोई मतलब है। मैंने तो शासन की ओर से दिये गये उत्तर और जो बिलकुल स्पष्ट और साबित चीजें थीं उनके आधार पर यह कहा है और मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से कि जो हम कह रहे हैं वे उस पर अपने को आधारित करके कोई कार्यवाही न करें, उनके स्वयं के अधिकारियों से बुलाकर पूछ लें, हमें उन पर पूरा विश्वास है वे स्वयं देखें लेकिन वे देखें तो। अगर देखेंगे तो इसी प्रकार की नौकरशाही की प्रवृत्ति रखने वाले लोग एक दूसरे को बतायेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और विधानसभा के सभी दलों के प्रतिनिधियों ने जो एक संकल्प लिया है कि हम स्वच्छ प्रशासन प्रदेश को दें, उसमें बाधक होगा। इसलिये मेरा आग्रह है और मैं इन शब्दों के साथ विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूँ और जिस प्रकार इस प्रदेश की सर्वमुखी उन्नति के लिये शासन ने कदम उठाये हैं, उन कदमों पर दृढ़ता से बढ़ने में पीछे नहीं रहेंगे और इस तरह की बुराइयों को दूर करने में पीछे नहीं रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि न केवल दल की परन्तु प्रदेश की सब जनता का समर्थन हमें प्राप्त होता रहेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

(म.प्र. विधानसभा कार्यवाई/17 सितंबर 1970/पृष्ठ-367-376)

1970 का शीतकालीन सत्र 23 सितम्बर को प्रारंभ हुआ।

29 सितम्बर को श्री अर्जुनसिंह ने श्री विक्रमादित्य तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी के सम्बन्ध

में एक तारांकित प्रश्न पूछा। उनके पूरक प्रश्न और शिक्षामंत्री के उत्तर यहाँ दिये जा रहे हैं। श्री अर्जुनसिंह इस प्रकरण की विस्तार से चर्चा 17 सितम्बर 1970 को विनियोग विधेयक पर बोलते हुए कर चुके थे। उन्होंने यह प्रकरण प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने के संदर्भ में सरकार के समक्ष उठाया था जो उनकी निर्भीकता का परिचायक है—

श्री अर्जुनसिंह : क्या शिक्षामंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 17 सितम्बर 1970 को सदन में तारांकित प्रश्न क्रमांक 36 के खण्ड (2) के उत्तर में दिये गये रु. 3,497.50 की वसूली श्री विक्रमादित्य तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी से कर ली गई है और अन्य कदाचरणों बाबत आरोपों की जाँच किस दिनांक से कौन अधिकारी कर रहा है? (ख) क्या इसी प्रश्न के खण्ड (ख) में उल्लिखित शिकायत की जाँच करने के लिये अगस्त 1970 के प्रथम सप्ताह में श्री गंगाप्रसाद शुक्ल, संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग सीधी गये थे और प्रारंभिक जाँच की थी? (ग) क्या इसी प्रकरण की जाँच को श्री शुक्ल के पास से वापस लेकर उनसे नीचे स्तर के अधिकारी श्री त्रिवेदी प्रिंसिपल, पी.जी.बी.टी. कॉलेज रीवा को दिया गया और क्या श्री द्विवेदी ने बिना आरोपकर्ताओं की साक्ष्य लिये ही अपना कोई प्रतिवेदन शासन को दिया था (घ) क्या अब इस प्रकरण की जाँच मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पुनः श्री गंगासागर शुक्ल को सौंपी गई है? (ङ) क्या विक्रमादित्य अगले कुछ महीनों में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और शासन उन्हें सेवा वृद्धि (एक्सटेंशन) देने का विचार कर रहा है?

श्री जगदीश नारायण अवस्थी (शिक्षामंत्री) : (क) रु. 3,497.50 पैसे की वसूली की कार्यवाही चालू है। प्रश्न 546 क्रमांक 314 तारांकित प्रश्न संख्या 50, दिनाँक 4-7-69 में उल्लिखित शेष कदाचरणों की प्रारंभिक जाँच संयुक्त संचालक, श्री भावे द्वारा की गई थी। विभागीय जाँच के आदेश दिये जा चुके हैं। (ख) जी नहीं। श्री शुक्ला को संभाग के स्थानान्तरों संबंधी शिकायतों की जाँच हेतु भेजा गया था (ग) जी नहीं। श्री गंगासागर शुक्ल तथा श्री उमाशंकर द्विवेदी की जाँच के प्रकरण भिन्न-भिन्न थे। अतएव श्री शुक्ल से कोई जाँच वापस लेकर श्री द्विवेदी को नहीं दी गई। अब श्री भावे द्वारा प्रारंभिक जाँच में उल्लिखित अन्य कदाचरणों की विभागीय जाँच करने के आदेश हो गये हैं। (घ) मुख्यमंत्री को भ्रमवश उक्त स्थिति की सूचना दी गई थी और उसका निराकरण कर दिया गया था कि श्री शुक्ल से वापस लेकर कोई जाँच प्रकरण श्री द्विवेदी को नहीं दिया गया। अतः मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जाँच पुनः श्री शुक्ला को सौंपने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) श्री तिवारी अगस्त 1971 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में इनको सेवा वृद्धि देने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

श्री मुल्तानमल सुराना : मैं अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूँ कि लीला व्यास को हटाना चाहते हैं या नहीं?

श्री विमलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 1 पर मेरा भी एक अनुपूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए। अब प्रश्न संख्या 2 चल रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जाँच करने के लिये जो अलग-अलग नाम दिये हैं, कोई जाँच मि. भावे कर रहे हैं कोई जाँच मि. द्विवेदी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रमवश कोई आदेश दे दिया है। उस भ्रम को दूर करने के लिये माननीय शिक्षामंत्री जी किसी एक सक्षम अधिकारी को उक्त जाँच सौंप देंगे ताकि शीघ्र निष्पक्ष जाँच हो सके।

श्री जगदीश नारायण अवस्थी : समूची जाँच एक ही अधिकारी श्री गंगासागर शुक्ल को दे दी गई है, जो कि सक्षम हैं और सब जाँच करने जा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आरोपकर्ताओं की तरफ से श्री गंगासागर शुक्ल जब जाँच करने गये थे, तो उनको आवेदन पत्र दिये गये थे कि जिन अधिकारी के विरुद्ध आरोप हैं उन्हें जब तक वहाँ से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा तब तक फेयर इन्क्वायरी होना संभव नहीं है क्योंकि इन्क्वायरी को इन्टरएट किया जा रहा है तो इस प्रकार के जो आवेदन आये हैं उन पर क्या किया जा रहा है?

श्री भोपालराव पंवार (राज्य शिक्षामंत्री) : जाँच निष्पक्ष कराने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा, यदि आवश्यकता हुई कि उनको वहाँ से हटाना आवश्यक है तो निश्चित ही हटा दिया जायेगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में जो दिया है 3497 रु. 50 पैसे की वसूली की कार्यवाही चालू है उसी संबंध में दिनाँक 17-9-70 को पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि डम्बल्स की खरीदी में शासन को हुई हानि के रुपयें की वसूली के आदेश दिये गये हैं। अब कहा जा रहा है कि कार्यवाही की जा रही है तो इन तीन महीनों में वसूली की कार्यवाही नहीं हुई। तो अब कौन-सी कार्यवाही की जा रही है।

श्री भोपालराव पंवार : वसूली की कार्यवाही उनसे की जाने के लिये पहले प्रारंभिक जाँच हुई और उसमें पाया गया कि उनकी ओर डम्बल्स का इतना पैसा निकलता है तो उसकी वसूली के आदेश दिये गये थे। उसके बाद जब उनको यह आदेश दिया गया कि आपको इतना पैसा देना है तो उस पर से उन्होंने हमको यह उत्तर दिया कि वह अपराधी नहीं है। उसके बाद विभागीय जाँच के आदेश दिये गये। विभागीय जाँच के पश्चात् आगे कार्यवाही की जायेगी, अभी विभागीय जाँच चल रही है।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : 17-9-70 के उत्तर में जब कह दिया गया था कि वसूली के आदेश दे दिये गये हैं तो अभी तक वसूली क्यों नहीं की गई?

श्री जगदीश नारायण अवस्थी : 3497 रु. की रकम का जो वसूली का आदेश दिया गया था उसकी वसूली आदेश पर उन्होंने रिप्रजेन्टेशन किया यह राज्यमंत्री जी ने अभी कठिनाई बताई। इसलिये अभी उनके रिप्रजेन्टेशन के ऊपर सुनने की कार्यवाही की जा रही है, उसके बाद जैसी स्थिति होगी उस पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जो जाँच चल रही है वह घटना रीवा की है और वह पोस्टेड है सीधी में तो उनके ट्रान्सफर होने की आवश्यकता नहीं है यह शासन स्पष्ट क्यों नहीं करता?

श्री भोपालराव पंवार : मैंने नम्रतापूर्वक कहा है कि जाँच निष्पक्ष करना है और यदि आवश्यक हुआ कि जाँच होने में उनके कारण कोई बाधा आती है तो वहाँ से ट्रान्सफर किया जावेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : रीवा जिले की जाँच सीधी में हो रही है तो सीधी से उनको हटाने की जरूरत नहीं है यह मेरा कहना है।

श्री जगदीश नारायण अवस्थी : पहले रीवा की शिकायत थी अब वह सीधी में है तो सीधी की भी शिकायत हो रही है इसलिये जैसा कि राज्यमंत्री जी ने कहा उनका स्थानान्तर न्यायोचित होगा तो किया जावेगा।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उसका स्थानान्तर करना है तो दतिया में मेरे यहाँ कर दीजिये। मुझे मालूम है कि वह बड़ा अच्छा अधिकारी है लेकिन वहाँ पार्टीबाजी के कारण उसकी शिकायत हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कह रहे कि रीवा में वे थे तो वहाँ शिकायत हुई अब वह सीधी में हैं तो सीधी से शिकायत हो रही है तो क्या दतिया का नम्बर नहीं आयेगा? (हँसी)

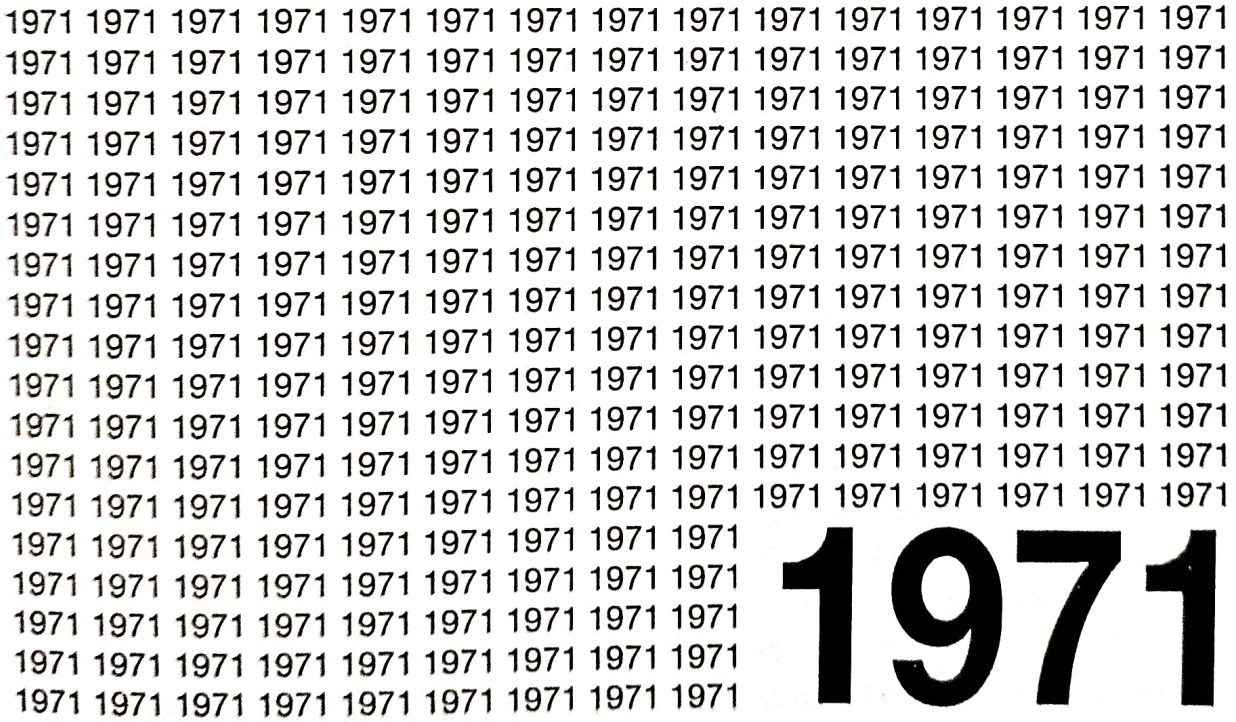
श्री कन्हैयालाल मेहता : क्या अर्जुनसिंह जी को तिवारी जी के नाम से ही विरोध है?

श्री अर्जुनसिंह : मैं उत्तर दे दूँ कि मुझे किसी के नाम से विरोध नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 सितंबर 1970/पृष्ठ - 318-320)

मनुष्य को जीवन में कुछ भी करने के लिए कुछ-न-कुछ जुटाना ही पड़ता है। जब मनुष्य इकाई-स्तर पर बिना साधन जुटाए कुछ नहीं कर सकता, तब इतने बड़े राष्ट्र के विकास का कार्य भला कैसे बिना कोई साधन जुटाए आगे बढ़ाया जा सकता है?

— अर्जुनसिंह
(17 सितम्बर, 1974)



1971

विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च 1971 को प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे पीठासीन हुए। 7 अप्रेल को मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक 1971 प्रस्तुत करते हुए चर्चा का आग्रह किया। चर्चा का प्रारम्भ सदस्य श्री कैलाशचन्द्र जोशी ने किया। उन्होंने शुक्ल मंत्रिमण्डल को दिल्ली के शाह आलम का मंत्रिमण्डल निरूपित करते हुए धाराप्रवाह अनेक आरोप लगाये। इस चर्चा के अंश यहाँ दिये जा रहे हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने श्री जोशी को यह स्मरण कराया कि भारत की जनता शाह आलम के शासन को नहीं बल्कि प्रगतिशील, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना चाहती है। उन्होंने उस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया जो इस तरह सामन्ती रूपकों में सोचती है—

श्री श्यामाचरण शुक्ल (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक 1971, (क्रमांक 8, सन् 1971) पर विचार किया जाये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मध्यप्रदेश विनियोग, (क्रमांक-2), विधेयक 1971, विचार के लिये सदन में प्रस्तुत हुआ है हमारे भाषण समाप्त होने के बाद आज शाम को ही यह विवेकहीन बहुमत इसको पास करने वाला है। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस बजट के आधार पर यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, उस बजट को हमारे प्रदेश के वित्तमंत्री उर्फ मुख्यमंत्री, पंडित श्यामाचरण शुक्ल ने प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री शुक्ल जी के बजट भाषण को पूरा पढ़ा है और उससे हम यह आशा करते थे कि उसमें ऐसी बातें लायेंगे जिससे कि देश में समाजवाद तेजी से आयेगा और तेजी के साथ गरीबी को मिटाया जायेगा और भी कई सहज अपेक्षाएँ थीं किन्तु इस बजट को देखकर सारे प्रदेश की जनता को बड़ी निराशा हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में कोई क्रांतिकारी बात नहीं है। कोई क्रांतिकारी काम नहीं है। कोई नई दिशा का संकेत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब पिछले साल बजट प्रस्तुत किया गया था उस वक्त भी मैंने दिवंगत वित्तमंत्री जी के सामने दो बातें रखी थीं कि आपकी दो बातें असत्य हैं— पहली तो यह कि यह घाटे का बजट है और दूसरी यह बात कि गतिशीलता आ रही है इसलिये कर नहीं लगेगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो आपत्ति मैंने उस समय की थी, वही आपत्ति आज भी है। यह बजट उसी परम्परा पर आ रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यह घाटे का बजट है और मैं घाटे का बजट पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात जो अध्यक्ष महोदय बड़ी हास्यास्पद है और जिसका मैंने पिछले साल मजाक उड़ाया था कि कौन-सी गतिशीलता है जिसके आधार पर आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं। अर्थशास्त्र का फॉरमूला रख कर अन्धकार में क्यों रखते हैं? 72 में आपकी हालत खस्ता न हो जावे, इसीलिये आप कर नहीं लगा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आर्थिक ढाँचे के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते हैं। केवल अधिकारियों के ही आधार पर चलते हैं। इसलिये हिज मास्टर वाईस की तरह चलते हैं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देहाती भाषा का उपयोग करते हैं। मैं आपसे अँगूठा छाप कहूँ, कुछ नहीं जानते हैं यह कहूँ, या समझते नहीं हैं, कहूँ तो क्या वह उचित है?

श्री रमेशचन्द्र दुबे : हिज मास्टर वाईस माने क्या होता है, यह ही बताओ?

अध्यक्ष : मुझे क्या निर्णय करना है कौन अँगूठा छाप है?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं हूँ। और मुख्यमंत्री जी महान विद्वान हैं, मैं उन पर आ रहा था।

अध्यक्ष महोदय, पंडित शुक्ल का जो मंत्रिमण्डल चल रहा है। उसे मुझे बहुत निकट से देखने का सौभाग्य और अवसर मिला है। मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, यदि इतिहास से इसकी तुलना करूँ तो यह कह सकता हूँ कि, पं. श्यामाचरण शुक्ल का मंत्रिमण्डल देहली के शाह आलम का मंत्रिमण्डल है। देहली के शाह आलम के मंत्रिमण्डल की दो विशेषता थीं। एक तो वह रोज-रोज झूठी घोषणा करता था। सत्य और तथ्य में जाने की शहंशाह कभी कोशिश नहीं करते थे और दूसरी विशेषता यह थी कि उनका हर सूबेदार, अपने-अपने सूबे में अलग शहंशाह था। एक दूसरे से कोई समन्वय नहीं था, सब अपने-अपने सूबे में शहंशाह थे। अध्यक्ष महोदय, यह दोनों ही बातें, इस मंत्रिमण्डल में लागू होती हैं।

पंडित श्यामाचरण शुक्ल जब मुख्यमंत्री बने तब रायपुर के तिलहन व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी ने अपने पी.ए. से पूछा कि तुम सांख्यकी डिपार्टमेंट से यह आँकड़े पूछो कि यहाँ कितना तिलहन पैदा हुआ?

श्री श्यामाचरण शुक्ल : क्या माननीय सदस्य स्वप्न की बातें कर रहे हैं? मालूम क्या कह रहे हैं?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो जागरूक हूँ। मुख्यमंत्री जी ही स्वप्न में होंगे। मुख्यमंत्री जी के पी.ए. ने स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट को टेलीफोन किया कि यह आँकड़े बताओ? स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इन आँकड़ों को इकट्ठा करने में कम से कम 90 दिन लगेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छा हमारा प्लेन तैयार करो? हमें रायपुर पहुँचना है, और रायपुर में जाकर मुख्यमंत्री जी ने आँकड़ों सहित भाषण दे दिया। मुख्यमंत्री जी के पी.ए. ने रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से यह पूछा कि आपको यह आँकड़े कहाँ से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट को जब कि आँकड़े इकट्ठे करने में जब 90 दिन लगते हैं तो तिलहन व्यापारियों को तो तीन साल लगेंगे। इसलिये मैंने जो मन में आया, वह आँकड़े बता दिये। इसी प्रकार के आँकड़े मुख्यमंत्री जी यहाँ पेश कर रहे हैं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मैं कभी तिलहन व्यापारियों के यहाँ नहीं गया। जिस प्रकार से जोशी जी यह बात कह रहे हैं। क्या पूरा भाषण भी उनका इसी प्रकार का होगा?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मुख्यमंत्री जी तो पहली कहानी में ही उचक रहे हैं। अभी तो मैं कई बताने वाला हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आँकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जावे कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो भाषण में बात कहते हैं वह सत्य से कितनी परे होती है। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि लॉ एण्ड ऑर्डर में सुधार हुआ है। पर इसी सत्र के एक प्रश्न के उत्तर में जो मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया उसमें संविद काल और उसके बाद के काल के आँकड़े दिये गये उनको देखने से स्पष्ट होता है कि अपराधों के हर आँकड़े काँग्रेस काल में बढ़े हुए हैं। फिर भी मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति में सुधार हुआ है, लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। तो माननीय अध्यक्ष, मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा इसी प्रकार झूठे आँकड़े प्रस्तुत करते हैं जो तथ्यों से दूर होते हैं और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी के जो अन्य विभाग हैं सिंचाई, विद्युत उनकी भी यही हालत है। एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशासन की हालत बहुत अच्छी है। हमारे मुख्यमंत्री जी बार-बार अपने भाषण में कहते हैं कि संविद काल में बहुत स्थानान्तर हुए। पर वह यह तथ्य नहीं बताना चाहते हैं कि स्थानान्तर के मामले में जितने घपले इनके कार्यकाल में हो रहे हैं उतने कभी नहीं हुए। इन्होंने स्थानान्तर के मामले में संविद को बहुत पीछे छोड़ दिया है और स्वयं बहुत आगे बढ़ गये हैं। केवल फर्क इतना हुआ है कि पहले स्थानान्तर मंत्रीगण करते थे अब आपने यह पॉवर सेन्ट्रेलाइज कर ली है। पर उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि अब भी यह मिनिस्टर्स खूब ट्रान्सफर करते हैं और अपने अधिकारियों से करवाते हैं। मुख्यमंत्री जी को पूरी स्थिति का पता भी नहीं रहता।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : माननीय अध्यक्ष, बड़े आश्चर्य की बात है कि जोशी जी बिलकुल गलत बात

कर रहे हैं। शासन द्वारा बार-बार यह बात स्पष्ट की गयी कि स्थानान्तरों पर 6, 6 व 8, 8 महीने के लिये रोक लगा दी गयी है। ट्रॉन्सफर बहुत कम किये गये हैं। जो भी स्थानान्तर किये गये हैं वह अपवाद स्वरूप हुए हैं। फिर भी जोशी जी बार-बार यह चार्ज लगा रहे हैं कि बहुत स्थानान्तर हो रहे हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : इन्हीं स्थानान्तरों के संबंध में मैं अपनी स्वयं की कान्सीटीट्यूएन्सी का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ के दो पटवारियों के स्थानान्तर किये गये जबकि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह आदेश थे कि स्थानान्तर बन्द हैं। अतः यह स्थिति बताते हुए मैंने मुख्य सचिव को कई पत्र लिखे और बताया कि यह स्थानान्तर हो रहे हैं इनको रोका जावे किन्तु मेरे पास आज तक कोई उत्तर नहीं आया। केवल एक पत्र मिला था जिसमें यह लिखा था कि मेरे पत्र को संबंधित विभाग की तरफ आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, दोनों ट्रान्सफरों का आज तक कुछ नहीं हुआ, वह नहीं रुके। आप इसकी जाँच करवा सकते हैं। आपने कहा कि स्थानान्तरों पर रोक लगी हुई है। पर यह बिलकुल गलत है। आप इसकी जाँच कराकर देखिये। आपको पता ही नहीं लग पाता और यह मंत्रीगण स्थानान्तरों के मामले में खूब मनमानी कर रहे हैं।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : जोशी जी आप दो-चार ऐसे मिनिस्टरों के नाम बताइये जो स्थानान्तरों के मामले में मनमानी कर रहे हैं। हम उनको देख लेंगे।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : फुरसत में बताऊँगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके पास सिंचाई विभाग है, आपने महत्वाकांक्षी योजनाएँ बनाईं। अध्यक्ष महोदय, इस सिंचाई विभाग की हालत बहुत खराब है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा जो बातें कहीं गई हैं, उनमें बिलकुल सत्यता नहीं है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : कोई काम हम लोग निर्माण कार्य के लिये कर नहीं पायें। मुख्यमंत्री जी थोथी दलील देते हैं। करोड़ों रुपया लोक निर्माण विभाग को केन्द्र से मिला है। उस रुपये की दुर्गति हो रही है। आप उस रुपये का सदुपयोग कर नहीं पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दमोह जिले में राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कें बनी थीं, किसानों की जमीनें उसमें आ गईं थीं, उनको आज तक मुआवजा उन जमीनों का नहीं मिला और आप डींग हाँकते हैं कि हमने बड़ा अच्छा प्रशासन बना रखा है। उनकी यह सारी थोथी बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के बारे में, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ और वह बात यह है कि मध्यावधि चुनाव हुए। आपका प्रशासन अच्छा है, आपके पास इस चुनाव के संबंध में कितनी शिकायतें आईं, उन पर आपने क्या कार्यवाही की? इसके संबंध में आपने अपने बजट भाषण में कुछ नहीं बताया। इस प्रदेश में वोटर लिस्ट बनाने में कितनी त्रुटियाँ रही हैं, अधिकारियों ने वोटर लिस्ट बनाने में लापरवाही की है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने क्या किया यह नहीं बताया गया। अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि वोटर लिस्ट बनाने में जनसंघी लोग थे, यदि जनसंघी लोग थे तो आप उनको दण्ड दें। इस प्रकार के थोथे तर्क देकर असलियत को ओझल करने का प्रयत्न करेंगे तो वह अनुचित होगा। आज गाँव-गाँव से शिकायतें आई हैं कि चुनाव संबंधी वोटर लिस्ट के पेज के पेज गायब हैं, किन्तु विभाग की माँगें स्वीकृत कराते समय उन पर कोई प्रकाश नहीं डाला अतः अब मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में हम लोगों को अवगत करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में प्रशासकीय सुधार आयोग बना था उसके लिये अध्यक्ष का मनोनयन हुआ तब हमने कहा था कि आप इस पद पर किसकी नियुक्ति कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति कर रहे हैं। 18 महीने तक उनको सरकारी कार दी गई, बंगला दिया गया तथा अन्य सारी सुविधाएँ उसे दी गईं। अन्त में उस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा किन्तु भाषण में यह नहीं बताया गया कि प्रशासकीय सुधार आयोग से अध्यक्ष ने कब इस्तीफा दिया, आगे उसका क्या हो रहा है? श्री नरसिंहराव दीक्षित ने इस्तीफा दिया है तो उस पद पर किसको ले रहे हैं। उसकी रिपोर्ट कब तक आयेगी। इस पर दो लाख रुपया जनता का खर्च हुआ है। हमने अनुनय-विनय की कि इस पद पर दीक्षित जी को न रखें किन्तु उनको रखा गया और आखिर

आपने उनको चुनाव भी लड़ाया। वह न इधर के रहे न उधर के रहे। मुख्यमंत्री जी जंगलों में मारे-मारे फिरे फिर भी उनको उत्तीर्ण नहीं करा सके।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : भिण्ड में जंगल भी हैं? कभी गये हैं?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मुख्यमंत्री जी मेरी इतनी ही बातों का उत्तर दे दें तो अच्छा हो। बाकी मुझे उनके जो सिपहसालार हैं उनके बारे में बताना है। एक सिपहसालार श्री पटेरिया जी हैं जो सदन से चले गये हैं, उनका गुणानुवाद किया गया है। किसी मन्त्री पर जब आरोप लगाया गया तो मुख्यमंत्री जी ने साहस के साथ यह नहीं कहा कि मैं इसकी जाँच कराऊँगा। बिना 40 की फौज के उनकी कुर्सी चल नहीं सकती।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मैं कहना नहीं चाहता था किन्तु अब कहना पड़ रहा है कि जरा भी तथ्य किसी मंत्री की शिकायत में नहीं है तो क्या फायदा उसकी जाँच कराने से?

श्री बृजकिशोर पटेरिया (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो भी आरोप लगायें उन्हें उसे पहले आपको लिख कर देना चाहिये और हम लोगों को सूचना देना चाहिये कि क्या आरोप लगाने वाले हैं जिससे तैयारी करके उत्तर दिया जा सके। वे जो भी यहाँ खड़े होकर नाटक करते हैं उसकी आपको मंजूरी नहीं देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अभी तक जो चार्ज लगाये गये वे गलत हैं? उसकी इन्क्वायरी की गई क्या? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर पटेरिया : आपकी एक प्रतिशत बात भी सही नहीं रहती।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पटेरिया जी की इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि वे पुलिस की टोन में बोल रहे हैं। याहया खाँ की टोन भी इसी तरह है (हँसी)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस समय इस प्रदेश के मंत्रिमण्डल की मध्यावधि चुनाव के बाद परिस्थिति बदल गई है। शाह आलम का हर सूबेदार अपने आप में शहंशाह था उसी प्रकार इस मंत्रिमण्डल का हर मंत्री अपने आप में शहंशाह है। इस प्रदेश के कई मंत्रियों ने, राज्य मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिये थे। यह श्यामाचरण शुक्ल के विरुद्ध बगावत की निशानी है। ये सब बगावत करना चाहते हैं। लूनिया जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा प्रस्तुत नहीं किया नहीं तो अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इस्तीफा प्रस्तुत करते। माणिकलाल अग्रवाल का इस्तीफा है, बैरागी जी का इस्तीफा है और एक मंत्री और देने वाले हैं। बिसाहूदास महंत इस्तीफा लिखने में लगे हैं। इस बगावत के पीछे क्या कारण है? इंदिरा जी को दो तिहाई बहुमत मिल गया तो क्या हो गया? आप इस्तीफा क्यों देते हो? इस प्रदेश की जनता बड़े असमंजस में पड़ी है। इतनी अच्छी स्थिति काँग्रेस की होने के बाद भी सारे मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस मध्यावधि चुनाव में मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने काले कारनामें किये हैं। हमको कहा जाता है कि गरीबों की उन्नति के लिए राष्ट्रीयकरण किया परन्तु गरीबों की उन्नति के लिए एक भी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। बनिया गोंद खरीदता था तो 3 1/2 रुपया किलो खरीदता था। आज तिवारी जी 2 रुपया, डेढ़ रुपया किलो खरीद रहे हैं यह राष्ट्रीयकरण का हाल है।

श्री शत्रुघ्नसिंह तिवारी : राष्ट्रीयकरण के पहले बारटर सिस्टम था।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जनसंघ दल की ओर से भाषण हो रहा है जब भी मंत्रियों को जवाब देने का समय मिले उस समय जवाब दें। बीच-बीच में समय लिया जाता है और बाद में आप हमारी दरख्वास्त सुनते नहीं हैं। क्या आपने मंत्रियों को बीच-बीच में हर बात का जवाब देने का अधिकार दे दिया है?

अध्यक्ष : यह सर्वथा अनुचित है। जो आपने मुझे अभी कहा है इसका आप भी पालन करेंगे। (हँसी)

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संसदीय परम्पराओं और प्रणालियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस तरह का इंटरप्शन होता है जिससे तथ्यों पर प्रकाश पड़े तो उससे सदन की बहस में चमक आती है लेकिन उसमें यहाँ पर केवल लबड़ धों-धों होने लगती है उसको आप रोकने की कोशिश करें (हँसी)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : सूबेदारों की लड़ाई हो गई है उसका आधार यह है कि राष्ट्रीयकरण वालों से चन्दा लिया है। पटेरिया जी ने बस ऑपरेटरों से चन्दा लिया।

श्री बृजकिशोर पटेरिया : अध्यक्ष महोदय, क्या सौ पैसे में से सौ ही पैसे गलत बातें कहीं जा रही हैं। सब गलत बातें हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अगर ये सब बातें गलत हैं तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सब गलत सिद्ध हों। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपमें हिम्मत है तो जितने भी चुनाव में घपले हुए हैं उसके लिये आप जाँच आयोग बैठायें तो मैं सिद्ध करने को तैयार हूँ।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : कोई घपला ही नहीं हुआ है तो आयोग बैठाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री कल्याणमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यह लबड़-धों-धों की बात कर रहे हैं? (हँसी)

अध्यक्ष : देखिये, सारा संसार घपले में है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, ये कैलाशचन्द्र जी जोशी बड़े तेज हैं, आप इनकी बातों में न आयें।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाहता हूँ कि राज्य परिवहन निगम के बोर्ड को सरकार ने पिछले साल लिखकर दिया कि नई स्कीम को हम राष्ट्रीयकरण में लेना चाहते हैं। बोर्ड ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पिछला काम है राष्ट्रीयकरण का उसको पहले कंसोलिडेट कर लें उसके बाद ही नये रूट्स लेंगे। इस पर भी सरकार ने बोर्ड को लिखा कि हमको राष्ट्रीयकरण जल्दी करना है। इसका परिणाम यह हुआ है 1 करोड़ रुपया नई मोटरों के खरीदने के लिये राज्य परिवहन को देना शासन ने स्वीकार कर लिया है। इस वर्ष भी राज्य परिवहन निगम ने सरकार के पास एक प्रस्ताव पास करके भेजा है कि हमारे डिपो की हालत बहुत खराब है। मिश्राजी ने राजनैतिक आधार पर बसों का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। उस समय जगदलपुर को यहाँ से भोपाल से खरीदकर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बस भेजी, लेकिन वहाँ उसके मेन्टेनेन्स के लिये वर्कशॉप तक नहीं था, उसको छाया में खड़ी करने के लिये शेड तक नहीं था जिसके कारण वह 8,10 महीने में ही गाड़ी खटारा हो गई। बसों के मेन्टेनेन्स की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार राज्य परिवहन निगम को ठीक से मेन्टेनेन्स नहीं करने देना चाहती। दो वर्ष पहले बोर्ड ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि हमको 50 लाख रुपया दिया जाये।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : उसका सबसे बड़ा कारण सखलेचा जी हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : लेकिन यह सरकार 50 लाख रुपया देने को तैयार नहीं है, उल्टे यह कहा कि नई गाड़ियाँ खरीदो और नये रूट्स का राष्ट्रीयकरण करो, उसके लिये 1 करोड़ रुपया हम देने के लिये तैयार हैं। राज्य परिवहन निगम को यह अदेश दिया गया कि मार्च में नई गाड़ियाँ चला दी जायें लेकिन बीच में मध्यावधि चुनाव आ गया, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा कि वह ऐसा नहीं कर सके। ये सारे नेता इन्दौर में जाकर लोगों को प्रभावित करने लगे और बस ऑपरेटरों से कहा कि नई स्कीम हम करवाने वाले हैं। इस तरह से 5,10 हजार रुपया चन्दा का लिया गया। इस तरह से राष्ट्रीयकरण को रुकवाया। इसकी जाँच करवाई जानी चाहिये।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : बड़वाह के उप-चुनाव में इसी तरह इस जनसंघ दल ने किया 146 लाईन डालकर हजारों रुपया सखलेचा जी ने लिया।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आप कमीशन बैठाइए, हम पर मुकदमा चलाइए? अगर नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे दो।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मैं कहता हूँ कि यह सब गलत है। ट्रांसपोर्ट वालों से नेशनालाइजेशन के मामले में हमने कोई चंदा नहीं लिया। मेरी जानकारी में कोई चंदा जमा नहीं किया गया।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं तो जानकारी दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिये। आप जाँच आयोग बिठाइये, मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दूँगा।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : आपकी कल्पना के आधार पर कैसे आयोग बैठा दिया जाये, कुछ तो तथ्य होने चाहिये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं तो तथ्य बता रहा हूँ। खण्डवा में निश्चय किया गया जंगलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये लेकिन गंगाचरण दीक्षित की नाव भँवर में फँस गई तो खण्डवा जिले के जंगल के ठेकेदारों को बुलाकर कहा गया कि गंगाचरण दीक्षित को जिताने में मदद करो और हम तीन साल अभी राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इस राष्ट्रीयकरण के पीछे एक-एक ठेकेदार से पाँच-पाँच हजार रुपया शासन ने बटोरा है और

यही कारण है कि इसके पीछे जिससे बैरागी जी और लूनिया जी इस्तीफा देते फिर रहे हैं।

श्री शत्रुघ्नसिंह तिवारी : यह बिलकुल गलत है कि खण्डवा के जंगलों का राष्ट्रीयकरण तीन साल के लिये स्थगित कर दिया गया है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : बिलकुल रोका गया है और आपके पास इस संबंध में प्रकाशचन्द्र सेठी की चिट्ठी आई है। आप जाँच आयोग बिठाइये मैं इसके समक्ष वह चिट्ठी पेश कर दूँगा।

अध्यक्ष : ऐसा कीजिये आप मेरे पास वह चिट्ठी भेज दीजिये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपके पास भेज दूँगा तो ये लोग उसको फड़वा देंगे। अगर आप जाँच आयोग बिठा दें तो आपको वह चिट्ठी पेश कर दूँ। अध्यक्ष महोदय, ये सारे सूबेदार जो इस्तीफा दे रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया अब बाकी के जो सूबेदार हैं उनका गुणानुवाद मैं संक्षेप में करूँगा। सबसे पहले सिपहसालार पटेरिया जी को मैं लूँगा। पिछले साल जब गरोठ का उप-चुनाव हुआ तो माणकलाल अग्रवाल चुनाव जीतकर आये। उन्होंने कहा कि समाजवाद के नाम पर मैं चुनाव जीतकर आया हूँ। और पटेरिया जी आप भी समाजवादी हैं। तो विचार हुआ कि फिर क्या करना चाहिये। दोनों में यह तय हुआ कि हम दोनों मिलकर समाजवाद ले आयेंगे। एक ने पूछा कि कैसे ले आयेंगे तो दूसरे ने कहा कि समाजवाद का सीधा मतलब है कि अपने समाज को फायदा पहुँचाना। इसलिये अध्यक्ष महोदय, स्वनामधन्य श्री पटेरिया जी ने जबलपुर में जो माणकलाल अग्रवाल के विरुद्ध एक रिट जबलपुर हाईकोर्ट में दायर थी उसके लिये कहा कि भाई माणकलाल समाजवादी हैं और मैं भी समाजवादी हूँ वह जीतकर आये हैं इसलिये वह रिट वापस ले लो।

श्री बृजकिशोर पटेरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य परिवहन के बोर्ड के सदस्य हैं और परिवहन निगम के मामले में शासन बिलकुल हस्तक्षेप नहीं करता। यह बिलकुल असत्य आरोप लगा रहे हैं.....

श्री कल्याण जैन : आजकल हस्तक्षेप कानाफूसी से होती है, लिखकर नहीं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा हुआ कि पटेरिया जी इतना बोल चुके। बोर्ड निकम्मा है, बोर्ड के सदस्य निकम्मे हैं और मैं निकम्मा हूँ तो हम सब को हटा देना चाहिये। हटाते क्यों नहीं?

श्री बृजकिशोर पटेरिया : आज तक निगम के किसी काम में शासन द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है फिर भी बोर्ड में निकम्मापन है उसकी जिम्मेदारी सदस्य लोगों की है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर पटेरिया जी कहते हैं....

श्री बृजकिशोर पटेरिया : शासन ऋण के रूप में परिवहन को रुपया देता है उससे ब्याज लेता है और सदन के सामने एक साल की उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है इसके अलावा निगम के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : सब मुझे मालूम है पटेरिया जी करोड़ों रुपये का घाटा होता है और आप मौन दर्शक बने रहते हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप लिख लें कि यह परमिट वापस लेने का किसने आदेश दिया था, इसकी जाँच कर लें और जो इसमें अपराधी हो उसको वह दण्ड दें और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह पटेरिया जी ने किया है। पटेरिया जी दिन में पचास बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि असत्य है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप लगाने के पूर्व जोशी जी को सूचना देनी चाहिये थी फिर उसके बाद आरोप लगाते तो ठीक होता। जोशी जी स्पेसिफिक आरोप लगा रहे हैं कि परमिट दिलाने में उनका हाथ है। अतः आप इसे कार्यवाही से निकाल दीजिये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं शासन पर आरोप लगा रहा हूँ।

अध्यक्ष : आप किसी पर आरोप लगायेंगे तो उसकी मुझे सूचना देंगे या नहीं?

श्री बृजकिशोर पटेरिया : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि मैंने टेलीफोन किया है जो बिलकुल असत्य है और यह व्यक्तिगत आरोप है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, पटेरिया जी बहुत नाराज होते हैं।

अध्यक्ष : अच्छा किया आपने छोड़ दिया वरना मुझे अपनी व्यवस्था देनी पड़ती।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे सिपहसालार श्री बैरागी जी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। वह यहाँ से चले गये, हैं नहीं। अब वह आ गये।

अध्यक्ष : आप जिस किसी का भी नाम लेते हैं वह सब सदन में तुरन्त उपस्थित हो जाते हैं, यह आपमें अद्भुत शक्ति है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बैरागी जी, जो सूचना प्रसार मंत्री बनाये गये तो दो वर्ष में इन्होंने केवल एक काम किया और वह एक काम यह किया कि केवल सूचना प्रचार विभाग का एक सेट-अप बना दिया। इस कार्य के लिये इन्हें पूरे 24 महीने यानी दो वर्ष लग गये और इसके अलावा जो बाकी काम किया इन्होंने वह दूसरे विभागों की सेवा करने में किया। काहे की सेवा की इन्होंने अध्यक्ष महोदय? पिछले साल ये बम्बई गये थे, वहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की तो प्रधानमंत्री ने इनसे एक बात कही, और वह एक बात यह कही कि हम देश को एक नारा दे रहे हैं, गरीबी मिटाने का, गरीबी हटाओ। वहाँ से लौटकर बैरागी जी ने अपने सूचना विभाग को कहा कि मुझे प्रधानमंत्री ने एक काम दिया है और वह काम यह है कि "गरीबी मिटाओ" इसलिये विभाग का काम तुम लोग करो। मैं देश से गरीबी मिटाने का काम करूँगा। बैरागी जी ने सोचा कि गरीबी देश से मिटाना ही है, तो फिर क्यों न पहले अपनी गरीबी मिटाने से कार्य प्रारम्भ किया जाये। इसलिये उन्होंने कहा कि जब तक अपनी गरीबी नहीं मिटा सकते तो फिर दूसरे की गरीबी कैसे मिटायेंगे? इसलिये उन्होंने पहले अपनी गरीबी मिटाई, फिर अपने ससुर की गरीबी मिटाने के प्रयत्न किये और उसके लिये केनपुरिया गाँव में एक जमीन थी उसके लिये टेलीफोन किया एस.डी.ओ. को। उनसे कहा कि चूँकि हमारे ससुर की गरीबी मिटाना है, गरीबी मिटाने के लिये प्रधानमंत्री ने हमको आदेश दिया है कि गरीबी मिटाओ.....

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाये क्योंकि इसके लिये जो यह स्पेसिफिक आरोप लगा रहे हैं जोशी जी, कोई पूर्व सूचना नहीं दी है और इन सबका जवाब कैसे दिया जा सकेगा।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बचाव कर रहे हैं, मैं उनसे केवल एक ही बात कहूँगा कि वे यह कह दें कि हम इसकी जाँच करायेंगे, मैं वहाँ सब बातें प्रस्तुत कर दूँगा। माननीय कृष्णपाल सिंह यहाँ नहीं हैं और केदारनाथ रावत जी भी चले गये। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देना चाहते हैं तो नोट कर लें मुझसे कहते हैं कि लिखकर सूचना दे दो। इनके घपले देखिये। पहले एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया कि इस सोसायटी की रजिस्ट्री हो गई है और इसे जमीन चाहिये। यह आवेदन पत्र तारीख 27-6-70 को दिया गया और एस.डी.ओ. ने उस पर 27-6-70 को पटवारी से रिपोर्ट माँगी। पटवारी के द्वारा 30-6-70 को रिपोर्ट के साथ सारी जानकारी आ गई और 6-7-70 को पटवारी ने खसरे की नकल दे दी। इसमें बताया गया कि 8.683 एकड़ जमीन पर आदिवासियों का कब्जा है। 14-7-70 को इस रिपोर्ट के बावजूद पूरी की पूरी जमीन सोसायटी को दे दी गई। क्या यह सन्देहजनक स्थिति नहीं है फिर भी आप बैरागी जी का बचाव करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री कृष्णपाल सिंह जी आ गये, वे भी बचाव करेंगे।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सूचना दे दें। जब व्यक्तिगत आरोप लगाये जाते हैं, स्पेसिफिक चार्जेज हैं तो पूर्व सूचना दे दें तो हम उसका जवाब दे देंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह : एक प्रश्न के उत्तर में पूरा जवाब दे दिया गया है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आपका जवाब बिलकुल असत्य है।

श्री कृष्णपाल सिंह : जवाब बिलकुल सत्य है। आपका कथन बिलकुल असत्य है। बैरागी जी से आपकी व्यक्तिगत रंजिश है उन्होंने हराया है वहाँ आपको चुनाव में इसलिये अब आप यहाँ हल्ला मचा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बैरागी जी ने इनको हरा दिया है इसलिये यह उनसे व्यक्तिगत रंजिश निकाल रहे हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : जब साले और ससुर की गरीबी दूर होने लगी तो इनके एक भाई भी हैं जो कि ग्रेजुएट हैं उनकी गरीबी दूर करने का सोचा गया है। सबसे पहले तो बैरागी जी ने उनको पत्रकार बनवा दिया और पत्रकार के साथ ही साथ उनको सहकारी संघ की नौकरी दिला दी। यह ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी के मंत्री भी हैं। इस

चुनाव में इनके नाम से पर्चे भी छपे थे। इस प्रकार से काँग्रेस के और भी कार्यकर्ता हैं जो अपनी गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जोशी जी शासन के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं बिना पूर्व सूचना दिये वे शासन पर चार्ज लगा रहे हैं उनका उत्तर किस प्रकार से दिया जा सकेगा?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : इतना बड़ा शासन लेकर बैठे हैं उनका उत्तर मँगवा लीजिए।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : इसका मतलब तो यह हुआ कि आप केवल चार्ज लगाने में ही विश्वास करते हैं इनका उत्तर प्राप्त करने से आपको कोई मतलब नहीं है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : हम सब में विश्वास रखते हैं आप चाहें तो जाँच कमीशन बैठा दीजिये हम उसके सामने जाने के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष : आप कितना समय और लेंगे?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं दस मिनिट का समय और लूँगा।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी के पास कोई सैद्धान्तिक भाषण देने के लिये नहीं रहा तो यह केरेक्टर इन्सीनुयेशन भाषण देने लगे।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : जब बैरागी जी ने अपने परिवार की गरीबी दूर कर ली तो सोचा अब अपने मित्रों की गरीबी दूर की जाना चाहिये। उसके लिये इन्होंने कलेक्टर मन्दसौर और डिप्टी कलेक्टर फूड ऑफिसर को यहाँ से फोन किया कि शान्तिलाल डन्डे, जो कि कपड़े का धन्धा करते हैं लेकिन इनकी गरीबी अभी दूर नहीं हुई है इसलिये इनको शक्कर का परमिट दिया जाये जो कि वहाँ की काँग्रेस के कार्यकर्त्ता भी हैं और नगरपालिका के पार्षद भी हैं। उसी दिन फूड ऑफिसर ने उनसे एप्लीकेशन ली और दूसरे दिन ही उनको परमिट भी मिल गया। अब साबू जी चाहें तो और भी कुछ लोग हैं मैं उनके नाम उनके बँगले पर लिखा सकता हूँ। शान्तिलाल डन्डे को जो परमिट की शक्कर मिली वह यू.पी. की मिली। दलोदा और यू.पी. की शक्कर के भावों में काफी अन्तर है। यू.पी. की शक्कर अच्छी होती है उसका दाना भी बड़ा होता है और भाव भी कम होता है, लेकिन इस शक्कर ने मन्दसौर की धरती के दर्शन भी नहीं किये हैं। यह शक्कर सीधी दिल्ली में नयाबाँस में जाकर बिक जाती है। मन्दसौर के लोगों को इस शक्कर की कोई आवश्यकता नहीं रहती होगी। इसीलिये यह नयाबाँस में जाकर बिकती है जिससे शान्तिलाल की गरीबी दूर होती है। आप चाहें तो मैं उन दलालों के नाम दे सकता हूँ जिनके द्वारा यह शक्कर बेची जाती है। उन ट्रकों के नम्बर दे सकता हूँ जिनके द्वारा यह शक्कर वहाँ पर ले जाई जाती है। यह शक्कर मन्दसौर में नहीं पहुँचती है। सब के सब दलाली में लगे हुए हैं, जितने भी काँग्रेस के पदाधिकारी हैं उसमें नीमच के उपाध्यक्ष भी शरीक हैं। इस प्रकार के सारे काम हमारे बैरागी जी कर रहे हैं।

अब मैं दूसरे सूबेदार माननीय कृष्णपाल सिंह जी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। आपके पास दो विभाग हैं एक राजस्व विभाग और एक विधि विभाग। विधि विभाग का तो यह हाल है कि जैसा सिगनल उनको अपने बॉस से मिलता है वैसा ही वे काम करते हैं और विधि सचिव को भी वैसा ही करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप मैं आपको बताऊँ कि रायपुर में "सीता की अग्नि परीक्षा' जो विवाद उत्पन्न हुआ उसके सम्बन्ध में तो इनके बॉस के तरफ से सिगनल आया कि पुस्तक को प्रतिबन्धित कर दिया जाये। फौरन पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया परन्तु जब मामला हाईकोर्ट पहुँचा तो हाईकोर्ट ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।

श्री कृष्णपाल सिंह : अब तो आप यह मानते हैं कि हम अपने नेता की सलाह लिये बिना कोई कार्य नहीं करते।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : जी हाँ, केवल चन्दे को छोड़कर। तो अध्यक्ष महोदय, मंडियों के मामले, को-ऑपरेटिव बैंकों के मामले और जो भी मामले विधि विभाग में आते हैं उनको सबको राजनैतिक रंग दिया जाता है और होता यह है कि हाईकोर्ट इन सब फाईलों को पहले हीयरिंग में ही फेंक देता है। हमारे मंत्री जी न तो विवेक का उपयोग करते हैं और न मस्तिष्क से ही काम लेते हैं और आप कार्बन कॉपी बने हुए हैं। यही कारण है कि सहकारी बैंक, नगरपालिका, नगरनिगम, आदि के विभागों के मिनिस्टरों के कहने से आप सब कुछ कर देते हैं और ऐसे मामलों का होता है यह कि वे हाईकोर्ट में जाकर सेट एसाइड हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कृष्णपाल

सिंह जी को इस विभाग का चार्ज देने से कोई फायदा नहीं है, कोई निष्पक्ष आदमी रखा जावे ताकि इस प्रदेश की गरिमा बनी रहे। दूसरा विभाग जो इनके पास है वह है राजस्व विभाग। आप अपने को बड़ा समाजवादी कहते हैं। आपने घोषणा की कि 30 जून 70 तक सारी जमीन बाँटी जानी चाहिये ऐसे तो आप आदेश देने वाले हैं। कितनी जमीन बँटी यह तो आप सब जानते हैं।

शाह आलम के दरबारियों के गुण कहाँ तक गाऊँ। दूसरे हमारे बहुत बड़े सूबेदार हैं साबू जी। आप हरित क्रान्ति की बात करते हैं परन्तु कृषि का 'क ख ग' भी नहीं समझते और न सीखने का प्रयत्न ही करते हैं। 6 महीने में आप दो एम्बेसेडर गाड़ियों के बारह बजा चुके हैं और एक दिन में आप 900 मील चलते हैं। आप एक किसान के मोटर पम्प का उद्घाटन करने के लिये जाते हैं। मैं तो समझता था कि आप व्यापारी आदमी हैं मंत्री बन गये हैं तो हमारे विभाग के जो फार्म घाटे में चल रहे हैं सब का दिवाला निकल रहा है उनको आप मुनाफे के स्तर पर ला देंगे।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि जोशी का कहना है कि साबू जी एक दिन में 900 मील चलते हैं परन्तु एम्बेसेडर गाड़ी एक घण्टे में 40 मील चलती है यदि वह 24 घण्टे चलती रहेगी तो साबू जी उद्घाटन कब करेंगे?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : 25 वें घण्टे में करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने दो वर्ष में कुछ भी काम नहीं किया है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स हैं वे मारे-मारे फिर रहे हैं। जो भी फार्म घाटे में चल रहे हैं, वे इन ग्रेजुएट्स को दे दें और जो मुनाफा आये उसको आप बाँट लें।

अब मैं शिक्षा विभाग के मंत्री जी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग के जो हमारे मंत्री हैं वे बिलकुल भोले भण्डारी हैं और उनको तो मुख्यमंत्री जी ने यह विभाग इसलिये दिया है कि जैसे एक धोबी एक प्राणी को कपड़ा लादने के लिये हृष्ट-पुष्ट लेता है उसी तरह से माननीय अवस्थी जी बड़े हृष्ट-पुष्ट हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह 50 करोड़ का विभाग उनको दे रखा है, वे इसको ठीक से ढो लेंगे इसलिये शिक्षा विभाग उनको दे दिया है। माननीय अवस्थी जी भोले भण्डारी हैं, वे समझते कुछ हैं नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम्हारे विभाग की नीतियाँ मैं तय कर लूँगा। अध्यक्ष महोदय, हाईस्कूल खोलने की बात आई, मैं माननीय अवस्थी जी के पास गया। अवस्थी जी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से मिल लें, फाइल मुख्यमंत्री जी के पास है।

श्री जगदीशनारायण अवस्थी (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हाई स्कूल झगड़े की बात हो जाती है कि किन-किन गाँवों में हाईस्कूल खोलना है, इसका निर्णय करना था। मैं आपसे सलाह लेने से वंचित रहा। बजट में केवल 20 हाईस्कूल खोलने की बात थी। उसमें आप हमारी होशियारी समझें या कुछ भी समझें। आखिर में जब फाइल मुख्यमंत्री जी के पास गई तो 20 के बजाय 32 हाईस्कूल के खोलने की स्वीकृति हो गई। यह मेरी सामर्थ्य के भीतर तो नहीं था, यह तो उन्हीं की सामर्थ्य थी, फाइल मुख्यमंत्री जी के पास गई उसमें 20 से बढ़ाकर 32 की स्वीकृति हो गई। इसमें अब आप स्वयं समझ लें।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : इनके विभाग की नीतियाँ मुख्यमंत्री जी तय करते हैं।

श्री जगदीशनारायण अवस्थी : मेरे विभाग की समस्त नीतियों का निर्धारण मैं ही करता हूँ। जब कोई कठिनाई होती है तो अवश्य परामर्श करता हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आपसे तो बाद में दस्तखत करवा लिये जाते हैं। इनके जो दो राज्य मंत्री हैं, उनमें से एक तो अपने आप को विद्या का देवता गणेश मानते हैं, वे कहते हैं कि ज्ञान सारा मुझमें ही है। दूसरे राज्य मंत्री कहते हैं कि मैं तो शारदा की साक्षात अवतार हूँ। वे दोनों मिलकर इनके विभाग को चला रहे हैं। ये प्रदेश को कहाँ ले जाकर चैन लेंगे? और भी कुछ सूबेदार हैं और कुछ सूबेदार बनने को लालायित हैं। मेरे पास समय अधिक नहीं है कि इनका वर्णन कर सकूँ। आपकी सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें छपती हैं, घोषणाएँ होती हैं। आप उन घोषणाओं को पूरा करें, नहीं तो 6 महीने बाद आपको जनता के सामने जाना पड़ेगा। अगर आप उन घोषणाओं को पूरा करेंगे तो भगवान आपका भी भला करेगा और प्रदेश का भी भला करेगा और जनता का भी भला करेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन 40 भाईयों को सुबुद्धि दें। इस सरकार के कारण आज इस प्रदेश की

जनता का एक भी काम नहीं हो रहा है। अभी तक ये आपस में सब घोषणाएँ करते रहे और अपनी लड़ाई में लगे रहे, राष्ट्रीयकरण के नाम पर चन्दा इकट्ठा करने में लगे रहे। अब मुख्यमंत्री जी ने सबसे कह दिया है कि जहाँ-जहाँ से वोट कम मिले हैं वहाँ छा जाओ। मैं यहाँ अकेले बैठकर राज्य चला लूँगा। इस वल्लभ भवन की हालत यह हो गई है कि वहाँ के अफसरों ने भी सोच लिया है कि मिनिस्टर दौरा करते हैं, हम भी मजे में साँस लें। आज वल्लभ भवन की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि न तो इतनी दयनीय हालत काटजू साहब के समय में थी और न मिश्र जी के समय में थी।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : आपकी स्मरण शक्ति इतनी जल्दी भूल जाती है कि बीच के संविद के समय को बड़ी आसानी से भूल गये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से आप एक दिन संविद के बारे में डिवेट रखवा दीजिए।

अध्यक्ष : अभी तो मत रखिये, फिर मैं देखूँगा।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाँच घण्टे में से 2 1/2 घंटे मुख्यमंत्री जी का भाषण हो जाये और 2 1/2 घण्टे मेरा। फिर आप निर्णय दे दें कि कौन अच्छा था। मैं तो वल्लभ भवन सचिवालय का बता रहा हूँ कि वहाँ की हालत कितनी खराब है। सचिव चिन्ता नहीं करते। हमारे मुख्य सचिव ने इंडेक्स प्रणाली शुरू कर दी है। मेरी एक फाइल पड़ी थी। मैं संबंधित विभाग में गया तो उन्होंने कहा मेरी फाइल फाइल कर दी क्योंकि इंडेक्स प्रणाली लागू है, रोज हिसाब रखना पड़ता है। आपकी फाइल तीन विभागों से संबंधित है इसलिए बाकी विभागों से सम्पर्क करें, हमने तो खातमा कर दिया। तो वल्लभ भवन की यह हालत है, इसको सुधार सकेंगे तो अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि हम आरोप लगाते हैं। एक आरोप यह लगा रहा हूँ और वह चतुर्वेदी जी पर लगा रहा हूँ। मैं जिस कस्बे हाट पिपल्या में रहता हूँ वहाँ की नगरपालिका के खिलाफ पूरे डेढ़ वर्ष हो गये, मैंने स्वयं अपने हस्ताक्षर से शिकायत की कि एक पार्षद मुनाफे से काम कर रहा है इसलिए उसको हटाइए। आज तक उस शिकायत पर कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके बाद आज से 8 महीने पहले मैंने यह फोटोस्टेट कॉपी पेश की और कलेक्टर देवास से शिकायत की जिसमें पार्षद ने चिट्ठयाँ लिखीं कि तुमने अमुक के माल रोके, पंचनामा बनाया, वह प्रकरण फाड़ दो, यह चिट्ठियाँ लिखीं। लेकिन आज तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आपने खरसिया नगरपालिका को इसलिए भंग कर दिया कि उसने दो आदमी बिना इम्प्लायमेंट एक्सचेंज की अनुमति के रख लिये किन्तु हाट पिपल्या नगरपालिका ने पाँच आदमियों को बिना अनुमति के रख लिया और कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं चतुर्वेदी जी से अपेक्षा करूँगा कि कलेक्टर देवास को टेलीफोन करके फाइल बुलाइए और सिद्ध कर दीजिए कि आप 40 में से एक तो निष्पक्ष बैठे हैं।

श्री हरिप्रसाद चतुर्वेदी (स्थानीय शासन मंत्री) : इस प्रकरण के बारे में मुझे बिलकुल जानकारी नहीं है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैंने जो कुछ कहा है उसकी जाँच मुख्यमंत्री जी करायेंगे तो उनका ज्यादा भला होगा, मेरा नहीं और उन्होंने जाँच नहीं करायी तो उनकी हालत वैसे भी खस्ता हो रही है, और होगी, बगावत पर उतारू हैं, लोग तो यह बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उनके साथी कुछ दिनों के मेहमान हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे अगर पूरी बुद्धि नहीं दे तो जो थोड़ी है उसका हरण कर ले ताकि प्रदेश की जनता को मुक्ति मिले। मुझे इतना ही कहना है।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री कैलाशचन्द्र जोशी का अभी ओजस्वी भाषण हुआ। वे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं इसलिए तथ्य कुछ भी हों उनके भाषण की शैली रोचक होती है और सुनने में आनन्द आता है। उनके भाषण के बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि शायद जिस मनोवृत्ति या जिस पृष्ठभूमि में उनका दल आज भारतवर्ष में है आज उसका सही प्रतिबिम्ब जोशी जी के भाषण में मिला। उन्होंने बात शुरू की सूबेदारी और सिपहसालार से। आज उनको इस बात का ज्ञान नहीं हो पाया कि भारतवर्ष में एक नया राजनैतिक मानचित्र उभर कर आया है जिसमें सूबेदार, सिपहसालार और इस तरह के जितने किराये के टट्टू आप गिना सकते हैं, उनका सफाया हो गया है। आज भारत के मानचित्र में भारत की जनता ने अपने स्वयं के विवेक

से, अपने आर्थिक, सामाजिक और सब परिस्थितियों को ध्यान में रख कर एक राजनैतिक निर्णय लिया है और उस राजनैतिक निर्णय में भारत के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया कि देश में एक प्रगतिशील, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना वह चाहती है। यदि जोशी जी और उनके दल के सदस्यों को इतनी बौखलाहट हो गई है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण भाषण न देकर जोशी जी पटवारियों के ट्रांसफर की बात ही करते रहे। अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते समय अपने देश के भविष्य को किस प्रकार उज्ज्वल बनाया जा सकता है, इस ओर ध्यान न देकर मंत्रीगण कहाँ जाते हैं, नौ सौ मील जाते हैं या सौ मील जाते हैं अथवा बैरागी जी ने कितने-कितने लोगों को बैरागी बना दिया मन्दसौर जिले में।

श्री शीतला सहाय : उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि किन-किन की संपत्ति छीन कर कितने लोगों को बैरागी जी ने बैरागी बना दिया है।

एक माननीय सदस्य : अर्जुनसिंह जी भी मंत्री होने जा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : जीवन में मंत्री बनना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। इससे आप निश्चित रहें, वरना मैं कभी का बन गया होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश के अन्दर जो शक्तियाँ सामने उभर कर आई हैं, यह सही है कि चाहें हम शासन में बैठे हों चाहे विरोधी पक्ष में बैठे हों, यदि हमें देश के अन्दर प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना है, यदि हम यह चाहते हैं कि देश के अन्दर प्रजातन्त्र प्रणाली को मजबूत करना है और यदि हम यह चाहते हैं कि देश के अंदर प्रजातंत्र का भविष्य उज्ज्वल हो तो निश्चित ही शासन में बैठे हुए लोगों को, विरोध में बैठे हुए लोगों को वैसा ही मानचित्र ध्यान में रख कर भूमिका निभानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, आज हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि देश के लाखों, करोड़ों हरिजन आदिवासी यह चाहते हैं कि शोषण के जितने भी साधन जिनके हाथों में हैं उनसे वे छीने जायें। हम यह देखते हैं कि देश के अन्दर लाखों की तादाद में जो बेरोजगार नौजवान हैं चाहे वे पढ़े-लिखे हों और चाहे बगैर पढ़े-लिखे हों, वे चाहते हैं कि उन्हें रोजी-रोटी मिले और रोजी-रोटी के साधन उपलब्ध हों। हम देखते हैं कि जिन लोगों के हाथों में राजनैतिक, आर्थिक या अन्य प्रकार की सत्ता का केन्द्रीयकरण हुआ है, जनता आज सोचती है कि उनके हाथों से वह केन्द्रीयकरण खत्म किया जाये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से भी अपेक्षा करता और विरोधी पक्ष से भी अपेक्षा करता हूँ कि इस पृष्ठ भूमि में जो भी हम करना चाहें वह करें।

अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर विपुल खनिज सम्पदा है। आबादी कम है और खेती के साधन उपलब्ध हैं। हम खेती के साधनों के द्वारा अभी वैसे भी खाद्यान्नों में सरप्लस हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए अन्य राज्यों की बनिस्बत काफी आसानी है कि हम अपने प्रदेश को अधिक समृद्धिशाली बना सकें। इस पृष्ठ भूमि में अध्यक्ष महोदय, हम शासन से कुछ बातों की अपेक्षा करते हैं। यह बजट पास हो रहा है और इस बजट के पास होने के बाद शासन इसके अनुकूल प्रदेश का कार्य चला सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस पृष्ठ भूमि में मैंने सबसे पहले उल्लेख किया हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी हरिजन आदिवासी या अन्य गरीब लोगों के तबके, जिनका शोषण हो रहा है चाहे वह शोषण सेठ-साहूकारों द्वारा हो रहा हो चाहे मालिकों द्वारा हो रहा हो या चाहे अन्य किसी भी वर्ग द्वारा हो रहा हो, शासन को जाँच की कार्यवाही करके शोषण समाप्त करना चाहिए। इस प्रक्रिया को तुरन्त ही शुरू कर दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि आदिवासियों, हरिजनों के संबंध में एक कानून भी कर्ज के संबंध में बना हुआ है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि इस बात का सर्वेक्षण होना चाहिए कि जब से यह कानून पास हुआ है, तब से मध्यप्रदेश के अन्दर कितने जिलों में कितनी हजार कर्ज की अपीलें आईं और कितनों का निपटारा हुआ और कितनों के द्वारा आदिवासियों को राहत दी गई।

श्री विश्वेश्वर प्रसाद : मैं अर्जुनसिंह जी को यह सूचना देना चाहता हूँ कि आज तक हरिजन-आदिवासी विभाग में अधिकारियों को कोर्ट्स की पावर्स ट्रांसफर नहीं की गई है इसलिए कार्य नहीं हो रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से उत्तर की अपेक्षा करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन

करूँगा कि भूमि के संबंध में जो आज अनिश्चितता है, उसके संबंध में अपने विचार स्पष्ट करें।

(2 बजे से 3 बजे तक अन्तराल)

{उपाध्यक्ष महोदय (श्री रामकिशोर शुक्ल) पीठासीन हुये}

अध्यक्ष को पद से हटाने सम्बन्धी संकल्प पर विचार हेतु समय निर्धारण।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष को पद से हटाने सम्बन्धी संकल्प पर विचार करने के लिए 10 अप्रैल 1971 को 2 घंटे का समय नियत करता हूँ। यह समय प्रश्नोत्तर काल के बाद दो बजे तक रहेगा।

शासकीय विधि विषयक कार्य

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 1971 (क्रमांक-8 सन् 1971) पर चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि प्रदेश के अन्दर हमें अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र और सही कदम उठाने चाहिये। इसमें मैं प्राथमिक रूप से भूमि सुधार के संबंध में शासन से निवेदन करूँगा कि वह विचार करे। भूमि सुधार के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार के सुझाव, कई प्रकार की चर्चाएँ इस सदन में और सदन के बाहर भी हमारे सामने आईं। एक प्रकार का सुझाव तो यह है कि अधिकतम सीमा जो है उसे तत्काल कम कर दिया जाये और कुछ सुझाव इस प्रकार के हैं कि भूमि कानून में जो छूट दी गई है उसे खत्म कर दिया जाये।

मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री जी को अधिकतम सीमा कम करने में, तत्काल निर्णय करने में विलम्ब प्रतीत होता है तो कम से कम अगले दस-पन्द्रह दिन में, हो सके तो इस विधानसभा में ही, यह घोषणा की जावे, नहीं तो अगले दस-बीस दिन में यह कार्यवाही की जावे कि अधिकतम जोत सीमा में कानून में कितनी छूट दी गई है उसे बन्द कर दिया जावे और उसे खत्म कर दिया जावे ताकि जिन लोगों ने छूट के आधार पर तरह-तरह के तरीकों से जमीन अपने पास रख छोड़ी है उनसे भूमि ली जा सके और वह उस क्षेत्र के किसानों में बाँटी जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव यह भी है कि इस कानून के अन्तर्गत चूँकि सीमा एक व्यक्ति के खाते पर लगती है इसलिये यह देखने में आया है कि भूमिस्वामी ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम, जो एक प्रकार से क्षम्य है, लेकिन उन सदस्यों के नाम जो प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं और न खेती करते हैं, उनके नाम सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन करके अपने आधिपत्य में रख रखी है। मेरा शासन से सुझाव है कि यह प्रकरण केवल शासकीय मशीनरी पर ही न छोड़कर कुछ अशासकीय लोगों का भी इसमें सहयोग लिया जावे। एक समिति बनाई जावे जो इस पर विचार करके शासन को अपने सुझाव दे सके ताकि जो नियमों का उल्लंघन पीछे के दरवाजे से किया जाता है उसका निराकरण हो सके।

श्री मुलतानमल सुराना : क्या आपका गोविन्द नारायणसिंह जी की तरफ इशारा है?

श्री अर्जुनसिंह : मैं इशारा नहीं करता, जब कहना होगा तो स्पष्ट कहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि से सम्बन्धित जो कानून हैं उनके विषय में, मैं शासन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से कानून हमने बना दिये हैं। यदि यह कहा जावे तो अनुचित न होगा कि हमने कानून का जंगल

खड़ा कर दिया है जबकि असली जंगल कट गया है। आज का किसान यह नहीं जानता कि कौन से कानून के अन्तर्गत उसको क्या-क्या अधिकार हैं, उसके क्या दायित्व हैं? जो उसको निभाने चाहिये। छोटे से छोटे काम के लिये किसान परेशान होता है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैं अपने राजस्व मंत्री जी से, जो कि प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं यह अपेक्षा करूँगा कि भूमि सम्बन्धी जितने भी कानून हैं उनका सर्वेक्षण होना जरूरी है, भूमि सम्बन्धी कानून इतने सरल बनाये जावें ताकि किसान अपने दायित्व और अधिकारों के प्रति सजग हो सके और उसमें भ्रष्टाचार की गुन्जाइश न हो।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस बजट के द्वारा जो आज सदन पारित करेगा, हम विकास के अनेक काम अपने हाथ में लेंगे इसलिये यह उचित होगा कि हम इस ओर जरा सा शासन का ध्यान आकर्षित करें। आप जानते हैं यह प्रदेश जितना बड़ा है, जितना विशाल है इसका भविष्य जितना उज्जवल है उतना ही इस पर खर्च कम है। इसके उज्ज्वल भविष्य और वर्तमान काम को देखना शासन की विशेष जिम्मेदारी होती है, खासकर प्रदेश के उन हिस्सों के बारे में जहाँ प्रतिवर्ष अकाल पड़ता है, जहाँ के लोगों के जीवन निर्वाह के साधनों में कमी है, प्रदेश के उस हिस्से के बारे में शासन का ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

उदाहरण के लिये अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिये सब जगह बड़ी-बड़ी योजनाएँ बन रही हैं जो हाथ में ली गई हैं। बाण सागर परियोजना बन जावेगी यह खुशी की बात है, बरगी की योजना बन जावेगी इसकी भी प्रसन्नता है फिर भी इस प्रदेश के वह हिस्से बच जावेंगे, रह जावेंगे जहाँ हम बड़ी-बड़ी योजनाओं द्वारा सिंचाई में साधन नहीं दे सकेंगे। मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि लिफ्ट इर्रिगेशन को शुरू किया जावे ताकि किसान उससे लाभ उठा सकें। प्रत्येक स्थान पर साधन मिल सकते हैं, वहाँ पम्प लगाये जावें लेकिन आपके इन्जीनियर्स इन छोटी-छोटी योजनाओं की ओर देखते नहीं। जब तक कि दस-पच्चीस लाख का काम न हो, वह ऐसे छोटे कामों को प्राथमिकता देने को तैयार नहीं हैं जिसके कारण हम सिंचाई के साधन इतनी मात्रा में पैदा नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में मेरा शासन से निवेदन है कि पिछड़े हुए इलाकों के लिये आपको कुछ छूट देना पड़ेगी। झाबुआ, सरगुजा, सीधी, शहडोल ऐसे जिले हैं जिनके अन्दर आदिवासी ग्राम हैं जिनकी आबादी 4-4 और 5-5 हजार है और उन ग्रामों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं लेकिन वहाँ बिजली नहीं पहुँच पा रही है। कारण यही है कि जो वर्तमान में नियम हैं उनके अन्तर्गत जो स्थान 15, 20 मील दूरी हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिलता। मैं आशा करूँगा कि इस प्रकार के जो गाँव हैं उनमें बिजली प्रदाय करने के लिये विशेष छूट दी जायेगी।

कुमारी विमला वर्मा (राज्य मंत्री, विद्युत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहती हूँ कि सिंचाई के मामले में बिजली प्रदाय की ऐसी योजनाएँ हैं। उन ग्रामों में जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उद्वहन सिंचाई की योजनाओं में इस प्रकार की सहूलियत दी जाती है। जो 4 जिले माननीय सदस्य ने अभी बताये, सीधी, शहडोल, सरगुजा तथा झाबुआ वे पिछड़े हैं और उनमें यह सुविधाएँ दी जाती हैं। जहाँ जितने पम्प की आवश्यकता होती है उतने पम्प नहीं मिलते तो सपोर्ट लाइन के रूप में लाइन दी जाती है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं बहुत अनुग्रहीत हूँ मंत्राणी जी का जिन्होंने यह जानकारी मुझे दी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है सीधी जिले के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों के सामने उक्त योजना रखी तो उन्होंने इस प्रकार की कोई सम्भावना व्यक्त नहीं की कि वहाँ बिजली पहुँचाई जा सकती है। उदाहरण के लिये मैं बता सकता हूँ कि सीधी जिले के ग्राम सरई, मढवा व मंझोली यह ग्राम 3-3 और 4-4 हजार की आबादी वाले आदिवासियों के ग्राम हैं पर वहाँ बिजली नहीं पहुँचाई जा रही है। मंझोली ग्राम उपाध्यक्ष जी के ग्राम व्योहारी से केवल 13-14 मील दूर है, पर वहाँ बिजली पहुँचाने की कोई योजना अभी तक नहीं है।

कुमारी विमला वर्मा : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहती हूँ कि क्या वह स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं अथवा पम्प आदि लगाने के लिये बिजली की बात कर रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ ग्राम में बिजली पहुँचने का सवाल है। अगर वहाँ बिजली

खड़ा कर दिया है जबकि असली जंगल कट गया है। आज का किसान यह नहीं जानता कि कौन से कानून के अन्तर्गत उसको क्या-क्या अधिकार हैं, उसके क्या दायित्व हैं? जो उसको निभाने चाहिये। छोटे से छोटे काम के लिये किसान परेशान होता है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैं अपने राजस्व मंत्री जी से, जो कि प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं यह अपेक्षा करूँगा कि भूमि सम्बन्धी जितने भी कानून हैं उनका सर्वेक्षण होना जरूरी है, भूमि सम्बन्धी कानून इतने सरल बनाये जावें ताकि किसान अपने दायित्व और अधिकारों के प्रति सजग हो सके और उसमें भ्रष्टाचार की गुन्जाइश न हो।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में इस बजट के द्वारा जो आज सदन पारित करेगा, हम विकास के अनेक काम अपने हाथ में लेंगे इसलिये यह उचित होगा कि हम इस ओर जरा सा शासन का ध्यान आकर्षित करें। आप जानते हैं यह प्रदेश जितना बड़ा है, जितना विशाल है इसका भविष्य जितना उज्जवल है उतना ही इस पर खर्च कम है। इसके उज्ज्वल भविष्य और वर्तमान काम को देखना शासन की विशेष जिम्मेदारी होती है, खासकर प्रदेश के उन हिस्सों के बारे में जहाँ प्रतिवर्ष अकाल पड़ता है, जहाँ के लोगों के जीवन निर्वाह के साधनों में कमी है, प्रदेश के उस हिस्से के बारे में शासन का ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

उदाहरण के लिये अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिये सब जगह बड़ी-बड़ी योजनाएँ बन रही हैं जो हाथ में ली गई हैं। बाण सागर परियोजना बन जावेगी यह खुशी की बात है, बरगी की योजना बन जावेगी इसकी भी प्रसन्नता है फिर भी इस प्रदेश के वह हिस्से बच जावेंगे, रह जावेंगे जहाँ हम बड़ी-बड़ी योजनाओं द्वारा सिंचाई में साधन नहीं दे सकेंगे। मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि लिफ्ट इरिगेशन को शुरू किया जावे ताकि किसान उससे लाभ उठा सकें। प्रत्येक स्थान पर साधन मिल सकते हैं, वहाँ पम्प लगाये जावें लेकिन आपके इन्जीनियर्स इन छोटी-छोटी योजनाओं की ओर देखते नहीं। जब तक कि दस-पच्चीस लाख का काम न हो, वह ऐसे छोटे कामों को प्राथमिकता देने को तैयार नहीं हैं जिसके कारण हम सिंचाई के साधन इतनी मात्रा में पैदा नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में मेरा शासन से निवेदन है कि पिछड़े हुए इलाकों के लिये आपको कुछ छूट देना पड़ेगी। झाबुआ, सरगुजा, सीधी, शहडोल ऐसे जिले हैं जिनके अन्दर आदिवासी ग्राम हैं जिनकी आबादी 4-4 और 5-5 हजार है और उन ग्रामों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं लेकिन वहाँ बिजली नहीं पहुँच पा रही है। कारण यही है कि जो वर्तमान में नियम हैं उनके अन्तर्गत जो स्थान 15, 20 मील दूरी हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिलता। मैं आशा करूँगा कि इस प्रकार के जो गाँव हैं उनमें बिजली प्रदाय करने के लिये विशेष छूट दी जायेगी।

कुमारी विमला वर्मा (राज्य मंत्री, विद्युत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहती हूँ कि सिंचाई के मामले में बिजली प्रदाय की ऐसी योजनाएँ हैं। उन ग्रामों में जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उद्वहन सिंचाई की योजनाओं में इस प्रकार की सहूलियत दी जाती है। जो 4 जिले माननीय सदस्य ने अभी बताये, सीधी, शहडोल, सरगुजा तथा झाबुआ वे पिछड़े हैं और उनमें यह सुविधाएँ दी जाती हैं। जहाँ जितने पम्प की आवश्यकता होती है उतने पम्प नहीं मिलते तो सपोर्ट लाइन के रूप में लाइन दी जाती है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं बहुत अनुग्रहीत हूँ मंत्राणी जी का जिन्होंने यह जानकारी मुझे दी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है सीधी जिले के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों के सामने उक्त योजना रखी तो उन्होंने इस प्रकार की कोई सम्भावना व्यक्त नहीं की कि वहाँ बिजली पहुँचाई जा सकती है। उदाहरण के लिये मैं बता सकता हूँ कि सीधी जिले के ग्राम सरई, मढवा व मंझोली यह ग्राम 3-3 और 4-4 हजार की आबादी वाले आदिवासियों के ग्राम हैं पर वहाँ बिजली नहीं पहुँचाई जा रही है। मंझोली ग्राम उपाध्यक्ष जी के ग्राम व्योहारी से केवल 13-14 मील दूर है, पर वहाँ बिजली पहुँचाने की कोई योजना अभी तक नहीं है।

कुमारी विमला वर्मा : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहती हूँ कि क्या वह स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं अथवा पम्प आदि लगाने के लिये बिजली की बात कर रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ ग्राम में बिजली पहुँचने का सवाल है। अगर वहाँ बिजली

की लाइन जाती है तो फिर चाहे उससे स्ट्रीट लाइट के लिये काम में ली जावे अथवा फिर पम्प आदि लगाने के लिये। खैर, मैं आशा करता हूँ, जैसा अभी बहन जी ने कहा है हम लोग बैठकर उनके साथ इन मुद्दों पर विचार-विमर्श कर लेंगे और आशा करता हूँ कि अपनी माँग उनसे पूरी करा सकेंगे।

इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष, मैं विशेष रूप से इस प्रदेश के शासन तन्त्र के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। यह सर्वविदित है कि हमारी जो योजनाएँ बनेंगी, जो काम होंगे, वह इस प्रदेश में जो शासन तन्त्र है उसके माध्यम से ही उनको कराना पड़ेगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त आवश्यक है, अपितु मैं कहूँ कि एक रूप से यह अनिवार्य है कि हम इस शासन तन्त्र को कम से कम इस रूप में ढालें ताकि प्रजातन्त्र की जो मर्यादाएँ हैं, शासन तन्त्र की ओर से उसके दायित्वों के निर्वाह में कमी न आये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इसकी जिम्मेदारी चाहे जिसके ऊपर लादी जाये, किसी एक व्यक्ति पर वह जिम्मेदारी नहीं लादी जा सकती, लेकिन वह बात हमें स्वीकार करना होगी कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी शासन तन्त्र में रहने वाले लोगों के अन्दर भावना का संचार नहीं कर सके, जो होना आवश्यक है। आये दिन हमें तरह-तरह की शिकायतें छोटे-छोटे लोगों को परेशान करने की सुनाई देती हैं, ऐसी शिकायतें हमें सुनने को मिलती हैं कि भ्रष्टाचार होता है। किसान और अन्य मध्यम वर्ग के लोग परेशान किये जाते हैं, यदि शासन अपने उत्तरदायित्व को समझ सके तो ऐसी परिस्थिति पैदा न हो। मुख्यमंत्रीजी जी इस ओर ध्यान देंगे ऐसी मुझे आशा है। उदाहरण के लिये विजिलेन्स कमीशन को बने लगभग 4 वर्ष हो गये, ठीक से मुझे स्मरण है कि इस विधानसभा में विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर एक दफा बहस हुई है। शायद वह भी नहीं हुई है। जिसकी कल्पना भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अस्त्र के रूप में की थी उस अस्त्र को ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया। होता यह है कि बड़े-बड़े ऑफीसर रिपोर्ट दबाकर बैठ जाते हैं। और पटवारी, असिस्टेंट इंजीनियर को सजा देकर आँकड़े बताते हैं कि हमने भ्रष्टाचार रोकने का प्रयत्न किया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि बिजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट इस विधानसभा में आना चाहिये। जहाँ शासन से असहमति व्यक्त होती है उसके कारण दिये जाते हैं, उस पर यह सदन बहस कर सके।

अध्यक्ष महोदय, मुझे किसी ऑफीसर, शासन तन्त्र, अधिकारी वर्ग से कोई द्वेष नहीं है लेकिन मुझे इसलिये कहना पड़ता है कि प्रजातन्त्र में प्रजातांत्रिक प्रणाली को चलाने के लिये हम यह महसूस नहीं करेंगे कि इस प्रणाली को चलाने में निहित स्वार्थ है तब तक कोई लाभ नहीं होगा। शायद आज हमारा शासन तंत्र प्रजातन्त्र को कायम रखने में कोई निहित स्वार्थ समझता है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, आज कसौटी पर एक शासन नहीं है। चाहे श्यामाचरण शुक्ल का मंत्रिमण्डल बने चाहे किसी दूसरे का मंत्रिमण्डल बने। जब प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी तो किसी का मंत्रिमण्डल नहीं बनेगा। साधारण लोगों का विश्वास इस प्रजातन्त्र प्रणाली पर नहीं है। उस समय जब कि हमने एक दफा पूरे देश में इस बात की चेतना फैलाई है और लोगों के मन में भावना पैदा कर दी है कि प्रजातांत्रिक शासन द्वारा इस देश की गरीबी, असमानता मिटाई जा सकती है। लोगों को काम करने के साधन उपलब्ध करा सकते हैं, अगर इसमें सफलता नहीं पाई तो वह असफलता एक पार्टी की नहीं होगी बल्कि काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की होगी चाहे वह इधर बैठता हो चाहे उधर बैठता हो, मैं विशेषकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से शासन तंत्र को प्रेरणा मिलना चाहिये कि बिना पक्षपात के काम करने का अवसर दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका थोड़ा और समय लेना चाहता हूँ। यहाँ पर जो प्रदेश के अन्दर हमने पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों के विकास के संबंध में काम किया है, वह निश्चय ही सराहनीय है। हमारे उद्योग मंत्री एक लगनशील और हमारे कर्मठ साथी हैं और उनसे जो कुछ बन पड़ रहा है, कर रहे हैं लेकिन मैं यह समझता हूँ कि मध्यप्रदेश जैसे प्रदेश के अन्दर उद्योगों के सही विकास के लिये जब तक कुछ मूलभूत सिद्धांतों को हम तय नहीं कर लेंगे तब तक एडहॉक बेसिस पर किसी ने किसी उद्योग की अर्जी दे दी और उसको हमने पानी, बिजली आदि की सुविधा दे दी और उसने कारखाना डाल दिया मैं समझता हूँ यह प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सही कदम नहीं है। इस प्रदेश में उद्योगों की स्थापना इस आधार पर होना चाहिये कि उन उद्योगों

के लिये जो कच्चा सामान लगे, उनमें से अधिकांश कच्चा सामान प्रदेश में उत्पन्न हो। इस दिशा में उन उद्योगों का विकास हो और उन पर नियंत्रण रहे तभी उन उद्योगों में अपने प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करवाने के साधन उपलब्ध कराने में हम सफल हो सकेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि जो संपदा हमारे प्रदेश में है उस संपदा को आधार मान कर हमारे प्रदेश में कारखाने होने चाहिए। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज की हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी संपदा है उसका उपयोग बहुत कम मात्रा में हमारे प्रदेश में हुआ है। एकाध कारखाना कागज का और एलूमिनियम का स्थापित हुआ है पर हमारे प्रदेश के कच्चे सामान का उपयोग उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है जिस मात्रा में होना चाहिये। मैं आशा करता हूँ इस आधार पर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास की ओर शासन ध्यान देगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री जोशी जी ने बड़े तर्क और कुछ व्यंग्य के साथ भी यह बात कही कि यह शासन और हमारे दल द्वारा जो आज प्रदेश में शासन चलाया जा रहा है वह चन्द दिनों का मेहमान है और बहुत जल्दी समाप्त हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में शासन बनते हैं और समाप्त होते हैं यह कोई नई बात नहीं है लेकिन मैं जोशी जी को और अपने उन सभी साथियों को जो इस प्रकार की कल्पना करते हैं और भावना रखते हैं यह बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में प्रदेश की काँग्रेस पार्टी को आज बहुमत प्राप्त है और विधानसभा की काँग्रेस पार्टी के अन्दर आज मुख्यमंत्री को विश्वास प्राप्त है इसलिये आप इस प्रकार की कल्पना अपनी खुशी के लिये करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, जरूर करें लेकिन हम तो यह कल्पना साकार होते नहीं देख रहे हैं और इस प्रकार की कल्पना करके शायद आप अपने सही दायित्व को निभा भी नहीं सकेंगे। यह शासन सुदृढ़ है और मुझे विश्वास है कि यह शासन अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह कर सकेगा ताकि भविष्य में हम जनता के सामने जायें तो हम अपनी नीतियों को उनके सामने रख सकें। वर्तमान देश के राजनैतिक मानचित्र में जो हमें खूबियाँ देखने को मिल रही हैं उनका पूरा-पूरा लाभ हमें लेना चाहिये। जातपाँत, छोटे-छोटे दायरे में सोचने वाले, केवल क्षेत्रीयता के आधार पर लोगों को भड़काने वाले इन सबकी विचारधाराओं को इस देश की जनता ने ठुकरा दिया है। आज स्वच्छ रूप से, स्वच्छंद रूप से भारतवर्ष का राजनैतिक मानस सामने उभर कर आया है। इस अवस्था में जो भी व्यक्ति, जहाँ भी जिस पद पर है उसे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे दिमाग से इस दुनिया में बड़े काम नहीं हुए हैं।

इतने बड़े प्रदेश में सर्वतोमुखी उन्नति करने का जो काम है उसे पूरा करना है तब इन छोटी-छोटी बातों से ऊपर उठकर हमारे मुख्यमंत्री इस शासन तंत्र को प्रेरणा देंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। हम अपने दायित्व को पूरा कर सकें और इस शासन को ऐसा रूप दे सकें ताकि जो कमियाँ आज हमको देखने को मिलती हैं वह न रह पायें। हमारे मुख्यमंत्री और हमारा दल इस प्रदेश को एक स्वच्छ और सुन्दर और शक्तिशाली समाजवादी शासन को कायम कर सकने में सफल हो सकेगा। साथ ही भविष्य में आने वाले चुनाव इस बात का प्रमाण दे सकें कि इस प्रदेश की जनता भारतवर्ष की जनता के साथ है और उनके साथ कदम मिलाकर चलना चाहती है तब इस प्रदेश में काँग्रेस को बहुमत प्राप्त होगा और हम अपने प्रदेश का कार्य चला सकेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई- 7 अप्रैल 1971, पृष्ठ- 1332-1341)

10 अप्रैल 1971 को विधानसभा अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे को अध्यक्ष पद से हटाने विषयक प्रस्ताव जनसंघ के श्री बसन्त सदाशिव प्रधान (धार) ने प्रस्तुत किया। उन्होंने अध्यक्ष पर अनेक आरोप लगाते हुए यह सिद्ध करना चाहा कि श्री काशीप्रसाद पाण्डे विरोधी दल को संरक्षण नहीं देते। चर्चा में जनसंघ के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के प्रति अनादर प्रकट किया जाता रहा। इस बहस में प्रमुख रूप से श्री चन्द्रप्रताप तिवारी और श्री अर्जुनसिंह ने इस प्रस्ताव के हास्यास्पद होने का आरोप लगाते हुए इसे साफ शब्दों में व्यर्थ निरूपित किया। यह अत्यन्त विचारोत्तेजक चर्चा यहाँ प्रस्तुत है—

अध्यक्ष को हटाये जाने का संकल्प

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान (धार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त दुखी हृदय से कर्तव्य निर्वहन के लिये

आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं उसको पढ़े देता हूँ :—

"इस सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे, सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने में असमर्थ रहे हैं, अतः उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाये।"

उपाध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "इस सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे, सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने में असमर्थ रहे हैं, अतः उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाये।"

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1967 के चुनाव में जनता ने मतदान द्वारा चुनकर हमको जनता के प्रति कुछ कर्त्तव्य निर्वहन करने के लिये यहाँ भेजा है। हमारी इस मध्यप्रदेश विधानसभा हो या अन्य राज्यों की विधानसभा हो, विधानसभाएँ लोकतंत्र व्यवस्था की सर्वोच्च सत्ता हैं और हम सब उसके घटक हैं। इस सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में अध्यक्ष पद सबसे ऊँचा है। इसकी प्रतिष्ठा बनाये रखना हमारा कर्त्तव्य है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है कि श्री काशीप्रसाद जी पाण्डे को भी सदस्य के रूप में यहाँ पर सदन में बैठना चाहिये जिससे कि वे उन पर लगाये गये आरोपों को सुन सकें, नहीं तो वे उनका उत्तर कैसे दे सकेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : यह मध्यप्रदेश की विधानसभा है, इन्दौर का कारपोरेशन नहीं है।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : विधानसभा में आने के पश्चात् जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन करना हमारा कर्त्तव्य है। अध्यक्ष पद के प्रति निष्ठा रखना हमारा कर्त्तव्य है। इस सभा में अनुशासन बनाये रखना हमारा कर्त्तव्य है। लोकतंत्र में यदि विधानसभा पवित्र मंदिर है तो उसमें विद्यमान अध्यक्ष न्याय के देवता के रूप में होता है। अगर विधानसभा को एक रथ की उपमा दी जावे तो इस रथ के जो दो चक्र हैं वे हैं राजपक्ष और विरोधी दल। इन दोनों के बिना लोकतंत्र पूर्ण नहीं होता और इसलिये राजपक्ष और विरोधी दल ये दोनों महत्व के चक्र हैं और इन दोनों चक्रों को संतुलित करने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 23 मार्च 1959 को इस विधानसभा में जब श्री काशीप्रसाद पाण्डे का निर्वाचन हुआ तो काँग्रेस पक्ष के सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने सदन को सम्बोधित करते हुए माननीय श्री काशीप्रसाद पाण्डे को सदन के पिता की संज्ञा दी थी। उसका यह कारण प्रतीत होता है कि पिछले पचास वर्षों से वे संसदीय व्यवस्था से संबंधित हैं और राजनीतिक संस्था काँग्रेस के प्रति पूर्ण आस्था होने के कारण उनकी योग्यता पर ध्यान देते हुए उनको पुरस्कार के रूप में यह पद प्रदान किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अध्यक्ष के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं— एक तो सदन में नियंत्रण और व्यवस्था बनाये रखना और दूसरा नियमों के अन्तर्गत विधानसभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको इस दृष्टि से देखना होगा कि श्री काशीप्रसाद पाण्डे जो कि सदन के पिता के रूप में सम्बोधित हैं और हम सब उनको काका पाण्डे के रूप में सम्बोधित करते हैं, उन्होंने विधानसभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण कहाँ तक और उचित ढंग से किया है या नहीं? उपाध्यक्ष महोदय, हमको जनता ने किसलिये यहाँ पर भेजा है? जनता की आकांक्षाएँ होती हैं और उनकी यह आकांक्षा होती है कि विधानसभा में जाकर ये प्रतिनिधि जनहित के विषयों पर चिन्तन करें, चर्चा करें, निर्णय लें और लोक कल्याण के कार्य के लिये अग्रसर होते रहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हमारे लिये कुछ माध्यम हैं। वह माध्यम हैं स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण और प्रश्नोत्तर आदि। ये इस प्रकार के माध्यम हैं कि जिनके द्वारा हम लोग विधानसभा में सार्वजनिक महत्व के विषयों को रखते हैं। हमें यह देखना है कि विधानसभा में सदस्यों को सचेत रहना है कि यदि अध्यक्ष महोदय की निगाह इस प्रकार की है कि जिसमें सार्वजनिक विषयों को लेने में बाधा पहुँचती है तो हमें बिलकुल सावधानी, चेतनता और सतर्कता में अग्रसर होना होगा क्योंकि यदि अध्यक्ष की ओर से बार-बार इस प्रकार का अंकुश आयेगा तो जनता की लोकतंत्र पर आस्था नहीं रहेगी और विधानसभा के प्रति भी उनकी दृढ़ता नहीं रहेगी और आने वाले समय में चुनाव के समय जनता और विशेषकर मतदाताओं की ओर से उदासीनता रहेगी। इस दृष्टि से हमें प्रयास करना होगा कि अध्यक्ष के प्रति निष्ठा रखते हुए जो अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं यदि वे इस प्रकार के अंकुश लगाते चले जावें कि जिसके

कारण हम अपना कर्त्तव्य निर्वहन सफलतापूर्वक न कर पायें तो हमको कुछ आगे अग्रसर होना होगा। यह हमारा कर्त्तव्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस ऑफ कामन्स में अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों के बीच कई सौ वर्ष तक लड़ाई चलती रही। 300 वर्ष का समय ऐसा था जबकि अध्यक्ष राजा के प्रभाव में आता रहा और जनप्रतिनिधियों की परवाह नहीं करता था। इसके आगे जनप्रतिनिधियों की लड़ाई चलती रही इसके पश्चात् 100 वर्ष का समय ऐसा आया कि जिसमें राजनीतिक दलों का प्रभाव अध्यक्ष पर पड़ता रहा क्योंकि लोग जनप्रतिनिधियों के रूप में जाते थे व अत्यन्त जागरूक होकर अपना कर्त्तव्य करने में संलग्न रहते थे। यहाँ पर कौन व्यक्ति अध्यक्ष पद पर बैठा है, इस पर लक्ष्य न देते हुए जिस व्यक्ति को न्याय के पवित्र पद पर अध्यक्ष पद पर बैठाया है, वह जनता की आवाज उठाने के लिये हमको कुछ सहूलियतें देता है या नहीं इस पर विचार करना होगा। माननीय काशीप्रसाद पाण्डे का व्यवहार पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार का रहा है और उन्होंने हमारे अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से किया है, यह देखना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस विधानसभा की कार्यवाही, दिनांक 8-1-1970 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उस रोज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भोपाल में हो गई। वह घटना काँग्रेस के एक मंत्री के विरुद्ध हुई। उनको कहा जाता था कि किसी कमरे में बंद हो गये और नाना प्रकार की अफवाहें मध्यप्रदेश में फैल गईं। मेरे मित्र माननीय कैलाशचन्द्र जोशी, माननीय गोविन्दजीवाला और माननीय फूलचन्द जी वर्मा ने इस सदन में माननीय अध्यक्ष के सामने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वह स्थगन प्रस्ताव आने के पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल ने खड़े होकर कहा कि मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, वे इस पर शासन का वक्तव्य देना चाहते थे। वह प्रश्न माननीय गंगाराम तिवारी के सम्बन्ध में था। सदन के नेता और इस प्रदेश के प्रशासक मुख्यमंत्री खड़े होकर अपना वक्तव्य देना चाहते थे। वे अपना वक्तव्य देने के लिये तैयार थे किन्तु माननीय अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे ने एकदम बीच में खड़े होकर कह दिया कि मैं स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा की पिछले 15-20 वर्षों की कार्यवाही देखने से यह स्पष्ट होगा कि विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पढ़े जाते हैं और अगर शासन उस पर वक्तव्य देने के लिये तैयार है तो शासन का वक्तव्य सुना जाता है, शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय, ग्राह्य या अग्राह्य का आदेश देते हैं। यहाँ पर उस दिन ऐसी विचित्र स्थिति थी कि जनता के माननीय प्रतिनिधि और प्रदेश का बच्चा-बच्चा उस जानकारी के लिये लालायित था। एक मंत्री के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, उस पर जानकारी देने के लिये मुख्यमंत्री जी तैयार थे, माननीय सदस्यों ने बार-बार 15 बार निवेदन किया था। चार-चार बार ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि हो सकता है, भूल से आपने अग्राह्य कर दिया हो लेकिन वे अपनी जिद पकड़ कर बैठे रहे और उन्होंने शासन को वक्तव्य देने का अवसर नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी गम्भीर परिस्थिति में और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के अन्दर विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार था कि वह उस पर शासन का वक्तव्य सुने लेकिन अध्यक्ष के दुर्भाग्यपूर्ण आचरण के कारण विधानसभा के सदस्य और बाहर के आये हुए नागरिक शासन का वक्तव्य सुनने से वंचित रहे और माननीय तिवारी जी के सम्बन्ध में तरह-तरह की अफवाहें फैलीं और उनका असम्मान हुआ। अगर अध्यक्ष इस तरह की गलती कर देते हैं, तो उसका कितना भीषण परिणाम भोगना पड़ता है, यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप दिनांक 8-1-70 की कार्यवाही को देखें, हम लोगों ने कितनी प्रार्थनाएँ की, कितनी आजिजी की, कितनी नम्रता से प्रार्थना की लेकिन अध्यक्ष महोदय अपनी जिद पर अड़े रहे, वे एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। यदि विधानसभा के हमारे अधिकारों पर इस तरह का कुठाराघात होता है तो उससे समाज में गलत धारणाएँ फैलती हैं और उसके लिए हमको और आपको अपनी आवाज बुलन्द करनी पड़ेगी। यदि हमारी लोकतंत्र में आस्था नहीं है तो हम जनता में जनतंत्र के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पायेंगे। अभी भारतवर्ष का जनतंत्र एक 23 वर्ष के बालक के रूप में है। इस पीढ़ी में रहने वाले विधायकों और संसद का बड़ा उत्तरदायित्व है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस ऊँचे आसन पर बैठे हुए हैं, यहाँ बैठकर यदि आप हम विधायकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि अध्यक्ष जबर्दस्त नियंत्रण कर सकता है और विधायकों को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर देता है तो प्रशासन पर जबर्दस्त अंकुश रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी

शक्ति है जो प्रशासन के दुर्गुणों को हटाने के लिये जबर्दस्त अंकुश रख सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष ऐसी शक्ति है जो प्रशासन के दुर्गुणों को हटाने के लिये जबर्दस्त अंकुश डाल सकता है लेकिन विरोधी दल के सदस्य के रूप में हम या अन्य सदस्यगण इतने निरुत्साहित हो जाते हैं कि अध्यक्ष की जिद की वजह से कुछ नहीं कर सकते। अब मैं दूसरी घटना बताता हूँ। 17 मार्च 1970 का कार्य विवरण देखिये, उस दिन एक कार्य विवरण छपा था; बजट पर चर्चा चल रही थी और दो बजे तक माँग संख्या 30 अनुसूचित जाति तथा हरिजन कल्याण, इस विषय पर चर्चा चलने वाली थी। तीन बजे से पाँच बजे तक माँग संख्या 15 सहकारिता के विषय में चर्चा होनी थी। अगर इस प्रकार का कार्यक्रम विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के हाथ में जाता है उस वक्त उसकी यह धारणा हो जाती है कि दो बजे तक आदिमजाति कल्याण विभाग का विषय आयेगा और उसके बाद तीन से पाँच बजे तक सहकारिता का विषय आयेगा। इस प्रकार के कार्यक्रम वितरित हो जाने के पश्चात् सदस्यों के कमरों में प्रसारित होने के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। उस वक्त कैलाशवासी पं. कुंजीलाल दुबे, वित्त मंत्री थे, वे 1 बजकर 46 मिनट पर एकदम खड़े हो गये और उन्होंने मुख बंद के लिये प्रार्थना की। अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा के सदस्यों को किसी प्रकार की जानकारी न देते हुए, सदस्यों को किसी प्रकार विश्वास में न लेते हुए एकदम मुखबंद का आदेश जारी कर दिया। सहकारिता विभाग, जिस पर हमें चर्चा करने के लिये कार्यक्रम वितरित हो गया था, हमारे अधिकार के रूप में आ जाता है। यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई थी, यदि शासन को दो बजे ही मुखबंद लगाकर पूर्ण बजट पारित करने की परिस्थिति थी तो हम सब बैठे थे। काशीप्रसाद पाण्डे उठकर कह सकते थे, परिस्थिति ऐसी है, वित्त मंत्री जी का कहना ऐसा है, इसलिये मुखबंद लगाता हूँ, किन्तु हमें कोई जानकारी न देते हुए इस प्रकार का विश्वासघात करना नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार अध्यक्ष के प्रति निष्ठा कैसे रह सकती है, यदि कार्यक्रमों के विपरीत अध्यक्ष आचरण करने लग जायें। ऐसे प्रसंग दिन प्रति दिन आते रहते हैं। मैं आपको आँकड़े बताऊँ। मार्च, 67 में पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ और दिसम्बर 70 तक अपने यहाँ 12 बैठकें हुईं। स्थगन प्रस्ताव क्या बला है यह बताता हूँ। यहाँ आने वाले सदस्यों को लाखों जनता ने चुना है, उनके विश्वास के आधार पर यहाँ आये हैं, जनहित की समस्याएँ रखने के लिये आये हैं। यहाँ पर आये हुए व्यक्ति कोई 25 साल के वकील हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई समाज में प्रतिष्ठा पाये हुए नाना प्रकार के व्यक्ति हैं। स्थगन प्रस्ताव जिसमें अविलम्बनीय सार्वजनिक समस्या होती है उसको रखने पर यदि अध्यक्ष अपने कमरे में बैठकर अग्राह्य कर दे तो जो सार्वजनिक समस्या हम लाना चाहते हैं, इसके माध्यम से प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तथा समाज के सामने क्या घटना हुई, इसकी जानकारी देते हैं लेकिन अध्यक्ष उसको अपने कमरे में कलम के एक झटके से फाड़ देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 137 बैठकें हुईं इन 12 अधिवेशनों में। 137 बैठकों में जो स्थगन प्रस्ताव आये उनकी संख्या 298 है, लगभग 300 के हैं। इनमें से उपाध्यक्ष महोदय, केवल 3 स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, बाकी सभी 295 स्थगन प्रस्तावों को अग्राह्य कर दिया गया। इस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक मामले जो विधानसभा में लाये जाते हैं, उन पर अध्यक्ष महोदय का इतना कठोर अंकुश लगा हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं कि इसका प्रतिशत क्या रहता है।

श्री गंगाराम तिवारी (श्रम मंत्री) : मैं माननीय प्रधान जी से पूछना चाहता हूँ, यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार दिया है, जिसको चाहे ग्राह्य करें या अग्राह्य करें यह तो उनका अधिकार है।

श्री वसंत सदाशिव प्रधान : ठीक है, अधिकार है, न्यायाधीश को भी फाँसी लगाने का अधिकार होता है लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 298 स्थगन प्रस्तावों में से 3 स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य किये गये और 295 को अग्राह्य किया है। इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो 12 सत्रों में आये वह हैं 673 इसमें से 592 अग्राह्य किये गये केवल 81 प्रस्तावों को ग्राह्य किया गया। इस तरह उपाध्यक्ष महोदय, 673 प्रस्ताव जो कि नागरिकों की सार्वजनिक समस्याएँ होती हैं उनको रखने के लिये विधानसभा में ध्यान आकर्षित कराने के लिये दिये गये उनमें से केवल 81 को स्वीकृत किया गया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि हमारे माननीय अध्यक्ष सार्वजनिक हित की समस्याओं को महत्व नहीं देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसी तरह

इन 12 सत्रों में जो प्रश्न पूछे गये उनकी संख्या 19 हजार 2 सौ 67 है, जो कि विधानसभा को दिये गये लेकिन इनमें से 8 हजार 9 सौ 31 प्रश्नों को ही ग्राह्य किया गया यानी 50 प्रतिशत से कम को ग्राह्य किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्याय का सैद्धान्तिक तकाजा है कि जिस किसी माननीय सदस्य से संबंधित प्रश्न हो, स्थगन प्रस्ताव हो, उसे निरस्त करने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। लेकिन यहाँ पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव रखे गये, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे गये, जो कि सार्वजनिक विषय के महत्वपूर्ण विषय होते हैं, लेकिन सदस्यों को बिना संतुष्ट किये, न यहाँ पर और कमरे में बुला कर संतुष्ट न करते हुए, बिना कारण बताये अग्राह्य कर दिये गये। इस तरह से अध्यक्ष महोदय ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह प्रश्नों के संबंध में किया गया, उनको देखे बिना ही अधिकारी निरस्त कर देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, प्रश्नों के संबंध में चर्चिल ने पार्लियामेंट में कहा था :

"The question is such a powerful machinery thereby the Government is compelled to take a policy decision on important matters."

प्रश्नों के द्वारा जो विधानसभा में पूछे जाते हैं, उनसे शासन की नीति निर्धारित होती है, लेकिन इसका माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यहाँ पर भर्त्सना का प्रकरण आया, कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की, आरोपी खुद खड़े नहीं हुए। इसके पश्चात् माननीय श्री काशीप्रसाद पाण्डे ने चन्द्रप्रताप तिवारी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की और उस कमेटी ने लोकसभा की सारी व्यवस्था की जानकारी लेकर और पूर्ण चौकसी लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी। वे अपने दो सहयोगियों को लेकर यहाँ से गये थे और इस कमेटी ने 4-8-70 को अपना प्रतिवेदन दिया था लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सचिवालय के सचिव श्री मदन गोपाल जी ने 5-10-70 को जो अपना लिखित नोट दिया वह उस कमेटी के बिलकुल विपरीत नोट दिया। सचिव समिति के सदस्य भी नहीं थे। अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री काशीप्रसाद पाण्डे अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग होते तो सचिव इस प्रकार का नोट नहीं दे सकते थे जो समिति के प्रतिवेदन के विपरीत होता। अगर माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होती तो वे इस संबंध में प्रश्न उठाते। मैं समझता हूँ कि समिति के विरोध में इस प्रकार से आलोचनात्मक नोट देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन सचिव ने इस प्रकार का आलोचनात्मक आपत्तिजनक आचरण किया। आखिरकार विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाना पड़ा और उसकी कार्यवाही चल रही है।

दूसरी बात यह है कि दंगों के संबंध में काफी स्थगन प्रस्ताव आते हैं और शासन की ओर से कह दिया जाता है कि उन पर मेजिस्टीरियल इंक्वायरी चल रही है और हमें यह कहकर चर्चा करने से रोक दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने श्री काशीप्रसाद पाण्डे का कई बार ध्यान दिलाया कि इसमें 173, 174 धारा लागू होती है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अत्याधिक महत्वपूर्ण और कानूनी प्रश्न उठाये जाने के बाद भी श्री काशीप्रसाद पाण्डे जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि धारा 173-174 लागू होती है या नहीं? इतना ही नहीं जिस वक्त बुरहानपुर के दंगे पर चर्चा करने का समय आया उस समय केवल हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति का सवाल था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति का आदेश हुआ था। दंगों का प्रश्न होता है, सार्वजनिक जीवन-मरण का प्रश्न होता है लेकिन बार-बार हमको रोका गया बुरहानपुर के संबंध में प्रश्न आया हमारे परमानन्द जी गोविन्दजीवाला वहाँ के विधायक हैं वे प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने तीन-चार स्थगन प्रस्ताव दिये थे और तारीख 18 को अध्यक्ष ने कहा कि तीन प्रस्ताव आये हैं और दूसरे दिन कह दिया कि मैंने अग्राह्य कर दिया है। अगर अध्यक्ष महोदय को आपत्ति थी तो हमको कमरे में बुलाकर कह सकते थे कि इस प्रकार की बात आपत्तिजनक है। यह मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ इसलिये आप यह चीज इसमें से निकाल दीजिये। इसका हमें कोई संकेत न देते हुए उपाध्यक्ष महोदय, बुरहानपुर तहसील के दंगे के संबंध में तीन स्थगन प्रस्ताव आये थे तो उनका कर्त्तव्य था उनको पढ़ते लेकिन नहीं पढ़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी प्रकार से अध्यक्ष करने लग जायें तो फिर हम सार्वजनिक समस्याओं को किस प्रकार से शासन के सम्मुख रखेंगे? अगर इस प्रकार से बराबर अंकुश

अध्यक्ष द्वारा लगाया जायेगा तो मैं समझता हूँ फिर कोई भी विधायक अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर सकेगा, वह जनता की कठिनाइयों को शासन के समक्ष नहीं रख सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कभी उद्विग्नावस्था में किसी माननीय सदस्य से उत्तेजित भाषा का प्रयोग अध्यक्ष के प्रति हो गया होता तो जिन सदस्यों के द्वारा ऐसा हो गया है उन्होंने तुरन्त ही सदन में खड़े होकर अध्यक्ष महोदय से खेद प्रकट किया है। इस प्रकार से हमने अपने कर्त्तव्यों को निभाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि यह स्थान, अध्यक्ष का स्थान राजनीति से ऊपर है, इसलिये जिस दिन काशीप्रसाद पाण्डे अध्यक्ष चुने गये थे उसी दिन यदि वे राजनीति से हट जाते और काँग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते तो बात अलग होती लेकिन इस संबंध में उन्होंने कदम नहीं उठाया। जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है वह प्रश्न पूछना माननीय सदस्यों का अधिकार है। अभी मैंने उपाध्यक्ष महोदय, एक अपने जिले की समस्या को ध्यान आकर्षण के रूप में रखा तो एकदम उस प्रश्न को खटाखट उड़ाते चले जाना यह तो उचित नहीं है फिर किस प्रकार से हम अपने जिले और क्षेत्र की समस्याओं को शासन के सम्मुख रखेंगे। इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि श्री काशीप्रसाद पाण्डे अपने कर्त्तव्यों को निबाहने में पूर्णतया असफल रहे हैं। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, वे वयोवृद्ध हैं, उनके प्रति हमारा आदर है, उनसे हमारा व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है। वे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर हमारे विरोधी दल के सदस्यों का हित संरक्षण करने में सर्वथा असमर्थ रहे हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष को पद से हटाया जाये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (चुरहट) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान साहब ने अभी जो अध्यक्ष को पद से हटाये जाने का प्रस्ताव रखा है, मुझे उसका विरोध करने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं ढूँढे मिल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान साहब ने एक बड़ी बात कही कि अध्यक्ष महोदय, अभी भी काँग्रेस में बने हैं यह सत्य है कि वे काँग्रेस के मेम्बर हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस के मेम्बर नहीं हैं और न ही वे कभी काँग्रेस पार्टी की मीटिंग में शरीक होते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान साहब जरा इसको सोचें जहाँ इस प्रकार की कल्पना की जाती है कि अध्यक्ष किसी दल के न हों, वे किसी भी राजनीति से अलग हों तो वे स्थितियाँ क्या होती हैं? वहाँ विरोधी दल क्या करता है? क्या विरोधी दल की तरफ से मेरा मतलब विरोधी दल से, जनसंघ से है, क्या जनसंघ की तरफ से कभी भी यह ऑफर आया है कि यदि अध्यक्ष पार्टी से अलग हो जाये तो उनकी कांस्टीटुवैंसी में जनसंघ अध्यक्ष के विरुद्ध कोई सदस्य खड़ा नहीं करेगा? वैसे एकाध पार्टी की ओर से ऐसा आया है लेकिन जनसंघ की ओर से ऐसा ऑफर कभी नहीं आया और अगर इस तरह का कोई ऑफर जनसंघ की ओर से आता, यह तर्क की बात है कि जो अध्यक्ष हो वह अपने दल से त्यागपत्र दे दे, उस समय आपका कर्त्तव्य है कि आप भी उनको ऑफर दें आपको पहले यह ऑफर देना चाहिये था, न केवल काशीप्रसाद पाण्डे को बल्कि उनसे पहले भी कभी आपकी ओर से यह ऑफर नहीं दिया गया। यह ऑफर न देने के बावजूद आप यह स्टेन्डर्ड चाहते हैं कि वह अपने दल से इस्तीफा दे दें, आखिर उसको भी चुनाव लड़ना है, उस समय उसकी कौन मदद करने वाला है?

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : आपको भी तो अध्यक्ष बनाना चाहते थे?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसलिये अध्यक्ष एक दल का सदस्य होता है। जब वह दल का सदस्य रहता है तो आपको यह कहने का हक नहीं रहता कि वह अपने दल से त्यागपत्र दे दे। यह खुशी की बात है कि माननीय काशीप्रसाद पाण्डे, जैसा अभी सचेतक जी ने बताया कि वह दल के सदस्य नहीं हैं और दल की बैठकों में भाग नहीं लेते, इसकी उनको प्रशंसा करना चाहिये।

प्रधान साहब एक सफल वकील हैं उच्च कोटि के जनप्रतिनिधि हैं, बड़े निष्ठावान और बुद्धि से सोचते हैं यह उनमें गुण है। मैं उनके गुणों की प्रशंसा करता हूँ। वह एक अच्छे नेता हैं, नियंत्रण रखने में वह कुशल हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि अभी तक उनके समय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर जूता नहीं फेंका गया, यह प्रशंसा

की बात है और प्रधान साहब के नियंत्रण का फल है, नहीं तो क्या कर डाला होता? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पिट गये होते इसके लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनका शुक्रगुजार होना चाहिये कि आप बच गये।

श्री सूर्यदेव शर्मा : आप जूते खाने वाला उपाध्यक्ष चुन लेंगे तो फिर जूते खायेगा। यह तो योग्यता पर निर्भर करता है।

श्री बालकवि बैरागी : प्रधान साहब ने बैंच चौपट कर दी देख लीजिये कोई नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह तो केवल अध्यक्ष के रिमूअल का प्रस्ताव आया है नहीं तो जनसंघ न मालूम क्या कर डाले? यह जनसंघ की कार्यप्रणाली , मान्यता और आस्था है, इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, उनको यह करने का हक प्राप्त है।

प्रधान साहब सच्चे आदमी हैं, राजमाता चली गईं वह उस सीट को पकड़ कर बैठ जाते लेकिन आज भी वह उस सीट को प्रणाम करके बैठते हैं। ऐसे सज्जन आदमी द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया इसका मुझे थोड़ा-सा दुख जरूर है। दुख जरूर है कि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा इससे मुझे ताज्जुब हुआ।

अभी प्रधान साहब ने कहा कि हमने 300 स्थगन प्रस्ताव रखे उनमें से कुछ अग्राह्य हुए। 600 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे। मैं सबको छोड़ देता हूँ आपने 300 स्थगन प्रस्ताव रखे जिसमें से कुछ अग्राह्य हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँ कि प्रश्नकाल को छोड़ दीजिये यहाँ कुल कितने घण्टे बैठकें हुईं? 650 घण्टा। अगर अध्यक्ष महोदय आपके 300 स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य करते तो दो घण्टे के लिये चर्चा होती इस प्रकार 600 घण्टे आपके स्थगन प्रस्तावों को देते। कुल 50 घण्टे बाकी बचते जिसमें सारा बजट सारे विधेयक पर चर्चा चलती।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : अगर माननीय अध्यक्ष उसको पढ़कर शासन का वक्तव्य सुन लेते तो क्या वह यह नहीं कर सकते थे?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप ही क्या हर सदस्य यह चाहता है कि उनके स्थगन प्रस्ताव पर दो घण्टे चर्चा चले। इस प्रकार अध्यक्ष आपके स्थगन प्रस्तावों को 600 घण्टे दे देते तो 50 घण्टे में कानून, कायदे और बजट का काम होता क्या?

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष, तिवारी जी 650 घण्टे की बात करते हैं। हम लोग यहाँ जनता के प्रतिनिधि हैं, हो सकता है हमें जनता की गम्भीर समस्याओं को रखने के लिये 600 की जगह 1200 घण्टे लग जावें समय का इतना महत्व नहीं है जितना जनता की माँगों व समस्याओं को इस सदन में रखने का प्रश्न है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रधान साहब द्वारा यह शिकायत की गयी कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये, उनके ग्राह्य करने का एक बड़ा पुअर परसेंटेज रहा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लिये गये। अजीब बात है, क्या आप ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो केवल स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को ही लेता रहे व बाकी जितना शासकीय महत्वपूर्ण कार्य है उस सबको चौपट कर दे? मेरा उपाध्यक्ष जी निवेदन है कि विरोधी पक्ष के नेता में इतनी समझदारी होना चाहिये कि वह समझ सके कि अध्यक्ष का कर्त्तव्य इसके अलावा भी कुछ है कि वह केवल पूरे समय ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव ही चलने दे। वह भी सोच सकते हैं कि इसके अलावा भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनका संचालन अध्यक्ष महोदय को करना है। क्या हमारे विरोधी भाई एक नुमायशी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो सिर्फ स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण लेता रहे व सारे अन्य कार्य रोक दे। अगर यह स्थिति होती है तो माननीय उपाध्यक्ष जी बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जावेगी। यह जो आरोप माननीय अध्यक्ष पर लगाया गया है पूर्ण रूप से हास्यास्पद लांछन है। और खेद की बात तो यह है कि इस प्रकार आरोप हमारे वयोवृद्ध नेता प्रधान साहब द्वारा लगाया जा रहा है। अगर यही आरोप अन्य किसी सदस्य द्वारा लगाया गया होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती।

फिर इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान साहब ने शिकायत की कि अध्यक्ष महोदय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ रहे। स्वर्गीय मावलंकर जी ने जब वह अध्यक्ष थे और पहला चुनाव हुआ था तब यह कहा था कि जब विरोधी पक्ष बहुत छोटा हो तथा शासन पक्ष बहुत बड़ा हो, विरोधी पक्ष नगण्य हो तब अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विरोधी पक्ष को अधिक से अधिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करे। पर क्या आज हमारे यहाँ विरोधी पक्ष इतना छोटा है? क्या वह इतना नगण्य है? स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ के

विरोधी पक्ष तो कुर्सी तक लेने का हौंसला रखता है। पूर्व में विरोधी पक्ष कुर्सी पर भी बैठ चुका है। तो जब इतना बड़ा विरोधी पक्ष मौजूद है तो क्या तब भी अध्यक्ष महोदय की यह जिम्मेदारी रह जाती है कि वह उनकी ओर ज्यादा ध्यान रखें?

ऐसी स्थिति में तो अध्यक्ष के लिये दोनों पक्ष चाहे वह शासन हो अथवा विरोधी पक्ष हो बराबर हो जाते हैं। अब सवाल रह जाता है सदस्यों के अधिकारों की रक्षा का। मैं आपको याद दिलाऊँ, काँग्रेस सरकार थी, उसको उलटने का प्रयास हम लोगों ने सबने किया था और एक शंका व्यक्त की गई थी कि अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को खतरा है, शासन हम लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है, वोट ठीक से नहीं हो पायेंगे। हिन्दुस्तान में पहला अध्यक्ष मध्यप्रदेश का था जिसने, जो कर्त्तव्य उनका नहीं था, उतना हम लोगों को संरक्षण दिया, अपने बंगले में रखने की व्यवस्था की (काँग्रेस दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) काशीप्रसाद पाण्डे अध्यक्ष नहीं होते तो आप लोग मिनिस्टर नहीं बन पाते (काँग्रेस दल की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, बंगले में नहीं सुलाते तो यह संविद सरकार नहीं बनती।

श्री सूर्यदेव शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, काँग्रेसी समर्थन कर रहे हैं काका पाण्डे का, छाती पर पत्थर रख कर समर्थन कर रहे हैं (हँसी)।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : किसको सुलाया था?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम जो मंत्री बन चुके हैं, जिनको अभी मंत्रित्व पद पर पहुँचनाअसम्भव दिखता है वह सब मंत्री बन चुके हैं, आखिर अहसान नहीं मानते, आखिर कृतघ्नता की सीमा होती है। (काँग्रेस दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) उपाध्यक्ष महोदय, यह शिकायत की गई कि अध्यक्ष महोदय नियंत्रण नहीं रखते हैं सदन में। ठीक बात है। मैं भी शिकायत करता हूँ कि नियंत्रण नहीं रखते, कई लोगों ने शिकायत किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय का दुर्भाग्य है कि जो लोग कहते हैं कि नियंत्रण नहीं रखते वही ऐसा व्यवहार करते हैं जिस पर कि नियंत्रण होना चाहिये। काका पाण्डे इतने बूढ़े आदमी हैं तो क्या वे मार्शल का इस्तेमाल करें? आप जबरदस्ती कहते हो कि मार्शल का इस्तेमाल करो। जिसको अध्यक्ष महोदय बनाया है उसके कर्त्तव्य निर्वहन में आपको सहायता करना चाहिए।

श्री शीतला सहाय : बुड्ढ़े के बजाये जवान को अध्यक्ष बनाना चाहिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : बुड्ढ़े के बजाय जवान को बनाना पड़ा तो आपको अपना नेता भी जवान बनाना पड़ेगा। अच्छा है कि जवान नहीं बनाया नहीं तो वह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय में थोड़ी उदारता रही जिसको आप कहते हैं कि नियंत्रण करने में सख्ती नहीं बरती, यह शिकायत आपको हो सकती है। सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष महोदय भी जन प्रतिनिधि हैं सख्ती बरतें तो क्या बरतें? सब जानते हैं कि अध्यक्ष महोदय खड़े रहें तो किसी सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए। नूतन जी गवाह हैं वे कहते हैं कि मैं कार्यवाही नहीं चलने दूँगा।

श्री कृष्णकुमार नूतन : संसदीय परम्पराओं में रहना मैं उनसे ही सीखा हूँ लेकिन जब सदन में अनुचित काम हो रहा है तो औचित्य का प्रश्न उठा कर अध्यक्ष महोदय को टोका है। अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही रोक कर सुना है और समझा है। यही तिवारी जी विरोधी पक्ष में जब बैठते थे तब इस प्रकार की बातें नहीं करते थे और आज भी मंत्री पद के लालच में उनकी वकालत कर रहे हैं (जनसंघ दल की ओर से मेजों की थपथपाहट)।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई नूतन जी कितने नादान हैं यह देख लीजिये। अध्यक्ष की खुशामद से कहीं मंत्री पद भी मिलता है? मैंने मंत्री पद खुशामद से लेना सीखा नहीं।

श्री कृष्णकुमार नूतन : इसलिये तो संविद में भी नहीं मिला और न ही काँग्रेस में जाने से मिला।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अरे भाई मजा गड़बड़ हो रहा है, आप जरा सुनते चलिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक शिकायत और की गई कि गंगाराम जी का जो काण्ड हुआ उस पर मुख्यमंत्री वक्तव्य देना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष महोदय ने नहीं देने दिया। तो इस कारण से विरोधी दल चाहता है कि अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाये। बड़ी मुश्किल है। आप कहते हैं कि अध्यक्ष वही करते हैं जो शासन चाहता है तो आखिर बेचारा अध्यक्ष क्या करे?

अगर वह शासन का विरोध करता है तो और पक्ष लेता है तो दोनों में जुर्म होता है। हुआ होगा कोई गगाराम काण्ड, उससे मतलब नहीं है। अगर आप उस गंगाराम काण्ड से नाराज थे तो आप गंगाराम जी को निकालने का अविश्वास प्रस्ताव रख देते। गंगाराम कहीं सोते थे, क्या करते थे, तो इसके लिये बेचारे अध्यक्ष क्या करें? क्या सदन के कीमती समय को गंगाराम काण्ड में लगा देते। अध्यक्ष महोदय तब आप प्रसन्न रहते?

श्री रमेशचन्द्र दुबे : वह काण्ड नहीं था, वह प्रेम काण्ड था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : गंगाराम काण्ड हुआ या क्या हुआ, इसको छोड़िये। यदि ऐसे रद्दी विषयों पर अध्यक्ष सदन में चर्चा होने देते हैं तो उससे सदन की गरिमा घटती है। जिन माननीय सदस्य ने इस तरह का विषय यहाँ पर रखा तो उनको सोचना चाहिये था कि इस तरह के विषय सदन के नहीं होते। लेकिन उन्होंने रख दिया और जब रख दिया तो बेचारे मुख्यमंत्री जवाब देने खड़े हो गये। लेकिन अध्यक्ष इतने होशियार थे कि उन्होंने ऊटपटाँग बातों को सदन में नहीं होने दिया। मैं समझता हूँ कि आज तक किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर इतनी चर्चा नहीं हुई होगी जितनी कि इस गंगाराम काण्ड पर हुई। अध्यक्ष ने उस पर ज्यादा नियंत्रण किया और मुख्यमंत्री को वक्तव्य नहीं देने दिया। इस कारण हमारे विरोधी भाई नाराज हो गये और इसी बात पर अध्यक्ष को निकालने का प्रस्ताव रख दिया। इसलिये प्रधान साहब मेहरबानी करके फिर से इस विषय पर सोचिये क्योंकि आप भी बुजुर्ग हैं और अध्यक्ष भी बुजुर्ग हैं, आपको इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिये था। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप इसको वापस ले लें।

उपाध्यक्ष : माननीय तिवारी जी इस पर चर्चा दो बजे समाप्त होना है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं जल्दी समाप्त कर दूँगा।

श्री सूर्यदेव शर्मा : 2 बजे कैसे समाप्त होगी, अभी तो 1 1/2 घण्टा ही हुआ है?

उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 बजे तक का समय रहेगा।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : हमारे पक्ष का समय तिवारी जी को दे सकते हैं जितना देना चाहते हैं उतना।

उपाध्यक्ष : दो घण्टे के समय की घोषणा करते हुए मैंने स्पष्ट कह दिया था कि 2 बजे समाप्त हो जायेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : एक चार्ज यह लगाया गया कि जो भर्त्सना काण्ड हुआ उसमें एक कमेटी की रिपोर्ट हुई और एक नोट लग गया और इसलिये अध्यक्ष को निकाल दो। नोट लगा तो अध्यक्ष ने पार्टी को लिखा नहीं। आपने शिकायत की तो विशेषाधिकार समिति को फिर से वह भेज दिया जाँच के लिये। पता नहीं सचिव ने क्या किया या नहीं किया। इसके अलावा अध्यक्ष और कर ही क्या सकते थे? लेकिन इस पर भी नाराज हो गये इसलिये अध्यक्ष को हटा दिया जाये यह एक कारण बना लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, सारा झगड़ा शुरू होता है बुरहानपुर काण्ड से। उसमें यह हुआ कि दूसरी पार्टियों के जो स्थगन प्रस्ताव थे उनको अध्यक्ष ने पढ़ दिया और जनसंघ का नहीं पढ़ा, यह झगड़ा है। जनसंघ इस प्रकार से सांप्रदायिकता को उभाड़ कर अपनी राजनैतिक रोटी सेंकना चाहता है और इसी आधार पर स्थगन प्रस्ताव रखा था। यही कारण है कि अध्यक्ष ने उसको नहीं पढ़ा। मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष ने जो कुछ किया वह ठीक किया। किसी भी अध्यक्ष को यही करना चाहिये। आपका कहना है कि अध्यक्ष ने हमको बुलाकर पूछा क्यों नहीं? मैं कहता हूँ कि आप ईश्वर की शपथ लेकर आते हैं और यहाँ बैठते हैं तो इस प्रकार से सांप्रदायिक बातों को नहीं उभाड़ना चाहिये।

श्री रामहित गुप्त : इस प्रकार की वेग बातें नहीं कहना चाहिये। जो चीज सदन में पढ़ी नहीं गई है उसके कण्टेण्ट्स के बारे में आप जैसे व्यक्ति को कुछ कहना शोभा नहीं देता। आपको मालूम है कि पहले दिन अध्यक्ष ने कहा कि हमको तीन स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और दूसरे दिन कह दिया कि हमने अस्वीकार कर दिया है यह सरासर झूठ कहा गया था। तो इस प्रकार कहना आप जैसे आदमी को शोभा नहीं देता। आप प्रस्ताव को चाहे तो देख लें कि उसमें क्या लिखा है फिर कहिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस चीज को सदन में पढ़ा नहीं गया है उसको इस बहाने पढ़कर मैं आपको मौका देना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष का काम यह नहीं है कि साम्प्रदायिकता के आधार पर अपनी राजनैतिक रोटी यदि

कोई सेंकना चाहे तो अध्यक्ष उसकी इजाजत दे।

उपाध्यक्ष : ऑर्डर। प्रस्ताव में क्या लिखा है जब उसको सदन में पढ़ा नहीं गया तो वह साम्प्रदायिक है इस पर भी आप चर्चा नहीं कर सकते।

(विरोधी बेंचेज की ओर से तालियों की आवाज)

श्री रामहित गुप्त : अब समझ में आ गया होगा कि अध्यक्ष कैसा होना चाहिये?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अभी प्रधान साहब न होते आपके नेता तो मैं देखता कि कितना सम्मान करते हो अध्यक्ष का। उपाध्यक्ष महोदय, चार-पाँच साल हो गये और अब आखिरी वक्त है इस सत्र का भी तब आप यह प्रस्ताव लाये। अभी तक आपने अध्यक्ष से काम चलाया, चार-पाँच साल आपने बिता दिये तब तक आपको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं आया क्या?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं आपको यह बतलाना चाहूँगा कि पूर्व में भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा गया था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : समझ गया समझ गया— एक प्रस्ताव रखा गया और उसको प्रेस करने का आपने नैतिक साहस नहीं दिखाया। (तालियाँ)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष के सम्मान में ये लोग बिना सोचे समझे तालियाँ बजा रहे हैं क्या ये सब बड़नगर से आये हैं? उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी जी को मैं बताना चाहता हूँ कि समयावधि के कारण वह प्रस्ताव नहीं आ सका था, सत्र समाप्त हो गया था और नियमानुसार वह प्रस्ताव स्थगित हो गया था जैसा कि आपको नियमों के बारे में मालूम होना चाहिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : तो दूसरे सत्र में लाते जो सही और ठोस तथ्य हैं वह आपके सिर पर थोपे जायेंगे क्यों नहीं साहस किया दूसरे सत्र में लाने का?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आप चाहे जितना मक्खन लगायें अध्यक्ष को लेकिन आप मंत्री बनने वाले नहीं हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, जोशी जी ने अब उठाया है तो मैं फिर कहूँगा कि उनके प्रस्ताव में कुछ ठोस आधार थे तो उसको उन्होंने दूसरे सत्र में क्यों नहीं उठाया?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मक्खनबाजी के आवेश में इतना मत भूलिए तिवारी जी आपके मुख्यमंत्री ने सत्र तो पाँच दिन का बुलाया था तो क्या उसमें वह प्रस्ताव हम प्रेस कर सकते थे? चौदह दिन का सत्र होता तो हम उसको उस समय ही प्रेस करते।

श्री शीतला सहाय : श्री तिवारी जी बड़े विद्वान और ज्ञानवान हैं लेकिन अब यह अज्ञानता की बात क्यों कर रहे हैं यह समझ में नहीं आता?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : ये चीजें तुम्हारी समझ में कैसे आ सकती हैं? अगर मैं कव्वाली गाता तो तुम्हारी समझ में आती? यह तो तर्क की बात है।

(विरोधी पक्ष की ओर से वाह-वाह की जोरदार आवाजें)

देख लीजिये लगे वाह-वाह करने बिना सोचे समझे।

श्री परमानन्द गोविंदजीवाला : बालकवि बैरागी की कव्वाली सुनकर तो हम लोग वाह-वाह करते हैं उससे आपको क्यों जलन हो रही है?

श्री बालकवि बैरागी : इस चुनाव में जनसंघ दिवालिया साबित हुआ है इसलिये यह प्रस्ताव लाकर अपना दिवालियापन छुपाना चाहते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण का अन्त करते हुए इतना निवेदन करूँगा कि प्रधान साहब आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये, नहीं तो एक बहुत बड़ी बदनामी जनसंघ की होगी। यह माना जायेगा कि यह प्रजातन्त्र को उखाड़ना चाहते हैं क्योंकि यह प्रजातन्त्र के पवित्र देवता पर चोट करना होगी और इसलिये जनसंघ को बहुत बड़ी क्षति होगी, जनसंघ आम चुनाव में बैठ जायेगा इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए।

श्री सूर्यदेव शर्मा (सेंवढ़ा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी अपनी गाड़ी जिस लाइन पर ले जा रहे थे, मैं उससे इंजिन को नीचे नहीं उतारना चाहता। मैं उस देवता को, जिसकी उन्होंने इतनी स्तुति की है, उसके प्रति हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है और मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये ही खड़ा हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस देवता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये बहुत दिनों से सोच रहा था। कोई अवसर आ नहीं रहा था। न विधानसभा के प्रोग्राम में, न परम्परा कोई ऐसी है कि चाहे जब कोई सदस्य अध्यक्ष के विरुद्ध या पक्ष में श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, इसलिये मैं नहीं कर सका। आज प्रधान जी के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से दो शब्द बोलने का मौका मिला है। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के देवता को तुलसीदास, बाबा तुलसीदास के ब्रह्म से भी बड़ा मानता हूँ। स्वयं मैं तो देवता मानता हूँ, दूसरे भले पत्थर मानते हों, मैं अपनी तरफ से देवता मानता हूँ, अपनी अपनी श्रद्धा है। उपाध्यक्ष महोदय, बाबा तुलसीदास ने लिखा है :—

"पगु बिनु चले, सुने बिनु काना"

हमारा ब्रह्म बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है, उतना तो सर्वशक्तिमान ब्रह्म नहीं है हमारा, लेकिन तिवारी जी का देवता तो अवश्य ही कान रहते हुए भी नहीं सुनता है और उसमें यह भी गुण हैं कि चाहे तो सुन भी ले। ऐसा देवता तो कहीं भी ढूँढे नहीं मिलेगा। सिद्धपीठ है यह, चाहे तो सुन ले, चाहे तो न सुने। बाबा तुलसीदास ने यह भी कहा है कि :—

"बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी"

बोलता नहीं है, लेकिन वक्ता है, स्पीकर है, वह वक्ता है। ऐसे सर्व सामर्थ्यवान को ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो श्रद्धांजलि नहीं देगा। यह जनसंघ वाले पत्थर का देवता मानते हैं, भाई मानते रहें, हमारी तो श्रद्धा है। तुलसी बाबा कहते हैं ब्रह्म और मैं कहता हूँ "महाब्रह्म"। काँग्रेस वाले बड़ी अपार श्रद्धा रखते हैं चार साल से। देखो, पेंसल लिये नोट कर रहे हैं। अर्जुनसिंह जी नोट कर रहे हैं, जैसे मालूम होता है कि अध्यक्ष फाँसी पर चढ़ जायेंगे, ये उनको बचाने के लिये बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि बाबा तुलसीदास यहाँ दर्शन कर लेते इस बाबा के तो चित्रकूट में दर्शन करने नहीं जाते, यहीं चन्दन थोप देते। राजनीति का क्या कहना? इशारे से कहा गया, काँग्रेस के हैं, इसलिये लपेट के कहा गया। उनके समर्थक पं. द्वारकाप्रसाद थे जिनको चाणक्य कहते हैं।

ACC. No. 26923

अभी जब बजट पर जनरल डिस्कशन हो रहा था उस समय मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काका कहीं छुट्टी चले जायें तो बोलने का अवसर मिले। तो भगवान की कृपा से वे चले गये और जब आप बैठे थे उस समय मुझे बोलने का अवसर मिला। एप्रोप्रियेशन बिल पर जब बहस हो रही थी उसके लिये 5 घण्टे का समय रखा गया था हमारा दल लोक सेवक दल जो कि 13 सदस्यों का दल है उसके लिये भी समय दिया जाना चाहिये। जब मैं अध्यक्ष से मिला तो उन्होंने कहा कि आप नहीं बोल सकेंगे क्योंकि समय नहीं है। मैंने कहा कि हमारे 13 सदस्यों का दल है उसको तो समय दिया जाना चाहिये लेकिन मना कर दिया कि समय नहीं दूँगा।

श्री विनयकुमार दीवान : आपका समय तो जनसंघ वालों को उन्होंने दे दिया।

श्री सूर्यदेव शर्मा : **..... **..... किसी को भी दिया हो चाहे काँग्रेस को दिया हो चाहे जनसंघ को दिया हो लेकिन हमारे दल को भी तो समय मिलना चाहिये लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। इसी प्रकार से सदन की जो समितियाँ होती हैं उनके सदस्यों को अध्यक्ष नॉमीनेट करते हैं। जिनका चुनाव होता है उसके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है परन्तु जिनको अध्यक्ष नॉमीनेट करते हैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष : कमेटियों के बारे में आप इस समय नहीं कहेंगे।

श्री सूर्यदेव शर्मा : जो कमेटी अध्यक्ष द्वारा नॉमीनेट की जाती है, उसमें जो पक्षपात किया गया है उसके बारे में नहीं कह सकते हैं?

उपाध्यक्ष : इस समय केवल उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी जो प्रधान जी ने दिये हैं, उसके अतिरिक्त नहीं होगी।

श्री सूर्यदेव शर्मा : प्रधान जी ने तो कहा है कि अध्यक्ष को हटा देना चाहिये। मैं वे कारण बता रहा हूँ जिनके कारण से हटाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष : ऐसा नियम है कि जो भी आप आरोप लगाना चाहते हैं उसकी पूर्व सूचना सदस्य द्वारा अध्यक्ष को देना चाहिये।

श्री सूर्यदेव शर्मा : जो व्यक्ति भारत की राजधानी दिल्ली में सारे भारत की राजनीति अपने हाथ में लेकर बैठा है? उस महान राजनैतिक ने निजलिंगप्पा और देसाई को बैठा दिया और इन्दिरा गांधी को आसमान पर पहुँचा दिया, आज लोग इन्दिरा गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। उस महान चाणक्य को भी इन महाराज ने धूल चटाई है।

श्री कृष्णकुमार नूतन : शर्मा जी, आपकी बात सुनकर मुख्यमंत्री जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : यह गोविन्द नारायणसिंह जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका उन्होंने बहुत उपकार किया है। इसलिये यहाँ पर यह लिख रहे हैं, उन्होंने इनका साथ दिया था। यह ठाकुर आदमी हैं मित्र की विपत्ति में यह साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? इस समय काका पर आपत्ति आई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिये यह यहाँ पर विराजमान हैं। होना भी चाहिये। तुलसी बाबा ने कहा है कि "आपत्त काल परखिये चारी, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी।" उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है तिवारी जी के देवता की। यहाँ पर जो पत्रकार रोज आते हैं और जो शासन के ऑफीसर्स आते हैं वे तो यहाँ की बातें सुनकर आदी हो गये हैं। इस विधानसभा को मछली बाजार बना दिया गया है। जो बाहर से गाँव वाले आते हैं हमारे वोटर्स, जब वे लोग यहाँ का हाल देखते हैं तो कहते हैं कि आपकी विधानसभा से तो हमारे गाँव की पंचायत अच्छी है। उसमें अनुशासन है, उसमें कुछ नियम हैं वहाँ पर सब काम अच्छी तरह से होता है, इस प्रकार से हो हल्ला वहाँ नहीं होता है। यहाँ विधानसभा में सदस्य खड़े हुए कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, परन्तु उनकी कोई सुनता ही नहीं है। जब हो हल्ला समाप्त हो जाता है और सदस्य थक कर बैठ जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय आर्डर आर्डर चिल्लाते हैं, उसके पहले चुपचाप बैठे रहते हैं।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अब आप बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सूर्यदेव शर्मा : मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ अध्यक्ष का क्योंकि मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। वे मुझे कभी भी बोलने का समय ही नहीं देते हैं।

उपाध्यक्ष : आप अध्यक्ष पर लगाये गये अभियोगों तक ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री सूर्यदेव शर्मा : हम यहाँ पर अभियोग नहीं लगा रहे हैं तो क्या उनकी जय-जयकार कर रहे हैं। कमेटियों में पक्षपात किया है यह मुझे कहना था वह तो नोट हो ही गया है। यदि आप मुझे नहीं बोलने देते हैं तो मत बोलने दीजिये। मेरा कहना यह है कि यही केवल अध्यक्ष नहीं है और भी विधान सभाएँ हैं, पार्लियामेंट है वहाँ भी अध्यक्ष हैं, इन सबकी हालत यही है। उत्तर प्रदेश में भी श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन वहाँ के अध्यक्ष थे उस समय मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने उन पर मौखिक अविश्वास प्रकट किया तो वे कुर्सी छोड़कर हट गये और उन्होंने कहा कि यदि एक भी सदस्य मुझ पर अविश्वास प्रकट करता है तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूँगा। इसके बाद सारे मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उनसे माफी माँगी तब जाकर वे कुर्सी पर बैठे। एक ये अध्यक्ष हैं, उनको काँग्रेस की टिकिट के लिये शुक्ल जी के हाथ जोड़ना पड़ेगा, इसलिये जनसंघ का गला दबाओ और सूर्यदेव को बोलने मत दो और उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे काँग्रेसी मन ही मन यह जाप कर रहे हैं कि यह बुड्ढा कब टल जाये परन्तु चूँकि व्हिप ईशू हो गया है, और इज्जत का सवाल है और चूँकि जनसंघ की ओर से आया है, वह विरोधी दल है इसलिये इसका विरोध तो करना ही है। जैसे कि हमारे शाकिर अली सा. हैं, चूँकि जनसंघ की ओर से आया है इसलिये वे इसका विरोध करेंगे ही।

श्री शाकिर अली खाँ : पण्डित जी जनसंघ का सवाल नहीं है, हम और वो तो एक ही वर्ग के हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : **.....**

उपाध्यक्ष : बुड्ढा, रोजी रोटी, आदि व्यक्तिगत आक्षेप आपको नहीं करना चाहिये।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, बुड्ढा शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री सूर्यदेव शर्मा : जब से ये अध्यक्ष बने हैं तब से डिसिप्लिन तो इस विधानसभा में से उड़ गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप कितने सुन्दर हैं, इस विधानसभा में लोगों की कमी नहीं है किसी अच्छे सुन्दर आदमी का चुनाव कर लीजिये। ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी में दिवाला निकल गया है। हमारे रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह हैं उन्होंने सब कुछ रट डाला है। तिवारी जी हैं, गोविन्द नारायणसिंह जी हैं वे तो जब बनेंगे तब मुख्यमंत्री ही बनेंगे और भी हैं अर्जुनसिंह जी हैं, कई योग्य सदस्य हैं। आपके पास तो बहुमत है, हम तो सौ हैं और आप दो सौ हैं, एक-एक पर दो-दो, प्रस्ताव तो पास नहीं होगा। आप कहेंगे कि थोड़े दिन और हैं। क्यों, बीमारी है तो कब तक चलेगी, सिरदर्द है, तो क्यों सहन करते हो? 6 महीने हैं उपाध्यक्ष ही काम चला सकते हैं, इनसे पिण्ड छुड़ाओ। प्रस्ताव आया ही है आप भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। इतनी ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी हमारे प्रखर वक्ता साथी श्री सूर्यदेव शर्मा ने जिन शब्दों में इस प्रस्ताव का समर्थन किया, उसमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद प्रधान साहब को इस बात का भलीभाँति परिचय हो जाये कि उनका यह प्रस्ताव कितना हास्यास्पद है इसलिये यह आवश्यक था कि शर्मा जी इस प्रकार का भाषण दें ताकि सदन में सिवाय हँसी के और कुछ न हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री प्रधान साहब ने जिस पृष्ठभूमि को सदन को बतलाकर इस प्रस्ताव को पेश किया और सदन से यह आग्रह किया, यह अपेक्षा की कि यह सदन इस प्रस्ताव को मंजूर करे, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह पृष्ठभूमि प्रजातंत्र प्रणाली को चलाने के लिये बहुत आवश्यक है। उससे भी ज्यादा आवश्यक बात यह है कि जिस पृष्ठभूमि पर हम सब सदस्य यहाँ चुनकर आये हैं, इस सदन में अपने आचरण द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा सदैव इस बात का ध्यान रखें कि उस पृष्ठभूमि में हम काम करते हैं या नहीं? क्या यह केवल संयोग है कि मध्यप्रदेश के इतिहास में अध्यक्ष के विरुद्ध यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जिस पर चर्चा हो रही है और ये दोनों अविश्वास प्रस्ताव जनसंघ पार्टी की ओर से लाये गये। क्या यह एक मात्र संयोग है या यह इस बात का द्योतक है कि प्रजातंत्र में जो विभिन्न भूमिका निभाने के लिये हम यहाँ बैठे हैं चाहे अध्यक्ष के नाते, चाहे सदन के नाते, चाहे विरोधी दल के नेता के नाते या साधारण सदस्य की हैसियत से उस भूमिका के निभाने में जनसंघ के हमारे साथी असफल रहे हैं? मैं माननीय प्रधान साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी एक व्यक्ति के बारे में उसके गुण-दोषों की चर्चा करना एक साधारण बात है और हम सब इस प्रकार के मानवीय गुण-दोषों से भरे हुए हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम गलती करते हैं, कभी जो आपके सामने गलती होगी, दूसरा पक्ष उसे सही मानेगा और कभी जिसे आप सही मानते हैं उसे दूसरा पक्ष गलती मानेगा। हमें इस माध्यम से विधानसभा के अध्यक्ष के आचरण की जाँच करना उचित नहीं है। यदि हमें विधानसभा के बनाये हुए प्रथम पुजारी के कार्यकलापों को देखना है तो हमें उनकी सही भूमिका को देखना होगा जिसको निभाना अध्यक्ष के लिये प्रजातंत्र में आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिये अवसर न मिला होगा, अध्यक्ष ने अवसर न दिया होगा। मैं यह भी मानता हूँ कि कभी-कभी किसी प्रस्ताव पर हम जिस उत्तरदायित्व को लेकर यहाँ आये हैं उस दायित्व को निभाने के लिये माननीय सदस्य को अवसर न मिला होगा, माननीय अध्यक्ष ने अनुमति न दी होगी। क्या इतना ही पर्याप्त है? क्या इतने पर ही सदन में खड़े होकर यह कह देना कि हमें अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है, उचित है? हम शासन पर अविश्वास लगा सकते हैं क्योंकि शासन पर ही प्रदेश की जनता के कल्याण का दायित्व है, शासन के कार्यों का जनता पर प्रभाव पड़ता है। प्रदेश की जनता ने निर्णय लेकर जिसके हाथ में शासन सूत्र दिया है यदि वह शासन चलाने में असमर्थ है तो उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं और उससे प्रदेश की जनता को अवगत करा सकते हैं, किन्तु जिस व्यक्ति को हम सबने एक मत से अपने विधानसभा का कार्य संचालन करने के लिये नियुक्त किया है उस पर इतनी आसानी से अविश्वास प्रस्ताव लाना कम से कम प्रधान साहब से अपेक्षित नहीं है, उनके दल से अवश्य इस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती थी। अभी आपने कहा कि सन् 67 में अध्यक्ष को हमने चुना और चुनाव के 3-4 महीने पश्चात् बिलकुल अप्रजातांत्रिक तरीके से जनता के दिए हुए निर्णय को उलटने

में इस प्रदेश के अन्दर एक काम हुआ, हमने उसको प्रजातांत्रिक आवरण देकर बर्दाश्त किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा जिस समय 19 जुलाई, 1967 को 'दलबदल' के द्वारा यह परिस्थिति घटित हुई इस विधानसभा में कि जो शासन बहुमत में चुनकर आया था वह अल्पमत में हुआ और उसके दस बारह दिन बाद जो घटनाएँ इस विधानसभा में हुईं उसके पश्चात् जब नया शासन आरूढ़ हुआ तो पहला काम जो अध्यक्ष ने किया वह यह कि अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की। शायद प्रधान साहब को स्मरण न हो, उनके साथ सन् 57 में इस विधानसभा में काम कर चुका हूँ, इसलिये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी मनोभावना क्या है और वह किस तरह से काम करना चाहते हैं लेकिन और साथियों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ इसी विधानसभा में हमारे भाई गोविन्द नारायणसिंह मुख्यमंत्री के रूप में थे और जिनके लिए आपने स्थान खाली कर रखा है श्रीमती विजयाराजे सिंधिया ने यह व्यक्त किया था कि श्री पाण्डे को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उन पर पूरा विश्वास है। यह इस बात का द्योतक है कि भले ही सभी प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को तोड़कर वह शासन आरूढ़ हुआ हो लेकिन सदन के अन्दर अध्यक्ष की मर्यादा कायम करना उस शासन ने भी उपयुक्त समझा। इसलिये उनकी इच्छा व्यक्त करने के बाद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री और आपके नेता ने उचित समझा कि अध्यक्ष बने रहें। उन्हीं के लिये आप आज कहते हैं कि वे सर्वथा अयोग्य हैं। मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता कि कौन किसकी बदौलत कुर्सी पर बैठा है लेकिन जब संक्रामक काल आता है तभी किसी की निष्पक्षता देखी जाती है। जिस समय वह काण्ड हुआ, हम काँग्रेस के लोगों में बहुत रोष था और जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को अपने घर में रहने दिया, जिस प्रकार से वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई वह सब सर्वथा अनुचित था, हमने अपने विचार उनके सामने व्यक्त किये लेकिन हम जिस बात को अनुचित कहते हैं चूँकि अध्यक्ष ने उसको नहीं माना इसलिये सीधे अध्यक्ष के ऊपर प्रहार करें, यह ठीक नहीं है। प्रधान साहब ने प्रजातंत्र की दुहाई दी। प्रजातंत्र मर्यादाओं का पुंज है। यदि इनमें से एक का भी उल्लंघन करेंगे, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और अपने स्वार्थ को प्रजातंत्र के स्वार्थ से बड़ा मानकर चलते हैं तो वह प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है न कि काशीप्रसाद पाण्डे!

श्री रामहित गुप्त : जो संकल्प रखा गया है क्या वह सदन के नियमों के विपरीत है या अप्रजातांत्रिक है? आप जो चर्चा कर रहे हैं उससे लगता है कि हमने अप्रजातांत्रिक तरीका अपनाया।

श्री अर्जुनसिंह : साथी रामहित को भ्रम होना स्वाभाविक है क्योंकि जब पृष्ठभूमि और मन में प्रजातंत्र को पोषण करने की इच्छा हो और उसके मजबूत करने की इच्छा हो तो ऐसा भ्रम उत्पन्न नहीं करेंगे यह मैं मानता हूँ कि नियमों के अनुसार है। मैं आपको याद दिलाता हूँ हमारा आपका प्रजातंत्र केवल 23 वर्ष पुराना है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : अध्यक्ष द्वारा सदन का कार्य रूल्स के अन्तर्गत चलता है क्या?

श्री अर्जुनसिंह : विश्व में सबसे पुराना प्रजातंत्र ब्रिटेन का है और उस प्रजातंत्र में हाउस ऑफ कॉमन्स के अन्दर कितनी बार पिछले चार-पाँच सौ वर्षों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया है? इसको जरा पढ़कर देखें।

श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : वहाँ पर एक बात यह मानी गई कि स्पीकर द्वारा जो रूलिंग दी जाती है हाउस उसको डिसअप्रूव कर सकता है लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि यह प्रोसीजर लाने की कोशिश की गई तथा जिस रूलिंग से हम सहमत नहीं तो उसको भी सदन में नहीं आने दिया। आखिर में जो प्रजातांत्रिक मान्यता होती है उसके अनुसार चलेंगे या नहीं?

श्री सूर्यदेव शर्मा : मैं माननीय अर्जुनसिंह से पूछना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष का आचरण सन्देह से परे होना चाहिये या नहीं? हर सदस्य को उसके प्रति विश्वास पैदा हो यह उनका कर्त्तव्य नहीं है?

श्री अर्जुनसिंह : मैं वही कह रहा हूँ। श्री काशीप्रसाद पाण्डे के अध्यक्ष काल में पिछले 4 वर्षों में कई राजनैतिक उलटफेर हुए। उनका जो आचरण रहा उसको निष्पक्ष नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जहाँ तक उपाध्यक्ष महोदय, नियम का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये, कई एडजर्नमेंट मोशन दिये उन्हें नामन्जूर कर दिया, मैं यह नहीं कह सकता कि किन माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण दिये, किन माननीय सदस्यों ने एडजर्नमेंट मोशन दिये, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूँ अगर उनके एडजर्नमेंट

मोशन मन्जूर नहीं किये गये तो उसके लिये दूसरी प्रक्रिया हो सकती थी, जिसके द्वारा सार्वजनिक हित के मामले को उठाया जा सकता था। अभी प्रधान जी ने कहा बुरहानपुर के संबंध में कोई एडजर्नमेंट मोशन था, उसमें क्या था, यह तो मुझे नहीं मालूम यदि उसको नहीं लिया गया तो उसके लिए दूसरे अवसर मौजूद थे और मौजूद रहते हैं जिनके जरिये ध्यान दिलाया जा सकता है।

श्री शीतला सहाय : मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यदि किसी प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार नहीं किया तो क्या वे अपने कक्ष में बुलाकर अग्राह्य करने की जानकारी नहीं दे सकते थे कि किस कारण से उन्होंने अग्राह्य किया?

श्री अर्जुनसिंह : यह तो बहुत छोटी बात है, यदि उन्होंने बताने से इन्कार किया था तो फिर आपको जानने के अवसर रहते हैं आप पूछ सकते थे कि क्यों नामंजूर किया।

श्री रामहित गुप्त : मैं आपको बता दूँ पहले दिन स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य नहीं किया था, दूसरे दिन शासन के दबाव के कारण उसको अग्राह्य किया गया।

श्री परमानन्द गोविंदजीवाला : मैं आपको बता दूँ, वह मेरा प्रस्ताव था, उस दिन 3 प्रस्ताव थे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं इसका निर्णय दूसरे दिन दूँगा। पहले दिन मन्जूर कर दूसरे दिन अग्राह्य कर दिया। मेरे प्रस्ताव में प्रधान जी के हस्ताक्षर थे, उसको मुख्यमंत्री जी के कहने पर अग्राह्य कर दिया।

उपाध्यक्ष : अब केवल 10 मिनिट बचे हैं मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे, आप आप बैठ जायें।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि जो प्रस्तावक हैं उसको ही जवाब देने का मौका मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक को ही अन्त में जवाब देने की प्रक्रिया है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रस्ताव में क्या है और क्या नहीं इस पर तो मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रधान साहब जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आगे की तारीख में दस्तखत किये थे।

उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, वह मामला प्रिविलेज़ कमेटी को सौंपा गया था और उसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो गई है। इसलिये माननीय सदस्य उस पर चर्चा न करें क्योंकि उसके लिए अलग से प्रक्रिया है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि उस समय काका पाण्डे जो, हमारे स्पीकर हैं श्री प्रधान ने उनके आगे बहुत हाथ-पैर जोड़े कि उस मामले को वापस कर लें लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसी बात से नाराज होकर श्री प्रधान यह अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं।

श्री परमानन्द गोविंदजीवाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चा में सदन के एक सदस्य की हैसियत से भाग लेना चाहते हैं अतः उचित होगा कि पहले मंत्री जी बोल लें और फिर बाद में प्रधान साहब, जो प्रस्तावक हैं, उन्हें मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष : जहाँ तक मेरी जानकारी है, शासन का उत्तर अंतिम होता है। अगर गलत हो तो मैं अपने को संशोधित भी कर सकता हूँ। पहले प्रस्तावक बोल लें और फिर सदन के नेता जवाब दे दें। यही स्वस्थ परम्परा है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह प्रस्ताव और प्रस्तावों से भिन्न भले ही हो लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कन्वेन्शन्स यही है कि यदि कोई भी प्रकरण सदन में आता है तो सदन के नेता यदि बोलना ही न चाहें तो बात दूसरी है लेकिन यदि बोलना चाहते हैं तो वे अन्त में ही उत्तर देते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पहले से यही परम्परा है कि मुख्यमंत्री का उत्तर ही अन्तिम होता है।

श्री राघव जी : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक को अन्त में उत्तर देने के लिए समय मिलना चाहिए।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का जो विरोध हुआ है उसमें संसदीय व्यवस्था के बड़े अनुभवी श्री चन्द्रप्रताप तिवारी जी ने बड़ी गम्भीरता से अपने विचार प्रकट किये हैं और वे विचार उन्होंने अंकगणित के जोड़ बाकी पर किये हैं। उन्होंने कहा कि 698 स्थगन प्रस्ताव यदि ग्राह्य किये जायें तो जो 137 बैठकें सदन की हुईं उनका सारा समय स्थगन प्रस्तावों पर ही लग जाता लेकिन इस अंकगणित के आधार पर माननीय सदस्यों के अधिकारों का किस प्रकार से रक्षण किया जा सकता है? जहाँ तक स्थगन प्रस्ताव का समय

का प्रश्न है वह तो दो-दो मिनट में और एक-एक मिनट का ही समय लेते हैं। आवश्यकता इस बात की होती है कि शासन का उस तत्कालीन समस्या के संबंध में क्या रुख है, वह पता लगाया जाये कि शासन उस पर क्या कार्यवाही करने जा रहा है। इस पर सदस्यों का समाधान हो जाता है। इसमें दो घण्टे का समय नहीं लगता केवल दो मिनट में भी माननीय सदस्यों का शंका समाधान हो सकता है। उसके लिये दो घण्टे की शिकायत नहीं है, केवल दो मिनिट ही काफी हैं। तो यह लेकर चलना कि स्थगन प्रस्ताव को दो घण्टे का समय देना यह हमारे यहाँ कहीं नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो यह कहना कि सदन में सार्वजनिक समस्याओं को रखने का अधिकार प्रत्येक माननीय सदस्य का होता है, उससे जनता का विश्वास निर्माण होता है कि सदन में यह समस्या आई थी और इस पर मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का आश्वासन दिया था। वह मध्यप्रदेश की करोड़ों जनता का आश्वासन हो जाता है तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और अंकगणित करके यह कहा जावे वह उचित नहीं है। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार अंकुश लगाना और जिस काम के लिये हमें जनता ने चुना है उसकी रक्षा न करने देना यह हमारा अध्यक्ष महोदय पर आरोप है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। काफी देर से इस पर चर्चा हो रही है और अब यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर जो अपने कार्यकाल में काम किया वह अपनी एक विशिष्ट प्रणाली से काम किया, उनके काम करने की एक खास प्रणाली थी, उससे उन्होंने काम किया। उसमें गुण-दोष हो सकते हैं, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सदन के विरोधी दल के सदस्यों को अध्यक्ष महोदय ने एकोमोडेट किया है जैसा आज तक मध्यप्रदेश के इतिहास में किसी भी अध्यक्ष ने नहीं किया। जहाँ तक शिकायत का सवाल है तो शिकायत हो सकती थी तो शासन पक्ष के लोगों को शिकायत हो सकती थी। सदन में जो एडजर्नमेंट मोशन आते हैं उनको अध्यक्ष महोदय, कभी पढ़कर सुना देते हैं और कभी नहीं सुनाते हैं। बराबर उन्होंने विरोधी दल को मौका दिया है। फिर भी यहाँ प्रधान साहब इस प्रकार से शिकायत करते हैं यह बड़ी विडम्बना है। विरोधी दल के सदस्यों को जितना भी संभव हो सकता था अध्यक्ष महोदय ने एकोमोडेट करने की कोशिश की है और उनके सम्मान की रक्षा की है, उनको रंज न हो इसका उन्होंने ध्यान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यहाँ संविद शासन हुआ उस समय कोई शिकायत हो सकती थी लेकिन वह ऐसा कीर्तिमान है जिसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है। फिर भी जिस ढंग से उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव यहाँ पर प्रधान साहब ने पेश किया है उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि यह केवल जनसंघ पार्टी की मनोवृत्ति है, आक्रामक मनोवृत्ति है, असहिष्णुता की मनोवृत्ति है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जनसंघ को प्रजातंत्र में कतई विश्वास नहीं है। यह समय-समय पर साबित करने का मौका मिल चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक दंगे को लेकर अगर कोई एडजर्नमेंट मोशन आते हैं तो उस पर अध्यक्ष महोदय की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके कारण कहीं कोई ऐसा वातावरण पैदा न हो जाये जिससे कि सारे देश पर उसका असर पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ बुरहानपुर संबंधी स्थगन प्रस्ताव में क्या था? उसकी कल्पना की जा सकती है। तो जो साम्प्रदायिकता को लेकर इस प्रकार के प्रस्ताव लाये जा सकते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जनसंघ को न तो प्रजातंत्र में विश्वास है और न सेकुलर स्टेट में विश्वास है। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय ने विरोधी दल को एकोमोडेट किया और सहयोग दिया उसके विरोध में जो यह प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"इस सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री काशीप्रसाद पाण्डे सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करने में असमर्थ रहे हैं, अतः उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जावे।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(म.प्र. विधानसभा कार्यवाई/10 अप्रैल 1971, पृष्ठ- 1474-1490)

वर्षाकालीन सत्र 20 सितम्बर 1971 को प्रारम्भ हुआ। 21 सितम्बर को राजस्व मंत्री श्री

कृष्णपाल सिंह ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित चौबीसवाँ संविधान संशोधन विधेयक सदन के अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए जनसंघ दल के श्री नरेशचन्द्र जौहरी के तर्कों का खण्डन किया और अपने वक्तव्य में इस संशोधन को समाजवादी समाज की रचना के लिए महत्वपूर्ण निरूपित किया—

श्री कृष्णपाल सिंह (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1971 के द्वारा भारत के संविधान मे किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 के परन्तुक तक की व्याप्ति के अन्तर्गत है, का अनुसमर्थन करता है।"

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1971 के द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 के परन्तुक की व्याप्ति के अन्तर्गत है, का अनुसमर्थन करता है।"

श्री कृष्णपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के संसदीय इतिहास में यह बहुत ही क्रांतिकारी संकल्प प्रस्तुत हुआ है और माननीय सदन के सभी सदस्यगण ऐसा समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार जो भी संविधान का संशोधन पास होता है उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा तथा देश के सभी राज्यों के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों से इसे पास कराना चाहिये रेटिफॉय कराना चाहिये और इसलिये इस सदन में यह संकल्प प्रस्तुत हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए मैं निवेदन करूँगा कि आखिर वह कौन-सी परिस्थितियाँ सामने आयीं जिनके कारण अपने संविधान में इस प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। माननीय सदस्यगण सभी यह जानते हैं कि यह कोई पहला संशोधन नहीं है, यह चौबीसवाँ संशोधन है। पर इससे पूर्व जो संशोधन हुए हैं उनमें चर्चा हुई पर इतना महत्व उन्हें नहीं दिया गया जितना इस संशोधन को दिया गया है।

उसके बहुत से कारण हैं। मैं उन पर माननीय सदस्यों के समक्ष प्रकाश डालना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में प्रमुख रूप से परिवर्तन होने के लिये अनुच्छेद, धाराएँ, आर्टिकल जो संविधान की हैं वे हैं 13, 111 और 368, इन सबके बारे में स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि क्यों, इतनी तेजी से विरोध पक्ष के लोगों ने इनका विरोध किया। अध्यक्ष महोदय, यह तो स्वाभाविक ही है कि जब समाज में कोई क्रांतिकारी कदम उठाया जाता है जिससे कि सर्माएदार और विशेष सुविधा प्राप्त लोगों के अधिकारों पर चोट लगने वाली होती है, तो वे इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले जैसा कि हम सबने यह देखा कि, दो महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी कदम हमारी नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उठाये गये, जिनमें से एक था बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरा था, भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार और शाही थैली की समाप्ति। जब से इन दो कदमों को उठाने का निर्णय हमारी देश की सरकार ने लिया, तब से इस देश के तरक्की शुदा लोगों ने इसका विरोध किया। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो वह तबका है, जो कि अपनी गरीबी दूर करने में सक्षम नहीं है और दूसरी तरफ वह तबका है, जो कि अपने पैसे के बल पर और अपने विशेषाधिकारों के बल पर हर क्रांतिकारी कदम पर अनुबंध लगाकर बैठा है, जिसको तोड़ना, सामान्य जनता के लिये बहुत मुश्किल हो रहा है। ये दो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं, जिस समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण का क्रान्तिकारी कदम उठाया गया था, तो सर्माएदारों ने इसको चुनौती दी और वे लोग सर्वोच्च न्यायालय तक गये और दुबारा जब, भूतपूर्व नरेशों का विशेषाधिकार समाप्त करने का और शाही थैली समाप्त करने का क्रांतिकारी कदम उठाया गया तो उन्होंने, फिर चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय में गये। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे देश का जो संविधान है, वह समाज की सुविधा के लिये है। यदि हमारा संविधान सही तरीके से समाज में फैली विषमता को दूर करने में सक्षम नहीं है तो उसके लिये क्या क्रांतिकारी कदम उठाया जावे, इसके लिये अध्यक्ष महोदय, एक गलतफहमी फैली है कि कहीं

वह हमारे देश में तानाशाह न पैदा कर दे। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस देश में तो कोई तानाशाह नहीं हो सकता है और बाहर भी जहाँ तानाशाह थे, उनके खिलाफ नारे लगाये गये और हर जगह इसका विरोध हुआ। अब पार्लियामेंट में ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि पार्लियामेंट को ही अधिक से अधिक अधिकार देने की बात है। तो कुछ लोगों को यह लगता है कि कहीं इस संशोधन से कोई तानाशाह न बनकर बैठ जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि तानाशाह लोग, कभी भी संविधान के आधार पर संसद को अधिकार नहीं दिया करते जब भी कभी संविधान में चुनौती देने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट अधिक शक्तिशाली हो, अधिक सम्पन्न हो या पार्लियामेंट अधिक शक्तिशाली और सम्पन्न हो, इस प्रश्न पर कभी तानाशाह लोग उलझा नहीं करते। वे सदैव इसी प्रश्न पर उलझा करते हैं कि किस प्रकार से अधिक शक्तिशाली अधिकार खुद लें। उनका प्रश्न हमेशा यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट को अमुक अधिकार नहीं है, वे इसी प्रश्न पर उलझा करते हैं। यदि किसी के दिमाग में यह फितूर आया हो कि सरकार को एक पार्टी को तानाशाही के अधिकार न दिये जायें कि जिससे कहीं हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाये। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर तानाशाही की ओर किसी को जाना होता है, तो वह निश्चित ही बंदूकों की ही ओर जाता है। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं यह कहना नहीं चाहता था मैंने देहली में क्रामवेल सिनेमा देखा, वह नहीं चाहता था कि लोगों को सड़क पर खड़ा होना पड़े, आंदोलन किये गये लड़ाइयाँ लड़ी गईं। और सारा खाना खराब हुआ, और वह इसलिये कि वह चाहता था कि पार्लियामेंट सर्वोच्च शक्तिशाली, सर्वोच्च शक्ति संपन्न बने और आज इसी भावना को मैं लाना चाहता हूँ।

जनतंत्र को स्वीकार करते हुए जनतांत्रिक तरीके से जो इस देश में कदम उठाये गये हैं और मैं तो यह समझता हूँ कि इस देश में ही नहीं, दुनिया में सभी तरक्कीशुदा देश, वे सभी पार्टियाँ, वे सभी लोग, जो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं और जो यह चाहते हैं कि शक्तिशाली लोग, शक्ति संपन्न लोग जनता का शोषण न करें, अराजकता न फैली रहे, जैसी कि सदियों से फैली हुई थी वे ही संसद को अधिकार देने की बात किया करते हैं। संविधान में जो गारन्टी दी हुई है, अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक प्रश्न यह है कि आज हमें संविधान के हर कांस्टीट्यूशनल पहलू पर विचार करना पड़ेगा। एक समाज वह है, जो कि शोषण का समाज रखना चाहता है। एक समाज वह है, जिससे कि हम आँखें बन्द नहीं कर सकते और वह है सुविधा सम्पन्न समाज, जिसे पैसे के शोषण की शक्ति की सुविधा है, वह समाज जनता का शोषण किया करता है।

अब तो प्रश्न यह है कि इस देश में ऐसे समाज को रहने दिया जाये या नहीं। आया कि इस देश में शोषण विहीन समाज का निर्माण किया जा सकेगा या नहीं? इसीलिये हमारे इस देश में बनी पार्लियामेंट जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है और जहाँ आपने और हमने देखा इस देश की जनता ने मेमोरेण्डम देकर, एक निर्देश देकर समाज को बदलने का बहुमत से आव्हान किया है। चाहे संशोधन के जरिये से हो, चाहे प्रस्ताव के जरिये हो, जब शोषित समाज को बदलने की बात आती है, तो उसमें अड़ंगे आ रहे हैं। आखिर इस संशोधन में है क्या बात? मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि, आया इस देश के भाग्य का निर्माण, इस देश से गरीबी, बेरोजगारी मिटाने का फैसला, इस देश के साथ होने वाले अन्याय का फैसला, जनमानस की भावनाओं को प्रतिपादित करने वाली हमारी संसद होगी या इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेज होंगे? हम और आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के लोग चाहते हैं कि हमारे देश की अदालतों की भाषा सामान्य जनता की भाषा हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय जनता की भावनाओं के प्रतिकूल, विधानसभा और पार्लियामेंट की इच्छा के प्रतिकूल, हर जगह भाषा के मामले में ही अदालत में अड़ंगे डाले जाते हैं। हम सब लोग जो कि पंचायत के रूप में हैं, समय की गति को समझते हैं, हम यह सोचते हैं कि समाज कौन-सी आवश्यकता महसूस करता है। आज वही स्थिति हमारे सामने मौजूद है। इस देश की पार्लियामेंट सबसे बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट के जजेज? वे इन्टरप्रिटेशन कर सकते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय कभी भी संविधान में संशोधन का अधिकार अदालत को नहीं दिया जा सकता। यह हक हमारी पार्लियामेंट और विधानसभाओं का है। यदि कोई बात है, जिसे दूर किया जाना

आवश्यक है तो वह संशोधन करें। अध्यक्ष महोदय, जहाँ एक तरफ हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे लोग जो पार्लियामेंट को अधिकार नहीं देने की बात कहते हैं, वे हमारी तरक्की को रोकना चाहते हैं। जो प्रगति हमारा देश कर रहा है, उसे रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि देश तरक्की करे और ऐसे समाज का निर्माण करे जिससे सामाजिक वर्ग विषमता दूर की जा सके। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग समाज को दो भागों में विभक्त करना चाहते हैं, एक तो सुविधा वालों का समाज रहे और दूसरा जिनको सुविधाएँ नहीं हैं, या वे गरीब लोग जो समाज में गरीबी के कारण त्रस्त हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो। इस प्रकार के लोग यह फर्क रखना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है, अब वे अपने इन संकुचित विचारों से लोगों को, समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, गरीबी और अमीरी की खाई को दूर करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में भी ऐसे लोगों ने इसका काफी विरोध किया लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बहुत बड़े बहुमत से संशोधन को पास किया गया, राज्यसभा ने भी इसको पास किया है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय जम्मू और काश्मीर, केरल, नागालैंड और आन्ध्र प्रदेश ने भी इसको रेक्टीफाई किया है। अब इस सदन में भी हमें उसे स्वीकार करना है। यह कोई कानूनी समस्या नहीं है, यह एक सीधा सादा प्रश्न है। सामाजिक व्यवस्था, जो समाज में फर्क है उस फर्क को मिटाने के लिये और उसे दूर करने के लिये यह संकल्प यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसकी ताईद करेंगे और इसे पास करेंगे।

श्री शाकिर अली खाँ : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि काफी अहम मसले पर बहस हो रही हैं। इस पर तीन घण्टे का वक़्त मुकर्रर है। आप इस तरह से समय का बँटवारा करें कि सबको बोलने का मौका मिल जाये। यह न हो कि कोई ज्यादा बोल ले और किसी को मौका नहीं मिले।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप पीछे भी देखेंगे ऐसी हमें आशा है।

श्री नरेशचन्द्र जौहरी (मुरार) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान का चौबीसवाँ संशोधन विधेयक राज्यसभा तथा लोकसभा से पास हो चुका है। उसके बाद नियमानुसार राज्य की विधानसभाओं में पास होना है और उसी अनुसार यहाँ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारे विधि मंत्री ने सारे सवाल को सदन में पेश किया है वह शायद अपने आप में जिस तरह से रखा जाना चाहिये था वैसे नहीं रखा गया है। ब्रिटेन में उनका लिखा हुआ विधान नहीं है। पार्लियामेंट का इतिहास राजा और पार्लियामेंट के विरोध में बढ़ा है और उस समय वहाँ की जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था पार्लियामेंट थी, राजा नहीं। किन्तु हिन्दुस्तान के अन्दर यह स्थिति नहीं है। हमारे देश में सर्वसम्पन्न सत्ता जनता में निहित है और जनता द्वारा बनाई हुई जो संविधान सभा थी उसने जो संविधान बनाया है वह अपने आप में एक फेडरल कांस्टीट्यूशन है, उसके अन्तर्गत संविधान निर्माताओं ने कोशिश की कि जो तीनों विंग, कार्यपालिका, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका हैं, इनमें संतुलन बनाये रखा जाये, एक दूसरे के कार्य में इन्क्रोचमेंट न हो। इनके गठन, कर्त्तव्य आदि के बारे में पूरी गहराई में जाकर संविधान में निर्देश दिया है। इसीलिये दुनिया में इसकी सबसे बड़े विधान में तुलना की गई है। तीनों विंग ठीक से काम करें, इस बात का ध्यान रखा गया है। यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि कौन विंग बड़ा है। तीनों इकाइयाँ एक दूसरे की पूरक हैं, इनमें फर्क पैदा करना देश के प्रजातन्त्र के लिये खतरनाक होगा। एक बात जरूर है, कुछ दिनों से हमारे देश के अन्दर व्यवस्थित रूप से एक प्रचार चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट या जूडीशियरी और पार्लियामेंट में कोई प्रतिस्पर्धा है और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस शब्दावली का उपयोग किया है, मैं समझता हूँ, गणतंत्र में विश्वास करने वालों के लिये यह योग्य बात नहीं है, ऐसे शब्दों में जजों के बारे में विचार व्यक्त हुए जो उचित नहीं। सर्वसाधारण की जुडीशियरी के प्रति आस्था रही है और इसी से देश में व्यवस्था कायम रही है। हमारे यहाँ की कार्यपालिका ने जिस तरह से कानूनों का व्यवहार किया है और जुडीशियरी ने उसको सेट-असाइड किया है उससे पता चलता है कि किस तरह से कानून का गलत उपयोग कार्यपालिका ने किया है अपने विरोधियों को दबाने और समाप्त करने में। विधानसभाओं में भी और संसद में भी ऐसी स्थिति आ सकती

है जबकि एक ही दल का इतना प्रचण्ड बहुमत हो कि न्याय और अन्याय के आधार पर निर्णय न हो सके बल्कि दल के आधार पर कोई प्रस्ताव विधानसभा और लोकसभा के अन्दर पास किया जा सके। इस तरह की नजीर भी आ सकती है। इन सबके पीछे एक ही गारंटी है कि संविधान के अनुसार वह कानून निर्मित होगा। अगर कोई ऐसा कानून है जो विधान में बताये अनुसार नहीं है तो उसके इन्टरप्रेटर के रूप में एक फोरम सुप्रीम कोर्ट है। विधान वेत्ताओं ने उसका नाम सुप्रीम कोर्ट इसीलिये दिया है जिससे वह यह देखकर निर्णय दे कि कौन-सा कानून विधान के अन्तर्गत है और कौन-सा विधान के बाहर है। आज प्रश्न इस बात का है कि आज जिस तरह से जुडीशियरी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, वह स्वस्थ परम्परा के अनुसार अच्छा नहीं कहा जा सकता। सर्व सामान्य मनुष्य को आजादी के बाद क्या मिला, मैं समझता हूँ कि झोपड़ी से लेकर महलों तक में रहने वालों को एक ही चीज मिली है, वह है मूलभूत अधिकार, अगर हम यह देखते हैं कि उनमें कोई कठिनाई आती है तो उसके लिये अदालत में जा सकते हैं और उसकी रक्षा का भार जुडीशियरी पर है। जब संविधान बना था उस समय उसको बड़ा पवित्र बताया गया था। उसके बाद देखा गया कि शासन ने उसको उस भावना से स्वीकार नहीं किया जिस भावना से विधान निर्माताओं ने उसे बनाया था। उसके बाद से उसमें कई संशोधन किये गये। संविधान को बने जितने वर्ष नहीं हुए उतने उसमें संशोधन हो गये। इससे यह प्रगट होता है कि जो पवित्र भावना संविधान के प्रति इनके द्वारा व्यक्त की गई थी वह बनावटी थी। अपनी सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन किये गये। यद्यपि उन संशोधनों का विरोध हुआ किन्तु वह बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ जितना कि विरोध होने की बात है। जहाँ तक समाज में समता लाने के लिये कोई कदम उठाने की बात है उसका कोई विरोध नहीं। जहाँ तक समता के लिये उनका उपयोग किया जाये, कोई शेड्यूल दिया जाये, कम से कम हमारे दल की ओर से उसका कोई विरोध नहीं। मेरा निवेदन यह है कि जहाँ तक एक शेड्यूल बनाने की बात हुई, एक करोड़ के ऊपर, 50 लाख के ऊपर जो लोग हैं, उनको 15 प्रतिशत या 3 गुना, दो गुना, एक गुना कितना मुआवजा देने वाली बात है.....

श्री गुलाबचन्द तामोट : आपने कहा कि समता के लिये आप प्रयास कीजिये लेकिन सीमित रूप से कीजिये उसकी सीमा क्या है?

श्री नरेशचन्द्र जौहरी : मेरा निवेदन यह है कि यह जो सवाल है वह मौलिक है। मैं इस बात को नहीं कहता कि दो करोड़ या पाँच करोड़ वालों के साथ क्या व्यवहार आप करने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि इससे एक रास्ता खुल जायेगा और सरकार छोटे-छोटे लोगों की जमीन जिनका कि जीवन निर्वाह का सारा दारोमदार उस पर है, बिना कुछ दिये उनसे छीनी जा सकती है। बिना कुछ दिये उनकी संपत्ति उनसे छीनी जा सकती है। जब उनकी जीविका ही उनसे छिन जावेगी तो उस समय क्या स्थिति होगी?

श्री शाकिर अली खाँ : दस एकड़ वालों का तो लगान भी माफ कर दिया गया है।

श्री नरेशचन्द्र जौहरी : शाकिर सा. यहाँ पर प्रश्न मौलिक अधिकारों का है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, भाषा का अधिकार है, तहज़ीब की बात है, संस्था बनाने की बात है। ये तमाम बातें फन्डामेंटल राइट्स के अन्तर्गत आती हैं। ये सब बातें जब सरकार के पास आ जावेंगी तब क्या हाल होगा। आज सामान्य मनुष्य के पास मौलिक अधिकारों के सिवा और क्या रखा है। आजादी के बाद उसे यही तो मिला है। आज सामान्य मनुष्य के पास कोई साधन नहीं है उनकी स्थिति दिन व दिन बिगड़ती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। अभी तक तो उसको यह विश्वास है कि वह अपनी बात कह सकता है और अपने समान विचार वालों को इकट्ठा कर सकता है और यदि उसका यह अधिकार छीना जावेगा तो वह अदालत में जा सकेगा और अपने अधिकार के लिये न्याय पा सकेगा। परन्तु यह संशोधन होने के पश्चात् क्या होगा? इतना स्वीपिंग परिवर्तन हो जावेगा। जहाँ तक बड़े-बड़े लोगों का सवाल है, उनका तो अभी भी कुछ नहीं होता और तब भी कुछ नहीं होगा वे अपने बचाव के रास्ते निकाल लेते हैं परन्तु जब एक बार रास्ता खुल जावेगा और जहाँ तक डिस्क्रीशन का सवाल है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे और पार्लियामेंट के अन्दर कोई भी बिल लाया जा सकेगा और छोटे-छोटे लोगों की जमीनें और राजनीतिक लोगों की संपत्ति छीनी जा सकेगी, उनको काऊ डाउन किया जा सकेगा। इस प्रकार से अधिकार का इस्तेमाल किया

जावेगा। उदाहरण के लिये मैं आपको बतलाऊँ कि ग्वालियर में कुछ छोटे-छोटे किसान हैं, मुझे मालूम है कि उनके पास 18-18 और 40-40 साल से जमीनें थीं, कन्टूमेंट बोर्ड की जमीनें थीं बिना मुआवजा दिये उनसे ले ली गई, उनको एक पाई भी नहीं मिला। इस संबंध में लोगों का डेलीगेशन होम मिनिस्टर और डिफेन्स मिनिस्टर के पास होकर आया है परन्तु गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल सका। इस समय जब कि अदालत में जाकर लोग न्याय पा सकते है तब तो यह हाल है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे बेचारे मजदूर और किसान हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अदालत में जा सकें। आज कार्यवाही इतनी महँगी है कि गरीब किसान 12-15 एकड़ का किसान यह खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी के पहुँचने पर बेचारे दरख्वास्त लेकर दौड़ते हैं परन्तु उनको आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं मिला। डिफेन्स मिनिस्टर श्री जगजीवनराम और होम मिनिस्टर श्री चौहान से भी लोग मिले और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया था परन्तु ऐसे जो तीन हजार परिवार हैं, जो आज ग्वालियर में रह रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल सका।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (मुख्यमंत्री) : हम तो जो पार्लियामेंट का अधिकार है, वही उसको दे रहे हैं। जो भी पार्लियामेंट चुनकर आयेगी, वह अपने विवेक से कार्य करेगी। जो लोकसभा का सावरेन राइट है वह उसको हम दे रहे हैं, जो उसका कान्स्टीट्यूशन राइट है, वह उसको दे रहे हैं।

श्री नरेशचन्द्र जौहरी : जब अधिकार प्राप्त है उस समय यह हो रहा है तो जब अधिकार ही नहीं होगा उस समय इससे भी गंभीर स्थिति हो जायेगी। मेरा यह निवेदन है कि जनता ने संविधान बनाने का जो अधिकार दिया था यह जो संशोधन लाया जा रहा है इस पर फिर उसी जनता से रिफरेन्डम लिया जाना चाहिये कि जनता संविधान में संशोधन करने के अधिकार देने के लिये तैयार है या नहीं? क्योंकि इसका प्रभाव जनता से सीधा-सीधा आता है, इसलिये जनता की सीधी-सीधी राय ली जाना चाहिये।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मैं जौहरी जी से क्षमा चाहूँगा कि मैं उनको बीच में टोक रहा हूँ। यह तो आपको जानकारी होगी कि संविधान के इस परिच्छेद में पहले भी तीन चार संशोधन हो चुके हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उस पर फैसला बदल गया इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिये कानून को साफ बनाने के लिये यह संशोधन लाया गया है। इसी प्रकार के दो संशोधन जो कि स्वीकार किये जा चुके हैं परिच्छेद 368 में दिये गये हैं। जो अधिकार हैं उन अधिकारों को और स्पष्ट करने के लिये ही पार्लियामेंट ने यह संशोधन रखा है।

श्री नरेशचन्द्र जौहरी : उपाध्यक्ष महोदय, जबकि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मान गया है तो फिर इस प्रकार से जल्दबाजी करके क्यों संशोधन ला रहे हैं, क्यों आप जनता के हितों को समाप्त कर रहेहैं? यह अन्याय है यह नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जनसंघ के साथी प्रिय जौहरी जी ने अपने जो तर्क यहाँ पर रखे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने भाषण में जिस पृष्ठभूमि का जिक्र किया है उसी पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए मैं अपना भाषण प्रारंभ करूँगा। मौलिक सिद्धांत के संबंध में अपनी-अपनी राय अलग-अलग है। कुछ सिद्धांत तो ऐसे हैं जिनको संविधान ने हमको दिया है। मौलिक अधिकारों की जो बात उन्होंने कही है मैं उसको मानता हूँ। उन्होंने जो तर्क दिये हैं उन्हीं तर्कों के द्वारा मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे अधिकार हैं उनको मौलिक अधिकारों की संज्ञा संविधान में दी गई है। कुछ माननीय समाज के ऐसे भी अधिकार हैं जो कहीं भी नहीं दिये हुए हैं, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। आज की 20वीं सदी में हमको यह समझ लेना चाहिये कि कौन से अधिकार हमारे हैं जो हमें प्राप्त करना है या जो हमें प्राप्त हैं। जो जिस भी तर्क को मानने वाला व्यक्ति हो मेरा ऐसा विचार है कि वह इस बात को मानेगा कि आज के युग में उसे जिन्दा रहने के साधन उपलब्ध हों और इसीलिये मैं इस अधिकार के सामने और भी जो विचारों के अधिकार उल्लेख में आये, उनको गौड़ समझता हूँ, इसलिये अध्यक्ष महोदय, हमने यह निर्णय लिया कि भारतवर्ष में सार्वभौम शक्तिशाली गणतंत्र राज्य चलेगा और जनता के प्रतिनिधि चुने जायेंगे। उसी समय हमने इस बात का निर्णय कर

लिया था। जिस जनमत के आधार पर आज इस विषय को लागू कर रहे हैं, वही निर्णय कर लिया गया था। सन् 1947 और 1950 के बीच में जिस समय कानस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ था, उसी समय जो लोग थे उनके ही नाम के पीछे "पीपुल" लिखा है। पीपुल ने अपने आपको यह संविधान दिया है और अपने आप प्रदत्त अधिकार का उल्लेख किया है। उसी पीपुल के अधिकार और स्वत्व के लिये भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिये यह तब तक रहेगा जब तक हम और आप जिस योग्य इसे समझें। प्रजातंत्र क्या है प्रजातंत्र किसी विधान में नहीं समेटा जा सकता। प्रजातंत्र किसी दूसरे के इशारे से नहीं संचालित किया जा सकता। भारतवर्ष में प्रजातंत्र उसी वक्त तक कायम रह सकता है, जब तक इस देश के शाश्वत मानव समाज का भरोसा होगा, प्रजातंत्र के द्वारा उनके शोषण का अन्त किया जा सकता है। जिस समय इस देश के अन्दर लाखों करोड़ों समाज के अन्दर रहने वाले लोगों को भरोसा नहीं रहेगा कि प्रजातंत्र से उनके शोषण का अन्त नहीं हो सकता है, उनके प्रवेश के द्वार नहीं खुल सकते हैं, इसका अन्त हो जायेगा। इसलिए आजादी के संघर्ष के दौरान जब हमने प्रजातंत्र को अपनाया उस समय हमने संकल्प कर लिया था कि शोषण से मुक्त करने के लियें हमने एक सिद्धांत मान लिया था। वही सब अब प्रजातंत्र के ढाँचे के अन्दर करना चाहते हैं इसलिये संशोधन के द्वारा हम उसे करना चाहते हैं। यदि हमको प्रजातंत्र के अन्दर विश्वास नहीं होता तो फिर संविधान में संशोधन आवश्यक न होता और इसके लिये सड़क पर निर्णय होता। इसलिये जो आरोप लगाये जाते हैं कि प्रजातंत्र को खतरे में डाल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि न तो आप प्रजातंत्र समझ रहे हैं और न ही उसके असली मंतव्य को समझ रहे हैं।

मैं इसके पहले कि और कुछ कहूँ, इस संशोधन के पीछे जो काँग्रेस पार्टी का मंतव्य है, जिसको लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही 4-6-8-10 लाइन का कोटेशन कहा था, और वह कोटेशन आज के भारतवर्ष की पूरी सामाजिक परिस्थिति को प्रतिबिम्बित करने के लिये उपयोगी है, उसे प्रतिबिम्बित करने के लिये अध्यक्ष महोदय, हम आपकी अनुमति से उसको सुनाना चाहते हैं क्योंकि वह अँग्रेजी में है इसलिये आपकी अनुमति की हमें आवश्यकता है। आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिका से यह लिया गया है और विलियम केनिंग ने इसे लिखा था :—

"There are seasons, in human affairs, of inward and outward revolution, when new depths seem to be broken up in the soul, when new wants are unfolded in multitudes, and a new and undefined good is thirsted for. There are periods when the principles of experience need to be modified, when hope and trust and instinct claim a share with prudence in the guidance of affairs."

इसका सारांश यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि मानव समाज के कार्यों में ऐसे भी समय आते हैं जबकि अपनी अन्तरात्मा में और आसपास जो कुछ मानव देखता है, जो कुछ होता है उससे प्रेरित होकर मनुष्य को कुछ सोचने के लिये विवश होना पड़ता है। ऐसे भी समय आते हैं जबकि हम पूरी तरह से परिभाषा नहीं कर सकते हैं, ऐसे लक्ष्यों के लिये हमें कुछ करना पड़ता है। ऐसे भी समय आते हैं उपाध्यक्ष महोदय, जब अपने तजुरबे के बने बनाये साँचे में ढालकर समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की कोशिश करना पड़ती है। आज वही परिस्थिति हमारे भारतवर्ष में है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए सन् 71 में जब पूरे देश में चुनाव आया हमने अपने मेनिफेस्टो में साफ-साफ लिखा कि हम संविधान में ऐसे संशोधन करेंगे जिससे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये हम कुछ काम कर सकें। इसलिये यह कहना कि रेफरेण्डम नहीं हुआ यह आपकी थोथी दलील है।

श्री नरेशचन्द्र जौहरी : क्या स्पेसिफिक इश्यू पर रेफरेण्डम कराना और संविधान में संशोधन कर देना दोनों को आप एक ही बात समझते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में चुनाव कोई हँसी मजाक के लिये तो हुआ नहीं था। मैं समझता हूँ भाषणों में आपके दल की ओर से मैंने सुना है आपने कहा होगा, यदि उनको वोट दिया तो आपकी संपत्ति छिन जायेगी, आपकी दुकान बंद हो जायेगी। इसके बावजूद भारतवर्ष की जनता ने यह उचित समझा कि आपकी बात

को न मानकर काँग्रेस दल की ही बात को माना तो यह बात आप स्वयं मानेंगे कि जनमत की उपेक्षा के बड़े घातक परिणाम होते हैं। जनमत का यदि आपके दल में आदर हो या आपको कोई जिद हो कि हमारे जो संघ संचालक कहेंगे उन्हीं की बात को मानेंगे तो बात अलग है लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह जो संशोधन आया है वह केवल इस देश में प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये आया है ताकि जनता की समस्याओं में ऐसे परिवर्तन कर सकें जिससे जनता को शोषण से मुक्ति दिला सकें और समाजवादी समाज रचना कर सकें। इसके लिये हम गौरवान्वित हैं कि हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी की ओर से यह प्रयत्न किया गया है उसके लिये जनता उनकी आभारी है।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : काँग्रेस के मेनिफेस्टो में आपने कहीं नहीं बताया है कि हम राष्ट्रपति के अधिकार लेने जा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : राष्ट्रपति के अधिकार छीने नहीं गये बल्कि उस पार्लियामेंट के अधिकार स्पष्ट किये गये हैं।

श्री कल्याण जैन : नई संविधान सभा बनाकर, नई परिषद् बनाकर नया संविधान बनाया जाये, यह अच्छा होगा कि संविधान में संशोधन करके अधिकार लेना अच्छा होगा? यह संविधान बालिग मताधिकार से नहीं बना था बल्कि कुछ गुलाम लोगों की चुनी हुई संविधान सभा ने यह संविधान बनाया था। इसलिये नये संविधान को बनाने के लिये नई संविधान सभा गठित करते और उसमें फिर इन अधिकारों का उल्लेख होता तो वह उचित होता।

श्री गुलाबचन्द तामोट : जब संविधान बना था, तब आप नाबालिग थे इसीलिये चुनाव कराये कि आप बालिग होकर वोट दे दें।

श्री कल्याण जैन : ठीक है, मैं उस वक्त नाबालिग था, लेकिन आप तो अर्द्ध-बालिग थे।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री तामोट जी और जैन साहब के विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब संविधान बनाया गया था तो शायद किसी ने जैन साहब से यह कह दिया होगा कि यह गुलामों ने बनाया था।

श्री कल्याण जैन : चन्द लोगों के द्वारा मतदान होकर चुनाव हुए और लोकसभा में संविधान परिषद् गठन हुआ और उसने संविधान बनाया जो कि आज चल रहा है। हमारी पार्टी की माँग है कि नई संविधान परिषद् का गठन किया जाये जो कि जनतंत्र के आधार पर हो।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं अपने प्यारे भाई से कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के आदरणीय स्वर्गीय लोहिया जी की एक बात को दोहराता हूँ। एक बार उन्होंने यह कहा था कि सुना है कि उसकी कमर भी है या नहीं, वह पार्टी कहाँ है, कैसी है इसका पता नहीं।

श्री कल्याण जैन : शायद इसीलिये तामोट साहब इसको छोड़कर चले गये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि यह विवाद निरर्थक है। मेरा कहना है कि जब जनमत का सिद्धांत मान लिया गया और उसके आधार पर चुनकर आ गये तो फिर अधिकार हो जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, श्री जौहरी जी ने एक दूसरी बात कही, कनफिलिक्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में कनफिलिक्ट होने की संभावना है।

श्री नरेशचन्द्र जौहरी : कोशिश की जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं समझता हूँ कि यह कोशिश हमारी तरफ से नहीं की जा रही है।

श्री नरेशचन्द्र जौहरी : सुप्रीम कोर्ट तो बेर्जुआं हैं।

श्री अर्जुनसिंह : काँग्रेस पार्टी कदापि यह नहीं चाहती कि जुडीशियरी के साथ पार्लियामेंट या असेंबली काँग्रेस पार्टी में कनफिलिक्ट हो, लेकिन हम इस बात की जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते कि जिस जनतन्त्र को हमने जन्म दिया उसे खत्म कर दें। इसी कारण इस प्रकार का भ्रम पैदा न हो कि जनमत के लिये जो कुछ हुआ है वह पीछे दरवाजे से रोका जा सके। इसके लिये हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इस भ्रम को दूर करने के लिये ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया।

श्री नरेशचन्द्र जौहरी : इम्पीचमेंट की बात कही गई।

श्री अर्जुनसिंह : मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इम्पीचमेंट नहीं किया गया। हमारी यह पॉलिसी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज का इंपीचमेंट किया जाये। आपको स्वतंत्रता है कहने के लिए कि संपत्ति ले ली जायेगी, जमीनें ले ली जायेंगी। आप जो यह कहते हैं, क्या यह जिम्मेदारी से कह रहे हैं? एक, दो, तीन, एकड़ वाला किसान, एक लुहार जो कि अपनी छोटी-सी दुकान रखकर रोजगार करता है, एक छोटा-सा कारीगर अपना दुकान चलाकर अपना भरण-पोषण करता है, उसकी दुकान, उसकी संपत्ति लेकर कोई भी जनतांत्रिक पार्टी इस देश में क्या जीवित रह सकती है?

किसी एक प्रकरण को लेकर आप पूरी भूमिका न बनायें। भूमिहीन व्यक्ति के क्या अधिकार ले सकते हैं? उसको तो चाहिये उन लोगों की जमीन जो जबरदस्ती छीनी गई है और उसके लिये क्या संरक्षण आपका फंडामेंटल राइट देता है? प्रजातांत्रिक ढंग से जो दल चलता है उसके अंदर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती है? क्योंकि उसको हर पाँचवें साल जनता के सामने जाकर वोट माँगना पड़ेगा? यदि हम छोटे-छोटे लोगों के अधिकारों का हनन करेंगे तो जनता हमें नहीं चुनेगी। अधिकार उन लोगों के अवश्य लिये जायेंगे जो आजकल किसी भी प्रकार से एक निहित स्वार्थ की संज्ञा बनाकर, इस देश में आड़े आ रहे हैं, चाहे वे भूमि के संबंध में हों, चाहे वे मकानों के संबंध में हों, चाहे वे पूँजी के संबंध में हों, चाहे वे और किसी भी प्रकार से केन्द्रीयकरण किये हुए हों तथा इकानॉमिक पॉवर में बड़े हों और उसके द्वारा शोषण की शक्ति बनाते हों उसको तो जरूर खत्म किया जायेगा। ऐसे लोगों के हाथ से जो आर्थिक अधिकार है उनको खत्म किया जाये ताकि शोषण करने का अधिकार उनके हाथ में न रहे। ऐसे लोगों को संरक्षण देने की आवश्यकता है जो सदियों से शोषित रहे हैं और जिनको आज नया जीवन देने के लिये हमारा दल कृत संकल्पित है और आप लोगों की दुर्भावना के बावजूद भी हम इस कार्य में सफल होंगे और अपने संकल्प को पूरा कर सकेंगे। (काँग्रेस दल की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया (बरगी) : उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ बड़ी बहस चल रही है कि संविधान का संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, ऐसी लकीर को पीटा जा रहा है जो वास्तव में है ही नहीं। संविधान का संशोधन करने का अधिकार मैं संसद को मानता हूँ। और गोलकनाथ के एक प्रकरण को लेकर ही इस देश में एक भावना लोगों के मन में पैदा हुई कि संसद को अधिकार नहीं है कि वह संविधान का संशोधन करे और विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 19 का। मेरा निवेदन उपाध्यक्ष जी इस संबंध में यह है कि 19वें अनुच्छेद का संशोधन करने के समय संसद को और संशोधन करने की प्रक्रिया सामने लाने वाले लोगों को यह सोचना था कि भविष्य में इस देश की औलाद के लिये वे क्या साफ गारन्टी दे रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही जाती है कि इस देश में तानाशाह नहीं हो सकती है। मैं थोड़ी देर के लिये यह मान लेता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी तानाशाह नहीं बनेंगी, लेकिन क्या आगे आने वाले लोगों के लिये संविधान में यह गारन्टी देंगे कि इस देश में तानाशाही नहीं आयेगी? जर्मनी में क्या हुआ? वाइयर रिपब्लिक थर्ड रीख का क्या हस्र हुआ? हिटलर क्या इस देश में नहीं आ सकते? उसकी गारंटी यहाँ दें। 19वें अनुच्छेद से (च) खण्ड निकाल देते। हमें बोलने की आजादी है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं हमारा बोलने, चलने, फिरने, संगठन करने, और रोजगार धंधा करने का। हाँ संपत्ति का अर्जन निश्चित रूप से प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं है, इसमें संशोधन करने का अधिकार संसद ले सकती है लेकिन जो प्राकृतिक अधिकार हों, फन्डामेंटल राइट हों, उन अधिकारों को छीनना उचित नहीं है। इसकी सुरक्षा अब नहीं रह गई है, इसलिये हमारा विरोध 19वें अनुच्छेद के (च) खण्ड को छोड़, शेष में वर्णित मौलिक अधिकारों के संशोधन के अधिकार से है, भविष्य के लिये है, जिसके लिये न इंदिरा गांधी गारन्टी दे सकती हैं और न कोई। इंदिरा गांधी जी ने जो राज्यसभा में कहा है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ :—

"तो इसको जनसंघ के नेता ने जिस तरह से यहाँ पर रखा उससे ऐसा मालूम होता है कि मैं इस अधिकार को अपने हाथ ले रही हूँ। अगर पूरे हाउस को आश्वासन देने की जरूरत हो, हालाँकि मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझती, लेकिन अगर जरूरत हो, तो मैं कहना चाहती हूँ कि यह अधिकार कोई मेरे हाथ में नहीं रहेगा, आज

मैं यहाँ हूँ, कल नहीं रहूँगी, परसों पता नहीं कहाँ रहूँगी। लोकतंत्र में किसी को नहीं मालूम रहता कि कौन कहाँ रहेगा?''

तो श्रीमान् लोकतंत्र हमने अपनाया है, लोकतन्त्र में इन्दिरा गांधी जी देश की गद्दी पर हैं, श्यामाचरण जी शुक्ल प्रदेश की गद्दी पर हैं, वह कहाँ कल जायेंगे कहा नहीं जा सकता। कोई हिटलर भी इस देश में हो सकता है। आपने जो फंडामेंटल राइट दिये हैं उसी को संशोधन का अधिकार दे दिया है। इसको रिजर्व रखना चाहिये था ताकि कोई तानाशाही स्थापित करने की हिम्मत नहीं करता। संगठन रहता मजदूरों का, आम लोगों का।

श्री अर्जुनसिंह : हिटलर कोई संशोधन करने नहीं आयेगा, वह छाती पर पैर रखकर आयेगा।

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : श्री अर्जुनसिंह जी को यह मालूम होना चाहिये कि हिटलर की नाजी पार्टी ने जर्मन रीख में इसी तरह बहुमत प्राप्त किया था। आप समानता स्थापित करने और सामाजिक भेद मिटाने के लिए प्रयत्न करें। हम भी देश में समाजवाद समानता लाना चाहते हैं। जहाँ पर एक दिन की आमदनी एक व्यक्ति की तीन लाख हो और दूसरे आदमी की आमदनी तीन-चार आने हो, तो वहाँ समानता कहाँ रही? आपने उसके लिये क्या कदम उठाया है? 3-4 आने वाले की आमदनी 3 रुपये कीजिये और तीन लाख वाले की आमदनी कम कीजिये इसके लिये आपने आज तक कोई इलाज नहीं किया, हवाबाजी की है। अगर दिल्ली की सरकार इस बात को नहीं कर सकी तो मध्यप्रदेश में श्यामाचरण की सरकार, काँग्रेस पार्टी कर ले कि मध्यप्रदेश में किसी व्यक्ति की आमदनी 1500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये चाहे वह सरकारी नौकर हो, चाहे सेठ का नौकर हो। इसके अतिरिक्त आमदनी खजाने में जमा कर लें। उससे सिंचाई और कारखानों की तरक्की करें तो एक साल में मध्यप्रदेश का कायाकल्प कर देंगे। बेकारी दूर कर देंगे। ठोस काम आप नहीं करेंगे और ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक जनता का कोई हित नहीं होगा। आप इस बात का मोह रखेंगे कि अमुक काम करने से जनता के वोट नहीं मिलेंगे, यह मोह आप छोड़ दें और हिम्मत के साथ समाजवाद लाना चाहते हैं, विषमता मिटाना चाहते हैं तो हिम्मत के साथ बढ़ जायें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं निवेदन करूँ कि आपने ही तो रानी साहिबा के साथ मिलकर समाजवाद लाने की कोशिश की थी?

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : उसने इस प्रदेश की आत्मा को हिला दिया। काँग्रेस की जड़ें हिल गईं और अब काँग्रेस भी समाजवाद की ओर सोचने लगी है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : जड़ें हिल गई हैं, जमीन हिल गई है इसे आपने किस अवस्था में महसूस किया है? (हँसी)

श्री कल्याण जैन : रानी साहिबा के साथ तो समाजवाद नहीं आया। तामोट जी यह तो बताईये इंदिराजी के साथ मिलकर आप कौन-सा समाजवाद ले आये हैं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (चुरहट) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय चनपुरियाजी ने एक सवाल उठाया है कि संगठन बनाने का यह अधिकार छीना जा रहा है, वह इसे अनुचित कहते हैं?

श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : तिवारी जी, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह स्पष्ट कहा है कि छीना जा सकता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इस शंका पर आपने नाराजगी जाहिर की। एक व्यक्ति के अधिकार रहेंगे तो शंका के लिये गुंजायश रहती है अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार नहीं दिये जायेंगे और संगठन बनाने के अधिकार नहीं रहेंगे तो स्थिति वैसी ही होने वाली है, जैसी कि बंगाल में। अतः यह सोचना पड़ेगा कि चुने हुए प्रतिनिधि क्या कर सकेंगे। बहरहाल उन्होंने प्रॉपरटी राइट की तरमीम के संबंध में, अपनी सहमति व्यक्त की। मुझे तो उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी साहब की बात पर हँसी आ रही थी कि कभी तो उनको झोपड़ी याद आती है और फिर कभी जयविलास पैलेस याद आने लगता है और इस दुविधा में न तो वह स्पष्ट रूप से वे झोपड़ी की बात कर पाये और न जयविलास की बात कर पाये।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/21 सितम्बर 1971, पृष्ठ- 118-127)

श्री श्यामाचरण शुक्ल मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। श्री अर्जुनसिंह ने

चर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री वसन्त सदाशिव प्रधान द्वारा लगाये गये आरोपों का अत्यन्त तर्कपूर्ण खण्डन प्रस्तुत किया और यह सुझाव भी दिया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे रचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए। सुनी-सुनायी बातों के आधार पर यह प्रस्ताव लाना व्यर्थ ही सदन का समय बरबाद करना है।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान (धार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि यह "सदन पंडित श्यामाचरण शुक्ल के मुख्यमंत्रित्व में गठित मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट करता है।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन पंडित श्यामाचरण शुक्ल के मुख्यमंत्रित्व में गठित मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट करता है।"

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कृषि मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे जिसमें कृषि भण्डारों का उल्लेख, बीज भण्डारों का उल्लेख, यन्त्र भण्डारों का उल्लेख कर रहे थे। हमारे प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों और छोटे-छोटे गाँवों में हम समस्त क्षेत्रों में घूमते हुए यहाँ आये हैं तो हमको शिकायतों का भण्डार मिलता है। इस मंत्रिपरिषद के खिलाफ इतनी शिकायतें आ रही हैं, प्रदेश के गाँवों की महिलाएँ और छोटे-छोटे बच्चे यह शिकायत करते हैं कि इतने भ्रष्टाचार और आतंक का शासन अभी तक हमने नहीं देखा है। ऐसी अनेकों शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार और आतंक का चारों तरफ जोर है, जिसके कारण जनता बहुत त्रस्त है। जब मंत्रीगण विश्राम गृहों में जाकर ठहरते हैं तो वहाँ पर बड़ी गड़बड़ी करते हैं यह हमको विश्राम गृह के अधिकारियों से मालूम होता है। वह कहते हैं कि हम तो इन मंत्रियों से परेशान हैं, यह रात को शराब पीकर बड़ी गड़बड़ी मचाते हैं। यहाँ तक कि शराब पीकर आपस में लड़ते हैं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाना गलत है किसी एक मंत्री पर स्पेसिफिक चार्ज लगायें तो उसका उत्तर भी दिया जा सकता है। बिना पूर्व सूचना दिये इस प्रकार से चार्ज लगाना नियम के विरुद्ध है। यदि आप मंत्रियों पर कोई चार्ज लगाते हैं तो उसकी पूर्व सूचना दी जाना चाहिये। इस प्रकार से चार्ज नहीं लगा सकते हैं।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : अध्यक्ष महोदय, इस शासन के विरुद्ध इतनी गट्ठे के गट्ठे शिकायत हैं कि उन्हें यदि आपके सामने रखा जाये तो उनके लिये आपको पुस्तकालय में अलग से कमरे बनवाना पड़ेंगे। शासन यदि इस प्रश्न को किसी न्यायालय के सम्मुख रखता है तो हम वहाँ पर बराबर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इस समय तो आपके सामने शिकायत है और आप न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं।

आपके अतिरिक्त इसका निर्णय करने वाला कौन होगा। तो अगर एक निष्पक्ष न्यायाधीश के सामने आरोप रखने का हमको अवसर मिले तो हजारों और लाखों मामले जनता की ओर से उस निष्पक्ष व्यक्ति के सामने हम दे सकते हैं। इस मंत्रिमण्डल में कभी-कभी आपस में लड़ाई धक्का-मुक्की तक की शिकायतें हमारे पास आई हैं। इसके अलावा इन्दिरा गांधी, जो कि भारत की प्रधानमंत्री के रूप में बैठी हैं, उनके सामने भी कई शिकायतें काँग्रेस के ही लोगों की ओर से दी गई हैं। पिछले कई समाचार-पत्रों में देखने से मालूम होता है कि काँग्रेस मंत्रिमण्डल भोपाल में बैठकर प्रशासन चलाने के बजाय प्रदेश का संपूर्ण मंत्रिमण्डल उसके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हैं, हाई कमाण्ड क्या निर्णय लेने वाला है, इन्दिरा जी क्या निर्णय लेने जा रही हैं, इन सबकी खोज में और अपनी सफाई देने के लिये आठ दिन तक लगातार मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बैठे रहे हैं। यह दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है। आज हम जब सड़क पर चलते हैं, तो रास्ते चलते लोग रोक कर पूछते हैं कि यह क्या है? हमने इन लोगों को चुनकर भेजा है, हम आशा करते थे कि हमारा ये लोग काम करेंगे लेकिन मंत्रिमण्डल के लोग दारू पीकर रात में विधायक विश्राम गृह में और अन्य जगहों में पड़े रहते हैं। इस संबंध में पिछले तीन चार माह से इस मध्यप्रदेश में हजारों-हजारों पर्चे बाँट गये हैं (शेम शेम के नारे)

अध्यक्ष : माननीय शीतला सहाय जी मेरे पास आये थे और उन्होंने कहा था कि जब हमारे नेता जी बोलने लगें तो किसी को रोक-टोक न करना चाहिये। अब आप बताइये कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इन "शेम-शेम" को कहाँ रखूँ?

श्री शीतला सहाय : पिछले अनुभव के आधार पर मैंने यह निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी

को स्वयं समय मिलेगा उत्तर देने का, उस समय वह अपने जवाब में कहें बीच में इन्टरप्शन न करें।

अध्यक्ष : मैं इन "शेम-शेम" को कहाँ रखूँ।

श्री शीतला सहाय : "शेम-शेम"- इन्टरप्शन कहलाता हो, ऐसी बात नहीं है। जब हम कोई चार्ज लगाते हैं, तो उस समय खड़े होकर मुख्यमंत्री जी इन्टरप्शन न करें।

अध्यक्ष : आपने ठीक से उत्तर नहीं दिया। मैंने तय कर लिया था कि टोका-टोकी नहीं होगी, लेकिन अब एक दूसरा तरीका निकल आया जिससे मैं भी उलझन में पड़ जाऊँ।

श्री कृष्णपाल सिंह (राजस्व मंत्री) : मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। श्री शीतला सहाय ने कहा कि सब नियम सस्पेण्ड हो गये हैं। तो मेरा यह कहना है कि सब नियम सस्पेण्ड नहीं हैं। आपने यह पूरी नियमावली नहीं सस्पेण्ड की है। सिर्फ एसेम्बली में जो प्रश्न बुलाये गये थे उन्हीं से संबंधित नियम सस्पेण्ड किये हैं। पूरी पुस्तिका नियमावली की सस्पेण्ड नहीं है यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी एक पत्र देखने को मिला। हमारे विधायक विश्राम गृह में कई मन्त्रिमण्डल के सदस्य दारू पीकर जुआ ताश के पत्ते खेलते हैं। यह विधायक विश्राम गृह हमारे सुख सुविधा के लिये है, वहाँ पर मध्यप्रदेश मंत्रिमण्डल के लोग रात में दारू पीकर जुआ खेलते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे आपत्ति यह है कि जो आरोप यहाँ लगाये जायें वह इण्डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिये। मैं चुनौती देता हूँ कि वह स्पेसेफिक आरोप लगायें, मंत्री का नाम बतायें कि वह कहाँ पर किसके साथ जुआ खेल रहा था और उनको इस प्रकार के आरोपों का नोटिस एक दिन पूर्व देना चाहिये, नहीं तो यह आरोप नहीं लगाये जाना चाहिये। इसकी एक दिन पूर्व सूचना होनी चाहिये ताकि उसका समुचित उत्तर दिया जा सके और नियमों के अनुसार यदि आरोप डिफेमेटरी और इण्डिस्क्रिमिनेटरी हों तो वह नहीं लगाये जा सकते।

अध्यक्ष : मेरे पास दो चार्ज शीट्स आई हैं। एक तो हमारे सचिवालय को 11.40 बजे आज प्राप्त हुई है और दूसरी आई है 12.05 बजे। अब आप देख लीजिये।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : एक दिन पूर्व आनी चाहिये, नहीं तो उनका उत्तर कैसे दिया जा सकता है। इसलिये नियमों के विरुद्ध जो आरोप लगाये जा रहे हैं उनको सदन की कार्यवाही से आलोपित करना चाहिये।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : कल जब आपने स्वयं कहा था कि अभी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो जाना चाहिये तब एक दिन पूर्व आपको सूचना कैसे दी जा सकती थी?

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : जो स्टेटमेन्ट पत्रों में आया है उसके सम्बन्ध में, मैं निवेदन कर रहा था। अब मैं व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहता हूँ। श्री चित्रकान्त जायसवाल जो शासन के मंत्री हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूँगा कि माननीय प्रधान साहब नियम 252 के अनुसार कार्य करें।

श्री बृजलाल वर्मा : वह नियम सस्पेण्ड है।

श्री कृष्णपाल सिंह : चर्चा पर नियम 252 लागू होगा। आज प्रधान जी चाहें तो वह न कबूल करें लेकिन जब वह शासन पक्ष में थे और हम लोग यह बात करते थे तो वह यह दलील देते थे कि चार्ज लगाने के पूर्व एक दिन का नोटिस देना चाहिये।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : आपने स्वयं आग्रह किया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर तुरन्त बहस होनी चाहिये। इसलिये एक दिन पूर्व कैसे नोटिस दी जा सकती है?

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिये समय दिया है, आपको नियमानुसार उसको लेना चाहिये। यह बात सही है कि कल मैंने कहा था कि तुरन्त बहस के लिये लिया जावे लेकिन आपने नोटिस देने के लिये समय नहीं माँगा। अध्यक्ष महोदय ने आपको जो समय दिया है उसके भीतर आपको नोटिस देना चाहिये थी। अगर आरोप एक दिन पूर्व नहीं किया गया है तो वह नियम विरुद्ध है और इस

प्रकार के आरोप नहीं लगाये जा सकते।

श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री : मैं तो यह कह रहा था कि जो नोटिस की बात आपकी ओर से कही जा रही है वह अविश्वास प्रस्ताव पर लागू नही होती क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी ने और आपने कहा था कि अभी-अभी बहस होनी चाहिये। अविश्वास प्रस्ताव पर, आरोप तो लगाये ही जायेंगे।

आरोप दे दिये गये। अविश्वास प्रस्ताव के आरोप और जनरल डिवेट के आरोप इन दोनों में फर्क है। 252 का जो नियम है उसमें गवर्नर साहब के भाषण और सामान्य बहस की चर्चा में अगर कहीं आरोप लगाते हैं तो उसमें नोटिस देने की जरूरत है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समय नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जो आरोप लगाये गये हैं उनको सुनना चाहिये और उनका जवाब देना चाहिये। इस तरह से इन आरोपों से बचा नहीं जा सकता।

श्री शीतला सहाय : अभी विधि मंत्री जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया वह बिलकुल गलत है। कल शाम को 5 बजे निर्णय हुआ कि अगले दिन 12 बजे से बहस प्रारंभ हो जायेगी।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : यह बिलकुल गलत कह रहे हैं। कल जैसा प्रधान साहब ने कहा था कि 2 बजे फैसला कर लेंगे उसी के अनुसार यह फैसला हुआ है और इसके तहत आपको आरोप देने के लिये बराबर मौका मिला था।

श्री शीतला सहाय : यह मंत्रिमण्डल जानबूझकर समय बरबाद कर रहा है ताकि उनको आरोपों का जवाब न देना पड़े। हम अविश्वास प्रस्ताव पर इनका गुणानुवाद नहीं करने वाले हैं, हम तो आरोप ही लगाने वाले हैं। सामान्य चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान है। उसमें यह कहीं नहीं है कि एक दिन का नोटिस दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, कल यह कोशिश की गई है कि आज ही यह विषय ले लिया जाये। हमें चार्जशीट देने का मौका नहीं दिया गया। हमारे पास जितना समय था उतने समय में हमने यह दिया है। सरकार को अब सुनना चाहिये और इन आरोपों का जवाब देना चाहिये। शासन के पास सभी साधन उपलब्ध हैं, जिनका वह उपयोग कर सकता है।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : चार्जशीट दे दी गई। अगर कल 12 बजे ही आग्रह करते तो हम उसी समय दे सकते थे। मैंने स्पष्ट कहा था कि हमारे पास समय कम है, जिससे हम डिटेल में नहीं दे सकते लेकिन फिर भी जितना हो सकता था उतना हमने दिया। अभी भी 3 घण्टे का समय शासन के पास है। उसके पास जीपें हैं जिनके द्वारा वह तमाम जानकारी उपलब्ध कर सकता है। यह विधानसभा सत्र बहुत ही कम समय का रखा गया है और इस तरह से हमारे अधिकारों को कुचला गया है। हम हजारों आरोप दे सकते हैं। अभी तो 10 ही दिये हैं। 15 दिन का अगर सत्र करते हैं तो हमें आरोप देने का मौका मिल सकता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह 3 घण्टे के समय में जानकारी प्राप्त कर जवाब दे सकते हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : यह बात सही है कि अगर कल यह प्रस्ताव लिया जाता तो आपको चार्जशीट देने के लिये समय नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि कल विरोधी पक्ष आरोप पेश करने के लिये समय माँग रहा था और आपने उनको समय दिया। आपको 10 दिन पहले गवाही और हलफनामा रख लेना चाहिये था। लगातार इस सदन की एक दिन पहले चार्जशीट देने की परम्परा रही है, भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय के समय में और आपके समय भी। प्रधान साहब जब आपकी सरकार थी तो हमने भी एक दिन पहले चार्जशीट दिये थे तो क्या कारण है कि आप आज ऐसा नहीं कर सकते।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : सहकारी विभाग के प्रश्नों के उत्तर तो अभी तक इस सत्र में आ रहे हैं। दिनांक 21-9-71 का प्रश्न ठाकुर मोहनसिंह ने मंदसौर का और श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने एक प्रश्न पूछा था तो क्या आप उसका भी नोटिस चाहते हैं? मन्दसौर की सहकारी संस्थाओं में जनसंघ के अधिक से अधिक सदस्य थे और वे अच्छी तरह से काम कर रहे थे और जब उनके चुनाव का प्रश्न आया तो चुनाव बंद कर दिया तो क्या उसके लिए भी नोटिस चाहिए? उसमें जो उत्तर दिया है कि नियम 50 (1) के अन्तर्गत इस प्रकार की कार्यवाही की। सहकारी विधेयक लायें और उसको पढ़कर बतायें कि 50 (1) के अन्तर्गत चुनाव रद्द करने का अधिकार है? क्या इसके लिए आप समय चाहते हैं, सूचना चाहते हैं?

श्री के.एन. प्रधान (सहकारिता मंत्री) : जो नियम सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से बनाये गये थे, उनका जब पालन नहीं किया जाता तो चुनाव रद्द किया जा सकता है।

श्री मुल्तानमल सुराना : जब ये लोग इस तरीके से बोलेंगे तो हमको भी अधिकार है। जो बोतल छाप जनसंघ है उसके बारे में, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। उनका मंत्रिमण्डल किस तरीके से भ्रष्टाचारी था यह मैं जानता हूँ। स्वयं प्रधान साहब और ये लोग बोतलों के सहारे शासन चलाना चाहते थे यह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : 1959 से लगातार तेईस सहकारी संस्थाओं को भंग कर दिया है और उनके स्थान पर जो समितियाँ नियुक्त की हैं ये काँग्रेसियों के हाथ में हैं। क्या सहकारी संस्थाएँ निर्वाचित होकर आयें यह उचित नहीं है? केवल काँग्रेसियों का हित साधन करने की दृष्टि से आपने सत्ता का दुरुपयोग करके उनमें काँग्रेसियों को रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि धारा 53 के अन्तर्गत यह उल्लेख है कि तीन वर्ष से अधिक समय तक कोई संस्था भंग नहीं रह सकती। 1968 के मई, जून माह में भंग की गई संस्थाओं के चुनाव की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है क्योंकि काँग्रेस के हित में नियुक्त समितियाँ अच्छी हैं यह सहकारी मंत्री करते जा रहे हैं।

चित्रकांत जी जायसवाल की मोटर दुर्घटना हुई क्या उसके लिये भी नोटिस चाहिए? उनकी दुर्घटना में मंत्री जी को लगा इसका मुझे दुख है, सबको दुख हुआ और चपरासी मर गया। जिनको मोटर चलाना ज्ञात नहीं है ऐसे मंत्री 40 हजार की मोटर न चलायें लेकिन चलाते हैं और चपरासी को मार डाला और स्वयं की आफत बढ़ा ली।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, इसी से मालूम पड़ता है कि नोटिस की कितनी जरूरत पड़ती है। मुझे जहाँ तक स्मरण है वे सरकारी गाड़ी में नहीं जा रहे थे। अगर इसकी सूचना दे दी होती तो कह सकता था कि सरकारी गाड़ी थी या गैर-सरकारी गाड़ी थी। आप डिफेमेटरी और इनडिस्क्रिमिनेटरी चार्ज न लगायें तो अच्छा है।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : क्या यह आरोप सार्वजनिक हित के नहीं है? हमारे दुबे साहब रेलवे में बिना टिकट पकड़े गये।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, वह बिना टिकट के नहीं थे। खुद उनके पास टिकट था चपरासी उनके साथ जा रहा था। इसलिये जितनी बात यहाँ कही जा रही हैं, उनको सदन की कार्यवाही से विलोपित करना चाहिये क्योंकि यह बातें जो कही गई हैं नियम विरुद्ध हैं।

श्री माधवलाल दुबे (राज्य मंत्री, कृषि) अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय प्रधान साहब जैसे अच्छे वकील इस प्रकरण को एकतरफा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिलने के बाद भी यदि यह बात उनकी समझ में न आवे तो मैं उनसे क्षमा माँगूँगा और अपने पद से त्यागपत्र दे दूँगा।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, चावलों की निकासी व प्राइवेट गाड़ियाँ चलाने के लिये परमिट दिये गये उसमें लाखों रुपया निर्वाचन के लिये काँग्रेस को चन्दा दिया गया।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे उनके भाषण में बोलना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि चावल के लिये को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को ही परमिट दिये गये हैं और नियमानुसार ही अन्य परमिट्स दिये गये हैं। उसका लोकसभा के चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं था और न उनसे कोई चन्दा लिया गया है।

अध्यक्ष : व्यक्तिगत आरोप जब लगते हैं तो मेरे लिये मामला कठिन हो जाता है। आपने चार्जशीट 11-12 या 12.30 बजे तक दी, मैं उसको देख भी नहीं पाया।

श्री कृष्णकुमार नूतन : कल मुख्यमंत्री जी इस प्रस्ताव को उसी समय लेने को तैयार थे। आज आपका यह कहना नहीं चल सकता कि चार्जशीट नहीं देख पाया।

अध्यक्ष : आपने मुझे बहुत कम समय दिया है इसलिये मेरे लिये निर्णय लेना कठिन हो रहा है। आप शासन के ऊपर जितने आरोप लगाना चाहें लगायें, मुझे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जब आप व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं तो मैं एक बड़ी उलझन में पड़ जाता हूँ।

श्री कृष्णकुमार नूतन : मंत्री होते हुए पापाचार किया है उसके आरोप लगा रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं?

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : अब मैं आपका ध्यान छोटे-छोटे स्थानान्तरों के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे मित्र शीतला सहाय ने रायसेन के प्रकरण बताये, वहाँ 40-45 पटवारियों के स्थानान्तर एक साथ कर दिये गये। उनके द्वारा निवेदन किये जाने पर राज्य मंत्री द्वारा आर्डर होता है कि जो स्थानान्तर किये गये हैं उनके संबंध में सहकारिता मंत्री से चर्चा की जाये। उनका राजस्व विभाग से सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार के आदेश 1-7-71 को निकाले हैं। इस प्रकार शुक्ला-मंत्रिमण्डल द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। स्थान-स्थान पर आपको शिकायतें मिलेंगी। छोटे-छोटे कार्यकर्ता सैकड़ों रुपया लेकर यहाँ चले आते हैं। सैकड़ों उदाहरण शिक्षकों के ट्रान्सफर्स के मिलते हैं। काँग्रेस के विधायकगण परेशान हैं कि यह क्या बात चल रही है। किसी न किसी रूप में पैसे लेकर उनका स्थानान्तरण हो जाये। हम उनकी शिकायतें आपके सामने बार-बार करते हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं। जब किसी शिक्षक का स्थानान्तर अन्य स्थान पर हो जाता है तो वह संचालक के पास जाता है, तो संचालक कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ ऊपर से हो रहा है। शिक्षा सचिव के पास गये उनसे बात करी वह भी कुछ न कर सके। कारण यही कि ऊपर से जो आदेश मिलते हैं उन पर ही कार्यवाही होती है और इस प्रकार दिन पर दिन दैनिक शासन के कार्यों में मंत्रियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। मंत्री प्रशासन पर हावी हो रहे हैं और इस प्रकार से प्रशासन ठप्प होता जा रहा है और जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस प्रकार मंत्रीगण दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब बात प्रशासन में देखने को मिली वह मैं माननीय अध्यक्ष, निवेदन करना चाहता हूँ। भोपाल में पुलिस विभाग में एक व्यक्ति है वह 14 वर्ष तक पुलिस विभाग में कार्य करता रहा और अब 14-9-70 को उसका स्थानान्तर माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर में 250-450 के ग्रेड में कर दिया गया। इस प्रकार की अंधाधुन्धी प्रशासन में चल रही है। बड़ी अजीब बात है कि जो व्यक्ति कर्मचारी पुलिस विभाग में लट्ठ से कार्य करता है वह संगीत विभाग में क्या करेगा? क्या वहाँ संगीत सुनावेगा या वहाँ संगीत वालों पर लट्ठ चलायेगा। इसी प्रकार की विभिन्न बातें आज प्रशासन में दिन प्रतिदिन सुनने में आती हैं।

माननीय अध्यक्ष, इसी प्रकार की एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे अभी हमारे भाई जौहरी जी ने इसी प्रकार की कार्यवाहियों का उदाहरण दिया। वर्ष 69 में ग्वालियर क्षेत्र में बाबूसिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई और इस हत्या के आरोप 7 व्यक्तियों पर थे। पर वहाँ उस समय जो पाठक नामक एस.पी. थे उन्होंने राजनैतिक दबाव होने के कारण मामला दबा दिया और चालान नहीं होने दिया। हमारे मित्र जौहरी जी ने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी को लिखा, आय.जी. ऑफ पुलिस को लिखा पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिर जिसकी हत्या हुई थी उसके भाई ने न्यायालय में इसकी फरियाद की। जब न्यायाधीश ने केस डायरी मँगाई तो उन्होंने देखा कि निश्चित रूप से 7 व्यक्तियों पर 302 का आरोप बनता है और लिखा कि उनके विरुद्ध वारन्ट जारी किये जावें, लेकिन इतना सब होने पर भी माननीय अध्यक्ष पुलिस विभाग ने वर्ष 69 से 70 तक मामले को राजनैतिक दबाव के कारण दबाये रखा और वारन्टों को तामील नहीं होने दिया। ऐसा केवल यही प्रकरण नहीं है, इस प्रकार की हत्याओं के कई प्रकरण हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बुलायेंगे तो मैं उनको दूँगा। कहीं भी लाश मिलती है तो न उसका पोस्टमार्टम होता है और न ही पंचनामा बनाया जाता है और न जाब्ते से फरियाद ही लिखी जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार दिन पर दिन प्रशासन की स्थिति बिगड़ती जा रही है और उसमें शिथिलता आ रही है। इसका मुख्य कारण माननीय अध्यक्ष, यही है कि जो भी कार्य यह शासन कर रहा है उसे राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज जनता में त्राहि-त्राहि मच रही है।

इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ अधिकारी कुछ खास क्षेत्रों में इसलिए नियुक्त होने जा रहे हैं कि वे किसी खास मिशनरी का प्रचार करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्गीय पिता जी जब नागपुर में मुख्यमंत्री थे तब उनके सामने एक शिकायत आई थी कि आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी इतनी सक्रिय हो गई है कि आदिवासियों की निर्धनता का फायदा लेकर आज हजारों आदिवासी ईसाई बनाये जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने नियोगी कमीशन नियुक्त किया था। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग अभी तक उस ओर ध्यान नहीं दे पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में अभी भी ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जो कि ईसाई मिशनरी

का प्रचार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक पत्र है जो कि शिक्षा अधिकारी रायसेन ने तिवारी को लिखा है। कहिए तो उसको पढ़ दूँ। उसमें अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो यह कहते हैं कि तुम ईसाई मिशनरी का प्रचार करते हो मैं उन्हें कुचल दूँगा। तुम ईसाई मिशनरी का प्रचार करते रहो।

श्री भोपालराव पवार (राज्य मंत्री, शिक्षा) : आपका यह आरोप गलत है। उसकी जाँच हो चुकी है।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पत्र है। कहिए तो पढ़ देता हूँ। इस प्रकार के अधिकारी शासन की सेवा में काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जबलपुर में एक श्री सिन्हा साहब हैं ये फाईन आर्ट में 15 वर्षों से काम करते हैं, इनको मुद्रण विभाग में भेजा गया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि वह फाईन आर्ट का व्यक्ति मुद्रण में कैसे काम करेगा? इसके अलावा श्री शशि मोहन अवस्थी हैं जो कि हमारे शिक्षा मंत्री अवस्थी जी के रिश्तेदार हैं उनको किसी प्रकार की सूचना जारी न करते हुए एकदम जबलपुर कला निकेतन में व्याख्याता नियुक्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप यह देखें कि इस शासन में चल क्या रहा है? इसी प्रकार से एक प्रकरण जबलपुर में दण्डाधिकारी का है। वहाँ एक महिला न्यायाधीश के रूप में बैठती हैं। वहाँ एक भैयालाल नाम के व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसको पुलिस ने मारा और उस मार से वह मर गया। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल कोड में एक धारा है कि यदि कोई आदमी इस प्रकार से पुलिस की हिरासत में मर जावे तो इस प्रकार की जाँच करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति के संबंध में 3-9-71 को आदेश दिया गया कि इसकी जाँच सुप्रिन्टेन्डेन्ट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिनके खिलाफ हमारी शिकायत है वही इसकी जाँच करें तब फिर जनता आपके ऊपर क्या विश्वास कर सकती है? अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रकरण और आपके सामने लाता हूँ कि राजनीतिक दबाव और फायदा लेने के लिए किस प्रकार से छोटे-छोटे प्रकरणों को भी न्यायालय से वापस लेने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बैतूल का एक प्रकरण था, उसमें 7 आरोपी थे, वह 323 और 147 का केस था। और अध्यक्ष महोदय, वे सात व्यक्ति बिलकुल सक्रिय रूप से काँग्रेस पक्ष का चुनाव करते थे। उनके प्रकरणों को विथड्रा कराया गया। इसी प्रकार से यदि प्रकरणों को वापिस लेने का हस्तक्षेप शासन करता है तो किस प्रकार से जनता को राहत मिल सकती है?

इसी प्रकार से एक और प्रकरण मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अभी जहाँ-जहाँ जनसंघ की नगरपालिकाएँ हैं और जनसंघ के सदस्य वहाँ चुनकर आते हैं तो किसी न किसी प्रकार से उनके कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया जाता है। दतिया में नगरपालिका में जनसंघ के अध्यक्ष हैं, वहाँ सदस्यों ने उनको राजीनामा करने का अधिकार दिया था लेकिन हस्तक्षेप किया गया और अध्यक्ष के हाथ से यह अधिकार भी वापस कराया गया। हमारे विधायकों द्वारा यह कहा गया कि इस प्रकार का अधिकार अध्यक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए। विधायकगण यदि इस प्रकार से अधिकारियों पर दबाव डालकर हस्तक्षेप करेंगे तो किस प्रकार से जनतंत्र रहने वाला है?

इसी प्रकार से हमारे जो गृह विभाग के मंत्री श्री पटेरिया जी हैं उनके खिलाफ वर्तमान पत्रों में सागर क्षेत्र के माननीय सदस्य द्वारा शिकायतें हुईं जिनमें विशेषकर एक शिकायत तो यह थी कि वहाँ के हरिजन लोगों को दबाया गया और उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही की गई।

श्री बृजकिशोर पटेरिया (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, वहाँ की तो शिकायत यह है कि वहाँ के हरिजनों को जनसंघ की तरफ से दबाया जा रहा है।

श्री परशुराम साहू : जनसंघ के 54 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जबरन फैसला कराया गया है।

श्री नरबदाप्रसाद राय : अध्यक्ष महोदय,..... .....

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इन्ट्रप्शन्स की अनुमति दे दी है और अगर दे दी है, तो मुझे भी बोलने का अधिकार है।

श्री कृष्णकुमार नूतन : पहले मिनिस्टर साहब को तो बैठाइए।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : मिनिस्टर तो बोलने के लिये खड़े हुए थे।

अध्यक्ष : अनुमति तो मैंने न आपको दी है और न उनको।

(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर पटेरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो हम पर आरोप लगाये जा रहे हैं, हमें आरोप-पत्र पूर्व में दिया नहीं गया है और हम पर आरोप लगाये जा रहे हैं, तो हमें इस स्थिति में उत्तर देने का मौका देना चाहिये।

श्री कृष्णकुमार नूतन : कल फिर क्यों कह रहे थे कि इसे आज ही ले लिया जाये, क्या कल मुख्यमंत्री जी की अक्ल मारी गई थी?

अध्यक्ष : आरोप की सूचना दे दी गई है।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : माननीय अध्यक्ष, एक प्रकरण श्री सुन्नूलाल का है, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, बैंक के डायरेक्टर भी हैं, उनके कई मकान हैं और काफी जमीन है, लेकिन वे काँग्रेसी कार्यकर्ता होने के कारण स्वतंत्रता सैनिक की आड़ में कुछ दिन पूर्व उन्हें काफी जमीन और देने के आदेश दे दिये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मंत्रिमण्डल में बैठकर काँग्रेसी कार्यकर्ताओं को अनुचित लाभ दिया जाता है, ऐसे कई उदाहरण अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने मौजूद हैं।

आज स्थान-स्थान पर छात्रों के आन्दोलन के बारे में सुनते हैं। मैं यह मानता हूँ कि छात्र युवक होने के कारण, रोष में जल्दी आ जाते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, शासन से और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आखिर वे अपनी माँगों के बारे में आपसे मिलते हैं, तो उनकी माँगों पर समय पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? मेरा स्पष्ट रूप से मत है कि यदि उनकी छोटी-छोटी माँगों पर समय पर ध्यान दिया जाये तो इस प्रकार आन्दोलन नहीं होने पायें। माननीय अध्यक्ष, पाडूना के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दो चार रोज से यहाँ फिर रहे हैं, उनकी एक छोटी-सी मांग है कि उनके आयुर्वेदिक कॉलेज को किसी विश्वविद्यालय में सम्मिलित कर दिया जाये। पाडूना सागर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आता है लेकिन सागर विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की कोई शाखा नहीं है, जबलपुर विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की शाखा है, लेकिन पाडूना दूर है, इसलिये सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आखिर एक छोटी-सी उनकी माँग है, उसका समय पर निराकरण किया जाना चाहिये। समय पर इस प्रकार की सभी बातों को हल किया जा सकता है।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, गांधी मेडीकल कॉलेज के छात्रों की वहाँ के खिलाफ कोई शिकायत है, और कुछ छात्रों की माँगें हैं, उनकी वे माँगें डीन के विरोध के कारण पूरी नहीं हो पातीं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी छात्रों की छोटी-छोटी माँगों पर ध्यान देना चाहिये और उनका यथाशीघ्र निराकरण किया जाना चाहिये ताकि छात्र एक आन्दोलन का स्वरूप न ले सकें। इसी तरह इन्दौर के छोटे-छोटे बच्चों की माँग थी, जिसे आपने पूरा तो कर दिया लेकिन यदि उनकी माँगों को समय पर पूरा कर दिया जाता तो निश्चित रूप से तोड़-फोड़ नहीं हो सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक उदाहरण भोपाल पुट्ठा मिल का देता हूँ। पुट्ठा मिल के पास जो जमीन पड़ी है वह उस मिल में काम करने वाले श्रमिकों के आवास गृह के बनाने के लिये थी। वह जमीन पूँजीपतियों को दे दी गई है। श्रमिक कभी-कभी आन्दोलन जो करता है तो वह देश का शत्रु नहीं है, चलते रास्ते अपनी रोजी बन्द करके देश में अराजकता नहीं फैलाना चाहता, वह देश का नागरिक है किन्तु समय पर उनकी शिकायत सुनकर निराकरण नहीं करते जिससे श्रमिकों के आन्दोलन चालू होते हैं। पुट्ठा मिल में प्रशस्त जमीन पड़ी है और इसीलिये मिल बना था कि जो श्रमिक काम करने वाले हैं उनको जमीन आवास के लिये दी जायेगी, उनके बाल-बच्चे, महिलाएँ रहेंगी लेकिन श्रमिकों को उस प्रकार की सुविधा न देकर पूँजीपतियों के हाथ में देकर बाजार बनाने का आयोजन कर दिया गया है। उनसे लाखों रुपये ले लिये हैं और श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। स्वाभाविक है, इस प्रकार से एक असंतोष का निर्माण होता है और आप समाजवाद की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। विधानसभा में समय-समय पर प्रश्न आये हैं कि कितनी जमीन वन विभाग की पड़ी है, राजस्व विभाग की पड़ी है। उत्तर में कहा गया एक लाख एकड़ जमीन पड़ी है। हरिजन माँग रहे हैं, आदिवासी माँग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और वह भूमि लेने के लिये तैयार हैं। शासन इतना अक्षम होता जा रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहा है। उसका कारण है, मंत्रिमण्डल के लोग प्रशासन की दृष्टि से अपने कार्यालय में बैठकर प्रकरण नहीं निपटाते, रात

दिन काँग्रेस के आपसी झगड़े में लगे रहते हैं, कहीं दिल्ली में रहते हैं तो कहीं दौरे पर रहते हैं। इस प्रकार से असन्तोष समाज में दिन प्रतिदिन भड़क रहा है। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दूँ, एक बड़े जनसंघ के कार्यकर्ता हैं, आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, चोरी के मामले में उनके यहाँ दो आदमी खड़े कर दिये और कह दिया कि माल यहाँ दिया है और पुलिस वाले उनको पकड़ कर ले गये और उनसे कहा गया कि काँग्रेस के विरोध में क्यों बातें करते हो, जनसंघ छोड़ कर काँग्रेस में क्यों नहीं आ जाते। इस प्रकार से काँग्रेस में जाने के लिये उन पर दवाब डाला जाता है। एक प्रकरण श्री शिवभानु सोलंकी के बारे में कहना चाहता हूँ। मनावर में एक गाँव है, वहाँ कानूनगो है, काँग्रेस के प्रचार में जाता है, कभी उनके साथ गया है। सैकड़ों आदिवासियों ने शिकायत की है कि उनको कर्जा देकर खूब ब्याज लेता है, उनके मकान छीन लेता है, उनके ढोरों को कांजी हाउस में ले जाता है। मैंने कलेक्टर महोदय से कहा, आपसे निवेदन किया तो आपने कहा मैंने कलेक्टर को कहा है, तो अत्याचार की सीमा हो गई है।

श्री शिवभानु सोलंकी (स्थानीय शासन (ग्राम) मंत्री) : मेरे जन सम्पर्क दौरे के समय शिकायत आई, मैंने कलेक्टर को कार्यवाही करने के लिये कहा। उसके विपरीत उस आदमी को छुड़ाने के लिये जनसंघ के दो कार्यकर्ता एस.पी. के पास गये, एक कार्यकर्ता सब इंस्पेक्टर के पास गया।

श्री वसन्त सदाशिव प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कितनी ही बातें हैं, हत्याओं के प्रकरण के बारे में, चोरी के प्रकरण के बारे में, डाकुओं के बारे में, अभी तक कोई कार्य कर नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सब-इंस्पेक्टर के मामले में 3-3 हजार रुपये लिये जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिये 10-10 हजार रुपये की बोली लगाई जा रही है, इस प्रकार की बातें भोपाल में हमको जगह-जगह सुनाई पड़ रही हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का भ्रष्ट शासन है, जिससे हमारी जनता त्रस्त हो गई है। आने वाले समय में उनके हाथ में राज्य शासन रखना कदापि जनहित में नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री कृष्णपाल सिंह : माननीय प्रधान साहब ने बहस बहुत तरीके से चलाई इसके लिये वे बधाई के पात्र हो सकते हैं, लेकिन गलत केस की अच्छा वकील भी अच्छी पैरवी नहीं कर सकता, इसके लिये उन्हें दुखी नहीं होना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह (उमरिया) : *माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विरोधी दल के श्री प्रधान साहब का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना। वैसे भी मैं किसी दूसरे माननीय सदस्य के भाषण के दौरान टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, जब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करनी हो। चूँकि मेरे मित्र प्रधान साहब का भाषण पूर्ण जानकारी से ओत-प्रोत था इसलिये टोकने की ओर भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि वह जानकारी प्रधान साहब ने जैसा कि उनके स्वयं के शब्दों में उन्होंने भोपाल की गलियों में सुनी है। मैं उनके इस अधिकार से उनको वंचित नहीं करना चाहता कि विरोधी दल के नेता होने के नाते इस विधानसभा में खड़े होकर उन्हें शासन की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन, मैं एक बात की ओर उनका ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहता हूँ और वह इसलिये कि प्रधान साहब इस विधानसभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि उनके कार्य करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रजातंत्रीय शासन पद्धति में चाहे शासन किसी भी दल का हो, इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसके चलाने वाले कुछ थोड़े ही व्यक्ति होंगे। चाहे शासन आज काँग्रेस दल का हो, कल जनसंघ का हो, परसों किसी दूसरी पार्टी का हो, कुछ व्यक्ति विशेष पर शासन संचालन की जिम्मेदारी होगी इसलिये जो व्यक्ति विशेष होंगे उनके क्रियाकलाप और आचरण का शासन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है लेकिन, मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति विशेष के कार्यकलापों के विरुद्ध आरोप हैं उनको ही सम्पूर्ण शासन की नीति का रूप दे दिया जायेगा तो मैं समझता हूँ कि आलोचना भी विकृत होगी और शासन तंत्र भी विकृत होगा। मुझे दुख है, व्यक्ति विशेष को लेकर पूरे शासन तंत्र को दोषी ठहराया, इसलिये उनकी आलोचना भी विकृत हुई और शासन तंत्र में उनको जो आरोप लगाना चाहिये था उसके लिये उनके पास समय नहीं था क्योंकि यदि व्यक्ति के ऊपर ही आप सब कुछ निर्धारित करना चाहते हैं तो मैं उत्तर दे सकता हूँ कि आप लोग भी शासन में थे, आपने उस समय क्या किया

किन्तु यह उत्तर उचित न होगा। यह कहना भी उचित न होगा कि आपके समय के नेता सखलेचा साहब ने अपने पिटीशन के गवाहों को दबाने की कोशिश की। मेरे लिये यह कहना भी उचित न होगा कि आप जिस समय शासन में थे उस समय आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में क्या आरोप लगाये गये थे, उनका उल्लेख करना आपका कोई जवाब नहीं है। इसलिये मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं तो यह चाहता हूँ कि माननीय प्रधान जी इस बात को दर्शाते कि प्रारंभिक जिम्मेदारी हमारी देश और प्रदेश के अन्दर यह है कि हम खाद्यान्न उपलब्ध करायें। हम इस प्रदेश में इतना खाद्यान्न उत्पन्न करें कि उसकी कमी न हो और सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और किसी को कोई भी शिकायत न हो। शायद इस तरीके से कुछ सुझाव आ सकते थे और शासन आपके सुझावों को अमल में लाने के लिये कुछ प्रेरणा लेता। परन्तु इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। उन्हें मालूम था कि पिछले वर्ष में हमारे प्रदेश में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है 160 लाख टन। इसका प्राथमिक श्रेय तो इस प्रदेश के किसानों को है, उनके श्रम और मेहनत को है और इस उपलब्धि के लिये थोड़ा बहुत प्रयास जो शासन ने किया है विशेषकर काँग्रेस पार्टी की नीतियों के क्रियान्वयन के कारण, उसको है। हमने सिंचाई के साधन बढ़ायें हैं जहाँ दो वर्ष पहले केवल 31,469 बिजली के पम्प थे, वहाँ अब 1,11,169 पम्प हैं जो सिंचाई में लगे हुए हैं, मैं मानता हूँ कि यदि प्रधान जी इसको पूरा योगदान नहीं मानते तो थोड़ा बहुत तो है ही। मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि प्रधान जी ने थोड़ा बहुत विद्युत प्रसार की ओर भी ध्यान दिया होता और उस संबंध में जो कुछ काम हुआ है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते और उस संबंध में यदि विद्युत मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी न निभाई हो उसकी आलोचना करते तो मैं उसको सही आलोचना कह सकता था। मैं यह मानता हूँ कि आँकड़े उनकी आलोचना के समर्थक नहीं हो सकते थे क्योंकि 63-64 में जहाँ प्रदेश में 1140 किलो मीटर विद्युत का प्रसार हुआ था तो अब 3653 किलो मीटर हुआ है। कोई भी यह कह सकता है कि विद्युत का प्रकाश बड़े लोगों के घरों में जाता है।

श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : क्या आप प्रधान सा. की आलोचना कर रहे हैं या मिश्र जी की?

श्री अर्जुनसिंह : मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं तो अविश्वास के प्रस्ताव की प्रक्रिया के संबंध में कह रहा हूँ कि किस प्रकार से इसकी जिम्मेदारी निभाई जा रही है। यदि किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना है या कुछ लोगों पर आरोप लगाना है तो यह स्पष्ट है कि सर्वप्रथम यदि किसी मंत्री पर या व्यक्ति पर आरोप है तो उसकी जाँच की जानी चाहिये। जब तक हम अपने राजनीतिक जीवन को स्वच्छ न रखें तब तक हम प्रजातंत्र को अच्छी तरह से नहीं चला सकते। हम बाजार में चलते हुए वाई दी वे— किसी पर भी आरोप लगा दें तो मैं प्रधान जी से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि हम जिसकी बुराई करना चाहते हैं उसका उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना कि हम अपने आपको नुकसान पहुँचाते हैं। इससे हम लोगों पर से आम जनता का विश्वास उठता जाता है। विधानसभा के बाहर भी हम लोगों को सुनने वाले लोग हैं आप काँग्रेस पार्टी पर आरोप लगायें, चोर कहें और काँग्रेस पार्टी के लोग आपको चोर कहें।

श्री रामहित गुप्त : और काँग्रेस पार्टी के लोग काँग्रेस के ही लोगों को चोर कहें?

श्री रमेशचन्द्र दुबे : चोर चोर मौसेरे भाई।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस बात को कहा है, विधानसभा के अन्दर भी घोषणा की है और विधानसभा के बाहर समाचार-पत्रों में भी यह छपा है कि किसी मंत्री की यदि कोई शिकायत है तो उसकी पूरी जानकारी सहित मुख्यमंत्री जी के पास भेजी जानी चाहिये। हाँ, यदि उस पर मुख्यमंत्री जी कोई कार्यवाही नहीं करते तो मैं यह कह सकता था कि मुख्यमंत्री जी राजनैतिक स्वच्छता लाने में बाधक बन रहे हैं। प्रधान साहब ने बहुत-सी ऐसी चीजों को इतना व्यापक रूप दे दिया है जिनके कारण वे विकृत हो गई हैं और उनका उलटा प्रभाव जनता पर पड़ सकता है। प्रधान साहब ने कुछ चुटकी पार्टी के अन्दर की बात कह कर ली है। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि काँग्रेस पार्टी ने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर जन्म लिया है, प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार उसका विकास हुआ है। देश में प्रजातन्त्र को लाने के लिये उसने संघर्ष किया है।

उसमें इतनी सूझबूझ है, इतनी पैनी दृष्टि है कि वह अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से देख सकती है। साथ ही साथ इतनी क्षमता भी है कि वह अपनी पार्टी के अन्दर की आपसी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है, उनसे निपट सकती है, उसमें उसको आपसे कोई सहायता नहीं लेना है। काँग्रेस की ऐसी स्थिति को देखकर अगर आपको यह भ्रम हो गया है कि इस देश का मतदाता इन छोटी-छोटी चीजों को देखकर काँग्रेस पर विश्वास नहीं करेगा तो मेरे विचार से आपकी यह सबसे बड़ी भूल है। काँग्रेस पार्टी पर देश की जनता उसकी नीतियों के कारण विश्वास करती है, किसी व्यक्ति के कारण से नहीं और इसीलिये मुझे विश्वास है कि जनता सदा हमारे साथ रही है और रहेगी क्योंकि काँग्रेस पार्टी की नीति पर उसे विश्वास है। आपने जो भी चीजें रखी हैं उनमें कोई भी विशाल दृष्टिकोण नहीं है। प्रधान साहब ने कुछ ट्रान्सफर्स का भी जिक्र किया है। कुछ अधिकारियों को यहाँ से वहाँ भेज दिया, किसी पुलिस वाले को किसी म्यूजीकल कॉलेज में भेज दिया। आपको यह आपत्ति है कि भोपाल के पुलिस का डंडा ग्वालियर कैसे चला गया इसके बारे में आपको काफी चिन्ता है। मैं जानता हूँ कि आपको यह चिन्ता क्यों है? आप इन छोटी-छोटी बातों को रखकर क्या यह दिग्दर्शन कराना चाहते हैं कि वर्तमान शासन अच्छा काम नहीं कर रहा है? क्या उसने जिन नीतियों की घोषणा की थीं उनके विपरीत काम कर रहा है? तथा वर्तमान शासन की नीति असफल रही है और उसने घोषित प्रोग्राम को पूरा नहीं किया है? यदि आपने यह बताया होता तो अच्छा होता। मैं यह मानता हूँ और विधानसभा के अन्दर भी और उसको विधानसभा के बाहर भी मानता हूँ कि जिस नीति को हमने घोषित किया था उस पर हम उतनी अच्छी तरह से अमल नहीं कर पाये हैं जितनी अच्छी तरह से हमको करना चाहिये था। जहाँ तक आदिवासियों को ऋण मुक्त करने का प्रश्न है उसमें हम सफल नहीं हो पाये हैं यद्यपि इसके लिये हमने कानून भी बनाये हैं। आज भी आदिवासी हरिजन सेठ साहूकारों के पंजे में जकड़े हुए हैं। यदि प्रधान साहब ने इस प्रकार की कोई बात कही होती तो मैं समझता कि उनको आदिवासियों से प्रेम है परन्तु उन्होंने हरिजन-आदिवासियों के संबंध में एक भी बात नहीं कही है। इस प्रकार की ज्वलंत समस्याओं की ओर आपने वर्तमान शासन का ध्यान आकर्षित किया होता और वातावरण तैयार किया होता तो उचित होता। इस वातावरण को निर्माण करने के लिये यदि आपको नो-कॉन्फीडेन्स मोशन भी लाना पड़ता तो यह कहा जा सकता था कि यह सही है। लेकिन आपने इस पूरे भाषण में इस प्रदेश के अन्दर इस प्रकार का वातावरण कायम करने के लिये एक शब्द भी नहीं कहा है। आपकी इस चार्जशीट में एक भी ऐसा सुझाव नहीं है जो शासन को कुछ सहायक सिद्ध हो सके। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही दुःख के साथ और मानसिक क्लेश के साथ कहता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं श्री प्रधान साहब का आदर करता हूँ, उनके द्वारा जो विधानसभा में यह प्रस्ताव आया है अविश्वास की संज्ञा मैं उसे नहीं दे सकता। हाँ, एक बात अवश्य है कि आगे जो चुनाव आने वाला है उसको दृष्टिगत रखते हुए एक गुबार उन्होंने निकाल दिया है ताकि बाद में लोगों से कहने का अवसर रहे कि हमने तो ऐसा कहा पर उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान जी से क्षमा चाहूँगा क्योंकि आप आज लोगों को चाहे जितना बहलाना चाहें, आज व्यक्ति और संस्थाएँ बहलाने लायक नहीं हैं हम तो कहते हैं कि यह जनता के लिये बड़े सौभाग्य की चीज है। हम और आप चाहे व्यक्ति के आधार पर और चाहे संस्था के आधार पर जब चुनाव लड़ेंगे तो इस बात का कोई असर नहीं होगा। आपका जो यह प्रयास था इसका आपने दुरुपयोग किया है और विधानसभा के बहुमूल्य समय को नष्ट किया है इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह विधानसभा न केवल इसे अस्वीकार कर देगी बल्कि एक दफा हम अपनी उन नीतियों पर, उन सिद्धांतों पर जो बने हैं विश्वास कर और आगे आने वाले चुनाव में जनता का विश्वास अर्जित करेंगे और हो सकता है कि उस समय प्रधान साहब की कुछ समझ में आयेगा।--------

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितम्बर 1971, पृष्ठ-199-211)

विकास का रास्ता फूलों-भरा नहीं है। सच तो यह है कि विकास का कोई बना-बनाया रास्ता ही नहीं है। इस रास्ते का चप्पा-चप्पा खुद अपने पसीने से सींचकर बनाना होता है।

— अर्जुनसिंह
(20 सितम्बर, 1980)



1972

काँग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई। 24 मार्च 1972 से नयी विधानसभा का सत्र प्रारम्भ हुआ। श्री अर्जुनसिंह सामयिक अध्यक्ष के पद पर पीठासीन हुए। उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी और सदस्यगणों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली। शपथ ग्रहण की कार्रवाई से पहले सदस्य श्री श्रीनिवास तिवारी (मनगवाँ) ने अध्यक्ष की नियुक्ति पर औचित्य का प्रश्न उठाया। चर्चा रोचक रही। 25 मार्च को श्री अर्जुनसिंह की अध्यक्षता में नये अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। श्री तेजलाल टेंभरे ने अध्यक्ष पद का आसन ग्रहण किया।

30 मार्च को सदन की कार्रवाई रेडियो से प्रसारित किये जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया। जिस पर श्री अर्जुनसिंह ने सार्थक और ज़रूरी हस्तक्षेप किया—

(सामयिक अध्यक्ष (श्री अर्जुनसिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष : आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। संविधान के अन्तर्गत यह एक नई विधानसभा निर्वाचित हुई है जिसके ऊपर प्रदेश और जनता के कल्याण का महान और गुरुतर दायित्व है। यह उपयुक्त होगा कि कार्यवाही आरम्भ करने के पहले हम थोडी देर तक मौन खड़े रहें।

(सदस्यगण कुछ समय मौन खड़े रहे)

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रारम्भ होकर सदन के सभी माननीय सदस्य आसन क्रमांक के अनुसार मेरे सामने आकर शपथ ग्रहण करेंगे और फिर टेबिल पर रखी सदस्य नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

औचित्य प्रश्न

अध्यक्ष द्वारा शपथ लिये जाने के संबंध में

श्री श्रीनिवास तिवारी (मनगवाँ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, सदन के द्वारा संविधान की धारा 188 के अन्तर्गत यहाँ विधायक शपथ लेते हैं। राज्यपाल अथवा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिला सकता है, यह संविधान में प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय को किसने शपथ दिलाई है या उनकी शपथ की प्रक्रिया क्या होगी यह विचारणीय है?

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि आज सुबह राज्यपाल महोदय ने संविधान के मुताबिक मुझे शपथ दिलाई।

श्री श्रीनिवास तिवारी : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि राज्यपाल को, अध्यक्ष को, शपथ विधानसभा की बैठक में दिलाना चाहिये या अन्यत्र दिलानी चाहिये यह सवाल है।

अध्यक्ष : जहाँ तक स्थान का प्रश्न है, वह संविधान में नहीं लिखा है। केवल यह लिखा है कि राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाना चाहिये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अभी किसी को भाषण देने का अधिकार नहीं हो सकता, जब तक वह सदस्य शपथ न ले लें। शपथ लेने के बाद ही प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने का उनको अधिकार होगा।

अध्यक्ष : मैं यह कहना नहीं चाहता कि माननीय सदस्य, सदस्य नहीं हैं लेकिन माननीय तिवारी जी के कहने में तथ्य है। शपथ ग्रहण करने के पश्चात् औचित्य का प्रश्न उठाना चाहिये।

श्री श्रीनिवास तिवारी : माननीय तिवारी जी को मालूम होना चाहिये कि हम लोग सदस्य हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं अर्जुनसिंह जी को बधाई दे रहा हूँ कि आज पहली बार माननीय तिवारी जी ने उनका पक्ष लिया है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 मार्च 1972/पृष्ठ - 1)

अध्यक्ष : दिनांक 28 मार्च, 1972 को जबकि सदन की कार्यवाही चल रही थी तो सदस्य श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि आसपास के रेडियो रिसीवरों पर सदन की कार्यवाही आ रही है। मैंने इसकी तुरन्त जाँच की। विधानसभा सुरक्षा अधिकारी की जाँच से पता चला कि शिकायत सत्य है। फिर उसके लिये इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर, जिनकी ड्यूटी विधानसभा में है, को यह जाँच करने पर लगाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने दिनांक 28 मार्च, 1972 को ही इसकी जाँच की और यह पाया कि उनके यंत्रों में कुछ त्रुटि हो जाने के कारण ऐसा हो रहा था, जिसे उन्होंने ठीक कर दिया। जब सदन की कार्यवाही दिनांक 29 मार्च, 1972 को आरम्भ हुई तो पुनः उसकी जाँच की गई कि क्या त्रुटि दूर हो गई है। तो पाया गया कि वास्तव में त्रुटि ठीक हो गई है। अब इस प्रकार की कोई त्रुटि यंत्रों में नहीं रह गई है और शिकायत दूर हो गई है।

श्री होमी दाजी (इन्दौर-2) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ जाँच सिर्फ इस बात की होनी चाहिये थी यह कि शिकायत सही है या गलत। जब जाँच में पाया गया है कि यह शिकायत सही है तो फिर उसके आगे का अधिकार सदन को आ जाता है। फैक्ट्स स्टेबिलश हो चुके हैं कि विधानसभा की कार्यवाही रेडियो रिसीवरों पर सुनी गई है, वह चाहे किसी कारण से हुआ हो। फिर इंजीनियर साहब ने जाँच की होगी लेकिन यह अधिकार अब सदन का है और उससे सदन को वंचित नहीं किया जा सकता। जब यह पाया गया है कि ऐसा हुआ है तो मैं आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रिवेलेज कमेटी को मामला सौंप दिया जाये क्योंकि यह हाउस का प्रिवेलेज है कि कोई भी सदन की कार्यवाही हाउस के बाहर न जाये। यही नहीं बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदन की कार्यवाही टेलीविजन या रेडियो से सुनी या देखी गई हो। अब यह कैसे हुआ, किस के द्वारा हुआ उसके बारे में इंजीनियर की रिपोर्ट पर से कनक्लुजन नहीं निकाला जा सकता। यह गलती कैसे हुई, मशीन की गलती से हुई या किसी मिसचीफ से ऐसा हुआ, यह गलती एव्वायडेबल थी या नहीं थी वगैरह इन सब बातों की जाँच के लिये इस मामले को तुरन्त प्रिवेलेज कमेटी को सौंप दिया जाये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (बागली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपके द्वारा जानकारी दिये जाने से यह तथ्य बहुत ही स्पष्ट हो चुका है कि वास्तव में चाहे ऐसा यान्त्रिक गड़बड़ियों के कारण ही हुआ हो परन्तु विधानसभा के बाहर विधानसभा की कार्यवाही सुनी गई है। अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य यह सामने नहीं आया कि फ्रीक्वेन्सी की गड़बड़ी के कारण रेडियो पर यहाँ की कार्यवाही की गई है और यदि गई है तो कहाँ तक गई है, जहाँ तक भोपाल रेडियो का प्रसारण होता है वहीं तक गया है या और अन्यत्र भी गया है? फिर भी विधानसभा के बाहर कहीं भी पहुँचा हो, वास्तव में यह प्रश्न सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न बन चुका है। इसलिये आपकी रिपोर्ट आ जाने के पश्चात् यह तथ्य प्रकाश में आ गया है कि यह यंत्रों की गड़बड़ी के कारण है परन्तु सदन का विशेषाधिकार तो भंग हुआ है यह निश्चित रूप से प्रकट हो चुका है। माननीय सदस्य श्री होमी दाजी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, मैं उसी मत का था। और इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना उपयोगी होगा।

श्री अर्जुनसिंह (सीधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि श्री होमी दाजी ने और विरोधी दल के नेता ने, जो प्रस्ताव रखा है, अपने आप में वैसे तो यह बात सच है लेकिन जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया कि कुछ यान्त्रिक गड़बड़ी के कारण यह बात हुई है। अब आपका कहना है कि किसी तरफ से भी कुछ क्यों न हुआ हो, इसे विशेषाधिकार समिति के पास जाँच के लिये जाना चाहिये। वैसे अगर सदन के बाहर यहाँ की कार्यवाही जाये तो निश्चित विशेषाधिकार भंग की कार्यवाही है, लेकिन यदि यान्त्रिक कठिनाई के कारण या यान्त्रिक किसी गड़बड़ी के पैदा हो जाने की वजह से अगर कोई बात बाहर आ गई है तो मैं समझता हूँ कि हमको इतना महत्व नहीं देना चाहिये क्योंकि हो सकता है यंत्र खराब हो गये हों और बात बाहर गई हो। फिर भी यदि माननीय सदन के नेता और विरोधी दल के नेता चाहें तो सदन की एक समिति बना दें, क्योंकि अभी

विशेषाधिकार समिति का निर्माण भी नहीं हुआ है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : विशेषाधिकार समिति तो बन सकती है, ऐसी क्या बात है?

श्री अर्जुनसिंह : सदन की समिति दो-तीन सदस्यों की बना दी जाये, वैसे केवल यांत्रिक गड़बड़ी से हुआ है तो फिर इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता है?

श्री होमी दाजी : यह हम कैसे मानें?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, श्री होमी दाजी ने जो आपत्ति उठाई है वह सर्वथा दुरुस्त है। चाहे हमारे सदन के अधिकारी या कर्मचारी की गलती से हुआ हो, चाहे यान्त्रिक गलती से हुआ हो, जो कुछ भी हुआ, अगर हमारे सदन की कार्यवाही बिना अनुमति के बाहर सुनी गई है तो निश्चित रूप से यह अनुचित है और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिये। जहाँ तक श्री अर्जुनसिंह ने कहा है कि सदन की समिति बना दी जाये तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि सदन की जो समिति ये बनाई जाती है वह एक स्पेशल कमेटी होती है, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मामले में बनाई जाती है। जैसा उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार समिति के द्वारा जाँच करना उचित न होगा तो मैं इससे सर्वथा असहमत हूँ। सदन की स्पेशल कमेटी बनाना उचित न होगा। इसके संबंध में एक प्रस्ताव श्रीमान दाजी साहब लिखित दे दें और उसको नियमानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय मूव कर देंगे।

श्री होमी दाजी : मैं लिखकर दे दूँगा। वैसे सदन में चर्चा के बीच मूव तो हो चुका है, निर्णय अध्यक्ष महोदय को करना है।

श्री श्रीनिवास तिवारी: अध्यक्ष महोदय की तरफ से स्वयं आ सकता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय की तरफ से नहीं आ सकता है। सचिव की सूचना पर अध्यक्ष महोदय की तरफ से आ सकता था, चूँकि उन्होंने सूचना दी नहीं दी है इसलिये श्री दाजी साहब की लिखित सूचना पर ही प्रस्ताव आयेगा।

अध्यक्ष : मैं इसको श्री दाजी का प्रस्ताव मानता हूँ तथा इस पर अपना यह निर्णय देता हूँ कि यह प्रकरण विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 मार्च 1972/पृष्ठ - 153-155)

25 मार्च को राज्यपाल श्री सत्यनारायणसिंह का अभिभाषण हुआ। सदस्य श्री नारायणप्रसाद शुक्ल (इन्दौर-4) ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर अनेक सदस्यों के संशोधन आये। चर्चा की शुरुआत विरोधी दल के नेता श्री कैलाशचन्द्र जोशी (बागली) ने 7 अप्रैल को की। चर्चा 10 अप्रैल को भी जारी रही। दोनों दिन लम्बी बहस छेड़ते हुए श्री जोशी ने काँग्रेस पार्टी और श्री प्रकाशचन्द सेठी मंत्रिमण्डल पर धुआँधार आरोप लगाये और उसे कमजोर सिद्ध करने की कोशिश की। 10 अप्रैल को चर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री जोशी पर कल्पित भावनाएँ प्रदर्शित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह 1967 नहीं है, यह 1972 है। अब ईर्ष्या प्रेरणा का स्थान नहीं लेगी। द्वेष, नीति का स्थान नहीं लेगा और सत्ता प्राप्ति केवल उद्देश्य नहीं होगा। हम जो योजनाएँ बना रहे हैं वे केवल मायाजाल नहीं हैं। बीच बहस में उनका हस्तक्षेप यहाँ प्रस्तुत है—

श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न उपस्थित है कि श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं। चूँकि यह सदन में प्रस्तुत हो गया है, इसलिए अब सदन की अनुमति से ही उसे वह वापस ले सकते हैं। अतः संशोधन वापस लेने की अनुमति क्या सदन देता है?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (बागली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परम श्रेष्ठ राज्यपाल महोदय ने विधानसभा में अपना भाषण देकर एक परम्परा का निर्वाह कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में राज्यपाल का पद केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश सरकार में आकर बैठने का होता है। अगर इस नाते से सरकार के

जो कार्य हैं, हों, सरकार की जो मानी हुई नीतियाँ हों उनके आधार पर हम सदस्यों के बीच आकर उसका बखान कर दें। यह राज्यपाल का काम होता है। अध्यक्ष महोदय, फिर हमारे जो वर्तमान राज्यपाल महोदय हैं उनकी कुछ विशेषताएँ हैं। वे पिछले पच्चीस वर्षों से सक्रिय राजनैतिक मैदान में रहे हैं। इस नाते से हमारे प्रदेश के राज्यपाल जो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं लेकिन पिछले 25 वर्षों का उनका स्वभाव गया नहीं है, इसलिये वे यहाँ भी राजनीति में रुचि लेते हैं। वे सरकार उलटने, विधानसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनावों में वे पूर्ण रुचि रखते हैं।

श्री गौतम शर्मा : राज्यपाल के संबंध में केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कहना उचित नहीं है। कन्स्टीट्यूशन के अधीन उनको अधिकार है और उन अधिकारों के अधीन वह काम करते हैं। केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम नहीं करते। इसलिये इस प्रकार की बात सदन में करना उचित प्रतीत नहीं होती।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं गौतम जी से कहना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं बोलना चाहिये नहीं बोल रहा हूँ। हमारे राज्यपाल प्रान्तीय सरकार को गिराने या उठाने में रुचि लेते हैं। चुनाव में रुचि लेते हैं। यह कहना आपत्तिजनक है क्या?

श्री अर्जुनसिंह : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। जहाँ तक मैं समझता हूँ राज्यपाल के संबंध में इस प्रकार के आक्षेप लगाना कि वह सरकार को गिराने-उठाने में रुचि लेते हैं या चुनाव में रुचि लेते हैं, सीधे तौर पर उनके संवैधानिक प्रदत्त अधिकार जो हैं उनके प्रति आक्षेप करना है, चूँकि वह उत्तर देने के लिये यहाँ सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिये उन पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है।

श्री हरिभाऊ जोशी : * .....* यहाँ आकर यदि कोई व्यक्ति राज्य में घूमता है, भाषण देता है यहाँ के क्रियाकलापों में रुचि लेता है तो उसकी गतिविधियों के बारे में भी लोग अपना मत व्यक्त जरूर करेंगे। राज्यपाल महोदय को अपनी गरिमा कायम रखना चाहिये यह कहना आक्षेप की बात कैसे होती है? वे हमको बैठे-बैठे कोसते रहें, काँग्रेस उम्मीदवार का प्रचार करते रहें और हम अपनी बात भी न कह पायें तो यह कहाँ तक उचित है। क्या यह सब नहीं चल सकता। परम्परा एक ओर से न बनती है न निभाई जा सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : यहाँ जवा कुसुम के फूल का प्रश्न नहीं है, न किसी फूल का प्रश्न है।

श्री हरिभाऊ जोशी: हम तो गुलाब का फूल मानने को तैयार हैं।

अध्यक्ष : मैं सदस्यों का ध्यान कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया के आर्टिकल 176 के प्रावीजो की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि—

"At the Commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year. the Governor shall address the Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons.

Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters to in such address". The scope of discussion is restricted the matters referred to in the address.

यह प्रोसीजर रेग्युलेट करने के लिये सदन ने नियम बनाये हैं। नियम 13 है :—

"The Speaker, in consultation with the Leader of the House, shall allot time for the discussion of matters, referred to in the Governor's address at the commencement of session of the Vidhan Sabha under Article 176 (1) of the Constitution."

तो संविधान की धारा 176 तथा नियम 13 का अनुसरण करते हुए मैं यह व्यवस्था देता हूँ कि राज्यपाल महोदय के भाषण में जिन विषयों का या बातों का रिफरेन्स दिया है यानी जो बातें उनमें समाविष्ट हैं उन्हीं पर चर्चा हो सकेगी। राज्यपाल महोदय की स्थिति क्या है और वे कैसे क्या हैं, क्या नहीं हैं, यह आज की जो चर्चा है .....

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूँ और मैं अपनी व्यवस्था पर चर्चा नहीं करने देना चाहता हूँ। इसलिये यदि हम विधान और नियमों को मानते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन का प्रत्येक सदस्य विधान को मानने

वाला है, नियमों को मानने वाला है, तो मेरी यह व्यवस्था है कि विधान की धारा 176 का परन्तुक और नियम 13 के अन्दर ही आप लोगों को मैं चर्चा करने दूँगा जो बातें "मेटर्स रेफर्ड टू इन सच एड्रेस" जिन बातों पर संकेत किया गया है उन्हीं बातों पर चर्चा हो सकेगी।

श्री हरिभाऊ जोशी : उनके भाषण में जो कहा गया है, उससे जो उद्भूत हो उसके बारे में चर्चा हो सकेगी।

अध्यक्ष : Unless the matter is referred to in his address I will not allow any speech beyond that address. This is my ruling.

श्री वसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के बारे में जो कहा गया है उसको एक्सपन्ज करना चाहिये।

अध्यक्ष : मैं उसको एक्सपन्ज करने के आदेश देता हूँ, यदि उनके जीवन के सम्बन्ध में कोई बात कही गई हो।

श्री वसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, उनकी राजनीति में दिलचस्पी लेने की बात जो कही गई है, उसको एक्सपन्ज करने के लिये मेरा निवेदन है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि अभी अर्जुनसिंह जी ने शिकायत की कि मैंने राज्यपाल महोदय पर आक्षेप लगाये हैं। मैंने उन पर कोई आक्षेप नहीं लगाये हैं मैंने तो उनके जो विशेष गुण हैं उन गुणों का बखान कर दिया है इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये हैं, मैंने तो गुणों का बखान किया है।

अध्यक्ष : मैं उसको स्वयं देखूँगा और कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसको एक्सपन्ज करा दूँगा। माननीय राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा बनाये रखना हम सबका कर्त्तव्य है हम कोई भी ऐसी बात न कहें जो प्रतिष्ठा के अनुरूप न हो। जो बातें प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होंगी मैं उनको निकाल दूँगा। अगर हम यही चर्चा में समय नष्ट करते रहे तो महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा करने का समय नहीं बचेगा। मैं समय का बंटवारा संख्या के आधार पर करूँगा। इसलिये मैंने नाम माँग लिये हैं दल के नेता गणों पर मैं कोई रोक नहीं लगाऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि वे अपने सदस्यों को स्वयं ही रोक लेंगे जिससे स्थिति ही नहीं आयेगी।

श्री शाकिर अली खाँ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो लोग समय बरबाद करें उनका समय उनके समय में से ही काटा जाये।

श्री हरिभाऊ जोशी : यह समय श्री अर्जुनसिंह जी के समय में से काट लिया जाये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय सरकार की आगामी नीतियों और सरकार द्वारा किये गये कार्यों का वर्णन अपने भाषण में करते हैं। राज्यपाल महोदय ने इस बार फिर अपने भाषण को दोहराया है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो भाषण सन् 1971 में दिया था और जो अभी भाषण दिया है उसमें उन्होंने विधानसभा के समक्ष बहुत-सी घोषणा की हैं, बहुत से आश्वासन दिये हैं। उनमें से कुछ मैं आपके समक्ष उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूँ। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण के महत्वपूर्ण अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ जो पिछले भाषण से ज्यों के त्यों रख दिये गये हैं। राज्यपाल महोदय ने पिछले भाषण में कहा था कि मध्यप्रदेश की चतुर्थ योजना का आकार जो तीन सौ तिरानवे करोड़ रुपये का था अब चार सौ करोड़ कर दिया गया है, किन्तु यह आश्वासन 31 मार्च 1972 तक पूरा नहीं हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे उत्तर देते समय बतायें कि इस प्रदेश का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कितना कार्य तीन वर्ष में समाप्त हो गया है। स्थिति यह है कि योजना के तीन वर्ष समाप्त हो चुके हैं और सरकार अभी तक इस स्थिति में नहीं है, किस विभाग के विकास कार्य में कितना व्यय किया जावेगा। उदाहरण के लिये लोक कर्म विभाग के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 31 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लम्बी चौड़ी घोषणा कर दी कि गाँव-गाँव में सड़कें बन जावेंगी। परन्तु तथ्य यह है कि चतुर्थ योजना में 31 करोड़ रुपया सड़कों तथा पुलों के लिये रखा गया है और श्रीमान अभी तक केवल आठ करोड़ ही व्यय किया गया है और शेष रुपया व्यय ही नहीं हुआ है, अभी तीन वर्ष समाप्त हो गये और यदि इसी गति से काम चलता रहा तो दो वर्ष में 23 करोड़ रुपये कैसे खर्च हो जावेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घोषणाएँ राज्यपाल के अभिभाषण में होती हैं तो फिर हम कैसे राज्यपाल के अभिभाषण पर आये हुए कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। राज्यपाल

महोदय के पिछले वर्ष के अभिभाषण के पृष्ठ 9 के पैरा 99 में लिखा हुआ है— "राज्य में फसल की बीमा योजना शुरू करने का प्रश्न कुछ समय से राज्य शासन के विचाराधीन रहा है। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि यह योजना अगले वर्ष पायलट बेसिस पर प्रयोगात्मक रूप से प्रदेश के दो विकास खण्डों में शुरू की जाये।" क्या यह शुरू हो गई है? नहीं हुई है। राज्य शासन राज्यपाल से लंबी चौड़ी घोषणाएँ करवाता है परन्तु सारे वर्ष में कोई काम नहीं होता और न व्यय ही होता है। वर्ष में एक बार राज्यपाल महोदय से भाषण दिलवा दिया जाता है परन्तु भाषण में उल्लिखित बातें अमल में नहीं लाई जातीं। केवल परम्परा निभाने के लिये वर्ष में एक बार राज्यपाल का अभिभाषण करवा दिया जाता है और फिर बारह-महीने तक कोई चिन्ता नहीं रहती। फिर अध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें कि कोई माननीय सदस्य कैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आये हुए कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक और नमूना श्रीमान के समक्ष रखना चाहूँगा। पृष्ठ 10 पैरा 22 पर यह लिखा हुआ है कि "शासन का यह मत रहा है कि किसानों से कर्ज की वसूली के लिये उनकी जमीन न बेची जाये। इस सिलसिले में यह व्यवस्था की गई है कि उनकी जमीन किसी दूसरे को पट्टे पर दी जाकर पट्टेदार से वसूली की जाये। निश्चित अवधि के बाद कर्जदार किसान की भूमि उसे वापस मिल जायेगी।" अध्यक्ष महोदय, परसों चार तारीख की नई दुनिया समाचार-पत्र में यह खबर छपी है कि देपालपुर परगना और खरगौन में आपके सहकारिता विभाग द्वारा हजारों किसानों की जमीनें नीलाम की जा रही हैं।

{सभापति महोदय (श्री अर्जुनसिंह) पीठासीन हुए}

यदि यह सब हो रहा है तो इस भाषण में उसका उल्लेख करने का मतलब क्या है, इसका उत्तर तो हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे? अध्यक्ष महोदय, एक और नमूना मैं बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ 12 के पैरा 30 में यह बताया गया है कि— "कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये पर्याप्त मात्रा में सिंचाई साधनों का होना आवश्यक है।" मध्यप्रदेश में सिंचित भूमि दूसरे प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। अब हर वर्ष इस कार्य पर काफी राशि खर्च की जा रही है और शासन इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रदेश में सिंचित क्षेत्र जल्द से जल्द बढ़ाया जाये। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 31 मार्च को वर्ष पूरा हो गया है इस वर्ष में सिंचाई के कितने नवीन स्रोत और साधन भेजे गये और कितने डेसीमल, कितने प्रतिशत क्षेत्र एक वर्ष में बढ़ाया गया है। काम कुछ भी नहीं होता और आप यहाँ राज्यपाल महोदय के द्वारा लम्बा चौड़ा भाषण करवा देते हैं और अनेक घोषणाएँ करवा देते हैं परन्तु उन आश्वासनों की पूर्ति कैसे होगी इसकी चिन्ता न तो सरकार को रहती है और न सरकार के मंत्रियों को रहती है और न मुख्यमंत्री जी को। ऐसी हालत में राज्यपाल के अभिभाषण कराने से प्रदेश का क्या भला होने वाला है। मैंने पिछले वर्ष का कुछ नमूना उदाहरणार्थ रखा है और यह प्रति मेरे पास मौजूद है। सरकार इसको पढ़ सकती है, देख सकती है और फिर बतायें कि मैंने जो कुछ कहा है वह सच है कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इस बात के बाद भी यह जो इस वर्ष का भाषण हुआ है, उस भाषण के सम्बन्ध में, मैं कोई विशेष बोलना नहीं चाहता। इसलिये बोलना नहीं चाहता क्योंकि इसमें जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया 60 प्रतिशत बातें वही हैं जो पुराने भाषण में दी गई थीं। नई बोतल में पुरानी शराब है, जो पिछले वर्ष की घोषणाएँ थीं, वही की वही लिख दी गई हैं। कोई नवीनता नहीं है। नवीनता जो है, उसके सम्बन्ध में बता देना चाहता हूँ। एक बात आपने बताई है कि हम सड़कों का काम बड़ी तेजी से करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सड़कों के लिये जो पैसा आपके पास पड़ा है, उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो आपको रुपया दिया था उसमें से आपने कितना खर्च किया, इस सम्बन्ध में मैंने सितम्बर 1971 के सत्र में प्रश्न पूछा था, उस पर सरकार ने उत्तर दिया है कि 80 लाख रुपया केन्द्र से मिल चुका है। हमने पूछा था कि उसमें से 20 जून तक आपने कितना व्यय किया? आपका दिया हुआ उत्तर मेरे पास रखा है। आपने बताया कि 80 लाख में से चार हजार दो सौ रुपया खर्च कर दिया है। यह आपकी काम करने की गति है। कैश प्रोग्राम में आपकी योजना यह है कि बेकारों को काम मिले। उसके लिये केन्द्र सरकार से भी शत-प्रतिशत के आधार पर पैसा मिला है। 31 मार्च पूरा हो गया है। जो 4 करोड़ रुपया मिला है उसमें

से 5-7 लाख से अधिक व्यय आप नहीं कर सके। क्या आपकी यह सड़क बनाने की गति संतोषजनक है। जिस पर अब माननीय सेठी जी ने घोषणा कर दी कि हर गाँव को सड़क से जोड़ देंगे। तो क्या आपके पास अलाउद्दीन का चिराग है या मध्यप्रदेश के नक्शे में आप केवल कागजी रूप से हर गाँव को सड़क से जोड़ देंगे, आप जो जोड़ने वाले हैं, वह कैसे जोड़ देंगे। पिछले वर्ष मध्यावधि चुनाव में जब माननीय सेठी जी ने इन्दौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय उनसे बरोठा नामक गाँव के लोगों ने कहा था कि यह ढाई मील की अप्रोच रोड पड़ी है, इसको आप बनवा दें तो हम आपको वोट देंगे। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको एक वर्ष में बनवा देंगे। एक वर्ष बीत गया और वह सड़क नहीं बन पाई। वह नेवरी से बरेठा तक की सड़क से जोड़ने की योजना अभी तक पूरी नहीं हुई तथा काम के नाम पर इतना हुआ कि वहाँ सड़क का एक बोर्ड लगा दिया गया। इसी तरह से सरकार कहती है कि हर गाँव को सड़क से जोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि त्वरित क्रम में इसे हाथ में लिया जाये तो मेरा सुझाव है कि पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के बल पर इस काम को पूरा नहीं कर सकेंगे। कैश प्रोग्राम के काम को भी 6 महीने तक ब्लाक के ऊपर डाल रखा गया, अब आज पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास रेगुलर वर्क इतना है कि उसके साथ हम इसे नहीं पूरा कर सकेंगे। अगर आपने उनको यह नया काम दिया तो क्या वे इसे पूरा कर सकेंगे। हमको इसके लिये कुछ नवीन रूप से विचार करना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि जो जनपद पंचायतें हमारी बन गईं हैं, उनको इस दृष्टि से सक्रिय करना पड़ेगा। जो इस तरह से इन्टरनल रोड्स के वर्क हैं वह उनको सौंपे जायें, इसके लिये उन्हें रोडरोलर दिया जाये। जितनी अप्रोच रोड्स हैं उनको बनाने की, वे त्वरित कार्यवाही हाथ में लें।

श्री गुलशेर अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं जोशी जी से कहना चाहूँगा कि अगर यह काम पंचायतों को दे दिया जायेगा तो यह हो जायेगा कि पैसा बाँटते फिर रहे। चुनाव के समय आपके द्वारा इस तरह कहा जाता है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं समझता हूँ, माननीय गुलशेर अहमद सा. का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आपको लज्जा आनी चाहिये यह कहते हुए।

श्री गुलशेर अहमद : मैं आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपके जनसंघ के भाई चुनाव में कह रहे थे कि यह रुपया दिया गया, वह रुपया दिया गया तो यह हो जायेगा कि सड़क के लिये1 हजार रुपया दिया गया।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं गुलशेर अहमद जी को कुछ कहना नहीं चाहता, उनके लिये स्वयं लज्जा की बात है। वे इतने वरिष्ठ होकर इस प्रकार के भाषण सदन में बोलते हैं। आज हम देश में लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं।

लोकतंत्र में इस प्रकार दूसरों पर अविश्वास करना और अपने आपको विश्वास पात्र बताना अच्छी बात नहीं है, यह कोई अच्छा ढंग नहीं है। मैं समझता हूँ आप अपनी भूल को ठीक कर लेंगे।

राज्यपाल महोदय के भाषण में एक बात आई है वह मैं बताना चाहता हूँ। किसानों को उसकी उपज का मूल्य मिले इस पर बहुत बल उन्होंने दिया है। इस वर्ष स्थिति यह है कि कपास की फसल की काफी हानि हुई है।

श्री रामपाल सिंह : प्वाइंट ऑफ आर्डर, माननीय जोशी जी से जानना चाहूँगा कि संविद काल में सड़कें बनाने की स्पीड क्या थी?

सभापति : प्वाइंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करके किया जाता है, वक्ता को नहीं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : यह आप अपने नेता से पूछें और इस पर डिबेट करना है तो कभी भी कर लेंगे। तो मैं कह रहा था कि इस बार अनेक जिलों में फसलें खराब हुई हैं कोशिश कर कपास की फसल को कई जिलों में हानि पहुँची है। कुछ जिलों में मुख्यमंत्री ने राहत देने की घोषणा की है लेकिन जो घोषणा की है वह नाकाफी है। अनेक जिले ऐसे हैं जहाँ कपास की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहाँ के आँकड़े हमारे पास आये हैं। जो नुकसानी देखने की व्यवस्था है वह त्रुटिपूर्ण है। इस कारण आप इस स्थिति में नहीं हैं कि उनको लगान में छूट दे सकें लेकिन सरकार को इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि कपास कैश क्राप है। इस बार हुई हानि के कारण वह अपनी सारी कर्जों की किश्तें नहीं चुका सकता इसलिये जहाँ कपास को पर्याप्त हानि पहुँची है वहाँ तकावी की रकम, बैंकों की रकम की किश्त चुकाने में छूट देनी चाहिये। जिन जिलों में हानि हुई है उसकी

जानकारी लैंड रिकार्ड के डायरेक्टर के यहाँ आ गई है। जिन जिलों में छूट देने की व्यवस्था नहीं हो, पाई है वहाँ छूट दी जाये।

एक बात राज्यपाल महोदय ने समस्यामूलक गाँवों के बारे में कही। पिछली बार भी सरकार ने राज्यपाल महोदय से यही बात कहलवाई थी परन्तु एक वर्ष में कोई प्रगति नहीं हुई है। केवल प्रगति यह हुई है कि समस्यामूलक गाँवों में 1300 गाँव और जुड़ गये हैं। यह बड़ा ही उपेक्षित विषय रहा है। पिछले दिनों में किस गति से पीने के पानी की समस्या हल करने के लिये कदम उठाना चाहिये था वह नहीं उठाया गया है। इस विभाग में कुछ ऐसी व्यवस्था दिखती है कि एक-एक गाँव में समस्या हल करने में बहुत समय लगता है। इस व्यवस्था को सुधारना चाहिये ताकि त्वरित गति से कार्य हो सके।

श्री गुलशेर अहमद : मैं अपने लायक दोस्त से यह जानना चाहता हूँ कि वहाँ पैदावार को नुकसान हुआ है वहाँ वसूली न हो या उनको डिफाल्टर न माना जाये या पीनल इंट्रेस्ट न लगे अगर वह साल अगले किश्त चुकायें?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : उनको इस वर्ष की छूट दे दी जाये, अगले वर्ष किश्त ली जाये। जो रकम की किश्त उनको इस वर्ष जमा करनी है वह अगले वर्ष जमा कर दें। तथा इंट्रेस्ट तो माफ होना चाहिये।

उसके बाद राज्यपाल महोदय के भाषण मे डाकू समस्या के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मुख्यमंत्री ने इस डाकू समस्या को इतना प्रकाशित कर दिया है कि सारे देश में खबर फैल गई है। समस्या सुलझे या नहीं, यह बात अलग है। परन्तु व्यक्ति चाहता है कि हमारा नाम हो जाये। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री इस समस्या को सुलझा नहीं सकते। पिछले बीस सालों में जितनी कांग्रेस सरकार बनी हैं सबने घोषणा की लेकिन काम कुछ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, डाकू समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता एक नहीं 10 सेठी जी आ जायें किन्तु डाकू समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। भले ही वे पत्रकारों के बीच यह घोषणा कर दें। कहते हैं डाकुओं के पत्र आ रहे हैं वे असली हैं या नकली पत्र तो किसी ने देखे नहीं हैं। यदि पत्र आया है तो माननीय मुख्यमंत्री को विधानसभा के पटल पर रखना चाहिये और विधानसभा में उसकी जाँच हो जावे कि वे असली हैं या नकली। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार काम तो नहीं करना चाहती केवल उसका एक ढोंग किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह से डाकू समस्या हल करेंगे, सड़कों के लिये पैसा रखा जाता है वह लेप्स हो जाता है, बीहड़ों को साफ करने के लिये पैसा रखा मगर आप खर्च कर नहीं पाये। फिर अध्यक्ष महोदय, किस तरह से डाकू समस्या पर नियन्त्रण कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, चम्बल के बीहड़ों को साफ किया जाना चाहिये और वहाँ पर लोगों को बसाया जाना चाहिये, वहाँ सड़कें बननी चाहिये और नये उद्योग खोले जाने चाहिये जिससे समस्या का कुछ हल निकल सके, लेकिन इस ओर तो सरकार सोचती नहीं है, और बार-बार यह घोषणा करती है कि हम डाकू समस्या को समूल हल कर देंगे। डाकुओं को नष्ट कर देंगे। यह अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार से इस समस्या को हल कर सकेंगे और इसमें वे सफल हो सकेंगे। मेरा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे यथार्थता को स्वीकार करें और इस प्रकार के नारों से बचें और जो वास्तविक स्थिति है उसको स्वीकार करते हुए इस समस्या को हल करने के लिये आगे आवें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि यह सरकार स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन देगी। यह स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन सेठी जी कैसे देंगे। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश की काँग्रेस का इतिहास सन् 1962 से ऐसा रहा है जो भी मुख्यमंत्री आया है उसने यही घोषणा की कि वह स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन देगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस के इस 12 साल के इतिहास में पूरे 5 वर्ष तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा, जो कि स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन की बात कहता था। अध्यक्ष महोदय, सन् 1962 से काँग्रेस का इतिहास ऐसा चला आ रहा है इससे ऐसा लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी पूरे 5 साल तक नहीं रह सकते। फिर किस तरह से अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ और स्वस्थ प्रशासन देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो भी मुख्यमंत्री आया है उसे पहले कंधे पर उठाया जाता है, हार फूल किये जाते हैं और फिर वही लोग उसे पैर पकड़ कर खींच लेते हैं। मण्डलोई जी का यही हाल हुआ, श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र का भी यही हुआ और श्यामाचरण शुक्ल का भी यही हुआ। ऐसी अवस्था में सेठी जी किस तरह से स्वच्छ

और स्वस्थ प्रशासन देंगे समझ में नहीं आता है। क्योंकि काँग्रेस का 12 वर्ष का इतिहास मौजूद है, उससे लगता नहीं है कि ये भी कुछ कर सकेंगे।

श्री वसन्तराव उइके (कृषि मंत्री) : आपने बीच के मुख्यमंत्री, अपने मुख्यमंत्री को छोड़ दिया वे कितने दिन रहे?

(2 बजे से 3 बजे तक अन्तराल)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/7 अप्रैल 1972, पृष्ठ/291-297)

राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव एवं संशोधनों पर चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (बागली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कह रहा था कि, जो घोषणाएँ उसमें की गई हैं वे अधिकांश ऐसी हैं जिनका इस वर्ष पूरा होना सम्भव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे निवृत्त माननीय मुख्यमंत्री पं. श्यामाचरण शुक्ल ने पिछले दिसम्बर महीने में दो घोषणाएँ की थीं, एक घोषणा इस सदन में यह की थी कि वे 3 महीने में प्रदेश से शिक्षित बेरोजगारी को मिटा देंगे। प्रदेश में कोई शिक्षित बेरोजगार नहीं रहेगा और सरकार सब को रोजगार दे देगी। दूसरी अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर में ही यह घोषणा की गई कि प्रदेश से चुंगी को माफ कर दिया जायेगा। चुंगी इस प्रदेश में नहीं रहेगी। इन घोषणाओं का क्या हुआ हम आप सब जानते हैं। क्या प्रदेश से शिक्षित बेरोजगारी मिटाई जा सकी? क्या चुंगी माफ हो गई? इसी तरह प्रकाशचन्द सेठी भी प्रतिदिन नयी-नयी घोषणा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनकी घोषणा केवल घोषणा ही होगी कुछ होने वाला नहीं है। मैं सेठी जी से निवेदन करूँगा कि वे घोषणा-प्रवीण मुख्यमंत्री न बनें, बल्कि कार्य-प्रवीण मुख्यमंत्री बनें और कोरी घोषणाओं से वे दूर रहकर वे वास्तविक में कुछ काम करें। अध्यक्ष महोदय, सेठी जी अभी-अभी दिल्ली से लौटे हैं और आने के बाद जिस तरह से उन्होंने नई-नई घोषणाएँ की हैं उससे एक ही बात लगती है। उनकी दशा उस बालक की-सी है जिसको माँ पाठशाला में पढ़ने यह कह कर भेजती है कि मेरा बेटा आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। श्री सेठी जी को भी माँ ने दिल्ली से यह कहकर भेजा है कि मेरा राजा बेटा दिल्ली से भोपाल जायेगा वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा और खूब नाम कमायेगा। इसे सुनकर वह बालक भी यह कहने लगता है कि मैं बड़ा आदमी बनूँगा और यह करूँगा और वह करूँगा।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : मगर मैं तो कॉलेज से स्कूल आया हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : उसी प्रकार से हमारे सेठी जी रोज नई घोषणाएँ कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं यह करने वाला हूँ और वह करने वाला हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ वि मुख्यमंत्री जो कुछ कहें उसको वे पूरा करें और घोषणा-प्रवीण न बनते हुए कार्य-प्रवीण बनें।

अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने कुछ सुझाव कुछ महत्वपूर्ण बातों पर देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जब बीच में विधानसभा स्थगित हुई थी तो दो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हमारे यहाँ पर आये हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि यह परम्परा उचित नहीं है कि जब विधानसभा चल रही हो और ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन जिनमें विधानसभा की समितियाँ बनी हों उनके विषय में सदन को जानकारी दिये बिना बाला-बाला आप घोषणाएँ कर दें। मुख्यमंत्री जी यदि विधानसभा के इस सदन में घोषणा करते तो कहीं अधिक अच्छा होता। इसी प्रकार से उन प्रतिवेदनों में जो मुद्दे उठाये हुये हैं, उनके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएँ भी की हैं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये घोषणाएँ मुख्यमंत्री जी ने सदन में की होती तो इससे उनका गौरव बढ़ता। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के प्रतिवेदनों की घोषणाएँ सदन के अन्दर करके अच्छी परिपाटी डालेंगे। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि दोनों प्रतिवेदनों की रिपोर्ट इस सदन के सदस्यों को शीघ्र उपलब्ध कराई जाये।

जहाँ तक प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन का प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि कई बार घोषणाएँ की गई हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उदाहरण के लिये केन्द्रीय प्रशासन सुधार आयोग ने एक घोषणा

यह की थी कि हमारा वित्तीय वर्ष एक नवम्बर से प्रारम्भ किया जाना चाहिये। मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति ने इसी आधार पर अपने प्रतिवेदन में यह बात सुझाई थी कि एक नवम्बर से हमारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ केन्द्रीय प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश का हवाला देकर करने के बारे में शासन को विचार करना चाहिये। परन्तु आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमको इसीलिए शंका होती है कि यह जो प्रशासनिक सुधार आयोग इतने पैसे खर्च करके हमने बनाया था और उसने अपनी रिपोर्ट दी है उसका भी कहीं वही हाल न हो। शासन को चाहिये कि उसे यहाँ तुरंत पटल पर रखवाये और फिर उस पर चर्चा होकर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन पर अमल किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो वेतन की बात है उसके संबंध में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वेतन आयोग की सिफारिशों में क्या-क्या बातें हैं यह तो बिना देखे हम कह ही क्या सकते हैं। वह तो तभी कह सकते हैं जब वह हमारे सामने आयेंगी लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आज भी वर्क चार्ज कर्मचारियों के भविष्य का फैसला सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट्स में आज भी लाखों आदमी मस्टर रोल पर काम कर रहे हैं उनका कुछ भी तय नहीं हुआ है। इसी तरह से कोटवार को 25 रुपया मासिक मिलता है जबकि मुख्यमंत्री जी को 35 रुपया रोज मिलता है। आप पंचायती राज की घोषणा कर रहे हैं लेकिन पंचायत के सचिव का वेतन 70-75 रुपया महीना है, उसके लिए भी पिछले तीन साल से एक समिति का गठन किया गया है और समिति ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है लेकिन फिर भी शासन ने उन कर्मचारियों के लिये अभी तक कोई उचित निराकरण नहीं किया है। अब पंचायती राज बन गया है लेकिन वेतनमान ठीक से न मिलने के कारण पंचायती राज के जो परिणाम देखने में आने चाहिये थे वे नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार से बिजली कर्मचारियों का मामला है। आज उनकी भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ चल रही हैं। इसके संबंध में मैं अभी हाल में मुख्यमंत्री जी मिला था और कोरबा तथा सारिणी के कर्मचारियों के संबंध में बातचीत की थी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बड़ी आत्मीयता के साथ बताया था कि हम उनके प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं लेकिन आज तक उन कर्मचारियों का कोई निराकरण नहीं हुआ है और उन कर्मचारियों की जो माँगें हैं उनमें से अधिकांश माँगों को विद्युत मण्डल के अधिकारियों ने ठीक बतलाया है। इन कर्मचारियों की माँगों का निराकरण न होने से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को उनकी कोई चिन्ता नहीं है। इसके लिये मैं शासन से चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के जो ऐसे कर्मचारी हैं उनके असंतोष को आप दूर करने की कृपा कीजिये।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : कर्मचारियों में तो संतोष है, आप उनमें असंतोष पैदा न कीजिये?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : नहीं हम नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह नई विधानसभा का गठन हुआ है इसके संबंध में मेरा निवेदन है कि अगले वर्ष में पर्याप्त अवधि वाले 3 अधिवेशन होने चाहिये ताकि हम अपनी समस्याओं को और अपने सुझावों को शासन के सामने समय-समय पर रख सकें और समस्याओं का निराकरण करवा सकें। अध्यक्ष महोदय, हमने इसके पहले भी इस बात के लिये कोशिश की है कि विधानसभा के वर्ष में तीन अधिवेशन हों और उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई और उनके बाद श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र और बाद में श्री श्यामाचरण शुक्ल ने भी माना है कि विधानसभा के वर्ष में तीन सत्र होने चाहिये। विधानसभा के वर्ष में तीन सत्र न होने से यहाँ अनेक महत्वपूर्ण कार्यों पर हम पर्याप्त चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि विधानसभा के वर्ष में पर्याप्त अवधि वाले तीन सत्र होने चाहिये, इस पर शासन को ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन विभागीय स्थायी समितियों के बारे में है। जिस प्रकार से पार्लियामेन्ट में डिपार्टमेन्टल कमेटी होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर विभागीय स्थायी समितियाँ होती हैं। देखा यह जाता है कि स्थायी समितियों का गठन तो कर दिया जाता है लेकिन पाँच वर्ष में उनकी एक भी बैठक नहीं होती है। अगर कोई माननीय सदस्य अपना कोई सुझाव देना चाहता है तो स्थायी समिति की बैठक न होने के कारण वह अपना सुझाव भी नहीं दे सकता है, उससे वह वंचित रह जाता है। इसके लिये मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जब वे स्थायी समितियों के गठन की व्यवस्था करें और यह भी व्यवस्था करें कि उनकी नियमित बैठकें हुआ करें।

अध्यक्ष महोदय, उद्योगों के सम्बन्ध में भी मुझे निवेदन करना है कि हमारे प्रदेश में अनेक शासकीय उद्योग हैं तथा नये-नये शासकीय उद्योगों को खड़ा करते जा रहे हैं और इन सब में करोड़ों रुपयों की पूँजी हमारे प्रदेश की लगी हुई है किन्तु स्थिति यह है कि उनके वार्षिक प्रतिवेदन को तीन-तीन वर्ष तक हमारे सामने नहीं रखा जाता है। वह प्रतिवेदन तीन वर्ष बाद हमारे सामने आता है और जब वह तीन वर्ष बाद आता है तो भी उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे शासकीय उद्योगों में घाटा बराबर बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति को तुरन्त बदलना चाहिये और इसके लिये जो भी कारगर उपाय हो सकते हैं उनको अमल में लाना चाहिये ताकि काम में कसावट आये, इसके लिये पार्लियामेन्ट्री कमेटी ऑन पब्लिक अण्डर टेकिंग की तरह विधानसभा की समिति का गठन होना चाहिये ताकि वह समय-समय पर शासकीय उद्योगों की जाँच करे तो उचित होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ में मुख्यमंत्री महोदय से भोपाल नगर निगम, के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूँ। उन्होंने नगर निगम के प्रशासक का बचाव किया था और कहा था कि वे बड़े योग्य शासक हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्हें इस देश में लोकतंत्र चलने देना है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि एक बार पंजाब में जब राष्ट्रपति शासन लागू था और जो राज्यपाल वहाँ पर थे उन्होंने उतना अच्छा शासन किया कि सब लोग यह कहने लगे थे कि सब सरकारों से यह राज्यपाल शासन बहुत अच्छा था। क्या इसका यह मतलब है कि हमको यह घोषणा कर देनी थी कि अब पंजाब में कभी चुनाव नहीं कराये जावेंगे और राज्यपाल द्वारा ही शासन चलाया जावेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरनिगम के चुनाव एक वर्ष तक न कराने की घोषणा की है। उनको गम्भीरतापूर्वक उस पर पुनर्विचार करना चाहिये और भोपाल नगरनिगम के चुनाव कराने चाहिये। मैं मानता हूँ कि भोपाल नगर निगम का प्रशासक एक योग्य व्यक्ति है और कार्य भी अच्छा कर रहा है। भले ही प्रशासक की विशेष योग्यता को देखते हुए उसको भी किसी कार्य के लिये रख लें, परन्तु केवल इस आधार पर चुनाव को आगे बढ़ाना बिल्कुल लोकतंत्र की सफलता की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता, इसलिये नगर निगम के चुनाव शीघ्र कराये जावें ऐसा मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, मण्डी समितियों के चुनाव तत्काल प्रारम्भ कराने की दिशा में शीघ्र कदम उठाये जायें ऐसी मेरी अपेक्षा है। इसके साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अपने उत्तर में वे यह भी घोषणा करेंगे कि शरणार्थियों की जो समस्या उत्पन्न हुई थी और कुछ कर लगाये गये थे, सरचार्ज मनोरंजन कर, यात्री कर, मुद्रांक शुल्क, अब बदली हुई परिस्थिति में इनकी आवश्यकता नहीं है और यहाँ जो शरणार्थियों के जत्थे आये थे वे भी चले गये हैं और उन पर जो व्यय हुआ था उसको अतिरिक्त सरचार्ज इकट्ठा किया जाकर केन्द्रीय सरकार को दिया जा चुका है। अतः अब इस सरचार्ज की कोई उपयोगिता नहीं है, अतः इस संबंध में आर्डिनेन्स को विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको सरकार वापस लेती है। इतनी बात पर ध्यान देंगे तो बहुत कृपा होगी।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय, जिन महानुभाव ने यह कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनके संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह बड़ा ऐतिहासिक वर्ष रहा है, इस वर्ष सामन्तवाद समाप्त किया गया है और समाजवाद लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है यह सब जानते हैं। जहाँ तक सामन्तवाद की समाप्ति का प्रश्न है हमारे यहाँ तो वह नहीं था आपके यहाँ तो 15 राजा बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आये हैं और आते ही उन्होंने कहा कि मुझे तो प्रधानमंत्री ने भेजा है और उन्होंने यह बहुत पते की बात कही है। मैं श्री सेठी जी को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी के पिताजी पं. जवाहरलाल नेहरू ने डॉ. काटजू को यहाँ भेजा था और वह भी ऐसा ही कहते थे। परन्तु उनकी यहाँ क्या दुर्गति हुई यह किसी से छिपी नहीं है। वही इतिहास दुहराया जायेगा वह आप न भूलें। माननीय शुक्ला जी ने अपने भाषण में एक बात यह भी कही थी कि इस वर्ष काँग्रेस भारी बहुमत से चुनकर आई है और यह भी आपके लिये और सारे प्रदेश के लिये प्रसन्नता की बात है।

आपको भारी बहुमत से जनता ने जिता दिया। जनता ने जो निर्णय दिया है उसको हम सरआँखों पर रखते हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब तो इस बात की आवश्यकता है कि भारी बहुमत से आपको जिताया है तो क्या आप भारी बहुमत से जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं? आपने इंदिराजी के सिद्धांतों पर चुनाव नहीं

लड़ा था यह चुनाव धन के बल पर लड़ा गया है और चुनाव के लिये सेठी की जेब में नोटों के बंडल रहते थे।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : पैसा तो जनसंघ ने ज्यादा खर्च किया है बनिस्बत काँग्रेस के, जनसंघ ने शराब भी पिलाई थी।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : दुबे जी आपको भ्रम हुआ होगा वे तो कोका कोला पी रहे होंगे। अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस ने अनाप-शनाप चुनाव में पैसा खर्च किया, शासन का दुरुपयोग किया, अधिकारियों को दबाया गया और उनका चुनाव में पूरा-पूरा दुरुपयोग किया गया है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : चुनाव में जनसंघ ने 20-20 बार हैलीकोप्टर उतारे। हमारे पास अगर हैलीकोप्टर होते तो आज दिखाई नहीं देते।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, श्री रमेशचन्द्र दुबे बहुत उचक रहे हैं इसका मतलब यह है कि इन सबने चुनाव में पाप किया है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : हम जनसंघ को हरा कर आये हैं।

अध्यक्ष : आप उनको भाषण देने दीजिये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : काँग्रेस ने चुनाव जीतने के लिये बहुत पाप किये हैं।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जरा आप आइने में अपना चेहरा देखें।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : मैं जनसंघ से निकलकर काँग्रेस में आया था इसलिये मुझे मालूम है कि जनसंघ ने क्या-क्या पाप किये थे, राजमाता ने कितना पैसा दिया था?

अध्यक्ष : पैसा बहुत खर्च हुआ लेकिन अपना पैसा किसी ने खर्च नहीं किया।

श्री बाबूराम चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। औचित्य का मेरा प्रश्न यह है कि मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा शुरू होने पर इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा सकते हैं?

अध्यक्ष : यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से उठकर चले गये हैं। मुझे कोई इस बात से शिकायत नहीं है कि काँग्रेस इतनी सीटों से क्यों जीती और हमारी सीटें कम क्यों हो गईं। अध्यक्ष महोदय, हमें तो अभिमान है कि आप मध्यप्रदेश में हमारे मतों को कम नहीं कर पाये और 220 की संख्या में बैठकर भी आपके चेहरे काले क्योंपड़े हुए हैं तथा उदास क्यों दिखाई देते हैं, और हम आपके सामने तेज रूप लेकर बैठे हैं।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : क्या चेहरे पाये हैं आपने? इनके फोटो स्टेशन पर लगा दो, कई हत्या मर्डर में इनकी जरूरत है।

अध्यक्ष : यहाँ अंगूर सस्ते हैं। तीन रुपये किलो हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं बता दूँ कि आप चुनाव किस तरह जीत कर आये हैं कि अपने मुँह पर मुस्कराहट भी नहीं निकाल सकते। यह प्रमाण है कि आपने चुनाव किस प्रकार जीते हैं, मैं इस बाबत अधिक न बोलकर इतना ही कहता हूँ कि यहाँ पर बड़े-छोटे, सीनियर-जूनियर सब बैठे हैं। अगर आप में, सेठी जी में हिम्मत है तो इस चुनाव की निष्पक्ष जाँच के लिये एक आयोग बैठाल दें। वह जाँच करले, मैं उसके सामने यह सिद्ध कर दूँगा कि आपने इस चुनाव में लोकतन्त्र का किस प्रकार बलिदान करके इन चुनावों को जीता है।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : पहले मेरे क्षेत्र की जाँच करा लो।

कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आव्हान करता हूँ कि यदि कांग्रेस शासन में ईमानदारी बची है तो वह निष्पक्ष आयोग बैठाल कर इसकी जाँच करा ले।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : हाईकोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि आपकी सारी बातें झूठी थीं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : पहले क्या हुआ उसे छोड़िये।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : उज्जैन की जाँच करा लो कि वहाँ आपका कितना खर्चा हुआ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस ने चुनाव जीतने के लिये क्या-क्या कुकृत्य किये हैं उनको सुनकर कोई भी लोकतंत्र प्रेमी लज्जित हो सकता है।

माननीय कृष्णपालसिंह जी के जिले में 5, 6 और 7 तारीखों को हजारों एकड़ जमीन बाँटने की घोषणा की गई। आपके शहर भोपाल में नाक के नीचे शाकिर अली साहब को जिताने के लिये 99 साल के समझौते की घोषणा की गई तब शाकिर अली साहब यहाँ आकर बैठे हैं।

श्री शाकिर अली खाँ : मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन-सा 99 साल का समझौता है?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : यह सी.एम. बता देंगे।

श्री शाकिर अली खाँ : झूठ बात करने से क्या फायदा? मैं बीस बरस से छाती पर चुनकर यहाँ आ रहा हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : शाकिर साहब आप काँग्रेस की गोद में बैठकर जीते हो। अब पुराना पानी उतर गया। अगर काँग्रेस मेहरबानी नहीं करती तो नहीं जीत पाते।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : और आप राजमाता की गोद में बैठकर भी हार गये।

अध्यक्ष : मैं प्रश्नोत्तर नहीं होने दूँगा।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैंने तो कहा है कि आयोग बैठाकर जाँच करा लें।आप मुख्यमंत्री जी से कहिये कि वह जाँच करा लें, सदन में बोलने से क्या होगा?

श्री शाकिर अली खाँ : मुँह खोलिये और बताइये, नहीं तो कैसे जाँच होगी।

श्री होमी दाजी : अध्यक्ष महोदय, यह सदन में नहीं रखेंगे, बाहर बतावेंगे, यह क्या बात है?

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, राजमाता ने शाकिर साहब के हाथ जोड़े थे, उनसे साँठगाँठ की थी।

श्री रामचन्द्र सर्वटे : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने सदन के माननीय सदस्य शाकिर अली सा. के खिलाफ आरोप लगाये हैं, उन आरोपों को न तो वह लिखकर देने को तैयार हैं और न यहाँ कहने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि क्या यहाँ सदन में एक सदस्य के खिलाफ दूसरे सदस्य द्वारा बिना नोटिस दिये आरोप लगाया जा सकता है?

अध्यक्ष : कौन-से आरोप पर आपका प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है?

श्री रामचन्द्र सर्वटे : 99 साल के समझौते के बारे में।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं स्पष्ट करे देता हूँ।

श्री रामचन्द्र सर्वटे : माननीय अध्यक्ष, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

अध्यक्ष : आपका औचित्य का प्रश्न क्या है?

श्री रामचन्द्र सर्वटे : माननीय अध्यक्ष, माननीय जोशी जी ने अभी 99 साल की लीज के सम्बन्ध में जो आरोप लगाया है, उसके सम्बन्ध में मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : यह प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। इसलिये नहीं कि माननीय सदस्य भाषण में टीका-टिप्पणी कर सकते हैं। माननीय सदस्य भी अपना उत्तर देते समय उसका जवाब दे सकते हैं?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष, मैंने शाकिर अली खाँ पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो 99 वर्ष की लीज के सम्बन्ध में कहा है और यह सब काँग्रेस वालों ने किया है। मैं माननीय शाकिर अली साहब से स्पष्ट कहना चाहता हूँ अगर शाकिर साहब इस सम्बन्ध में शासन से जाँच कराने की व्यवस्था करेंगे तो मैं सदन में घोषणा भी करने को तैयार हूँ और उसको सिद्ध भी कर दूँगा।

श्री शाकिर अली खाँ : मैं जोशी साहब से कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात के लिये सपोर्ट करूँगा कि जाँच होनी चाहिये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : ठीक है, माननीय अध्यक्ष, मैं चुनाव की बात ही समाप्त कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काँग्रेस की जीत हुई है वह काँग्रेस की नीतियों की जीत नहीं है, काँग्रेस की त्याग और सेवा की जीत नहीं है। माननीय अध्यक्ष, जब कोई चीज बिना किसी त्याग, तपस्या के मिल जाती है तब उसका वही हाल होता है जिस प्रकार मुफ्त में मिले हुए धन का कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष, आज जो काँग्रेस की जीत हुई है वह उसकी सच्ची जीत नहीं है। आज उनकी जीत के पीछे सच्ची ताकत नहीं है और माननीय अध्यक्ष, यही कारण है कि जीत के पश्चात् भी इनके चेहरों पर रौनक नहीं है।

मैं अब विधानसभा के चुनावों की बात छोड़ता हूँ। राज्यसभा के चुनावों की बात लीजिये।

अध्यक्ष : राज्यसभा चुनाव की बात सबको मालूम है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष, मैं यह बात बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं मालूम।

श्री गुलशेर अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। जब माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में राज्यसभा चुनावों का जिक्र ही नहीं किया है तो क्या माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में सदन में बोल सकते हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : माननीय अध्यक्ष, माननीय राज्यपाल ने चुनावों की निष्पक्षता के सम्बन्ध में कहा है, अतः चुनावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कुछ राज्यपाल महोदय के भाषण में है उस पर बोल सकते हैं, राज्यसभा का चुनाव राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद में हुआ है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में राज्यसभा के चुनावों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष, काँग्रेस अभी तक समाजवाद का नारा लगाती रही है किन्तु इस राज्यसभा के चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री सेठी जी समाजवाद से भी एक कदम आगे बढ़े और परिवारवाद को सामने लाये। उन्होंने अपने परिवार के ही एक सदस्य को निर्दलीय केन्डीडेट के रूप में खड़ा किया और फिर उस निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव में जिताने के लिये लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों को एक तरफ रख दिया और जनसंघ के सदस्यों की आस्था को डिगाने का प्रयास किया तथा सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उक्त निर्दलीय सदस्य को जिताने का वे और उनका दल प्रयत्न करेगा।

श्री महेश जोशी : क्या महारानी सिंधिया ने आंग्रे साहब को उम्मीदवार नहीं बनाया था?

अध्यक्ष : आप देखते हैं कि मैं खड़ा हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक राजनैतिक पक्ष को यह अधिकार है कि वह अपने सिद्धान्तों की ओर किसी को आकर्षित करे। यह कैनवासिंग के रूप में किया गया तो वह सब कर सकते हैं इसलिये टीका-टिप्पणी की कोई बात नहीं है। यह जोशी जी को मालूम है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मालूम है। माननीय शाकिर अली साहब खड़े हुए, महेश बाबू युवा तुर्क खड़े हो गये। चुनाव के पहले जनता को क्या बोल कर आये थे और यहाँ क्या कर रहे हैं। दाजी साहब भूपेन्द्र कुमार सेठी का प्रचार कर रहे थे। ये तो राजा-महाराजाओं के नाम से नाक-भौं सिकोड़ते थे और अब उनका साथ लेकर राजनीति चला रहे हैं।

श्री होमी दाजी : गलत है। हिन्दू संस्कृति के नाम पर इतना भी झूठ बोला जा सकता है, यह मैं उम्मीद नहीं कर सकता।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : काँग्रेस के सदस्यों को छोड़कर काँग्रेस के लोग निर्दलीय सेठी जी के प्रचार में लगे थे। मध्यप्रदेश के जितने राजा रजवाड़ों को यहाँ इकट्ठा करवाया जा सकता था मोटर भेज कर इकट्ठा करवाया, कैम्पेन चलाने के लिए कि जनसंघ के वोट किस प्रकार काटे जा सकते हैं

श्री होमी दाजी : राजमाता के घर से मोटर आई थी लेने के लिये और खाना खिलाया था।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : जनसंघ ने सखलेचा जी को हरवा दिया और यहाँ लाकर खड़ा कर दिया।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : उनको राजमाता ने भोजन के लिए नहीं बुलाया।

श्री होमी दाजी : मैं जाता ही नहीं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आप जाना चाहें तो हम अपने कंधे पर उठा कर ले चल सकते हैं लेकिन तब ले चलेंगे जब आप नीयत साफ कर लेंगे। आप बैठते तो विरोधी दल में हैं और वोट देते हैं काँग्रेस को।

श्री शाकिर अली खाँ : इतना झूठ न बोलें। अभी चार दिन पहले आपके साथ वोट दिया है। सर्वटे साहब ने सपोर्ट किया वे वोट देने गये तो हम भी उनके साथ गये।

श्री होमी दाजी : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में चर्चा हो रही थी उसके बारे में कुछ नहीं बोला। जब यह कहा कि मैं सेठी जी का पक्ष ले रहा था, प्रचार कर रहा था तो उस पर भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ यह कहा कि गलत है लेकिन क्या यहाँ वोट की सीक्रेसी पर चर्चा हो सकती है?

अध्यक्ष : वोट की सीक्रेसी पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव किया है कि हमारे वोट राज्यसभा चुनाव में काँग्रेस को जायेंगे। क्या उस पर नहीं बोल सकते?

श्री होमी दाजी : बोल सकते हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : यह संयोग की बात है कि दोनों सेठी, सेठी थे।

श्री होमी दाजी : अभी यह और चलेगा, काँग्रेस और कम्युनिस्ट का साथ इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आपको तो चाहिये कि लाल झण्डे को खत्म करके उधर जाकर बैठना चाहिये। अगर सारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेस में ही मिल जाये तो इससे लोकतंत्र का भला होगा।

श्री होमी दाजी : जनता ने इसका जवाब दे दिया है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आप क्या कंगारू की तरह काँग्रेस के पेट में बैठकर बात कर रहे हैं। आप यहा विरोधी दल की सही बात नहीं कर रहे हैं। बैठते तो इधर हैं और बात उधर की करते हैं।

श्री शाकिर अली खाँ : हमने तो आपका भी साथ दिया है, उसे भूलो मत।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : ये सब नाराज हो रहे हैं, ये सब अब खुश हो जायेंगे ऐसी बात मैं सुनाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि माननीय सेठी जी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो उनको ही सुनाने योग्य थीं।

श्री श्रीनिवास तिवारी : मेरा औचित्य का प्रश्न है कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ उपस्थित रहना चाहिये, लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं। यहाँ हो रही बहस का जवाब तो उनको ही देना है।

अध्यक्ष : अगर एक भी मंत्री यहाँ पर बैठा रहता है तो यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब भी मुख्यमंत्री आवश्यक कार्य के लिये चले जाते हैं तो वे अध्यक्ष महोदय के पास एक स्लिप सूचना की भेज देते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था रही है। इसलिये मुख्यमंत्री को यहाँ उपस्थित रहना चाहिये। हो सकता है कि मुख्यमंत्री को कार्य हो सकते हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती। अगर उन्होंने स्लिप भेजी है तो उनका कार्य दूसरे मंत्री देख सकते हैं और बहस का जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ की एक व्यवस्था और परम्परा रही है।

अध्यक्ष : इस परम्परा का मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनके साथी मंत्री जवाब देते हैं, इसलिये मैं अभी इस परम्परा के बारे में निर्णय नहीं दे सकता।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इस नवीन मंत्रिमण्डल का गठन हुआ, इस एकादशी मंत्रिमण्डल का, उस दिन हमारे राज्यपाल महोदय ने इसको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर यह शुभकामना प्रकट की कि यह रामराज्य लावेगा। अध्यक्ष महोदय, रामराज्य आवेगा कि नहीं यह तो सामने बैठा हुआ एकादशी मंत्रिमण्डल बतावेगा। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात जरूर देखी है कि रामराज्य इस रूप में जरूर आने लगा मध्यप्रदेश में जो हम उधर देख रहे हैं। रामराज्य आने के पहले राम वनवास गये थे और जब वे वनवास गये थे तब भरत ने 14 वर्ष तक रामजी की पादुका को सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की थी। परन्तु इस रामराज्य के लक्षण तो ऐसे प्रकट हो रहे हैं, कि हमारे प्रकाशचन्द सेठी को राजसिंहासन पर बैठे एक महीना हुआ है और इस कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय श्री नारायण प्रसाद जी शुक्ल, यह दुर्भाग्य है कि वे भी विराजमान नहीं हैं, किस तरह से भरत का पार्ट अदा करेंगे। अभी सेठी जी इन्दौर गये हुए थे तो उन्होंने गांधी भवन में एक बैठक ली थी। राम राज्य में भरत ने राम के वनवास जाने पर 14 वर्ष तक पादुका की पूजा की थी। हमारे इन अर्वाचीन भरत ने सेठी जी से गांधी भवन में कहा कि हमारी पादुका को भोपाल के राजसिंहासन पर रखवाइए अन्यथा आपको वनवास भेज दिया जायेगा। क्या यही रामराज्य के लक्षण हैं। 220 की संख्या में जीतकर आने के बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ये लोग परदे के पीछे एक दूसरे की टाँग पकड़

नीचे गिराने के लिये आतुर दिखाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आगामी दो-तीन महीनों में इस प्रदेश में क्या हो जावेगा, यह कोई नहीं कह सकता है।

श्री महेश जोशी : मैं माननीय जोशी जी को यह जानकारी देना चाहता हूँ .....

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अरे बैठिये, आप क्या हमको जानकारी देंगे। 220 की संख्या का प्रचुर बहुमत दिया जनता ने आपको फिर भी आपका नेता अपना मंत्रिमण्डल गठन नहीं कर सकता इससे आपकी गर्दन शर्म से झुक जानी चाहिये।

श्री महेश जोशी : हमारा दल प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करता है यह आपको मालूम होना चाहिये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो इस मध्यप्रदेश में एक स्टेट लाटरी का ड्रॉ हुआ करता था, अब दो लाटरी ड्रॉ होने लगी हैं। एक तो स्टेट लाटरी, जो पहले की तरह ड्रॉ हुआ करती है और दूसरी पी.सी. सेठी की केबिनेट की लाटरी। केबिनेट लाटरी का एक ड्रॉ सम्पन्न हो गया है। जैसा कि वह कहते हैं 15 अप्रैल को दूसरी ड्रॉ होगी। वह अपने मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों के नाम घोषित करने वाले हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में अध्यक्ष महोदय, सेठी जी आज गुजर रहे हैं, इससे आप लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिये।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, आप इनके भुलावे में मत आना यह तो इस तरह भुलावे में डालने की इनकी आदत है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मुझे पूरा विश्वास है कि तीन ड्रॉ के बाद भी सेठी जी के केबिनेट का गठन पूरा नहीं होगा और अगर जगजीवनराम ने भी कहीं अपनी कृपा कर डाली तो फिर शायद एक मिनि ड्रॉ भी सेठी जी को करना पड़े। तो जो आशा सेठी जी दिल्ली से लेकर यहाँ आये थे उसे पूरी करने की सम्भावना उनको धुंधली दिखाई पड़ रही है, जैसे कि कोई यात्री अपना लक्ष्य तो प्राप्त कर ले किन्तु लक्ष्य प्राप्ति के बाद उसको गहन अन्धकार दिखाई दे। ऐसी स्थिति में सेठी जी दिखाई पड़ते हैं। जो वह काम करने आये थे वह यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की वजह से। इसीलिये उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा तो सब को मिडटर्म फेस करना पड़ेगा। यह भी क्या सेठी जी के हाथ की बात है और क्या इसलिये जनता ने आपको बहुमत से जिताया था। इसलिये श्रीमान आप लोगों को शर्म से झुक जाना चाहिये। आपको 220 की संख्या में जनता ने वोट देकर यहाँ बिठाया है, जनता की अपनी अपेक्षाएँ हैं जिनको पूरा करने का आपने आश्वासन दिया है वोट पाने के लिये। आज आप में हिम्मत हो तो उन अपेक्षाओं को क्रियान्वित करने के लिये आप आगे आयें नहीं तो सार्वजनिक रूप से घोषित कर दीजिये कि जनता ने आपको वोट देकर भूल की है और उसके लिये प्रायश्चित करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आने वाले 90 दिन के भीतर आज जो सेठी जी को कन्धे पर बिठाकर उनकी जय-जयकार के नारे लगा रहे हैं वही उनकी टाँग पकड़कर उनको नीचे गिराने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के मार्ग में सेठी जी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो संकटपूर्ण स्थिति आज आपके सन्निकट है उसमें हम और हमारा दल, जिसको जनता ने विश्वासपूर्वक विरोधी दल के रूप में यहाँ भेजा है, आपका साथ देने के लिये तैयार है और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे।

श्रीमान् आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता श्री जोशी जी शायद यहाँ से चले गये, शायद हमारे नेता का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के दौरान कल इसके पूर्व दिन में भी करीब 30-35 मिनट बोले और आज भी करीब 40 मिनट तक उनका धुआँधार भाषण हुआ। मैं चुपचाप बैठकर सुन रहा था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि श्री जोशी जी जो प्रथम बार इस विधानसभा में चुनकर नहीं आये हैं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव के माध्यम से सदन के सामने क्या कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जोशी जी हमारे परम मित्र हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस सदन का लगभग सवा घंटे से ज्यादा समय उन्होंने लिया, मैं किसी भी माननीय सदस्य को बोलने को प्रतिबद्ध तो नहीं कर सकता लेकिन समय तो उन्होंने लिया है। उन्होंने इतने समय के भीतर कभी तो माननीय सेठी

जी के बारे में अपनी कपोल कल्पित भावनाएँ प्रदर्शित कीं, कभी सदन के इस ओर बैठे हुए कॉंग्रेस पक्ष के जो सदस्य हैं उनके प्रति, उनकी भावना क्या है? उसको प्रदर्शित किया और कभी तो अध्यक्ष महोदय केवल हास्यास्पद प्रकरण प्रस्तुत करके उन महत्वपूर्ण विषयों से ऊपर ले जाने की कोशिश की जिनके ऊपर उचित रूप से इस प्रस्ताव पर विचार के समय में विचार प्रकट करना चाहिए था। मैं माननीय जोशी जी से कहना चाहूँगा कि यदि उनको कॉंग्रेस पक्ष के सदस्यों के चेहरों पर मुसकान जैसी वह देखना चाहते हैं, नहीं दिख रही है तो वह इसलिये नहीं कि हम किसी चीज से बंधे हैं, बल्कि इसलिये की जनता का जो विश्वास इस चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी की नीतियों का जो हम सबको मिला है, उस विश्वास के मत को हम सब समझते हैं और उसमें उच्छृंखलता से हँसी की आवश्यकता नहीं है। बल्कि गम्भीरता और संजीदगी से चिन्तन की आवश्यकता है। इसीलिये अध्यक्ष महोदय, जोशी जी ने जो गैर जिम्मेदार कहा है, उसे हम हंसी-खुशी में नहीं मान सकते।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह पर तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि वह भी गैर जिम्मेदारी से बोलते हैं। हम भी सदस्य के रूप में चुनकर आये हैं और हमारा पक्ष भी आपके द्वारा रिकग्राइज है फिर वह कैसे गैर जिम्मेदार कहते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपको कोई व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, इस नाते कि इस सदन और इस प्रदेश में अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने की जिम्मेदारी आपके दुर्भाग्य से और प्रदेश की जनता के सौभाग्य से आपको नहीं आई, इसलिये मैं कह रहा हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : इस तरह बोलिए, इसमें कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष : शासन चलाने की जिम्मेदारी इसी पक्ष पर है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : जो जिम्मेदार नहीं है, वह गैर जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन जो लायक नहीं है, उनको क्या कहेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रतिपक्ष दल के नेता ने माननीय सदस्यों को अभी इतना अपने भाषण में विरोधाभास का परिचय दिया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको स्वयं जनतन्त्र की मूलभूत जो मान्यताएँ हैं उनके बारे में आपका दिमाग स्पष्ट नहीं। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि प्रदेश की जनता ने जो निर्णय दिया, जनमत का जो निर्णय है, वह हमारे सर आँखों पर है, उसको हम स्वीकार करते हैं। ऐसा उन्होंने दो-तीन बार कहा और फिर यह भी कहते हैं कि जनमत का निर्णय धोखाधड़ी से, गलत ढंग से लिया गया है। तो फिर क्या आपके कहने का मतलब यह है कि जनता के विवेक पर आपको विश्वास नहीं है। एक दो तीन सीट पर धोखा हो जाये लेकिन दो तिहाई सीट पर कॉंग्रेस को विजय मिली है इसका तो जोशी जी को अन्तर करना चाहिये था। यदि आपकी यह मंशा है तो मुझे इस विश्वास पर आना पड़ेगा कि आपको सही रूप से जनमानस किस आधार पर चलाया जा सकता है, इस संबंध में आपका दिमाग स्पष्ट नहीं है और चूँकि आपका दिमाग स्पष्ट नहीं है इसलिये सब प्रकार के आडम्बर रचने के बावजूद भी आपकी मृगतृष्णा आपकी नीति के कारण मृगतृष्णा ही रही है और आपको स्वयं को विश्वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य रूप से विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में पिछले तीन-चार वर्षों में कुछ मौलिक परिवर्तन हुए हैं। जिस प्रकार से किसी के व्यक्तिगत जीवन में समय-समय पर जीवन से अनुभव का असर होता है, जैसे कि छोटा बालक बड़ा होता है और संस्कार में किस प्रकार से चलना चाहिए वह सीखता है, कुछ काम्प्रोमाइजेज करता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। इसी प्रकार से जब से हम स्वतन्त्र हुए हैं अपनी इस 23 वर्ष की जिन्दगी में हमने बहुत कुछ सीखा है और पिछले चार-पाँच वर्षों में इतिहास में जन मानस के अन्दर मौलिक परिवर्तन हुए हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, श्रीमान के माध्यम से माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी ने जब अपने पद की शपथ ली थी तो अपने भाषण में, उन्होंने वेद का एक श्लोक कहा था जिसका हिन्दी में रूपान्तर यह है— "जो मनुष्य सोता है, उसका भाग्य भी उसके साथ सोता है। जो मनुष्य सोते से उठकर बैठ जाता, उसका भाग्य भी उसके साथ उठकर बैठ जाता है और जो मनुष्य उठकर चल पड़ता है उसका भाग्य भी उसके साथ चल पड़ता है।" अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की जनता उसका सर्वहारा वर्ग जो अभी तक किसी प्रकार की निद्रा में था वह

सचेत हो गया है, वह उठ खड़ा हुआ है और चल पड़ा है और उसके साथ ही साथ उसका भाग्य भी चल पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है कि कौन-से ऐसे लोग हैं जो उनके साथ चलने के लिये तैयार हैं और कौन-से ऐसे लोग हैं जो उसकी टाँग खींचने के लिये तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस मौलिक परिवर्तन को आप समझने में असमर्थ हैं तो इसमें हमारी गलती क्या है। इतिहास आपको सब कुछ बतायेगा। इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। मैं यह मानता हूँ कि यह विश्वास और जागरूकता जो भारतवर्ष की जनता में आई है, इसका अपना असर होगा। यह जो चल पड़े हैं लाखों करोड़ों लोग, उनका एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित उद्देश्य है और आज जो भी हम और आप हैं जो उनको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता करेंगे वह इतिहास की शक्ति के साथ आगे बढ़ायेंगे और हम और आप में से जो उनके मार्ग में विरोध उपस्थित करेंगे वे इतिहास के साथ नहीं रहेंगे। मैं आपके विश्वास से सहमत हूँ जो विश्वास दल को दिया गया है उस विश्वास का दायित्व हमें समझना पड़ेगा। इसके लिये हमें इसके कारणों के लिये चिन्ता करनी पड़ेगी, कुछ निहित स्वार्थों पर आघात करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में हमें कठिनाईयाँ आवेंगी। मैं आशा करता था कि सबका उल्लेख करके श्री जोशी जी अपने समर्थन का वचन अपने नेता को देते लेकिन इन सबकी पृष्ठभूमि में समर्थन देने का प्रश्न जनसंघ के लिये उठता नहीं है क्योंकि वे निहित स्वार्थ को सुरक्षित करने में लगे हैं। यदि जनता को आगे उठाने के लिये हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा तो उस हालत में उनका समर्थन नहीं मिलेगा। हमारे आन्तरिक मतभेद में आवश्यकता होगी तो जोशी जी समर्थन देंगे। उनसे कहूँगा कि वे कृपा कर इस स्वप्न को अपने मन से निकाल दें। यह सन् 1967 नहीं है, जबकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को, जिसको जनता का विश्वास प्राप्त था आप लोगों ने षडयंत्र रचकर गिरा दिया था।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : उस सरकार को हमने नहीं, आपके साथियों ने गिराया था।

श्री अर्जुनसिंह : यह सन् 1972 है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब जनमानस इतना जागरूक हो गया है कि इस प्रकार के षडयंत्र चाहे आप करें चाहे कोई करे, जनता के बीच में उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं अर्जुनसिंह जी से कहूँगा कि यह उपदेश आप अपने साथियों को दीजिये। वे ही इसमें लगे हुए हैं।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : जब राजमाता गोविन्दनारायण सिंह को बगल में बिठाकर घूमती रहीं तभी वह षडयंत्र सफल हुआ था।

श्री अर्जुनसिंह : आप कृपा कर अपने भाषण में जो चाहें कह लें, इतिहास लोग भूल जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं भूल जाते। मैं यह नहीं कहता कि इधर के लोग शामिल नहीं थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि केवल आप लोगों की प्रेरणा से वह चीज सम्भव हुई। मैं कहूँगा कि जहाँ केवल ईर्ष्या प्रेरणा का रूप ले ले, जहाँ द्वेष नीति का स्थान ले ले और एकमात्र सत्ता प्राप्ति ही उद्देश्य हो जाए, तो ऐसा ही विकृत रूप आयेगा जैसा सन 67 में हुआ था। अब प्रेरणा ईर्ष्या नहीं है। अब द्वेष नीति का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता और सत्ता प्राप्ति केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। हमें इस प्रदेश के अन्दर उस समाज की रचना के लिये कटिबद्ध होना पड़ेगा जिसके ऊपर हमारे प्रदेश के रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों को विश्वास हो सके। उनको इस बात में विश्वास हो सके कि उनका भविष्य भी इस प्रदेश की उन्नति में जुड़ा हुआ है। जो कुछ हम योजनाएँ बना रहे हैं, वे केवल मायाजाल नहीं हैं, वे उनकी उन्नति के लिये कार्यान्वित करने जा रहे हैं। आपके यदि कोई ठोस सुझाव होते तो मैं उनको स्वीकार करता। मुझे दुख है कि आपने दो-तीन बातों का उल्लेख करके अपना भाषण केवल एक मायाजाल के रूप में प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि जो भार जनता ने हमें दिया है उसको पूरा करने के लिये हमें कुछ सिद्धांतों को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले प्राथमिकता हमें देनी होगी इस प्रदेश में ऐसे लोगों के भविष्य के सुधार की जो सदियों से शोषित व दलित रहे हैं। यह खुशी की बात है, मुझे स्मरण नहीं है लेकिन शायद प्रथम बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यह शासन प्रदेश में होने वाले किसी भी प्रकार के

शोषण को प्रश्रय नहीं देगा और जो तत्व इस प्रकार के कार्यों में भाग लेते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह वाक्य कोरा वाक्य न रह जाये। यह वायदा जो इस भाषण के द्वारा सदन के अन्दर जनता को देना चाहते हैं वह वायदा कोरा वायदा न रह जाये। इसलिये यह आवश्यक है कि हम इस बात की जाँच करें कि हमारे प्रदेश के अन्दर शोषण करने के कौन-से तरीके हैं, ऐसे वे कौन-से तत्व हैं जो शोषण के द्वारा आज भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपनी उन्नति कर रहे हैं। इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि प्रदेश के अन्दर एक उच्चस्तरीय आयोग निश्चित समय के लिये बनायें जिसमें कोई राजनैतिक दल का व्यक्ति उसका अध्यक्ष न बनाया जाये। गैर राजनैतिक व्यक्ति हो और वह चाहे एक हो या दो हों। एक आयोग का गठन होना चाहिये जो इस प्रदेश के सभी अंगों के अन्दर इस बात की खोजबीन करके एक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे, जिससे हमको यह मालूम हो कि आज भी आजादी प्राप्त होने के 23 वर्ष बाद किन स्रोतों द्वारा और किन लोगों द्वारा शोषण हो रहा है और तब इस बात को कार्य रूप में परिणित कर सकेंगे जब हमारे सामने एक तस्वीर आयेगी और उन शोषण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकेंगे।

इसके पश्चात् इसी भाषण में राज्यपाल ने कहा है कि सामन्तवाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद और साम्प्रदायिकता से किसी प्रकार का समझौता यह शासन नहीं करेगा। यह बहुत ही स्तुत्य घोषणा है।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह पूछ रहा हूँ कि अभी आपको क्या वे शक्तियाँ नहीं मालूम हैं कि कौन-सी शक्तियाँ शोषण कर रहीं हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं मानता हूँ मेरी जानकारी उतनी नहीं है जितनी माननीय सदस्यों की है।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : और आयोग बिठाल दें तो और समय लग जायेगा। कब तक आखिर चिन्तन करेंगे, आपको तो अनुभव है कि कौन शोषण कर रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि आयोग का सुझाव इस बात को टालने के लिये नहीं था। आयोग का सुझाव इसलिये दिया ताकि जो जानकारी माननीय सदस्य की है, थोड़ी मुझे भी हो सकती है वह एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की जा सके ताकि उसके आधार पर एक कानून बनाया जा सके और छुटपुट तरीके से प्रयास न हो सकें। जहाँ तक दूसरी बातों का उल्लेख किया, यह कह देना चाहता हूँ कि क्षेत्रीयता, जातिवाद, साम्प्रदायिकता और समाजवाद, ये एक साथ नहीं हो सकते। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसमें जो उल्लेख किया गया है वह कार्यरूप में परिणित होना चाहिये केवल इस भाषण में कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा। कारण यह है कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है। चार घटक राज्यों से बना और 15 वर्ष इस राज्य को बने हो गये फिर भी आज क्षेत्रीयता की बात कही जाती है। चाहे राजनैतिक रूप से लाभ लेने के लिये कही जाती हो। जातिवाद का भी असर है। इसलिये वास्तविकता से आँख नहीं मूँद सकते। साम्प्रदायिकता के आधार पर कार्यवाही होती है, इसलिये यह घोषणा जो माननीय राज्यपाल ने की है इसको किस हद तक शासन पूरा करता है इस पर यह निर्भर करेगा। यदि मुख्यमंत्री सचमुच सामंतवाद और क्षेत्रीयता से समझौता नहीं करेंगे और इस शासन के संकल्प को मूर्तरूप दिया जायेगा तो इस प्रदेश की तरक्की होगी और इस प्रदेश को देश के अन्दर एक प्रमुख स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इतने बड़े विशाल प्रदेश में सबसे आवश्यक चीज यह है कि हम इस प्रदेश की सर्विसेज की तरफ ध्यान दें। अभी कई प्रकार की घोषणाएँ की गईं जिनमें उनकी सुविधाओं के लिये शासन ने अपनी तत्परता दिखलाई। वह आवश्यक था और उसमें कोई दो मत नहीं हैं लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि शासन का जो ढाँचा है यह करीब-करीब वही है जो आजादी के पहले देश में विद्यमान था, आजादी मिलने के बाद जनमत के आधार पर राजनैतिक ढाँचा बनाया,उसने कई आकांक्षाएँ बनाईं, उसकी पूर्ति न हो सकने के कारण अविश्वास भी पैदा हुआ, लेकिन विरोधाभास यह है कि ढाँचा प्रशासकीय तो वही है जो ब्रिटिश काल में था और आकांक्षाएँ जो पूरी करनी हैं वह आजादी के बाद पैदा हुईं। हमें इस बात को सूक्ष्मता से देखना चाहिये कि जो ढाँचा है उसके द्वारा किस तरह से आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म कमीशन ने इस पर विचार किया होगा, कहाँ तक इस पर विचार किया वह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन

जो मशीनरी है उसमें मौलिक परिवर्तन होना चाहिये, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिये। यदि हम उचित रूप से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकेंगे।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि हमारे प्रदेश के 80 प्रतिशत लोगों का उद्योग है। कृषि ही एकमात्र ऐसा उद्योग है जिस पर हमारे प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है, प्रदेश की उन्नति निर्भर करती है। कृषि के क्षेत्र में उन्नति होने से सभी क्षेत्रों में उन्नति हो सकती है इसलिये हमें कृषि क्षेत्र में उन्नति की आवश्यकता जितनी शासन की स्कीमें चल रही हैं और चलेंगी उन्हें पूरी करनी चाहिये, उनका सही रूप में क्रियान्वयन किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उइके साहब जो कि सक्षम प्रशासक हैं, जिन्होंने कई विभागों का सक्षमता के साथ कार्य संचालन किया है, इस विभाग का भी वे कार्य वहन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य रूप से दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमने सिंचित रकबा बढ़ाने की ओर ध्यान दिया है, लेकिन इसमें समय की आवश्यकता रहती है, असिंचित भूमि में कृषि उत्पादन बढ़ाने की स्कीम हमें बनाना चाहिये जिससे कृषि की पैदावार तेजी से और कम समय में हमें मिल सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग असिंचित रकबे को बढ़ावे। अध्यक्ष महोदय, हमारा लैंड रिफार्म करने के संबंध में घोषणा पत्र है, उसी के आधार पर इसी सत्र में माननीय, मुख्यमंत्री जी ने विधेयक लाने की बात कही है। इसी सत्र में विधेयक लाया जायेगा और पारित करेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये कि इसके द्वारा भूमिहीनों की भूमि समस्या का समाधान हो जायेगा। हमारी घोषित नीति है सामाजिक न्याय दिलाने की, यह उस ओर एक कदम है। इसके द्वारा भूमिहीनों की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा, लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ाने में इससे सहयोग मिल सकेगा। यह सामाजिक न्याय दिलाने की ओर एक हमारा कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, 3-4 जिलों में जो सर्वेक्षण किया गया है, छतरपुर, शहडोल, सीधी, सरगुजा जहाँ पर 15 लाख एकड़ इन जिलों की भूमि जंगल और अन्य क्षेत्रों में कृषि के लिये उपलब्ध हो सकती है, 1-1/2 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें कृषि की जा सकती है। 30 प्रतिशत जमीन ऐसी जो कि कृषि के योग्य है लेकिन उस पर अतिक्रमण किया जा चुका है। इस अतिक्रमण का अध्यक्ष महोदय, एक अलग इतिहास है। कुछ अतिक्रमण तो अध्यक्ष महोदय, लोगों के प्रोत्साहन से हुए और कुछ हरिजन और आदिवासियों ने अपनी गरीबी के शिकार होकर विषमता से जूझने के लिये किये। कुछ अतिक्रमण अध्यक्ष महोदय, बड़े किसानों ने किये हैं। हरिजन और आदिवासियों ने अपनी गरीबी दूर करने के लिये चाहे किये हों और चाहे किसी से प्रोत्साहन मिला हो और चाहे अपने आप उन्होंने किये हों, मेरा शासन से यह अनुरोध है कि उनके साथ उस भूमि का सही तौर से सैटिलमेंट कर देना चाहिये। उस भूमि पर जहाँ बड़े किसानों ने अतिक्रमण किया है उस अतिक्रमण को कानून के जरिये तुरन्त खाली कराना चाहिये तथा वह भूमि भी भूमिहीन व्यक्तियों में बाँटनी चाहिये। मैंने दो-चार जिलों के आँकड़े प्रस्तुत किये हैं उससे ही आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कितने लाख एकड़ भूमि उपलब्ध हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह काम, यह भूमिहीनों में भूमि बाँटने का काम शासन को त्वरित गति से करना चाहिये। हमारा शासन अभी तक रेवेन्यू और जंगल विभाग में उलझ कर रह गया है और पिछले 10 वर्षों से बराबर शिकायतें आ रही हैं और यह माँग की जा रही है कि यह भूमि निकाल कर बाँटी जाये। इस संबंध में कुछ काम भी हुए फिर बंद हुए और फिर शुरू कर दिये गये और अब मैं समझता हूँ कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को चाहिये कि इस बात की घोषणा करें कि निश्चित अवधि के अन्दर इस प्रकार की जो भी भूमि है उसको निकालकर भूमिहीनों में बाँट दी जायेगी। मैं शासन से यह अपेक्षा करूँगा कि शासन की नीति इस प्रकार की हो कि यह बँटवारा करने की जो बातचीत हो उसमें पक्षपात न हो और उसे पक्षपात से दूर रखने के लिये जनता के चुने हुए व्यक्तियों को रखा जाये। वह दूसरी बात है कि उन्हें किस रूप में शामिल किया जाये लेकिन चाहे जिस रूप में शामिल किया जाये पर शामिल जरूर किया जाये तो वह अनुचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान औद्योगिक विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे इस प्रदेश में खनिज सम्पदा की अत्यंत ही बहुतायत है और खनिज सम्पदा का उचित रूप से

यदि हम दोहन कर सकें तो हम प्रदेश के औद्योगिक विकास में बहुत आगे जा सकते हैं लेकिन यह संयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिये लेकिन यह जरूर है कि अभी अपने प्रदेश के अन्दर जो औद्योगीकरण हुआ है वह मिनरल बेस इंडस्ट्री के आधार पर बहुत ही न्यूनतम हुआ है तथा अन्य प्रकार की इंडस्ट्रीज का ज्यादा हुआ है। एक कोरबा प्लांट को छोड़ दीजिए जो कि बाकी है या भिलाई स्टील प्लांट को छोड़ दीजिए लेकिन बाकी जितनी मिनरल बेस इन्डस्ट्रीज हैं उनमें हम उतने सफल नहीं हुए हैं जितना कि होना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि केन्द्र में इसके मंत्री भी रह चुके हैं, प्रार्थना करूँगा कि मिनरल बेस इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में फैलाने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, आज हर वक्त सबके दिमाग में एक प्रश्न रहता है और चाहे विरोधी दल के सदस्य हों चाहे इस तरफ के हों और चाहे उस तरफ के हों, जनता प्रोसीजर की बात कहती है और प्रोसीजर को लेकर कई प्रकार के आश्वासन इसको ठीक करने के लिये किये गये और कुछ काबू पाने के लिये कोशिशें की गईं और मैं इस बात को कहता हूँ कि यदि कोई यह कहे कि सभी शासकीय मुलाजिम करप्ट हैं तो यह गलत है बल्कि अधिकांश में तो बहुमत इस प्रकार का है कि अधिकांश मुलाजिम ईमानदार हैं। अब चाहे वे सर्विस में हों चाहे राजनैतिक क्षेत्र में हों लेकिन यह बात भी सही है कि शोषण का एक बहुत बड़ा जरिया इस भ्रष्टाचार के द्वारा होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो विचार इस प्रदेश के अन्दर आये हैं उनका केन्द्र में बिल भी बनकर तैयार है उसकी एक बॉडी इस प्रदेश में बनाने के लिये तैयार रहना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला चाहे कोई व्यक्ति हो उसकी जाँच करने के लिये एक बॉडी होनी चाहिये। स्विटजरलैंड में उसको आमडुसमैन कहते हैं जो इस प्रकार के व्यक्तियों की जाँच करता है। तो जो पूर्व शक्तिमान बॉडी हो, ऑथिंडी हो उसका गठन इस प्रदेश में होना चाहिये। यदि इस प्रकार की बॉडी का गठन हो जाता है तो आये दिन जो शासन पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाते हैं और जनता में जो शासन के प्रति अविश्वास उत्पन्न किया जाता है वह कम जो जायेगा। हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि जनता का विश्वास इस तरह से उठ जायेगा यदि हम सबको एक दृष्टि से देखने लगें तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप अथवा राइटिस डिक्टेटरशिप समझी जायेगी। इसके लिये बिजलेंस बोर्ड स्थापित होना चाहिये और उसके जो प्रकरण हों चाहे उनसे शासन सहमत हो या असहमत हो उनको यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, शायद मैं गलती पर होऊँ लेकिन आज तीन-चार वर्षों से ऐसी कोई भी रिपोर्ट सदन के विचारार्थ नहीं आई है। बिजिलेन्स कमीशन की ऐसी बॉडी बने जो पूरी तरह से अपना काम करने में सक्षम हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने काफी समय दिया है और दूसरे ये माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये अब मैं अधिक न कहकर केवल मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव जाति के साथ जो समस्या होती है उनके निराकरण करने का हमारा प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह लेख एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में छपा है। इंदिराजी ने उसमें लिखा है कि—

"In the modern world, I find that more and more we think of people not as individuals with problems or difficulties or joys and sorrows but as statistics-either one is a Harijans, or one is some other caste, or one is educated unemployed. Everybody is in some category very neatly labelled and so we forget that behind these labels each person is an entirely different person. Of course, no administrators can deal with each individual but at least if he thinks of these groups as composed of individuals, it makes a difference to attitude, if he looks at each person not as a person who has come with the problems but as a person with whose help we can solve the problem. I think we already are one step towards finding a proper solution."

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि यह शासन जिसने मध्यप्रदेश में एक नई चेतना, एक नया विश्वास को जन्म दिया है, उसके नेता के रूप में सेठी जी इस प्रदेश के अन्दर, इस प्रदेश की जनता के सहयोग से और हमारे दल के पूर्ण सहयोग से इस प्रकार के समाज की रचना करने में अग्रसर होंगे कि हम प्रत्येक की आशा पूर्ण

न कर सकें तो कम से कम उसकी चेष्टा करने में पीछे न रहें। इस प्रार्थना के साथ मैं इस कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/10 अप्रैल 1972/पृष्ठ - 378-394)

बजट सत्र के दिनों में 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द सेठी ने मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) विधेयक 1972 (क्रमांक-15 सन् 1972) प्रस्तुत किया। इसी दिन इस विधेयक पर संशोधन देने की सूचना आयी। 19 अप्रैल को श्री रामगोपाल गुप्त (ब्यौहारी) का संशोधन आया कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें श्री अर्जुनसिंह सहित तेरह सदस्यों के नाम प्रस्तावित किये गये। श्री अर्जुनसिंह ने इस पर तत्काल औचित्य का प्रश्न उठाया कि "माननीय सदस्य संशोधन और विधेयक दोनों पर ही चर्चा कर रहे हैं.... यदि माननीय सदस्य इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के विषय पर ही चर्चा करें तो उचित होगा जिससे उनके संशोधनों पर मत लिया जा सकेगा।"

मूल प्रस्ताव और संशोधन पर एक साथ चर्चा प्रारम्भ हुई। चर्चा की शुरूआत श्री कैलाशचन्द्र जोशी ने की फिर श्री गौतम शर्मा बोले। इसके बाद श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये बाद में सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अपना मत व्यक्त किया। इस चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : थोड़ी देर बाद संशोधन ला रहे हैं उससे पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं।

श्री गौतम शर्मा : आप चाहते हैं कि जो सम्पत्ति काट रहे हैं वह न कटे इसलिए संशोधन ला रहे हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आपके खुश होने की मनोकामना पूरी नहीं हो सकती।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच-बीच में उधर से माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगते हैं जो उचित नहीं है।

अध्यक्ष : गौतम जी बैठ जाते हैं तो क्या करें।

श्री गौतम शर्मा : मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं, विधेयक तो स्वीकार कर रहे हैं प्रगति के साथ रहना चाहते हैं लेकिन वकालत दूसरे वर्ग की कर रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि आप में भी प्रगतिशील विचारों का असर हो रहा है, काँग्रेस और दूसरी जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं उनका आप पर असर हो रहा है। जैसे-जैसे आप सम्पर्क में आ रहे हैं अपने आपको संशोधित कर रहे हैं और संशोधन के रूप में अपने विचार रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से जो एक सैबोटेज की भावना है, उसको भी आप प्रकट कर रहे हैं। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो खुले दिल से स्वीकार करना चाहिये लेकिन इतनी आप में हिम्मत नहीं है। आपने यही कहा है कि इससे बड़े-बड़े लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको फायदे की ही बात सदन में कही है, लेकिन छोटे लोगों को फायदा होना चाहिये, उनको और सुविधा दी जानी चाहिये इस ओर आपका ध्यान नहीं गया है। आपने विशेष वर्ग की ही वकालत की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से भी कहना चाहता हूँ हमारा जो लक्ष्य है अर्बन सीलिंग और रूरल सीलिंग करने का वह निश्चित रूप से एक क्रान्तिकारी कदम है। रूरल एरिया का जो सीलिंग किया जा रहा है यह बात सही है कि हमारे प्रदेश के गाँव में रहने वाले जो लोग हैं वह 70 परसेन्ट से 80 परसेन्ट तक हैं। इसमें 70 से 80 परसेन्ट लोगों की इकॉनॉमी को छुआ है। हमारा यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि अर्बन सीलिंग को जो कि हम करने जा रहे हैं उसे इस तरह से किया जाना चाहिये कि जो एक बहुत बड़ा अन्तर है उसमें समानता आ सके। हमने रूलिंग सीलिंग को जो कि एक एकड़ तक भी उसकी आमदनी को सील कर दिया है। गाँव की 80 प्रतिशत जनता की आमदनी को इसके द्वारा सील कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मै यह नहीं मानता कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन जो उनके साधन हैं उसमें रोक लगा दी है, यह बात भी सही है कि जो छोटे लोग हैं निश्चित रूप से इससे उनको राहत होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके मकानों

की तो सीलिंग कर रहे हैं लेकिन जो उनकी पूँजी है, केपीटल है उसकी कोई सीलिंग नहीं की गई है। आज आवश्यकता है कि जो उनकी केपीटल है उस पर भी सीलिंग होना चाहिये। हमने रूरल एरिया की केपीटल पर तो सीलिंग किया है लेकिन अर्बन एरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया है, उसकी सीलिंग करना भी उपयुक्त है।

श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी : ग्रामों में भी उद्योग धंधे करके वे भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

श्री गौतम शर्मा : मैं यह मानता हूँ लेकिन जो किसान और उसका परिवार केवल जमीन पर ही निर्भर करता है, उसकी इॅकॉनॉमी को रोक दिया है। रूरल इकॉनॉमी पर रोक लगा दी गई है, वह आगे नहीं जा सकती।

श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी : गाँव में भी गृह उद्योग आने वाले हैं।

श्री गौतम शर्मा : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि आज एक एकड़ वाला भी जो कृषक है, वह भी इस सीमा को लाँघ कर नहीं जा सकता है जबकि अर्बन प्रोपर्टी पर यह बैन नहीं लगाया है, आप वैल्थ पर सीलिंग करने जा रहे हैं आज इस विधेयक में जितना हम कर सकते हैं उसको जरूर किया है और हमने अपने कदम अर्बन सीलिंग की तरफ बढ़ाये हैं लेकिन जब तक 80 प्रतिशत के समकक्ष इंडस्ट्रीज को नहीं रखते हैं और मोनोपोली को मिटाने की बात नहीं करते हैं तब तक आज का जो बिल है उसके प्रति उतना न्याय प्रकट नहीं कर सकते हैं। पहले हमें वैलेंस करना होगा। अर्बन में भी केपिटल पर बाँधना चाहिये वैल्थ पर नहीं।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव (लाँजी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे ऐतिहासिक बताया तो अध्यक्ष महोदय, मैं तो हैरत में पड़ गया कि यह कौन-सा अध्याय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया समाजवाद नाम से। वस्तुस्थिति तो यह है कि मध्यप्रदेश की भूमि पर जितने भी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल हुआ है वह प्रत्येक कार्यकाल ही एक ऐतिहासिक रहा है। पुराने नियमों और कानूनों को एक नई तरह से अमलीजामा पहना कर उसे ऐतिहासिक कदम बताना और अन्य सदस्यों द्वारा समाजवाद की दुहाई देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मुख्यमंत्री जी का ध्यान इतिहास के उन पन्नों की ओर ले जाना चाहता हूँ जो इस देश की समाजवादी शक्तियों और व्यक्तियों ने लगातार तीस वर्ष से संघर्ष कर काँग्रेस को मजबूत किया है लाल झण्डा उड़ा कर और अब हरित क्रांति का हरा झण्डा उड़ाने की बात आपकी ओर से उठती है। समाजवादी व्यवस्था प्रणाली को ही हमें अपनाना चाहिये। काँग्रेस ने उसको किसी हद तक स्वीकार करने की कोशिश की है। इस तरह का प्रस्ताव आवाड़ी से चला तो बम्बई आया और बम्बई से चलकर भुवनेश्वर पहुँचा और फिर भुवनेश्वर से चलकर दिल्ली में अटक गया। आज मजबूरी का नाम ही समाजवाद हो गया है। मैं मजबूरी इसलिये कहता हूँ कि जहाँ स्वतंत्र विचार न हों, जहाँ अपने विचारों को न रख सकें, एक विधेयक की रूपरेखा आपके सामने आज दिल्ली से लाकर रख दी गई है। उसमें हमारे प्रदेश की स्थिति दिखलाई नहीं देती है। उसे आप पास करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करता यदि आप कहते कि यह हमारे प्रदेश के लिये एक क्रांतिकारी कदम है लेकिन अभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने इसको क्रांतिकारी कदम नहीं कहा है। हमारे माननीय सदस्य श्री गौतम शर्मा जी ने कहा है कि समाजवाद तो एक आंदोलन है तो इसे आप समाजवाद कहते हैं वोट लेने के लिये। समाजवाद एक व्यवस्था है इट इज ए सिस्टम। वह समाज रचना का प्रगतिशील प्रबन्ध है। जिसे जन जीवन में उतारना है इसको प्रदेश के अनुरूप होना चाहिये तब आपको सफलता मिलेगी। मध्यप्रदेश में हर दस साल में इस तरह से एक चक्र चलाया जाता है। पहले जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया गया था। उस कानून में खामी निकालकर एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और वे फिर जमींदार मालगुजार कायम किये गये।

अध्यक्ष : यह कौन-सा फैसला है मैं अपनी जानकारी के लिये जानना चाहता हूँ।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : सिवनी का है, मैं आपके कक्ष में किताबें लेकर आ जाऊँगा और बता दूँगा अगर आप चाहेंगे तो। पहले भी 1960 में सीलिंग का कानून आया था लेकिन जमीनें आज भी उन्हीं लोगों के पास पड़ी हैं। आज आप कहते हैं कि हम सीलिंग का कानून लाये हैं बड़े-बड़ों की जमीन हस्तांतरित हो गई वे लोग आज भी उन जमीनों का उपयोग कर रहे हैं। अगर अध्यक्ष महोदय, आप कहें कि मैं इसकी भी आपको जानकारी दे दूँ तो फिर इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति और क्या होगी। शासन के पास इसकी सारी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े नारे लगाये जाते हैं काँग्रेस की ओर से और समाजवाद की बात की जाती है और कहें कि हमारे पास आँकड़े नहीं हैं कि कितनी जमीन सीलिंग के अन्तर्गत शासन को मिली और कितनी जमीन बाँटी। अध्यक्ष महोदय, पिछले मंत्रिमण्डल ने यह घोषणा की थी कि हम आदिवासियों को भूमि के पट्टे बाँट रहे हैं जो कि आज तक नहीं बाँटे गये और मंत्रियों ने स्वयं पट्टे बाँट कर पटवारियों का काम किया। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग में पटवारी का बड़ा महत्व है क्योंकि पटवारी का खसरा, पी.डब्ल्यू.डी. का इस्टीमेट और डॉक्टर का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट तक में मान्य है।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, समाजवाद की यही तो इच्छा है कि नीचे के लोगों को मान्यता दी जाये।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : इसके लिये मैं तो यही कामना करता हूँ कि अगर आप मंत्री नहीं बने तो अगले जन्म में यही बन जायें। वर्षों से एक ओर सर्वोदय के भूदानी, ग्रामदानी लोगों ने कहा कि धन और धरती बँट कर रहेगी। समाजवाद का क्या बनने जा रहा है, लाभ उसका किसको देने जा रहे हैं। इस कानून की ओर मैं विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह कानून रिट्रोस्पेक्टिव है और न प्रोस्पेक्टिव है। किन्तु अभी भी इसमें इतने प्रास्पेक्ट्स हैं कि जमीन को बेमानी तौर पर हस्तांतरित किया जा सके अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो उस पर केवल एक रुपया टोकन फाइन ही कर सकते हैं।

अध्यक्ष : आपका कहना क्या है? क्या आपका कहना यह है कि यह प्रोस्पेक्टिव नहीं है। यदि यह प्रोस्पेक्टिव नहीं है तो यह सदन को बता दें। दोनों में बहुत अन्तर होता है इसलिये मैं जानकारी चाहता था।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : इस कानून में इतने अधिक लूपहोल हैं, मैं डिक्शनरी लेकर नहीं आया हूँ जिससे अपने शब्दों की व्याख्या कर समझा सकूँ। माननीय अध्यक्ष, आप मेरे भाषण में रुकावट डाल रहे हैं इसलिये मैं अपना समय आपके लिये सरेन्डर करता हूँ।

अध्यक्ष : मैं जानकारी चाहता हूँ, यदि कोई बात आप कहें और मैं उसके बारे में जानकारी चाहूँ तो क्या मैं जानकारी नहीं चाह सकता।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय को अधिकार नहीं है, अगर किसी सदस्य को जानकारी चाहिये तो वह प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से माँग कर सकता है। बार-बार मेरे भाषण में रुकावट डाली जा रही है इसलिये मैं अपना बाकी समय अध्यक्ष महोदय के लिये सरेन्डर करता हूँ। माननीय अध्यक्ष मुझे बोलने नहीं देते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहता था कि यह कानून क्या प्रोस्पेक्टिव नहीं है, यह आपने कहा है। क्या यह जानकारी चेअर से नहीं ली जा सकती?

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : अगर कोई सदस्य बीच में हस्तक्षेप करे तो मैं बैठ जाता हूँ। यह अपने विवेक की बात है, सभी माननीय सदस्य विवेकशील हैं। न किसी माननीय सदस्य ने और न मंत्रि मण्डल के किसी भी सदस्य ने मुझसे जानकारी या स्पष्टीकरण नहीं माँगा, कोई विवेक शून्य हो तो मेरी मजबूरी है।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आमतौर पर कन्वेन्शन यह है कि जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे हों और किसी सदस्य की समझ में न आये तो वह आपकी मार्फत पूछ सकते हैं। ऐसी परम्परा कम देखी है जब स्वयं अध्यक्ष महोदय ही स्पष्टीकरण माँगते हैं।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य से कहूँगा कि कृपया वे अपना भाषण चालू कर दें।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन कर रहा था राजस्व कानून के सम्बन्ध में। वह आज भी अस्त-व्यस्त है। मध्यप्रदेश में अलग-अगल रियासतें शामिल हुईं, मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश और महाकौशल का क्षेत्र। सब में अलग-अलग नियम थे, कानून थे फिर भी उन कानूनों में समन्वय नहीं है। माननीय सदस्यों ने इस विषय में बार-बार आपत्ति उठाई है। विन्ध्यप्रदेश में एक कानून प्रचलित था जो दरबार ऑर्डर कहलाता था कि आबादी के क्षेत्र को छोड़कर सब जंगल है। इस तरह जो सामन्तवादी शक्तियाँ थीं उनके जंगल कानून आज भी चालू हैं। जब कहा गया कि इनमें समन्वय आज तक नहीं हो सका है तो आप कितनी ही

समाजवाद की बात करें, जब तक कानूनों में समन्वय नहीं होगा, मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जावेगा, तब तक ग्रामीण वासियों को बड़ी दिक्कत होगी इसलिये आप जो कानून पास करने जा रहे हैं उसके विषय में किसी ने मुझसे पूछा कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ या नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसका खुले दिल से समर्थन करने जा रहा हूँ।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक जो चुपचाप बैठा हूँ वह इसलिये बैठा हूँ कि जब कोई नया सदस्य आता है तो मैं नये आदमी को इन्टरफियर नहीं करता।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा नया बना रहूँ, एव्हर ग्रीन आपके लिये।

श्री रमेशचन्द्र दुबे : आप नये रूप में आये हैं।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : मेरे रूप अनेक हैं लेकिन आपको एक ही दिख रहा हूँ। मैं आपको भी बदल सकता हूँ और बदला है। समाजवादी हमेशा प्रगति करेगा।

श्री रमेश दुबे : आपने जनसंघ वालों की भी प्रगति करा दी।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष, मैं सदन से निवेदन कर रहा था कि आप कानून कितना भी प्रगतिशील पारित करें लेकिन जब तक उसे कार्यरूप में परिणित नहीं किया जावे उसमें दिक्कत होती है, लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। पिछले सीलिंग के मामले आज भी कोर्ट में पड़े हैं, इसलिये कानून में आपको सजगता बरतनी पड़ेगी। जनसंघ के माननीय सदस्य ने यह सुझाव रखा है कि सेटलमेन्ट किया जावे। आप एक बार हिम्मत से जो गाँव की समस्याएँ हैं, गौचर की समस्या है, एनक्रोचमेन्ट है, आबादी का नक्शा नहीं है इसको देखिये। एक तरफ आप सीलिंग कानून ला रहे हैं और राजाओं, भूतपूर्व नवाब, मालगुजारों, जमींदारों के पास दस-दस और बीस-बीस एकड़ पर महल मकान कोठी बने हुए हैं क्या उनको वंचित रख दिया जावेगा क्योंकि वह आबादी में है, उन्होंने परकोटा बना लिया है इसलिये उनको अछूता रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आवश्यक हो जाता है कि जो राजस्व के नियम हैं, कानून हैं, उनमें सेटिलमेन्ट करना चाहिये। रोज-रोज जो एमेन्डमेन्ट आ रहे हैं उससे लोगों को दिक्कतें बढ़ रही हैं, आज भी रेव्हेन्यू, रिकार्ड परिपक्व नहीं है। पटवारी के पास जो रिकार्ड है उसमें न्यूटेशन की दिक्कत होती है और छः-छः साल लग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग के कानून के कारण बहुत हलचल हुई है, खुशी हुई कि सीलिंग का निर्णय हुआ। हमारे सदस्य श्री गौतम शर्मा ने कहा कि रूरल और अर्बन में संतुलन नहीं है, यह संतुलन करने की कोशिश कीजिए। आज गाँव जहाँ अनिश्चितता की स्थिति में हैं, गाँवों में बैनामे हो रहे हैं, जमीन के जो ट्रान्सफर हो रहे हैं। इस प्रकार इकॉनॉमिक इनबेलेन्स आया तो अनिश्चितता बढ़ेगी कानून के झगड़े में पड़ना पड़ा तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसमें आपको 60, 65 लाख से अधिक का नुकसान उठाना पड़ेगा। लोग मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जावेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (विधि मंत्री) : मैं सुन नहीं सका, आपने क्या कहा?

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : आपने वित्तीय भार 65 लाख बताया है आपको इस वित्तीय भार से बचने के लिये हर चन्द कोशिश करना है। कानून को अमली रूप देने के लिये आपको कलेक्टर को तत्काल निर्देश देना चाहिये कि वह जब 90 दिन की मियाद समाप्त हो जाती है कितनों की सीलिंग बाँध रहे हैं, आपको अपनी कार्यप्रणाली में सीमा बाँधना हितकर होगा। राजस्व विभाग को कड़ा निर्देश दें कि प्रकरण शीघ्र निपटाये जायें तो अधिक हितकर होगा। शासन को चाहिये कि इसमें कम से कम डिले हो। ठीक है आप सीलिंग लाना चाहते हैं, लाइये। आप समानता लाना चाहते हैं, गेप को दूर करना चाहते हैं, पर इस सबके साथ-साथ यह देखना होगा जो दिक्कतें आयेंगी उनको दूर करने के लिये आप क्या कर रहे हैं? इसके आने के बाद अदालतों का काम बढ़ जावेगा, लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अतः माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि जो काम्पलीकेशन्स इस कानून के बाद आने वाले हैं उनको देखना है और सही रास्ता निकालना है।

इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष, सिंचित भूमि की परिभाषा का प्रश्न है। वह इस विधेयक में पूर्ण नहीं है। जो भूमि शासकीय तालाब से कभी सिंचित होती है और जिसका रिकार्ड पटवारी के पास है तालाब बे-मरम्मत है, वर्षा हुई तो पानी भरा अन्यथा सूखा। परन्तु पटवारी रिकार्ड गीला रहता है। दूसरी भूमि है जिसका सिंचन अन्य साधनों

से होता है, अतः उन भूमि के मामले कई दिनों तक घुमाये जा सकते हैं। अतः उनको भी हमें देखना होगा। जहाँ तक सीलिंग का प्रश्न है, आप सीमा में बाँध रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमने हरित क्रान्ति के नारे लगाये। हरित क्रान्ति कैसे सम्भव है? हम खाद्यान्न के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे हैं। परन्तु बाद में वैज्ञानिक खेती का समय आया और हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक खेती प्रारम्भ हुई और हम खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी हुए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे तो और अन्य सदस्य इस महत्वपूर्ण विषय पर बोल ही नहीं पायेंगे।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : माननीय अध्यक्ष, आमतौर पर हर पार्टी का समय निर्धारित हो जाता है। फिर पार्टी जैसा चाहेगी, एक दो या चार में जैसा मुनासिब समझेगी अपना समय अपनी पार्टियों के सदस्यों में बाँट देगी। अगर सीमा के अन्दर बाँधने का प्रयत्न करेंगे तो ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष : मैं हर माननीय सदस्य का समय नोट करता जा रहा हूँ। मैं एक-दो और सदस्यों को भी कुछ समय देने वाला हूँ।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : माननीय अध्यक्ष, प्रारम्भ में बताते तो सबको जानकारी हो जाती।

अध्यक्ष : अभी अन्तराल होने में 15 मिनिट बाकी हैं। उसके बाद में हिसाब लगाकर बता दूँगा।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सीलिंग कानून के तहत काम्पलीकेशन्स आयेंगे जिसके लिये सतर्कता बरतनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी बड़े-बड़े पूँजीपति, बड़े-बड़े लैंड होल्डर हैं जिनके ऊपर हजारों नहीं लाखों रुपये की तकाबी शेष है। जो फ्रेक्मेंटेशन ऑफ लैण्ड होल्डिंग होने जा रहा है, तो जो तकाबी ड्यू है, जो बैंकों से उन्होंने कर्ज लिया है जिनकी जमीनें उन पर भार हैं .....

श्री कृष्णपाल सिंह : यह सीलिंग 18 एकड़ तक हुई है उसका आप स्वागत करते हैं या नहीं?

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : मैंने तो पूर्णरूपेण स्वागत किया आपने सुना नहीं और आप कम करेंगे तो और स्वागत कर दूँगा। इसलिये इसको ऐतिहासिक नहीं मानता हूँ। शासन को कड़ाई का रुख अपनाना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी घोषणा वे कर रहे हैं उसे पूरी करने के लिये वे मौके पर पहुँचें। मैं तो चाहूँगा कि इस कानून के पास होने के पश्चात् किसी एक ग्राम को अपना बना लें और दो-चार दिन जाकर वहाँ रहें और देखें कि ग्राम के जीवन स्तर का क्या हाल है। राजस्व विभाग की क्या अड़चनें उनके सामने आती हैं और कानूनी पेचीदगियों की क्या उलझनें उनके सामने आती हैं। वे स्वयं जाकर निरीक्षण कर लें और उसके अनुभव के आधार पर सख्ती के साथ जो आदेश देना चाहते हैं देने की कृपा करेंगे। मैं पूर्ण रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (सीधी) : * माननीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मैं ज्यादा समय सदन का न लेकर विरोधी पक्ष के नेता श्री कैलाशचन्द्र जोशी और हमारे माननीय सदस्य श्री श्रीवास्तव साहब ने जो यहाँ कहा है उसके संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन इसके पहले मैं आपकी अनुमति से मुख्यमंत्री जी ने जो इस विधेयक को ऐतिहासिक विधेयक निरूपित किया है वह अतिशयोक्ति नहीं है, यह कहना चाहूँगा। यह अतिशयोक्ति इसलिये नहीं क्योंकि इतिहास किसी का इंतजार नहीं करता है। इतिहास में स्टेज आती है, मौके आते हैं उन मौकों पर शासन में चाहे कोई भी पार्टी बैठी हो, उन ऐतिहासिक शक्तियों से जो समाज के अंदर सदैव नहीं चलती रहती हैं उनके द्वारा जो नये प्रकार की समस्याएँ आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक उपस्थित हुआ करती हैं उनका सही रूप से मूल्यांकन करने के बाद, निर्णय लेने के बाद निराकरण करने की दिशा में कदम उठाने की क्षमता और फिर सबसे बाद में उन सभी शक्तियों को किस प्रकार से उनके ऊपर गति दी जा सके, किस प्रकार से उनको सही दिशा दी जा सके, किस प्रकार से परस्पर विरोधी भावनाओं के हितों को वहाँ समाज के अंदर चलाया जा सके यह आवश्यक है और चूँकि कॉंग्रेस पार्टी ने इस समस्या के संबंध में, इस पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर एक कदम उठाने का निर्णय लिया है इसलिये यहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कहा है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अब रह गया यह कि जो लोग इतिहास का पाठ ही उल्टे पढ़ना चाहते हैं उनके लिये तो मैं समझता हूँ कि इतिहास का मूल्य ही दूसरे रूप से होगा। मैं यह कहूँ, अध्यक्ष महोदय,

से होता है, अतः उन भूमि के मामले कई दिनों तक घुमाये जा सकते हैं। अतः उनको भी हमें देखना होगा। जहाँ तक सीलिंग का प्रश्न है, आप सीमा में बाँध रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमने हरित क्रान्ति के नारे लगाये। हरित क्रान्ति कैसे सम्भव है? हम खाद्यान्न के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे हैं। परन्तु बाद में वैज्ञानिक खेती का समय आया और हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक खेती प्रारम्भ हुई और हम खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी हुए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे तो और अन्य सदस्य इस महत्वपूर्ण विषय पर बोल ही नहीं पायेंगे।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : माननीय अध्यक्ष, आमतौर पर हर पार्टी का समय निर्धारित हो जाता है। फिर पार्टी जैसा चाहेगी, एक दो या चार में जैसा मुनासिब समझेगी अपना समय अपनी पार्टियों के सदस्यों में बाँट देगी। अगर सीमा के अन्दर बाँधने का प्रयत्न करेंगे तो ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष : मैं हर माननीय सदस्य का समय नोट करता जा रहा हूँ। मैं एक-दो और सदस्यों को भी कुछ समय देने वाला हूँ।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : माननीय अध्यक्ष, प्रारम्भ में बताते तो सबको जानकारी हो जाती।

अध्यक्ष : अभी अन्तराल होने में 15 मिनिट बाकी हैं। उसके बाद में हिसाब लगाकर बता दूँगा।

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सीलिंग कानून के तहत काम्पलीकेशन्स आयेंगे जिसके लिये सतर्कता बरतनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी बड़े-बड़े पूँजीपति, बड़े-बड़े लैंड होल्डर हैं जिनके ऊपर हजारों नहीं लाखों रुपये की तकाबी शेष है। जो फ्रेक्मेंटेशन ऑफ लैण्ड होल्डिंग होने जा रहा है, तो जो तकाबी ड्यू है, जो बैंकों से उन्होंने कर्ज लिया है जिनकी जमीनें उन पर भार हैं .....

श्री कृष्णपाल सिंह : यह सीलिंग 18 एकड़ तक हुई है उसका आप स्वागत करते हैं या नहीं?

श्री नरबदाप्रसाद श्रीवास्तव : मैंने तो पूर्णरूपेण स्वागत किया आपने सुना नहीं और आप कम करेंगे तो और स्वागत कर दूँगा। इसलिये इसको ऐतिहासिक नहीं मानता हूँ। शासन को कड़ाई का रुख अपनाना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी घोषणा वे कर रहे हैं उसे पूरी करने के लिये वे मौके पर पहुँचें। मैं तो चाहूँगा कि इस कानून के पास होने के पश्चात् किसी एक ग्राम को अपना बना लें और दो-चार दिन जाकर वहाँ रहें और देखें कि ग्राम के जीवन स्तर का क्या हाल है। राजस्व विभाग की क्या अड़चनें उनके सामने आती हैं और कानूनी पेचीदगियों की क्या उलझनें उनके सामने आती हैं। वे स्वयं जाकर निरीक्षण कर लें और उसके अनुभव के आधार पर सख्ती के साथ जो आदेश देना चाहते हैं देने की कृपा करेंगे। मैं पूर्ण रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (सीधी) : * माननीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मैं ज्यादा समय सदन का न लेकर विरोधी पक्ष के नेता श्री कैलाशचन्द्र जोशी और हमारे माननीय सदस्य श्री श्रीवास्तव साहब ने जो यहाँ कहा है उसके संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन इसके पहले मैं आपकी अनुमति से मुख्यमंत्री जी ने जो इस विधेयक को ऐतिहासिक विधेयक निरूपित किया है वह अतिशयोक्ति नहीं है, यह कहना चाहूँगा। यह अतिशयोक्ति इसलिये नहीं क्योंकि इतिहास किसी का इंतजार नहीं करता है। इतिहास में स्टेज आती है, मौके आते हैं उन मौकों पर शासन में चाहे कोई भी पार्टी बैठी हो, उन ऐतिहासिक शक्तियों से जो समाज के अंदर सदैव नहीं चलती रहती हैं उनके द्वारा जो नये प्रकार की समस्याएँ आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक उपस्थित हुआ करती हैं उनका सही रूप से मूल्यांकन करने के बाद, निर्णय लेने के बाद निराकरण करने की दिशा में कदम उठाने की क्षमता और फिर सबसे बाद में उन सभी शक्तियों को किस प्रकार से उनके ऊपर गति दी जा सके, किस प्रकार से उनको सही दिशा दी जा सके, किस प्रकार से परस्पर विरोधी भावनाओं के हितों को वहाँ समाज के अंदर चलाया जा सके यह आवश्यक है और चूँकि काँग्रेस पार्टी ने इस समस्या के संबंध में, इस पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर एक कदम उठाने का निर्णय लिया है इसलिये यहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कहा है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अब रह गया यह कि जो लोग इतिहास का पाठ ही उल्टे पढ़ना चाहते हैं उनके लिये तो मैं समझता हूँ कि इतिहास का मूल्य ही दूसरे रूप से होगा। मैं यह कहूँ, अध्यक्ष महोदय,

स्पष्ट रूप से कि यह विधेयक न तो क्रांतिकारी है, न तो यह समाज में कोई आमूल परिवर्तन करने वाला है बल्कि यह विधेयक अध्यक्ष महोदय, मेरी तुच्छ राय में हम लोगों को कुछ समय प्रदान करने वाला है जिसके अंदर हम समाज के अंदर जो नई शक्तियाँ उदयमान होकर आ रही हैं उनको समन्वित करने में सफल हों। यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं हुए तो जो समय हमें मिला चाहे वह 1 साल हो या 2 साल या 3 साल का हो वह समय बीत जाने के बाद ऐसे विधेयकों की आवश्यकता नहीं होगी जो कि परिवर्तन लायें। बल्कि ऐसे परिवर्तन लाने की प्रक्रिया जो होगी वह हिंसात्मक होगी और इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कितने एकड़ की सीलिंग हो रही है, जमीन कितनी जा रही है, क्या फेमिली का यूनिट बन रहा है, क्या प्राब्लम्स आयेंगे, यह ठीक है कि एक कानून के आधार पर हमें उन पर विचार करना चाहिये क्योंकि हम यहाँ कानून बनाने के लिये बैठे हैं इसलिये हमें कानून की परिभाषाओं को देखना चाहिये, लेकिन जिस पृष्ठभूमि में एक एग्रेरियन इकॉनॉमी को टेकल करने जा रहे हैं यदि उस पृष्ठभूमि से हम अपने आपको अलग कर लें तो हम किसी प्रकार से उस इकॉनॉमी को ठीक से संचालित करने की दिशा में सफल नहीं हो सकते। एग्रेरियन इकॉनॉमी क्या है? जो लोग गाँवों में रहते हैं उनको इस बात का ज्ञान होगा कि आज एग्रेरियन इकॉनॉमी जिन चीजों से प्रभावित होती है वह 3, 4 हैं। एक जो खातेदार, चाहे वह एक एकड़ का हो या 50-100 एकड़ का हो जिसके पास जमीन है, दूसरा वह है जो खेतिहर मजदूर कहलाता है और जो 5 या 10 एकड़ वाले किसान के भी खेतों में काम करता है और 100 एकड़ वाले किसान के यहाँ भी खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है। तीसरा वह वर्ग है जैसा कि कैलाश जोशी भाई ने कहा जो कि सही है कि किसान जो उद्योगों पर आधारित हैं-ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है। चाहे वह बढ़ई हो, लुहार हो, वह एक एकड़ वाले किसान का हल भी बनाता है और 50-100 एकड़ वाले किसान का भी हल बनाता है। किसान खुद हल नहीं लगायेगा, वह लुहार और बढ़ई के पास जायेगा ही। यदि यह बात सही है कि गाँव के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो किसान के ऊपर अपना जीविकोपार्जन करता है तो हमें यह देखना होगा कि हम जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था गाँवों के अंदर लाना चाहते हैं उन सभी वर्गों के हितों का समन्वय करके रखना चाहते हैं या इससे आपस में विवाद या संघर्ष पैदा करके रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने सही रूप में काँग्रेस के मेनिफेस्टो को समझा है, नीतियों को समझा है तो काँग्रेस की नीतियाँ ये हैं कि हम समन्वय के द्वारा समाज में परिवर्तन लावें न कि वर्ग संघर्ष के द्वारा। यदि वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज में परिवर्तन आयेगा तो मैं समझता हूँ कि काँग्रेस की नीतियों की असफलता के कारण, न कि हमारी वजह से।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में, मैं सदन से निवेदन करूँगा कि आप सोचें कि हमने जो गाँवों में एक व्यवस्था थी राजे-महाराजों की उनके हाथ में सत्ता थी, वे कोई मेहनत नहीं करते थे, किसी प्रकार से किसी को भी लाभ नहीं देते थे, केवल लगान वसूल करते थे और अपना काम चलाते थे वह अब समाप्त हो गई और जो आदमी खेती करता है उसके हाथ में वह जमीन पहुँची। लेकिन इसके पश्चात् भी असमानता है। हमने सन् 60 में एक सीलिंग लॉ बनाया था। मैं मानता हूँ कि वह सीलिंग लॉ उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिये। यहाँ पर कई माननीय सदस्य उपस्थित हैं जो उस समय भी सदन के सदस्य थे, उन्हें मालूम होगा कि हम लोगों ने सन् 1957 में जब से मध्यप्रदेश की नई विधानसभा बनाई तब से इस बात के साक्षी हैं और माँग करते रहे हैं कि सीमा का कानून बनाना चाहिये और कानून बनाया गया और उसमें 30 एकड़ की सीमा रखी गई उसके बाद संशोधन हुआ 25 एकड़ का। अब उसी को हम 18 एकड़ करना चाहते हैं और यूनिट बनाना चाहते हैं परिवार को। आप सब चीजों को एक तरफ रख दें ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर यदि आप लिपसर्विस करना चाहते हैं तो इससे अधिक आवश्यकता आपको होनी नहीं चाहिये यदि लिपसर्विस करना चाहते हैं तो समाज के प्रति और किसानों के प्रति अन्याय होगा। फिर भी आज जो हम करने जा रहे हैं वह एक कदम है और उस कदम को सक्षम रूप से उस दिशा में ले जाने के लिये केवल हम समानता ही न ला सकें बल्कि साधन भी उपलब्ध करें यह हमारा ध्येय हो। इस ओर जो कैलाश जोशी ने ध्यान आकर्षित किया है वह सही है। यदि हमने सीलिंग कर दिया और किसान को सीलिंग के बाद वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के जो साधन हैं उसको उन्हें उपलब्ध

नहीं करा सके तो उत्पादन घटेगा और उसके लिये हमें सक्षम कदम उठाना चाहिये। जहाँ तक भूमि सुधार का प्रश्न है श्री कैलाश जोशी ने सही कहा कि भूमि सुधार सीमा निर्धारण तक सीमित नहीं है, यह उचित है उनका कहना बिलकुल सही है। हमारा शासन भी यही मानता है। इससे भी, भूमि सुधार से भी महत्वपूर्ण विषय है— और हमारा यह कहना कि भूमि सुधार पर शासन का ध्यान नहीं गया है यह गलत है, बल्कि शासन भूमि सुधार की दिशा में रिकार्ड ऑफ राइट्स और उसकी प्रक्रिया को बनाने की तैयारी कर रहा है लेकिन उसकी गति धीमी है, क्योंकि जब तक आँकड़े सही नहीं होंगे आप कुछ कर नहीं पायेंगे। तो उस प्रक्रिया में गति लाई जाये और प्रक्रिया को सुधारा जाये, यह मैं शासन से निवेदन करूँगा। इसके बाद जो सेंट्रल पेनल ऑफ लैंड रिफॉर्म का उद्धरण उन्होंने दिया कि वह पैनल अनुकूल नहीं है तो उन्होंने स्वयं यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने उसको पूरा नहीं पढ़ा है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि उसको वह पूरा पढ़ लें। मैं समझता हूँ उस पैनल के अनुकूल हर प्रदेश को छूट दी गई है कि वह अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल सीलिंग का कानून लाये। हमारे प्रदेश में जो सीलिंग किया जा रहा है वह क्लासिफिकेशन ऑफ स्वायल का न रखकर क्लासिफिकेशन ऑफ एकरेज पर निर्धारित कहा जा सकता है। जैसा कि नरबदाप्रसाद जी ने कहा है कि प्रकरणों को निबटाने के लिये कम से कम समय लगे, उस दृष्टि से जो क्लासिफिकेशन ऑफ एकरेज रखा गया है वह उचित है।

अब जहाँ तक प्रयास का सवाल है— ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था किसानों की आय पर निर्भर करती है, यही नहीं बल्कि हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण किसानों की आमदनी पर ही देश की अर्थ-व्यवस्था निर्भर करती है और इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान गया नहीं ऐसी बात नहीं है। कीमतें फिक्स होती हैं और तीन साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने एक मूल्य नियंत्रण समिति बनाई थी। .....(दो से तीन बजे तक अंतराल)

{अध्यक्ष महोदय (श्री तेजलाल टेंभरे) पीठासीन हुए}

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज जो शहरी सम्पत्ति की सीलिंग का बिल प्रस्तुत हुआ है उस पर संशोधन कब तक दिया जा सकता है इस संबंध में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है, कृपया अपनी व्यवस्था दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कल 10 बजे प्रातः तक।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय : मध्यप्रदेश विधानसभा नियमावली के नियम 225 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नलिखित सदस्यों को विशेषाधिकार समिति का सदस्य नियुक्त करता हूँ—

1. श्री चन्द्रप्रताप तिवारी
2. श्री राजारामसिंह
3. श्री श्रीनिवास तिवारी
4. श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल
5. श्री अर्जुनसिंह
6. श्री रामधनी मिश्र
7. श्री धनसुखलाल भाचावत
8. श्री हरिभाऊ जोशी
9. श्री सखाराम नीलकण्ठ
10. श्री होमी दाजी

मैं श्री चन्द्रप्रताप तिवारी को उक्त समिति का सभापति नियुक्त करता हूँ।

शासकीय विधि विषयक कार्य

मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्रमांक 15, सन् 1972) पर चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

अध्यक्ष : तीन बजे से 6 बजे तक असेम्बली बैठने वाली है। तीन घण्टे का समय बाकी है। शासन ने

निवेदन किया है कि एक घण्टा पन्द्रह मिनट उन्हें चाहिये। तीन घण्टे में एक घण्टा पन्द्रह मिनट काट दिया गया तो जो समय बचता है, वह यदि बाँटा जाये और विविध पक्ष में बाँटा जाये तो जनसंघ को 6 मिनट, निर्दलीय 20 मिनट जिसमें उन्होंने 23 मिनट ले लिये तो अब उनका समय समाप्त हो जाता है। काँग्रेस दल ने 72 मिनट ले लिया, इनके हिस्से में 90 मिनट था तो अब 18 मिनट रह जाता है। साम्यवादी दल में 5 व्यक्ति हैं और 5 मिनट आता है, समाजवादी दल को 8 मिनट आता है। इस प्रकार समय का बँटवारा किया जाता है। इस पर ध्यान रखते हुए अपना भाषण देने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर इतना थोड़ा समय मिला यह उचित नहीं है। इससे तो माननीय मुख्यमंत्री वैसे ही पास करवा लेते तो अच्छा था।

अध्यक्ष : आज छः बजे तक के लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिये समय रखा था। एक ही दिन का रखा है। जब तक मेरे समक्ष कोई प्रस्ताव न आये मैं विचार नहीं करूँगा। जो समय निर्धारित है उसी समय मैं सबको भाषण करने दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ग्रामीण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक पेश किया गया है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने समय के बँटवारे के बारे में कहा है वह तो बड़ा विचित्र है। उसमें हमारे समाजवादी दल को कुछ भी समय नहीं मिला है। व्यावहारिक रूप से यदि देखें तो उस समय में क्या विचार प्रकट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार कर समय बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष : मेरे पास प्रस्ताव आयेगा तो मैं उस पर विचार करूँगा।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अपने दल के समय में से समय दे दें क्योंकि विरोधी दल के लोग बोलेंगे तो उनको कुछ सुझाव देंगे, उनकी पार्टी के लोग सुझाव नहीं देंगे।

अध्यक्ष : उनकी पार्टी का समय तो 18 मिनिट है और शासन के लिये मैंने सवा घण्टे का समय रखा है अगर वे अपने समय में से दे दें तो उनकी मर्जी।

श्री प्रकाशचन्द सेठी (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो आज हम 6 बजे तक बैठ रहे हैं न?

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, 8 मिनट में हम अपनी पार्टी की नीति-रीति की क्या बात कह सकेंगे?

श्री प्रकाशचन्द सेठी (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि श्री तिवारी जी बहुत कम संख्या में अपनी पार्टी के लोगों को लौटा सके हैं। मैं क्या कर सकता हूँ या तो सात बजे तक सदन की बैठक चले वरना फिर दूसरे दो बिल रह जायेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेते हुए समाप्त करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बचे हुए समय में मेरे दल के दूसरे सदस्य बोलें। मैं यह कह रहा था कि शासन ने यह विधेयक ग्राम की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किया है। मैं आशा प्रकट करता हूँ कि शासन काश्तकारों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने की व्यवस्था करेगा। उनको वे सबही साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा जिससे किसान उन्नतिशील तरीकों को अपना सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो जमीनें बँटी नहीं हैं उन जमीनों को शासन बाँटने की कोशिश करे। जितनी जमीनें शासन के आँकड़ों के हिसाब से बँटने के लिये पड़ी हैं, उससे कहीं सौ गुनी अधिक जमीनें बँटने के लिये पड़ी हैं, उन जमीनों का बँटवारा हो जाना चाहिये। मैं इतना ही कहकर कि यह विधेयक जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उससे हमारे दल और उनकी कल्पना को मूर्त रूप देने में सहायक होगा।

श्री शाकिर अली खाँ : अध्यक्ष महोदय, यह समय की रोक क्यों लगाई जा रही है अगर आपको नहीं बोलने देना है तो हम नहीं बोलते हैं इसको वैसे ही पास करवा लीजिये।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सवा घण्टे में से 15 मिनट दे सकता हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज हम 6 बजे तक बैठ रहे हैं और कल भी 6 बजे तक बैठ रहे हैं, शासन अपना जवाब कल दे दे और दूसरे विधेयकों को परसों लिया जा सकेगा।

अध्यक्ष : मेरे पास एक प्रस्ताव आधे घण्टे की चर्चा का भी आया है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया है और उसमें भी समय लगेगा।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा तो समावेश कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष : जितने भाषण बच रहे हैं उनको तो चलने दीजिये फिर देखेंगे।

श्री श्रीनिवास तिवारी : सदन में किसको कब बुलाया जावे इसके लिये भी परम्परा होती है और उस परम्परा का निर्वाह होना चाहिये। विरोधी दलों में जनसंघ सबसे बड़ी पार्टी है उसको पहले बुलाया जाता है और बाद में दूसरे नम्बर पर हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी है अतः समाजवादी दल को इसके पश्चात् बुलाया जाना चाहिये फिर स्वतंत्र और फिर कम्युनिस्ट। मेरा यह कहना है कि एक विरोधी फिर काँग्रेस और फिर विरोध में जनसंघ के बाद समाजवादी दल के लोगों को बुलाया जाना चाहिये, यानी पहले पाँच वाला दल और फिर सात वाला दल आना चाहिये।

अध्यक्ष : मैं तो यह मानकर चलता हूँ कि सभी विरोधी दल के हैं।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों में भी जैसा क्रम मैंने कहा है वैसा परम्परानुसार होना चाहिये। इस संबंध में मेरी घोर आपत्ति है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, तिवारीजी ने जो बात कही है वह बिल्कुल ठीक है। पहले जनसंघ फिर समाजवादी दल और फिर निर्दलीय का नम्बर आता है। अध्यक्ष महोदय पहले चूँकि इस प्रकार की परम्परा रही है इसलिये वही जारी रहनी चाहिये।

अध्यक्ष : श्री होमी दाजी बोलेंगे।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की सदन की परम्परा नहीं होनी चाहिये। अगर इस प्रकार की सदन की परम्परा बन जायेगी तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

अध्यक्ष : ठीक है जनसंघ के पश्चात् आपके दल को बुलवाऊँगा। परन्तु अभी मैंने श्री दाजी को बुला लिया है इसलिये वे अपना भाषण पहले करेंगे, भविष्य के लिये ऐसा ही करूँगा, जैसी कि परम्परा है।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय दल बड़ा दल है इसमें 17 सदस्य हैं अतः उसके पश्चात् हमारा नम्बर आना चाहिये।

श्री होमी दाजी (इन्दौर-2) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को मुख्यमंत्री जी ने क्रान्तिकारी निरूपित किया है और दूसरी ओर विरोधी दल के नेता ने उसको प्रतिगामी बतलाया।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : मैंने क्रान्तिकारी नहीं कहा ऐतिहासिक कहा है।

श्री होमी दाजी (इन्दौर-2) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि यह विधेयक जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुराने कानून की खामियों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले काश्तकार पर जो सीलिंग था वह व्यक्ति पर था और अब कुटुम्ब पर है और चोर दरवाजे से जो कुछ होता था इसमें उसकी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में बिल ने प्रगति की है। यह कोई समाजवादी कदम नहीं है, यह जनवादी कदम है जो कि हमारी कृषि व्यवस्था का रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता है। कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों पर साथ ही साथ शहरों में काम करने वालों पर भी सीमा लगाई जा रही है।

श्री कृष्णपालसिंह : क्या यह जनवादी कदम जनवादी चीन की तरह से है?

श्री होमी दाजी : मैं क्लासिकल इकॉनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ, चालू भाषा में नहीं। एक बात तय होना चाहिये कि हम हमारे किसानों की व्यवस्था कैसी चाहते हैं? क्या हम यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ पूँजीवादी इजारेदारी व्यवस्था बनाई जाये, बड़े-बड़े ट्रैक्टर लगाकर खेती की जाये, फिर उसके बाद क्रान्ति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था लागू की जाये, क्या हम हिन्दुस्तान के भविष्य के लिये यह सोच रहे हैं? मौजूदा सीलिंग के कारण भूमि की भूख के कारण सीलिंग में संशोधन करने की बात का जन्म हुआ। भूमिहीनों ने बहुत बड़े पैमाने

पर शांतिपूर्ण ढंग से देश का ध्यान इस ओर दिलाया। आज भूमि सुधार और भूमि की सीमा निर्धारण का कानून राष्ट्रीय समस्या बन गया है। यह सिर्फ खेत के मजदूरों की समस्या नहीं रह गई है। आज तो हम व्यवस्था करना चाहते हैं, वह छोटे-छोटे काश्तकारों की, मंझले काश्तकारों की व्यवस्था करना चाहते हैं। हम कोई बहुत बड़े जमींदारों या पूँजीपतियों की व्यवस्था नहीं करना चाहते। जब तक शहरों में न हो, तब तक देहातों में भी न हो, यह दलील उन्हीं की है जो इसको टालना चाहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी देश की 85 प्रतिशत देहातों में है और यह समस्या भी भूमि की सबसे अधिक देहातों की है। अमेरिका के भूतपूर्व राजदूत जो भारत में थे उन्होंने भी बताया है कि अच्छी सघन खेती हो सकती है। यूरोप और अमेरिका में भी छोटे प्लाटों में अच्छी सघन खेती की जा चुकी है। आपको किसान के लिये खाद और दूसरे सभी साधन उपलब्ध कराने होंगे। सरकार को वहाँ पर सर्विसिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। अगर निजी तौर पर ट्रैक्टर नहीं रख सकते तो सरकार की तरफ से ट्रैक्टर रखे जा सकते हैं। इसको अर्बन से मिलाना बेकार है। अर्बन सम्पत्ति की सीलिंग के सम्बन्ध में शायद मुख्यमंत्री ने बिल भी पेश कर दिया है। कल उस पर चर्चा होगी लेकिन 5 लाख की भवन और भूमि की सीलिंग मखौल है। अगर सीलिंग करना है तो चल और अचल दोनों सम्पत्तियों का सीलिंग करना पड़ेगा। आप केवल अचल सम्पत्ति का सीलिंग करके इस समस्या को हल नहीं कर सकते। आज इस कानून के जरिये पुराने कानून की गलतियाँ सुधारी गई हैं, यह बहुत अच्छा है। वास्तव में यह बहुत मूलगामी कदम होता यदि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया होता। इसकी अच्छाई में धूल डाल दी गई है। पसेरी भर दूध में यदि थोड़ा सा गोबर डाल दिया जाये तो सारा दूध बेकार हो जाता है। इस प्रकार इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिये बगैर इसकी मंशा पूरा नहीं होगी। पिछले कानून से केवल 83 हजार एकड़ भूमि मिली जो कुल भूमि का 1.5 प्रतिशत है उसमें से केवल 0.2 प्रतिशत बँटी है। अबकी बार जब से सीलिंग की चर्चा हुई है स्टाम्पस के लिये भीड़ लगी हुई है। 10-10 हजार रुपये के स्टाम्पस बिक रहे हैं ब्लैक में। स्टाम्प बिक रहे हैं जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने सदन में बिल पेश किया, यहाँ भोपाल से 300 तार गये हैं कि बेफिक्र रहो। इसको 1 जनवरी 1970 से लागू करना चाहिये जैसा केरल में किया गया है। जो हस्तांतरण किये गये हैं उनको अमान्य करना चाहिये। जो खुद के लड़के के नाम किया गया है वह किया जा सकता है, इस तरह से इसमें भी देखना चाहिये। बेनामी ट्रान्सफर किये जा रहे हैं, लोग अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं ऐसा किस्सा हमारे सामने इसके ऊपर आया है। इसी के साथ जो कुछ एक्जम्पशन रखे गये हैं, वे एक्जम्पशन भी गलत हैं। बगीचे के लिये 5 एकड़ एक्सटरा क्यों, 5 स्टैन्डर्ड यानी 15 एकड़ क्यों?

श्री प्रकाशचन्द सेठी : वह पाँच सादा एकड़ है स्टैन्डर्ड एकड़ नहीं है।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 अप्रैल 1972/पृष्ठ-1022-1033)

10 जुलाई 1972 से वर्षाकालीन सत्र प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री तेजलाल टेंभरे पीठासीन हुए।

24 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द सेठी ने अपने विभागों की माँगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (बैरागढ़) ने माँगों पर चर्चा शुरू की। चर्चा 25 जुलाई को भी जारी रही। इसी दिन सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने सरकार के कामों की प्रशंसा करते हुए अनेक कमियों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षा विभाग की माँगों पर बोलते हुए उन्होंने संकेत दिया कि सिर्फ शालाएँ खोलकर बच्चों को पढ़ाना और उन्हें डिग्रीधारी बना देना, यह कोई शिक्षानीति नहीं है। हमें प्रदेश की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुरूप सर्वमान्य शिक्षानीति तय करना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ नहीं करेंगी। श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है—

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से एक साथ कई माँगों पर चर्चा हो रही है जिनका सम्बन्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है। चर्चा के दौरान विरोधी पक्ष की ओर से और शासन पक्ष की ओर से भिन्न-भिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर उनमें होने वाले कामों की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। मुख्यमंत्री जी के कार्य के संचालन का आंकलन इस आधार पर होना चाहिये कि उन्होंने अपनी कार्यशैली को प्रारम्भ करते

समय कौन-से कदम इस प्रदेश की समस्या को देखते हुए उठाये हैं। इस मापदण्ड से अगर हम देखें तो यह स्पष्ट दिखेगा कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले प्रदेश में अमन चैन कायम हो इस चीज को बनाया है। इस बात के लिये न केवल काँग्रेस पक्ष, अपितु विरोधी दल की व प्रदेश की समस्त जनता आपकी अत्यधिक आभारी है कि सदियों से चली आ रही एक ऐसी समस्या जिससे कि उत्तर भू-भाग और विन्ध्य भू-भाग पूर्ण रूप से त्रस्त था और अपने आपको असुरक्षित स्थिति में पाता था आज वह समस्या समाप्त हो गई है। इस परिस्थिति के निर्माण करने में जिन सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का हमें सहयोग मिला है वह स्तुत्य है, हम उसे भुला नहीं सकते। जिन लोगों ने इस विषय में अकारण एक विवाद चलाने का कुप्रयास किया है वह शायद इस पूरी समस्या की भूमिका को सभी लोगों के किये हुए प्रयासों को, हम कुछ हद तक हानि पहुँचाते हैं व उनके प्रति सही रूप में अपने विचार व्यक्त नहीं करते। इसलिये मैं समझता हूँ यह सर्वथा उचित था कि प्रदेश के अन्दर अमन चैन कायम रहना चाहिये तभी कोई कुछ आगे बढ़ सकता है। यदि असुरक्षा की बात रही तो कृषि के क्षेत्र या इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में कहीं प्रगति की संभावना नहीं है।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : कुछ तो स्पष्ट कीजिये, कौन-सा विवाद?

श्री अर्जुनसिंह : आप शायद नये सदस्य आये हैं। मैं न विवाद खड़ा करता हूँ और न स्पष्टीकरण देना पसन्द करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूँ कि आज इस समस्या के समाधान के द्वारा इस क्षेत्र की प्रगति जो अब तक रुकी हुई थी, अब उस प्रगति को और तीव्र करने में शासन को अपना ध्यान देना चाहिये। अभी तक ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर इन जिलों के बारे में प्रशासन किसी न किसी प्रकार इस समस्या पर काबू पाने के लिये अपना ध्यान केन्द्रित रखता है।

श्री आनन्दकुमार श्रीवास्तव : दमोह भी शामिल कर लीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : दमोह भी शामिल कर लीजिये। अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं समझता था दमोह बड़ा अच्छा जिला था। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, अब आवश्यकता है कि इन जिलों में जो प्रशासन का ध्यान लॉ एण्ड ऑर्डर में केन्द्रित रहता था अब यदि सही रूप में वर्तमान परिस्थिति का फायदा लेना चाहता है तो जो तरक्की इन जिलों की रुकी हुई थी, इन समस्याओं की वजह से, उनके अभाव को, इस क्षेत्र के जो विकास कार्यक्रम हैं उनको तेजी से प्रारम्भ करना चाहिये। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अन्तर्गत जो प्रशासक हैं इस ओर अब ध्यान देंगे। अध्यक्ष महोदय, असुरक्षा की भावना को हटाकर जो दूसरा मौका, दूसरी प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री ने दी, वह थी प्रदेश के अन्दर सामाजिक न्याय की स्थापना। मध्यप्रदेश जैसे प्रदेश में जहाँ बस्तर में और इसी तरह न जाने कितने आदिवासी गाँवों में अभी भी बीसवीं सदी की रोशनी नहीं पहँची है, इसी प्रदेश में इन्दौर, जबलपुर और भोपाल जैसे बड़े शहर हैं। एक ओर आमदनी सौ रुपये है तो दूसरी ओर कुछ आनों में आँकी जा सकती है। इस असमानता को दूर करना, यह दूसरी प्राथमिकता इस शासन ने दिखाई है। इसके लिये जो पहला कदम था वह स्वाभाविक था। चूँकि प्रदेश के अस्सी प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिये इसके दूर करने के लिये जो पहला कदम उठाया गया वह इस प्रशासन का दूसरा प्रयास था। इसके लिये गत सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहता हूँ— चूँकि मैं गाँव में पैदा हुआ, गाँवों में रहता हूँ और खेती ही मेरी एकमात्र जीवकोपार्जन है। मैं समझता हूँ, उतना नहीं जितना एक विशेषज्ञ जानता है, उस वातावरण में रहने से कुछ व्यावहारिक चीजें हैं जो मुख्यमंत्री से भूमिसुधार के सम्बन्ध में मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। आज विश्व के सभी देशों में भूमि सुधार का एक ही लक्ष्य रहा है, भूमि स्वामित्व के आधार पर शोषण का अन्त करना और उसके फलस्वरूप खेती की पैदावार में वृद्धि करना। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रायः हम इन दोनों को मिलाकर अपने को ज्यादा प्रगतिशील बनाने के लिये कुछ अव्यावहारिक चीजें करना हम शुरू कर देते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये पहला चरण यह है कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर शोषण का अन्त करना और उसके फलस्वरूप खेती की पैदावार को बढ़ाना, क्योंकि यदि आजादी के तेईस, चौबीस वर्षों के बाद यहाँ के किसान नें यह दिखाया कि विश्व में एक भिखारी की तरह वह न घूमे, तो कोई कारण नहीं कि हम बाहर इसलिये घूमे कि बाहर का एक भी अनाज लाना पड़े। भूमि के स्वामित्व के आधार

पर शोषण का अन्त करने में कुछ कदम आगे हमने बढ़ाया है और दो-तीन कदम बाकी हैं। मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री द्रुतगति से उस दिशा में कदम आगे उठायें। हमने निश्चय किया है कि 1973 तक प्रत्येक भूमिहीन कृषक को रहने के लिये स्थान देंगे। यह घोषणा स्तुत्य है और उसका क्रियान्वयन अवश्य ही कठिन है। इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिये यदि आप केवल उस माध्यम के आधार पर जिस पर अभी तक होता रहा है भूमि सुधार के बारे में चले तो 1973 तक जो वायदा किया है वह पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसमें दो बातें हैं। भूमि सुधार के लिये एक तो सरकारी जमीन है जो उपलब्ध है, कहीं नहीं है वहाँ उपलब्ध करना है, तभी हम कृषकों को दे सकेंगे। जहाँ वह मकान बना सकें। लेकिन व्यावहारिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे किसान हैं जो अन्य किसानों की जमीन पर जिसके यहाँ वे मजदूरी करते हैं अथवा आस-पड़ौस में जाकर मजदूरी करते हैं मकान बनाये हुए हैं। मैं कहता हूँ कि यह आवश्यक होगा कि ऐसे किसानों को भूमिहीनों में लिया जाये और शासन उनको बसाने का प्रयत्न करे। लेकिन यह आवश्यक होगा कि जो भूमिहीन किसान दूसरे की जमीन पर बसे हैं उनको भी जमीन मिलनी चाहिये। इसके लिये मेरा सुझाव है कि शासन को कहीं से भी भूमि ढूँढकर उसको देना चाहिये। यह भी हो सकता है कि उसी किसान से कहा जाये जिसकी जमीन पर उस भूमिहीन ने मकान बना रखा है कि उस जमीन का स्वामित्व वह शासन को सौंप दे या सीधे उस भूमिहीन के हाथों में सौंप दे। ऐसा करने से आपसी कटुता को कम करने में हम सफल होंगे, क्योंकि एकदम कानून के अन्तर्गत सभी चीजें नहीं की जा सकतीं।हम राजनैतिक स्तर पर इसको चलायें और जहाँ ऐसी स्थिति हो वहाँ के भूमिस्वामियों से जमीन लेकर उनको सौंपी जाये।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी प्राथमिकता सामाजिक न्याय के पश्चात् होती है अपने उत्पादन को बढ़ाना। कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश या कोई भी राष्ट्र जब तक अपने पास उपलब्ध साधनों से अपनी आय नहीं बढ़ाता तब तक न बेरोजगार लोगों को रोजगार वह दे सकता है और न ऐसे लोगों को पूरी तरह से साधन उपलब्ध करा सकता है जिनकी संख्या हजारों लाखों में प्रति साल बढ़ती जाती है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ने राज्य स्तर पर जो प्लानिंग बोर्ड का गठन किया है वह एक बड़ा अच्छा कदम है। वह प्लानिंग बोर्ड प्रदेश में उपलब्ध उन समस्त साधनों का दोहन करके प्रदेश की आय औद्योगिक, कृषि व अन्य क्षेत्र में बढ़ाने में सक्षम होता है इसी पर उसकी सार्थकता निर्भर करती है। हम देखना चाहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में एक मास्टर प्लान जो केवल इस आधार पर न रहे कि जब कभी कोई उद्योगपति मुख्यमंत्री या मंत्री महोदय के पास मिलने आये और एक लायसेन्स की दरख्वास्त दे तो उस लायसेन्स पर कार्यवाही तो शुरू हो जाये लेकिन हम यह चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान यह प्लानिंग बोर्ड बनाये ताकि प्रदेश के विभिन्न भागों में वहाँ की स्थानीय समस्याओं को देखते हुए हम एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास प्रदेश का कर सकें। स्वाभाविक है कि इस प्रदेश का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उन साधनों पर निर्भर होगा जिनकी उपलब्धि हमारे प्रदेश के अन्दर है और वे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। शायद कोरबा प्रथम ऐसा उद्योग है जो प्रदेश के अन्दर मिलने वाली प्रचुर मात्रा में मिनरल बेस होगा। इतना बड़ा उद्योग और कोई इस प्रदेश में नहीं मिल सकता। भिलाई है, वह केवल हम मान सकते हैं कि बेलाडीला आयरन और माइन्स से काफी वहाँ पर लोहा आता है लेकिन उसके साथ-साथ वहाँ का लोहा बाहर भी जाता है और यह बिल्कुल उचित होगा यदि दूसरा स्टील-प्लान्ट प्रदेश के अन्दर स्थापित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा भी इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय देख रहे हैं। मैं उनसे यह निवेदन करूँगा कि अभी तो उनके पास मिलने वालों का तांता इतना बढ़ रहा है और उन पर कुछ बोझ भी ज्यादा हो गया है काम का और कुछ हम लोग भी उनको परेशान किया करते हैं जिससे शायद उनको इस विभाग पर ठंडे दिमाग से सोचने का समय भी नहीं मिल पाता होगा, फिर भी यदि वे थोड़ा सा समय निकाल कर शिक्षा विभाग की ओर नजर डालें तो सबसे पहले जो अभाव दिखता है वह शिक्षा की कोई नीति का न होना। अपने प्रदेश ने इस संबंध में कोई नीति स्वीकृत नहीं की। सभी काम एक तरह से एडहॉक बेसिस पर चल रहे हैं। हमने अंगीकार कर लिया कि हमें इतनी प्राथमिक शालाएँ खोलनी हैं और शिक्षकों को रोजगार देंगे। बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन शालाएँ खोलकर बच्चों को पढ़ाना क,ख,ग,घ से डिग्री तक शिक्षा उपलब्ध करा देना मैं समझता हूँ

यह कोई शिक्षा की नीति नहीं है। यह तो चलती का नाम गाड़ी है, उसको चलाते रहने की नीति ही कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की आवश्यकताएँ, प्रदेश के भविष्य की संभावनाएँ और अपनी कमियों को देखकर यदि हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वमान्य नीति निर्धारित नहीं की तो मेरी समझ में आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ नहीं करेंगी और हम अपने उत्तरदायित्व से अलग नहीं हो सकेंगे। उल्टे हम एक पढ़े-लिखे बेरोजगारों की बड़ी भारी संख्या खड़ी कर देंगे और फिर वे अपनी छोटी-छोटी माँगें लेकर हमारे सामने खड़े हो जायेंगे। फिर शासन चाहे काँग्रेस का हो या किसी भी दल का हो, उस समस्या को निपटाने के लिये मैं समझता हूँ सबको ही अकर्मण्यता का सामना करना पड़ेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री महोदय किसी एक सर्वमान्य नीति के आधार पर विकास की ओर बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में जो किसी प्रकार की घपलेबाजी हुई हों, मैं समझता हूँ किसी अन्य विभाग के बनिस्बत ज्यादा कठोरता से उनको निपटाना चाहिये। कई ऐसे प्रकरण विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के हैं जिनको संरक्षण मिला है। वहाँ खुलकर भ्रष्टाचार किया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यदि इस प्रकार के प्रकरण आयें तो मेरे मत में उन्हें अन्य शासन के विभागों से ज्यादा महत्व देना चाहिये। उन पर ज्यादा कठोरता से विचार कर निर्णय लेना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है, मध्यप्रदेश में बिजली के उत्पादन और बिजली के वितरण को लेकर समय-समय पर कई विवाद खड़े होते रहे हैं। हमने एक मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कायम किया उसका चेयरमैन है। मेरा मत है और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि इस पर वे विचार करें। इस बोर्ड के बारे में सदन में माननीय सदस्यों ने शिकायत की और कुछ जनता की ओर से शिकायतें आईं मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र हो गया है। उस पर शायद मुख्यमंत्री जी को सुनकर ताज्जुब होगा कि प्रावधान था कि उसमें नॉन-ऑफिशियल मेम्बर की नियुक्ति की जावे लेकिन वर्षों तक जो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर की नियुक्ति होना चाहिये वह नियुक्ति नहीं की गई। क्या प्रदेश में ऐसा एक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं था जो बोर्ड में नॉन-ऑफिशियल मेम्बर की हैसियत से सेवा कर सकता? मैं समझता हूँ कि मध्यप्रदेश में ऐसा व्यक्ति था? लेकिन शासकीय व्यक्ति यह नहीं चाहते थे कि बोर्ड में ऐसा व्यक्ति पहुँचकर जानकारी हासिल करे। एम.पी.ई.बी. के चेयरमैन की जगह नॉन-ऑफिशियल मेम्बर, मंत्री की नियुक्ति हो और वाइस चेयरमैन कोई दूसरा अधिकारी हो और इस तरह से हम उस कार्यान्वयन में गति ला सकेंगे ऐसा मेरा अनुमान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी दो दिन पूर्व दिल्ली में इस प्रदेश की बहुत जटिल नर्मदा परियोजना संबंधी विवाद में हाल में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मैं मानता हूँ कि यह बहुत बड़ा कदम नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। मैं यह भी मान सकता हूँ कि इससे कोई समस्या का अन्तिम समाधान नहीं हो गया लेकिन कोई भी चाहे वह कितना ही इस दल, शासन और मुख्यमंत्री से दुर्भाव रखता हो, कहेगा कि यह कदम एक आगे बढ़ने वाला कदम है न कि पीछे जाने वाला कदम है और इसलिये मैं मुख्यमंत्री को इसके लिये बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मेरा उनसे यह निवेदन है कि जिस भावना से प्रेरित होकर, जिस राष्ट्रीय भावना को सर्वोपरि मानकर उन्होंने इस समस्या के निदान के लिये आगे कदम बढ़ाया है उसी प्रकार बाणसागर योजना को लेकर जो बिहार के साथ है .....

श्री प्रकाशचन्द सेठी : यह भी हो गया, उत्तरप्रदेश के साथ 5 विवादों के बारे में समझौता हो गया, हस्ताक्षर होना शेष है। उसकी सूचना मैं 2-4 रोज में सदन को दूँगा और अगले माह में बाणसागर का भी फैसला हो जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अर्जुनसिंह : मैं मुख्यमंत्री को न केवल अपनी ओर से बल्कि इस भू-भाग के लाखों किसानों की ओर धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस योजना पर आँखें लगाये बैठे हैं क्योंकि उस पर उनका भाग्य निर्भर करता है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आपकी घण्टी बज जाये में दो शब्दों के बाद अपना निवेदन समाप्त करूँगा। अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट समय चाहूँगा। सब कुछ प्रशासन पर निर्भर करता है कि प्रशासन को दिशा कौन-सी प्राप्त होती है सफलता इस पर निर्भर करती है। वह दिशा देने वाला व्यक्ति किन प्रभावों में आकर दिशा निर्धारित करता है। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस प्रदेश की काफी जटिल पृष्ठभूमि है। क्षेत्रीयता का प्रभाव, जातीयता का प्रभाव,

कुछ निहित स्वार्थों का प्रभाव यह सब बातें प्रशासन को पीछे खींचने के लिये कटिबद्ध हैं और चाहे जिसके हाथ में शासन आवे, उसे उनका मुकाबला करना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना या किसी की बड़ाई करना नहीं चाहता। व्यक्तिगत जीवन अपने-अपने हैं। हमारा तात्पर्य केवल सार्वजनिक जीवन से है। मैं आज केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 4-6 महीने से जबसे वह आये हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ यह प्रयत्न शुरू किया है और कर रहे हैं कि इस देश में जो ड्रॉबेक्स हैं उनके बावजूद भी उनसे हटकर, प्रदेश के हित में और प्रशासन के हित में जो आवश्यक है, उसके आधार पर प्रशासन की दिशा निर्धारित कर रहे हैं। उनके इस प्रयास में न केवल उनका दल बल्कि इस प्रदेश का वह प्रत्येक व्यक्ति जिसके निहित स्वार्थ प्रदेश की उन्नति की ओर हैं, उनके हाथ मजबूत करेगा। इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माँगों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/25 जुलाई 1972/पृष्ठ 1296-1301)

वर्षाकालीन सत्र का अवसान 14 अगस्त 1972 को हुआ। 15 अगस्त को मंत्रिमण्डल का पुनर्गठन किया गया। मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द सेठी ने श्री अर्जुनसिंह को मंत्रिमण्डल में शामिल किया। इसी दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया गया।

शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर 1972 से प्रारम्भ हुआ। 15 दिसम्बर को शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक 1972 (क्रमांक 45, सन् 1972) विचारार्थ प्रस्तुत किया। इस पर चर्चा प्रारम्भ हुई। यही चर्चा 18 दिसम्बर को भी चली। अनेक सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया और सुझाव भी दिये। इस पर शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने उनके सुझावों को मान्यता देते हुए कहा कि यह विधेयक तात्कालिक है। आगे विस्तार से एक और विधेयक लाया जायेगा जिससे हम छात्र समुदाय का विश्वास अर्जित कर सकें। विधेयक पारित हुआ—

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्र. 45, सन् 1972) पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के ऊपर प्रारम्भ में विशेष नहीं कहना चाहता हूँ ताकि माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् उन सब विचारों पर अपनी राय दे सकूँ और उन पर कुछ शंकाएँ हों तो उनका स्पष्टीकरण भी कर सकूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्र. 45, सन् 1972) पर विचार किया जाये।

श्री बृजमोहन मिश्र (बुरहानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 1972 जो प्रस्तुत हुआ है, उसके सम्बन्ध में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं उसका विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि अभी तक सदन में जो विधेयक आये, हमारे दल की ओर से उनमें से अधिकांश का समर्थन किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि विधेयक को क्यों लाने की जरूरत पड़ी, इसके कारण और उद्देश्य में दिया है कि विश्वविद्यालय के अन्दर बड़ी गड़बड़ी होने और दुर्व्यवस्था होने के कारण यह बिल लाया गया है। वस्तुतः इस बिल के माध्यम से शासन यह चाहता है कुलपति की नियुक्ति को शासन अपने हाथ में ले ले। उपकुलपति विभिन्न विश्वविद्यालयों में रहते थे उनकी नियुक्ति करने का यह तरीका था कि वहाँ की कार्यकारिणी दो व्यक्तियों के नाम देती थी, उनमें से एक को कुलपति नियुक्त करते थे। अब यह विधेयक यदि पास किया गया तो इसके द्वारा यूनिवर्सिटी का जो अधिकार था, कार्यकारिणी के जो अधिकार थे उनको छीन लिया जायेगा। यह एक प्रजातंत्र का तरीका था, उसके माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में योग्य व्यक्तियों को लिया जाता था, अच्छे लोगों के नाम का सुझाव दिया जाता था। कुलपति के हाथ में यह निर्णय था कि वह नियुक्त करे। जो एक प्रजातंत्र का पर्दा था उसको इस बिल के द्वारा छीना जा रहा है। डेमोक्रेसी का जो एक पर्दा था उसको छीन कर शासन अपने हाथ में लेना चाहता है। समस्त अधिकार शासन अपने हाथ में लेना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय, यही बातें हैं जिनके कारण मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत सीमाएँ हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। बड़े-बड़े विद्वानों का यह कहना है कि वह सरकार अच्छी है जो कम से कम गवर्न करे। आज देखने में यह आ रहा है कि हमारा जो शासन है यह हर क्षेत्र में तलवार से लेकर तराजू तक सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है। जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं उनकी स्वायत्ता भी यह सरकार समाप्त करना चाहती है। हम देख रहे हैं कि जो शैक्षणिक संस्थाएँ आज सरकार के हाथ में हैं वे भी कोई अच्छी नहीं चल रही है। हमारी सरकार की तो हालत यह है कि जैसा कि इतिहास बताता है "जहाँ-जहाँ पैर पड़े सन्तन के तहाँ-तहाँ बंटाढार।" जो-जो चीजें सरकार के हाथ में हैं उन्हीं में हम काफी दुर्व्यवस्था देख चुके हैं। यह इतिहास बताता है। वहाँ की कोई अच्छी व्यवस्था हो ऐसी चीज दिखाई नहीं देती है। एक विश्वविद्यालय जो सरकार का शतप्रतिशत जबलपुर विश्वविद्यालय है वहाँ का हाल सुनिए। यह कहा गया था कि वहाँ के जो उप-कुलपति होंगे वे बड़े प्रख्यात और शिक्षा में नामी-गामी रखे जायेंगे किन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिनकी नियुक्ति की गई है उनके बारे में मुझे तो यह कहने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है कि प्रान्तीयता की भावना को ध्यान में रख कर वहाँ बिहार के उप-कुलपति लाकर बिठाये गये हैं। यह कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। ये जो उप-कुलपति हैं इनकी हालत यह है कि कई प्रकार के तो उस पर मुकदमें चल रहे हैं। ये हमारा नाम ही रोशन करेंगे। इसी प्रकार से समाज में शैक्षणिक संस्थाओं का भला होने वाला नहीं है। ये उप-कुलपति महोदय पत्रकारों को बुलाते हैं और उन्हीं के द्वारा स्टेटमेंट देते हैं। वे नेता ज्यादा हैं और शिक्षाविद् कम हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिये 71-72 में कई नये विभाग खोलने का सुझाव था जिससे लाखों रुपया मिलने वाला था वह रुपया लेप्स हो जाने दिया लेकिन विभाग नहीं खोले गये। इसी प्रकार से जो कृषि विश्वविद्यालय है— धारा 52 (2) के अनुसार कमिटमेंट है कि जो सागर कॉलिजों के अन्दर महँगाई भत्ता दिया जायेगा वह उनको भी दिया जायेगा लेकिन नहीं दिया गया है। यह हालत है तो जो विश्वविद्यालय सीधे-सीधे सरकार के हाथ में हैं उनकी हालत कोई बहुत अच्छी हो यह बात नहीं है। इसलिये बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उप-कुलपति का जो पद है वह राजनैतिक काँग्रेसी लोगों के लिए अनाथालय का काम कर रहा है। यहाँ पर सागर विश्वविद्यालय है उसके जो पहले उप-कुलपति थे वे पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र थे जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जो वहाँ अपने बनवास के दिन काट रहे थे।

श्री महेश जोशी : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि तब नॉमिनेटेड नहीं रखे जाते थे तब इलेक्टेड रखे जाते थे।

श्री बृजमोहन मिश्र : यह तो थोड़ा सा एक पर्दा गवर्नमेंट का था अब यह भी आप निकाले दे रहे हैं। जब पर्दे में यह हालत थी, इतना इंटरफियरेंस गवर्नमेंट का रहा है तो अब क्या होगा?

ऐसे ही रीवा का मामला है। रीवा विश्वविद्यालय में शंभुनाथ शुक्ल हैं, ये भी आपके यहाँ मंत्री रहे हैं जो किसी कारण से राजनीति में नहीं आ पाये उन्हें आपने उप-कुलपति बना दिया। इसके अलावा दीक्षित जी जो रिटायर्ड डी.आय.जी. थे उन्हें आपने रायपुर में इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय का उप-कुलपति बना दिया तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रवैया है वह कोई शोभनीय नहीं है। कहाँ तो वे डी.आई.जी. पद पर रहे और कहाँ आपने उन्हें उप-कुलपति बना दिया और उप-कुलपति भी काहे का संगीत का। भला डी.आई.जी. से और संगीत से क्या संबंध आता है। तो यह रवैया तो बिल्कुल भी उचित नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं टोकना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि दीक्षित जी खैरागढ़ विश्वविद्यालय में उप-कुलपति नहीं हैं?

श्री बृजमोहन मिश्र : अच्छा। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जानकारी शासन द्वारा दी जा रही है वह गुमराह करने के लिये दी जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गुमराह तो माननीय सदस्य कर रहे हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं।

श्री बृजमोहन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, जिन-जिन पर दाग धब्बे लगे हुए हैं उनको आप इन पदों पर लाकर बैठा देते हैं। तो इसका जो दायित्व है, शिक्षा का जो दायित्व है वह इससे पूरा नहीं होता है। हमारी सरकार पर

जो पर्दा है, मैं नहीं चाहता कि उसको ज्यादा हटाऊँ, नहीं तो फिर उनकासारा भेद खुल जावेगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो दिक्कतें हैं और जनता की जो माँग है उसमें शासन आगे बढ़कर सहयोग दे। जामन थोड़ा डालो दही जम जायेगा और जामन ज्यादा डाल दो उसमें खटास आ जायेगी। आजकल यही हो रहा है इस प्रजातंत्र में उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है मैं इसका विरोध करता हूँ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का जो कंडक्ट है उसमें वाईस चांसलर तो राजनीति में भाग ले सकते हैं लेकिन शिक्षक राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर ग्रान्ट रोक देंगे। एक तरफ तो हम उप-कुलपतियों की नियुक्ति ही राजनीतिक बेसिस पर करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि शिक्षक राजनीति में भाग नहीं ले सकता है। यह कहाँ तक उचित है। उपाध्यक्ष महोदय, कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें उसने भी कहा है प्रोफेसर्स को राजनीति में प्रवेश की छूट दी जावे। अब हमारा जो मध्यप्रदेश है पता नहीं उसमें क्या बात है एक तो हम वैसे ही गरीब हैं लेकिन जो बुद्धि की गरीबी है उसमें भी हमारा मध्यप्रदेश पीछे रहा है। कहीं भी किसी भी दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर, शिक्षक राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मंत्री इस कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इस बात को मानेंगे यहाँ भी शिक्षक राजनीति में भाग ले सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हर विधेयक स्वागत योग्य नहीं होता है। आपकी जो गलत नीतियाँ रहेंगी उसका हम विरोध करेंगे और जो अच्छी चीजें लाना चाहते हैं, उन्नत दिशा में कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे। आशा है शिक्षा मंत्री जी इसकी ओर ध्यान देंगे। यह कहकर जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री कृष्ण सैलट (बंडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक पहले ही आ जाना चाहिये था जो कि आज आ रहा है। आज हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालयों की हालत है उसकी हालत को देखते हुए इससे बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि अगर इन विश्वविद्यालयों पर शासन ने अंकुश नहीं लगाया तो जो अवस्था उत्पन्न होगी उसको सम्हालना असम्भव हो जावेगा और वह बात हमारे हाथ से बाहर हो जावेगी। यह एक बहुत ही मामूली कदम है जो हम राज्यपाल महोदय को इस बात के लिये पावर्स दे रहे हैं कि वह उप-कुलपति की नियुक्ति करें। केवल इतने से ही काम चलने वाला नहीं है। विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सब जगह अलग-अलग नियम बने हुए हैं, एक्ट्स बने हुए हैं इसलिये सब विश्वविद्यालयों के कानूनों को इकट्ठा करना परमावश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये आवश्यक यह होगा कि सारे विश्वविद्यालयों का एकीकरण किया जाये। हम जब इस सदन में बहुत से महकमों में चेन्ज कर रहे हैं तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि सारे विश्वविद्यालयों के कार्यों में एकीकरण करके एकरूपता लायी जाये। इसलिये यह आवश्यक है कि हमें एक नया कानून बनाना चाहिये। आशा थी कि शासन एक विश्वविद्यालयों का यूनीफाइड एक्ट लावेगा। मैं शासन से निवेदन करूँगा कि यह एक्ट जल्दी ही लाना चाहिये। जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ की स्थिति यह है कि अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग बजाते हैं। रीवा, सागर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर वहाँ सब अलग-अलग नियम हैं। अभी रीवा विश्वविद्यालय को 60 लाख रुपया भवन निर्माण के लिये दिया गया था। उन्होंने उस रुपये को भवन निर्माण में न लगाते हुए दूसरे ही कार्य में खर्च कर दिया। यह विश्वविद्यालय, जिनसे हमारी भावी पीढ़ी बनने वाली है, वहाँ से बड़े-बड़े काबिल स्टूडेन्ट्स निकल सकते हैं, वहाँ की आज स्थिति ऐसी है जिसके लिये मैं सागर विश्वविद्यालय का उदाहरण दूँगा कि वहाँ पर छात्र आन्दोलन चल रहे हैं। उप-कुलपति का घेराव किया जा रहा है, भवन में दंगेबाजी हो जाती है। हमारे विरोधी दल के सदस्य क्या यह चाहते हैं कि वहाँ ऐसी ही दशा बनी रहे।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं माननीय सैलट जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह कुलपति के अधिकार राज्यपाल महोदय को देने से काम ठीक चलेगा?

श्री कृष्ण सैलट : मैं चाहता हूँ कि उस पर और ज्यादा अंकुश होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सागर विश्वविद्यालय को देखें वहाँ जिन Teachers का बहुमत है जो वह चाहते हैं वही होता है। विश्वविद्यालय में शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो, कैसे अच्छी शिक्षा दी जाये इसकी उन्हें परवाह नहीं है। हमारे शिक्षक चाहते हैं कि कम काम करें और ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि इन सब बातों को सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि आप कोई दूसरा कदम उठावें और इसके लिये आपको यूनीफाइड एक्ट बनाना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि शासन और शिक्षामंत्री जी इस पर विचार करें इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। सागर यूनिवर्सिटी में श्री हरिसिंह गौर ने अपनी सारी सम्पत्ति निछावर कर दी थी, यह बड़ी खुशी की बात है कि शासन ने पाँच लाख रुपया इस विश्वविद्यालय को कर्जे के अदा करने के लिये दिया है। मेरा शासन से निवेदन है कि सागर विश्वविद्यालय के कर्जे को शासन द्वारा पटाया जावे। सागर विश्वविद्यालय में कम से कम 25 विषय हैं और कई प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। जब शासन द्वारा और विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है तो सागर विश्वविद्यालय के कर्जे को भी पटाया जावे। आप यह कहेंगे कि कर्जे को बढ़ाया क्यों? इस विश्वविद्यालय के ऐसेट्स पूरे हो गये इसलिये अब आप उनको कर्जे से मुक्त कीजिये और भविष्य के लिये यह आज्ञा दे दीजिये कि शासन की आज्ञा के बिना खर्चा नहीं होगा, शासन का उस पर नियंत्रण रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं आपके द्वारा शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रान्त में 9 विश्वविद्यालय हैं, यदि हमारे प्रदेश में इससे कम विश्वविद्यालय होते तो अच्छा होता। आप भविष्य में विचार रक्खें कि और विश्वविद्यालय इस प्रदेश में न खुल पावें अन्यथा और विश्वविद्यालय खुलने से प्रदेश में बहुत असुविधा होगी। मैं अपने प्रदेश के शिक्षामंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि वह यूनीफाइड एक्ट बनाने के लिये कदम उठावें, यह कहकर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री सुधीर मुकर्जी (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूँ। यह विरोध इसलिये नहीं कि कौन वाइस चांसलर को नॉमीनेट करेगा, कौन नहीं करेगा। आज तक सरकार को, शासन को, वाइस चांसलर को एपाइन्ट करने के बारे में हक्क था, वह इतना ज्यादा था कि इन इन्टरफियरेन्स की ताकत रहनी नहीं चाहिये। आज हमारे प्रान्त में विश्वविद्यालयों की तरफ हमारे पहले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया उसकी तरफ अगर गंभीरता से शासन विचार करना चाहेगा तो शासन को मालूम होगा कि आज हमारे प्रान्त में विश्वविद्यालयों में जो विधान है उसमें शिक्षा विभाग में काम करने वाले एज्यूकेशनिस्ट्स का कोई कन्ट्रोल इन यूनीवर्सिटीज पर नहीं है, डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल नहीं है, यह इन एज्यूकेशनिस्ट्स का डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल विश्वविद्यालयों पर नहीं रहेगा तो गुटबाजी होगी, राजनैतिक दाँव पेंच का अखाड़ा बनेगा और टीचर्स से इनडिसिप्लिन शुरू होगा और उसमें विद्यार्थियों को साझीदार बनाया जावेगा। यूनीवर्सिटी कोड का यूनीवर्सिटी में कोई रोल नहीं है। भोपाल यूनीवर्सिटी की दो साल से कोई मीटिंग नहीं हुई, आप बॉडी ऑफ दि यूनीवर्सिटी को इलेक्ट करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि "टीचर्स केन नाट सेन्ड रिप्रजेन्टेटिव ऑफ हिज ओन कंसेन्ट"। आज हमारे यूनीवर्सिटी के स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से सिर्फ एक बात नजर आती है कि सब जगह नोमिनेटेड लोग हैं। हमारे टीचर्स का डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ देखिए कि एक्जीक्यूटिव कौन्सिल का कन्ट्रोल वाइस चान्सलर पर नहीं है। आज हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो गया जहाँ भी देखिए आपको मिलेंगे नोमीनेटेड, नोमीनेटेड, नोमीनेटेड।

पहले समय में, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, हमारे मंत्रीगण भी पढ़े हैं। एक तरीका था कि टीचर्स काउन्सिल से यूनीवर्सिटी कोर्ट को भेजे जाते थे। दो-तीन इलेक्ट किये जाते थे। पर यह सब बदल गया। आज जहाँ भी जो पहुँचते हैं वह सब नोमीनेटेड होते हैं अतः किसी भी प्रकार का डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रहा। यह हालत हमारी यूनीवर्सिटियों की हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षामंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आज की यूनीवर्सिटियों का जो स्ट्रक्चर है वह पूरी तरह कनफ्यूज्ड है और केआस बना हुआ है। मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि अगर वह यूनीफाइड यूनीवर्सिटी एक्ट को लाती तो मुझे खुशी होती और मैं उसको

वेलकम करता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि आज के सेटअप में कहीं भी आप देखिये कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं मिलेगा। वाइस चान्सलर 3 लोगों की सिफारिश से बनाया जाता है। एक्जीक्यूटिव दो को नामीनेटेड करती थी एक को चान्सलर नोमीनेट करता था। उनकी सिफारिश पर चान्सलर वाइस चान्सलर एपाइंट करता था। आज आप देखेंगे कि एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में सरकारी मुलाजिमों का बाहुल्य है। एक्जीक्यूटिव का इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रोल नहीं है। मैं ईमानदारी से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी गवर्नमेन्ट इस तरह फेवर लेना चाहती है और इस प्रकार टुकड़ा फेंक कर प्रान्त की यूनिवर्सिटियों को खत्म करना चाहती है। अगर इस प्रकार से ही कार्य होता रहा तो हमारा होल एज्यूकेशन सिस्टम समाप्त हो जावेगा। हमारे स्टूडेन्ट्स का क्या फ्यूचर होगा? मैं यह बात बहुत एजीटेट होकर कह रहा हूँ और वास्तव में, मैं बहुत एजीटेटेड हूँ। मैं यहाँ एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी जबलपुर की बात कहना चाहता हूँ। चान्सलर को पूरे पॉवर दिये जाना चाहिये। मैं यहाँ पर बिहार के चन्द्रिका ठाकुर का उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने जो पत्र वहाँ के मुख्यमंत्री व शासन को लिखा है मैं चाहता हूँ कि मंत्रीजी उसको पढ़ें और देखें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/15 दिसम्बर 1972/पृष्ठ - 594-599)

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 1972
पर चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री सुधीर मुकर्जी (रायपुर) : (भाषण-पूर्वानुबद्ध) अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के संबंध में बोल रहा था। मैं यह कह रहा था कि जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल विश्वविद्यालयों का होना चाहिये उस रास्ते से नहीं हो रहा है बल्कि उसके विपरीत यह संशोधन आया है और चान्सलर को वाइस चान्सलर नियुक्त करने का इसमें प्रावधान किया गया है। मैं उस दिन यह बोल रहा था कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो वाइस चान्सलर नियुक्त किया गया है चन्द्रिका ठाकुर को, वह कैसा व्यक्ति है। मैं मन्त्री महोदय को बता दूँ कि उन्हीं की पार्टी के बिहार के जहाँ से वे आये हैं 22 काँग्रेसी एम.एल.एज. ने दस्तखत करके दिया है।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न रखना चाहता हूँ। वैसे मैं माननीय सदस्य के भाषण को टोकना नहीं चाहता था, शायद वे कुछ विषयान्तर हो रहे हैं। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा कृषि विश्वविद्यालय विधान में कोई संशोधन लाया गया हो, ऐसा नहीं है। उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह विधेयक अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित है इसलिये आप अपनी चर्चा उसी तक सीमित रखें तो अच्छा होगा।

श्री सुधीर मुकर्जी : इस विश्वविद्यालय संशोधन बिल में कृषि विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, यह मैं जानता हूँ। आप वह अख्तियार माँग रहे हैं जिस अख्तियार का आप किस ढंग से उपयोग करते हैं इसका नमूना वह चन्द्रिका ठाकुर हैं। जिसके बारे में शिकायत है कि उन्होंने सरकार के पैसे का गबन किया, चरित्रहीनता की पराकाष्ठा की, कॉलेजों को गुटबाजी का अखाड़ा बनाया, शासकीय आदेशों की अवहेलना की। ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर के पद पर आसीन करना, यह एक बहुत शर्मनाक बात है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के बारे में इस प्रकार के आरोप यहाँ पर सदन में उसकी अनुपस्थिति में लगाना बगैर नोटिस दिये उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्य के विवेक को कहना चाहता हूँ, उनसे और कुछ कहना नहीं चाहता। वाइस चान्सलर का पद गरिमा का पद है, उस पर इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री होपी दाजी : हम खाली यह बता रहे थे कि काँग्रेस के ही 22 विधायकों ने लिखा है, ये आरोप थे उनके खिलाफ, उनके पेन्डिंग रहते हुए उनको नियुक्त किया गया।

श्री सुधीर मुकर्जी : आप बिहार से निकलने वाले 1 मई, 1972 के सर्चलाइट को पढ़ें, जिसकी नकल मैं मंत्री महोदय को दूँगा। जहाँ पर उनके विरुद्ध एक विजलेंस इंक्वायरी चल रही है, जिसके ऊपर आरोप हैं। ऐसे व्यक्ति को लाकर आप यहाँ पर नियुक्त कर रहे हैं। आप इस विधेयक के जरिये जिस तरह का पॉवर रख रहे हैं

उसके बारे में, मैं बता रहा था। एक और नमूना जबलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर मिस्टर गुप्ता का है जो रिटायर्ड कलेक्टर या कमिश्नर हैं जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। वे रूल ऑफ लॉ के नाम से विद्यार्थियों का असन्तोष बढ़ाने का जरिया बने हुए हैं। आज भी विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर, ने अपने घर के सामने एक पुलिस कैम्प लगाकर रखा है। यह कैसी शर्मनाक बात हो रही है। कैसे-कैसे लोगों को लाकर विश्वविद्यालय के पवित्र पद पर नियुक्त करते जा रहे हैं। यह सवाल नहीं है किन व्यक्तियों को रखा जाये, कौन रखे। यह इस तरह का हो रहा है, पोलिटिकल फेवर करना, किसी के दबाव में, किसी को खुश करने के लिये होता है, जब आरबिट्रेटरी पावर किसी के हाथ में रहता है। इसीलिये पुराने जमाने में विश्वविद्यालय का कन्ट्रोल एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स का कन्ट्रोल अलग से रहता था। जब तक उसका कन्ट्रोल उसी के जरिये नहीं करेंगे तब तक इस तरह की चीजों को रोक नहीं सकते। पोलिटिकल फिगर्स को लादने का रास्ता बन्द कीजिये। इसी तरह से आपके पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, मंत्री महोदयों की पब्लिसिटी कम नहीं हो रही है लेकिन मैंने सुना है उसके ऊपर डायरेक्टर जनरल के पद पर 70 साल का बुड्ढा बिठा रहे हैं। इस तरह से आप जनता के हित में, सरकार की सही इमेज को बिगाड़ने की दिशा में यह हरकत न कीजिये और सरकार इस बिल को वापस ले ले। यूनीवर्सिटी एक्ट पर पूरा विचार करने के बाद इस बिल को लाइये। कोई जल्दी नहीं है कि दो महीने के अन्दर चान्सलर के हाथ में इस तरह का पावर दें।

श्री नारायणप्रसाद शुक्ला (इन्दौर-4) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रति जिज्ञासु और उससे ताल्लुक रखने वाले सभी ने, जो (Measure) ईजाद किया है, उसके प्रति खिन्नता प्रकट की गई है। कभी-कभी ऐसे (Measure) होते हैं जिसे बुराई के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ता है। इधर चन्द वर्षों में शिक्षा की बहुत आलोचनाएँ और उसके प्रति खिन्नता सुनाई दी, शिक्षा देने वाले कहते हैं शिक्षा अच्छी नहीं है, शिक्षा लेने वाले कहते हैं शिक्षा अच्छी नहीं है और शिक्षा के लिये भेजने वाले कहते हैं शिक्षा अच्छी नहीं है फिर भी शिक्षा देने वाले शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा लेने वाले ले रहे हैं और शिक्षा के लिये भेजने वाले भेज रहे हैं। तो यह ऐसी बीमारी है जो कभी अहसास होता है, ला-इलाज हो गई है और इसका इलाज ढूँढने की कोशिश करते हैं तो लोग चाहते हैं शासन अपने कानून से इस शिक्षा की बीमारी को दूर करे। इस बीमारी का सही इलाज समाज के पास है और पूरा समाज जब तक इस बात के लिए कटिबद्ध नहीं हो और आचरण उसके अनुरूप नहीं हो तब तक इस बुराई को कहीं न कहीं रोका जाना चाहिए। जो डेमोक्रेटिक तरीका विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों की नियुक्ति का है वह अपने आप में ऐसा खतरनाक हो गया है कि उसका इलाज होना चाहिए। जिस तरह से किसी मरीज की टाँग काटने से यदि वह जिन्दा रह सके तो उसकी टाँग काटना चाहिए उसी तरह से यदि विश्वविद्यालयों को चलाना है तो यह विधेयक अनिवार्य बुराई के रूप में आया है। इस बिल को लाने में बहुत ज्यादा वाहवाही का प्रश्न नहीं है, यह लाचारी में लाया हुआ मेजर है।

श्री होमी दाजी : पहले तो कहते थे कान्यकुब्ज साम्राज्य चलता था, अब जैन साम्राज्य चलने लगा, फिर बिहारी साम्राज्य को रोका जायेगा या नहीं?

श्री नारायणप्रसाद शुक्ला : शिक्षा का क्षेत्र एक मिशन है मानव सेवा का। जिस तरह से न्यायपालिका को मानते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अगर चरित्र संदेहास्पद हो जाये तो वहाँ का पवित्र वातावरण दूषित हो जायेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : इसीलिए कहते हैं कि रायपुर से श्रीवास्तव को लाकर यहाँ क्यों बैठाया जिस पर भ्रष्टाचार के अनेकों चार्ज हैं।

श्री महेश जोशी : इंदौर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्ति के लिए एक कमेटी बिठाई थी जिसमें डॉ. शंकरदयाल शर्मा, एस.के. मुखर्जी एवं हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस दीक्षितजी थे, उस कमेटी का डिसीजन नहीं हुआ उसके पहले विधेयक के अन्तर्गत डॉ. देव की नियुक्ति कर दी जो विक्रम विश्वविद्यालय में दो बार प्रोफेसर के इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए। जो करेक्टर की बात शुक्लाजी कह रहे हैं उसके बारे में कह रहा हूँ .....*

अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइए। चीफ जस्टिस के संबंध में जो रिमार्क किये गये हैं उनको कार्यवाही में नहीं छापा जायेगा।

श्री नारायणप्रसाद शुक्ला : जो बीमारी लगी है वह बीमारी दूर होने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, समाज

में धर्म और शिक्षा दो ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हरेक की जिज्ञासा रही है और इन पर आस्था भी होती है। शिक्षा के संबंध में शासन को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये लेकिन मेजर के रूप में हमारे सामने यह विधेयक आया है वह नहीं होना चाहिये और यह आना इसलिये चाहिये था कि जो होना चाहिये था वह नहीं हुआ। इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, विश्वविद्यालयों में सुधार के लिये यह आवश्यक हो गया था। यह हम सब का दायित्व है कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र को पवित्र बनाने और आचरण को सन्देह से परे रखने का प्रयास किया जाना चाहिये। ऐसे कोई काम इस क्षेत्र में नहीं किये जाने चाहिये जिससे लोगों में शंका और सन्देह हो, किसी भी प्रकार से संदेह और शंका व्यक्त करने की गुंजाइश न रहे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षामंत्री जी ने बड़ी सन्जीदगी से इस रोगग्रस्त विभाग को संभाला है। इस रोगग्रस्त विभाग का वे उपचार और निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में जो बीमारी थी उसका आपरेशन कर रहे हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि जो आपरेशन करने वाले औजार हैं वे ऐसे होना चाहिये जिनसे किसी को शंका और सन्देह करने की गुंजाइश न रहे। Disinfected और Sterilized हों, कि रोग नहीं बढ़े। इसके बारे में जो खिन्नता है और आलोचना है उसे देखते हुए, इसकी आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिये। आगे आने वाले दिनों में यह क्षेत्र पवित्र मन्दिर बन सके और जो सन्देह है वह दूर हो सके और समाज महसूस कर सके। समाज भी अपना योगदान दे सके। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ इस विधेयक को स्वीकार किया जाना चाहिए। यद्यपि यह विधेयक कोई स्वागत योग्य तो नहीं है। लेकिन जो एक सामाजिक बीमारी बढ़ रही है उसके लिए किया भी क्या जा सकता है। कानून का डण्डा और शासन द्वारा यह जो सामाजिक बुराई है उसको दूर नहीं किया जा सकता। इस पवित्र मन्दिर की पवित्रता के लिए सामाजिक आचरण की अत्याधिक उपयोगिता है, हमारी राष्ट्रीय नैतिकता बढ़े। हमारे संजीदा शिक्षामंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि इस क्षेत्र को पवित्र बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करें और संदेह और शंका को इसकी जिन्दगी से दूर रखने की कोशिश करें।

श्री महेन्द्रसिंह (अशोकनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर आपने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है इस विधेयक का जो उद्देश्य बताया गया है और वह है प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, एकरूपता बड़ा सुन्दर शब्द है लेकिन किस बात की एकरूपता? अगर शिक्षा के गिरते हुए स्टेन्डर्ड को ऊँचा उठाने या शिक्षा में क्वालिफकेशन इंप्रूवमेंट के लिए लाया गया होता तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता लेकिन माननीय सदस्य श्री नारायणप्रसाद शुक्ला जो धाराप्रवाह व सुन्दर ढंग से बोल रहे थे चाहे वे कितने ही अच्छे शब्दाडम्बर में जस्टीफाई करें इस विधेयक के विकराल व वीभत्स रूप को नहीं छिपा सकते।

अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो अभी शिक्षामंत्री जी ने उप-कुलपति पद को गरिमामय बताया और दूसरी ओर उस गरिमामय पद को गरिमाहीन बनाने का प्रयत्न इस विधेयक के द्वारा किया गया है ताकि रिजेक्टेड एण्ड डिफीटेड पोलिटीशन्स और मंत्रियों के रिश्तेदारों को उप-कुलपति पद पर बैठा सकें। इस प्रकार से इस पद को गरिमाहीन बनाने का प्रयत्न किया गया है। आज सिंडीकेट में जो रोग घुसा हुआ है, उसे दूर किया जाना चाहिए। सीनेट सिंडीकेट में शिक्षकों का एकेडेमेशियन्स का ज्यादा प्रपोरशन में रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। राजस्थान में सीनेट सिंडीकेट में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व 10, 15 प्रतिशत में है तो फिर हमारे यहाँ मध्यप्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? यह समझ में नहीं आता कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सीनेट सभा में क्यों नहीं होता और मेरा यह सुझाव है कि होना चाहिए। कॉलिज टीचर व यूनिवर्सिटी टीचर उनके नम्बर के प्रपोरशन में होने चाहिए।

इसके अलावा विश्वविद्यालयों को जो एड दी जाती है उसके संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जीवाजी विश्वविद्यालय को तीन लाख की एड दी जाती है जब कि वहाँ जीवाजी का इस्टेब्लिशमेंट ऐक्सपेंडीचर ही सात लाख की है। यू.पी. में कॉलेजेज को भी तीन लाख से ज्यादा एड दे दी जाती है। जब जीवाजी विश्वविद्यालय से एड के लिए माँग की गई तो यह उत्तर दे दिया गया कि चूँकि जीवाजी विश्वविद्यालय की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है इसलिये उसे और एड देने की आवश्यकता नहीं है। यू वांट टू पुल आन रोड टू फाइनेंशियल बैंकरेप्सी।

दिवालिया होने के बाद विश्वविद्यालय हल्ला मचाये। जो अपना काम ठीक-ठीक करे उसे आगे बढ़ने का अवसर ही न दिया जाये। अशोकनगर का कालेज जो जीवाजी विश्वविद्यालय की ब्लैक लिस्ट के टाप पर है उसको तो एड दी जाती है। शासन एड देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पूछता तक नहीं। जीवाजी को आप एड बढ़ाते नहीं। जो हाय-हाय करके चिल्ला-चिल्ला कर माँगे तभी आप एड देंगे वैसे नहीं?

दूसरी बात मैं प्रायवेट कॉलेजेज के विषय में कहना चाहता हूँ। शासन कहता है कि प्रायवेट कॉलेजेज का क्या करें तो आखिर प्रायवेट कॉलेजेज में जो शिक्षा व्यापार बन गई है और छात्रों के साथ जो उनके भविष्य के साथ खेलकूद किया जा रहा है आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती, शासन कुछ नहीं कर सकता तो आज प्रायवेट कॉलेजेज में घपले हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किस की है। मैं अशोकनगर डिग्री कॉलेज के संबंध में जीवाजी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से मिला तो उन्होंने कहा कि नेहरू डिग्री कालेज, अशोकनगर विश्वविद्यालय द्वारा रखी जाने वाली कोई भी शर्त पूरी नहीं करता उसके बाद भी शासन सहायता देने के पूर्व विश्वविद्यालय से नहीं पूछता अतः दूसरे प्रान्तों की तरह हमारे यहाँ भी प्रायवेट कॉलेज पर विश्वविद्यालय को नियंत्रण का अधिकार मिलना चाहिये। इसी तरह मैं अशोकनगर डिग्री कॉलेज के बारे में स्थगन प्रस्ताव लेकर विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को मिला तो उन्होंने कहा कि शासन सिर्फ बंद कराने के अलावा प्रायवेट कॉलेजेज के मामले में क्या कर सकता है। तो मेरा प्रश्न है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण मामला है। प्रायवेट कॉलेजों में यदि शिक्षा का व्यापार हो, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो और कुलपति महोदय कुछ न कर सकें, शासन कुछ न कर सके तो आखिर इन पापों को रोका कैसे जायेगा। कुछ व्यवस्था होना चाहिये कि विश्वविद्यालय इन विद्यालयों पर नियंत्रण रख सके। तो अगले समय जब शिक्षामंत्री जी कोई विधेयक शिक्षा के संबंध में लायेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अब चूँकि अधिक समय नहीं है इसलिए मैं अधिक नहीं बोल सकता हूँ लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण सुझाव शासन को दिये हैं उनको आइन्दा आने वाले विधेयक में रखने के लिये शिक्षामंत्री जी ध्यान देंगे।

श्री महेश जोशी (इन्दौर-1) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक की बुराइयों के रूप को स्वीकार करते हुए इसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वाइस चान्सलर का जो पद होता है वह विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी होता है। उसके द्वारा विश्वविद्यालय का कार्य संचालन होता है। यह बात भी सही है कि वाईस चान्सलर के पद पर जब गलत आदमी बैठ जाता है तो उससे विश्वविद्यालय की बदनामी होती है। इसलिए आवश्यक है कि योग्य व्यक्ति ही इस पद पर बिठाने से विश्वविद्यालयीन कार्यों में सुधार होगा। पहले हमारे शिक्षामंत्री माननीय डॉ. शंकरदयाल शर्मा थे उनके बाद जो शिक्षा मंत्री माननीय अर्जुनसिंह जी आये उन्होंने इसमें सुधार की ओर अवश्य कुछ प्रयास किये हैं इसके लिये मैं इनकी तारीफ करता हूँ यदि ये इसमें कुछ चीजों को और ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ वे जरूर अपनी मंजिल पर पहुँच जाते और यूनिवर्सिटी के छात्रों के और वाइस चान्सलर के बीच जो कशमकश होती है वह न होती। इसके लिए जब वाइस चान्सलर का चुनाव होता है उसमें छात्रों को भी प्रतिनिधित्व मिले तो ठीक होगा। बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि जो योग्य छात्र नेता हों उनको आप बाईस चान्सलर बना दीजिये फिर देखिये वे कैसे काम करते हैं।

अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य को बाईस चान्सलर बना दिया जाये तो कैसा रहेगा?

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के लिये कभी तैयार नहीं होऊँगा। तो इस विधेयक में जो दिक्कतें हैं उनको शिक्षामंत्री समझें और उनको दूर करने का प्रयास करें। यदि शासन ने इन्दौर विश्वविद्यालय खोल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है जबकि यूनिवर्सिटी अपने कार्यों को स्वयं न चलाये। कहीं सीनेट होती है, कहीं कोर्ट होती है, कहीं एक्जिक्यूटिव कौंसिल तो मुझे तो समझ नहीं आया इनमें क्या फर्क होता है। इन्दौर में जो वाईस चान्सलर ने कमेटी बनाई उसमें कौन लोग रहेंगे? वही लोग रहेंगे जो आई.ए.एस. लोग हैं। इसलिये इस ओर यदि हम ध्यान न दें तो फिर इस विधेयक के लाने का मकसद पूरा नहीं होगा। इसके लिये मैं शिक्षामंत्री जी से निवेदन करूँगा कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर आप ध्यान देंगे क्योंकि जब प्रदेश में

दलबदलू राजनीति हो और पास होने के बाद भी छात्र नौकरी के लिये मारे-मारे फिरें तो हम छात्रों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिये मैं शिक्षामंत्री जी से निवेदन करूँगा कि शिक्षा के विधेयक में जब वे विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक लायेंगे तो उसमें ऐसा संशोधन लाएँगे कि यूनिवर्सिटी की जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको उसमें समाविष्ट करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक (निवाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षामंत्री जी द्वारा जो विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसके प्रस्तुत करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो अभी उप-कुलपति की नियुक्ति कुछ मेम्बरों के द्वारा होती थी अब शासन की राय से सीधी गवर्नर साहब शासन की राय से कर देंगे। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह केवल राजनैतिक उद्देश्य के लिये है और बहुत ही संकीर्णता लिये हुए है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब शासन हर तरह से चाहता है कि कोई भी कौन्सिल हो और कोई भी कमेटी हो उसमें उसकी मर्जी के आदमी नियुक्त होना चाहिये और जब ऐसा उद्देश्य हो जाता है तो आप प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं वह न होकर एक संकीर्णता हो जाती है। इसी प्रकार आपने कौन्सिल में किया है। जैसा कि माननीय महेन्द्रसिंह जी ने कहा कि छात्रों का कौन्सिल में नेतृत्व हो तो वह अपने हकों की बात रख सकते हैं विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों का इसमें समावेश हो, उनका प्रतिनिधित्व हो। उनको, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं और उनके कारण विश्वविद्यालयों में हड़ताल हो जाती है। शासन चाहता है कि हमारे ही पक्ष के आदमी वहाँ पर पहुँच जायें।

अध्यक्ष महोदय, रीवा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों पर इतनी फीस पहले नहीं थी जितनी फीस कि उन विद्यार्थियों पर अब लगा दी गई है इसलिये वे अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अगर उनका वहाँ प्रतिनिधित्व हो जैसा कि शुक्ल जी ने कहा कि अब इस बीमारी का इलाज कैसे हो, शासन खुद बीमारी पैदा करता है। आपका बहुमत है, बहुमत के आधार पर, बहुमत के बल पर आप करना चाहते हैं। अगर आपका बहुमत न होता तो आप ऐसा विधेयक प्रस्तुत नहीं करते माननीय सदस्य कहते हैं कि मजबूरन हमें इसका समर्थन करना पड़ रहा है। इसकी भावना को देखें। सदन अच्छी भावना से इसका समर्थन नहीं कर रहा है। आप ऐसा संशोधन लायें कि जिससे अच्छी कौंसिल बने और विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो। विद्यार्थियों को शिकायत है इसलिये मेरा कहना है कि विद्यार्थियों का कौंसिल में प्रतिनिधित्व होना जरूरी है ताकि मेधावी विद्यार्थी होकर निकलें। प्रधानमंत्री इन्दिराजी ने कहा है कि यहाँ के युवक औलंपिक में कुछ नहीं कर पाये। आप ऐसा विधेयक नहीं लाये जिससे हम सही तौर से वह काम कर सकें और शासन से वह आदमी भेज दिये गये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले भी शिकायत थी जब श्यामाचरण शुक्ल चीफ मिनिस्टर थे लेकिन सेठी जी आप भी ऐसी कमेटियाँ रखते हैं, जैसे जागीरदार बनाकर रखे हों इसलिये इस प्रकार के ऊपर से आदमी लादकर न बैठाये जावें जिससे प्रजातन्त्र की भावना कुंठित हो जाये। इतना ही मैं इस विधेयक के संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी इस संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उससे मैंने जो निष्कर्ष निकाला वह यह है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता उसकी अक्षुण्णता की रक्षा और छात्र जगत और शिक्षा जगत में जो खामी, कमजोरी व्याप्त है उनका सही रूप से सर्वेक्षण और निदान माननीय सदस्यों ने प्रमुख रूप से अपने भाषण का उद्देश्य रखा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूँ प्रत्येक माननीय सदस्य का, यह छोटा सा विधेयक था इसलिये कई माननीय सदस्यों को समय नहीं मिल सका लेकिन मैं सदन को, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक अगले सत्र तक लाने की हमारी चेष्टा है जिसके लिये हमारे विधायक श्री मुकर्जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी संकेत किया है।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ मैं इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं स्वयं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह विधेयक किसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण या यों कहिए अत्यंत उपयोगी हो ऐसी बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिये नहीं कहता क्योंकि आज जो परिस्थिति शिक्षा जगत में है उसे यदि हम सब लोग, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, शिक्षाविद, सदन के सदस्य, समाजवादी नेता इस कटु तथ्य को देखने की क्षमता रखकर उस पर विचार नहीं करेंगे तब तक आज जो वातावरण मध्यप्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, छात्र क्षेत्र

में, छात्र जगत में प्रमुख रूप से व्याप्त है और वह एस्टेब्लिशमेंट चाहे शासन का हो या विश्वविद्यालयों का हो, उस दीवार को हम नीचा नहीं कर सकते या जो आधार है उसे परस्पर विश्वास के साथ जाग्रत नहीं सकते। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने इस देश के नवयुवकों के सामने बहुत सी अच्छी चीजें रखी हैं, देश की प्रगति के लिये बहुत से प्रयत्न किये हैं लेकिन क्या उसमें हम सफल हुए? भारतवर्ष में सम्पूर्ण विश्वास विश्वविद्यालय और शासन के तंत्र पर ज्यादा विश्वास नहीं हो सका इसलिए सबसे पहले हमारा प्रयास माननीय सदस्यों के सहयोग से यह होना चाहिये कि हम समस्त छात्र समुदाय का विश्वास प्राप्त कर सकें ताकि उनको यह भान हो कि हम जो करने जा रहे हैं वह हम भविष्य में प्रयोग के रूप में नहीं करना चाहते वरन् हम उनको विश्वास में लें कि हम उनकी भलाई के लिये करना चाहते हैं और इसमें उनकी भी सहमति हो। हमें ऐसा वातावरण निर्माण करना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि सदन के माननीय सदस्यों द्वारा शासन की मदद की गई इसके लिये मैं प्रत्येक माननीय सदस्य का आभारी हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुछ चन्द कार्यों से इस प्रदेश के समस्त छात्र वर्ग के बीच में यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो, जटिल से जटिल प्रयास क्यों न हो, विकार क्यों न हो, प्रश्न क्यों न हो जो सद्भावना और विचार से सुलझाया नहीं जा सके। यही कारण है कि मध्यप्रदेश के छात्र विचारशील, सहनशील हैं और उन्होंने इस भावना को आदर करके, इस विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, सदन से यह निवेदन करूँगा कि इस जिम्मेदारी को जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया हम आपके सबके सहयोग से निभा सकेंगे। मैं यह नहीं कह सकूँगा कि कोई इसके करने से आज जो हमारी स्थिति है वह सुनहरे रूप में बदल जावेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतना मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हम अपना कदम सही दिशा में उठा रहे हैं जो कि आगे चलकर हमें सही मंजिल पर ले जावेगा अगर हम बीच में भटक न जायें। और मैं पुनः माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे शासन का सही दिशा में चलने का दृढ़ संकल्प है। मैं चाहता हूँ कि छात्रों को न केवल यूनिवर्सिटी बॉडी में अपितु कॉलेजेज आदि की गवर्निंग बॉडी में प्रतिनिधित्व मिले। हमने अपने छात्रों का विश्वास अर्जित करने के लिये केवल इतना ही नहीं, एक और प्रयोग किया है जो अभी तक माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं भी नहीं किया गया है। यह हमारा निर्णय है कि राज्य स्तर पर विद्यार्थी सलाहकार परिषद का निर्माण हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस निर्णय का छात्रों ने बहुत स्वागत किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परिषद की पहली बैठक में भाग लेकर उसके महत्व और औचित्य को और भी बढ़ा दिया है। अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने तक नीचे से लेकर विश्वविद्यालयों तक स्टूडेन्ट्स पार्टिसिपेशन की एक पूरी रूपरेखा विधानसभा की स्वीकृति के पश्चात् लागू कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे यह प्रयास सफल होंगे इसकी भी मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ।

जहाँ तक माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक का सवाल है उसके बारे में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा हमारे साथी श्री शुक्ल जी ने कहा कि हमें कुछ विवशताओं के कारण ही लाना पड़ा है और यह किसी प्रकार समस्या का निदान नहीं है। हम समझते हैं कि विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति, उसकी भूमिका और उसका अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को सफल बनाने के लिये आधार शिला है किन्तु खेद का विषय है कि विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों की स्थिति बिगड़ गई। कुछ ऐसे अनुभव सामने आये हैं कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उप-कुलपति की नियुक्ति के समय ही खींचातानी प्रारम्भ हो जाती है जिसके परिणाम उप-कुलपति के कार्यकाल में ही दिखने लगते हैं। इसलिये यह विधेयक लाना पड़ा। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इस विधेयक को जितने दिन आवश्यक होगा उससे एक दिन भी अधिक नहीं रखा जायेगा। यह तात्कालिक समय के लिये प्रस्तुत किया है और मैं सदन से आग्रह करूँगा कि उसी भूमिका को सामने रखकर सदन इसको अपनी अनुमति प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन से शिक्षा के क्षेत्र में जो सुझाव प्राप्त होंगे उनको पूरा करने के लिये हमारा शासन तत्पर है। अतः हमारी जो गलतियाँ हैं उनको हमारे माननीय

सदस्य इंगित करें ताकि उनको सुधारा जा सके। मैं यह लेकर नहीं चलता कि इस सम्बन्ध में सबसे ज्यादा मुझे मालूम है। मैं तो यह लेकर चलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम। सभी कुछ माननीय सदस्यों और शिक्षा शास्त्रियों को मालूम है और हमें उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ लेना है। हम शिक्षा के क्षेत्र में एक नया वातावरण निर्माण करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यों एवं हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उसे निर्माण कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से निवेदन करूँगा कि वह इस विधेयक को पारित करे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

खण्ड 2 से 12 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्रमांक 45, सन् 1972) पारित किया जावे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्रमांक 45, सन् 1972) पारित किया जावे।

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 (क्रमांक 45, सन् 1972) पारित किया जावे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 दिसम्बर 1972/पृष्ठ- 741-749)

समाचार-पत्रों की शक्ति का सदुपयोग देश के रचनात्मक विकास के लिए किया जाना चाहिए। बिना भेदभाव, अन्याय के विरुद्ध जनता की आवाज़ उठाकर वे आदर्श समाज के निर्माण में अपना बहुमुखी योगदान दे सकते हैं।

— अर्जुनसिंह
(15 जून, 1974)



1973

1973 का बजट सत्र 26 फरवरी से प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए। राज्यपाल श्री सत्यनारायणसिंह का अभिभाषण हुआ और सदस्य श्री द्वारकाप्रसाद कटारे (देवरी) ने उस पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्तुत किया।

1 मार्च को दो शिक्षकों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में सदस्य श्री त्रिवेणी प्रसाद मिश्र (त्योंथर) ने और 5 मार्च को माध्यमिक शिक्षा मन्डल द्वारा फार्मों की वापसी को लेकर श्री अवधनारायण उपाध्याय (कुरवाई) ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये और शिक्षा मंत्री श्री अर्जुनसिंह से जवाब माँगा। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है—

श्री त्रिवेणीप्रसाद मिश्र (त्योंथर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन शिक्षामंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। विषय इस प्रकार है—

शासकीय शिक्षक संघ के तत्वावधान में श्री चन्दनलाल विश्वकर्मा व श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा 5 फरवरी 1973 से शिक्षा संभागीय कार्यालय रीवा के सामने भूख-हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी माँगें यह हैं कि प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को जनपद को न सौंपा जावे, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं व्याख्याता पदों की सीधी भर्ती बन्द कर परीक्षा पास होने की तिथि से विभागीय शिक्षकों को पदोन्नति दी जाये, शारीरिक निदेशकों की नौ सूत्रीय माँगें तत्काल पूर्ण कर सीधी भर्ती बन्द कर विभागीय पदोन्नति, प्रशिक्षण पास होने की तिथि से तत्काल दी जावे। उपरोक्त शिक्षकों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है, जान खतरे में है। इनके समर्थन में श्री रामाश्रय पाण्डे भी सतना जिला शिक्षा कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं। अन्य जिलों में भी शासन की इस उपेक्षा की नीति से शिक्षकों एवं जनता में गहरा असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है। अतएव शासन इस समस्या को तुरन्त सुलझाने की कार्यवाही करे।

शिक्षामंत्री (श्री अर्जुनसिंह) : अध्यक्ष महोदय, शासन की विकेन्द्रीयकरण की नीति के अनुकूल पूर्व माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों को जनपद पंचायत को सौंपने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। इस सम्बन्ध में अनशनकारियों को मेरे द्वारा रीवा प्रवास के समय दिनांक 15 व 18 फरवरी 1973 को यह स्पष्ट बताया गया था कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे शिक्षकों को हानि हो। इन शालाओं को जनपद पंचायतों को हस्तांतरित करने से पूर्व नियुक्तियाँ, वेतन का नियंत्रण आदि बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

उच्च श्रेणी शिक्षक व व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 50 प्रतिशत पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा की जाती है और शेष 50 प्रतिशत पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से। सीधी भरती में विभागीय शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा सेवा वर्ग 2 के राजपत्रित पदों पर भी 40 प्रतिशत पदों पर उच्च श्रेणी शिक्षकों में से पदोन्नत किए जाने का प्रारूप नियमों में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार शिक्षकों को उच्च पदों पर नियुक्ति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

शारीरिक शिक्षा निदेशकों की 9 सूत्रीय माँगों के सम्बन्ध में मैंने स्वयं अनशनकारियों से एक बार व उनके प्रतिनिधियों से बार-बार बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया; परन्तु ये शिक्षक उनकी माँगों के लिये अड़िग हैं तथा अपनी माँगों को प्रस्तुत करने का अवैधानिक तरीका अपना रहे हैं। रीवा संभाग में रिक्त

7 शारीरिक शिक्षकों के पदों की पूर्ति वरिष्ठतानुसार किए जाने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। फिर भी अनशनकारी संतुष्ट नहीं हैं। एक अनशनकारी श्री चन्दनलाल की, जिनका वरिष्ठता सूची में नंबर 26वाँ आता है, पदोन्नति चाहते हैं। वरिष्ठतम व्यक्तियों के स्वत्वों का हनन करके उन्हें पदोन्नति दी जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने यह भी एक अवैधानिक माँग रखी है कि जिस तारीख को वे शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित हुए, उस तारीख से उन्हें पदोन्नति दी जाये। इस प्रकार पदोन्नति देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

शारीरिक शिक्षा निदेशकों के 9 सूत्रीय माँग-पत्र का भी शासन स्तर पर बारीकी से परीक्षण किया गया है। जिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा निदेशकों के पद उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ वित्तीय साधनों की उपलब्धता देखते हुए पद उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। शारीरिक शिक्षा की श्रृंखला में निदेशक का यह पद निम्नतम स्तर का होने से इसकी पूर्ति सीधी भरती द्वारा किए जाने का प्रारूप नियमों में समावेश किया गया है और विभाग के शिक्षकों में जो शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षित हैं, उन्हें आवेदन करने का यथेष्ट अवसर उपलब्ध है। 1961-62 से 1969 तक शारीरिक शिक्षा निदेशकों के पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही तदर्थ रूप की कार्यवाही थी। अब विभाग के सेवा नियमों का प्रारूप तैयार हो जाने से उसके अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। इन शिक्षकों के साथ किसी प्रकार की भेदभाव की नीति शासन द्वारा नहीं अपनाई गई है। फिर भी इस संवर्ग में पदोन्नति द्वारा भी भरती किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

अनशनकारियों द्वारा अपनाए गए इस अवैधानिक मार्ग के लिए दो व्यक्तियों को धारा 309 भा.द.वि. के अन्तर्गत दिनांक 26 फरवरी 1973 को गिरफ्तार किया गया है। शासन द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। शिक्षकों के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है; परन्तु पदोन्नति पाने के लिए केवल अनशन पर बैठ जाना ही पर्याप्त औचित्य मान लिया जावे, माननीय सदस्यगण स्वयं सोचें कभी भी किसी संवैधानिक प्रक्रिया में मान्य नहीं किया जा सकता है।

श्री त्रिवेणीप्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर शिक्षामंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उसमें नीतियों का उल्लेख अधिक है और तथ्यों के बारे में कम बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षामंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जितना सम्भव हो सकता था माँगों को मनवाने के लिये उतने प्रयास किये गये परन्तु जब आपके विभाग से निराश हो गये तो यह रास्ता अपनाने के लिये मजबूर होना पड़ा। क्या यह सब सही है?

श्री अर्जुनसिंह : यह बात सही नहीं है।

श्री त्रिवेणीप्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय शिक्षामंत्री जी वहाँ पर जनसम्पर्क दौरे पर थे तो शिक्षकों को उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था उसके बारे में शिक्षकों ने उनसे कहा कि हम राजनीतिक आश्वासन नहीं चाहते, आप तो ऐसे आश्वासन दीजिये जिन पर विश्वास किया जा सके और उन्होंने अपने ज्वाइन्ट डायरेक्टर मिस्टर मोहन को उनसे मिलने और आश्वासन देने को कहा। ज्वाइन्ट डायरेक्टर ने कहा कि वे साले मर भी जावें तो भी मैं लिखकर नहीं दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह सूचना कहाँ से मिली, यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसका सम्बन्ध मुझसे है इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने उनसे बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि आपकी जो भी वरिष्ठता की माँगें हैं हम उस पर विचार कर सकते हैं और जो भी आपके प्रतिनिधि हैं वे चाहें तो वरिष्ठता सूची को देख लें और उसमें यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो उसको भी कर दिया जायेगा और जो वरिष्ठता में आते होंगे उसी अनुसार आदेश प्रसारित किए जायेंगे। उन्होंने यह कहा था कि ऐसी सूची तो निकलती ही रहती है। मैंने कहा था कि जिन लोगों के नाम वरिष्ठता सूची में छूट गये हैं उनके आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे, लेकिन उनको आदेश तब दिये जायेंगे जब अनशन समाप्त कर देंगे। डी.एस.ई. ऑफिस में आर्डर तैयार किये हुये रखे भी हैं और इसकी भी सूचना उनको दे दी गई है कि आर्डर्स तैयार करके रख लिये गये हैं।

श्रीमती कान्ता पारेख : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का एक आदेश क्रमांक 281949/1461 क्रमांक 16890/4370/201/61 शासक म.प्र. निकला था। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे राज्यपाल महोदय के कोई आदेश हैं?

श्री अर्जुनसिंह : जितने भी आदेश राज्यपाल के नाम से निकलते हैं उनको अवर सचिव निकालते हैं, जो भी 1969 तक नियुक्तियाँ होती थीं वे सब तदर्थ नियुक्तियाँ होती थीं। उन तदर्थ नियुक्तियों में वरिष्ठता में तो अन्तर आयेगा ही।

अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्या यह पूछ रही हैं क्या कोई राज्यपाल महोदय का आदेश इस तरह का निकला है या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : मुझे उसकी प्रति दी जाये तो बता सकता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या आप मंत्री जी को लिख कर दें, वे उसका आपको जवाब दे देंगे कि ऐसा कोई आदेश है या नहीं।

श्रीमती कान्ता पारेख : कभी कोई शिक्षामंत्री आता है वह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देता है कोई योग्यता के आधार पर देता है इस प्रकार की जो नीति है उसको समाप्त कर कोई एक नीति निर्धारित की जाये जिससे इस प्रकार की गड़बड़ी न पैदा हुआ करे।

अध्यक्ष : उसको मंत्री जी अवश्य करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : जो शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं और उनको अनुभव भी हो गया है उनकी पदोन्नति न करके सीधे उच्च पद पर नियुक्त कर दिये जाते हैं। क्या यह उचित है? आपने पुराने शिक्षकों को पदोन्नति क्यों नहीं दी है?

श्री अर्जुनसिंह : उनका साक्षात्कार इसलिये किया जाता है कि उन्होंने 1960-61 में फिजीकल ट्रेनिंग पास की थी। अब वे 73 में भी क्या फिजीकल ट्रेनिंग देने योग्य हैं या नहीं। साक्षात्कार लेने का मतलब यह नहीं है कि हम उनकी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : जो शारीरिक निदेशक हैं और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनमें से लिया नहीं गया और नई भरती की गई है, ऐसा क्यों?

श्री अर्जुनसिंह : तथ्य यह है कि वर्ष 1971-72 में जो सौ पद निर्माण किये गये उनमें से लगभग 70 पद फिजीकल ट्रेनिंग पास अध्यापकों में से नियुक्ति की गई, भले ही इंटरव्यू से किया गया हो। इस वर्ष 447 दरख्वास्तें आई हैं उनमें तीन सौ शिक्षकों की हैं और हम प्राथमिकता शिक्षकों को देते हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : फिजीकल ट्रेनिंग पास लोग जो दस-दस साल तक सर्विस कर लेते हैं तो उनको सीनियरिटी लिस्ट के रेगुलर चैनेल में रखने का ध्यान रखा जाता है या नहीं?

श्री रमेश दुबे : जोशी जी का तो ध्यान आकर्षण नहीं है फिर यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं?

अध्यक्ष : वह चीफ व्हिप हैं, इसलिये।

श्री अर्जुनसिंह : फिजीकल ट्रेनिंग पास शिक्षक और निम्न श्रेणी शिक्षकों की अलग-अलग वरिष्ठता सूची नहीं होती। निम्न श्रेणी शिक्षकों में से ही फिजीकल ट्रेनिंग के लिये सिलेक्शन किया जाता है और उसके लिये जो प्रावधान है उसमें वह जा सकते हैं।

श्री श्रीनिवास तिवारी : क्या शिक्षामंत्री बताएँगे कि शिक्षकों की इस माँग के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है उसको क्या आपसी बातचीत से तय करने के लिये मंत्री महोदय इच्छुक हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 मार्च 1973, पृष्ठ/308-311)

अध्यक्ष : श्री अवधनारायण उपाध्याय, श्री सीताराम ढाँडी तथा श्री सखाराम नीलकंठ की ध्यान आकर्षण सूचना है जिसे श्री उपाध्याय प्रस्तुत करेंगे।

श्री अवधनारायण उपाध्याय (कुरवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन शिक्षामंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें विषय इस प्रकार है—

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के केवल 15 दिन शेष बचे हैं और माध्यमिक शिक्षा मण्डल अभी तक फार्मों की

तकनीकी त्रुटियाँ बता कर वापिस भेज रहा है। जिससे विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो गई है और कार्य को ठीक कराने में समय नष्ट करना पड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल की इस धाँधली से छात्रों की परेशानी बहुत बढ़ गई है तथा असंतोष व्याप्त है। शासन अपना वक्तव्य दे।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माध्यमिक शिक्षा मण्डल की उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएँ 12 मार्च, 1973 से प्रारंभ हो रही हैं। बोर्ड के विनियमों के अनुसार नियमित छात्रों के लिए आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर और स्वाध्यायी छात्रों के लिए 15 दिसम्बर है। नियमित विद्यार्थियों के आवेदन-पत्र उनके प्राचार्यों द्वारा तथा स्वाध्यायी अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्र बोर्ड कार्यालय में अग्रेसर कर्ता अधिकारियों द्वारा भेजे जाते हैं। मण्डल कार्यालय में आवेदन-पत्र सीधे प्राप्त नहीं किये जाते हैं। विशेष परिस्थिति में स्वाध्यायी अभ्यार्थियों को आवेदन-पत्र भरने की अनुमति मण्डल के अध्यक्ष की विशेष अनुमति से 31 दिसम्बर तक दी जाती है।

मण्डल से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वाध्यायी छात्रों को आवश्यक शर्तों की जानकारी मण्डल निशुक्त पुस्तिका के रूप में प्रसारित करता है। फिर भी कई आवेदन-पत्रों में आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होतीं। मण्डल कार्यालय में प्राप्त लगभग 1,70,000 आवेदन-पत्रों की जाँच शीघ्रता से करके अधिकांश आवेदन-पत्रों में पाई गई त्रुटियों की पूर्ति के लिये परीक्षार्थियों को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दिसम्बर माह तक सूचित किया गया था। केवल कुछ ऐसे प्रकरणों में जिनके आवेदन-पत्र देर से मण्डल कार्यालय में प्राप्त हुए थे, बाद में पत्र भेजे गए। उन्हें 28 फरवरी तक त्रुटि पूर्ति के लिए समय दिया गया। परीक्षा 12 मार्च, 1973 से प्रारंभ हो रही है। अतः यह अंतिम तिथि थी, फिर भी जिन प्रकरणों में त्रुटियाँ ऐसी हैं, जैसे कम फीस की प्राप्ति, फोटो अटेस्ट न होना आदि जो अभ्यार्थी अभी भी पूरी कर सकते हैं, उनसे त्रुटि पूर्ति की अपेक्षा में अस्थाई अनुमति-पत्र भेजे गये हैं। ऐसे आवेदन-पत्रों को निरस्त किया गया जिनमें ऐसी त्रुटियों की पूर्ति नहीं हुई, जिनसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं आती। ये त्रुटियाँ मध्यप्रदेश में निवास तथा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की शर्त पूरी करने के बारे में हैं। इनकी पूर्ति के बिना परीक्षार्थी को व्यर्थ परीक्षा में बैठना पड़ता है और फिर उसका परीक्षा फल रोक कर परीक्षा निरस्त करनी पड़ती है।

नियमित विद्यार्थियों के बारे में त्रुटियों के लिए प्राचार्यों की और उसके पश्चात् सूचना संबंधित विद्यार्थियों को भी दी गई। इन्हें भी त्रुटि पूर्ति 28-2-73 तक करनी थी। चूँकि इन प्रकरणों में गलती और देरी मुख्यतः प्राचार्यों की है, विद्यार्थियों की नहीं, अतः इन्हें त्रुटि पूर्ति की अपेक्षा में अस्थाई अनुमति-पत्र भेजे जा रहे हैं।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्रों की पूरी जाँच करनी आवश्यक होती है, क्योंकि कुछ तथाकथित संस्थाएँ परीक्षा शुरू होने के कुछ दिनों पूर्व शीघ्रता से आवेदन-पत्र भरवा कर प्रदेश के बाहर के लोगों को उनसे पैसा लेकर परीक्षा में बैठाने का धन्धा करती हैं। मुझे स्मरण है कि माननीय सदस्य ने एक प्रश्न द्वारा इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

मण्डल द्वारा नियमानुसार और शीघ्रता से विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जा रही है ताकि जहाँ एक ओर वे व्यर्थ परीक्षा में बैठने से वंचित न रह जायें, वहीं परीक्षा में बैठने के बाद उनकी परीक्षा निरस्त न करनी पड़े।

श्री रमेश दुबे : माननीय अध्यक्ष, मेरे पास एक कागज आया जिसमें एक छात्रा को अनुमति नहीं दी गई है और उसका आवेदन-पत्र रिजेक्ट कर दिया गया है। एक लड़की राजस्थान से यहाँ 3 साल पहले शादी होकर आई है। अब उसके 11 महीने की एक बच्ची भी हो गई है। जो प्रमाण-पत्र बोनाफाइड रेजीडेन्स का दिया है उसकी उसने सही प्रतिलिपि दी है। उसको बोर्ड वाले नहीं मान रहे हैं। वह अब कहते हैं कि ओरिजनल कापी लाओ।

अध्यक्ष : आप मंत्री जी से मिलकर उनको सब बता दीजिये। वह देख लेंगे।

श्री रमेश दुबे : माननीय अध्यक्ष, वह डू कापी दे रही है। वह यह भी एफीडेविड दे रही है कि यदि वह एक माह के भीतर न दे तो उसका क्लेम नहीं होगा। अगर वह नहीं देती तो उसका रिजल्ट रोक लिया जावे। उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाना चाहिये। मंत्री जी इसको देखें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपके इस सुझाव पर विचार करूँगा।

श्री सीताराम दाँडी : माननीय अध्यक्ष, 28 फरवरी तक बोर्ड ऑफिस द्वारा फार्मों का कार्य पूरा किया जाता

है किन्तु कई विद्यार्थियों के फार्म अभी तक वापिस भेजे जा रहे हैं क्या आप इसकी जाँच करेंगे? आज 5 मार्च हो गई 12 मार्च से परीक्षा होने वाली है। क्या उन लोगों के फार्म सही होकर 12 मार्च से पूर्व बोर्ड के पास आ जावेंगे। अगर नहीं आ पाते तो उन विद्यार्थियों का आप क्या करेंगे? क्या उन लोगों को आप परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष : कुछ इस प्रकार के केसेज आपकी निगाह में हैं?

श्री सीताराम ढाँडी : अध्यक्ष महोदय, बहुत से प्रार्थना-पत्र अभी भी बोर्ड द्वारा त्रुटि पूर्ति के लिये वापस जा रहे हैं। यह कब वापिस बोर्ड के पास आयेंगे? उनको क्या परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष : आप हाईपोथेटिकल सवाल न पूछें। ऐसे प्रश्न आपकी जानकारी में हैं, वह आप मंत्री जी को दिखा दीजिये।

श्री सीताराम ढाँडी : माननीय अध्यक्ष, एक-दो का सवाल नहीं है, सैकड़ों आवेदन-पत्र वापिस भेजे जा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने उत्तर में निवेदन किया है कि अनुमति दी जा रही है। जिस दिन तक परीक्षा होगी हम उनको लेंगे।

श्री होमी दाजी : माननीय अध्यक्ष, जहाँ तक त्रुटि पूर्ति करके आवेदन-पत्र वापस आने का सवाल है, हमारा मध्यप्रदेश वैसे ही बहुत बड़ा है और अभी तक बोर्ड अपने संभागीय ऑफिस भी चालू नहीं कर पाया। त्रुटि पूर्ति के बाद फार्म वापस आने में समय लगना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में अगर परीक्षा से एक दिन पूर्व भी त्रुटि पूर्ति के बाद फार्म आ जाता है तो उसे अस्थायी रूप से बैठने दिया जावे।

श्री अर्जुनसिंह : इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : अध्यक्ष महोदय, यह मसला बहुत गम्भीर है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जितने फार्म्स आये हैं उनको सबको अस्थायी तौर से स्वीकृति दे दी जावे।

अध्यक्ष : आप क्या यह चाहते हैं कि जो डिसक्वालीफाइड हैं उनको भी स्वीकृति दे दें।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : जो टेक्नीकल गलती है।

अध्यक्ष : उनको दुरुस्त करके भेजें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने टेक्नीकल गलती की है उनको तो हम अस्थायी अनुमति दे रहे हैं लेकिन जिनको पात्रता ही प्राप्त नहीं है उनको अनुमति कैसे दे दें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/5 मार्च 1973, पृष्ठ/588-590)

16 मार्च 1973 को शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने मध्यप्रदेश माध्यमिक मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) विधेयक, 1973 सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया—

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) विधेयक, 1973 (क्रमांक 10 सन् 1973) पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) विधेयक, 1973 (क्रमांक 10 सन् 1973) पर विचार किया जाये।

श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि गड़बड़ी में इस विधेयक को लाने के औचित्य पर माननीय शिक्षामंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ जानकारी मुझे मिली है उससे गड़बड़ी में लाने का उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। इस विधेयक को 15 मिनट में पास करना है तो ज्यादा-से-ज्यादा समय हमें मिलना चाहिये। शासन कुछ अधिकार प्राप्त करना चाहता है। मेरा संशोधन भी है। मैं आपसे बहुत नम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह अधिकार प्राप्त कर रहे हैं जिस मन्शा और नीयत को पूरी करने के लिये उसी के लिए हम इस विधेयक को पारित कराने को

तैयार हैं परन्तु कानून बन जाने के बाद उसी मन्शा और नीयत का प्रकटीकरण होना चाहिये। जनता में लूट-खसोट चली, विद्यार्थियों को किताबें समय पर नहीं मिलीं, विद्यार्थियों को अशुद्ध और महँगी किताबें मिलीं, तो इन सबका दायित्व आपके ऊपर आने वाला है। इन सबका दायित्व भी एक अच्छा कानून बनाने के बाद भी आपके ऊपर आने वाला है। हमारे मंत्री जी एक विचारवान व्यक्ति हैं और उनसे आशा की जाती है कि जो विधेयक वह पास कराने जा रहे हैं उसका सही तौर पर अमल होगा। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। फिर भी इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष, विधेयक के साथ जो वित्तीय ज्ञापन दिया गया है उसमें यह लिखा है कि इस विधेयक के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा इस समय व्यय करना प्रस्तावित नहीं है। फिर भी, माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक के द्वारा जहाँ शिक्षा विभाग इतना बड़ा कार्य और अधिकार अपने हाथ में लेने जा रहा है, मैं समझता हूँ उसमें कुछ खर्च करना पड़ेगा, सेल निर्माण करना पड़ेगी, कुछ नये पद भी रखना पड़ेंगे। यह भी लिखा है कि जो पद रखा जावेगा वह कम-से-कम डायरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन से नीचे स्तर का न होगा, उसके ऊपर का होगा या उसके समकक्ष होगा। मेरा आपको यह नम्र सुझाव है कि इस कार्य के लिये आप जिसको नियुक्त करें वह कोई शिक्षाशास्त्री नियुक्त किया जावे। मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि अभी जो शिक्षा संचालक हैं वह अयोग्य हैं, पर मेरा यही कहना है कि उनके पास पूरे प्रदेश की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कार्य का इतना बोझ है, वह यह इसका अतिरिक्त बोझ वहन न कर पायेंगे। अतः इस कार्य से कृपया उन्हें मुक्त रखा जावे। अतः जैसा अभी मैंने निवेदन किया है इस कार्य के लिये किसी शिक्षाशास्त्री की नियुक्ति की जावे। इससे मेरा यह तात्पर्य, माननीय अध्यक्ष, नहीं है कि जो आई.ए.एस. ऑफिसर हैं वह किसी प्रकार से अयोग्य हैं। केवल मेरा इतना ही कहना है कि उन पर वैसे ही कार्य का बोझ है। अतः इस कार्य के लिये अलग से किसी शिक्षाशास्त्री की नियुक्ति करना उचित होगा।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता था वह यह है कि किताबें समय पर बच्चों को नहीं मिल पातीं। ग्रीष्मावकाश के बाद 1 जुलाई को पूरे प्रदेश के स्कूल खुल जाते हैं, पर बड़े-बड़े शहरों में भी जैसे— इन्दौर, उज्जैन, रायपुर, जबलपुर, बिलासपुर आदि स्थानों में भी जनवरी के प्रथम सप्ताह में किताबें पहुँचती हैं। मैं नहीं समझ सकता, माननीय अध्यक्ष, कि जब जनवरी में बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध होंगी तो वे क्या पढ़ेंगे और शिक्षक उनको पूरे वर्ष क्या पढ़ा सकेंगे?

इसके अतिरिक्त मैं शिक्षामंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो किताबें छपती हैं उनमें भयंकर भूलें होती हैं। जो बुनियादी सवाल है उनके उत्तर गलत दिये होते हैं, सवाल हल करने की रीतियाँ गलत छपी होती हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कानून आप पास करने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से आपको इतनी पावर्स मिलने वाली है उक्त बातों का आप कृपया ध्यान रखिए। अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पहले जो कीमतों की लूट चलती थी वह भी हर प्रकार से बन्द होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री तोषणसिंह (रामपुर बघेलान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी व्यवस्था का हमारे सामने आया है, यह बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। लेकिन अब आया उसका मैं समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, विशेष रूप से इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो पाठ्य पुस्तक निगम बना हुआ है उससे बालकों को सही समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थीं और बालकों को स्कूल खुलने के महीनों बाद पुस्तकें मिल पाती थीं। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जब पुस्तकें बुकसेलरों के पास पहुँचती थीं तब वह उनसे संबंधित कुंजियाँ और नोट्स छपवा लेते हैं और फिर जब विद्यार्थी किताबें लेने जाते हैं तो उनको जबरदस्ती कुछ नोट्स खरीदना पड़ते हैं। तो मैं शिक्षामंत्री जी से यह आशा करूँगा कि इस बिल के पास होने से यह जो कमियाँ थीं वह दूर होंगी।

उपाध्यक्ष : समय बहुत कम है। माननीय सदस्य जो सुझाव आ चुके हैं उन्हें न दुहरावें।

श्री तोषणसिंह : अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सुझाव यह है कि निगम द्वारा ही हर जगह पर एक डिपो खोल दी जाना चाहिये, जिससे सही समय पर बच्चों को किताबें उपलब्ध हो जावें।

श्री होमी दाजी (इन्दौर-2) : माननीय अध्यक्ष, इस समय जब बजट और माँगें सदन में चल रही हैं इस बिल को लाकर एक एक्सटरा ऑर्डिनरी पद्धति यहाँ अपनाई गई है। मुझे खास तौर पर यही कहना है कि किताबें समय पर बच्चों को मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहना है कि किताबें सस्ती होनी चाहिये। आजकल इतनी महँगी किताबें रखी जाती हैं कि साधारण पालक उसे खरीद नहीं पाता। आप कहते जरूर हैं कि तीन बच्चे ही होना चाहिये लेकिन पाँच बच्चे भी होते हैं और पाँच बच्चों का पालक किताबें खरीदने में असमर्थ होता है।

तीसरी बात मुझे यह कहना है कि किताबें अच्छी होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी विडम्बना और शर्म की बात है कि हमारे हिन्दुस्तान की जोग्रेफी में ही वह नक्शा छपा था जिसको पाकिस्तान, चीन अपना कहता है, वह किताब अब तक हमारे यहाँ चलती रही और अब बेन की गई है तो हमारी किताबें त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिये।

चौथी बात मुझे यह कहना है कि शिक्षाशास्त्री इसके लिये मुकर्रर किये जावें नहीं तो तीन-चार ऑफिसर आकर और इसमें बैठ जावेंगे और जो हमारे बच्चों की शिक्षा को और खराब करेंगे। इसलिये शिक्षाशास्त्रियों के सुपुर्द किया जावे यह मेरा निवेदन है।

श्री रेशमलाल जाँगड़े (भटगाँव, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ। मेर पहला सुझाव यह है कि इसका स्तर निर्धारित होना चाहिये। प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, कक्षावार स्टैन्डर्ड निर्धारित होना चाहिये। यह नहीं कि पहली की किताब छपी और पहली कक्षा वाली की समझ के परे हो।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि वर्तमान आधुनिकतम चार्ट बनना चाहिये जिसमें नागालैंड आदि सभी प्रदेश बनाने चाहिये, हमारे बालकों को यह कुछ भी पता नहीं चलता है।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि सामान्य तौर पर ऐसा पाठ्यक्रम बने जिसमें यह पता लगे कि कहाँ क्या पैदा होता है। आज हमारे बालकों में भौगोलिक ज्ञान की कमी है, कौन-सा गाँव कहाँ है, कौन-सी चीज कहाँ प्राप्त होती है यह आज के हमारे मैट्रिक के लड़के को मालूम नहीं होती। यह जानकारी लड़कों को अप-टू डेट और नवीनतम होना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हरिभाऊ जोशी और श्री दाजी और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा यहाँ विचार व्यक्त किये गये कि किताबें समय पर छपेंगी या नहीं, किताबें सही छपें, समय पर मिलें, शुद्ध छपाई हो, सस्ती हो, बाजार से सस्ती हों, इन तोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही मुख्य रूप से यह विधेयक यहाँ लाया जा रहा है। समय पर किताबें आयें यह इस पर निर्भर करता है कि वह किताब कब लिखी गई और कब छपी। जब जून में ऑर्डर दिया जायेगा तो जनवरी में छपेगी ही। हमारा यत्न है कि जुलाई में शुद्ध रूप से किताबें उपलब्ध हो सकें।

जहाँ तक व्यय बढ़ने का सवाल है, जोशीजी ने कहा कि इसमें राज्य शासन का व्यय बढ़ेगा। परन्तु इसमें राज्य शासन का व्यय नहीं होगा क्योंकि टैक्स्ट बुक कॉरपोरेशन अलग से एक बोर्ड है।

जहाँ तक डी.पी.आई. को इसका चेयरमैन बनाने का सवाल है .....

श्री हरिभाऊ जोशी : मैंने यह कहा है कि डी.पी.आई. से नीचे इसमें नहीं रखे जावें, उनके बराबर या उनसे बड़े अधिकारी रखे जावें। शिक्षाशास्त्रियों को रखा जावे।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक किताबों के बनाने का प्रश्न है उसमें शिक्षाशास्त्रियों का सहयोग लेना चाहिये, लेकिन जहाँ पांडुलिपि बनाई जा रही है, छापने में शिक्षाशास्त्री क्या योगदान देंगे, मैं नहीं समझता।

मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इसको पास करेंगे।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक स्कूल (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) विधेयक, 1973 (क्रमांक 10, सन् 1973) पर विचार किया जावे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

खण्ड 3

श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षामन्त्री जी ने बताया कि विद्यार्थियों को पुस्तकें समय

पर मिलना चाहिये, उनकी मन्शा को बाँधने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। खण्ड 3 में लिखा है कि "3 (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार समय-समय पर, प्राथमिक शिक्षा तथा मिडिल स्कूल शिक्षा के सम्बन्ध में पाठ्य विवरण निर्धारित कर सकेगी तथा उसे ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाये, प्रकाशित कर सकेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, तो "विहित की जाये के बजाये" मैं यह शब्द जोड़ना चाहता हूँ कि उपधारा "(1) में दोनों बार प्रयुक्त शब्द जैसी कि विहित की जाये", के स्थान पर शब्द "किसी भी शिक्षा सत्र के ठीक दो माह पूर्व" रखे जायें। जिस विद्याध्ययन के लिये वह होगा वह दो माह पहले आ जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई निश्चित समय बाँधना व्यावहारिक नहीं होगा। निश्चित सीमा बाँध कर कठिनाई होगी।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में इस प्रकार संशोधन किया जावे—
"उपखंड (1) में दोनों बार प्रयुक्त शब्द "जैसी की विहित की जाये" के स्थान पर शब्द "किसी भी शिक्षा सत्र के ठीक दो माह पूर्व" जोड़े जायें।

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

खण्ड 3 विधेयक का अंग बना

खण्ड—5

श्री हरिभाऊ जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 5 में यह लिखा है कि "राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, पाठ्य पुस्तकें तैयार किये जाने, मुद्रित किये जाने या वितरित किये जाने का भार स्वयं अपने ऊपर ले सकेगी या पाठ्य पुस्तकों के तैयार किये जाने, मुद्रित किये जाने या वितरित किये जाने का कार्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे अधिकरण के माध्यम से, जिसे कि वह उचित समझे, करवा सकेगी।"

इसके आगे यह शब्द जोड़े जायें—

अन्त में शब्द "करवा सकेगी" के पश्चात् शब्द "जिसका मूल्य एक पैसा प्रति पृष्ठ से अधिक नहीं होगा" जोड़े जायें।

श्री अर्जुनसिंह : विधेयक में इस प्रकार का प्रावधान करके सदैव के लिये एक पैसा प्रति पृष्ठ कैसे बाँध सकते हैं। हर साल कागज की कीमत बढ़ेगी।

श्री हरिभाऊ जोशी : सरकार गरीबों को लूट रही है और उनसे पैसा कमा रही है, यह मेरा सरकार पर आरोप है।

श्री अर्जुनसिंह : यह समय के विपरीत है।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में इस प्रकार संशोधन किया जावे—
अन्त में शब्द "करवा सकेगी" के पश्चात् शब्द "जिसका मूल्य एक पैसा प्रति पृष्ठ से अधिक नहीं होगा" जोड़े जायें।

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 5 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 2, 4, 6 से 8 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) विधेयक, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) विधेयक, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) पारित किया जाये।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी चर्चा में मंत्री जी को कानून में बाँधने की कोशिश की

थी लेकिन वे कानून में बँधने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मैं अपने संशोधनों पर जोर देते हुए मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) विधेयक, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ)

26 मार्च 1973 को सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह से यह तारांकित प्रश्न पूछा कि क्या विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों एवं प्राध्यापकों को राजनैतिक दलों के सम्मेलनों एवं शिविरों को संबोधित करने की अनुमति है? इस पर एक दिलचस्प प्रश्नोत्तर हुआ जो यहाँ दिया जा रहा है—

27. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माह अक्टूबर 1972 में साँची स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन में काँग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा था? (ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रशिक्षण शिविर को विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति (1) डॉ. शिवमंगलसिंह ''सुमन'', जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, (2) प्रो. बोधायन चट्टोपाध्याय, (3) प्रो. के. शेषाद्रि, (4) प्रो. बी.बी. रंगाराव, सागर विश्वविद्यालय के, (5) डॉ. डब्ल्यू.डी. वेस्ट तथा राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, (6) डॉ. दयाशंकर नाग ने संबोधित किया था एवं शिविर में राजनैतिक भाषण दिये थे? (ग) क्या विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों एवं प्राध्यापकों को राजनैतिक दलों के सम्मेलनों एवं शिविरों को संबोधित करने की अनुमति है?

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से. सम्बन्धित व्यक्तियों से निम्न जानकारी प्राप्त हुई है—

(1) डॉ. शिवमंगल सिंह ''सुमन'' कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 29 अक्टूबर 1972 को शिविर में ''सामाजिक कुंठाएँ एवं मध्यप्रदेश में एकता का कार्यक्रम'' विषय पर भाषण दिया था।

(2) डॉ. डब्ल्यू.डी. वेस्ट, प्रोफेसर एमिरिट्स (Emeritus)सागर विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उन्होंने शिविर में ''मध्यप्रदेश की खनिज संपत्ति'' पर भाषण दिया था। डॉ. वेस्ट विश्वविद्यालय की सेवा से दिनांक 1 जुलाई 1972 से सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

(3) डॉ. दयाशंकर नाग, प्रोफेसर जबलपुर, विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उन्होंने शिविर में ''मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास'' पर भाषण दिया था।

वक्ताओं ने यह भी सूचना दी है कि भाषण न तो राजनैतिक था और न ही पार्टी विषयक था।

अन्य तीन वक्ता मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। अतः उनके बारे में शिक्षा विभाग जानकारी देने में असमर्थ है।

(ग) किसी संस्था अथवा वर्ग को सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि विषयों पर सम्बोधित करने का कोई स्पष्ट बन्धन नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : मैं शिक्षामंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी राजनैतिक पार्टी के शिविर में किसी ऑटोनॉमस बॉडी के प्राध्यापक या शासकीय कर्मचारी किसी भी विषय पर भाषण दे सकते हैं तो क्या शासन इसको उचित मानता है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विश्वविद्यालय से संबंधित है। शासकीय कर्मचारियों से नहीं। इसमें भेद करने वाली बात नहीं है। विश्वविद्यालय के लोग किसी भी जगह पर जाकर भाषण दे सकते हैं। भाषण का जो सब्जैक्ट था वह गैर राजनैतिक था।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : क्या यह बात सही है कि आपने सागर जिले के देवरी कॉलेज के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा राजनैतिक शिविर में भाग लिया था तो क्या आपने उनको नोटिस नहीं दिया था वहाँ पर जाने

के लिये आपको ग्रान्ट बन्द किया जाता है?

अध्यक्ष : यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : यह उससे को-रिलेटेड है।

अध्यक्ष : तो आप पहले पूछ लेते, लेकिन अब यह रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : यह उससे बिल्कुल कनेक्टेड है।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या जिन विश्वविद्यालयों को गवर्नमेन्ट अनुदान देती है अधिकांश को, ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति और उपकुलपति और लेक्चरर्स तथा प्रोफेसर्स किसी भी राजनैतिक शिविर में भाषण देने जायें, क्या इसे शासन ठीक समझता है?

अध्यक्ष : यह तो वे बता चुके हैं कि कोई मनाही नहीं है।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या शासकीय अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के अधिकारीगण या लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स किसी राजनैतिक दल की सभाओं में भाषण देने जायें, तो क्या शासन उसको ठीक मानता है?

अध्यक्ष : यह हाईपोथेटिकल प्रश्न है।

श्री हरिभाऊ जोशी : यह इससे रिलेटेड है। डबल स्टैण्डर्ड उपयोग में लाया जा रहा है।

अध्यक्ष : आपका मतलब यह है कि जिन संस्थाओं को एड देते हैं उसके लैक्चरर्स आदि भाषण देने जा सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी के लोग भी दे सकते हैं?

श्री हरिभाऊ जोशी : यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडीज है और उनके नियम स्पष्ट हैं कि वे लोग नहीं जा सकते। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन विश्वविद्यालयों की ग्रान्ट्स बन्द की जा रही है या उनको नोटिस देने का उपक्रम किया जा रहा है?

अध्यक्ष : आपने ही बताया कि नियम है। प्रायवेट स्कूल के टीचर्स के लिये नियम में लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिये कोई नियम में नहीं लिखा है कि वे नहीं जा सकते हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : यह जो नियम है ये भी शासकीय नियम नहीं हैं। शासकीय नियम शासकीय कर्मचारियों के लिये हो सकते हैं लेकिन यह तो ऑटोनॉमस बॉडीज है। क्या शासन उनके भाषण देने को ठीक समझता है?

अध्यक्ष : यह चर्चा का विषय हो जायेगा क्योंकि आप कहेंगे कि है और शासन कहेगा कि नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एक स्तर पर लाकर तुलना कर रहे हैं, यह स्वयं में शुरू से ही गलत है। विश्वविद्यालय तो विधानसभा द्वारा स्थापित संस्थाएँ हैं उनके अधिकार अधिक हैं और उसके अन्तर्गत ही वे काम कर सकती हैं। नियम में ही लिखा है कि पोलिटिकल लेबल पर भाषण दे सकते हैं। इसका एक्ट में प्रोवीजन है। जहाँ तक प्रायवेट कॉलेजेज का सवाल है तो उसके लिए भी नियम है कि जो एडेड हैं वे भाग नहीं ले सकते। तो वहाँ है और यहाँ पर यह बात नहीं है। इसलिए इसमें मत का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हरिभाऊ जोशी : इसमें अध्यक्ष महोदय, देखेंगे कि दयाशंकर नाग, प्रोफेसर, जबलपुर विश्वविद्यालय के हैं और प्लेनिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हैं वे भाषण देने गये थे।

अध्यक्ष : आप भी बुला लें।

श्री हरिभाऊ जोशी : सरकार तनख्वाह दे रही है और गवर्नमेंट मशीनरी के सरकारी कर्मचारियों को राजनीति के क्षेत्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये उस शिविर के कर्ताधर्ता थे।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये कि क्या मिस्टर नाग सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसे कर्मचारी को भाषण देने के लिए भेजा है?

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमारी मदद कर रहे हैं उनका ही जवाब दे दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : डॉक्टर नाग प्रोफेसर हैं, प्लेनिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं। उनको मंत्री का स्टेटस नहीं दिया गया है। मैं समझता हूँ कि वे जिस स्टेटस को एन्जवाय कर रहे हैं वह सरकारी कर्मचारी का स्टेटस नहीं है। आप बुलायें तो आपकी सभा में इकानामिक्स पर लेक्चर दे देंगे।

श्री शीतला सहाय : विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है। इसी प्रकार की विभिन्न अशासकीय संस्थाएँ चलती हैं। उनकी समिति स्वायत्त संस्था है और समिति द्वारा रखे गये अध्यापक और प्राध्यापक अगर उनके विषय पर बोलने के लिए किसी राजनैतिक दल में आमंत्रित किये गये और वे वहाँ गये तो उनको हम इस प्रकार बोलने की इजाजत देंगे?

अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया कि नियम में नहीं है।

श्री शीतला सहाय : स्वायत्त संस्थाएँ जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, जैसे कोई समिति प्रायवेट कॉलेज चलाती है तो वह ऑटोनॉमस बाडी है।

अध्यक्ष : वह ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। वह कानून के द्वारा नहीं बनाई गई है। आप वकील हैं आप जानते हैं कि कानून से ऑटोनॉमस बॉडीज बनाई जाती है।

श्री शीतला सहाय : समिति के लिये विधान है उसके तहत समिति रजिस्टर्ड होती है तब वह समिति कहलाती है, बिना रजिस्ट्री के समिति नहीं बनती।

अध्यक्ष : वह एक्जिसटेंस में आती है, यही है।

श्री शीतला सहाय : आगरा कॉलेज ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से मशहूर है। यह अनुदान प्राप्त करती है लेकिन अपने नियम से चलती है। अशासकीय संस्था है। अगर उनके द्वारा नियुक्त किये गये अध्यापक और प्राध्यापक को राजनैतिक दल बोलने के लिये बुलाये तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि नियम है।

श्री शीतला सहाय : नियम नहीं है।

अध्यक्ष : आप नियम बता दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दोनों में समानता नहीं है। वह ऑटोनॉमस बाडीज है, यह बॉडीज संस्थाएँ चलाती है। अगर वह एड के लिए नहीं आती तो पोलीटिकल पार्टीज़ में पूरा भाग लें, जो करना चाहें करें। ग्रान्ट इन एड के रूल होंगे उनको एप्लिकेबिल करेंगे।

श्री शीतला सहाय : मैंने अलग से प्रश्न पूछा है। एकेडेमिक प्रश्न है। अगर कोई प्राध्यापक अपने विषय पर बोलने के लिए राजनैतिक दल में बुलाया जाये तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही तो नहीं करेंगे। अगर कोई इकॉनॉमिक्स के प्रोफेसर को किसी जगह बुलाकर आमंत्रित करेंगे और वह बोले तो कोई कार्यवाही तो नहीं करेंगे?

अध्यक्ष : कार्यवाही करने का सवाल नहीं है। जब ग्रान्ट इन एड के रूल्स हैं, उन रूल्स में लिखा है कि जो स्कूल ग्रान्ट हासिल करेगा, वह राजनैतिक पार्टी में हिस्सा नहीं लेगा।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रान्ट इन एड के रूल्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज पर लागू होते हैं।

अध्यक्ष : It is a question of debate.

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 मार्च 1973, पृष्ठ/2068-2071)

26 मार्च 1976 को शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अपने विभाग की माँगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिस पर 15 सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इस चर्चा में प्रमुख रूप से श्री हरिभाऊ जोशी ने हिस्सा लेते हुए शिक्षा विभाग और रीति-नीति पर अनेक आक्षेप किये पर सभी सदस्यों ने इस बात को अपने वक्तव्यों में रेखांकित किया कि नये शिक्षामन्त्री पूरी लगन और निष्ठा से शिक्षा के क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं। बहस 27 मार्च को भी चली। इस दूसरे दिन श्री अर्जुनसिंह ने शिक्षा के गुणात्मक विकास, प्रशासनिक स्थिति और न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर अपना विस्तृत वक्तव्य दिया। आमतौर पर शासक कमियों और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते पर श्री अर्जुनसिंह के इस वक्तव्य से प्रकट है कि वे प्रतिपक्ष के सुझावों का पूर्ण आदर करते हुए किस तरह अपने दायित्व के निर्वाह के लिए चिंतित दिखायी देते हैं। इस चर्चा के कुछ अंश और श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है—

श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षामन्त्री ने इस आय-व्ययक के सम्बन्ध में जो माँगें अपनी ओर से रखी हैं, मैं मन से उसका समर्थन करना चाहता था, क्योंकि बुनियादी तौर पर प्रदेश या देश की शिक्षा के बारे में दिनोंदिन उसकी तैयारी और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिये पैसों की व्यवस्था, ये सब माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गैर-राजनीति का विषय है और इन सारे विभागों में कुछ राजनीति का स्थान है भी तो व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इस राजनीति का कोई स्थान नहीं है और इस कारण इन माँगों पर उसी आत्मविश्वास और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिये रुचि रखकर विचार किया जाना चाहिये, किन्तु इन माँगों का मैं विरोध करने के लिए बाध्य हूँ। एक बात और कह दूँ, अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई राजनीति है तो वह राजनीति माँगों का विरोध करने से पूर्ण नहीं होगी। उस राजनीति को प्रजातंत्र में जिस तरीके से राजनीति चलती है उसका चौराहे पर विचार होगा, जनता के बीच में विचार होगा। उस राजनीति को अगर समाप्त करना है तो शिक्षामंत्री जी को हमारी तरफ बैठकर हमें उस तरफ बैठना होगा।

कई माननीय सदस्य : असम्भव।

श्री हरिभाऊ जोशी : इस प्रकार यदि राजनीति को एक तरफ परे छोड़ दिया जाये तो फिर मैं इन माँगों का विरोध करने के लिये इसीलिये बाध्य हूँ, समर्थन करने के लिये अपने आपको उस स्थिति में नहीं पाता हूँ, क्योंकि इस शिक्षा विभाग के सारे कार्यक्रम में जो एक सारा ढाँचा है, इसमें अनियमितता, अव्यवस्था, अनिर्णय और प्रशासनिक असंतुलन, दिशाभ्रम और शेखचिल्ली के समान निर्णय लेने की प्रवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में जो उत्पन्न हो गई है, इन्हीं कारणों से अपने-आपको असमर्थ पाता हूँ। केवल इन्हीं बातों के कारण सारे कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ और पुरजोर माँग करता हूँ कि कटौती प्रस्ताव स्वीकार किये जायें ताकि शिक्षा के क्षेत्र पर सभी दृष्टि से मध्यप्रदेश के नागरिकों के विचारों से विचार किया जाना चाहिये। राजनीति से परे हटकर विचार करने का दृष्टिकोण होने के कारण तमाम सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि ये कटौती प्रस्ताव उचित हैं, इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर स्वीकार करें और इन माँगों को, जिस स्वरूप में आई हैं, विरोध किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पाँच बातें कहीं, अनियमितता, अव्यवस्था, अनिर्णय, प्रशासनिक असंतुलन, दिशाभ्रम और शेखचिल्ली के समान निर्णय आदि इन सब बातों के प्रमाण सेक्रेटरियेट, डायरेक्टरेट, डी.एस.ई. और डी.ओ. की तमाम फाइलों का निरीक्षण करें। मैं तो कहूँगा कि इस सदन के सदस्यों की एक समिति इसी बात के लिये विधायकों की निर्मित की जाये कि इन फाइलों के निर्णयों को पढ़ें, समझें, कहाँ तक एक दूसरे के विपरीत निर्णय साल में दो-दो और तीन-तीन बार हुए हैं। एक ही साल में दो-दो और तीन-तीन बार रिपोर्ट हो तो यह सदन में शिक्षा विभाग का मज़ाक बन जायेगा। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन समय कुल मिलाकर 4 घण्टे का है और मेरे दल को जो समय मिला है उसमें मुझे संतुलन रखना पड़ेगा। मैं अपना भाषण संक्षिप्त रखने का प्रयास करूँगा। मैं शिक्षा विभाग की कुछ बातों पर विचार पेश करना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस अवसर का लाभ उठाकर शिक्षामंत्री जी को, जो इस प्रदेश में अभी-अभी शिक्षामन्त्री बने हैं, साल भर से उनकी महत्वाकांक्षाओं का विचार कर कि वे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई चीज करना चाहते हैं, जो उन्होंने प्रयास किया कट-मोशन्स के जवाब देकर उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बार हमें शिक्षामंत्री ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर कट-मोशन्स के जवाब दिये। अभी थोड़ी देर पहले वनमंत्री श्री तिवारी जी ने भी जवाब देने का प्रयास किया जो कि स्तुत्य है। मैं चाहूँगा कि सारे मिनिस्टर्स भी उनका अनुकरण करें तो अच्छा होगा। उनके तमाम उत्तरों से मैं सहमत तो नहीं होऊँगा, लेकिन वे सारी चीजों को चर्चा का विषय न बनाकर सही उत्तर देने का प्रयास करें। इससे इरेलेवेंट बातें रुक सकेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि जो घोषणाएँ होती हैं वे शेखचिल्ली की घोषणाएँ होती हैं। शिक्षामंत्री जी करें तो एक बात दूसरी है, लेकिन इसी विभाग के अन्य मंत्री श्री अमोलकचंदजी छाजेड़ .....

उपाध्यक्ष : कोई भी मंत्री द्वारा घोषणा की जाती है वह मंत्री शेखचिल्ली नहीं होता। ऐसा कहना कि शेखचिल्ली मंत्री हैं तो यह असंसदीय है।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं मंत्री को शेखचिल्ली नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपके विवेक को जागृत करते हुए

आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये घोषणाएँ शेखचिल्ली समान हो सकती हैं। मन्त्री शेखचिल्ली नहीं हो सकता। मैं मन्त्री को शेखचिल्ली कहने की हिमाकत नहीं कर सकता।

श्री गौतम शर्मा : घोषणाएँ शेखचिल्ली नहीं होतीं, शेखचिल्ली के द्वारा ही होती हैं।

उपाध्यक्ष : इसीलिये तो मैंने कहा कि यह असंसदीय है।

श्री हरिभाऊ जोशी : श्री अमोलकचंदजी छाजेड़ का सेंधवा के महाविद्यालय में स्वागत हुआ।

श्री अमोलकचन्द छाजेड़ : मेरा सेंधवा के महाविद्यालय में कोई स्वागत ही नहीं हुआ। मैं नहीं गया, स्वागत तो दूसरी बात रही।

श्री हरिभाऊ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक सितम्बर 1972 को खरगौन में स्वागत हुआ, सेंधवा में नहीं। वहाँ पर उन्होंने एक जोरदार घोषणा की कि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को उच्च शिक्षण संस्थाएँ शुरू नहीं करने दी जायेंगी। यह सरकार का निर्णय है। तो इस प्रकार की घोषणा का तारतम्य मुझे समझ में नहीं आया। मैं शिक्षामंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर जिस प्रकार की घोषणा करते हैं उनका अनुकरण दूसरे विभाग के मिनिस्टरों को नहीं करना चाहिये। ऐसा करने के पहले उनको दूरगामी परिणाम क्या होंगे यह अच्छी तरह सोच लेना चाहिये। इसका क्या असर हो सकता है यह सोच लें। शिक्षा के क्षेत्र में हमें बच्चों के लिये पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, पैसों की व्यवस्था करनी है।

तो मेरा कहना है कि अगर प्रायवेट बॉडीज शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं तो शिक्षा विभाग को उसके लिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिये और आभार मानना चाहिये। मेरे लिये यह आभार की बात नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो उसका फर्ज़ है। उसको तो इन्तजाम करना ही चाहिए। लेकिन अन्य मिनिस्टरों की इस प्रकार की घोषणाएँ उनके विभाग पर कुठाराघात कर सकती हैं। मेरा श्री छाजेड़ से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। उनको अपनी भूल सुधार लेना चाहिये।

श्री अमोलकचन्द छाजेड़ : अभी सेंधवा की बात कही है, अब खरगौन पर आ गये मैं खरगौन के महाविद्यालय में भी नहीं गया।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुना देता हूँ "अब अशासकीय संस्थाओं को उच्च शिक्षण संस्थायें प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। क्योंकि कुछ समय बाद इन शिक्षण संस्थाओं को शासन को सौंपने के लिये कहा जाने लगता है।" ये शब्द सिंचाई तथा विद्युत राज्य मंत्री श्री अमोलकचंद छाजेड़ ने मंगलवार की रात्रि को शिक्षा प्रसार समिति तथा गौशाला समिति, सेंधवा के स्वागत आयोजन में कहे।

श्री अमोलकचन्द छाजेड़ : पूरा पढ़कर कल आयें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरिभाऊ जोशी : कृपा करके ऐसी बातें न कहिये कि जिसके कारण शिक्षा विभाग में मध्यप्रदेश शासन की इमेज जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहता है, वह धूमिल हो जाये।

श्री गौतम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट पढ़ा है उसमें पॉलिसी की बात नहीं आती है। ये प्रायवेट संस्थायें खुलने के बाद उसको शासन ले यह कहा जाता है उसको खुलासा करने की बात कही गई है। उसमें पॉलिसी की बात नहीं है।

श्री हरिभाऊ जोशी : यह पॉलिसी की घोषणा है कि प्रायवेट क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिये मान्यता नहीं देंगे।

श्री गौतम शर्मा : उसमें शर्तें लगी हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : अशासकीय शिक्षा संस्थाओं के बारे में, मैं चाहूँगा कि माननीय शिक्षामंत्री इस बात को स्पष्ट करें। राजनैतिक स्थिति कहाँ आती है तो हम अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए शिक्षा के क्षेत्र को दूर नहीं रख पाते हैं। इस बात का संतुलन कर लें, सभी सदस्य, हर दल चाहे काँग्रेस के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे दूसरे दल के हों अपनी राजनैतिक आकांक्षाएँ शिक्षा संस्थाओं के जरिए पूर्ण न करने का संवरण कर लें तो बहुत कुछ इस बात में कमी आयेगी लेकिन मैंने अनुभव किया है।

श्री गौतम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस बात को वे कम-से-कम अपने दल से उठकर व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : दल की आकांक्षाओं के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नहीं कर रहा हूँ। मेरे दल की

यही आकांक्षा है। यह काँग्रेस नहीं है, जनसंघ है। दल की समझ भी यही है। आज स्थिति क्या है? अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है।

{अध्यक्ष महोदय (श्री गुलशेर अहमद) पीठासीन हुए}

मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दल से संबंधित हूँ और अगर एम.एल.ए. हुआ तो तुर्रमखाँ हो गये और यह कह दिया कि यह शिक्षा संस्था आर.एस.एस. के वालंटीयर तैयार करने की फैक्टरी है।

श्री रघुनन्दनप्रसाद : यह बात सही है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन किसने कहा है वह समझ लिया जावे। अगर कोई शिक्षा संस्था आर.एस.एस. के वालंटीयर तैयार करने की फैक्टरी है तो उसकी पूरी जाँच करके बंद कर देना चाहिए लेकिन किसी विधायक ने लिखा दिया तो बिना जाँच हुए एक फरमान निकल जाता है कि ग्रांट बंद कर दी जावे (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी बात को लायक दोस्त समझने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई शिक्षा संस्था गलत काम करती है, अगर काँग्रेस के वालंटीयर तैयार करती है, लीग के वालंटीयर तैयार करती है तो उसकी ठीक तरह से जाँच होनी चाहिये। राजनीति से ऊपर उठकर जाँच होना चाहिए और यह पाया जाये तो अनुदान बंद करना चाहिए और कानूनी कार्यवाही कर सकें तो वह करना चाहिए। यहाँ ग्रांट एम.एल.ए. के लिखने से बंद करते हैं फिर जाँच करते हैं। आप सबका आक्रोश समझ सकता हूँ, लेकिन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, मास्टरों ने क्या बिगाड़ा है, आप यहाँ बैठे हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं, ऐसी प्रिविलेज पोजीशन में आप हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षामंत्री जी से नम्रता से यह कहना चाहता हूँ कि उनमें इतना विवेक होना चाहिये कि क्या कदम उठाया जावे। यदि किसी विभाग में राजनैतिक गिरावट आ रही है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में ही आ रही है। अशासकीय संस्थाएँ सभी एक-सी नहीं हैं, कई दुकानें भी चला रही हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वह कोई जाँच कमीशन बिठावें जिसमें कुछ एम.एल.ए. भी सम्मिलित हों, उनके द्वारा जाँच हो जावे ताकि बार-बार शिक्षा के क्षेत्र में अशासकीय संस्थाओं द्वारा जो बार-बार दुकानदारी की बात आती है, शर्मनाक स्थिति आती है वह समाप्त हो सके। हमारे लायक दोस्त इसे जितनी जल्दी-से-जल्दी समाप्त कर सकें, उतना ही अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग 4-5 मामलों में काम आता है। पहिला विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है उनको वह बड़ी धनराशि देता है। अभी-अभी यह चर्चा है कि हमारा शासन एक स्टेट यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन बनाने वाला है। हम इसका स्वागत करते हैं और यह चाहते हैं कि उसका एस्टेटस भी हमारी स्टेट के गौरव और गरिमा के अनुसार ही हो। जब तक यह आयोग नहीं बनता तब तक मैं इससे आगे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ।

यह आप अपने आप सही कदम उठा रहे हैं। विश्वविद्यालय के बारे में हमें जो बातें कहना है, महाविद्यालयों के बारे में हमें जो बातें कहना है, वह विश्वविद्यालयों के एकीकृत कानून के समय, जो आप यहाँ ला रहे हैं, उस समय बड़े पैमाने पर बता सकूँगा।

अध्यक्ष महोदय, फिर भी एक बात कहने से मैं यहाँ नहीं चूक सकता कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्राध्यापक, अध्यापक और विद्यार्थी, दस-पन्द्रह वर्ष की खोज के बाद मैं कह रहा हूँ कि प्राध्यापक को विद्यार्थी से मिलने का बहुत कम अवसर मिल पाता है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि एक लैक्चरर पूरे साल में केवल तीन दिन विद्यार्थी से मिला। शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयीन क्षेत्र में यह स्थिति है कि वह अपने विद्यार्थियों से वर्ष भर में तीन दिन मिल पाते हैं, तो आप विद्यार्थियों से अनुशासन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर अगर विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है तो उसका कारण यही है कि आज विद्यालयों में ऐसी स्थिति बन गई है कि कम-से-कम समय विद्यार्थी और शिक्षक मिल पाते हैं। यही एक पहलू है अनुशासन बढ़ने का।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के परीक्षकों का आदान-प्रदान होता है। आजकल विश्वविद्यालय में परीक्षकों का आदान-प्रदान हुआ करता है। यह व्यापार है, कन्याकुमारी का परीक्षक कश्मीर जाता है। इसकी आलोचना होती है तो कहा जाता है कि आप बुद्धिमत्ता पर अंकुश लगायेंगे। अगर कोई आदमी कैपेसिटी रखता है तो विद्यार्थियों

की तरफ मूल्यांकन करवाना कोई मध्यप्रदेश में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो थोड़े खर्चे में काम कर सके। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है विद्यार्थियों के मूल्यांकन के संबंध में हम उनको वह सर्टिफिकेट दें जिसके वह काबिल हैं। आज परीक्षकों की नियुक्तियाँ मूल्यांकन का तरीका व्यापार बन गया है। विश्वविद्यालय का कानून ला रहे हैं तो इस मूल्यांकन के क्षेत्र में परीक्षकों के क्षेत्र में कहीं-न-कहीं अंकुश लगाना होगा। शिक्षा संचालनालयों और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कहूँगा कि शिक्षा संचालनालय जो है, यह एक ऐसे जंगल है जिसमें अगर कोई जानकारी लेने के लिये कोई आदमी प्रयास करे तो 6 दिन उसके बाहर ही बाहर घूमता रहेगा तब कहीं पता चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा संचालनालय के डायरेक्टर बोर्ड के चेयरमैन हैं। यह शिक्षा संचालनालय का दायरा व्यापक है। जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, वही शिक्षा संचालनालय के डायरेक्टर। वह यहाँ फिजीकली बोलते हैं कि वह वरडन का जस्टीफिकेशन कर सकें। मैं आग्रह से कहना चाहता हूँ कि फिजीकल की कोई सीमा है। शारीरिक दृष्टि से एक समय में दोनों आपस में न मिलकर बैठ सकते हैं तो आग्रह है कि हायर सेकेन्ड्री के लिये होल टाइम चेयरमैन नियुक्त करें। एक और सरकारी इस प्रकार का शिक्षा में काम करने वाला बोर्ड में चेयरमैन होना चाहिये। बड़े पैमाने पर शिक्षा की स्थिति है। बोर्ड में प्रमोशन की क्या हालत है? एक साल ऐसा नहीं जाता जब शिक्षा संचालनालयों में काम करने वाले अधिकारी भोपाल के पचासों चक्कर नहीं लगाते हों। अपने दो-चार रिश्तेदारों को फिट करने के लिये क्राइटेरिया बदला है। अपने संगी, संबंधियों को प्रमोशन देने के लिये शिक्षा विभाग के क्राइटेरिया बदले गये। अन्य लोगों के साथ इन्जस्टिस हुई, उन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के, डिवीजनल ऑफिस के, डायरेक्टर आफिस के सेल तय हो गये थे। उन सेल के मुताबिक प्रमोशन नहीं होते, अब वह प्रमोशन का मापदण्ड माना नहीं जायेगा। उन सेलों को अलग रखकर प्रमोशन किये गये हैं। मेरे पास एक बड़ा बण्डल है, ऐसी शिकायतों का। इस संबंध में शिक्षामंत्री जी विचार करें कि आपके द्वारा निकाले गये सरक्यूलर के विपरीत नियुक्तियाँ आपके यहाँ हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी फिजीकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के बारे में सवाल था उसमें आपने कुछ लोगों की नियुक्ति की है। तो इसके लिये मैं कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर इस माध्यमिक शिक्षा मण्डल क्षेत्र में कानून बना हुआ है और यदि इतने बड़े पैमाने पर आपको फिजीकल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति करनी थी तो यह व्यवस्था आपको उसी दिन से करनी थी जिस दिन से बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई थी। अब जब आपने फिजीकल इ इंस्ट्रक्टर नियुक्त नहीं किये और उनके लिये आपने कोई विज्ञापन नहीं दिया तो फिर आप कैसे उनकी नियुक्ति कर देंगे। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उसी में से आप नियुक्ति कर दें। इसमें आयु सीमा आपने 33-35 की रक्खी है और जो उसमें काम कर रहे हैं उनके लिये आपने 33-35 की आयु सीमा रक्खी है। फिजीकल इंस्ट्रक्टर्स यदि लेने हैं तो उन्हें ही लिया जावे जो कि शारीरिक दृष्टि से सक्षम हों। इसके लिये चेनल खोलना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का एक कानून बना हुआ है, उसके तहत यह जरूरी है उसके प्रावधानों को पूर्ण रूप से विचार कर यदि आप कोई कदम उठाना चाहेंगे तो ठीक होगा, इसके तीसरे परिच्छेद में यह है कि बोर्ड के ऑफिसेज खोलने होंगे, बोर्ड के संभागीय स्तर पर संभाग के मण्डल का गठन होगा और प्रत्येक में राजस्व मण्डल का गठन होगा। तो यह एक बहुत बड़ा कम्पलीट यूनिट है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध है और वह रेवेन्यू मण्डल के अनुसार हो। जब आपने कुछ कार्यालय खोले तो आपने इस कानून के प्रावधानों का उसमें ख्याल क्यों नहीं किया, इसकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी शिक्षामंत्री जी की थी। इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें से आप खैरागढ़ को छोड़ दीजिये उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी बचती हैं उनमें प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 5-5 इस विधानसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहता है तो इसका जो ऑटोनॉमस स्वरूप है वह धूमिल है। इसमें मेरा सुझाव है कि बोर्ड का जो दायरा है तो इन यूनीवर्सिटीज में कम-से-कम 10-12 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि मंत्री जी लाइब्रेरी की बुक्स को देखें तो उसके हिसाब का मिलान नहीं होने वाला है उसमें लाखों रुपयों का घपला है। कोई पता नहीं चलेगा। इस प्रकार के सेक्रेटरीज के पास पत्र आते हैं कि आपका 16-17 हजार रुपया यहाँ पड़ा

हुआ है उसको आप ले जाइये, तब जाकर सेक्रेटरी की नींद टूटती है कि हमारा पैसा वहाँ पड़ा हुआ है तो इससे आपका कोई तालमेल नहीं बैठेगा। मैं अधिक इस मामले में न जाते हुए और व्यक्तिगत कोई टीका-टिप्पणी न करते हुए, यह कहना चाहूँगा कि शिक्षामन्त्री जी इस मामले में ध्यान दें। कहीं ऐसा न हो कि इतने बड़े बोर्ड का संगठन कहीं आपके लिये और आपके शासन के लिये एक संकट न बन जाये। इसकी परीक्षाओं का भी सवाल है। एक घटना के बारे में मेरे पास लिखकर आया हुआ है कि 15 मार्च को प्रथम भौतिक-शास्त्र के प्रथम प्रश्न-पत्र की जगह द्वितीय प्रश्न-पत्र जारी कर दिया गया और फिर 24 घण्टों तक विद्यार्थियों को एक कमरे में बन्द रखा गया बाहर नहीं निकलने दिया गया। परीक्षा के संचालकों की गलती के कारण पहले तो प्रश्न-पत्र जारी किया गया और फिर छीन लिया गया कि यह गलती से दूसरा दे दिया गया है। विद्यार्थियों को दण्ड दिया गया और उन्हें हॉल से 24 घण्टे तक बाहर निकलने नहीं दिया गया है। मुझे मालूम है कि बोर्ड की तरफ से उत्तर आयेगा कि इतने बड़े बोर्ड का काम चल रहा है उसके आधार पर यह गलती एक परसेंट भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि आधा परसेंट गलती बोर्ड के अनुसार होगी लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसके लिये यह गलती हण्ड्रेड परसेट है। मैं आपको यह पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा है—

"विगत 15 मार्च को मुरैना के बी.टी. कॉलेज के परीक्षा भवन में हायर सेकेण्ड्री की चल रही वार्षिक परीक्षा में भौतिक-शास्त्र के प्रथम प्रश्न-पत्र के स्थान पर द्वितीय प्रश्न-पत्र परीक्षार्थियों को वितरित कर दिया गया।"

अध्यक्ष महोदय, यह हाल हमारे यहाँ शिक्षा मण्डल का है और मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ।

इसी प्रकार से यदि नाम पन्नालाल रामलाल है तो उसे पन्नालाल घासीलाल लिख दिया जाता है और वह लाख चिल्लाये कोई सुनवाई नहीं होती है।

दूसरी चीज शिक्षा मैन्युअल की है।

अध्यक्ष :अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री हरिभाऊ जोशी :मैं माननीय सदस्यों के समय से बोलना चाहूँगा। तो मैं यह कह रहा था कि जो शिक्षा मैन्युअल तैयार करने के लिये तिवारी कमेटी बैठी थी हमें आशा थी और हम राह देख रहे थे कि विधानसभा के बजट सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व वह पब्लिश कर दी जायेगी और हमें उस पर अपने विचार रखने का यहाँ मौका मिलेगा लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसे बजट सत्र के पूर्व पब्लिश नहीं किया गया और हमको इस पर होने वाली चर्चा से महरूम रखा गया है।

दूसरी चीज है शिक्षकों की सेवा जनपदों को सौंपने के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक हजार से ऊपर के पत्र केवल छत्तीसगढ़ संभाग के आये हुए मेरे दराज में रखे हैं। उसमें शिक्षकों ने यह लिखा है कि कृपा करके हमें जनपदों की मेहरबानियों पर न रखा जाये। मैं इसके सैद्धान्तिक पक्ष के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि सौंपना चाहिये कि नहीं सौंपना चाहिये। लेकिन यह जरूर है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षक जनपदों के माध्यम से काम कर रहे हैं और उनका अनुभव बहुत कटु है और यह एक डबल एडमिनिस्ट्रेशन सरीखा होगा, इस पर शासन विचार कर सकता है और उनकी सर्विस की गारण्टी के लिये यह बहुत जरूरी है कि इस पर विचार किया जाये और उचित व्यवस्था की जाये।

उज्जैन के माधव कॉलेज का मामला कई वर्षों से लटका हुआ है। या तो माधव कॉलेज को आप यूनिवर्सिटी को दे दीजिये या न दीजिये लेकिन निर्णय तो कीजिये। उसको लटकाकर क्यों रखा है। 15 सालों से यह मामला लटका पड़ा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि माधव कॉलेज को आप ट्रान्सफर करें तो स्टाफ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नये लोगों को रख लिया है, जब यूनिवर्सिटी ने उनको सर्विसेज दी हैं तब माधव कॉलेज के स्टाफ को एब्जार्व करेंगे तो उस समय यूनिवर्सिटी सीनियारिटी अपने स्टाफ की मानेगी माधव कॉलेज की नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, एक प्रोफेसर 15 साल से माधव कॉलेज में पढ़ा रहा है और उस प्रोफेसर से पढ़कर आज उस यूनिवर्सिटी में लेक्चरार अपाइण्ट हो गया जब कभी एब्जार्प्शन का प्रश्न आयेगा उस समय यूनिवर्सिटी

अपने लोगों की सीनियारिटी फिक्स करेगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये सभी बातों को देखा जाना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको देखेंगे।. माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर माननीय शिक्षामंत्री जी मिलते हैं, अच्छी बात है, आदर्शवाद की बात कम करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वर्षों से शिक्षा विभाग में जो काना-फूसी की आदत हो गई है, काना-फूसी में प्रमोशन की आदत है, उसको आपको देखना होगा। उसको आपको काग-दृष्टि से देखना होगा, चील की दृष्टि से उसको देखना होगा।

अध्यक्ष महोदय, टैक्स्ट बुक के संबंध में थोड़े दिन पहले एक कानून आया था और उसको 15 मिनिट में ही पास करा लिया गया। मैंने पास कराते समय कहा था कि इसकी इतनी जल्दी क्या है, लेकिन उस समय कोई जस्टीफिकेशन नहीं दिया गया। आखिर शिक्षामंत्री जी को इतनी इमरजेंसी क्या थी? आज मैं, अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में हूँ कि यह कह सकूँ कि इतनी आपा-धापी क्यों की गई? अध्यक्ष महोदय, जबलपुर के फोर्थ सिविल जज ने इन्जेंगशन गवर्नमेंट के खिलाफ दायर किया और उस इन्जेंगशन में यह भी जोड़ दिया कि बोर्ड भी किताब नहीं छाप सकता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, शिक्षामंत्री जी ने कुछ नहीं बताया आखिर कौन-से कारण थे? क्या गलती थी? उसको आप सुधारना चाहते हैं? कौन-सी खामियाँ थीं उसके बारे में शिक्षामंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि उस समय मर्यादा रखी गई, न्यायालय की मर्यादा रखी गई थी। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी इस प्रकार प्रस्तुत न करें, क्योंकि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं न्यायालय की कोई उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास तो न्यायालय के ऑर्डर की कापी है, अगर आप कहें तो पढ़ सकता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, टेक्स्ट बुक की पहले 28 किताबें छपी थीं, अब 56 किताबें छापना चाहते हैं, अच्छी बात है लेकिन वे सस्ती मिलनी चाहिये और समय पर मिलना चाहिये। सितम्बर और नवम्बर तक किताबें नहीं मिलती हैं, तब क्या बच्चे पढ़ेंगे 5वें और 6वें कक्षा के? मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मई-जून में यह किताबें मार्केट में आ जानी चाहिये। यह करते हैं तो मैं समझूँगा टैक्स्ट बुक कमेटी ठीक से काम करेगी। एक बात माइनॉरिटी लैंग्वेज के बारे में कहना चाहता हूँ, आज प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है। हमारे यहाँ मराठी पढ़ने वाले बहुसंख्यक लोग हैं, उर्दू पढ़ने वाले, सिंधी पढ़ने वाले बहुसंख्यक लोग हैं। मध्यप्रदेश शासन ने इन तमाम क्षेत्रों में माइनॉरिटी लैंग्वेज पढ़ाने में बहुत गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। मराठी स्कूलों में यदि कुल 14 टीचर हैं तो 9 हिन्दी के हैं। यदि आप मराठी पढ़ाने वाले शिक्षक रखेंगे तो वह पढ़ा पायेगा। उर्दू जिसको नहीं आती ऐसा शिक्षका उर्दू के स्कूल में रख दिया जाये तो कोटे के हिसाब से भले ही खानापूर्ति हो जायेगी लेकिन बच्चों का क्या होगा? वैसे ही सिंधी का मामला है। इसी तरह से शहर और गाँवों में बहुत भेद कर रहे हैं। गाँवों में स्कूल महीनों खाली पड़े रहते हैं और शहर में जहाँ चार-पाँच माध्यमिक शिक्षक चाहिये वहाँ 8-8 शिक्षक भर रखे हैं। किसी का साला है, किसी का बहनोई है, किसी की भाभीजान हैं, किसी का भाईजान है। भोपाल, उज्जैन, इन्दौर आदि बड़े-बड़े शहरों में जो निकट के रिश्तेदार हैं, वह निभ रहे हैं और गाँवों में स्कूल खाली पड़े हैं। इसको आप देखें, इतना ही कहना है।

श्री शीतला सहाय : जोशीजी, शिक्षामंत्री जी की जान पर क्यों प्रकोप ला रहे हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी (सागर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षामंत्री जी ने जो माँगें इस सदन के सामने शिक्षा के मुताल्लिक रखी हैं उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विरोधी पक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव किये गये हैं, उनका मैं विरोध करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों का विरोध इसलिये नहीं कि मैं पूरे तौर से उसमें जो भाव व्यक्त किये गये हैं उनका विरोधी हूँ। यह सच है कि विरोधी पक्ष भी इधर-उधर देखता है और उनके विचारों का एक सीमा तक आदर करना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्ता जोशीजी ने कहा कि शिक्षा को राजनीति से अलग करना चाहिये, यही एक आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश शिक्षा के क्षेत्र में जब साथी लोग चर्चा करने खड़े होते हैं तो इस मूलभूत सिद्धान्त को नजरअन्दाज कर देते हैं। मैं उम्मीद करता था मेरे लायक मित्र कुछ सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुझे अफसोस हुआ वे बहुत देर तक किसी कॉलेज की ग्राण्ट के संबंध में

चर्चा करते रहे जो संभवतः उनकी संस्था द्वारा संचालित था और न जाने किस कारण से उनका ग्राण्ट रोक दिया गया है।

श्री हरिभाऊ जोशी : मेरे द्वारा संचालित संस्था नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी : आपके दल द्वारा, आपके दल के कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं, यानी जनसंघ के साथी लोग, आर.एस.एस. के लोग संचालित करते हैं, इसलिये आपके चित्त को ज्यादा क्षोभ हुआ। मैं जब शिक्षा के संबंध में बात करने के लिये खड़ा हुआ हूँ तो निष्पक्ष रूप से बात करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह सरस्वती का मंदिर है, इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने के पूर्व हमें अपनी आत्मा को पवित्र कर लेना चाहिये, तटस्थ होकर विचार करना चाहिये। यदि देश को निर्मित करना है तो बड़े-बड़े कारखाने जरूर आवश्यक हैं, नहरों की व्यवस्था की जाये लेकिन आर्थिक दृष्टि से कितनी भी तरक्की कर लें अगर नई पीढ़ी को अच्छा नहीं बनाते हैं तो हमारा देश आर्थिक दृष्टि से कितना भी ऊँचा क्यों न उठ जाये, किसी भी क्षण बर्बाद हो सकता है। इसलिये हमें इस बात पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा कि हम अपनी नई पीढ़ी की दिशा में क्या यत्न कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं सरकार का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि सरकार ने प्राथमिक और संपूर्ण शिक्षा के लिये अधिक से अधिक यत्न जुटाने की कोशिश की है और शासन इस बात में सजग है। इस प्रदेश के माथे जो पिछड़ेपन का कलंक है, उसे वह मिटाना चाहता है, शिक्षा का जो प्रतिशत है पिछड़ा हुआ है उस प्रतिशत को प्राप्त करने के लिये हम अधिक गतिशील कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह एक स्तुत्य बात है। मैं आपसे निवेदन करूँ कि कारखाने खड़े करने में हम टारगेट बड़े-बड़े रख सकते हैं, किन्तु शालाओं की संस्था स्थापित करने में हमें केवल संख्या की तरफ दृष्टि नहीं रखनी है। हमें क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। हम जब विश्वविद्यालयों, शासकीय अथवा गैर-शासकीय महाविद्यालयों, विद्यालयों की स्थिति देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काश हमने कम विश्वविद्यालय स्थापित किये होते। काश हमारे पास महाविद्यालयों और विद्यालयों की ऐसी कम संस्थाएँ होतीं जिसमें गिने-चुने अच्छे-से-अच्छे अध्यापक होते जिन्होंने अपने आपको डेडीकेट किया होता, जिन्होंने संकल्प किया होता कि हम तरुणाई में ऐसे अच्छे संकल्प डालेंगे जिससे वे अपने देश और प्रदेश के लिये अपने जीवन को क्रियाशील कर सकें। काश हम ऐसे अध्यापकों को लेकर थोड़ी-सी शिक्षण-संस्थाएँ लेकर काम कर सके होते। जो थोड़े से तरुण उन कॉलेजों से, इन विश्वविद्यालयों से निकलते होते, वे मेधावी होते, वे हृदय के धनी होते। वे श्रेष्ठ मस्तिष्क सत् क्रियाशीलता और हृदय की विशालता— जो मानव की तीन विशिष्ट शक्तियाँ हैं— उनसे पूर्णरूपेण सम्पन्न हो। वे भावना की दृष्टि से, क्रियाशीलता की दृष्टि से और चिंतन की विशालता की दृष्टि से सही माने में ऊँचे उठे होते। हमने देखा, किसी जमाने में थोड़े से आदमी शिक्षित हुए उन थोड़े से आदमियों ने ऐसी भावना जगाई कि देश इकट्ठा होकर बड़ा काम कर सका। काश हमारे विद्यालय और महाविद्यालय गांधी और जवाहर के निर्माण की दिशा में संलग्न होते। आज मैं इस चीज पर लम्बी टीका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस चीज की ओर संकेत कर रहा हूँ, वह यह है कि हम क्वान्टिटेटिव या न्यूमरेटिव विकास की दिशा में अधिक गतिशील न भी हों तो भी क्वालिटेटिव दिशा में अधिक प्रगतिशील हों। मुझे ऐसा लगता है कि गत् 25 वर्षों में शिक्षा का स्तर गिरा है और सहूलियतें अधिक से अधिक मिली हैं। अधिक से अधिक छात्र शैक्षणिक कैम्पस में आये हैं। मैं यह नहीं कहता कि जितनी तरुणाई निकली है वह अधिकतर निकम्मी है, जिस अंश में, जिस प्रपोर्शन में उन्नत मस्तिष्क इन वर्षों में मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला है। जितना रुपया पहले खर्च करते थे और उसका जो परिणाम उस जमाने में मिलता था— आज जो रुपया खर्च कर रहे हैं उसका जो परिणाम मिल रहा है, उसकी तुलना करते हैं तो ठीक तालमेल नहीं बैठता। मुझे ऐसा लगता है कि यदि प्राइमरी शिक्षा में अधिक से अधिक रुपया खर्च करें तो वह अधिक उचित होगा। शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि यदि प्राइमरी से अधिक रुपया प्राइमरी स्कूलों के लिये रखा है, अधिक से अधिक प्राइमरी स्कूल खोलने की चेष्टा की है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 मार्च 1973, पृष्ठ/2246-2253)

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल : तो मैं माननीय शिक्षामंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूँगा कि भले ही राजनैतिक या अन्य लोगों का दबाव पड़े लेकिन इस पर हमें जरूर विचार करना है, हमारे प्रदेश

में आठ विश्वविद्यालय हैं इसके लिए अच्छा होगा कि हर विश्वविद्यालय को अलग-अलग विषयों में पारंगत बनाने का प्रयत्न किया जाये। पूरे मध्यप्रदेश में कहीं मेडीकल कॉलेज हो, कहीं फेकल्टी हो, कहीं साईंस का अर्थात् जिस प्रकार से पहले जमाने में अलग-अलग विषयों के विश्वविद्यालय हुआ करते थे उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी होने चाहिए।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय शिक्षामंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत माँगों का समर्थन करता हूँ।

श्री सुधीर मुकर्जी (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस माँग के संबंध में माननीय शिक्षामंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मध्यप्रदेश एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्रान्त रहा है जहाँ पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग के नाम पर इतने उलटफेर और तब्दीली होती रही है जिससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों तंग आ चुके हैं। हर साल बिना किसी सोच विचार के मध्यप्रदेश के अन्दर कोई एडवान्स प्लानिंग न करते हुए, कोई गंभीरता के साथ न सोचते हुए, जो भी मंत्री मण्डल आया, अपने दिमाग से नवीनता के लिए कुछ भी उलटफेर कर दिया, जिसका अध्यक्ष महोदय, नतीजा अच्छा साबित नहीं हुआ। अब जो शिक्षामंत्री हैं, उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि तमाम संबंधित पक्षों से बहस के बाद जो भी आवश्यक हो, उस पर निर्णय लेते हैं, यह सही शुरुआत है। कोई भी ठोस तब्दीली की जाये तो उस पर गंभीरता से सोच विचार कर ही तब्दीली की जाये। मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा विभाग इस पर ध्यान देगा। अब मैं दूसरी बात की ओर अध्यक्ष महोदय, शिक्षामंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ तक विश्वविद्यालय के अनुदान देने का प्रश्न है, मध्यप्रदेश शासन जो अनुदान देता है उसको देखना चाहिये, रविशंकर विश्वविद्यालय को मेन्टेनेन्स के नाम पर ग्रान्ट दी जाती है 4 1/2 लाख और डेवलपमेण्ट के लिए 4 लाख कर दिया है। मैं क्षेत्रीयता की भावना से नहीं कह रहा हूँ। मध्यप्रदेश की आबादी 3 करोड़ है, इस 3 करोड़ में से 1 करोड़ की आबादी छत्तीसगढ़ एरिया की है जहाँ कि रविशंकर विश्वविद्यालय है। मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों में से 1/3 महाविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि अनुदान देने में उसका विशेष ध्यान देना चाहिये। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँगा कि 8 विश्वविद्यालय, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या दूसरे हैं सबको 3 लाख या 4 लाख रुपये देते हैं, समान रूप से 8 विश्वविद्यालय को देखते हैं, यह बात गलत है। रविशंकर विश्वविद्यालय पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। 1/3 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। 1 करोड़ की आबादी यह विश्वविद्यालय कवर करता है। जो भी उसकी माँगें हैं वे उचित हैं उन पर शासन को ध्यान देना चाहिये। खैरागढ़ विश्वविद्यालय जो संगीत का विश्वविद्यालय है, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। खैरागढ़ विश्वविद्यालय का जो कार्यकलाप है, वह एक फ्रॉड है। यह एक फ्रॉड इन्स्टीट्यूशन है, मैं इसको साबित करने के लिये तैयार हूँ। इस पर वेस्टेज पब्लिक मनी का हो रहा है। जहाँ 10 विद्यार्थी भी नहीं हैं, उसकी हालत आप देखें। खैरागढ़ विश्वविद्यालय की बेसिक तब्दीली करने की जरूरत है। इसके हेडक्वार्टर को जंगल से हटा कर किसी मेजर सिटी में बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर डॉक्टरेट का बँटवारा होता है। डॉक्टरेट देने के लिए थीसिस दोनों के पास भेजी जाती है, जिनको डॉक्टरेट मिलना है, उनसे एप्रोच कराया जाता है। पाण्डे जी की मेहरबानी से एक महिला है, उनको डॉक्टरेट दी गई है। बाद में एक्जीक्यूटिव के पास भेजते हैं, इनमें से एक एक्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, डिसीजन हो जाता है। महिला को डॉक्टरेट दी जाती है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट का बँटवारा हो रहा है। उसी विश्वविद्यालय में अपर डिवीजन क्लर्क का अपाइंटमेंट होता है, वहाँ तमाम ग्रेज्यूएट्स बेकार घूम रहे हैं, वहाँ अपर डिवीजन क्लर्क की जगह पर नॉन मैट्रिक आदमी को अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसको दो एडवांस इंक्रीमेंट देने का स्पेशल केस बनाया जाता है। उस यूनीवर्सिटी का नमूना बयान करूँ तो आपको ताज्जुब होने लगेगा। वहाँ एक फ्रॉड चल रहा है। अभी वहाँ प्रांतीय शासन की रिकमेंडेशन पर 13 लाख रुपया डेवलपमेंट ग्रांट देने की तैयारी हो रही है जिसके लिए शिक्षामंत्री से उम्मीद करूँगा कि उसकी तरफ ध्यान दें और इन तमाम चीजों को रोकने की कोशिश करें। एज्यूकेशन बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स का पेपर आपको देखकर ताज्जुब होगा, मैंने देखा 36 पन्ने का साइक्लोस्टाइल्ड पेपर है, 36 पन्ने का क्वेश्चन पेपर है विद्यार्थी क्या पढ़ेगा और क्या उत्तर देगा?

यह आब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का कौन-सा तरीका है, लेकिन बोर्ड में इस तरह से कार्य चल रहा है। चार-पाँच हजार छात्रों को एडमिशन नहीं दिया गया। तीन सौ सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर नहीं पहुँचे और आपको ताज्जुब होगा उर्दू मीडियम के हिस्ट्री के पेपर में 57 नम्बर का क्वेश्चन ही नहीं छपा। हिन्दी सेकन्ड पेपर में इतनी गलतियाँ हैं कि वह विद्यार्थियों को नहीं दिया जाना चाहिये था। यह तमाम हरकतें दयाशंकर दबे की हैं, उनकी देखरेख में चल रही हैं। इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाये। इस बोर्ड का एक लाख का डिमांड ड्राफ्ट का स्कैंडल है जिसको यहाँ की पुलिस ने नहीं दूसरे प्रान्त की पुलिस ने डिटेक्ट किया। जाली प्रमाण-पत्र को महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा की पुलिस ने पकड़ा है। ये प्रमाण-पत्र एक-एक हजार रुपये में बेचे गये हैं। इसमें 75 प्रतिशत हिस्सा अफसरों का है और 25 प्रतिशत दलालों को मिलता है। इस तरह से स्कैंडल की रिपोर्ट टी.टी. नगर पुलिस में दर्ज है। पुलिस इसके बारे में क्यों खामोश है और गिरफ्तारी की कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इसके बाद पाठ्य पुस्तकों के बारे में कहना है। एक सज्जन मेरे कमरे में रायपुर शहर के आये, मैंने पूछा क्यों आये, तो उन्होंने कहा किताबें खरीदने के लिये आये हैं। वहाँ के डी.ओ., डी.एस.ई. के आर्डर हैं किताबें खरीदने के लिए और किताबें कौन-सी खरीदनी हैं? मध्यप्रदेश भूलभूत नियम, सामान्य भविष्य नियम, टी.ए. रूल्स, लीव रूल्स यानी सब गवर्नमेंट के रूल्स रेग्युलेशन्स हैं। यह प्रायमरी और हाईस्कूल के हेडमास्टरों को सप्लाई करना है और 31 मार्च निकला जा रहा है इसलिए आर्डर है कि जल्दी सप्लाई करो। मैंने सोचा ये सब गवर्नमेंट प्रेस से छपे होंगे तो उन्होंने कहा सरस्वती प्रकाशन से छपा है। यह एक ऐसा इन्स्टीट्यूशन भोपाल के अन्दर बना है कि इनके पास जो कुछ छपा हो वह खरीद लो। पता नहीं शिक्षा विभाग से उसका क्या संबंध है? तमाम बुक्स का क्लियरेन्स गवर्नमेंट मनी से, गवर्नमेंट स्कूलों के अन्दर खरीद कर किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, और एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे प्रान्त में माइनार्टी लैंग्वेज के बारे में शायद किसी माननीय सदस्य ने कहा था। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मध्यप्रदेश के अन्दर उर्दू एक शिक्षा का माध्यम रखा गया। उसको शिक्षा का माध्यम रखने के बाद उसकी पुस्तकें उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह से और भी माइनार्टी लैंग्वेज हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। हम माइनार्टी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, उस पर लोगों को कहने को हो जायेगा। कोई स्वामी ऋषिकुमार जी हैं जो संस्कृत स्कूल चला रहे हैं। रीवा के स्वामी ऋषिकुमार जी का यह पर्चा माननीय विधायकों को मिला होगा और माननीय मंत्री जी को भी मिला होगा। मैं चाहता हूँ कि स्वामीजी की सही इंक्वायरी की जाये, उस पर सीरियस इन्क्वायरी की जाये और स्वामीजी को जेल के सींखचों में भेजा जाए। संस्कृत शिक्षा के नाम पर जो पब्लिक मनी का वेस्टेज हो रहा है उसको रोका जाये। संस्कृत का उन्नयन करना ठीक है। शासकीय संस्कृत कॉलेज रायपुर में है। उस संस्कृत कॉलेज में 23 विद्यार्थी 46 मास्टर हैं। यह गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज है। कोई महंत वैष्णवदास थे उसने पैसा दे दिया था, उससे स्कूल चलाने की शर्त हो गई थी। जैसे खैरागढ़ की इंदिरा रानी थीं।

उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त।

डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र (खुज्जी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में जो माँगें हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विरोध में जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। हमारे शिक्षामंत्री जी ने काफी दिलचस्पी के साथ शिक्षा की कई समस्याओं का अध्ययन किया है और उन्होंने कई समस्याओं के संबंध में अच्छे कदम उठाये हैं और दूसरी समस्याएँ हैं उनके संबंध में भी मुझे विश्वास है कि अच्छे कदम उठाएँगे। परन्तु साथ ही साथ कोई बड़ा विभाग हो तो उसमें सब की सब समस्याएँ निपट गई हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता, समस्याएँ रहती हैं, समस्याएँ जीवन की सूचकाएँ हैं, वे सूचना देती हैं कि कई विषय ऐसे हैं जिन पर विचार करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि अगर समस्याएँ न हों तो जिन्दगी ही बेकार हो जाये। उर्दू का एक बड़ा बढ़िया शेर है—

चला जाता हूँ हँसता खेलता मौजे हवादिस से,
अगर आसानियाँ हों, जिन्दगी दुश्वार हो जाये।

अगर केवल आसानियाँ ही हों तो जिन्दगी दुश्वार हो जायेगी और उन समस्याओं में बहुत छोटी-छोटी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका हल हो सकता है, उनकी ओर संकेत देना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि शिक्षा संस्थाएँ बहुत खुली हैं लेकिन उनके अनुपात में शाला भवन तैयार नहीं हुए। हाईस्कूल खुले हैं, हायर सेकण्डरी स्कूल खोले गये हैं परन्तु भवन नहीं हैं। हाई स्कूल खोला गया तो एक कमरा बना दिया गया है या कहीं एक कमरा भी नहीं बना जिसमें कि लड़के बैठ सकें। इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ताकि लड़के वृक्षों के नीचे बैठकर विद्याध्ययन न करें। जैसे-जैसे वित्त की स्थिति हो वैसे-वैसे भवनों का भी निर्माण किया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में गत वर्ष भी कहा था कि अनेक शिक्षक ऐसे हैं जिनके पेंशन के प्रकरण पड़े हुए हैं। 20-25 वर्ष हो गये उनकी समस्या उलझी हुई है। जो देशी राज्य के शिक्षक थे वे फिर जनपद में आये और फिर शासकीय शालाओं में आ गये लेकिन उनकी पिछली सेवाओं की किस प्रकार से गणना की जाये यह निर्णय नहीं हो पाया। मेरा यह निवेदन है कि उनकी समस्या का शीघ्र निर्णय होना चाहिये। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो मर चुके हैं और जो शेष हैं उनको कुछ पेन्शन का सुख प्राप्त हो जाये, ऐसा मेरा शासन से नम्र निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात और सबसे मूल बात यह है कि हम बौद्धिक शिक्षा तो देते हैं लेकिन विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास हो इस ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है— ध्यान तो हम देते हैं, यह मैं नहीं कहता कि ध्यान नहीं देते— परन्तु जितना देना चाहिए उतना नहीं देते। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मामूली तौर से भी देखा जाये तो चारित्रिक विकास आवश्यक है। लिटरेसी के लिये कहा गया है साक्षारता। जो आदमी पढ़ा लिखा होता है उसको साक्षर कहते हैं इस संबंध में संस्कृत में एक श्लोक है—

साक्षरः विपरीतः चेत् राक्षसः एव केवलम्।
सरसः विपरीता चेत् सरसत्वं न मुंचति।

जो साक्षर यदि विपरीत आचरण करने लगे वे राक्षस ही समझिए क्योंकि वे उल्टे कार्य करने लगते हैं, कहीं एटम बम बनाना, लोगों को आतंकित करना, मास्टरों को छुरा मारना, बसें जलाना आदि परन्तु जो लोग सरस सहृदय हैं वे कहीं विपरीत आचरण करें तो सरसत्वं न मुंचति— अपनी सरसता नहीं छोड़ते। इस प्रकार के कार्य नहीं करते जिनसे समाज को नुकसान हो, समाज का अकल्याण हो, ऐसा वे नहीं चाहते। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो समाज का कल्याण करे, लोगों की कल्याण करने की कामना हो वे कल्याणकारी बनें, ऐसी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिये। इसके लिये अनेक योजनाएँ हो सकती हैं। एक योजना यह हो सकती है कि एक सांस्कृतिक, साहित्यिक, चारित्रिक एकडेमी की शिक्षा विभाग के ही अन्तर्गत स्थापना की जावे जो यह देखे कि कौन-कौन से ऐसे कार्य किये जा सकते हैं जिनसे कि चारित्रिक उन्नयन हो सकता है। यह समस्या भारत की ही नहीं है वरन् सारे विश्व की है। जब फिलिपाइन के मंत्री यहाँ आये तो उन्होंने कहा कि योग की प्रणाली हिन्दुस्थान की है जिससे कि विद्यार्थियों का चारित्रिक विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मूर्ख लोगों में से 50 प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी आपराधिक मनोवृत्ति नहीं पाई गई और पढ़े-लिखों में से 60 प्रतिशत की आपराधिक मनोवृत्ति पाई गई है और चालीस प्रतिशत ठीक रहे हैं। पढ़े-लिखे लोगों और मूर्ख लोगों में चारित्रिक दृष्टि से कितनी विषमता है। यह बड़ी विषम परिस्थिति है। हम इस प्रकार से उद्दण्ड और गुण्डे लोगों को तैयार न करें। शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। केवल दिमागी शिक्षा न देकर हृदय की शिक्षा भी दी जानी चाहिये। वैसे मुझे कहना तो बहुत था लेकिन लाल बत्ती जल रही है, इसलिये इतना ही कहकर में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री छविराम अर्गल (दिमनी, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं मैं इनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा के लिये जो पैसा माँगा गया है वह बहुत कम है। छिहत्तर करोड़ चौंतीस लाख तिरानवे हजार यह रकम मेरी दृष्टि से बहुत कम है। अन्य दूसरे विभागों में काफी खर्च किया जा रहा है उसके अनुसार शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया जा रहा है। सारे विभागों में 1 परसेन्ट की कटौती करके उसको शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। शिक्षा पर कुल बजट का 10,15 परसेन्ट ही खर्च किया जाना चाहिये,

यह कम है। शिक्षा का जो बजट है उसका 40 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर किया जाना चाहिये। प्रशिक्षण का उद्देश्य रचनात्मक हो उसे मैं मानता हूँ। चाहे वह किसी प्रकार का बेसिक प्रशिक्षण हो, विज्ञान का प्रशिक्षण हो, टेक्नीकल हो लेकिन उसका उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिये और उसको अच्छी तरह से क्रियान्वयन किया जाना चाहिये। आजकल क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया जा रहा है प्रशिक्षण का किया गया बुनियादी हकों को छीनने वाला है। जब-जब भी यहाँ पर शिक्षामंत्री जी आते हैं नीतियों की घोषणा करते हैं। वे घोषणा केवल घोषणा मात्र रह जाती हैं। उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है। मेरा यह निवेदन है कि उनका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से किया जाना चाहिये। आज जो परीक्षा प्रणाली है उसमें भी सुधार होना चाहिये। चाहे वह परीक्षा डिप्लोमा की हो चाहे नीति की हो चाहे टेक्नीकल हो। हमारे यहाँ पर मुरैना में डी.पी.आई. का फिजिक्स का पेपर जो कि 15 मार्च 1973 को हुआ वह 15, 20 पेज का था। साइक्लोस्टाइल पेपर, वहाँ पर लड़कों को पुलिस की हिरासत में रखा गया और उनकी इतनी खातिर की गई जितनी कोई अपने दामाद की करता है। एक ही जिले में यह दो प्रकार की नीति कैसी? एक ही संभाग में पेपर आउट हो गया वह पेपर मेरे पास है अगर आप कहें तो उसको मैं पटल पर रख सकता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : उसको पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है वह मेरे पास है।

छविराम अर्गल : शिक्षा मण्डल, केन्द्राध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार जिम्मेदारी नहीं समझते यह दोषपूर्ण है। इसमें सुधार होना चाहिये तथा 15 मार्च को फिजिक्स के आउट पेपर की परीक्षा निरस्त होना चाहिये, पुनः परीक्षा ली जावे तथा गलती करने वालों को दण्डित किया जावे। शिक्षकों को अधिक सुविधा देने की आज आवश्यकता है। ग्रामीण शिक्षकों को आज शहरी शिक्षकों के मुकाबले अधिक सुविधा देने की आवश्यकता है। ग्रामीण शिक्षक जो ग्रामों में कार्य करते हैं उनको ग्राम अलाउन्स दिया जाये, क्योंकि आज हरेक शिक्षक चाहता है कि उसे शहर में जगह मिले, तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण शिक्षण संस्थाएँ किस प्रकार भलीभाँति चल सकेंगी। इसलिये ग्रामीण शिक्षकों को अधिक सुविधाएँ देना आवश्यक है। शिक्षा विभाग द्वारा मेडीकल बिल तथा एरियर बिलों को तत्काल निकालना चाहिये। प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में लड़के इतनी अधिक संख्या में भरे रहते हैं कि शिक्षकगण उन पर पूरी तरह से ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वे पूरे लड़कों से परिचित तक नहीं हो पाते हैं। फिर किस प्रकार वे शिक्षा दे पायेंगे। इसके लिये मेरा सुझाव है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात एक-पच्चीस का रखा जाना चाहिए। मैं स्वयं शिक्षक रह चुका हूँ, मेरा अनुभव है कि ज्यादातर विद्यालयों में 60-70 और 80 लड़के तक एक-एक क्लास में भरे रहते हैं। इसके बारे में मंत्री जी को अवश्य विचार करना चाहिये और शिक्षण संस्थाओं का सुधार होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालयों में एक छात्रावास होना चाहिये, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हरिजन और आदिवासी बालकों के लिये माध्यमिक स्तर पर हरिजन छात्रावास होना चाहिये। इन लोगों के धनाभाव के कारण इनके लिये छात्रावास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों का जहाँ तक प्रश्न है तो आज दिसम्बर माह तक विद्यार्थियों को पुस्तकें प्राप्त नहीं हो पाई हैं। तो जब तक पुस्तकें प्राप्त न हों वे कैसे पढ़ सकते हैं। लड़के देखते रहते हैं कि कब पाठ्यक्रम की पुस्तकें आती हैं? इसलिये पाठ्य पुस्तकें शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व जून के आखीर तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिये। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निराकरण हो जायेगा। शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएँ सुरक्षित नहीं हैं जिससे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/27 मार्च 1973, पृष्ठ/ 2440-2445)

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने सदन के कई माननीय सदस्यों ने शिक्षा विभाग के विभिन्न पहलुओं पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं। मैं उनका आभारी हूँ इसलिये कि इससे यह प्रकट होता है कि शिक्षा जो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने चिन्तन किया है और उनके विचार उन चिन्तनों को व्यक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ कहने के पहले यह स्पष्ट करना चाहूँगा और जो सदन के बाहर भी मैं कह

चुका हूँ कि शिक्षा विभाग का कार्यभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया, यह केवल एक संयोग की बात है। मुझमें कोई विशेष क्षमता नहीं है कि मैं इस विभाग के संबंध में जो बहुत से माननीय विद्वान सदस्यों की अपेक्षाएँ हैं, स्वयं की अपेक्षाएँ हैं, सदैव उनके अनुरूप ही काम कर सकूँ। लेकिन इतना मैं अवश्य माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि जिन मूलभूत सिद्धान्तों की ओर, अपने विचार व्यक्त करते समय सदन में संकेत दिये गये हैं, उन संकेतों के आधार पर उनके सहयोग की अपेक्षा कर विभाग का कार्य संचालन में, सीमित शक्ति और बुद्धि से करने का अवश्य प्रयत्न होगा।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर हुई बहस और इस क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं।

पहला तो अध्यक्ष महोदय, शुद्ध शैक्षणिक क्षेत्र जिसका तात्पर्य शिक्षा की गुणात्मक विकास वस्तुस्थिति जो है और जो समस्याएँ हैं।

दूसरा अंग उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक है।

और तीसरा है जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति करने के क्षेत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब हम पहले इस पर विचार करते हैं जिसके संबंध में शिक्षा का गुणात्मक विकास और आज की स्थिति से है, तो हमें कुछ इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मोटे तौर से हमें शिक्षा की तस्वीर खींचना पड़ेगी और न केवल प्रदेश की बल्कि शिक्षा से जो विशेष संबंध रखते हैं, आज हम यह सोचने के लिये विवश हैं कि आज से 20-25 वर्षों पहले एक एग्रेरियन सोसायटी थी, उसके अन्तर्गत शिक्षा देने की अपेक्षाएँ थीं, वह प्रायः स्किल होती हैं, उनको ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढी तक लोगों को समझाने से संबंध रखता है। पिछले 25 वर्षों में विज्ञान टेक्नॉलॉजी ने जो द्रुतगामी प्रगति की है, उसके कारण से शिक्षा के दायित्व को ही एक दूसरी दिशा मिली है और जहाँ लोगों ने उसको समझने में संकोच किया है वहाँ उनको इसके नये दायित्व को सोचने पर विवश होना पड़ा है। आज हमें जो ज्ञान है, जैसा कि तीन स्तरों पर ज्ञान का अर्जन होता था, एक तो ज्ञान का आत्मसात फिर उसको समझना और फिर किसी को देना। आज जब हम अध्यक्ष महोदय, चन्द्रमा पर जाते हैं तो मानव के मस्तिष्क को इन तीनों प्रकारों से एक साथ करने में विवश होना पड़ता है। जिनकी हम कल्पना करते थे, उनका आज स्पष्ट दर्शन कर रहे हैं और जिनका दर्शन करते हैं उनकी जानकारी हमको जो क्रम है, उसके बीच की कड़ी भी समाप्त हो जाती है। जहाँ तक दूसरों को बतलाने का सवाल है, हम और आप सब जानते हैं कि ऐसे विषयों के बारे में टैक्नॉलॉजी और साइन्स का सामना कैसे करें, ऐसा तबका वह है जिनको कि इसकी जानकारी नहीं है। हमें उनको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, इसलिये जो प्रयास होंगे वे मानव के मस्तिष्क को इस नये आधुनिक परिवेश से इसको पूरी तरह से तैयार करने के लिये हो सकते हैं। इस दिशा में हमारी स्थिति क्या है यह विचारणीय है। मध्यप्रदेश में लिट्रेसी का परसेण्टेज 22.12 है। यह ऐसा ज्ञान है कि हर वर्ष हजारों स्कूल खुलते हैं और उनमें लाखों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं और कई वर्षों बाद भी अकेले प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 47 लाख छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसके पश्चात् भी हमारा परसेण्टेज ऑफ लिट्रेसी ज्ञान नहीं बढ़ा। यह मैं आपके सामने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। इसके लिये मैं यह आँकड़े आपको बतलाना चाहता हूँ कि पहले दर्जे में भर्ती हुए 100 लड़कों में से पाँचवें दर्जे तक पहुँचने तक वे केवल 34 लड़के रह जाते हैं अर्थात् 66 पसरेण्ट हमारे बच्चे पाँचवें दर्जे में पहुँचते ही नहीं हैं और इसके दो ही कारण हैं एक तो आर्थिक, आर्थिक विषमतायें हमें मजबूर करती हैं कि बच्चे पास नहीं हुए उनको घर के काम काज में लगावें। दूसरा यह है कि हम शायद उस स्तर पर बच्चों के लिये उचित मात्रा में या उचित तरीके से जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों का कहना है, अध्यापन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ हमारी जो प्रणाली है, उसमें दोष है। अध्यापन का जहाँ तक सवाल है, देश का और प्रदेश का जब स्तर ऊँचा उठेगा तो इसका भी असर पड़ेगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे दर्जों में बच्चों के फेल होने पर कुछ बच्चे स्कूलों में जाना बन्द कर देते हैं, यही कारण है कि अभी पहले, दूसरे, और तीसरे दर्जे में इम्तहान समाप्त किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश के गुणात्मक विकास के संबंध में सुझाव आये हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाये कि जिससे पढ़ने के बाद नौकरियाँ लोगों को प्राप्त हो सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा श्री महेश जोशी ने लार्ड मेकाले

का उदाहरण दिया। जहाँ तक नौकरी के लिये शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली का प्रश्न है, वह तो अभी भी चल रहा है, यह अलग बात है। उन्होंने बाबुओं के लिये किया था लेकिन हम तो अनेक प्रकार के कार्यों में नौकरियों के लिये कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि शिक्षा प्रणाली में जो सुधार हो, जो उसमें कण्टेण्ट हो, वह लोगों को नौकरी के लिये उपयुक्त बनाने की बजाये उनको जीविकोपार्जन के अनेक प्रकारों के लिये इस प्रकार से उनको प्रशिक्षित करें कि जिससे अधिकांश को नौकरी करने का मौका मिले। इस प्रकार से हमारी एप्रोच होना चाहिये कि न केवल नौकरी पाने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा प्राप्त की जाये, बल्कि इस प्रकार की योग्यता प्राप्त की जाये कि हर क्षेत्र में काम कर सकें। यह हमारा प्रयास होगा कि अगले पाँच वर्षों में प्रदेश के औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सर्वे करके जहाँ-जहाँ जिस-जिस प्रकार की आवश्यकता हो, विभिन्न भागों में इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के साधन और माध्यम तैयार कर सकें ताकि हमारे प्रदेश के शिक्षित नवयुवक स्वयं अपने काम में प्रशिक्षण प्राप्त कर लग सकें और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम पा सकें।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, पहलू है न्यूनतम आवश्यकताओं का। संविधान में हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी डाली है जो कि बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिये थी और अभी तक नहीं हुई है जो कि बहुत चिन्ता का विषय भी है और वह है कम्पलसरी प्राइमरी एज्यूकेशन। जो कि छः से लेकर ग्यारह वर्ष की उम्र के बच्चों को मिलनी चाहिये। अब प्रयास इस दिशा में इस प्रकार होगा कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हम छः और ग्यारह वर्ष के ग्रुप को सौ प्रतिशत शिक्षा देने के लिये सक्षम हो सकें। इसके लिये अगले वर्ष 73-74 में जिसके लिये ये माँगें प्रस्तुत की गई हैं, चार हजार नई प्राथमिक शालाएँ खोलने का प्रस्ताव है। अभी प्रदेश के लगभग 28,405 ग्रामों में शालाएँ नहीं हैं। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनमें से 21 हजार ग्राम शालाओं से युक्त हो जाएँगे और बाकी जो 5-6 हजार की संख्या बचती है वे ऐसे ग्राम हैं जो बड़े ग्रामों के नजदीक के हैं और उनके लिये वहाँ के छात्रों को सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी कि वे नजदीक के बड़े ग्रामों से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से माध्यमिक क्षेत्र में 11-14 का जो एज ग्रुप है, पाँचवी वर्ष योजना के अन्त तक इस ग्रुप को कवर करने का है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, 73-74 में 650 नई माध्यमिक शालाएँ खोलने का लक्ष्य है, जो हमारी मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे। प्रशासनिक ढाँचे के बारे में भी कहा गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता और माननीय सदस्यों के कथन से असहमति भी प्रकट नहीं कर सकता। शिक्षा विभाग के प्रशासन के ढाँचे में सुधार की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि और भी कई कार्य करने की आवश्यकता है। अब ये क्यों और कैसे हुआ, उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना उपयुक्त न होगा, क्योंकि जो भी निर्णय पहले लिये गये, और इन निर्णयों का आधार किसी निश्चित सिद्धान्त के आधार पर नहीं, तदर्थ आधार पर किये गये। मैंने अलग-अलग विषय पर उन विषयों के आधार पर जानकारी लेने की चेष्टा की ताकि कोई निश्चित पॉलीलेड डाउन हो सके, परन्तु अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि देखने से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सका। माननीय सदस्य इस पृष्ठभूमि में नीति निर्धारण की बात चाहते हैं तब इस बात को अस्वीकार करना पड़ेगा। जब भी नीति निर्धारित की जाये तो उस नीति के आधार पर ही निर्णय लिये जायें। पिछले समय में जो भी तदर्थ आधार पर निर्णय हुए चाहे प्रमोशन के संबंध में, चाहे अपाइण्टमेंट के संबंध में, जिन पर माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये, उन पर कदम उठाना होगा। दूसरी बात अभी प्रशासन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्यों ने उठाये। पदोन्नति और ट्रान्सफर के संबंध में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर के नियम तो बने हुए हैं, सभी शासकीय कर्मचारियों के लिये और वे सब पर लागू होते हैं, लेकिन संयोग से सबसे ज्यादा कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं, इसलिये वे जनता की निगाह में आते हैं, जो उचित भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह उचित समझूँगा कि शिक्षकों का स्थानान्तर साधारणतया नहीं होना चाहिये। यह कोई प्रशासनिक कर्मचारी तो हैं नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा, आप और हम जब पढ़ते थे, जो पढ़ाने वाले शिक्षक पढ़ाते थे वे उसी स्कूल से रिटायर होते थे, उनको गर्व भी होता था। इसलिये मैं समझता हूँ, शिक्षा विभाग में शिक्षकों का स्थानान्तरण साधारण तौर पर नहीं होना चाहिये। यदि उसका स्थानान्तर होगा तो किन-किन आधारों पर होगा, और वह आधार मोटे तौर

पर हैं— किसी शाला या विद्यालय की आवश्यकता की पूर्ति के लिये, पदोन्नति के लिये, शिकायत होने पर और मानवीय आधार पर। ये चार मुख्य मान्यतायें होंगी जिनके आधार पर हम स्थानान्तर के प्रकरणों को देखेंगे। जहाँ तक पदोन्नति का सवाल है, जैसा अष्ठाना साहब को मालूम होगा, कोई भी विभाग पदोन्नति के संबंध में सही निर्णय नहीं ले सकता, जब तक विभाग की वरिष्ठता सूची सब को मालूम न हो। जहाँ तक इस संबंध में एज्यूकेशन कोड या संहिता का प्रश्न है, उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि जून की तीस तारीख तक शिक्षा संहिता को प्रकाशित करके लागू कर दें। जहाँ तक ग्रेडेशन लिस्ट या सीनियारिटी लिस्ट का सवाल है, उसमें लेक्चरार की जो सीनियारिटी है, हायर सेकेण्डरी स्कूलों की, उसको बना लिया गया है और बहुत जल्दी प्रकाशित कर दिया जायेगा। जहाँ तक यू.डी.टी. की सीनियारिटी का लिस्ट सवाल है, जैसा रमेशजी दुबे ने कहा, संभाग स्तर पर अभी तक अलग-अलग बनी हैं। जब इनसे प्रमोशन के लिये व्याख्याताओं के पद पर लेते हैं तो इनकी राज्य स्तर पर सीनियारिटी लिस्ट बननी चाहिये तभी अलग-अलग जगहों में जो गड़बड़ी होती है, जिससे शिक्षकों और जनता को शिकायत करने का मौका मिलता है, वह समाप्त होगा। 31 जुलाई, 1973 तक राज्य यू.डी.टी. की सीनियारिटी लिस्ट घोषित कर देंगे। हर एक जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में शिक्षकों और जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये एक निवारण केन्द्र, सेल, बनाया जायेगा ताकि बहुत सी शिकायतें जो माननीय सदस्यों को यहाँ लानी पड़ती हैं या शिक्षकों को करनी पड़ती हैं उसका उस स्तर पर निराकरण किया जा सके। दूसरा प्रशासनिक ढाँचे का प्रश्न है, जिसका उल्लेख अष्ठानाजी, हरिभाऊ जोशी और सदन के बाहर जो चर्चा का विषय है, वह है जनपदों को शिक्षा विभाग से माध्यमिक तथा प्राइमरी शालाओं का स्थानान्तरण। इस संबंध में, मैं शासन की उस नीति को पुनः दोहराना चाहता हूँ, जिसका उल्लेख राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया था कि शासन के प्रत्येक विभाग का विकेन्द्रीकरण जनतंत्र को मजबूत करने के लिये आवश्यक है। इस दिशा में जो कार्यवाही करनी है, उसका लक्ष्य स्थापित किया गया है, शिक्षा विभाग के लिये और विभागों के लिये 1 जून 1973। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूँगा कि 1 जून 73 को प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के संबंध में इन्स्पेक्शन के स्थानीय व्यवस्था करने के और शालाओं के विकास संबंधी जितने प्रकरण हैं, वह सब जनपद पंचायतों को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। जहाँ तक शिक्षकों के वेतन, नियुक्ति और ट्रान्सफर का प्रश्न है, वह दिनांक 1-6-73 को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, ये मोटे तौर से कुछ प्रशासनिक प्रश्न थे, जिनके संबंध में माननीय सदस्यों ने .....

श्री भूरेलाल फिरोजिया : हमारे यहाँ दो-एक शिक्षक 12-14 महीने से सस्पेण्ड पड़े हैं, न आप कार्यवाही कर रहे हैं न डी.एस.ई. कार्यवाही कर रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मोटे तौर से शिक्षा के क्षेत्र में राजनैतिक प्रभाव के बारे में कुछ आरोप लगाये गये, उस संबंध में मेरा निवेदन है कि शासन का कतई इरादा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का राजनैतिक प्रभाव बीच में लाया जाये। आज ही मैंने एक विधेयक यहाँ पर पुनः स्थापित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान देकर राजनीति चलाई जाती है, वह समाप्त की जाये और केवल गुण-दोष के आधार पर अनुदान दिया जाये।

ACC. NO. 26923 Date.....

उपाध्यक्ष : जब तक अत्यधिक लोक महत्व का प्रश्न न हो तब तक बीच में सदस्यों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री सुशील बहादुर अष्ठाना : अध्यक्ष महोदय, विभाग के समस्त अधिकारियों के पास जीपें हैं, किन्तु जिला शिक्षाधिकारी के पास दौरे के लिये जीप नहीं है।

उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य बार-बार खड़े होकर बीच में बोलने का प्रयास करेंगे तो मैं इसे अपनी व्यवस्था का उल्लंघन समझूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : जो एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और जिसकी ओर समय-समय पर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है, वह है विद्यार्थियों की समस्या। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में, मै बिना किसी के ऊपर दोषारोपण किये हुए, यह अवश्य कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों की समस्या समाज की समस्या है, कोई यह कहे कि विद्यार्थियों की समस्या कोई अलग है, समाज की समस्या से और यदि इस दृष्टिकोण से विचार करना शुरू करेंगे तो हमारा परिणाम गलत निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको विदित है, मुख्यमंत्री जी इस संबंध में 6-7 महीनों से एक नीति संबंधी

निर्णय लेकर इस दिशा में अग्रसर हुए और यह कहते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों ने उस भावना को जिस भावना से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री जी ने नीति बनाई है— समझा है और उस स्तर पर इस प्रदेश के अन्दर जो विद्यार्थियों की समस्याएँ हैं, उनके निराकरण में हम आपसी बातचीत के द्वारा हल करने में सफल रहे हैं और कई मानों में सफल रहे हैं। इस संबंध में, मैं विस्तार में इसलिये नहीं जाना चाहता क्योंकि शिक्षा संबंधी जो विधेयक आने वाले हैं, उन पर चर्चा करते समय प्रकाश डालूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये दो-एक प्रश्न जो बोर्ड से संबंधित भ्रष्टाचार के बारे में हैं, उनका उल्लेख जो यहाँ किया गया है, श्री अजीज कुरेशी और सुधीर मुखर्जी ने बोर्ड के संबंध में कुछ कहा है और श्री अजीज कुरेशी जी ने एक विशिष्ट प्रकरण का उल्लेख किया है, मैं चाहता था कि उस प्रकरण का सदन में उल्लेख न करना पड़े, परन्तु चूँकि श्री कुरेशी जी ने उसका उल्लेख किया है, इसलिये जो मेरे पास जानकारी है, यद्यपि उससे वे पूर्ण संतुष्ट नहीं होंगे और अन्य सदस्य भी संतुष्ट न होंगे, फिर भी उस संबंध में, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मिस देसाई का जो प्रकरण है, उससे संबंधित कागजात मैं बोर्ड से मँगा लूँगा और माननीय सदस्य और विरोधी दल के कोई सदस्य बैठकर उनको देख लें। दो हजार व कितने माँगे, यह प्रश्न अलग है। जो निर्णय लिया गया है या जो वस्तुस्थिति है, उस प्रकरण में वह क्या है, इसके बारे में तो दो मत हो ही नहीं सकते। मैं यह चाहता हूँ कि आप और विरोधी दलों में से कोई एक सदस्य बैठकर उन कागजातों को देख लें और जो निर्णय लिया गया है अगर उसके विपरीत निर्णय लिया जा सकता है तो उसके संबंध में बोर्ड को सिफारिश कर देंगे।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के अकाउण्ट्स के संबंध में सदन में चर्चा की गई। बोर्ड का हिसाब प्रदेश के विभिन्न बैंकों में है और उसकी वजह से रिकन्सीलिएशन ऑफ अकाउन्ण्ट्स में काफी देर हुई है और मैंने बोर्ड के अध्यक्ष से उसके संबंध में कहा है कि ऐसे जितने भी प्रकरण हैं, एक जून तक उनका रिकन्सीलिएशन हो जाना चाहिये और अगले तीन-चार महीनों में रिकन्सीलिएशन की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जानी चाहिये, तभी सही स्थिति मालूम हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, एडमीशन रिजेक्शन का जहाँ तक सवाल है, चार-पाँच हजार छात्रों को कार्ड नहीं दिये गये हैं। वस्तुस्थिति यह है कि सन् 1973 में केवल 1,538 ऐसे छात्र हैं जिनको एडमीशन नहीं दिये गये हैं उनका कारण यह है कि पहले तो यह प्रथा थी कि कार्ड दिये जाते थे और इम्तहान पास होने के बाद इम्तहान कैन्सिल कर दिये जाते थे, पात्रता न होने के कारण। मैं समझता हूँ छात्र और बोर्ड के हित में यह उचित होगा कि इम्तहान में बैठने के पहले सब बातों का परीक्षण कर लिया जाये। 1971 में 727 कार्ड रिजेक्ट हुए थे और 1,771 छात्रों के इम्तहान कैन्सिल किये गये, इसलिये यह प्रक्रिया अपनाई गई है। फिर भी उन छात्रों के बारे में विचार किया जायेगा जिनके कार्ड न पहुँचने के कारण वे परीक्षा में नहीं बैठ सके, एक पेपर देने के बाद इनके संबंध में विचार करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही प्रदेश में दूर-दूर तक कार्यरत जितने हमारे शिक्षक बन्धु हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। वे ऐसे कार्य में लगे हुए हैं, जो राष्ट्र के उन्नयन से सीधा संबंध रखता है और शासन की दृष्टि में प्रत्येक शिक्षक है चाहे उनके वेतनमान में भिन्नता हो, उनके कार्यक्षेत्र में भिन्नता हो सकती है। इन सबके बावजूद वह शिक्षक है, इसको हम स्वीकार करते हैं। उसको समाज में इसी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिये। प्रतीकात्मक रूप से जो विभिन्न श्रेणिया हैं, उच्च और निम्न श्रेणी शिक्षकों के रूप में, मैं समझता हूँ कि उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी शिक्षकों का उल्लेख करना उचित नहीं है। जो निम्न श्रेणी शिक्षक हैं वे सहायक शिक्षक कहलायेंगे और जो उच्च श्रेणी शिक्षक हैं वे शिक्षक कहलायेंगे। यह उच्च और निम्न का भाव शिक्षा के क्षेत्र में न रहे इसलिये ऐसा किया गया है। इन शब्दों के साथ में सबही माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे माँगों को पास करेंगे।

उपाध्यक्ष : अब मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूँगा। प्रश्न यह है कि माँग संख्या 24 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें?

(कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए)

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को अनुदान संख्या 24—शिक्षा के लिये छिहत्तर करोड़ चौंतीस लाख तिरानवे हजार रुपये तक की राशि दी जावे। (माँगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/27 मार्च 1973/पृष्ठ 2457-2463)

2 अप्रैल 1973 को शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक (क्रमांक-1, सन् 1973) पर विचार किया जावे। इस विधेयक पर चर्चा 3 अप्रैल को भी पूर्वानुबद्ध हुई। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक था, जिसके माध्यम से राजनैतिक दबावों से ऊपर उठकर विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता की रक्षा करते हुए उच्च शिक्षा का विस्तार करना था। सत्तापक्ष के ही नहीं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने भी इस विधेयक की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए श्री अर्जुनसिंह को बधाई दी और कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिये। श्री अर्जुनसिंह ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तत्परता से काम करने के अपने संकल्प को दुहराया। विधेयक पारित हुआ। तीन अप्रैल की चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) : अध्यक्ष महोदय, कल प्रस्तुत शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक का मैंने स्वागत करते हुए अपना भाषण प्रारम्भ किया था। मैंने कल यह बात कही थी कि इस प्रकार के अनुदान आयोग की जरूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। जितनी तेजी से महाविद्यालयीन शिक्षा का विस्तार हुआ है, जितनी तेजी से अशासकीय शिक्षण संस्थाएँ इस क्षेत्र में आ रही हैं, अगर उनके बारे में ज्यादा न बोला जाये तो भी इन सबको नियमन करने के लिये आयोग का गठन आवश्यक था। हमने प्रदेश में देखा, महाविद्यालय दबाव के कारण खुलने, विषय विशेष की कक्षा खुलने और केवल इतना ही नहीं, इस प्रदेश में यूनिवर्सिटी भी व्यक्तिगत स्वार्थों या वादों को पूरा करने के नाम पर या क्षेत्र विशेष के राजनैतिक दबावों के कारण खुलने की परम्परा बन गई थी। यह बड़ा सामयिक कदम था कि इन सब की छानबीन हो जाये और कोई महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट की स्टॅडी प्रारम्भ हो, इसको देखा जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं पोस्ट ग्रेजुएट के विभिन्न विषयों को खोलने के बारे में जो विधेयक आयेगा उस पर अपने विचार रखूँगा। उसमें यह जरूरी है, हमको यह निर्णय कर लेना होगा कि या तो स्कूल ऑफ स्टॅडीज के द्वारा अध्ययन हो या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की अनुमति देते हैं तो इस मामले में एक्सपर्ट की ओपीनियन के सिवा नया बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। मैंने ऐसे महाविद्यालय देखे हैं जहाँ एक विषय किसी विशिष्ट राजनैतिक दबाव के कारण खोल दिया गया किन्तु वहाँ ठीक से पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुई। मैं इससे अच्छा यह समझूँगा कि यूनिवर्सिटी अपने स्कूल ऑफ स्टॅडीज को, अपने इंटर ऑफ टीचिंग को अन्य-अन्य स्थानों पर कर दें लेकिन अच्छी जगह खोला जाता है तो उस पर नियमन लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि यह आपने जो आयोग की संख्या 3 रखी है, अगर 3 की जगह 5 रखते तो ज्यादा ठीक होता। यह 5 की संख्या कुछ विभिन्न एक्सपर्ट्स, प्रशासकीय एक्सपर्ट्स, साइन्टिस्ट या टेक्नीकल स्टेजेज के हिसाब से समायोजित होती तो ठीक होता। उनको विशिष्ट नैपुण्य के आधार पर रखा जाता तो अधिक अच्छा होता। आप सचिव जो रखना चाहते हैं वह किस स्तर पर रखना चाहते हैं, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी जो आयोग तय करेगा वह होंगी। प्रशासनिक केटगरी 3-4 हैं, कौन-सी रखना चाहते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्या रखना चाहते हैं। आपने कर्मचारियों के बारे में कहा है कि आयोग उनकी सेवा शर्तें तय करेगा। आप इसमें एक डायरेक्टिव जोड़ सकते थे, वह किसी भी हालत में शासकीय कर्मचारी को दी जाने वाली सुविधा से कम न होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्येक मामले में तो बोल नहीं सकता लेकिन आपने जो आखीर में शास्ति का प्रावधान रखा है कि जो व्यक्ति आयोग की अनुमति के बिना संस्था चलायेगा उसको 6 महीने की सजा या 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड दिया जावेगा। आपने जो दण्ड का प्रावधान रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। गैर सरकारी क्षेत्र में जो दुकानदारी चल रही है, वह बन्द होनी चाहिये। अगर आप इसे बन्द कर पायेंगे

तो यह आपका प्रावधान बुरा नहीं है। पहले राज्य शासन को सूचित किया जायेगा। राज्य शासन का कोई अधिकारी तय करेगा कि उस पर केस चलाना है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शंका की स्थिति पैदा करके रखने का प्रयास तो नहीं है। इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। अगर उनको बचाने का प्रयत्न होगा तो दुकानदारी बन्द नहीं कर पायेंगे। खर्चे के मामले में आपने कहा है, मेरे हिसाब से खर्चा अधिक ही होगा। जो कुछ आपने स्वरूप रखा है और आयोग से जो काम अपेक्षित कर रहे हैं, आपका जो विद्यालयीन काम है इसका तीन चौथाई से अधिक काम इधर आयेगा अगर उस आयोग में यह सारा काम और जिम्मेदारी वेष्टित होगी तो इस खर्चे से आपका काम पूरा नहीं होगा। यह एक प्रयोग है। इसको प्रदेश में सफलता से चलाना चाहते हैं और इस भावना से मैं इसका समर्थन करता हूँ।

डॉ. बल्देवप्रसाद मिश्र (खुजी) : मा. अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक जो सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरा यह अनुभव है कि कॉलेज स्थापित होती है, जहाँ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं, वे ऐसे रहते हैं कि उनकी निगाह अपने क्षेत्र के बाहर बहुत कम जाती है। वे समझते हैं कि उनके क्षेत्र में हर प्रकार का इन्तजाम होना चाहिये। पुराने जमाने में, मुझे मालूम है, यह नीति रहती थी कि एक विश्वविद्यालय में किसी विशिष्ट विषय पर विशिष्ट पढ़ाई होती थी और उस पर काफी व्यय किया जाता था। यदि किसी को किसी विशिष्ट विषय में शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो वह उस विशिष्ट विश्वविद्यालय में जाता था और इसीलिये कहा जाता था कि यदि अमुक विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करना है तो अमुक विश्वविद्यालय में जाओ। परन्तु आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक प्रकार की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई हो और उसका परिणाम यह होता है कि हर प्रकार की पढाई की व्यवस्था हर विश्वविद्यालय में होने से व्यय भी अधिक होता है और विद्यार्थी भी सामान्य स्तर के निकलते हैं। इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि नियमानुसार व्यवस्था हो और पढ़ाई का विशेष प्रबन्ध हो तो उससे विद्यार्थियों को भी लाभ होगा और व्यय में भी कमी हो सकती है।

मा. अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने प्रायवेट कालेज खोल रखे हैं वे यह समझते हैं कि हमारा नाम होगा और लोग वाहवाही करेंगे कि अमुक व्यक्ति या संस्था ने इतना अच्छा काम किया है। वे बात तो बहुत करते हैं परन्तु उनकी भावना प्रायः अच्छी नहीं होती। इसमें गड़बड़ी यह होती है कि आगे चलकर कॉलेज नहीं चलता, संस्था नहीं चलती, पैसे की कमी हो जाती है तो या फिर सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं या फिर शिक्षकों से कहते हैं कि चार-छः महीने बाद इकट्ठा वेतन दे देंगे और इसके पश्चात् प्रबन्धकों पर कर्ज लद जाता है और पढ़ाई भी नहीं हो पाती, इस प्रकार की अव्यवस्था कई जगह होती है। कहीं-कहीं शिक्षकों को 100 रु. वेतन देते हैं और 200 की रसीद लिखा लेते हैं। यह अतिरिक्त राशि प्रबन्धक या तो अपनी संस्था के खर्च में लेते हैं या फिर व्यक्ति ही संस्था बन उसका व्यय कर लेता है। इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आयोग बनाया गया है इसमें तीन सदस्य रखे गये हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी जो सलाहकार समिति होती थी वह भी इसी प्रकार 2-3 आदमियों की होती थी और उसमें अनुभवी लोग रहते थे। इस आयोग में अनुभवी लोग रहेंगे जो शासन को सलाह देंगे। मैं समझता हूँ कि इससे काम अच्छा चलेगा और वे किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के संबंध में उसकी छानबीन करेंगे, रिपोर्ट देंगे किसको कितना रुपया देना चाहिये और हर संस्था को व्यक्तिगत रूप से भी देखेंगे। इस प्रकार का जो आयोग बनाया जा रहा है उच्च शिक्षा के लिये इससे सुन्दर व्यवस्था रहेगी। पहले सब काम का भार शासन के ऊपर रहता था और विश्वविद्यालय यह सोचते थे कि जिनको शिक्षा का यथावत् ज्ञान नहीं है वे हमारे ऊपर नियंत्रण करते हैं। यह जो अनुदान बनेगा इसमें तीन शिक्षाविद् आदमी रहेंगे जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का निरीक्षण, परीक्षण करता रहेगा और शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। मैं समझता हूँ कि इससे उच्च शिक्षा का कार्य अच्छा होगा। इस विधेयक का समर्थन होना चाहिये। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री श्रीनिवास तिवारी (मनगवाँ) : अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक, 1973 का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक की आवश्यकता तो बहुत पहले से थी और माँग भी की जा रही थी

लेकिन यह अब आया है। बहुत अच्छा है। इस विधेयक में जो प्रावधान है उन प्रावधानों पर विचार करते हैं तो एक-दो बात मुझे मंत्रीजी से कहना है। एक तो यह कि अभी जो शिक्षा संस्थाएँ हैं अगर वे कोई विद्यालय खोलना चाहती हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होती है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्था यदि कोई विद्यालय खोलना चाहती है तो उसको आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करना होगी। यह बात बहुत उचित है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि विश्वविद्यालय यह कहे कि उसको हम से भी सम्बद्धता लेना चाहिये। इस प्रकार से किसी शिक्षण संस्था को दो स्थानों से सम्बद्धता प्राप्त करना होगी। विश्वविद्यालय से भी और आयोग से भी। एक ही प्रकार के अधिकारों का प्रयोग दोनों करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि विश्वविद्यालय विधेयक में भी इसका कोई ज्यादा साफ प्रावधान नहीं दिया गया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसा कोई प्रावधान मेरे देखने में नहीं आया है। लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे, जब वह आयेगा। आयोग के मुख्य कार्य दो-तीन होंगे अगर कोई शिक्षण संस्था विद्यालय खोलना चाहती है तो उसको आयोग से अनुमति लेना होगी, दूसरा यह है कि यह संस्था विद्यालय खोलने लायक है भी या नहीं। तीसरे यह है कि उनका पालन पोषण करना अनुदान आदि दिलाना यही दो-तीन मुख्य कार्य हैं जिसके लिये आयोग बना है। लेकिन इस बात को साफ कर दिया जाये कि विश्वविद्यालय फिर सम्बद्धता नहीं देगा। यदि मंत्री महोदय ने साफ कर लिया है तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। इसके साथ ही साथ मुझे यह निवेदन करना है कि इसकी जो धारा 13 (ङ) उसमें लिखा है "उच्च शिक्षा के लिये किसी शिक्षण संस्था की स्थापना पर तथा ऐसी संस्था को किसी विश्वविद्यालयके विशेषाधिकार दिये जाने पर और उपाधि स्तर पर अध्यापन कराये जाने वाले विषयों में कोई नवीन विषय बढ़ा कर या स्नातकोत्तर कक्षाएँ खोलकर या बढ़ाकर किसी महाविद्यालय के क्रियाकलापों में किये गये विस्तार पर अपना अनुमोदन दे सकेगा।" अगर इसको धारा 23 के साथ पढ़ा जाये तो इस प्रकार है— "(1) प्रत्येक व्यक्ति जो उच्च शिक्षा के लिये कोई शिक्षण संस्था स्थापित तथा प्रशासित करना चाहता हो ऐसी शिक्षण संस्था संस्थापित करने तथा प्रशासित करने के लिये अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु उस विद्या-सत्र के जिससे कि ऐसी संस्था आरम्भ करना प्रस्थापित है।"

इस प्रकार से ये दो प्रावधान हैं जिनसे कुछ ऐसे प्रयत्न किये गये, ऐसी शंका हमको मिलती है। तो दरअसल यह जो विधेयक है उसकी मंशा या तो साफ नहीं है या फिर बहुत अच्छी तरह से साफ करने की कोशिश नहीं कीगई है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हमें अनुमोदन करने का अधिकार है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बिना अनुज्ञा के कोई संस्था चलेगी नहीं।आप कहेंगे कि वह तो दूसरी बात कह रहे हैं, नवीन कक्षाएँ खोलेंगे उसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कहना है कि शिक्षा में आप भेद न रखें आप सारे अधिकार दें, तभी, मैं समझता हूँ कि एकरूपता रहेगी और कोई गुंजाइश न रहेगी, वरना रोज-ब-रोज इस तरह के झमेले शासन के पास आयेंगे, आयोग के पास आयेंगे और आपको उसके निर्णय में उलझे रहना होगा।

{उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायणप्रसाद शुक्ला) पीठासीन हुए}

ऐसी ही दो-चार बातें हैं जिनके बारे में मुझे कहना था लेकिन समय ज्यादा न होने से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जिस उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया है वह अच्छा है और इसका समर्थन होना चाहिये, लेकिन इसमें जो बहुत-सी बारीकियाँ हैं उन पर विचार कर लें तो अधिक अच्छा है।

श्री रघुनाथराव मंडलोई (निसार खेढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षामंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक 1973 का समर्थन करता हूँ, हमारे प्रदेश के लिये एक लम्बे अर्से से इसका इन्तजार था और आज हमारे शिक्षामंत्री ने इसे प्रस्तुत किया इसके लिये वे साधुवाद के पात्र हैं। हमारे प्रदेश में जिस तरह से यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ है और उसके अन्दर जो एक को-ऑर्डिनेशन होना था उसके न होने के कारण हमारे शिक्षण का स्तर जो दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उसके मापदण्ड के अनुसार यदि देखा जाये तो हम बहुत पीछे जाते हैं। आज हमारे शिक्षा का स्तर ऐसा हो गया है कि जैसे हम एक ही चीफ इंजीनियर से कहें कि एक आठ बाई पाँच का कमरा बनाना है तो उसमें क्या-क्या कितना मेटीरियल लगेगा इसका सब नक्शा बनाकर दो, तो

वह नहीं दे सकता। इसी प्रकार ऑटोमोबाइल इंजीनियर को एक मोटर गाड़ी पचास मील चलाने को दें तो वह दस-बीस जगह तो एक्सीडेन्ट कर ही देगा। इस प्रकार हमारे आज के शिक्षा स्तर को उठाने के लिये जो यह प्रावधान किया गया है वह जरूरी है। इसको हम किस प्रकार और आगे बढ़ा सकें इस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिये। हमारे शासन ने जो कभी-कभी आयोग बनाये हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि विशेष व्यक्तियों के लिये ही वे आयोग बनाये गये हैं और शासन की रीति नीति के बदलने के साथ अथवा शासन के बदलने के साथ ही वे आयोग भी बनते बिगड़ते रहते हैं, यह बहुत खतरनाक मुद्दा है। इनका मापदण्ड ठीक तरह से रखेंगे तभी यह आगे सफल होगा वरना हम इसे डिफीट कर देंगे ऐसी हमारी मान्यता है। इसमें ऐसे व्यक्ति लें जिनका शिक्षा के स्तर में उच्च स्थान हों, चरित्रवान हों। यह नहीं कि दो-चार किताबें लिखी हों या दो चार मंच पर भाषण दिये हों ऐसे व्यक्ति ले लें।

मैं यही बात शासन के सामने रखना चाहता हूँ और शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह को देख रहा हूँ कि शिक्षा के अन्दर आमूल परिवर्तन के लिये दिन और रात वह कदम बढ़ा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जिस पवित्र भावना के साथ हमने ये पत्रे लिखे हैं ठीक वही भावनाएँ क्रियान्वयन के समय भी रहें और अपने कर्त्तव्यों का पालन करें ताकि यह आयोग पूर्ण रूप से सफल हो यह कहते हुए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री सुधीर मुकर्जी (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं। लेकिन होना यह चाहिये कि आज अनुदान के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है उसकी जगह होना यह चाहिये था कि आज की उच्च शिक्षा पूरी तौर पर शासकीय हाथों में ले लेना चाहिये और हायर एजूकेशन प्रायवेट इन्स्टीट्यूशन के हाथों में रखना आज की स्थिति में गलत है। उच्च शिक्षा पूर्ण रूप से शासन के हाथों में होना चाहिये थी चूँकि शासन अपने हाथ में नहीं ले रहा है और वह दर्म्यानी कदम है इसलिये हम इसका समर्थन करते हैं। इस विधेयक में जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने शंका जाहिर की कि उसमें आयोग के गठन में आपने सुविख्यात शिक्षाविद् होगा यह लिखा है तो यह आयोगाध्यक्ष कहीं उसी प्रकार से जैसे कि जिसको मिनिस्टर नहीं बना सके तो उसको प्रख्यात शिक्षाविद् नाम देकर उसके अध्यक्ष पद पर उसको बिठा दिया तो वह उचित नहीं होगा। शिक्षाविद् के नाम पर जो प्रावधान रखा गया है ईमानदारी से ऐसे व्यक्ति को शासन रखे क्योंकि तीन व्यक्तियों का आयोग बनेगा यदि उनकी बोर्ड हो तो ठीक नहीं तो जिस समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं उस समस्या का समाधान करने की जगह असंतोष बढ़ाने में आप कामयाब होंगे। आयोग के इख्यारात के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आयोग हम इसलिये चाहते हैं कि हायर एज्युकेशन एक दुकानदारी न हो। आज ठीक तौर पर सोच-विचार करके एक संस्था कायम करना चाहिये इस तरह से तो आयोग की अहमियत है लेकिन यदि यह आयोग विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी पर उसके परफार्मेन्स में दखल देने लगे तो वह खतरनाक बात होगी। में क्लाज 13 (2) कख-क- की ओर ध्यान आकर्षित करूँगा कि यह क्या बात है कि किसी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिये शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालयीन शिक्षण के सुधार के लिये आवश्यक सिफारिश कर सकेगा, यह आयोग विश्वविद्यालय को सिफारिश करेगा उस समय क्या होगा यदि कोई सिफारिश न मानी गई? तो अनुदान बन्द कर सकते हैं तो विश्वविद्यालय की जो एकेडेमिक काउन्सिल है वह सुप्रीम बॉडी है और उसको ये तीन व्यक्ति डिक्टेट करेंगे यह यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर जबरदस्त घुसपैठ है जो गलत परम्परा कायम करेगा और ऐसी परम्परा बन जायेगी तो शासन के हुक्म से पूरा काम करने के लिये विश्वविद्यालय मजबूर होगा। यह प्रावधान इसलिये हटा देना चाहिये और उसमें उचित संशोधन करना चाहिये। इन सुझावों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी (सागर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह जी को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूँ कि उन्होंने अंततोगत्वा यह महसूस किया है कि शिक्षा की घुड़सार में काफी बदबू है। शिक्षा की घुड़सारों से जो हिनहिनाहट हमारे कानों में आ रही है उससे स्पष्ट है कि उसमें किसी तरह से सुधार करके ऊँचा स्तर लाने की भारी जरूरत है, परिवर्तन करने की उनकी जो इच्छा है वह पूरी करने की कोशिश की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित् रूप से जो आज हमारे प्रदेश में अनेक विश्वविद्यालय हैं, 10 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। हम जब अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हैं तो यह महसूस करते हैं कि स्थानीय पेट्रोरियज को लाकर जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के विकास के प्रस्ताव शासन के सामने आते हैं उनकी पूर्ति करना शासन के लिये दिक्कत तलब होता है। जगह-जगह छोटे-छोटे कॉलेजेज स्थानीय भावनाओं से प्रेरित होकर लोगों ने स्थापित कर दिये हैं। उन्हें परमीशन मिल गई, मान्यता मिल गई और उनमें से अधिकांश कॉलेजेज जिनको उच्च शैक्षणिक स्तर पर जो कार्य करना चाहिये था वह न करके वे केवल दुकान बन गये हैं। उनमें से अधिकांश कॉलेजेज शासन पर बोझ बन गये हैं और विकास के लिये सहायता माँगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह देखा है कि हमारे प्रदेश में ऐसे भी कॉलेज स्थापित हो गये हैं जिनको शासन द्वारा 35-35 और 40-40 हजार रुपये दिये जाते हैं। लेकिन वह राशि थोड़ी-सी अध्यापकों को बाँटकर शिक्षा संस्थाओं के संचालक हैं, आपस में बाँट लिया करते हैं। इस कारण से उनकी कॉलेजेज का शिक्षण स्तर काफी गिरा हुआ है। यहाँ के तरुणों के विकास के लिये, बौद्धिक विकास के लिये जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती। शिक्षण संस्था और वर्तमान स्थिति में जिस जिम्मेदारी के साथ अध्ययन करके ज्ञान जुटाकर प्रतिष्ठा कायम करनी चाहिये, जिस चारित्रिक विकास के लिये संस्कारों को जागृत किया जाना चाहिये वह नहीं किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह तो देखा है कि छोटे-छोटे नगरों में राजनैतिक मतभेद के कारण 2-2 कॉलेज स्थापित हो जाते हैं। नगर की क्षमता न होने पर भी और पापुलेशन कम होने पर भी कॉलेजेज स्थापित हो जाते हैं। भले ही वे उनको फीड न कर सकें लेकिन ऐसे कॉलेजेज स्थापित कर दिये जाते हैं। इस तरह से वे राजनैतिक अखाड़े बन जाते हैं। वे राजनैतिक दखलअन्दाजी करते हैं और आपस में तू-तू, मैं-मैं करते रहते हैं। छात्र मण्डल में कुसंस्कार भर दिये जाते हैं। ये राजनैतिक भावना से चलाये जाते हैं जिसके कारण उनके बीच में अलगाव की भावना पैदा हो जाती है और इस तरह जो ज्ञान का केन्द्र बनना चाहिये वह न बनकर राजनैतिक अखाड़े बन जाते हैं। कतिपय स्वार्थी लोग उनके द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि किया करते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस आयोग के द्वारा मुझे इस बात की खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊँचा स्तर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। एक स्वस्थ परिवर्तन की दिशा में जो यह कदम शासन द्वारा उठाया गया है, यह सराहनीय है। मुझे इस बात से सुख है कि अब किसी महाविद्यालय की स्थापना के पूर्व इस आयोग के सामने समिति को अपना एक पूरा तखमीना पेश करना पड़ेगा और उसकी वित्तीय स्थिति, नगर की स्थिति और आसपास के वातावरण की स्थिति और शिक्षा संस्था संचालन करने के लिये किस तरह के लोगों का सहयोग है, इसका अध्ययन करने के बाद रिकमंड किया जावेगा। इस तरह के कुछ प्रावधान इस बिल के अन्दर रखे गये हैं, ये बातें शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति पैदा कर सकेंगी। आज हम यह देखते हैं कि विज्ञान की शिक्षा के नाम पर जगह-जगह छोटे-छोटे कॉलेज स्थापित हो गये हैं, लेकिन उनमें समुचित सामग्री नहीं है, शिक्षा की कमी है और शासन से जो एक बड़ी राशि ली जाती है, उसका सदुपयोग वे संस्थाएँ नहीं कर पातीं, इसलिये इन बातों पर ध्यान देना होगा, अंत में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री रामधनी मिश्र (मउगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, और विधेयक के माध्यम से जो आयोग इस प्रदेश में गठित कर रहे हैं उसके लिये में उन्हें बधाई देता हूँ। काफी दिनों से इस प्रदेश में इस बात की आवश्यकता थी कि जो अशासकीय शिक्षण संस्थाएँ हैं, उनके लिये कुछ ऐसे नियम बनें, जिनसे उनकी कठिनाइयाँ दूर हों। आप यह जानते हैं कि इस आयोग से सबसे बड़ा फायदा अशासकीय संस्थाओं को ही होने वाला है। अशासकीय शिक्षण संस्थाएँ काफी बड़ी संख्या में इस प्रदेश में हैं, लाखों विद्यार्थी अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं, उनका संरक्षण हो, उनको मान्यता मिले, उनको अनुदान मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। अभी उनके विकास के लिये इस प्रदेश में ऐसा कोई नियम नहीं बना था, जिनसे उन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन मिल सके। इस प्रदेश की अशासकीय शिक्षण संस्थाएँ, अनेक कारणों से बहुत ही कम अनुदान पाती हैं, इस आयोग के बन जाने से नये ढंग से उनके सारे केश को देखा जायेगा। मैं शिक्षामंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूँ। उन्होंने विश्वविद्यालयों पर जो अंकुश लगाया है, विश्वविद्यालयों ने जो भर्राशाही मचा

रखी थी, आज प्रदेश की यह स्थिति थी कि लोग अपने-अपने घरों में कॉलेज खोले थे। वहाँ न कोई नियम था न विज्ञान का सामान था और वे अनेक कारणों से शासन से अनुदान प्राप्त करते थे। हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनेक प्रकार से इधर-उधर के कॉलेज खोले हैं, रीवा विश्वविद्यालय में 30-40 अशासकीय कालेज हैं, जिनके न तो भवन हैं और न ही विद्यार्थी हैं और न कुर्सी टेबिल हैं और मध्यप्रदेश सरकार उन्हें ग्रांट देती है, और ग्रांट देने के लिये अनेक प्रकार के दबाव शासन पर पड़ते हैं, इस आयोग के बन जाने से अब एक साल पहले प्रस्ताव बनाकर आयोग के पास भेजेंगे और उन पर अंकुश लगेगा। नियम और कायदों का पालन करना पड़ेगा और उसके बाद कॉलेज खोले जाएँगे। यह बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान लेने में अनेक प्रकार से कॉलेजों को अमुक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, शिक्षामंत्री महोदय ने विधायकों को आमंत्रित किया, सुझाव माँगे और आयोग बनाने के बारे में, तमाम प्रदेश के लोगों से राय माँगी और उन्होंने उस समय यह घोषणा की थी कि एक ऐसा आयोग बनायेंगे और उस आयोग के माध्यम से, जो काम किया है, उसके लिये मैं बधाई देता हूँ। मैं एक और बात का अनुरोध करना चाहता हूँ, कि जो आयोग बनेगा उसके बारे में मेरा संशोधन भी है, आप उसमें तीन व्यक्ति रखेंगे। उन तीन व्यक्तियों में एक अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से संबंधित व्यक्ति हो, उसका बहुत बड़ा लाभ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को मिलेगा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं का प्रतिनिधि अगर, उसमें नहीं रखेंगे तो अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के साथ पूरा न्याय नहीं हो पायेगा। आपके बँगले पर कई रिटायर्ड आई.ए.एस. इस समय चक्कर लगाते देखे गये हैं, वे इस आयोग में घुसने के चक्कर में हैं, रिटायर्ड आई.ए.एस. लोगों को इस आयोग में नहीं घुसने दें, नहीं तो आयोग का कबाड़ा होने वाला है। आप बुद्धिजीवियों को रखें, लेकिन भूलकर रिटायर्ड आई.ए.एस. लोगों को कतई नहीं रखें। अगर यदि ऐसा किया तो जो लक्ष्य है, वह पूरा नहीं हो पायेगा इसलिये मैं यह निवेदन करता हूँ, कि आप इस मामले में सतर्क रहें। इन शब्दों के साथ आयोग के गठन का समर्थन करता हूँ, और माननीय शिक्षामंत्री जी को बधाई देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : * उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी दलों से एवं सभी माननीय सदस्यों की ओर से उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक को समर्थन मिला है यह दृष्टिकोण इस बात का द्योतक है कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी माननीय सदस्य संकीर्णता और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने के लिए तत्पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मत में यह भावना ही हमारे शिक्षा जगत की कम से कम 50 प्रतिशत जो कठिनाइयाँ हैं उनको समाप्त कर देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि यह भावना, भावना के रूप में ही न रहे अपितु इसे क्रियान्वित कर निश्चित स्वरूप प्रदान करना चाहता हूँ और उसी का यह प्रमाण है कि शासन की ओर से सदन में इस विधेयक को लाया गया है। मैं प्रदेश के उन हजारों लोगों को जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह शासकीय क्षेत्र में हो अथवा अशासकीय क्षेत्र में उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम उच्च शिक्षा का विस्तार उसके गुणात्मक शैक्षणिक आधार को लेकर ही करना चाहते हैं। राजनैतिक या अन्य प्रकार के दबावों में आकर कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा शासन का संकल्प है, और जो भी शासन का संकल्प होता है उसे किसी न किसी प्रकार नियमों में बाँधना ही होता है। उसी हेतु उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान आयोग विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसके सम्बन्ध में कुछ आशंकाएँ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई हैं। विशेष रूप से यह शंका उठाई गई है कि इस विश्वविद्यालय विधेयक द्वारा जो प्रावधान विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के सम्बन्ध में है उन पर इस विधेयक द्वारा अतिक्रमण तो नहीं होगा? अगर माननीय सदस्य इस विधेयक की धाराओं को देखेंगे तो उनको यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि उक्त विधेयक किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण करने के लिये नहीं है, अपितु अनुदान आयोग विधेयक, विश्वविद्यालय अपना कार्य क्षमता के साथ कर सके, इसके लिये सहायक सिद्ध होगा। फिर भी अगर कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं तो माननीय सदस्य गण जो विश्वविद्यालयों के कोर्ट के सदस्य हैं अपने सहयोग से उन कठिनाइयों का निराकरण करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मान्यता का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में विधेयक के सेक्शन 23 में प्रावधान किया

गया है कि नवीन शिक्षण संस्थाएँ आयोग की अनुज्ञा के बिना आरम्भ नहीं की जायेंगी। यह इसलिये किया गया है कि इसके द्वारा शिक्षण संस्थाएँ खोलने के एक साल पहले न्यूनतम जानकारी जो शिक्षण संस्था चलाने के लिये आवश्यक होती है, इस आयोग को प्राप्त हो जावेगी ताकि इस एक वर्ष की अवधि में आयोग सभी दी गई जानकारी का परीक्षण कर सके।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, पुनः यह बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसके द्वारा किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालयों के कार्यों में अतिक्रमण नहीं होगा। नये कॉलेज को जो मान्यता दी जाती है वह कार्य पूर्व की तरह विश्वविद्यालय ही करेंगे और उसके लिये जो आवश्यक जानकारी आयोग के पास होगी वह विश्वविद्यालय को दे दी जावेगी जो उनको उनके कार्य में सहायक होगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल जो उठाया गया वह इस आयोग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। इस आयोग के जो कर्मचारी होंगे उनकी सेवा शर्तों के बारे में है। सामान्यतः इस प्रकार के जो आयोग बनते हैं उनमें वही सेवा शर्तें लागू होती हैं जो शासकीय कर्मचारियों को होती हैं। जैसा सुझाव दिया गया है, जब विधेयक के पास होने पर नियम बनेंगे उसमें प्रावधान किया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कही गई है कि ग्रान्ट को रोकने की शक्ति शासन अपने हाथ में ले रहा है जिसके कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज को तकलीफ हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे जो विभिन्न एक्ट हैं उनमें शासन को यह अधिकार प्राप्त हैं उनको जिन शर्तों पर अनुदान दिया जाता है, यदि उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता या शासकीय धन का अपव्यय होता है या जिस जिम्मेदारी से दान दिया जाता है वह पूरी नहीं करते तो .....

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि कोई कम्पलेन्ट आवे तो उसकी डेफिनेट इन्क्वायरी होने के बाद ही बन्द किया जावे तो ठीक है। आज होता यह है कि एक बात पर ग्रान्ट रोक दी जाती है, चार महीने इन्क्वायरी में लगते हैं तब तक मास्टरों की तनख्वाह बन्द और लड़कों की पढ़ाई का नुकसान होता है।

श्री अर्जुनसिंह : जब इसके नियम बनेंगे, उस कमेटी में आप भी सदस्य हैं, उन सिफारिशों पर ही नियम आधारित होंगे कि किस परिस्थिति में अनुदान रोका जावे।

श्री अजीज कुरेशी : अध्यक्ष महोदय, अभी मण्डलोई जी का नाम लिया, जिनके ऊपर चार्जेज हों उनको न लिया जावे।

श्री अर्जुनसिंह : मैं अपने उत्तर में सब बातें बता रहा हूँ बीच में खड़े होने का कष्ट न करें।

अध्यक्ष महोदय, यह संदेह व्यक्त किया गया कि किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया। मैं जानता हूँ कि जिन माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है, पूरे संदर्भ के साथ किया है, वह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनको और इस सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि न हमने ऐसा कोई निर्णय लिया है और न भविष्य में लेंगे, जो आयोग के उद्देश्यों के प्रतिकूल होगा। ऐसा निर्णय लेकर हमने आज जो आपकी सहानुभूति प्राप्त की है उस वातावरण को दूषित न करेंगे। इसलिये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें कोई रिटायर्ड पार्टी पॉलिटिक्स को या रिटायर्ड आई.सी.एस. को घुसेड़ा नहीं जावेगा, उसमें केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षा शास्त्री होंगे। ताकि कोई संदेह इस आयोग पर न हो सके।

श्री रोहिणीकुमार बाजपेयी : विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर का नाम इसमें लिया गया है क्या?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने नहीं सुना, नाम लिया भी गया हो तो आप उत्तर सुन लें उनको इस आयोग में लेने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने आयोग की मेम्बरशिप में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि केन्द्रीय आयोग में कई सदस्य हों, हम नहीं चाहते क्योंकि उसका सीधा वित्तीय भार शासन पर पड़ेगा इसलिये हमने सदस्य संख्या तीन रखी है। इस विषय पर विशिष्ट प्रकार की जानकारी यदि आवश्यक हो तो आयोग विजिटिंग टीम बना सकती है। ताकि एक्सपर्ट ओपीनियन आयोग को मिल सके आगे की कार्यवाही करने को।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्ति चाहे शासकीय हों या अशासकीय, जब तक दो चीजों को रखने का काम नहीं करते सफलता

प्राप्त नहीं कर सकते। पहली उच्च शिक्षा के विस्तार के संबंध में ठोस विचार करना होगा, यदि हम सामान्य बातों को ध्यान में रखकर विस्तार करेंगे तो शिक्षा के साथ अन्याय करेंगे।

दूसरी अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रावधान हो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम एक टाइम टेबिल बनायें पढ़ाई का। यह सब शिक्षण संस्थाओं के खुलने के पहले दिन ही उनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो अन्य तरह की बुराइयाँ आती हैं, नकल के रूप में। इन सबका समाधान नहीं कर सकते, इसलिये अगले शैक्षणिक वर्ष से जितनी आवश्यकता होगी उनको पूर्ण करने के संबंध में माननीय सदस्यगण अपना सहयोग देंगे। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक 1973 (क्रमांक 11, सन् 1973) पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

खण्ड 4

खण्ड 4 में श्री रामधनी मिश्र का संशोधन है।

खण्ड 4 के उपखण्ड (3) के मद (4) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित किये जायें, अर्थात् :—

(ख) दूसरा सदस्य उन व्यक्तियों में से चुना जायेगा जो शिक्षा की अभिवृद्धि में रुचि रखता हो, प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के हितों में रुचि रखता हो तथा अशासकीय शिक्षण संस्था चलाने का अनुभव रखता हो।

श्री रामधनी मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 4 में इस प्रकार संशोधन किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 4 में जो संशोधन रखा था, उसके रखने में मेरी यह भावना थी कि जो आयोग बन रहा है उसका लाभ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को भी मिले इसलिये अशासकीय संस्थाओं में से किसी एक व्यक्ति को इसमें रखें ताकि वे अपने हितों का संरक्षण प्राप्त कर सकें। यही मेरा उद्देश्य उसके प्रस्तुत करने का है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं श्री रामधनी मिश्र का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूँ। अभी अपने जवाब में माननीय शिक्षामंत्री जी ने कहा कि यदि कोई खास समस्याएँ सामने आयेंगी तो किसी एक्सपर्ट को सलाह के लिये आयोग बुला सकता है। वह एक्सपर्ट अपनी राय जाहिर कर सकता है लेकिन उस आयोग में उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ तो मत केवल तीन सदस्यों के माने जावेंगे इसलिये उसमें निपुण लोगों को रखा जाये जो अधिकार प्राप्त कर सकें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष के पद पर रहेगा और तीसरा व्यक्ति का उल्लेख किया गया है उसका चयन के समय इस बात का ध्यान रखा जावेगा। मत के आधार पर रिपोर्ट लेने का प्रश्न नहीं है। किसी एक स्थान पर एकेडेमी खोलना है उसमें मत का प्रश्न उठता नहीं है। श्री मिश्र जी ने जो सुझाव दिया है उसको कार्यान्वित करने के संबंध में स्वीकार किया है। इसलिये वह अपना संशोधन वापस ले लें, ऐसा मैं चाहूँगा।

श्री रामधनी मिश्र : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस हुआ)

खण्ड 23

श्री महेन्द्रसिंह (अशोकनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन रखूँ उसके पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में सदन में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह संशोधन रख रहा हूँ। अशोकनगर में जो समस्याएँ हैं वह पूरी नहीं होतीं। ग्रान्ट इन एड देने के बाद सही उपयोग नहीं होता। या वह अशोकनगर डिग्री कालेज जैसी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। 6 साल से उसका चुनाव नहीं हुआ। शिक्षा सचिव कहते हैं कि नियमों के अन्तर्गत कुछ नहीं कर सकते। उसका एफीलियेशन वाइस चान्सलर ने खत्म कर दिया है।

वे इसकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ 2-4 मिनिट का समय बढ़ाने के लिए सदन यदि सहमत हो तो यह खण्ड भी हो जायेगा और विधेयक भी हो जायेगा।

कई सदस्य : हाँ ठीक है।

महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में शिक्षामंत्री जी को पत्र भी लिखकर दिये गये लेकिन इसके बाद भी वे लोगों को चेतावनी के बाद सस्पेंड कर देते हैं, टरमिनेट कर देते हैं। वहाँ मिडिल फेल सेक्रेटरी हैं, उसने प्रिंसिपल का अपाइन्टमेंट कर दिया है और लेक्चरर्स का अपाइन्टमेंट कर दिया और वाइस चान्सलर कहता है कि ये हमें पूछते ही नहीं हैं। इसलिए मैंने खण्ड 23 में यह संशोधन किये हैं जो निम्नलिखित हैं—

"खण्ड 1, 23 में इस प्रकार संशोधन किया जाये :—-

उपधारा (4) के उपरान्त निम्न उपधारा (5) जोड़ी जाये :—

"(5) राज्य में स्थित प्रत्येक अशासकीय महाविद्यालय में धारा 23 की उपधारा (2) में दी गई विशिष्टियों के अनुसार उसे चलाने तथा वहाँ पर कर्मचारियों को नियुक्त करने, निलम्बन करने तथा निष्कासित करने संबंधी सभी शर्तें व इसी तरह के अन्य कार्य सुचारु रूप से तथा नियमानुसार संचालन हेतु एक वाच डाग कमेटी बनाये जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(अ) स्थानीय विधायक (पदेन)

(ब) जिलाधीश (पदेन)

(स) निकटस्थ शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें आप स्थानीय विधायकों को और ऐसे लोगों को शामिल न करें जिससे विधेयक की जो मंशा है वह पूरी न हो और जहाँ कहीं किसी अनुदान के दुरुपयोग करने का सवाल है वह आयोग के पास है और उसका इन्सपेक्शन करने का अधिकार भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें तो अच्छा होगा।

श्री महेन्द्रसिंह : इसको वापस लेने का सवाल नहीं उठता है आप स्थानीय विधायकों को हटा दीजिये और किसी दूसरे लोगों को रख दीजिये तो ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 23 में इस प्रकार संशोधन किया जावे—

उपधारा (4) के उपरान्त निम्न उपधारा (5) जोड़ी जाये—

(5) राज्य में स्थित प्रत्येक अशासकीय महाविद्यालय में धारा 23 की उपधारा (2) में दी गई विशिष्टियों के अनुसार उसे चलाने तथा वहाँ पर कर्मचारियों को नियुक्त करने, निलम्बन करने तथा निष्कासित करने संबंधी सभी शर्तें व इसी तरह के अन्य कार्य सुचारु रूप से तथा नियमानुसार संचालन हेतु एक वाच डाग कमेटी बनाये जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(अ) स्थानीय विधायक (पदेन)

(ब) जिलाधीश (पदेन)

(स) निकटतम शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य

संशोधन अस्वीकृत हुआ

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 उक्त विधेयक का अंग बने।

खण्ड 23 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 2 से 22 तथा 24 से 29 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक 1973 (क्रमांक 11, सन् 1973) पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक 1973 (क्रमांक 11, सन् 1973) पारित किया जाये।

श्री महेन्द्रसिंह (अशोकनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि एक कहावत है कि कोई मामा नहीं है, इससे तो काणा मामा ही अच्छा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सुझाव है तो दूसरे प्रायवेट कॉलेज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि नवीन शिक्षण संस्थायें आयोग की अनुज्ञा के बिना आरंभ नहीं की जायेंगी। पहले इन सारी चीजों की रोक के लिये कोई प्रावधान नहीं था। अब आपने धारा 25 में इनके लिये सजा का प्रावधान कर दिया है। कोठारी कमीशन ने जो चेंजेज सुझाये थे उनके अनुसार किया जाने वाला है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, प्रायवेट इन्स्टीट्यूशन में जो काम करते हैं उनकी सर्विसेज की कोई गारन्टी नहीं है। यह कांटेक्ट एक्ट के अनुसार मंजूर किया गया है। मेरा सुझाव है इसके लिये कोई प्रावधान होना चाहिये। प्रायवेट इन्स्टीट्यूशन में और शासकीय इंस्टीट्यूशन में समानता होनी चाहिये, यदि आप इन सारी चीजों के लिये प्रावधान करेंगे तो उचित होगा।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग विधेयक 1973 (क्रमांक 11, सन् 1973) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)
(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 अप्रैल 1973/पृष्ठ/3333-3344)

शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने 5 अप्रैल 1973 को प्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने के प्रयत्न स्वरूप मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक 1973 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया। जिसका अनेक सदस्यों ने समर्थन किया और शिक्षा के क्षेत्र में श्री अर्जुनसिंह द्वारा उठाये जा रहे साहसिक कदमों की सराहना की लेकिन इसे सदस्य श्री होमी दाजी ने काला कानून कहा और श्री महेन्द्रसिंह ने आरोप लगाया कि सरकार अधिकारों का केन्द्रीयकरण करना चाहती है। शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने इन आरोपों का दो टूक प्रतिउत्तर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता की रक्षा करने का वचन देते हुए यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीति शिक्षा के क्षेत्र से दूर रहे। राजनीति को शिक्षा के साथ जोड़ने से दूषित परिणाम होते हैं। बहस 6 अप्रैल को भी चली। विधेयक पारित हुआ। 6 अप्रैल 73 की चर्चा के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं—

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, 1973 (क्रमांक 16, सन् 1973) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सदन में विचार हेतु प्रस्तुत करते हुए मैं प्रारम्भ में केवल 2-3 मिनिट ही कुछ कहना चाहूँगा और बाद में माननीय सदस्यों के भाषण के बाद उत्तर में जो उचित होगा माननीय सदस्यों के तर्कों के बारे में कहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 8 विश्वविद्यालय हैं, जिनको हम इस विश्वविद्यालय के द्वारा एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही है कि इन विश्वविद्यालयों में अभी तक अलग-अलग विधानों के अन्तर्गत उनकी कार्यप्रणाली चलती थी। सब जगह यह महसूस किया गया है कि एकीकृत विधान सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों के लिये बनाया जाये। आज से दो वर्ष पहले इस सदन में ऐसा एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था वह एक सिलेक्ट कमेटी को गया और उसने अपनी रिपोर्ट भी दी लेकिन, वह विधेयक विधानसभा समाप्ति से लेप्स हो गया इससे स्पष्ट होता

है कि बहुत पहले से सदन की मंशा थी कि इस प्रकार का विधेयक पास किया जाये। मैंने उचित समझा कि इस प्रकार का विधेयक सदन में प्रस्तुत करने के पहले जितने भी इन विश्वविद्यालयों से व शिक्षा से संबंधित व्यक्ति हैं, उपकुलपति अध्यापकगण, छात्र, पूरे हमारे सदन के माननीय सदस्य इन सबसे विभिन्न-विभिन्न पहलुओं पर उनके सुझाव जानने का प्रयास किया जाये तब विधेयक सदन में प्रस्तुत हो। काफी हद तक उन सुझावों का समावेश इसमें हो सके और जिन बातों पर और कई विषयों पर माननीय सदस्यों के और सदन के बाहर अन्य लोगों के विचार करने का अवसर हो, उनका समावेश हम अपने इस विधेयक में कर सकें। मैं यह नहीं कह सकता कि जितने सुझाव आयेंगे उनका इसमें समावेश हो जायेगा, यह कहना उपयुक्त नहीं होगा लेकिन मैंने प्रयास किया है कि जो सुझाव महत्वपूर्ण हों उनका इस विधेयक में समावेश हो जावे।

इसलिये अब में इस विधेयक को सदन के विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि आपके दिये हुए सुझाव और इस विधेयक को पारित करने पर हम इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाकर आगे की कार्यवाही करने में सक्षम होंगे।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, 1973 (क्रमांक 16, सन् 1973) पर विचार किया जाये।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/5 अप्रैल 1973/पृष्ठ/3481)

श्री महेश जोशी (इन्दौर-1) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षामंत्री द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जब से अपना कार्यभार संभाला है प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयीन शिक्षा तक बड़ी गम्भीरता से लोगों की राय माँगी है और उसके अनुसार उन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की है। मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर कल माननीय सदस्य श्री दाजी साहब और माननीय महेन्द्रसिंह के विचार मैंने सुने। ये लोग इस विधेयक को लेकर आलोचना करते रहे। मुझे प्रसन्नता होती इस विधेयक में जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी वे बताते किन्तु विरोध के लिये विरोध उन्होंने प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रसिंह विद्यार्थी लीडर रहे थे, उनको मालूम है कि उनके जमाने में नकलची लोगों को पास करने का कभी आन्दोलन नहीं चला। उसी तरह होमी दाजी साहब भी इन्दौर विश्वविद्यालय एक्जीक्यूटिव नॉमिनल के मेम्बर रहे हैं उन्होंने छात्रों की उचित माँगों का समर्थन किया और अनुचित माँगों को समझा। उसको सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में रहते हुए भी कभी उसका समर्थन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, अब वह परिस्थितियाँ बदल गई हैं और अब विश्वविद्यालयों में परिवर्तन लाना जरूरी है। हम देखते हैं, अध्यक्ष महोदय, और आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि 50 रु. जमा कराने के बाद नकलची लड़कों को आगे के क्लास में पढ़ने के लिये प्रवेश मिल जावेगा ऐसी इन्दौर विश्वविद्यालय ने व्यवस्था की। उसकी प्रकार जबलपुर और विक्रम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको ज्ञात होगा कि विज्ञापनों में आवेदन न करने के लिए लिखा जाता रहा है। साल में तीन-तीन परीक्षाएँ ली जाती हैं— इन सारी परिस्थितियों में माननीय शिक्षामंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं समझता हूँ इससे विश्वविद्यालयों का जो संचालन जिस प्रकार से अभी चल रहा उसमें सुधार आयेगा, उनमें जो दलगत राजनीति चल रही है वह कम होगी और जो धन्धेबाज लोग बैठे हैं जो समय-समय पर झगड़ा करवाते हैं वह स्थिति मैं समझता हूँ इस विधेयक के लागू होने के बाद समाप्त हो जावेगी और शिक्षा के मूल्यों में वृद्धि होगी तथा पढ़ाई का वातावरण निर्माण होगा। जिन माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय विधेयक के आने से विश्वविद्यालयों की ऑटॉनॉमी समाप्त होगी मैं ऐसा नहीं समझता। हाँ, सावधानी जरूर बरतना पड़ेगी। कुलाधिपति अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें और समन्वय समिति अनावश्यक दखल न देवें। सभी विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति बनाने से यह फायदा होगा कि आज जो हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर समान नहीं है, सभी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम समान नहीं है वह सभी समान कर दिया जायेगा और सारी तकलीफें दूर हो जायेंगी। साथ ही शासकीय कर्मचारियों के जो ट्रांसफर होते हैं जिससे उनके बच्चे और लड़कियों को एक

विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने पर पूरा कोर्स बदल जाता था व प्रवेश में तकलीफ़ होती थी वह सब दिक्कतें दूर हो जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण चीज रखी गई है कि कुलपति की आयु सीमा 60 वर्ष की कर दी गई है याने 60 से ऊपर का कुलपति नियुक्त नहीं किया जायेगा। मैं भी चाहता हूँ कि 60 से ऊपर का नहीं होना चाहिये। मैं इसका स्वागत करता हूँ। अभी तक होता यह था कि हारे हुए व्यक्ति को या किसी नेता को या किसी रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी को कुलपति बना दिया जाता था जिससे विश्वविद्यालय में कोई कार्य नहीं हो पाता था।

{उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायणप्रसाद शुक्ला) पीठासीन हुए}

उपाध्यक्ष महोदय, शासन ने जो अनुदान आयोग की स्थापना की है इससे भी विश्वविद्यालयों को काफी फायदा होगा। आयोग यह देखेगा कि विश्वविद्यालय किस तरह से काम कर रहे हैं तब अनुदान देने की सिफारिश कर सकेगा। पिछले सालों में अशासकीय महाविद्यालयों को जो ग्रान्ट दी जाती थी उसमें यह नहीं देखा जाता था कि वे किस ढंग से काम कर रहे हैं। शासन में जो लोग बैठे हैं उनके मन-माफिक उन कालेजों में काम चलता था और उनके इशारे पर ही अनुदान दिया जाता था। तो अब इस आयोग के बनने से यह सारी गड़बड़ियाँ भी समाप्त हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात शिक्षामंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक में शिक्षा से रोजगार को जोड़ सकते हैं। यों तो इस विधेयक में काफी अच्छी बातें रखी गई हैं जैसे छात्र संघ की जो बात रखी गई है वह अच्छी है। लेकिन उसके चुनाव किस तरह से होंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी चुनाव को लेकर ही तमाम झगड़े पैदा होते हैं। हम देखते हैं कि कई जगह डायरेक्ट चुनाव होते हैं और कई जगह इन-डायरेक्ट चुनाव होते हैं। चुनावों में वोट खरीद लिये जाते हैं और लोगों को घुमाया जाता है। तो इसमें कम से कम डायरेक्ट चुनाव का प्रावधान कर दिया जाये तो ये तमाम झगड़े समाप्त हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री महेश जोशी : मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष : नहीं। केवल 1 मिनट में समाप्त करें।

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पृष्ठ 14 में धारा 13 में कुलपति की नियुक्ति के बारे में प्रक्रिया दी गई है जो इस प्रकार है— (एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति, (दो) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या उसके द्वारा नाम निर्देशित किया गया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, (तीन) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति।

तो इस प्रकार 3 व्यक्ति चुनाव करेंगे। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि उच्च न्यायालय को इसमें लाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाये किसी शिक्षा शास्त्री को इसमें रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस विधेयक के पृष्ठ 18 में धारा 17 में विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष नियुक्त किये जाने के संबंध में प्रावधान रखा गया है। मैं इसमें यह चाहता हूँ कि जिस तरह से छात्राओं के लिये संकायाध्यक्ष रखा गया है उसी तरह से छात्रों के लिये भी अलग से एक संकायाध्यक्ष रखने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज मुझे यह कहनी है कि इस विधेयक के पृष्ठ 23 में जो कार्य परिषद् के गठन की प्रक्रिया रखी गई है उसमें छात्र यूनियन का इलेक्टेड प्रेसीडेन्ट रखा जाना चाहिये।

इसी तरह आगे अध्ययन मण्डल के बारे में पृष्ठ 33 में दिया गया है कि जहाँ तक छात्रों की नियुक्ति करने का सवाल है वह नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी तो यहाँ पर मेरा यह निवेदन है कि छात्रों की नियुक्ति डायरेक्ट न की जाये, वह इलेक्टेड में से ही की जाये। धारा 34 में समन्वय समिति में जनप्रतिनिधियों को नहीं लिया गया है, उसमें पाँच विधायक और शिक्षामंत्री और विरोधी पक्ष के नेता को रखा जावे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त।

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल (लोरमी) : माननीय अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालय विधेयक का मैं समर्थन करता

हूँ। इस संबंध में माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने जो विचार रखे हैं वे बहुत कुछ यथार्थता से परे हैं। ये कतिपय प्रवाहों से युक्त तथा अपनी आशंकाओं से पीड़ित हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत दिनों से इस प्रदेश के स्तर पर विचार चल रहा था कि हमारे यहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में जो विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं उनको एक सूत्र में और एक अधिनियम के अंतर्गत रखा जाना चाहिये। शिक्षा के स्तर को तथा उन विश्वविद्यालयों में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे सुधारने के लिये यह बात ही आवश्यक है। मैं ऐसा समझता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री ने भी बहुत ही सोच विचार के बाद काफी विचार मंथन के उपरांत यह विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा। मैं स्वतः जानता हूँ और माननीय शिक्षामंत्री भी जानते हैं कि बहुत जल्दबाजी में यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व अलग-अलग जो इससे संबंधित लोग हो सकते हैं उनसे पर्याप्त विचारविमर्श किया गया है, विधायकगण, अलग-अलग पक्षों के जो नेता हैं उनसे, विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं उनसे, छात्रों से तथा जो प्राचार्यगण हैं, शिक्षाविद् हैं उनसे, अलग-अलग पहलुओं पर विचारविमर्श हुआ। यह बात अलग है और शायद कभी वह स्थिति आ भी सकेगी जबकि सब लोग इस विषय पर एक साथ एक राय हो सकें। अलग-अलग मत हो सकते हैं वैसे आप देखेंगे उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक में उसके जो विभिन्न अलग-अलग स्तर हैं उनमें छात्रों का पर्याप्त रूप से समावेश किया गया है। यह एक पहली बार नई चीज की गई है, और उसकी सराहना की जानी चाहिये। विगत कई वर्षों से न केवल अपने मध्यप्रदेश में बल्कि मध्यप्रदेश के बाहर भी छात्र वर्ग में लगातार बढ़ता हुआ जो असंतोष है उस असंतोष के फलस्वरूप एक अराजकता की स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है। उसके और कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक कारण यह भी है कि छात्रों का, उनके नेतृत्व का उचित रूप से परामर्श या उसकी प्रक्रियाओं में सहयोग लेने की कोई बात नहीं होती थी। यह बड़ा साहसिक कदम है और मैं समझता हूँ कि शिक्षा के जगत में जो विश्वविद्यालय में लगे हुए लोग हैं, प्राचार्य हैं उनके मन में कुछ थोड़ी-सी बेचैनी भी है कि यदि छात्रों की व्यवस्था में, चाहे कोर्ट में हो या दूसरी जगह हो यदि इस प्रकार का समावेश किया जावेगा तो उसके लिये कोई अंत नहीं होगा। वे और आगे बढ़ेंगे और उस प्रकार से उनके हाथ में नेतृत्व जावेगा और यह किसी प्रकार से अनुशासनहीनता की स्थिति होगी। राज्यपाल महोदय को सारे अधिकार दे दिये गये हैं आज उस बात को देखें। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं उस विश्वविद्यालय परिवार के प्रमुख हैं और उनको उससे अलग मान करके, उनके ऊपर कल्पनाओं में आ करके आरोप लगाना कि वहाँ तानाशाही है, अधिकारों का विकेन्द्रीकरण है यह सब गलत बात है। इस चित्र का एक दूसरा भी पहलू है और उस पहलू से हमें और आपको, माननीय सदन को इस बात को भुलाना नहीं चाहिये कि आज विश्वविद्यालयों में चाहे कहीं का भी विश्वविद्यालय हो अनेकों प्रकार की ऐसी विकृतियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें कि कुछ लगना अत्यन्त आवश्यक है। राज्यपाल महोदय चाहे जब हर प्रकार का हस्तक्षेप करते ही रहेंगे और विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है उसे चलने नहीं देंगे, यह योजना उचित नहीं है। जहाँ तक इमर्जेन्सी में जो अधिकार होते हैं यह बहुत ही बाजिब हैं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज जैसी परिस्थिति प्रान्त में चल रही है, उसके सम्बन्ध में हमारे दूसरे भाइयों ने और विरोधी भाइयों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं जिस प्रकार गुटबाजी चल रही है जो अव्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार का हंगामा रायपुर में मचा हुआ था जिसमें जाँच पुस्तिकाएँ कहीं पाई गई थीं और जिन्हें बिना जाँचे ही फेल छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया गया था और उत्तीर्ण छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया था तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सदन को इस सारी स्थिति को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। जो विभिन्न गुटबाजी चलती है उसका अन्त होगा या नहीं। मेरा यह निश्चित मत है उपाध्यक्ष महोदय, कि इसका कोई विकल्प होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक इस बात से कनविन्स नहीं हो पाया, सहमत नहीं हो सका कि इस तरह से राज्यपाल को या उनके समवर्ती राष्ट्रपति को प्रदेश में या देश में असाधारण अधिकार प्राप्त हैं जिनके माध्यम से वह प्रदेश के प्रशासन के लिये नियम बना सकते हैं, प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, फिर उपाध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि विश्वविद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिये उनके हस्तक्षेप को यह मान लिया जावे कि

ऐसा करने से शासन शक्तियों का केन्द्रीयकरण करना चाहता है। इस सदन के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पास विधेयक पर किन्हीं कारणों से जब राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिल पाती तो वह पुनः सदन को लौटा दिया जाता है कि उस पर पुनः विचार किया जावे और संशोधन किया जावे। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के अधिकार उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारी, उनके कार्यकलापों को व्यवस्थित करने के लिये, नियमित और नियन्त्रित करने के लिये दिये जाते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ जो मुखैटा लगाकर इसके खिलाफ आवाज उठाते है उनकी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता ही है। शिक्षा जगत में जो अनुशासनहीनता, अराजकता आज व्याप्त है उसे सम्हालने के लिये जो लोगों की आकांक्षाएँ हैं उसके अनुरूप हमें शिक्षा की व्यवस्था करना होगी और इस दृष्टि से बहुत सक्षम और कुछ अंशों में किंचित रूप में यह विधेयक कठोर मालूम पड़े तो भी यह विधेयक समय के अनुकूल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर कतिपय संशोधन आये हैं। जहाँ तक कुलपति के निर्वाचन के लिये जिस तरह की व्यवस्था अपनाई गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह सराहनीय है। अगर मान लीजिये कुलपति नियमों के बाहर जाता है, किसी प्रकार से दुराचरण का कार्य करता है तो आज हम जिस प्रकार किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं और कटघरे खुले रहते हैं वही इनके साथ भी हो सकता है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें स्वायत्तता के नाम पर संरक्षण मिल रहा है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करता हूँ साथ ही साथ इस बात का खण्डन करता हूँ कि हम इसको प्रवर समिति में भेजने की माँग करें।

उपाध्यक्ष महोदय पहले यह प्रवर समिति में भेजा गया था काफी समय हो गया दो-तीन वर्ष का समय हो गया अब उस पर फिर से चर्चा हो, उसका फिर से नया स्वरूप बने तो प्रान्त इसका इतने समय तक इन्तजार नहीं कर सकता, इसलिये जैसा मूलरूप में विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ इसे पास किया जाना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैंने जिस पृष्ठभूमि का उल्लेख किया था उसको फिर दोहराना नहीं चाहता लेकिन हमारे विरोधी दल के दो प्रमुख वक्ता जो संयोग से इस समय उपस्थित नहीं हैं श्री महेन्द्रसिंह और श्री होमी दाजी ने जो इस विधेयक को संज्ञा दी उसकी वजह से मैं एक-दो शब्द इसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में बताना उचित समझता हूँ।

{अध्यक्ष महोदय (श्री गुलशेर अहमद) पीठासीन हुए}

अध्यक्ष महोदय, दाजी जी ने कहा कि यह काला कानून है जिसे हिटलरशाही बनाया जा सकता है। श्री महेन्द्रसिंह जी ने कहा कि यह विधेयक सरकारीकरण है इसे विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रश्नों पर उसके मामलों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है वरन् अधिकारों का केन्द्रीयकरण किया गया है।

मैं अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो बात कही है वह एक ही बात का द्योतक है कि उन्होंने विधेयक के मूल तत्व को समझने का प्रयास नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 वर्ष में कई आयोग बने। उनकी सिफारिशें हुईं और यह शायद भाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि वह सिफारिशें ठन्डे बस्ते में पड़ी रहीं, हमने प्रयास किया है कि उन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल सुधार करने का प्रयास करें। श्री होमी दाजी ने शिक्षा के अत्यन्त विद्वान डॉ. राधाकृष्णन्, डॉक्टर कोठारी और डॉ. गजेन्द्र गढ़कर का अपमान किया है साथ ही उन्होंने अपने साथ भी अन्याय किया है क्योंकि स्वयं दाजी बहुत सोच समझकर भाषण देते हैं।

श्री सुधीर मुकर्जी : हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने जो प्रावधान किये हैं .....

अध्यक्ष : आप दाजी जी कब से हो गये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि उन्होंने जितने प्रावधान किये थे, हमने आयोग की उन सिफारिशों के अनुकूल ही कार्य किया है, केवल कुछ मुद्दों में सिफारिश नहीं मानी है जितनी महत्वपूर्ण बातें थीं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के संबंध में उनको खत्म नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें स्वायत्तता का अर्थ व्यावहारिक शिक्षा को ध्यान में रखकर पारिभाषित किया जा सकता है। उसको ऐसी चिड़िया नहीं बनाया जा सकता जो पेड़ पर ही उड़े, नीचे नहीं बैठे। श्री कोठारी ने इसकी

परिभाषा इस प्रकार से की है—

"The proper sphere of university autonomy lies principally in three fields :—
the selection of students,
the appointment and promotion of teachers,
the determination of courses of study, methods of teaching
and selection of areas and problems of ressarch."

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त स्वायत्तता के विषय में किस पृष्ठभूमि में हमें विचार करना है वह भी महत्वपूर्ण है। गजेन्द्र गढ़कर रिपोर्ट के पृष्ठ 36 पर लिखा है। उसकी पृष्ठभूमि में बताया गया है कि—

"Since we are visualising division of functions between the university authorities rather than a hierarchical structure. the concept of a supreme authority or supreme governing body would be out of place (G.R.p. 36, B)."

यह गजेन्द्र गढ़कर रिपोर्ट के पृष्ठ 36 पर है।

अध्यक्ष महोदय, अब आप इन मुद्दों पर आयें जिनके संबंध में माननीय सदस्यों ने जोर-शोर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि चांसलर महोदय को सब यूनिवर्सिटीज का चांसलर नियुक्त किया जावेगा। आज भी सब यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं। नये बनाते तो तथ्य रखते। आज जो स्थिति है वह यथावत् बनी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह आता है कि कहा यह जाता है कि हमने चान्सलर महोदय के अधिकार बढ़ा दिये हैं और पूरी बॉडीज नामांकन द्वारा भरी जायेंगी। मैं माननीय सदस्यों से चाहूँगा कि कृपाकर माननीय सदस्य उनके अंशों को ध्यान से पढ़ें। मेरे पास चार्ट है जो मैंने माननीय सदस्यों को बताने के लिये तैयार कराया है। अभी जो कोर्ट की संख्या है, वह 98 और 100 के बीच रहेगी। इस 98 की संख्या में निर्वाचन द्वारा केवल 9 व्यक्ति नामांकन द्वारा जायेंगे। यहाँ पर चारों तरफ शोर मचाया जा रहा है कि पूरी बॉडीज नॉमिनेट की जा रही है। शिक्षकों की यूनिवर्सिटी बॉडी है उनका किस प्रकार प्रतिनिधित्व कोर्ट में हो, या तो कुलपति को विवेक का अवसर देते कि वे जिसको चाहें नॉमिनेट करें.....

अध्यक्ष : मेरे पास सुझाव आया है कि विश्वविद्यालय विधेयक, सभा विश्राम के लिये स्थगित होने के पूर्व आज पारित कर लिया जाये। इसके लिये आज विश्राम के समय में कुछ कमी करनी होगी।

क्या सदन की इच्छा है कि आज विश्राम का समय डेढ़ बजे से ढाई बजे तक रखा जाये तथा विधेयक पर विचार डेढ़ बजे पूर्ण कर दिया जाये?

(सदन की अनुमति से समय बढ़ाया गया)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : पारित करने के लिये समय बढ़ाने की क्या आवश्यकता है?

श्री अर्जुनसिंह : 98 सदस्यों में 23 पदेन सदस्य हैं, जिनका नामांकन करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई च्वाइस का सवाल नहीं है। 33 व्यक्ति हैं जिनको सीनियारिटी की बेसिस पर वहाँ पहुँचाना है। सीनियारिटी लिस्ट बनेगी उसमें से जायेंगे, किसी के चयन का समय नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, 33 लोग चुनकर आयेंगे और 9 लोग चान्सलर महोदय नामांकन करेंगे। इस पृष्ठभूमि में यह आक्षेप कि बॉडीज का नामांकन होगा, कहाँ तक उचित कहा जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं चान्सलर के अधिकारों के विषय में कहा गया है कि उनको ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं जो अधिकार देते नहीं थे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि सही माने में चान्सलर के अधिकार कुल मानी में अभी थे, उसको कम किया गया है। जैसे वाइस चान्सलर की नियुक्ति के संबंध में अभी है कि पेनल से नाम आते हैं, उनको चान्सलर महोदय स्वीकार नहीं करते थे और वह कह सकते थे कि दूसरा पेनल लायें। हमने कहा कि हाई पॉवर कमेटी के द्वारा कोई पेनल आयेगा तो चान्सलर यह नहीं कह सकते कि यह पेनल अच्छा नहीं लगता, इसलिये दूसरा पेनल लाइए। वाइस चान्सलर इच्छुक नहीं होगा तभी आयेगा।
दूसरा आर्डिनेंस के संबंध में है। जो माननीय सदस्य यूनिवर्सिटीज से संबंधित हैं वह जानते हैं, स्टेट्यूट्स

एण्ड आर्डिनेंसेज के संबंध में उनको पूर्ण अधिकार हैं कि वे उसको रद्द कर सकते हैं। इसमें सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चान्सलर होंगे। अब यह जो कहा गया कि वाइस चान्सलर की नियुक्ति के बारे में, इसमें सैद्धांतिक रूप से मतभेद नहीं हैं। यह कहा जाता है कि इसमें हाईकोर्ट को क्यों शामिल किया गया तो इसमें हमने हाईकोर्ट को इसलिए शामिल किया कि आपकी और हमारी सबकी मान्यता है कि हाईकोर्ट एक ऐसा संस्थान है जो सबकी शंका के परे है। वाइस चान्सलर को लेकर जो शंकाएँ व्यक्त की गई थीं तो वे इससे निर्मूल हो जाती हैं, यह उद्देश्य था इसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेने में, और इसको मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकृत किया है उनकी अनुमति प्राप्त होने के बाद में हमने यह किया है। तो जो व्यक्ति होंगे उपकुलपति के लिए वे निष्पक्ष होंगे। कोर्ट के संबंध में कहा गया है कि कोर्ट का अधिकार कम किया गया है। जब मैंने कहा कि यह गजेन्द्र गढ़कर कमेटी की रिपोर्ट के अनुकूल किया गया है तो कहा गया कि आपने उसको माना नहीं है तो पृष्ठ 36 पर जो गजेन्द्र गढ़कर कमेटी की रिपोर्ट है उसमें लिखा है—

"The Gajendragadkar Committee has recommended that the Dean of Students Welfare should be a member of the Court. This has not been provided for in the Bill as not to make him a party to groupism".

तो यह किसी कल्पना के आधार पर नहीं किया गया है, चाहे वह कोई भी हों, हम उसके अनुभव का फायदा लेते हैं, जो अनुभव का फायदा नहीं लेते हैं तो वह इतिहास का जो कचड़ा खाना होता है वहाँ नजर आते हैं। तो कोर्ट कोई डेलीबेरेटिव बॉडी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें निहित स्वार्थों का जमाव होता जा रहा है और ऐसे काम किये जा रहे हैं जिसका मैं जिक्र करना यहाँ उचित नहीं समझता हूँ। गजेन्द्र गढ़कर कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं उसको हमने माना है। तो यह किसी के अधिकार को कम करने के लिये नहीं किया गया है। कोर्ट को सुप्रीम बॉडी नहीं बनाया गया है। फिर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स के बारे में जो कहा गया तो जैसा कि शुक्ल जी ने कहा है कि इस विधेयक को तैयार करने में हमें मार्गदर्शन मुख्यमंत्री जी से प्राप्त हुआ और इससे जितने व्यक्ति भी संबंधित थे उनसे हमने बातचीत की, चाहे वह काँग्रेस पक्ष के हों या विरोधी दल के नेता हों या विश्वविद्यालय के कुलपति हों, उन सबसे मशविरा करने के बाद यह विधेयक यहाँ आया है। इस विधेयक के बारे में, मैं कह सकता हूँ कि पूरी-पूरी तौर से सिलेक्शन ऑफ टीचर्स किया गया है। सिलेक्शन दो प्रकार से होते हैं एक तो रोटेशन बाई सीनियारिटी और दूसरा बाई इलेक्शन। तो टीचर्स का सिलेक्शन बोर्ड के हित में है। अगर इलेक्शन के बेसिज पर करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। इस संबंध में मैंने शासन की ओर से एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है ताकि यूनिवर्सिटी कोर्ट में जो टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन हो व सीनियारिटी के रोटेशन से न हो बल्कि इलेक्शन के द्वारा हो।

मुझे खुशी है कि छात्रों के रिप्रेजेन्टेशन के संबंध में किसी माननीय सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया और विरोध इसलिये नहीं किया कि उन्होंने यह महसूस किया है कि आज जो पीढ़ियों का अन्तर है वह अन्तर-दरार पैदा कर सकता है और वह दरार देश के लिए घातक है। महोदय, लोलीपोप खाते बच्चे हैं और एक उम्र होती जब सबको लोलीपोप पसंद आता है। उस उम्र में दाजी साहब ने भी लोलीपोप खाया है और मैंने भी खाया है लेकिन जिस स्तर पर छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जो लोलीपोप की संज्ञा दी गई मैं समझता हूँ कि यह उन छात्रों के बौद्धिक विकास के प्रति अन्याय करना है।

श्री होमी दाजी : तब आप उन्हें एक्जीक्यूटिव कौंसिल में क्यों नहीं रखते हैं? केरेला गवर्नमेंट पास कर चुकी है और भी कई यूनिवर्सिटीज में हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि लोलीपोप को तो दाजी ने फेंक दिया।

श्री होमी दाजी : वह तो दिखावे के लिये जो आपने रिप्रेजेन्टेशन दिया है उसके लिए संज्ञा दी है अगर आप वास्तव में .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वयं छात्रों की जो परामर्शदात्री समिति है, छात्रों के जो प्रेसीडेन्ट थे उनके

सुझाव से इसमें प्रावधान किया गया है। कोर्ट से इलेक्ट होकर जाने में छात्रों को इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कोई इसमें रोक नहीं है। इसलिये यह कहना कि हम नामांकन के द्वारा रखें, मैं समझता हूँ कि यह अनुपयुक्त होगा।

दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, इसमें रजिस्ट्रार के अपाइंटमेंट के बारे में जिक्र किया गया। प्रायः तीन विश्वविद्यालयों के विधेयकों में जो प्रावधान इन्दौर और रविशंकर बगैरा में रखा है वही इसमें भी रखा है। यह प्रावधान इसलिए है क्योंकि रजिस्ट्रार चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसीलिए अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाने के लिए वह किसी का मोहताज न हो सकेगा। इसके अतिरिक्त एक सुझाव और भी दिया गया है। हमारे श्री नर्बदाप्रसाद जी ने जो सुझाव दिया है उसके लिए अध्यक्ष महोदय, विधेयक में प्रावधान तो नहीं है लेकिन यह आर्डीनिन्स बनाते समय ध्यान रखा गया था कि स्टूडेन्ट नहीं पहुँच पाते हैं, उनके संबंध में विचार किया, उनके बारे में भी इसमें ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये और ध्यान आकर्षित किया, व्यापक रूप से इस बात का आरोप लगाया कि सरकारीकरण किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में तो नहीं आता कि सरकारीकरण कहाँ है, मैंने इसको समझने की भी कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं सका। अध्यक्ष महोदय, आर्डीनिन्स को बिल के रूप में लाते समय मैंने जो वक्तव्य दिया था और उस समय आश्वासन भी दिया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा उसे दूर किया जा सकेगा इसके फलस्वरूप शासन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक नीति अपनाई कि राजनीति शिक्षा के क्षेत्र से दूर रहे। इसके संबंध में एक विधेयक भी पारित किया गया कि शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिये। राजनीति को शिक्षा के साथ जोड़ने से दूषित परिणाम होते हैं। इस विधेयक में शासन से संबंधित जितनी भी बातें रखी हैं वह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर रखी गई हैं, जहाँ शासन से संबंध आता है वह भी शासन ने नहीं रखा है। अध्यक्ष महोदय, इन्स्पेक्शन के अधिकार के संबंध में कोठारी आयोग ने पृष्ठ 335 में कहा है—

"In so far as Central Universities are concerned, the President of India, who is the Visitor of the Central Universities, has the powers to direct inspection of or enquiry into the affairs of a Central University. With regard to State Universities the authority is vested directly in the State Government. This is not a happy situation and we agree with the Model Act Committee that the Governors of States should be visitors of all universites in the State and should have similar powers."

इस तरह, अध्यक्ष महोदय, पॉवर ऑफ विजिट का अधिकार डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अन्तर्गत नहीं रखा गया है, चान्सलर के माध्यम से रखा गया है। सार्वजनिक जो भी बात आती है यहाँ पर उठाई जाती है, उनके बारे में भी अधिकार स्टेट, गवर्नमेंट ने नहीं रखा है। वह भी चान्सलर के माध्यम से रखा गया है। मैं नहीं समझता कि सरकारीकरण की बात कहना कहाँ तक उचित है। अध्यक्ष महोदय, इसकी जो भी कमेटियाँ होंगी, वहाँ पर भी सेक्रेटरी के रूप में एज्यूकेशन सेक्रेटरी को रखा गया है ताकि वह गतिविधियों से अवगत रह सके। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट के अन्दर जो भी बॉडीज होंगी, उसमें भी सिर्फ फायनेंस और एज्यूकेशन सेक्रेटरी का नाम रखा है। इस तरह अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पॉवर नहीं रखा है। जहाँ तक एमरजेन्सी पॉवर का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, पिछले अनुभव के आधार पर और व्यावहारिक रूप से यह अधिकार सुरक्षित रखना पड़ेगा। यह अधिकार शासन को, विधानसभा को, इसकी स्वायत्तता को देखते हुए वैसे भी प्राप्त है, लेकिन हमने विधेयक में उल्लेख इसलिये कर दिया ताकि ऐसे क्षेत्र में ऐसा काम करते समय लोगों को भान रहे कि ऐसी भी कार्यवाही की जा सकती है। मैं आपके माध्यम से सदन और विश्वविद्यालयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसका उपयोग राज्य शासन केवल उन्हीं परिस्थितियों में करेगा जहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा कि उनकी परिस्थिति को सुधारा जा सके। अन्त में केवल एक नवोदित कवि द्वारा पढ़ी गई कविता का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसमें एक तरह से आज की हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा का दर्पण है। एक नौजवान कवि ने लिखा है, हम उससे सहमत हों या नहीं लेकिन कुछ पृष्ठभूमि ऐसी ही है। इसका शीर्षक उन्होंने बताया है—

''अकर्मण्येवाधिकारस्ते मात्र फलेषु स्वयाचना''

आओ निठल्लेपन का जश्न मनायें, लगे हाथ नई पीढ़ी को आलसी बनायें।
कर्म की भूमि खुरदुरी है, गड़ती है, अवकाश का आकाश मुलायम है, गुदगुदाता है।
आओ छात्रा, इस आकाश में उड़ें, अधपकी पढ़ाई को छुट्टियों के रेफ्रीजिरेटर में रखकर पिकनिक पर चलें।
हाथ पर हाथ धरे देश बढ़ता जाता हो, तो फिजूल खून का पसीना क्यों बहायें?
नम्बर बढ़वाकर ड्रायक्लीन हो सकते हो, तो पढ़ाई के ठण्डे पानी से क्यों नहायें?

श्री शीतला सहाय : इस विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का कोई लाभ हो या नहीं लेकिन एक लाभ जरूर हुआ कि अर्जुनसिंह जैसे व्यक्ति कवि हो गये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपकी तरह कवि नहीं हो सकता लेकिन आपके मर्म को पहचानने का प्रयास जरूर करता हूँ। यह इस बात का द्योतक है कि हमें उच्च स्तर पर सक्षमता से अपने दायित्वों की दृष्टि से छात्रों के स्तर पर, अध्यापकों के स्तर पर, उपकुलपति के स्तर पर कठोर हृदय कर विचार करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा और हम और आप यहाँ जो सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, उनको योगदान देना होगा, समर्थन देना होगा तभी किसी प्रकार की तब्दीली, किसी प्रकार की अच्छेपन की आशा कर सकते हैं वरना हमें सन्देह है। लेकिन मुझे विश्वास है कि कर्मभूमि के खुरदुरेपन को लेंगे, मुलायमपन को नहीं। हमें इस क्षेत्र के छात्रों, अध्यापकों पर विश्वास है और इस देश के समाज के प्रत्येक सदस्य पर और संपूर्ण समाज को लेते हुए अपने उद्देश्य पर पहुँचेंगे ताकि सभी मिलकर देश की उस कल्पना को साकार रूप दे सकेंगे जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानियों ने की है और जिसको साकार रूप देने के लिये हम सब सतत् प्रयत्नशील हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/6 अप्रैल 1973, पृष्ठ/3610-3618)

1973 का वर्षाकालीन सत्र 23 जुलाई से आरम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए। 2 अगस्त को शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1973 के पुरःस्थापन की अनुमति माँगी। अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान की गयी। विधेयक पर चर्चा 8 अगस्त को प्रारम्भ हुई। विधेयक पारित हुआ। श्री हरिभाऊ जोशी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए विधेयक का समर्थन किया। सदस्य श्री शीतला सहाय ने कहा — ''भाग्य है, हमें सांस्कृतिक और साहित्य और कला की दृष्टि से उपयुक्त शिक्षामंत्री मिले हैं।'' आगे जाकर मध्यप्रदेश में जो कला आंदोलन हुआ उसकी शुरुआत 8 अगस्त 1973 से ही मानी जायेगी। विधेयक पर पूरी चर्चा यहाँ दी जा रही है—

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1973 (क्रमांक 29, सन् 1973) पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1973 (क्रमांक 29, सन् 1973) पर विचार किया जाये।

श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षामंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि देर से ही सही लेकिन इस बहुत जरूरी बात को समझकर उन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस समर्थन के साथ-साथ मैं दो-तीन बात कहना चाहता हूँ। यह विश्वविद्यालय अपने आप में ललित कलाओं के लिये एक विशेषज्ञ संस्था है और इस विश्वविद्यालय के संबंध में आज तक मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जो भी प्रयास करने चाहिये थे इस विश्वविद्यालय के संवर्धन में, उसको संवारने के लिये वे नहीं किये गये। आज तक वह अपेंडिक्स बनकर इस मध्यप्रदेश शासन के एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में पड़ा रहा। मैं समझता हूँ यह संशोधन विधेयक इस अपेंडिक्स को

हटाकर एक जरूरी एजूकेशनल माध्यम, एक जरूरी एजूकेशनल आयोग के रूप में अपने यहाँ काम करने में सक्षम होगा, ऐसी मेरी संशोधन से जो अपेक्षा है, वह पूर्ण होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय को यदि व्यवस्थित करना है तो फिर मैं दो-तीन बातें और करूँगा। और वह यह कि महाविद्यालयों को ग्रान्ट देने के लिये एक नियम बना है, उसकी एक लाल किताब है और उन नियमों के नियम 34 के अनुसार उसका एडमिसिबिल एक्सपेण्डीचर क्या होगा यह गवर्नमेन्ट समय-समय पर ले-डाउन करेगी, लेकिन इस नियम 34 के तहत एडमिसिबिल एक्सपेण्डीचर ले-डाउन न करने के कारण जो विशेष संस्था चल रही है उसको जो ग्रान्ट मिलनी चाहिये थी उसको मिलने का सवाल नहीं आया और जैसा कि एक आदमी को गधा और घोड़ा साथ-साथ चराने के लिये कह दिया जावे उसी तरह से इस विशेष संस्था को दूसरे महाविद्यालयों के साथ-साथ एक साथ चलाया जा रहा है। जब ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के तहत शिक्षा विभाग में ग्रान्ट के लिये वहाँ का प्रिन्सिपल जाता है तब विभाग के लोग कहते हैं कहिए प्रिन्सिपल साहब आप संगीत विद्यालय चला रहे हैं— लेकिन हमने तो एक पच्चीस का रेशियो रखा है यानी 25 या 45 विद्यार्थी होंगे तब एक टीचर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सितार के क्लास में 25 लड़के होंगे तब वह एक टीचर देंगे। लेकिन वह इतना नहीं समझ सकते कि एक टीचर को जो सितार का है उसको संगीत करने के लिये एक तबला मास्टर भी लगता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह जो आप संशोधन लाये हैं इस यूनिवर्सिटी को सक्षम बनाने के लिये आप और जो भी तरीका अपनायें वह सब सम्यक रूप से व्यवस्थित हो यही मेरा निवेदन है। गधा और घोड़ा एक साथ चराने का यह मामला नहीं है बल्कि मैं इसके सीनेट का एक सदस्य भी हूँ। ग्वालियर, इन्दौर में भी जो संस्थाएँ हैं जिसको इस यूनिवर्सिटी ने कॉलेज रिकग्नाईज किया है उस कॉलेज के जो प्रमुख हैं वह तो प्रिन्सिपल हुए लेकिन शिक्षा विभाग में जो प्रिन्सिपल हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का वह डी.ई.ओ. के हाथ के नीचे काम कर रहा है और डी.ई.ओ. साहब उसकी सर्विस पुस्तिका लिखते हैं और उसके कैरेक्टर रोल को खराब करते रहते हैं। इसलिये इस प्रकार की विशेषज्ञ संस्था के मामले में आप एक यूनिट बनाइये, खैरागढ़ विश्वविद्यालय को टेक्नीकल एक्सपर्ट को साथ लेकर एक आयोग बनाने के लिये चाहे वह थ्रीमेन्स कमेटी हो; और ललित कलाओं के लिये ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि हर प्रकार के और अंगों के लिये भी एक क्लासीफिकेशन करने की कृपा करें। वहाँ के टीचर्स के लिये सुविधाएँ दें, और भी अन्य सुविधाएँ दें। यदि इस प्रकार से आप इतना आश्वासन दें तो इस संशोधन की जो मंशा है, वह कुछ अंशों तक पूरी हो जायेगी। पूरी हद तक पूरी करने के लिये तो और भी बहुत-सी बातें करनी होंगी, ज़िनके लिये इस समय वक्त नहीं है। जब खैरागढ़ विश्वविद्यालय के लिये और भी संशोधन करने होंगे, तब देखूँगा, उस पर मैं आज चर्चा करना नहीं चाहता। इन ललित कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिये केवल भाषणों से, या सूचना प्रकाशन विभाग से फोटो छपवाकर किसी अधिकारी या मिनिस्टर की, मैं ठीक नहीं समझूँगा। माननीय मुख्यमंत्री खैरागढ़ गये थे। उनके भाषण के पूर्व ही खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि हम मर रहे हैं, पैसा नहीं है, बहुत-सी परेशानियाँ हैं। अब उनकी परेशानी क्यों है? वे क्यों मर रहे हैं, इसका भी इतिहास हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब है, इसका भी इतिहास हो सकता है, यह यूनिवर्सिटी कैसे पैदा हुई इसका भी इतिहास हो सकता है, लेकिन मैं इन सबकी चर्चा नहीं करता। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम एक लाख रुपया देंगे। स्वाभाविक था, कोई भी मुख्यमंत्री जाता या मंत्री जाता, तो उनकी वह दयनीय स्थिति देखकर यह कहना स्वाभाविक था लेकिन इसके साथ-साथ जब उस घोषणा को पूर्ण करने का सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री को मिलता और हमको भी उसको सुनने का सौभाग्य मिलता कि वह घोषणा पूर्ण हो गई। मेरी जानकारी जहाँ तक है अभी तक एक लाख रुपया उस विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। स्थिति यह है कि इस विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पास पैसा नहीं है, इस विश्वविद्यालय के रोजमर्रा के काम चलाने के लिये कोई खर्चे का प्रावधान नहीं है। उस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये, ललित कलाओं के इस क्षेत्र के लिये पैसा एक महत्वपूर्ण चीज है। अभी शाम को हम अब्दुल हलीम साहब का कार्यक्रम सुनने वाले हैं, उसमें पैसा नहीं खर्च होगा मान लिया, उसमें एजूकेशन मिनिस्टर सा. की ग्रान्ट है मान

लिया, हमने उसके लिये धन्यवाद भी दे दिया। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि वह विश्वविद्यालय इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित भी करना चाहे तो वहाँ के विद्यार्थी उसकी लय को, उसकी अन्य बातों को कैसे समझ सकेंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा। इस विश्वविद्यालय को पंगु रखकर तो काम नहीं कर सकेंगे उसको पैसा दिया जाये। ग्राण्ट परिपूर्ण की जाये। इन्दौर विश्वविद्यालय का क्या हाल है, विक्रम विश्वविद्यालय का क्या हाल है, किस मजबूरी में काम चल रहे हैं? यह सब गवर्नमेंट के ग्रान्ट पर ही चलेगा। इसलिये यदि इस विश्वविद्यालय को चलाना है तो अधिकाधिक ग्रांट सरकार को देकर चलाना होगा। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान लूँगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता खोड़े (खरगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसका हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं भी उस विश्वविद्यालय के सीनेट की सदस्य हूँ। हमारा यह विश्वविद्यालय उन्नति करे, ललित कलाओं का विकास हो हमारे प्रदेश के लिये यह बहुत आवश्यक है। यहाँ पर ललित कलाओं का विकास हो, उनकी उन्नति हो क्यों कि यह कहावत है कि 'साहित्य संगीत कला विहीना। पशु पुच्छ-विषाण-हीना।' हमारा प्रदेश पहले से ही कला की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। एक बार जोशीजी हमारे साथ यूनिवर्सिटी की बैठक में भाग लेने के लिये जा रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि यह बोगस यूनिवर्सिटी है लेकिन जब उनको अनुभव हुआ तो आज वे कह रहे हैं कि उसका विकास होना चाहिये, ललित कलाओं की उन्नति होनी चाहिये। यूनिवर्सिटी का विकास होना चाहिये। संगीत कला, नृत्य कला का विकास होना चाहिये। इसमें जो संशोधन लाया गया है यह बहुत समय पहले मिल गया था लेकिन मैं इसको बारीकी से देख नहीं सकी हूँ। जहाँ तक मैंने इसको देखा है उससे ऐसा लगता है कि जितने भी संगीत कला के कॉलेज प्रदेश में चल रहे हैं उनको इस विश्वविद्यालय से एफीलिएट किया जायेगा। जब हम यूनिवर्सिटी की मीटिंग में गये थे उस समय यह मालूम हुआ था कि वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको जो पे मिलती है वह मिडिल स्कूल के शिक्षक के बराबर मिलती है। इसलिए उनके पे स्केल बढ़ाये जाना चाहिए। उनका केडर हायर होना चाहिये। जैसा कि अभी जोशीजी ने कहा है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षामंत्री महोदय का इस ओर ध्यान गया है। इस यूनिवर्सिटी का केडर ऊँचा हो, वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनका पे स्केल ऊँचा हो, जिससे कि यूनिवर्सिटी का काम ठीक ढंग से चल सकेगा और हमारे प्रदेश में ललित कलाओं का विकास हो सकेगा। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनिट में समाप्त कर दूँगा क्योंकि मैंने यह समय शिक्षामंत्री जी के समय में से लिया है। मेरी एक शंका है कि प्रदेश में जिस प्रकार से कृषि महाविद्यालय असफल हुए हैं वैसी स्थिति कहीं इसकी न हो। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की जो व्यवस्था है वह आज निकृष्टतम व्यवस्था है। इसी प्रकार से सीहोर का कॉलेज है, इन्दौर का है, जहाँ-जहाँ पर भी हैं उनकी व्यवस्था बड़ी खराब हो गई है। अगर जबलपुर का ही विकसित हो गया हो तो हम यह कह सकते थे कि चलो कम से कम प्रदेश में एक कृषि विद्यालय तो नेतृत्व कर रहा है लेकिन उसकी भी बड़ी खराब दशा हो गई है। मेरी यह शंका है कि कहीं इस यूनिवर्सिटी की भी वही हालत न हो जाये। इस स्थिति से बचने के लिये यह आवश्यक है कि उस ओर अभी से शासन ध्यान दे। प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के कॉलेज चल रहे हैं उन सब कॉलेजों को आप इस विश्वविद्यालय से एफीलिएट करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में जितनी भी कलाएँ हैं उनका ठीक रूप से विकास नहीं हो पाया है। उन कालेजों की प्रगति न रुक जाये, कलाओं का ठीक रूप से विकास हो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। प्रदेश में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो कि सौ-सौ साल से चल रहे हैं ग्वालियर का कॉलेज सौ वर्ष से चल रहा है। वहाँ पर जो टीचर काम करते हैं उनका ग्रेड यू.डी.सी. का नहीं हुआ है। अभी तक उनका ग्रेड रिवाइज नहीं हुआ है। इसलिये यह आवश्यक है कि उनका पे फिक्सेशन किया जाये, जो कि गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड हैं जैसे ग्वालियर का कॉलेज जीवाजीराव यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड है लेकिन वहाँ के टीचर्स की पे बहुत कम है। वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वे किसी भी कॉलेज के टीचर्स से अधिक समय खर्च करते हैं उनको अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार से वे छात्रों को भी अध्यापन कार्य कराते हैं, उनको तुरन्त रिवाइज्ड ग्रेड दिये जाने चाहिए। भाग्य है, हमें सांस्कृतिक और साहित्य और

कला की दृष्टि से उपयुक्त शिक्षामंत्री मिले हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इन सब लोगों को यू.जी.सी के ग्रेड दिये जावें। तो इन दोनों बातों पर शिक्षामंत्री जी विचार करेंगे तो अच्छा होगा।

श्री अर्जुनसिंह : मा. उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस पर विचार करते हुए श्री जोशी जी ने कुछ आशंकाएँ व्यक्त की हैं और क्लासीफिकेशन के संबंध में अनुदान के नियमों का उल्लेख किया है। यह बात सही है कि जो अनुदान के नियम हैं उनमें उनका उल्लेख है यही वस्तुस्थिति भी है। इसमें दो राय नहीं है और मैं समझता हूँ कि जब सब संस्थाएँ इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जावेंगी तो मेरे मत में शीतला सहाय जी की शंका का तो समाधान हो जावेगा साथ ही साथ यह भी समस्या हल हो जावेगी कि कौन-कौन सी संस्था विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकती है और किस-किस संस्था को कितना महत्व दिया जाना चाहिये। अभी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश की संस्थाओं का क्लासीफिकेशन किये जाते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि जो कॉलेज हैं उनको कॉलेज का दर्जा दिया जाना चाहिए और जो उससे कम हैं उनको कम दर्जा दिया जाना है इसी हिसाब से उनको कम ज्यादा अनुदान भी दिया जाने लगेगा, जो जैसा होगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा।

श्री शीतला सहाय : जब आप इंदौर और ग्वालियर के महाविद्यालयों को हस्तांतरण करेंगे तो उनकी आप ग्रेड देकर व्यवस्था करेंगे और फिर, ग्रान्ट इन एड देते समय भी इस बात का ख्याल रखा जावेगा और उसके अनुसार नियम भी बनाये जावेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन कॉलेजेज के हस्तान्तरण करते समय, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करते समय उनको यू.जी.सी. के ग्रेड दिये जावेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : ग्वालियर और इन्दौर के जो कॉलेजेज अभी चल रहे हैं और जो कॉलेज शासन की ओर से पूरे तौर से चलाये जा रहे हैं शासकीय कॉलेजों के जो ग्रेड हैं तो जो कॉलेज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे उनको ग्रेड देना विश्वविद्यालय के विवेक पर नहीं छोड़ा जावेगा। वह तो सरकार तय करेगी आज भी तय करती है। उनके सम्बद्ध हो जाने से कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

श्री हरिभाऊ जोशी : जो भी क्लासीफिकेशन करेगा, विश्वविद्यालय या सरकार उसके लिये कोई दो-तीन आदमियों की कमेटी बनाई जावेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि संबंधित कॉलेजों के विशेष एक्सपर्ट उस कमेटी में एन्गेज किये जावें और उस हिसाब से क्लासीफिकेशन हो तो अधिक अच्छा होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के कार्यक्षेत्र के बाहर है। जोशी जी ने जो सुझाव दिया है इसको मैं महाविद्यालय के कुलपति के पास पहुँचा दूँगा। आपका जो सुझाव है वह उपयुक्त है और उसी आधार पर क्लासीफिकेशन करने का प्रयास किया जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक केन्द्रीयकरण का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने प्रदेश के विभिन्न भागों में जो संगीत की मान्यताएँ हैं, परम्पराएँ हैं, उन परम्पराओं को, उन मान्यताओं के महत्व को कम करने की मंशा इस विधेयक के द्वारा नहीं है बल्कि मैं मानता हूँ कि यदि इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर कर दिया जायेगा तो जो कमियाँ हैं, उनको दूर करने में सहायता मिलेगी और केन्द्रीय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और उसका लाभ उन महाविद्यालयों को मिलेगा जो इससे संबद्ध होंगे। उनके माध्यम से इस क्षेत्र में सेवा की जा रही है उसमें हमें सहायता मिलेगी।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी महाविद्यालय चल रहे हैं उनके ग्रेड कब तक बराबर कर देंगे?

श्री अर्जुनसिंह : अभी कुछ कह नहीं सकता लेकिन इस विषय में जो कुछ हो सकेगा, करने का प्रयास करूँगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि इसे पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 (क्रमांक 29, सन् 1973) पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने। (प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 (क्रमांक 29, सन् 1973) पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 (क्रमांक 29, सन् 1973) पारित किया जाये।

प्रश्न यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1973 (क्रमांक 29, सन् 1973) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/8 अगस्त 1973, पृष्ठ/1604-1609)

शीतकालीन सत्र 24 दिसम्बर 1973 से प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए। 27 दिसम्बर को सदस्य श्री होमी दाजी (इन्दौर-2) ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल का एक वर्षीय पाठ्यक्रम घोषित न होने के विषय में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूरी चर्चा यहाँ दी जा रही है—

श्री होमी दाजी (इन्दौर-2) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन शिक्षामंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें।

विषय इस प्रकार है— "माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकण्डरी की परीक्षा एक वर्षीय पाठ्यक्रम पर आधारित होगी यह घोषित किया गया है। परन्तु पाठ्यक्रम क्या होगा यह अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। परीक्षा को केवल तीन माह बचे हैं और लाखों विद्यार्थी दुविधा में फंस गये हैं और उनमें तीव्र क्षोभ और चिन्ता व्याप्त है।"

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन् 1971 तक प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दसवीं कक्षा के बाद हाई स्कूल परीक्षा एवं 11वीं परीक्षा के बाद उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ली जाती थी। 1971 में हाई स्कूल परीक्षा प्रणाली समाप्त की गई और इस नीति की घोषणा की गई कि उस वर्ष जिन छात्रों ने नवीं कक्षा में प्रवेश लिया था उनकी परीक्षा समय आने पर अर्थात् 1974 में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार ली जायेगी मण्डल की आगामी परीक्षा की तैयारी इसी अनुसार की जा रही थी।

इसी बीच इस माह के शुरू में प्रान्त के विभिन्न भागों में छात्रों ने सार्वजनिक रूप से माँग की कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा एक वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाये।

स्थिति की गम्भीरता और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के होने में कम समय बचा है यह देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया कि 1974 की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा केवल ग्यारहवीं के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम से होगी और प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक न होगा। शासन को यह भी आदेश देना था कि यदि मण्डल द्वारा किसी विषय में ग्यारहवीं कक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित न हो तो कौन-सा पाठ्यक्रम माना जावे। शासन ने यह आदेश 12-12-73 को माध्यमिक शिक्षा मण्डल को दिया था और वैधानिक रूप से पालन में आवश्यक प्रतिवेदन 22-12-73 को विधानसभा को प्रस्तुत कर दिया गया है। जिन 22 विषयों में कक्षा 11वीं का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने पहले पृथकतः निर्धारित नहीं किया था अथवा अंकों का विभाजन परिवर्तन करना आवश्यक था उन में 11वीं कक्षा का पाठ्यक्रम शासन ने 22-12-73 को निर्धारित कर दिया है।

एक वर्षीय पाठ्यक्रम और उसके मुताबिक परीक्षा ली जाने के विषय में शासन और माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने आवश्यक कार्यवाही की है। और विद्यालयों को सूचना और प्रेस के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और जनता

को आवश्यक सूचना दे दी गई है।

श्री होमी दाजी : यह तो धन्यवाद की बात है कि शासन ने विद्यार्थियों की बात मान ली। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि क्या प्रायवेट तौर पर बैठने वाले छात्रों के लिये भी यह पाठ्यक्रम लागू होगा या केवल नियमित छात्रों के लिये ही?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने तो इसमें कहा है कि जो प्रायवेट छात्र हैं, स्वाध्यायी हैं जो इस साल इम्तहान देने वाले हैं उन पर भी लागू होगा और इसीलिये उनको भी भेजा जा रहा है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस पर दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल तो यह है कि आपके माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने तय किया था कि प्रेक्टिकल और थ्योरी में पास होना चाहिये। क्या यह एज्यूकेशन स्टैंडर्ड के आधार पर स्टैंडर्ड डेवलप करने के आधार पर तय किया था और बाद में आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसीजन ले लिया आपसे पूछकर या न पूछकर यह तो मुझे नहीं मालूम लेकिन जब मौका आयेगा तब कहूँगा। लेकिन एक डिसीजन हुआ और तय हुआ कि प्रेक्टिकल में और थ्योरी में एक साथ पास होना चाहिये। मैं जानना चाहता हूँ कि यह डिसीजन लेने की जरूरत क्या पड़ी और अगर कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था तो उस समय क्यों नहीं सुधार लिया गया?

श्री अर्जुनसिंह : सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य के इस भ्रम का निवारण करना चाहूँगा कि इस विषय में निर्णय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप नहीं लिया। इस विषय पर हर स्तर पर शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मण्डल और सब के परामर्श के बाद ही मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया। जहाँ तक आपका यह कहना है कि यह निर्णय लेकर सुधार किया गया है या नहीं किया गया तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि यह उचित होता कि इस प्रकार की माँग न उठाई जाती। लेकिन चूँकि अन्य परिस्थितियाँ सामने थीं। एक तो छात्रों को कम समय भी मिला और इस साल पढ़ाई भी कम हुई; क्योंकि तरह-तरह के आन्दोलन हुए, इसलिये सार्वजनिक हित में यह समझा गया कि केवल एक वर्ष का पाठ्यक्रम ही रखा जाये।

श्री हरिभाऊ जोशी : अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि ये जो आन्दोलन हुए क्या इनमें प्रमुख तौर पर विद्यार्थी ही सामने आये क्योंकि मेरी दृष्टि से इसमें मुझे संदेह है और जिसे मैं आपसे शंका के रूप में पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लोग भी थे जो शिक्षा में परिवर्तन का विरोध करना चाहते थे, जो ईमानदारी से पढ़ना नहीं चाहते थे या बच्चों को ठीक तरह से ज्ञान नहीं मिलने देना चाहते थे, इसकी बिना जाँच किये यह निर्णय कैसे एन टाइम पर लिया गया? क्या इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ कि यह प्रश्न पूछ कर उन्होंने मुझे एक बात कहने का अवसर दिया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के निर्णय चाहे वे किसी भी विभाग से संबंधित क्यों न हों, इसके पीछे यदि कोई सेक्शन है, कोई अधिकार है तो केवल एक जागृत जनमत का अधिकार है और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता तो नहीं हो रही है, लेकिन इस दिशा में छात्रों के विचारों को छोड़ दें, उन लोगों के विचारों को छोड़ दें जिनकी तरफ आपने संकेत किया है। फिर भी मैं यह कहने को मजबूर हूँ कि जनमत को जागृत करने के लिये हमारे साथियों ने उतनी दूर तक पहल नहीं कि जितनी कि अपेक्षा थी। लेकिन यह बात सही है कि इस विषय पर केवल किसी वर्ग-विशेष के आग्रह पर विचार करके उसको स्वीकार करना निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम उचित नहीं होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए शासन प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार के निर्णय करने के पहले विचार करता है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक एश्योरेंस चाहूँगा चूँकि यह मामला ऐसा है कि हर परीक्षा के पहले आन्दोलन होता। लॉ एण्ड ऑर्डर के नाम एज्यूकेशन स्टैंडर्ड को ताक पर रख दिया जाता है, और कोई निर्णय ले लिया जाता है जहाँ तक अभी जो आपने संकेत किया कि ऐसे लोग जो जनमत जागृत कर सकते हैं तो मैं इससे थोड़ा-सा इन्कार करता हूँ इस आरोप से। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह काफी नहीं था कि इतने बड़े-बड़े आंदोलन होने के बाद भी हम लोगों ने कोई मेरिट पर सोचकर निर्णय नहीं लिया। यह आग में घी डालने

वाला काम हमारी ओर से नहीं है, क्या यह उसका समर्थन नहीं था।

श्री प्रकाशचन्द सेठी (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी अपवाद हैं, क्योंकि ये स्वयं एक शिक्षा संस्था चलाते हैं। बाकी अपने साथियों से पूछें।

श्री हरिभाऊ जोशी : परीक्षायें आवें और कोई आंदोलन होवें उस आंदोलन पर मैरिट पर विचार करने के बाद कोई निर्णय लेने के बारे में शासन प्रयत्न नहीं करेगा? यह मेरा आरोप है कि इस मामले में मैरिट पर विचार नहीं किया गया है। आइंदा के लिये मैरिट पर निर्णय लेने के लिए विचार करेंगे?

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है। मुझे कृपा करके जवाब देने का अवसर दीजिये। जोशी जी को सेठी जी अपवाद समझते रहते हैं।

अध्यक्ष : वे एक जगह के हैं, घर के हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा है कि जोशी जी अपवाद हैं?

श्री शीतला सहाय : जरा अपनी फाइल को निकाल कर सेठी जी देखें कि झगड़े के पीछे उनकी गुटबाजी है और उस गुट ने झगड़ा कराया है। ग्वालियर का उदाहरण देखें साफ-साफ इशारा किया है। अध्यक्ष महोदय, एक बात कह लेने दीजिये (व्यवधान)

अध्यक्ष : यह नहीं कहने दूँगा।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि चर्चा हो, प्रश्न हो तो ठीक है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है यहाँ जगजीवनराम जी का प्रश्न कैसे आ सकता है?

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं परिधि में आता हूँ अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि 3 साल का कोर्स एक साल में लड़के कैसे करेंगे इस मामले में आपने मैरिट पर विचार नहीं किया? इस बात पर अभी विचार नहीं किया। जन जागरण कें सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप अव्यावहारिक निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में करके कैसा नागरिक बनाना चाहते हैं? कोई उसकी रूपरेखा रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये खुद भ्रमित हैं, जंगल में घूम रहे हैं, यह आयडियल नहीं है?

अध्यक्ष : यह मत का प्रश्न है।

श्री होमी दाजी : यह फैसला जल्दबाजी में किया गया है और कैसे किया गया है तो तीन-तीन साल की परीक्षा एक साल में कराना उचित नहीं है। शासन ने जो किया है स्टैंडर्ड ऊँचा करने के लिये वह ठीक है। एक साथ नहीं कराई जावे। यूरोप में तीन-तीन महीने में परीक्षा होती है। 6 महीने में थोड़े-थोड़े पेपर लें यदि गंदा पानी हो जावे तो पानी फेंका जाता है, बच्चा नहीं फेंका जाता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/27 दिसम्बर 1973, पृष्ठ/395-398)

मैं खुले दिमाग से मिलने-जुलने व देखने-परखने का आदी हूँ। काम का वह तरीका मुझे ज़्यादा पसंद है, जिसमें अधिक-से-अधिक लोगों को साथ लेकर चला जा सके।

— अर्जुनसिंह
(13 जून, 1980)



1974

1974

1974 का बजट सत्र 14 मार्च से प्रारम्भ हुआ। 19 मार्च को मध्यप्रदेश के महाविद्यालयीन एवं अ-महाविद्यालयीन शिक्षकों के वेतन और सेवाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर उनके बीच फैले असंतोष के वातावरण के सम्बन्ध में शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने सदन में वक्तव्य दिया —

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को विदित होगा कि प्रदेश के महाविद्यालयीन एवं अ-महाविद्यालयीन शिक्षकों के वेतन एवं सेवाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर उनके बीच असंतोष का वातावरण बना हुआ है। इस असंतोष से उत्पन्न परिस्थिति में शिक्षकों ने आगामी परीक्षाओं में सहयोग न देने का निर्णय लिया था।

मैं स्वीकार करता हूँ कि शिक्षकों की सेवा सम्बन्धी कई समस्याएँ हैं जो कि अनेकों वर्षों की अनिश्चितताओं का सामूहिक प्रभाव है। पिछले डेढ़ वर्ष में इन समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया है और अनेक विषयों में निश्चित नियम बनाये गये हैं जिसकी वजह से कई समस्याओं का समाधान हुआ है। फिर भी कुछ समस्याएँ शेष हैं और इसीलिये मैंने सार्वजनिक घोषणा की थी कि इन समस्त समस्याओं को सुलझाने के लिये दिनांक 1 से 5 मई 1974 के बीच में चर्चा करने के लिये तत्पर हूँ। मैंने सभी शिक्षकों से अनुरोध किया था कि वे समाज एवं छात्रों के प्रति अपने दायित्व के महत्व को समझते हुए आन्दोलनात्मक रास्ता न अपनाएँ ताकि परीक्षाओं में व्यवधान पैदा न हो और छात्रों का भविष्य अंधकारमय न बने।

महाविद्यालयीन शिक्षकों के प्रतिनिधियों से उनकी चार माँगों के सम्बन्ध में मेरी उनसे चर्चा हुई और मैंने उनकी माँगों के बारे में शासन का मत स्पष्ट किया। यह संतोष का विषय है कि इस चर्चा से संतुष्ट होकर महाविद्यालयीन शिक्षकों ने अपना घोषित आन्दोलन स्थगित कर दिया है।

विगत तीन दिनों से विभाग के अ-महाविद्यालयीन शिक्षकों एवं विभाग के अन्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विस्तार से मेरी चर्चा हुई और यह निश्चित किया गया है कि इनकी समस्त माँगों पर समयावधि में प्रत्येक स्तर पर विचार करके निर्णय लिया जाये। इसके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किया गया है :—

दिनांक 1 से 7 अप्रैल तक जिला स्तर पर, दिनांक 7 से 15 अप्रैल तक संभागीय स्तर पर और दि. 15 से 25 अप्रैल तक संचालनालय स्तर पर संबंधित समस्याओं पर विचार और निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा। जो विषय निर्णय के लिये शेष रहेंगे उन पर दिनांक 1 से 5 मई 1974 के बीच शासन स्तर पर विचार विमर्श करने का निर्णय लिया जायेगा।

मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि शिक्षकों के प्रतिनिधियों की ओर से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायेगा और आन्दोलनात्मक रवैया एवं परीक्षाओं की प्रक्रिया में असहयोग करने का प्रयास उनकी ओर से न किया जायेगा। शिक्षकों के सामूहिक विवेक एवं अपने दायित्वों के प्रति उनकी जागरूकता की वजह से ही यह निर्णय सम्भव हो सका है जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रदेश के छात्रों एवं अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी पूर्व में व्यक्त की गई आशा के अनुसार प्रदेश में परीक्षाओं का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित योजनानुसार पूरा किया जावेगा।

श्री शीतला सहाय : इस वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण चाहिए कि चार माँगों के बारे में स्पष्ट नहीं हो सका

है, मंत्री जी कृपया स्पष्टीकरण दे दें।

अध्यक्ष : उन्होंने स्टेटमेंट टेबल पर रखा है, आप देख लें।

श्री शीतला सहाय : जो स्टेटमेंट है उसी का स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार माँगों की विवेचना इसलिये नहीं की क्योंकि वह हमारे और उनके बीच चर्चा का विषय है इसलिये मैंने उसको बताना उचित नहीं समझा। अब मैं एक मिनिट समय और लेना चाहूँगा यद्यपि मैं उस पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता लेकिन माननीय सदस्यों को यहाँ से मैं इतना अवगत करा दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, तो कहा गया कि उससे परीक्षाओं पर असर पड़ेगा तो जब तक निर्णय क्या हुआ है इसको हम देख नहीं लेते तब तक उसके बारे में हम निश्चित तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री शीतला सहाय : आपने वक्तव्य दिया है कि उनकी चार माँगें हैं। तो वे चार माँगें क्या हैं और उनको पूरा करने का आपका क्या तरीका है यह आप कृपया बतला दें? जब आप यह वक्तव्य देते हैं तो हमारा इतना जानने का अधिकार हो जाता है कि आखिर वह चार माँगें क्या हैं?

अध्यक्ष : उनका स्टेटमेंट हो गया और वह टेबल पर है।

श्री शीतला सहाय : हमें स्टेटमेंट की बात जानने का अधिकार है। आखिर हम यहाँ सुनकर गूँगें तो नहीं बैठ सकते?

अध्यक्ष : उन्होंने बताया कि कुछ कारण है जिसके कारण वह नहीं बता सकते। समझौते की बात चल रही है।

श्री शीतला सहाय : जब हम को-ऑपरेशन का हाथ बढ़ाते हैं तो शासन भागता है। जब आपने सदन को विश्वास में लेकर एक वक्तव्य दिया और चार माँगों का संदर्भ दिया है तो हम जानना चाहते हैं कि वह कौ-कौन सी चार माँगें हैं।

अध्यक्ष : नहीं, मैं फोर्स नहीं कर सकता। आखिर किस प्रोसीजर के तहत आप पूछ रहे हैं यह बतायेंगे?

श्री शीतला सहाय : श्रीमान् जी इससे कोई असर नहीं पड़ता, जो वक्तव्य दिया गया है वह अपूर्ण है हमें उसका स्पष्टीकरण का मौका तो मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 मार्च 1974, पृष्ठ/386-388)

22 मार्च 1974 को उप-शिक्षामंत्री श्री भँवरलाल पोर्ते ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1974 सदन के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया। बाद में श्री हरिभाऊ जोशी और श्री पुरुषोत्तमलाल कौशिक द्वारा प्रकट की गयी आपत्तियों और प्रस्तावित संशोधन पर शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने विधि अनुकूल उत्तर दिया। विधेयक पारित हुआ। पूरी चर्चा यहाँ प्रस्तुत है :—

श्री भँवरलाल पोर्ते (उप-शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाये।

श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह एक छोटा-सा संशोधन विधेयक आया है। इसका विरोध करने का आग्रह नहीं है। अच्छे कामों में हम शासन का हमेशा साथ देते रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूँ। वह संशोधन बिल्कुल आखीर में है और वह यह है कि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को यह अधिकार प्राप्त करा रहे हैं कि 3 महीने तक सिलेक्शन कमेटी न बैठ सके तो, आज के कानून में यह पाबंदी है कि 3 महीने में सिलेक्शन कमेटी की नियुक्ति करना चाहिये। तीन महीने तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुलपति को अधिकार था कि वह नियुक्ति कर दे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीन महीने की अवधि के स्थान पर 6 महीने करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वह केवल 6 महीने की नहीं होगी यह अधिकार एक साल तक नियुक्ति करने के हैं, सवा साल तक

लेक्चरार बिना कुलपति की अनुमति के हो जायें, इसका मैं विरोध करता हूँ। सिलेक्शन कमेटी प्राइवेट बॉडीज के मामलों में विचार करती है तो आग्रह करते हैं कि उनके द्वारा ही नियुक्तियाँ हों और 2-3 महीने की अवधि देते हैं। इस समय अध्यक्ष महोदय, यह अवधि बढ़ाना ज्यादा हितकर नहीं होगा। रीजनल कौन्सिल्स को अपने आप कोऑप्शन लेने का अधिकर था लेकिन वह जबलपुर यूनिवर्सिटी को यह आवश्यक अधिकार इस प्रकार नहीं दिया गया कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को संलग्न करना चाहते हैं। इस जिद के कारण ही यह संशोधन लाया गया है। लेकिन यह संशोधन किसी दूसरे के अधिकारों का अपहरण नहीं करता, इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

जब यह संशोधन आया, रीवा यूनिवर्सिटी के जहाँ से शिक्षामंत्री जी उपस्थित हैं, वहाँ का एक किस्सा मालूम हुआ। वहाँ के कुलपति का टर्म्स खत्म हो रहा है, इसके कारण वहाँ के कुलपति महोदय ने बिना किसी पूर्व सूचना दिये, जिसकी सूचना यूनिवर्सिटी कोर्ट को भी नहीं मालूम, न वहाँ के अधिकारियों को मालूम और न कर्मचारियों को मालूम उन्होंने एक मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग में जो पहली बार मीटिंग बैठी, जितने भी लोग आये, बिना पूर्व निश्चित सूचना दिये, जो जो व्यक्ति आने चाहिये, कुछ लोग इकट्ठा हो गये जो कि कुलपति को अपने हित का समझते थे या जो कुलपति की स्वार्थपूर्ति करना चाहते थे; ऐसे लोगों की एक मीटिंग यूनिवर्सिटी में हो गई। जिस कुलपति के टर्म्स खत्म हो रहे हों उसकी पहली मीटिंग में पहला प्रस्ताव यह पास किया गया कि इन कुलपति महोदय के टर्म्स बढ़ा दिये जायें। अध्यक्ष महोदय, किसी विशिष्ट कुलपति महोदय के टर्म्स बढ़ाने के लिये न तो नोटिस दिया गया, न सीनेट की मीटिंग बुलाई गई। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कुछेक विशिष्ट व्यक्तियों को और कुलपति महोदय को इतने ही लोगों को सूचना मिली और उन्होंने बैठकर यह प्रस्ताव पास कर लिया। जब आप कुलपति के अधिकार बढ़ाते जा रहे हैं, उन पर रोक नहीं है, तो इस तरह से कुलपति शहंशाह हो जायेंगे। आपने एक रोक हटाने का प्रावधान किया है। प्रबन्ध कमेटी को मान्यता देकर छः महीने तक कुलपति अपनी नियुक्ति चला सकता है तो यह प्रेक्टिकली साल भर सवा साल भर तक चलता रहेगा और दूसरी बार जब प्रबन्ध समिति बैठेगी तो उसमें कोई मेम्बर आ गया तो ठीक और अगर नहीं आया तो फिर वह चलती रहेगी। इस यूनिवर्सिटी क्षेत्र के जो लोग रहते हैं आमतौर पर वे भी अन्य यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं। कुलपति महोदय का एक नोटिस गया कि फलाँ दिन मीटिंग अरेन्ज की गई है, आप आइये, लेकिन चूँकि उनको दूसरी जगह भी जाने को रहता है और वह कहते हैं, हम नहीं आते। तो इससे एक अवसर और मिल जाता है कि अपने चहेते उम्मीदवार की नियुक्ति कर दें। अभी यह तीन महीने का प्रावधान था जिसे आप छः महीने का प्रावधान परिवर्तित करना चाहते हैं, फिर एक साल और सवा साल का आयेगा। इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति कार्य करता रहेगा और जब वह इस प्रकार से साल सवा साल तक टेम्परेरी कार्य करता रहेगा तो फिर उसको परमानेन्ट रखेंगे। यूनिवर्सिटी कामन के अन्दर जो नियुक्त व्यक्ति एक साल तक रह गया तो फिर वह टेम्परेरी स्टॉफ के अन्दर नहीं रह सकता और उसको परमानेन्ट करना होगा। यह जो डिमाण्ड चल रही है उसमें आप उसको टेम्परेरी नहीं रख सकते। अगर इसको स्वीकार कर लिया जाये तो इसको भी मीट आउट करना होगा। इसलिये कुलपति महोदय को जो अधिकार तीन महीने का दिया गया है, उसको अब छः महीने का मत कीजिये।

श्री कृष्णपाल सिंह (विधिमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी कभी रीवा यूनिवर्सिटी देखने भी गये हैं कि वैसे ही भाषण दे रहे हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : शिक्षामंत्री महोदय रीवा यूनिवर्सिटी देखने का प्रोग्राम बनाएँ तो हम चले जायेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह : यह अगर जेल जायें, तो हम रीवा जेल भिजवा देंगे और ये वहीं से रीवा यूनिवर्सिटी देखते चले आयेंगे।

श्री अकबर अली आरिफ (रतलाम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 का समर्थन करने को खड़ा हुआ हूँ।

इस विधेयक में तीन बातों की व्यवस्था की गई है :—

(1) कोरेस्पोन्डेन्स कोर्स की व्यवस्था,
(2) विश्वविद्यालयों के स्नातकों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और
(3) लेक्चरार्स के एडहॉक एपाइन्टमेन्ट की व्यवस्था जो तीन महीने की कर दी गई थी उसमें दुरुस्ती।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मित्र श्री हरिभाऊ जोशी ने भी मोटे मन से इस विधेयक का समर्थन किया है वैसे उनकी आदत ऐसी नहीं है कि अच्छे कामों का समर्थन करें लेकिन आज उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि इसमें वास्तविकता है। इस संशोधन विधेयक को लाकर हमारे रास्ते में जो कठिनाई उत्पन्न होती थी उसको दूर करने का प्रयत्न किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि कोरेस्पोन्डेन्स कोर्स बड़ा आवश्यक है क्योंकि आज जो कॉलेजेज चलते हैं उनमें हमारे यहाँ के स्नातकों को बैठने की व्यवस्था नहीं है और अगर हम एज्यूकेशन के विस्तार को, उसके साधनों को ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहते और हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं और कॉलेजेज में न जाने की वजह से कोरेस्पोन्डेन्स कोर्स के जरिए अपनी तालीम को बढ़ा सकते हैं तो यह सुविधा दी जाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, कोरेस्पोन्डेन्स कोर्स कई विश्वविद्यालय में चलते हैं उनमें एकरूपता हो और हमारे विश्वविद्यालय के कोर्स में समन्वय हो इसके लिये यह उचित है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे ताकि भिन्न-भिन्न यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के कोर्स में आपस में भिन्नता पैदा न हो इसलिये यह व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यकलाप में समन्वय लाने के लिये यह संशोधन किया जावे। जो प्रदेश के बाहर के लोग हैं और जो कोरेस्पोन्डेन्स कोर्स जारी रखना चाहते हैं उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है, इसलिये यह संशोधन लाया गया है। हमारे यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए, विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए इसका स्वीकृत होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ ग्रेजुएट कॉन्स्टीयुएन्सीज हैं उनमें एक दूसरे के अन्दर ओवर लेपिंग न हो इसके लिये रजिस्ट्रेशन का समय निर्धारित किया गया था, उसकी एक अवधि दी गई थी कि विद्यार्थी किसी एक विश्वविद्यालय का चयन कर ले लेकिन अभी तक ऐस हुआ नहीं है उसमें कठिनाई आ रही है इसलिये उसकी अवधि बढ़ाने की भी इसमें माँग की गई है। 6 महीने की अवधि का संशोधन उचित है इसको स्वीकृत करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। आज जो ओवर लेपिंग हो रहा है वह खत्म हो जावेगा और विद्यार्थी किसी एक यूनिवर्सिटी का ही चयन कर सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक एडहॉक एपाइन्टमेन्ट का प्रश्न है पहले इसमें तीन महीने का प्रावधान था सिलेक्ट कमेटी तीन महीने में भी ऐसी नहीं है लेकिन देखा यह गया है कि जैसा अभी जोशी जी ने कहा, तीन महीने के एपाइन्टमेन्ट के नाम पर तीन-तीन महीने के बजाये तीन-तीन साल तक चलते रहते थे।

श्री हरिभाऊ जोशी : अभी जब तीन महीने के लिये है तब यह हाल है और जब 6 महीने का कर रहे हैं तो क्या होगा?

श्री अकबर अली आरिफ : तीन महीने का एक्सक्यूज था, सिलेक्शन कमेटी मीट नहीं करती थी और टाला करती थी।

यह बात उचित है कि 3 महीने का समय कम पड़ता है इस कारण 6 महीने का समय रखा है ताकि यह कहने का अवसर नहीं रहे कि समय कम होने से मीटिंग आमंत्रित करने का अवसर नहीं मिला। इसके द्वारा अध्यक्ष महोदय नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार होता है, उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 6 महीने के एडहॉक एपाइन्टमेन्ट की जो माँग की गई है वह बहुत ही उचित है। मैं शासन और शिक्षा विभाग को इसके लिये धन्यवाद देता हूँ, उसने यह समयानुकूल कार्य किया है। यह संशोधन लाना बहुत ही आवश्यक था। यह समयानुकूल है अतः मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री सुधीर मुकर्जी (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसकी जो धारा 46 है उसका मैं समर्थन करता हूँ लेकिन दूसरी धारा जो 49 में संशोधन चाहा गया है, उसका मैं विरोध करता हूँ। वह इसलिये जैसा कि पहले माननीय सदस्य कह चुके हैं इस धारा के जरिये लम्बे अर्से तक कुलपति द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार माँगा जा रहा है। इसके माध्यम से बिना सिलेक्ट

कमेटी के इमरजेन्सी एपॉइन्टमेन्ट करने का अधिकार दिया जा रहा है। जिसकी अवधि बढ़ाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव इस संबंध में यह है कि इस तरह से जहाँ आरबट्रेरी पॉवर यूज करने का मौका दिया गया है वहाँ असन्तोष भड़का है। विशेष रूपसे मेरा अनुभव है कि रविशंकर विश्वविद्यालय में जो इस प्रकार के एपॉइन्टमेंट हुए जहाँ बिना सिलेक्ट कमेटी के एपॉइन्टमेंट हुए वहाँ असन्तोष बढ़ा है। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ और साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में जो 7 सदस्य रखने का प्रावधान है उसमें 3 गवर्नर के द्वारा नामजद होंगे, एक पी.एस.सी. का सदस्य होगा। इस प्रकार यह 4 हो जाते हैं। बाकी 3 सदस्य बचते हैं इनक्लूडिंग वाइस चान्सलर। इस प्रकार हर स्थान में 7 सदस्यों की कमेटी में गवर्नर का जो इन्टरफियरेन्स है वह भयंकर स्थिति पैदा करेगा। जिसकी शुरूआत है। अध्यक्ष महोदय, यह तो पूरे मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश के नाम से केवल एक यूनिवर्सिटी होती किन्तु जब शासन द्वारा भिन्न-भिन्न इलाकों में भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालय कायम किये गये हैं तब यह आवश्यक है कि उनमें भिन्न-भिन्न लोगों का समावेश होना चाहिये ताकि विभिन्न प्रकार के इन्टलेजिन्सियाँ का लाभ मिल सके।

आज कुलाधिपति की दखलंदाजी के नाम पर इलाके में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के इलाके में कुलाधिपति की दखलंदाजी के कारण वहाँ पर छात्र असन्तोष हैं और जनता में भी असंतोष है। अध्यक्ष महोदय, यह कहना आउट ऑफ प्लेस न होगा कि जबलपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। वहाँ की हालत देखें। वहाँ ठाकुर को वाइस चान्सलर लाकर खड़ा किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अतः मैं वह नाम वापस लेता हूँ। आज जबलपुर विश्वविद्यालय की क्या हालत है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य को किसी का नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री सुधीर मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम पहले ही वापिस ले लिया है। तो आप ऐसा संशोधन न लायें जिसके जरिये आप ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव रखें। क्या आप यूनिवर्सिटी की ॲटॉनॉमी पर कदम-कदम पर दखल देंगे? अगर दखल देंगे तो इसके अंजाम खराब होंगे। मध्यप्रदेश में यूनिवर्सिटी की ॲटॉनॉमी को मजबूत करने की जरूरत है। दूसरे अमेन्डमेन्ट के जरिये यह यूनिवर्सिटी को ॲटॉनॉमी पर आघात है। कुलपति और कुलाधिपति का दर्जा बढ़ाने के लिए आप यह गलत काम कर रहे हैं। इसका अमल होने पर यह बहुत बुरा असर लायेगा। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी धारा 49 के संशोधन को विथ ड्रा कर लेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (बैरागढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से धारा 46 में जो संशोधन किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ और धारा 49 के बारे में मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि जो अस्थायी नियुक्ति 3 महीने की विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कर दी जाती है तो क्या तीन महीने में शासन कमेटी बैठ कर उसकी नियुक्ति नहीं कर सकती। कौन-सा तर्क है जिसके जरिए तीन महीने में स्थायी नियुक्ति नहीं की जा सकती? कौन-सा कारण है। मंत्री महोदय के टेलीफोन पर और चान्सलर के टेलीफोन पर नियुक्ति होगी और उसको बढ़ाया जावेगा। जो प्रजातांत्रिक तरीका है, सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से नियुक्तियाँ होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकार दिये जा सकते हैं कि 3 महीने लिए नियुक्ति कर लें और जो 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूँ। शिक्षामंत्री ॲटॉनॉमी में विश्वास करते हैं और वे पहले के तीन महीने ही रहने देंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री पुरुषोत्तमलाल कौशिक (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, धारा 46 का संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पत्राचार के बारे में जो संशोधन लाया गया है और उसमें प्रदेश के बाहर के लोगों को पढ़ाने का प्रावधान रखा है। निरन्तर इस बात की शिकायत आती है कि और लोगों में असन्तोष है कि बजाये स्थानीय लोगों के नौकरी मिलने के बाहर के लोगों को चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों या दूसरे प्रदेश के हों किसी रिश्तेदार के जरिये यहाँ आकर यहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करके नौकरी पाने की कोशिश में रहे हैं। इस पत्राचार के माध्यम से किसी विश्वविद्यालय के यहाँ छात्र होकर नौकरी के मामले में किसी न किसी तरीके से तिगड़म करके रोजगार पाने की कोशिश होगी इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। इसे मैं समझ नहीं पाता

कि पूरे देश में विश्वविद्यालय हैं और वहाँ भी निश्चित रूप से इस संबंध में विचार हो रहा होगा।

अध्यक्ष : आप बाद में बोलिए।

(1 बजे से ढाई बजे तक अन्तराल)

{ उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये }

श्री पुरुषोत्तमलाल कौशिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में जो विश्वविद्यालय का प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र है उसके बाहर के छात्रों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने की छूट इसमें देने का प्रावधान रखा गया है, उसमें खतरा गुप्त रूप से निहित है। इस प्रदेश में वैसे ही विश्वविद्यालय पिछड़े क्षेत्र में स्थापित हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहाँ तो और भी स्थानीय लोगों की बेरोजगारी की समस्या भीषण है, विकट है। उपाध्यक्ष महोदय जब इस बात की जाँच करना है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी रोजगार दफ्तर हैं, जहाँ-जहाँ हैं, वहाँ जिन वर्गों के नाम रोजगार पाने के लिये दर्ज हैं, यदि उसकी जाँच की जाये, जाँच को सीमित न रखा जाये, तो पता लगेगा कि जिनके नाम दर्ज हैं, उनके रिश्तेदार मध्यप्रदेश में किसी न किसी रूप में यहाँ सेवा में हैं, या कुछ वर्षों से बसे हुए हैं, और इस आधार पर उनको मध्यप्रदेश का निवासी माना जाता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिनके नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज हैं, जो किसी दूसरे प्रदेश के हैं, ऐसी हालत में यह पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विश्वविद्यालय का छात्र घोषित करने का अवसर दिया गया। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के जो पढ़े-लिखे लोग निकल रहे हैं, उनके लिये रोजगार का जो अभी अवसर उपलब्ध है, वह भी समाप्त हो जाने वाला है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूँगा कि इस पर पुनर्विचार करें और भी यह बताने की कोशिश करें कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? थोड़ी देर के लिये इसे मान भी लिया जाये कि मध्यप्रदेश के अन्दर जितने विश्वविद्यालय हैं इनको ढील दी जा सकती है लेकिन मध्यप्रदेश के बाहर के छात्रों को जो मध्यप्रदेश में आकर रहते हैं उनको यदि पत्राचार के माध्यम से शिक्षा हासिल करने की छूट दी जाती है, तो मैं यह समझता हूँ कि यह एक बहुत खतरनाक बात होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर वे विचार करें। ऐसे ही बहुत दिनों की बात नहीं है, कल-परसों की घटना है केवल रोजगार समस्या को लेकर रायपुर के छात्र रोजगार कार्यालय पर गये और उन्होंने जानना चाहा कि रोजगार व्यवस्था में कितने लोगों का नाम दर्ज है, कितनी जगहें हैं और क्या-क्या सुविधाएँ सुलभ हैं, इसी बात को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन चला 22 छात्र विश्वविद्यालय के गिरफ्तार हैं, केवल रोजगार के सवाल को लेकर। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें अधिक ढिलाई दें और बाहर के लोगों को यहाँ आकर नाम दर्ज कराने की छूट दी तो यह आंदोलन बढ़ सकता है और भड़क सकता है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? मैं फिर से मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे फिर से विचार करें, विश्वविद्यालय को छूट दी जा रही है उस पर वह प्रतिबन्ध लगावें। तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में यह देखा गया है, हमेशा असंतोष बढ़ा है। जब-जब एडहॉक नियुक्ति किसी कुलपति की की गई असन्तोष बढ़ा, और फिर तीव्र रूप से आरोप लगाया गया कि स्थानीय लोगों की उपेक्षा करके अपने नाते रिश्तेदारों अथवा अपने से जुड़े हुये लोगों को बिठाने का प्रयत्न किया गया। गुण-दोष के आधार पर मैं शिकायत की बात नहीं करता लेकिन जैसा कि जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हंगामा मचा और उसमें यह बात सामने आई कि इस प्रदेश में अधिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की उपेक्षा की गई है। फिर जो इसमें कुलाधिपति को अधिकार दिये गये हैं, उससे भी असन्तोष बढ़ा, नियुक्तियों के मामले को लेकर यह तमाम बातें उत्पन्न हुईं। आज ही, उपाध्यक्ष जी मुझे रासलीला के नाम से एक चिट्ठी मिली है, अन्य सदस्यों को भी मिली होगी जब अवसर आयेगा नियमानुसार सूचना देकर मंत्री जी की जानकारी में लाऊँगा। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मंत्री जी से मैं यह कहूँगा कि वे इस पर विचार करें और एडहॉक नियुक्ति के लिये तीन या छः महीने का प्रावधान है, मैं उसका विरोध करता हूँ। तीन महीने की जो अवधि दी गई है मैं उसका भी

विरोध करता हूँ और चाहता हूँ कि संशोधन लाकर इस प्रावधान को समाप्त करना चाहिये। हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में यदि आस्था है तो उस प्रणाली के गुण-दोषों के आधार पर व्यवस्था करना चाहिये ताकि आरोप लगाने का अवसर न मिले। वैसे यह बहुत आवश्यक इसलिये भी है क्योंकि इसका संबंध शिक्षा से है। जो अध्यापक नियुक्त होते हैं उन पर छात्र का विश्वास नहीं होता। वह भी असन्तोष का कारण बन सकता है। इसलिये एडहॉक नियुक्ति का अधिकार देना आपत्तिजनक है, हानिकारक है और शिक्षा पद्धति के विपरीत है। इसलिये मैं दोनों प्रावधानों का विरोध करता हूँ। विधानसभा सत्र जब 14 मार्च को शुरू होने वाला था तो जरूरी नहीं था कि आर्डिनेंस द्वारा इसको लागू किया जाता लेकिन जहाँ-तहाँ जो कुछ कहा गया है उससे ऐसा लगता है कि जो उद्देश्य है, उससे भिन्न ही काम होता रहा है। शासन ने इस संबंध में जल्दबाजी की है और विधानसभा के पास में रहते हुए भी राज्यपाल के अधिकार का दुरुपयोग करवाकर अध्यादेश जारी करवाया है और इसलिये आशंका होना स्वाभाविक है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का विवादास्पद संशोधन लाना उचित नहीं है। ऐसे लोगों की नियुक्तियाँ होनी चाहिये जिनमें कि कम से कम विवाद होने की गुंजाइश हो। मेरा यह निवेदन है कि जो विवादास्पद संशोधन है इसको वापिस लेना चाहिये और मेरा यह भी कहना है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आगे सोच विचार कर इस प्रकार का संशोधन लावें कि जिससे कि शिक्षा व्यवसायोन्मुखी हो। आशा है कि आगे आप उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम तमाम लोग उस संबंध में आपका समर्थन और सहयोग करेंगे। मा. अध्यक्ष महोदय, जो इसमें प्रावधान रखे गये हैं, उनका मैं विरोध करता हूँ और मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि वे इस संशोधन को वापस लेंगे।

श्री भँवरलाल पोर्ते (उप-शिक्षामंत्री) : मा. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो और शिक्षा सरलता से उपलब्ध हो सके, उसके लिये पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान विश्वविद्यालय में रखा गया है और अभी तक जो प्रावधान था वह सीमा के अन्दर था। अब मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की अनुमति से इसकी सीमा के क्षेत्र को अन्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों में भी लागू किया गया है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों में समन्वय लाया जा सके। इसी प्रकार धारा 46 में जो संशोधन लाया जा रहा है, उसमें जो ग्रेजुएट कांस्टीट्एन्सीज में वोटर्स के रजिस्ट्रेशन की अवधि 6 मास की थी उसको बढ़ाया जा रहा है, इस प्रकार धारा 49 में एडहॉक की नियुक्ति की तीन महीने की अवधि थी वह समाप्त हो रही थी, उसको 6 महीने तक बढ़ाया जा रहा है ताकि इस अवधि में केंडीडेट को रेग्युलराइज किया जा सके। ये साधारण संशोधन किये गये हैं इनको पारित किया जावे।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : मा. अध्यक्ष महोदय जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके पीछे जो उद्देश्य था, वह तो सदन को मालूम ही है और इस संबंध में मा. सदस्यों ने चर्चा की है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों की शिकायत की गई है श्री कौशिक जी ने और जोशी जी ने एडहॉक नियुक्तियों के बारे में अपने अनुभव और उसके आधार पर भविष्य की आशंकाएँ भी व्यक्त की हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मूलतः तदर्थ नियुक्ति कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। इसको मैं स्वीकार करता हूँ और जहाँ तक संभव हो सके चुनाव करके जो भी प्रक्रिया निर्धारित हो, उसके बाद ही नियुक्ति होनी चाहिये। प्रायः यही प्रयास किया जाता है। लेकिन कुछ कार्यक्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें कि एक शिक्षा का भी कार्यक्षेत्र है, जहाँ एक निश्चित अवधि के अन्दर अध्यापक या लेक्चरार जिनकी भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करनी पड़ती है, यदि विद्यालय या महाविद्यालय पहली जुलाई से खुलते हैं तो वहाँ छात्रों की पढ़ाई के लिये अध्यापकों का प्रबंध करना आवश्यक है और इसके लिये विलम्ब नहीं कर सकते हैं, हम लोक सेवा आयोग या जो दूसरी प्रक्रिया है उसके ऊपर बन्धन नहीं लगा सकते हैं, इसलिये उस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक वहाँ के छात्रों का शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई में कुछ नुकासन होगा इसके लिये इमरजेंसी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई है। जहाँ तक शासन के द्वारा जो इमरजेंसी नियुक्ति होती है, उसके लिये नियम बन चुके हैं, इमरजेंसी नियुक्ति या एडहॉक नियुक्ति का मतलब यह नहीं कि चाहे जिसको नियुक्त कर दें। उसका मतलब यह है कि योग्यता के आधार पर किसको नियुक्ति मिल सकती है, या नहीं मिल सकती, उसमें भी सिलेक्शन की व्यवस्था है। चाहे वह कमेटी के द्वारा हो या शासन के द्वारा हो।

श्री हरिभाऊ जोशी : उपकुलपति या कुलपति ने जो नियुक्ति की है, उसको मैरिट के आधार पर चेलेंज किया गया है, क्या आपने एक भी मसले को हल कर दिया है कि कुलपति के द्वारा की गई नियुक्ति सेट एसाईड होगी। कुलपति की नियुक्ति ही चल रही है।

श्री अर्जुनसिंह : हमारी मंशा यही है कि इस प्रकार की नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय में या और कहीं, जिनकी तरफ कि माननीय सदस्य ने संकेत किया, न हो सकें। यही मेरा प्रयास है, केवल आप इस बात को ध्यान में रखें कि एक निश्चित अवधि में कोई काम करने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, जैसा जोशी जी ने कहा। सिलेक्शन कमेटी उच्चकोटि के व्यक्ति रखना चाहती हैं, हो सकता है कि उनकी सुविधानुसार मीटिंग करने में कठिनाई हो और मीटिंग के अभाव में नियुक्तियाँ हों। इसलिये उनकी सुविधा के लिये तीन माह के स्थान पर 6 माह किया गया है। बिना मीटिंग के कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। यह प्रयास रहेगा। माननीय कौशिक जी ने कहा कि ऑर्डिनेंस क्यों निकाला गया। मैंने पहले ऑर्डिनेंस नहीं निकाला। गत सत्र में विधेयक के रूप में विधानसभा के समक्ष रखा गया था लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो सकी। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिये कुछ नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, इसलिये ऑर्डिनेंस निकाला गया।

दूसरा प्रश्न जो कौशिक जी ने उठाया है, वह निश्चित रूप से इस प्रदेश के छात्रों से संबंधित है। मैं उनकी इस भावना से सहमत हूँ कि उनका प्रयोग इस प्रदेश के नागरिकों और इस प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखकर होना चाहिये। चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे भविष्य का सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हो, आप ध्यान रखें कि यह सब प्रयास करते हुए भी हमें कुछ सीमाओं और बंधनों के बीच रहकर काम करना पड़ेगा। हम ऐसा विधान नहीं बना सकते, जिसके द्वारा यह रोक लगा दें कि इस प्रदेश के बाहर के छात्र संविधान द्वारा प्राप्त अपने हक हकूक से वंचित हो जायें क्योंकि ऐसा करना संवैधानिक नहीं होगा। इसलिये जहाँ तक इस प्रस्ताव का सवाल है, इसके बारे में संविधान के अन्तर्गत जितना प्रयास कर सकते हैं, उसके लिये शासन स्वयं सतर्क है। अपनी जिम्मेदारी को हम समझते हैं और इस प्रदेश के छात्रों के भविष्य के बारे में चिन्ता है, आप मानें, आपसे कम ही सही लेकिन चिन्ता हमें भी है। जहाँ तक पत्राचार के पाठ्यक्रम का प्रश्न है, कौशिक जी ने उसके हर पहलू को समझने का प्रयास नहीं किया, पत्राचार के पाठ्यक्रम में प्रदेश के बाहर के छात्रों को सुविधा देने का सवाल नहीं है, पत्राचार पाठ्यक्रम प्रवेश करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि आज यूनिवर्सिटी में प्रवेश देकर शिक्षा देने के जो साधन हैं, वह सीमित हैं और छात्रों की पढ़ने की इच्छा ऊँची है। भरती होने के लिये जो प्रयास हैं वह ज्यादा हैं, नतीजा यह हो रहा है कि शिक्षा का स्टैंडर्ड घट रहा है और संख्या बढ़ रही है। इस चीज में संतुलन लाने के लिये यह प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति कोरेस्पांडेंस कोर्स के माध्यम से नियमित रूप से भरती न होकर, कोर्स करना चाहे, उसके लिये साधन हो जाये। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ऐसे लोग हैं, जो रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके साथ उनका प्रयास रहता है कि शैक्षणिक जगत में और भी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकें।

श्री पुरुषोत्तमलाल कौशिक : प्रदेश के अन्दर के छात्रों के बारे में हम भी सहमत हैं, लेकिन प्रदेश के बाहर के लोगों को पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से जो सुविधा दी गई है, उसका विरोध है, उसमें संभावनाएँ यह बनी रहती हैं कि नौकरी में घुसपैठ करें।

श्री अर्जुनसिंह : अभी तक माध्यमिक शिक्षा मण्डल है, उसके अन्दर देश के कोने-कोने से छात्र बैठते हैं, तो मनाही नहीं कर सकते। नियमों के अन्तर्गत अगर पात्रता रखता है तो शामिल हो सकता है। जहाँ तक कि अन्य विषयों का संकेत किया गया। मैं माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के हम भी पक्ष में हैं और न केवल सुरक्षित रखने बल्कि सार्थक बनाये रखना ज्यादा महत्व रखता है और ऐसा प्रावधान हो ताकि जो स्वायत्त संस्थाएँ हैं, वह सही रूप से अपनी भूमिका निभा सकें और जितने भी स्टैच्ट्स बनाये जा रहे हैं, कानून के अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे हैं, उसमें हम प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिये स्वतंत्र हो और इस रूप में कार्य करे ताकि उनके प्रति जो दुर्भावना प्रचलित है, वह समाप्त हो।

श्री हरिभाऊ जोशी : जो अधिकार दे रहे हैं, उसके तहत रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति जी तुफैल कर रहे हैं, उसको देखें?

श्री अर्जुनसिंह : मैं मध्यप्रदेश का हूँ। रीवा का नहीं हूँ, फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि चुनाव में ज्यादा अनियमितताएँ हुई हैं, तो उसके लिये प्रक्रिया है, उसका अनुसरण करके जो भी कार्यवाही की जा सकती है, की जाये, मैं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूँ और जो शायद इसके अनुरूप होगा जो माननीय सदस्य ने जाहिर किया है, कि विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को हाथ न लगावें चाहे रीवा विश्वविद्यालय हो, चाहे उज्जैन विश्वविद्यालय हो, जो प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है, हम अपनी ओर से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने में अपने आपको असमर्थ मानते हैं।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 (क्रमांक 2, सन् 1974) पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री भँवरलाल पोर्ते (उप-शिक्षामंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 (क्रमांक 2, सन् 1974) पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 (क्रमांक 2, सन् 1974) पारित किया जाये।

श्री हरिभाऊ जोशी : यह जो 6 महीने की अवधि रखी है वह किसी माने में मान्य नहीं है। नियुक्तियों में अपने-अपने चहेतुओं को रखा जायेगा, यह हमारी आशंका है और यह आशंका साफ नहीं हो सकी है, इसलिये हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जोशी जी की आशंका दूर न हो तो यह हमारी लाचारी है, लेकिन जो हमारे सीनियर जोशी जी हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वह इस बात पर गौर करें, कि जब एक समय की सीमा बाँध दी जायेगी, तो उसमें 6 महीने का सवाल कैसे उठेगा।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : हरिभाऊ जी और अर्जुनसिंह जी के संबंध काफी अच्छे हैं, मुझे क्यों घसीट रहे हैं?

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 (क्रमांक 2, सन् 1974) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 मार्च 1974, पृष्ठ/804-813)

26 मार्च 1974 को शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों की समस्या को हल करने के ध्येय से मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक 1974 सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया। शिक्षा के क्षेत्र में श्री अर्जुनसिंह के प्रयत्नों की सराहना करते हुए सदस्यों ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया। विधेयक पारित हुआ—

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने की पृष्ठभूमि और औचित्य के बारे में आपकी अनुमति से एक लिखित वक्तव्य पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी उल्लेख है।

1—जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, गत वर्ष जबलपुर के एक निजी प्रकाशक ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं पाठ्य पुस्तक निगम की पाठ्य पुस्तकों के सामान्य प्रश्न पर न्यायालयों में विभिन्न मुद्दों पर मामले दायर किये थे। परिणामस्वरूप स्थिति को स्पष्ट करने की दृष्टि से मार्च 1973 में सदन द्वारा मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम 1973 पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने के अधिकार स्पष्ट कर दिए जावें। मोटे तौर पर प्राईमरी तथा मिडिल स्कूल, यानि कक्षा 1 से 8 तक, का पाठ्य विवरण राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कार्य क्षेत्र में रखा गया। सभी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार राज्य शासन को दिया गया, किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने के पहले राज्य शासन के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अनिवार्यतः परामर्श प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया। अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर जो भी पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें निर्धारित थीं, वे सब नवीन अधिनियम के अन्तर्गत पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें समझी जावेंगी यह प्रावधान भी रखा गया।

2—सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शासन तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, द्वारा अलग-अलग स्तर के पाठ्य विवरण और पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने के अधिकारों पर विचार किया है और रिट (याचिका) 1177 सन् 1973 (नारायण दास इन्दुरख्या विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य) में दिनांक 18 मार्च के फैसले में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। मेरे विचार में यह आवश्यक है कि न्यायालय के मुख्य निष्कर्ष सदन के सामने रख दिए जावें ताकि—

(1) प्रदेश में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों की स्थिति स्पष्ट हो सके, और

(2) नवीन विधेयक के औचित्य के विषय पर संदेह न रहे।

3—सर्वोच्च न्यायालय का पहला निष्कर्ष यह है कि पूर्व से ही राज्य शासन को कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार था और शासन द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जा चुकी हैं, वे वैधानिक हैं। दिनांक 23-3-73 को मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 प्रवृत्त होने पर यह पाठ्य पुस्तकें कानून की नजर में निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं।

4—दूसरा निष्कर्ष यह है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल को पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार कभी नहीं था। निष्कर्ष विशेषतः भाषा से संबंधी पाठ्य पुस्तकों को लागू है। अतः मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 के दिनांक 23-3-73 को प्रवृत्त होने पर कानून की नजर में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कोई भी निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं थी। इसके कारण 23 मार्च 1973 के बाद भी उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं रह जातीं।

5—तीसरा निष्कर्ष यह है कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 के प्रवृत्त होने के बाद राज्य शासन ने दिनांक 24-5-73 को उच्चतर माध्यमिक स्तर की कुछ पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की हैं। विधान के प्रावधानों के अनुसार इस निर्धारण के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल से औपचारिक परामर्श प्राप्त न करने के कारण यह निर्धारण गैर कानूनी है।

26 मार्च 1974 को शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों की समस्या को हल करने के ध्येय से मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक 1974 सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया। शिक्षा के क्षेत्र में श्री अर्जुनसिंह के प्रयत्नों की सराहना करते हुए सदस्यों ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया। विधेयक पारित हुआ—

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने की पृष्ठभूमि और औचित्य के बारे में आपकी अनुमति से एक लिखित वक्तव्य पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी उल्लेख है।

1—जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, गत वर्ष जबलपुर के एक निजी प्रकाशक ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं पाठ्य पुस्तक निगम की पाठ्य पुस्तकों के सामान्य प्रश्न पर न्यायालयों में विभिन्न मुद्दों पर मामले दायर किये थे। परिणामस्वरूप स्थिति को स्पष्ट करने की दृष्टि से मार्च 1973 में सदन द्वारा मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम 1973 पारित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने के अधिकार स्पष्ट कर दिए जावें। मोटे तौर पर प्राईमरी तथा मिडिल स्कूल, यानि कक्षा 1 से 8 तक, का पाठ्य विवरण राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कार्य क्षेत्र में रखा गया। सभी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार राज्य शासन को दिया गया, किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने के पहले राज्य शासन के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल से अनिवार्यतः परामर्श प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया। अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर जो भी पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें निर्धारित थीं, वे सब नवीन अधिनियम के अन्तर्गत पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें समझी जावेंगी यह प्रावधान भी रखा गया।

2—सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शासन तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, द्वारा अलग-अलग स्तर के पाठ्य विवरण और पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने के अधिकारों पर विचार किया है और रिट (याचिका) 1177 सन् 1973 (नारायण दास इन्दुरख्या विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य) में दिनांक 18 मार्च के फैसले में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। मेरे विचार में यह आवश्यक है कि न्यायालय के मुख्य निष्कर्ष सदन के सामने रख दिए जावें ताकि—

(1) प्रदेश में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों की स्थिति स्पष्ट हो सके, और

(2) नवीन विधेयक के औचित्य के विषय पर संदेह न रहे।

3—सर्वोच्च न्यायालय का पहला निष्कर्ष यह है कि पूर्व से ही राज्य शासन को कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार था और शासन द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जा चुकी हैं, वे वैधानिक हैं। दिनांक 23-3-73 को मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 प्रवृत्त होने पर यह पाठ्य पुस्तकें कानून की नजर में निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं।

4—दूसरा निष्कर्ष यह है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल को पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार कभी नहीं था। निष्कर्ष विशेषतः भाषा से संबंधी पाठ्य पुस्तकों को लागू है। अतः मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 के दिनांक 23-3-73 को प्रवृत्त होने पर कानून की नजर में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कोई भी निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं थी। इसके कारण 23 मार्च 1973 के बाद भी उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं रह जातीं।

5—तीसरा निष्कर्ष यह है कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 के प्रवृत्त होने के बाद राज्य शासन ने दिनांक 24-5-73 को उच्चतर माध्यमिक स्तर की कुछ पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की हैं। विधान के प्रावधानों के अनुसार इस निर्धारण के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल से औपचारिक परामर्श प्राप्त न करने के कारण यह निर्धारण गैर कानूनी है।

6—इस विश्लेषण के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 की धारा 4 को वैध घोषित किया है और यह भी कहा है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता।

7—इन तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों की स्थिति संदेह से परे है और इसके संबंध में शासन के द्वारा कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

8—उच्चतर माध्यमिक स्तर की भाषा पाठ्य पुस्तकों के बारे में यह संदेह हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल को पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार न होने से मण्डल की भविष्य की परीक्षाओं के लिए कौन-सी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जावे। भाषाओं के पाठ्य विवरणों के संबंध में स्थिति यह है कि कहीं-कहीं मण्डल ने पाठ्य विवरण में पाठों का उल्लेख करने के स्थान पर पाठ्य पुस्तकों का ही उल्लेख किया है। अतः ऐसे पाठ्य विवरणों के बारे में भी संदेह हो सकता है। 1959 में मण्डल के गठन से ही पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य विवरणों की स्थिति यही रही है।

9—इसी पृष्ठभूमि में यह आवश्यक हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मण्डल के गठन की तिथि से प्रवृत्त भाषा सम्बन्धी पाठ्य विवरणों एवं पाठ्य पुस्तकों को वैधानिक मान्यता दी जावे। अतः आज जो विधेयक सदन के सामने विचार के लिए रखा गया है, उसमें यह प्रावधान है कि मण्डल द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 1959 से भाषा संबंधी पाठ्य विवरण तथा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें मान्य होंगी और मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम 1973 के प्रवृत्त होने के बाद भी पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्य विवरण एवं पाठ्य पुस्तकें होंगी।

10—भविष्य के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताई प्रक्रिया के अनुसार ही मण्डल से औपचारिक परामर्श प्राप्त किया जावेगा। इसके लिए सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) पर विचार किया जाये।

श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रक्रिया है इस सम्बन्ध में हमारा पहला आक्षेप है और मुझे खेद है क्योंकि आपको स्मरण होगा कि मैंने एडजर्नमेंट मोशन इसी विषय पर मूव्ह किया था और अपेक्षा की थी कि उसके बारे में जो विश्लेषण है वह पहले हमें प्राप्त हो जाये। माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि शिक्षामंत्री जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रमाणित प्रति मँगा लें, जो जजमेण्ट है उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अभी निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेण्ट की प्रमाणित प्रति मिली है उसके आधार पर ही उन्होंने अपना वक्तव्य तैयार किया है। यह बुनियादी रूप से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है यदि देखा जाये, सरसरी निगाह से, नहीं तो यह इन्टरप्रेटेशन का मामला है। अगर विश्लेषण ही रखा जाये तो उसका अभ्यास किया तो भी कुछ समय हम लोगों को मिलना चाहिए। इतना लम्बा-चौड़ा विश्लेषण आपने रखा है और इसमें कानून का प्रावधान क्या था, सरकार का अधिकार क्या था, सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा थी इस विषय में बिल के एक टुकड़े को भी आपने सामने रख दिया कि इसको पास कर दिया जाये। बुनियादी तौर पर आपकी परेशानी यह है कि चूँकि परीक्षाएँ पास में आ गई हैं और शिक्षामंत्री जी या राज्य शासन विद्यार्थियों को दी जाने वाली पुस्तकों के मामले में कोई गलतफहमी न हो तो यह चिन्ता दोनों को होना स्वाभाविक है और यही चिन्ता हम लोगों को है। इसके कारण बिना किसी हीले-हवाले के हम इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ इसका इन्टरप्रिटेशन कुछ भी हो, वह तर्क के लिए कुछ भी हो लेकिन समझ में आने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि बताया गया है अपने निर्णय में कहा है कि किसको अधिकार था और किसको अधिकार नहीं था, अध्यक्ष महोदय यदि मेरे पास उसकी भाषा आती तो मैं इस पर अधिक कुछ कहने की स्थिति में होता। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि कानून में कुछ भी रहा हो, शिक्षा मण्डल को इसका अधिकार नहीं था। इसके, अध्यक्ष महोदय, बाहर क्या परिणाम हो रहे हैं। इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर में जो इन्ट्रेस्टेड

लोग थे इसका प्रचार कर रहे हैं कि शिक्षा मण्डल को पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने का अधिकार नहीं था। कानून की दृष्टि से कुछ भी रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव छात्रों पर कोई अच्छा नहीं हो रहा है। छात्रों के दूसरे अपरिपक्व दिमाग वाले लोगों पर इसका क्या असर होगा। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, बालकों पर जो भारी पैसा खर्च करने का भार पड़ता है, काफी पैसे किताबों के लिए खर्च करना पड़ते हैं, उन पर इसका क्या असर होगा। इसलिए शासन का यह दायित्व होता है कि इस प्रकार कमजोरी के आदेश नहीं निकालना चाहिए? काफी सतर्कता के साथ आदेश देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुआ है यदि यह 6 महीने पहले होता तो, सुधार किया जा सकता था। लेकिन परीक्षा का समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर निर्णय हुआ है, इसने असमन्जस्य में डाल दिया है। मैं इस समय पर इसका समर्थन करता हूँ।

श्री शिवचरण पाठक (सेंवढ़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक, 1974 प्रस्तुत हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जैसा कि अभी माननीय शिक्षामंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि यह विधेयक आवश्यक था माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा पाठ्य पुस्तकें विहित की गई थीं, शासन की मंशा के विपरीत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है। उसके कारण अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। बिना निर्धारित पाठ्यक्रम के छात्रों को असुविधाएँ हो सकती हैं और उनको समुचित सहायता नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शिक्षामंत्री जी ने छात्रों की असुविधा को किस प्रकार से सुविधाजनक किया जाये, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे शिक्षा विभाग में और शिक्षा मण्डल में काफी सुधार हुआ है। परीक्षा प्रणाली में भी काफी सुधार हुआ है, इसका श्रेय विशेष रूप से शिक्षामंत्री के साथ ही साथ डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा और मिसेस बुच को है, जिन्होंने काफी सुधार किये हैं। छात्रों के बीच भी अच्छा वातावरण किस रूप में किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वह किया है इसका उपयुक्त असर हुआ है। पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम के द्वारा निश्चित रूप से शिक्षा पद्धति में सुधार हो सकेगा। उसके लिए यह आवश्यक था और उस तरफ हमारे राज्य शासन ने तथा हमारे मण्डल ने विचार किया और उसी दृष्टिकोण को देखते हुए यह पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का विधेयक यहाँ प्रस्तुत किया गया है इसमें अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि इसका मूल उद्देश्य जो हमारे सामने है वह जो रिट हुई वही इसका कारण है। उस रिट के कारण एक ऐसी वैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण यह विधेयक लाया जाना आवश्यक हो गया था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया है। हमारे राज्य शासन ने और माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने इस पर विचार किया कि जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रगति हो सके, सुधार हो सके, पाठ्यक्रम उपयुक्त हो सके, समुन्नत हो सके, यह विधेयक अध्यक्ष महोदय इसीलिए प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा कदम है कि जिसके माध्यम से शैक्षणिक विकास की दिशा में हम सफल हो सकते हैं। शैक्षणिक विकास की दिशा में जबकि हमारा पाठ्यक्रम सुनियोजित न हो, जबकि हमारी रूपरेखा ऐसी न हो कि जिसके माध्यम से हम अपनी भावी पीढ़ी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक कोई एक रूप दे सकें कि जिससे हमारे समाज में उचित शिक्षा प्राप्त कर छात्र सफल नागरिक बन सकें तो यह आवश्यक है कि हमारे पास रूपरेखा हो, हमारे पास प्रावधान हों और हमारे पास ऐसी परम्परा हो कि जिसके कारण हम उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकें। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए यह प्रणाली अपनाई गई है। हमारे शिक्षा मण्डल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था और उस अधिकार को देने के लिए उचित समय पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री जोशी जी ने बताया है कि परीक्षा का समय है, और वे इस कठिनाई को अनुभव करते हैं यह निश्चित है और इसलिए इस बात के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है, उनके दल की मजबूरी है, उनके दल की नीति की मजबूरी है कि विरोध करने के लिए वे फिर भी तैयार हैं जबकि वे सहमत हैं कि छात्रों के जीवन को देखते हुए, उनकी शिक्षा को देखते हुए और समय की स्थिति को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय, यह एक उचित कदम है तो उन्हें मुक्त कण्ठ से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ था जिसके कारण कई परेशानियाँ उत्पन्न हो गई थीं शिक्षा विभाग में परीक्षा के समय जो स्थिति दर्शायी गई थी और जो हर रोज अखबारों में पढ़ते थे कि किस-किस प्रकार की नकल और अन्य प्रकार की शिकायतें आती हैं उसमें सुधार हो उसके लिए यह जरूरी है कि शिक्षा का माध्यम ही उपयुक्त हो और उस दिशा में यह एक उपयुक्त रूपरेखा देने का प्रयास किया गया है और एक ऐसा प्रयास शुरू किया गया है, जो सर्वमान्य है। सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं इस बात के लिए माननीय शिक्षामंत्री जी को और माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अध्यक्ष को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक उपयुक्त कदम उठाया है। इस बात के लिए हमें मुक्त हृदय से उनको समर्थन देना चाहिए जिससे हमारा राज्य शासन और हमारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल और अधिक सक्षम कार्यवाही कर सके।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक (निवाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षामंत्री जी ने जो मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्यक्रम विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों के लिए) विधेयक, 1974 प्रस्तुत किया है, उसमें सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों के दिमाग में हमेशा यही रहता है कि विरोधी पक्ष हमेशा विरोध ही करता है। जोशी जी ने जो कुछ कहा वह तो माननीय सदस्य ने नहीं सुना उन्होंने समर्थन किया लेकिन माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यही कहा कि विरोध किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो विषय है इसका छात्रों से ताल्लुक है और छात्रों को किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें मिलनी चाहिए इसके बारे में शासन अच्छी तरह से सोचे। इसका इसलिए समर्थन करूँगा कि पिछले दिनों दूसरे प्रकाशकों द्वारा, नर्मदा प्रकाशन आदि द्वारा, ऐसी पुस्तकें छाप के बेची गईं जिससे छात्रों का पैसा बरबाद हुआ और यदि समय रहते आप उसमें कुछ कर लेते तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला न हुआ होता। इसके लिए शासन को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है ताकि कहीं सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला न हो जावे और आपको फिर असमंजस्य में पड़ना पड़े। इसके लिए आप भविष्य में सजग रहें। मैंने अखबारों में पढ़ा कि दूसरे प्रकाशकों ने जो पुस्तकें छपवाई हैं उनको बच्चे न पढ़ें सरकारी विज्ञप्ति में ऐसा कहा गया है। तो यह तो वही बात हुई कि आप चोर से कहते हैं कि चोरी कर और शाह से कहते हैं जागता रह। क्या यह उचित नहीं था कि यदि प्रकाशकों ने कोई गलत काम किया था तो उसको आपको रोकना चाहिए था आप तो छात्रों से कहते हैं कि इसको न पढ़ो। तो मेरा इतना ही कहना है कि भविष्य में शासन को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है यह मैं शासन से आशा करता हूँ।

श्री रामेश्वरदयाल दांतरे : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो गलत काम हुआ है इसके लिए शिक्षामंत्री जी को क्षमा माँगनी चाहिए और जिन अधिकारियों के कारण से यह समय देखना पड़ा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाना चाहिए।

अध्यक्ष : शिक्षामंत्री यदि अच्छे वकील होते तो मैं उनसे सदन में माफी माँगने के लिए कहता।

श्री माँगीलाल भण्डारी (नरसिंहगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक 1974 का समर्थन करता हूँ। इसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षामंत्री जी ठीक समय पर यह विधेयक लाये हैं। इस विधेयक से विद्यार्थियों के हित में जो लाभ होने वाले हैं वे उचित हैं इसलिए मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस विधेयक का, अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने भी अभी समर्थन किया है। इसमें मेरा निवेदन यह है कि भूगोल की जो पुस्तकें हैं छोटे-छोटे बच्चों की उसमें जो त्रुटियाँ हैं उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए तो उचित होगा। क्योंकि इन भूगोल की पुस्तकों से छोटे-छोटे बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है उसको आप जरा सतर्कता से लीजिए। अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ जिले में जो भूगोल छपा है उसमें जो जानकारी दी गई है वह गलत जानकारी दी गई है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये। ताकि छोटे-छोटे बच्चों को सही जानकारी मिले और वे प्रतिभावान छात्र बनकर आगे आयें।

दूसरी चीज यह है कि छोटे बच्चों से शाला विकास के नाम पर फीस ली जाती है। इस फीस को बन्द करें। इससे उन बच्चों को परेशानी होती है, उनके पालकों को परेशानी होती है और इस फीस का दुरुपयोग होता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो किताबों का कोर्स है उसको शासन जल्दी-जल्दी बदलता है। इससे पालकों पर बड़ा बोझ पड़ता है अतएव उसके बदलने में भी कमी करें। यदि एक पुस्तक पाठ्यक्रम में देते हैं उसको 5-7

साल तक चलायें तो पालकों पर किताबों का भार नहीं पड़ेगा और उस भार से वह बच जायेंगे।

दूसरी चीज यह है कि स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाती है और किताबें बच्चों को उपलब्ध नहीं होती हैं। इस ओर माननीय शिक्षामंत्री जी ध्यान देकर समय पर किताबें उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय, लार्ड मेकेले के समय से स्कूलों में गर्मियों में छुट्टियाँ देने की प्रथा चली आ रही है। मेरा सुझाव है कि गर्मियों की छुट्टी देने के स्थान पर वर्षाकालीन छुट्टी दी जाये जिससे वर्षाकाल में आने-जाने में, आवागमन में विद्यार्थियों को जो परेशानी होती है उससे वह बच सकें। इसलिए गर्मियों की छुट्टियों को वर्षाकालीन छुट्टी में परिवर्तित किया जाये। केवल यही मैं शिक्षामंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

खण्ड 2

श्री त्रिवेणीप्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जावे :—

पद (ङ) की तीसरी पंक्ति में शब्द

"दिये जाने वाले शिक्षण" के स्थान पर शब्द "दिये जाने वाले सुसंगत वर्ष के शिक्षण" रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम "सुसंगत वर्ष के शिक्षण" नहीं लिखते तो 10 साल पुरानी पाठ्य पुस्तकों का विवरण आ जायेगा और यह कहा जायेगा कि 10 साल के पहले की पुस्तकों में यह थी वह चलाना चाहिए। इसलिए यह सुसंगत वर्ष के शिक्षण शब्द लिखे जाना चाहिए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये— पद (ङ) की तीसरी पंक्ति में शब्द "दिए जाने वाले शिक्षण" के स्थान पर शब्द "दिये जाने वाले सुसंगत वर्ष के शिक्षण" रखे जायें।

(संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

(खण्ड 2 विधेयक का अंग बना)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 4 इस विधेयक का अंग बनें।

(खण्ड 3 से 4 विधेयक के अंग बने)

(खण्ड 1 विधेयक का अंग बना)

(पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने।)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्दों में माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय जोशी जी ने विधेयक के औचित्य को स्वीकार करते हुए विद्यार्थियों के मन में फैले हुए भ्रम के निवारण के विषय में शासन की ओर से कार्यवाही करने के विषय में जिक्र किया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ज्यों ही प्राप्त हुआ, समाचार-पत्रों से; विधिवत् निर्णय की कापी मँगाकर मैंने सम्पूर्ण जानकारी कानून के विशेषज्ञों से ली और माननीय जोशी जी को मालूम होगा इस सदन के सभी दलों के माननीय नेताओं से विचार करने के बाद ही इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा सका। इसके लिए दो-तीन दिन की देरी हुई, तो वह इस सम्बन्ध में इतने ज्यादा नाराज न होंगे।

जहाँ तक इस विधेयक में त्रुटि के दूर करने के प्रयास किये गये हैं तो इसके लिए कहा गया है कि पहले नहीं किया गया? तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष की गलती हम इसलिए नहीं मानते कि वर्ष 1959 में जो विधेयक पारित किया गया था और अभी तक उन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य होता रहा। यदि कहीं कोई गलती हो गई तो विधानसभा में जाने कितने विधेयक पारित होते हैं और न्यायालयों का यह काम है कि उसमें यदि गलती हो, तो वे निर्णय दें। इसलिए इसमें किसी की गलती का प्रश्न नहीं उठता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में पहले जो गलती थी उसका विधिवत् निराकरण करने की कार्यवाही विधानसभा ही करेगी और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इन प्रमुख मुद्दों को नजर में रखकर ही आगे की कार्यवाही की जावेगी।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल (पाठ्य विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों का विहित किया जाना) विधेयक, 1974 (क्रमांक 6, सन् 1974) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित किया गया)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 मार्च 1974, पृष्ठ/1044-1050)

26 मार्च 1974 को वित्त मंत्री श्री श्यामसुन्दर नारायण मुश्रान ने अपने बजट भाषण में कुछ संशोधन करना चाहा। श्री हरिभाऊ जोशी ने बजट में हुई इस भूल के लिए वित्त मंत्री से क्षमा माँगने का प्रस्ताव किया कि वे हाउस से क्षमा माँगें। अध्यक्ष महोदय के संकेत पर श्री मुश्रान ने तुरन्त क्षमायाचना कर ली। फिर आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा चलने लगी। दूसरे दिन 27 मार्च को श्री कैलाशचन्द्र जोशी ने इसे भयंकर भूल निरूपित करते हुए बजट को वापस लेने का प्रस्ताव किया। सदस्यों ने कहा कि संसदीय इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। सदस्यों ने इस औचित्य प्रश्न पर अध्यक्ष से व्यवस्था की माँग की। इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए श्री अर्जुनसिह ने कहा कि यह कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है। वित्त मंत्री की क्षमायाचना से बात समाप्त हो जाना चाहिए। इस दिलचस्प चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि आप आजकल अखबार वगैरह नहीं पढ़ते हैं कहीं 80 सदस्य दरख्वास्त करते हैं कहीं पाँच कम हो जाते हैं।

अध्यक्ष : इट इज नाट मेक एनी डिफरेंस टू मी, इससे फर्क क्या पड़ता है।

श्री शीतला सहाय : हर जागरूक अध्यक्ष को अखबार पढ़ने चाहिए। श्रीमान को यह भी नहीं मालूम है कि उपाध्यक्ष महोदय कहाँ गए हैं। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए।

अध्यक्ष : अभी इन्टरवल होगा उसमें पढ़ लूँगा।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (बागली) : अध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री ने सदन में जो वक्तव्य दिया उसकी

ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके प्रकाश में यह सारे बजट की चर्चा बेमानी हो रही है, इसलिए कि शासन की ओर से उसमें कोई साधारण भूल हो जाने की घटना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सारे विधान मण्डल के इतिहास में ऐसी कोई घटना ढूँढने से भी नहीं मिली है। इस प्रकार का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। शासन को यह नहीं मालूम है कि कौन-से करारोपण की कितनी राशि है। कल दिन भर चर्चा चलती रही है। शासन ने यह भयंकर भूल की है। मेरा यह निवेदन है कि बजट की चर्चा स्थगित की जाये और निजी तौर पर तो मेरा यह स्पष्ट मत है कि मंत्रिमण्डल को बजट प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए और फिर से प्रस्तुत करना चाहिए तब कहीं चर्चा हो पायेगी।

श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका बजट पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। कल जो वाकया हुआ है उस पर खेद प्रकट कर दिया गया है इसके बाद भी इस प्रश्न को उठाया जा रहा है, मुझे इस बात का दुख है। इसका बजट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और इसकी आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ रहा है, मैं कहता हूँ कि वित्त मंत्री जी की बुढ़ापे में शक्ति क्षीण हो गई है उसके कारण ही यह गलती हो गई है। हम मानते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं परन्तु मंत्रिमण्डल के अन्य लोग तो जवान हैं। फिर यह गलती कैसे हो गई? इस गलती के कारण यह बजट बेकाम हो गया है। मेरा यह निवेदन है कि जैसा कि आप कहते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 80 लाख का प्रभाव नहीं पड़ेगा? सवाल इस बात का है कि जिस आधार को लेकर बजट बना है वह आधार तथ्यों के विपरीत है क्योंकि मंत्रिमण्डल को यह नहीं मालूम कि कितना करारोपण किस आधार पर है और उसका कहाँ प्रभाव पड़ रहा है और राज्यपाल महोदय की भी अनुमति प्राप्त हो गई है। आधार असत्य है जिस पर बजट पेश किया गया है। इस प्रकार की त्रुटि होने का उदाहरण नहीं मिलता और जिस बजट का आधार गलत तथ्यों पर हो वह बजट इस मा. सदन में विचार करने के योग्य नहीं है। उसको वापस लेना चाहिए और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना चाहिए।

अध्यक्ष : चूँकि यह अपने किस्म की एक मिसाल है और किसी प्रोसीडिंग में नहीं मिल रही है इसलिए मैं इसको रूलिंग की शक्ल देना चाहता हूँ। इस पर थोड़ी-सी चर्चा हो जाए फिर मैं अपनी रूलिंग दूँगा।

श्री हरदास गुप्ता (करेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि मंत्रीजी ने माफी माँग ली है परन्तु जब तक कि जो संशोधन किया गया है वह हर सदस्य की कापी में न कर दिया जाये तब तक आपके कहने मात्र से संशोधन नहीं हो सकता अतः जब तक हम लोगों को इसकी अमेण्डेड कापी नहीं मिल जाती तब तक इस पर चर्चा करना बेकार रहेगा। हर सदस्य को अमेण्डेड बजट की कापी मिलनी चाहिए।

श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) : अध्यक्ष महोदय, कल ही हमने हाउस के बाद चेम्बर में आपसे निवेदन किया था और कल से लेकर आज तक मैं इसके सम्बन्ध में ढूँढ़ता रहा किन्तु दुनिया के संसदीय इतिहास में ऐसा मसला कहीं नहीं है। साधारण भाषा की त्रुटि हो सकती है उसके लिए संशोधन का अधिकार है। जैसा प्रत्येक सदस्य को अधिकार है, वैसा ही मंत्रियों को भी अधिकार है कि वे भाषा को सुधार लें। करेक्शन के नाम पर जो भाषण दिया गया, वह साधारण नहीं है। सारा बजट उससे प्रभावित होता है। यह जो स्पष्टीकरण है उसमें कहीं यह नहीं बताया गया है कि यह जो कमी हो रही है उसका ज्ञान मंत्रिमण्डल को है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में सारे पार्लियामेण्ट्री प्रोसीजर में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। कहीं भी बुद्धिहीनता की इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिल पाती है, जहाँ इतना बड़ा मूर्खता का पहाड़ प्रस्तुत किया गया हो। इसकी मिसाल नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुशरान साहब ने सहृदयता से माफी माँग ली। मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा भारी भरकम सेक्रेटेरियट क्या है। वह क्या करता है। जो प्रिजम्पशन के आधार पर झूठे आँकड़े रख देता है और यह मंत्रिमण्डल उन पर दस्तखत कर देता है। जिस ब्यूरोक्रेसी को 3-3 हजार रुपये यह विधानसभा स्वीकार करती है, उसके कारण ऐसी शर्मनाक स्थिति में माननीय वित्त मंत्री को खड़े होना पड़ता है और माफी माँगना पड़ती है। हमारा राजनैतिक मतभेद

हो सकता है किन्तु ऐसी भूल के कारण हमारा मत्था भी शर्म से झुक जाता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ब्यूरोक्रेसी के वजह से माफी माँगना पड़े, यह बड़े शर्म की बात है। जहाँ 1 करोड़ की आय कम हो गई है, उस पर क्या विचार किया जा सकता है। आज की स्थिति में चूँकि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है इसलिए हम इसके लिए तैयार हैं कि आप इस पर समय लेकर विचार करें, इसके लिए नई मिसाल कायम करनी पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसके लिए नई मिसाल तैयार करें, आप इस पर रूलिंग दें। आप इस पर गंभीरता से विचार करें।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, कल जब माननीय वित्त मंत्रीजी ने सदन को जानकारी दी थी और जोशी जी के कथन पर माननीय मंत्रीजी ने माफी माँग ली थी, उस समय यह बात समाप्त हो गई थी।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं माननीय मंत्रीजी की सहृदयता की कदर करता हूँ जो इतना बड़ा हिमालयन ब्लन्डर हुआ है.....

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, उस समय सदन में कैलाश जोशी जी नहीं थे और शीतला सहाय जी भी नहीं थे, श्री हरिभाऊ जोशी थे; ये जनसंघ के अन्दर जो मतभेद है, उसके कारण हैं। आपके कहने से माननीय मंत्रीजी ने माफी माँग ली। कल हरिभाऊ जोशी ने इस मसले को उठाया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि कल आपने इसका फैसला दे दिया उसके बाद बजट में कई सदस्यों ने चर्चा की। अब उसके बाद आज इस मसले को नहीं उठाया जा सकता। हो सकता है दुनिया के पार्लियामेंट में इस तरह की मिसाल न हुई हो लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस भूल को स्वीकार किया। आज ऐसा कोई कारण सदन के सामने उपस्थित नहीं होता। जब आपकी रूलिंग के बाद माननीय वित्त मंत्रीजी ने उसको स्वीकार कर लिया तो उसी मसले को फिर से नहीं उठाया जा सकता। जनसंघ दल में आपसी फूट जबरदस्त है इसलिए हरिभाऊ जोशी ने जो कहा है, कैलाश जोशी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही मुझे कहना है।

श्री रामगोपाल गुप्त (ब्यौहारी) : वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट में संशोधन किया मैं इसकी ग्रेविटी या मंत्रीजी ने जो क्षमायाचना की है उसकी ओर न जाकर नियमों और रूलिंग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। नियम 149 के अन्दर बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए राज्यपाल महोदय के द्वारा तारीख और समय निश्चित होता है और 21 मार्च 1974 को तीन बजे दिन का समय निश्चित हुआ। इसमें— दि बजट रिसीट एण्ड एक्सपेंडीचर— शब्द का प्रयोग हुआ है। जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके अन्दर 75 लाख का विषय नहीं आता है। जब तक संशोधित रूप में पूर्ण बजट राज्यपाल महोदय की स्वीकृति लेकर नहीं आता तब तक यह बजट का पार्ट एण्ड पार्शल नहीं माना जा सकता। इसके बाद मैं स्थायी आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें संशोधनों का विषय आता है, प्रश्नों के उत्तर में अथवा वक्तव्य देने के सम्बन्ध में हो। यह विशेष प्रक्रिया छोटे विषय के लिए दी गई है, बजट का महत्व बड़ा है। स्थायी आदेश में जो प्रक्रिया दी हुई है वह इस प्रकार है :—

"12 (1) जब मंत्री उस जानकारी की किसी अशुद्धि को शुद्ध करना चाहे जो उसने किसी प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद में दी हो, तब निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा अर्थात् :—

(ए) मंत्री वक्तव्य देने के अपने अभिप्राय की सूचना सचिव को देगा। सूचना के साथ मंत्री द्वारा दिये जाने के लिए प्रस्तावित वक्तव्य की एक प्रति होगी।

(दो) जब सदन का सत्र चल रहा हो तब सचिव उस पद को किसी उपयुक्त दिवस की कार्यसूची में सम्मिलित करेगा और मंत्री, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर, सदन में वक्तव्य देगा।"

छोटे से विषय के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है। एक तरफ नियम 149 बन्धन लगाता है। दि बजट-रिसीट एण्ड एक्सपेंडीचर। जहाँ तक वित्त मंत्रीजी की क्षमा याचना का प्रश्न है यह उनकी उदारता है। इस तरह से सदन का यह अपमान है और इस सन्दर्भ में इसको देखना है।

श्री सवाईमल जैन (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो आपत्तियाँ विरोधी पक्ष द्वारा उठाई जा रही हैं कि राज्यपाल महोदय ने जो बजट को स्वीकृति दी है उसमें 1 करोड़ 80 लाख का प्रावधान था, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात बजट में नहीं है। बजट जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया है उसी तरह से

सदन में प्रस्तुत हुआ है। उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। संशोधन वित्त मंत्री के भाषण में हुआ है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि 37 करोड़ 48 लाख का घाटा है उसकी पूर्ति इस प्रकार से होगी। उसमें एक सुधार किया है कि जो टैक्स वसूल करना चाहते थे उसको इस प्रकार से संशोधित किया जाये, केवल इतनी ही बात है। बजट में कोई संशोधन नहीं किया गया इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बजट में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ और उसी प्रकार से जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल ने स्वीकृति दी है उसी प्रकार से सदन के समक्ष प्रस्तुत है। अतः कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जब तक बजट संशोधित नहीं होता तब तक बजट पर विचार नहीं किया जा सकता। दूसरा निवेदन है कि कल यह बात श्री जोशी जी ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज करके उठाई थी और उस पर आपकी रूलिंग भी हो गई और विषय समाप्त हो गया तो उसको फिर से उठाने की बात किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आती। यही मेरा निवेदन है।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कल इस बात पर से उठा क्योंकि माननीय वित्तमंत्री जी ने बजट में कुछ संशोधन करना उचित समझा, तथ्यों के आधार पर, और अपना वक्तव्य दिया और सदन के सामने क्षमा याचना की और यह प्रश्न वहीं समाप्त हुआ। सारी प्रक्रिया के मुताबिक जो प्रत्येक सदन में अपनाई जाती है किसी विषय पर माननीय मंत्री महोदयों द्वारा सदन में क्षमा माँगने के पश्चात् केवल शिष्टता के नाते वह मामला समाप्त माना जाता है। फिर भी माननीय सदस्य ने पुनः आज वही प्रश्न उठाया। जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने मुख्य दो मुद्दे सामने रखे हैं; एक तो संवैधानिक और दूसरा यह कि इस संशोधन से बजट का जो प्रारूप है उसमें ऐसा परिवर्तन हो गया है जो चर्चा करने के लिए मौलिक है और इसलिए चर्चा इस पर नहीं हो सकती। जैसा माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा यदि आपने वित्तमंत्री जी का वक्तव्य, जो आज उन्होंने दुहराया तो उनका कहना स्पष्ट है कि बजट के मौलिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फाइनेन्शल स्टेटमेंट में जो गेप था वह जरूर बढ़ा है और उस डेफिसिट को किस तरह पूरा किया जायेगा, यह अलग प्रश्न है। इस पर माननीय वित्त मंत्री महोदय विचार करके उचित समय पर सदन को सूचित करेंगे क्योंकि कोई टैक्सेशन बिना सदन की अनुमति के नहीं किया जा सकता। लिहाजा जब कोई घाटा पूरा करने का प्रश्न उठेगा तो वह सदन के सामने आये। जहाँ तक वैध संवैधानिक प्रश्न है, मैं गलती कर सकता हूँ समझने में और यदि विरोधी दल के नेता मेरी बात सुधारेंगे तो मैं स्वीकार करूँगा। जहाँ तक मान्य फाइनेन्शल प्रॉविजन्स हैं, टैक्सेशन मेजर के बारे में, जिम्मेदारी मूल रूप से जो प्युपिल रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अधिकार की बात है और जो चुनी हुई सरकार होती है वह टैक्सेशन मेजर बजट के माध्यम से लाती है। यही कारण है कि जितने भी भाषण राज्यपाल के हुए या अन्य संसदीय भवनों, वहाँ के हैड ऑफ दि स्टेट या किंग के होते हैं उनमें किसी भी में क्या कर लगाया जायेगा, किस प्रकार विवेचना की जाये यह किसी राज्यपाल या हेड ऑफ दि स्टेट के भाषण में नहीं रहता। वह तो केवल एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो हाउस को रिस्पान्सिबिल होती हैं वह प्रस्तुत करती है। उसमें संशोधन करने, कर को बढ़ाने या घटाने का काम सदन में हुई चर्चा और दल की संख्या में जो लोग हैं उसको देखकर कम या अधिक करते हैं। इसलिए यह कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है। राज्यपाल ने तिथि निश्चित कर दी थी इसलिए पूरे बजट का प्रारूप क्या होना चाहिए वह भी निश्चित होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न उसकी मर्यादा के बाहर ले जाने का प्रयास है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि चूँकि यह संशोधन माननीय वित्तमंत्री ने गेप घटाने के लिए, जैसा कल उन्होंने कहा, इसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता। जो गेप बढ़ा है उसको पूरा करने का प्रश्न आयेगा तो अलग से सदन के सामने वे आयेंगे और राज्यपाल महोदय के संशोधन से कोई संवैधानिक विरोधाभास नहीं उत्पन्न होता। इसलिए माननीय वित्तमंत्री जी के कल की क्षमा याचना से बात समाप्त की जाये।

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमान का ध्यान दिलाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय इस तरह का प्रश्न मध्यप्रदेश विधानसभा में पहली बार आया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सदन का कर्त्तव्य और बढ़ जाता है कि वह पूरी तरह से इस विषय पर विचार करे। अध्यक्ष महोदय यह मतभेद का प्रश्न नहीं है, सेठीजी इस तरह की बात कह कर गलती करते हैं, यह बात उनकी समझ

में नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, वह सारी प्रक्रिया जो बजट को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है, वह यह होती है कि पहले बजट तैयार होता है, तैयार होने के बाद उस पर केबीनेट विचार करता है इसके बाद राज्यपाल की अनुशंसा के साथ विधानसभा में प्रस्तुत होता है। जब कल अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी ने सदन के सामने गलती स्वीकार करते हुए माफी माँगी, यह तो अध्यक्ष महोदय उनकी सौजन्यता थी, वह सज्जन आदमी हैं उन्होंने माफी माँग ली, लेकिन यह अध्यक्ष महोदय उनका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, यदि उनका व्यक्तिगत दोष होता तो उसे हम माफ कर सकते थे। लेकिन यह, अध्यक्ष महोदय, एक संवैधानिक प्रश्न है, इस प्रकार का दोष रहता है तो उसकी संवैधानिक स्थिति क्या बनेगी। इस प्रश्न को यों ही कह कर टाला नहीं जा सकता। जैसा कि अध्यक्ष महोदय श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा कि इससे बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनसिंह जी से पूछना चाहता हूँ जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ गेप बढ़ जायेगा, वह गेप किसका बढ़ेगा? बजट का ही तो गेप बढ़ेगा। जो पहले 32 करोड़ का था वह 33 करोड़ का हो जायेगा। इस तरह अध्यक्ष महोदय, यह गेप बजट पर ही तो बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, उसे तैयार करने में बहुत ही सावधानी बरती जाती है, जो कि, अध्यक्ष महोदय, उस सावधानी का ध्यान नहीं दिया। अब अध्यक्ष महोदय, वैधानिक स्थिति को आप देखें। भारतीय संविधान में इसके लिए कुछ निश्चित व्यवस्थाएँ हैं उसके अनुसार बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट को प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष महोदय यह बताया है, वित्त मंत्री के भाषण में दिया, इसके पृष्ठ 15 पर दिया है —

"माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले दस सालों में वाणिज्य फसलों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तथा हाल ही में वे बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन फसलों के उत्पादक किसानों की माली हालत अब पहले से ज्यादा अच्छी है और वे सरकार के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए मैं मूँगफली, कपास, रैप, मस्टर्ड, तिल, गन्ना और तम्बाकू वाणिज्य फसल पैदा करने वाली जमीन पर टैक्स की दर दुगना करने का याने मौजूदा 4 रुपये प्रति एकड़ से 8 रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ।" इस भाषण के माध्यम से यह बात साफ तौर से कही गई है कि दुगना कर, कर दिया है याने जहाँ 4 रुपया एकड़ था वहाँ 8 रुपया प्रति एकड़ किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस पर पहले मंत्री परिषद् में विचार किया गया होगा और यह सब अध्यक्ष महोदय पहले से ही मंत्री परिषद् को मालूम था कि 4 रुपया प्रति एकड़ अभी टैक्स लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सेठी जी की तो हालत यह हो गई है कि मध्यप्रदेश में क्या टैक्स लगता है क्या नहीं इसके लिए उन्हें दिल्ली से ही फुरसत नहीं है। प्रश्न यह है कि आपने जो वक्तव्य द्वारा बात कही और इलेस्ट्रेड द्वारा जिस बात को समझाया उससे साफ है कि आपके सामने सही जानकारी नहीं थी। अगर आपके सामने सही जानकारी होती तो 2 रुपया प्रति एकड़ से 4 रुपया प्रति एकड़ टैक्स लगता लेकिन चूँकि आपके पास आधार ही गलत था। अध्यक्ष महोदय, असत्य आधार पर बना हुआ बजट है और उस पर राज्यपाल महोदय ने अनुशंसा कर दी। अध्यक्ष महोदय संविधान की व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया हमारे यहाँ हो गई और इस प्रकार से गलत आधार पर बजट प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति में मैं श्रीमान् से निवेदन करूँगा कि यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे अध्यक्ष के सामने जो यह महत्वपूर्ण प्रश्न आया है उसका निर्णय आप देंगे। ऐसे समय में तो एक ही बात होनी चाहिए कि यह बजट वापस हो और यह मंत्रि परिषद् पुनः इस पर विचार करे और सत्य आधार पर विचार करे और सत्य आधार को प्रकट करने के लिए राज्यपाल की अनुशंसा भी चाहिए और फिर यह बजट यहाँ आये तभी, अध्यक्ष महोदय, यह सही बजट होगा। मैं कोई शंकाएँ, कुशंकाएँ नहीं करता हूँ लेकिन जब इसमें इतनी असावधानी बरती है तो इन दो-दो किताबों में और कितनी गलतियाँ होंगी यह नहीं कहा जा सकता। मैं एक ही बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि विचारविमर्श कर पुनः यह बजट यहाँ आए ऐसी श्रीमान् व्यवस्था करें। एक और जो आशंका है वह यह कि xx....xx के आधार पर अगर कोई निर्णय आपने करके इसी बजट पर.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री शीतला सहाय जी कम समझ

वाले अल्पमत में हैं अतः उन्हें यहाँ यह कहने का अधिकार नहीं है कि....

अध्यक्ष : श्री शीतला सहाय, आपने अभी जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हें वापस लीजिए।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं वापस ले लेता हूँ लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा वैधानिक सवाल है। वस्तुस्थिति श्रीमान् के सामने है।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/27 मार्च 1974, पृष्ठ/1214-1219)

नागरिकों को चाहिए कि वे अपने जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को उपयोगी सुझाव दें, ताकि शासन और जनता के बीच की दूरी कम हो सके और प्रशासन जन-भावनाओं के अनुरूप अपना कार्य सम्पादित कर सके।

— अर्जुनसिंह
(29 सितम्बर, 1980)



1975

1975 के साल का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू हुआ। अध्यक्ष : श्री गुलशेर अहमद। उपाध्यक्ष : श्री नारायण प्रसाद शुक्ल।

18 मार्च 75 को एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जो आई.टी.आई. के शिक्षकों की आमरण हड़ताल को लेकर था। मुख्य विवाद यह था कि शिक्षकगण अपने कौशल की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। अनेक सदस्यों के दबाव के बावजूद शिक्षामंत्री ने इस सुझाव को मानने से साफ इंकार कर दिया। उनका कहना था कि जो नया ज्ञान आ रहा है उसके लिए छात्रों के हित में यह कौशल परीक्षा शिक्षकों को देनी ही चाहिए। पूरी चर्चा यहाँ दी जा रही है—

अध्यक्ष : मेरे पास प्रदेश के आई.टी.आई. के शिक्षकों द्वारा अपनी कतिपय माँगों को लेकर आमरण भूख हड़ताल करने के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से—

पहली सूचना..... श्री सुधीर व श्री होमी दाजी की;

दूसरी सूचना..... श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा; श्री सखाराम नीलकण्ठ एवं श्री अवधनारायण उपाध्याय की; तथा

तीसरी सूचना..... श्री रामेश्वर दयाल दांतरे व श्री लक्ष्मीनारायण नायक की।

चूँकि पहली सूचना श्री सुधीर मुकर्जी व श्री होमी दाजी से प्राप्त हुई, मैं उसको पढ़ता हूँ जो इस प्रकार है :—

प्रदेश के आई.टी.आई. के शिक्षकों की आमरण भूख हड़ताल का आज 7 वाँ दिन है। शिक्षकों की माँगों में प्रमुख माँगें, कौशल परीक्षा को समाप्त करने की है। यह परीक्षा देश के अन्य प्रान्तों में आई.टी.आई. शिक्षकों के लिये नहीं ली जाती है। इसके अलावा अतिरिक्त वेतन देने की माँग, संचालनालय के जबलपुर से भोपाल आने तथा 68 से लागू न्यू पेटर्न से हुई क्षतिपूर्ति आदि माँगें हैं। इन माँगों के समर्थन में प्रान्त के आई.टी.आई. के दो-दो शिक्षक व कुछ छात्र विभिन्न जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल पर हैं और विधानसभा के समक्ष 12 मार्च से लगातार भूख हड़ताल पर हैं।

भूख हड़तालियों में दो की हालत चिन्ताजनक है, इससे प्रान्त के छात्रों में गुस्सा व रोष व्याप्त है। अतः इस सार्वजनिक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने के लिये आज दिनांक 1 मार्च को सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस हड़ताल के दो पहलू हैं। पहला तो यह कि मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों से आये कुछ शिक्षकों ने हड़ताल प्रारम्भ की है। जहाँ तक यह कहा गया है कि हड़तालियों की हालत चिन्ताजनक है, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है। असली मुद्दा यह है कि यह शिक्षक चाहते हैं कि जो कौशल परीक्षा ली जाती है वह न ली जाये, यही इन शिक्षकों की मुख्य माँग हैं। इसके सम्बन्ध में, मैंने तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन तथा आई.टी.आई. के प्रतिनिधियों से 15 दिन पूर्व चर्चा की थी और निवेदन किया था कि यह कौशल परीक्षा छात्रों के हित में ही निर्धारित की गई है। इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों का कोर्स का रिफ्रेशिंग होता रहेगा तथा जो नये-नये ट्रेड बढ़ रहे हैं उनका छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी क्षमता ठीक से बनी रहेगी। जहाँ तक प्रशिक्षण देने का तरीका है, उसमें सुझाव दिये जा सकते हैं। यह भी शंका व्यक्त की गई है कि कौशल परीक्षा में अध्यापक अपनी स्वच्छन्दता से किसी भी छात्र को पास-फेल कर सकेंगे। मैं निवेदन

करना चाहता हूँ कि इसमें ऐसी कोई विकृति उत्पन्न नहीं हुई है। हम इन लोगों की तरफ से अगर कोई सुझाव आते हैं तो उन पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं, पर इन लोगों की ओर से एक भी सुझाव नहीं आया और फिर किसी के कहने-सुनने से हड़ताल पर बैठ जाना, जब कि चर्चा हो रही है और शासन ने किसी भी प्रश्न पर विचार करने से इन्कार नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि भूख हड़ताल के आधार पर अपनी माँगों को चर्चा का माध्यम बनाना औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं पुनः यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह आकर मिलें हम उनकी माँगें पर चर्चा करने के लिये तैयार हैं। भ्रष्टाचार की जो शिकायत है, उसकी भी हम जाँच कराने को तैयार हैं। इस प्रकार एक शांतिपूर्ण वातावरण को भंग करने से मैं नहीं समझता कि उनका स्वयं का हित या छात्रों का हित सुरक्षित रह सकता है।

श्री सुधीर मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय, आई.टी.आई. की संस्था सारे देश में है लेकिन मध्यप्रदेश में 10-15 साल की सर्विस करने के बाद कौशल परीक्षा के नाम से कुछ अधिकारियों की मर्जी पर उनको छोड़ा जाना गलत है। हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में इस तरह की परीक्षा नहीं रखी गई है। अपने प्रान्त में जो ट्रेड लेक्चरार्स हैं, जिनकी 10-15 साल की नौकरी हो गई है, उनकी एफीशिएन्सी के नाम पर कौशल परीक्षा लेना किसी तरह भी उचित नहीं है। वह लोग भूख हड़ताल और अनशन के माध्यम से शासन का ध्यान अपनी माँगों की तरफ आकर्षित करा रहे हैं। इसका जल्दी निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा शिक्षामंत्री जी ने कहा कि हमारी कर्मचारियों से बात हुई है लेकिन उस बात का अगर कोई नतीजा निकाला जाता है तो काम सफल होता और विधानसभा के सामने धरना और अनशन की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षामंत्री जी कहते हैं कि चूँकि उन्होंने ऐसा वातावरण बना लिया है, जिससे आगे चर्चा नहीं हो सकती। मैं शिक्षामंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस बात की सदन में घोषणा करें कि उनकी जो वाजिब माँगें हैं, उन माँगों में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वह यह चाहते हैं कि जिन कर्मचारियों या शिक्षकों को काम करते-करते कई साल हो गये हैं, इसलिये उनकी दक्षता या क्षमता अपने आप ज्यादा हो गई है, फिर उनकी कौशल परीक्षा लेने की क्या जरूरत है। इस तरह का फैसला करके शासन पक्षपात का मौका दे रहा है। इसलिये इस कौशल परीक्षा को हटाना चाहिये। माननीय शिक्षामंत्री, सदन में यह आश्वासन दें, जो सत्यता से दूर न हो बल्कि सत्यता के नजदीक हो; इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षामंत्री जी ने कहा कि वह लोग हड़ताल के माध्यम से शासन के ऊपर प्रेशर लाना चाहते हैं। यह आई.टी.आई. के लोग पिछले 6 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी माँग उठाते आ रहे हैं। अधिकारियों के सामने अपनी माँगें पेश करते चले आ रहे हैं। वे लगातार अपनी माँगें पिछले 6 महीने से पेश करते आ रहे हैं लेकिन हमारा शासन अपने कानों में तेल डाले बैठा रहा और माँगों की सुनवाई नहीं की। उन्होंने मजबूर होकर हड़ताल और अनशन का सहारा लिया है। कौशल परीक्षा की पद्धति हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में लागू नहीं है फिर यहाँ कौन-सी ऐसी विशेषता है कि जिसके लिये कौशल परीक्षा लागू की गई है। आखिर इसका क्या औचित्य है? माननीय शिक्षामंत्री जी उनकी सारी माँगों को स्वीकृत करें और उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाएँ। मैं आशा करता हूँ कि माननीय शिक्षामंत्री जी निश्चित रूप से उनकी माँगें स्वीकार कर लेंगे। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, इस कौशल परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। 10-15 साल की नौकरी के बाद कौशल परीक्षा लेने का कोई कारण नहीं है। परीक्षा का अधिकार उन हाथों में दिया जा रहा है, जिनको उसका ज्ञान नहीं होता। जो लोग परीक्षा में पास हो जायेंगे उनको लाभ मिल जायेगा और जो लोग परीक्षा में फेल कर दिये जायेंगे वे लाभ से वंचित रह जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस आधार पर यह कौशल परीक्षा रखी जा रही है। इसे समाप्त की जाना चाहिए।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कौशल परीक्षा का सम्बन्ध है और उनकी माँगों का प्रश्न है, माननीय शिक्षामंत्री महोदय से माननीय विधायकों ने चर्चा की और उनका वक्तव्य आ जाने के पश्चात् उसमें स्थिति स्पष्ट हो गई। माननीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी और माननीय नायक जी ने कहा कि वे हड़ताल अभी समाप्त

कर सकते हैं। इससे यही भावना निकलती है कि शासन पर अनुचित रूप से दबाव डलवाने के लिये माननीय शर्मा जी और माननीय नायक जी ने उनको अनशन पर बैठाया है।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : तो आप 6 महीने से क्या कर रहे थे?

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी जोर से चिल्लाकर किसी भी गलत बात को मनवाना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : 6 महीने से क्या उन्होंने माँगें पेश नहीं कीं?

श्री सुधीर मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के साथी और श्री वोरा जी की कुश्ती के बारे में कोई यह न समझे कि शिक्षक किसी के हुक्म में है, न उन्होंने शर्मा जी के हुक्म से अनशन किया और न नायक जी के हुक्म से अनशन किया। वे किसी के हुक्म से नहीं चलेंगे। वे सीधी बातचीत करना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, 12 बजे के बाद उनसे बातचीत होने वाली है। मुकर्जी बाजपेयी जी और मैं जानता हूँ कि माननीय शिक्षामंत्री जी ने उदारतापूर्वक ढंग से इस बात को स्वीकार कर दिया है, तो शर्मा जी और नायक जी को गर्म होने की जरूरत क्या है।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : आप यहाँ चौधराहट करना चाहते हैं? आप चौधराहट करके निपटा दें, आप कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : वे चौधराहट करने के लिए यहाँ आये हैं, उनको मौका मिला था बात करने का, उन्होंने बात नहीं की।

श्री रोहिणीकुमार बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया, उससे सहमत होते हुए भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भूख हड़ताल के नाम पर कुछ माँगें मनवाई नहीं जा सकती हैं। शिक्षामंत्री द्वारा आश्वस्त किया जाये कि वे विचार कर रहे हैं और भूख हड़ताल तुड़वा दें। उनकी ओर से यह सजेशन आया है कि बजाये कौशल परीक्षा के सी.टी.आई. का रिफेशर कोर्स होता था, तो उस कोर्स के लिये भेज देवें और कौशल परीक्षा को समाप्त किया जावे। सी.टी.आई. के जो टैक्नीकल क्वालिफाइड लोग हैं वे उस कोर्स में जाते हैं, जो कौशल परीक्षा से अच्छी परीक्षा है और इस स्थिति में, मैं माननीय शिक्षामंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और कौशल परीक्षा के स्थान पर आई.टी.आई की रिफ्रेशर कोर्स की पद्धति लागू करने की कृपा करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तो यह भ्रम माननीय सदस्यों को नहीं रहना चाहिए कि हम किसी पहलू पर, किसी स्तर पर विचार करने ने लिये तैयार नहीं हैं। 15 दिन पहले चर्चा हुई थी, सुझाव माँगें थे पर वे सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। कौशल परीक्षा का क्या स्वरूप रखा जावे? पक्षपात होता है उसे दूर कर दिया जावे, इन सब बातों पर विचार करते हुए केवल यह कहना कि कौशल परीक्षा न हो, यह घोषणा हो जावे। यह सामूहिक रूप से छात्रों के हित के अनुकूल नहीं होगा। उसमें परिवर्तन, परिवर्धन करना सम्भव होगा, तो मैं करने को तैयार हूँ।

बाजपेई जी के सुझाव के बारे में यह वस्तुस्थिति है कि आई.टी.आई. की ट्रेनिंग कौशल परीक्षा से प्रभावशाली है। कुछ ऐसी बातें हो गईं, पिछले वर्षों में वित्तीय अभाव के कारण कि आई.टी.आई. में जितने प्रशिक्षणार्थी जाना चाहिये वे नहीं जा पाये। आज छात्रों को व्यवसाय शिक्षा के लिये ला रहे हैं, आज प्रशिक्षण देने के लिये उन्हीं लोगों से काम लेना होगा। इसलिये हमें अनिवार्य रूप से ऐसा उपाय करना होगा। हम काम कर रहे हैं। जो नये ट्रेड आये हैं उनके लिए प्रशिक्षण दे सकें, उनकी नॉलेज हो सके लेकिन उनमें स्वेच्छाचारिता और पक्षपात कतई नहीं हो पाये। जितने सुझाव माननीय सदस्यों और कर्मचारियों के आये हैं और जितने सुझाव वे दे सकें उन पर विचार करने ने लिये मैं तैयार हूँ। और जब-जब ऐसा हुआ है तो उसके आधार पर कार्यवाही करने के लिये मैं सदैव तत्पर हुआ हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.टी.आई. के लोगों का जो आन्दोलन चल रहा है उनकी जो माँगें हैं उनमें से कौशल परीक्षा की माँग सबसे मुख्य है। दूसरे जहाँ मंत्री जी ने बताया कि उनकी विभिन्न संस्थाओं के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायत शासन को तब मालूम हुई जब कि 15 दिन पूर्व चर्चा की गई। मैं तो तब उचित समझता जब कि बाकी की शिकायतों के सम्बन्ध में जाँच कर त्वरित कार्यवाही की जाती।

श्री अर्जुनसिंह : उस समय उन्होंने अन्य बातों के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की और यदि उन्होंने चर्चा की होती तो मैं अवश्य उन पर विचार करता।

श्री सुधीर मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय, उनकी दूसरी भी माँगें हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : इसलिये शासन से मैं यह आग्रह करूँगा कि उनकी और भी जो शिकायतें हैं उनके जाँच के आदेश दे दिये जावें। जहाँ तक कौशल परीक्षा का सम्बन्ध है, शासन का कहना है उसकी अपनी अहमियत है। उसकी अपनी अहमियत है या नहीं केवल चर्चा के आधार पर इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर बाद में विचार किया जा सकता है। जब तक सद्भावनापूर्ण वातावरण नहीं बनता तब तक चर्चा नहीं हो सकती। अतः मेरा शासन से निवेदन है कि आप सदन में कृपा करके ऐसा कोई आश्वासन दे दें, जिससे कि हड़ताल समाप्त हो जाये और सरकार से उनकी बात हो कर कुछ रास्ता निकल जाये।

अध्यक्ष महोदय : शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात्, इसको मैंने अपनी अनुमति नहीं दी।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 मार्च 1975, पृष्ठ/2898-2901)

शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अपने विभाग से संबंधित माँगों का प्रस्ताव 19 मार्च 1975 को रखा। जिस पर दस सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे। श्री अर्जुनसिंह ने तत्काल उन कटौती प्रस्तावों के संदर्भ में वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए सदस्यों को पत्र लिखकर सूचना दी जिससे कि सदस्यों को वास्तविकता का भान हो सके। उनकी इस त्वरित पहल पर साम्यवादी नेता श्री होमी दाजी ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की— "आपके इस नये तरीके के लिए धन्यवाद।"

19 मार्च की चर्चा में शिक्षा विभाग की विविध समस्याएँ उठाते हुए जनसंघ दल के श्री हरिभाऊ जोशी ने अन्ततः यह निवेदन किया कि— "आप शिक्षा के स्तर में सुधार लाईए, उसका स्तर ऊपर उठाईए। मेरा शिक्षामंत्री जी से आग्रह है कि इस गंभीर प्रश्न पर वह विचार करें।"

अन्य कटौती प्रस्तावों में शैक्षणिक अव्यवस्था के अलावा सदस्यों ने यह माँग की कि "शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है" कि "आज की शिक्षा पद्धति अँग्रेजों की शिक्षा पद्धति से चल रही है, इसे बदला जाना अनिवार्य है" कि "आज की शिक्षा को शासन ने व्यापार शिक्षा बना दिया है" कि "राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने में शिक्षाविधि उपयुक्त नहीं" है इत्यादि.....

20 मार्च को बहस का उत्तर देते हुए शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने यह बात जोर देकर कही कि इसमें सभी को हाथ बँटाना चाहिए। हम प्रायः तात्कालिक विषयों पर अपना मत बनाने को तत्पर हो जाते हैं, जब तक जनमानस तैयार न हो तब तक परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। जो मेरी जिम्मेदारी है वह मैं पूरी कर रहा हूँ।

माँगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री अर्जुनसिंह का 20 मार्च को दिया गया वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है—

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने विभाग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में जो अनेक कटौती प्रस्ताव दिये थे उनके सम्बन्ध में जो वस्तुस्थिति की जानकारी थी वह मैंने पत्र लिखकर उनको सूचित किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि उस जानकारी का पूरा-पूरा लाभ विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों ने लिया है।

श्री होमी दाजी : आपके इस नये तरीके के लिये आपको धन्यवाद है।

श्री अर्जुनसिंह : साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो व्यापक चिन्ता शिक्षा के विषय में माननीय सदस्यों को है व सही मायने में इस प्रदेश की जनता की चिन्ता प्रतिबिम्बित करती है। लेकिन हम केवल एक ही बात ध्यान में रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिये कि शिक्षा जैसे विषय के बारे में किसी एक दृष्टिकोण या किसी एक दिशा पर न तो विचार किया जा सकता है और न कोई कार्यवाही की जासकती है और इसलिये हमें उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखते हुए अपने कार्यक्रम को बनाना पड़ेगा और उस कार्यक्रम को कार्यान्वित

करने का प्रयास करना होगा। एक तो शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढाँचे का प्रश्न है जिसके बारे में माननीय सदस्यों का मुख्य रूप से सहयोग और विभाग के शिक्षकों के सहयोग से, जो गड़बड़ी है, उसको दूर करने का प्रयास होगा। यदि इसमें ध्यान दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रशासन में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार होना बाकी है और विशेष रूप से जो अपेक्षा हम करते थे उतना सुधार नहीं हो पाया है क्योंकि जो काम करने का भार है वह इतना असंतुलित है कि प्रशासन में लगे हुए जो व्यक्ति हैं वे उस भार को नहीं उठा पाते हैं। इसकी ओर संकेत माननीय सदस्यों ने भी किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करने के लिये जो बजट में प्रावधान किया गया है उसको व्यय करने में हम सफल होंगे और हम इस दिशा में बहुत कुछ आगे बढ़ सकेंगे व्यापक रूप से। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक ऐकेडेमिक प्रश्न है उस बारे में, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि जितना कुछ हमें करना चाहिये था वह हम नहीं कर पाये हैं और इसलिये मैं माननीय सदस्यों के विभिन्न सुझावों को जो उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किये हैं उनका स्वागत करता हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि इस ओर हमें बढ़ने के लिये उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के अनुपातिक व्यय और उसके ऊपर ध्यान इन दोनों के बारे में अपनी मान्यताओं को स्पष्ट करना पड़ेगा। हमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अधिक स्थान देना पड़ेगा। व्यय के मामले में अनुपातिक आवंटन ज्यादा करना पड़ेगा और इसी तरह उच्च शिक्षा में भी उसी अनुपात में हमें आवंटन करना पड़ेगा। अभी असंतुलन की जो दशा है और इस वजह से भी जो माननीय सदस्यों ने यहाँ पर प्रश्न उठाये हैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में, उनके उपकरणों के जो वहाँ प्रावधान हैं वे नहीं मिलने के कारण कुछ असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है। वह एक साथ दूर नहीं किया जा सकता, आगे के लिये हम इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेंगे तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा के अनुसार समुचित धन और ध्यान देकर उसे सुदृढ़ बना सकेंगे।

दूसरा पहलू, नई प्रणालियों को कार्यान्वित करने के पहले जैसा कि इन्दौर के माननीय सदस्य श्री दाजी जी ने व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में 10+2+3 पर विचार व्यक्त किये हैं, विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा और हमारे दल के सदस्यों द्वारा जो समिति गठित की गई थी उस समिति के जो सुझाव हैं वे दूरगामी सुझाव हैं और उन पर अमल न करना इसके पीछे हमारी कोई और मंशा नहीं है, केवल धनाभाव के कारण ही उनको कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो भावना व्यक्त की है उसके संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान रखेंगे और जब कभी लाल पेंसिल चलानी हो तो शिक्षा के क्षेत्र में न चलावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक व्यावसायिक शिक्षा का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि 10+2+3 का जो सुझाव कि 10 के बाद दो वर्ष व्यावसायिक हैसियत के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिये, हम धनाभाव के कारण इस पूरी योजना को लागू नहीं कर सके, तब तक हमने इस व्यावसायीकरण की प्रक्रिया को रोक रखा है इसलिये व्यावसायिक शिक्षा प्रमण्डल के गठन का निर्णय ले लिया है और वह कार्यक्रम 10+2+3 लागू होने के पहले उस अंश को लागू करने का प्रयास करना होगा और जब 10+2+3 का प्रश्न सामने आये तो इसमें वह समन्वित होगा और यह प्रयास आगे बढ़ाने की कोशिश की जावेगी।

माननीय सदस्यों ने कुछ विशिष्ट प्रश्नों का उल्लेख किया है, उनके सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहूँगा, श्री हरिभाऊ जोशी ने अनुदान आयोग को सुपर बाबू आयोग की संज्ञा दी है। हरिभाऊ जी जोशी शब्दों के धनी हैं, यह मैं मानता हूँ और मैंने कल इस पर घोर आपत्ति की थी, यह उच्च शिक्षा आयोग जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था, उस दिशा में उसने पिछले डेढ़ वर्ष में काफी काम किया है। शैक्षणिक क्षेत्र में एकरूपता लाने में, कुछ जो विकृतियाँ पैदा हो गई थीं उनको दूर करने में, इसने काफी काम किया है। इसका प्रमाण यह है कि आयोग, आप ऐसा समझते होंगे, शासन ने इस विधानसभा में अपनी विधि द्वारा स्थापित किया है, जिसने स्थापना के एक वर्ष के अन्दर जिम्मेदारी से काम किया है और उसने अपना प्रथम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा है। यह स्वयं इस बात का द्योतक है कि माननीय सदस्यों का मन्तव्य और सदन के अन्दर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर विचार व्यक्त करना उसने उसके अनुरूप ही काम करने का प्रयास किया है और जो प्रतिवेदन प्रस्तुत

किया गया है उस पर जब चर्चा होगी तो माननीय सदस्य विचार करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के बारे में यहाँ पर कहा गया है। उस सम्बन्ध में प्रत्येक विषय में कार्यवाही हो रही है। सबका उत्तर देने में सदन का समय नष्ट होगा, जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं, मैं अलग से सम्बन्धित कार्यवाही की सूचना उनको भेज दूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन सदन से करना चाहूँगा कि यह कहना बहुत ही आसान है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया जावे, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें कोई औचित्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब इस परिवर्तन के लाने के लिये न केवल शासन, शिक्षक और समाज अपने-अपने अलग-अलग दायित्वों को निभाने को तैयार हो जायें और ऐसा वातावरण निर्माण हो जाये.....

श्री पुरुषोत्तमलाल कौशिक : समाज का बहुमत तो आपको दे दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : यह परिवर्तन एकांगी नहीं किया जा सकता, जो मेरी जिम्मेदारी है वह मुझे पूरी नहीं करनी चाहिये, यह मैं नहीं कहता, मैं यह कह रहा हूँ कि इसमें सभी को हाथ बँटाना चाहिये, तभी यह पूरा हो सकता है। यह इसलिये मुझे कहना पड़ा कि हम प्रायः उन विषयों पर कोई तात्कालिक घटना हो जाये, कोई बात सामने आ जाये, उस पर अपना मत बनाने को तत्पर हो जाते हैं लेकिन मूल रूप से उस ढाँचे में परिवर्तन करने के लिये कहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, जब तक जनमानस न तैयार हो तब तक सम्भव नहीं होगा। इसके अनेकों उदाहरण हैं जिनको पढ़कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करूँगा।.यहाँ पर कुछ माननीय सदस्यों ने प्रशिक्षित महिलाओं की सीधी भर्ती की बात की थी। अभी माननीय दाजी ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का जिक्र किया। माननीय सदस्यों की राय को देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में जितनी बी.टी.आई. प्रशिक्षित महिलाएँ होंगी, उन सबके प्रार्थना-पत्र मँगाकर उनको सीधी भर्ती दे दी जायेगी।

श्री रमेश दुबे : उसमें एज का बन्धन भी शिथिल कर देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : हाँ, एज के बन्धन को शिथिल कर देंगे।

श्री छविराम अर्गल : क्या हरिजन-आदिवासियों के लिये भी इस तरह की सुविधा दी जायेगी?

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूँगा। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सदैव उनका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझावों का स्वागत करूँगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे इस माँग को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष : मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूँगा।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27— शिक्षा पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकार किये जायें?

(कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को—

माँग संख्या 27— शिक्षा के लिये 93,02,87,000 (तिरानवे करोड़ दो लाख सत्तासी हजार) रुपये तक की राशि दी जाये।

(माँगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 मार्च 1975, पृष्ठ/3189-3191)

20 मार्च 75 को शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह के भाषण के पश्चात् वित्तमंत्री श्री श्याम सुन्दर नारायण मुश्रान ने सदन में मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 1975 विचारार्थ प्रस्तुत किया। चर्चा की शुरूआत सदस्य श्री शीतला सहाय (लश्कर) ने की। चर्चा के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग पर भी यह आरोप लगाया कि— "शिक्षा विभाग में बिना चयन किये हुए कुछ नियुक्तियाँ दी गयी हैं।" शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह ने इसका समुचित उत्तर दिया। इस रोचक बहस का छोटा-सा अंश यहाँ दिया जा रहा है—

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शीतला सहाय जी को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि व्याख्याता के पद पर किसी भी व्यक्ति की इस तरह की नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री शीतला सहाय : किसी को यू.डी.टी. नहीं बनाया आपने?

श्री अर्जुनसिंह : नहीं बनाया।

श्री शीतला सहाय : एल.डी.टी. बनाया?

श्री अर्जुनसिंह : एल.डी.टी. भी नहीं बनाया।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहूँ इसके पहले मैं एल.डी.टी. को लेता हूँ।

श्री रमेश दुबे : आप विरोधी दल के नेता हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं इसलिये आपको अपनी गरिमा को कायम रखते हुए इसका उदाहरण देना होगा कि कौन यू.डी.टी. और कौन व्याख्याता बिना चयन के रखे गये इसको आप पटल पर रखिये?

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल : माननीय शीतला सहाय जी, आपने जो शासन पर आरोप लगाये हैं उन पर मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन आप व्याख्याता की बात कहकर यू.डी.टी. पर चले गये और फिर एल.डी.टी. पर आ गये तो यह उचित तो नहीं है। इसलिये आपकी गरिमा कायम रहे, इसलिये मेरा निवेदन है कि आपने जो आरोप लगाये हैं उनको आप वापस ले लेंगे?

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शुक्ल जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। भाई रमेश दुबे के प्रति भी मेरा बड़ा सम्मान है।

श्री राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल : इसीलिये तो मैंने आपसे कहा है कि आपने जो आरोप लगाये हैं उन्हें वापस ले लीजिये।

श्री शीतला सहाय : शुक्ल जी, यह देखिये शासन के गले से कोई बात निकाल लेना कितना मुश्किल होता है जिस प्रकार दूध को मथकर मक्खन निकाल लेते हैं उसी तरह से मैंने यह बात निकाल ली है कि किस तरह से एल.डी.टी. की नियुक्ति की गई है।

श्री रमेश दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर से इस बात को कहता हूँ कि जब आपने आरोप लगाया है तो आप व्याख्याता और यू.डी.टी. इन दो नामों को सदन के पटल पर लाइये?

श्री गुलाबचन्द तामोट : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रमेश दुबे और शीतला सहाय जी के पास दिन भर मास्टरनियाँ आती रहती हैं तो उन्होंने कुछ कह दिया होगा।

श्री शीतला सहाय : मेरे पास जो आता है उसमें से मैं आधा आपको दे देता हूँ।

श्री रमेश दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह मान लूँ कि अभी विरोधी दल के नेता ने जो आरोप लगाये हैं वे बिल्कुल असत्य कहे हैं कि व्याख्याताओं और यू.डी.टी. के बिना चयन के नियुक्ति दी गई है?

श्री शीतला सहाय : माननीय दुबे जी मेरे इस गुण की प्रशंसा करेंगे कि विरोधी दल किस तरह से शासन के गले से बात निकाल लेता है।

श्री रमेश दुबे : अगर आपने केवल कहने के लिये ही कहा है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है, नहीं तो आप व्याख्याता और यू.डी.टी. इन दो नामों को सदन के पटल पर रखिये?

श्री मोतीलाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शीतला सहाय जी किसी यू.डी.टी. की नियुक्ति कराना चाहते हैं इसके लिये मैं शिक्षामंत्री जी से कहूँगा कि जिसे वे चाहते हैं उसकी नियुक्ति वे कर दें।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात का खेद है कि भाई रमेश जी जैसे आदमी मेरी योग्यता की कदर नहीं कर रहे हैं। बातें मैंने व्याख्याताओं से शुरू कीं, एल.डी.टी. की बात उन्होंने स्वीकार कर ली।

श्री अर्जुनसिंह : आपसे निवेदन है, मुझसे घुमाव-फिराव करने की जरूरत नहीं है। मुझसे सीधे-सीधे पूछ लेते तो मैं उनको बता देता।

श्री शीतला सहाय : अगर एल.डी.टी. की नियुक्ति बगैर चयन के की है तो वह नावाजिब नियुक्तियाँ हुई हैं।

श्री होमी दाजी : विनियोग विधेयक आज लाया जायेगा इसकी सूचना ट्रेझरी बैंचेज को दी गई थी या नहीं?

अगर दी गई थी तो मंत्रीगण उपस्थित क्यों नहीं हैं?

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विश्वविद्यालयों की स्थिति जर-जर होती जा रही है। कुछ विश्वविद्यालय जिनको सन् 1948 में जो अनुदान मिलता था वही अनुदान आज उनको मिलता है। कुछ को अनुदान जब वह जन्में थे उस समय मिलता था, वही अनुदान इस समय उनको मिलता है और यदि कुछ दिया गया है तो बढोत्तरी न के बराबर की है। शिक्षा के लिये जब हम 93 करोड़ की माँगें स्वीकृत कर सकते हैं तो उच्च शिक्षा के लिये समुचित योगदान हो। तो विश्वविद्यालयों को अनुदान की राशि बढ़ाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि यू.जी.सी. ने सारे अध्यापकों के ग्रेड आगे पीछे स्वीकार किये हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनको स्वीकार कर लेने के बाद एक स्थिति और आयेगी और वह गैर शिक्षक कर्मचारियों की जो सबेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्य करते हैं, हर दिन विश्वविद्यालय में परीक्षा होती है और उनको अधिक समय तब बैठकर काम करना पड़ता है। कुशलता लाना है तो वह गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा लायी जायेगी। उनको समुचित वेतन मिल सके, इस प्रकार के वेतनमान विश्वविद्यालय माने।

अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अधिनियमों का नियम 31 है जिसमें शिक्षक कर्मचारी ठीक रूप से अपनी सेवाओं का निर्वहन नहीं कर सकते, ऐसी बन्दिश है, सेवा शर्तें हैं। मैं शिक्षामंत्री जी से निवेदन करूँगा कि कृपा करके नियम 31 का अध्ययन कर लें और इसमें इस प्रकार का संशोधन करें जिसमें ऐसी शर्तें लोकतन्त्र में नहीं होना चाहिये, इसको निकाल दें।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी संख्या में इन यूनिवर्सिटीज की कार्य समितियों में सदस्य हैं। एक-एक यूनिवर्सिटी में सात-सात सौ और आठ-आठ सौ शिक्षक हैं, उनके हित की बात करना होती है, तो कोई व्यक्ति हित की बात करने वाला नहीं होता इसलिये उनमें इनका प्रतिनिधित्व रहे।

अध्यक्ष महोदय, एक ए.डी.आई. ने एक अध्यापिका को एक चिट्ठी लिखी है, जिसको मैं यहाँ पर पढ़कर नहीं सुना सकता, इसको मैं मंत्री जी के पास भिजवा देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि पूरी विधानसभा का संचालन शीतला सहाय जी कर रहे हैं।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 मार्च 1975, पृष्ठ/3196-3198)

6 मई 1975 को विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आहूत किया गया।

सिक्किम एक स्वतंत्र देश था जो भारत का अंग बन गया। संविधान में संशोधन कर उसे भारत का अंग बनाया गया था। संविहित संकल्प मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी द्वारा प्रस्तुत हुआ। संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया था अब विधानसभा के द्वारा इसका अनुसमर्थन होना था। श्री सेठी ने संकल्प इस प्रकार रखा— "माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन भारत के संविधान के संबंध में उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक की व्याप्ति के अंतर्गत आते हैं और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (अड़तीसवाँ संशोधन) विधेयक 1975 द्वारा, जिसका कि उद्देश्य सिक्किम को संघ का एक राज्य बनाना है और जिसका संक्षिप्त नाम बदल कर संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम 1975 रख दिया गया है, किये जाने के लिए प्रस्तावित है।"

यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इसी दिन मध्यप्रदेश के महाविद्यालयीन अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान न दिये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव आया। प्रस्ताव, चर्चा और शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य इस प्रकार है—

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास महाविद्यालयीन अध्यापकों को विश्वविद्यालयीन अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत

वेतनमान न देने के बारे में निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा और श्री लरंग साय, श्री सीताराम ढांडी की है।

इसके अतिरिक्त (2) श्री होमी दाजी, श्री सुधीर मुकर्जी और (3) श्री शीतला सहाय से सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री लरंग साय और श्री सीताराम ढांडी की है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :—

"विश्वविद्यालयीन अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान म.प्र. के महाविद्यालयीन अध्यापकों को न दिए जाने के कारण प्रदेश के अध्यापक एवं छात्र वर्ग में भयंकर रोष एवं क्षोभ की भावना फैल गई है। आर्थिक स्थिति तथा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों के वेतनमानों का ढाँचा बिगड़ जाने की आड़ लेकर शासन द्वारा ऐसे प्रथम वर्ग की घोर उपेक्षा की जा रही है जिसका कार्य जन-जीवन को ज्ञान प्रदान करना है। प्रदेश भर में अध्यापकों को अपनी न्यायोचित माँगों को लेकर अनशन और धरने प्रारम्भ करने को विवश होना पड़ा है और यह शासन की घोर उपेक्षा का ही परिणाम है, फिर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएँ बारबार स्थगित की जा रही हैं और छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।"

इसके सम्बन्ध में शासन का क्या कहना है?

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन शिक्षकों के नये वेतनमान सम्बन्धी मामले के बारे में 2 अप्रैल 1975 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य सदन में दिया था। जिसमें उस समय तक की पूरी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि अब तक राज्य शासन इस मामले पर क्यों अन्तिम निर्णय नहीं ले पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि :—

"सरकार अध्यापकों के साथ बातचीत जारी रखने को तैयार है और उम्मीद करता हूँ कि वे इस बातचीत में उसी सद्भाव और समझौते की भावना से शामिल होंगे जो इस मामले में सरकार ने शुरू से बराबर दिखाई है, साथ ही साथ सरकार और अध्यापक समुदाय दोनों की ही राज्य के हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों के प्रति जिम्मेदारी और कर्त्तव्य है जिन्होंने इस आर्थिक रूप से कठिन समय में अनेक कठिनाइयों के साथ पढ़ाई-लिखाई की है। उत्तरदायी नागरिकों के रूप में हम उस भीषण नुकसान से आँख नहीं मूँद सकते जो इस राज्य की युवा पीढ़ी को होगा अगर परीक्षा का कार्यक्रम भंग होता है। मेरा विश्वास है कि अध्यापकगण भी इस बात से सहमत हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारी बातचीत चलने के दौरान अध्यापकों को परीक्षाओं का अपना बहिष्कार समाप्त करना चाहिए और सरकार के साथ समाज के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी पूरी करने में सहयोग करना चाहिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी अगर हम इस समय अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके और ऐसी घटनाओं की कड़ी शुरू करें जिन्हें अन्ततः न तो सरकार, न अध्यापक और न ही समाज पसन्द करेगा।

इस पृष्ठभूमि में शासन निरन्तर प्रयत्नशील रहा है कि वेतनमान के मामले का निपटारा सद्भावना के वातावरण में समझौते के रूप में हो जावे। इसी दृष्टिकोण से 22 अप्रैल को शिक्षकों के प्रतिनिधियों को पुनः भोपाल आमंत्रित किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा वरिष्ठ मंत्रियों से भी उनकी चर्चाएँ हुई थीं। इन चर्चाओं को मूर्तरूप देने के लिये 5 वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति भी गठित की गई है जो मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और चर्चाओं का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। कल ही शिक्षकों के प्रतिनिधियों की माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुझसे चर्चाएँ हुई हैं और इसके बाद उन्होंने 7 मई के अपरान्ह 4.00 बजे तक मामले पर विचार करने एवं उनके अन्य प्रतिनिधियों से परामर्श कर अपना निर्णय सूचित करने के लिये समय माँगा है। अतः यह स्पष्ट है कि अभी चर्चाओं के द्वार खुले हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस मामले का कोई समाधानकारक हल शीघ्र निकल आवेगा। माननीय सदस्यों के माध्यम से मैं शिक्षकों से अपील करता हूँ कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भूख हड़ताल का कार्यक्रम एवं परीक्षाओं का बहिष्कार समाप्त कर वेतनमान सम्बन्धी मामले को सद्भावना के वातावरण में निबटाने में सहयोग दें। जहाँ तक परीक्षाओं का प्रश्न है, 7 अप्रैल को सभी कुलपतियों की एक आवश्यक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि स्नातकोत्तर परीक्षाएँ 23 जून से तथा स्नातक परीक्षाएँ 1 जुलाई से रखी जावें। इस निर्णय के आधार पर परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की जा रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (बैरागढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षामंत्री जी ने अभी वक्तव्य दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँ कि यू.जी.सी. के वेतनमान देने में शासन का एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है और सब व्यय केन्द्रीय सरकार देने वाली है। सारे देश के बारह राज्यों ने अपने कॉलेज के शिक्षकों को यू.जी.सी. के स्केल दे दिये हैं फिर कौन-सी ऐसी दिक्कत है कि हम उनको नहीं दे सकते और फिर पाँच साल तक सरकार पर कोई भार नहीं आयेगा। हम यह देखते हैं कि शिक्षकगण जो शासकीय सेवा में काम करते हैं, उन अधिकारियों से शिक्षक कुछ अधिक सच्चरित्र हैं, ईमानदार हैं, उनसे हम विजिलेन्स में भी काम ले सकते हैं, अभी हमने लोक आयुक्त और लोकपाल सम्बन्धी विधेयक पास किये हैं, उनके लागू होने पर हम उनकी ऑनरेरी सेवाएँ ले सकते हैं। देश और प्रदेश में साक्षरता अभियान में हम उनकी सेवाएँ ले सकते हैं। मेरा शासन से अनुरोध है कि शासन को उनकी माँग अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय पर चर्चा के लिये समय दिया जाना चाहिये।

श्री होमी दाजी (इन्दौर-2) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन शिक्षकों और समाज को लड़वाना चाहता है। आज जो कदम शिक्षकों ने उठाया है, उसमें छात्र और पालक सब शिक्षकों के साथ हैं। समाज के अन्य वर्गों का भी उनको पूरा समर्थन प्राप्त है। शासन आज एक स्टेज पर आया। 7 अप्रैल के पहले यदि शासन इस स्टेज पर आ जाता तो जरूर कोई न कोई हल निकल आता। लेकिन शासन उस समय एक प्वाइण्ट पर ही अड़ा रहा और अब बहुत दिनों बाद, देर के बाद शासन अब आगे बढ़ा है। यह सही बात है कि कल की बातचीत कुछ हद तक आशाजनक रही। लेकिन अभी तक शासन ने जो एक रवैया अपनाया है कि शासन का जो ऑफर है वह अन्तिम है और उसे मंजूर करना पड़ेगा। तो यह शासन का दृष्टिकोण उचित नहीं है। अगर बार-बार भी चर्चा करनी पड़े तो करनी चाहिये और समाधान निकालना चाहिये। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। छात्रों ने भी स्पष्ट किया है कि अगर परीक्षाएँ दूसरों से करवाने की कोशिश की जायेगी तो हो सकता है कि छात्र उसका बहिष्कार करेंगे। इससे स्थिति और उलझ जायेगी। स्थिति को उलझाने में किसी को इण्टरेस्ट नहीं है। इसलिये इस चर्चा को समाप्त नहीं होने देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक आपत्ति और है कि शासन ने एक तरफ चर्चा के लिये शिक्षकों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया और दूसरी तरफ ग्वालियर रीजन के सेक्रेटरी को, जो कि एक प्रोफेसर हैं, उनको डकैती के चार्ज में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह मैं सदन को सूचना देना चाहता हूँ। एक तरफ बातचीत के लिये बुलाया जाता है और दूसरी तरफ उनके प्रतिनिधि को जो कि एक संभागीय सचिव हैं, उनको डकैती के चार्ज में गिरफ्तार कर लिया। उनको मजिस्ट्रेट ने रिहा किया तथा पुलिस के खिलाफ एक स्ट्रिक्चर भी दिया है। उन्होंने उस केस में कहा है कि पुलिस ने बनावटी केस बनाने की कोशिश की है। एक प्रोफेसर के साथ इस तरह का सलूक करना.....।

अध्यक्ष महोदय : यह जुमला कहीं नहीं लिखा है। वह फैसला मैंने भी पढ़ा है। उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि पुलिस ने बनावटी केस बनाया है।

श्री महेन्द्रसिंह : उसका मन्तव्य ही यही है।

अध्यक्ष महोदय : दाजी साहब, बैठ जाइये।

श्री महेन्द्रसिंह : जीवाजी विश्वविद्यालय.....

अध्यक्ष महोदय : अभी आपका एडजर्नमेण्ट मोशन आ रहा है।

श्री होमी दाजी : इस तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश करना और दूसरी ओर बातचीत करना, से कोई अच्छा वातावरण निर्माण नहीं होता।

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल जब समाचार-पत्र मैंने देखा तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला कि शासन ने कल शिक्षकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। अध्यक्ष महोदय, उनको बुलाकर क्या किया, उनको क्या डाँटा-डपटा या क्या किया यह तो शासन ही बतलायेगा, लेकिन जो समाचार-पत्र में छपा है, उसकी भाषा से तो ऐसा लगता है कि शासन ने यू.जी.सी. का ग्रेड देने की बात नहीं की है। शासन ने

अपना ही कोई फार्मूला प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि उनको डाँट दी है कि यदि 7 अप्रैल तक शिक्षकों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो सख्ती से उनके आन्दोलन से निपटा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र में इस प्रकार की भाषा का और इस प्रकार की डाँट का सख्त विरोधी हूँ और शासन के इस काम की मैं निन्दा करता हूँ। इस शासन को राज्य परिवहन और रेल्वे कर्मचारियों की हड़ताल से ऐसा लगने लगा है कि वह पुलिस के बलबूते पर ऐसे आन्दोलनों को कुचल देगी। मैं समझता हूँ कि ऐसा समझना नितान्त गलत बात होगी। अगर शासन इस प्रकार का काम करेगा तो मैं समझता हूँ कि इससे जो शासन की एक प्रतिष्ठा है, छवि है, वह नहीं बनेगी, उल्टे बिगड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, अनेक बार मैंने इसके पहले मंत्रियों के भाषणों को समाचार-पत्रों में पढ़ा है। माननीय अर्जुनसिंह जब भिण्ड पधारे थे तो उन्होंने चाहे अपने दिल से या चाहे दबाव से एक बात कही थी कि शासन सिद्धान्तः यू.जी.सी. के ग्रेड शिक्षकों को देने के लिये सहमत हो गया है। जब उन्होंने यह बात कही थी तो मैंने यह समझा था कि शासन ने पिछले विधानसभा में जो आश्वासन दिया था, वह आश्वासन पूरा करने के प्रति ईमानदारी बरतेगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन आज जब मंत्रीजी का वक्तव्य सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी के इधर-उधर के अटरेन्सेज हुए हैं उनको समाचार-पत्रों में पढ़ा. तो ऐसा लगा कि शासन अपनी बात पर दृढ़ नहीं है। यहाँ सदन में जब चर्चा हुई तो ऐसा लगा था कि कुछ हल जरूर निकलेगा लेकिन जैसे ही सत्र समाप्त हुआ वैसे ही अपने तरीके से समस्या में ढील डालने का प्रयत्न किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा शासन से यह आग्रह है कि आपके हिसाब से आपने यह कहना प्रारम्भ कर दिया है कि वित्तीय प्रभाव प्रतिकूल नहीं पड़ेगा, इतना ही नहीं यू.जी.सी. ने अपना ग्रेड शासन के पास भेजा है और मानने के लिये सलाह दी है। सबसे पहले निर्देश के रूप में कहा उसके बाद प्रदेश के शासन ने केन्द्रीय शासन से एप्रोच किया उस समय पर जरूर आपको कठिनाई प्रतीत हुई। यू.जी.सी. का ग्रेड यदि शिक्षकों को दे दिया जाता है तो शिक्षकों को जो विश्वविद्यालयों से भत्ता मिलता है, वह भत्ता उनका बन्द हो जायेगा और इस प्रकार से विश्वविद्यालयों की फायनेन्शियल पोजीशन जर्जर होती जा रही है। विश्वविद्यालय फाइनेन्सेज में मजबूत हो जायेंगे उसमें अप्रत्यक्ष रूप से आपका अनुदान हो जायेगा। इस समय में उनको अनुदान हो जायेगा और आपको एक पाई खर्च नहीं करनी पड़ेगी। पिछले समय आपने आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को समाप्त कर देंगे। शिक्षामंत्री ने एक-दो बार सदन में कहा है कि हम सिद्धान्तः सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप रिपीट न करें।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय शीतला सहाय जी जिम्मेदार सदस्य हैं। वे इस प्रकार का वक्तव्य, मैं समझता हूँ नहीं देंगे। मैंने किसी भी जगह, किसी भी प्रकार से ऐसा संकेत या वक्तव्य नहीं दिया कि शासन सिद्धान्तः यू.जी.सी. के स्केल को मानता है। जो सूचना आपको मिली है, वह नितान्त भ्रामक है। सदन के अन्दर शासन का मत व्यक्त किया जा चुका है।

श्री शीतला सहाय : आपके ग्वालियर और भिण्ड के भ्रमण के समय आप भास्कर के अंक को देख लें, उसमें छपा है। वह आपका समर्थक पेपर है। पाण्डे पे कमीशन ने जिस समय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें स्पष्ट नोट दिया है कि शिक्षकों को यू.जी.सी. का ग्रेड देना है, इसलिये मैं उनके विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। यह बात स्पष्ट है। पिछली विधानसभा में आपने इस प्रकार की बात कहना प्रारम्भ की है कि सदन को यह विश्वास हो गया कि आप कुछ करने वाले हैं। आप धमकी दे रहे हैं, आप जानबूझकर आन्दोलन को हिंसात्मक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने शिक्षकों को सड़कों पर लाने की जिम्मेदारी ली है। मैं इस स्थिति में सरकार के विवेक को फिर से अपील करना चाहता हूँ कि समय रहते हुए चेत जायें। उन लोगों को यू.जी.सी. का ग्रेड देने में आपने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। आप पर कोई वित्तीय असर नहीं पड़ने वाला है। आप सदन समाप्त होने से पहले घोषणा कर दें। समझौता करना है तो मेरा सुझाव है कि सदन की उप-समिति बनाई जाये, जिसमें मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के समक्ष सब शिक्षकों की बात हो सके और फिर फैसला करें। सदन समाप्त हो गया तो आप कुछ नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : शासन का वक्तव्य सुनने के बाद मैंने इसको अपनी मंजूरी नहीं दी।

(म.प्र. विधानसभा कार्यवाई/6 मई 1975, पृष्ठ/4427-4431)

28 से 30 जुलाई 1975 तक विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र प्रारम्भ हुआ। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की जा चुकी थी। विधि मंत्री श्री कृष्णपालसिंह ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया— "मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा यह संकल्प करती है कि इस विधानसभा के वर्तमान सत्र का स्वरूप आपातकालीन होने के कारण, कतिपय आवश्यक तथा महत्वपूर्ण शासकीय कार्य निबटाने हेतु आमंत्रित किया गया है। अतः इस सत्र में केवल शासकीय कार्य ही संपादित किये जायें और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य जैसे प्रश्न, ध्यानाकर्षण और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाये जाने वाले अन्य कार्य इस सभा के समक्ष न लाये जायें और इन विषयों पर विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, समस्त तत्सम्बन्धी नियम एतद् द्वारा निलंबित रहेंगे।" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसी सदन में एक और प्रस्ताव पारित हुआ— "यह सदन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का स्वागत करता है।"

30 जुलाई को वित्तमंत्री श्री श्याम सुन्दरनारायण मुश्रान द्वारा प्रस्तुत 1975-76 की अनुपूरक माँगों पर चर्चा करते हुए सदस्य श्री सज्जनसिंह विष्नार (सारंगपुर) ने शिक्षामंत्री श्री अर्जुनसिंह पर आक्षेप किये जिनका अत्यन्त संयत प्रतिउत्तर उन्होंने दिया। बातचीत के अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री सज्जनसिंह विष्नार (सारंगपुर, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा सदन में जो अनुपूरक माँगें प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करते हुए समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं श्री अर्जुनसिंह जी को जो कि शिक्षामंत्री जी हैं, उस समय से जानता हूँ, जब वे वर्ष 1957 में निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर आये थे और अपोजीशन में बैठते थे। मैं समझता था कि अर्जुनसिंह जी प्रगतिशील व विशाल हृदय के व्यक्ति होंगे व इस आधुनिक युग में युग की पुकार को देखते हुए शिक्षा विभाग में कुछ सुधार व प्रगति कर सकेंगे, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग के कार्य में वह बिल्कुल असफल और नाकामयाब रहे। क्यों रहे, यह मैं बतलाता हूँ। मैं वर्ष 1948 में विधानसभा का सदस्य और हुकूमत में रहा। उस समय हमारे देश और प्रदेश के हरिजन-आदिवासियों की हालत बड़ी दयनीय थी। काँग्रेस के प्रयास से हरिजन-आदिवासियों को शिक्षा में विशेष सुविधाएँ दी गईं और इसके परिणामस्वरूप इन 15-20 वर्षों में इस वर्ग के लोग अधिक मात्रा में शिक्षित होकर निकले, लेकिन आज स्थिति यह है कि इन वर्गों के लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरियाँ नहीं दी जातीं। जो आवेदन-पत्र गरीब हरिजन-आदिवासी करते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती और उनकी अर्जियों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। अर्जुनसिंह, जिस परिवार और परम्परा में पले व पैदा हुए हैं और जो उन लोगों के सोचने का तौर-तरीका है, उनसे हम हरिजन-आदिवासियों के लिये कुछ कार्य होगा, ऐसी आशा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा था, उनसे मेरा पुराना संपर्क है कि उनके दिल में शोषित, पीड़ित लोगों के लिये कुछ अच्छे खयालात होंगे, लेकिन अफ़सोस की बात है कि जब अर्जुनसिंह जी से हरिजन-आदिवासी मिलने जाते हैं, तो उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, जैसे कि पहले के राजे-महाराजों के दरबार में लोग खड़े रहते थे। अगर अर्जुनसिंह जी के पास यदि शिक्षा विभाग रहा, तो हमारे गरीब आदिवासी-हरिजन जो शिक्षित होकर निकल रहे हैं, उनको शिक्षा विभाग में शासकीय नौकरियाँ नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है, वह पुराना रूढ़िवादी है। उनका वह दृष्टिकोण नहीं है जो आज के युग में होना चाहिये। फिर किस प्रकार हरिजनों-आदिवासियों को नौकरियाँ मिल सकेंगी? हमारे लड़के-लड़कियों के माँ-बापों ने सोचा था कि उनके बच्चे जब हायर सेकेण्डरी पास हो जावेंगे या बी.ए. पास हो जावेंगे अथवा लॉ ग्रेजुएट हो जावेंगे, एम.ए., एग्रीकल्चर आदि में हो जावेंगे, तो उनको नौकरियाँ मिल जावेंगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन गाँधी-नेहरू युग के बाद इन्दिरा युग आया है और देश को इन्दिरा जी का कुशल नेतृत्व मिला है और हमें अब आशायें और ऐसी उम्मीदें बँधी हैं कि हम लोग शक्ति व ताकत पा सकेंगे और मैं यह कह सकता हूँ कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में और उनके कुशल प्रशासन में

भी हमारी सारी आशाएँ और उम्मीदें पूरी होंगी। सबसे ज्यादा नियुक्तियाँ शिक्षा विभाग में होती हैं, जो हरिजन और आदिवासी बच्चे पढ़-लिख कर निकलते हैं, वे मास्टर, व्याख्याता आदि बनना चाहते हैं। आप आँकड़े मँगाकर और इकट्ठा करके देख लीजिये, तो मालूम हो जायेगा कि शिक्षा विभाग में कभी भी हरिजनों और आदिवासियों का कोटा नहीं भरा गया है और वह कोटा दूसरों को मिलता है। इस दिशा में अर्जुनसिंह जी ने कभी यह प्रयास ही नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कभी यह जानकारी मँगाकर नहीं देखी कि उनके विभाग में सुरक्षित स्थान भरे जा रहे हैं या नहीं। यदि इस तरह का कोई प्रयास अर्जुनसिंह जी करते तो मेरी मान्यता है कि हरिजनों और आदिवासियों के हजारों बच्चे, जो एम.ए., बी.ए. और हायर सेकेण्डरी परीक्षा पास करके निकले हैं वह मारे-मारे नहीं फिरते और उनकी यह दयनीय स्थिति नहीं बनती। उनकी यह दयनीय स्थिति बनाने वाले शिक्षामंत्री, अर्जुनसिंह जी हैं। मैं शिक्षामंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, आप अपना तरीका बदलें, बदलें ही नहीं बल्कि श्रीमती इन्दिरा जी के 21-सूत्रीय कार्यक्रम की जो घोषणा की गई है और उसके साथ जो अन्य घोषणाएँ की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कमजोर वर्ग को ताकत नहीं मिलती है तो प्रजातन्त्र शक्तिवान् नहीं हो सकता है। उन कमजोर वर्गों के लोगों का देश में उद्धार होना जरूरी है। यदि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो कुर्सी बचाना बेकार है, क्योंकि आज भी हमारे हरिजन और आदिवासी डरते हैं। आज अर्जुनसिंह जी के गाँव के ही हरिजन और आदिवासी उनसे मिल नहीं सकते। उनमें आज भी सामन्तवाद की भावना भरी हुई है। आज भी वहाँ हरिजन, चमार, बलाही, मेहतर सिर उठाकर उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जो हिम्मत और साहस आना चाहिये था, वह अभी तक नहीं आया है। हालाँकि इन्दिरा जी की यह कोशिश है कि इनमें साहस व हिम्मत आये। 21 सूत्रीय कार्यक्रम का मतलब ही यह है कि कमजोर वर्ग में साहस और हिम्मत पैदा की जाये। यदि उनमें साहस और हिम्मत आ जायेगी तो 21 सूत्रीय कार्यक्रम पूरा हो जायेगा। श्री अर्जुनसिंह जी के शिक्षा विभाग के मंत्री रहते, इस विभाग में प्रगति होगी, इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। मैं खासतौर पर अपने साथियों से यह कहना चाहता हूँ कि अर्जुनसिंह जी ने अपने विभाग में हरिजनों और आदिवासियों की जो उपेक्षा की है उसको देखते हुए उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अर्जुनसिंह जी से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वह मेरे पुराने दोस्त हैं। जब सी.पी. तिवारी उनका विरोध करते थे तो मैं उनका साथ देता था।

श्री किशोरीलाल शुक्ल (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दो-तीन साल के बाद बोल रहे हैं। कोई हाल की नाराजगी का कारण होगा।

श्री सज्जनसिंह विष्नार : नाराजगी कुछ नहीं है। इसी बात की नाराजगी है कि जिनको भेजते हैं, यह उनकी उपेक्षा करते हैं। सिर उठाकर बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। चिट्ठियों का उत्तर नहीं मिल सकता। पुराने सदस्यों के साथ यह हालत है, तो नये सदस्यों के साथ क्या स्थिति होगी?

अन्त में पुनः इस बजट का स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अनुपूरक बजट पर चर्चा न करके, मेरे ऊपर चर्चा की है, इसलिये मुझे भी 5 मिनिट का समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष : अवश्य।

श्री अर्जुनसिंह (शिक्षामंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूँ कि आपने मुझे थोड़ा-सा समय स्पष्टीकरण करने के लिये दिया है। मेरे मित्र श्री विष्नार जी ने बजट भाषण में चर्चा करते समय कुछ मेरे विभाग के कार्यकलापों के ऊपर और कुछ व्यक्तिगत मेरे ऊपर आक्षेप किये हैं। जो मित्र की आधुनिक परिभाषा होती है उसके अनुसार मैं उनका मित्र हूँ, यदि वे वस्तुस्थिति से परिचित होकर बोलते तो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे नहीं करते। जहाँ तक विभाग में हरिजन-आदिवासी और दूसरे लोगों के संरक्षण का सवाल है उसे मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहता। इस शासन की नीति में और विशेषकर इस प्रश्न पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और हमारे मंत्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हर समय इस प्रकरण को सर्वोपरि रख कर विचार किया जाता रहा है, मैं कह सकता हूँ कि जो अवसर हरिजन-आदिवासियों को और पिछड़े वर्ग को गये दो-तीन सालों से

प्रदान किया गया है, वह इसके पहले कभी नहीं किया गया। यह मैं कोई आत्मसंतोष करने के लिये नहीं कहता हूँ और न केवल किसी के आरोप का उत्तर देने के लिये ही कहता हूँ, बल्कि यह वस्तुस्थिति है जो कि आपको सहज ही मालूम हो सकती है, यदि आप राग द्वेष से प्रेरित होकर चर्चा न करें। शिक्षा विभाग में अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन सालों से शिक्षा की चयन प्रणाली बदली है। जो हरिजन-आदिवासी भाई टेस्ट में अवसर प्राप्त नहीं कर सकते थे, अब उनके लिये नियम को शिथिल करते हुए यह कर दिया गया है कि प्रत्येक हरिजन-आदिवासी बालक जो कि इन परीक्षाओं में सम्मिलित होगा चयन प्रक्रिया से परीक्षा में, उस बालक के हाईस्कूल में जो नम्बर रहे होंगे उसके आधार पर अब सूची बनेगी और उसमें जितने भी हरिजनों के लिये स्थान होंगे और जितने भी आदिवासियों के लिये स्थान होंगे, उसके आधार पर वे स्थान भर दिये जावेंगे। तो इस वर्ष जो चयन प्रक्रिया हुई है उसमें हरिजन और आदिवासियों के लिये जो स्थान थे वे शतप्रतिशत उन्हें ही दिये गये हैं। शायद विष्णार साहब को मालूम न होगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो शासन है, मैं भी उसका एक अंग हूँ और उसके अनुसार जो कार्यभार मेरे हिस्से में आता है उसको मैं मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य ने कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं तो मुझे लगभग इस विधानसभा में बैठते हुए 20 वर्ष हो रहे हैं इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है और दुख ही हो रहा शायद उन्हें दुःख होता हो जो कि अपने काम सही दृष्टिकोण से ही देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। मेरे घर में कौन आता है, कौन नहीं आता है, मेरा कार्यकलाप कैसा है, तो अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भी सदस्य न होगा जो कि अपने क्षेत्र की बात लेकर मुझसे न मिला हो। यदि अनजाने में मुझसे किसी का अनादर हो गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात बड़ी दृढ़ता से कहना चाहता हूँ विष्णार साहब से कि चाहे वह हरिजन हो या आदिवासी हो मैंने जानबूझकर किसी का अनादर नहीं किया है जैसा कि विष्णार साहब ने कहा कि मैंने जानबूझकर अनादर किया है। यह कहना बिल्कुल गलत है यह किसी *.....* की ही केवल उपज हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में आना और राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करना कठिन भी है और सरल भी है। यह तो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग भटकते हुए आ जाते हैं जो पूरा-का-पूरा लाभ लेना चाहते हैं। कुछ लोग लाभ-हानि दोनों सहन कर लेते हैं अवसर मिलता है उसका फायदा लेते हैं और अवसर नहीं मिलता तो हानि उठा लेते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरा कभी ऐसा इरादा नहीं रहा कि मैं उनके या किसी माननीय सदस्य के कार्यों को और दृष्टि से देखूँ। जहाँ तक गाँवों में रहने का प्रश्न है वहाँ की जनता के और हमारे क्या संबंध हैं, कृपा करके उसके ऊपर विष्णार साहब निर्णायक न बनें क्योंकि उसका निर्णय करने वाले वहाँ के लोग हैं। यहाँ से बैठकर निर्णय करें तो वह कितना अच्छा होगा इस संबंध में, मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता। विष्णार साहब मुझे अपना मित्र कहते हैं इसलिये वह किसी बात को कहने के पहले वस्तुस्थिति की जानकारी ले लें तो उचित होगा। शायद किसी ने भ्रम में डालकर भुलावे में डाला है। वह सब समझते हैं, जानते हैं, गलत जानकारी उनके सामने आई है और उस जानकारी के आधार पर विचार व्यक्त किया है। यदि उन्हें कोई व्यक्तिगत क्लेश हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और यदि सार्वजनिक क्लेश हो तो वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर वह सदन में बोलें, ऐसी उनसे मेरी अपेक्षा है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 जुलाई 1975, पृष्ठ/76-77, 84-85)

9 अगस्त 1975 को एक दिवसीय सत्र पुनः आहूत हुआ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि— "यह सभा यह संकल्प करती है कि इस विधानसभा का वर्तमान सत्र कतिपय अत्यन्त आवश्यक, महत्वपूर्ण शासकीय कार्य निबटाने हेतु आमंत्रित किया गया है। अतः इस सत्र में केवल शासकीय कार्य ही संपादित किये जायें और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य जैसे प्रश्न, ध्यानाकर्षण तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाये जाने वाले अन्य कार्य इस सत्र में सभा के समक्ष न लायें और न ही

संपादित किये जायें और इन विषयों पर विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के समस्त तत्संबंधी नियम एतद् द्वारा निलंबित रहेंगे।'' प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ कि— ''यह सदन भारत के संविधान के संबंध में उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक की व्याप्ति के अन्तर्गत आते हैं और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चालीसवाँ संशोधन) विधेयक 1975 द्वारा जिसका संक्षिप्त नाम बदलकर संविधान (उन्तालीसवाँ संशोधन) अधिनियम 1975 रख दिया गया है, किये जाने के लिये प्रस्तावित है।''

इसके बाद सत्रावसान हो गया।.....

शिक्षक ऐसे शिल्पी हैं, जो समय और समाज की आवश्यकतानुसार नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। वे नई पीढ़ी को हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बीच समन्वय स्थापित करने का मार्ग-प्रदर्शन कर उनके संतुलित विकास में सहायक बनते हैं।

— अर्जुनसिंह
(5 सितम्बर, 1980)



1976

25 दिसम्बर 1975 से श्री प्रकाशचन्द्र सेठी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में ले लिये गये। अब मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल हुए। विधानसभा के सभापति श्री गुलशेर अहमद, उपसभापति श्री सवाईमल जैन। मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री सत्यनारायणसिंह।

29 नवंबर 1976 को विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र प्रारंभ हुआ पहले दिन प्रस्ताव प्रस्तुत और पारित हुआ कि "यह सभा संकल्प करती है कि विधानसभा का अल्पकालीन सत्र परमावश्यक तथा महत्वपूर्ण शासकीय कार्य निबटाने हेतु आमंत्रित किया गया है अतः इस सत्र में केवल शासकीय कार्य ही संपादित किये जायें और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य जैसे प्रश्न, ध्यानाकर्षण तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाये जाने वाले अन्य कार्य इस सत्र में सभा के समक्ष न लाये जायें और न संपादित ही किये जायें और इन विषयों पर विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम के समस्त तत्सम्बन्धी नियम एतद् द्वारा निलम्बित रहेंगे। परन्तु संविधान (44वें संशोधन) विधेयक के अनुसमर्थन सम्बन्धी संकल्प के स्वीकृत किये जाने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से ध्यान आकर्षण सूचना तथा संक्षिप्त चर्चा स्वीकार कर सकेंगे।"

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 नवंबर 1976, पृष्ठ/11-12)

29 नवम्बर को ही मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल ने विधानसभा के समक्ष अनुसमर्थन के लिए एक संविहित संकल्प प्रस्तुत किया। सीधी से निर्वाचित सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने संकल्प पर की जा रही चर्चा के दौरान अति महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जो यहाँ दिया रहा है—

श्री श्यामाचरण शुक्ल (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :—

"यह कि यह सदन भारत के संविधान के सम्बन्ध में उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक की व्याप्ति के अन्तर्गत आते हैं और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1976 द्वारा, जिसका संक्षिप्त नाम बदलकर "संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम 1976" रख दिया गया है, किये जाने के लिये प्रस्तावित है।" अर्थात्

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1976 as passed by the two Houses of Parliament and the short title of which has been change into. "The Constitution (Forty-second Amendment Act, 1976.)"

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 नवंबर 1976, पृष्ठ/17)

श्री अर्जुन सिंह (सीधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधानसभा को मेरे मत में एक ऐतिहासिक दायित्व पूर्ण करने का अवसर मिला है। मैं इसे ऐतिहासिक दायित्व इसलिए कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि किसी भी देश का संविधान केवल कुछ नियमों, कुछ कानून-कायदों का संकलन मात्र नहीं है। मेरे मत में ऐतिहासिक शक्तियों का मेल है और उन ऐतिहासिक शक्तियों द्वारा प्रेरित उस समय देश में रहने वाले व्यक्तियों के कार्यकलापों

का दिग्दर्शन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दायित्व को इस सदन को निबटाने का अवसर मिला है। शायद, हममें से बहुतों को यह याद न हो और हममें से बहुत से शायद उस वक्त रहे न भी हों कि यह संविधान उस समय बनना शुरू हुआ था जब कि देश को आजादी नहीं मिली थी। आजादी मिलने के आसार नज़र आ रहे थे लेकिन देश आज़ाद नहीं हुआ था। एक लम्बे संघर्ष के बाद गांधीजी के नेतृत्व में कई कठिनाइयों पर काबू पाने के बाद एक ऐसे स्थान पर देश पहुँच चुका था जहाँ एक ओर देश का भविष्य नज़र आता था और वहीं पर वर्तमान की दुखद घटनाओं की काली घटा छाई हुई थी। सन् 47 में उस समय जो लोग थे उनको यह बात भलीभाँति याद होगी। भारत का भविष्य, भारत का विधान कैसे बनेगा यह संविधान सभा में यह उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में आया और उस पर डिबेट हुई। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री, उस समय पंडित जवाहरलाल जी थे। उन्होंने उस चर्चा का उत्तर दिया। मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ हम करने जा रहे हैं सैद्धांतिक रूप से इसका सूत्रपात 22 जनवरी, 1947 को स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उनके शब्द हैं अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य, प्रस्ताव को पारित करते समय जो अँग्रेजी में हैं—

"We shall pass this resolution, the Objective Revolution for the founding of the Constitution, I hope this Resolution will lead us to a Constitution on the lines suggested by the Resolution. I trust that the Constitution will lead us to real freedom for which we have been clamouring so far and that real freedom in turn will bring food to us and to the starving people. will bring clothing to them and will bring housing and all manner of oppotrunities for progress."

अध्यक्ष महोदय, यह उद्देश्य था जिनके आधार पर इस संविधान की रचना हुई है। इसके 6 महीने बाद राष्ट्रनायक पंडित नेहरू ने दिल में न जाने कितने अरमानों को संजोये हुए भारत माता के कोमल हाथों को पकड़कर गुलामी के अंधकार से आजादी के उजाले में ले आये। 14 अगस्त 1947 की रात और 15 अगस्त की सुबह के बीच में इस देश के अंदर एक नये युग ने पदार्पण किया और इस नये युग के रचयिता ने इस देश के संविधान बनाने वालों को, देश की आजादी दिलाने वालों को और आजादी की रक्षा करने वालों को अपना संदेश दिया और वह संदेश मैं समझता हूँ कि दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हममें से प्रत्येक भारतीय के हृदय में वह संदेश है और उससे ही प्रेरणा प्राप्त कर उसी आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। यदि आप विहंगम दृष्टि डालें तो आपको विदित होगा कि सन् 1950 में संविधान स्वीकार किया गया है तब से 1970 तक भारतीय राजनीति में उन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनका कि आजादी की लड़ाई में कोई योग नहीं था। प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाने के कारण उनको यह अवसर मिला कि उन्होंने राष्ट्रीय रंगमंच पर आकर न केवल उस उद्देश्य की पूर्ति, जिसका कि समावेश संविधान में किया गया है, धीरे-धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो शक्तियाँ साधक थीं वे बाधक होने लगीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इस देश को अपने तरीके से साथ लेकर चलना चाहते थे, जमींदारी उन्मूलन होने के कारण 1952 में संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसके पश्चात् और भी संशोधन करने पड़े और 1960-70 के दशक में हम यह मान सकते हैं, प्रजातन्त्र कई मायने में परिपक्व हो चुका था। परन्तु हम संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं ला सकते थे। यह दशक वह दशक है कि जब कि हमको एक छोटे कद का आदमी प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त हुआ और वह थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जिनसे हमको बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं रहे। इसके पश्चात् हमें प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी प्राप्त हुईं जो कि न केवल देश की तरुणाई की आशा और आकाँक्षा की केन्द्र थीं, वरन् इस देश के करोड़ों लोगों को उनसे बड़ी-बड़ी उम्मीदें थीं। जो कार्य 1947 में और उसके बाद शुरू किया गया उसे 1966 से 1970 तक उन्होंने अपने पिताजी की परम्पराओं को कायम रखते हुए करने का प्रयास किया है। उन्होंने उन उद्देश्यों को अमलीजामा पहनाने की चेष्टा की थी लेकिन ज्यों-ज्यों अमलीजामा पहनाने की कोशिश की गई और वायदों को सही रूप से पूरा करने की चेष्टा की गई उसी अनुपात में कॉमिस में भी और उसके बाहर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक पुरुष के रूप में उनको स्वीकार किया। इसके कारण भले ही कुछ

साथियों को छोड़ना पड़ा हो परन्तु राष्ट्र को सही दिशा में लाने की कोशिश की गई। चाहे वह 1970 का बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, या प्रिवी पर्स का मामला हो, एक के बाद एक जनता के भविष्य को बनाने के लिये श्रीमती गांधी प्रयत्नों में लगी हुई थीं परन्तु कुछ न कुछ शक्तियाँ छिपे तौर से उनके इन प्रयत्नों में बाधा पहुँचाती थीं। अध्यक्ष महोदय एक कहावत है कि कहीं की भी न्यायपालिका क्यों न हो वह अपने समय से 50 वर्ष पीछे रहती है। लेकिन आज के युग में बीसवीं सदी में भी ऐसा होना सम्भव नहीं है। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तो यह जो कठिनाइयाँ सामने आईं तो इनके लिए एक ही प्रजातांत्रिक तरीका था और वह यही था कि देश की जनता के सामने काँग्रेस पार्टी जाती और कहती कि हम जो करना चाहते हैं उसमें ये-ये कठिनाइयाँ हैं और इनको हम इस तरीके से दूर करना चाहते हैं इसलिये 1971 का आम चुनाव निश्चित रूप से निर्णायक था। संविधान में जो हम संशोधन कर रहे हैं उसको इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि जनता की जो आकांक्षाएँ हैं उनकी पूर्ति हो। भारत की जनता की जो आकांक्षाएँ हैं उनकी पूर्ति हो।

भारत की जनता की आकाँक्षाओं को, उनके मनसूबों को निराश करने के लिए न जाने कितने लोगों ने विरोधी सरकार बनाने के मनसूबे देखे थे और जाने किस-किस से गठबंधन कर रखे थे। तो भारत की जनता की जो इच्छा थी, उसकी पूर्ति करने के लिए दो तिहाई के बहुमत काँग्रेस को लोकसभा में प्राप्त हुए। अब इसमें सवाल यह उठता है कि 70 से 76 तक अभी तक आपने यह इस प्रकार का संशोधन क्यों नहीं किया? तो समय नहीं रुकता है। हमारी प्रधानमंत्री ने और काँग्रेस पार्टी ने, इनकी जो अपेक्षाएँ थीं, इन्होंने जनता में जो अपने मन्तव्य व्यक्त किये थे उनके पूरा होने में जो लोग जनतन्त्र की दुहाई देते थे, उन्होंने जनता के मनसूबे पूरे न हो पायें इसलिए उसमें अड़ंगे डाले।

यदि बंगला देश की लड़ाई को छोड़ दिया जावे तो भी आप देखेंगे कि 72 का आम चुनाव होने के बाद भी सड़कों पर नारेबाजी और हड़ताल वगैरह जारी रही और इसको सम्पूर्ण देश में एक क्रान्ति का नारा दिया गया। तो यह सम्पूर्ण देश में क्रान्ति, क्रान्ति नहीं थी बल्कि यह सम्पूर्ण देश में एक भ्रान्ति फैलाई गई थी। आप यह कह सकते हैं कि जो काम आज से दो साल पहले हो जाना चाहिये था उसको आप आज कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि यह जो विलम्ब हुआ है वह कोई हमारी वजह से नहीं है। संविधान बनाते समय डॉ. अम्बेडकर ने जो भाषण दिया था वह समझने लायक है। उन्होंने कहा था कि विश्व की शायद ही कोई ऐसी संविधान सभा होगी जिसने इतनी सुगम प्रक्रिया संविधान बदलने के लिए, हमने भारतवर्ष में रक्खी हैं। दो तिहाई बहुमत प्राप्त करके जो दल बालिग मताधिकार के आधार पर लोकसभा में आयेगा और जनता का समर्थन प्राप्त होगा। तो उसका मतलब होगा कि निश्चित रूप से देश की जनता वह तब्दीली चाहती है। यही कारण है हमने संशोधन करने के पहले जनता से अपील की और उसने दो तिहाई बहुमत लोकसभा में काँग्रेस को दिया ताकि प्रगतिशील नीतियों के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों को हटाने के लिये संविधान को बदला जा सके। फिर प्रश्न यह आता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी आबोहवा बनाई गई कि पार्लियामेंट, विधानसभा, काँग्रेस पार्टी न्यायपालिकाओं के साथ संघर्ष में रत हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता है कि न तो प्रधानमन्त्री, न दल के अध्यक्ष न किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री और न हमारे दल के कोई सदस्य संघर्ष करने में किसी प्रकार से रुचि रखते हैं। हम न्यायपालिका, न्यायाधीशों की हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो अधिकार प्रदत्त हुए हैं उनके अनुसार वह न्याय का पालन करे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि स्वयं संविधान ने पार्लियामेन्ट के आधीन उच्चतम न्यायालय को रखा है एक ऐसी धारा है जो हम लोगों के काम की नहीं है, हम लोग नहीं जानते, आप वकील हैं, आपने उपयोग किया होगा वह है 145। इसमें उच्चतम न्यायालय को अपनी प्रक्रिया को निर्धारित करने का अधिकार दर्शाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात होगी, आज हम पर यह लांछन लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बारे में पहला वाक्य है रूल्स ऑफ कोड का सुप्रीम कोर्ट मेक रूल्स। यह बातें हैं।

Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating

generally the practice and procedure of the Court including—

अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित सिद्धांत है कि जो कोई संस्था सार्वभौम होगी तो सचमुच अपने नियमों के अपने प्रक्रिया के संचालन करने के अधिकार उसके होंगे। वह अधिकार केवल पार्लियामेंट को, विधानसभा को दिये हैं और किसी संस्था को नहीं दिये फिर यहाँ संघर्ष का प्रश्न कहाँ उठता है। जब संविधान बन रहा था तब यह प्रश्न उठाया कि यह आर्टिकल रखकर सुप्रीम कोर्ट को उसके आधीन कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में आम्बेडकर जी ने उत्तर दिया, वह मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि—

"This idea that the Supreme Court has to be somebody which is absolutely separate from every other institution set up by the Constitution is a wholly wrong and mischievous idea. The Supreme Court has to be one of our safeguards but if it is to be in a position of hostility to the executive or the Parliament, than the power of the Supreme Court will vanish because after all it has to depend up on the good will both of the Parliament and the executive.I would suggest, therefore, that this idea of independence of Supreme Court should not be done to death as many members are attempting to do"

अध्यक्ष महोदय, जो संविधान सभा के समय इन सदस्यों को नहीं करने दिया गया उसे आज न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की दुहाई देकर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वस्तुतः न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करने का प्रयास इस संशोधन में है ताकि लोकसभा और प्रशासन से न्यायपालिका के संघर्ष का प्रश्न ही कभी उपस्थित न हो। इसलिये अध्यक्ष महोदय, न तो यह संघर्ष का प्रश्न है, न किसी और बात का प्रश्न है, यह संविधान में जो चीज निहित है, उसको स्पष्ट कराने का निश्चित करने का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न उठता है कि यह संविधान संशोधन तो हो गया, अब क्या स्वयं में अपने आप में यह पर्याप्त है। क्या यह कदम जिस पर आज इस विधानसभा से अन्तिम मुहर लगाने को कहा जा रहा है, अपने आप में ही स्पष्ट है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है और यह कहने का साहस मेरा और इसलिये बढ़ रहा है कि इस देश की नेता प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक पर हुई चर्चा में स्वयं इस प्रकार के वचन कहे हैं इसलिये मुझे साहस और भरोसा दोनों हैं। यहाँ आकर हमारी मंजिल, हमारे कदम रुक न जायें क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रधानमन्त्री ने अपने भाषण में कहा है—

A Constitution must give order and stability, it must ensure that the organs of Government are responsible to the People and subject to their will. It Prescribes restraints on all and that's the essence of the rule of law

अध्यक्ष महोदय, उनके यह शब्द एक महत्वपूर्ण बात की ओर इंगित करते हैं। जब हमने एक दफे देश की करोड़ों जनता को, इस देश की सार्वभौम सत्ता के रूप में स्वीकृत किया और उस सार्वभौम सत्ता के माध्यम से विधान मण्डलों में सत्ता के उपयोग के लिये हम लोग निर्वाचित हुए, तब हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम उस जनता के लिये क्या कर रहे हैं, किस हद तक उनकी भावनाओं को, उनके साहस को, उनकी शक्ति को शासन के अन्दर बैठकर, विधानसभाओं में बैठकर प्रतिबिम्बित कर रहे हैं और किस तरह से जनता के अधिकारों को जो संविधान ने उन्हें दिये हैं उनको सुरक्षित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि इस संविधान संशोधन के पारित हो जाने के बाद हम सबका ऐतिहासिक दायित्व और भी बढ़ जायेगा क्योंकि अब हम यह कहकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते कि अमुक व्यक्ति के कार्यों के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम उनकी कल्पनाओं को मूर्तरूप देने से वंचित नहीं रख सकते। आज हम जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के द्वारा जनता के मन में कभी भी यह धारणा जन्म न लेने दें कि उनके स्वयं के अधिकार, उनके स्वयं के हित हमारे स्वयं के अधिकार और हमारे स्वयं के हितों से गौण हैं। यह खतरा आज में समझता हूँ सबसे अधिक है इस बात को सभी को देखना चाहिए। आज की शासन तंत्र की यह जिम्मेदारी है कि उनकी नीतियों के कारण

नौकरशाही उनके ऊपर हावी न हो। हमें यह देखना चाहिए कि उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हम किस तरह से गतिशील हैं और जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी यह बात महत्वपूर्ण है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह सम्पूर्ण जो कार्य हैं जो संशोधन का संसद से लेकर समस्त विधानसभाओं का यह एक ऐसा कार्य होगा जो कि देश के अन्दर एक नवीन चेतना का संचार कर सकेगा। 'कर सकेगा' शब्द मैं इसलिये विशेष रूप से कहता हूँ कि वह तब कर सकेंगे जबकि साइन्टिफिक टेम्पर का जिसका जिक्र कर्त्तव्यों के अध्याय में डाला गया है उसे हममें से प्रत्येक अनुसरण करने का प्रयास करेगा। यदि हम आज भी जाति-पाँति और नाना प्रकार के संकीर्ण विचारों को बनाये रहे और बाहरी आवरण डालकर अपने अन्दर उन्हीं संकीर्ण भावनाओं को छिपाये रहे तो हम नवीन चेतना का संचार नहीं कर सकते हैं और उस महान उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी जिसके लिये संविधान में संशोधन किया गया है। यह देश जिसको गांधी जी की ममतामयी वाणी का वरदान मिला, जवाहरलाल नेहरू की दूर दृष्टि का लाभ मिला और प्रेरणा मिली और इन्दिरा गांधी के दृढ़ नेतृत्व का कवच मिला, उसका आज के युवकों के उल्लास का दोहन करके नई रचना कर सकें, यह उद्देश्य और यह चुनौती हम सबके सामने है हम उस चुनौती का उत्तर कैसे देते हैं इस पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 नवंबर 1976, पृष्ठ/34-36)

1 दिसम्बर 1976 को वित्तमंत्री श्री श्यामसुन्दर नारायण मुश्रान ने वर्ष 1976-77 की द्वितीय अनुपूरक माँगों का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मतदान पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। सदस्य श्री होमी दाजी ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की उसके बाद सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अपने वक्तव्य के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया जो उनकी निष्पक्ष विचारशैली का परिचायक है—

(इसी दिन सत्रावसान हो गया)

श्री श्यामसुन्दर नारायण मुश्रान (वित्तमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में अनुपूरक अनुमान पेश किया गया है। वह 31.14 करोड़ रु. का है। इसमें से 7.40 करोड़ रु. नान-प्लान का है और 23.74 करोड़ रु. प्लान में खर्च हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो मालूम होगा कि नान-प्लान में जो 7.40 करोड़ रुपयों का खर्च है उसमें से 3.36 करोड़ रु. भारत सरकार से प्राप्त होगा और 18 करोड़ रु. असिसमेंट से प्राप्त होगा और मध्यप्रदेश शासन के द्वारा केवल 3.66 करोड़ रुपया खर्च किया जावेगा। इसी प्रकार से प्लान के 23.74 रु. के खर्च में से 14.56 करोड़ रु. भारत शासन से और दूसरे साधनों से प्राप्त हो रहा है और 3.81 करोड़ रु. एडजस्टमेंट से प्राप्त होगा और मध्यप्रदेश शासन के ऊपर केवल 5.38 करोड़ रुपयों का ही भार आया है इस तरह से दोनों मदों नान-प्लान और प्लान को मिलाकर मध्यप्रदेश शासन के ऊपर 9.26 करोड़ रुपयों का भार आयेगा और यह जो खर्च हुआ है वह बहुत ही जरूरी हुआ है और माननीय सदस्य देखेंगे कि जो प्लान का खर्च है ज्यादातर सिंचाई आदि का खर्च है और जो नान-प्लान का खर्च है वह वनों का राष्ट्रीयकरण, पुलिस का आधुनिकीकरण पर हुआ खर्च है, दूसरे 50 लाख रु. लोक निर्माण विभाग के आधुनिकीकरण पर खर्च किया गया है। मैं सदन के समक्ष प्लान का जो खर्च हुआ है उसके मुख्य-मुख्य मुद्दे रखना चाहता हूँ।

परिवार नियोजन के लिये 9.82 लाख रु. भारत शासन से प्राप्त हुआ है। योजना और विकास के लिये 90 लाख रु. यह भी भारत शासन से प्राप्त है। भोपाल तथा इन्दौर नगर विद्युत विकास योजना 115 लाख रु. भारत शासन से प्राप्त है। महानदी, टेरी और सिंध परियोजनाएँ : 350 लाख रु. इसमें से 50 प्रतिशत भारत शासन से प्राप्त हो रहा है और 50 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन का है। सिंचाई की चालू योजनाओं के लिये 70 लाख रु. रखा गया है। इसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं पर 112.17 लाख रु. है। पुराने राहत कार्यों को पूरा करने के लिये 153.85 लाख रु. है।

इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितनी भी मदें हैं जिन पर खर्च हुआ है और हो रहा है वे सब सिंचाई तथा

अन्य विकास की मदें हैं तथा जो पुराने राहत कार्य थे उनको पूर्ण करने के लिये खर्च हुआ है। अतः मेरा सदन से निवेदन है कि वह इनको अनुमोदित करेगा।

श्री होमी दाजी (इंदौर-2) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1976-77 की द्वितीय अनुपूरक माँगों के संबंध में पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि करीब-करीब सभी महत्वपूर्ण विभागों की माँगें इसमें प्रस्तुत की गई हैं लेकिन यह बड़े खेद का विषय है कि मन्त्रीगण ने सभा में उनके विभागों के बारे में क्या कहा जावेगा उसको सुनने की कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखलायी है। यहाँ पर करीब-करीब कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री अनुपस्थित हैं अभी श्री उमरावसिंह जी आ गये हैं और बाकी के सभी अनुपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का द्योतक है कि मंत्रीगण अपने विभागों के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यह जो द्वितीय अनुपुरक माँग वित्तमंत्री जी ने प्रस्तुत की है इसमें जो-जो योजनाएँ बतलायी हैं जैसे जलपूर्ति योजना आदि ये स्वागत योग्य हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि वित्त विभाग और दूसरे सभी विभागों पर सतर्कतापूर्वक फाइनेन्शियल कंट्रोल रखता तो इस आधिक्य को बहुत कुछ बचाया जा सकता था. और इन सारे खर्चों को घटाया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक सुयोग्य वित्तमंत्री होने के बाद भी और इस विभाग में तीन-तीन वित्त सचिव होने के बाद भी हमारे मध्यप्रदेश का जो फाइनेन्शियल कंट्रोल है वह बिल्कुल लुंज-पुंज है और ऐसा लगता है कि हमारे प्रान्त में जैसे फाइनेन्शियल कंट्रोल है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति का जो वर्ष 1976-77 का जो छत्तीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे तो उसमें सभी विभागों के बारे में है लेकिन मैं उसके एक विभाग पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। विभाग ने अपने ज्ञापन के परिशिष्ट (बी) में जिन 25 डिवीजनों के शेष स्टॉक की जानकारी दी है, उसको देखने से यह ज्ञात होता है कि विभाग के स्टाक की स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। साक्ष्य के समय विभागीय सचिव संबंधित वर्ष में अत्यधिक निर्माण कार्य होने के अलावा और कोई समाधानकारक कारण बताने में असमर्थ रहे। समिति अपेक्षा करती है कि विभाग प्रत्येक डिवीजन की स्थिति के सम्बन्ध में उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार कर उचित कार्यवाही करेगा। समिति आशा करती है कि कम्प्यूटर प्रणाली के अपनाये जाने पर विभाग में पर्याप्त सुधार हो सकेगा।

समिति अपेक्षा करती है कि विभाग आधिक्य की राशि 10,10,005.37 रुपये का नियमानुकूलन करवा लेगा। तो जिस विभाग में करोड़ों का आधिक्य हो वह कोई अच्छी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है उसको मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है और दूसरा जो इस अनुपूरक माँग के सम्बन्ध में कोई उदाहरण हो सकता है वह है कि इस समय हमारे प्रान्त के अन्दर 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला हुआ है और इसके सम्बन्ध में हमारे प्रान्त की सरकार ने पिछली विधानसभा में कुछ ऐसे कानून पेश किये हैं। उसमें सबसे अच्छा जो कानून है वह भूमि के बेनामी हस्तान्तरण पर रोक के सम्बन्ध में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर जहाँ भारी मात्रा में आदिवासियों की जमीन साहूकारों ने दबा ली थी, वहाँ के आदिवासी लोगों में आशा का संचार हुआ और वह यह समझने लगे कि हमारी जमीन हमको वापस मिल जायेगी। वहाँ आज हजारों अलग-अलग प्रकार के केस हैं, वहाँ अभी भी आदिवासियों और हरिजनों को कब्जा हस्तान्तरित होने के बावजूद पूँजीपतियों द्वारा उन गरीब आदिवासी व हरिजनों से कब्जा छीनने की मुहिम चालू है। कई जगह गुंडों और बदमाशों के बल पर उनकी जमीन की जो फसल है, वह उनके द्वारा हरिजन आदिवासियों को नहीं लेने दी गई है इसलिये मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आई.जी. साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब का उन आदिवासी व हरिजनों के प्रति हमदर्दी का एटीट्यूट होने के बाद भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव उन गरीब हरिजन आदिवासियों के खिलाफ है और दबे कंगाल को प्रोटेक्शन मिलने के बाद प्रोटेक्शन उन साहूकारों को मिलता है जब कि उन आदिवासियों और हरिजनों की फसल पर हमला होता है, तो होता यह है कि साहूकारों को पकड़ने के बजाय उन आदिवासियों और हरिजनों को 251 के तहत बन्द कर दिया जाता है और वह आदिवासी हरिजन जेल में रहते हैं और साहूकार बाहर आ जाते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जो गरीबों के प्रति एडमिनिस्ट्रेशन को संवेदनशील होना चाहिये था वह आज

देखने को नहीं मिलता। हमारे द्वारा हरिजनों के लिये स्पेशल तौर पर एस.पी. कायम कर दिया गया है। आई.जी. साहब का एक परिपत्र सब एम.एल.एज़ को मिला, हरिजन आदिवासियों की सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसमें श्री उमरावसिंह भी हैं। आई.जी. साहब ने लिखा है कि आदिवासी और हरिजनों के प्रति हमदर्दी रखी जाये लेकिन देखने में यह आ रहा है कि महीनों तक हरिजनों और आदिवासियों को कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। मेरे पास ऐसे अनेक केस पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण सदन को बताना चाहता हूँ कि गुना जिले में अशोकनगर के पास सरकार ने बहुत से भूखण्ड हरिजनों को मकान बनाने के लिये बाँटे जिन पर उन हरिजनों ने अपने रहने के लिये झोंपड़े बना लिये। उनके झोंपड़े को वहाँ के ठाकुरों द्वारा जला दिया गया। वहाँ के तहसीलदार कह रहे थे कि आग लगा दी। हमने आई.जी. साहब पुलिस व सी.एम. को उसके सम्बन्ध में शिकायत भी की तब उस तहसीलदार को सस्पेन्ड किया गया और उसके खिलाफ आर्डर दिया गया कि उस तहसीलदार पर मुकदमा चलाया जाये। उसके बाद उन ठाकुरों की गिरफ्तारी की गई जिन्होंने उन गरीबों के झोंपड़ों में आग लगाई थी किन्तु अभी तक उनके चालान कोर्ट में पेश नहीं किये क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट ने तहसीलदार के खिलाफ परमीशन नहीं दी। उसकी इजाजत के लिये लॉ डिपार्टमेंट साल भर लगा रहा है। सी.एम. आर्डर दें और साल भर तक उसका चालान पेश न हो। सब मिलकर हरिजनों को आतंकित करना चाहते हैं तो मैं मॉरल की बात कह रहा हूँ। वहाँ के ठाकुर लोग उनसे कहते हैं कि तुमने हमारा क्या करवा लिया, सरकार की उनके द्वारा धज्जियाँ उड़ रही हैं। मैंने इसके सम्बन्ध में फिर लिखकर दिया था। पता चला है लॉ डिपार्टमेंट में उस तहसीलदार के सम्बन्ध में अभी तक परमीशन आर्डर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ माँगें लाने के बाद भी आप जो आधुनिकीकरण करने वाले हैं, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह (सीधी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो परिवार नियोजन के क्षेत्र में अपने प्रदेश की उपलब्धियों के लिये शासन को बधाई देना चाहता हूँ और इस बात का हम सबको गौरव है कि एक राष्ट्रीय अभियान में इस प्रदेश की जो भूमिका होना चाहिये, उस भूमिका के अनुरूप भूमिका हम सबने सहयोग करके निभाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक बजट जो माननीय वित्तमन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में कुछ सवाल उठते हैं, जिनको मैं माननीय वित्तमंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ और इसके उत्तर में वह कुछ कहना चाहें या न कहना चाहें यह उनके विवेक पर है, लेकिन यह प्रश्न इस प्रदेश के विधायकों के सामने और जनता के सामने प्रश्न बनकर खड़ा है इससे वह मुख नहीं मोड़ सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सबको ज्ञात है कि लगभग दो वर्ष पहले पंचवर्षीय योजना के अनुरूप, मध्यप्रदेश की स्थानीय समस्याओं को देखते हुए विभाग की ओर से प्रस्ताव आने पर यह निर्णय लिया कि इस प्रदेश की सड़कों के लिए, सिंचाई के लिये आवश्यक है कि विभिन्न जगहों की जो स्थिति है, प्रत्येक प्रकार के डेव्हलपमेंट के कार्य हैं उनको देखते हुए जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप प्रयास हो तभी इस प्रदेश की उन्नति हो सकती है। माननीय वित्तमन्त्री जी भी उस निर्णय के सहभागी थे कि पूरे प्रदेश में सिंचाई, शिक्षा और वहाँ की स्थिति का योजना विभाग ने सिंहावलोकन किया और मापदण्ड सामने आया कि कहाँ कितना रुपया लगाने की जरूरत है। कहाँ सिंचाई की जरूरत है, कहाँ सड़कों की जरूरत है, उसके आधार पर पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया गया और इतना ही नहीं जिले स्तर पर योजनाओं का ठोस प्रयास था ताकि जो आवंटन हो वह सही रूप से खर्च हो रहा है या नहीं उस पर वहाँ के सदस्यों द्वारा अंकुश रखा जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह सकता कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है लेकिन यह निर्णय जो इस प्रदेश के शासन का निर्णय था उसको कार्यान्वित करने के समय उसको पूरी तरह नज़रअन्दाज किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि वित्तमन्त्री जी इस पर ध्यान दें ताकि जो निर्णय इस प्रदेश की समस्याओं को और अन्य प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न न हों इसके लिये निर्णय हुआ उसको हल्के तौर से नज़रअन्दाज न कर दिया जाये इस ओर माननीय वित्तमन्त्री जी ध्यान दें।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (मुख्यमंत्री) : यह कौन-सा निर्णय था जिसके बारे में ठीक से कार्यवाही नहीं हो रही है?

श्री अर्जुनसिंह : उदाहरण के लिये सिंचाई का कार्य ले लें जिससे मुख्यमंत्री जी सीधे संबंधित हैं। प्रत्येक

जिले में सिंचित एरिया का क्या अनुपात है, उसके आधार पर ही जो प्रदेश में पंचवर्षीय योजना के लिये रकम है, यह तो एक विभाग है, प्रत्येक विभाग के बारे में था। यह कैबिनेट डिसीजन है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पेपर बनाये थे, कैबिनेट ने इन्डोर्स किया था, उसके अनुरूप धनराशि का आवंटन हुआ या नहीं इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ता हूँ।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से जहाँ आवश्यकता सबसे अधिक है, वहाँ प्रावधान किया गया है, काम किये जा रहे हैं। उसके बारे में कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं हो सकते। जैसी आवश्यकता होगी स्थानीय, वैसे काम किये जावेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन जो प्रश्न मेरे मन में है उनको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यह बात जरूर है कि आकस्मिक निधि स्वाभाविक निधि बन गई है इसलिए आकस्मिक निर्णय हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है लेकिन फिर भी एक प्रश्न सामने आता है, वह है आदिवासी उपयोजनाएँ बनी हैं, हम सब जानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर आदिवासी जनसंख्या कुछ भागों में ज्यादा है वहाँ की उपयोजनाएँ निश्चित रूप से व्यापक रूप से बनेंगी। कुछ ऐसे भी भू-भाग हैं जहाँ आदिवासी जनसंख्या उस मात्रा में केन्द्रित, एक स्थान में भले ही न हो लेकिन उनकी आदिवासी संख्या अन्य आदिवासी स्थानों से कम नहीं है। उदाहरण के लिये मैं अपने जिले की समस्या रखना चाहता हूँ। सीधी जिले में केवल एक ट्राइबल ब्लॉक है क्योंकि वहाँ पर आदिवासियों की संख्या केन्द्रित है लेकिन एक पूरी की पूरी तहसील में 49.56 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है। केवल इस आधार पर कि 50 प्रतिशत से कुछ डिसिमिल प्वाइन्ट कम है। उसे उस योजना में शामिल नहीं किया गया है। हमारे माननीय शिक्षामंत्री जी ने हमारे जिले का काफी दौरा किया है, वह जानते हैं, हम लोग, विधायक भी उनसे मिले थे और उनसे निवेदन किया था इस समस्या के बारे में डिसिमिल प्वाइन्ट से जो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र माने जाने से रह गये हैं उनको शामिल करने का प्रयास हो। मेरी ऐसी मान्यता है कि उनके प्रयास से उस उपयोजना का लाभ उन क्षेत्रों को भी मिलेगा जिनको मिलना चाहिये।

अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूँ, वह है अपने प्रदेश के अन्दर उद्योगों के बारे में। अध्यक्ष महोदय, हमारा सौभाग्य है कि हमने प्रदेश में एक अत्यन्त उत्साही और अनुभवी उद्योगपति को उद्योगमंत्री के रूप में पाया है और सदैव उन्होंने उद्योगों के विकास के लिये प्रयत्न किया है। मैं निवेदन करता हूँ कि छुटपुट तरीके से या ज्यादा कहिए एडहॉक बेसिस पर इस प्रदेश के औद्योगीकरण के प्रश्न को न देखा जाये। यदि एडहॉक तरीके से औद्योगीकरण के प्रश्न को देखा जायेगा तो जिस प्रकार की इस प्रदेश की औद्योगीकरण की क्षमता है उसका उपयोग नहीं हो सकेगा। यदि एक मोटे तौर से लम्बी प्लॉनिंग के आधार पर उन क्षेत्रों को निश्चित कर दिया जाये जहाँ औद्योगिक संभावनाएँ हैं, क्या-क्या उद्योग लग सकते हैं, उन उद्योगों को लगाने के लिये क्या-क्या प्रयत्न आवश्यक हैं, उन सबको ध्यान में रखकर यदि योजना कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायेगा तो निश्चित रूप से जो उद्योगमंत्री की कल्पना है अपने प्रदेश के बारे में, वह साकार ही होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिंगरोली के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश की सबसे बड़ी कोयला खदान सिंगरोली में है। वहाँ कौन-कौन से उद्योग लग सकते हैं यह तो बहुत बड़ी बात है लेकिन वहाँ पर 10-15 किलोमीटर की सड़क बनाने को तैयार हैं या नहीं, या वहाँ पर किसी निम्नस्तर का उद्योग विभाग का होना आवश्यक है या नहीं, अभी इस ओर भी उद्योग विभाग ने ध्यान नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि राष्ट्र की सबसे बड़ी जो संपत्ति है उसके विकास के द्वारा प्रदेश को क्या लाभ मिल सकता है, इसकी आज कल्पना भी नहीं है तो हम उपाय क्या करेंगे, इसके बारे में सन्देह होना आवश्यक है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उन्होंने दिसम्बर में सीधी आने का वायदा किया है, वह सिंगरोली भी आवें और देखें कि वहाँ क्या सम्भावनाएँ हैं फिर वह स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जिसकी ओर मैं संकेत कर रहा रहा हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 दिसंबर 1976, पृष्ठ/76-77, 90-91)

पिछड़े क्षेत्रों में जो लोग आदिवासी-समुदाय के बीच काम करते हैं, उन्हें इस भावना से काम करना चाहिए कि वे उन पर दया या एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे सेवा-भाव से सदियों से शोषित, पीड़ित लोगों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर, यथास्थितिवाद से उन्हें मुक्त कर, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नई मंज़िल की ओर उन्हें शान्तिपूर्वक ढंग से बढ़ाकर देश के प्रति अपने मात्र कर्त्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं।

— अर्जुनसिंह
(12 जुलाई, 1980)



1977

1977 का बजट सत्र 28 मार्च को प्रारम्भ हुआ। उन दिनों विधानसभा के अध्यक्ष के पद को श्री गुलशेर अहमद और उपाध्यक्ष के पद को श्री सवाईमल जैन सुशोभित कर रहे थे। प्रदेश के राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिंह थे और मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल। इन दिनों आपातकाल समाप्त हो गया था और लोकसभा के चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गांधी पराजित हो गयीं।

28 मार्च को राज्यपाल महोदय ने अपना बजट अभिभाषण पढ़ा। सदस्य श्री धीरेन्द्रनाथ शर्मा (सूरजपुर) ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1 अप्रैल से कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा सदस्य श्री कैलाशचन्द्र जोशी ने प्रारम्भ की। इसी चर्चा में सदस्य श्री अर्जुनसिंह (सीधी) ने जो वक्तव्य दिया वह संकट की घड़ी में गहरे आत्मालोचन की ओर संकेत करता है उन्होंने काँग्रेस सरकार और दल के प्रत्येक कार्यकर्त्ता को इस तरह पुकारा— (फिर सत्रावसान हो गया)

श्री अर्जुनसिंह (सीधी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जिन परिस्थितियों में इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उन परिस्थितियों से सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। विभिन्न लोगों की उन परिस्थितियों के बारे में विभिन्न प्रतिक्रियाएँ भी हो सकती हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भारतीय प्रजातन्त्र के इतिहास में जो घटनाएँ घटी हैं उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है, सिवाये इसके कि 'लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो गये।' इस देश एवं प्रदेश की जनता ने प्रजातन्त्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करके कुछ मौलिक निर्णय लिए हैं। वर्तमान में कुछ कार्यों के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया और भविष्य के बारे में अपनी अपेक्षाओं की ओर संकेत किया है। मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि क्या हम सब उन परिस्थितियों से अनभिज्ञ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस जनमत के माध्यम से, जिन विचारों को, जिन आशाओं को जनमत ने अपने निर्णय में प्रतिबिम्बित किया है क्या हम उनकी अनदेखी करना चाहते हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि जनतन्त्र में जनमत का आदर कर हम अपने कार्यकलापों, कार्यविधि एवं कार्यक्रमों को संशोधित करने के लिए तत्पर हैं या नहीं। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दल से परे हैं। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो राग-द्वेष से परे हैं और जो देश में जनतन्त्र कायम रखने के लिये आवश्यक हैं। मैं अपेक्षा करता था कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ इन बातों की ओर संकेत होगा। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि देश का काँग्रेस दल ही ऐसा दल है जिसने इस देश में प्रजातंत्र की नींव रखी और उसे दृढ़ किया। वह दल इस प्रतिक्रिया से कदापि सहमत नहीं होगा कि इन चुनावों में अन्धे के हाथ बटेर लग गई। यथार्थ की खोज और उसके प्रकाश में काम करने की क्षमता के आधार पर ही देश में प्रजातन्त्र जीवित रखा जा सकता है। हमें निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हम खोज करने के लिए तैयार हैं? हमें यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हम यथार्थ के दर्शन करने के लिए तैयार हैं। हमें यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि दर्शन करने के बाद उसके प्रकाश में आचरण करने के लिए तैयार हैं। काँग्रेस दल की ऐतिहासिक भूमिका से ही इस देश में प्रजातन्त्र की स्थापना है और अब उसके पुरस्थापन के लिये हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए काम करना है। इसलिये में विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें यथार्थ को देखना है। यह प्रयास भले ही कटु हो, हमारा अहंकार हमारा स्वयं का स्वार्थ हमारे आड़े आ सकता है, लेकिन इस अवसर पर, प्रजातंत्र

की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए हमें आत्मविवेचन और आत्मनिरीक्षण निर्भीकता के साथ करने की आवश्यकता है। यह किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता यह प्रजातन्त्र के प्रत्येक पुजारी पर लागू होता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा, परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे आदर्श अपनायें और कार्यक्रम चलायें। जो भी आगामी वर्ष के लिये कार्यक्रम बनायें उनका सही रूप से विवेचन होना चाहिये। सबसे पहले इस बात को स्वीकार करें, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के और बिना किसी हीन भावना के कि हमने कुछ गलती की है उसके लिये जनता के सामने जो कि जनतन्त्र में ही सर्वोच्च सत्ता है, उससे क्षमा याचना करें। जो हमारे सही कार्यक्रम हैं जिनको हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने बहुत ही चिंतन के पश्चात् तय किया है, उनको विश्वास और ईमानदारी से क्रियान्वित करें। क्रियान्वयन में कुछ गलती हुई हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिये और इसलिये स्वीकार करना आवश्यक है कि भविष्य में गलती न हो। क्रियान्वयन में जो तथ्य सामने आये हैं उनकी पुनरावृत्ति भविष्य में दल की ओर से नहीं की जायेगी, यह दृढ़ता के साथ जनता के सामने रखना होगा। इसके बाद फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें विरासत में मिली है उसी पृष्ठभूमि में उन उद्देश्यों के लिये देश और समाज को बढ़ाने के लिये हम सक्षम हो सकेंगे। आज हमारी जो स्थिति है, उससे यह स्पष्ट है कि क्रियान्वयन में कहीं गड़बड़ी हुई है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम या आपातकालीन घोषणा को लेकर काँग्रेस पार्टी के विरोध में काफी कुछ कहा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा, आपातकाल देश में जिन परिस्थितियों के होते हुए लागू किया गया था उसके सिवाये उस परिस्थिति में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यह मत का प्रश्न हो सकता है कि अल्प समय के लिए होना चाहिए था या उसे ज्यादा समय तक रहना चाहिए था और पाँच-छैः महीनों में आपातकाल की घोषणा के बाद आर्थिक कार्यक्रमों की जो रचना की गई और उन कार्यक्रमों की पूर्ति के लिये प्रयास किये गये, वे प्रयास भी हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप थे। अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है जो कार्यक्रम इस देश की सर्वतोन्मुखी उन्नति के अनुकूल न हो। बाद में जो अन्य पाँच सूत्रीय कार्यक्रम सामने लाया गया उसमें भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो देश के, समाज के समानीकरण करने में आवश्यक नहीं हो। फिर क्या कारण था कि पिछले 18-19 महीनों में देश की जनता के सामने सही कार्यक्रम, सही नेतृत्व एक विकृत रूप में आकर प्रकट हुआ? यह एक ऐसा विषय है अध्यक्ष महोदय, कि जिस पर हमें बन्द दरवाजों के अन्दर नहीं अथवा ऐसे स्थान पर नहीं, जहाँ 4-5 लोग चाय पियें बल्कि खुले रूप में विचार करना होगा। यह ऐसा विषय है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस पर जनतन्त्र में, लोकतन्त्र में खुले रूप में विचार होना चाहिए ताकि यह साबित किया जा सके कि जो गलतियाँ हुई हैं उनको हमें किस तरह सुधारना है। एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता का कार्यक्रम भविष्य में कैसे होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे मत में यह विकृत रूप इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जहाँ प्रजातन्त्र के बहुत से तंत्रों को परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार लम्बित किया गया चाहे वह प्रेस की सेंसरशिप हो चाहे अन्य प्रकार की कार्यवाही हो वहीं पर उसी अनुपात में उन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ी जो शासन में थे चाहे वे मन्त्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे उस दल के सदस्य हों या शासन तंत्र में हों। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं है और मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि उस जिम्मेदारी को जिस हद तक हमें पूरा करना चाहिये था वह हमने नहीं किया। यही कारण है कि एक विकृत रूप हमारे देश के सामने देखने को मिल रहा है। मैं जानता हूँ कि यह सबको बुरा लगेगा और मुझे स्वयं यह बुरा लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था प्रजातन्त्र में अपने दल की सतर्कता से प्रजातन्त्र रह सकता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण यह है कि हमारे देश के अन्दर हमारी नौकरशाही के एक भ्रष्ट तबके का एक अपवित्र गठबन्धन एक ऐसे राजनैतिक नेताओं के भ्रष्ट तत्वों के साथ हुआ जो सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण देश के सामने एक विकृत रूप देखने को मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को जिम्मेदार कुछ अंश तक मानता हूँ। मैं केवल दूसरों की तरफ उँगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि पब्लिक के प्लेटफार्म से मैंने इस प्रकार की आवाज नहीं उठाई। पार्टी के अन्दर मैंने अवश्य कहा लेकिन पब्लिक के प्लेटफार्म से मैंने नहीं कहा। जिन-जिन के कन्धों पर यह जिम्मेदारी थी जितनी

बड़ी जिम्मेदारी जिसके कन्धों पर थी वह उसी मात्रा में जिम्मेदार है। अध्यक्ष महोदय, इस अपवित्र गठबन्धन ने कौन-सा ऐसा कार्यक्षेत्र है, जिसको दूषित नहीं किया। हमारा शासन तंत्र ईमानदार है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे साथी ईमानदार हैं लेकिन इस छोटे से तबके ने प्रत्येक स्तर पर, यदि उदाहरण देने की बात करूँ तो अध्यक्ष महोदय, समय बहुत लग जायेगा, मनमानी तरीके से लोगों को परेशान किया। लोगों से रुपये भी खाये। जो हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम था और जिसके अन्तर्गत हम जिन तबकों की हालत सुधारना चाहते थे, जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते थे उस दिशा में जितनी दूर हम जाना चाहते थे उनके जाने में बाधा डाली। इतना ही नहीं, हमारे नेतृत्व को भी असलियत से अलग रखा। कई चीजें जो हम विश्वास करते हैं कि जिस समवेदना से देश के प्रति जिस श्रद्धा और विनम्रता से आज से 11 वर्ष पूर्व श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की सेवा करने का व्रत लिया था उनके व्रत में मुझे कहीं कोई खोट नहीं दिखती, उन पर मैं कोई ऊँगली नहीं उठा सकता। अगर उठा सकता हूँ तो अपने पर उठा सकता हूँ। यह जिम्मेदारी हम लोगों की ही है और विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि यह जिम्मेदारी मैं महसूस करके यदि आज भी उसके अनुकूल आचरण नहीं किया तो शायद इतिहास जो कभी किसी को माफ़ नहीं करता उसकी उँगली सामूहिक रूप से हम सब लोगों की ओर उठेगी। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं चाहे वह आर्थिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं, उनकी सही रूप से विवेचना की कोशिश करें। इसलिए ऐसी जो घटनाएँ हुईं जिनकी वजह से हमारा विकृत स्वरूप जनता के सामने आया उनके लिये जो जिम्मेदार हैं उनकी जाँच होनी चाहिए और माफ़ करेंगे, यह जाँच किसी निर्भीक तन्त्र से होना चाहिए, उनके माध्यम से नहीं जो स्वयं बहुत हद तक उनके लिए जिम्मेदार हों। उदाहरण के लिये मेरी बात माननीय मुख्यमन्त्री जी तक तो पहुँच न पाई होगी परन्तु मैंने उनके मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। शाजापुर के कुछ साथियों ने आकर परिवार नियोजन किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है उसके बारे में कुछ तथ्य दिये। उनके आधार पर मैंने चिट्ठी लिखी थी। आज 6-7 महीने हो गए, मुझे विश्वास है कि मेरी चिट्ठी मुख्य सचिव को जरूर मिली थी लेकिन उनकी ओर से मुझे कोई सूचना नहीं मिली और मैं नहीं जानता कि आगे क्या कार्यवाही हुई। एक जगह नहीं कई जगह हुआ। मैं मानने को तैयार हूँ कि पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएँ केवल उँगली पर गिनाई जा सकती हैं लेकिन उन चन्द घटनाओं ने पूरी तरह से वातावरण को दूषित किया और आज भी अगर उन घटनाओं के बारे में ढिलाई बरती जाती है तो हम अपनी जिम्मेदारी से दूर होते हैं। मेरे स्वयं के जिले में प्रत्येक क्षेत्र में मैंने जाने की कोशिश की, यह देखने की कि जबर्दस्ती का कोई काम तो नहीं हुआ और चुनाव के समय मुझे यह अनुभव हुआ कि कहीं से भी किसी ने शिकायत नहीं की हमारे यहाँ परिवार नियोजन में जबर्दस्ती हुई है। उन्होंने उदाहरण दिया तो दूसरी जगह का। लेकिन जब कहीं उदाहरण मेरे जिले का ही मिला तो मेरा मुँह बन्द हो गया। हमारे जिले के सिंगरौली क्षेत्र के विधायक श्री श्याम कार्तिक जी जो इस समय यहाँ शायद मौजूद भी हैं, उन्होंने जो वहाँ डिप्टी कलेक्टर था और अभी भी है, इस नृशंसता के साथ जो टारगेट दिया गया था उसको पूरा करने की कोशिश की, उसकी आवाज यहाँ तक पहुँचना तो सम्भव नहीं था लेकिन जहाँ तक हम जीते और मरते हैं वहाँ रोज अवश्य पहुँचती थी। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब तो चुनाव हो गए, उसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं है लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इस प्रकार की घटनाओं की अच्छी तरह पूरे प्रदेश में जाँच करवायें ताकि जनता को विश्वास हो कि जाँच न्यायपूर्ण थी और जो भी दोषी पाये जायें उन्हें समुचित दण्ड दिया जावे।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (मुख्यमंत्री) : मैंने कई विधानसभा के सदस्यों से कहा है, जहाँ कहीं ठोस शिकायत आयेगी, तत्काल कार्यवाही की जाएगी और यदि अधिकारी दोषी हैं तो उनके खिलाफ कमिश्नर के माध्यम से जाँच की जाएगी और उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के लिए अनुगृहीत हूँ। केवल उनसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा जैसा उन्होंने कहा, कमिश्नरों के माध्यम से जाँच न करायें क्योंकि फिर शायद सही तस्वीर आपके सामने न आए। अब कौन-सा माध्यम चुनें, यह आप पर छोड़ता हूँ।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : जुडीशियल इंक्वायरी कराइए तभी सही तथ्य आपके सामने आ पायेंगे।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : जहाँ-जहाँ शिकायतें आयेंगी, वहाँ की जाँच की जाएगी।

श्री अर्जुनसिंह : जो उत्थान के कार्यक्रम हैं, जिनको सर्वाधिक महत्व देना है और मुझे इस बात का गर्व है कि उन कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए सराहनीय कदम उठाए गए, बहुत से कानून बनाए गए, प्रावधान किए गए जिनके माध्यम से छोटे किसानों की ऋण वसूली के सम्बन्ध में, अधिकारों को सुरक्षित करने के सम्बन्ध में बहुत-सी सुविधाएँ दी गई। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आज वह समय है कि इन कानूनों के माध्यम से, इन प्रावधानों के माध्यम से हम किस हद तक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके और किस हद तक विषाक्त वातावरण निर्मित हो गया, इसकी समीक्षा की जाए। ये दोनों बातें एक साथ बेतुकी दिखती हैं लेकिन इस सदन में बैठे प्रत्येक सदस्य का अनुभव है कि ऋण मुक्ति का कानून बनाया और जिसको ऋण मुक्त कराया वह भी नाराज, जिससे ऋण मुक्त नहीं कराया, वह भी नाराज। इसका मतलब यह नहीं है कि कार्यक्रम खराब है या कार्यक्रम बन्द कर देना चाहिए लेकिन उन कारणों की खोज करनी चाहिए और उनको दूर करना चाहिए जिनकी वजह से यह विडम्बना पैदा हुई। अभी हमारा दृष्टिकोण प्रदेश के पिछड़े हरिजन-आदिवासियों के सम्बन्ध में उद्धारकर्ता का रहा है। सही माने में अवसर इस बात का है कि हमें उनकी प्रगति में सहभागी बनना चाहिए। उन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। उनके नौजवान लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और उनके पढे-लिखे लोगों को वह तन्त्र दें जिसके द्वारा वे अपने समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सकें और गरीबी से लड़ सकें। उद्धारकर्ता के रूप में हम काम करेंगे तो यह विडम्बना दूर नहीं होगी।

मैं अन्त में मुख्यमन्त्री जी, कहना चाहता हूँ कि शायद मैंने जो कुछ बातें कहीं, वह सुनने में अच्छी न लगती हों लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि यह भावना न केवल इस प्रदेश की जनता की है जो मौलिक रूप से काँग्रेस में विश्वास करती है बल्कि हमारे और उनके, प्रदेश के अन्दर हर वर्ग में फैले हुए विशाल समूह में जो काँग्रेस के साथी हैं उनका शांत बहुमत भी यही कहता है और मैंने उनकी ही भावना को वाणी देने की कोशिश की है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, काँग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए, उन सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए जो सिद्धांत शाश्वत हैं, जो सिद्धांत इस देश को गढ़ने, इस देश के भविष्य की रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन पर विश्वास करते हुए और देश के प्रजातन्त्र पर विश्वास करते हुए देश और प्रदेश की सेवा करेगी और अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वाह करेगी। यह आशा और विश्वास, क्योंकि विश्वास अपने मन का विश्वास बनकर रह जाये वह विश्वास नहीं हुआ, जब सामूहिक विश्वास के साथ कार्य किया जाये तब वह देश के लिए नई आशा के रूप में परिणित होगा। यह घड़ी वह संकल्प लेने की घड़ी है और हमें विनम्र होकर आत्मविश्वास, धैर्य और ईमानदारी से अपने को पुनः देश सेवा के लिए समर्पित करना है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/4 अप्रैल 1977, पृष्ठ/317-319)

1977 में मध्यप्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी हुए। सदन में भारतीय काँग्रेस दल की सदस्य संख्या विरोधी दलों में सर्वाधिक थी। श्री अर्जुनसिंह को विरोधी दल का नेता घोषित किया गया।

छठवीं नयी विधानसभा का सत्रारम्भ 14 जुलाई 1977 को हुआ। नये सदस्यों के शपथ ग्रहण के समय शासन और प्रतिपक्ष से शोरगुल शुरू हो गया। जिसे अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह के आदेश पर कार्रवाई से निकाल दिया गया। इस शोरगुल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री अर्जुनसिंह ने यह कहा— "माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा में अपना मत व्यक्त करने का सबको अधिकार है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु उचित समय पर कटु से कटु बात भी कही जा सकती है। जिस वक्त, जिस बात के कहने का समय हो, उस समय वही बात कही जावे। मैं सदन के नेता से निवेदन करूँगा कि सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए वे अपने पक्ष के सदस्यों से कहेंगे।"

श्री अर्जुनसिंह के कथन से सहमत होते हुए मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी ने कहा— "माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जबकि यहाँ सब लोग शपथ ले रहे हैं, शपथ-पत्र में जो बात कही गयी है, उसको ही वे दोहरायें। मैं सदस्यों से अपेक्षा करूँगा कि वे उसका पालन करेंगे।"

इतने पर भी शपथ के दौरान सदस्यों ने फिर कुछ कहा सुना जिसे कार्रवाई से फिर निकाल दिया गया। श्री अर्जुनसिंह फिर बोले— "मैं सदन में निवेदन करूँ कि जो अभी माननीय सदस्य ने कहा वह शपथ लेने का जो प्रपत्र है उसके अतिरिक्त है इसलिए इसके पहले जो माननीय सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया है उस पर अगर निर्णय हो जाये तो स्थिति स्पष्ट हो जाये या सदन के नेता अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखें ताकि संविधान के आधार पर कार्रवाई हो।" इस पर सभापति ने कहा कि— "जो उन्होंने कहा है वह कार्रवाई से हटा दिया जायेगा।" तब श्री अर्जुनसिंह ने कहा— "प्रश्न यह है कि जो परिपत्र है वह संविधान में निहित है उसके अतिरिक्त शपथ लेना, शपथ न लेना माना जाना चाहिए।"

श्री अर्जुनसिंह की यह भूमिका एक जागरूक संसदवेत्ता की निशानी है। 15 जुलाई को नये विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और इसी दिन नये अध्यक्ष ने श्री अर्जुनसिंह के नेता प्रतिपक्ष होने की घोषणा की। अध्यक्ष के निर्वाचन की कार्रवाई यहाँ दी जा रही है —

{सभापति महोदय (श्री रघुनाथ सिंह) पीठासीन हुए}

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की हो वे आज शपथ ले लें।

शपथ ग्रहण

श्री गंगाराम परमार (घटिया संरक्षित स्थान) अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव।

सभापति : अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए एक प्रस्ताव की सूचना दिनांक 14 जुलाई 1977 को मध्यान्ह तक प्राप्त हुई है।

श्री कैलाश जोशी (मुख्यमंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर, जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

श्री अर्जुनसिंह : मैं, मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर, जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

सभापति : प्रश्न यह है कि "श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर, जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का सदस्य चुना जाये।"

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मैं श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर को अध्यक्ष पद पर आसीन होने के लिये आमंत्रित करता हूँ।

(10 बजकर 35 मि. पर श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर अध्यक्ष पद पर आसीन हुए)

श्री कैलाश जोशी (मुख्यमंत्री) : नव गठित विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आपके सर्वसम्मति से निर्वाचन पर मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से आपको हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष का पद इतना गरिमापूर्ण एवं गौरवमय है कि उसके निर्वहन का कार्य किसी सुयोग्य हाथों में देने पर ही सदन के सदस्य आश्वस्त हो सकते हैं और इस रूप में आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करके सदन के सदस्यों ने इस सदन की कार्यवाही के संचालन का दायित्व आपको सौंपा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन और संचालन में आपको हम सबका सहयोग प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, आपकी सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित

होने पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। यह एक सही परम्परा है जो इस विधानसभा में प्रारम्भ हुई है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इसके पीछे जो सदन की भावनाएँ हैं, हम उन भावनाओं को याद रखेंगे। विपक्ष दल की ओर से आपको इस सदन के संचालन में जो भी सहयोग अपेक्षित है वह सहयोग मेरे सभी साथी प्रदान करेंगे। बहुत से हमारे नये माननीय सदस्य जो चुनकर आये हैं, उन सबकी यह प्रबल आकांक्षा है कि वह सदन की समस्त कार्यवाही में भाग लें और यह उनका दायित्व भी है, साथ ही साथ इस सदन के सर्वोच्च आसन पर विराजकर उन्हें सदन की गरिमा के अनुरूप उनको सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आपका मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, साथ ही साथ इस सदन के अन्दर मुख्य रूप से आपके अतिरिक्त कार्यसंचालन का भार इस सदन के माननीय नेता के ऊपर है। मैं इस अवसर पर उपयुक्त समझूँगा कि माननीय सदन के नेता पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि सदन की मर्यादा और गरिमा कायम रखते हुए सदन की कार्यवाही के संचालन में विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभायेगा। मैं अपनी ओर से उन्हें पूरा सहयोग देने का प्रयत्न करूँगा। मैं आग्रह के रूप में नहीं, अपितु जानकारी के रूप में कहना चाहूँगा कि इस सदन के पूर्व में जब कभी भी माननीय सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होता था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह जिस दल से आते थे उस दल से पृथक होने की सूचना दिया करते थे। मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे जो भावनाएँ हैं उन्हें आप स्वीकार करेंगे और फिर जैसा ठीक समझेंगे निर्णय लेंगे। मैं अपने पक्ष की ओर से और पूरे सदन की ओर से आपके निर्वाचन के लिये पुनः बधाई देता हूँ। इस विधानसभा में आपके निर्वाचन से लोक कल्याणकारी गरिमापूर्ण इतिहास जुड़ेगा, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है।

श्री नरेश जौहरी (लश्कर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, सारे सदन ने आपको इस उच्च गरिमामय आसन पर बैठाया है। मैं इस समय यह अनुभव करता हूँ कि सारे देश के अन्दर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है एवं जनापेक्षा इस समय जागृत हुई है। एक नीचे से ऊपर तक यह अनुभव किया जा रहा है कि विधानसभाएँ उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगी। हमारे विरोधी दल के नेता ने श्रीमान को अपने पक्ष के सहयोग का आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ कि यह विधानसभा जनता की नजर में इस स्थिति में पहुँच जाये कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसकी भावनाओं के अनुरूप आम आदमियों के हित की कार्यवाहियाँ विधानसभा में चल रही हैं। एक बड़ा उत्तरदायित्व श्रीमान के ऊपर आया है। मुझे भरोसा है कि आपके कुशल कार्यसंचालन में यह काम भलीभाँति पूरा होगा और जहाँ एक ओर विधानसभा की कार्यवाही ठीक से चलेगी वहीं दूसरी ओर आपके मार्गदर्शन में इस न्याय के मंदिर में जो जनता की अपेक्षाएँ हैं वे पूरी होंगी तथा इस बिधानसभा को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री श्रीनिवास तिवारी (त्योंथर) : अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्पराओं का ध्यान रखा जाये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (मुख्यमंत्री) : जो माननीय सदस्य बोलने खड़े हो गये हैं, मैं समझता हूँ उन्हें बोल लेने दिया जाये उसके बाद और कोई सदस्य नहीं बोलेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद (बैकुण्ठपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के अध्यक्ष हो रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जनतन्त्र की परम्परा के अनुरूप होना यह चाहिये था कि जिस दल से आप आ रहे हैं उस दल के सभी सदस्यों को आपका चयन करने का अवसर मिलना चाहिये था, किन्तु अब यह नई परम्परा चल गई है। जो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने भी शायद अपने दल की ओर से इस सम्बन्ध में सदन के नेता को अपनी अनुमति दे दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो जनतांत्रिक परम्पराएँ हैं उनसे शायद हम हटते जा रहे हैं जो कि जनतंत्र के लिये आवश्यक हैं। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि जो परम्परा डाली गई है, चाहे उसके लिये केन्द्र से आदेश प्राप्त हुआ हो लेकिन जो सदन के सदस्य हैं उनकी भी सहमति ली जाना चाहिये थी और उनको भी इस कार्यवाही की जानकारी पहले से दी जाना चाहिये थी जो नहीं दी गई। इन शब्दों के साथ मैं आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि आप सदन की कार्यवाही के संचालन में सदस्यों के साथ न्याय करेंगे। इसके साथ ही मैं यह आशा करता हूँ कि भविष्य में

जो इस तरह के कार्य हों उनमें जनतांत्रिक परम्पराओं का ध्यान रखा जायेगा। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि माननीय सदन के नेता और विरोधी दल के माननीय नेता भी इस बात का ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष (श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर) : सदन के माननीय नेता, विरोधी दल के माननीय नेता और सदस्यगण। आप सबने सर्वसम्मति से मुझे इस सदन की अध्यक्षता करने के लिये अध्यक्ष चुना है, इसके लिये मैं आप सभी का आभारी हूँ।

यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और हमारे माननीय सदस्यगणों ने बहुत बड़ी अपेक्षाएँ की हैं। इस सदन की गरिमा, गौरव, प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाये रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इन गुणों को कायम रखने के लिए, इनको प्रतिष्ठित करने के लिए यदि सदन के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे प्राप्त होता रहा तो निश्चित रूप से मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सबके सहयोग से इस सदन की गरिमा, गौरव, प्रतिष्ठा और मर्यादा कायम रहेगी। अध्यक्ष होने के नाते और निष्पक्ष रूप से सम्पूर्ण कार्यवाही हो और उसका संपादन भी भली प्रकार हो यह आवश्यक हो जाता है कि मैं किसी राजनैतिक दल से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न रखूँ इस बात की याद हमारे विरोधीदल के माननीय नेता ने मुझे दिलाई है और यह बात पहले से भी मेरे ध्यान में थी इसलिए जब तक मैं इस सदन का अध्यक्ष हूँ मैं जनता पार्टी से जिसका कि पूर्व में सदस्य था, आज से त्यांग-पत्र देता हूँ (मेजों की थपथपाहट) और इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सहयोग से इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा निरन्तर मेरे कार्यकाल में कायम रहेगी। इसके अतिरिक्त, मैं एक बार आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सब माननीय सदस्यों का मुझे सहयोग प्राप्त हो। मैं एक बार आप सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/15 जुलाई 1977, पृष्ठ/19-20)

15 जुलाई 1977 को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उस पर श्री सुन्दरलाल पटवा ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया और काँग्रेस पर प्रहार किये। अनेक व्यवधानों के बीच यह चर्चा चलती रही। 20 जुलाई को काँग्रेस दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुनसिंह ने विस्तार से अपने विचार कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर प्रकट किये। उन्होंने साहसपूर्वक इस बात को स्वीकार किया कि आपातकाल में समाचार-पत्रों पर जो बंधन और अंकुश लगाया गया था वह उचित नहीं था। सदन में श्री अर्जुनसिंह की यह स्वीकारोक्ति प्रजातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उनकी आस्था की द्योतक है। फिर उन्होंने जनता पार्टी की सरकार से हरिजन-आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में जवाब माँगा। 20 जुलाई की चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं :—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री पटवा द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर मैं अपने दल की ओर से विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं रैगाँव से आये श्री विश्वेश्वर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने औचित्य का प्रश्न उठाकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चाओं की सीमाओं को बाँधा और हमारे पटवाजी को मार्गदर्शन दिया। मैंने श्री पटवाजी के भाषण को काफी बारीकी से सुना। यद्यपि उसमें बहुत-सी बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सन्दर्भ के बाहर की थीं फिर भी मैं अध्यक्ष महोदय आज की राजनैतिक परिस्थिति में उन सभी को पूर्ण अव्यवहारिक नहीं मानता, इसलिये यह उपयुक्त होगा कि इस अवसर पर उन प्रश्नों पर हमारे दल की क्या धारणा है, क्या विचार है उनको सदन के सामने स्पष्ट करूँ।

अध्यक्ष महोदय, आपातकालीन स्थिति पर चर्चा करते हुए पटवाजी ने बहुत-सी बातें कहीं हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यद्यपि आपातकालीन घोषणा एक आकस्मिक घटना नहीं थी, उसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी। उसकी आवश्यकता और अनावश्यकता पर इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि केन्द्रीय शासन ने एक उच्चाधिकारी आयोग गठित किया है और उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह तमाम पहलुओं पर विचार करे और उसके सम्बन्ध

में देश को अवगत कराए। जहाँ तक आपातकालीन स्थिति में ज्यादतियाँ की गईं, भ्रष्टाचार किया गया अथवा नियमों के विरुद्ध अपनी कमाई बढ़ाने की बात हुई अथवा जनता को परेशान करने की बात है, इन घटनाओं की हम उतनी ही तीव्रता से भर्त्सना करते हैं जितनी आप करते हैं। (टेबिलों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विचार केवल मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हैं, यह विचार हमारे दल के सर्वोच्च नेताओं के विचार हैं। मेरी प्रार्थना केवल इतनी ही है कि जो आयोग विधिवत् गठित हुआ है, उसको शीघ्रता से काम करने दिया जाये। जिन माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है, वह उन बातों को निर्भीकतापूर्वक आयोग के सामने रखें और उसके निर्णय की प्रतीक्षा करें। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि आपातकालीन स्थिति में समाचार-पत्रों पर जो बन्धन और अंकुश लगाया गया उसकी वजह से जो महत्वपूर्ण योगदान उनके माध्यम से देश के अन्दर सही घटनाओं को प्रकाश में लाने का होता था, उसमें बाधा पड़ी और आपातकालीन स्थिति में जो ज्यादतियाँ हुईं, बन्धन की वजह से वह प्रकाश में नहीं आ सकीं। इस वास्तविकता से मुँह मोड़ना किसी वयस्क व्यक्ति या किसी वयस्क दल को लाभदायक या शोभाजनक नहीं हो सकता। इन बातों को सदन में स्वीकार करते हुये मैं यह वचन देना चाहता हूँ कि मेरे दल की जो गरिमामय परम्परा रही है और इसके द्वारा जो मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई थी उन अधिकारों की रक्षा के लिये मैं अपने दल को पुनः वचनबद्ध कर रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि प्रतिपक्ष के माननीय नेता मुझे इजाजत दें तो आपके माध्यम से मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस प्रश्न पर कुछ रिजर्वेशन रखकर विचार प्रकट कर रहे हैं, वे खुलकर अपने विचार रखें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं रिजर्वेशन रखकर विचार प्रकट नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि मैं इसके विस्तार में इसलिये नहीं जा रहा हूँ कि आपके ही शासन द्वारा कमीशन नियुक्त किया जा चुका है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कमीशन नियुक्त हो जाने से यह सबजूडिस नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ मैंने यह कहा है, वहाँ मैं यह भी कहने की अनुमति चाहता हूँ कि हमने जनमत के निर्णय को स्वीकार किया है। उसके अनुसार कुछ दायित्व शासन पक्ष में बैठे हुए लोगों पर भी डाला गया है और आप उस अर्जित विश्वास के पात्र हैं या नहीं, उसको अगले 5 सालों में आपको क्रियाकलापों और आचरण द्वारा जनता के सामने साबित करना पड़ेगा। आपको जनता ने शासन में बिठा दिया है केवल इतने से ही आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। यह सही है कि जैसा राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि नये शासन को अभी केवल तीन सप्ताह का ही समय हुआ है इसलिये उसका अभी सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है और न किसी व्यक्तिगत रूप में मुख्यमन्त्री महोदय, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दिनों से जानता हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ कहना है। किसी भी मन्त्री या मुख्यमन्त्री के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि इतने अल्प समय में आपके द्वारा जो कुछ किया गया है उससे किसी सुखद भविष्य के आसार नजर नहीं आते हैं। मैं यह बात अन्य कारणों से नहीं वरन् तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह इस देश के घटनाचक्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आजादी के 30 वर्ष बाद तक इस देश के अन्दर अनेकों दल रहे और उन्होंने अपने-अपने दल के सिद्धांतों के आधार पर जनमत के माध्यम से जनतन्त्र में अपनी-अपनी सार्थकता निभाने की कोशिश की। 1977 के लोकसभा के आम चुनाव में सभी पार्टियों ने जो विरोध में थीं एकजुट होकर काँग्रेस पार्टी का विरोध किया। जनता में एक विकल्प प्रस्तुत हो गया है यह समझ कर और उनके मन की धारणाएँ थीं, उनको ध्यान में रखकर अपना निर्णय दिया। जनता पार्टी की घटक पार्टियों ने शायद उस संकेत को समझा और उसके अनुसार 1 मई 1977 को सभी घटक पार्टियों को एक पार्टी में विलय करने के लिए सम्मेलन हुआ। जनसंघ के महान नेताओं ने घोषणा की कि आज से जनसंघ का अस्तित्व समाप्त है, भारतीय लोक दल के नेताओं ने घोषणा की कि उनका अस्तित्व आज से समाप्त है। हमारे समाजवादी साथी जो आदर्श.....

कुछ माननीय सदस्य : आपके नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : तो देश के समाजवादी साथी कहूँ। आपने अब विधानसभा में पदार्पण किया है। आप अब राजनैतिक धर्म का पालन करिए, राजनैतिक छुआछूत मत रखिए (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)। देश के अन्दर समाजवादी पार्टी ने अपने समस्त सिद्धान्तों को अपने साथ में लेकर विश्व की सुनहरी कल्पनाओं में डूबते, उतराते मर्जर में कूदना श्रेयस्कर समझा। एक मई को एक नई पार्टी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य के बोलने पर) आपका समय आयेगा तब आपको बोलने का मौका मिलेगा। तब आप बोलेंगे (व्यवधान) यह कोई जरूरी नहीं है कि आप बराबरी करें। आप बैठ जाइए (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री अर्जुनसिंह : हम इतना कह सकेंगे कि समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल हुई है?

कुछ माननीय सदस्य : यह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : सम्मेलन होकर एक जनता पार्टी का उदय हुआ और विधानसभाओं के चुनाव में जनता पार्टी ने काँग्रेस पार्टी के विकल्प के रूप में एक दल के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। मध्यप्रदेश में जनता ने अपने निर्णय के अनुसार जनता पार्टी को इस प्रदेश में शासन करने की जिम्मेदारी दी है। विकल्प के रूप में ही नहीं दो-तिहाई बहुमत दिया, इस अपेक्षा से कि इस बहुमत को प्राप्त करके जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल इस प्रदेश में ऐसा शासन तन्त्र कायम करेगी जैसे शासन तन्त्र की कल्पना जनता करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दल की विजय के तुरन्त बाद राजनैतिक नाटक का जो सिलसिला शुरू हुआ वह भी इस प्रदेश की जनता को देखने को मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी विशेष दल की सफाई नहीं दूँगा न किसी का विरोध करूँगा। लेकिन उस भावना को जरूर व्यक्त करना चाहता हूँ जिसको इस प्रदेश के एक अग्रणी हिन्दी दैनिक "नई दुनिया" ने अपने अग्रलेख में इस तरह से संबोधित करके लिखा है कि हमने इन्हें नहीं चुना। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता कि किसने किसको चुना और किसने किसको नहीं चुना। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जिस विकल्प के रूप में जनता ने आपको चुना है उस जनमत का जो निहित विश्वास था उस विश्वास की कड़ी को जोड़ने का जो प्रयास इस प्रदेश की जनता ने किया उसे आपने.....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय विरोधी दल के नेता इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, उन्हें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही कायम रहना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि चूँकि श्री पटवाजी ने संदर्भ के बाहर जाकर बातें कही हैं इसलिये मेरा उनको जवाब देना जरूरी है। या तो पटवाजी ने जो बातें कहीं हैं संदर्भ के बाहर की उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाये.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि जब उनका समय आयेगा। तब वे बोल सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह से व्यवधान न डालें और जब मुझे यह लगेगा कि कोई बात ठीक नहीं है तो मैं स्वयं उनको टोक दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि आपने उस विश्वास को एक ठोस विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया बल्कि आपने एक खोखला विकल्प प्रस्तुत किया और जनता के विश्वास को कायम नहीं रखा है।

कई माननीय सदस्य : यह बिल्कुल गलत है।

श्री अर्जुनसिंह : अब हमारे साथी चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन पर कहना चाहिए तो मैं उस संबंध में अपने विचार आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखूँगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सही माने में आपसे कहना चाहता हूँ कि उसमें मुझे सबसे ज्यादा कठिनाई है, इसलिये

नहीं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कठिनाई इसलिये है कि राज्यपाल के अभिभाषण और आपकी पार्टी के घोषित कार्यक्रम में विरोधाभास है। उसके बारे में यदि मैं कहना शुरू करूँगा तो शायद उसका अंत नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता पार्टी जिस माध्यम से जनता का विश्वास प्राप्त करके यहाँ चुनकर आई है उसी प्रकार से हमने भी जनता का विश्वास प्राप्त किया है। लेकिन फर्क इतना ही है कि आपने अधिक मात्रा में विश्वास प्राप्त किया है और आप यहाँ शासन पक्ष में आकर बैठे हैं। हमने भी जनता का कम मात्रा में विश्वास प्राप्त किया है और यहाँ आये हैं। लेकिन जो आपने जनता का विश्वास प्राप्त किया है नीतियों के जरिए उसका आप बराबर पालन नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं यह मानता हूँ कि आपने विश्वास अर्जित करते समय जो बातें जनता को बतानी चाहिए थीं वे नहीं बताई हैं या जो बातें आपने बताई हैं उनका आप यहाँ अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आप सदन में आये हैं, इसका हम आप सबका स्वागत करते हैं। ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, जनता ने आपको यहाँ भेजा है, हम आपका स्वागत करते हैं लेकिन इतना ध्यान रखें कि जिस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से आप यहाँ चुनकर आये हैं उसी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग भी चुनकर आये हैं। (व्यवधान) हमें भी जनता का विश्वास प्राप्त है। जिस मात्रा में आपको विश्वास प्राप्त है उससे कम हमें प्राप्त हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन उस प्रक्रिया को आपने तो नष्ट कर डाला है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक नीतियों के विषयों का प्रश्न है और उनका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख का प्रश्न है तो मैं उनमें से दो-तीन प्रमुख विषयों पर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय, मैं.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे उन उल्लेखों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि आप तो पहले चुनाव के दौरान जनता के पास जाना नहीं चाहते थे आप तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने जा रहे थे परन्तु हमने आपको मजबूर किया और आपको जनता के सामने जाना पड़ा।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी बातें माननीय सदस्य ने कहीं हैं, यदि मैं उन सबका जवाब देने लगूँ तो बहुत समय लग जायेगा। मैं उन सब बातों का जवाब किसी दूसरे मौके पर दूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं दो-तीन महत्वपूर्ण बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि उनको सदन के समक्ष रखूँ इसलिये नहीं कि हमारा दल इस बात को महत्वपूर्ण मानता है परन्तु इसलिये कि पूरा सदन उनको महत्वपूर्ण मानता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन गरीब, निरीह, मजदूरों और हरिजन और आदिवासियों के सम्बन्ध में आये दिन हमें सुनने को मिल रहा है। उनके संबंध में आपकी क्या नीति है और आप क्या करने जा रहे हैं मैं उन बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि "मेरा शासन वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाकर समाज के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने का एक तेज कार्यक्रम शुरू करेगा। कमजोर वर्गों को अत्याचार और शोषण से पूरी मुक्ति और सुरक्षा देने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी न्यायसंगत आवश्यकताओं की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाएगा।" माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ कहा है वह इस बात की ओर इंगित करता है कि यह स्वाभाविक है कि प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया जावेगा कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा की जाएगी। परन्तु वास्तव में क्या हो रहा है यह अपनी जगह पर है। स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई होंगी कि स्थान-स्थान पर हरिजनों को भूमि पर से हटाया जा रहा है। भूमिहीनों को जो जमीन दी गई थी वह उनसे छीनी जा रही है। इसके लिये मैं अपना प्रमाण दूँ तो शायद मुख्यमंत्री जी कहने लगें कि न जाने कहाँ से यह लेकर आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के संसदीय इतिहास में यह पहली बार देखने में आया है कि शासन पक्ष के माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर एक संशोधन प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस संशोधन को माननीय सदन के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वे माननीय सदस्य हैं श्री अर्जुनसिंह घारू।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वह संशोधन माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो उन माननीय सदस्य का नाम इसलिये लेना चाहता था कि कहीं मेरे ऊपर यह आरोप न लगे कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ। मैं दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि पिछले डेढ़-दो महीनों में हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचारों की भरमार हो गई है; यह वास्तविकता है और हो हल्ला करके इसको दबाया नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों हुआ?

(हो हल्ला-व्यवधान)

श्री विश्वेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अर्जुनसिंह जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि जब काँग्रेस शासन का अन्त हो गया और इस चुनाव में काँग्रेस पार्टी यह मान गई कि हरिजनों और आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के जो सामूहिक वोट उन्हें मिलते थे यदि उनके बीच में ऐसी बात नहीं कहेंगे तो यह जो दूसरी पार्टी है वह उन पर अत्याचार करेगी और उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। तो क्या इस तरह की चीजों को लाकर काँग्रेस के लोगों ने हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार नहीं किया है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अत्याचार में चाहे कोई भी सम्मिलित हो हम सफाई नहीं देना चाहते हैं इस संबंध में वही कार्यवाही होना चाहिए जो कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में हो सकती है। (व्यवधान)

(एक माननीय सदस्य के बोलने के लिए खड़े होने पर दूसरे माननीय सदस्य द्वारा जबरन बैठालने का प्रयत्न करने पर)

अध्यक्ष : आप अपने-अपने स्थान पर बैठिए। आप किसी का हाथ नहीं छूएँगे। आप अपने-अपने स्थान पर बैठिए। यह आपका अधिकार नहीं है कि आप किसी का हाथ पकड़कर बैठा लें आपको जो भी कहना हो कह सकते हैं। लेकिन आप किसी को छू नहीं सकते। (व्यवधान)

(1 बजे से ढाई बजे तक अन्तराल)

{सभापति महोदय (श्री विश्वेश्वर प्रसाद) पीठासीन हुए}।

राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री सुन्दरलाल पटवा सदस्य द्वारा दिनांक 15 जुलाई 1977 को प्रस्तुत कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री अर्जुनसिंह : मैं, सभापति महोदय, माननीय सदन के समक्ष उन तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा था जिनके आधार पर हमें यह कहने पर विवश होना पड़ रहा था कि मध्यप्रदेश में खेतिहर मजदूर, हरिजन और आदिवासियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम आज की घटनाओं को छोड़ भी दें जिनके बारे में वाद-विवाद संभव भी है तो कम से कम हम सदन के नेता से, शासन पक्ष से यह तो पूछ ही सकते हैं कि खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने की नीति के बारे में आपका क्या मत है। हम यह तो पूछ ही सकते हैं कि बन्धक मजदूरों की रिहाई के सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है। हम यह तो पूछ ही सकते हैं कि साहूकारों के शोषण के लिए आप क्या कर रहे हैं, किसानों के संबंध में आपकी क्या नीति है। हम यह इसलिये पूछना चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण इस संबंध में सर्वथा मौन है और उनका यह मौन एक संयोगमात्र नहीं है बल्कि यह मौन इसलिए है कि ग्रामीण अंचल में जिन लोगों का वर्चस्व आज स्थापित हुआ है उनका इससे गहरा संबंध है। वे मौन इसलिए हैं अध्यक्ष महोदय, कि समाजवादी कार्यक्रम की वजह से जिन शक्तियों के निहित स्वार्थ को धक्का लगा था वह भूल गये, वह सक्षम और स्वतन्त्र महसूस करते हैं और इस शासन में जिनका वर्चस्व है उनकी सहानुभूति होगी, इसलिए हम इस सवाल को पूछना चाहते हैं और केवल मैं ही नहीं, मेरा दल ही नहीं इस प्रदेश में बसने वाले लाखों मजदूर, मेहनतकश किसान जो उससे लाभान्वित हुए हैं, उनको लाभ से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। वे पूछना चाहते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल नीतियों के प्रतिकूल किया जायेगा और जो संघर्ष हो रहा है, इस

संघर्ष के प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक दिन इस विषय पर चर्चा होते समय यह कहकर टाल दिया कि भूमि के आवंटन में गलती हो गई है। मैं यह मानता हूँ कि गलती हो सकती है भूमि के आवंटन में और इस गलती को सुधारना आपका भी कर्त्तव्य है और हम भी आपको सहयोग देंगे, लेकिन इसको इतने हल्के ढंग से टाल देना उचित नहीं है। या तो आप जानबूझकर टाल देना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय सदन के नेता को बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे ध्यान में लाना चाहते हैं या इससे आँख मूँदना चाहते हैं, यह आप जानें, लेकिन हमारा दल जो सदैव सर्वहारा के संघर्ष में साथ रहा— अगर आपने उनकी उपेक्षा की, अगर आपने उनको अपने अधिकारों के साथ जीने और रहने के अधिकार नहीं दिये तो हम इस प्रदेश के अन्दर अपनी उस जिम्मेदारी को, जो गाँधी, जवाहर और तिलक से हमें विरासत में मिली है, निभायेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : पिछले 19 महीने का समय छोड़कर बाकी का बोलिए।

श्री अर्जुनसिंह : पटवाजी, मैं आपकी पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि 29 साल पहले की परम्परा की याद दिला दूँ तो मैं यह कहना नहीं चाहता। सभापति महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मूल नीति से संबंध रखता है। सभापति महोदय, अभी मुझसे कहा गया था कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विरोधाभास का मैं उल्लेख करूँ। मूल नीति के ऊपर जनता पार्टी के घोषणा पत्र पृष्ठ 10 का उद्धरण मैं यहाँ दे रहा हूँ। "कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों व निर्धारण में जो नीति या पद्धति आज तक अपनाई जा रही है वह व्यवहारिक नहीं है, उससे कृषकों को कई बार उनके उत्पादन का सही मूल्य जहाँ प्राप्त नहीं हो सकता है वहाँ औद्योगिक उत्पादन से उसका कोई तालमेल भी नहीं हो पाता है, अतः इन दोनों में सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है। सरकार मुनाफाखोरों, जमाखोरों, सट्टेवालों तथा कीमतें बढ़ाने वाले समस्त द्रोही तत्वों के खिलाफ कठोर नियन्त्रण लागू करेगी।" सभापति जी, जब मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा तो उसमें ढूँढता रहा, इन भावनाओं का समावेश तो दूर, इनका प्रतिबिम्ब तो मिल जाये। एक बात जो कुछ तालमेल खाती थी, वह यह है कि राज्य में महँगाई के ऊपर नियन्त्रण करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। सभापति महोदय, यह विवाद का विषय हो जाएगा कि आपने प्रभावी कदम उठाए या अभी प्राथमिक कदम ही उठाना शेष है। जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रभावी तो दूर, शायद प्राथमिक कदम उठाने की रूपरेखा भी आपके सामने नहीं है। अभी आप यह समझ नहीं पाए कि मूल्य बढ़ाने वाले जमाखोर, सट्टाखोर, कब कैसे और कहाँ पहुँच गये और उनके ऊपर हाथ डालने से क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए मैं देखता हूँ यह घोषणा-पत्र आज मात्र घोषणा रह गया है और प्रदेश में मेहनतकश मजदूर, मध्यम वर्ग, निचला वर्ग कमरतोड़ महँगाई का सामना कर रहा है, ये ही उनके शिकार बने हैं। आपके द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं, कम से कम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका उल्लेख नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इसका राज इस प्रदेश की जनता को नहीं खुलेगा? अगर आपको ऐसा भ्रम है तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस प्रदेश के अन्दर भ्रष्ट व्यापारियों का छोटा लेकिन अत्यन्त प्रभावशाली समूह है, जो हर मौके का लाभ उठाकर अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं, वही समूह आज सक्रिय है। यह अलग बात है कि आज़ उसके ऊपर हाथ उठाने में आप अक्षम हैं। माननीय सदन के नेता ने राज्यपाल के माध्यम से इस प्रदेश में एक सक्षम और स्वच्छ प्रशासन की स्थापना की घोषणा की। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रदेश में जनोपयोगी और स्वच्छ प्रशासन कायम करने में हरसंभव सहयोग कॉंग्रेस पार्टी देगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की जनता को खुशहाली पहुँचाना है और शासन तंत्र को इस रूप में बनाना है जिससे यह कार्य सरलता से हो सके। लेकिन मैं आपको इस बात के लिये आगाह करना चाहता हूँ कि यदि शासन तंत्र को आपने राजनैतिक तंत्र के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया तो हम उसका डटकर विरोध करेंगे। हम एक मित्र के नाते से आगाह करना चाहते हैं कि आपकी उद्देश्य पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक भ्रष्ट नौकरशाही का जो अंग है और सार्वजनिक क्षेत्र में जो भ्रष्ट काम करने वाले हैं उनके गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे तब तक स्वच्छ प्रशासन नहीं दे पायेंगे।....

श्री सुन्दरलाल पटवा : उनकी सूची आपके पास होगी।

श्री अर्जुनसिंह : पटवाजी ऐसे प्रश्न नहीं पूछें। अकेले मैं मुख्यमंत्री को बता सकता हूँ, सबके सामने बताने में कई तरह की बातें उठ सकती हैं। मैं सहयोग देने की बात कह रहा हूँ और आपको एक मित्र के नाते सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, पार्टी की तरफ से सहयोग देने के लिये तैयार हूँ।

एक माननीय सदस्य : इन्दिरा जी की सरकार नहीं है जहाँ कहने में कोई भय हो। आप हिम्मत से कहें।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे सदन में क्या कहना चाहिये, क्या नहीं कहना चाहिये, यह मैं भलीभाँति जानता हूँ।

एक माननीय सदस्य : इस देश की जनता ने सरकारी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों से भ्रष्ट लोगों को अलग कर दिया है, जो बचे हैं उनको अलग कर रही है।

श्री अर्जुनसिंह : पटवाजी और सदन में अन्य शासकीय पक्ष के नेताओं ने नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, की सुरक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं और यह कोई गलत चीज़ नहीं है, हम उनके अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं। आपने घोषणा-पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि आप एक स्वतंत्र आयोग का गठन करेंगे जो अल्पसंख्यकों, हरिजन-आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगा, उन्हें अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। आप उनके मंतव्य को क्यों भूल गये। हमें ऐसा लगता है कि आपने सोचा होगा इस आयोग के गठन से शायद शासन अपने लिये एक सिरदर्द मोल लेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके अच्छे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कीजिए और उसमें हमसे सहयोग लीजिए। चूँकि मूल्यों का उल्लेख किया है राज्यपाल के अभिभाषण में इसलिये जो खाद्य नीति बनेगी उसमें किसानों के संबंध में कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्हें भी अपनी उपज का उचित मूल्य मिले। आप सोचते हैं, चुनाव हो गया है, दुबारा जब चुनाव होंगे तब देखा जायेगा।

एक माननीय सदस्य : यह आपके विचार हैं।

श्री अर्जुनसिंह : जो राज्यपाल का अभिभाषण है, उसका बता रहा हूँ।.....

मैं माननीय सदन के नेता से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश के अन्दर जो समाजवादी कार्यक्रम को संचालित करने की नीति है, चाहे वह वन की जमीन हो, राष्ट्रीय यातायात हो चाहे अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हो उनको केवल इस आधार पर ही आप तिलांजलि न दें क्योंकि आप उनके विरोध में हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जन उपयोगी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ही आप कोई निर्णय लें और यदि आपने कोई ऐसा निर्णय लिया जिसकी वजह से....

(हो-हल्ला)

सभापति महोदय : आप लोग शांति रखिए।

श्री अर्जुनसिंह : तो इस प्रकार की जो योजनाएँ हैं उनको इस आधार पर ही न टाला जाये कि आप उनके खिलाफ हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए उन नीतियों में परिवर्तन होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहूँगा कि आपको कार्य करने का पूरा अवसर मिलेगा। हम अवसर इसलिये और भी देना चाहते हैं कि आप अपनी नीति को, कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके जनता के सामने प्रदर्शित करें क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो आपका कार्यक्रम बना है और जो नीति निर्धारित की है उनमें बहुतों में आपको ही विश्वास नहीं है और इसलिये इसका आगे हश्र क्या..... ताकि प्रदेश की जनता भलीभाँति समझ सके कि असली क्या है नकली क्या है। (व्यवधान) मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर काँग्रेस पार्टी पर जो दायित्व सौंपा गया है विरोध पक्ष में बिठाकर कि हम जनहित के कार्यों को देखें और आपके ऊपर अंकुश रखें और जहाँ सहयोग देने की बात है वह हम पूरी जिम्मेदारी से निभायेंगे। प्रदेश के अन्दर आप एक सचमुच नई चीज दे सकें और उसके बाद जनता यह निर्णय करेगी कि आपको जो अवसर दिया गया था उसका आपने फायदा उठाया या व्यर्थ ही जाने दिया।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 जुलाई 1977, पृष्ठ/52-57)

हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर तीन स्थगन प्रस्ताव। श्री अर्जुनसिंह

ने शासन से प्रश्न किये। हो-हल्ले और व्यवधान के बीच चर्चा के कुछ अंश—

अध्यक्ष : 19 जुलाई, 1977 को जिला बैतूल के ग्राम चिचौली मालीपुरा की आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने के सम्बन्ध में श्री रामजी महाजन, सदस्य के स्थगन प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी आज देने हेतु मैंने निर्देश दिया था। क्या शासन के पास जानकारी आ गई है?

श्री मनहरणलाल पाण्डे (गृह राज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, शासन के पास जानकारी आ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल जिले में ग्राम ढाना मालीपुरा अवैध शराब बनाने का एक कुख्यात अड्डा है जहाँ लम्बी अवधि से अवैध शराब बनाने का व्यापार चल रहा है। पुलिस बैतूल द्वारा असामाजिक तत्वों विरोधी अभियान दिनांक 1-7-77 से चलाया गया। दिनांक 19-7-77 को सूचना प्राप्त होने पर कि ग्राम मालीपुरा में अवैध हाथ भट्टी की शराब बनाई जाकर जोरों से बेची जा रही है। पुलिस के संबंधित दस्ते ने जिसमें सर्वश्री एन.के. पंडित, उप पुलिस अधीक्षक, बैतूल, बी.पी. पल्लन, मण्डल निरीक्षक, बैतूल, थानेदार वाय.के. तिवारी, कनिष्ठ उप निरीक्षक एस.के. पाठक, सहायक उप निरीक्षक, आर.के. तिवारी। प्रधान आरक्षक-3, आरक्षक 1, महिला आरक्षक तथा 6 होमगार्ड सैनिक सम्मिलित थे शाम को उपरोक्त ग्राम में दविश दी। पुलिस के आगमन की सूचना पाकर कुछ लोग अवैध शराब बनाने का सामान व शराब लेकर भाग गए थे। इस दविश के अन्तर्गत ग्राम मालीपुरा के 3 व्यक्ति गंजन सिंह, सूरत व पन्ना गौंड के मकानों की तलाशी ली गई। यह असत्य है कि उपरोक्त पुलिस दल राइफल, रिवाल्वर तथा लाठियों से लेस था। पुलिस दल के लोगों ने वैधानिक रूप से मकानों की तलाशी ली। आदिवासियों के घरों की बहू-बेटियों को जर्बदस्ती पकड़कर पुलिस दस्ते के लोगों ने घरों से खींचकर बाहर नहीं निकाला और न उनके साथ मारपीट ही की। घरों की तलाशी लेते समय सामान को पुलिस दस्ते के लोगों ने अवश्य उठाकर देखा। लेकिन यह सत्य नहीं है कि उन्होंने घर के सामान को तहस-नहस कर डाला। तलाशी की अवधि में महिलाओं की तलाशी महिला आरक्षक ने ली तथा महिलाओं को सभी सुविधाएँ प्रदान की गयीं। यह असत्य है कि शराब ठेकेदार रामशंकर कलारे 10-12 लठैत लेकर पुलिस दल के साथ ग्राम चिचौली मालीपुरा गया था।

गंजन सिंह अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ अवैध शराब बेचने और शासकीय कर्मचारियों पर हमला करने आदि की शिकायतें पूर्व में प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध 5 प्रकरण विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। यह व्यक्ति मारपीट करने एवं गाली गुफ्तार करने का भी आदी है जिसके विषय में सन् 1975 से अभी तक 11 रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई हैं तथा इसके विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही भी की गई है।

मकानों की तलाशी के पश्चात् उपरोक्त गंजन सिंह लाठी लेकर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध करने की आशंका होने पर गंजन सिंह को धारा 151 ज.फौ. के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। लाठी गंजन सिंह के पास से जप्त की। यह असत्य है कि यह लाठी किसी अन्य से लेकर पुलिस द्वारा जप्त की गई। दिनांक 20-7-77 को गंजन सिंह को दण्डाधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से वह जमानत पर रिहा हुआ। गंजन सिंह ने दण्डाधिकारी के समक्ष पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। यह असत्य है कि पुलिस ने महिलाओं की मारपीट की।

पुलिस ने घटनास्थल पर संयम से काम लिया। मारपीट की शिकायत कदाचित पेशबन्दी के लिये की गई। चिचौली नगर में कच्ची शराब खुलेआम बिकने, शराब पीकर लोगों द्वारा गाली गलोच करने आदि की शिकायत के सन्दर्भ में और मुखबिर से विश्वस्त सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप पुलिस द्वारा दविश दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि ढाना मालीपुरा में 40 व्यक्ति, जो अभी जीवित हैं, अवैध शराब बनाने के लिये पूर्व में दण्डित किए गए हैं। वर्ष 1977 में माह अप्रैल से 15 जुलाई 1977 तक की अवधि में 15 शराब बनाने के मामले ग्राम ढाना मालीपुरा में पकड़े गए। गंजन सिंह व उनके संबंधी रामसिंह व सूरतसिंह के विरुद्ध वर्ष 1971 में 9 प्रकरण अवैध शराब बनाने के पकड़े गए थे। इस घटना की जाँच करने के आदेश उप पुलिस महानिदेशक, सीहोर क्षेत्र को आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना से जनमानस क्षुब्ध नहीं है और भय का वातावरण व्याप्त नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के नेता से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन

यह है कि माननीय सदस्यों को निजी स्रोतों से जानकारी भी प्राप्त हुई है यहाँ से कुछ माननीय सदस्य घटना को देखने गये थे और वह जो जानकारी लाये हैं वह यहाँ पर शासन की ओर से जो जानकारी दी गई है उससे भिन्न है। शासन की ओर से तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं और माननीय सदस्य जो कुछ जानकारी लाये हैं उनमें भिन्नता है। यह उचित ही होगा कि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पहले दोनों पक्षों की बातों को सुन लिया जाये जिससे निर्णय लेने में सुविधा होगी। मेरा, यह सदन के नेता से निवेदन है कि जो माननीय सदस्य स्वयं वहाँ जाकर जानकारी लाये हैं वे यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको सुन लिया जाये उसके बाद ही इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाये तो उचित होगा मेरा यह निवेदन है।

श्री कैलाश जोशी (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन के पास जो जानकारी आई है उसको प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि सदस्य और कोई जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पुलिस इस घटना की जाँच कर रही है। यह जानकारी उनके सामने प्रस्तुत की जा सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस क्या कर रही है उसको जानकारी देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सदन में प्रस्ताव रखा गया है और उस पर शासन की ओर से गृहमंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है उसी घटना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कुछ जानकारी वहाँ से लाये हैं जो भिन्न है क्योंकि उस पर सदन में निर्णय लिया जाना है इसलिये यह उचित होगा कि दोनों पक्ष द्वारा दी गई जानकारी सदन के नेता के सामने आ जाये। जिससे सदन को उस पर निर्णय लेने में आसानी होगी।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने अभी कहा है कि कुछ सदस्य जानकारी देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में जो शासन से जानकारी आई है वह सदन में दे दी गई है, यदि उनके पास और ज़ानकारी है तो वे उसकी जो जाँच हो रही है उसके समक्ष दे दें तो उस पर वहाँ पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि सदन के नेता जानकारी नहीं लेना चाहते हैं तो माननीय सदस्य स्वयं यह जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दें।

श्री रामजी महाजन : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि घटना 18 तारीख की है इस घटना को पूर्व में भी श्रीमान ने रखा था, एडजर्नमेण्ट मोशन 18 की नहीं 19 तारीख की है। तो स्थगन प्रस्ताव तात्कालिक घटना पर आते हैं यह तो वैसे भी लेट हो चुका था इसकी सूचना ही सदन में दी गई थी इसको तो वैसे भी ग्राह्य नहीं किया जाता था यह कोई सार्वजनिक महत्व की घटना भी नहीं है प्रदेश भर में ऐसी घटनाएँ तो होती ही रहती हैं। इस घटना के सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी चल रही है यदि माननीय सदस्यों के पास कोई जानकारी है तो वह उसको दे सकते हैं, इसकी जाँच डी.आई.जी. कर रहे हैं। शासन इस सम्बन्ध में उतना ही चिन्तित है और सतर्क भी है। लेकिन यह एडजर्नमेंट मोशन का विषय नहीं बनता है क्योंकि इस घटना की सूचना सदन को काफी लेट मिली है। शासन उनकी जाँच भी करा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि इसको अग्राह्य किया जाना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन को ग्राह्य किया जाये या अग्राह्य किया जाये इसका निर्णय करना अध्यक्ष का कार्य है और निर्णय करने में दोनों पक्षों से जानकारी ली जाती है। मेरा यह निवेदन था कि माननीय सदस्य वहाँ गये थे और कुछ जानकारी लाये हैं यदि वह जानकारी सदन के समक्ष आ जाये तो स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी। स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय आज नहीं कल भी लिया जा सकता है। हमें किसी पुलिस अधिकारी से निर्णय नहीं कराना है। क्योंकि सदन में विचार हो रहा है और इसी सदन के माननीय सदस्य जाकर कुछ जानकारी लाये हैं। मुझे तो सदन के नेता पर विश्वास था कि वे इस जानकारी को सुनेंगे। उसी विश्वास पर मैंने यहाँ निवेदन किया है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने जो बात की है मैं उनका ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में आपने पिछले दिनों स्पष्ट आदेश दिये थे कि इसकी जानकारी सोमवार को प्रस्तुत की जाना चाहिये। अगर माननीय सदस्यों के पास कोई जानकारी थी और दरअसल में

वे उसको शासन को देना चाहते थे, उस पर विचार कराना चाहते थे तो वे उस जानकारी को कल मुख्यमंत्री महोदय को दे सकते थे तो उस पर भी विचार हो जाता। अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से जानकारी लाये हैं, वह कितनी सही है और कितनी सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा है। मैं माननीय विरोधी दल से निवेदन करूँगा कि वे जो भी जानकारी देना चाहते हैं वे वह जानकारी मुख्यमंत्री जी को दे दें ताकि उस पर निष्पक्ष रूप से जाँच हो जाएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय यह कोई तरीका नहीं है कि वह इस तरह जानकारी दें। माननीय अर्जुनसिंह जी जो पुराने सदस्य हैं वे भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि शासन की जानकारी से भिन्न कोई जानकारी दें यह कभी भी सदन में इस तरह की परम्परा नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी शासन ने प्रस्तुत की है उस पर निर्णय होना चाहिये। यदि विरोधी दल के नेता कुछ कहना चाहते हैं या जानकारी देना चाहते हैं तो वे हमारे मुख्यमंत्री जी को दे दें उसकी जाँच हो जायेगी। इसके लिए विरोधी दल के नेता मुख्यमंत्री जी से सम्पर्क स्थापित कर लें, लेकिन अभी जो शासन ने जानकारी दी है उस पर निर्णय होना चाहिये।

श्री वसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो मूवर ऑफ दी एडजर्नमेंट मोशन हैं उन्होंने सारे तथ्य रखे हैं, उन्होंने कहा था कि जिन पर अत्याचार हुए हैं वे लोग आये हैं, सारी जानकारी लेने के बाद उसको सदन में रखी गई थी इसके बाद प्रस्ताव सदन में आया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय वे स्वयं पता लगाने और पूछताछ करने गये थे जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पुलिस तो अपने को सेव करती है, इसलिए इसकी मैजेस्ट्रियल जाँच होना चाहिये। क्या शासन मैजेस्ट्रियल जाँच कराने के लिए तैयार है? यह आप शासन से पूछ लीजिये। दूसरा क्या विधि मंत्री को अध्यक्ष महोदय आपको निर्देश देने का अधिकार है कि वह कहें कि इसको निरस्त कर दीजिये। यह तो आपका अधिकार है.....।

श्री प्रेमलाल मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह विधि मंत्री को अधिकार है, हर माननीय सदस्य को भी आपको सलाह देने का अधिकार है। जो विधि मंत्री जी ने कहा है, वह गलत नहीं कहा जा सकता।

श्री वसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, उनकी राय तो ले लीजिये कि वे मैजिस्ट्रियल जाँच करायेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय विधि मंत्री को आपको निर्देश या सलाह देना इस सम्बन्ध में उचित नहीं है। क्या मैजस्ट्रियल जाँच करायेंगे यह तो पूछ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको और शासन को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैं इसे अपनी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/25 जुलाई 1977, पृष्ठ/ 153-155)

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री मोतीलाल वोरा और श्री यज्ञदत्त शर्मा ने दी थी। उस स्थगन प्रस्ताव को सदन में पढ़ने की कृपा करें।

अध्यक्ष : मैंने कहा था कि उस प्रस्ताव को देखूँगा। मैंने उस प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार दिख रहा है कि पूरे प्रान्त में हरिजनों को अपनी जमीनों से बेदखल करके भगाया जा रहा है, और वे भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया था और उनके सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था।

अध्यक्ष : मैंने उसी समय जब चर्चा हुई यह कहा था कि जल्दी पहुँच चलें विधानसभा में और अपने कक्ष में मुख्यमंत्री को भी बुला लेंगे और आप भी आ जायें और इस विषय पर चर्चा कर लें। मुख्यमंत्री आ गये, मैं घण्टी बजने तक प्रतीक्षा करता रहा लेकिन आप में से, जिन्होंने कहा था कक्ष में आयेंगे, कोई भी नहीं आया।

श्री अर्जुनसिंह : मेरी सखलेचा जी से चर्चा हो रही थी वह भी सदन का ही काम था, अन्य काम नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको नज़र अन्दाज करें। उन व्यक्तियों को लेकर गया था जो अपना घर-बार छोड़कर आये हैं और उसकी गम्भीरता से आपको अवगत कराना चाहता था। इसलिए शासन

का वक्तव्य आने में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आज नहीं कल आये, आप उसे कल के लिये स्थगित रखें। कल शासन का वक्तव्य आये और फिर आप अपना निर्णय दें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : आज ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वक्तव्य आया है कि वर्ग संघर्ष होने की पूर्ण सम्भावना है। इस दृष्टि से जरूरी है कि जो हरिजन भागते फिर रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए।

अध्यक्ष : वे लोग यहाँ आये इसलिए महत्व बढ़ जाता है या कम हो जाता है, यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अर्जुनसिंह : यदि आतंक और अत्याचार से पीड़ित होकर संरक्षण के लिए कोई नागरिक भोपाल में आता है, अध्यक्ष महोदय के पास जाता है, मुख्यमंत्री के पास जाता है, इस सदन के किसी माननीय सदस्य के पास जाता है तो क्या अनुचित कार्य करता है? यह कोई साधारण बात नहीं है।

अध्यक्ष : मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता जैसा आप कह रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : उनसे कहा जाये वापस जाइये। उनसे यह भी कहा गया.....

अध्यक्ष : उनसे क्या कहा गया, क्या नहीं, इससे वास्ता नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : कलेक्टर ने कहा वहाँ मत जाइये, जिन्होंने अत्याचार किया है उन्होंने कहा, तुमने कुछ कहा तो खैर नहीं। मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे—

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा उल्लेख किया गया है। मैं विरोधी दल के नेता से नम्रता से कहना चाहता हूँ, क्या बात है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। आपकी सूचना मिली होती और नजरअंदाज किया होता तो कुछ बात होती। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : वहाँ से लोग क्या आपके पास आये तो अनुचित है?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : जो भी मेरे पास आए हैं तो व्यवस्था की है। किसी से नहीं कहा कि जाइए। जो व्यवस्था की जानी है, वह की है।

श्री अर्जुनसिंह : हमारे पास आये तो अध्यक्ष महोदय के पास ले जाना क्या अनुचित है?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (मुख्यमंत्री) : शासन के पास ला सकते हैं, शासन के ध्यान में ला सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अगर आपके शासन ने यही रवैया रखा तो मुझे दुख होगा। आपको बहुत से आश्चर्य सुनने होंगे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (उद्योग मंत्री) : मेरा निवेदन है कि सदन के अन्दर-बाहर से लोग आवें और उनके आने से मुख्यमन्त्री जी उनको सुनने के लिए हमेशा तैयार भी हैं लेकिन कम से कम सदन के अन्दर अपना सन्तुलन खोकर बात न करें और यह भी न देखें कि क्या यहाँ व्यवस्था है या नहीं और विरोधी दल के नेता से तो खासकर यह अपेक्षा की जाती है कि वे संतुलन खोकर न बात करें.....

श्री अर्जुनसिंह : मैंने संतुलन नहीं खोया है। सदन की प्रक्रिया रखी है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपसे यह तो अपेक्षा की जाती है कि औचित्य के प्रश्न के बीच बार-बार आप उठकर न कहते रहें..... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया विशेषकर जबकि कल ही अभी डेढ़ घंटे तक हरिजनों के बारे में सदन में चर्चा की गई। आपने उस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और आपके निर्णय की सूचना के बाद उसी विषय पर कभी यज्ञदत्त जी शर्मा और कभी विरोधी दल के नेता भाषण करते रहे तो क्या ऐसी स्थिति में उसी विषय पर लगातार भाषण किया जा सकता है। दूसरी बात आपकी इस व्यवस्था के बाद कि बाहर के किसी के आने के कारण इस घटना का महत्व बढ़ नहीं जाता उस पर भी संतुलन खोकर अपना भाषण दे रहे हैं तो क्या उचित है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं कतई संतुलन नहीं खो रहा हूँ। परन्तु आपके माध्यम से सदन के नेता और पूरे सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएँ लगातार हो रही हैं और अगर ऐसे विषय पर कल चर्चा हो जाये तो आज कोई नई घटना हो जाने पर क्या हम वंचित हो जाते हैं।

अध्यक्ष : आपने जो घटना सामने प्रस्तुत की और उन दोनों व्यक्तियों को आप साथ लेकर भी आये और मैंने सहानुभूतिपूर्वक कहा कि इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं तो दोनों लोग बैठकर आपस में चर्चा कर लें और

इस प्रकार उसको सुलझा लें जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो और कोई भी उसका राजनीतिक दुरुपयोग न करे। मैंने इसीलिए एक सुझाव भी दिया था कि आप और सदन के नेता मिल बैठ लें और मेरा माध्यम चाहेंगे तो मैं भी साथ में रहूँगा क्योंकि प्रदेश व्यापी समस्या पर विचार होना चाहिए लेकिन उन लोगों के आ जाने से कोई स्थगन प्रस्ताव का महत्व अधिक हो जाता हो या उनकी उपस्थिति से कम हो जाता हो ऐसी बात नहीं है। आपके स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने अपना आदेश दे दिया। अगर आप समझते हैं कि आदेश गलत है या उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है वह अपना सकते हैं?

श्री यज्ञदत्त शर्मा : औचित्य का प्रश्न मेरा है जो सखलेचा जी ने कहा कि सदन के नेता के पास जाना चाहिये। इसका मतलब सदन के नेता सदन से अधिक ऊँचे हैं?

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि उनके पास आना चाहिए। सदन के पास प्रतिबन्धित तो नहीं है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : कलेक्टर ने कहा उन लोगों से कि अगर तुमने जमीन जोती..... (व्यवधान) ..... जब वह मर जायेंगे तो आपको सूचना मिलेगी, यह आपकी व्यवस्था है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/11 अगस्त 1977, पृष्ठ/982-984)

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके समक्ष एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत की थी और यह निवेदन किया था कि कनाड़िया हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में नई स्थिति निर्मित हो गई है और उसकी तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहा था। नई स्थिति यह निर्मित हुई है कि जो जाँच का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शासन ने लिया है वह निर्णय सर्वथा इस घटना पर परदा डालने का निर्णय है। इसका प्रमाण यह है कि जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य श्री जमनाप्रसाद शास्त्री ने स्वयं यह प्रकट किया है, यह नाटक है और घटना पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से एक नई परिस्थिति निर्मित हो गई है.....।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप जो कहना चाहें उसको मैं सुनूँ ही, यह जरूरी नहीं है और न यह परम्परा है। इस पर निर्णय हो चुका है, उसके बाद भी इस पर कुछ कहना उचित मालूम नहीं पड़ता है। श्री जमनाप्रसाद शास्त्री या किसी अन्य ने जो कुछ कहा हो उसका इसमें कोई सम्बन्ध नहीं आता है। यह जरूरी नहीं है कि श्री जमनाप्रसाद शास्त्री ने जो कुछ कहा है वह महत्वपूर्ण हो जायेगा और किसी अन्य ने कुछ कहा है तो कम महत्व का हो जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है इसलिये अब उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह विषय स्थगन प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। हम बार-बार आपके माध्यम से शासन से निवेदन करते रहे हैं। शायद शासन इस प्रश्न के बारे में अनभिज्ञ है या जानबूझकर चुप्पी साधे है। भले ही मुख्यमंत्री जी हमारी सलाह से वहाँ गये या वे स्वयं गये उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, हम धन्यवाद देते हैं। यदि इस पूरी घटना पर परदा डालने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से इसका अर्थ यही निकलेगा कि यह शासन इस घटना पर परदा डालना चाहता है।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, यह किस विषय पर भाषण हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में जब एक बार आदेश हो चुका है कि यहाँ पर इस विषय पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे) अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का एक और स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसके सम्बन्ध में मेरा औचित्य का

प्रश्न है कि जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके पीछे एक भावना होती है और कुछ कारण होते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूरजमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा औचित्य प्रश्न सुनिए उसके बाद व्यवस्था दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : (श्री यज्ञदत्त शर्मा से) आपका औचित्य प्रश्न क्या है उसको संक्षेप में बताइए। 3-4 मिनट की चर्चा के बाद भी आपका औचित्य प्रश्न क्या है यह समझ में नहीं आया।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि जो स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है तो उसमें कुछ तथ्य होते हैं (व्यवधान) (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े थे।)

अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए। इस सम्बन्ध में बार-बार कह चुका हूँ कि उसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी। क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है उसके बारे में अपने-अपने पैमाने हो सकते हैं। कोई किसी दृष्टि से उसको महत्वपूर्ण समझ सकता है और दूसरा दूसरी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं समझा सकता। एक बार प्रस्ताव आया उसके सम्बन्ध में फैसला हो चुका है। जब दूसरा प्रस्ताव आया तो संपूर्ण तथ्य देखकर ग्राह्य नहीं किया है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : यह आपका अधिकार है लेकिन एक और प्रस्ताव है उसके बारे में आपका क्या फैसला है? मेरा औचित्य का प्रश्न है आप उसको सुनिए मेरा एक और स्थगन प्रस्ताव है.....

अध्यक्ष : आप काफी बोल चुके हैं। अब आप दूसरे की बात भी सुन लीजिए। आप बोलते चले जा रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए तो—

अध्यक्ष : (5 माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर) आप 5 आदमी एक साथ खड़े होकर बोलने लगते हैं तो मैं किसकी बात सुनूँ। आप श्री पोर्ते और महाजन साहब को मना कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है, आप सुन तो लीजिये.....

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न अभी आया ही नहीं है।

अध्यक्ष : आप 4-5 मिनट बोले तो अभी तक क्या करते रहे? मैं तो समझ रहा था कि आपका औचित्य प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया है लेकिन आप बता रहे हैं कि आपने औचित्य का प्रश्न उठाया तक नहीं। 5-10 मिनट तक औचित्य के प्रश्न पर बोलेंगे तो मेरी समझ में आना संभव नहीं है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है—

(हो हल्ला और व्यवधान)

अध्यक्ष : (अनेक लोगों के खड़े होने और व्यवधान उपस्थित करने पर) क्या इस प्रकार से औचित्य का प्रश्न उठाया जाता है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : आप श्रीमान् सुन तो लीजिए।

(जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से हो-हल्ला और व्यवधान)

अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहिए क्या कहना है, भाषण देने की जरूरत नहीं है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

(शासकीय पक्ष के सदस्यों का हो-हल्ला करना और व्यवधान करना)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तालियाँ बजाकर और चिल्लाकर व्यवधान उपस्थित करना और भाषण नहीं देने देना यह अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष : सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, मैं फिर कैसे सुन सकता हूँ। इस प्रकार से आप अपना रोष व्यक्त करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं तो पहले इस स्थगन प्रस्ताव को खत्म हो जाने दीजिए। दोनों पर एक साथ नहीं कह सकते। पहला स्थगन प्रस्ताव खत्म नहीं हुआ था कि आपके नेता खड़े हो गये और शोर मचाने लगे।

(हो-हल्ला, व्यवधान, मेजों की थपथपाहट)

श्री चित्रकान्त जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हम लोगों का यहाँ रहना ही मुश्किल हो जावेगा। हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष : जब पाँच-पाँच, छह-छह लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं तो मैं उसको शोर नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा। सब लोग चुपचाप बैठ जायें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो नेता जी का स्थगन प्रस्ताव है उसको मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूँ कि कनाड़िया ग्राम में इस समय हरिजनों की हालत खराब है वे घर से नहीं निकल पा रहे हैं। एक तरफ तो ऐसी हालत है—

(हो-हल्ला, व्यवधान, मेजों की थपथपाहट)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि न्याय हुआ यह पर्याप्त नहीं, बल्कि दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। जाँच चल रही है और वह जाँच कमिश्नर कर रहा है और उस जाँच के पहले ही मुख्यमंत्री जी वहाँ जाकर फतवा दे आये कि सवर्ण और हरिजनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ। यह मेरा कहना नहीं है यह जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हरिजनों पर सवर्णों ने अत्याचार किया है और यह अखबारों में छपा है। इसलिए जरूरी है कि इस विषय पर चर्चा हो, नहीं तो हरिजनों का वहाँ रहना मुश्किल हो जायेगा। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, इस पर सदन का ध्यान आकर्षित होना जरूरी है।

अध्यक्ष : "दिस इज नाट ए प्वाइन्ट ऑफ आर्डर"

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अगर मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री जी किस पर बोलना चाहते हैं जवाब दीजिए?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री महोदय कोई वक्तव्य देना चाह रहे हैं?

अध्यक्ष : अगर सुनना चाहें तो सुन लीजिए न सुनना चाहें तो न सुनिए?

श्री कैलाशचन्द्र जोशी (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कई मिनटों से खड़ा हुआ हूँ। इसलिए यह जो प्रश्न यहाँ उठाया गया है इसके सम्बन्ध में विपक्ष के माननीय सदस्यों का और विशेषकर विपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस घटना का सम्बन्ध है इस घटना पर स्थगन प्रस्ताव हुआ और उस पर चर्चा हो गई। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि उसके बाद विपक्ष के नेता ने यह माँग की है कि घटना पर चर्चा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उस पर कोई मीन-मेख नहीं की। आपने एक घण्टा उस पर चर्चा के लिए कहा, उस पर डेढ़ घण्टा चर्चा हो गई। यदि और भी चर्चा करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य जो कि बड़े-बड़े धुरंधर वकील वहाँ पर बैठे हुए हैं वे स्थगन प्रस्ताव के जरिए इसको उठाना चाहते हैं। जो स्थगन प्रस्ताव आपने दिया है क्या वह स्थगन प्रस्ताव का विषय बनता है?

श्री अर्जुनसिंह : जी हाँ।

(व्यवधान)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : आप अपना मत दे दीजिए लेकिन हमारा मत भी तो सुन लीजिए?

श्री श्रीनिवास तिवारी : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े जोर-शोर से यह कहा कि बड़े-बड़े धुरन्धर वकील यहाँ बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैं आपका प्वाइन्ट ऑफ आर्डर सुन लूँ क्या है? नियम है मैं पहले प्वाइंट ऑफ आर्डर सुनूँगा।

श्री श्रीनिवास तिवारी : मैं, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय जब कोई जाँच बैठा ली हुई है तो क्या वे वहाँ मौके पर जाकर अपना कोई वक्तव्य दे सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष : यह प्वाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। आप पूरी बात उनकी सुन लें फिर आपको जो कहना हो वह कहें।

श्री अर्जुनसिंह : इस स्थगन प्रस्ताव के जायज होने न होने के विषय में आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो आप मुख्यमन्त्री जी को सुनें और मुझे भी सुनें।

अध्यक्ष : आपको मैंने पहले सुना है और शर्मा जी को सुना है और बोलने वालों को सुना है। यह आरोप लगाना कि हमको सुनना नहीं चाहते और उनको सुनना चाहते हैं, यह एलीगेशन गलत है। हमने आपको पहले सुना है। जिसके ऊपर मैंने आदेश दे दिया। उसको सुनने का प्रश्न नहीं उठता। यदि आप उसके संबंध में बात करना चाहें तो आप आकर कक्ष में बात कर सकते हैं, यदि आप आदेश से सन्तुष्ट नहीं हों, आप कक्ष में आकर बात कर सकते हैं, मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप संतुष्ट हो जायें तो ठीक है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : घटना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, हमने घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा बल्कि जाँच के बारे में रखा है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपके निर्णय देने के पश्चात् बीच में विषय-वस्तु में जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं विषय-वस्तु के बारे में नहीं कह रहा था इस पर एक बार विस्तृत रूप में चर्चा हो गई, सरकार का इसमें चर्चा का स्थगन प्रस्ताव के दायरे में आता नहीं। आपने उसको अग्राह्य कर दिया फिर विषय-वस्तु में जाना ठीक नहीं होगा। अगर फिर कोई प्रश्न आता है तो हम चर्चा के लिए तत्पर हैं। आप इसको अग्राह्य कर चुके हैं इसलिए इसके डिटेल में जाना उचित नहीं होगा।

श्री वसन्तराव उईके : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि यह जो सवाल है इस पर आप चर्चा की अनुमति दें या न दें सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी बैठाई गई, जी.ए.डी. का सरक्युलर है, इस सम्बन्ध में। एक वरिष्ठ अधिकारी को जाँच के लिए नियुक्त किया, मुख्यमंत्री जी वहाँ गये इस पर चर्चा जरूरी है।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 55 (5) में दिया गया है कि प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो या जिस पर स्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा की अनुमति दिये जाने में उसी सत्र में इन्कार किया जा चुका हो।

अध्यक्ष : वह नियम मैंने देख लिया है।

श्री अर्जुनसिंह : यह पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस है इसमें दिया गया है।

अध्यक्ष : मैंने देख लिया है, आप कक्ष में आ सकते हैं।

(1 बजे से 2½ बजे तक अन्तराल)

{सभापति महोदय (श्री शालिग्राम श्रीवास्तव) पीठासीन हुए}

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न को उठाना चाहता हूँ जिसके द्वारा कनाड़िया ग्राम की घटना के ऊपर जो पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर शासन की ओर से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आ रहा है जिससे हम विश्वास कर सकें कि शासन वहाँ की घटना को सही रूप में सामने रखना चाहता है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, कनाड़िया के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे चुके हैं। जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है उसी को पुनः उठाया जा रहा है।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : कनाड़िया पर चर्चा चल रही थी कि सदन स्थगित हो गया था।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था, फिर चर्चा का सवाल ही नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जाँच मुख्यमंत्री जी ने बैठाई है, उसके तहत ही जो सामान्य प्रशासन विभाग के नियम हैं, उसमें वर्जित है कि जब इस प्रकार की जाँच चल रही हो तो किसी मन्त्री को.....

श्री बाबूलाल गौर : सभापति महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। माननीय अर्जुनसिंह जी जिस प्रश्न को उठा रहे हैं, जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है वह अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा ही नहीं गया और न ग्राह्य किया गया इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश दे दिया गया है कि उसको अस्वीकृत कर दिया गया है। क्या उसी प्रश्न को माननीय सदस्य पुनः उठा सकते हैं?

श्री अच्युतानन्द मिश्र : कनाड़िया पर चर्चा हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री भी बोले और दूसरे माननीय सदस्य भी अपने विचार प्रकट कर रहे थे कि सदन ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गया। उस पर निर्णय नहीं हुआ था।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उसी पर चर्चा चल रही थी।

ठाकुर दरबार सिंह : सभापति महोदय, क्या मुझे भी एक मिनट का समय देंगे।

सभापति : आपको भी समय मिलेगा।

श्री अर्जुनसिंह : पहला प्रश्न सभापति महोदय, यह है कि जो जाँच वहाँ की जा रही है, उस जाँच को विफल करने का जो प्रयास है, वह एक ऐसा प्रयास है जो पूर्व में दिये गये स्थगन प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जाँच की घोषणा की.....

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : मेरा औचित्य का प्रश्न है। एक स्थगन प्रस्ताव शर्मा जी ने दिया, उसको सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकर कर दिया। अब अर्जुनसिंह जी कह रहे हैं कि एक जाँच की जा रही है, उसको विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह असत्य बात है। ये कौन-सा प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : आप डिनाई कीजिए। मैं कह रहा था कि जाँच का आदेश देने के पश्चात् निष्पक्ष रूप से जाँच हो उसके लिए स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग के नियम हैं और सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, वे स्वयं वहाँ पर गए और उसके बाद में प्रेस कांफ्रेंस में तमाम तथ्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तब जो कमिश्नर जाँच कर रहा है उसकी क्या हिम्मत होगी भले ही उनके पास मुख्यमंत्री के कथन के विपरीत तथ्य हों, लेकिन वह उसको उजागर नहीं कर सकता है।

इसी सन्दर्भ में जो नई स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें संसद सदस्य श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री, हमने और कई अन्य माननीय सदस्यों ने निवेदन किया कि न्यायिक जाँच अवश्यम्भावी हो गई है। इसलिए इस प्रश्न को सदन में रखना चाहता हूँ और शासन का वक्तव्य चाहता हूँ। आप क्यों नहीं चाहते कि न्यायिक जाँच हो ताकि जो घटना हुई है वह निष्पक्ष रूप से सामने आ जाये और पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम हो जाये कि कौन दोषी है, कौन नहीं है? जो पहले से इन्तजाम कर सकते थे वह क्यों नहीं किया? प्रदेश के लाखों हरिजनों के भविष्य से यह सम्बन्धित है इसलिए निवेदन है कि इस पर वक्तव्य देने को कहा जाये।

ठाकुर दरबारसिंह : सभापति महोदय, जब कनाडिया काण्ड पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो उसके पूरे तथ्यों की जानकारी मुझे नहीं थी। एक बजे जब सदन समाप्त हुआ तो लाइब्रेरी में जाकर अखबारों में पढ़ा और हमारे माननीय संसद सदस्य यमुनाप्रसाद शास्त्री मौके पर गये थे और इन्दौर में आकर पत्रकार वार्ता में उन तथ्यों को आम चर्चा के बीच प्रस्तुत किया। शायद उन्हीं नई परिस्थितियों को आधार बनाकर आज स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया होगा। मध्यप्रदेश विधानसभा नियम में लिखा है स्थगन प्रस्ताव पर एक बार चर्चा होने के बाद पुनः उसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जा सकती, यह कानून की बात है। लेकिन कोई नई बात आये, नये साक्ष्य, नये तथ्य, नये विचार सामने आयें तो क्या नहीं रखे जा सकते? जनता की मंशा के अनुसार प्रजातन्त्र के हितों को उजागर करने के लिये, जैसी कि खुली सरकार की बात करते हैं, ऐलान करते हैं, हम काँग्रेस पक्ष को बल नहीं

देना चाहते। लेकिन हम किसी बात को छिपाना भी नहीं चाहते, हर बात की खुली बहस करना चाहते हैं और जनता के बीच में लाना चाहते हैं। इसलिए और चर्चा हो जाए तो हम चर्चा करने के पक्ष में हैं।

सभापति : इस प्रस्ताव के ऊपर एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है और प्रक्रिया के अनुसार उस प्रश्न को दुबारा नहीं उठाया जा सकता। अगर नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं तो दूसरा कोई प्रस्ताव दे दीजिए या अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जाकर बात कर लीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, यह सदन के सिद्धान्तों के विपरीत है, हमने नये तथ्य प्रस्तुत किये, नये तथ्यों के आधार पर बहस होनी चाहिए, सदन के दोनों पक्ष इस बात की ताईद कर रहे हैं लेकिन शासन चर्चा को रोकना चाहता है और चर्चा को रोककर इस काण्ड पर पर्दा डालना चाहता है। अतः हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(काँग्रेस पक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया)

CAREER COLLEGE BHOPAL
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
26923

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 अगस्त 1977, पृष्ठ/1310-1315)

25 अगस्त 1977 को वित्तमंत्री श्री रामहित गुप्त ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 1977 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। वित्तमंत्री के वक्तव्य के बाद ही श्री अर्जुनसिंह ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने प्रशासन तंत्र, शिक्षा और आदिवासियों की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यह शासन प्रदेश में बदले की भावना से काम कर रहा है—

श्री रामहित गुप्त (वित्तमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 1977 (क्रमांक-18, सन् 1977) का पुनः स्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 1977 (क्रमांक-18, सन् 1977) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, बजट की हर विभाग की माँगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने चर्चा में भाग लेते हुए हर विभाग के सम्बन्ध में जो सुन्दर सुझाव दिए उन सब ही विभागों के मन्त्रियों ने भी उनको सुना है और मैंने भी सुना है। शासन इस बात के लिये पूरा प्रयत्नशील रहेगा कि उनके सुझाव के अनुसार प्रशासन में सुधार कर सके। जहाँ कहीं भ्रष्टाचार बताया गया है उस भ्रष्टाचार को दूर करने का शासन पूरा प्रयास करेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी ऐसा मैं समझता हूँ। माननीय सदस्यों ने जो कठिनाइयाँ बताई हैं उनको भी सब ही मन्त्रियों ने सुना है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : वित्तमंत्री महोदय, पहले इधर से बोल लेने देते फिर आप उत्तर दे देते समय बचाने के लिए यह उचित रास्ता था।

श्री रामहित गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं दो ही मिनट में अपना भाषण समाप्त करे देता हूँ फिर आप बोलिए। माननीय सदस्यों के विचार सुन लिये हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि इस वर्ष हम प्रयास करेंगे कि प्रशासन के तमाम खर्च में कमी आये जैसा कि हमने कहा है कि हम मितव्यता बरतेंगे और वर्ष में अच्छी व्यवस्थाएँ चलाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है उस सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन और प्लानिंग कमीशन से चर्चा होने वाली है। 2 सितम्बर को इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन से चर्चा होने वाली है और हमें विश्वास है कि उस चर्चा के पश्चात् बजट में जो वित्तीय कठिनाइयाँ परिलक्षित की गई हैं उनकी हम पूर्ति कर सकेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ माननीय सदस्यों ने सेल्स टैक्स की कठिनाइयों के संबंध में जिक्र किया इसके लिए शासन ने एक समिति के गठन का निर्णय लिया है जो उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण और रेट के संबंध में विचार करके 4 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी। अब मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य इस विनियोग विधेयक को पारित कर देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 1977 (क्रमांक-18, सन् 1977) पर विचार किया जाये।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वित्तमंत्री जी ने इस विधेयक के माध्यम से बजट पर होने वाली चर्चा को अंतिम रूप देने के लिये प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम तो मुझे इस बात का खेद है कि कई महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा नहीं हो सकी। इसमें किसी एक पक्ष का दोष नहीं है। समय इस प्रकार का सदन में रखा जिसके फलस्वरूप चर्चा नहीं हो सकी। अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह होता, जिनका संबंध नागरिक के दैनिक जीवन से है, उन पर विचार किया जा सकता। बहुत से महत्वपूर्ण विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण विभाग ऐसे विभाग हैं, जिनका जनता से सीधा संबंध है, उन पर चर्चा करने के लिये समय नहीं मिल सका और कई प्रमुख मुद्दों पर विचार नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रमुख मुद्दों की तरफ जो प्रदेश के प्रशासन के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो शासन को इस बात के लिए अब तैयार हो जाना चाहिये कि उन्हें इस प्रदेश का शासन चलाना है। अभी तक जो प्रलाप चलता था, उसे अब समाप्त करना चाहिए। अब आप पर इस प्रदेश के साढ़े 4 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी है। अब आपके हाथ में शासन की बागडोर है, उसे आप किस प्रकार से संभालते हैं उसका इस प्रदेश की जनता और सदन मूल्यांकन करेगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर समय-समय पर जो चर्चाएँ हुईं और प्रदेश के अंदर घटनाएँ घटीं उससे जो तस्वीर उभर कर सामने आयी है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो मर्यादाएँ रहती हैं उन्हें नजर में ही रखना नहीं होता बल्कि उनका पालन किया जाना शासन के लिये अनिवार्य होता है। जो मान्यताएँ हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, जो शासन में बैठे हुए हैं या तो वे इनसे अनभिज्ञ हैं, या उनकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि कई मन्त्री इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो शासन तंत्र की मर्यादा है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जब शासन तन्त्र में अध्यक्ष महोदय, खराबी होती है तो ठीक से प्रशासन नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से आये दिन इस सदन के अन्दर और बाहर घटनाएँ घटी हैं, जिनके बारे में दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है, उनको किसी भी प्रकार से राजनैतिक रूप नहीं दिया जा सकता, यह किसी की प्रेरणा से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, शासन की उन घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यह शासन उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सका। चाहे वह अकर्मण्यता के कारण हो, चाहे चारों तरफ के दबाव की वजह से हो। वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर बैठे रहे। जो भी कारण रहा हो वह असमर्थ रहे। इस बात को यहाँ सदन में चारों तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों ने आपके समक्ष लिया। मैं शासन से यह अपेक्षा करूँगा कि वह इस प्रकार का वातावरण निर्मित करे कि प्रदेश के अन्दर वैधानिक रूप से जिनकी जो जिम्मेदारी हो चाहे वह शासकीय कर्मचारी हों, चाहे इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य हों, अथवा मन्त्रीगण हों, इस जिम्मेदारी के प्रति न केवल सब सजग हों अपितु उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये स्वतन्त्र भी रहें, अपना कार्य करने के लिये क्योंकि अध्यक्ष महोदय, ऐसा आभास होता है कि कई स्थानों पर जिनके स्पष्ट उदाहरण सामने आये हैं जो पहले भी सदन में दिये जा चुके हैं अतः उनका उल्लेख भी मैं नहीं करना चाहता। पर आज पुनः एक माननीय सदस्य ने एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक माननीय संसद सदस्य जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, थाने पर जा कर कोशिश की कि अमुक लोगों को गिरफ्तार किया जावे। चाहे वह किसी भी दल के क्यों न हों, कोई भी क्यों न हो, चाहे वह संसद सदस्य हों अथवा विधानसभा के सदस्य हों उनका यह कार्य नहीं है कि वह थाने में जाकर निर्देश दें कि अमुक को गिरफ्तार किया जावे और अमुक को गिरफ्तार न किया जावे। अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की प्रक्रिया इस शासन तंत्र में आये दिन का नियम बन जावेगी तो मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश में बैठे हुए नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा करने में यह शासन समर्थ होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप इन बातों को एक आचार संहिता के माध्यम से अपने प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम अपने ही दल के माध्यम से लागू करने में समर्थ नहीं होते, जो प्राथमिक जिम्मेदारी किसी

शासन की है, शांति और व्यवस्था बनाये रखने की, तो वह जिम्मेदारी आप कभी पूरी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि शांति और सुरक्षा से अलग है, वह है प्रशासनिक तन्त्र के माध्यम से, क्योंकि इस बात को सभी स्वीकार करेंगे। हम भी स्वीकार करते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर या इस देश के अन्दर जो भी प्रशासनिक तन्त्र है हमारे पास आज ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि इस प्रशासनिक तन्त्र को बालाये ताख रख कर हम शासन का काम चला सकें। यह एक ऐसा सत्य है कि इसके बारे में हमारी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो लेकिन उससे हमको मुकरना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक तन्त्र को जनमानस का आदर करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। उस शासन तन्त्र को जनजीवन के अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य करना तो उपयुक्त है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस जनतन्त्र को सुबह से शाम तक केवल गाली देकर, केवल उनको हतोत्साहित करके, केवल हर समय उनको भला-बुरा कहकर, मैं नहीं समझता कि हम उनको सही जिम्मेदारी, जो उनकी है, उनको पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह ऐसी बात है जो राजनीति से परे होना चाहिये। मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ कि इसमें केवल आप जिम्मेदार नहीं हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। यह इसलिये, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी परम्परा हम इस देश के अन्दर डालें वह परम्परा स्वस्थ हो और इस स्वस्थ परम्परा का ध्यान रखते हुए यह आवश्यक है कि शासन तंत्र के जो अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने गलतियाँ की हैं, उनको विधान के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये, आप किसी को मत बख्शिए। जिन्होंने नियम के विरुद्ध कार्य किया है उनके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो हो सके आप करिए। लेकिन पूरे प्रशासन तन्त्र को आप निरुत्साहित और डिमोरलाइज करने की कोशिश न करें क्योंकि वह भी एक कारण है कि हमारे प्रदेश में अराजकता की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह ऐसा प्रश्न है जिस पर शासन को ध्यान देना है, ऐसी मैं शासन से अपेक्षा करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् एक महत्वपूर्ण प्रश्न आदिम जाति कल्याण विभाग से सम्बन्धित है जिसके विस्तार में हमारे पक्ष के दूसरे माननीय सदस्य आपकी अनुमति से निवेदन करेंगे, मैं तो केवल एक महत्वपूर्ण अंश की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। हमारे प्रदेश में एक तिहाई आबादी आदिवासी और हरिजन भाइयों की है। इसलिए हमारी, आपकी, सदन की और शासन की यह जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का संविधान में भी उल्लेख है और उन्हें विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, राज्यपाल महोदय को भी प्राप्त हैं और शासन को भी प्राप्त हैं। उसके माध्यम से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके हितों का संरक्षण होगा। इस तरह की इस शासन से अपेक्षा की जाती है कि आपके कार्यकलापों के द्वारा इस प्रदेश के जो एक तिहाई नागरिक हैं उनका आप हित-संरक्षण करेंगे। यदि मैं यह कहूँ कि हम इतनी तो अपेक्षा जरूर कर सकते हैं कि कम से कम आपके मन्त्रिमण्डल में उन्हें सही प्रतिनिधित्व प्रदान करें। जहाँ तक मैं समझता हूँ जो अनुपात मन्त्रिमण्डल में उनका होना चाहिये— हरिजनों का और आदिवासियों का— वह अनुपात अभी आपके मन्त्रिमण्डल में नहीं है। इसका कुछ न कुछ असर लाखों-करोड़ों लोगों के मन पर पड़ता है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ न केवल दिखावे के लिए बल्कि नीतियों को सही रूप में कार्यान्वित करने के लिये जिसको आपने माना है और जिसको हमने भी माना है। उदाहरण के लिये उन्हें सेवाओं में संरक्षण देने का सवाल है। इसके लिये यह आवश्यक है कि लोक सेवा आयोग में एक आदिवासी और एक हरिजन सदस्य की, एक साथ नहीं तो क्रमवार नियुक्ति की जाये। हमने अपने समय में एक सदस्य की नियुक्ति लोक सेवा आयोग में करने का निर्णय लिया था, उसको पता नहीं क्यों आपने रुकवा दिया है। अब आप जिसकी चाहें उसकी नियुक्ति करें लोक सेवा आयोग में एक हरिजन और आदिवासी सदस्य की नियुक्ति कर दी जाये, यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, सदन में शिक्षा विभाग की माँगों पर चर्चा नहीं हो सकी। यद्यपि शिक्षामन्त्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं फिर भी मैं यह आशा करूँगा कि माननीय वित्तमन्त्री जी मेरी बात उन तक पहुँचाने की कृपा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : राज्यमंत्री, शिक्षा सदन में उपस्थित हैं।

श्री अर्जुनसिंह : क्षमा करेंगे, राज्यमंत्री, शिक्षा सदन में बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकी

इसलिए उस विषय में विस्तार से कहना सम्भव नहीं है फिर भी कुछ मूल बातें इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। सबसे पहले महत्व है शैक्षणिक ढाँचे का जिसके बारे में अभी आपने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए मैं उस पर यदि कुछ कहूँ तो उसका महत्व नहीं होगा। यदि आप इस विषय में निर्णय लेने के पूर्व हम लोगों की राय भी लेना चाहें तो हमारे कुछ साथी जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, आपकी सहायता कर सकेंगे। यह आपकी इच्छा, मन्शा और उद्देश्य पर निर्भर है। एक और महत्व का विषय है— पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। इस विषय में भी जहाँ तक मुझे मालूम है अभी कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, इसलिये मैं उस बारे में भी इस समय कुछ नहीं कह सकता किन्तु इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस प्रदेश के अन्दर इतिहास की पुस्तकों और विषय की पुस्तकों का पाठ्यक्रम इस प्रकार परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है जिससे इतिहास के बारे में और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के बारे में और इससे पहले के इतिहास के बारे में.....।

श्री विक्रम वर्मा : जब कदम ही नहीं उठाया गया तो आभास कहाँ से हो रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : अच्छा हुआ, आपने पूछ लिया और मुझे कहने की आजादी मिल गई। परिवर्तन की यह श्रृंखला यहाँ से चालू नहीं हुई, यह श्रृंखला दिल्ली से चालू हुई है। और एक न एक दिन उसका प्रभाव यहाँ आयेगा। नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्स्ट बुक एक राष्ट्रीय संस्था है और उस संस्था के अन्दर बनी पुस्तकें चलाई जा रही हैं। एक व्यक्ति ने उनको बदलने का माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्ताव भेजा और उसके आधार पर नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को सुझाव दिया है कि इसको देखा जावे और बदला जावे।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का इतिहास पिछले 10 साल से लिखने की कोशिश की गई है उसकी मिसाल है कि उत्तर प्रदेश में आजादी के आंदोलन की लड़ाई के इतिहास की पुस्तक में अँग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में श्री राम मनोहर लोहिया और श्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र तक नहीं है। हम उस इतिहास को बदलना चाहते हैं और एक निष्पक्ष तरीके से इतिहास का लेखन होना चाहिये जो सम्माननीय है उनको इतिहास में सम्मान प्राप्त होना चाहिये इतिहास लेखन ऑब्जेक्टिवली होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भाई रमाशंकर सिंह से सहमत हूँ कि इतिहास निष्पक्ष रूप से लिखा जाना चाहिये। उसमें जिनके नाम छूट गये हैं वे जोड़ देना चाहिये पर इतिहास के ऊपर काली टोपी की छाया नहीं पड़ना चाहिये उससे भाई रमाशंकर जी को और हमको भी दुख होगा और इस प्रदेश के लाखों लोगों को दुख होगा। मैं आपसे केवल एक ही बात निवेदन करना चाहूँगा.....

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, लाल किले में जो टाइम केप्सूल गाड़ा गया है उसमें सरदार पटेल का नाम तक नहीं था उस पर हमारी काली टोपी की छाया नहीं थी उस पर तो सफेद टोपी की छाया थी।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात हल्केपन से नहीं कही है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने को बाध्य होना पड़ रहा है कि देश के अन्दर ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है कि अब नाथूराम गोडसे की जय बोलने वाले लोग काफी संख्या में होने वाले हैं। चाहे इस भारतवर्ष का कोई भी इतिहास लिखा जावे, चाहे काली टोपी की छाया में लिखा जावे या सफेद टोपी की छाया में लिखा जावे लेकिन वह इतिहास नाथूराम गोडसे की जय-जय-कार करता है तो उसमें हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिये। कोने-कोने में देश में ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें न केवल चरित्रवान, सम्माननीय लोगों को ऊपर के स्तर पर बढ़ाया जावे बल्कि ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है।

(व्यवधान)

श्री माधवराव इंदापुरकर : पूज्य बापू जी की हत्या का चांस लेकर, मौका लेकर संघ के हजारों लोगों के साथ कॉंग्रेस शासन ने अत्याचार किया, हजारों को जेल में डाला। उस वक्त यह दल और इसकी अक्ल कहाँ थी? उस वक्त कॉंग्रेस शासन था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह प्रश्नोत्तर नहीं है, आप लोगों को भी मौका मिलेगा तब आप बोलेंगे। गौर साहब आप भी पुराने सदस्य हैं फिर भी आप नहीं मानते हैं। यह चर्चा का विषय है, प्रश्नोत्तर नहीं है। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब आपका अवसर आयेगा तब आप भी बोलिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम नहीं लिया। मैंने यह नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाथूराम गोडसे से सम्बन्ध था। मैंने इस तरह की बात कतई नहीं कही है। अगर उसको आदर्श मानते हैं तो मुझे बड़ा दुःख है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, इसको पार्टी से उठकर देखना चाहिये। अन्त में, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से और सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि कल इस बजट को पारित करने के बाद इस सदन के बैठकों की समाप्ति होगी और उसके बाद आपको अवसर मिलेगा इस बजट के माध्यम से प्रदेश में कार्य करने के लिये तो मैं आप से अपेक्षा करता हूँ कि आप जो भी विकास के कार्य करेंगे प्रदेश की उन्नति के लिये उसमें हमारा भी सहयोग चाहेंगे तो वह हम देने के लिए तैयार हैं। हम उन समस्त कार्यों के लिए खुले दिल से आपको सहयोग देने के लिये तैयार हैं। एक ही बात हम आपसे चाहते हैं कि जो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसकी वजह से परस्पर जो एक कड़ी है वह उससे टूट सकती है और वह कड़ी है व्यक्तिगत राग-द्वेष के आधार पर जगह-जगह प्रदेश के अन्दर व्यक्तियों को परेशान करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और केस चलाए जा रहे हैं, जो सही में दोषी हैं उसको आप सजा दीजिए इसके लिए मैं किसी की तरफदारी करने नहीं जाऊँगा। लेकिन इस प्रकार का वातावरण बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी शासन की ही होगी। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन तन्त्र चलाने की जिम्मेदारी और जगह-जगह लोगों के जीवनोपयोगी वस्तुओं को अभावग्रस्त क्षेत्रों में पहुँचाना और शांति बनाये रखना यह प्रदेश शासन की है। पिछड़े वर्ग को संरक्षण प्रदान करना यह शासन का प्राथमिक कर्त्तव्य हो जाता है। यदि इस जिम्मेदारी को शासन सफलतापूर्वक निपटाना चाहता है तो उसमें हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। यदि शासन दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करेगा तो फिर हमको विवश होना पड़ेगा प्रजातन्त्रीय दायित्व को अपनाने के लिये— इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यदि प्रतिपक्ष के नेता अनुमति देंगे तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने स्टेटमेण्ट दिया कि दुर्भावनापूर्ण ढंग से शासन ऐसा कर रहा है, इस सम्बन्ध में वे एक भी ऐसा उदाहरण बता दें?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने तो उदाहरण दिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप एक भी ऐसा उदाहरण बता दें जिसमें कोर्ट ने छोड़ा हो? आपने जो स्टेटमेंट दिया है वह एक वेग स्टेटमेंट है।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं माननीय अर्जुनसिंह से कहना चाहता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों के रहते नाथूराम गोडसे के जिन्दाबाद के नारे इस मुल्क में नहीं लगने देंगे। लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों के रहते हम लोगों के जेलों में रहने पर आप लोगों ने काकस मंडली के जिन्दाबाद के नारे लगाते रहे और बाबू जगजीवनराम जी को अस्पताल में भरती करवाने का षड्यन्त्र हुआ। उनके प्राण लेने की साजिश की गई। इसी तरह लोक नायक श्री जयप्रकाश जी के गुर्दे नष्ट किए गये।

अध्यक्ष : आप ही आप बोलते रहेंगे एक मिनट एक मिनट माँगकर। श्री कन्हैयालाल डूंगरवाल, आप बोलिए, आपको 10 मिनट का समय दिया है।

श्री कन्हैयालाल डूंगरवाल (नीमच) : अध्यक्ष महोदय, मुझे उद्योग विभाग की माँगों पर बोलना था लेकिन उसके ऊपर मन्त्री जी का जवाब आ गया है। मुझे कहा गया था कि आप उस पर बोलना और जो दूसरी महत्वपूर्ण माँग हैं उन पर भी बोल लेना। लेकिन उन माँगों पर भी सदन में पूरी बहस नहीं हो पाई। मुझे अफसोस है कि विरोधी दल के नेता ने जो आक्षेप किया कि सदन का समय फिजूल नष्ट नहीं किया जाता तो सारी माँगों पर चर्चा हो जाती। मेरा उनसे कहना है कि यदि उन्होंने अपने दल की ओर से हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के बहाने

सदन का काफी समय नष्ट न किया होता तो महत्वपूर्ण माँगों पर चर्चा की जा सकती थी।

श्री अर्जुनसिंह : आप इस विवाद को न उठायें, नहीं तो समय फिर नष्ट होगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/25 अगस्त 1977, पृष्ठ/1587-1591)

25 अगस्त को अविलम्बनीय लोक महत्व के दो विषय आये। मराठी भाषी जनता की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा बेरोजगारी की समस्या पर सदस्य श्री रेवनाथ चौरे ने और समाज के कमजोर वर्ग को परम्परागत शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु जुलाई 1975 में प्रारम्भ किये गये विभिन्न कार्यों जैसे बंधक मजदूरों की मुक्ति, ऋण मुक्ति तथा खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु अभियान पर चर्चा के लिए श्री अर्जुनसिंह ने इस विषय को उठाया और पूछा कि इस बारे में शासन अपनी नीति स्पष्ट करे। नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है—

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष का अत्यन्त अनुगृहीत हूँ कि इस विषय पर चर्चा के लिये उन्होंने समय देने की कृपा की क्योंकि जिस सत्र के प्रारम्भ से ही तीन विषयों पर जिनके पीछे इस प्रदेश के लाखों लोगों का हित छिपा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, मैंने 4, 5 दफे प्रयास किया कि मध्यप्रदेश शासन की नीति इन विषयों पर क्या है, उससे सदन परिचित हो और इस प्रदेश की जनता परिचित हो। उस प्रयास में विफल होने के पश्चात् मुझे यह समय माननीय अध्यक्ष महोदय से लेने के लिये विवश होना पड़ा क्योंकि राज्यपाल महोदय के भाषण से प्रारम्भ होकर समय-समय पर माननीय मुख्यमन्त्री के भाषणों को लेकर आज तक जो स्थिति बनी है वह इस प्रकार है जैसा इस आर्थिक कार्यक्रम के बारे में जिनका उल्लेख इस प्रस्ताव में है यह शासन क्या मत रखता है, क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्यक्रम हैं उसके बारे में यद्यपि दो मत बनेंगे और यदि बनते हैं तो वह प्रकट करने में संकोच है और यह भी हो सकता है कि इसे कोई महत्व न देते हों या सोचने का प्रयास न किया हो। इन तीनों परिस्थितियों में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में लगभग साढ़े चालीस लाख खेतिहर मजदूर, जो कि 1976 के आँकड़ों पर आधारित हैं, उनका भविष्य निर्भर करता है।

आज लगभग 2 लाख व्यक्ति ऋण मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली बार सचमुच आजादी की साँस लिए हैं। इसके ब्रारे में कोई भी शासन अपनी जिम्मेदारी महसूस करने में हिचके तो निश्चित रूप से वह अपनी मौलिक जिम्मेदारी से दूर जाने का प्रयास करता है। इसलिए आज की चर्चा में, मैं शासन से तीन विषयों के बारे में उसकी स्पष्ट नीति विषयक घोषणा की अपेक्षा करता हूँ। पहले तो यह कि खेतिहर मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी विधान के मुताबिक निश्चित की गई है और जो आज भी प्रभावशील है जैसा कि मुझे मुख्य सचिव के पत्र से जानकारी दी गई है तो क्या उन मजदूरों को इस प्रदेश के साढ़े चालीस लाख खेतिहर मजदूरों को दिलाने के लिए अभियान के रूप में प्रयास कर रहे हैं, कृतसंकल्प है या उस नीति में शासन ने कोई परिवर्तन किया है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, ऋण मुक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लगभग पौने दो लाख व्यक्तियों को ऋण से मुक्ति मिली है और आज वह अपने स्वयं के मालिक बने हैं उनको यह शासन संरक्षण देगा या नहीं देगा और भविष्य में इस कार्यक्रम को चलाये रखने के लिए वचनबद्ध है या नहीं और यदि वचनबद्ध है तो कौन-से प्रयास होंगे जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को चालू रखा जायेगा। तीसरी बात बन्धक मजदूरों की मुक्ति का प्रश्न है, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज के लिये कलंक का विषय है उस कार्यक्रम के बारे में शासन की क्या नीति है, क्या करना चाहता है जितने लोग बंधन से मुक्त हुए हैं उनको संरक्षण प्राप्त होगा या नहीं। इसके संबंध में शासन से जानना चाहता हूँ.....।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनयपूर्वक यह निवेदन करना चाहूँगा कि साधारणतया हम यह मानकर चलते हैं कि इन कार्यक्रमों में कोई ऐसा शासन जो जनसेवा का दम भरता होगा वह स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हमें इतनी बड़ी बात कहने के लिये विवश होना पड़ रहा है। पिछले डेढ़ महीनों में इस प्रदेश के अन्दर जो भयावह स्थिति उत्पन्न

हो रही है, गाँव-गाँव में उसके पीछे इस शासन के उन महत्वपूर्ण विषयों पर न केवल मौन रहना जिम्मेदार है बल्कि जो बोलते भी हैं उससे भी यही ध्वनि निकलती है कि इस प्रदेश के समस्त शोषितों को, इस प्रदेश के समस्त उस वर्ग के लोगों को जिनके हितों को इन आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से कुठाराघात हुआ है उन सबको न केवल इस शासन से प्रश्रय मिला है बल्कि प्रेरणा मिलती है कि वे पुनः अपने अधिकार वापस लें। यही कारण है अध्यक्ष महोदय, कि जगह-जगह पर हरिजनों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं। लोगों की जमीनें छीनी गई हैं। यही उसका सीधा परिणाम है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केवल समितियों द्वारा आवंटित भूमि को एक कारण बता कर सब जगह पर उसी का प्रचार किया है। जहाँ तक मुझे स्मरण है और माननीय सदस्यों को स्मरण होगा एक भी शब्द उन्होंने विधानसभा में, विधानसभा के बाहर ऋण मुक्ति के बारे में, बन्धक मजदूर के बारे में, खेतिहर मजदूरों के बारे में आज तक नहीं कहा है। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी समस्या न केवल प्रशासनिक समस्या है उससे भी बढ़कर यह मानवीय समस्या है। मानव अधिकारों से सम्बन्धित समस्या है, क्योंकि इस बात को आज नहीं भुला सकते हैं कि दुनिया के इतिहास में आशा का सूत्रपात और आशा पर तुषारापात इन्हीं दोनों ने किया है, कि दुनिया ने सब ही क्रान्तियों को जन्म दिया है। आप हम लोगों पर अनेक लांछन लगा सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सदियों की जड़ता को, सदियों के शोषण को सदियों से चले आ रहे अमानवीय सिद्धान्तों को, जो मान्यता बन गये थे, कम से कम उनके विरुद्ध सशक्त कदम उठाने की प्रक्रिया काँग्रेस शासन ने प्रारम्भ की है। हम उसमें सफल हुए हों या न हुए हों।

जितनी दूर तक जाना चाहिये था उतनी दूर तक नहीं पहुँच पाये हैं। लेकिन उस जड़ता को कुरेदने का, उस जड़ता को हिलाने का और गाँव-गाँव में आशा का संचार करने का प्रादुर्भाव काँग्रेस ने किया और गाँव-गाँव में उस आशा के संचार को, उस आशा के सूत्रपात को आज यह शासन ने उन आशाओं पर तुषारापात करके यह कल्पना करता है कि शान्ति व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा सोचते हैं कि लाखों लोगों के दिलों में इस प्रकार के भय, इस प्रकार के आतंक बैठा कर जो कुछ थोड़े अधिकार उन्हें मिले थे न केवल- उन अधिकारों का संरक्षण देने के लिये शासन कृतसंकल्प नहीं है, बल्कि सक्षम भी नहीं है और फिर भी चुपचाप.....

श्री हरिभाऊ जोशी (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह जी और वोरा जी कनाड़िया ग्राम जा रहे थे स्वयं यह कहा भी गया था कि कनाड़िया गये हैं मेरी जानकारी में यह है कि वे कनाड़िया नहीं गये केवल आलोट के डाक बंगले से ही लौट आये।

श्री अर्जुनसिंह : आप बहुत पीछे हैं जोशी जी आप सदन में तो रहते नहीं हैं, इसके लिये मैं क्या करूँ। इसलिए आपकी डिमान्ड्स पर भी चर्चा नहीं हो सकी। आपने इनकार किया।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनकार नहीं किया है मैं एनकेन प्रकारेण जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ। इतने बड़े बजट की बात आप कर रहे हैं मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता था।.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ठीक है शायद जोशी जी को मालूम नहीं है और इन छोटी-मोटी बातों से उनको कुछ लेना देना भी नहीं है। जब मैंने कनाड़िया की चर्चा की थी उस समय मैंने स्वयं यह निवेदन किया था सदन में कि मैं उस गाँव तक नहीं पहुँचा था।.....

इस बात को छुपाने में कोई गौरव अनुभव नहीं करते, बड़े प्रश्न को इस बात से उलझाना चाहते हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा कनाड़िया के बारे में व्यवस्था हो रही है वह तो होगी ही लेकिन सभापति महोदय, कनाड़िया जैसे अनेक हरिजन-आदिवासी गरीब लोगों पर तुषारापात करने का कार्य चलाया गया है। इस बात को कभी आपने सोचा है? माननीय सभापति महोदय मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से, संयोग मात्र हो सकता है, संयोग मात्र उस सूत्र की ओर संकेत करता है जितनी भी हत्याएँ या इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं वे अधिकांश उन क्षेत्रों में हो रही हैं जिन क्षेत्रों से जनसंघ के घटक चुनकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक हाल की घटना बताना चाहता हूँ, 5-7 दिन पहले सोनकच्छ के कुन्हारी गाँव में 150 लोग.....।

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, विषयान्तर हो रहा है, चर्चा इस पर

है— "समाज के कमजोर वर्ग को परम्परागत शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु जुलाई 1975 में प्रारम्भ किये गये विभिन्न कार्यों जैसे बंधक मजदूरों की मुक्ति, ऋण मुक्ति तथा खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने हेतु अभियान पर चर्चा।" अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री लीलाधर : माननीय सदस्य ने सबसे ऊपर जो दिया है, 'कमजोर वर्ग' को नहीं पढ़ा।

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको पढ़ा है, मैं देख रहा हूँ, ये अप्रासंगिक कह रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : यह अप्रासंगिक आपको इसलिए लग रहा है, दिल की बात नजदीक आ रही है, मैं कहना चाहूँगा कि आप ही अप्रासंगिक बातें कहेंगे जैसा जोशी जी ने कहा। मैं जो कह रहा हूँ प्रासंगिक कह रहा हूँ, इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं क्या इस बार आप उपेक्षा करते हैं?

श्री रमाशंकर सिंह (लहार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह जी से यह पूछना चाहता हूँ, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्धक मजदूरों की मुक्ति कराई गई थी आपकी सरकार को यह पता नहीं था कि कितने बन्धक मजदूर हैं, यह इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की रिपोर्ट में दिया है। आपकी सरकार के पास अधिकृत आँकड़े नहीं थे कि हिन्दुस्तान में बन्धक मजदूर कितने हैं? जब आपकी सरकार के पास आँकड़े नहीं थे तब आपने इसको कैसे लागू किया और जो आँकड़े उपलब्ध थे वो असलियत के सिर्फ 7-8 फीसदी थे।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सभापति महोदय, भाई रमाशंकर सिंह अत्यन्त उत्साही हैं, वे सभी घटनाओं की जानकारी रखते हैं, मैं उनके कथन से सहमत इसलिए हो जाता हूँ, कितने बन्धक मजदूर थे। लेकिन हम उस समस्या को लेकर आये, हमने प्रयास तो किया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दिल पर रहम वाली बात है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग जो शासन पक्ष में बैठे हुए हैं मैं उनको मानता हूँ, उनके विचार दूसरे लोगों से भिन्न हैं, ऐसे लोग भी शासन पक्ष में हैं वे ऐसे क्रान्तिकारी कदम को आगे बढ़ाने वाले हैं, शायद हम से भी सक्षम तरीके से जिन्हें हम नहीं कर पाये। कम से कम यह अपेक्षा तो आप से नहीं करते कि उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ने में एक विराम आपके द्वारा लगा दिया जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं सोनकच्छ का एक उदाहरण दे रहा था। वहाँ 150 लोग सशस्त्र होकर आये उन्होंने 25 घरों को जला दिया जो पिछड़ी जाति वालों के थे। उनके बाल-बच्चों को बाहर इस बरसात में पड़े रहना पड़ा और जब यह घटना घटी उस समय इस शासन की पुलिस की एक टुकड़ी इस गाँव में मौजूद थी। बजाये इसके कि पुलिस द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता वह टुकड़ी वहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अध्यक्ष महोदय, मैं कभी किसी विधायक के बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं मानता। जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार उस क्षेत्र से चुनकर आये माननीय विधायक भी वहाँ उस समय मौजूद थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह संबंधितों के प्रति, इस सदन के प्रति और इस प्रदेश के लाखों लोगों के प्रति न्याय है कि जिनके हाथों में शासन की बागडोर दी है, जिनके जान-माल की रखवाली की जिम्मेदारी दी है वह वहाँ विद्यमान रहें और 25 घरों में आग लगा दी जाये और उनके बाल-बच्चे बेघरबार हो जावें। क्या यही आपका इस कार्यक्रम को चालू रखने का तरीका है? यदि यही आपका तरीका है तो मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि आप कार्यक्रम को चालू रखना नहीं चाहते वरन् आपका तरीका लाखों करोड़ों गाँवों में, घरों में, आँगनों में, बाड़ियों में खून की लकीर खींचने का है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सब की जिम्मेदारी शासन पर होगी। आपने अभी तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं की और इस बात की घोषणा नहीं की कि जितने ऐसे कार्यक्रम हैं उनको लागू किया जावेगा तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को संरक्षण दिया जावेगा तथा जो ऋण से मुक्त हुए हैं उन्हें पुनः ऋण से लादा नहीं जावेगा। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने रखा हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय अनुपस्थित हैं (शेम शेम) हो सकता है किसी मन्त्री जी द्वारा इसका उत्तर दिया जावे क्योंकि कलेक्टिव रिस्पांसीब्लिटी के आधार पर औपचारिकता पूरी कर दी जावेगी। लेकिन शायद इसका यह निष्कर्ष हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अब तक इस मामले मौन रहे हैं, उस मौन के बीच

यहाँ रहकर कुछ कहना न पड़े, संभवतः इसलिए वह अनुपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इन कार्यक्रमों को किसने लागू किया किसने नहीं, इन कार्यक्रमों को उचित मानते हैं या नहीं, उनको चालू रखना चाहते हैं या जो अधिकार गरीब वर्ग को मिले हैं उन अधिकारों का उनको संरक्षण देना चाहते हैं अथवा नहीं, इसकी स्पष्ट घोषणा शासन की ओर से होना चाहिये। पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह शासन हमने शोषित वर्ग के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया था, उनको जो अधिकार दिलाये थे, उनका पोषक नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/25 अगस्त 1977, पृष्ठ/1607-1609)

26 अगस्त 1977 को प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह ने मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अध्यक्ष ने अग्राह्य कर दिया और उस पर बहस नहीं होने दी गयी। अनेक व्यवधान उपस्थित किये गये। नियमों की दुहाई दी गयी। यह चर्चा यहाँ दी जा रही है—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस प्रस्ताव को पढ़ने के पश्चात् सदन की अनुमति देने के लिए हमें अवसर दें। (व्यवधान), जहाँ तक मुझे स्मरण है कि विधानसभा में कभी भी, किसी भी अविश्वास.....

श्री मिश्रीलाल खत्री (बालोद) : अध्यक्ष महोदय, नियम और प्रक्रिया यह कहती है कि जब आप खड़े थे तो श्री अर्जुनसिंह को खड़ा नहीं होना चाहिए पर अर्जुन सिंह खड़े हुए तो आप बैठ गये।

अध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंह ने ध्यान आकर्षित किया कि वे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा नियम है। जब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँ कि मैं खड़ा हूँ तब आप बैठ जाया करें।

श्री मिश्रीलाल खत्री : क्या नियम प्रक्रिया सिर्फ मुझे दिखाई जाती है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है?

अध्यक्ष : आप साधारणतः खड़े रहते हैं इसलिए कहना पड़ता है कि आप बैठ जाईए।

श्री मिश्रीलाल खत्री : आप दूसरे के खड़े होने पर बैठ जावें यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा।

श्री सूरजमल जैन (रतलाम ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि माननीय अर्जुनसिंह जी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और विधानसभा के नियम 132 (8) में उल्लेख यह है कि जब प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो वह विषय इस सदन में नहीं उठाया जाता। यहाँ चर्चा करेंगे तो न्यायालय की अवमानना होगी इसलिये इस विषय को यहीं समाप्त किया जावे।

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी (पिपरिया) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि नियम 132 में उल्लेख है। नियम 132, 143 और मोशनों के नियमों में थोड़ा-थोड़ा फर्क है और जो अन्तर है उसके कारण नियम 132 पढ़ना जरूरी हो जाता है।

अध्यक्ष : यह सूचना मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियम 143 के अन्तर्गत आती है। नियम 143 के उप नियम (ख) में स्पष्ट इंगित है कि अनुमति माँगने वाले सदस्य को उस दिन बैठक प्रारम्भ होने के पहले सचिव के पास..... (व्यवधान)

इस प्रस्ताव की सूचना कि यह विधानसभा श्री कैलाशचन्द्र जोशी के मन्त्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। आज दिनांक 26-8-77 को प्रातः 10.45 बजे माननीय श्री अर्जुनसिंह, श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री अच्युतानन्द मिश्र एवं श्री मोतीलाल वोरा द्वारा दी गई है। प्रस्ताव की सूचना के साथ आरोप पत्र भी संलग्न है जिसमें यह आरोप है कि श्री कैलाशचन्द्र जोशी के विरुद्ध एक प्रकरण 451/506/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना हाटपिपल्या में पंजीकृत है और उनसे कोई जमानत नहीं ली गई है और न उन्होंने जमानत दी है, अतः उनके मन्त्रिपरिषद में विश्वास का पूर्ण अभाव हो गया है। .....(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा, (व्यवधान), हम वाक आउट नहीं करेंगे, क्या हम घूमते फिरते आये हैं जो वाक आउट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूँगा कि आप जिस प्रस्ताव को पढ़ने के पश्चात् सदन की अनुमति लेने के लिए हमें अवसर दें (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये अत्यन्त (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा इस विधानसभा के लिए (व्यवधान)

श्री मिश्रीलाल खत्री : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, जहाँ तक मुझे स्मरण है (व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है आपका। एक मिनट, एक मिनट।

श्री मिश्रीलाल खत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि मैंने सदन की कार्यसंचालन प्रक्रिया को देख रखा है (व्यवधान) लेकिन नियम यह कहता है, प्रक्रिया यह कहती है कि जब अध्यक्ष खड़ा हो तो दूसरे किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। आप खड़े थे, बीच में श्री अर्जुनसिंह जी खड़े हो गए तो आप बैठ गये, यह कौन-सी प्रक्रिया हुई? (हँसी)

अध्यक्ष : क्योंकि उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि वे कुछ कहना चाहते हैं इसलिए मैं बैठ गया ऐसा नियम है और जब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँ, कि मैं खड़ा हो जाऊँ तो आप बैठ जाया करें। लेकिन.....

श्री मिश्रीलाल खत्री : लेकिन क्या यह प्रक्रिया मुझे ही दिखाई जाती है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप तो यहाँ साधारणतः खड़े ही रहते हैं इसलिए कहना पड़ता है कि आप बैठ जाइए। चलिए।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जबकि.....

अध्यक्ष : आप कहिए आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सूरजमल जैन : यह बात स्वीकार की है कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और अपने मध्यप्रदेश विधानसभा की जो यह कार्यसंचालन प्रक्रिया है, नियम है साहब उसमें 132 (8) यह उल्लेख है अध्यक्ष महोदय, कि जो विषय न्यायालय में विचाराधीन हो उसको सदन में नहीं उठाया जा सकता, अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई भी चर्चा करना उस न्यायालय सदन की अवमानना होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को यहीं बन्द किया जावे।

अध्यक्ष : मिस्टर लीलाधर जी बैठ जायें। मिस्टर अर्जुनसिंह।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे.....

अध्यक्ष : आपको भी सुन लूँ। व्यवस्था का प्रश्न है? कहिए।

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि नियम 132 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी प्रकरण यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है तो उस पर कोई भी मोशन अग्राह्य होगा। इस सम्बन्ध में, मैं नियम 132 इसलिए पढ़ना चाहूँगा क्योंकि धारा 132, 143 और मोशन्स के सम्बन्ध में जितनी धाराएँ हैं उनमें थोड़ा-थोड़ा फर्क है और जो अन्तर है उसके कारण अध्यक्ष महोदय, उसको पढ़ना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, धारा, नियम 132 में.....

अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ। हाँ, मिस्टर अर्जुनसिंह जी? याने आपने हवाला दिया है।

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी : यह अग्राह्य हुआ है, इसलिए डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिजेक्टेड। तो यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय? उसके लिए मुझे कारण बताना पड़ेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी : उसके लिए मुझे कारण बताना पड़ेंगे।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री अर्जुनसिंह जी को श्रीमान् ने किस बात पर अपने कथन की अनुमति दी है?

अध्यक्ष : मैं प्रस्ताव पढ़ रहा था और वे कुछ कहना चाहते थे। मैंने अनुमति दे दी कि वे कह लें। किसी प्रकार की यह मन में बात न रहे कि मैं कुछ नहीं कह पाया हूँ। इसलिए मैंने अनुमति दे दी थी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसलिए निवेदन है.....

अध्यक्ष : हाँ, आप जरा एक मिनट सुन लें?

अध्यक्ष : क्योंकि यह प्रस्ताव उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अभी भी वे सदन के सामने खड़े हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरा यह निवेदन है कि.....

अध्यक्ष : हाँ, आप जरा एक मिनट सुन लें?

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरा यह निवेदन है श्रीमान् कि कुछ भी कहना है उसके लिए तो अनुमति देने की तो आपको आवश्यकता नहीं है। परन्तु अगर प्रस्ताव की ग्राहता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं.....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप निर्णय दे रहे हैं क्या?

श्री सुन्दरलाल पटवा : किसी विषयवस्तु पर अगर आप अनुमति दें तब तो बात ठीक है। परन्तु वह कुछ भी कहना चाहते हैं, इसके लिए अनुमति दे दें और वे प्रस्ताव पर भाषण शुरू कर दें उस बहाने से, उसकी तो अनुमति नहीं होनी चाहिए न?

अध्यक्ष : भाई ऐसा है कि कोई अपनी बात बहुत संक्षेप में कह लेता है, कोई भाषण के रूप में कहता है सुनना सबको पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है। कह दें आप अपनी बात। लेकिन शार्ट में कह दें इतना मेरा निवेदन जरूर है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरी वह आपत्ति बिल्कुल नहीं है कि आप लम्बे भाषण की अनुमति दें या छोटे भाषण की। मेरी तो केवल इतनी ही आपत्ति है कि क्या इसके लिये ग्राहता के बारे में आपने कहने की अनुमति दी है या इसके ऊपर कुछ कहने की अनुमति दी है?

अध्यक्ष : विषय वस्तु पर कुछ भी कहने की अनुमति मैंने नहीं दी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अगर विषय वस्तु के बारे में कोई बात आये तो श्रीमान् रोकें उन्हें?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम.....

श्री जुगलकिशोर गुप्ता : जब तक पूरा प्रस्ताव पढ़कर नहीं सुनाया जाता तब तक उस पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिये और माननीय अर्जुनसिंह से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको पूरा प्रस्ताव पढ़ लेने दें उसके बाद इस पर कोई चर्चा करें।

अध्यक्ष : चर्चा नहीं हो रही है।

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी : यह प्रस्ताव पूरा पढ़ा जाये यह कोई आवश्यक है?.....

अध्यक्ष : कहिए? आपको जो कुछ भी कहना है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शायद भूल से ही हो लेकिन आपने जो हमारा प्रस्ताव था और उसके साथ जो संलग्न पत्र था और आरोप पत्र उसको पूरी तौर से नहीं पढ़ा है। यह भूल रही है अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ कि आप सदन को सम्पूर्ण आरोप पत्र से जानकारी दे दें। यह मेरा.....

अध्यक्ष : देखिए? सम्पूर्ण आरोप पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। उसका सबस्टेंस मैंने अपने आदेश में लिखा है वही पढ़ूँगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं पूरा पढ़ूँ। आप कम्पेल नहीं कर सकते हमको कि हम पूरा पढ़ें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पेल आपको किसी बात के लिए नहीं कर सकता, लेकिन हर बात के लिए आपसे मैं निवेदन कर सकता हूँ। यदि उसमें भी किसी माननीय सदस्य को आपत्ति है तो बात अलग है, आपको नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं यह कहने जा रहा हूँ कि.....

(व्यवधान)

जी हाँ, नियमपूर्वक ही होगा। लेकिन आज से नया इतिहास कायम किया जा रहा है मध्यप्रदेश की विधानसभा में कि अविश्वास के प्रस्ताव से, आप लोग यहाँ पर चर्चा न हो, इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो..... (शेम शेम)। अध्यक्ष महोदय, ऐसा एक भी अवस्था में नहीं हुआ कि जब अविश्वास का प्रस्ताव आया हो और उस पर चर्चा करने के लिए स्वयं सदन के नेता तैयार न हुए हों कि आप चर्चा करिए, हम चर्चा का जवाब देना चाहते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आज यह इतना भारी भरकम बहुमत, यह जनता पार्टी, खुली सरकार के खुले मुख्यमंत्री आज इस चर्चा को बन्द करना चाहते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। (शेम शेम) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रकरण के किसी तथ्य पर नहीं जाऊँगा मैं यह भी नहीं कहूँगा।

(व्यवधान)

श्री नरेश जौहरी : यह क्या भाषण हो रहा है? (व्यवधान)

अध्यक्ष : मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जनता पार्टी के मुख्य मंत्री को मैं आदर की दृष्टि से देखता हूँ और यह मानता हूँ कि वे एक ईमानदार आदमी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ...

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष : हाँ क्या है आपका प्वाइन्ट ऑफ आर्डर?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अभी आपने विरोधी दल के नेता श्री अर्जुनसिंह जी को भाषण करने का अवसर दिया और उन्होंने अपने कथन में एस्पर्शन डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, नो कान्फीडेन्स मोशन इस सदन में अनेक बार आये और हमने नो कान्फीडेन्स मोशन अनेक बार सदन में प्रस्तुत किए, लेकिन हमने यह ध्यान रखा है कि नो कान्फीडेन्स मोशन कैसे लाया जाता है। सदन के आखिरी दिन कभी नो कान्फिडेन्स मोशन नहीं लाया जाता, ये सदन के आखिरी दिन नो कान्फीडेन्स मोशन लाये हैं और अब एप्रोप्रियेशन बिल पर वोट होना हो जो वोट के द्वारा पराजित किया जाता है, उसमें नो कान्फीडेन्स मोशन नहीं आता और मोशन लाते हैं तो आधा घण्टा पहले इसकी सूचना दी जाती है। अभी-अभी नये विरोधी दल में आये हैं, आपको मालूम नहीं है। (शेम शेम)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर अर्जुनसिंह जी यू विल प्लीज़ फिनिश विदिन टू मिनिट्स।

श्री अर्जुनसिंह : लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा कि यह कोई प्वाइन्ट स्कोर करने का प्रश्न नहीं है और न सखलेचा जी से हमको विरोधी पक्ष में बैठकर पाठ सीखने की जरूरत है। शायद आपको स्मरण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शायद सखलेचा जी को मालूम नहीं है कि उनके विधानसभा में आने के पूर्व मैं विरोधी पक्ष में बैठ चुका हूँ, आपको मालूम नहीं होगा इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि विरोधी पक्ष में बैठकर किस प्रकार से नो कान्फीडेन्स मोशन लाया जाता है। इसे जरूर आप सीखें।

अध्यक्ष : यह बात आपकी स्वीकार की जाती है।

श्री अर्जुनसिंह : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें केवल दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि.....

अध्यक्ष : मैं इसके सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे रहा हूँ। अगर ऐसी बात होती तो यह सदन में पेश होती तो स्पष्टतया जब मैंने पहले ही यहाँ पर बताया कि यह प्रस्ताव जो है 10 बजकर 15 मिनट पर प्रस्तुत हुआ है। इसी सम्बन्ध की परम्पराएँ भी मैं आपको बताऊँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अपनी विधानसभा की नियमावली के अन्दर केवल विधानसभा की बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व किसे देना चाहिए यह प्रावधान आपके नियमों में है। अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा के नियम 143 के (ख) को पढ़कर सुनाता हूँ :— अनुमति माँगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने के पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे, लिखित सूचना देनी होगी। केवल इतनी ही हमारे ऊपर अनिवार्यता है कि जिस दिन हमें प्रस्ताव को देना है उस दिन बैठक आरम्भ होने के पूर्व या 10.30 बजे के पूर्व हम इसकी लिखित सूचना सचिव महोदय को दें। आपने स्वयं पढ़कर सुनाया कि 10 1/4 बजे हमने यह सूचना

दी। अध्यक्ष महोदय, इसलिये जहाँ तक हमारे नियमों की मंशा है, से वह पूरी तरह से पूरी हुई। बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व मैंने सदन में इस प्रस्ताव को मैं रखना चाहता हूँ इसकी सूचना सचिव को दे दी। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह आधे घन्टे की बात कहाँ से आ गई। क्या आधे घन्टे की बात का कहीं भी उल्लेख जो नियमावली जिससे कि यह सदन संचालित होता है, उसमें कहीं है? यदि उसमें है, तो मैं क्षमा माँगूगा सदन के सामने, ऐसा नियम का उल्लंघन करने के लिये। यदि ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है, स्पष्ट रूप से तब अध्यक्ष महोदय, यह बन्धन हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए कि 15 मिनट नहीं आधा घन्टा पहले देना चाहिए।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह प्रश्न ऐसा कोई साधारण प्रक्रिया के द्वारा लाया हुआ प्रश्न नहीं है। इस पूरे संविधान के अन्तर्गत जिसके अन्तर्गत विधानसभा चलती है, इस नियमावली के अन्तर्गत जिसके अन्तर्गत विधानसभा चलती है, सदन के अन्दर मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। इसके लिए नियमावली में एक अलग चेप्टर में उसका उल्लेख है। उस प्रस्ताव के अन्दर बहुत से जो अन्य बन्धन हैं, जो अन्य प्रकार के प्रस्तावों पर लगाये गए हैं, जैसे मैटर ऑफ रीसेन्ट अफेयर्स होना चाहिए, उसमें एक से ज्यादा किसी घटना का उल्लेख नहीं होना चाहिये इस तरह के जो अनेक बन्धन हैं जो आपकी विधानसभा की नियमावली के नियमों के अन्तर्गत अन्य जो मोशन आते हैं, उनसे प्रतिबन्धित इसमें नो कान्फीडेन्स मोशन में कहीं उनका उल्लेख नहीं है।.....

इससे यह स्पष्ट होता है कि विधानसभा के अन्दर न केवल बल्कि जब से विधानसभाएँ गठित हुई हैं तब से अविश्वास के प्रस्तावों को एक विशिष्ट स्थान दिया जाता है और सदैव जो शासन होता है वह अपना गौरव इसमें समझता है कि उस प्रस्ताव पर चर्चा करके उस प्रस्ताव को अस्वीकृत करके वह साबित करें कि उसके खिलाफ कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमें अचम्भा-सा दिख रहा है। वह लॉ डिपार्टमेंट जो लॉ मन्त्री के पास है वह इस मत में लगा है कि चर्चा न हो। इस तरह से इसको अमान्य कर दिया जाये। इस प्रकार से टेक्निकल प्वाइन्ट निकालकर इस चर्चा को रोक दिया जाये। आप हमारी चर्चा यहाँ अध्यक्ष महोदय, रोक सकते हैं। हम आपकी आज्ञा मानते हैं, चर्चा नहीं भी कर सकते हैं हमारे अधिकारों का हनन होते हुए भी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और यह इसलिए कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, कि मुझे कोई खुशी नहीं है इस प्रस्ताव को सदन में लाने की, यह मेरा अप्रिय कर्त्तव्य है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भाई कैलाशचन्द्र जी जोशी का आदर करता हूँ। वह एक अच्छे आदमी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह ईमानदार आदमी हैं, वह मुख्यमंत्री बने रहें यह भी हमारी कामना है लेकिन आप इस चर्चा को रोककर इस प्रदेश के कोने-कोने में होने वाली चर्चा को नहीं रोक सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिए आप मैरिट के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। आई विल नोट हियर। दिस विल बी एक्सपंज फ्रॉम दि प्रोसीडिंग्स। यह प्रोसीडिंग से एक्सपंज होगा। हमने आपको स्वीकृति दी थी कि आप इस एक्ट के संबंध में बात करेंगे लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन उस पर डालने लगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबिल। मैं उतने पोर्शन को एक्सपंज करूँगा उसमें से (व्यवधान) जब आपने मुझे कहा था तो आपने वायदा किया था कि हम इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं डालेंगे। अब आप यह कहने लगे सारे मध्यप्रदेश में इसकी चर्चा होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। सर्टेनली यू आर एंटरिंग इन टू दि मैरिट ऑफ दि केस।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह परम्परा कभी नहीं रही। मैंने कोई रिफ्लेक्शन नहीं किया है। मैंने केवल शासन को.....

अध्यक्ष : मैं आपको वही परम्परा आपके यहाँ की बतलाऊँगा जो हमारे प्रेडीसेसर थे उनकी भी ओपीनियन बतलाऊँगा।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ

आर्डर यह है कि अविश्वास के प्रस्ताव का मतलब यह होता है, अध्यक्ष महोदय, कि किन्हीं कारणों से सरकार पर अविश्वास रहता है, इसलिए यह सदन मत के द्वारा उसको कुर्सी से नीचे उतारना चाहता है, अध्यक्ष महोदय, शक्तिहीन करना चाहता है सरकार को, गिराना चाहता है। यह उसका तात्पर्य होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात पर निर्णय चाहता हूँ कि अभी 10 मिनिट बाद यहाँ पर एप्रोप्रियेशन बिल पेश होने वाला है, अध्यक्ष महोदय, वोटिंग होने वाला है। जब अध्यक्ष महोदय, उस पर वोटिंग होने वाला है तो अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से जो विरोधी दल करना चाहता है वह उस समय भी हो सकता है। तो यह प्रस्ताव किसी भी हालत में प्रस्तुत नहीं हो सकता है।

श्री सुरेश सेठ : अध्यक्ष महोदय, नियम 132 (8) के अन्तर्गत मुझे जवाब नहीं मिला है?

अध्यक्ष : उसका क्या जवाब मिलना है। यह तो कानूनी चीज है, मैं बता दूँगा। उसका जवाब क्या चाहिए पढ़ लीजिए न आप उसको नियम 132 का आठवाँ क्लाज पढ़ लीजिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्रीमान् के ध्यान में प्रथम अपनी आपत्ति लाई थी कि इस चर्चा के दौरान पूरी विषयवस्तु पर चर्चा न हो और केवल ग्राहता के प्रश्न पर चर्चा हो, परन्तु माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने ग्राहता के प्रश्न की चर्चा से परे हटकर उसके विषयवस्तु, पर जाकर आरोपित करने के साथ-साथ हमें चुनौती दी है मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करके यह कहता हूँ कि प्रदेश के किसी भी कोने में वह आयें, हम उनसे जनता के बीच में जिस प्रकार से वह निपटना चाहें, निपटने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं।

श्री अर्जुनसिंह : और उसी प्रकार से उन गवाहों से निपटा जा रहा है, यानी गवाह हैं उनसे भी निपटेंगे।

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर-2) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कही कि जब एप्रोप्रियेशन बिल पर चर्चा होने वाली है, बजट पास होने वाला है तभी चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो हर साल होता है, हर बजट में होता है। फिर हकीकत में देखा जाये तो इस प्रकार के प्रोवीजन की जरूरत नहीं है कि अबिश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। यह तो हर बार होता है। इसके उद्देश्य अलग होते हैं और उस उद्देश्य को लेकर रखा गया है। जहाँ तक कि इस अविश्वास प्रस्ताव का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि कोई बात ऐसी गोपनीय रह जाये जिससे कि सारे प्रांत की जनता उस पर शक करे, मैं आपके हित में कह रहा हूँ, उस बात का आधार होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी शंका की बात नहीं है, आपके हित में यह जरूरी है कि जिस बात को जनता के सामने आने से नहीं रोक सकते।

(व्यवधान)

श्री भँवरसिंह पोर्ते : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, आप मुझसे कह रहे हैं कि बैठ जायें तो क्या यह मुझसे कह सकते हैं?

अध्यक्ष : नहीं, अब वह मेरे माध्यम से कहेंगे, डायरेक्ट नहीं कहेंगे।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सभा प्रक्रिया नियमों में कहीं भी इस बात का जिक्र हो कि 10 बजे के पहले आना चाहिए तो निश्चित रूप से हम पर बंधनकारक है। लेकिन कहीं भी इस प्रकार का बंधन नहीं, तब ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, जब नियमों में कोई बंधन नहीं है तो नियमों की आड़ लेकर किसी चीज को दबाना अच्छी सरकार के लिए शोभाजनक नहीं है।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव (बुधनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त सिर्फ ग्राहता के ऊपर चर्चा हो सकती है, हालाँकि यह आपको विशेष अधिकार है कि आप किसी भी प्रस्ताव को नियम 132 के अन्तर्गत अगर वह शर्तों को पूरी नहीं करता, आप उसको कक्ष में ही रद्द कर सकते थे। आप बड़े उदार हैं, आपने चर्चा का अवसर दिया है और आपकी उदारता का नाजायज फायदा उठा करके हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी ने कीचड़ उछालने का प्रयत्न किया, मैं सिर्फ आपको नियम बताकर के अपने इस पाइन्ट को एक्सरसाइज करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री यज्ञदत्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर, यह आरोप लगाना कि हमने कीचड़ उछालने की कोशिश की है, अभी शुरूआत ही नहीं की, कीचड़ आई कहाँ से? यह आरोप असत्य है, इसको वह वापस लें।

(व्यवधान)

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : इस सदन के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठाई जा सकती जो कि नियम 251 से बाधित है। नियम 251 को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ।

अध्यक्ष : वह मेरा देखा हुआ है, आप न पढ़ें उसे, सब विधायक जानते होंगे उस नियम को।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : थोड़ा ही समय लूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय "बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव में सिर्फ एक ही विषय रखा गया है जो न्याय विषय और अदालत के सामने विनिश्चय के लिए लंबित है, इसका उद्देश्य मंत्रिमंडल में विश्वास या अविश्वास व्यक्त करना नहीं है क्योंकि इसके लिए तो अभी रिएप्रोप्रियेशन बिल आ रहा है, आप कट मोशन रख सकते हैं। उसके ऊपर वोट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य कीचड़ उछालना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि नियम 132 में जो आपको विशेषाधिकार दिया गया है जिसके तहत आप खुद बिना चर्चा सुने, प्राइमाफेसी इस प्रस्ताव का निरीक्षण करेंगे कि नियम 132 की जो 8 शर्तों को वह पूरा करता है कि नहीं करता इसके लिए किसी चर्चा की या वाद-विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी उदारता का फायदा उठाकर, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में वह चर्चा प्रारम्भ हो सकती है जो कि अविश्वास प्रस्ताव अग्राह्य करके उस चर्चा को रोक सकते हैं और वही चर्चा माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ होने जा रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप नियम 132 के अन्तर्गत यह देखें कि जो आठ शर्तें हैं उनमें यह 8 शर्तों को यह प्रस्ताव पूरा करता है या नहीं करता।

श्री श्रीनिवास तिवारी (त्योंथर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि नियमों का उद्धरण देकर हमारे लायक मित्र संभवतः यह बताना चाहते हैं कि माननीय कैलाशचन्द्र जोशी के विरुद्ध कोई मुकदमा न्यायालय में चल रहा है इसलिए इसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता है मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रश्न पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अध्यक्ष महोदय को केवल यह निर्णय देना पड़ता है या इतना संतुष्ट होना पड़ता है कि दरअसल वह आर्डर में है या नहीं। अगर वह आर्डर में है तो उसे विधानसभा में लाना ही पड़ता है उन्हें केवल प्रतिबन्ध इतना ही है कि आर्डर में है या नहीं। जो शर्तें हैं, नियमावली में लिखी हुई हैं। उनके अनुसार मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाये इसके कि यह प्रस्ताव मोशन में है। उनका कथन है कि यह आधा घण्टा पूर्व नहीं आया था। मेरा निवेदन है कि आधे घन्टे पूर्व नहीं आया था यह इमीजियेट बिफोर द बिजनेस बिगिंस् उसका प्रतिफल क्या है यह उसमें नहीं लिखा हुआ है उसका प्रतिफल यह होगा कि अगर उसके बाद यह लाया जाये तो वह अगली बैठक के लिए होगा। अगर, अध्यक्ष महोदय अच्छी तरह से समझते हैं.....

अध्यक्ष : यह कन्डीशन, आप अगर क्यों लगाते हैं, आप समझते हैं मैं नहीं समझता?

श्री श्रीनिवास तिवारी : अगर सन्तुष्ट हैं, अध्यक्ष महोदय, कि यह प्रस्ताव मोशन में है, तो अध्यक्ष महोदय के पास इसके सिवाये विकल्प नहीं रह जाता है कि उस प्रस्ताव को अनुमति दें कि वह प्रस्ताव सदन में लाया जाये। अगर आधा घन्टे की बंदिश लगाई जाती है तो उसका विकल्प यह होगा कि अगर आज नहीं लेते तो कल लें और कल लेने का मतलब यह नहीं होगा कि आज सदन की समाप्ति है कल तो बैठक ही नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय के लिए यह उपयुक्त होगा कि इस बड़े सवाल पर हमारे माननीय सदस्य जो विरोध भी करते हैं वे बार-बार कहते हैं कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है इसलिए इस पर बहस नहीं होनी चाहिये, मेरा निवेदन है कि कल की फिर बैठक बुलायें अगर नेक्स्ट सिटिंग की बात है तो कल सिटिंग बुलाइए। ऐसा कभी नहीं हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ हो और उसे अध्यक्ष महोदय ने एलाऊ न किया हो।

श्रीरामचन्द्र माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय तिवारी जी ने कहा यदि मोशन इन आर्डर है तो आपके पास सिवाये इसके कि आप उसे ग्राह्य करें, दूसरा विकल्प नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह जो मोशन आया है वह ग्राह्य नहीं है, आर्डर में नहीं है। उसके लिए मैं आपको नियम बताना चाहता हूँ। यह जो पूरी किताब नियमावली की है उसमें बजट को छोड़कर जहाँ-जहाँ मोशन शब्द आया है जैसे प्रिविलेज मोशन, एडजर्नमेंट मोशन,

उसमें हमेशा यह लिखा है... ... ... 'सब्जेक्ट टू दि प्राविजन्स ऑफ दीज रूल्स।' यानी जो प्रिविलेज मोशन, एडजर्नमेंट मोशन आयेंगे वह उन्हीं रूल्स के तहत आयेंगे। इसमें आगे लिखा है नेमली। नेमली का मतलब है जो रूल्स हैं वह एक्जास्टिव नहीं हैं उसके अतिरिक्त भी हैं। नियम 132 भी देखना पड़ेगा कि इसके तहत मोशन आर्डर में है या नहीं? आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में लिखा है कि यदि कोई मामला सबजुडिस है तो उसे ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए। पेज 396 पर लिखा है यदि कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तो न केवल मोशन द्वारा वर्जित है उसका डिस्कस किया जाना बल्कि दूसरे तरीके से भी उस पर बहस नहीं हो सकती। इसलिए यह मोशन इन ऑर्डर नहीं कहा जा सकता।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नियमानुसार प्रस्तुत हुआ है और इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अभी एप्रोप्रिएशन बिल पर मौका मिलेगा, कभी यह कहा जाता है कि समय पर नहीं दिया। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर है तो जनता पार्टी की सरकार इतना क्यों घबराती है? इस सदन की परम्परा रही है कि जब विरोधी पक्ष अविश्वास का प्रस्ताव नियमानुसार रखे तो उस प्रस्ताव पर खुले दिल से चर्चा होती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता पार्टी के नेता को अपने साथियों पर विश्वास नहीं रहा और अविश्वास प्रस्ताव पास होने का खतरा है। जो फौजदारी मुकदमा चल रहा है उसमें फरीकैन को तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है।... ...

श्री शीतला सहाय : मेरा निवेदन है वोरा जी ने जो मुकदमे के बारे में बात कही वह गलत है, उसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष : चर्चा इस बात पर हो रही थी कि मोशन ऑर्डर में है या नहीं? लेकिन उसके आगे आप बढ़ते जा रहे हैं, इससे मुझे बड़ा दुख होता है.....।

श्री अर्जुनसिंह : आपने प्रस्ताव को पूरा पढ़ दिया होता तो बात बन जाती।

अध्यक्ष : आप गाइड करने वाले नहीं हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे न्यायालय की अवमानना हो। मैंने तो केवल आपसे यही कहा है कि अविश्वास का प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है वह केवल यह कहकर न पुकारा जावे कि यह मामला या मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हैं इसलिये आपसे अनुरोध करूँगा कि जनता पार्टी की खुली सरकार उस पर आये अविश्वास प्रस्ताव का सामना करे।

अध्यक्ष : यह सूचना मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 143 के अन्तर्गत आती है। विधि मन्त्री ने एक लेख भी दिया है कि कथित प्रकरण विचार एवं निर्णय के लिए न्यायालय में निलम्बित है।

नियम 143 का उप नियम 1 (ख) में स्पष्ट अंकित है कि अनुमति माँगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने के पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं, लिखित सूचना देनी होगी। यही शब्द लोकसभा नियमों में भी आये हुए हैं और उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने के पहले का मतलब बैठक प्रारम्भ होने से समुचित समय के पूर्व सूचना देना चाहिये। इस समुचित समय को भी डाइरेक्शन 13 (बी) में लोकसभा में परिभाषित किया गया है कि ऐसी सूचना बैठक प्रारम्भ होने के कम से कम आधा घण्टे पहले दी जाना चाहिये और यदि वह सूचना आधे घन्टे पहले नहीं दी जाती है उस परिस्थिति में नोटिस अगली बैठक के लिए दी हुई समझी जायेगी। इसी सम्बन्ध में मध्यप्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय श्री काशीप्रसाद जी पांडे ने अविश्वास प्रस्तावों के संकलन में उत्तरप्रदेश लेजिस्लेटिव एसेम्बली प्रोसीडिंग्स दिनांक 30-4-65 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट अपना मत दिया और बताया है कि सत्र के अन्तिम दिन अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना नहीं दी जा सकती है क्योंकि उस पर चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं रहेगा। यहाँ यह भी बताना उपयुक्त होगा कि जहाँ तक उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पहले का प्रश्न है लोकसभा नियम 198 (1) (बी) और मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 143 (1) (बी) में कोई अन्तर नहीं है। अतः उन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह पाता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना जो 10 बजकर 15 मिनट पर दी गई

है समय के अन्दर नहीं है तथा आज सत्र का अन्तिम दिन होने से यह सूचना नहीं दी जा सकती है और इस आधार पर मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना को नियमानुकूल नहीं मानता।

(सत्तापक्ष द्वारा थपथपाहट तथा विरोधी दल की ओर से नारे "जनता पार्टी की खुली सरकार धोखा है, धोखा है।")

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 अगस्त 1977, पृष्ठ/1706-1714)

आलोट तहसील के ग्राम कनाड़िया में 4 अगस्त 1977 को 4 हरिजनों की हत्या हुई इस विषय पर चार स्थगन प्रस्तावों की सूचना अध्यक्ष महोदय को दी गयी। इनमें एक सूचना नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुनसिंह ने भी दी। सरकार का वक्तव्य सुनने के बाद विरोधी दल के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया है और वह पूरी सच्चाई प्रकट नहीं कर रही है। इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया गया किन्तु उन्होंने उन्हें फिलहाल ग्राह्य नहीं किया और अपना निर्णय कल तक के लिए स्थगित कर दिया। पूरी चर्चा इस प्रकार है—

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आलोट तहसील के ग्राम कनाड़िया ग्राम में 4 अगस्त 1977 को 4 हरिजनों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में 4 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :—

पहली सूचना : श्री अच्युतानन्द मिश्र, सदस्य की है। **दूसरी सूचना :** श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य की है। **तीसरी सूचना :** श्री सुरेश सेठ, सदस्य की है। **चौथी सूचना :** श्री अर्जुनसिंह, श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री मोतीलाल वोरा तथा श्री यज्ञदत्त शर्मा सदस्यों की हैं। चूँकि श्री अर्जुनसिंह, श्री श्रनिवास तिवारी, श्री मोतीलाल वोरा तथा श्री यज्ञदत्त शर्मा, सदस्य की सूचना विस्तृत है अतः मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ:—

"मध्यप्रदेश में अन्य हिस्सों की तरह आलोट तहसील में भी पिछली सरकार द्वारा हरिजनों को आवंटित भूखण्डों से बेदखल करने का अभियान पिछले 15 दिनों से चलाया जा रहा था। हरिजनों को बराबर यह धमकी दी जा रही थी कि उन्हें अब आवंटित भूमि छोड़नी होगी अन्यथा उनके साथ कड़ाई से निपटा जायेगा। इसी अभियान के परिणाम स्वरूप आलोट तहसील के कनाड़िया ग्राम में 4 अगस्त, 1977 को चार हरिजनों की हत्या कर दी गई जिनके नाम ओंकार, कान्हा, गुलाब तथा रतन हैं। हमलावर इसी सुनियोजित षड्यन्त्र के अन्तर्गत चार अगस्त 1977 को कनाड़िया ग्राम में पहुँचे और हरिजनों के खेतों में सैकड़ों की संख्या में साथ लाये मवेशियों को छोड़ दिया। हमलावरों की संख्या पचहत्तर तथा अस्सी के आसपास थी। हरिजनों ने मवेशियों को उनके खेत में छोड़े जाने पर जब एतराज किया तब हमलावर जो लाठी, वल्लम तथा तेज हथियारों से लेस थे, हरिजनों पर टूट पड़े। लगभग तीन घंटे तक हरिजनों को जिनमें महिलाएँ भी शामिल थीं, बुरी तरह से पीटा गया और महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार भी किया गया। कस्तूरी बाई नामक महिला के गुप्तांग में भी लाठी डाली गई। हमलावरों द्वारा की गई इस मारपीट में तीन हरिजन ओंकार, गुलाब, कान्हा तो घटना स्थल पर ही मार डाले गये और चौथा घायल रतन नामक 22 वर्षीय हरिजन युवक जिसे सांघातिक चोटें आई थीं, पचास गज की दूरी पर मृत पाया गया। चूँकि हमलावर पुलिस से मिले हुए थे उसी दिन चार अगस्त को आलोट थाने में असली घटना हत्या को छिपाते हुए हरिजनों एवं गायरी जाति के लोगों में बलवा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई जबकि असली घटना की जानकारी हमलावरों को थी। फिर भी पुलिस मौके पर नहीं गई। 5 अगस्त 1977 को जब गाँव के कोटवार ने पुलिस थाने पर चार हरिजनों की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई तब पुलिस डॉ. को लेकर कनाड़िया ग्राम गई। पुलिस द्वारा बलवे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर न जाना, डॉ. द्वारा गाँव में ही पोस्ट मार्टम परीक्षण का किया जाना तथा घायलों को अस्पताल न ले जाकर गाँव में ही छोड़ जाना इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि इस घटना के पीछे पुलिस, डॉ. एवं हमलावरों का सुनियोजित

षड्यन्त्र था। घायल ग्रामवासी जो अपनी ओर से अस्पताल में दाखिल हुए उनकी हालत चिन्ताजनक है। उनके शरीर पर लाठियों तथा बल्लम की चोटों के निशान हैं। गाँव के, हमलावरों के इस अमानुषिक कृत्य से तथा पुलिस की उदासीनता के कारण लोगों में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है। ग्राम कनाड़िया के अधिकांश हरिजन गाँव छोड़कर बाहर चले गये हैं। हमलावर आज भी यह धमकी दे रहे हैं कि हरिजनों को जमीन से बेदखल करा के ही दम लेंगे अतएव इस विषय पर चर्चा हेतु आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है?

श्री मनहरणलाल पाण्डेय (गृह राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार आपातकाल में जन-समितियों ने ग्राम कनाड़िया तहसील, आलोट में 5 व्यक्तियों को पट्टे बाँटे थे, जिनमें से 2 व्यक्ति जिनको पट्टे मिले हैं, वे गाँव के बाहर के हैं। इस समिति के एक सदस्य श्री रामलाल मोतीलाल चमार निवासी आलोट हैं। कनाड़िया के ग्रामवासियों की यह आपत्ति है कि श्री रामलाल ने जमीन गैर कानूनी रूप से अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि को गोचर भूमि बाँटी। रामलाल द्वारा गाँव के बाहर के लोगों को आवंटित जमीन पर खेती में गाँव का कोई भी आदमी सहायता न करे, इस निर्णय के सम्बन्ध में ओंकार हरिजन निवासी ग्राम कनाड़िया ने असहमति व्यक्त की। दिनांक 1-8-77 को ओंकार ने उपरोक्त आवंटित जमीन में बोनी की। उसके साथ रामलाल और उसके रिश्तेदार रूपा भी मौजूद थे। इस कारण गाँव वालों को काफी वेदना हुई। दिनांक 3-8-77 की रात्रि लगभग 10 बजे उन्होंने ग्राम कनाड़िया में एक सभा का आयोजन किया और गाँव वालों ने निर्णय लिया कि दूसरे दिन सुबह उपरोक्त भूमि पर मवेशियों को चरने हेतु छोड़ा जावे। दिनांक 4-8-1977 को ओंकार अपने 7 साथियों सहित खेत पर पहले से ही हथियार व लाठी आदि लेकर पहुँच गया। रूपा के खेत में 3 औरतें निंदाई का काम कर रही थीं। दिनांक 4-8-77 को प्रातः लगभग 10 बजे कनाड़िया के लगभग 36 ग्रामवासी मवेशी, लाठियाँ आदि लेकर खेत पर गये। ओंकार ने इन ग्रामवासियों के मवेशियों को खेत से भगाना शुरू किया। गाँव वाले अधिक संख्या में थे, जिन्होंने हरिजनों के हथियार छीन लिये व मारपीट की। जिसके फलस्वरूप 4 हरिजनों की दिनांक 4-8-77 को मृत्यु हो गई। मृत हरिजन (1) ओंकार (2) कान्हा (3) गुलाब और (4) रतन हैं। 11 हरिजन इस घटना के फलस्वरूप घायल हुए जिनमें 4 महिलाएँ और 7 पुरुष हैं। घायल व्यक्ति खतरे से बाहर हैं।

उपरोक्त घटना की प्रथम रिपोर्ट दिनांक 4-8-77 को अपरान्ह लगभग 4.30 बजे थाना आलोट पर की गई। अपराध क्रमांक 127/77, धारा 147/148/324, भारतीय दण्ड विधान रायसिंह गायरी और पाँच लड़कियों की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध किया गया। हरिजनों के अपनी लाशों को इकट्ठा करने व अपने वर्ग के घायल व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार में व्यस्त रहने के कारण चौकीदार द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना आलोट पर दिनांक 4-8-77 की रात्रि लगभग 10 बजे की गई, जिस पर एक अन्य अपराध क्रमांक 129/77, धारा 302 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध किया गया। फिर थानेदार मौके पर गये। दिनांक 5-8-1977 को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) और दिनांक 6-8-77 को उप पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन क्षेत्र, पुलिस अधीक्षक, रतलाम, एस.डी.एम. जावरा आदि अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उपरोक्त घटना से संबंधित 36 अपराधियों में से 33 अपराधी दिनांक 7-8-1977 तक गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इन गिरफ्तार व्यक्तियों में सभी वर्गों के लोग हैं। 3 अपराधी फरार हैं, जिनके शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

पुलिस द्वारा हरिजनों की हरसंभव सहायता की गई है। घटनास्थल व समीपवर्ती क्षेत्र में मंडल निरीक्षक, जावरा व विशेष सशस्त्र बल के अतिरिक्त बल द्वारा पेट्रोलिंग कराई जा रही है। यह असत्य है कि लगातार दो माह से सवर्णों द्वारा हरिजनों की भूमि हड़पने का झगड़ा चल रहा था। जन समिति द्वारा की गई अनियमितताओं के फलस्वरूप वर्षों से शांतिप्रिय इस कनाड़िया ग्राम में यह झगड़ा हुआ है। यह असत्य है कि हरिजन गाँव छोड़कर भाग रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। घटना के कारणों की जाँच आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा कराई जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस पर अनुमति देने के पूर्व निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय राज्य मंत्री गृह, के वक्तव्य के

सुनने के बाद 3 बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि यह बात नहीं मानी गई कि 1 अगस्त से यह घटनाक्रम चला हुआ था, माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हुई कि हरिजनों को जो भूमि बाँटी गई थी और उस भूमि पर बोनी चल रही थी। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री के वक्तव्य के अनुसार 3 तारीख की रात को गाँव में सामूहिक रूप से बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया कि हमें हरिजनों के पास जमीन नहीं रहने देना है। तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह भी स्पष्ट है कि घटना की रिपोर्ट करने पहले वे लोग पहुँचे जिन लोगों द्वारा हमला किया गया, यह बात मंत्री जी के वक्तव्य में कही गई है। इसके साथ ही साथ वक्तव्य में यह भी स्पष्ट किया गया है डॉक्टर और पुलिस वहाँ गई, जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, वे अपने साथ लेकर नहीं आये। यह अध्यक्ष महोदय, जो राज्य मंत्री गृह ने वक्तव्य दिया उससे उद्धृत किये हैं और अब अध्यक्ष महोदय मैं उन बातों को सामने रखना चाहूँगा, जिसको बहुत ही सफाई के साथ राज्य मंत्री, गृह ने छुपाने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, स्मरण दिलाना चाहता हूँ, पिछले शुक्रवार को जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विचार हो रहा था तब माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि पहले जानकारी ले लिया करें। हम अध्यक्ष महोदय उनके कहने के मुताबिक तो नहीं अपने कर्त्तव्य को समझते हुए, हम व हमारे दो साथी वहाँ पहुँचे, वहाँ जो शासन के कार्य करने वाले लोगों से, व अन्य कार्यकर्ताओं से जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पर ही हमने यह काम रोको प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, उस आधार पर हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, वह आधी सत्य और आधी असत्य है। अध्यक्ष महोदय जिस सत्य को वे छुपा नहीं सके उसे घुमा फिराकर मन्जूर किया है और बाकी पर पर्दा डाला गया है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वे पर्दा डालने में भी सफल नहीं हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और मेरे पास प्रमाण हैं कि पहले से अधिकारियों को यह जानकारी प्राप्त थी कि यह घटना होने वाली है, ...।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि अधिकारियों को इस बात की सूचना घटना के कम से कम चार दिन पहले से हुई है और उसके बावजूद आलोट के अधिकारियों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि जो आप बात यहाँ कह रहे हैं मरीजों के इन्तजाम करने के लिये वह सर्वथा गलत है। अध्यक्ष महोदय, जिनके बारे में आप यह कह रहे हैं कि रतलाम से आपने मोटर भेजकर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बुलवाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह इन्तजाम उनके अधिकारियों के द्वारा नहीं हुआ। वहाँ से लौटने के बाद हम लोगों ने सिविल सर्जन से कहा, कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा घायल है, हमारे साथ डॉक्टर पोर्ते गये थे उन्होंने स्वयं उसको एग्जामिन किया और तब उसको कहा गया कि आप एम्बुलेन्स भेजकर उनको यहाँ बुलवाइये नहीं तो उसकी मृत्यु हो सकती है और आप कह रहे हैं जैसे आपने सब इन्तजाम किया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इससे अधिक बात जो है वह दूसरी है जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित इसलिये करना चाहता हूँ कि यह घटना न आकस्मिक है न अपने आप में एक स्थान पर घटित होने वाली घटना है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे मत में और हमारे साथियों के मत में और इस प्रदेश की जनता के मत में भी, इस प्रकार की घटनाएँ एक सुनियोजित षड्यन्त्र की श्रृंखला है और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कहता हूँ तो मैं किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं इस बात को सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है वह दूसरी है और वह पृष्ठभूमि का उल्लेख तोड़-मरोड़ कर राज्य गृह मन्त्री ने यहाँ पर करने की कोशिश की। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जिस हरिजन का नाम उन्होंने लिया वह गाँव का रहने वाला नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि शायद नियमों के अन्तर्गत उसको पात्रता नहीं थी कि उसको भूमि मिलना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्या आज मुख्यमन्त्री इस बात को उचित समझते हैं कि जो अनियमितताएँ हुई हैं उनका निराकरण हत्या के द्वारा हो। यदि यह आपकी मान्यता है तब तो हमें कुछ कहना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम समझते हैं कि शायद इस प्रदेश के निरीह, बिल्कुल पिछड़े हुए और उन गरीब नागरिकों के

सहज मानवीय अधिकार और मान्यताएँ हैं उनको यह शासन इस तरह से नष्ट करेगा तो उसकी प्रतिक्रियाएँ होंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये इसलिए हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सदन में राज्यपाल महोदय के माध्यम से उनके भाषण में इस बात का उल्लेख करवाया कि जो समितियाँ बनीं थीं उनके माध्यम से जो भूमि का आवंटन हुआ उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसकी देखभाल पुनः करवायेंगे। इसमें कोई एतराज नहीं आप देखभाल करवाएँ। सदन में अभिभाषण की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब हम लोगों की ओर से राज्यपाल महोदय के उस अभिभाषण के अंग पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया और मैंने जब स्वयं यहाँ पर खड़े होकर बार-बार माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से यह पूछा कि ये जो कार्यक्रम थे जिन कार्यक्रमों का सीधा सम्बन्ध माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल हरिजन-आदिवासी या किसी एक वर्ग से सम्बन्धित नहीं थे वे कार्यक्रम आर्थिक कार्यक्रम थे। जिनका एक मात्र उद्देश्य था कि इस देश के और प्रदेश के अन्दर जो शोषकों का शोषण चल रहा है उससे शोषितों को मुक्ति दिलाई जाये, जो उसमें गड़बड़ हो सकती है, गलती हो सकती है लेकिन कार्यक्रमों का उद्देश्य, कार्यक्रम की दिशा स्पष्ट और सही थी। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री ने केवल हमारे बार-बार पूछने पर उन विषयों पर मौन रखा बल्कि केवल आप यह कहते रहे कि अनियमितताएँ हुई हैं हम उनको ठीक करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे इस प्रदेश के मुख्यमन्त्री हैं, उनका भाषण और उनका मौन दोनों मतलब रखता है। हम लोग एक दफा कुछ कहें उसके बारे में लोग सोच सकते हैं कि किसी और भावना से भी कह सकते हैं। हम लोग किसी प्रश्न पर मौन रहें तो कोई सोच सकता है कि उनके पास कुछ कहने को नहीं है इसलिये मौन हैं लेकिन माननीय मुख्यमन्त्री महोदय जब आप उन आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में जिनके माध्यम से शोषण का अन्त करने की प्रक्रिया चालू की गई, उन पर मौन रहेंगे इसका अर्थ प्रदेश की जनता केवल यह लगायेगी कि आप ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं जिसमें इस प्रदेश के अन्दर वह तत्व जिनके निहित स्वार्थों पर उस आर्थिक कार्यक्रम की वजह से आघात पहुँचा है, उनको प्रोत्साहन व शक्ति मिले। आपके इस मौन का मतलब इस प्रदेश की जनता यह भी लगायेगी कि उन शोषकों को पुनः छूट मिल गई है शासन उनके पक्ष में है, इसलिये वह जो चाहें तो वह कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसी बात कहकर सदन में उत्तेजना पैदा नहीं करना चाहता और न किसी बात को अतिरंजित करके कहना चाहता हूँ किन्तु सदन में रहते हुए जो हमारी जिम्मेदारी है उसे केवल चर्चा तक सीमित नहीं रखना है। हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के करोड़ों और लाखों नागरिकों में यह भावना पैदा करें जिससे वह अपने को सुरक्षित महसूस करें और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और साधारण नागरिक की हैसियत से शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जिनके अधिकार कुचले जा रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है उसके लिये मेरी यह अपेक्षा है कि इस विधानसभा के सभी माननीय सदस्य और मध्यप्रदेश का वर्तमान शासन उनके पक्ष में खड़ा हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से पिछले 15 वर्षों से जानता हूँ और उनके प्रति मेरे दिल में बड़ा सम्मान है, आज वह जिस पद पर बैठे हैं, उस पद की महिमा और उस पद की गरिमा की ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि इस रूप में वे अपने कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाने में पूर्णतः असफल रहे हैं। इसके साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस सदन के भीतर और सदन के बाहर जनता सरकार के प्रति यह भावना पैदा हो गई है कि इस प्रदेश में जनसंघ और आर.एस.एस. की तरफ़ से यह अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए यह शासन मौन है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हँसी और मज़ाक की बात नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के द्वारा अपने विचार प्रकट करें और उनके विचार प्रभावी हों इसलिये जो मेरे पास बहुत से तथ्य हैं उन्हें मैं सदन के समक्ष चर्चा के दौरान रखना चाहता हूँ। इसलिये माननीय अध्यक्ष मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस प्रस्ताव को ग्राह्य करके आप इस सदन के माननीय सदस्यों को अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाने का अवसर प्रदान करें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर-2) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी इस सदन में हरिजनों और आदिवासियों पर हुए अत्याचारों पर चर्चा हुई है और जनहित के मामलों को लेकर.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या स्थगन प्रस्ताव की ग्राहता के बारे में चर्चा हो रही है?

श्री यज्ञदत्त शर्मा : जी हाँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, क्या प्रस्ताव की ग्राहता के बारे में चर्चा की अनुमति दी जा रही है।

अध्यक्ष : वह ग्राहता के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सदन में जब भी हरिजनों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने की बात उठी है, मैं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उन्हीं के शब्दों को दुहराता हूँ कि जन समितियों ने गलत तरीके से जमीनें बाँटी हैं इसलिए झगड़े हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए गलत तरीके से जमीनें बाँटी गईं लेकिन जब उनका जमीन पर कब्जा हो गया फिर क्या कोई ऐसे गाँव के अन्य लोगों को अधिकार है जिसके तहत जिनको जमीने मिल गई हैं, उनसें बाई फोर्स जमीनें छीनी जा सकें। क्या कानून यह कहता है कि वे ताकत से जमीनें छीन सकेंगे? मुख्यमंत्री जी का बयान जब सारे अख़बारों में आया तो अन्य ग्रामीणों में यह भावना पैदा हुई कि हरिजनों को जितनी जमीनें पट्टे पर मिली हैं उसे ताकत के साथ छीन लिया जाये और यह घटना इसी का परिणाम है, अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाये कि हर जगह गलत जमीनें बाँटी गई हैं यह भी उचित नहीं है और अगर गलत जमीनें इन हरिजनों को बाँटी गई हैं तो कौन-सा कानून था कि जिनमें हरिजनों को जमीन मिली हैं, उनके ऊपर सारे गाँव के लोग टूट पड़ें और उनकी खड़ी फसल पर ढोर चरा देवें तथा प्रतिरोध करने पर लाठी, बल्लम से हत्या करके उनकी जान ले लेवें।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी कहा गया कि यहाँ नहीं बाहर भी निपटा जायेगा। पुलिस बल आपके पास है इसलिये बाहर निपटने की बात की जाती है। इस मामले में नई परिपाटी अपनाई जा रही है कि मुख्यमंत्री जी बाहर निपटेंगे, खैर इस मामले में डॉक्टर ने खाट पर लिटाकर खाना खाने में काम आने वाले चाकू छुरी से पोस्टमार्टम परीक्षण किया है। रिपोर्ट होने के बाद सिर्फ धारा 302 लगाई? क्या धारा 147, 149 या 34 नहीं लगाई जा सकती थी? आपने 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया पर आपने आवश्यक धाराएँ नहीं लगाईं। अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा होना जरूरी है। निर्दोषों पर अत्याचार हो रहे हैं। आप सदन को गुमराह नहीं होने देवें आपको इस पर विचार करना है। मुख्यमंत्री के भाषण का जो असर हुआ है इससे और भी ज्यादा असर होगा, आतंक छा गया है भविष्य में भी हंगामा हो सकता है, गुण्डागर्दी बढ़ सकती है अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह जो हरिजन और सवर्ण लोगों का झगड़ा हो रहा है उसमें जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ है यह कहा गया, मैं उसका पूर्णतः विरोध करता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : (बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) जब कोई आरोप लगाया जाता है तो सुनने की पूरी तैयारी रखना चाहिए। इतने उतावलेपन से काम नहीं चलता है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र धारकर : अध्यक्ष महोदय, जब विरोधी दल के नेता बोल रहे थे तब हम शांति से सुन रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ पर आरोप लगाया तब भी हम शांति से सुन रहे थे।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है.....(बहुत से माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे थे)

अध्यक्ष : आप पहले बैठिए। (व्यवधान) मिस्टर टण्डन आई हैव नेम्ड यू। (व्यवधान) (श्री टण्डन से) आप अपने लीडर की बात तो सुनिए पहले (व्यवधान)

(दोनों पक्षों की तरफ से एक साथ कई माननीय सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने के लिए खड़े होने के लिये हल्ला)

अध्यक्ष : देखिए? मिस्टर टण्डन, यह कोई तरीका नहीं है सदन में व्यवहार करने का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस प्रकार से चिल्लायेंगे तो अच्छी बात नहीं है। एक साथ 10-10 और 15-15 आदमी खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। मैं इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। आप जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं वह कोई पार्लियामेंटरी तरीका नहीं है। अब मिस्टर अर्जुनसिंह? (शेम, शेम)

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय.....

श्री सूरजमल जैन : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल द्वारा सदन को गुमराह किया जा रहा है। हम स्पाट पर जाकर देख आये हैं और उस सम्बन्ध में हम प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : टण्डन जी ने प्वाइन्ट ऑफ आर्डर पहले उठाया था लेकिन आपने उन्हें बैठ जाने के लिये कहा।

अध्यक्ष : देखिए प्वाइन्ट ऑफ आर्डर किसने पहले उठाया या किसने देर से उठाया यह बात छोड़िए लेकिन आपकी तरफ से कोई प्वाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठाया गया था। 11-12 आदमी एक साथ खड़े होकर चिल्लायें तो कोई बात समझ में नहीं आती कि कौन प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है, इसका पता भी नहीं लग पाता। लेकिन जब पहली बार मेरा ध्यान गया तो मैंने सुना कि श्री सहाय ने प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि मिस्टर टण्डन ने प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया। जिस तरह से मि. टण्डन विहेव कर रहे हैं यह कोई तरीका नहीं है।

श्री प्रभुनारायण टण्डन : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि आपको गलतफहमी हो गई है।

अध्यक्ष : आपने प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है तो आपको मैं एक्सप्लेन करने का मौका दे रहा हूँ, आप एक्सप्लेन कीजिए अपने प्वाइन्ट आफ आर्डर को?

श्री प्रभुनारायण टण्डन : मुझे प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाने का अधिकार है और उसे आपको सुनने का अधिकार है। जिन शब्दों के साथ बात कही गई है उससे मुझे दुःख होता है क्योंकि वे शब्द उचित नहीं हैं।

अध्यक्ष : आपको प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाने का समय दिया है आप उसे कहें।

श्री प्रभुनारायण टण्डन : मैंने जो प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया था उसका हवाला प्रोसीडिंग में होगा। आपने मुझे प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाने पर कहा कि आप बैठ जायें।

अध्यक्ष : बस आप जो कहना चाहते हैं प्वाइन्ट ऑफ आर्डर पर वह कहें? यदि नहीं कहना चाहते तो मत कहिए। (व्यवधान)

मिस्टर टण्डन आप पहले बैठ जायें जब मैंने आपको अपने प्वाइन्ट ऑफ आर्डर को उठाने की अनुमति दे दी है तो उस पर आपको भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या ग्रिवियेन्स हैं, कोई तकलीफ है तो आप मुझसे मिल लीजिए आप अपने प्वाइन्ट ऑफ आर्डर को कहें?

श्री प्रभुनारायण टण्डन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब तक जिन लोगों ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया उनको सुन नहीं लेते.....

अध्यक्ष : यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं है, यह स्थगन प्रस्ताव है :

श्री प्रभुनारायण टण्डन : मैं स्थगन प्रस्ताव की ही बात कह रहा हूँ कि जब तक उनकी बात नहीं सुन ली जाती तब तक दूसरों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए यही मेरा कहना है।

अध्यक्ष : इसलिये मैं कह रहा हूँ कि जब एक साथ अनेक लोग खड़े हो जाते हैं तो कोई बात सुनाई नहीं पड़ती। मैंने श्री श्रीनिवास तिवारी को पुकार लिया लेकिन इसके पहले बहुत शोर हो रहा था और हर प्रकार से डिस्टर्बेन्स किया जा रहा था जिससे किसी की भी बात सुनाई नहीं पड़ रही थी। अब मैं श्री शीतला सहाय जी का प्वाइन्ट ऑफ आर्डर सुन लूँ।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। यह एक

गम्भीर विषय है। श्रीमान् आपने स्थगन प्रस्ताव पढ़कर सदन में सुनाया है और उस पर शासन के स्पष्टीकरण की माँग की। शासन ने स्पष्टीकरण दिया इसके पश्चात् केवल प्रश्न स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के अतिरिक्त और कोई चर्चा कर सकते हैं? क्या यहाँ पर ग्राह्यता के अतिरिक्त और कुछ भी चर्चा की जा सकती है?

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी सम्बन्ध में कहने जा रहा था कि हर ओर से शोर होने लगा और कोई सुनने को तैयार नहीं था। जहाँ तक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में नियम हैं, उसके सम्बन्ध में शासन का वक्तव्य सुना जाता है। इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ और तथ्य और जानकारी प्राप्त करने के लिये जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है उनके भी वक्तव्य सुने जाते हैं ताकि सही जानकारी और तथ्य प्राप्त किये जा सकें लेकिन जैसा कि यह स्थगन प्रस्ताव है इसके आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी दल पर किसी प्रकार के लांछन लगाने की आवश्यकता नहीं है और न इस प्रकार कोई प्रश्न ही यहाँ उपस्थित हुआ है। विरोधी दल के नेता श्री अर्जुनसिंह जी ने इस प्रकार की बात कही है। उन्होंने अपने वक्तव्य में जो लांछन लगाया है वह स्थगन प्रस्ताव में नहीं आता।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात है।

अध्यक्ष : ऐसा मालूम पड़ता है कि यह जो विचार आपने रखा है यह वाद का विचार है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव में नहीं है यह वाद का विचार हो सकता है।

श्री सूरजमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्थल पर गया था.....

अध्यक्ष महोदय : श्री सूरजमल जैन, मैं आपको कोई समय नहीं दूँगा क्योंकि इसका आपसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रीनिवास तिवारी (त्योंथर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता और गम्भीरता के सम्बन्ध में हमारे नेता ने अपनी बात काफी विस्तार से कह दी है। मैं संक्षेप में कुछ मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ ताकि आपको निर्णय लेने में सुविधा हो सके और स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि हरिजनों की जमीनों को बेदखल करने के लिये 6 महीने पहले से झगड़े चल रहे हैं और जब यह झगड़े चल रहे हैं जैसा कि उन्होंने कहा तो फिर निश्चित रूप से शासन को आवश्यक हो जाता है कि इस बात का उपाय किया जावे और इस प्रकार की कार्यवाही की जावे ताकि ये झगड़े रोके जा सकें। अब श्रीमान् यह देखें कि शासन को यह जानकारी थी और जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि झगड़े होने वाले हैं और हरिजनों की जमीन बेदखल की जाने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि राज्य मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि एक दिन पहले 10 बजे रात को लोगों की आपस में बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय किया गया कि कल पशुओं को छोड़कर उनके खेत में भेजकर फसल को चराया जावे और उनको बेदखल कराया जावे। राज्य मन्त्री जी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि यह झगड़ा पूर्व नियोजित था। शासन और पुलिस को इस बात की जानकारी थी। तब यह आवश्यक था कि इस झगड़े को बचाने के उपाय किये जाते। अध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा मुद्दा यह है कि राज्य मन्त्री महोदय .....

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मन्त्री, गृह यह कहना चाहते थे कि उनका जो वक्तव्य है वह तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। जो बात उन्होंने नहीं कही उसको हमारे विरोधी दल के सदस्यगण कह रहे हैं यह अनुपयुक्त है जो कुछ राज्य मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है उसका ही सहारा लेकर बात कही जानी चाहिए यही मेरा निवेदन है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पुलिस को इस बात की जानकारी थी, प्रशासन को इस बात की जानकारी थी लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली कि वहाँ पर मर्डर हो गया है तो पुलिस वालों ने साथ में डॉक्टर को लिया और मौके पर पहुँचकर पोस्टमार्टम कराया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्या कभी हुआ है। क्या यह नियमों के अनुकूल है। अध्यक्ष महोदय, यह सुनियोजित षड्यन्त्र था हरिजनों को उनकी भूमि से बेदखल करने का यह बात है।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मेरा औचित्य का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, जब तक आप इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं करते हैं तब तक माननीय सदस्य विस्तार से कारणों पर नहीं कह सकते हैं केवल फैक्ट्स पर बोल सकते हैं?

अध्यक्ष : जब तक यह प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हो जाता तब तक आप जो बात कर रहे हैं वह नहीं कह सकते हैं केवल आपको जो फैक्ट्स मालूम हों वे ही आप कह सकते हैं।

श्री श्रीनिवास तिवारी : मैं वही कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व नियोजित षड्यन्त्र है और इस कारण से उस क्षेत्र में तीव्र रोष है इसलिये इस पर विचार करने की अनुमति दी जाये।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, अभी भाई अर्जुनसिंह जी ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और वह इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि बिना उसकी वास्तविकता को पहचाने हुए उन्होंने एक बात बड़ी सरलता से कह दी है। उन्होंने यह कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि जनसमितियों के भूमि वितरण को ठीक ढंग से करवाने के लिये कार्यवाही चली है इसलिये यह घटनाएँ हो रही हैं। तो जो कारण माननीय सदस्य ने बताया है वह कारण नहीं है। इसको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में क्यों लिखवाया गया है उसका कारण यह है कि भूमि वितरण का आखिर आधार क्या था उसको तो उन्होंने जो राजस्व पुस्तिका है उसमें निर्धारित करके लिखा है कि सबसे पहले हरिजनों को, आदिवासियों को तथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों को भूमि दी जायेगी और फिर भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दी जायेगी और उसके बाद अन्य को दी जायेगी तो उसकी श्रेणी बनी है। यदि उसको इस शासन ने बदल दिया होता तब तो श्री अर्जुनसिंह जी ने जो आरोप लगाया है उसको भुगतने के लिये हम तैयार थे। अब आप यह कह सकते हैं कि इसको फिर से करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो आवश्यकता इसलिये हुई कि जनसमितियों ने कई जगह निर्धारित मापदण्ड के बाहर जाकर भूमि का वितरण किया है। मेरे जिले में अध्यक्ष महोदय, 3 1/2 सौ भूमि के पट्टे वहाँ पर हरिजन आदिवासियों के होते हुए भी सवर्णों को दे दिये गये हैं। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य अर्जुनसिंह जी ने कहा कि वे 15 सालों से सदन के नेता का सम्मान करते हैं तो मैं भी श्री अर्जुनसिंह जी का इस सदन में सम्मान करता हूँ, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि वे इस मामले में बिना कोई निष्कर्ष निकाले हुए, बिना किसी परिणाम पर पहुँचे हुए उन्होंने इसको यहाँ पर लाकर रख दिया है। तो जनसमितियों द्वारा जो जल्दबाजी में भूमि वितरण किया गया है उसको व्यवस्थित करने के लिये ही इस सरकार के निर्देश दिये हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हरिजन आदिवासियों की भूमि छीनी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यदि उस निर्देश को माननीय अर्जुनसिंह जी पढ़ने का कष्ट करते, या अभी भी करें, अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूँ कि उनके मन पर जो थोड़ी-सी राजनैतिक छाया आ रही है वह भी बिल्कुल उनकी आँखों के सामने से हट जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले में कोई भी राजनीति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय यज्ञदत्त शर्मा जैसे योग्य वकील, जितनी मैंने बड़ी भावुकता में आकर यह बात कही थी कि अध्यक्ष महोदय, कृपा करके इस मामले को राजनैतिक रंग न दें और अध्यक्ष महोदय, यह कहकर मैंने कहा था कि सदन के नेता के नाते तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यहाँ पर हम इसको राजनैतिक रंग न दें और पार्टी के नेता के नाते आपसे मेरा यह यह कहना है कि हम इसको बाहर निपट लेंगे अर्थात् अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय यह था कि हम बाहर बैठकर इसको निपट लें। अब इसका अर्थ यह लगा रहे हैं कि हम इसको बाहर निपट लेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह निपटना शब्द, शब्दकोष बुलाकर देख लिया जाये कि निपट लेने का अर्थ क्या होता है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, चूँकि इस बात का इन्होंने संकेत किया है, माननीय यज्ञदत्त शर्मा ने इसलिये मुझे बोलना पड़ा अन्यथा मैं नहीं बोलता और अध्यक्ष महोदय, आज भी यह बात रिकार्ड पर है कि मैंने उस दिन यह बात बिल्कुल नहीं कही थी। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि एक और बात माननीय अर्जुनसिंह जी ने कही है और मैं समझता हूँ कि वह उनको कदापि नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इसमें जनसंघ और आर.एस.एस. के लोग हैं इसलिये नेता अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी असमर्थता नहीं है। इस मामले में भी वहाँ पर कोई भी दल हो, हमने किसी के बारे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया और न ही आज तक जबसे मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रदेश में घटने वाले किसी भी मामले में मैंने इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है कि कौन किस पार्टी का व्यक्ति है। मैरिट के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर निर्णय हों, इस बात का मैं हमेशा हामी रहा हूँ और इसलिए जब कुछ मैंने ऐसा किया नहीं तो आप यहाँ पर जनसंघ और आर.एस.एस. की बात को बीच में लावें जिसका कोई वास्ता नहीं। इस सारी घटना से अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता यह उपयुक्त है।

अध्यक्ष महोदय, इतना स्पष्टीकरण देते हुए मैं माननीय सदन के सदस्यों से यह अनुरोध करूँगा कि अभी जैसे ही आप यहाँ से उठेंगे और बाद में उन्हीं विभागों पर चर्चा होने वाली है और इसलिये इस सम्बन्ध में आपको जो कुछ कहना हो, कहने के लिए आपको पूरे तीन घण्टे का अवसर मिलने वाला है और इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस स्थगन प्रस्ताव को शासन का उत्तर सुनने के बाद आप इसे निरस्त कर दें और अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राज्य मन्त्रीजी ने कहा है कि सारी घटना की जाँच का काम उसके पीछे कारण क्या थे, इसकी जाँच का काम आयुक्त उज्जैन को सौंप दिया गया है और अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यह जो इन्वेस्टीगेशन ऑफ क्राईम है.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो सदस्य बोल नहीं पाये, 10 मिनिट का समय बढ़ाया जाये हमें कहने का मौका दिया जाये।

श्री सूरजमल जैन : इस घटना में काँग्रेस के लोगों का हाथ है। यदि आप मुझे बोलने का मौका दें तो मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले से आया हूँ जहाँ घटना घटी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है।

अध्यक्ष : अगर यह प्रश्न था कि उसी बात को और भी लोग कहना चाहते थे तो जिन्होंने प्रस्ताव दिया.....

श्री कृष्णपाल सिंह : उनका एक अधिकार है।

अध्यक्ष : उनके अधिकार को भी जानता हूँ। इसमें प्रोवीजन है जब यह प्रश्न था और श्री श्रीनिवास तिवारी ने भी और श्री यज्ञदत्त शर्मा भी चर्चा की। उसके बाद आपकी तरफ से कोई चर्चा आई नहीं, और जो सदन के नेता हैं उन्होंने बोलना प्रारम्भ किया।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ गलती है, आप जब सदन के नेता को बुलायेंगे, हम बोलते भी रहेंगे तो भी बैठेंगे, इसका क्या मतलब है। अध्यक्ष महोदय, आपने सदन के नेता को बोलने के लिये कहा। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा अधिकार खत्म हो गया। अध्यक्ष महोदय, पहले समय बढ़ाइए, अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री शीतला सहाय : आपकी आदेश देने की बात है कि समय बढ़ाना पड़ेगा, यह कोई बात हुई, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं सदन से अनुमति चाहूँगा कि इस विषय के सम्बन्ध में 5 मिनिट का समय बढ़ाने की सदन अनुमति देगा?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कम से कम 10 मिनिट बढ़ाये जायें।

अध्यक्ष : सदन का कहना यह है कि 10 मिनिट का समय बढ़ा दिया जाये और कोई नहीं बोलेगा इस संबंध में। क्या सदन बैठक का समय 10 मिनट और बढ़ाने की अनुमति देता है।

(सदन की बैठक का समय 10 मिनिट और बढ़ाया गया)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि जिन-जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाये। क्या यह उचित है कि अगर 50-75 या 80 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दें तो क्या यह अध्यक्ष महोदय के लिये अनिवार्य है कि वे उन सभी सदस्यों को ग्राह्यता पर बोलने के लिये अवसर दें?

अध्यक्ष : यह अनुमति देने का अधिकार मेरा है। यह कहना कि बोलने का अधिकार हमारा है, ऐसा नहीं है। नियम 'मे' शब्द है। मैं चाहूँ तो बोलने के लिये एलाऊ करूँ या न करूँ। 'मे' शब्द को 'शेल' में परिवर्तित

नहीं कर सकते। वैसे आपने कहा कि हमारी कुछ बातें कहने को रह गई हैं तो मे कहने के लिये एलाऊ कर सकता हूँ किन्तु वह अधिकार नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अगर रिपीटीशन होता है.....

अध्यक्ष : अगर रिपीटीशन होता है तो मैं उसे रोकूँगा।

श्री सूरजमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन को कोई गलत जानकारी दी जाये।.... (व्यवधान) ..... सदन को गुमराह किया जाता है।

अध्यक्ष : यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्रीजी ने जो अपनी प्राप्त जानकारी के अनुसार अपना भाषण दिया उसमें महिलाओं के साथ में जो अमानुषिक व्यवहार किया गया उसका उल्लेख नहीं है, महिलाओं के बारे में जो मैंने प्रस्ताव में रखा है उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, वह एक नारी जाति के अपमान की बहुत बड़ी घटना है। माननीय राज्य मन्त्रीजी ने वक्तव्य दिया है उससे सारी घटनाएँ स्पष्ट नहीं हैं। महिलाओं के साथ में घटना हुई है। उनकी जमीन छीनी गई है। यह दो-तीन महीने की घटनाएँ हैं जो माननीय राज्य मन्त्री जी ने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष : श्री सुरेश सेठ इसके अतिरिक्त आपको क्या कहना है?

श्री सुरेश सेठ : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, मुख्यमन्त्री जी ने उस प्रकरण को बहुत ही सरल स्वभाव से लिया है। इतनी बड़ी घटना पर शासन इस तरह से मौन है। आज 4 रोज हो गये, शासन कोई अपना स्टेटमेंट न दे, कोई घटना से अवगत न कराये तो उसे क्या कहेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में चर्चा की जाये।

(व्यवधान)

श्री सूरजमल जैन : हत्या करने वाले काँग्रेसी नेता हैं।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें शासन ने किसी प्रकार की उपेक्षा की हो। घटना जिस प्रकार की हुई है उसकी जाँच हो रही है, अधिकांश अपराधी लोग पकड़ लिये गये हैं और शासन ने निर्देश दिये हैं कि घटना किस कारण से घटी उसकी जाँच आयुक्त उज्जैन करें।.....

श्री सूरजभाई जैन : घटना मेरे जिले की है, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये।

अध्यक्ष : मैंने आपसे कह दिया कि आप नहीं बोलेंगे फिर भी आप अवहेलना करते हैं, यह नहीं है। मैं आपको इस सम्बन्ध में चेतावनी देता हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि शासन ने निर्देश दिये हैं कि सारी घटना के कारणों की जाँच आयुक्त उज्जैन करेंगे और जो अपराध घटा उसकी जाँच वहाँ की सामान्य पुलिस को न देते हुए अपराध अनुसंधान की विशेष शाखा को सौंप दिया गया है और विवेचना होने के बाद उचित कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष : मैंने तथ्य सुन लिये हैं और शासन का वक्तव्य भी सुन लिया है उसके पश्चात् मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

(1.10 बजे से 2.30 बजे तक अन्तराल)

{2 बजकर 45 मिनट पर अध्यक्ष महोदय (श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर) पीठासीन हुए}

अध्यक्ष : मैं आश्वस्त था इसलिये थोड़ा लेट हो गया।

(श्री अर्जुनसिंह एवं श्री बाबूलाल गौर माननीय सदस्यों ने एक साथ खड़े होकर बोलना प्रारम्भ किया)

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

कनाड़िया ग्राम में चार हरिजनों की हत्या के संबंध में चर्चा के लिये समय देने बाबत

श्री अर्जुनसिंह : (व्यवधान के बीच) मैंने एक प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था, मेरा निवेदन है कि उस पर चर्चा होना चाहिए.... (व्यवधान) हमारे पास जानकारी आई है वह आपको दी है उनको डराया धमकाया

जा रहा है..... (व्यवधान) हमें चर्चा करने का अवसर दीजिए। जो हमारा प्रस्ताव है उसे प्राथमिकता देकर..... चर्चा होना चाहिए।

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह है कि जब विरोधी दल का नेता खड़ा होता है तो माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिए.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : इस प्रकार दिक्कत और बढ़ रही है। अगर आप शान्त होकर बैठें तो तकलीफ रफा हो जावेगी। इस प्रकार साथ-साथ बोलने पर तकलीफ और बढ़ जावेगी। मैं उनको भी (श्री बाबूलाल गौर) सुन लूँ फिर आपको सुनूँगा.....।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है हमारे प्रस्ताव को प्राथमिकता देकर उस पर चर्चा करवायें.....

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे भी थोड़ा समय दिया जाये.....

अध्यक्ष महोदय : यह नोटिस मुझे अभी प्राप्त हुआ है। मैं इस नोटिस के सम्बन्ध में विचार करूँगा और जो सदन के नेता हैं उनसे भी इस सम्बन्ध में परामर्श करूँगा, उसके पश्चात् क्या किया जा सकता है, उसे देखूँगा। नियम 139 के अन्तर्गत यह लेख दिया गया है और उसके बाद जो दूसरा नियम 140 है उसके अन्तर्गत भी इस प्रकार का नोटिस स्वीकार किया जाये और चर्चा का अवसर दिया जाये। इस पर मैं विचार करूँगा। इस सम्बन्ध में जैसा मैंने कहा है, सदन के नेता से भी मुझे विचार करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में इस पर विचार करने के बाद अगर यह ग्राह्य होता है तो आधा घण्टे की चर्चा उस पर निर्धारित करूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निश्चित रूप से अधिकृत जानकारी दी है। सदन के नेता यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे यहीं पूछ लें। यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी के अनुकूल होगी। आप सदन के नेता से पूछ लें, वह अपनी राय इस बारे में यहाँ व्यक्त कर दें। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, इसे स्वीकार किया जाये, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, सदन में विरोधी पक्ष के नेता को ज्ञात है कि आज सदन में बजट की डिमांड्स पर जिसमें सामान्य प्रशासन, पुलिस और गृह विभाग आदि की माँगें सम्मिलित हैं, चर्चा होना है और इसके लिये 3 घण्टे का समय निर्धारित है। इस विषय को वे माँगों की चर्चा के समय उठा सकते हैं, इसलिये इस हेतु अलग से अतिरिक्त समय देने का प्रश्न नहीं उठता। मुझे ऐसा लगता है चर्चा में उसी विषय को न उठाकर उनके अन्य प्रकार के विचार हों तो मैं नहीं कह सकता।

श्री अर्जुनसिंहः हम चाहते हैं कि सदन के अन्दर इस विषय पर चर्चा हो। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इसे स्वीकार किया जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के नेता का बड़ा आदर करता हूँ और उनकी विद्वता का सम्मान करता हूँ। यदि वह इस विषय की चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 घण्टे का समय निर्धारित है, जो पर्याप्त है। फिर वह अलग से आधा घण्टे का समय क्यों चाहते हैं।

श्री रुक्मिणीरमण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात तो यह जानना चाहता हूँ कि यह नोटिस किन-किन माननीय सदस्यों ने दिया है? अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, बार-बार इस मसले को उठाया जाता रहा है और विभिन्न समाचार-पत्रों में खबरें प्रकाशित होती रही हैं।

अध्यक्ष : यहाँ यह मसला पहली बार आया है।

श्री रुक्मिणीरमण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य पटवा जी को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार नहीं अनेक बार, पटवा जी ने, सखलेचा जी ने और उसके बाद जोशी जी ने बजट के जनरल डिस्कशन अथवा डिमाण्ड्स पर डिस्कशन के लिये समय निर्धारित होने के बाद ही परटीकुलर सब्जेक्ट पर डिस्कशन की माँग की है। बजट की सामान्य चर्चा अथवा अनुदान की माँगों पर चर्चा में हम परटीकुलर विषय पर शासन से उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है। इस विधानसभा में इसके पूर्व इस तरह के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। यह व्यापक समस्या है, इसके लिये तो आप आधे घण्टे, एक घण्टे का समय निर्धारित कर दें। आपने जो परम्परा डाली है उसी परम्परा का निर्वहन हम कर रहे हैं। आपने जो जवाब दिया है वह काँग्रेस के शासन द्वारा जो जवाब दिया जाता था वही दिया है और आप जो कहते थे वही हम कहते हैं। कई बार काँग्रेस

पक्ष के सदन के नेता ने स्वीकृति व्यक्त की है। 8-10 बार ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, बजट पर बहस चलते हुए। अध्यक्ष महोदय, इसमें डिस्क्रेशन आपका है, आप राय ले सकते हैं, लेकिन कौन-सा प्रस्ताव ग्राह्य हो, कौन-सा प्रस्ताव अग्राह्य हो किन कारणों से ग्राह्य हो, किन कारणों से अग्राह्य हो वह विधानसभा रूल्स में लिखा है। इसमें इतने माननीय सदस्यों का इन्टरेस्ट है और यह व्यापक समस्या है, इसलिए आप इस प्रस्ताव पर समय निर्धारित करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यही था कि मैं यही कहना चाहता था।

(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल कोसरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री पटवा जी सदस्य थे रोडवेज में घोटाले के प्रश्न पर चर्चा के लिये समय मिल सकता है। किन्तु खेद है कि प्रदेश में चार हरिजनों की हत्या के विषय में सदन में चर्चा के लिये समय नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका प्रार्थना-पत्र धारा 52 के अन्तर्गत नहीं है इस बात को ध्यान में रखें।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : हर जिले में ऐसी घटनाएँ हो रही हैं,।

(व्यवधान)

(श्री भँवरसिंह पोर्ते नें अपना स्थान छोड़ा और सदन में फर्श पर बैठ गये। कांग्रेस पक्ष के करीब-करीब सभी माननीय सदस्य सदन के फर्श पर बैठ गये और कुछ एक साथ कहते रहे जो सुनाई नहीं पड़ा। उसमें सिर्फ यह सुनाई पड़ा कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और हरिजनों के बारे में बोलने नहीं दिया जा रहा है।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण जरा शांत होकर सुनें (व्यवधान) यदि आप सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं मजबूर हूँ। मुझे एक नोटिस धारा 139 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। मैंने उस सूचना को पढ़ लिया है। उसके बाद भी एक धारा 140 है जिसमें लिखा हुआ है कि डिस्कशन ऑफ ए मैटर ऑफ अर्जेन्ट पब्लिक इमेर्टेन्स यह इसका हैडिंग है। चैप्टर 16 की यह धारा है। नियम 140 में साफ दिया है कि :—

"If the Speaker is satisfied, after calling for such information from the member who has given notice and from the Minister as he may consider necessary, that the matter is urgent and is of sufficient importance to be raised in the House at an early date, he may admit the notice and, in consultation with the Leader of the House, fix the date on which such matter may be taken up for discussion and allow such time for discussion not exceeding one and a half hours, as he may consider appropriate in the circumstances:

Provided that if an early opportunity is otherwise available for the discussion of the matter the Speaker may refuse to admit the notice."

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपने लीडर को तो सुन लीजिए?

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : यह मनमानी नहीं चलेगी, अब यह अत्याचार नहीं सहन किया जायेगा, हरिजनों के साथ हो रहा अत्याचार बन्द हो आदि कई नारे लगाये गये।

अध्यक्ष : विधानसभा की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(3 बजकर 5 मिनट पर विधानसभा स्थगित हुई)

{अध्यक्ष महोदय (श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर) पीठासीन हुए}

(काँग्रेस के सदस्य अपने स्थान छोड़कर सदन के फर्श पर बीच में बैठे हुए थे)

काँग्रेस पक्ष की ओर से नारे लगाये

(हरिजनों पर अत्याचार नहीं चलेगा)

अध्यक्ष : जो प्रस्ताव आया है और जो सूचना आई है, उसके सम्बन्ध में, मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूँ। जिन मेम्बरों की ओर से सूचना आई है, मैं उनसे भी चर्चा करूँगा और सदन के नेता से भी चर्चा करूँगा। नियम 140 के अन्तर्गत मैं कल इस पर अपन निर्णय दे सकूँगा।

(व्यवधान)

(काँग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने पोस्टर फाड़े तथा नारे लगाये।) "हरिजन आदिवासियों पर अत्याचार नहीं चलेगा।" "महात्मा गाँधी की जय" आदि)

अध्यक्ष : मैं इस विषय के सम्बन्ध में पूर्ण अध्ययन नहीं कर लेता, क्या पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस है, जब तक उसे नहीं देख लेता तब तक अपना निर्णय नहीं ले सकता। जो सूचना आई है उस पर कल ही निर्णय लिया जा सकता है। बिना इस पर अध्ययन किये उस पर निर्णय लेना मेरे लिए संभव नहीं है।

(सदन में विपक्ष की ओर से नारे लगाना शुरू कर दिया)

"महात्मा गाँधी की जय"

अध्यक्ष महोदय : विधानसभा कल 10-30 बजे तक के लिए स्थगित।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/8 अगस्त 1977, पृष्ठ/682-694)

याद करता हूँ उन किसानों और आदिवासियों को जिन्होंने अपने खेतों और घरों को मिट्टी में मिल जाने दिया, ताकि समूचे राष्ट्र के कल्याण के लिए इस रत्नगर्भा धरती से उसके अमूल्य भंडार का उत्खनन किया जा सके। उनके नाम भले ही आज अज्ञात हों, लेकिन आज जो कुछ हुआ है, बिना उनके अद्वितीय उत्सर्ग के सम्भव नहीं होता।

— अर्जुनसिंह
(12 सितम्बर, 1975)



1978

1978 के साल का बजट सत्र 23 फरवरी को प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर और मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा। इसी दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ जिसका काँग्रेस ने बहिष्कार किया।

इन दिनों काँग्रेस का विभाजन हो चुका था। श्री अर्जुनसिंह इंदिरा काँग्रेस और श्री बसन्तराव उइके काँग्रेस के दूसरे ग्रुप के नेता हुए। इस बात को लेकर सदन में बहस छिड़ गई कि सदन में विरोधी दल का नेता कौन है?

इसी दिन काँग्रेस के तीन सदस्यों— श्री सुरेश सेठ, श्री प्रभुनारायण टंडन और श्री अच्युतानन्द मिश्र जिन्हें जुलाई-अगस्त 1977 के सत्र में अगले दो सत्रों के लिए निलंबित कर दिया था, उनका निलंबन समाप्त करने की आवाजें भी उठीं।

राज्यपाल के अभिभाषण पर सदस्य श्री नरेश जौहरी ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया—

डॉ. रमेश : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि सदन में प्रमुख विरोधी दल का नेता कौन है? माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी इन्दिरा काँग्रेस के नेता हैं और रेड्डी काँग्रेस के नेता श्री उइके साहब हैं।

(व्यवधान)

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन में सदस्यों की सीटिंग व्यवस्था क्यों बदली गई है। यह किसके कहने से हुआ है। यह तानाशाही तरीके से क्या किया गया है।

(व्यवधान)

यह तानाशाही मनोवृत्ति का परिचायक है। आप लाठी गोली से शासन चलाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : कल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से श्री बसन्तराव उइके को नेता निर्वाचित किया गया है और वही विरोधी दल के नेता हैं .....

(व्यवधान)

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को ठीक किया जाये, नहीं तो आपके आदेशों की अवहेलना होगी। हम वहीं बैठेंगे जहाँ बैठते थे।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपसे निवेदन किया गया है आपने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस दल को विरोधी दल तथा उस समय के नेता श्री अर्जुनसिंह को विरोधी दल का नेता घोषित किया था किन्तु अब आपको औपचारिक रूप से दो सूचनाएँ दी जा चुकी हैं। पहली सूचना तो यह है कि श्री अर्जुनसिंह जी अब काँग्रेस विधायक दल के सदस्य नहीं हैं और दूसरी सूचना यह (व्यवधान) कि कांग्रेस दल के विधायकों की मीटिंग में श्री बसन्तराव उइके को सर्वसम्मति से काँग्रेस दल का नेता चुन लिया गया है अतः अब श्री अर्जुनसिंह जी विरोधी दल के नेता नहीं हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप ऐसी स्थिति में श्री बसन्तराव उइके को विरोधी दल का नेता घोषित करने की कृपा करें यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान के बीच) श्री अर्जुनसिंह जी को स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा जावे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो काँग्रेस में निर्णय होना है कि उनके दल का नेता कौन है।

(व्यवधान)

श्री माधवलाल दुबे : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आवश्यकतानुसार जैसा कि अन्य प्रदेशों की विधानसभाओं में हुआ है कि माननीय सदस्य जो उपस्थित हैं नेता के सम्बन्ध में घोषणा कर सकते हैं और उसके बाद आप निर्णय दे सकते हैं कि विरोधी दल का नेता कौन है (व्यवधान) तब तक के लिये मैं चाहता हूँ कि सदन में इस सम्बन्ध में विवाद न उठाया जावे।

(व्यवधान)

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय,. विवाद तो सामने आ गया है। काँग्रेस के दो टुकड़े हो चुके हैं (मेजों की थपथपाहट) आपने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से सम्बन्धित विधायक दल को विरोधी दल घोषित किया था तथा उसके अनुसार श्री अर्जुनसिंह जी को नेता घोषित किया था। पर अब जब श्री अर्जुनसिंह काँग्रेस दल से अलग हो गये हैं तब वह काँग्रेस विधायक दल के नेता और सदन में विरोधी दल के नेता नहीं हो सकते। (व्यवधान) अब हमारे दल के नेता श्री बसन्तराव जी उइके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री अर्जुनसिंह जी तो अभी इन्दिरा काँग्रेस विधायक दल के नेता भी नहीं हैं (मेजों की थपथपाहट) उनकी पार्टी में अभी नेता के लिये चुनाव भी नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक पैसे को उछाल कर फैसला कर दिया जावे अगर पैसा चित्त गिरता है तो श्री अर्जुनसिंह विरोधी दल के नेता होंगे और यदि पट्ट तो श्री उइके साहब (हँसी)

डॉ. रमेश : अध्यक्ष महोदय, इस बात का फैसला कर दिया जावे कि यथार्थ में विरोधी दल का नेता कौन है।

श्री माधवलाल दुबे : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है, वह स्थायी आदेश के अध्याय 8,71 (ग) में दी गई है वह मैं आपके सम्मुख पढ़कर बताना चाहता हूँ—

"(क) (1) उसकी सदस्य संख्या कम से कम सदन की बैठक के लिये निश्चित गणपूर्ति यानी सदन के कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग के बराबर हो। (2) उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार मान्यता प्राप्त संसदीय दलों में से जिस विरोधी दल की सदस्य संख्या सबसे अधिक होगी, उस दल को मुख्य विरोधी दल और उस दल के नेता को विरोधी दल का नेता माना जावेगा।"

अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी जो स्थायी आदेश हैं उनमें यह दिया हुआ है कि हमारी संख्या अधिक है। उपयुक्त समय पर जब भी आप निर्देश देंगे हम इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये तैयार हैं। (व्यवधान) अतः वर्तमान व्यवस्था में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया जावे यही मेरा आपसे निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी तो इन्दिरा काँग्रेस के हैं राष्ट्रीय काँग्रेस दल के नेता तो श्री उइके साहब हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विवाद को यहाँ उठाया गया। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यह क्षेत्र, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका है और इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा और वह सबको मान्य होगा। चूँकि श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह ने ऐसे तथ्यों का भी उल्लेख किया जिनका उल्लेख सदन में नहीं किया जाना चाहिये था। काँग्रेस पार्टी के विवाद को सदन में उठाना शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर कार्य करने की एक पद्धति है, उसके नियम हैं, स्टेन्डिंग ऑर्डर्स हैं, उनके अनुसार ही सदन में कार्य होता है, उनके माध्यम से ही माननीय अध्यक्ष को निर्णय करना होता है, यदि उसके अनुसार

निर्णय मेरे विरुद्ध होगा तो मैं उस समय विरोधी दल का नेता एक क्षण नहीं रहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किस पार्टी की मान्यता है और किस पार्टी की मान्यता नहीं है, इसका निर्णय जोर से चिल्लाने से नहीं होगा, उसका निर्णय तो जनता ही करेगी।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह ने जनता के निर्णय का कहा उसका निर्णय तो देश की जनता ने कर दिया।

अध्यक्ष : कल मेरे पास श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह द्वारा एक पत्र लाया गया था उसमें सरदार स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक में श्री बसन्तराव उइके को नेता चुना गया है, लिस्ट दी और बताया कि 84 विधायकों में से 59 विधायकों का उनको समर्थन प्राप्त है, श्री अर्जुनसिंह ने मुझे बताया कि उनको 63 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार कुल 84 विधायकों में से बसन्तराव उइके जी को 59 विधायकों का समर्थन है और श्री अर्जुनसिंह जी को 63 विधायकों का समर्थन है, इस तरह की स्थिति बताई गई है। इसलिए अभी सम्पूर्ण स्थिति अनिश्चित है, इससे समाधान नहीं होता। कौन से दल की संख्या बड़ी है, कौन-सा प्रमुख दल विरोधी दल है, अभी वर्तमान में स्थिति अनिश्चित है। अभी कोई भी विरोधी दल का नेता नहीं है।

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरी सीट को क्यों बदला गया, कौन से हुकुम से हो गया, नागपुर से हुकुम हो गया, किस कर्मचारी ने किया है?

अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप मुझसे बात कर लें।

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि सदन में पहले दिन राज्यपाल महोदय का भाषण होता है और उस पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है ऐसी परम्परा आज तक की रही है और कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस समय और कोई बात नहीं उठाई जानी चाहिये

(व्यवधान)

जुलाई-अगस्त 1978 सत्र में निलम्बित किये गए विधायकों का निलम्बन समाप्त करने के संबंध में—

श्री श्रीनिवास तिवारी (त्योंथर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री शीतला सहाय जी ने मेरी बात सुनने की कृपा ही नहीं की कि मैं क्या कह रहा हूँ। पिछले सत्र में 3 विधायकों को निलम्बित किया गया था ..... (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव रखा जाना चाहिये और दूसरी कार्यवाही नहीं हो सकती है कार्यसूची में भी और दूसरा कार्यक्रम नहीं दिया गया है। दूसरी कार्यवाही नहीं चल सकती है मेरा यह नम्र निवेदन है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, श्री शीतला सहाय जी ने आज की कार्यसूची देखी ही नहीं है। उसमें राज्यपाल के भाषण के अतिरिक्त निधन का उल्लेख भी किया गया है।

अध्यक्ष : जहाँ तक निधन के उल्लेख का सवाल है वह अन्त में ही किया जाता है इसलिये वह अन्त में ही रखा गया है। उसमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव ही पेश होगा।

श्री श्रीनिवास तिवारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि पिछले सत्र में तीन माननीय विधायकों को निलम्बित किया गया था उस समय न तो कोई मोशन लिखित में लाया गया था न कि सदस्यों से कोई विचार किया था .....

अध्यक्ष : इस समय कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत होगा उस पर कोई मोशन भी नहीं है इसलिये उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है कि 3 सदस्यों को निलम्बित किया गया था न तो उसके बारे में कोई उल्लेख किया गया है न ही किसी माननीय सदस्य का कोई प्रस्ताव है। यह हर तरह से गलत है मेरा यह निवेदन है कि जो तीन विधायक बाहर बैठे हैं उनको अन्दर किया जाना चाहिये। यह असंवैधानिक है।

अध्यक्ष : जो पिछली कार्यवाही हुई है उसको आपने अभी देखा नहीं है। पहले आप उसको देख लीजिये। आप संतुष्ट हो जायेंगे। यदि संतुष्ट न हों तो फिर प्रश्न उठाइए।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने देख लिया है, उसके बाद ही कह रहा हूँ। यह हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय का मत दूसरा हो, मेरा मत दूसरा हो।

अध्यक्ष : आप उसको फिर से देख लीजिए। आप संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय के विषय में, मैं पुनः निवेदन करूँगा कि आप पुनर्विचार करें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करूँगा कि इन बे-मतलब की बातों में हाउस का समय जाया न किया जाये।

श्री बसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सोचता था कि माननीय वीरेन्द्रकुमार सखलेचा जी जो नये मुख्यमन्त्री बने हैं और सदन के नेता हैं वे अपनी ओर से ही इस प्रकार का प्रस्ताव लायेंगे कि विगत सत्र में जिन तीन माननीय सदस्यों का निलम्बन किया गया था, उनका निलम्बन समाप्त किया जाता है और उनको हाउस की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। निलम्बन का प्रस्ताव उनकी ओर से आया था इसलिए यह आवश्यक था कि निलम्बन की समाप्ति की घोषणा भी उनकी ओर से ही की जाती। अगर इस प्रकार की घोषणा उनकी ओर से नहीं हो रही है तो मुझे अपने दल की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्री ताराचंद चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग इस विषय को उठा रहे हैं और बार-बार हुल्लड़ कर रहे हैं सदन की कार्यवाही को चलने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों के निलम्बन की समाप्ति के बारे में रखने की माँग की जा रही है वह नहीं दी जानी चाहिये और जो लोग इस विषय में बार-बार बोल रहे हैं उनको रोका जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री ताराचंद चौरसिया : विपक्ष के लोगों को भी बैठाइए।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जो विरोधी पक्ष का नेता रहा है उस पर अब यह स्थिति है कि इस पक्ष का नेता हो या उस पक्ष का, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप उस पर विचार कीजिए। यह आवश्यक है कि जो विगत सत्र में नेता रहा है, वही नेता रहे। मेरी प्रार्थना है कि इस पर आप तुरन्त विचार कीजिये।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस मसले पर जब एक बार निर्णय हो चुका है तो अब यह मसला फिर से नहीं उठाया जा सकता है।

श्री कृष्णपाल सिंह : यह कोई आर.एस.एस. की शाखा नहीं है .....

श्री हरिभाऊ जोशी : यह कोई इंदिरा जी का बंगला नहीं है कि चाहे जो कुछ कह दिया जाये।

श्री कृष्णपालसिंह अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय नियम के प्रतिकूल है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप कृपा करके फिर से अध्ययन करें और पुनर्विचार करें। विरोधी पक्ष का नेता यहाँ रहना चाहिये। सदन की कार्यवाही में विरोधी पक्ष के नेता का होना बहुत आवश्यक है। दो-चार दिन में तय कर लीजिये वैसे जो पहले से विरोधी पक्ष का नेता चला आ रहा है उसे विरोधी पक्ष का नेता न मानना नियम के प्रतिकूल है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, वह भी संभावना हो सकती थी परन्तु आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया और पिछले सत्र में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया उससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रजातंत्र के मंच पर खुली बहस में इनका भरोसा नहीं है।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सदस्य काँग्रेस पक्ष के सदस्यों के व्यवहार के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। पिछले सत्र में तीन माननीय सदस्यों का निलम्बन किया गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उन तीन सदस्यों का निलम्बन समाप्त कर उनको सदन में प्रवेश दिया जाये। हम निवेदन करना चाहते हैं कि यह हमारा अधिकार है सदन से बहिष्कार करने का और इसमें कोई अव्यवस्था फैलाने की कोई बात नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार और जनता पक्ष विरोध को बराबरी का दर्जा देना चाहती है, यह उसकी खुली नीति है (व्यवधान) सुनिये तो आप। हम तो आपकी भलाई की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार का सम्मान हम देना चाहते हैं उसके काबिल अपने आप को ये सिद्ध करें। इस प्रश्न पर श्रीमान्

पुनर्विचार करें किन्तु उसके पहले मैं निवेदन करूँ कि पिछले सत्र के अन्तिम दिन के व्यवहार को देखते हुए और आज के सत्र के प्रथम दिन के व्यवहार को देखकर ही आप कोई निर्णय करें। इस सदन की यह भावना है जिससे मैं श्रीमान् को अवगत कराना चाहता हूँ। यह सदन उस कृत्य को अशोभनीय समझता है और महामहिम के पद के प्रतिकूल तथा लोकतन्त्र की परम्पराओं के प्रतिकूल समझता है।

श्री लीलाधर : यह आप कैसे कह सकते हैं कि असंवैधानिक है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, हमारी भावना आप महामहिम राज्यपाल महोदय तक पहुँचाने की कृपा करें। मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनका प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है ..... उनको जनता उचित अवसर पर उचित सबक सिखाये।

श्री कृष्णपाल सिंह : आप राज्यपाल महोदय और देवरस जी तक भी भेज दें।

श्री बसन्तराव उइके : आपने जो यह कहा था कि हुल्लड़बाजी की तो यह शब्द हुल्लड़बाजी निकाला जाना चाहिये।

अध्यक्ष : अगर ऐसा कहा गया है तो मैं उसको देखूँगा।

श्री बसंतराव उइके : हुल्लड़बाजी शब्द को विलोपित कीजिये। बहिष्कार करना क्या हुल्लड़बाजी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : पिछले सत्र के अन्तिम दिन आपने जो किया था वह हुल्लड़बाजी से भी ज्यादा अशोभनीय कृत्य था।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री पटवा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति बहिष्कार .....

अध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय 3 सदस्यों के निलम्बन के सम्बन्ध में मैंने आपसे और सदन के नेता से चर्चा की है। तीनों सदस्यों के निलम्बन की कार्यवाही को समाप्त करने के लिये .....

श्री भूरेलाल फिरोजिया : प्वाइंट ऑफ आर्डर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत होना है और माननीय सदस्य समय बर्बाद कर रहे हैं :

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैंने आपका प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लिया और उसको ओवर-रूल करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : सदन के तीन सदस्यों के निलम्बन के सम्बन्ध में सदन के नेता महोदय और आपसे भी चर्चा की है। हमारे साथी विधायक श्री श्रीनिवास तिवारी और उइके जी ने जो इसका यहाँ उल्लेख किया है, यह हम सब की भावना है और हम सदन को सूचित करना चाहते हैं कि मुख्यमन्त्री महोदय और अध्यक्ष महोदय ने भी इस प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये और इस तरह का प्रस्ताव यहाँ लाकर इनके निलम्बन को समाप्त करने का निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। मैं चाहता हूँ कि मुख्यमन्त्री यहाँ पर इसका उल्लेख कर दें कल इस प्रकरण को लिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : जैसा कि श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा तीन सदस्यों के निलम्बन के संबंध में मुझसे चर्चा की थी, आपसे चर्चा की थी। नियमों के अनुसार आज प्रस्ताव नहीं आ सकता, कल प्रस्ताव आयेगा तो चर्चा कर लेंगे।

राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव—

श्री नरेश जौहरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदय ने सदन में आकर शासन की गतिविधियों और आगे के निर्णयों के बारे में हम सबको अवगत कराया है। इसके पहले कि मैं उस भाषण की चर्चा करूँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास में आज पहली बार है जब राज्यपाल के भाषण का भी बहिष्कार करने का

कदम उठाया गया हो .....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 फरवरी 1978, पृष्ठ/17-22)

कांग्रेस के जिन तीन सदस्यों श्री सुरेश सेठ, श्री प्रभुनारायण टण्डन और श्री अच्युतानन्द मिश्र को जुलाई-अगस्त 1977 में अगले दो सत्रों के लिए निलंबित कर दिया था, उनका निलंबन समाप्त करने के लिए श्री अर्जुनसिंह ने प्रस्ताव रखा। यह दिलचस्प चर्चा यहाँ दी जा रही है। इस प्रस्ताव के बाद उनके एक छोटे-से वक्तव्य में उनके व्यक्तित्व का वह प्रखर रूप भी प्रकट होता है जो सदन की गरिमा के प्रति चिंतित है—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र में तीन माननीय सदस्यों को निलम्बित किया गया था। उनका निलम्बन अब समाप्त किया जाये, ऐसा मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष : इस संबंध में मेरे पास एक संकल्प आया है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश सेठ, श्री प्रभुनारायण टण्डन और श्री अच्युतानन्द मिश्र इन तीनों सदस्यों का दो सत्रों के लिए निलम्बन किया गया था परन्तु उनके निलम्बन की समाप्ति के बाद इस सदन की कार्यवाही शोभनीय ढंग से चलेगी, यह समझ कर यदि श्री अर्जुनसिंह जी निलम्बन की समाप्ति का प्रस्ताव लाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी (पिपरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा नियमावली के नियम 265 के उपनियम (2) के परन्तुक के अधीन प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 1977 को स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन श्री सुरेश सेठ, श्री प्रभुनारायण टन्डन तथा श्री अच्युतानन्द मिश्र सदस्य जिन्हें अगले दो सत्रों की बैठकों से निलम्बित किया गया था। इनका निलम्बन समाप्त किया जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त 1977 को स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन श्री सुरेश सेठ, श्री प्रभुनारायण टन्डन तथा श्री अच्युतानन्द मिश्र सदस्य, जिन्हें अगले दो सत्रों की बैठकों से निलंबित किया गया था, निलम्बन समाप्त किया जाये।

एक माननीय सदस्य : अगर यह माना जाता है कि वे सत्र की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलने देंगे।

श्री डूंगरवाल कन्हैयालाल (नीमच) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब निलम्बन की कार्यवाही हुई थी, वह तत्कालीन सत्र का अन्तिम दिन था और वे मेरे ख्याल से श्रीमान् के आदेशों की अवहेलना करने वाले सदस्य थे और वे भी शायद यह नहीं समझ पा रहे थे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं और आज जो हम लोग नई परिस्थिति के अन्दर उनके निलम्बन का प्रस्ताव देख रहे हैं उसमें हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह प्रस्ताव श्री अर्जुनसिंह जी की ओर से है या श्री उइके साहब की ओर से है और उनको जो सजा हुई थी वह दो सत्र के लिए हुई थी जिसमें एक सत्र जो कि दिसंबर में होने वाला था, उसके न होने के कारण उसमें भाग न लेने की सजा तो हम सभी सदस्यों को मिल गई। वास्तव में जो दो सत्र के निलम्बन की सजा इन तीन सदस्यों को मिली थी, वह बहुत ज्यादा थी, उसको देखते हुये श्री महेश्वरी जी की ओर से निलम्बन की समाप्ति का प्रस्ताव आया है, नई परिस्थितियों के अनुसार वह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जैसा कि उनके अभी के भाषण से प्रतीत होता है, स्वयं भी उनके निलम्बन की समाप्ति के लिए तत्पर हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा बहस मुबाहिसे में न जाते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री नारायण सिंह (मैहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी देना भलमनसाहत की निशानी है। यह ठीक है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से माफी दी गई तो अभी थोड़े दिन पहले एक ए.आई.जी. ने विधानसभा के अन्दर एक सदस्य के साथ झूमा-झटकी की और उसको भी माफ कर दिया गया तो

यह माफी का सिलसिला अगर चला तो किसी को यह अधिकार हो जायेगा कि वह भले आदनी से माफी की दरख्वास्त करे और वह माफ भी कर दे। मैं बड़ी शालीनता के साथ कहता हूँ कि काँग्रेस के भाई जो हैं उनके तो हित की बात हो रही है और वे बड़े आनन्द ले रहे हैं, आनन्द के साथ सुन रहे हैं। लेकिन अगर यह उनके शासन काल में ऐसा हुआ होता तो कभी किसी को माफ न किया जाता और मैं इसका उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि उनके समय में तो हम जेलों में चले गये, क्या क्या हुआ। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों को कभी माफ न किया जाना चाहिए।

श्री ताराचन्द चौरसिया (बहोरी बन्द) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उपस्थित हुआ है सदन की गरिमा और सदन की व्यवस्था कायम करना प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। यदि यहाँ पर गरिमा और व्यवस्था नहीं बनी रहती तो हम विधायकों को यहाँ बैठना ही निरर्थक है। सदन ने पूर्व में निर्णय लिया है कि इसलिए पूरे सदन को इस पर विचार करना आवश्यक है। जो भूतपूर्व 3 सदस्य निष्कासित किये गये थे उन्होंने हुल्लड़बाजी की थी वह ऐसी थी कि वर्तमान परिस्थितियों में उस पर विचार करना आवश्यक होगा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपको सभी पॉवर्स हैं।

The Speaker shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions.

इस तरह से नियम 268 में अधिकार है। मेरा निवेदन है कि जो मान्यता थी प्रस्ताव पास करने की कि सदन में शिष्टता रहनी चाहिये, मैं चाहता हूँ कि प्रस्ताव में इतना और संशोधन किया जाये कि तीनों सदस्य इस बात का प्रतिज्ञा पत्र लिखें कि भविष्य में इस तरह की हुल्लड़बाजी कभी न करेंगे तो हम सहमत हैं। ऐसा लिखवाने का आपको अधिकार है।

श्री नगीन कोचर (गाडरवारा) : अध्यक्ष महोदय, तीन सदस्यों का 2 सत्र के लिये निष्कासन रद्द करने का जो माहेश्वरी जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन तो करता हूँ परन्तु साथ में यह संशोधन चाहता हूँ कि इस प्रकार की शर्मनाक कार्यवाही आइन्दा न की जाये। उक्त घटना सदन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है इससे देश भर में जनता को दुख हुआ है। उनको प्रतिज्ञा-पत्र भरना चाहिये कि आइन्दा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, तभी उनका निलम्बन रद्द किया जाना चाहिए।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : मेरा अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब किसी भी विषय पर आप सदन के नेता की राय ले लेते हैं और वह हाउस में आ जाती है तब सदन और सदन के नेता की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि उस पर बहस कराई जाये। आप प्रस्ताव रख दें और पारित करा लें। सदन के नेता की राय आ जाने के बाद अधिक बहस कराना उपयुक्त नहीं है।

श्री सूरजमल जैन (रतलाम ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा हमारी विधानसभा की रही है कि विरोधी दल के नेता को बड़ा सम्मान दिया जाये लेकिन कैलाश जोशी जब विरोधी दल के नेता थे और विधानसभा में आ रहे थे तो उन्हें विधानसभा के फाटक पर गिरफ्तार कराया गया था। इसलिए इन लोगों के लिए इस तरह की परम्परा रखना ठीक नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया (आगर, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ चुनकर आते हैं उनका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जो अनुकरणीय हो। लेकिन जब ऐसे प्रकरण आते हों जो सारे समाचार-पत्रों में छपते हों, जिसको दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक देखते हों उस समय प्रतिनिधियों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। जो इनकी गतिविधि रही है वह सदन की गरिमा के प्रतिकूल रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर विचार किया जाये तभी कोई निर्णय लिया जाये।

श्री ओमप्रकाश रावल (इन्दौर-1) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल में जो लोग बैठे हैं इन्होंने तीस साल तक इस देश में शासन किया है और जब शासक थे तो कहा करते थे जो विरोध में बैठे हैं, ये लोग विरोध करना नहीं जानते हैं। उनको अवसर मिला है, विरोध में बैठने का। हम अपेक्षा करते थे कि जो लोग विरोध में बैठे हैं वह अच्छा उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत करेंगे, अच्छे विरोधी दल की तरह आचरण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य

की बात है कि जिस तरह का आचरण पिछली दफा किया है वह शोभनीय नहीं रहा। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात कहना चाहता हूँ, सखलेचा जी ने जो इशारा किया है उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र चलाने की जिम्मेदारी विरोध में बैठे लोगों से ज्यादा हमारी है, सखलेचा जी ने यह अच्छी परम्परा बनाई है जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ इस प्रस्ताव से सद्भावना बढ़ेगी, अच्छे उदाहरण पेश होंगे। इसलिए प्रस्ताव का स्वागत है। जो लोग उत्तेजित हैं उनकी उत्तेजना का कारण स्वाभाविक है। अच्छा प्रजातंत्र बने, अच्छे उदाहरण बनें इस दृष्टि से इसको देखा जाये। आगे कोई बात आवेगी तो कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मिश्रीलाल खत्री (बालोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि श्री तेजसिंह सेंधव को जो धमकी दी गई थी क्या वह सच है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह मामला अलग चल रहा है।

(बिजली बन्द हो गई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण रिपीटीशन नहीं करें।

श्री मिश्रीलाल खत्री : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर पूरा नहीं हुआ कि जो धमकी दी गई थी क्या वह सच है?

अध्यक्ष : वह इन्क्वायरी के अन्तर्गत है, माफी नहीं मिली है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (गुढ़) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने को खड़ा हुआ हूँ। जो भी सरकारी दल के हैं उनको बरफ की तरह ठन्डा होना चाहिये। विरोधी दल हुल्लड़ करेगा फिर भी हम विरोधी दल की आवाज को किसी भी कीमत पर नहीं दबायेंगे। आजादी का मतलब यह नहीं है कि सरकार की प्रशंसा करने के लिये ही केवल आजादी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सब बैठ जायें, मैं खड़ा हुआ हूँ।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पाया। जब एक सदस्य अपनी बात कह रहा है, हो सकता है उसकी पूरी बात गलत हो, गलत कह रहा हो। प्रजातन्त्र की परम्परा है कि जब एक सदस्य अपनी कोई बात कह रहा हो तो उसको सुना जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपकी बात मैंने सुन ली।

श्री नरनारायणसिंह (पिलखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे काँग्रेस साथी इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि प्रजातन्त्र का मतलब है कि अपनी बात स्वतन्त्रतापूर्वक कही जाये लेकिन प्रजातन्त्र का यह मतलब कदापि नहीं है कि हुल्लड़बाजी की जाये। यदि कोई व्यवस्था सदन में नहीं रहेगी तो इस सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। यहाँ जो सदन में गुण्डागर्दी होती है, हम अपनी स्वतन्त्रता का दूसरे की स्वतन्त्रता को खत्म करने के लिये उपयोग करें तो प्रजातन्त्र नहीं रह सकता, प्रजातन्त्र ही खत्म हो जायेगा इसलिए हमें गुण्डागर्दी खत्म करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उनका आचरण अव्यवस्था की परिभाषा में तो आता ही है इसलिए शांत रूप से बात समझने का प्रयत्न करें तो ठीक हो।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, हम तो उस नेता के अनुयायी हैं जो डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन करने में विश्वास करता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये तो अभी उस सीमा तक पहुँच नहीं पाये हैं। माननीय अर्जुनसिंह जी ने जिस ईशू को लेकर यहाँ जैसा प्रदर्शन किया था उसका फैसला हो गया है। उन्होंने

माननीय कैलाश जोशी पर मुकदमे की चर्चा की थी। माननीय कैलाश जोशी ससम्मान बरी कर दिये गये हैं। वह मुकदमा झूठा पाया गया। क्या इसके बाद भी वो अपना हृदय परिवर्तन करते हैं और महसूस करते हैं कि वह कार्य गलत था।

श्री विश्वेश्वर प्रसाद (रैगाँव, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आया है कि सदस्यों को बहाल किया जाये वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को मुख्यमन्त्री जी ने भी समझा है तभी वो इसको समर्थन दे रहे हैं। सदन की गरिमा को कायम रखना हम सब सदस्यों का कर्त्तव्य है इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिये लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के जो वोटर होते हैं वो अपने प्रतिनिधि से उम्मीद करते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो वे सोचते हैं कि हमारी तकलीफों की आवाज सदन में पहुँचेगी लेकिन अगर किसी सदस्य को सदन की 1-2 या 3 बैठकों से बर्खास्त किया जाता है तो उसका यह प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाता है। इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उसको 1 सप्ताह, 15 दिन या 1 माह की सजा दी जाये, क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले उस सदस्य को 2-2 सदन के लिये निलंबित न किया जाये। इसके साथ मैं उस प्रस्ताव में अपना समर्थन प्रेषित करता हूँ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसका तो मैं समर्थन कर रहा हूँ लेकिन इसके बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि जो घटना यहाँ पिछली बार घटी, वह बड़ी निंदनीय थी और उस सिलसिले में सारे प्रदेश में सदन की छवि खराब हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सचमुच हृदय परिवर्तन करते हुए वे चाहते हैं कि वे फिर से सदन में आयें, तो इसके लिए उनसे प्रायश्चित कराया जाना चाहिये वे भविष्य में इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री रेवतीरमण मिश्र (सूरजपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में उपस्थित हुआ है, वह श्री अर्जुनसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अध्यक्ष महोदय ने यह बताया था कि अभी विरोधी पक्ष का कोई नेता नहीं रहेगा। न श्री अर्जुनसिंह रहेंगे और न श्री उइके रहेंगे। इस प्रकार यह जो प्रस्ताव आया है, जो तीन सदस्य निलम्बित किये गए हैं, उनकी तरफ से यह प्रस्ताव नहीं आया है, पहली बात है। क्या उनका आवेदन प्रत्यक्ष रूप से इस बात को लेकर किया गया है कि वे लोग दुखी हैं और माफी माँगने के लिये तैयार हैं और माफी माँगना चाहते हैं। सदन इस बात पर विचार करने को तत्पर है, लेकिन यह एक व्यवस्था का प्रश्न है, क्योंकि श्री उइके और श्री अर्जुनसिंह दोनों ही उनके जिम्मेदार हैं और माफीनामे का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो सदन को विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुन लीजिए यह प्रस्ताव श्री अर्जुनसिंह ने नहीं श्री माहेश्वरी ने प्रस्तुत किया है।

डॉ. हमीद कुरेशी (भोपाल उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, ये सदस्य चाहे सत्ता पक्ष में हों या विरोध पक्ष में हम उन्हें माफ करने को तैयार नहीं हैं। हुल्लड़ सदन में हो या बाहर हो, परम्परा हमारी यह है कि जिससे गलती हुई है, वह स्वयं माफी माँगे तो ही माफ किया जाये। इसलिए मैं श्री माहेश्वरी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री कैलाश सोनकर (जबलपुर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, हमारे अपने देश की परम्परा है एवं सर्वविदित है। जिस झाड़ पर फल लग रहे हों तो उसकी डालियाँ और शाखाएँ हमेशा नीचे की ओर झुका करती हैं और उसी बात को ध्यान में रखना चाहिये। हमारे काँग्रेसी भाई पिछले 30 साल तक तो सत्ता में लगातार बैठे रहे। लेकिन विरोध किस तरह से करना चाहिये, यह उनको अभी नहीं आया।

यदि यह बात सदन में विचार के लिए आई है और उनको यदि हम बिना शर्त माफी देते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत सराहनीय कदम होगा। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने इस बात को अभी-अभी सदन में स्पष्ट किया है कि यदि संकल्प सदन में विचार के लिए आता है तो मुझे कोई विरोध नहीं। दल के नेता की भी यह इच्छा है तो उनको एक बार बिना शर्त माफी दी जानी चाहिये, यदि भविष्य में जब कभी ऐसी कोई घटना होगी, यह उस समय सोचने का प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिये? हमारे देश में धारा 302 के अंतर्गत यदि कोई किसी का कत्ल करता है तो उसे 20 साल की सजा होती है, लेकिन हमारे देश में आत्मसमर्पणकारी डाकुओं द्वारा एक नहीं अनेक हत्याएँ की गईं, लोगों की संपत्ति लूटी गई, लोगों को बे-घरबार किया था तो उन्हें हमारे ही देश में कम से कम सजा दी गई है। तीनों विधायकों को काफी सजा दी जा चुकी है।

अध्यक्ष : बस आपने कह दिया कि माफी दी जानी चाहिये। मैं ज्यादा भाषण नहीं सुनूँगा।

श्री कैलाश सोनकर : मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बिना शर्त माफी दे देनी चाहिये। जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती है। उन्हें बिना शर्त माफ कर देना चाहिये।

श्री माधवराव इन्दापुरकर (मुरार) : माननीय महोदय, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा और अपने साथियों से भी हम यह अपेक्षा करेंगे कि हमारे काँग्रेसी साथी खेद प्रकट करें तो यह हमारी बड़ी भारी भूल होगी। यह तो उनकी आदत है। मोहम्मद साहब पर जब लोगों ने पत्थर मारे तो उन्होंने यही कहा कि मारने वालों को सद्‌बुद्धि मिले। वह माफी माँगें, ऐसी हम अपेक्षा नहीं करते। बिच्छू की आदत कभी नहीं जायेगी, लेकिन हम अपनी परम्परा को नहीं भूल सकते और क्षमा करके ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश करने की जो सद्‌भावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए सब साथियों से अनुरोध करूँगा कि इसे पारित किया जावे।

माधवलाल दुबे (पांदुर्ना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव है मेरे ख्याल से इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जिन सदस्यों को आपके द्वारा सदन के सत्रों के लिए निष्कासित किया गया है, वे एक सजा भुगत चुके हैं और चूँकि वे एक सजा भुगत चुके हैं इसलिये इसका कोई औचित्य नहीं है कि उन्हें और किसी प्रकार की सजा दें। एक प्रश्न और उपस्थित होता है, यदि हमें माफी मँगवानी थी तो निष्कासन के पहले ही यह किया जाना था। जब हम सजा दे चुके हैं, आज उसमें और किसी प्रकार का संशोधन रखना, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा .....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ कि आपने न बोलने वाले व्यक्ति को समय दिया।

अध्यक्ष : आप आड़े रहेंगे तो मुश्किल ही जायेगी।

एक माननीय सदस्य : इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो काँग्रेसी मित्र हैं वे इस बात के 20 वर्ष से आदी हैं।

अध्यक्ष : कई बार रिपीटीशन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्षमा याचना किए बगैर ही जो निलम्बन आदेश हैं निरस्त किए जावें।

(इसी बीच श्री बच्चन नायक खड़े हुए)

अध्यक्ष : बच्चन नायक आप बैठ जाइयेगा। पहले व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें।

एक माननीय सदस्य : 274 नम्बर पर श्री बच्चन नायक को बैठाया गया है क्या वे वहाँ पर बोल सकते हैं। सदन की व्यवस्था का प्रश्न है। और लोग भी अन्यत्र .....

अध्यक्ष : बच्चन नायक मेरी स्वीकृति से वहाँ बैठे हैं।

श्री बच्चन नायक : हम माफ नहीं करेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह : जब काँग्रेस शासन नहीं है तो मामला .....

(श्री बच्चन नायक बोलने को खड़े हुए)

अध्यक्ष : बच्चन नायक आप बैठ जाइए।

श्री कृष्णपाल सिंह : काँग्रेस सरकार ने जो जनता पार्टी के मन्त्रिमण्डल में और शासन में बैठे हैं कितने ही माननीय सदस्यों को माफ किया है, माफी दी है।

(इसी बीच श्री बच्चन नायक फिर उठ खड़े हुए)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइयेगा। श्री बच्चन नायक।

अध्यक्ष : मिस्टर जायसवाल (श्री सुन्दरलाल जी) आप बोलें।

श्री सुन्दरलाल जायसवाल : काँग्रेस शासन ने 30 साल तक क्षमा याचना दी है जैसा कि मुख्यमन्त्री ने कहा कि प्रत्येक .....

एक माननीय सदस्य : डूब मरो डूब मरो याचना देने के पहले 30 साल .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मिस्टर जायसवाल आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुन्दरलाल जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा .....

अध्यक्ष : मैं सुनूँगा। दोनों पक्षों को सुनना है। आपको बोलने दिया जायेगा। आप बैठ जाइयेगा।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगँवा) : जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किया उस संशोधन का आधार यह था कि जो घटना घटी थी वह दुखद थी और इस सदन की मर्यादा के प्रतिकूल थी उस घटना पर दुखद मान्यता है। मैं उसे सदन की मर्यादा के प्रतिकूल मानता हूँ। संशोधन रखने वाले व्यक्ति ये भूल गये कि जिन माननीय सदस्यों को सजा दी गई है उन्हें गुण्डा, बिच्छू कहना यह भी सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सदन की कुछ परम्पराएँ हैं, मर्यादाएँ हैं, उनको तोड़ना न हमारे लिए बाजिब है और न आपके लिए बाजिब है। इस सदन में हमने देखा है, आपने भी देखा है कि भाषण में अगर संयम नहीं रहे, मर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं रहा तो वह सदन की अवमानना माना जाता है। उसी तरह से फर्श पर लेटकर माननीय सदस्यों ने किसी के निर्देश पर जो बात की वह भी सदन की अवमानना माना जायेगा।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि श्री राजनारायण जी दर्जनों बार सदन में लोटे हैं।

अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या राजनारायण जी कभी इस सदन में थे?

श्री कृष्णपाल सिंह : मैं तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने दर्जनों बार इस तरह की लेटने की कार्यवाहीकी है जिसके कारण उनको मार्शल द्वारा बाहर किया गया।

श्री हरिभाऊ जोशी (पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री) : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना क्या उचित है? आज तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में चर्चा है जिन माननीय सदस्यों ने पिछली विधानसभा की बैठक में अशोभनीय व्यवहार किया था।

श्री कृष्णपाल सिंह : हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है पार्लियामेंट, वहाँ सब की प्रेक्टिस बता रहा हूँ, आपके नेताओं की प्रेक्टिस बता रहा हूँ।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि आपकी अनुमति से सदन के नेता ने अपने विचार व्यक्त किए। सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का हवाला देने वाले माननीय सदस्यों से मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा न केवल मुख्यमंत्री ही हैं वे सदन के नेता भी हैं। उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किए गये हैं उस पर उनको विचार करना चाहिए। केवल बहस को लंबी खींचना यह सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को पारित करें। उनको सजा मिल गई अब माफी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बच्चन नायक (बड़वारा) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से होली में होता है उसके बाद सारी चीज भुला दी जाती है, उसी तरह से सत्र की समाप्ति के बाद जिन माननीय सदस्यों ने पहले सदन में जो कार्यवाही की उसको हम गुंडागर्दी नहीं कह सकते। हम परम्परावादी लोग हैं इसलिए हमें माफी देनी चाहिए।

अध्यक्ष : मैं इस सदन की दूसरी परम्परा का उल्लेख करना चाहूँगा कि जब कभी इस तरह से होता है तो उनको उस समय तक के लिए सजा दी जाती है, बाद में माफी दी जाती है। इसलिए अब .....

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या नहीं यह बताइये? यदि समर्थन कर रहे हैं तो फिर बैठ जायें।

श्री बच्चन नायक : जी हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मैंने अपना विचार रखा था। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि उस दिन जो घटना सदन में हुई वह घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण थी और

ऐसा नहीं है कि जो कुछ घटना हुई उस बात से हममें से किसी को कोई खुशी थी, वे घटनाएँ घटीं, उसके संबंध में नया विवाद खड़ा करना इस समय मैं उपयुक्त नहीं समझता हूँ और मैं इस बात के लिए सदन के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चर्चा के समय उन्होंने भी उन घटनाओं के पीछे आकर किन्हीं मुद्दों पर कोई बात नहीं उठाई।

मैं सदन से और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में हममें से प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है और आप इस सदन की सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुए उस जिम्मेदारी का हम लोगों की तरफ से निर्वहन करते हैं। हम आपके उन समस्त कार्यों में जो इस सदन को चलाने में किए जायेंगे आपको समर्थन देंगे, आपको सहयोग देंगे। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति की अपनी सीमा है। सब बातों को, विचारों को व्यक्त करने के लिये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी विधानसभा में, किसी भी लोकसभा में कभी भी सीमित नहीं किया और न एक प्रकार से आचार संहिता ही माननीय सदस्यों के लिए बनाई। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूँगा कि वे सदन के नेता के सुझाव और माननीय सदस्य श्री माहेश्वरी जी ने जो सुझाव प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करके सदन को एक अच्छे वातावरण में चलाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : जो अभी श्री अर्जुनसिंह ने कहा, क्या उइके जी आप बोलना चाहेंगे?

श्री बसन्तराव उइके (घनसोर, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, सदन में अनेक बार ऐसी घटनाएँ होती हैं और होती आई हैं। अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए सखलेचा जी इस बात को जानते हैं कि जब वे प्रतिपक्ष में बैठे हुए थे तब, मैं उसके लिए कोई सांस्कृतिक उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, सदन की आसंदी पर घटना हुई थी, वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन भावनाओं को प्रदर्शित किया है उसमें उदारता, मर्यादा और सीमा स्वीकार करने की बात है। यह समय घटनाओं का लेखा जोखा खोलने का नहीं है। मैं भी विधानसभा में बहुत समय से सदस्य रहा हूँ, इस विधानसभा में घटनाएँ घटी हैं तो उसके लिए केवल विधानसभा में ही सजाएँ नहीं हुई हैं लेकिन उसी अपराध के लिए बाहर न्यायालय में मुकदमे चलाए गए हैं और सजा दी गई है। हम उस बात को दरगुजर करना चाहते हैं। इस बात की जानकारी देना एक बात है और विधानसभा की घटनाओं पर गंभीरता से विचार करना दूसरी बात है। मैं विधानसभा को चलाने के दायित्व को समझता हूँ। माननीय सदस्य ने पुरानी घटना पर खेद प्रदर्शन किया है तो उदारतापूर्वक उसे मान्य करना हमारा कर्त्तव्य है। जिस दिन शैतान बाइबिल पढ़ता है, उस मौके का हमें स्वागत करना चाहिए। आज शैतान बाइबिल पढ़ रहा है इसलिए आज इस मौके का स्वागत करने का दिन है, इसलिए सखलेचा जी ने जो भावना व्यक्त की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष : आप किसी मसले को न उखाड़ा करें। आज के प्रस्ताव पर चर्चा करें।

श्री बसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, मेरी वैसी मन्शा नहीं है। मैं आपसे पहले भी मिला था, और कहा था कि निलंबन समाप्त कर दिया जाना चाहिये सद्भावनापूर्ण तरीके से। आपने कहा कि नेता जी से विचार करेंगे। नेता जी से आपका विचार हो चुका है। और नेता जी की तरफ से प्रस्ताव आया है।

अध्यक्ष : आपने कहा था कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इसलिए मैंने कहा था कि चर्चा कर लें।

श्री बसन्तराव उइके : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा था।

अध्यक्ष : अच्छा तो, मैं ही गलत हो सकता हूँ।

श्री बसन्तराव उइके : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, उस समय सदन में जो घटना घटित हुई उस बारे में इस सदन में माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह और माननीय सदस्य श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह जी ने खेद व्यक्त किया है, हमें भी खेद है। इसी नाते आगे सदन सौहार्द्र से काम करेगा और इस प्रकार की अशोभनीय घटना नहीं घटेगी,

इसी भावना के साथ मैंने इस प्रस्ताव का समर्थन और स्वागत किया।

जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है उसके बारे में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें किसी के बारे में दुर्भावना नहीं है। हम सब जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आते हैं, उनका यह देखने का दायित्व है कि उनके क्षेत्र की उपेक्षा न हो उसी को ध्यान में रखें। उस बारे में जो कुछ भी निर्णय लिया गया था वह सदन ने लिया था। यह सदन सार्वभौम और शक्ति सम्पन्न है, सदन क्षमा भी कर सकता है। संस्कृत की एक उक्ति है— "क्षमा वीरस्य भूषणम्"। यह सदन उन्हें क्षमा देता है।

जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वह ठीक है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य उइके साहब ने जो सन्दर्भ दिया है, वह उचित नहीं है। जो कमजोर होता है वह घबराता है और जो सशक्त होता है वह घबराता नहीं है। उस समय जो दण्ड उन्हें दिया गया वह एक्सट्रीम पनिशमेंट की श्रेणी में आता है। इस नाते से सदन में वापस लाने के बारे में जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। माननीय सदस्यों ने माफी की बात कही है उनसे मेरा निवेदन है कि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है इसलिये माननीय सदस्यों को बड़ा हृदय दिखाकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए और उनका निलम्बन समाप्त कर देना चाहिए, मेरा यही निवेदन है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जमनाप्रसाद चौरसिया ने जो संशोधन दिया है, उस बाबत मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ही आफेन्स के लिये दो प्रकार की सजायें नहीं दी जा सकतीं। यह कानून है। जब एक बार आपने सजा दे दी है उसको कम करने का सवाल आपके सामने है। आल्टरनेट देने का प्रश्न सामने नहीं है।

श्री जमनाप्रसाद चौरसिया (बासौदा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने जो प्रस्ताव किया है और उसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है और विरोधी पक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह जी द्वारा खेद व्यक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में जो संशोधन प्रस्ताव मैंने रखा है, मैं उसे वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सभा द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 1977 को स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन श्री सुरेश सेठ, श्री प्रभुनारायण टण्डन तथा श्री अच्युतानन्द मिश्र सदस्य जिन्हें अगले दो सत्रों की बैठकों से निलंबित किया गया था, का निलम्बन समाप्त किया जाये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : एक निवेदन है, यह निलम्बन आज से ही समाप्त होगा।

अध्यक्ष : यह संशोधन का विषय हो गया।

श्री रामचन्द्र माहेश्वरी : मैं सदन के नेता के संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री बच्चन नायक : आज से क्यों, अभी से क्यों नहीं।

अध्यक्ष : इसमें शब्द जोड़ दिए हैं कि आज से समाप्त किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 फरवरी 1978, पृष्ठ/ 78-85)

11 फरवरी 1978 को श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह और श्री अर्जुनसिंह ने रीवा में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज को लेकर तीन स्थगन प्रस्ताव दिये। श्री अर्जुनसिंह ने इस घटना की न्यायिक जाँच की माँग की और जनता सरकार पर आरोप लगाया कि उसने छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। इसी बहस के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

अध्यक्ष : मेरे पास दिनांक 11 फरवरी, 1978 को रीवा में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज एवं अश्रुगैस का प्रयोग करने के सम्बन्ध में 3 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं—

पहली सूचना श्री श्रीनिवास तिवारी की, दूसरी सूचना श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह की तथा तीसरी सूचना श्री अर्जुनसिंह की है।

इस सम्बन्ध में एक सूचना और आई थी लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया क्योंकि उस समय तक श्री अच्युतानन्द मिश्र इस सदन की सदस्यता से निलंबित थे। इसलिए उस सूचना पर कोई विचार नहीं किया गया था।

चूँकि श्री श्रीनिवास तिवारी की सूचना पहले प्राप्त हुई है इसलिए मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ—

11 फरवरी, 1978 को रीवा में मुख्यमन्त्री की उपस्थिति में राजनिवास में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज, अश्रुगैस का प्रयोग किया गया तथा 9 राउन्ड गोलियाँ चलाई गईं। इस घटना में सैकड़ों छात्र घायल हुए हैं और उन्हें गम्भीर चोटें आई हैं। घायल छात्रों की कोई उचित व समय पर दवाई नहीं की गई है और बहुत से घायलों की हालत गंभीर है। पुलिस ने राजनिवास से थोड़ी ही दूर पर स्थित मेडीकल कालेज और साइन्स कॉलेज में अनधिकृत प्रवेश कर छात्रों एवं अध्यापकों पर नृशंसतापूर्वक आक्रमण किया, फलस्वरूप अध्यापकों को भी चोटें आई हैं। जो लोग शहर में अपने निजी काम से आये हुए थे उनसे भी मारपीट की गई है। छोटे-छोटे बच्चे जो छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, उन्हें भी निर्दयतापूर्वक पीटा गया है। अस्पताल में घायलों को देखने जाने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली में बन्द हुए छात्रों को कोतवाली के अन्दर मारा गया है। अभी तक यह नहीं बताया गया है कि कितने लोगों को किस-किस धारा में बन्दी बनाया गया है जबकि सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ छात्र लापता हैं जिनके बारे में पुलिस द्वारा कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है। गिरफ्तारशुदा लोगों की जानकारी नागरिकों से छिपाई जा रही है। ठाकुर रणमतसिंह कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस बस में निर्दयतापूर्वक लाठी से पीटा गया है। सबसे बड़ी दुःखद स्थिति यह रही है कि यह सब मुख्यमंत्री के निर्देश पर किया गया, जब किसी असामाजिक तत्व ने उनके ऊपर बिना बद्दी का एक चप्पल फेंका। उपरोक्त घटना से रीवा शहर तथा जिले व प्रदेश के छात्र वर्ग में आतंक, आक्रोश तथा भय का वातावरण व्याप्त हो गया है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। अतएव इस अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के इस प्रश्न पर विचार करने हेतु दिनांक 21-2-78 को सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।

चूँकि यह प्रस्ताव बाद में प्राप्त हुआ था इसलिए आज आया है इसके सम्बन्ध में शासन का क्या कहना है?

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगँवा) : शासन के जवाब देने के पहले कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस घटना के दो पहलू हैं। एक मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार, दूसरा विद्यार्थियों के साथ लाठी चार्ज। मेरा एलीगेशन है कि मुख्यमन्त्री के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था वह एक सुनियोजित षड़यन्त्र था और इसमें उनकी पार्टी का हाथ था।

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : जिस तरह से कार्यवाही चलाई जाये, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी-सी वैधानिक स्थिति सदन के सामने लाना चाहता हूँ। प्रश्नोत्तर काल के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आता है फिर स्थगन प्रस्ताव। आज की स्थिति यह है कि हमने एक संकल्प पर विचार कर लिया और परम्परा के अनुसार एक बार कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के बाद प्रस्ताव नहीं लाया जाता। या तो परम्पराओं को शिथिल करें अन्यथा स्थगन प्रस्ताव को लाये जाने का औचित्य नहीं है। बाकी जैसी आपकी व्यवस्था होगी, वह स्वीकार्य है। इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार ऐसे अवसर आये हैं जब हमें रोका गया था और इसी आसंदी से रूलिंग आयी है। मैंने आपको अवगत करा दिया कि वस्तुस्थिति क्या है। जैसी आपकी व्यवस्था होगी, वह स्वीकार्य है।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : सदन को मेरे नाम से प्रस्ताव की भी सूचना दी है। मैं इतना उल्लेख करना चाहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव में एक विशेष बात है जिसका तिवारी जी के प्रस्ताव में उल्लेख नहीं है। उस घटना की न्यायिक जाँच करने के निर्णय के परिणामस्वरूप स्थिति बिगड़ी है और उसके बाद पूरे प्रदेश के छात्रों में जो रोष फैला है उसका उल्लेख मेरे प्रस्ताव में है यदि आप उचित समझें तो उसका उल्लेख कर दें।

अध्यक्ष : समुचित उत्तर आया जाता है।

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी गृहमंत्री (पुलिस) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11-2-78 को मुख्यमन्त्री, मध्यप्रदेश, श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा एक दिन की यात्रा पर प्रातः 9.15 बजे रीवा पहुँचे। रीवा पहुँचकर मुख्यमन्त्री जी राजनिवास में रीवा के विधायकों तथा संसद सदस्य की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उसी दौरान छात्रों का एक जुलूस 800, जिसमें अधिकतर ठाकुर रणमतसिंह कॉलेज एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्र थे, राजनिवास पहुँचा।

हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्रों की कक्षाओं का समय पूर्ण हुए बिना ही छुट्टी का घंटा बजाकर जुलूस में साथ लिया गया था। पुलिस द्वारा उक्त जुलूस को राजनिवास से कुछ दूर पर रोक कर छात्रों से अपना प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से भेंट करने हेतु भेजने को कहा गया। छात्र इस बात के लिये तैयार नहीं हुए। वे चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बाहर आकर उन्हें सम्बोधित करें। इस पर छात्रों से प्रतीक्षा करने हेतु कहा गया, किन्तु छात्रगण नहीं रुके और पुलिस का घेरा तोड़कर राजनिवास के प्रवेश द्वार तक पहुँच गये, जहाँ उन्हें पुनः रोका गया। छात्रों द्वारा मुख्यमन्त्री जी के बाहर आने के लिए नारेबाजी की गई। इस पर श्री सीताप्रसाद शर्मा, खाद्यमन्त्री, मध्यप्रदेश ने द्वार पर आकर छात्रों को समझाने का प्रयास किया परन्तु छात्र नहीं माने और नारेबाजी करते रहे। श्री सीताप्रसाद शर्मा ने बैठक कक्ष में वापस आकर मुख्यमंत्री जी को स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे बाहर जाकर छात्रों को संबोधित करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री जी तत्काल ही संसद सदस्यों तथा विधायकों की उक्त बैठक को छोड़कर छात्रों से मिलने हेतु राजनिवास के द्वार पर पहुँचे। बिना मुख्यमंत्री जी की बात सुने ही छात्रों द्वारा उनके विरुद्ध अशोभनीय नारेबाजी कर उन्हें वापस जाने हेतु कहा गया। छात्रों ने मुख्यमंत्री जी को कोई माँग पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अपनी नारेबाजी जारी रखते हुए छात्रों ने जबरन राजनिवास का गेट खोलकर अन्दर घुसना आरम्भ कर दिया। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए घटनास्थल पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी से अन्दर जाने का अनुरोध किया गया तदनुसार मुख्यमंत्री जी वापस जाने के लिए मुड़कर जैसे ही 3-4 कदम चले कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंकना प्रारंभ कर दिया और किसी ने चप्पल भी फेंकी। यह अभी पता नहीं चला है कि किसने चप्पल फेंकी थी किन्तु भीड़ में विद्यार्थी ही थे साथ ही प्रदर्शनकारियों के एक झुण्ड ने सैनिक स्कूल की ओर से बाउण्डरी में प्रवेश कर पुलिस बल तथा अन्य पर पथराव किया। भीड़ के आक्रमण एवं उग्र रूप को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी, रीवा द्वारा उपस्थित भीड़ को अवैध घोषित करते हुए तितर-बितर होने के लिए चेतावनी दी गई। चेतावनी का असर न होते देख बल प्रयोग के निर्देश पर पुलिस द्वारा केन चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। कुछ ही समय बाद भीड़ ने पुनः मेडिकल कॉलेज के समक्ष एकत्र होकर पुलिस बल तथा अन्य पर पथराव किया। इस पर उन्हें पुलिस द्वारा तितर-बितर करने हेतु दो अश्रुगैस के गोले छोड़े गये। धारा 144 लागू की गई। पुलिस द्वारा कोई गोली चालन नहीं किया गया। छात्रों द्वारा किये गये पथराव में 42 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए। इनमें से 9 पुलिस कर्मचारी अधिक घायल होने के कारण उपचारार्थ गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा में भर्ती किये गये हैं। पुलिस एवं जनता के वाहन भी पथराव में क्षतिग्रस्त हुए साथ ही 21 छात्र तथा 2 जनता के लोग भी घायल हुए जिन्हें तत्काल ही उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। 7 छात्र तथा 2 जनता के लोग उपचारार्थ चिकित्सालय में भर्ती किये गये। यह संच है कि कुछ प्रदर्शनकारी भागकर साइन्स कॉलेज में घुसकर पत्थरबाजी कर रहे थे जिन्हें पकड़ा गया था परन्तु किसी अध्यापक पर कोई आक्रमण नहीं किया गया। यह भी सच नहीं है कि किसी व्यक्ति अथवा छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई। यह भी सच नहीं है कि चिकित्सालय में घायलों को देखने जाने वालों को बन्दी बनाया गया। शांति भंग होने की आशंका पर चिकित्सालय के बाहर अवैध रूप से एकत्र कुछ लोगों को धारा 151 भा.द.सं. के अन्तर्गत अवश्य ही बन्दी बनाया गया।

यह सच नहीं है कि आरक्षी केन्द्र कोतवाली में बंद छात्रों को कोतवाली के अंदर मारा गया। यह भी सच नहीं है कि गिरफ्तार हुए लोगों के सम्बन्ध में सूचना पूछने वाले को नहीं दी गई। केवल 80 व्यक्तियों को धारा 151 भा.द.सं. के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था। उन्हें न्यायालय द्वारा जमानत मुचलके पर छोड़ा गया। 25 व्यक्तियों को धारा 307, 147, 148, 149, 353, 332 भा.द.वि. के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया जो न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर छोड़े गये। बंदी बनाये सभी व्यक्तियों को न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अतः यह कहना सच नहीं है कि गिरफ्तारशुदा लोगों की जानकारी छिपाई गई। किसी भी छात्र के लापता होने की सूचना नहीं है। ठा. रणमतसिंह कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र शर्मा, जिन्हें उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया, के साथ पुलिस बल द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई।

पथराव करती हुई छात्रों की आक्रामक तथा अनियन्त्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिये सक्षम स्थानीय

अधिकारी द्वारा कानूनी तौर पर ही बल प्रयोग किया गया। यह कहना सर्वथा निराधार है कि मुख्यमन्त्री जी द्वारा तत्सम्बन्ध में कोई निर्देश दिये गये थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लॉ कॉलेज के लॉ-एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा साइन्स कॉलेज के छात्र यूनियन के सचिव ने दिनांक 11-8-78 की घटना को समर्थन न देते हुए छात्रों से अपील की कि वे शांतिपूर्वक अपनी कक्षाओं में जायें। स्थिति को सामान्य बनाने की दृष्टि से रीवा विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष श्री हिम्मतसिंह के नेतृत्व में चाक-घाट, सतना, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, छात्र संघों के अध्यक्षगण तथा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष रीवा से दिनांक 18-2-78 को मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष रीवा को शांति बनाये रखने का आश्वासन देते हुए छात्रों के नाम से प्रसारित अपील में छात्रों से अनुरोध किया कि वे लोग राजनीतिज्ञों के बहकावे में न आयें और अपनी कक्षाओं में शांतिपूर्वक अध्ययन करें। इस तरह स्थिति को सामान्य देखकर जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 जा.फौ. के अन्तर्गत जारी निषेधात्मक आदेश जो दिनांक 20-2-78 तक प्रभावशील थे को दिनांक 19-2-78 को 11 बजे से वापस ले लिया गया। इस समय वैधानिक कार्य सामान्य रूप से चल रहा है। अतः यह कहना सच नहीं है कि छात्रों में आतंक, आक्रोश तथा भय का वातावरण व्याप्त है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष : क्या आपको इसके अतिरिक्त कोई एडीशनल बात कहनी है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि तथ्यों का जो नकारात्मक उत्तर दिया गया है इसके बारे में सही तथ्य प्रस्तुत करने के लिये तो हमें अवसर मिलना चाहिये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : स्थिति अब सामान्य हो गई है, कोई कारण नहीं है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, शासन ने जो वक्तव्य दिया है उसमें जो बातें कही गई हैं उसमें गलतियों से जो इन्कार किया गया है उससे मुझे कुछ आश्चर्य हुआ है। उस दिन मुख्यमन्त्री जी जब पहुँचे तो विधायकों की मीटिंग हो रही थी।

श्री शीतला सहाय : कार्यवाही का समय समाप्त हो चुका है।

अध्यक्ष : मैं सदन से निवेदन करूँगा कि 5 मिनट का समय बढ़ाया जाये।

श्री अर्जुनसिंह : इतनी बड़ी घटना के लिए यह समय पर्याप्त नहीं है समय कम से कम 15 मिनट के लिये बढ़ाया जाये।

श्री मिश्रीलाल खत्री (बालौद) : 5 मिनट नहीं कम से कम 15 मिनट का समय बढ़ाया जाये। जीरो आवर का समय मुझे मिलना चाहिये।

अध्यक्ष : मैं स्वीकृति चाहूँगा, जैसा कि विचार आया है कि 15 मिनट का समय बढ़ाया जाये।

(सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई)

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जिस समय मुख्यमंत्री विधायकों से विचार-विमर्श कर रहे थे .....

श्री सुन्दरलाल पटवा (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, क्या श्रीमान् ने तथ्यों पर बहस शुरू करने की अनुमति दी है?

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जिस समय मुख्यमन्त्री महोदय, राजनिवास में विधायकों से चर्चा कर रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी बाहर गये, हम लोगों ने सोचा कि आखिर मुख्यमन्त्री जी बाहर किसलिये जा रहे हैं और न ही मुख्यमन्त्री जी ने हम लोगों को बताया कि वे बाहर किसलिए जा रहे हैं। मुख्यमन्त्री जी बाहर गये और 5-7 मिनट बाद वापस आ गये। मीटिंग में भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। मीटिंग समाप्त हो गई लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं की कि इस तरह की कोई घटना हुई है। इसके बाद जब हम लोग वापस आये और बाहर जाने लगे तो मालूम हुआ कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया, अश्रुगैस के गोले छोड़े और साथ ही साथ 9 राउन्ड गोलियों के फायर भी हुए।

अध्यक्ष : ये तो सब लिखा हुआ है आप इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं। क्या आप किसी प्वाइन्ट का क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं, क्यों व्यर्थ में रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री श्रीनिवास तिवारी : एक बात में किसी भी बात को कहना यह तो संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उसको तो विस्तार में और औचित्य प्रतिपादित करने के लिए कुछ घटनाओं का उल्लेख करना ही होगा।

अध्यक्ष : विस्तार भी सीमाओं के बन्धन में होगा।

श्री श्रीनिवास तिवारी : सीमाओं के अंदर ही कहूँगा यदि माननीय सदस्य न टोकें।

अध्यक्ष : आप तो अपनी बात कहिए।

श्री श्रीनिवास तिवारी : मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम लोग बाहर आये तो पता चला कि छात्रों के ऊपर लाठी चली और वे घायल हुए। यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है, वह निश्चित रूप से न केवल भ्रामक है, बल्कि बहुत ही असत्य है और तथ्यपूर्ण नहीं है। जिस समय पुलिस ने वहाँ छात्रों पर आक्रमण किया उस समय न केवल छात्र थे, बल्कि नागरिक भी उपस्थित थे, जो वहाँ मुख्यमन्त्री जी से मिलने आये थे, उन नागरिकों पर भी लाठियाँ चलाई गईं उसके बाद छात्रों को वहाँ भी पीटा गया। यह सर्वथा यहाँ गलत दिया गया है कि पुलिस ने उन लोगों को जो वहाँ बस में बन्द किए गए थे मारपीट नहीं की। (व्यवधान) उनकी हड्डियाँ टूटी हैं और उनको पुलिस ने जेल के अन्दर मारा है। उसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना ही नहीं, जिन लोगों ने .....

श्री सुन्दरलाल पटवा : एक-आध नाम तो बताइए।

श्री श्रीनिवास तिवारी : नाम भी बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्य जैसे श्री पटवा जी बार-बार टोकने की कोशिश करते हैं, वे सुनें। एक आदमी जो आन्दोलन में नहीं था, जो छात्र नहीं था, उस आदमी को जेल के अन्दर देख सकते हैं। (व्यवधान) एक 15 साल का लड़का है। धारा 307 के मुकदमे में उसको उसी आरोप में जेल में बंद किया है। मैंने जाकर जेल में उससे पूछताछ की। मैंने उसका पता लगाया और माननीय मुख्यमन्त्री जी भी उसका पता लगाते कि दरअसल ऐसे लोग जो बाजार में सामान खरीदने आए थे, (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक शर्मनाक घटना है। उनकी माँगों को पूरा करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए माननीय मुख्यमन्त्री महोदय कोई न कोई अवसर निकाल सकते थें। मैं नहीं जानता हूँ कि किन परिस्थितियों में यह नहीं हो सका। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय 5 मिनिट का समय नहीं दे सके, उन्हें समय नहीं मिल सका। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह उचित है और इस स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकृत किया जाए।

श्री मिश्रीलाल खत्री : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। मैंने 15 मिनिट का समय बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन मुझे बोलने का अवसर अभी तक नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष : आपको भी सुना जाएगा। "वी कैन हैव एनदर लीव ऑफ टाइम"।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, रीवा में जो यह घटना घटित हुई, वह शांतिपूर्ण जुलूस जो विद्यार्थियों का आया था, उन पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी चार्ज किया गया। पुलिस ने कॉलेज में प्रवेश कर छात्रों व प्रोफेसरों को मारा, पानी बरसने के कारण मार्तण्ड हायर सेकेन्डरी स्कूल की छुट्टी हो गई थी, वे छोटे-छोटे बालक मुख्यमन्त्री को देखने के लिए उधर गए थे, उनके साथ भी मारपीट की गई, पुलिस के सी.आई.डी. के लोग जो सादी वर्दी में थे, उन पर भी पुलिस द्वारा प्रहार किया गया। ऐसी स्थिति में न्यायिक जाँच जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा पहलू भी शर्मनाक है। रीवा का निवासी होने के नाते मुझे दुःख है कि माननीय मुख्यमन्त्री जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया मैं कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायिक जाँच स्वीकार कर लें तो उन लोगों के चेहरे बे-नकाब हो जायेंगे, जिन्होंने षड्यन्त्र रचा जिनके षड्यन्त्र के कारण छात्रों को निर्ममता से पीटा गया। छात्रों की निर्ममता से पिटाई हुई और मुख्यमंत्री जी का अपमान हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माँग करता हूँ कि घटना की न्यायिक जाँच स्वीकार कर लें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं कहना चाहूँगा कि सदन के नेता और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो अपमान रीवा में हुआ हम सब उसकी निन्दा करते हैं और इस प्रकार का कोई भी कार्य सार्वजनिक जीवन की हर मान्यता के विपरीत है, इसके बाद मुझे विवश होकर कहना पड़ रहा है कि चूँकि मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है, ज्युडिशियल इन्क्वायरी के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो सकता है कि यह सब घटना कैसे घटित हुई। मुझे यह कहने

में तनिक भी संदेह नहीं है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रीवा के छात्रों, नागरिकों के ऊपर कोई विजेता दल चढ़कर आया हो और उसने ही आतंक और दमन द्वारा दबाने की कोशिश की हो और अब विजय प्राप्त कर गौरवशाली समझता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमन्त्री महोदय तो शायद कानून की बारीकियों से बच जावेंगे लेकिन रीवा के सारे शान्तिप्रिय नागरिक और छात्रों के मन पर जिस प्रकार की छाप वे रीवा में छोड़कर आये हैं उसके बारे में वहाँ की सारी आबादी कहती है कि वे भावनाएँ आपको ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश को मान्यताओं के लिए खतरे के रूप में पैदा हो सकती हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर छात्रों के बीच में असन्तोष फैले। मैं नहीं चाहता कि कहीं भी उपद्रव हों।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप लाख कोशिश करें छात्र नहीं करेंगे।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह जी से तो पूछो कि इंदिरा गांधी की डिक्शनरी में अत्याचार की क्या परिभाषा है।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री शीतला सहाय : इतने अत्याचार के बाद भी श्री अर्जुनसिंह जी उस स्थिति में भी चिपके हुए हैं। क्या आप उन सब पर खेद व्यक्त करने को तैयार हैं। उससे अधिक अत्याचार देश में और क्या हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : आप अपनी नेता की तो निन्दा कीजिए जिसने कि अत्याचार की सीमा लांघ दी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ ऑर्डर है।

डॉ. रमेश अग्रवाल (खतलारी) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 55 (7) में स्पष्ट कहा गया है कि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो मध्यप्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो, या जो कोई न्यायिक, अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जाँच का अनुसंधान के लिए नियुक्त किसी आयोग या जाँच न्यायालय के सामने लम्बित हो .....

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक ग्राहता का सवाल है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने अपने प्रस्ताव में ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की माँग की है जो रीजनेबल है। मेरे कथन को माननीय महोदय ने सुना है। ज्युडिशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। सदन में उन्होंने ज्युडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा नहीं की। ज्युडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा इसलिये आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार के ठोस प्रमाण हैं जो सामने आयेंगे कि आपके पुलिस फोर्स के अन्दर कोतवाली के अन्दर दिनांक 11 को डी.वाय. एस.पी. तथा टाऊन इन्सपेक्टर के बीच विवाद हुआ। वे अधिकारी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक अधिकारी घायल को अस्पताल भेजना चाहता है। एक अधिकारी कहता था कि मैंने गिरफ्तार किया है, नहीं जा सकता है। वह माधव त्रिपाठी नाम का लड़का है। स्वास्थ्य मंत्री जी आप रिपोर्ट मँगाकर पढ़ लें उसी में लिखा है कि पुलिस के मारने की वजह से चोटें आई हैं।

अध्यक्ष : दिस मे बी ए फेक्ट देट देयर इज इन्ज्यूरी ऑन हिज बाडी बट दी डाक्टर केन नाट से देट इट इज ड्यू टू पुलिस लाठी चार्ज।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि किसी के सामने किसी को पीटा जाये तो वह अपनी आँखें बन्द नहीं कर लेगा। अस्पताल में ही उस लड़के को डाक्टरों के सामने मारा गया और .....

अध्यक्ष : आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुनसिंह : जी हाँ। और माधव त्रिपाठी को अस्पताल में गिरफ्तार किया गया और उसे बस में ले जाया गया तथा बाद में उस पर प्रहार किया गया जिसके कारण उस पर काफी चोटें आईं। वह अस्पताल में भरती था। यह अस्पताल की घटना है। इतना ही नहीं वहाँ के डॉक्टरों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। यदि मुख्यमंत्री जी चाहें तो वे अपने डी.आई.जी. से पूछें कि किन-किन डाक्टरों से हाथ जोड़ कर उन्होंने माफी माँगी कि आप इस बात को सामने न लावें मैं उन अध्यापकों की भी बात कहता हूँ लेकिन उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि

मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए मैं अध्यापकों पर हुए प्रहार का कोई विवाद नहीं उठाना चाहता। केवल इतना ही इशारा करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रहार करने में आपकी नियत क्या थी, उसकी ही निन्दा करना चाहते हैं। अध्यापक का नाम लेकर हम अपना सिर शर्म से नहीं झुकाना चाहते। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह केवल एकांगी बात नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह जो घटना वहाँ हुई वह असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों पर 307 के अन्तर्गत मुकदमे दायर किये गये उनमें एक भी असामाजिक तत्व नहीं है। सभी छात्र हैं, तब फिर आप कैसे कहते हैं कि यह घटना असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। षड्यंत्र होगा या नहीं यह जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह उस भावना का, उस प्रक्रिया का और आपकी उस मनोवृत्ति का प्रतीक है जो इस प्रदेश के अंदर दमन और अत्याचार के माध्यम से अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा किया गया है जिसका शासन पर प्रभाव है।

(व्यवधान)

उसका अपने दमन के द्वारा शासन को झुकाने का प्रयास है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (गुढ़) : जिस समय यह घटना घट रही थी उस समय .....

अध्यक्ष : आपका कोई प्रस्ताव तो नहीं है?

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : यहाँ पर बातों को तोड़-मरोड़ कर कहा जा रहा है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह जी ने कहा कि इसमें जनता पार्टी के लोगों का हाथ था। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जाँच किसी उच्च न्यायालय के जज के द्वारा कराना जरूरी हो गया है। (व्यवधान) मैं चाहूँगा कि इसकी जाँच हाईकोर्ट के किसी जज द्वारा कराई जानी चाहिये। क्योंकि जबलपुर से एक अखबार निकलता है। युगधर्म जो बहुत ही संस्कारित अखबार है उसमें जनता पार्टी के 21 सदस्य जो पूर्व जनसंघ से सम्बन्धित हैं उन पर यह आरोप लगाया गया है कि इस घटना में मेरा हाथ है। उसमें आर.एस.एस. के लोगों द्वारा भी यह आरोप लगाया गया है। इस्तीफे की भी माँग की गई है। मैं सदन के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग करना चाहूँगा कि सारे प्रकरण की न्यायिक जाँच हाईकोर्ट के जज के द्वारा कराई जाये।

(व्यवधान)

यदि इस घटना में मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ होना साबित हो जाये तो मैं न केवल जनता पार्टी को, अपितु विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूँगा।

मैं यह निवेदन और कर दूँ कि यह सही है कि चप्पल किसने भी फेंकी बहुत ही निन्दनीय है लेकिन जनता पार्टी के राज्य में निहत्थे छात्रों पर लाठी चले इसे भी उचित नहीं कहा जा सकता। जनता पार्टी सत्तारूढ़ होने के बाद अपने संविधान में यह उल्लेख कर अहिंसक सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और जुलूस निकालने का हक दिया है। यदि जुलूस जिम्मेवार लोग निकालेंगे तो भी सम्भावना है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व पत्थर फेंकेंगे और चप्पल व सोडा वाटर बोटल भी फेंक सकते हैं। लेकिन जनता सरकार को पुलिस और भीड़ के रिश्ते के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। जिस किसी ने भी चप्पल फेंकी उसकी जितनी तीव्र भर्त्सना की जाए कम है लेकिन छात्रों पर निर्मम प्रहार, विद्यालयों में घुसकर छात्रों एवं अध्यापकों की पिटाई, छात्रों पर मुकदमें यह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्रीमान् मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से माँग करता हूँ कि सारे प्रकरण की न्यायिक जाँच कराएँ। ग्वालियर की तरह रीवा के छात्रों के ऊपर से भी मुकदमे उठाये जायें।

अध्यक्ष : देखिए? इतने डिटेल में न जाइये। अब आप बैठ जायें। मैंने आपको एक मिनिट का समय दिया था लेकिन आप दो मिनिट ले चुके हैं और अभी आपका भाषण समाप्त नहीं हो रहा है। मैंने आपको काफी सुन लिया। आपका समय समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : पूरे प्रदेश में यह सवाल है (व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूँ कि आप बैठ जावें। आपने नियम बनाया है। आपका समय समाप्त हो चुका

है। आप सीमा के अन्दर नहीं बोल सकते तो क्यों परेशान होते हैं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : बैठ गया।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 फरवरी 1978, पृष्ठ/88-93)

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में ओलावृष्टि तथा उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा में श्री अर्जुनसिंह ने भाग लेते हुए कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शासन समस्या का समाधान करे और सब का सहयोग लेकर राहत पहुँचाये—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय सभापति महोदय, आज की चर्चा एक अत्यंत दुखद दैवीय प्रकोप से उत्पन्न परिस्थिति पर हो रही है। राजस्व मंत्री और इस शासन के अन्य मन्त्रीगण निश्चित रूप से इस विषम परिस्थिति में किसानों को और प्रभावित जनों को राहत पहुँचाना चाहते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जो कुछ वस्तुस्थिति आज बाहर देखने को मिल रही है उससे प्रतीत होता है कि आपकी इच्छा होते हुए भी जो कर्त्तव्य शासन की तरफ से इन परिस्थितियों में तत्परता से निभाना चाहिए उसका सर्वथा अभाव है। चाहे पूरे नुकसान से, किसानों के समक्ष जो परेशानी हो रही है उसका सही आकलन करने में असमर्थ हों, चाहे यहाँ पर आपके समक्ष पूरे प्रदेश में ओलों से हुई तबाही का सही स्वरूप प्रस्तुत नहीं हुआ हो लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तत्परता से और जिस व्यापक तरीके से कार्यवाही होनी चाहिए थी उसका अभाव निश्चित रूप से है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि यह कोई राजनीति का विषय है। जैसा हमारे अन्य साथियों ने कहा कि यह विषय और यह परिस्थिति राजनीति से परे है। किसी भी प्रकार से इसका राजनैतिक लाभ किसी भी दल को उठाने का प्रश्न उपस्थित भी नहीं होता है और फिर उस तरह की बात करने का सवाल ही नहीं आता है बल्कि जनप्रतिनिधियों को इस परिस्थिति को सही रूप में आँक कर व्यापक कार्य चलाने के लिए, राहत पहुँचाने के लिए जहाँ ओले की वृष्टि हुई है वहाँ के स्थानीय स्तर पर, जिला के स्तर पर या जहाँ जैसा आवश्यक हो वहाँ वैसी सर्वदलीय समितियाँ निर्माण करके उनके माध्यम से राहत कार्य किया जावे तो जनता को राहत भी मिलेगी और जो खामियाँ हैं वे आप के सामने आ सकेंगी और लालफीताशाही में जो हमारे आपके इरादे फँसे रह जाते हैं वैसी परिस्थिति निर्मित न हो इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने यह सुझाव रखा था और उन्होंने कहा था कि उसे सार्वजनिक रूप से आप विधानसभा में रखेंगे तो मुझे स्वीकार करने में एतराज नहीं होगा। उदाहरण के लिये यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ स्वयं राजस्व मंत्री के क्षेत्र में जाने का अवसर मिला और मुझे मालूम नहीं था कि वह आपका निर्वाचन क्षेत्र है। भोपाल के आसपास के साथी आये थे और उन्होंने ओला ग्रसित ग्रामों में जाने के लिए कहा। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वह आपका निर्वाचन क्षेत्र है और शायद दो-तीन दिन पहले आप वहाँ पधारे थे तथा आपकी मोटर की टंकी फूट गई थी और आप को जल्दी वापस आना पड़ा।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : आप रोड पर गये थे और मैं इंटीरियर में गया था।

श्री अर्जुनसिंह : आप इंटीरियर में गये होंगे लेकिन आप तो वहाँ चंद मिनट के लिये पहुँचे लेकिन उन स्थानों में जहाँ पर आप ने स्थिति आँखों से देखी वहाँ पर आज तक कोई अधिकारी यह पूछने नहीं गया कि उन गाँवों में कितने लोगों के खेत प्रभावित हुए? क्या नुकसान हुआ है? क्या अकाल पड़ गया और क्या राहत दी जायेगी? ओला वृष्टि के रकबे तक की उनको कोई जानकारी नहीं थी। मैं केवल प्रमाण स्वरूप यह आपके सामने रख रहा हूँ। आपका स्वयं का इरादा होते हुये भी इस प्रकार की ढिलाई हो रही है। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार के भी सहयोग और कार्यवाही की आवश्यकता हो आप कृपा करके स्पष्ट करने का कष्ट करें। हम लोग पूरी तरह से इसमें सहयोग करना चाहते हैं। प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए जो भी कदम शासन की तरफ से उठाये जायेंगे उनमें हम पूरा सहयोग करना चाहते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 फरवरी 1978, पृष्ठ/109)

27 फरवरी 1978 को श्री अर्जुनसिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से सीधी के कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र निकालने का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने चर्चा के दौरान जनता सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र शासकीय भवनों से हटाये जा रहे हैं जिनके त्याग-तपस्या के बल पर आज आप स्वतंत्र नागरिक हैं। चर्चा में सदस्य श्री सुन्दरलाल पटवा ने भी हिस्सा लिया। शासन का वक्तव्य सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति न मिलने से श्री अर्जुनसिंह के साथ सम्पूर्ण विरोधी दल ने सदन से बहिर्गमन किया। चर्चा यहाँ दी जा रही है—

अध्यक्ष : मेरे पास दिनांक 18 फरवरी, 1978 को जिला सीधी के जिलाधीश कार्यालय की दीवारों से राष्ट्रीय नेताओं के चित्र निकालने के सम्बन्ध में श्री अर्जुनसिंह, सदस्य की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है—

दिनांक 18-2-78 को सीधी के जिलाधीश कार्यालय के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (इ) के कार्यकर्ताओं द्वारा रीवा में 19 फरवरी को छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह करने वालों ने सीधी जिलाधीश कार्यालय से जिन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र हटा दिए हैं उनको पुनः लगाने का प्रयास किया। आदरणीय स्वर्गीय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस और श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों को सत्याग्रहियों ने दीवालों में लगा भी दिया। वहीं पर उपस्थित जनता पार्टी के जनसंघ घटक के कुछ नेताओं ने असम्मानपूर्वक इन चित्रों को दीवालों से निकाल कर वहीं पर फाड़ दिया। उस समय वहाँ पर जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक व अन्य उच्चाधिकरी उपस्थित थे। इस घटना की लिखित रिपोर्ट भी कोतवाली सीधी में की गई लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है।

इस घटना में राष्ट्र के महान नेताओं का अपमान हुआ है जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया न केवल सीधी जिले में बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में हो रही है। सभी प्रबुद्ध एवं राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्तियों को इससे गहरा आघात पहुँचा है और शासन की अकर्मण्यता से एक उत्तेजनात्मक स्थिति का निर्माण हो गया है जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। अतएव इस अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के निश्चित विषय पर विधानसभा नियमावली के नियम 53 के तहत चर्चा करने के लिए दिनांक 27-2-78 को सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।

इस सम्बन्ध में शासन का क्या कहना है?

विधि. मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18-2-78 को करीब 1-30 बजे दिन श्रीमती इंदिरा गांधी समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल पूर्व कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर सीधी के कार्यालय में पहुँचा। प्रदर्शनकारियों की ओर से श्री अब्दुल मुमताज द्वारा कलेक्टर को, जो पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय के समक्ष उपस्थित थे, माँग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस समय कलेक्टर, सीधी द्वारा माँग पत्र शासन की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया जा रहा था उसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने दौड़कर कलेक्टर कार्यालय भवन की दीवारों में काँग्रेस नेताओं के चित्र चिपका दिए। इन चित्रों में अधिकतर चित्र श्रीमती इन्दिरा गांधी के थे, बड़े चित्र थे और कुछ पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री के छोटे चित्र थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का एक जुलूस नारे लगाता हुआ प्रांगण में पीपल के झाड़ के नीचे पहुँचा जहाँ चुरहट क्षेत्र के विधायक श्री अर्जुनसिंह खड़े हुए थे। श्री अर्जुनसिंह से मंत्रणा के बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर पुनः पहुँचकर नारेबाजी प्रारम्भ की जिस पर कलेक्टर और अन्य अधिकारीगण कार्यालय के बाहर आये। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से उनके कक्ष में तथा न्यायालय में अपने नेताओं के, प्रमुख रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र स्वयं अपने (प्रदर्शनकारियों के) हाथ से लगाने की अनुमति चाही। कलेक्टर सीधी ने प्रदर्शनकारियों की यह माँग अस्वीकार की। चित्र लगाने की अनुमति न मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया और कार्यालय के प्रवेश द्वार पर धरना देकर बैठ गये और नारे लगाते रहे। फिर श्री गिरजाकुमार

सिंह, एडवोकेट इन्दिरा काँग्रेस के कार्यकर्ता के माध्यम से संभवतः श्री अर्जुनसिंह द्वारा निर्देश दिये जाने पर प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर द्वारा चेतावनी देने और उपस्थित अधिकारियों द्वारा उन्हें रोकने के बावजूद कलेक्टर के कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया। उन्होंने कलेक्टर और अन्य उपस्थित अधिकारियों को धक्का दिया। चूँकि प्रदर्शनकारियों का प्रवेश अवैधानिक था इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गये प्रदर्शकारियों की संख्या 27 थी। मामले की विवेचना के समय दिनांक 18-2-78 के 17.55 बजे बन्दी प्रदर्शनकारी श्री जयबहादुर सिंह के नाम से लिखित आवेदन पत्र श्री गिरजाकुमार सिंह, एड़वोकेट के माध्यम से थानेदार, थाना सीधी को दिया गया। आवेदन पत्र में यह शिकायत की थी कि जनता पार्टी कार्यकर्त्ता श्री राजबलीसिंह और श्री शोभानाथ अवधिया द्वारा राष्ट्रीय नेताओं के उन चित्रों को फाड़ डाला गया जो कलेक्टर कार्यालय की बाहरी दीवारों पर लगाये गये थे। विवेचना से पाया गया कि उक्त घटना के समय श्री राजबलीसिंह और श्री शोभानाथ अवधिया घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और इन्दिरा काँग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राजनैतिक उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी शिकायत की गई है। प्रार्थना-पत्र की जाँच से यह संभावना पाई गई कि राष्ट्रीय नेताओं के चित्र इन्दिरा काँग्रेस के प्रदर्शनकारियों द्वारा चिपका दिये गए और उन्हीं के द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा निकाले गये। बन्दी बनाये गए प्रदर्शनकारियों के कब्जे से राष्ट्रीय नेताओं के चित्र जप्त किये गये। श्री जयबहादुर सिंह के पास से पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के फटे हुए चित्र जप्त हुए। दीवारों से चित्र निकालते समय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक या अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित नहीं थे। शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही राष्ट्र नेताओं के चित्र शासकीय कार्यालयों में लगाये जाते हैं। उपरोक्त तथ्यों से जाहिर है कि इन्दिरा काँग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने, जो श्री अर्जुनसिंह, विधायक के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे थे स्वयं ही राष्ट्र नेताओं का अपमान किया है। यह कहना सही नहीं है कि सन्दर्भांकित घटना के कारण सीधी अथवा प्रदेश के अन्य किसी स्थान में तनाव है या उत्तेजनात्मक स्थिति का निर्माण हो रहा है।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी विधि मन्त्री महोदय ने कहा है .....

श्री सुन्दरलाल पटवा (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जो भी स्थगन का प्रस्ताव सदन में लाया जाता है वह मध्यप्रदेश विधानसभा नियमावली के नियमों के अन्तर्गत ही लाया जाता है। सदन में वही प्रस्ताव आ सकता है जो नियमानुसार हो। जबकि अर्जुनसिंह ने इस प्रस्ताव में स्वयं यह कहा है कि वे प्रदर्शन करने गये थे। कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया और उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में चित्र चिपकाये या कलेक्टर कार्यालय की दीवार पर चिपकाये, कलेक्टर कार्यालय की दीवार पर चित्र चिपकाना क्या उनका यह कार्य विधिसंगत कहा जा सकता है। उनका यह कार्य कौन से कानून के अर्न्तगत आता है जबकि उन्होंने गैर-कानूनी काम किया है यह वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तब क्या गैर-कानूनी कामों के बारे में भी कोई स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है, उनका यह प्रस्ताव तो ऐसा है कि इस पर विचार किया ही नहीं जा सकता है इसको आपको अपने कक्ष में अस्वीकार कर देना चाहिए था। इस प्रकार के गैर-कानूनी कार्य के लिये स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन का समय नष्ट करना कहाँ तक उचित है। श्रीमान् इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब यह मामला श्री पटवा जी ने उठा ही दिया है तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूँगा कि पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि विधि मन्त्री महोदय ने जैसा कि कहा है कि मैं प्रदर्शनकारियों से गुप्त मन्त्रणा कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, आंदोलन कोई भी गुप्त रूप से नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रदर्शन की सूचना एक दिन में पूर्व लिखित रूप में भेज दी गई थी कि कलेक्टर कार्यालय पर कल प्रदर्शन किया जायेगा .....

(व्यवधान)

राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों को प्रदेश के शासकीय भवनों से हटाया गया। पटवाजी के मत में वह बहुत साधारण घटना हो सकती है लेकिन मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेताओं के चित्र अपमानजनक तरीके से शासकीय भवनों से हटाया जाना अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है..... (व्यवधान)..... वह चित्र लगाये गये, फाड़े गये इस

बात को आप स्वीकार करते हैं ..... (व्यवधान) ..... और आप कह रहे हैं कि स्वयं हम लोगों ने चित्र फाड़े। मुझे बहुत दुःख है कि जनसंघ के लोगों ने उसको फाड़ा। .....(आर.एस.एस की आवाज के साथ व्यवधान) ..... गांधी जी के नाम को लेकर शासन करने वाले मुख्यमंत्री के मुँह से एक शब्द खेद का नहीं निकला और गांधी जी का चित्र वहाँ पर फाड़ा गया। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें ताकि प्रदेश की जनता यह समझ सके कि ये लोग किस प्रकार से राष्ट्रीय विभूतियों को, जिनके त्याग-तपस्या के बल पर आज आप स्वतन्त्र नागरिक हैं, उनके प्रति इनके मन में क्या सद्भावना है, इसको आप व्यक्त होने दें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : एक बात का और स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का चित्र लगाने के लिये गये .....

श्री अर्जुनसिंह : गांधी जी का भी ..... (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप गांधी जी के नाम की आड़ लेकर उनके साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी का चित्र लगाने के लिये गये और यहाँ खड़े होकर पैरवी करते हैं कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नेता हैं जबकि वे एक निर्वाचन क्षेत्र की भी नेता नहीं रहीं। आप गंगा के साथ गंदे नाले को लाकर उसको भी गंगा कहलवाना चाहते हैं। आप उनको राष्ट्रीय नेता कहकर अपने मत्थे पर चढ़ा सकते हैं पर देश-प्रदेश की जनता और यह सदन नहीं .....(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : बिल्ली को सपने में छिछड़े नजर आते हैं .....

श्री कृष्णपालसिंह : कर्नाटक, आंध्र ने उसको बता दिया है।

श्री अध्यक्ष : शासन का वक्तव्य सुनने के बाद मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता।

श्री अर्जुनसिंह : शासन के रवैये के प्रति हम अपने दल सहित वाक आउट करते हैं।

(श्री अर्जुनसिंह के साथ सम्पूर्ण विरोधी दल ने बहिर्गमन किया)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/27 फरवरी 1978, पृष्ठ/173-175)

23 फरवरी 1978 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदस्य श्री नरेश जौहरी ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई। श्री अर्जुनसिंह ने इस प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किया— "किन्तु खेद है कि— (1) माननीय राज्यपाल महोदय ने छात्रों पर हो रहे प्रान्त व्यापी दमन का और शासन के इस विषय पर अनुदार दृष्टिकोण का उल्लेख नहीं किया है। (2) माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों, गरीब वर्गों पर हो रहे अत्याचार व उन्हें संरक्षण न दे सकने की शासन की अकर्मण्यता का उल्लेख नहीं किया है।" अन्य सदस्यों ने भी कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किये। प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा प्रारंभ हुई। चर्चा में भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने जनता सरकार पर यह खुला आरोप लगाया कि अभी तक यह सरकार एक भी मौलिक नीति निर्धारित नहीं कर सकी है। श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य और चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं —

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साजिशों की भंवर में किसी को नहीं फँसाना चाहता और न किसी की आलोचना करने का मेरा उद्देश्य रहा है, न आलोचना करने की परम्परा मैंने डाली है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदय के भाषण पर कृतज्ञताज्ञापन पर जो चर्चा हो रही है, मैं प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता की अनुपस्थिति में उनको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जल्दी-जल्दी में उनके हाथ में दिए गए शासकीय नोट को अपनी स्वयं की दक्षता और वक्तृता की वजह से सुन्दर तरीके से एक प्रस्ताव के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर दिया। शायद यदि श्री जौहरी जी पिछले महीनों के कार्यकलापों का सिंहावलोकन करने के बाद यहाँ बोलने के लिये खड़े होते, तो उनका भाषण, उससे सर्वथा भिन्न होता, जो उन्होंने यहाँ दिया है। इसके लिए मैं सदन का थोड़ा-सा

समय अप्रासंगिक रूप में नहीं प्रसंगवश राज्यपाल महोदय के, तत्कालीन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, जो दिनांक 15 जुलाई को इस सदन में दिया गया था, की ओर ले जाना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के नागरिक उन नीतियों में बुनियादी परिवर्तन के इच्छुक हैं जो आम जनता के कल्याण से संबंध रखती हैं। वे राज्य की कठिन और लम्बे समय से चल रही समस्याओं को हल करने के लिए सर्वथा नये दृष्टिकोण और नीतियों को अपनाने के हिमायती हैं। हमारा शासन जनादेशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में एक ऐसे स्वच्छ प्रशासन की स्थापना के लिये भी मेरा शासन कटिबद्ध है जो भ्रष्टाचार और जात-पाँत के विचार से मुक्त होकर जनता की कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने में संलग्न है। उन्होंने यह भी कहा, अध्यक्ष महोदय कि कमजोर वर्गों को अत्याचार और शोषण से पूरी मुक्ति और सुरक्षा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं की ओर भी समुचित ध्यान दिया जायेगा।

राज्य की महँगाई पर नियंत्रण करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस विशाल प्रदेश में भाई कैलाश जोशी के मुख्यमंत्रित्व में एक खुली सरकार का प्रादुर्भाव हुआ और 9 महीने के थोड़े समय में यह खुली सरकार, जिसका इस प्रदेश की जनता ने कुछ कौतूहलवश और कुछ आशा से भी स्वागत किया। इस 9 महीने के अन्दर यह खुली सरकार, प्रदेश के अंदर अश्रुगैस की कड़ुवाहट, भोपाल में धारा 144 के प्रतिबन्धों के बीच और छात्रों के ऊपर लाठी प्रहारों के बीच न जाने कहाँ लुप्त हो गयी और उसके प्रथम प्रवक्ता सदन में अब पधारते भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल के जिस अभिभाषण पर चर्चा हो रही है वह अभिभाषण अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इस प्रदेश में जो प्रशासन है, उसके मूल्यांकन करने का पिछले 8-9 महीनों में जिन आदेशों का उल्लेख 15 जुलाई के अभिभाषण में किया गया है, इस शासन ने उन जनादेशों के आधार पर क्या काम किया वह सारे मापदण्ड देखकर हम इस शासन का सिंहावलोकन करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इन सवालों का उत्तर चाहता हूँ और केवल मैं ही आपसे नहीं चाहता इस प्रदेश की जनता चाहती है कि जिन जनादेशों के द्वारा कौन-सी ऐसी नई नीतियाँ हैं, जिनका प्रादुर्भाव आपके शासन काल में हुआ, वे कौन से मौलिक परिवर्तन हैं जो प्रशासनिक ढाँचे में आपने कर दिये? महँगाई कितनी कम हो गई, शांति व्यवस्था कितनी सुधर गई, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, ये सब प्रश्न शायद यहाँ पूछना उपयुक्त नहीं होगा। प्रजातांत्रिक मान्यताओं के पोषण व संरक्षण का आपके कार्यों से हनन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल है। साथ ही साथ इस प्रदेश के लोगों, पिछड़े वर्गों के हितों को संरक्षण मिला या उनका शोषण करने वालों का संरक्षण हुआ। ये सब उत्तर स्वयं मुख्यमंत्री अगर देना चाहेंगे तो उन्हें भी हिचकिचाहट होगी, उनको उत्तर देने में। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मौलिक नीतियों का प्रश्न है, एक भी मौलिक नीति निर्धारित इस शासन के द्वारा इस प्रदेश में नहीं की गई। एक भी ऐसी नीति चाहे वह खाद्य की हो, चाहे वह औद्योगिक हो, चाहे वह आर्थिक नीति हो, चाहे इस प्रदेश के अन्य विकास की दिशा में कितनी भी कम हो, जो कार्यक्रम चल रहे थे उनमें कहीं-कहीं गति भले दे दी हो मौलिक परिवर्तन नहीं किए गए। इसके बाद जहाँ तक प्रजातांत्रिक मान्यता के संरक्षण की बात है, मैं मानता हूँ कि आपने प्रयास किये लेकिन आपके प्रयास किस बात के शिकार हो गये। इस बात के शिकार हो गये कि जनता पार्टी सुसंगठित नहीं है यह कई विचारधाराओं की मिले-जुले लोगों की पार्टी है। इनकी आर्थिक, राजनैतिक, औद्योगिक जो विचारधाराएँ हैं इनमें बहुत बड़ा अन्तर्द्वन्द है और चूँकि प्रदेश के अन्दर जिस विचारधारा के लोगों का बाहुल्य है जिनका वर्चस्व है, स्वाभाविक है कि वही विचारधारा शासन को प्रभावित करे और इसलिये चाहे वह कमजोर वर्गों के संरक्षण की बात हो, चाहे महँगाई को कम करने की बात हो, चाहे लोगों को राहत दिलाने की बात हो, आपका दृष्टिकोण सर्वथा उनके हितों के संरक्षण की ओर जाता है जो जनता के शासक हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि महँगाई कम क्यों नहीं हुई। हमारे खाद्य मन्त्री एक नवजवान, निष्ठावान व्यक्ति हैं जिनसे मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ। उन्होंने प्रदेश में घूम-घूम कर कहा कि कीमतें कम की जावें, आदेश निकालते रहे। कई स्थानों पर उनके ये भी आदेश हुए कि एक सप्ताह बाद अनाज कम कीमत पर बिकना चाहिए,

किन्तु तमाम कोशिशों के बाद कीमतें बढ़ती जा रही हैं।

श्री सीताप्रसाद शर्मा (खाद्य मंत्री) : कीमतें घट रही हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप बाजार में क्या खरीदने गये। भाभी जी बाजार जाती होंगी उनसे ही पूछ लेते कि क्या महँगा या सस्ता हो रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक प्रजातांत्रिक मान्यताओं का सवाल है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अन्दर उन समस्त संस्थाओं को जो प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत करती हैं, चाहे वे पंचायतें हों, या सहकारी संस्थाएँ या अन्य प्रकार की स्वायत्त संस्थाएँ हों, उन सभी को इस बुरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई है— उदाहरणार्थ हजारों सहकारी समितियों की नामजदगियाँ समाप्त की गई हैं जिसका स्वयं जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोध किया है और एक सप्ताह के बाद समस्त नामजदगियों को निरस्त किया गया। पटवा जी मुझसे न पूछें, उनकी पार्टी के सदस्य, जिन्होंने वक्तव्य दिए हैं उनसे पूछें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आर.एस.एस. का नाम क्यों नहीं ले रहे हो।

श्री अर्जुनसिंह : आ रहा है।

अध्यक्ष : आपके 3 मिनिट और हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जल्दी ले लीजिए आपका समय खत्म हो रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा समय बहुत है आपका समय भी आ रहा हैं। जहाँ तक प्रदेश में न्यायालयीन व्यवस्था का प्रश्न है मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। बार-बार मुख्यमन्त्री जी की नगरी में, मुख्य सचिव, गृह सचिव और इतना ही नहीं इस देश के प्रधानमन्त्री की जानकारी में जो स्पष्ट प्रकरण लाये गए चाहे, वे हरिजनों पर अत्याचार के हों, राजनैतिक द्वेषवश लोगों को फँसाने के हों, निराकरण नहीं किया गया, जाँच नहीं की गई और न ही संरक्षण प्रदान किया गया।

श्री प्रेमलाल मिश्र : जब जाँच की जाती है और आयोग बैठाये जाते हैं तो आप कहते हैं कि यह शासन आयोग बैठाने के अलावा कुछ नहीं करता, हमें अभी और कितने जाँच आयोग बैठाने पड़ेंगे। साथ ही रोज जाँच की माँग करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : एक छोटी-सी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले से सम्बन्धित है। 31 अक्टूबर को मैंने प्रदेश के गृह सचिव को एक पत्र लिखा था। इसकी जानकारी मुझे मन्दसौर जिले के श्री श्याम सुन्दर पाटीदार की ओर से मिली थी कि वहाँ हत्या के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा गया है और कुछ लोगों को जानबूझकर राजनैतिक द्वेष के आधार पर फँसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पत्र लिखा इस आधार पर, मैंने गृह सचिव को पत्र लिखा। मैं एक बात बता दूँ कि आप विरोधी दल की बात करते हैं लेकिन उसको महत्व नहीं देते। क्या आपका दृष्टिकोण इसमें सुसंगत है कि मैंने 100 पत्र लिखे तथा 5-7 पत्रों के उत्तर मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आ गये, किन्तु शासकीय कर्मचारियों के यहाँ से उत्तर नहीं आते। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन घटना के बारे में स्वयं न्यायालय ने जो कहा है उन्हीं तथ्यों पर ध्यान आकर्षित कराया था।

श्री प्रदीप चौबे : आपका पता बदलता रहता है। कभी रेड्डी काँग्रेस तो कभी इन्दिरा काँग्रेस हो जाती है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, 24 जनवरी 1978 को एक केस में निर्णय हुआ। मंदसौर में, मैं केवल उतना ही भाग पढ़ूँगा जितना मैंने पत्र में लिखा था और जो सम्बन्धित है।

श्री प्रेमलाल मिश्र : अर्जुनसिंह जी साथ में आप अपने पत्रों को भी सुनायें जो आपने पिछले चुनाव में कमिश्नर को लिखा था। मेरे पास उस पत्र की फोटो कापी है जो आपने गंगाप्रसाद उपाध्याय को एक थानेदार के सम्बन्ध में लिखा था। आपने काँग्रेस के महामन्त्री को पत्र लिखा था। आप दोनों पत्रों को पढ़कर बता दें कि उसमें क्या था?

श्री अर्जुनसिंह : जरूर, जरूर। आप तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। तो उस केस के जजमेंट में सत्र न्यायाधीश ने लिखा है कि अनुसंधानकर्ता ठाकुर द्वारा बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के और षडयंत्र के बाबत कोई निश्चित और स्पष्ट साक्ष्य नहीं होते हुए भी काल्पनिक तथ्यों पर झूठे बयान करवाकर आरोपी बद्रीनाथ व सुभाष के विरुद्ध अकारण ही झूठी साक्ष्य तैयार की गई। प्रकरण को राजनैतिक मोड़ देने की साजिश की है। कानून के राज में कानून का संरक्षण करने वाले अधिकारी यदि इस प्रकार से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर केवल किसी व्यक्ति को फँसाने की गरज

से अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बनावटी साक्षियों को तैयार कर किसी का जीवन कष्टप्रद कर देते हैं तो ऐसे अधिकारियों की भर्त्सना की जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह कार्यवाही अधिकारियों ने केवल अपनी स्वप्रेरणा से नहीं की। यदि मुख्यमन्त्री जी चाहें तो वे इसकी असलियत में जा सकते हैं।

श्री बसंतीलाल शर्मा : इन्होंने न्यायालय में जाने नहीं दिया और आज ये ही न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आज जो एडजर्नमेंट मोशन आया था उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में, मैं कहना चाहता हूँ। मुख्य सचिव की सूचना के अनुसार जून 1977 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के अन्दर शासकीय वाहनों में गांधीजी की तस्वीर को छोड़कर बाकी सभी तस्वीरों को अलग कर दें। मैंने पत्र लिखा था उसके ऊपर .....

श्री प्रेमलाल मिश्र : शिक्षा मन्त्री के रूप में आपकी तस्वीर लगे यह चाहते हैं आप? लेकिन आपकी सरकार ने गलत तथ्यों को देकर कालपात्र गाड़ा था और हिन्दुस्तान की आजादी का इतिहास ही बदलने की कोशिश की थी।

श्री अर्जुनसिंह : मिश्र जी, आपकी तस्वीर बहुत जगह लगेगी।

श्री बसन्तीलाल शर्मा : मंदसौर नगरपालिका में श्यामाप्रसाद जी मुखर्जी की फोटो नहीं लगने दी क्योंकि वहाँ पर काँग्रेस की नगरपालिका है।

श्री अर्जुनसिंह : उसके बाद शासन ने निर्णय लिया कि तस्वीरें लगाई जायें और यह विवेक किसको होगा? यह विवेक अधिकारियों को इस्तेमाल करने के लिए परम्परा डाली ही नहीं। अपने देश और प्रदेश के महान व्यक्तियों के बारे में हम क्या दृष्टिकोण रखते हैं उसको यह प्रभावित नहीं करता। यह तो स्वयं के आचरण को प्रभावित करता है। मैं इस बात का संकेत करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के दृष्टिकोण के पीछे जो भावनाएँ हैं वे राष्ट्रीय विचारधारा को मजबूत करने वाली नहीं हैं।

श्री प्रेमलाल मिश्र : पिछले शासन ने तो हिन्दुस्तान के इतिहास को डुबाया है आप फोटो की क्या बात करते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : पार्लियामेंट में आएगा तब देख लीजिएगा। यह प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि .....

अध्यक्ष : अर्जुनसिंह जी समय हो गया।

श्री अर्जुनसिंह : एक-दो मिनट और लूँगा। अब में आर.एस.एस. के भाषण पर आ रहा हूँ। आदरणीय जयप्रकाश जी, प्रधानमन्त्री जी, आपकी पार्टी के नेता चन्द्रशेखर जी और आपके प्रमुख नेतागणों और विधायक साथियों ने इतना कुछ ज्यादा कह दिया है कि मैं आंशिक रूप से आश्वस्त होता जा रहा हूँ कि इन सब साथियों के प्रयास से अब मध्यप्रदेश में आर.एस.एस. का मत हावी नहीं होगा ऐसी आशा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप तो अपने हर भाषण में आर.एस.एस. का नाम जरूर ले दीजिए जिससे आपको अपच न हो और दवाई की आवश्यकता न हो।

श्री अर्जुनसिंह : अगर दवाई की आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा।

श्री कन्हैयालाल डूंगरवाल (नीमच) : अध्यक्ष महोदय, श्री नरेश जौहरी द्वारा जो कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और जो मेरे मित्रों ने कृतघ्नता बताई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इस बार के राज्यपाल के अभिभाषण में जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है और भविष्य में इस वर्ष में क्या करने जा रहे हैं उसका भी संकेत किया गया है। हमारे श्री मोतीलाल जी वोरा और श्री अर्जुनसिंह जी ने पहले ही यह बता दिया है कि सरकार ने बिल्कुल कार्य नहीं किया। जितना उन्होंने संशोधन के रूप में लिखा है उसके बारे में यह कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन तमाम बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता कि कितना कार्य हुआ है।

पंचायतों के चुनाव जनता पार्टी ने रुकवाये तथा जनता पार्टी के घोषणापत्र में है कि 18 साल के बालकों को पंचायत तथा नगरपालिकाओं में मताधिकार दें। जनतांत्रिक प्रणाली स्वीकार की गई और जनता पार्टी द्वारा उसके बारे में फैसला हुआ है और उसी के कारण पंचायतों और नगरपालिकाओं में चुनाव स्थगित करने पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, हरिजन-आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं लेकिन जब से सरकार ने कड़े कदम उठाये और कलेक्टरों को जिम्मेदार ठहराया उसके बाद से कोई घटनाएँ प्रकाश में नहीं आई हैं कि यह सरकार हरिजन-आदिवासियों के हितों के लिए बेखबर रही है। काँग्रेस सरकार 25-30 साल से हरिजन-आदिवासियों और समाजवाद के नाम से चलती रही थी और कुछ नहीं किया था लेकिन यह सरकार निश्चित तौर से हरिजन-आदिवासियों का कल्याण करेगी और उनको निश्चित स्थान दिलाये जाएँगे, उन्हें मन्त्रिमण्डल में बैठायेंगे। आपने उनको लूप लाईन में डाल रखा था पर हम उनको हर जगह रखेंगे। लोगों को 25 रुपया क्विंटल जलाऊ लकड़ी दिलाई गई थी। उसके स्थान पर न सिर्फ राष्ट्रीयकरण खत्म किया गया लेकिन सारे प्रदेश के मुख्य-मुख्य स्थानों पर जलाऊ लकड़ी के टाल खोलकर 8 1/2 रुपये क्विंटल से लेकर 11 रुपये क्विंटल तक जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह : उसके लिए हम आपके आभारी हैं, पर इनके आभारी नहीं हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/27 फरवरी 1978, पृष्ठ/190-193)

1 मार्च 1978 को सदस्य श्री नरेश जौहरी द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर एक साथ चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा का उत्तर मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने दिया। कुछ अवसर ऐसे भी आए जब श्री सखलेचा और श्री अर्जुनसिंह के बीच नोंक-झोंक भी हुई। चर्चा के कुछ अंश—

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में श्री जौहरी जी ने जो कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव दिया है,, इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने उसके सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव दिये हैं और इसके सम्बन्ध में आलोचना की है। जिन्होंने विचार व्यक्त किए हैं उनको पूरी तरह से मैं धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने तर्क किए तथा कई सदस्यों ने तर्कों के काफी उत्तर दिए। काफी तर्कों के उत्तर हम सदन में दे चुके हैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस डिबेट को प्रारम्भ किया श्री वोरा जी ने। काँग्रेस की जो स्थिति है वही इस बात की दिग्दर्शक है कि इस डिबेट को न तो श्री अर्जुनसिंह जी प्रारम्भ कर सके और न ही श्री उइके साहब प्रारम्भ कर सके। लेकिन श्री वोरा जी ने प्रारम्भ किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय सदन में तीनों नहीं हैं। डिबेट प्रारम्भ करने के बाद उन्होंने उत्तर सुनने का कष्ट नहीं किया, शायद परम्पराओं को वे अच्छी तरह समझते होंगे। वोरा जी ने यह बात बहुत ही पारम्परिक रूप से कही कि राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई नयी बात नहीं है। पुरानी ही बातों को दोहराया गया। सभापति महोदय, अगर वे भाषण पढ़ने का कष्ट करते तो अनेक सदस्यों ने जो निर्णय लिए हैं जिन निर्णयों के बारे में राज्यपाल महोदय ने संकेत किया और अनेक सदस्यों ने धन्यवाद दिया, उनके स्वयं के सदस्यों ने धन्यवाद दिया। उनके सदस्य श्री सुरेश सेठ ने निर्णय के बारे में बधाई दी, कई सदस्यों ने बधाई दी। इस बीच में निर्णय लिए गए क्या वे इस बात के द्योतक हैं कि पुरानी परिपाटी निभाई है? यदि उन्होंने भाषण पढ़ा होता तो यह स्थिति नहीं होती। मुझे आश्चर्य हुआ कि अर्जुनसिंह जी के भाषण पर जिन्होंने भाषण प्रारंभ करते हुए कहा कि साजिशों के भंवर में किसी को नहीं फंसाना चाहिए। साजिशों के भंवर में किसी को नहीं फंसायेंगे पर खुद फंसे हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

मैंने निवेदन किया था कि वास्तव में वे भंवर में फँसे हुए हैं सदन इस बात से पूरी तरह से अवगत है। जिस तरह डिबेट प्रारम्भ हुई मेरा निवेदन है कि वे हमें फँसाने का प्रयास नहीं करेंगे वे खुद ही निकल जायें तो उपयुक्त होगा। सभापति महोदय, इसमें दो-तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिये। राज्यपाल महोदय के भाषण में आया एक

महत्वपूर्ण निर्णय यह है जिसमें इस प्रदेश में हजारों की संख्या में शासकीय संस्थाएँ चल रही हैं, अशासकीय संस्थाओं के अन्दर किस प्रकार शिक्षकों का शोषण करते हैं, ग्रांट-इन-एड प्राप्त करते हैं, किन्तु शिक्षकों को पूरा वेतन प्राप्त नहीं होता। इस तरह की अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के बारे में, उनकी व्यवस्था ठीक करने के बारे में चूँकि एड दी जाती है, विद्यालयों के अन्दर ठीक प्रकार से शिक्षण किया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि देश के भविष्य निर्माण करने वाली उचित शिक्षा का प्रबंध हो। हमने निर्णय लिया है कि जो सदन के सामने आयेगा।

{ 5 बजकर 24 मिनट पर (अध्यक्ष महोदय) श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर ने आसन ग्रहण किया }

शिक्षकों को ट्रेजरी से पेमेंट किया जायेगा। जो निर्णय काँग्रेसी सरकार 30 वर्षों में नहीं ले सकी वह निर्णय हमने सत्ता में आते ही लिया है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ग्रामीण जल व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं, दोहराते हैं, पर मैं श्री उइके जी के भाषण का उदाहरण देकर बताऊँगा कि 31 वर्षों में जो बात नहीं हो सकी कि गाँव में पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं हो सका। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश व प्रदेश में यह हालत है कि कई समस्यामूलक गाँव हैं जहाँ पेयजल की व्यवस्था नही हो सकी है। हमने उसके बारे में आते ही निर्णय लिया है तथा उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के भाषण में है। ग्रामीण पेयजल की दृष्टि से समस्यामूलक गाँवों में अगर गाँव की ओर से योगदान प्राप्त नहीं होगा तो भी हम व्यवस्था करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका यह इरादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुख्यमन्त्री महोदय को क्या इस बात की जानकारी है कि इसी पेयजल के प्रावधान के लिए केन्द्रीय सरकार से जो करीब डेढ़ करोड़ रुपया आपको अनुदान मिला है वह इस वर्ष लैप्स होने जा रहा है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं माननीय अर्जुनसिंह जी का भ्रम पूरी तरह से दूर करना चाहता हूँ कि वह लैप्स नहीं हो रहा है, इसकी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा हमें 1 1/2 करोड़ नहीं 2 1/2 करोड़ रुपया मिलने वाला है उसका हम पूरा-पूरा उपयोग करेंगे और हमें आशा है कि अगले वर्ष 2 1/2 करोड़ के बजाय 5 करोड़ रुपया हम प्राप्त करेंगे जिससे प्रदेश के अन्दर ग्रामीण पेयजल की समस्या को हल करने का प्रयास हो सके। इसके अलावा पिछले समय में प्रदेश के अन्दर काँग्रेसी शासनकाल में जो हैंड पम्प लगाये गये थे उनकी उचित व्यवस्था न होने से वे खराब पड़े हुए हैं। जब अनेकों गाँवों में इस तरह से पेयजल के पम्प्स लगाये जाते हैं तो लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करना चाहिये जो कि उस समय नहीं की गई। लेकिन अब इस समस्या के निराकरण के लिये यह निश्चय किया गया है कि शासन स्वयं उन हैंड पम्प्स को डिपार्टमेंटली ठीक करवायेगा ताकि ग्रामीण जनता को पेयजल की व्यवस्था का लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के बारे में राज्यपाल महोदय ने चर्चा की है जिसका उल्लेख कई माननीय सदस्यों ने भी अपने भाषणों में किया है। मुझे बड़ा दुख है कि कुछ सदस्यों ने दोनों पक्षों की तरफ से श्री जुगल किशोर गुप्ता तथा इसके पूर्व श्री तिवारी जी ने तथा उइके साहब ने भी कहा तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस सरकार को बने अभी केवल 1 महीना ही हुआ, पूरा साल भर भी नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अपने मन से भय और संदेह को निकाल देना चाहिए कि कथनी और करनी में किसी प्रकार का भेद नहीं बरता जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) हम जो कहेंगे उसको करके बतायेंगे। यह आप निश्चित मानिये। आपको मालूम होना चाहिये कि इस नई सरकार ने केवल एक महीने में ही अनेक प्रकार के कदम उठाये हैं और आगे भी जो कहेंगे उसे पूरा करेंगे। हमने जो कुछ घोषणाएँ की हैं उनको पूरी लगन से करेंगे, जिसे सिनियारिटी कहते हैं उससे हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आखिर हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, प्रजातन्त्रीय व्यवस्था है उसके अन्तर्गत शासन बदलता है, बाकी सारी मशीनरी जैसी की तैसी ही रहती है, वह नहीं बदलती। सिविल सर्विस पूरी तरह से कायम रहती है और इस नाते से हम जो भी घोषणाएँ करेंगे उन्हें पूरा कर सकें इसी दृष्टि से प्रशासन को चुस्त और सक्षम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अनेक कदम उठाए हैं और उसके परिणाम सामने आने लगे हैं जिसके बारे में आपको अनेक माननीय सदस्यों के भाषण से सुनने को मिला होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर पहली बार है कि सरकार बनते ही प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने सब डिवीजनल केन्द्रों में जाकर एक-एक विधायक

से जाकर मिलने का काम किया और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन समस्याओं को हल करने का निश्चय किया। पहली बार प्रदेश के 41 मंत्रियों ने 41 जिलों में जाकर, संसदीय सचिवों ने स्वयं जाकर, जिला कार्यालय में जाकर, एस.पी. कार्यालय जाकर, सारी चीजों को देखा, सुना और तत्काल अधिकारियों को निपटाने के आदेश दिए और शासन की क्या नीति है वह जिला अधिकारियों को बताई है। मैंने स्वयं जाकर तथा मन्त्रियों ने स्वयं जाकर लोगों को और अधिकारियों को बताया। अभी यहाँ पर श्री श्रीनिवास तिवारी सरीखे पुराने सदस्य ने कहा कि मन्त्री दौरे पर गये तो वहाँ पर मन्त्रियों ने निरीक्षण नहीं किया, आफीसरों ने निरीक्षण किया है। बड़े दुख की बात है कि वे बार-बार वही बात दुहरा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के हर जिले में मन्त्री गये और कलेक्टर कार्यालय, एस.पी. कार्यालय का निरीक्षण किया और मन्त्रियों को सहायता देने के लिए अधिकारी साथ थे। हम वल्लभ भवन में अधिकारियों को केन्द्रित करके नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि वे जिले में जावें, हंमने उनको प्रश्नावली बनाकर दी थी ताकि वे एक-एक बात का निरीक्षण कर सकें। उसमें अधिकारियों के हावी होने की बात नहीं है। हमें प्रदेश का शासन उन सबकी सहायता से चलाना है, उनके माध्यम से प्रशासन को सक्षम बना कर, स्वच्छ बनाकर जो कुछ घोषणा-पत्र है, कार्यक्रम है उनको कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर कुछ विचार व्यक्त किये। मुझे दुःख है कि श्री अर्जुनसिंह ने धारा 144 का उल्लेख करके सदन में कुछ बातें कहीं। मुझे ज्ञात नहीं है कि प्रदेश के कार्यालयों के बारे में श्री अर्जुनसिंह जी को कुछ जानकारी है या नहीं लेकिन जो कुछ सीधी में घटना हुई थी वे स्वयं वहाँ पर थे। हम नहीं चाहते कि देश के किसी भी राष्ट्रीय नेता के चित्र के साथ ऐसा खिलवाड़ हो, चाहे वह गांधी जी का चित्र हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का चित्र हो और चाहे वह इंदिरा जी का चित्र हो। पर एक तरफ जो आपने शासकीय कार्यालयों में चित्र लगाने का प्रयास किया आपका वह एक्शन इस बात को सबूत कर रहा है कि आपने कार्यालयों में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया और इन्दिरा जी का चित्र लगाने का प्रयास किया। सी.पी.आई. और स्टूडेंट फेडरेशन को आप ब्रीफ होल्ड करें (व्यवधान) विधानसभा में बराबर ठीक तरीके से काम कर सकें, शासकीय कार्यालयों में ठीक तरीके से काम हो तो क्या सी.पी.आई. और स्टूडेंट्स फेडरेशन को श्री अर्जुनसिंह जी ब्रीफ होल्ड करने लगे हैं? अगर करने लगे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है पर मालूम तो हो?

श्री अर्जुनसिंह : यह प्रश्न शांतिपूर्ण प्रदर्शन से सम्बन्धित है, उसके अधिकार का है। सी.पी.आई. और स्टूडेंट्स फेडरेशन का नहीं है। जो सीधी में हुआ, वह इसी कारण से हुआ। शासकीय भवनों से गांधी जी की तस्वीर फाड़ी गई। आप कह रहे हैं कि आप वहाँ क्यों गये? जहाँ राष्ट्रीय नेताओं का अपमान किया जावेगा हम वहाँ एक बार नहीं सौ बार जावेंगे और सत्याग्रह करेंगे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप सी.पी.आई. और स्टूडेंट्स फेडरेशन को ब्रीफ होल्ड करें लेकिन वह स्पष्ट तो करें। रेगुलेटेड एरिया में नारा लगाना, जुलूस लाना और कानून तोड़ने को क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : आपके साथ जितने लोग बैठे हैं क्या उन्होंने यहाँ कानून नहीं तोड़ा है? कई बार तोड़ा है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हमने यह नहीं किया है कि कार्यालयों में जाकर जबरदस्ती चित्र लगाये जो आपने किया है।

श्री अर्जुनसिंह : वे मौके इसलिए नहीं आये क्योंकि हम लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं थे और इतने निम्न स्तर के भी नहीं कि नेताओं के चित्र भी निकाल दें जैसा आपने किया है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : वह तो इस बात से ही साबित है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक गांधी जी के चित्र का सवाल है, कभी ऐसे आदेश नहीं निकाले कि उनके चित्र हटाये जायें। प्रेसीडेंट रूल में जरूर एक आदेश निकाला गया था। अर्जुनसिंह जी की स्थिति यह है कि .....।

(व्यवधान)

अगर आपने आलोचना की है तो सुनने की क्षमता भी रखिये। आज इन्दिराजी की स्थिति क्या है, आप दोनों मिलकर तय कर लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सबको समय दिया जा चुका है और पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब जो शासन का जवाब चल रहा है उसको सुन लीजिये। बार-बार आप इन्टरप्शन करेंगे तो यह चीज चलने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह देख रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द में खेद व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ गाँधी जी की तस्वीर फाड़ी गई है। आपका उपदेश सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आये हैं।

(व्यवधान)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 मार्च 1978, पृष्ठ/ 388-390)

23 फरवरी 1978 को बजट सत्र के पहले ही दिन इस बात पर चर्चा हुई थी कि सदन में विरोधी दल का नेता कौन हो— श्री अर्जुनसिंह या श्री बसन्तराव उइके। उस समय श्री अर्जुनसिंह ने कहा था कि इस पर निर्णय अध्यक्ष महोदय को ही करना है। इसी प्रश्न पर 3 मार्च को अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अभी समाधान नहीं हो सका है और इस संबंध में निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो सका हूँ। श्री अर्जुनसिंह ने इस पर अपनी दलील प्रस्तुत की किन्तु निर्णय टल गया। इस पर चर्चा में मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा और श्री अर्जुनसिंह के बीच तकरार भी हुई। चर्चा यहाँ दी जा रही है—

अध्यक्ष : कुछ दिन पूर्व सदन में विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी, उस समय मैंने सदन में बताया था कि विरोधी दल के सदस्यों के सम्बन्ध में पूर्ण समाधान कर लेने के पश्चात् और प्रक्रिया, नियमों और सदस्यों की स्थिति देख लेने के पश्चात् मैं उसकी घोषणा करूँगा। इसके अनुसार मेरे पास काँग्रेस के कतिपय सदस्यों ने आकर अपनी स्थिति बताई और कल दिनांक 2-3-78 को 36 विधायकों ने आकर बताया कि वे काँग्रेस (आई) के साथ हैं। इसके अतिरिक्त श्री सुरेश सेठ, श्री रामजी महाजन, श्री राधेश्याम शुक्ल तथा श्री राजेन्द्रकुमार सिंह की ओर से लिखित सूचना पूर्व में प्राप्त हो चुकी है कि वे काँग्रेस (आई) के साथ हैं और वे स्वयं उपस्थित होकर वेरिफिकेशन करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा सदस्य श्री प्रभुनारायण टण्डन की ओर से लिखित पत्र प्राप्त हुआ है और एक तार भी प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि वे काँग्रेस (आई) के साथ हैं। विधानसभा सदस्य श्री हुलासराम मनहर की भी लिखित सूचना विधायक श्री अर्जुनसिंह ने मेरे सामने प्रस्तुत की कि वे काँग्रेस (आई) के साथ हैं। श्री शिवकुमार सिंह ने मुझे टेलीफोन पर सूचित किया कि वे काँग्रेस (आई) के साथ हैं। विधायक श्री बसन्तराव उइके ने एक लिखित सूचना में मुझे बताया कि श्री प्रभुनारायण टण्डन और श्री हुलासराम मनहर के लेखों पर उनके हस्ताक्षर होने का संदेह है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में काँग्रेस (ओ) के साथ में उन्हें बताया था। श्री प्रभुनारायण टण्डन की ओर से भी तार प्राप्त हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भले ही श्री प्रभुनारायण टण्डन काँग्रेस (आई) के साथ हों, परन्तु श्री वसन्तराव उइके की आपत्ति विचारणीय हो जाती है। मैंने मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन दिए गए स्थायी आदेश को भी देखा, उसमें आदेश क्रमांक 71-(2) (क) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सदस्य संसदीय दल बनाना चाहते हैं, उनकी संस्था में सामान्य निर्वाचन के समय संसदीय कार्य की एक विशिष्ट विचारधारा और कार्यक्रम घोषित किया हो, जिसके आधार पर वे सदन में चुनकर आये हैं। श्री बसन्तराव उइके तथा श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह का तर्क है कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस उनकी संस्था है और काँग्रेस (आई) को भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस से अलग कर देने से भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की विचारधारा द्वारा घोषित कार्यक्रम से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है। इसके साथ ही लोकसभा डिबेट की फोर्थ सीरीज वाल्यूम 35 के पृष्ठ क्रमांक 366 का विधायक श्री अर्जुनसिंह ने अवलोकन कराया परन्तु उसके पढ़ने से स्थायी आदेश के नियम 2 (क) के बाबत समाधान नहीं होता।

जो उसका विशेष पोर्शन है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने एक सवाल के बाबत कहा है कि बातचीत थी कि दोनों नाम एक थे। उन्होंने अपना नाम आर्गनाइजेशन रखा मैंने उसको मानने से इन्कार किया था। उन्होंने अपनी तरह से कण्डीशन्स भी रखी हैं लेकिन मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब मैं उनका रिफरेन्स करूँगा तो I will take them as opposition organisation. I must be frank to you to say that all these days they have been pressing this I would not agree to it then they agreed that they shall be known as opposition. इस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक होगा। उक्त परिस्थिति में, मैं इस विधानसभा में संसदीय दल, उसकी मान्यंता तथा उसके नेता के सम्बन्ध में कोई घोषणा करने में आज समर्थ नहीं हो सका।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप कृपया विराज जावें, मैं ऐसा नहीं चाहता, अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जो रूलिंग हुई है आपने जो मत व्यक्त किया है, इसमें दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात तो जो रूलिंग आपके समक्ष प्रस्तुत हुई है जिसका हवाला आपने अभी दिया— पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय ने अपना मत व्यक्त किया है उसके दो अंग हैं उसके बारे में आपसे कहा चूँकि आपने एक अंग पढ़ा, दूसरा अंग नहीं पढ़ा आपकी अनुमति से पुस्तक मिल जावे तो मैं उद्धृत करना चाहूँगा।

अध्यक्ष : यह प्रश्न उठा था 1969 में, काँग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय—

श्री नरेश जौहरी : अध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से रूलिंग होने के बाद बहस शुरू हो रही है?

अध्यक्ष : कोई बात नहीं है सुन लेना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, उस समय काँग्रेस आर्गनाइजेशन की तरफ से यह दलील दी गई थी कि डॉ. रामसुभग सिंह जी वहाँ पर विपक्ष के नेता माने जावें और उनके समर्थन में उस समय 55 सदस्य हैं, इस बात की जानकारी लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को दी गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ने, जब श्री रंगा ने इस प्रश्न को उठाया, उस दिन सदन में दिनांक 17 दिसम्बर को तो उन्होंने यह कहा रंगा साहब का यह कहना था कि—

"Sir I would like to request you to let me know your answer in regard to the letters that we had written suggesting that Shri Ram Subhag Singh the leader of the Single largest group on this side of the House, having more than 55 members should be recognised as the Leader of the Opposition. I would like to know whether you have taken any decision at all and, if not, how soon you will be able to do it."

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, श्री रवि राय, सदस्य ने आगे इस प्रकार से कहा है कि, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक पत्र लिखा था कि पिछले महिने की 17 तारीख को जिस तरीके से लोकसभा में डाक्टर रामसुभग सिंह के पास 50 से अधिक सदस्य उनके हैं, उसको देखते हुए मैंने यह निवेदन किया था और अनुरोध भी किया था कि सभी नियमों को देखते हुए ठा. रामसुभग सिंह को जो कि काँग्रेस के संसदीय विरोधी दल के नेता हैं उनको लोकसभा में विरोधी दल का नेता माना जाये। इस सिलसिले में आप एलान करें। आप व्यवस्था करें। डॉ. रामसुभग सिंह विरोधी दल के नेता हैं क्योंकि उनके दल की संख्या 60 से ज्यादा है। मैं चाहूँगा कि आप इस सदन में पूरे नियमों को देखकर एलान करें कि डॉ. रामसुभग सिंह विरोधी दल के नेता हैं। इस पर अध्यक्ष ने कहा—

"Please sit down. On this matter the Speaker has the discretion to go into it. I am very sorry, I kept it pending for so long because I wanted to go into it. I made certain querries and certain letters were also Written I have no objection if Dr. Ram Subhag Singh is accepted as the Leader of the Opposition. But I had enough of discussion."

अध्यक्ष महोदय, फिर श्री राममूर्ति के लिए कहा गया कि आप सुबह आये नहीं। आपने जो कहा, अध्यक्ष

महोदय, वह आप कह चुके हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि इस सदन के अन्दर विरोधी दल और फिर उसके नेता के मानने की प्रक्रिया क्या होगी उसके सम्बन्ध में जहाँ तक माननीय स्पीकर महोदय ने कहा है वह प्रोफेसर रंगा के उस कथन को स्वीकार कर लिया है कि चूँकि 55 सदस्य आपके हैं इसलिए रामसुभग सिंह अपोजीशन के लीडर होंगे। उनकी तरफ से जो आवश्यकता है लोकसभा में कि इतनी संख्या होनी ही चाहिए उस संख्या के बारे में आश्वस्त होने के बाद उन्होंने अपोजीशन उसको मान लिया। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न उठा नाम का। उस सम्बन्ध में काँग्रेस आर्गनाइजेशन अपने को कहलाने वाले चाहते थे कि उनकी मान्यता काँग्रेस आर्गनाइजेशन के रूप में हो और इस प्रकार से सदन में उनके बारे में कहा जाये। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अपोजीशन और अपोजीशन के लीडर को मान्यता देने से भिन्न है। ये दोनों एक नहीं हैं। आज की जो परिस्थिति है, अध्यक्ष महोदय, उसमें और उस समय की परिस्थिति में भिन्नता है। भिन्नता यह है कि उस समय काँग्रेस (ओ) जो आर्गनाइजेशन के लिए अपने को काँग्रेस कहती थी उसके पीछे सिवाय अपने स्वयं के कथन के और उसके पीछे और कोई प्रामाणिकता नहीं है। आज परिस्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, कि पहली या दूसरी जनवरी को काँग्रेस में विभाजन होने के बाद यह प्रकरण इलेक्शन कमीशन के सामने गया है और इलेक्शन कमीशन ने अस्थायी रूप से ही क्यों न हो काँग्रेस (आई) और काँग्रेस (ओ) दोनों को अखिल भारतीय पार्टियों की मान्यता दे दी। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, पार्टी के नाम की मान्यता के सम्बन्ध में मेरा विनम्र निवेदन है कि वह अब आपके कार्यक्षेत्र में नहीं है। वह प्रश्न तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि कौन-सी असली काँग्रेस है और कौन-सी असली काँग्रेस नहीं है। किसके सदस्य कितने हैं, किस आधार पर किसके पक्ष में मत जाने चाहिए। जहाँ तक सदन के अन्दर है, जिस काँग्रेस पक्ष को इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है, अखिल भारतीय काँग्रेस पार्टी के नाम से काँग्रेस आई के सदस्य हैं उसके सदन में 42 मिनिमम हैं या नहीं, केवल इतना ही आपको देखना है। इस बात के निर्णय करने के लिए कि सदन में काँग्रेस (आई) का बहुमत है, उसको विरोधी पार्टी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। अब जहाँ तक अध्यक्ष महोदय, आपने नामों का उल्लेख किया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह इस बात की दलील है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यह कोई आज निर्णय नहीं होगा, कल निर्णय होगा इसमें फर्क पड़ने वाला है?

श्री हरिभाऊ जोशी : इब्तदाये इश्क है रोता है क्या
आगे आगे देखिये होता है क्या?

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये ही लागू नहीं है आपके लिए भी लागू है। जहाँ तक आपका सवाल है वह संख्या का है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमने, हमारे साथियों ने हर प्रकार से आपको संतुष्ट करने की कोशिश की। जहाँ तक आपने श्री हुलासराम जी और श्री प्रभुनारायण जी टण्डन को संदिग्ध माना है केवल उन्हीं के आधार पर .....

अध्यक्ष : अब संदिग्ध मानने वाली बात विचारणीय है। संदिग्ध प्रश्न हो गया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्हीं दो की वजह से आपका यह मत है कि 42 नहीं होते हैं, 42 से कम रह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक श्री राजेन्द्र कुमार सिंह एक, श्री सुरेश सेठ दो, श्री रामजी महाजन जी उपस्थित ही हो गये और श्री राधेश्याम शुक्ल तीन और आपने जो चार नाम लिए तो 36 और 4 और ये महाजन 41 हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 41 के बारे में संदेह आपकी तरफ से नहीं। महाजन जी का नाम भी उपस्थिति में था, आज वे उपस्थित हैं, इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पधारने के पहले आपके इस निर्णय को लेने के पहले दो अन्य माननीय सदस्यों ने लिखित रूप में आपको सूचना दी है कि वे काँग्रेस (आई) में हैं और वे यहाँ पर उपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि

यह प्रश्न केवल यहाँ पर इस बात का निर्णय करने का नहीं है कि आप मान्यता किसको देते हैं या नहीं, यह आपके विवेक पर हमने पहले भी छोड़ा है और उस विवेक को मैं किसी प्रकार से चेलेन्ज नहीं करना चाहता और मैं उस विवेक के सम्बन्ध में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जब इस प्रकार के तथ्य सामने हैं शंका के बारे में संतुष्ट हैं, जहाँ तक विधानसभा का सवाल है संख्या ही आपके लिए निर्णायक प्रश्न है वह संख्या आपके सामने प्रमाणित की जा चुकी है। उधर की तरफ से किसी के बारे में जिनके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया है उसको खण्डित करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है पर मौखिक रूप से यह कह देना कि उनके दस्तखत के बारे में संदेह है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे ही साथी ने कहा है, उनके सही कथन पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तक भारतवर्ष में किसी भी विधानसभा में इस प्रश्न के ऊपर विचार नहीं किया गया जिस प्रश्न का आपने यहाँ उल्लेख करके पूरे प्रकरण को लंबित कर दिया है। आपके सामने नाम लेने की बात आती है और उस विषय पर आपको निर्णय लेना होता तो शायद स्पीकर साहब की रूलिंग का वह अंश किसी तरह से रेलीवेन्ट हो सकता था। हम नाम के लिए आपके सामने निर्णय के लिए आये नहीं हैं वह नाम तो प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में इलेक्शन कमीशन ने प्रदान कर दिया है उसके लिए आपके निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता और उसके लिए हम आपको कष्ट भी नहीं देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल संख्या का है वह संख्या, अध्यक्ष महोदय, आपके सदन की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जा चुकी है और इस परिस्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूँगा कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। जिन माननीय सदस्यों ने, 2 सदस्यों ने आपको लिखकर दिया है, आपके यहाँ निर्णय की घोषणा करने के पहले कृपा करके उनके नामों को जोड़कर संख्या जो मिनिमम है, वह 42 हो जाती है इसलिए नाम के लिए जो विषय आपके निर्णय के लिये उपस्थित ही नहीं हुआ उसके आधार पर निर्णय को न टाला जावे यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

अब जहाँ तक रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया कि संसदीय दल बनाने के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिये, एक स्तर होना चाहिए तो, अध्यक्ष महोदय, जो रूलिंग आपने स्वयं पढ़ कर सुनाई है, जो रूलिंग आपने आधार मान कर आज अपना निर्णय लंबित रखा है, उस रूलिंग का भी आशय क्या है क्या उस निर्णय को स्पीकर महोदय ने इस आधार पर स्थगित किया है काँग्रेस के कुछ लोग (ओ) में चले गये और काँग्रेस के कुछ लोग (आर) में रह गये इस प्रश्न पर तो उन्होंने कुछ कहा नहीं और न ही यही उठाया कि लोकसभा में जो सदस्य इकट्ठे चुन कर आये थे (व्यवधान) और सवाल यह कि आपसी में मोरारजी भाई अलग से बैठना चाहते हैं। इसलिए हम उनको मान्यता नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह तो कुछ तुक का सवाल ही नजर नहीं आता। किसी भी समय यह प्रश्न रह ही नहीं सकता उदाहरण के लिये यदि उस प्रदेश की जनता 40-45 इडीपेंडेट लोगों को चुन कर भेज दे और वहाँ उस सदन में बैठना चाहें ग्रुप बनाकर तो क्या आप उनको मान्यता नहीं देंगे? क्या वह अपोजीशन का ग्रुप नहीं बनेगा। यदि वे सब एक साथ बैठना चाहते हैं, एक ग्रुप बनाकर बैठना चाहते हैं और उनकी संख्या न्यूनतम मान्यता के आधार पर पूरी है तो अध्यक्ष महोदय, मान्यता अपोजीशन की देनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके प्रति किसी प्रकार की शंका व्यक्त नहीं करना चाहता। मुझे इस बात का दुःख है कि हम सब लोगों ने इस सम्बन्ध में आपका काफी समय लिया, आपको काफी व्यवधान पैदा हुआ आपके दैनिक कार्य में और आपको अन्य प्रकार की असुविधा हुई, हम लोग इसके लिये क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस निर्णय को स्थगित करके जो प्रयास उन लोगों के द्वारा स्थगित करवाने के लिए तर्क प्रस्तुत करके इसके लिये किया जा रहा है कि इस आधार पर किसी प्रकार से मध्यप्रदेश में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी (आई) की मान्यता या उसके अस्तित्व या उसके द्वारा संचालित होने वाली राजनैतिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध आये तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका यह बचकाना इरादा किसी काम नहीं आने वाला है। मध्यप्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष में राष्ट्रीय काँग्रेस (आई) ने अपना अस्तित्व न केवल जनमत के आधार पर साबित किया है बल्कि काम के आधार पर साबित किया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के लोग अधिनायकवादी प्रवृत्ति के द्वारा प्रभावित होकर इस प्रकार के निर्णय करवाने के लिये कोशिश कर

रहे हैं वह कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ, अध्यक्ष महोदय, आप अपने प्रकार से इस सदन की मान्यताओं को स्वीकार करते हुए, नियमों को यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दें। विषय आपके निर्णय के लिये आया नहीं है, जिस विषय के बारे में आपके समक्ष प्रतिवेदन नहीं रखा उसको यहाँ पर एक कारण बनाकर उस निर्णय को लंबित न किया जाये, यह आपसे प्रार्थना है।

(व्यवधान)

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संख्या के बारे में तो माननीय उइके साहब बात करेंगे, मैं केवल जो मैंने लिखित रूप में औचित्य का प्रश्न दिया है उसी तक अपने को सीमित रखूँगा। इस विधानसभा का निर्णय विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार होना चाहिये, उन्हीं नियमों के अन्तर्गत स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स से ही माननीय अध्यक्ष निर्देशन प्राप्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था में बताया है कि संसदीय दल की मान्यता के लिये स्टैंडिंग ऑर्डर्स की धारा में सिद्धान्त निरूपित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में हर राजनैतिक दल जो अपने संसदीय दल की मान्यता प्राप्त करने को इच्छुक है, आपके सामने उसके सदस्य, कार्य की विशिष्ट प्रणाली और कार्यक्रम क्या होगा, यह बताना पड़ेगा।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी समझ में तो नहीं आया है, पूरे हिन्दुस्तान को मालूम है, सदन के सदस्यों को मालूम है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि उनका गठबन्धन काँग्रेस (आई) से होता है या (आर) से होता है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : यह तो आज सदन में ही साबित हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पूरी प्रक्रिया में मुख्यमंत्री सखलेचाजी ने और श्री धारकर ने शुरू से हस्तक्षेप किया है। सदस्यों के निर्णय को प्रभावित करने के लिये शुरू से कोशिश की है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप कुछ भी करते रहें इस प्रदेश में काँग्रेस पार्टी (आई) अपने वर्चस्व को स्थापित करेगी और आपकी नींद हराम करेगी।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं तो यह सोच रहा था अध्यक्ष महोदय, कि यह इनकी आपसी लड़ाई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य यह है कि माननीय अर्जुनसिंह जी अपने दल के बारे में आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपके निर्णय देने के बाद भी रीकन्सीडर किया जाये लेकिन एक अपोजीशन का पूरा भाषण हम बिल्कुल शान्तिपूर्वक सुनते रहे। जो कुछ कहा सुनते रहे पर आप नाम लेकर कुछ बात कर रहे हैं उसको प्रत्युत्तर देने खड़े हुए तो उसके बीच में उठाकर फिर यह बातें कर रहे हैं क्या यह संसदीय प्रथा के अनुकूल है?

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि आज जहाँ तक विरोधी दल की मान्यता का प्रश्न है और आपके सामने इन लोगों ने दावे प्रति दावे प्रस्तुत किये हैं और आप निर्णय दे रहे हैं इसमें हम बीच में कहाँ से आ गये।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल यह नहीं है, आपसे मुझे केवल एक बात कहना है, निर्णय आपको करना है, निर्णय के बारे में रूलिंग पढ़कर सुनाई है। श्री अर्जुनसिंह जी ने जो उदाहरण दिया है उसमें भी इस बात को कहा है। स्पीकर का डिस्क्रिशन है खुद ही निर्णय करेंगे और आपने निर्णय घोषित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, दो बातों के बारे में मुझे कठिनाई है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने निर्णय किया है, अब अध्यक्ष महोदय, बिल्ली के भाग्य से अगर छींका न टूटे तो इसका आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं। यह आपका निर्णय है, इसके अन्दर हम कहीं हैं ही नहीं लेकिन जहाँ तक आपने दो तथ्यों का उल्लेख किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय अर्जुनसिंह जी अधिनायकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, अपने इस सदन के अंदर अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ काँग्रेस के अंदर जो आई हैं और जो आपातकाल के अंदर अत्याचार किये उनके बारे

में क्षमा के लिये कहा है, आपने और आप उसका दोहन कर रहे हैं, उसके साथ आप अभी तक खड़े हैं जिन्होंने पूरी तरह से दो वर्षों तक अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का नंगा प्रदर्शन इस देश के अन्दर किया है, आज भी अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

(श्री अर्जुनसिंह जी के खड़े होने पर) अब आप सुनने की भी क्षमता रखिये। अध्यक्ष महोदय, सदन का जहाँ तक सवाल है आपको इस बारे में शर्म नहीं लगती। अध्यक्ष महोदय, आप अधिनायकवाद की बात करते हैं, लेकिन विरोधी दल का नेता इस सदन में प्रवेश करने आये क्या उसका विशेषाधिकार है या कि नहीं। इस सदन के अंदर आये लेकिन उनको गेट के ऊपर गिरफ्तार किया गया, यह सदन के अंदर आवें ही नहीं, कौनसे अपराध के लिये आपने गिरफ्तार किया? उस वक्त आपकी आवाज निकली क्या? इस सदन की जब कार्यवाही चल रही थी, अर्जुनसिंह जी खड़े होकर कहते कि यह गलत कार्यवाही है। यह अधिनायकवादी प्रवृत्ति है। विरोधी दल के नेता को इस सदन में नहीं आने दिया जा रहा है। उस समय आपकी आवाज भी नहीं निकली?

श्री अर्जुनसिंह : आपका तो पैरोल बढ़ता चला गया, वह किसने किया था? वह आपके विरोधी दल के नेता ने किया था या इन्दिरा जी ने किया था?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनसिंह जी अच्छी तरह कान खोलकर सुनलें कि इस सदन के नेता का निर्वाचन करने को प्रदेश की जनता ने बहुमत में जनता पार्टी दल को है उनके विश्वास से मैं चुना गया है, आपके विश्वास पर नहीं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : जिस अधिनायकवाद की बात कह रहे हैं उसी के हाथ जोड़कर 17 महीने पैरोल में रहे हैं, इतना कहना चाहता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपको तथ्य भी मालूम नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : मैंने ही तो आपके लिये सिफारिश की थी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : विरोधी दल के नेता न चुने जायें इसके लिये इतना रोष खाने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय होने वाला है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जहाँ तक नेशनल कांग्रेस के बारे में जिस रूल को यहाँ कोट किया गया आप चुनाव कमीशन की बात कर रहे थे, चुनाव कमीशन केवल सिम्बल तय करता है, चुनाव कमीशन आल इंडिया पार्टीज के प्रोग्राम तय नहीं करता। यह तय हुआ जिसमें काँग्रेस का डिवीजन हुआ उस समय कोर्ट के अंदर तय हुआ, केवल सिम्बल के रूप में रिकग्राइज करने की बात कही है और जहाँ तक कम से कम अधिनायकवाद के खुले कमरे में रहने के बाद दूसरे पर पत्थर फेंकने का प्रयास न करें इसमें आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सखलेचा जी यह बात भूल गये कि इसी प्रकार के जोड़-तोड़ के आधार पर ही संविद काल में उप-मुख्यमन्त्री बने थे हमारे यहाँ तो यह जोड़-तोड़ है नहीं। खुले दिल से जो आना चाहे वह आये। लेकिन संविदकाल में आप उप-मुख्यमंत्री किस आधार पर बने थे? उस समय क्या सब इकट्ठे चुनकर आये थे उसी आधार पर आप क्या उप-मुख्यमन्त्री थे और संविद शासन बना था? क्या उस समय सबकी मान्यता एक थी चुनाव में? जो यहाँ पर रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह उस तथ्य को भुलाकर यहाँ पर दलील दे रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, अधिनायकवाद के विरोधी मुझे बोलने देंगे या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है उस पर मैं बोल रहा हूँ। यह अधिनायकवाद के विरोधी मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा, यह अधिनायकवाद विरोधी मुझे बोलने देंगे या नहीं?

(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जोशी : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह था, अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि सदन का समय अशासकीय संकल्पों के लिये ही बढ़ाया गया था।

अध्यक्ष : आपके इस निर्णय के लिये ही समय बढ़ाया गया था।

श्री हरिभाऊ जोशी : सब को अनलिमिटेड समय तक भाषण देने की सुविधा नहीं मिल सकती। अध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय घोषित कर दिया है और अब इस पर और बहस की गुंजाइश नहीं रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि काफी समय हो गया है सब ही थक गये हैं और समय न बढ़ाया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूँगा कि सदन थोड़ा समय बढ़ा दे और उनको सुन लिया जाये।

(नहीं—नहीं) (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करूँगा कि थोड़ा समय बढ़ा दिया जाये।

(नहीं—नहीं) (व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिये जो संख्या वाली बात है उसके लिये मैंने कुछ नहीं कहा है। किसी संख्या के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। इतना वातावरण गरम हो जायेगा ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं थी क्योंकि किसी प्रकार का कोई निर्णय हुआ नहीं है। केवल जो प्रश्न था, ज्यादा इन दो के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी। केवल उसी के लिये मैंने कहा कि यह बात विचारणीय हो सकती है। उसके अतिरिक्त 71 (2) 'क' के संबंध में मैंने कहा था कि यह प्रश्न विचाराधीन हो सकता है। इसके सम्बन्ध में, मैं और अधिक अध्ययन करना चाहूँगा। इसके लिये ही समय बढ़ाने की बात कही गई थी। मैंने अभी इस बात का निर्णय किया नहीं है। मैं 71 (2) 'क' का अध्ययन करना चाहूँगा इसलिये ही यह समय बढ़ाया था। किसी की संख्या कम या ज्यादा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। अगर यह प्रश्न थोड़ी देर के लिए या कुछ दिन के लिये लम्बित हो जाये तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि इसका निर्णय हो गया।

विधानसभा सोमवार दिनांक 20 मार्च, 78 को 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

6 बजकर 25 मिनट पर विधानसभा सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 1978, 29 फाल्गुन शक संवत् 1899 के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 मार्च 1978, पृष्ठ/613-618)

अध्यक्ष ने 20 मार्च 1978 को विरोधी दल को मान्यता देने की घोषणा की। कांग्रेस (आई) को विरोधी दल की मान्यता प्राप्त हुई और श्री अर्जुनसिंह विरोधी दल ने नेता घोषित किये गये। घोषणा के बाद हुई चर्चा के दौरान श्री रामानन्दसिंह ने यह कह दिया कि आने वाले समय में श्रीमती इंदिरा गांधी की वही हालत होगी जो पाकिस्तान में भुट्टो की हुई। उन्हें देश की जनता ने कूड़ेदान में फेंक दिया है। इन शब्दों को कार्रवाई से निकालने का आग्रह श्री अर्जुनसिंह ने किया और अध्यक्ष द्वारा निर्णय न दिये जाने के कारण काँग्रेस (ई) और काँग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। अध्यक्ष की घोषणा और चर्चा यहाँ दी जा रही है—

अध्यक्ष : सदन को स्मरण होगा कि दिनांक 3 मार्च, 1978 को विरोधी दल को मान्यता देने के प्रश्न पर मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, क्योंकि मुझे थोड़ा और अध्ययन करना था। उस दिन काँग्रेस (ई) पक्ष के दो

सदस्य सर्वश्री प्रभुनारायण टण्डन तथा हुलासराम मनहर के सम्बन्ध में दूसरे पक्ष की ओर से आपत्ति उठाई गई थी कि जो सूचनाएँ काँग्रेस (इ) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में दोनों सदस्यों की ओर से प्राप्त हुई, उन पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये। दिनांक 9-3-78 को श्री प्रभुनारायण टण्डन स्वयं विधानसभा सचिवालय आए और सचिव, विधानसभा के समक्ष लिखकर दे गये कि वे काँग्रेस (इ) के साथ हैं जिसके नेता श्री अर्जुनसिंह हैं। श्री हुलासराम मनहर की ओर से भी मेरे पास लिखित रूप में दिनांक 14-3-78 को सूचना प्राप्त हो गई है कि वे काँग्रेस (इ) के साथ हैं, जिसके नेता श्री अर्जुनसिंह हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा सदस्य श्री भवानी लाल वर्मा की ओर से दिनांक 18-3-78 को लिखित सूचना प्राप्त हुई है कि वे कांग्रेस (इ) के साथ हैं दिनांक 3-3-78 को विधानसभा सदस्य श्री हजारीलाल रघुवंशी तथा श्री दिग्विजयसिंह ने लिखित में सूचना दी थी कि वे दोनों कांग्रेस (इ) के साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है.....

श्री भंवरसिंह पोर्ते : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि जब आप बोल रहे हैं उस समय पटवा जी खड़े हो गये यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष : उन्होंने हाथ उठा दिया था।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है और वह यह है कि आप जो व्यवस्था देने जा रहे हैं उसके संबंध में, मैं नियमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, श्रीमान् अपनी व्यवस्था में इस सदन में प्रमुख विरोधी दल कौन है उसकी घोषणा करेंगे और उस दल को अधिकृत मान्यता देंगे। उसके बाद उस दल के सदस्य अपने नेता का चुनाव करके उसकी आपको सूचना देंगे। उसके बाद ही आप सदन को सूचित करेंगे कि प्रमुख विरोधी दल का नेता कौन है।

अध्यक्ष : स्थायी आदेश के सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई गई थी उसकी व्यवस्था मैंने दी है।

अभी आपत्ति यह की गई है कि जब तक प्रमुख विरोधी दल की ओर से नेता की सूचना प्राप्त न हो तब तक नेता की घोषणा नहीं की जा सकती। मैं इस संबंध में यह बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों (सदस्यों) ने मुझे लिखकर दिया है जिसे मैंने वेरीफाई किया है, उन्होंने काँग्रेस (इ) दल का नेता श्री अर्जुनसिंह को बताया है। उन्होंने यह कहा है और लिखकर दिया है काँग्रेस (इ) दल के नेता श्री अर्जुनसिंह हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह प्रक्रिया नहीं है।

अध्यक्ष : गलत होगी तो मैं देख लूँगा। इस प्रकार से अब काँग्रेस (इ) दल की सदस्य संख्या 46 हो गई है। काँग्रेस (इ) दल की संख्या गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या से अधिक है, अतः मैं काँग्रेस (इ) दल को संसदीय दल के रूप में मान्यता देता हूँ। चूँकि विरोधी दलों में काँग्रेस (इ) दल की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इस दल को मैं मुख्य विरोधी दल घोषित करता हूँ तथा इसके नेता श्री अर्जुनसिंह को विरोधी दल का नेता घोषित करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने अत्यन्त निष्पक्षता और सहिष्णुता से इस पक्ष को परखा और सदन को सूचित किया। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश के हजारों लाखों मतदाताओं ने काँग्रेस (आई) के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है और इस दल के कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक जोखिम उठाकर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली काँग्रेस का समर्थन किया है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री हरिभाऊ जोशी : श्रीमती इन्दिरा गांधी आंध्र और कर्नाटक तक ही सिमिट कर रह गई हैं।

श्री रामानन्दसिंह : आने वाले समय में उनकी वही हालत होगी जो भुट्टो की हुई है।

श्री अर्जुनसिंह : मध्यप्रदेश में जनहित के जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें हमारा दल बराबर सहयोग करता

रहेगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश के पिछड़े वर्गों के हितों के लिए अगर संघर्ष करना पड़ेगा तो उस संघर्ष के लिए भी हमारा दल तैयार रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री हरिभाऊ जोशी: आपके दल से यह आश्वासन चाहिए कि वह प्रजातन्त्र पर भरोसा रखेगा। इसके सिवा दूसरे आश्वासन की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा गांधी ने क्या किया और क्या नहीं किया और कौन किसका नेता हो, वह विषय से सम्बन्धित नहीं है। जिस विषय का सम्बन्ध था उस विषय में आपकी बातें मैंने सुन ली हैं।

श्री भंवरसिंह पोर्ते : अध्यक्ष महोदय, श्री रामानन्द सिंह जी ने अभी सदन में यह कहा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की वही हालत होगी जो पाकिस्तान में भुट्टो की हुई है। इससे जनता पार्टी की सरकार की मन्शा जाहिर होती है कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ यही करने वाली है।

(व्यवधान)

श्री रामानन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, आचार्य कृपलानी ने भी यह कहा था कि अगर और कोई देश होता तो ऐसी औरत को फाँसी पर लटका दिया जाता।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मन्त्री महोदय ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जो शिष्टता के विपरीत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक मन्त्री द्वारा किया जाना निन्दनीय और अशोभनीय है। यह शब्द कार्यवाही से निकाले जाने चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामानन्दसिंह : देश की जनता ने इन्दिरा गांधी को कूड़ेदान में फेंक दिया है। उसे आप वापस नहीं ला सकते।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग मन्त्री जी कर रहे हैं उसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में पूर्व में ही व्यवस्था दे दी है। इसके बाद भी श्री पोर्ते खड़े होकर इस विषय में चर्चा करने लगे। इस प्रकार से सदन में बोलकर सदस्यों को उकसाना और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना अच्छा नहीं मालूम पड़ता। जो भी शब्द यहाँ कहे गये हैं (जैसे कूड़ेदान आदि) मैं उन पर विचार करूँगा और ऐसे शब्द जो निन्दनीय हैं अथवा जिनकी आवश्यकता नहीं है उन अंशों को जो निकालने लायक हैं उनको कार्यवाही से निकालने के आदेश दूँगा। इस विषय पर अब इसके आगे चर्चा नहीं होगी। इस विषय पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूँ व जैसा उचित समझूँगा करूँगा व अपने निर्णय की सूचना आपको भी दूँगा।

(व्यवधान)

श्री रामानन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन्दिरा गांधी देश की नेता हैं ऐसा कहा गया है यह भी कार्यवाही से निकाला जावे।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप खड़े हुए हैं फिर भी मन्त्री महोदय बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है .....

श्री रामानन्दसिंह : (व्यवधान के बीच) देश में जो आपातकाल चला वह आपकी स्थिति में ठीक होगा .....

श्री अर्जुनसिंह : (व्यवधान के बीच) अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की नजरों में कुछ भी रहा हो .....

श्री रामानन्दसिंह : ठीक है, आपकी नजरों में वह देवी दुर्गा हो सकती हैं हमारी नजर में तो वह देश के प्रति अपराधिनी हैं .....

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि सदन में व्यक्तिगत रूप से अगर किसी पर आरोप,

आक्षेप लगाकर चर्चा की जावेगी तो आप उसकी अनुमति नहीं देंगे। मेरा आप से पुनः निवेदन है कि मन्त्री महोदय ने जो शब्द कहे हैं उनको कार्यवाही में से निकालने की अनुमति दी जाये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीमती गांधी को रायबरेली में भी नेता नहीं माना गया।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी आपने सदन में विरोधी दल के नेता तथा विरोधी दल को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में बताया। श्री अर्जुनसिंह ने अभी कहा कि प्रदेश की जो समस्याएँ हैं उनको हल करने में उनका और उनके दल का पूरा सहयोग होगा। मैं उनके विचारों का स्वागत करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रदेश हम सबका है। मुख्य विरोधी दल सत्तारूढ़ दल के साथ पूरी शक्ति के साथ प्रदेश के कल्याण के लिए जुटे यह दृष्टिकोण जो रखा गया है मैं उसका पुनः स्वागत करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय में आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं पुनः सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चर्चा को आप जितना बढ़ाएँगे उतने ही अधिक पेजेज इस चर्चा से रंग जावेंगे। मेरा यही निवेदन है कि इस चर्चा को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। बाद में इस चर्चा के बाबत मैं अपनी व्यवस्था दूँगा। इस बारे में अब कुछ नहीं सुनूँगा।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कौन-सा शब्द संसदीय है अथवा असंसदीय है इसके संबंध में आपको तत्काल अपनी रूलिंग देना चाहिए व उसके अनुसार असंसदीय शब्दों को तत्काल कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह शब्द नही है, यह तो पूरा विषय है अतः जैसा मैंने ऊपर कहा कि जो चर्चा हुई है उस पर मैं विचार कर लूँगा।

श्री बसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, जैसा रामानन्द सिंह जी ने भुट्टो का सन्दर्भ देते हुए इन्दिरा जी के सम्बन्ध में कहा यह उचित नहीं है, ये शब्द उन्हें वापस लेना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें खेद है जो संसदीय शब्द नहीं हैं उन्हें तत्काल निकाल देना चाहिये—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सारे मामले को देखूँगा और इसको देखने के बाद ही विचार करूँगा, मैं पूरे विषय को देख लूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : तब अध्यक्ष महोदय, हमें सदन से बाहर जाना पड़ेगा।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के भुट्टो के खिलाफ 302 का मुकदमा दायर किया गया था क्या आपने इन्दिरा जी के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया है, क्या आप अब कायम करने जा रहे हैं, झूठा मुकदमा चलाने जा रहे हैं .....

(व्यवधान)

{काँग्रेस (इ) और काँग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया}

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 मार्च 1978, पृष्ठ/745-748)

21 मार्च 1978 को श्री अर्जुनसिंह ने पार्वती पेयजल योजना के समर्थन में सीहोर नगर बन्द के आयोजन में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की घटना को लेकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। इस प्रस्ताव पर चर्चा यहाँ प्रस्तुत है—

अध्यक्ष : मेरे पास सीहोर नगर की पार्वती जल प्रदाय योजना को स्वीकार किये जाने हेतु प्रदर्शनकारियों पर

पुलिस द्वारा अश्रुगैस व लाठी किए जाने के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं—

पहली सूचना : श्री अर्जुनसिंह सदस्य की, **दूसरी सूचना :** श्री यज्ञदत्त शर्मा एवं श्री मोतीलाल वोरा सदस्य की तथा **तीसरी सूचना :** श्री लीलाधर सदस्य की हैं। चूँकि श्री अर्जुनसिंह सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई है अतः मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ—

दिनांक 20-3-78 को पार्वती योजना को स्वीकार करने के समर्थन में सीहोर नगर बन्द का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी दलों के लोगों ने भाग लिया। कुछ असामाजिक तत्वों ने जिनको कि जनता पार्टी का समर्थन था उन्होंने बन्द को असफल करने का प्रयास किया और दुकानें जबरदस्ती खुलवाने का प्रयत्न किया। इस झगड़े में श्री विष्णुदयाल समाधिया पर हमला किया गया और इससे नगर में तनावपूर्ण वातावरण निर्मित हो गया है। लोग जुलूस बनाकर पुलिस थाने पर पहुँचे और इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की माँग की। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय 144 धारा लगाकर प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया, अश्रुगैस छोड़ी एवं हवाई फायर भी किया। इस माँग के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे श्री दौलतराम त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 5 हजार लोगों का जुलूस कोतवाली चौराहे पर प्रदर्शन के लिए पहुँचा जिसमें 500 से अधिक महिलाएँ भी सम्मिलित थीं। पुलिस के असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार न करने की वजह से व जनहित में इस पार्वती योजना को कार्यान्वित न करने के निर्णय से सीहोर नगर में तनाव का वातावरण निर्मित हो गया है जिससे शान्ति और व्यवस्था भंग होने की सम्भावना है अतएव सार्वजनिक महत्व के इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर चर्चा करने हेतु दिनांक 21-3-78 को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की जावे।

इसके सम्बन्ध में शासन का क्या कहना है?

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी (गृह पुलिस मंत्री) : प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र युवा संघर्ष वाहिनी सीहोर द्वारा दिनांक 20-3-78 को 'सीहोर बन्द' का आहान किया गया था जिस पर से प्रातः काल से ही बाजार बन्द था तथा घोषणा के अनुसार दिन के 10 बजे जुलूस निकलने वाला था। इस जुलूस का समय बाद में बदल कर दिन के 1 बजे कर दिया गया था। परन्तु एक अलग जुलूस छात्र एवं युवा वर्ग (400) द्वारा सीहोर नगर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया जो कलेक्टोरेट में जाकर समाप्त हो गया। इस जुलूस के कुछ समय बाद कुछ व्यक्तियों ने जो कि थाने में एक समूह में आये थे यह सूचना दी कि जुलूस से लौटते समय कुछ लोगों ने जबरदस्ती से दुकानें बन्द कराईं, मारपीट की तथा गाली-गलौच किया। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है। जब ये लोग थाने में रिपोर्ट लिखा रहे थे उसी समय जुलूस निकालने वाले प्रदर्शनकारियों का एक जत्था कोतवाली में आया तथा नारेबाजी की। इन लोगों ने गाली-गलौच तथा मारपीट भी की। इस सम्बन्ध में इनकी रिपोर्ट लिखी जाकर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही की गई।

दोनों पक्षों में आपसी तनाव इतना बढ़ गया था कि कोई भी गम्भीर घटना घट सकती थी। अतः परिस्थिति को देखते हुए संपूर्ण सीहोर नगर में दिनांक 20-3-78 के 10.45 बजे से दिनांक 24-3-78 के 8 बजे प्रातः तक के लिये धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये गये।

निषेधाज्ञा जारी होने के पश्चात् एक जुलूस पुनः निकाला गया जो कि कलेक्टोरेट पहुँचा। जुलूस की सूचना मिलने पर जिला दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मय अनुविभागीय अधिकारी के मौके पर पहुँचे और लाउड स्पीकर द्वारा जुलूस को तितर-बितर होने का एलान किया। प्रदर्शनकारी तितर-बितर होने के बजाय पुलिस पर पथराव शुरू करने लगे जिसके कारण पुलिस अधिकारियों को चोटें आईं तथा पुलिस के एक वाहन को भी क्षति पहुँची है। इस एलान के पश्चात् भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई अतः चेतावनी के पश्चात् उन पर अश्रुगैस का प्रयोग किया गया। किसी प्रकार का लाठी चार्ज अथवा हवाई फायर नहीं किया गया। अश्रुगैस छोड़े जाने के पश्चात् भीड़ तितर-बितर हो गई।

कुछ लोगों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया।

श्री दौलतराम त्यागी जो कि दिनांक 17-3-78 से आमरण अनशन पर बैठे थे उन्हें धारा 151 जा. फौ. के अन्तर्गत गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

श्री रामानन्दसिंह (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि राज्य शासन ने पार्वती योजना को कार्यान्वित न करने का निर्णय लिया है। वास्तविकता यह है कि सीहोर नगर के जलकष्ट को देखते हुए राज्य शासन ने वर्ष 1973 में जल प्रदाय योजना के सुधार हेतु 290 लाख रु. की राशि नगरपालिका, सीहोर को दी जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान था तथा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में था। पृथक पार्वती नदी से जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण कर 111.41 लाख रु. की अनुमानित लागत से वर्ष 1972 में योजना बनाई गई तथा केन्द्रीय शासन ने दिसम्बर 1972 में इस योजना को तकनीकी स्वीकृति दी। वित्तीय साधनों के अभाव में इस योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

इसी माह सीहोर नगर का प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्यमन्त्री जी तथा मुझसे (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से) पार्वती योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में मिला था। प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया गया था कि सीहोर नगर की पेयजल व्यवस्था से राज्य शासन सजग है तथा समस्त तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा कि क्या पार्वती नदी से जल प्रदाय ही एकमात्र विकल्प है अथवा कम लागत से किसी अन्य स्त्रोत से भी नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जा सकती है। पार्वती नदी से जल प्रदाय की योजना की संशोधित लागत अब लगभग 2 करोड़ रु. होगी। नलकूपों पर आधारित कम लागत की वैकल्पिक योजना संभव है या नहीं इसका परीक्षण किया जा रहा है।

सीहोर नगर के लिये समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ योजना क्या होगी इस पर निर्णय शीघ्र लिया जायेगा। यह एक दुर्भाग्य ही है कि आश्वासन देने के पश्चात् भी पार्वती नदी को सीहोर लाने के सम्बन्ध में आन्दोलन का रुख अपनाया गया तथा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये जिला प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के लिये बाध्य होना पड़ा।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस योजना को क्रियान्वित करने का प्रश्न है, यदि शासन की ओर से योजना क्रियान्वित करने की घोषणा होती है तो उसका स्वागत किया जावेगा, हम उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं उपस्थित करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रश्न आपसी बातचीत के दौरान और आपसी समझाइश के माध्यम से शासन अपनी मन्शा को स्पष्ट कर सकता था जिससे वहाँ के लोगों का भ्रम दूर हो सके, लेकिन शासन ने वह न करके इस प्रकार की चर्चाओं से वहाँ के लोगों में इस बात का सन्देह पैदा कर दिया कि शासन इस योजना को लेना चाहता है भी या नहीं। इसके बाद शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर शासन को एक बार फिर मौका दिया गया कि वह वहाँ की जनता का भ्रम दूर करे लेकिन बजाय समाधान के लाठियों एवं अश्रुगैस के माध्यम से वहाँ के शान्तिप्रिय नागरिकों के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न की। मुझे श्री रामानन्द सिंह जी का वक्तव्य सुनकर आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने यह कला सीख ली है कि जिस प्रकार किया जाये उसके विपरीत वक्तव्य दिया जाये। मैं समझता हूँ कि यह कला उनको मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं सिखाई होगी, उन्होंने अपने आप यह कौशल उत्पन्न कर लिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तथ्यों को तोड-मरोड़ कर उनका समाधान उन्हें भले ही लेकिन सदन और जनता का समाधान नहीं हो सकता। जिन असामाजिक तत्वों ने मारपीट आदि करके तनाव पैदा किया है उनके खिलाफ पुलिस को कार्यवाही करना चाहिये, तभी वहाँ शान्ति कायम हो सकती है।

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी : तथ्यों को तो माननीय अर्जुनसिंह स्वयं तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं .....

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर-2): मैं समझता हूँ कि हमारी दृष्टि से जो सरकार की इन्फर्मेशन है वह ज्यादा करेक्ट है। पहली बात तो यह कि रामानन्द सिंह जी ने जो जानकारी दी, यदि शासन इस बारे में पहल करने जा रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिये, लेकिन साथ ही उनसे यह अपेक्षा करता हूँ कि वे इस बात की घोषणा करें कि 15 दिन या एक महीने कब तक योजना को प्रारम्भ करेंगे इस प्रकार का लम्बा जवाब नहीं कि विचार चल रहा है, विचार तो सदियों चलता रहता है आप घोषणा करें कि कितने समय में योजना का निकाल करेंगे। जहाँ तक दुर्घटना का प्रश्न है मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि कम से कम मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह नहीं कहा कि कांग्रेस वालों ने ऐसा करवाया .....

एक माननीय सदस्य : सच्चाई तो यही है .....

श्री यज्ञदत्त शर्मा : शासन को नहीं इनको मालूम है। समस्या यह है कि सारी जनता एक साथ है। आपकी करनी के खिलाफ समग्र क्रांति है। समग्र आवाज है।

(व्यवधान)

श्री नारायणप्रसाद गुप्ता : 19 मार्च को दिन के 4 बजे जिलाध्यक्ष ने विरोधी दलों के सदस्यों की मीटिंग बुलाई किन्तु उन्होंने आने से इंकार किया।

अध्यक्ष : मिस्टर गुप्ता आप बैठ जायें।

श्री नारायणप्रसाद गुप्ता : विरोधी दल के नेता श्री अर्जुनसिंह ने जो आरोप लगाये हैं मैं उनका खंडन करता हूँ। प्रदर्शनकारियों ने दुकानें लूटीं हैं .....

(शेम शेम)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। यह बोलने का तरीका नहीं है। आप बैठ जाइये। यह नहीं होता है कि आप रोष में आकर खड़े हो जावें और अपनी मनमर्जी से बोलते जायें। आप विधायक हैं आपको सहन करना पड़ेगा, आपको आदेश मानना पड़ेगा। आप आरोपों से क्यों घबरा रहे हैं .....

श्री नारायणप्रसाद गुप्ता : मैं आरोपों का खंडन करना चाहता हूँ .....

अध्यक्ष : आप आरोपों से डरते क्यों हैं?

श्री नारायणप्रसाद गुप्ता : काँग्रेसियों ने जुलूस निकाला और दुकानें लूटी हैं।

अध्यक्ष : गुप्ता जी आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये मि. पोर्ते शासन का वक्तव्य सुनने के बाद मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/21 मार्च 1978, पृष्ठ/861-863)

1 अप्रैल 1978 को प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह का एक स्थगन प्रस्ताव सदन में आया जो जगदलपुर में आदिवासी छात्रा यशोदा की हत्या से संबंधित था। इस विषय पर कुल चार स्थगन प्रस्ताव आये पर विस्तृत तथ्यों से परिपूर्ण होने के कारण अध्यक्ष ने श्री अर्जुनसिंह के प्रस्ताव को ही पढ़कर सुनाया। श्री अर्जुनसिंह ने शासन से न्यायिक जाँच की माँग की और चर्चा का समय माँगा। अनेक सदस्यों ने प्रदेश में बढ़ रही हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर रोष व्यक्त किया। अन्ततः अध्यक्ष महोदय ने 3 अप्रैल को चर्चा के लिए आधे घण्टे का समय निश्चित किया। बहुत ही तीखी बहस होने के बाद भी जनता सरकार इस घटना की न्यायिक जाँच के लिए तैयार नहीं हुई। अन्ततः विरोधी दल के सदस्यों ने न्यायिक जाँच स्वीकार न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। दोनों दिन की चर्चा यहाँ दी जा रही है—

अध्यक्ष : मेरे पास जगदलपुर की एक छात्रा की हत्या करके उसे मिट्टी का तेल डालकर जलाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं— (1) पहली सूचना सदस्य श्री शिवभानु सोलंकी तथा श्री वासुदेव चन्द्राकर की है। (2) दूसरी सूचना सदस्य श्री मानकूराम सोड़ी, महादेवप्रसाद हजारी, तथा श्री शिवकुमार श्रीवास्तव की है। (3) तीसरी सूचना सदस्य श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री चित्रकांत जायसवाल तथा श्री मोतीलाल वोरा की है। (4) चौथी सूचना सदस्य श्री अर्जुनसिंह की है।

श्री शिवभानु सोलंकी तथा श्री वासुदेव चन्द्राकर की सूचना में घटना किस दिनांक की है इसका भी उल्लेख नहीं है। श्री अर्जुनसिंह की सूचना में इस तारतम्य में दिनांक 22, 27 एवं 29 को जो कार्यवाही की गई उसका भी उल्लेख है तथा घटना के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्य दिये गये हैं अतः मैं श्री अर्जुनसिंह, सदस्य की सूचना को पढ़कर सुनाता हूँ—

"दिनांक 16-3-78 को जगदलपुर जिला बस्तर के लक्ष्मीबाई कन्या शाला की 9वीं कक्षा की एक आदिवासी छात्रा कु. यशोदा का जला हुआ शव बनकापारा वार्ड के खेत में बरामद हुआ। दिनांक 15-3-78 की रात्रि को ही मृत कु. यशोदा के अभिभावकों ने पुलिस में उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटनास्थल पर मिट्टी के तेल का एक डिब्बा भी बरामद हुआ। इस प्रकरण की छानबीन सही तरीके से नहीं हो पा रही है और कु. यशोदा के साथ कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किये गये बलात्कार एवं हत्या के प्रकरण को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। डाक्टर अग्रवाल जिन्होंने पोस्ट मार्टम किया उन्होंने सही तथ्यों को रिपोर्ट में अंकित नहीं किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चपरासी श्री रविशंकर से सहीं ढंग से जानकारी लेने में भी पुलिस असमर्थ रही है। इन सब तथ्यों को देखते हुएं स्थानीय नागरिकों में भयंकर असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है। आदिवासी छात्रों एवं छात्राओं ने जनरोष को व्याप्त करने के लिए दिनांक 22-3-78 को शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जिस पर अश्रूगैस छोड़े गये व लाठी चार्ज किया गया। दिनांक 27-3-78 को छात्रों ने पुनः इस अपराध के लिये किसी की गिरफ्तारी न होने की वजह से एक जुलूस निकाला और अपना असंतोष व्यक्त किया, दिनांक 29-3-78 को जगदलपुर प्रवास के समय मन्त्री श्री बलिराम कश्यप को भी एक ज्ञापन प्रस्तुत करके कार्यवाही की माँग की गई। इस सबके बावजूद कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इस जघन्य काण्ड के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को परोक्ष रूप से संरक्षण ही प्राप्त हो रहा है जिसकी वजह से बस्तर व अन्य जिलों के भी आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में भयंकर असन्तोष फैल रहा है जो किसी भी समय विस्फोटक रूप ग्रहण कर सकता है। अतएव इस अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए आज दि. 1-4-78 को सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे।"

शासन का इस सम्बन्ध में क्या कहना है?

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी (गृह 'पुलिस' मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार दि. 15/16-3-78 की मध्यरात्रि में 01-30 बजे श्री शंभुनाथ हल्वा निवासी पनारापारा ने थाना जगदलपुर में आकर रिपोर्ट की कि उसकी 16 वर्षीय लड़की कुमारी यशोदा अपनी अन्य सहेली कोसा तथा लक्ष्मिन के साथ नाच देखने गई थी, वह गुम हो गई है। उक्त रिपोर्ट थाना जगदलपुर से दिनांक 15/16-3-78 को अंकित की जाकर एक उप निरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक एवं चार आरक्षकों को तुरन्त तलाश हेतु भेजा गया। रात्रि में 03-30 बजे तक तलाश पर कोई पता कुमारी यशोदा का नहीं चला। दिनांक 16-3-78 को प्रातः 6.30 बजे तक पुनः श्री शंभुनाथ ने श्री रविशंकर ठाकुर के साथ थाना जगदलपुर में जाकर रिपोर्ट की कि उसकी लड़की कुमारी यशोदा की लाश जली हुई मृत अवस्था में खेत में पड़ी है। घटना पर संदिग्ध अकाल मृत्यु क्रमांक 20/78 का प्रकरण पुलिस द्वारा पंजीबद्ध कर जाँच प्रारंभ की गई। शव का परीक्षण कराया गया। डाक्टर की शव परीक्षण रिपोर्ट थाना जगदलपुर पुलिस में 17-3-78 के 11.00 बजे दिन प्राप्त हुई। शव परीक्षण में मृत्यु का कारण डाक्टर ने निम्न बताया—

Death due to following reasons—

1- Suffocation due to inhalation of smoke carbondioxide, carbon monoxide due to burn.

2- Instantaneous death due to shock of burn.

3- Burn was antimortem.

4- No opinion can be given regarding of Homicidal.

दिनांक 17-3-78 को इस प्रकरण में अपराध क्रमांक 20/378 धारा 302 भा.द.वि.के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अभी तक की विवेचना में छात्रा कुमारी यशोदा पर आरोपित बलात्कार के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई है। यह सही है कि शव के पास से टीन का डिब्बा तथा माचिस जब्त की गई है। दिनांक 19-3-78 को घटनास्थल के पास रविशंकर के घर के पीछे बाड़ी में लगे फेंसिंग से कुछ बाल तथा उसके घर से खून लगी मिट्टी जब्त की गई है जो जाँच के लिए रासायनिक परीक्षण के लिये भेजी गई है। प्रकरण में अभियुक्तों की तलाश पुलिस द्वारा तत्परता से की जा रही है । भरसक प्रयास के उपरांत भी साक्ष्य के अभाव में अभी तक किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

यह सत्य नहीं है कि क्षेत्र के लोगों में विशेषतः आदिवासियों में आतंक व भय का वातावरण बना हुआ है। प्रकरण की अग्रिम विवेचना पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल के निरीक्षक द्वारा की जा रही है।

पूछताछ के दौरान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग श्री जी.सी. वाजपेयी रविशंकरसिंह चपरासी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ पुलिस पार्टी विवेचना जप्ती आदि की कार्यवाही कर रही थी। श्री वाजपेयी ने सहायक निरीक्षक मसीह से बातचीत की। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी बस्तर ने शासन को एक रिपोर्ट दिनांक 27 को भेजी है जिसमें उन्होंने श्री वाजपेयी द्वारा विवेचना पर उत्पन्न किए गए व्यवधान का उल्लेख किया है। यह शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से सम्पर्क साधा जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि माननीय गृहमंत्री महोदय का जो वक्तव्य है वह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि इस घटना से संबंधित बहुत से तथ्य अभी तक शासन के सामने नहीं आये हैं और वह अधिकारिक रूप से कुछ कह सकने में असमर्थ हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। एक अत्यंत ही जघन्य अपराध किया गया है, उसको छिपाने में बड़े-बड़े अधिकारी संलग्न हैं। यह प्रश्न कोई विस्फोटक रूप धारण न कर ले— यह हमारा इरादा है और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही इरादा होगा, इसलिये यह आवश्यक है कि इस पर विधानसभा में चर्चा हो ताकि हमारे पास जो तथ्य हैं, उन्हें हम रख सकें और घटना के संबंध में शासन की मंशा से भी अवगत हो सकें और पूरी चीज सदन के सामने आ सके। अध्यक्ष महोदय, इसका एक ही तरीका है कि आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति दें ताकि सदन में चर्चा के बाद इस प्रश्न पर उचित रूप से कार्यवाही की जावे।

श्री नरनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक-एक घटना पर यदि इतना समय लिया जायेगा तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? हमारे जिले में ही 30-40 हत्याएँ हुई हैं। अगर एक हत्या पर सदन में चर्चा होती रहेगी तो कैसे काम चलेगा?

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस घटना में पुलिस के अफसर शामिल हैं, अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी?

(व्यवधान)

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मुख्य न्यायाधीश का पत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कानून के वेत्ता हैं। बस्तर की बाला की हत्या की इस घटना से वहाँ का जनमानस प्रभावित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना के बारे में अपना सारगर्भित भाषण दे दें।

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की शंकाएँ व्यक्त की हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रकरण की तत्परतापूर्वक जाँच की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री विद्याभूषण ठाकुर : जगदलपुर की घटना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए।

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के हस्तक्षेप की जो बात कही गई है उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

पूछताछ के दौरान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम वर्ग जी.सी. वाजपेयी रविशंकर सिंह चपरासी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ पुलिस पार्टी विवेचना, जप्ती आदि की कार्यवाही कर रही थी। श्री वाजपेयी ने सहायक उपनिरीक्षक मसीह से बातचीत की इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी बस्तर ने शासन को एक रिपोर्ट दिनांक 23-7-78 को भेजी है जिसमें उन्होंने वाजपेयी द्वारा विवेचना में उत्पन्न किए गए व्यवधान का उल्लेख किया है। यह रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से सम्पर्क साधा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री विद्याभूषण ठाकुर : (व्यवधान के बीच) आदिवासियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस काण्ड के पश्चात् डी.आई.जी. रायपुर, एस.पी. तथा कलेक्टर कोई भी अधिकारी स्पाट पर नहीं पहुँचे (व्यवधान) वहाँ के मंत्री श्री कश्यप जी को सब मालूम है। उन्होंने वहाँ पहुँच कर बीच बचाव किया। हमारे गृह मंत्रीजी मामले की पूरी जानकारी एकत्रित करने में कमजोर रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

अध्यक्ष : आपको जो कुछ भी कहना है थोड़े में कहें तो बहुत अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बस्तर में जो आदिवासी बाला का हत्याकाण्ड हुआ है यह निसन्देह बहुत गंभीर मामला है। एक आदिवासी 14 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इस अपराध को छुपाने में वहाँ के न्यायपालिका के लोग भी साथ दे रहे हैं। जहाँ जिस शासन में जो कि न्याय के रक्षक होते हैं यदि वह भक्षक बन जाते हैं तो क्या स्थिति होगी यह अनुमान लगाया जा सकता है। (शेम शेम) अगर इस प्रकार के जघन्य अपराध के मामले में भी सदन में यदि चर्चा की अनुमति आपके द्वारा नहीं दी गई तो वह कौन-सा मामला होगा जिस पर आप अनुमति प्रदान करेंगे? अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप चर्चा की अनुमति प्रदान करें जिससे सारे तथ्य सदन के सामने आ जावें और इसके पश्चात् शासन का उत्तर आये (व्यवधान) यही मेरा आपसे आग्रह है इससे शासन को भी जाँच तथा अन्य कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, इस घटना में एक और महत्वपूर्ण बात है। वह यह कि जिस व्यक्ति के घर से सामान जब्त हुआ है जिस व्यक्ति के घर से मिट्टी का तेल और खून से सने कपड़े पाये गये वह घटना का चश्मदीद गवाह है। उस व्यक्ति को भी जान से मारने के प्रयास हो सकते हैं। इस अत्यन्त आवश्यक प्रकरण का पूरा पता लगाने के लिये उस चौकीदार के प्राणों की रक्षा की जावे।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार सिंह (बुरहानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बड़ी चतुराई के साथ इस बात को छुपाने का प्रयास किया गया है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि जब शव का परीक्षण किया जाता है तो यह तथ्य सामने आ जाता है कि संबंधित लड़की के साथ बलात्कार किया गया है अथवा नहीं। वह 9वीं कक्षा की नाबालिग, 15, 16 वर्ष की बालिका थी अगर शव परीक्षण में पूरी तरह से यह एस्टेबलिश नहीं होता कि बालिका को जलाने से पूर्व उसके साथ बलात्कार किया गया तो मुझे कहना पड़ेगा कि संबंधित डॉक्टर, वहाँ के अधिकारी तथा सत्ता में बैठे हुए मन्त्री लोग भी मिले हुए हैं और अपराधियों को संरक्षण देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगंवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी स्थगन प्रस्ताव को पढ़ने के बाद, उस पर आप शासन का उत्तर चाहते हैं और इसकी अहमियत को देखकर ही शासन से उत्तर चाहते हैं। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता का सवाल है। यह शासन के उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि कोई रविशंकर नामक व्यक्ति जो कि जुडिशियल आफिसर का चपरासी है, उसके खिलाफ शासन ने कुछ नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने शासन को रिपोर्ट की, जुडिशियल आफिसर और पुलिस इस प्रकरण में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। रविशंकर को गिरफ्तार नहीं किया गया। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का सवाल है, उस पर भी मंथर गति से कार्यवाही की जा रही है। यह शासन के उत्तर से साफ हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, किसी न्यायपालिका के विशिष्ट अधिकारी ने विरोध किया, इसमें अनुचित हस्तक्षेप किया। यह शासन के न्याय की प्रवृत्ति का सवाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको ग्राह्य किया जाये।

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर-2) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जुडिशियल अफसर इसमें शामिल हैं, यह शासन के उत्तर से स्पष्ट हो गया है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह एक बहुत ही संगीन तथा महत्वपूर्ण मामला है। जुडिशियल आफिसर मौके पर चपरासी को बचाने के लिए दखलंदाजी कर रहे हैं। जहाँ तक पुलिस अफसर और जुडिशियल अफसर शामिल हो गये हों वहाँ सुनने वाला कौन है? इसलिए इस मामले में जन प्रतिनिधियों को खुले तौर से विचार करना चाहिये। एक आदिवासी बालिका का मर्डर हुआ है, मेरा मुख्यमन्त्री जी से निवेदन है कि जिन पुलिस अधिकारी व जुडिशियल आफिसर का उल्लेख है वे आज भी वहाँ बने हुए हैं, उन्हें वहाँ से हटाया जाना चाहिये। जो चपरासी इसमें शामिल है, वह दलाल है, उसके माध्यम से काला मुँह किया गया है। इसलिए इसकी चर्चा के लिए समय मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सोढ़ी जी तो खड़े हुए थे बोलने के लिए लेकिन जिनको आपने बोलने के लिये कहा था वे ही बोल सके और ये रह गये।

अध्यक्ष : मैंने तो पहले ही कहा था कि सम्बन्धित सदस्य बोल लें लेकिन आप सब ही खड़े हो गये और बोलने लगे। बस्तर जिले के जो विधायक हैं उन्हीं को बोलने देते, लेकिन आप तो सब ही बोलते रहे वह तो बोल ही नहीं पाये और अन्यों ने फालतू का नेतृत्व कर लिया। वह व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण थे तो पहले उनको बोलने देते।

श्री मानकूराम सोढ़ी (कोंडागाँव) : अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर में यह घटना घटी जो बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है वहाँ पर इस प्रकार का हत्याकाण्ड दिन दहाड़े हो जाना मानवता के परे हैं। .....

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में प्रकाश डालने के बजाय सदस्यों ने प्रस्ताव के माध्यम से तथ्यों पर प्रकाश डालना प्रारम्भ कर दिया है जिसके कारण इन्क्वायरी प्रभावित हो सकती है। मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि क्या माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के तथ्यों पर यहाँ बोल सकते हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। तथ्यों पर यदि कोई सदस्य बोलते हैं तो जो इन्क्वायरी होगी वह प्रभावित होगी। अतः व्यवस्था देने की कृपा करें कि ऐसी स्थिति में क्या कोई तथ्यों पर बोल सकता है?

अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं तो केवल ग्राह्यता के सम्बन्ध में तर्क जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या है। इस बीच अगर तथ्यों की कोई बात कहते हैं तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। मुख्य चीज निकालने का प्रयत्न करता हूँ। ग्राह्यता के सम्बन्ध में तर्क कहाँ तक उचित है, उसको देखूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह आपका कहना सही है कि ग्राह्यता के सम्बन्ध में आप कानूनी पक्ष देखना चाहते हैं। लेकिन व्यावहारिक पक्ष भी। .....

अध्यक्ष : मैं हर पक्ष देखूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : यह कहना तथ्यों का उल्लेख नहीं होगा, यह उचित नहीं है। ग्राह्यता के लिये तो निश्चित रूप से हम तथ्यों के आधार पर ही तो प्रार्थना करेंगे।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, जब तक ग्राह्य नहीं हो जाता उस समय तक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

श्री हरिभाऊ जोशी (पंचायत मंत्री) : मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि माननीय कृष्णपाल सिंह जी और श्री अर्जुनसिंह जी तो बहुत पुराने सदस्य हैं। आज जो तर्क वे दे रहे हैं ग्राह्यता के बारे में वह आज तक की परम्परा से मेल नहीं खाते हैं। ग्राह्यता स्वीकार हो जाने पर ही तथ्यों पर बहस होनी चाहिये उसके पूर्व तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला जाना चाहिये।—.....

(व्यवधान)

श्री मनकूराम सोढ़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले का जो मुख्यालय है उसी मुख्यालय में यह

घटना हुई। इस घटना को हुए 15 दिन हो गये हैं। इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार का किसी को पकड़ने का काम दिखाई नहीं देता है। ऐसी घटना जहाँ कहीं भी घट जाती है तो वहाँ पुलिस फौरन पहुँच जाया करती है। गाँव के लोगों को मारती है, तबाह करती है। यह तो जिला का मुख्यालय है 15 दिन हो रहे हैं और वहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हम आदिवासी महिलाओं व बच्चों के लिये कैसे प्रोत्साहन मिलेगा? यह क्या हो रहा है? सरकार हमारी आत्मारक्षा नहीं कर सकती है। तीर कमान संभाल कर हमको बाहर आना पड़ेगा अपनी रक्षा हम करेंगे। चारों तरफ की पुलिस को मालूम है कि 7 आदमी 15 तारीख की रात को खाने के लिये आये। खाने का प्रोग्राम था। उस महिला को भी बुला लिया गया।.....

उस बाला को फुसला कर के इस प्रकार का कांड किया गया है।

अध्यक्ष : आपने जो प्रस्ताव रखा है उसमें ही आप नाम व्यतिक्रम में दे सकते थे। आप कहते हैं कि हम गम्भीरता बतायेंगे लेकिन जो तर्क व्यतिक्रम में आपने प्रस्ताव में रखे हैं, उसके स्कोप के बाहर माननीय सदस्य न जायें।

श्री दिनेश मिश्रा (जबलपुर-कन्टोमेंट) : अध्यक्ष महोदय तथ्यों के अन्दर साफ-साफ दो बातें सामने आई हैं। एक तो यह कि उस बाला को जलाया गया और दूसरा यह कि उसके पूर्व बलात्कार किया गया। इन तथ्यों को देखते हुए यह प्रस्ताव की ग्राहता के संबंध में स्वतः इंडिकेशन्स हैं। अगर इतने पर भी यह ग्राह्य नहीं होता है तो क्या यह जब ग्राह्य होगा जब हम यह कहेंगे कि इस कांड में किसी मंत्री का हाथ है? या फिर शासन यह कह दे कि वह जाँच नहीं करवा सकता है।

अध्यक्ष : यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री कृष्णपाल सिंह (सोहागपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज तक के म.प्र. के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। यह तीस साल का इतिहास है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिसमें किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे जलाया हो। अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में इस प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसमें जुडिशियरी का भी इनवोल्वमेंट हो गया है इसलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए सदन को समय मिलना चाहिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा है कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसके बारे में भी हमको खेद है, लेकिन आपने प्रस्ताव में देखा होगा कि जिस प्रकार के तथ्य प्रस्ताव में हैं और जो शासन की ओर से वक्तव्य दिया गया है उसमें सब स्पष्ट कर दिया गया है। इसको देखते हुए सदन को संतुष्ट होना था। अध्यक्ष महोदय, शासन पूरी तरह से इस घटना का निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन कराने का प्रयास कर रहा है.....

भोपाल से सी.आई.डी. के आफिसर्स वहाँ पर जाँच करने के लिए भेजे गए हैं। यद्यपि आपने देखा होगा कि जो इन्जरी तथा पोस्ट मार्टम से जो मालूम हुई वह गृह मंत्री जी ने सारी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। इसके अलावा भी हम इनवेस्टिगेशन करेंगे। जो जाँच की जा रही है उसमें कई काम्प्लीकेशन्स हैं। जो वोरा जी ने कहा और यज्ञदत्त जी ने कहा वह इसमें परिलक्षित हो रहा है कि चौकीदार को वहाँ धमकी दी जा रही है जिसके मकान की बाउण्डरी है उसके तार के अन्दर कुछ निशान पाये गये। श्री वोरा जी का कहना है कि चौकीदार जो है वह माध्यम है और उसके पीछे और कोई है जिसको जान की धमकी दी जा रही है और यज्ञदत्त जी ने कहा कि कोई अधिकारी उसमें है.....

(व्यवधान)

उसमें कई काम्प्लीकेशन्स हैं और इसके कारण ही हेडक्वार्टर से सी.आई.डी. के आफिसर्स वहाँ भेजे गए हैं और शासन की स्थिति ऐसी है कि कोई अधिकारी दबाव नहीं डाल सकता चाहे कितने बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो (थपथपाहट) जो इस मामले में मर्डर या रेप हो सब तथ्य सामने आयें, हम मुल्जिमों का चालान करेंगे, सामान को लेबोरेटरी के अन्दर खून वगैरह की जाँच के लिए भेजा गया है। इसके कारण विलम्ब की पोजीशन है क्योंकि एक दिन में तो यह सब हो नहीं पाता। तथ्य आ जाने पर हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि

इस प्रकार की घटना की पूरी जाँच की जायेगी और किसी से प्रभावित होने नहीं दिया जायेगा। यज्ञदत्त जी जानते हैं कि हाईकोर्ट जुडीशियरी को कन्ट्रोल करता है इसलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार की घटना होती है उसको दबाने का सवाल ही नहीं है। अगर शासन को दबाना होता तो हम रजिस्टर न करते। इसलिए सब घटना की जाँच की जायेगी और अगर आपके पास भी कोई जो कुछ तथ्य हों उन्हें भी आप हमें दे दें तो हम जाँच करवा लेंगे। बाकी सदन में चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें बाधा जाँच में आयेगी।

अध्यक्ष : शासन का वक्तव्य सुनने के बाद मैं इसको अपनी अनुमति नहीं देता।

(अश्रव्य.....व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : इस पर चर्चा की अनुमति मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 अप्रैल 1978, पृष्ठ/1146-1151)

कुमारी विमला वर्मा (केवलारी) : अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा और हरिजनों को जलाया जा रहा है। ये सारा का सारा प्रश्न शासन से जुड़ा है लेकिन शासन इस प्रश्न को दबाना चाहता है। यह सारा काण्ड हो रहा है और स्वास्थ्य मन्त्री जी हँस रहे हैं क्या शासन के लोगों के माँ-बहनें नहीं हैं जो इस प्रश्न को वे दबाना चाहते हैं। इस प्रदेश में जो आज लड़कियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है और उस पर आप हँस रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप एक मिनिट बैठ जाइए। विमला जी आप बैठ जाइए। मैंने आपको सुन लिया अब आप भी एक मिनिट मेरी बात सुन लीजिए?

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर महिलाओं पर आवाज कसी जा रही है। यह हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है मैं एक संभ्रांत परिवार की महिला हूँ। मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ।

अध्यक्ष : आवाज तो आप भी कस रही हैं आप बैठिए?

(व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह आर.एस.एस. की शाखा नहीं है। यह विधानसभा है। ये माननीय सदस्य काली टोपी लगाकर बैठे हुए हैं। उनको यह समझ लेना चाहिये कि यह आर.एस.एस. का दफ्तर नहीं है। यह विधानसभा है आप अपना डंडा अपने आर.एस.एस. के लोगों पर ही चलाएँ। अभी हाल में जो शर्मनाक घटनाएँ मेरे जिले में हुई हैं उनको यहाँ पर इस तरह से दबाया जा रहा है। वहाँ पर नाबालिग हरिजन लड़कियों पर बलात्कार किये जा रहे हैं और यहाँ विधानसभा में आवाज कसकर उस घटना को दबाया जा रहा है। इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बहुत-सी बातें कहीं और सुनी गईं आपने भी यह कहा कि शीतला सहाय स्वास्थ्य मंत्री आपको कानून पढ़ाते हैं। तो कानून के जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है। आप भी कानून पढ़ायें, वे भी कानून पढ़ायें सभी 320 सदस्यों को कानून पढ़ाने का अधिकार है मैं तो सभी से सुनना चाहता हूँ। कानून पढ़ाना तो अच्छी बात है और जहाँ तक काली टोपी लगाने का सवाल है तो इस पर आपको इतनी गर्माहट नहीं आना चाहिये क्योंकि कोई काली टोपी लगाता है कोई सफेद टोपी लगाता है। तो अब मैं इसके सम्बन्ध में जो अपना निर्णय दे चुका हूँ उसको बदलूँगा नहीं।

(व्यवधान)

श्री शिवभानु सोलंकी (व्यवधान) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की हैसियत से निर्णय देने की आपकी जिम्मेदारी है .....

अध्यक्ष : मेरी जिम्मेदारी के साथ-साथ आपकी भी जिम्मेदारी है।

श्री शिवभानु सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, हम विरोध पक्ष में हैं और अल्पमत में हैं आपको हम लोगों को संरक्षण देना चाहिये। हमको हमारे कार्यकर्त्ता आकर सूचना देते हैं कि अमुक घटना घटी, समस्त सूचनाएँ बनिस्बत मंत्रियों के हमें ज्यादा मालूम होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्रिमंडल में रह चुका हूँ, जो टेलीफोन पर सूचना मिली उसको ही ब्रम्ह वाक्य समझ लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले के आदिवासी सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं वरन् सारे विश्व में आज 500 साल पिछड़े हुए हैं। वे कोई कत्ल आदि करते हैं तो सहज ही स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमने कत्ल किया है, वे ईमानदार और भोले भाले हैं और इस प्रकार के ईमानदार और भोले आदिवासियों पर इस प्रकार से शासन एवं अन्य चालाक लोग उन पर जुल्म ज्यादती करते हैं..... आपको अध्यक्ष महोदय, चाहिये कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का मौका दें .....

अध्यक्ष : अगर आप उसी प्रस्ताव के संबंध में ही चर्चा करना चाहते हैं तो मैंने उसके सम्बन्ध में निर्णय दे दिया है और मैंने उसको अस्वीकृत कर दिया है .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अत्यंत विनम्रता से आप से .....

श्री नरनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय, जब किसी एक विषय पर एक बार निर्णय दे दिया गया है तो उसके सम्बन्ध में इस प्रकार से सदन की कार्यवाही में विघ्न डालना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप इस विषय पर पुनर्विचार करें, लेकिन आप नहीं करना चाहते, इससे सबको दुःख हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि हम सदन में अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहकर इस निर्णय के प्रति और हरिजन आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति विरोध करें। हम अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहकर सत्याग्रह करते हैं।

(विरोधी दल के समस्त सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई हँसी मजाक की बात नहीं है जिसके सम्बन्ध में शासन के लोग एक महिला सदस्या की बात का मज़ाक उड़ा रहे हैं। हम खड़े रहकर आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस सम्बन्ध में अपना निर्णय नहीं देंगे तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। हम कार्यवाही नहीं सुनेंगे। सदन में चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये। अध्यक्ष महोदय, नियम कायदों का हमने अध्ययन किया है। मानवीय समस्या अगर कोई खड़ी होगी तो उस पर मानवीय तरीकों से कार्यवाही होनी चाहिये।

अध्यक्ष : विषय चाहे मानवीय हो चाहे न हो लेकिन आप अनुचित दबाव डालकर मुझसे नियमों के बाहर कार्य नहीं करा सकते।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम अनुचित दबाव नहीं डाल रहे हैं। आप कृपा करके इस पर विचार करें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 अप्रैल 1978, पृष्ठ/1154-1155)

अध्यक्ष : अब दिनांक 16 मार्च, 1978 को जगदलपुर की एक बालिका के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने तथा उसे जलाये जाने की घटना पर चर्चा होगी।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अतः समय आधे घंटे से बढ़ा दिया जावे।

अध्यक्ष : आप डिसाइड कर लीजिये। दु दि प्वाइंट बोलिये। सभी दु दि प्वाइंट बोलें तो अच्छा रहेगा। समय बढ़ाने के लिए मैं सदन से पूँछ लूँगा।

श्री बसन्तराव उइके : आधा घंटा रखा गया है अगर आधा घंटा और बैठते हैं तो आपको क्या कष्ट है। आपको सुनने में क्या तकलीफ है.....

अध्यक्ष : ठीक है आप (श्री अर्जुनसिंह जी से) प्रारम्भ कीजिये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हमने तो 22 तारीख को कहा था कि 5 बजे के बाद बैठ जाइये तो आपने कहा नहीं बैठ सकते .....

एक माननीय सदस्य : उस दिन प्रातः 9.30 बजे से बैठे थे.....

अध्यक्ष : ठीक है आप प्रारम्भ कीजिये :

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 10 मिनिट लूँगा और हुआ तो इससे पूर्व ही समाप्त कर दूँगा। मैं सर्वप्रथम आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपने अनुमति प्रदान की। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को राजनीतिक आवरण में नहीं बाँधना चाहता और न इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि बस्तर की विशिष्ट परिस्थितियों का मुझे ज्ञान है। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रदेश के ऐसे भू-भाग में जो विशिष्ट स्थान रखता है वहाँ की जन भावनाओं में किसी प्रकार से उत्तेजनाओं का समावेश करें। लेकिन मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यह एक ऐसी दुखद घटना है जिसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उस भू-भाग में हो रहे शोषण आर्थिक और राजनीतिक दोनों का उसमें परिलक्षित होना पाया जा सकता है। जो भी वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, चाहे जमीन की कटाई की परिस्थितियाँ हों, चाहे आदिवासियों की जमीन से संबंधित मामले हों, चाहे उसके पीछे लकड़ी के व्यापारियों का निहित स्वार्थ का जाल हो, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तथ्यों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रश्न को जैसा हम चाहते हैं राजनीति से दूर रखने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है कि वह जैसा उन्होंने सदन में कहा है वह करने के लिये सक्षम होंगे।

अध्यक्ष महोदय, घटना इस प्रकार है। 16 मार्च को एक बालिका की हत्या हुई तथा जो कथित हत्या हुई उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिये भेजी गई। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार पोस्टमार्टम के लिये जो रिक्वीजीशन भेजा गया पुलिस द्वारा उसमें केवल मृत्यु के कारण की जाँच के लिये रिक्वीजेशन भेजा गया मुझे जानकारी यह है कि डाक्टर ने जो रिपोर्ट दी जिसका उल्लेख श्री त्रिपाठी जी ने सदन में किया था उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। डाक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें जलकर मरने के कारण तो हैं ही लेकिन इस बालिका के अंगों में सबसे ज्यादा डीप बर्नस् होने के कारण उन अंगों का परीक्षण संभव नहीं था। अब वहाँ जो जन-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि उस बालिका के साथ बलात्कार हुआ है। जैसा मैंने अभी निवेदन किया डाक्टर ने जो रिपोर्ट पुलिस के रिक्वीजीशन पर भेजी उसमें लिखा कि बालिका के अंग इतने अधिक जले हुए थे कि मेडिकली यह परीक्षण करना संभव नहीं था कि यथार्थ में उस बालिका के साथ बलात्कार हुआ अथवा नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो सकता है और यह क्यों हुआ यह एक अलग जाँच का विषय हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, स्वयं शासन के कथन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें कुछ जुडिशियल आफिसर्स ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की यह मेरा नहीं, स्वयं शासन का यह कथन है। तीसरी बात इन सब प्रकार की परिस्थिति में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों पर संदेह होना साधारण पुलिस की प्रक्रिया में होता है, पुलिस सन्देह करती है, लेकिन यहाँ पर संदेह नहीं किया गया, हो सकता है किसी के प्रभाव में आकर किया हो, चपरासी रविशंकर को सन्देह में गिरफ्तार किया जा सकता था, इसमें पुलिस को कौन-सी अड़चन थी, सन्देह में उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन रिमांड लिया जाकर साबित होने पर चालान किया जा सकता था, लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसा पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूँ वह किस कारण से व किसके कहने से नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास निश्चित तौर पर जानकारी है वहाँ के एक पत्रकार ने, जिनका कि नाम मेरे पास है मैं अभी उनके नाम

का उल्लेख नहीं करूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी को उसका नाम और जो उसने समाचार दिया था उसको दे दूँगा, उन पत्रकार ने इस घटना के सम्बन्ध में पूरा समाचार उस समय भेजा था, तार भेजा था लेकिन मुकामी अधिकारियों ने तार, का सेन्सर किया और उसे दबा दिया गया। इस प्रकार इस शर्मनाक तरीके से इस काण्ड के पीछे कौन है, इस बारे में जानना आवश्यक है। न्याय तो अपने रास्ते पर चलता है न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने के जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उससे अध्यक्ष महोदय शंका और कुशंका बढ़ती है। हमारी जुडिशियरी को आँच आती है। इस बात से आश्वस्त होने के लिये सदन में चर्चा करना और महत्वपूर्ण घटना के बारे में सुझाव देना आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैं शासन से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस घटना की न्यायिक जाँच किसी हाईकोर्ट के जज के सुपुर्द की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पूरी घटना की न्यायिक जाँच के आदेश दें, क्योंकि प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी इस बात के लिए चिन्तित हैं कि न्यायपालिका की मर्यादा पर आँच न आये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि किसी हाईकोर्ट के जज द्वारा जाँच कराई जाये ताकि सभी लोग आश्वस्त हो सकें। मेरी यह प्रार्थना है।

श्री विश्वेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह विषय चर्चा के लिए सदन के सामने आया है इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने मध्यप्रदेश में काफी समय से ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। हरिजनों के साथ, आदिवासियों के साथ और उनकी महिलाओं के साथ कहीं खेती की भूमि के नाम पर होती हैं कहीं झोपड़ी के नाम पर होती हैं तो कहीं मजदूरी के नाम पर होती हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी दल का हाथ नहीं है। किसी दलगत राजनीति की बात नहीं है। किसी वर्ग के द्वेष की बात नहीं है। यह घटनाएँ हत्या की, लूटपाट की छोटे तबके के लोगों के साथ जघन्य अत्याचारों की रोज ही सामने आ रही हैं। इसमें शासन पक्ष प्रोत्साहन दे रहा है यह कहना गलत है। शासन पक्ष या काँग्रेस पक्ष उसमें कुछ नहीं कर रहा है। यह भी कहा जाता है कि घटनाएँ इतनी होती नहीं हैं उनको बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि हत्याएँ बढ़ रही हैं। उनको रोका जाना चाहिए। पिछला काँग्रेसी शासन केवल दो बातों के कारण ही गिरा है। एक तो नसबन्दी और दूसरे इन्क्रोचमेंट पर से छोटे-छोटे लोगों का कब्जा हटाने के कारण जिन छोटे-छोटे लोगों की झोंपड़ियाँ गिराई गईं। उस समय जो शासन के खैर-ख्वाह थे वे यह कहते थे कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है। लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि अपनी झोंपड़ियाँ स्वयं हटा रहे हैं। अपनी इच्छा से लोग स्वयं नसबन्दी करा रहे हैं। गांवों में इसका बड़ा स्वागत है इन दोनों चीजों की शासन को सही जानकारी नहीं होने के कारण ही आज उसका नतीजा यह हुआ है कि वे विरोधी दल में बैठे हैं। आज पूरी जनता परेशान है। केन्द्र से लेकर उत्तर भारत में बार-बार यह दुहराया जा रहा है कि पिछड़े दल के लोग बहुत परेशान हैं। उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। उनको संरक्षण दिया जाना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि बढ़ा-चढ़ा के बताया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि आजादी मिल गई है इस प्रकार की घटनाएँ प्रकाश में आ रही हैं। यह बात सही है कि इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं और आप इनको दबाते हैं और सत्यता पर परदा डालते हैं। तो पुलिस को गलत प्रोत्साहन मिलेगा उसका परिणाम यह होगा कि एक दिन हरिजन-आदिवासी का खून इतना गर्म हो जायेगा कि यह शासन भी गद्दी पर नहीं रह पायेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो अत्याचार हो रहे हैं पिछले वर्ग के साथ उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह जो बात आई कि अत्याचार नहीं हो रहे हैं ऐसी बातों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इस बालिका के साथ जो बलात्कार हुआ है, इसमें एक जुडीशियल आफीसर भी इन्वाल्व हैं और उनके प्रभाव से उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो इस सब का केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है और वह यह है कि जुडीशियल आफिसर का इतना अधिक प्रभाव पुलिस पर भी है कि वह उस व्यक्ति को अरेस्ट करने में अक्षम है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनाएँ भविष्य में न हों इसके लिए हमें उचित कदम उठाने होंगे। अध्यक्ष महोदय, जितनी नृशंसता के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी रोक होना अतिआवश्यक है। ये जो इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा कि ये सिर्फ न हमारे प्रांत का

बल्कि हमारे देश का मस्तक नीचा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस देश के अन्दर हम हरिजन और आदिवासियों को बराबरी का अधिकार देने की बात कर रहे हैं उस देश के लिए बाहर यह क्रिटिसाइज हो रहा है कि अधिकार हरिजन-आदिवासी को नहीं मिल रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं तो अनायास ही हमारा सिर नीचा होता है।

श्री बसंतराव उइके (घनसोर, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर में इस प्रकार के अनेक प्रकरण हुए हैं और उनमें शासन के बड़े-बड़े अधिकारी, शराब के ठेकेदार, सरकारी वकील तथा अन्य भी प्रतिष्ठित समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। इस प्रकार की घटनाएँ बड़ी भीषण होती हैं। आपने सुना होगा, अध्यक्ष महोदय, कि जब आई.ए.एस. अधिकारियों को उनके प्रशिक्षण के बाद जो भाषण दिया गया था उसमें एक ही बात कही गई थी कि शराब नहीं पीनी चाहिए और सिनेमा नहीं देखना चाहिए। ये बड़े दोष हैं क्योंकि लालच में नाजायज दबाव डाला जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक जगदलपुर की ही घटनाएँ नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री कोसरिया जी ने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था। उसका उत्तर 23-3-78 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये घटनाएँ द्वेषवश हो रही हैं या वर्ग संघर्ष से हो रही हैं या चाहे किसी भी कारण से हो रही हैं, चाहे वे शासन की शिथिलता से हो रही हों, सारी सूचनाएँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में दी हैं, वे इस प्रकार हैं :— मारपीट की घटनाएँ 1105 हरिजनों और आदिवासियों के साथ हुईं केवल जून 1977 से लेकर जनवरी 78 तक जो हरिजन-आदिवासियों की हत्यायें हुईं वे 61 हुई हैं और बलात्कार 136 हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकारी रिपोर्ट है। केवल आँकड़े ही यह बताते हैं लेकिन जो आँकड़े प्राप्त नहीं हुए होंगे ऐसी भी कई घटनाएँ हुई होंगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे ही जिले में बण्डोल थाना में दो और बलात्कार की घटनाएँ हईं। वहाँ के पटेल ने बलात्कार करके उन्हें कुए में फेंक दिया। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश आती है तो डॉक्टर लोग भी बड़े पदाधिकारियों से प्रभावित होते हैं और सही तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं। चाहे थाने के थानेदार हों चाहे डॉक्टर्स हों ये सब बड़ी जातियों से आते हैं और इनके बड़े जातियों से आने के कारण पैसे और जाति के दबाव में आ जाते हैं। जो जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए वह नहीं हो पाती हैं। यह बालिका भी अपने फूफा के यहाँ आई थी उसका फूफा चपरासी था और अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि उस चपरासी के यहाँ नाच में सत्र न्यायाधीश, सरकारी वकील और बड़े-बड़े पदाधिकारी पहुँचते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं उनका डिनर उस चपरासी के यहाँ होता है। जब पुलिस जाँच के लिए जाती है तो पाती है कि जो बालिका नाचने के लिए वहाँ आई थी उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है और वह भी पचास फुट दूर। अध्यक्ष महोदय, उस चपरासी के यहाँ सरकारी वकील, शराब के ठेकेदार और डॉक्टर्स का आना और डिनर खाना अपने आप में एक प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विचित्र घटना है कि वहाँ पर घटनास्थल पर पुलिस को एक मैगज़ीन पड़ी मिलती है। वह मैगज़ीन हत्याओं और खून के मामलों में आरोप किस-किस तरह मिटाये जा सकते हैं, इस बात के सारे लेख थे। जो अधिकारी वहाँ चपरासी के यहाँ पहुँचे थे, इस मैगजीन से ऐसा लगता है कि वे अधिकारी इस बात को जानते थे कि जो घटना होगी उसके सबूत किस प्रकार से मिटाए जा सकेंगे वह उस मैगज़ीन को पढ़कर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वह मैगज़ीन जो वहाँ पाई गई लगता है कि वह शराब की मदहोशी में और भागदौड़ में वहाँ रह गई थी। अध्यक्ष महोदय, वह मैगज़ीन भी इस बात को प्रमाणित करती है कि वरिष्ठ अधिकारी वहाँ थे। वहाँ खून के दाग फर्श पर पाये गये और लड़की के बाल पाए गए। अध्यक्ष महोदय, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि एक गरीब को साक्ष्य प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये मैं शुद्ध भावना के साथ, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के शासन से अपेक्षा करूँगा कि जिस तेजी के साथ बलात्कार हरिजन-आदिवासियों के साथ हो रहा है, जिस तेजी से हत्याएँ हो रही हैं, जमीन जायदाद के झगड़ों में उनके साथ मारपीट हो रही है और रिपोर्ट थाने में लिखी नहीं जाती, अगर शासन ने निष्पक्षता के साथ, हिम्मत के साथ कड़ाई से उन लोगों के साथ चाहे वह सफेद पोश हों या उच्च पदाधिकारी हों या किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, उनको कठोरता के न्याय के सामने नहीं लाते और गरीबों को साक्ष्य प्राप्त कराने में मदद नहीं दी जाती तो हम एक जबर्दस्त आन्दोलन, जन आन्दोलन छेड़ने के लिये मजबूर

होंगे। अगर इसी तरह का काम चलता रहा तो हम पीछे नहीं रहेंगे और जैसा भाई अर्जुनसिंह जी ने माँग की है, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के लिये, जिसकी योग्यता और निष्पक्षता के प्रति हम आश्वस्त हैं और मुझे विश्वास है मुख्य न्यायाधीश पर कि वे एक अच्छा न्यायाधीश इसके लिए नियुक्त करने की बात अवश्य मानेंगे और यहाँ तक कि अगर और ऊँचे स्तर से आवश्यकता हो, सी.बी.आई. से तो वहाँ से भी बुलाना पड़ सकता है लेकिन साथ-साथ यह भी माँग करता हूँ कि घटना से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी जिन पर संदेह है उनका जब तक वहाँ से स्थानान्तरण नहीं किया जाता तब तक निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती। इसलिये मैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से माँग करता हूँ कि वे ऐसा जज जाँच के लिये दें जो निष्पक्षता से जाँच कर सके और जो वहाँ के अधिकारी, वकील या कर्मचारी हों उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाये और उसके बाद निश्चित रूप से न्यायिक जाँच हो। मुझे विश्वास है कि हमारी माँग आप पूरी करेंगे। हमें भरोसा है कि शासन सख्ती से कदम उठायेगा और अपराधियों को पकड़ने में पूरी कोशिश करेगा। अगर इसमें ढिलाई हुई तो हम जन आन्दोलन के माध्यम से उन अपराधियों का मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेंगे।

श्री झुमुकलाल भेड़िया (डोंडी-लोहारा, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, जबसे दूसरी आजादी हासिल करने वालों का शासन आया है आप देखेंगे कि हरिजन-आदिवासियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं .....(व्यवधान) ..... मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 15, 16 तारीख की रात को शिकायत हुई गायब होने की और उसके बाद रिपोर्ट हुई 16 तारीख को सुबह 6 बजे शव मिलने की और फिर पंचनामे करने के बाद दस बजे पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। डॉक्टर ने उसी बीच 10 से 4 बजे के बीच पोस्टमार्टम किया। अध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या तो 6 बजे तक देना चाहिये थी या पहले लेकिन जो भी कारण हो उस दिन नहीं दी और दूसरे दिन 17 तारीख को शासकीय रिपोर्ट के अनुसार 11 बजे सुबह दी। यह स्वाभाविक है जब किसी नई उम्र के व्यक्ति की मृत्यु हो जाये तो स्वाभाविक है इस किस्म की शंका होना उसके साथ बलात्कार हुआ होगा पुलिस ने क्यों रिक्वीजीशन नहीं किया, यह मुद्दा है। उसके अलावा यह बात ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम के बाद 5 बजे लाश गार्जियन्स को दे दी गई थी और पुलिस के कहने पर जला दी गई। आदिवासियों में जलाने की प्रथा बहुत कम है लेकिन उस लाश को पोस्टमार्टम के बाद जला दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरे दिन दी गई। इससे साबित होता है कि पुलिस और डॉक्टर भी इसमें शामिल थे। मैं और हमारे साथी जगदलपुर गये थे, वहाँ उसके गार्जियन्स से मिले, वकीलों से मिले, नागरिकों से मिले, वहाँ बहुत ज्यादा असन्तोष है। बस्तर वैसे ही सेंसिटिव स्थान है, यह आप जानते हैं। आपकी रिपोर्ट के अनुसार तो चपरासी के यहाँ से कपड़ा, जमीन से खून 19 तारीख को जप्त किया गया और उसके बाद 22 तारीख तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना समय देना क्या नीयत बताता है? इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शुरू में उस शव के पास टीन माचिस मिले; क्या उसको जप्त करके फिंगर प्रिंट लेने की कार्यवाही की गई है? नहीं की गई है। जैसे सिनेमा में चलता है वैसे इस प्रकरण में किया जा रहा है। उइके जी ने कहा वहाँ से मैगज़ीन जप्त किया गया। बस्तर में ऐसे आदिवासी होते हैं जो अपने भाई या किसी अन्य रिश्तेदार का मर्डर कर देते हैं तो उस तीर के साथ थाने में जाते हैं और कबूल करते हैं कि इस रिश्तेदार को हमने मारा है। टीन जिसके पास से जप्त किया गया है वह उसका फूफा था, उसने यह स्वीकार किया है कि यह टीन मेरा था। इसको इस तरह से प्लान किया गया कि जैसे फूफा ने मारा। डिस्ट्रिक्ट सेसन जज का चपरासी सारी बात जानता है। डिस्ट्रिक्ट सेसन जज, उसके स्टाफ, वकील और समाज के दूसरे कार्यकर्त्ता जो अपने को उच्च मानते हैं, उनका इस प्रकरण में बहुत दबाव है इसलिये शासन जिस प्रकार से कार्यवाही करना चाहता था, नहीं किया। वहाँ के लोगों की एक ही डिमांड है कि मुल्जिम चाहे कितना बड़ा हो, उसकी सोसायटी में कितनी ही इज्जत हो, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिये। सब पार्टी वाले चाहे कॉंग्रेस के हों, जनता पार्टी के हों, छात्र, आदिवासी हों सबने माँग की है कि यशोदा के हत्यारे को गिरफ्तार होना चाहिये। गिरफ्तार न होने से असन्तोष बढ़ रहा है। इसमें डॉक्टर शामिल है। उसके स्कूटर को जला दिया गया। इसके बाद 27 तारीख को प्रदर्शन हुआ, 29 तारीख को बलीराम कश्यप वहाँ गये थे, उन्होंने

लड़कों को शांत किया, नागरिकों की मीटिंग लेकर शांत किया और कहा मुल्जिम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होंगे। बस्तर बहुत ही संवेदनशील जिला है, उसके इतिहास को जानते हैं.....(व्यवधान) चपरासी सब कुछ जानता है, वह सब बकेगा, इसलिए उसकी जान को खतरा है, आप उसको प्रोटेक्शन दीजिए और हाईकोर्ट का जज जाँच के लिए बिठाइए, तब सही जाँच होगी।

अध्यक्ष : आधे घण्टे का समय था, थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाये, लोगों को बात कह लेने दें।

श्री कैलाश सोनकर (जबलपुर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन से प्रदेश के हरिजन-आदिवासियों के साथ घटनाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। आदिवासी, हरिजनों के साथ जुल्म हो रहा है। सदन में कहा जाता है चर्चा के दौरान कि जनता पार्टी के शासन में घटनाएँ कम हो रही हैं, काँग्रेसी शासन में ज्यादा होती थीं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहना सही नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाये तो मेरा निवेदन है कि यह घटनाएँ हो रही हैं आखिर उसकी वजह क्या है? इन सारी बातों को देखकर यह कहना पड़ता है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। हमारी सरकार कहती है कि आदिवासियों, हरिजनों को हम सुरक्षा की गारन्टी देंगे, उनको न्याय देंगे। ज्यों-ज्यों यह बात दोहराई जा रही है त्यों-त्यों घटनाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आज के शासन का प्रशासन पर नियन्त्रण नहीं है या इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है कि प्रदेश में एक तिहाई के अनुपात में यह लोग रहते हैं उन्हीं के मत पर सरकार बनी है और बिगड़ी है। इनमें अब जागृति की भावना आ रही है, वह अपने अधिकार को लेने को तैयार हो गये हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उच्च वर्ग के लोगों को अब डर लगने लगा है। इसलिए उनके साथ जुल्म ज्यादा हो रहा है, विधानसभा के पटल पर जब चर्चा होती है तो शासन एक वक्तव्य देकर शांत बैठ जाता है। यदि शासन पुरानी परिपाटी को दुहराता रहा तो इन घटनाओं का दौर समाप्त कभी नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, घटना जहाँ घटे और जिस अधिकारी के कार्यालय में यह घटना घटे उस अधिकारी को तत्काल वहाँ से हटाया जावे, वहाँ अधिकारी के बने रहने से उनकी गलती सामने नहीं आयेगी, एक आदमी जो गरीब है, कम पढ़ा-लिखा है, उसको कानून तक पहुँचने के लिये साधन उपलब्ध नहीं हैं, वह वहाँ तक पहुँचता नहीं। वहाँ पर उच्च अधिकारी बैठे रहते हैं वे या तो दबाव देकर या धमकी देकर उस घटना पर परदा डालने का षड्यन्त्र रचते रहते हैं, यही उसकी वजह है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि नारों और भाषणों से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और यह समस्या दिन प्रतिदिन आपके हमारे सामने जटिल होती जा रही है। इस पर शासन का नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी इलाके में कोई घटना घटती है तो वहाँ के अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही करके उसे तत्काल न्यायालय के कटघरे में खड़ा किया जाये। जहाँ तक बस्तर की घटना का संबंध है, इसके संबंध में जानकार सूत्रों से पता चल रहा है कि उसकी हकीकत पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है संभलने के लिए। हमारी सरकार खुली सरकार है, हम लोगों ने कहा है लोगों के जीवन की सुरक्षा करेंगे, दुराचार को समाप्त करेंगे, वैसा नहीं हुआ। अभी वक्त है इन सारी बातों पर गंभीरता पूर्वक निर्णय लें और बस्तर के मामले के सम्बन्ध में जाँच करके अपना वादा पूरा करें, प्रशासन को मजबूत बनायें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन भी निवेदन कर रहा था कि जब प्रकरण हमारी ओर से उठाया गया तो शासन की ओर से तथ्यों का स्पष्टीकरण दिया गया और जब यह बात कही गई कि इस मामले में कुछ न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं तो शासन ने अपने उत्तर को दुबारा यह स्पष्टीकरण जोड़कर पढ़ा। तो इससे ऐसा लगता है कि शासन भी सही बात कहने में कुछ असमंजस महसूस कर रहा है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, शुजालपुर में भी एक हादसा हो गया था। पुलिस एक व्यक्ति को चोरी के जुर्म में पकड़कर ले गई और थाने में इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सही मामले में जिस व्यक्ति से जुर्म के सूत्र मिल सकते हैं उसको आप गिरफ्तार नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो बलात्कार का प्रकार होता है, केवल उसी पर ही बलात्कार के चिन्ह नहीं मिलते हैं बल्कि बलात्कार के चिन्ह जो बलात्कार करता है उस पर भी मिलते हैं लेकिन उसको आप गिरफ्तार करें आज मेडिकल करवायें तभी न। अध्यक्ष महोदय, जो बलात्कार करता है वह झूठ बोल

सकता है लेकिन उसके शरीर पर जो चिन्ह पाये जाते हैं वे झूठ नहीं बोल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, शासन ने बतलाया कि उस बालिका के साथ बलात्कार होना नहीं पाया गया लेकिन उस बालिका का मुँह बन्द करके, उसका गला घोंटकर मारा गया है। क्या यह सम्भव नहीं है, अध्यक्ष महोदय, कि उस बालिका के साथ बलात्कार करके चिन्ह मिटाने के लिए उसका गला घोंटकर मार डाला गया और फिर जला दिया गया हो। अध्यक्ष महोदय, इस घटना का सम्बन्ध बड़े अधिकारियों से है इसलिए घटना को दबाया जा रहा है। आज सारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। मैं जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब ये कहते हैं कि यह सहज मानव स्वभाव है। तो इससे ऐसा लगता है कि इस सरकार के हाथ में कोई डंडा नहीं है और यह सरकार लुंज-पुंज है।

अध्यक्ष महोदय, प्रांत में कानून का शासन सिद्ध करने के लिए इस सरकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह सरकार लुंज-पुंज नहीं है और गुण्डों व डाकुओं के लिए इस सरकार के हाथ में डंडा भी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह जी ने जो कहा है कि इस प्रकरण की न्यायिक जाँच होने से नये तथ्य सामने आवेंगे वह अपनी जगह उचित मालूम होती है।

मनकूराम सोढ़ी (कोंडागाँव, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जो चर्चा का प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में मेरी जानकारी जो है उसको मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। यह केस को बहुत ही घुमावदार बनाया गया है ताकि जो असल आरोपी हैं वे सामने न आवें कानून के सामने न आवें कानून के जानने वालों का यह षड़यन्त्र है। क्योंकि यह जो कहा गया है कि यह बालिका नाटक देखने गई थी यह बिल्कुल गलत है। उस जगह जो नाटक हो रहा था उसमें कुछ लोग नाटक देखने गये थे। उस बालिका के घर में जो उसकी बुआ थी उसने कहा था कि मैं नाटक देखने जा रही हूँ तुम पढ़ने जाओ तो वह नाटक देखने नहीं गई थी वह पढ़ने गई थी। जब उसकी बुआ नाटक देखकर वापस आती है तब उसने अपने पति शम्भू से कहा कि बालिका नहीं आई है। तो उसका पति शम्भू रवि के यहाँ जो कि जज मजिस्ट्रेट का चपरासी था उसके यहाँ देखने गया तो रवि बतलाता है कि वह यहाँ नहीं आई है। तब वह शम्भू थाने में रिपोर्ट लिखवाता है फिर तीन बजे रात को चपरासी बतलाता है अब वह बालिका नहीं मिलेगी और अब उसकी शायद लाश ही मिलेगी। ऐसा शम्भू चपरासी ने बताया है। दूसरे दिन 7 बजे घर के पिछवाड़े में उसकी लाश मिली। पुलिस तफ्तीश में कमरे में खून के दाग दरवाजे में भी दाग एवं उस लड़की के बालों के गुच्छे मिले और ये सब वहाँ प्राप्त होता है और उसके बाद सबूतों को मिटाने के लिये ये चतुर लोग जैसा करते हैं उसी प्रकार का मिट्टी के तेल का डिब्बा शम्भू चपरासी के घर रख देते हैं ताकि तफ्तीश उधर से शुरू न होकर उसी के घर से पहले शुरू हो। शम्भू से जब पूछा जाता है कि डिब्बा किसका है तो वह बताता है कि उसी के घर का है। उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में यह बात स्पष्ट होती है कि उसके सारे सबूतों को मिटाने के लिये जला दिया गया ताकि बलात्कार जिसमें कि बड़े लोग फंसे हुए हैं उसका राज सामने नहीं आ सके। मुझे पूरा यकीन है कि उस प्रकरण में डॉक्टर का पूरा हाथ है और उसे इसके लिए 10 हजार रुपये दिये गए हैं पाँच हजार रुपए दिए जा चुके हैं और पाँच हजार रुपए बाद में दिए जावेंगे।

श्री वीरेन्द्र पांडे (जगदलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 मार्च की यह घटना है। यह बस्तर जिले की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। पहली घटना 25 मार्च 1966 में हुई थी आज तक उसकी जाँच पूरी नहीं हो सकी है और न ही किसी अपराधी को दण्ड मिला है। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर मानवीय संवेदना का शतांश है वह इस घटना की भर्त्सना करेगा और प्रयत्न करेगा कि जो मामले के दोषी हैं उन्हें ढूँढ कर निकाला जाये और कठोर दण्ड जो उनके लिए हो सकता हो वह दण्ड दिया जाये। अभी माननीय अर्जुनसिंह जी ने कहा कि हम दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि यह उन्होंने साफ नीयत से नहीं कहा है। काँग्रेस के दो लोग श्री भंवरसिंह पोर्ते एवं श्री झुमुकलाल भेड़िया वहाँ गए थे जहाँ छात्रों का आंदोलन चालू था, पुलिस ठीक ढंग से वहाँ कार्यवाही नहीं कर रही थी पुलिस बहुत अधिक इस घटना में लापरवाही बरत रही है, छात्रों ने वहाँ 22 मार्च को इस घटना पर से आंदोलन किया था एवं नागरिकों के समझाने पर उन्हें इस बात का आश्वासन

दिया गया था कि श्री बलीराम कश्यप वहाँ आने वाले थे, उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया था इन्होंने उन्हें भड़काया और फिर से प्रदर्शन करवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ की पुलिस लगातार इस मामले में लापरवाही बरत रही है जिससे वहाँ के छात्रों, नागरिकों का आक्रोश भड़का। सबसे पहले जाँच की बात जो पकड़नी चाहिए थी वह उन्होंने नहीं पकड़ी। यशोदा बाई जो कि हरिजन बालिका थी वह हलवा जाति की थी उस जाति में यह विशेषता है कि वे लाश को जलाते नहीं हैं कम से कम लड़कियों और कुंवारी लड़कियों की लाश तो नहीं जलाई जाती लेकिन यशोदा की लाश आते ही उसको जलाने के लिए चिता तैयार की और उसको जला दिया गया। इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि चिता किसने बनाई। चिता के लिए लकड़िया कौन लाया, इन सब तथ्यों को उजागर न कर पुलिस मामले को दबाना चाहती है .....

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री वीरेन्द्र पांडे : थोड़ा समय और दिया जाये अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी काफी बोलना है.....

अध्यक्ष : आपको एक मिनट का समय दिया जा सकता है.....

श्री वीरेन्द्र पांडे : तो फिर मैं नहीं बोलना चाहता.....

श्री बसन्तराव उइके : अध्यक्ष महोदय, तथ्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जाये।

अध्यक्ष : अगर मन्त्रिमण्डल के लोग चाहें तो उन्हें समय दिया जा सकता है। बोलिए।

श्री वीरेन्द्र पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। पुलिस ने रिक्युजीशन में यह बताया कि पूर्णतः जली हुई लाश बरामद हुई है। उसकी हत्या के कारण बताये जावें। जबकि 1976 में म.प्र. शासन का सरक्युलर पुलिस मुख्यालय में और अस्पतालों में गया था कि कोई भी लाश अविवाहित या कम उम्र की महिला की आती है, तो उसमें दो-तीन बातें देखी जावें कि वह गर्भवती या बलात्कार की तो नहीं है। इस बारे में शवों का परीक्षण या तो सिविल सर्जन करें या 10 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर से करायें। लेकिन ऐसे डॉक्टर से शव परीक्षण कराया गया, जिसका चिकित्सा ज्ञान का अनुभव 10 वर्ष भी नहीं था। इसके बारे में आपको टेक्नीशियन ज्यादा अच्छा बतायेंगे। इस डॉक्टरी जाँच के दो-चार दिनों बाद जनता के दबाव के कारण पुलिस ने दुबारा रेक्वीजीशन किया कि यह बताया जाये कि यह बलात्कार था या नहीं। इस मामले को बड़े अधिकारी दबाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की जबकि उससे यह आशा थी। और माननीय बलीराम के प्रवास पर सभी लोगों ने बताया कि एस.पी., ए.एस.पी. नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि ये वहाँ रहेंगे, तब तक जाँच की दशा सही नहीं होगी और निष्पक्षतापूर्वक जाँच नहीं होगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी इस बारे में भी कहें। अन्त में, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यह पाशविक घटना है, बस्तर के इतिहास में यह दूसरी घटना है, इसकी जाँच नहीं हुई तो इस प्रकार की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा और बस्तर का जनजीवन अशांत हो सकता है और आगे तकलीफ होगी।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव (सागर) : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है और मैं मुख्यमंत्री जी और सदन का आभारी हूँ कि उन्होंने इसे गम्भीरता से लिया है। यह घटना इस देश में इस प्रदेश में होने वाली एक सूचक है और इस प्रकार की घटनाएँ इस प्रदेश में बढ़ी हैं। किसी भी दिन ऐसा कोई भी समाचार-पत्र नहीं है, जिसमें बलात्कार या हत्या का समाचार नहीं हो। मैं इस शासन की बात नहीं करता, कोई भी शासन हो, मूलतः परम्परागत मनोवृत्ति वही है। कोई भी आदमी इस गद्दी पर बैठता है वह शासन में नीचे से आने वाली रिपोर्ट के अनुसार सदन में उपस्थित होकर यह अक्सर कहता है कि कोई क्षोभ नहीं है, कोई अशांति नहीं है और साथ ही तथ्यों के रहते हुए भी वस्तु स्थिति छुपाने की चेष्टा करते हैं। जब रिपोर्ट पढ़ी गई कल, सत्र न्यायाधीश और बड़े-बड़े लोग उसमें शामिल हैं। उस तथ्य को छुपाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आज प्रातः जब अंबिकापुर जिले की बात चल रही थी, तब मुख्यमंत्री जी ने एक व्याख्या की थी कि यह एक सामान्य घटना है। एक हरिजन की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसमें यह बात कही गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा कोई आक्षेप नहीं है केवल निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वृत्ति को बदला जाना चाहिये, सहज मानवीय स्वभाव, या घटना न मानकर ऐसी

स्थितियों में कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं मुख्यमंत्री जी से विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए कि किसी प्रकार की उदारतावश भी शासन की ओर से ढील नहीं होनी चाहिए, ताकि नीचे के अधिकारी तथा अपराधी, अपराधों को छुपाने वालों को संरक्षण न दें और प्रोत्साहित न कर सकें। मैं यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में दुर्ग के भिलाई नगर में सामूहिक बलात्कार की घटना घटी है, जिसमें 10 लोगों ने सिनेमा से लौटती हुई एक बालिका के साथ बलात्कार किया है, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह बहुत ही गम्भीर बात है। इसमें शासन का रुख कभी-कभी इस प्रकार के प्रकरणों में न्यायिक जाँच न बैठाकर मजिस्ट्रयल जाँच बैठादी जाती है, यह इस बात का सबूत है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस मामले में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वे उदारतापूर्वक न्यायिक जाँच बैठावें, मैं आशा करता हूँ कि इसमें वे संकोच नहीं करेंगे।

श्री चित्रकांत जायसवाल (विलहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातों की ओर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि रविशंकर चपरासी तथा उसकी पत्नी और उसकी लड़की, ये घटना के साक्षी हैं और इन तीनों के जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। इन साक्षियों को मिटाने के लिये बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, हो सकता है कि इन्हें मिटा दिया जाये। इनकी हत्या कर दी जावे। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनके जीवन को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। दूसरी चीज डॉक्टर का हाथ इसमें शामिल मानता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बर्न की वजह से मृत्यु हुई है। उसमें यह नहीं बताया है कि कितने परसेंट बर्न है। जब 60 प्रतिशत या ऊपर बर्न होता है तब मृत्यु होती है। उसने यह नहीं बताया कि कितने परसेंट बर्न था, इससे यह लगता है कि इस केस में डॉक्टर की सांठ-गांठ है, इसकी भी जाँच करवाई जाये यह मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से निवेदन करूँगा।

श्री रमेश बल्यानी (रायपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह जी ने कहा कि इस मामले में राजनीतिक दृष्टिकोण से परे रहकर जाँच की जाए, लेकिन कोई सुझाव नहीं दिया। आखिर ये बलात्कार हरिजन आदिवासी लोगों पर ही क्यों होते हैं, किसी अमीर घराने में क्यों नहीं होते, उसका बड़ा कारण यह है कि तीस साल से काँग्रेसी प्रशासन ने कभी भी इन गरीब लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ने ही नहीं दिया। 30 साल में गरीब आदमी की न तो सामाजिक हैसियत बनी और न आर्थिक इसलिए उसे कहीं न्याय नहीं मिलता, इसलिए मैं जनता पार्टी की सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि .....

श्री अर्जुनसिंह : आप जो कहते हैं यह ठीक है या नहीं मैं इस समय इस ओर से नहीं कहना चाहता, लेकिन शासन के प्रयत्न से न्याय सुलभ कराने के लिये गरीब लोगों को न्याय सुलभ कराने के लिए प्रत्येक जिले में वकील कमेटी बनाकर न्याय दिलाने की बात की गई थी, आपने उसका क्या किया?

श्री रमेश बल्यानी : मेरा यह विश्वास है कि दुनिया में दो चीजें बुरी हैं, बलात्कार और वायदा खिलाफी। लेकिन इसका हल क्या है? 30 साल में काँग्रेसी शासन ने क्या किया मैं यह जानना चाहता हूँ। हरिजन-आदिवासियों को न्यायालय में प्रवेश दिलाया? अध्यक्ष महोदय, इस मामले में चाहे मजिस्ट्रेट हो, वकील हो, या कोई भी हो, सजा मिलनी चाहिये। जब तक हरिजन-आदिवासियों की आर्थिक, सामाजिक हैसियत नहीं बनेगी समाज में इस व्यवस्था के चलते सिर्फ उनकी बालिकाओं का ही अपहरण होगा, हत्यायें होंगी अतः इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए।

(व्यवधान)

जिस जिले में हरिजन-आदिवासियों की बालिकाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है, वहाँ के एस.पी. तथा कलेक्टर को निलम्बित किया जाना चाहिए और बलात्कारी पुरुष की नागरिकता छीन ली जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह पोर्ते (मरवाही, संरक्षित स्थान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो इस बात का खण्डन करना चाहूँगा जैसा कि माननीय श्री वीरेन्द्र पांडे ने आरोप लगाया कि दो विधायकों ने जगदलपुर जाकर

यशोदा काण्ड पर जनता को उभाड़ा। शासन की सरकारी मशीनरी इसका पता लगा सकती है कि इसको किसने उभाड़ा। हमने तो जाँच करने हेतु शासन का ध्यान केन्द्रित किया। प्रदर्शनों को शांत किया तथा श्री बलीराम जी कश्यप जो खुद वहाँ गये थे निवेदन किया था कि इस तरह की बात हो रही थी। हमने सभी बातों को समझाकर प्रदर्शनों को रोककर शासन का ध्यान केन्द्रित किया है। श्री वीरेन्द्र पांडे का आरोप .....

(व्यवधान)

इस प्रदेश में जिस तरह कि देखने में आ रहा है कई एक्जाम्पल भी देखने को मिले कि जनता पार्टी सरकार द्वारा धीरे-धीरे बहुत से पिछड़े तबकों के संविधानिक अधिकारों पर प्रहार हो रहे हैं। प्रदेश के पिछड़े तबकों के नागरिक अधिकार भी खतरे में पड़ गये हैं। जो सरकारी आँकड़े मिले जिनमें बहुत से छिपाये गये हैं, सदन के अन्दर जो प्रस्तुत किये गये। उनसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि किस तरह से प्रदेश के कमजोर तबकों पर बलात्कार, हत्यायें अत्याचार आदि हो रहे हैं। यदि शासन इतना निकम्मा है कि कमजोर तबकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो हरिजन आदिवासी को अपने परम्परागत हथियारों को लेकर अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

सरकार इस स्थिति पर उतारू हो गई है और प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। कल जबलपुर सम्भाग के सिवनी जिले के ग्राम जमुनिया में दो आदिवासी बालाओं को पानी में डुबाकर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई।

अध्यक्ष : प्रारम्भ में ही तथ्य आ गये हैं। श्री मोतीलाल वोरा।

श्री भंवरसिंह पोर्ते : घटनाएँ मुख्य तीन बातों से संबंधित हैं। बर्न, रेप, मर्डर, टेक्नीकल होते हुए भी मैं उसकी तकनीकी पर नहीं जाऊँगा किन्तु डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की है और जिस पर प्रदेश की आम जनता में, जगदलपुर की जनता में, शंकाएँ हैं तीन सदस्यों की टेक्नीकल स्पेशलिस्ट की एक कमेटी बनाई जावे कि रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है उसमें कौन-सी खामियाँ हैं। केस बर्न का है। अतः एक सर्जिकल के विशेषज्ञ द्वारा जाँच की जावे, केस रेप का है अतः एक गायनाकालजिस्ट के द्वारा जाँच की जावे, केस मर्डर का है अतः जूरिस्फूडेन्स के प्रोफेसर को आयोग गठित करके जो भी मेडिकल खामिया हैं जानकारी पेश की जावे।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर की घटना के बारे में काफी प्रकाश पड़ चुका है। जगदलपुर के मुख्यालय में जहाँ कलेक्टर, एस.पी. और बड़े-बड़े अधिकारी रहते हों वहाँ इस तरह की घटना घटित हो और 19 दिन बाद भी कहा जाये कि मुल्जिम नहीं पकड़ा जा सका जबकि अनेकों चश्मदीद गवाह शासन के पास मौजूद हैं, यह एक बड़े दुख की बात है। इस प्रदेश के अन्दर चाहे किसी पार्टी का शासन हो या रहेगा हमेशा उस पार्टी के शासन को कोसा जायेगा। जनता पार्टी के शासन के आने के दिन व दिन हरिजनों की हत्या, उनकी औरतों के साथ बलात्कार और उनका अपहरण बढ़ गया है। आज सवाल इस बात का है कि आज समाज में ऐसे तबके के लोग जो बड़े लोग कहे जाते हैं उनके गले में कानून का फंदा फँस नहीं पाता है और हमेशा बड़े-बड़े उच्च श्रेणी के लोग चाहे वे अधिकारी हों, दूसरे लोग हों जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही नहीं होती तब तक इस प्रकार की घटनाएँ होती रहेंगी। अभी छिन्दवाड़ा और सिवनी जिले के जमुनिया ग्राम में एक आदिवासी लड़की के साथ रेप केस हुआ जिसमें बड़े-बड़े वर्ग के लोग शामिल थे। इसलिये यह यशोदा काण्ड की घटना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। इसलिये भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी इस दिशा में स्वयं देखें और प्रशासन को निर्देश दें। अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था जबकि इस प्रदेश के आई.जी. को कहा गया था कि जब विधानसभा का सत्र हो तो रेप घटना नहीं हो। मैं समझता हूँ माननीय वीरेन्द्रकुमार जी सखलेचा अब मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी अपने आई.जी. को इस प्रकार का आदेश देने को नहीं कहा होगा जब विधानसभा का सत्र चलता है तब उस सत्र के दौरान एक महीने में 30, 35 घटनाएँ होती हैं। मुझे याद है कि इस प्रकार का एक सरकुलर इश्यू हुआ था इसी शासन के जमाने में कि रेप नहीं कराये जायें। मेरा कहना है कि शासन कोई भी हो, मैंने पहले ही कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम चाहते हैं कि शासन कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करे। मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सक्षम हैं जो निश्चित रूप

से इस दिशा में कार्यवाही करेंगे।

श्री नरनारायण सिंह (पिलरवा) : अध्यक्ष महोदय, अभी घटना के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये है, मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। इस घटना से सम्बन्धित कोई भी मुल्जिम क्यों न हों, चाहे वह किसी पद पर क्यों न हो, उसकी सही ढंग से जाँच होनी चाहिए और कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिये। इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा। पाकिस्तान सरीखे देश में जहाँ भुट्टो मियाँ को फाँसी दी गई है तो फिर हमारे देश में भी चाहे कोई भी आदमी क्यों न हो उसको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिये। मुख्य मुद्दा मेरे कहने का यह है कि न्याय की मांग जो लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिनके राज्य काल में बस्तर के महाराजा को दिन दहाड़े गोली से मार दिया गया हो वे ही लोग आज न्याय का नाटक कर रहे हैं। (शेम, शेम) मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जिस समय बस्तर में हत्याकाण्ड हुआ था उस समय क्या इन काँग्रेसियों की आत्मा में जरा भी दुख हुआ था? शायद बहुत से लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं उनमें से कुछ उस समय रहे होंगे।।

(व्यवधान)

श्री विश्वेश्वर प्रसाद : इसकी माँग केवल काँग्रेसी ही नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रांत के हरिजन-आदिवासी भी माँग कर रहे हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : जब बस्तर में गोली काण्ड हुआ था और उसकी माँग होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री द्वारकाप्रसाद जी मिश्र ने न्यायिक जाँच की घोषणा की थी।

श्री नरनारायण सिंह : तो मैं कहना चाहूँगा कि जब केरल में राजन हत्या काण्ड हुआ था तो कितने लोगों की आत्मा को दुःख हुआ था। लाखों लोगों को जेल में ठूँस दिया गया था और सैकड़ों रेप किये गये, हत्याएँ की गई और थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई तब आप लोग क्या कर रहे थे?

(व्यवधान)

जैसा मोरारजी भाई ने कहा कि हिन्दुस्तान कभी एटम बम नहीं बनायेगा तो इस सम्बन्ध में अमेरिका को कहने का क्या अधिकार था? उसी तरह जिसके हाथ और दिल खून से रंगे हुए हैं उनको न्याय की बात नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामजी महाजन : आप अपने दिल के गुबार किस कारण से निकाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नरनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष : आप भटकिए नहीं आप तथ्यों संबंधी बात कहें।

श्री नरनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि मुझे डिस्टर्ब न करें। गोयविल्स का सिद्धांत है कि यदि 100 बार झूठ बात को दोहराया जावे तो वह सच लगने लगती है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : झूठ बात है क्या?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि आप यहाँ के लोगों को टोकते हैं, वहाँ के लोगों को नहीं टोकते हैं।

अध्यक्ष : मैं किसी को नहीं टोकता हूँ। यह घटना की पृष्ठभूमि है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर सकता हूँ कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसके बाहर के विषय पर चर्चा न हो यह औचित्य का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री नरनारायण सिंह : इस बात का गर्व जनता पार्टी को है कि उसके शासन में प्रदेश में शांति और व्यवस्था आई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह प्वाइंट की बात है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : श्री अटलबिहारी वाजपेयी के भाषण को उन्होंने नहीं पढ़ा है जो उन्होंने कहा है।

अध्यक्ष : आप घटना के बाबत जो कहना चाहते हैं कहिए।

श्री नरनारायण सिंह : माननीय सदस्य दो मिनट बोलना छोड़ दें सारी बातें बता देता हूँ। अभी अनेक प्रदेशों के आँकड़े निकले हैं उसके मनन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन-आदिवासियों पर जितने कांग्रेस के राज्य में जुर्म हुए हैं, जघन्य अपराध हुए उतने जनता पार्टी के राज्य में नहीं हुए।

(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जोशी : (श्री भंवरसिंह पोर्ते को कागज फाड़ने का प्रयत्न करते हुए देखकर) मेरा औचित्य का प्रश्न है कि सदन की गरिमा है, मर्यादा है। अभी पोर्ते जी ने कागज फाड़ने का प्रयत्न किया है यह कार्य सदन की मर्यादाओं के विपरीत है। या तो वे खेद व्यक्त करें या अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : जब ऐसे विषय को मज़ाक का विषय बनाया जाये तो क्या इसे आप गरिमा की बात कहेंगे। सदन में जघन्य अपराध से संबंधित गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य हल्के तरीके से उस पर बोल रहे हैं।

श्री बसन्तराव उइके : वह इस गंभीर विषय पर राजनैतिक भाषण दे रहे हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ यह घटना हुई है वहाँ उतनी परेशानी नहीं है जितनी यहाँ पर हो रही है। मूल घटना को एक तरफ छोड़ दिया गया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण सदन का वातावरण ठीक बनाये रखें। कोई ऐसी बात न कहें और न करें जिसका मज़ाक उड़ाया जाये। गुस्से में आकर सदन में कागज फाड़ देने का तरीका अच्छा नहीं है। कागज फाड़ कर खुद परेशान हो जाने का तरीका अच्छा नहीं है। माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा और विषय को समझ कर उस पर चर्चा करें। अगर आप यह कहें कि जनता पार्टी की सरकार ने इस साल में कुछ नहीं किया और कहें कि आप 30 साल तक सोते रहे तो चर्चा का महत्व समाप्त हो जाता है। आप लोग इस तरह की कोई बात न कहें।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, पोर्ते साहब को खेद प्रकट करना चाहिए। उनके द्वारा कागज फाड़ा जाना सदन के डेकोरम के विरुद्ध है। उन्हें इसके लिए क्षमा याचना करना चाहिये। हम लोग पहले सजा भुगत चुके हैं, आपको भी भुगतना चाहिए।

अध्यक्ष : पोर्ते साहब, अगर आप अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सदन में कागज फाड़ेंगे और कपड़े फाड़ने लगेंगे तो सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकेगी। मैं आपके इस कृत्य को कन्डेम करता हूँ। इस तरह का एक्शन भविष्य में न हो।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में इस सदन में जब स्थगन प्रस्ताव आया था उसका उत्तर देते समय मैंने स्वयं यह कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उसके बारे में खेद भी व्यक्त किया था। अध्यक्ष महोदय, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जहाँ तक जाँच कराने का प्रश्न है और सही

अपराधियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर दण्डित कराने का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूँ और सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि .....

अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में स्थगन प्रस्ताव आया था और स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में मैंने स्वयं इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और उसके प्रति खेद प्रकट किया था। अध्यक्ष महोदय, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद जहाँ तक उसकी जाँच करने का प्रश्न है और जहाँ तक अपराधियों को न्यायालय के समक्ष पहुँचाकर उनको दण्डित कराने का प्रश्न है, मैं निसंदिग्ध शब्दों के अन्दर कहना चाहूँगा और सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसके अन्दर जो भी अपराधी होगा चाहे वह कितने बड़े पद पर हो चाहे छोटे पद पर हो अपराधी का पता लगाकर उसको न्यायालय से दंडित कराने के लिये पूरी तरह से प्रयास किया जावेगा इसमें किसी के प्रभाव में या अनुचित प्रभाव में आने नहीं दिया जावेगा। शासन पूरी सक्षमता के साथ कार्यवाही करेगा। मैंने पूर्व में भी इस सदन को बतलाया था कि इसी कारण से भोपाल से सी.आई.डी. का एक अधिकारी वहाँ भेजा गया है और उनके द्वारा वहाँ जाँच की जा रही है। इसके अलावा भी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा। शासन की तरफ से इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कोई भी अपना मत प्रकट करने के बजाय वह इनवेस्टिगेटिंग अथॉरिटी द्वारा पूरी तरह से इन्वेस्टीगेशन करे और सही जाँच सामने आ सके इसी नाते से एक एक्सपर्ट डॉ. हीरेश को जगदलपुर भेजा जा रहा है। इसके वह एक्सपर्ट हैं और वह वहाँ जाकर लेबोरेटरी में खून के दाग, बालों की तथा खून में सने कपड़े पाये गये उनकी जाँच करेंगे। जाँच की जा रही है। इन्हीं बातों को देखते हुए वहाँ एक विशेषज्ञ भेजे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य को मन में यह शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि शासन किसी भी प्रकार से इस प्रकरण में अपराधियों का पता लगाने में उतना उत्सुक नहीं है जितने आप सब माननीय उत्सुक हैं। जो कुछ प्रश्न उठाये गये हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के सब प्रदेशों से यहाँ सबसे अधिक आदिवासियों की आबादी है। परसेन्टेज के हिसाब से शायद नागालैंड या मिजोरम में परसेन्टेज ऑफ ट्रॉयवल पापुलेशन ज्यादा हो सकता है लेकिन संख्या के मान से भारत में सबसे अधिक इस प्रदेश में आदिवासी निवास करते हैं। हम इस बात से सहमत हैं जैसा कि प्रारम्भ में श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा कि कुछ राजनैतिक और आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण इन आदिवासियों का पिछड़ापन है, उनकी अशिक्षा है। वह आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं और इस कारण उनको हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना चाहते हैं। जो भूमिहीन हैं उनको भूमि देना चाहते हैं, जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण उनके पिछड़ेपन का है वह उनकी अशिक्षा है। दूसरे उनकी क्षमता की कमी के कारण यह बातें होती हैं यहाँ अभी बस्तर की विशेष स्थिति के बारे में चर्चा की।

अध्यक्ष महोदय, मैं भी वहाँ की परिस्थितियों से अपरिचित नहीं हूँ। और जब बस्तर में राजा भंजदेव की हत्या के कारण वहाँ आंदोलन हुआ था, उस समय आप सत्तारूढ़ दल में थे और दूसरे मुख्यमंत्री थे, मैं चौथे ही दिन जगदलपुर गया था। उस समय मैं विरोधी पक्ष में बैठता था। बस्तर के आदिवासियों की विशेष परिस्थितियों का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है और जो भी उनकी स्थिति आज है उसका मुख्य कारण उनका आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है। अन्यथा उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती जो आज है। बस्तर के आदिवासियों की स्थिति यह है कि पेड़ों के ट्रान्सफर के साथ ठेकेदार उनकी जमीनों को भी ट्रान्सफर करा लेते हैं और इसको रोकने के लिये हमको कानून बनाना पड़ा ताकि पेड़ों के साथ-साथ उनकी जमीन को भी ठेकेदार ट्रान्सफर न करा सकें। उनकी अनभिज्ञता का लाभ उठाकर उनको एक्सप्लायट किया जाता है। हम इस एक्सप्लायटेशन को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और इस प्रदेश के हरिजन-आदिवासियों का एक्सप्लायटेशन एलाऊ नहीं किया जावेगा। इसके लिये जितने भी सख्त कदम शासन द्वारा उठाये जा सकते हैं उठाये जावेंगे और इस ओर सभी प्रयास किये जावेंगे। दुर्भाग्य से यह घटना घटी। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी आप विपक्ष में बैठे हैं जैसा श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा कि इस घटना को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। यह हमारी आपकी सभी की समस्या है। जो उनका पिछड़ापन है, उनकी आर्थिक कमजोरी है

वह आज भी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध , सम्पन्न और सक्षम नहीं है। हम सबको मिलकर उनका यह पिछड़ापन दूर करना है और इस नाते से सबको मिलकर प्रयास करना है। बहस के दौरान यह रिफेरेन्स दिया गया कि इस प्रदेश में 105 हरिजनों की हत्याएँ हुईं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा यह प्रदेश सवा चार-साढ़े चार करोड़ आबादी का है और उसमें कुल मिलाकर 1800, 1900 हत्याओं की घटनाएँ होती हैं। उसमें 105 हत्याएँ हरिजनों की हुईं और इस आधार पर यह इनफरेन्स निकालना कि इस प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों की हत्याएँ हो रही हैं बिल्कुल अनुचित है। जब आप शासन में थे आप नहीं कह सकते कि उस काल में एक भी हरिजन-आदिवासी की हत्या न हुई हो। उस समय भी हत्याएँ होती थीं। जब मनुष्य में पशुता उभरती है तो उसके कारण इस प्रकार के आफेन्सेज होते हैं। हम उनको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे ... मैं, अध्यक्ष महोदय, आँकड़े नहीं देना चाहता, एक घटना के बारे में यहाँ पर सारी चर्चा हुई है। प्रदेश में हत्याएँ और बलात्कार आदिवासी और हरिजनों पर पिछले परिमाण में अभी कमी हुई हैं। ये आँकड़े स्वयं इस बात के सबूत हैं और फिर यह कहना कि इस प्रदेश के अन्दर ऐसी घटनाएँ अधिक हो रही हैं जनता पार्टी के आने के बाद, यह ठीक नहीं है। चूँकि आपने रिफरेन्स दिया, मैं तो यह रिफरेन्स नहीं देना चाहता था। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि शासन वह हो या ये हो शासन का यह कर्त्तव्य है कि हरिजन-आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार की घटनाएँ न हों और अगर कोई करता है तो उसका पता लगायें। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर रविशंकर की गिरफ्तारी के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है कि रविशंकर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि अपराधी को ठीक से न्यायालय के सामने दंडित किया जा सके, इसी प्रयास से इस बात को समझ लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, स्वयं विरोधी दल के दो वक्ताओं ने इस बारे में कहा था और चित्रकान्त जी ने यह कहा था कि रविशंकर को जान का खतरा है, रविशंकर की जान को बचाया जाये, उनका रिफरेन्स यह है कि रविशंकर को कुछ तथ्य मालूम हैं। दूसरी तरफ यह भी आपकी तरफ से माँग की गई कि रविशंकर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ यह मानते हैं कि रविशंकर अपराध में शामिल है लेकिन कुछ का कहना है कि रविशंकर को मालूम है। लेकिन इसके बारे में रविशंकर से पूछताछ की गई है और इस बारे में पुलिस की हर समय भर्त्सना करना उचित नहीं होगा। इस मामले में तो कुछ अधिकारियों की सराहना करना चाहिये। अगर पुलिस अधिकारी जो जाँच कर रहे थे उनकी यह मन्शा होती कि दबाव के सामने दब जायें तो वह कभी थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं करता कि इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने आकर इन्टरफियर करने का प्रयास किया। उसने स्वयं रिपोर्ट दर्ज की है और अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा माननीय मुख्य न्यायाधीश जो जज हैं जिन पर इन्टरफियर का आरोप है उन्हें तत्काल वहाँ से हटा दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज ने वहाँ का चार्ज दे दिया है और भी अधिकारियों के बारे में कार्यवाही की जा रही है। जहाँ तक मेडीकल रिपोर्ट का सवाल है, उसकी भी हम पूरी जाँच कर रहे हैं। जहाँ की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मनकूराम जी ने यह कहा कि घासलेट का डब्बा लड़की के संबंधी के यहाँ से उठाकर लाया गया था, मैं इस संभावना से इन्कार नहीं करता अध्यक्ष महोदय, इस केस को छुपाने के लिए कुछ बातें हो सकती हैं, यह इन्वेस्टीगेशन के नोटिस में है जो जाँच अधिकारी उनके नोटिस में और इस नाते, पूरा प्रयास करेंगे कि वास्तविक अपराधी का पता लगायें। केवल घासलेट का डब्बा ही नहीं उसकी चप्पलें भी डाली गई हों, इस प्रकार की कुछ बातें इस केस में हों इसलिए तत्परता के साथ हम जाँच कर रहे हैं, आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वकील हैं और यज्ञदत्त जी व विरोधी दल के अनेक वकील बैठे हुए हैं जानते हैं कि किसी अपराधी को बगैर पूरे इन्वेस्टीगेशन और एवीडेन्स कलेक्ट किये न्यायालय में भेज दिया जाये तो वह तत्काल जमानत होकर छूट जायेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे एवीडेन्स कलेक्ट करके सब सुबूत को लेकर न्यायालय में रखें ताकि वह छूट न सके।

अध्यक्ष महोदय, 302 के केस के बारे में आप जानते हैं सेशन ट्रायल पक्का होना चाहिये। जितना विलम्ब होता है उतना ही लाभ अपराधी को मिलता है और इस नाते से जल्दी से जल्दी इस मामले का इन्वेस्टीगेशन कराके,

जितनी भी हमारी क्रिमीनल की वेस्ट एजेन्सी हो सकती हैं, उनके अधिकारियों को लगाकर जाँच कराकर अपने केस को न्यायालय में प्रस्तुत करें ताकि अपराधी को दंडित कराने का पूरा प्रयास किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, डिबेट के अन्दर दो घटनाओं के बारे में आपने भी रिफरेन्स दिया, मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जुडिशियल इन्क्वायरी की डिमान्ड करना उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इस कारण जो 302 की घटनाएँ हैं मैं इसकी संभावना से इन्कार नहीं करता, इस मामले के अन्दर 376 की बात भी हो सकती है, उसकी जाँच हो रही है—।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जुडिशियल इन्क्वायरी की डिमान्ड इस जुर्म को दबाने के लिए नहीं की गई है। ऐसे प्रकरण में जुडिशियल इन्क्वायरी की डिमाण्ड की गई है और कंन्सीड की गई है, उसकी व्यापकता को और गहनता को देखते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्य न्यायाधीश तत्काल इस परिस्थिति में कार्यवाही करें ताकि दोषी को सजा दी जा सके —।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, अपराधों के पता लगाने का काम इन्वेस्टीगेटिंग की जो अथॉरिटी है वही इन सारे साक्ष्यों को जुटा सकती है। हाईकोर्ट जज साक्ष्य को एकत्र करने का काम नहीं करता है.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आप हमारी माँग को नहीं मानना चाहते हैं इसलिए इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(विरोधी दल के सदस्यों ने न्यायिक जाँच न स्वीकार किए जाने के विरोध में बहिर्गमन किया)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, उनमें यह क्षमता होना चाहिए कि वे तर्क के आधार पर जो बात कही जा रही है उसको सुनें। आज यह स्थिति है कि केवल हरिजन-आदिवासियों के नाम लेकर एक-एक अपराध के नाम पर पूरे प्रदेश में यह बताना चाहते हैं कि हम हरिजन-आदिवासियों के बड़े हिमायती हैं। वास्तव में अगर कोई इन्टेक्शन है तो वह श्री पोर्ते के जबाव से स्पष्ट हो गया है। आज इन्दिरा काँग्रेस के लोग देश में वाइलेन्स को इनकरेज करना चाहते हैं। इस सदन में आपके समक्ष उन्होंने कहा कि हथियार उठाकर यह बात करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का प्रतीक है कि इनकी मनोवृत्ति किस प्रकार की है। पूरी सक्षमता के साथ इस जुर्म की जाँच की जायेगी और मुजरिम को पकड़कर लाया जायेगा। जहाँ तक सिवनी की घटना का यहाँ पर रिफरेन्स दिया गया, सिवनी की घटना में बालाओं के साथ बलात्कार की बात नहीं है। मर्डर की बात नहीं है। वे नदी में नहाने के लिए गई थीं वहाँ डूब गईं। उसके कारण यहाँ पर झूठ यहाँ तक बोला गया कि अध्यक्ष महोदय, मैं अपेक्षा नहीं करता था कि श्री बसन्तराव उइके जो कि इतने सीनियर सदस्य हैं। वह कहते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर ने गड़बड़ी की जबकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। वह एक सामान्य डूबने की घटना में मरी हैं। वे डॉक्टर पर आरोप लगाकर चले गए जबकि वह आपके पक्ष में है कि पोस्टमार्टम वहाँ पर हुआ ही नहीं है। यह बताता है कि किस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाने की बात है। हरिजन-आदिवासियों को केवल यह जबानी सहानुभुति बताकर विश्वास प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनकी गरीबी, उनके पिछड़ेपन को दूर करने का शासन का संकल्प है उसमें आकर सहयोग दें। हम इस प्रदेश की हरिजन-आदिवासी जनता के साथ कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। उनके हकों का पूरा संरक्षण करेंगे। और बस्तर की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जाँच करेंगे और अपराधियों को दण्डित करने का प्रयास करेंगे। इतना ही मेरा निवेदन है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 अप्रैल 1978, पृष्ठ/1294-1306)

20 अप्रैल 1978 को वित्तमंत्री श्री रामहित गुप्त ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 1978 का पुरःस्थापन किया इस पर चर्चा प्रारंभ हुई। 24 अप्रैल को पूर्वानुबद्ध हुई चर्चा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह ने जनता सरकार पर आरोप लगाया कि इस प्रदेश में जिस नयी नीति राजनीति ने जन्म लिया है उसमें स्वेच्छाचार बढ़ रहा है। प्रदेश में असामाजिक तत्व शांतिप्रिय नागरिकों का जीवन दूभर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बढ़ते भ्रष्टाचार की भी चर्चा की—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय वित्तमंत्री महोदय ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें इस विशाल राज्य की जो अनेकों समस्याएँ हैं, इस विशाल राज्य के अनेकों भाग हैं जिनकी अपनी क्षेत्रीय समस्याएँ हैं उनको हल करने का किसी प्रकार कोई ठोस कार्यक्रम इस बजट में परिलक्षित नहीं हुआ है। इन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए यह बजट पूर्ण रूप से असफल रहा है। हम सब यह आशा करते थे कि जो भी कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें सभी समस्याओं के हल का समावेश होगा जो भी क्षेत्रीय समस्याएँ हैं, आर्थिक समस्याएँ हैं उनका सुनिश्चित समावेश इस बजट में होना चाहिए था लेकिन उसका अभाव ही रहा। इस सदन के कई माननीय सदस्यों को बिना राजनीति का विचार किये हुए उन समस्याओं की ओर इशारा करना पड़ा है। इस बजट से ही आभास होता है कि किस प्रकार का शासन यह सरकार देने वाली है पिछले दिनों जो देखने को मिला है उससे भी आभास होता है कि किस प्रकार का शासन जनता को, इस प्रदेश को मिलेगा। पिछले आम चुनाव में जनशक्ति ने भारी बहुमत से आपको जिताया है इतना विशाल बहुमत दुनिया में जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं उनमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चुनाव के समय आपने जो उनसे वायदे किये थे वह तो पिछली एक साल में ही आपके कार्यकाल में इस प्रदेश की जनता के सामने आ गये हैं। इस प्रदेश में एक नई राजनीति ने जन्म लिया है और वह राजनीति के अखाड़े की राजनीति और उसमें भी कोई नियम नहीं है कि किस पहलवान से किसकी कुश्ती होगी जो जिससे चाहे उससे लड़ सकता है कभी भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार स्वेच्छाचारिता, इस जनता पार्टी के राज्य में बढ़ जायेगी। घोषणा पत्र के बारे में तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि वह तो स्वयं इस पार्टी ने रद्दी की टोकरी में डाल दिये हैं। इस सदन में सरकार द्वारा जो आश्वासन दिए गए हैं उन्हीं के बारे में कुछ कहूँगा। गत वर्ष महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में कहा था कि इस प्रदेश को यह शासन भ्रष्टाचार रहित और सदाचार सहित शासन देगा। मैं उनके पूरे भाषण में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें तो काफी समय लग जायेगा लेकिन मुख्य बातें जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहीं थीं उनको मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। राज्य में एक ऐसे स्वच्छ प्रशासन के लिये मेरा शासन प्रतिबद्ध है जो पक्षपात, भ्रष्टाचार अथवा जात-पाँत के विचार से मुक्त होकर जनता की कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने में संलग्न हो सादगी मितव्ययिता पर विशेष जोर दिया जायेगा, राज्य के समूचे प्रशासन को जनसेवा और जनहित की ओर उन्मुख करने के लिये प्रशासनिक पुनर्गठन किया जायेगा। लक्ष्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का होगा जिसमें आम आदमी की कठिनाइयों का निराकरण कम से कम समय में संवेदनशीलता और सुगमता से हो सके। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, निष्पक्षता और प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आने दी जायेगी। मेरा शासन इसी के अनुरूप राज्य के लोकायुक्त और उपलोकायुक्त विधेयक को भी यथा समय संशोधित करेगा। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव स्वतन्त्रता, निष्पक्षता के साथ समय पर हो सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिये मेरा शासन एक प्रादेशिक चुनाव आयोग का गठन कर रहा है।

इस शासन के आने के तुरन्त बाद जो अराजकता का वातावरण कनाड़िया ग्राम से प्रारम्भ हुआ और बस्तर के गोलीकांड पर जाकर समाप्त हुआ है। इस शासन ने इस प्रदेश की जनता को क्या दिया है। यह शासन इस प्रदेश की जनता से गोली से बात करना चाहता है। आदिवासी, हरिजनों को उनके अधिकारों से वंचित करना जानता है। जो शासन पूर्ण रूप से यहाँ के लोगों की समस्याओं की उपेक्षा करके सिर्फ चुने हुए लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये जुटा हुआ है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा था कि मेरा शासन इसी सत्र में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त विधेयक में संशोधन करेगा। शासन बने दो महीने के अन्दर मीसा का कानून तो अध्यादेश के द्वारा लागू किया जा सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या लोकायुक्त विधेयक भी अध्यादेश के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता था। आज भी क्यों विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया, उसमें क्या संशोधन करना बाकी है इतने महत्वपूर्ण विधेयक की उपेक्षा क्यों की जा रही है। स्वयं शासन इसके भ्रष्टाचार को छिपाना चाहता है और अपने लोगों को बचाना चाहता है। एक बात चुनावों के सम्बन्ध में एक आयोग का गठन किया जावेगा इस सदन में यह वायदा किया गया था, चुनाव होने जा रहे हैं कि नहीं यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आये दिन मुझे सूचनाएँ मिलती हैं कि जिन-जिन स्थानों पर चुनाव का प्रस्ताव प्रशासन के द्वारा किया जाता है तो

मन्त्री महोदय के पास बहुत से लोग उस चुनाव को रुकवाने के लिए पहुँच जाते हैं फिर भी आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं हुई यह सदन जानना चाहता है।

जहाँ तक सवाल प्रशासन का है जितना कहा जाये उतना कम ही है। अभी प्रदेश के अंदर प्रशासन के पुनर्गठन की बात करके शायद एक हँसी-मज़ाक की बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन प्रशासन के नाम की चीज कम से कम इस प्रदेश में महसूस नहीं होती ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि इस प्रदेश में प्रशासन है सभी भयों से मुक्त, सभी असंतोषों से परे इस प्रदेश के असामाजिक तत्व सारे शांतिप्रिय नागरिकों का जीवन दूभर कर रहे हैं और शासन हाथ पर हाथ रखे मूक दर्शक की तरह प्रदेश के नागरिकों के जीवन के साथ हो रहे खिलवाड़ को देख रहा है। सभापति महोदय, यह बात हमारे कहने की नहीं है, शायद मैं अपने भाषण न भी दूँ केवल इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर एक अन्य जनता पार्टी के जो बड़े-बड़े नेता हैं प्रदेश और देश में अगर उनके विभिन्न समयों पर दिये गये भाषण और उनके उद्धरणों की ओर आप गौर करें तो अपने आप इस एक वर्ष में जनता पार्टी की उपलब्धि की रूपरेखा, सही रूप में उसकी शक्ल सामने आ जाती है जिसकी कि मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री यह बात कहें कि अगर देश और प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार समाप्त नहीं हुआ तो वे सत्याग्रह करेंगे, प्रदेश और देश के प्रशासन पर यह तीखा प्रहार है और जनता पार्टी की अक्षमता के प्रति एक तरह से यह स्वीकारोक्ति है। स्वयं प्रशासन के माध्यम से जन भावनाओं का आदर करने में असमर्थ हैं जिनको कि लोगों ने चुनकर इस प्रदेश के शासन के लिए बैठाया है वे लोग सिवाय प्रशासन के सब कुछ कर रहे हैं। सबका उत्तर एक ही है आयोग का गठन। आयोग गठित हो, भ्रष्टाचार का निवारण हो, भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाये इसके लिए हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन ऐसे आयोग का क्या करना ऐसे आयोग का क्या तात्पर्य जिसको गठित करने के पश्चात् 6-6 माह तक आयोग के समक्ष एक भी प्रकरण नहीं भेजा जा सके। सिंह आयोग 8 नवम्बर 1977 को गठित हुआ, आज उसको 6 माह होने को आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन ने आज प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि शासन के द्वारा आयोग के समक्ष एक भी प्रकरण नहीं भेजा गया है इतना ही नहीं प्रशासन तन्त्र को पूरी तरह से जर्जर करने के लिए, कमजोर करने के लिये, प्रशासनिक मान्यताओं पर कुठाराघात किया जा रहा है। एक उदाहरण मैं सदन में देना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य जो कि नौकरशाही के प्रभाव से चिन्तित है जो सही-सही स्वयं के अधिकार क्षेत्र और अधिकारों के उपयोग के बारे में सदैव सतर्क है उनके लिये यह चौंका देने वाला उदाहरण होगा। मैं आपके समक्ष मुख्य सचिव के द्वारा एक अर्द्धशासकीय पत्र जो कि सचिवों को भेजा गया है उसके सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूँगा।

सभापति महोदय, यह शासकीय पत्र क्रमांक 364/131 (एक) (1) भोपाल, दिनांक 1-2-78 इसको मैं पढ़ देता हूँ—

इस अधिसूचना के पैरों 4 (2) के अनुसार शासन को भी प्रकरण आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना है। क्या सचिवों की यह जिम्मेदारी है पैरा 2 यह सर्वथा मानी हुई बात है कि सचिवों का दायित्व है कि वे मंत्रीगण को ऐसी सलाह दें कि जिसे शासन का कार्य निर्धारित कानूनों, नियमों और निर्देशों के अनुसार चले। इस दृष्टि से हर प्रकरणों में तथ्यों की छानबीन करना सचिवों का फर्ज है इसलिये यह छानबीन सचिव शासकीय निर्णयों के पहले तो करते ही हैं लेकिन शासन के निर्णय हो जाने के बाद भी यह छान-बीन स्वाभाविक ही है। इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि मुख्यमन्त्री के जो निर्णय सिंह कमीशन के विषय की सूची की परिधि में आते हैं उनके बारे में अपना प्रतिवेदन भेजें।

श्री शिवकुमार सिंह : नेता जी ये आयोग ही नहीं बैठा रहे हैं बल्कि आयोग का समर्थन भी कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : तो मैं यह कह रहा था कि सचिवों की ओर से स्पष्टीकरण की माँग की क्या मंत्रियों के आदेशों के बाद सचिवों को यह अधिकार है कि शासन के आदेश एक दफा हो जाने के बाद सचिवगण उन पर टिप्पणी करें और आलोचना विवेचना करें। जो दूसरा पत्र लिखा है उसका पैरा पाँच भी आपके सामने रख देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, यह गवर्नमेंट की प्रक्रियाओं पर कुठाराघात है। जिस आधार पर अभी तक इस देश में

केबिनेट सिस्टम के आधार पर शासन चलाया जाता है वहाँ पर कोई भी प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व सचिव को पूरा-पूरा अधिकार है कि सही-सही बात अपने नोट में लिखकर मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करें। अच्छाई-बुराई क्या है, सही तथ्य क्या है यह सब नोट मंत्री महोदय के पास प्रस्तुत करना स्वाभाविक है लेकिन एक दफा शासन का निर्णय हो जाने के बाद यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी आदेश हो जाने के बाद सचिवों के सामने सिवाय कार्यान्वित करने के और कोई विकल्प नहीं रहता है, लेकिन इस पत्र द्वारा इस सर्वमान्य सिद्धांत को उलटने का प्रयत्न किया गया है। आप यह मत भूलिये कि शासन द्वारा सोचने-समझने के बाद जो निर्णय लिये गये हैं उन निर्णयों पर सचिवों ने निर्णय लिया तो अगर आप यह चाहते हैं कि निर्धारित नियमों के अनुसार शासन चले।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यह बता रहे हैं कि यह गवर्नमेंट की फाइल का कोई मेमो है, लेकिन यह कैसे साबित हो कि जो ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं यह गवर्नमेंट की फाइल में से ही पढ़ रहे हैं या कि मन से ही पढ़ रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो मुख्यमंत्री उनका खंडन कर सकते हैं। तो सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि मंत्रियों के आदेश होने के पहले तो सचिवों का फर्ज है कि मामले को छानबीन करके मंत्रीगण के समक्ष प्रस्तुत करें। शासन के आदेश हैं कि मुख्यमंत्रियों के जो निर्णय सिंह सूची की परिधि में आते हैं, उनको कमीशन के पास भेजा जाये। आप प्रकरणों को लाकर कमीशन के पास भेजें। आप ऐसा करने में असमर्थ रहे। घोर आपत्ति तो इसलिये है कि सचिवों के हाथ में यह अधिकार दिया जाये कि मंत्रियों के निर्णय के बाद वे पुनः परीक्षण करें और उनके परीक्षण के आधार पर?

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आप इस परिपत्र का हवाला दे रहे हैं, उसमें सिंह कमीशन के सामने प्रस्तुत करने वाले मामले की छानबीन का उल्लेख है .....?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने यह पूर्व में ही कहा था, किंतु शायद आप उसका मतलब नहीं समझ सके कि तात्कालिक रूप से यह प्रक्रिया आपको भले ही कुछ लाभ दे सकती है लेकिन यह न भूलें कि यह प्रक्रिया पूर्व उदाहरण के रूप में सदैव इस्तेमाल की जायेगी और इस प्रकार शासन की प्रक्रिया के साथ यह खिलवाड़ कर रहे हैं और शासकीय कर्मचारियों का उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है। यह मेरा कहना है। जहाँ तक मंत्रियों के बारे में है, किसी मंत्री के बारे में व्यक्तिगत आरोप कोई नहीं लगाता कुछ शंका जब उठती है और वह भी जब शासन पक्ष के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा लगाई जाये तो उसके सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण माँगना उचित समझता हूँ। इस विधेयक पर बोलते हुए श्री पटवा जी ने एक शपथ-पत्र का जिक्र किया था जिसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कुछ आरोप लगाये हैं। इसकी कापी मुझे भी मिली थी लेकिन मैंने उचित समझा कि इसके पहले कि मैं सार्वजनिक रूप से कुछ कहूँ मैं स्वयं संतुष्ट हो लूँ, उन तथ्यों के बारे में और कोई प्रक्रिया हो तो तथ्यों की जाँच भी की जा सके, वह प्रक्रिया अपनाऊँ। तो मैं वह जानकारी इकट्ठी करने में लगा था। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को भी पत्र लिखा। उनके यहाँ से सूचना आई कि उस सम्बन्ध में जानकारी माँगी गई है। यह बात अलग है कि शासन के समक्ष जब मामला उठाया तो जवाब दिया गया कि इस प्रकार की कोई बात विचाराधीन नहीं है जबकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि जानकारी माँगी गई है। फिर भी यह पत्र उनके स्वयं के दल के सदस्य के कथन के मुताबिक संदेह की परिधि में लाकर खड़ा कर देता है इसलिये अपनी ओर से तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन शायद सदन के नेता की परम्परागत रीति के अनुकूल होगा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं स्पष्टीकरण दें और अनुकूल हो तो उसी सिंह कमीशन को मामला भेज दें।

इसके अतिरिक्त और भी प्रकरण हैं इस सदन के सदस्य इस समय नहीं हैं और इसलिए मैंने पहले सूचना भी दी है वे श्री खंडेलवाल और कहा तो जाता है मुख्यमंत्री महोदय भी लेकिन उस सम्बन्ध में स्वयं मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालेंगे कि उनकी जापान की यात्रा भूमि विकास बैंक के खर्चे से हुई और उसको बैंक ने अनुचित माना। रजिस्ट्रार के पास से 7 हजार की वसूली का नोटिस दिया गया और श्री खंडेलवाल ने हाईकोर्ट में रिट दायर की और जैसे ही जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई और लाभ रिट से उन्हें मिले या न मिले उस रिट को वापस ले लिया और

स्वयं शासन के पास उसके पूर्व निर्णय की अपील की और सभापति महोदय, सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 5-11-77 को चुनौती दी गई और शासन ने आदेश क्र. दिनांक 6-3-78 द्वारा संयुक्त पंजीयक का ऑर्डर निरस्त कर यात्रा को वैध ठहराया और 5-7 हजार की वसूली भी माफ कर दी। इस प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी प्रक्रिया जो साधारण नागरिकों के लिये लागू होती है उस प्रक्रिया को आप वैकल्पिक रूप से दूसरी प्रकार से प्रभावशील करके अपने लोगों को लाभ देते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया प्रदेश में कुछ दूसरी होगी।

एक प्रश्न नगरपालिका से सम्बन्धित है आपको सुनकर ताज्जुब होगा। महेश्वर नगरपालिका पर भ्रष्टाचार के 12 आरोप हैं। दिनांक 27-4-77 को मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार राज्य शासन ने अपने प्रस्ताव में कहा "अतएव राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि परिषद ने अपनी शक्तियों का गंभीर सीमा तक दुरुपयोग किया है और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन उस पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है। अतएव राज्य शासन, एतद् द्वारा यह आदेश देता है कि पश्चिम निमाड़ खरगौन जिले की नगरपालिका परिषद महेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 328 की उपधारा (1) के अधीन भंग किया जाए और यह कि नये निर्वाचन कराये जायें।" मुश्किल से 6 महीने बाद इस शासन ने एक दूसरे राजपत्र में नोटिफिकेशन निकालकर जो कारण दिए हैं, उनको पढ़कर मैं स्वयं चकित रह गया कि क्या इस प्रकार से प्रशासन को चलाने की प्रक्रिया हो सकती है? 8-11-77 का नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा है महेश्वर नगरपालिका परिषद को भंग किए जाने के लिये मध्यप्रदेश म्युनिसिपेलिटीज एक्ट 1961 की धारा 328 की उपधारा (1) .....

श्री राजेंद्र धारकर (विधि एवं विधायी कार्य, राज्य मंत्री) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, जिन लोगों ने म्युनिसिपल पार्षदों को मीसा के अन्दर बन्द कर दिया और नगरपालिकाएँ भंग कर दीं, उन लोगों को क्या अधिकार है इस तरह की बातें करने का? (व्यवधान) प्रजातन्त्र की बात करने का इनको क्या अधिकार है? इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है कि इस प्रदेश में सैकड़ों नगरपालिकाएँ थीं जहाँ काँग्रेस को हराकर दूसरे लोग जीते लेकिन उनको मीसा में बंद कर दिया गया और चुनाव कराया गया यह लड़कियों का खेल (व्यवधान) खेलते हैं। चुनाव के मैदान में जीतो और आवो ..... (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डिवेट की कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 अप्रैल 1978, पृष्ठ/2853-2856)

1978 का वर्षाकालीन सत्र 28 अगस्त से प्रारंभ हुआ। इस सत्र में प्रारंभ से ही नर्मदा जल न्यायाधिकरण के निर्णय का मसला छाया रहा। इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुआ। इसी मसले पर प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह ने सत्र के अंतिम दिन एक निन्दा प्रस्ताव भी सदन में रखा।

1 सितंबर को श्री अर्जुनसिंह ने दैनिक इन्दौर समाचार कार्यालय पर 50 लोगों द्वारा घासलेट डालकर आग लगाये जाने और लोहे की छड़ों से मशीनों को तोड़े जाने की घटना पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष महोदय को दी। चर्चा के दौरान श्री अर्जुन सिंह ने कहा— कि यह घटना गंभीर है, प्रेस स्वतंत्रता पर हमला है इसलिए निश्चित रूप से इस सदन में विचार होना चाहिए किन्तु अध्यक्ष की अनुमति न मिलने से वॉक आउट करना पड़ा। चर्चा इस प्रकार है—

अध्यक्ष : मेरे पास दिनांक 1 सितंबर 1978 को प्रातः 3 बजे इन्दौर समाचार कार्यालय पर 50 लोगों द्वारा घासलेट डालकर आग लगाने के संबंध में श्री अर्जुनसिंह सदस्य की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। दिनांक 1-9-78 को प्रातः 3 बजे इन्दौर स्थित "दैनिक इन्दौर समाचार" कार्यालय पर लगभग 50 लोग हथियारों सहित पहुँचे और उन्होंने जबरन कार्यालय में प्रवेश करके अपने साथ लाए हुए घासलेट के तेल को छिड़क कर वहाँ आग लगा दी और लोहे की छड़ों से पूरे प्रेस की मशीनों को तोड़फोड़

डाला। जो कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे और अखबारों को जला दिया। आग लगाते व तोड़फोड़ करते समय गुण्डे नर्मदा बचाओ, सखलेचा हटाओ के नारे लगा रहे थे। पुलिस घटना स्थल पर विलम्ब से पहुँची तब तक बहुत क्षति करके गुण्डे वहाँ से जा चुके थे और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

नर्मदा न्यायाधिकरण के निर्णय पर इस समाचार-पत्र के प्रधान संपादक श्री सुरेश सेठ, विधायक ने शासन व मुख्यमंत्री की आलोचना की है और इस निर्णय को प्रदेश के हितों के प्रतिकूल निरूपित किया है जो विधायक व एक नागरिक के नाते उनका अधिकार है। इस प्रकार का संघातिक हमला करके उनका व उनके समाचार-पत्र के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। इसके पीछे किन लोगों की प्रेरणा है वह भी गुण्डों द्वारा लगाए जा रहे नारों से स्पष्ट होता है।

इस घटना से न केवल इन्दौर बल्कि पूरे प्रदेश में नागरिक एवं प्रेस स्वतंत्रता पर हुए आघात से तीव्र रोष फैल रहा है, अतएव इस अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिये आज सदन के कार्य को स्थगित किया जावे।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है।

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी (गृह पुलिस मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 सितंबर 1978 को प्रातः ढाई बजे इन्दौर स्थित "इन्दौर समाचार" दैनिक कार्यालय में लगभग 30-40 लोग गए और उन्होंने तोड़फोड़ की। उनके द्वारा घासलेट तेल को छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया गया। यह सच नहीं है कि लोहे के छड़ों से पूरे प्रेस की मशीनों को क्षति पहुँचाई गई। इस भीड़ द्वारा कार्यालय के टेलीफोन को तोड़ दिया गया, कुछ खिड़कियों के कांच तोड़ दिये गए और कुछ फर्नीचर आदि की तोड़फोड़ की गई थी।

सूचना मिलते ही थाना तुकोगंज तथा कोतवाली से पुलिस बल भेजा गया। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक भी मौके पर तत्काल पहुँच गये। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तुरन्त बुला लिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक सुबह 5.30 बजे तक घटना स्थल पर रहे।

उपरोक्त तोड़फोड़ के सम्बन्ध में थाना परदेशीपुरा में अपराध क्रमांक 539/78 धारा 137/148/452,435/427 व 323 भा.द.वि. के अन्तर्गत कायम किया जाकर विवेचना की जा रही है। ऐसा मालूम हुआ है कि 31 अगस्त 1977 के 'इन्दौर समाचार' में एक सम्पादक के नाम पत्र छपा था जिसमें गोविंदराम सेक्सरिया टेक्नॉलॉजीकल इन्स्टीट्यूट में रेगिंग की आलोचना की गई थी। जो भीड़ इन्दौर समाचार प्रेस गई थी व जिसने तोड़-फोड़ की थी उसके लोग यह कह रहे थे कि जी.एस.टी.आई. के बारे में कोई इस प्रकार का समाचार मत छापो। घटनास्थल पर जी.एस.टी.आई. के डायरेक्टर श्री धवलीकर तथा प्रोफेसर रंगनाथन भी आ गये और उन्होंने यह बताया कि कल 31 अगस्त 1978 को कुछ छात्र उनसे कार्यालय में मिले थे और इन्दौर समाचार में छपे संपादक के नाम पत्र में जो रेगिंग का विवरण दिया गया था उसके बारे में छात्रों ने अपना विरोध प्रकट किया था परन्तु डायरेक्टर ने उन छात्रों को समझा बुझाकर वापस कर दिया था।

जो भीड़ तोड़-फोड़ करने गई थी उसने नर्मदा या मुख्यमन्त्री जी के सम्बन्ध में कोई नारे नहीं लगाए। वास्तव में भीड़ द्वारा कोई नारेबाजी नहीं की गई थी। उसने केवल जी.एस.टी.आई. में रेगिंग के सम्बन्ध में इन्दौर समाचार में छपे समाचार के बारे में जिक्र किया था। यह कहना सर्वथा निराधार है कि शासन के आलोचकों का मुँह बन्द करने का किसी प्रकार का प्रयास किया गया है। यह कहना भी सर्वथा गलत है कि भीड़ द्वारा किसी राजनैतिक कारण से प्रेस पर हमला किया गया था।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को देखते हुए शासन के वक्तव्य ने घटना के मुख्य तथ्यों को स्वीकार किया है, केवल उसका इन्टरप्रिटेशन शासन ने अपनी ओर से किया है। जहाँ तक घटनास्थल का सवाल है उसके बारे में कोई विवाद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा यह स्थगन प्रस्ताव केवल शासन की आलोचना करने के लिए या किसी आरोप से उसके प्रति अनास्था प्रकट करने के लिये उपस्थित नहीं किया गया है, बल्कि यह स्थगन प्रस्ताव उन घटनाओं को भावी सूत्र के संकेत सूत्र पाता है जिनके द्वारा शासन इस

प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के प्रति और उसके सम्बन्ध में जो जन भावनायें हैं और उन भावनाओं के मुकाबले के लिए जो वह करना चाहता है उसका यह पूर्वाभ्यास है। अध्यक्ष महोदय, जिस महत्वपूर्ण विषय पर विधानसभा में दो दिन से चर्चा कर रहे हैं। आपने इस विधानसभा में लाखों और करोड़ों लोगों के सम्बन्ध में विचार करने की अनुमति दी है, उसी के सम्बन्ध में इस समाचार-पत्र के माध्यम से प्रभावी ढंग से दृष्टिकोण रखा गया था, उस पर कुछ गुण्डों द्वारा आग लगाकर नुकसान पहुँचाया गया है—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शासन प्रेस की स्वतन्त्रता की आस्था को बखान करने वाला है, उनका प्रशासन ऐसी दो जो घटनाएँ हुई हैं , उनको संजीदगी से देखने का प्रयास करेगा, ऐसा मैं और सदन के माननीय सदस्य उपयुक्त समझते है। मैं पुलिस मन्त्री श्री त्रिपाठी जी से—- (व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री त्रिपाठी गृह मन्त्री हैं।

श्री अर्जुनसिंह : पुलिस मन्त्री कहने से कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी : क्या माननीय सदस्य पुलिस की आवश्यकता को महसूस नहीं करते।

श्री अर्जुनसिंह : जी मैं अवश्य पुलिस की आवश्यकता को महसूस करता हूँ और उनके द्वारा किये गये सही कार्यों की सराहना भी करता हूँ और जो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको भी महसूस करता हूँ। कर्त्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तारीफ करता हूँ। पर अध्यक्ष महोदय, मैं उन पुलिस मन्त्री की जिम्मेदारी की तारीफ नहीं कर सकता जो तथ्यों को तोड-मरोड़ कर सदन में प्रस्तुत करते हैं।

(व्यवधान)

CAREER COLLEGE ACC.No..... Book No..... Date..... BHOPAL
26923

श्री श्रीवल्लभ शर्मा (इन्दौर-4) : (व्यवधान के बीच) अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया था उस पर पुलिस मन्त्रीजी की ओर से उत्तर आया है। स्थिति यह है कि गोविन्दराम सेक्सरिया कॉलेज के लड़कों के कारण यह घटना घटी है। जो पत्र इन्दौर समाचार के अखबार में छापा था उसको लेकर भी, पर हमारे दल के विरोधी नेता यहाँ विषयान्तर करके इस घटना को नर्मदा के प्रश्न से जोड़ना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह प्रमाण है कि इन्दौर की इस घटना के स्थल पर रात्रि में कॉलेज के अधिकारी भी उपस्थित हुए थे—

अध्यक्ष : कृपया आप बैठिए। (एक अन्य माननीय सदस्य जो खड़े हो गये थे उनको बैठाते हुए) मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि केवल आप इस प्रकार बीच में व्यवधान पैदा न करें। आपके नेता हर तरह से समर्थ हैं। आप उनकी बात का प्रतिकार क्यों करते हैं। क्या आप अपने नेता को कमजोर समझते हैं। आप बैठिए वह जबाव दे लेंगे।

श्री वल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मैं निवेदन कर रहा था कि जो घटना घटी है उसमें सेक्सरिया कॉलेज के लड़के वह लोग इन्दौर समाचार के कार्यालय में गये और जो घटना घटी उसकी रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों ने 2.45 पर रोजनामचे में दर्ज की। इस कॉलेज के विद्यार्थियों की घटना को देखने के बाद कॉलेज के अधिकारी भी वहाँ गये थे। हमारे विरोधी दल के नेता यहाँ विषयान्तर करके सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये। मैंने अभी आपसे कहा था कि आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से वह बातें न उठाईये जो यथार्थ में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नहीं आतीं। केवल व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपनी बात कहना सही नहीं है। कृपया यह समझिये कि यथार्थ में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। केवल उसको माध्यम बनाकर खड़े न हो जाईये। उत्तर देने के लिये आपके मंत्री जी पूरी तरह सक्षम हैं और विरोधी दल के नेता भी हर प्रकार से सक्षम हैं, उनको बात कहने दीजिये। आप इस प्रकार प्वाइंट ऑर्डर्स उठाकर व्यवधान मत डालिये।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगवाँ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि प्रारम्भ से ही यह सर्वसम्मति से संसदीय परम्परा रही है कि जब भी विरोधी दल के नेता बोलने के लिये उठें अथवा सदन के नेता जब बोलने के लिए खड़े हों, तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से कुछ न कुछ कहकर उनके भाषणों में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब सदन के नेता अथवा विरोधी दल के नेता भाषण दे रहे हों, यदि किसी

माननीय सदस्य के तीन बार प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर आपके द्वारा डिसएलाऊ किये जा चुके हों फिर भी यदि यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने को खड़े हों तो उनका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कतई न सुना जावे तथा जो कुछ वह बोलें उसको कार्यवाही में से निकाल दिया जावे, मेरी प्रार्थना है। अगर हम संसदीय परम्पराओं का निर्वाह न करें और सदन के नेता और विरोधी दल के नेता को शांति पूर्वक न सुनें तो न हम विधायक होने की पात्रता रख सकेंगे और न सदन की मर्यादा को बचा सकेंगे।

श्री श्रीवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने अपना स्थगन प्रस्ताव स्पष्ट कर रखा है और शासन का जो जवाब आया है उसके बाद भी गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को आग्रह करता हूँ।

डॉ. नवजीत महाजन : माननीय सदस्य अर्जुनसिंह जी ने कहा है कि हमारे माननीय सदस्य जेल में बन्द हैं।

अध्यक्ष : वह प्रश्न नहीं है, वह खत्म हो गया।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह जी ने उचित सुझाव दिया है सदन के काम में व्यवधान न हो इसकी कुछ न कुछ सीमा बांधी जाये या कोई बन्धन लगाया जावे। आप इसकी कोई व्यवस्था करने का कष्ट करें। इतनी अधिक व्यवस्था के प्रश्न सामने आ जाते हैं कि सदन का सारा समय चला जाता है ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जिससे हम सदन के समय का सदुपयोग कर सकें।

अध्यक्ष : स्वयं इस पर विचार कर रहा हूँ, मैं सदन के नेता और विरोधी दल के नेता दोनों के साथ चर्चा करके निश्चित करूँगा कि इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है और उसके लिये प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रयत्न करूँगा।

(हँसी)

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सोलंकी जी ने कहा था कि पटवा जी में उपाध्यक्ष बनने की पात्रता नहीं है, मैं आपके माध्यम से माननीय विरोधी दल के नेता श्री अर्जुनसिंह जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कदाचित इसी आधार पर प्रस्ताव वापस ले लिया कि सोलंकी जी को उपाध्यक्ष बनने का अधिकार नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरी यह मान्यता है कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य अध्यक्ष, सदन का नेता, उपाध्यक्ष और किसी भी पद को सुशोभित करने की पात्रता रखता है, माननीय सदस्य सोलंकी जी ने यह बात मज़ाक के मूड में कही थी, उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। इतनी गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उनकी बात को गम्भीरता से कभी कोई नहीं लेता।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विषय अपने आप में किसी स्थान पर घटी घटना या विशिष्ट घटना, वारदात तक सीमित नहीं है। यह घटना नये प्रकार के प्रयोग की सूचक है, नये प्रकार की भावनाओं की सूचक है और नये तौर की सूचक है जिसके माध्यम से अपनी बात पूरी तरह से कहने की आजादी पाई है शायद आप यह कहें कि यह आजादी हमारी वजह से पाई है, मैं उसको भी मान लेता हूँ कि आपने दिलायी है। रात के अन्धेरे में घासलेट छिटक कर सब कुछ समाप्त कर देने की यह घटना पहली नहीं है। इसी निर्णय को लेकर जो बातें चल रही हैं उससे सम्बन्धित दूसरी घटनाएँ भी घटी हैं। पहली घटना 26 तारीख को खलघाट में हुई। उस समय भी हमने उसको उठाने की कोशिश की थी। लेकिन आपने चर्चा करने की अनुमति नहीं दी। यह सोचा गया कि न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में राजनीतिक विषयों को लेकर विपरीत बात न करें। अब ऐसा प्रतीत होता है कि नर्मदा न्यायाधिकरण के मामले को लेकर अभी तक इस प्रदेश में, इस प्रदेश की विधानसभा में कोई निर्णय नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने इसे स्वीकार न करने की बात कही है, अंतिम रूप से यह विधानसभा क्या चाहती है। यह अभी भी शेष है। इसके पहले ही इस विषय पर आम लोगों की ओर से जो भावना व्यक्त की जा रही है उसका उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा उसका नमूना इस घटना से मिलता है इसलिये

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करने की अनुमति दें यह परम्परा अच्छी होगी। यह घटना गम्भीर है, प्रेस स्वतंत्रता पर हमला है इसलिए निश्चित रूप से सदन में इस पर विचार करना चाहिए, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से।

अध्यक्ष : चूँकि 1 बज चुका है इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 मिनिट का समय सदन की अनुमति से बढ़ा दिया जाये (अनुमति प्रदान की गई)

श्री सुन्दरलाल पटवा : प्रतिपक्ष के नेता को आप काफी कहने का समय देते हैं हमको भी ग्राह्यता के बारे में कुछ कहने का मौका दें।

श्री अर्जुनसिंह : अगर आप इस प्रस्ताव को ग्राह्य करके सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दें?

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरा निवेदन था कि मुख्यमंत्री जी के पूर्व मेरी बात सुन लें, पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता था।

अध्यक्ष : नियम की परिधि और प्रावधान पर कोई बात कहना चाहते तो कह सकते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर जो चर्चा हो रही है और माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने प्रतिपादित किया है कि प्रस्ताव ग्राह्य किया जावे परन्तु प्रश्न यह है कि ग्राह्य किया जावे या न किया जावे, क्यों ग्राह्य किया जावे और क्यों न किया जावे।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही स्थगन प्रस्ताव आया और माननीय गृह मन्त्री. ने अपना वक्तव्य दिया, विशुद्ध रूप से यह घटना— जी.एस.टी.आई. के बारे में, रेगिंग के बारे में कोई पत्र अखबार में छपा उसको लेकर कुछ विद्यार्थियों की ओर से इन्दौर समाचार कार्यालय में यह घटना हुई। उस घटना को लेकर 19 फेक्ट्स बताए हैं। मुझे दुख है कि माननीय विरोधी दल के नेता ने उसको नर्मदा से जोड़ने का प्रयास किया। नर्मदा के आन्दोलन व इस बारे में समाचार प्रकाशित किये गये जिसका इन्दौर समाचार के सम्पादक से कतई सम्बन्ध नहीं है, स्पष्टतः फेक्ट्स बताये गये हैं

श्री सुन्दरलाल पटवा :नर्मदा से ही जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नीति है, वहाँ हमले करवा रही है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अच्छी तरह से इस सदन के सामने निवेदन कर चुका हूँ; कह चुका हूँ जिसे सदन जानता है कि हमने प्रेस की स्वतंत्रता कायम की इस देश में—

(तालियों की गड़गड़ाहट एवं मेजों की थपथपाहट)

हमने प्रेस के पूरे अधिकार वापस किये आपने प्रेस में ताला लगा दिया था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : किसने प्रेस की स्वतंत्रता का हरण किया है, श्रीवास्तव जाँच आयोग की रिपोर्ट कल ही पटल पर रखी गई है।

श्री प्रभुनारायण टन्डन : अध्यक्ष महोदय, आप देखते नहीं कि पटवाजी हर बार इन्टरफियर करते हैं और जब यहाँ वाले बोलते हैं तो आप कहते हैं कि इन्टरफियर कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मैं उनको भी समझाता हूँ आपको ज्यादा समझाता हूँ क्योंकि आप सबसे पहले बोलते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जिस प्रकार से अभी माननीय सदस्य, श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह जी ने कहा कि सभी सदस्यों के लिए पर टण्डन जी के लिए विशेष रूप से यह व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, इस मज़ाक को कहने के बजाय मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का दूसरी प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उक्त प्रवृत्ति को रोकने में मेरा अनुमान है कि सदन के सभी सदस्य सहयोग देने की कृपा करेंगे व इससे सभी सहमत होंगे। वाइलेन्ट मैथड का किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए और न इसे एडजस्ट करना चाहिए सभी का ऐसा मत होना चाहिये। कोई भी हो चाहे जनता का, चाहे छात्र वर्ग, चाहे विद्यार्थी वर्ग कोई भी अपनी बात करने के लिये वायलेंट मैथड एडाप्ट न करें, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। हमारे देश में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसको रोकने के बारे में हम सब मिलकर प्रयास करें, अध्यक्ष महोदय,

उस पर हम चर्चा करें, चर्चा से उसे निपटाने का प्रयास करें क्योंकि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं मिलजुल कर हल कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही एक घटना और घट चुकी है। कल एक घटना नई दिल्ली के अन्दर भी घटी है। दिल्ली की उस घटना से देश के विदेश मन्त्री पर चोटें आयीं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस वाइलेन्स को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। मेरा आप सब महानुभाव से अनुरोध है कि किसी भी स्थान पर इन्दौर समाचार में ही नहीं कहीं पर भी वाइलेन्स हो उसको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। संरक्षण देने का सवाल ही नहीं है! पुलिस पूरी क्षमता के साथ इसे रोकने का प्रयास करेगी। इस वाइलेन्स को रोकने में देश के सभी लोगों का प्रयास होना चाहिये। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है मेरा यह अनुरोध है।

अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में शासन के उत्तर व संबंधित सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है आप इसको अनुमति देने की जरूरत नहीं समझते, इसके विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 सितम्बर 1978 पृष्ठ/653-657)

मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा की निजी नेपाल यात्रा में सरकारी वायुयान के उपयोग के संबंध में श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री अर्जुनसिंह, श्री मोतीलाल वोरा, श्री यज्ञदत्त शर्मा और श्री कृष्णपाल सिंह ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को दी। इस बहुचर्चित घटना पर सदन में जो चर्चा हुई वह इस प्रकार है—

अध्यक्ष : मेरे पास दिनांक 29 जून, 1978 को प्रदेश के मुख्यमंत्री की नेपाल यात्रा के सम्बन्ध में सर्वश्री श्रीनिवास तिवारी, अर्जुनसिंह, मोतीलाल वोरा, यज्ञदत्त शर्मा, कृष्णपाल सिंह सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव सूचना दिनांक 30-8-78 को 2.45 बजे प्राप्त हुई थी जिसे मैं सदन को पढ़कर सुनाता हूँ—

प्रदेश में मुख्यमंत्री की संदिग्ध 29 जून 1978 की निजी नेपाल यात्रा के दौरान उनके द्वारा शासकीय वायुयान के दुरुपयोग से मध्यप्रदेश की जनता में तीव्र रोष की लहर व्याप्त हो गई है। विशेष कर ऐसी परिस्थितियों में जबकि राज्यसभा में कल इनके विरुद्ध अफीम की तस्करी के आरोप लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री ने अभी तक विधानसभा में स्वतः अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है इसलिए विषय और भी संदिग्ध और गंभीर हो गया है। प्रदेश की जनता इस आरोप की यथार्थता जानने के लिए बैचेन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने निजी कार्य हेतु शासकीय वायुयान का उपयोग करके शासकीय नियमों का उल्लंघन किया है। प्रदेश के जनमानस पर इसकी प्रतिक्रिया रोषपूर्ण हुई है। अतएव अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के इस विषय पर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर इस विषय पर चर्चा की जावे।

इसके बारे में शासन का क्या कहना है?

श्री शिवभानु सोलंकी (मनावर, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, यह तो मुख्यमन्त्री जी बताते तो अच्छा रहता।

अध्यक्ष : उसमें आग्रह नहीं हो सकता कि कौन बतावे और कौन न बतावे।

श्री शिवभानु सोलंकी : उनको फर्स्ट हेन्ड जानकारी तो है ही।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते तो समझ में आता कि उसकी जानकारी कोई और मन्त्री दे सकता है कि उन्होंने हवाई जहाज में तस्करी की, वह क्यों की?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : आप चाहते हैं तो मैं बताता हूँ इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 29-6-78 को नेपाल यात्रा पर मैं काठमाण्डू गया था। इस यात्रा में शासकीय विमान का उपयोग किया गया। नियमों के अनुसार शासकीय वायुयान का उपयोग निजी कार्य के लिये मुख्यमंत्री एवं गवर्नर को करने का प्रावधान है। उसके किराये का मेरे द्वारा भुगतान किया गया। तस्करी या अन्य

संदिग्ध और गंभीर आरोपों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि यह आरोप कितने भ्रामक, बेबुनियाद और कुत्सित उद्देश्य से लगाये गये हैं यह केवल इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जावेगा। अध्यक्ष महोदय, श्री शांताकुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जनता पार्टी के मुख्यमंत्रीगण की कान्फ्रेंस शिमला में 29-6-78 को बुलाई वह कान्फ्रेंस उस समय केंसल हुई। वह कान्फ्रेंस केंसल हुई उस समय फिर सिक्किम जाने का प्रोग्राम हुआ। सिक्किम के बारे में 26 तारीख को सिक्किम के चीफ मिनिस्टर को वायरलेस मेसेज भेजा था। सदन के कोई भी सदस्य इसको देख सकते हैं। 27 को मैं दिल्ली गया। वहाँ पर सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने इस यात्रा का स्वागत किया, उसके बाद उन्होंने बताया यहाँ सीजन बहुत खराब है यद्यपि हम स्वागत करते हैं, वर्षा के कारण वेदर बहुत खराब है इसलिए पहुँच नहीं सके। तब नेपाल जाने का प्रोग्राम बनाया। अध्यक्ष महोदय, इस निजी यात्रा के दौरान एक तारीख को पटना रुककर मैंने श्री जयप्रकाश जी से चिकित्सीय समस्याओं के बारे में जो चिट्ठी आयी थी, चर्चा करने का भी प्रोग्राम बनाया। बिहार भी इस सम्बन्ध में वायरलेस भेजा था। इसी प्रकार के आरोप का राज्यसभा में श्री कौशिक जी ने खण्डन किया कि यह सारी बात झूठ है। कस्टम से जाँच करवा ली थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि नेपाल दूसरा देश है उस देश की यात्रा पर मुख्यमंत्री जी के जाने पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना ऐसे प्रश्न उठाना बिल्कुल गलत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक शासकीय वायुयान का सवाल है मुख्यमंत्री को अधिकार है। यह निजी यात्रा है और पहले भी निजी यात्रा के रूप में वायुयान उपयोग में लाया जाता रहा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों पर इस तरह का अनर्गल आरोप न लगाया जावे यह मैं चाहता था। कुछ लोग विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य के बारे में भी इस प्रकार का व्यक्तिगत प्रश्न उठाना चाहते हैं। मैंने उनको रोका और कहा कि पर्सनल मैटर न उठायें तो उचित है।

अध्यक्ष : (श्री श्रीनिवास तिवारी से) आपने जो स्पष्टीकरण की बात लिखी है वह स्पष्टीकरण आया है। आपने नियमों के उल्लंघन के बारे में कहा है वह भी बताया कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

श्री श्रीनिवास तिवारी (त्योंथर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी स्थगन प्रस्ताव दिया था वह बहुत साफ है और उसको पढ़कर यहाँ पर सुनाया गया उसके उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है, थोड़ी-सी उत्तेजना जरूर दिखाई है और यह कहा है कि बहुत भ्रामक आरोप लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ और मुख्यमन्त्री का ध्यान स्थगन प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो स्थगन प्रस्ताव पढ़ा गया है और जो हम लोगों की तरफ से रखा गया है उसमें स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत आरोप नहीं है। हम लोगों ने यह कहा है कि शासकीय विमान का दुरुपयोग किया गया है। निजी कार्य के लिए शासकीय विमान का दुरुपयोग करना उचित नहीं है। वहाँ जाकर क्या किया—

अध्यक्ष : मैं थोड़ा-सा टोकूँगा। आपने कहा है कि नियमों का उल्लंघन किया है, उचित-अनुचित की बात नहीं कही है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : नियमों का उल्लंघन बराबर हुआ है। काठमांडू दूसरे देश में है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसके हमारे कायदे और कानून हैं। वहाँ पर निजी यात्रा पर शासकीय वायुयान नहीं ले जा सकते। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया। नियमों का उल्लंघन हुआ है। आप गौर से पढ़कर, सुनाकर बता दें कि यह नियम है जिसके आधार पर दूसरे देशों में हम अपनी निजी यात्रा पर शासकीय वायुयान से जा सकते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महू के उप चुनाव में, सेठी जी के चुनाव के समय श्यामाचरण जी शासकीय विमान ले गये थे।

(व्यवधान)

श्री श्रीनिवास तिवारी : यह दूसरे देश की यात्रा थी इसलिए मसला गम्भीर हो गया। आखिर दूसरे देश में जाने के लिए जब हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं तो पायलट के पास अन्तर्राष्ट्रीय लायसेंस होना चाहिए तो पायलट को यह लायसेंस प्राप्त था या नहीं? कैसे वह वहाँ गया? जो निजी यात्रा बताई है उस निजी यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्या यात्रा का उद्देश्य ऐसा निजी है जो दूसरों को नहीं बता सकते, केवल अपने तक सीमित

रखना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो यह सवाल और गंभीर होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया है, पब्लिक इंटेरेस्ट में ऐसा आरोप लगाया गया है, यहाँ स्पष्टीकरण मुख्यमन्त्री से माँगा गया है, उसमें औचित्य नहीं है और अध्यक्ष महोदय, से निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए और उस पर विस्तार से चर्चा होना चाहिए।

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर-2) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि जब हमारे देश का प्रधानमन्त्री रूस जाता है, सरकारी काम से जाता है, लेकिन हवाई जहाज नहीं ले जाता। एयर इन्डिया के जहाज से जाता है। जब हमारा प्रधानमन्त्री पाश्चात्य देश जाता है अपना टिकिट लेता है ताकि सरकार पर बोझ न पड़े। परन्तु इस प्राईवेट टूर के लिए शासकीय विमान का उपयोग किया गया। दिल्ली से एक हफ्ते में 40 फ्लाइट्स हैं नेपाल जाने के लिए। क्या इतना आवश्यक हो गया था कि हमारा ही जहाज जाता। क्या माननीय मुख्यमंत्री एयर इंडिया की फ्लाइट से नहीं जा सकते थे? जितना किराया आपने जमा किया है एयर इन्डिया के विमान से जाने में 8 गुना अधिक जमा करना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ किराया देने से आप हवाई जहाज ले जाने की उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भोपाल से गए वे भी संदिग्ध हैं। इस बात की इन्होंने कहीं चर्चा नहीं की। प्रेस को भी इस बात का पता नहीं था। नेपाल से वापस दिल्ली आये। दिल्ली से भोपाल आए। ये सारी परिस्थितियाँ संदिग्ध हैं। अगर आपका शासकीय टूर होता तो नेपाल की सरकार के लोग आपको रिसीव करने के लिए आते लेकिन आपके प्राइवेट लोग वहाँ पर आए इसका क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रांत की जनता जानना चाहती है हमारे पैसे का दुरुपयोग हुआ है। हमारे हवाई जहाज का दुरुपयोग हुआ है। कल आप अमेरिका चले जायेंगे, इंग्लैंड चले जायेंगे।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एरिया में हिन्दुस्तान की सबसे अधिक अफीम पैदा होती है वहाँ का मुख्यमंत्री बिना किसी से कहे नेपाल जाए इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जब राज्यसभा में इस प्रकार की अफीम तस्करी का आरोप लगाया गया उसके कुछ आधार होंगे।

(व्यवधान)

बहुत से मर्डर होते हैं जिनके चश्मदीद गवाह नहीं होते हैं उन्हें फाँसी की सजा हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सबके के लिए सदन की कमेटी बनाई जानी चाहिये। आप कहिए कि सदन की कमेटी बनाने के लिए हम तैयार हैं। अगर जनता पार्टी कहती है कि उनका मुख्यमन्त्री निष्कलंक है तो कमेटी बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर यह एक संगीन मामला है। प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस पर चर्चा होनी चाहिये यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित ही खेद का विषय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाये कि वे अपनी निजी यात्रा पर नेपाल गये और राज्यसभा में अफीम की चोरी का इल्जाम लगाया गया इससे इस सदन का जबरदस्त अपमान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन का विमान मध्यप्रदेश में या हिन्दुस्तान में तो निजी यात्रा के लिए ले जा सकते हैं लेकिन क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि क्या निजी विमान विदेश ले जाने की स्वीकृति उन्होंने होम सेक्रेटरी से अथवा चीफ सेक्रेटरी से दिल्ली में बैठकर ली थी? क्या कोई इन्टरनेशनल लायसेंस मिस्टर चन्द्रा के पास था? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में शांताकुमार जी ने जो मुख्यमन्त्रियों की एक कांफ्रेंस बुलाई थी उसमें शिरकत करने के लिये गये थे और एन वक्त पर कांफ्रेंस निरस्त हो गई और आपने सिक्किम जाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के साथ नेपाल जाने वालों की अगर आप लिस्ट जानना चाहें तो मैं उसे बता सकता हूँ। सिक्किम तो कोई गया नहीं, क्योंकि वहाँ पर एरोड्रम है उस पर लैंड स्लाइड होने का खतरा बना रहता है तो वे सिक्किम तो गये नहीं नेपाल चले गये। तो इस तरह से मध्यप्रदेश का मुख्यमन्त्री जब

मन में आवे वहाँ उड़ जाये सिक्किम चला जाये, नेपाल चला जाये और नेपाल से कहीं चीन चला जाये तो ऐसे मुख्यमन्त्री का इलाज होना चाहिए। मुख्यमन्त्री का इलाज इसलिए होना चाहिये कि जैसा आपने कहा कि शिमला वे जाने वाले थे, सिक्किम जाने वाले थे लेकिन वे वहाँ न जाकर नेपाल चले गये। इनके साथ जाने वालों के नाम आप जानना चाहें तो वह मेरे पास हैं यदि उनकी निजी यात्रा थी वे स्वयं जा सकते थे। उन्होंने 29 जून को यात्रा की लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया। वे 30 जून को यात्रा के पैसों का भुगतान कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि 30 जुलाई को भी भुगतान नहीं किया। इसके बाद आपने 30 अगस्त के आसपास भुगतान किया होगा यह मेरे पास जानकारी है। क्या मैं मुख्यमन्त्री जी पर यह आरोप नहीं लगाऊँ कि उन्होंने सरकारी पैसों की खयानत की उन पर पैसा बाकी है क्योंकि उन्होंने आज तक पैसा जमा नहीं किया।

अध्यक्ष : आपका यह आर्गूमेंट बिल्कुल गलत है।

श्री मोतीलाल वोरा : क्या आप मुझे .... (व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिये वोरा जी आपका यह आर्गूमेंट इसलिए स्टैंड नहीं करता क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि पेमेंट हुआ है और आप कहते हैं कि 30 अगस्त तक नहीं हुआ उसके पश्चात् हुआ होगा पेमेंट। हुआ या नहीं इस सम्बन्ध में आप स्वयं स्पेसिफिक नहीं हैं कि 30 अगस्त तक नहीं हुआ है। इसलिए आप स्वयं सरटेन नहीं है। उनका कहना है कि जमा हुआ है। तो ऐसी हालत में यह कह देना कि खयानत साबित होता है तो हम आपके इस कथन से एग्री नहीं करते।

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूँ कि संजय के लिए हवाई जहाज जाता रहा लेकिन उसका आज तक पैसा बाकी है। वोराजी ने बसें किराये पर दीं लेकिन उसका भी पैसा आज तक बाकी है वसूल नहीं हो पाया है तो क्या वोराजी ने इस तरह से कोई खयानत नहीं की?

अध्यक्ष : यह आर्गूमेंट नहीं है।

श्री मोतीलाल वोरा : मैं शीतला सहाय जी का बड़ा आदर करता हूँ। मैं उनके आम मसले पर इस प्रकार के आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मैंने बसों का किसी प्रकार से निजी उपयोग नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो इस प्रकार का आरोप लगा है हम सभी निश्चित तौर से दुखी हैं, हमारा सर इससे झुक गया है।

श्री जमनाप्रसाद चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है और वह यह है कि जब यहाँ पर प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया और बता दिया गया कि कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये जावें लेकिन इसके बावजूद भी माननीय सदस्यगण बोल रहे हैं और व्यक्तिगत आरोप को रिपीट करते जा रहे हैं। अभी वोराजी ने कहा कि राज्यसभा में मुख्यमंत्री पर अफीम चोरी का आरोप लगा है। तो मेरा निवेदन है कि सदस्यगण उन आरोपों को रिपीट न करें यदि करते हैं तो उन पर विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है। तो ऐसे सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की कार्यवाही की जानी चाहिये। इस प्रकार के आरोप जब प्रस्ताव में नहीं हैं तो यहाँ पर रिपीट नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन बार-बार रिपीट हुए हैं वोराजी ने जो कहा है उसको रिकार्ड से निकाला जाना चाहिये।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जरा प्रस्ताव को पढ़ लें उसके बाद आर्गू करें।

अध्यक्ष : आप सूचना पढ़ लीजिए फिर बोलिए?

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : और आप सुन लीजिये। और यह भी कोई शोभनीय बात नहीं है कि यदि कोई माननीय सदस्य प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोलना शुरू करें तो सारे सदस्य एक साथ चिल्लाना शुरू कर दें, यह ठीक नहीं है।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इससे सारे सदन का अपमान हुआ है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से नेपाल जाने की परमीशन ले ली थी और वे शायद 29 तारीख को नेपाल के लिए रवाना भी हो गए। तो मुख्यमंत्री जी के दिमाग में यह बात निश्चित थी कि वे नेपाल जा रहे हैं और उनकी यह प्राईवेट विजिट है। श्रीमती चेतन सखलेचा और कुमारी मीना सखलेचा, श्री राजकुमार सखलेचा, श्री बालेश्वर अग्रवाल, जनरल मैनेजर हिन्दुस्तान, समाचार को-आपरेटिव सोसायटी, श्री ए.एस.

प्रिज सेक्यूरिटी आफीसर और केप्टन वी. चन्द्रा पायलट थे। अध्यक्ष महोदय, यदि ये सारे के सारे व्यक्ति नेपाल जाते और रेगुलर फ्लाइट पर जाते तो इनको प्रति व्यक्ति कम से कम 4 हजार रुपए किराया लगता। तो क्या यह शासकीय विमान का दुरुपयोग नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यदि मध्यप्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य होते तो फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि वे क्यों गए, वे सरकारी काम से जा सकते थे। अध्यक्ष महोदय, इन आठ लोगों को अपने साथ ले जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई इजाजत ली थी। यह माना कि मुख्यमंत्री जी के पास परमिट था तो क्या वे उसमें किसी भी व्यक्ति को ले जाने का अधिकार रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री जी ने नेपाल में जाकर अपने वहाँ पहुँचने की सूचना दर्ज कराई थी। जब कोई हवाई जहाज नेपाल में लैंड करता है तो नेपाल और चीन के बीच एक संधि है कि जब भी कोई हवाई जहाज नेपाल में लैंड करे तो उसकी सूचना चीन को दी जाये तो मुख्यमंत्री जी ने इसकी सूचना चीन को दी थी? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा के इस कार्य से हमारे प्रदेश का अपमान हुआ है और इस तरह उन्होंने अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है। अपने स्थगन प्रस्ताव में मैंने जो तथ्य रक्खे हैं वे सारगर्भित हैं, अध्यक्ष महोदय, आप भी इसकी प्रशंसा करेंगे।

श्री कृष्णपालसिंह (सोहागपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी मेरिट पर चर्चा हुई। इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो यह कि सर्वप्रथम इस प्रश्न को विधानसभा में नहीं उठाया गया। यह प्रश्न उठा है कि देश की राज्यसभा..... इसलिए उचित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अपने उपयुक्त तर्कों से अपनी सफाई दें। .... इस प्रस्ताव की जनता और जनमानस में एक अच्छी प्रतिक्रिया होनी चाहिये वरना यह तो बड़ी गलतफहमी जनता में रह जायेगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एकाएक व्यक्तिगत रूप से यह कार्यक्रम क्यों बनाया? न तो वहाँ कोई शादी-विवाह ही था और न वहाँ दर्शन करने के लिए ही गए थे। उन्होंने अपने भाषण में और कोई कारण भी नहीं बताया है कि किस कारण से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यात्रा की।

दूसरी बात जैसा भाई वोराजी ने बताया कि कर्नल चन्द्रा बहुत ही होशियार हैं वे जानते हैं कि मुख्यमंत्री को ले जाने के लिये जहाज में दो पायलट होते हैं लेकिन वे दो की जगह एक ही पायलट लेकर गए और दूसरे पायलट की जगह एक व्यक्तिगत आदमी को बिठा कर ले गए यह भी नियमों के विपरीत बात है। नियमों के विपरीत काम है।

दूसरा प्रश्न यह है क्या उस व्यक्ति का पास कर्नल चन्द्रा के पास था और क्या उसके लिए उन्होंने मंजूरी ले ली थी। और क्या एक्साईज डिपार्टमेंट से दूसरी छानबीन हुई थी। अगर सखलेचा जी पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से जाते तो जो सूचना गवर्नर को भेजनी चाहिए क्या वह भेजी गई थी अगर ऑफिशियल काम से गए होते तो कोई संदेह की बात नहीं थी। लेकिन अब विचित्र संदेह जनता में पैदा हो गया है। उनके व्यक्तिगत व्यवहार के कारण अब एक बड़ा विचित्र संदेह जनता में पैदा हो गया है। अतः इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, कि इस सदन को जानकारी मिले बल्कि इस प्रस्ताव को ठीक तरीके से जनमानस को समझने के लिए जरूरी है कि इस स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकृति दीजिए जिससे इस पर चर्चा हो जाये और इसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा जी का जवाब हो जाए जिससे प्रदेश का जनमानस साफ हो जाये।

डॉ. गोवर्धन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है और जो नियम हैं, मैं आपका ध्यान नियम 55 (3) की ओर से आकर्षित करना चाहता हूँ। यह कोई हाल की घटना नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी संबंधित प्रस्ताव तक सीमित रहेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें इस बात का अधिकार है कि वे इस प्रकार की यात्रा कर सकते थे और इस प्रकार से वायुयान का उपयोग पूर्व में भी मुख्यमंत्री करते आये हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने किया है। अतः यह कोई आपत्तिजनक नहीं है। जो स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमन्त्री जी ने दिया है, वह स्पष्ट है, पर्याप्त है। अतः मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव के ऊपर लंबी-चौड़ी बहस की जाये। उन्होंने यात्रा का भुगतान जो होना चाहिये वह भी कर दिया है। यह उनकी निजी यात्रा थी। अतः इतने विलंब से उठाये जाने पर इस प्रस्ताव को रखने की स्वीकृति न दी जाए।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को विधानसभा के समक्ष लाने में हमको और हमारे दल के माननीय सदस्यों को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित रूप से उसका व्यक्तिगत काम या व्यक्तिगत जीवन अपनी जगह है, उसको खाँमखाँ राजनीतिक जीवन में नहीं घसीटा जाना चाहिए लेकिन विवश होकर हमें इस प्रश्न को यहाँ लाना पड़ा और उसके लिए एकमात्र कारण यह था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे ही राज्यसभा, जो इस देश की सर्वोच्च सभा है, उसमें यह प्रश्न उठा था और वहाँ पर इसकी चर्चा हुई।

अगर उसके तत्काल बाद विधानसभा में एक वक्तव्य पढ़कर इस बात का स्पष्टीकरण कर देते कि उनकी निजी यात्रा का क्या उद्देश्य था? केवल घूमने के लिए गये थे या निजी काम के बारे में स्पष्टीकरण करते तो इस विधानसभा के सदस्यों और प्रदेश के नागरिकों को संतोष हो जाता कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तिगत काम था जो निजी, जीवन से संबंध रखता है, और उस पर विवाद नहीं करना चाहिए। मुझे दुःख है यह प्रश्न विधानसभा में उठाने के बारे में संकेत किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री चुप रहे और कोई आधिकारिक वक्तव्य आपकी ओर से नहीं दिया गया, जहाँ तक निजी इस्तेमाल का प्रश्न है यह हो सकता है कि कहीं पर किसी व्यक्ति को आवश्यक हो जाये वायुयान इस्तेमाल करना, तो उसके नियम हैं जिसके तहत पहले से अनुमति दी जाये, जो पैसा देना है वह दस दिन या पाँच दिन पहले दे, यह बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर दो बातें उठती हैं। क्या निजी रूप में वायुयान इस्तेमाल करने का नियम है? उसके तहत इस बात का प्रावधान है निजी काम के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री वायुयान इस देश के बाहर भी ले जा सकते हैं? यदि ऐसा प्रावधान है तो उस प्रावधान को सदन में बताने की कृपा कीजिए। दूसरी बात नेपाल जाने के सम्बन्ध में है, भारतीय नागरिक को किसी प्रकार का पासपोर्ट नहीं लगता है लेकिन यदि मैं गलत नहीं कहता हूँ तो परमिट की आवश्यकता पड़ती है। मुख्यमंत्री वी.आई.पी. थे उनके लिए परमिट की आवश्यकता न हो लेकिन जो अन्य भारतीय नागरिक गये थे उनके नेपाल में प्रवेश के लिए परमिट का प्रावधान है, क्या उसका पालन किया गया? वहाँ पर क्या हुआ, इसके बारे में जैसा कि हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, हमने कोई आरोप नहीं लगाये हैं जो चर्चा हुई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री महोदय यदि अपने-अपने निजी कार्य के बारे में पर्याप्त मात्रा में स्पष्टीकरण देकर संतुष्ट कर दें तो शायद दूसरा प्रश्न जो है उसके लिए समाधान हो सकता है। लेकिन निजी यात्रा कहकर मौन रहेंगे तो शंकाएँ और कुशंकाएँ चालू रहेंगी। मैं नहीं चाहता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में या विधानसभा के किसी माननीय सदस्य के बारे में शंकाएँ, कुशंकाएँ रहें। मैं इसको किसी के हित में नहीं मानता और मुख्यमंत्री भी इसको अपने प्रदेश और अपनी सरकार के हित में नहीं मानते होंगे। इसलिए इन दो तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहूँगा। मुख्यमंत्री अपनी निजी यात्रा का उद्देश्य बताने की कृपा करें ताकि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि तिवारी जी ने कहा रूल्स के अन्दर स्पष्ट प्रावधान इसके बारे में है। सारे केस को इस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि नेपाल दूसरा देश है इसलिए यह नियम लागू नहीं होता। रूल्स में प्रावधान इस प्रकार है—

The Governor, the Chief Minister or a Minister including a minister of state and a deputy minister may charter a Govt. Plane for purposes other than official in which case the actual cost incurred for the flight plus five percent thereof for wear and tear shall be liable to be recovered."

अब इसके अनुसार नेपाल की विशेष परिस्थिति का श्री अर्जुनसिंह जी ने जिक्र किया। नेपाल जैसे अन्य देश में ले जाना हो तो वायुयान ले जा सकते हैं उसके लिए आवागमन फ्री है। इस कारण रूल्स में कोई परिवर्तन हो गया, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यह कहा गया क्या उद्देश्य था, नेपाल की यात्रा किस कारण की गई? सिक्किम की बात थी और अचानक सीजन खराब हो जाने के कारण वहाँ जाने की बात हुई। हितवाद के एक प्रतिनिधि थे जो मिल गये उनसे नेपाल जाने और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन की बात कही। .....

उसके बाद पेपरों में स्टेटमेन्ट आया है। यहाँ सदन में भी जब श्री मोतीलाल जी ने कहा था, आरोप लगाये थे तो मैंने उनका तुरन्त खण्डन कर दिया था कि यह जो भी आरोप लगाये जा रहे हैं वे झूठे हैं, असत्य हैं।

(व्यवधान)

मेरी गलती एक ही हुई है कि मैंने दुर्भाग्य से यह कह दिया कि यह बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि मेरी यह यात्रा निजी यात्रा थी यह बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया। हम पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिये गये थे यह बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है और एक दिन बाद ही मैं वापिस आ गया था जब कि मुझे दिल्ली से यह सूचना मिली थी कि वापिस आ जाओ क्योंकि उसी रोज दिल्ली में श्री चरणसिंह त्याग पत्र देने वाले थे इस प्रकार का गड़बड़ यहाँ पर चल रहा था। जैसे ही मुझे दिल्ली से सूचना मिली मैं तुरन्त वापिस आया था। जब मैं नेपाल गया था उस समय हवाई अड्डे पर नेपाल के अधिकारी उपस्थित थे और हमारी एम्बेसी के अधिकारी भी थे। श्री बालेश्वर अग्रवाल के साथ जाने की भी बात कही गई थी। कई लोग उनके साथ के पढ़े हुए नेपाल में भी हैं और पटना में भी हैं उन्हीं के सजेशन से यह सारा प्रोग्राम बना भी था। यह मोतीलाल जी के बारे में क्या कहा जाये, उनके बारे में तो इस सदन में चर्चा हुई है और इस प्रदेश में चर्चा हुई है कि वे जब रोडवेज के उपाध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने रोडवेज में काफी घोटाले किए थे तो हमने उन चर्चाओं के आधार पर कोई जाँच उन पर नहीं की है। ऐसी तो चर्चाएँ होती ही रहती हैं।

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अगर कोई घोटाला किया है तो क्या आप जाँच करवायेंगे और आपने यह जो किया है उसकी भी जाँच करवायेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठें, उन्होंने यह तो नहीं कहा है कि आपने घोटाला किया उन्होंने तो यह कहा है कि उस समय ऐसी चर्चा थी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जिन नियमों का उल्लेख किया है वे क्या यही नियम हैं या और दूसरे हैं। इन नियमों से अलग हैं?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यही नियम हैं। जैसा कि श्री अर्जुनसिंह जी ने और विरोध पक्ष के सदस्यों ने कहा। प्लेन भोपाल से 18-9-76 को पटना गया था और 19-11-76 को पटना से मुंगेर गया था। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि जब 23-11-76 को सरकारी प्लेन गोहाटी गया था उस समय वहाँ पर काँग्रेस अधिवेशन था। वह बरेली और शिलांग भी गया था। उस समय वहाँ पर कौन-सा शासकीय कार्य था?

अध्यक्ष महोदय, 23-11-76 को बरोनी गये और इसके बाद 25-11-76 को पटना आये और पटना से भोपाल आये। अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर टंडन जी और उइके साहब नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि कानपुर के अन्दर टंडन जी की लड़की की शादी थी, वे कानपुर गये थे और कानपुर से भोपाल आये और फिर अध्यक्ष महोदय, भोपाल से 16-6-76 को .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बहुत-सी बातें कहना हैं आप इसे ग्राह्य कर लें फिर इस पर चर्चा हो जाये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, 15-6-76 को भोपाल से बंगलौर गये और वहाँ से तिरुपति गये थे मैं जानना चाहता हूँ कि तिरुपति के अन्दर कौन-सा शासकीय काम था। (व्यवधान) फिर, अध्यक्ष महोदय, तिरुपति से भोपाल आये। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, 29-6-76 को बम्बई से औरंगाबाद गये .....

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव में मुख्यमंत्री के देश और प्रदेश के अन्दर चुनौती नहीं दी है, हमने चुनौती जो दी है वह इन्टरनेशनल फ्लाइट के सम्बन्ध में है। आप यह बतायें कि किसी भी चीफ मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने इस प्रकार इन्टरनेशनल फ्लाइट की हो। आप मध्यप्रदेश के अन्दर या अन्य किसी भी राज्य में जायें इसके सम्बन्ध में चुनौती नहीं दी गई है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, नेपाल की विशेष स्थिति है न तो वहाँ पासपोर्ट की जरूरत

होती है और न बीसा की ....

(व्यवधान)

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, नेपाल की हवाई जहाज यात्रा इन्टरनेशनल फ्लाइट होती है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवीएशन ने मन्जूरी दी, वहाँ पर एरोड्रम पर कस्टम अधिकारियों ने जाँच की, वहाँ आक्ट्रॉय वाले मौजूद थे, इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, यह इल्जाम लगाना गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आते ही उसी रोज कहा था कि मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गया था, किसी प्रकार की शंका करना गलत है, मैं प्राइवेट रूप से गया था उसका पेमेंट किया गया। पहले का इतिहास बताता है कि पहले पेमेंट नहीं किया जाता था। मैंने पेमेंट किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था इस विधानसभा के अंदर पहले चर्चा हो गई हो, प्रश्न आये, उनके उत्तर दिये गये इसके बाद उस पर स्थगन प्रस्ताव नहीं आता लेकिन यह मैं चाहता था कि इस पर चर्चा हो जाये और सारे तथ्य सामने रख दिये जायें? अध्यक्ष महोदय, यह एडजर्नमेंट का विषय नहीं है तो भी मैंने इस पर विचार करना स्वीकार किया था। (व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जोशी (पंचायत मंत्री) : अब अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब आप कृपया इस पर अपनी व्यवस्था दीजिए। श्री तिवारी जी सदन में नयी परिपाटी चलाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : हमारे मुख्यमंत्री जी को मन्दसौर से नेपाल की पशुपतिनाथ जी की मूर्ति अच्छी लगी अतः वहाँ गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री शर्मा जी आप बड़े सीनियर मेम्बर हैं, इस प्रकार डायरेक्ट बातचीत होना सदन में किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। आप बिना मेरी स्वीकृति के इस प्रकार की बात कर रहे हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में उत्तर दिया है उससे मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ। फिर भी मुझे एक बात का उत्तर नहीं मिला जो मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कर्नल चन्द्रा को इन्टरनेशनल फ्लाइट की मन्जूरी थी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : (व्यवधान के बीच) जो लायसेंस उन पर है उसके अन्तर्गत वह जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का उत्तर हो गया अब उस पर बहस किस बात पर हो रही है? अब उस पर कृपया व्यवस्था दीजिए।

श्री कृष्णपाल सिंह : दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की इस इन्टरनेशनल फ्लाइट में उनकी सुरक्षा के नाते दूसरा पायलट क्यों नहीं बैठाया गया। (व्यवधान)

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। कृपया उसको सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें साफ तौर से यह कहा है कि उन्होंने यात्रा नियमों के अन्तर्गत की है और व्यक्तिगत रूप से नेपाल गये थे तथा वहाँ जाने का किराये का पेमेंट भी उन्होंने किया और इस प्रकार उन्होंने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया। इसके पश्चात् जो उत्तर उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने इस बात का विवरण दिया है कि काँग्रेस के कौन-कौन से मुख्यमन्त्रियों ने कहाँ-कहाँ हवाई जहाज की यात्रा की तथा वह किन-किन कामों से गये। मैं माननीय श्री वीरेन्द्र कुमार जी सखलेचा की प्रशंसा करता हूँ। यदि वह यह कहते हैं कि काँग्रेस वालों ने इस प्रकार की यात्रा की पर हमने इस प्रकार से यात्राएँ नहीं कीं (व्यवधान) (कई आवाजें) उन्होंने यही कहा है अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था हमारे काँग्रेस के मुख्यमन्त्रियों ने तो जो भी हवाई जहाज से यात्राएँ की थीं वह तो अपने प्रदेश में कीं या फिर अपने देश में ही यात्राएँ कीं (व्यवधान) पर हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे एक कदम आगे बढ़ गये और उन्होंने शासकीय वायुयान से नेपाल की यात्रा कर ली और कभी इस बात को नहीं सोचा कि उन्हें काम क्या था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया है कि इस तरह सवाल-जवाब कहाँ तक चलते रहेंगे।

डॉ. परशुराम साहू : यह सदन का समय नष्ट कर रहे हैं, इन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री श्रीनिवास तिवारी : आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है। उसके बाद मैंने जो कुछ कहा है उसे यदि विलोपित कर दिया तो यह अनुचित होगा और हमारे ऊपर अन्याय होगा।

अध्यक्ष : मैंने मना कर दिया था उसके बाद भी आप बोलते रहे, इसलिए वह रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री श्रीनिवास तिवारी : आपने मना नहीं किया।

अध्यक्ष : पहले जो आपने बोला है वह रिकार्ड हुआ और मेरे मना करने के बाद जो कहा है यह रिकार्ड नहीं हुआ।

अध्यक्ष : यह विषय प्रश्न के माध्यम से सदन के सामने आ चुका था परन्तु जिस दिनांक 4-9-78 को यह निरस्त किया गया था समयाभाव के कारण उस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सके। इस कारण यह सूचना मैंने पढ़कर सुनाई और तथ्यों से सम्बन्धित सदस्यों के वक्तव्य सुने।

शासन का वक्तव्य एवं सम्बन्धित सदस्यों का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/7 सितंबर 1978, पृष्ठ/1033-1040)

काँग्रेस (आई) द्वारा विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन के सम्बन्ध में अध्यक्ष को चार स्थगन सूचनाएँ दी गयीं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुनसिंह भी शामिल थे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि काँग्रेस (आई) द्वारा विधानसभा के समक्ष किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जनता सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया है अतः इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर कार्रवाई स्थगित कर चर्चा की अनुमति दी जाये। लम्बी बहस हुई जो यहाँ दी जा रही है किन्तु अध्यक्ष ने इसे चर्चा के लिए ग्राह्य नहीं किया और अन्ततः काँग्रेस (आई) के सदस्यों ने यह कहकर सदन से बहिर्गमन किया कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है—

अध्यक्ष : मेरे पास काँग्रेस (आई) के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के सम्बन्ध में 4 स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं—पहली सूचना श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री मोतीलाल वोरा, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री अच्युतानंद मिश्र, श्री अर्जुनसिंह, कु. विमला वर्मा सदस्यों की, दूसरी सूचना श्री प्रतापसिंह बघेल, श्री मूलचन्द पटेल एवं श्री किरत सिंह सदस्यों की, तीसरी सूचना श्री हजारीलाल रघुवंशी सदस्य की तथा चौथी श्री लीलाधर एवं रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह सदस्यों की है।

चूँकि श्री श्रीनिवास तिवारी, श्री मोतीलाल वोरा, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री अच्युतानन्द मिश्र, श्री अर्जुनसिंह, कुमारी विमला वर्मा सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले प्राप्त हुई है अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसका पहला वाक्य आप पढ़ें तो उस वक्त जो लोग सदन की चहारदीवारी के अन्दर आये हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है पर सदन की चहारदीवारी के बाहर अश्रुगैस छोड़ी गई है, लाठी चार्ज हुआ है, महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है इसलिए उसको पढ़ दें।

अध्यक्ष : अच्छा आप इतना न कह कर एक वाक्य में कह देते।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में स्थगन प्रस्ताव और कॉल अटेंशन दिये पर एक भी आपने स्वीकार नहीं किया पर आज आप एक ही प्रस्ताव पढ़ने वाले हैं इसलिए मेरा स्थगन प्रस्ताव तो आपने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष : मैंने सोचा था कि आपके नेता का आया है इसलिए आपका नहीं पढ़ रहा था। आप कहते हैं तो पढ़ दूँगा।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : पढ़ दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री श्रीनिवास तिवारी, मोतीलाल वोरा, यज्ञदत्त शर्मा, अच्चयुतानंद मिश्र, अर्जुनसिंह तथा कुमारी विमला वर्मा का प्रस्ताव इस प्रकार है : "आज काँग्रेस (आई) के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जिस निर्ममता से

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया तथा अश्रुगैस के गोले फोड़े हैं उसकी न केवल भोपाल में बल्कि सारे प्रदेश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। सैकड़ों व्यक्तियों के पुलिस की लाठी से सर फटे हैं तथा गंभीर चोटें आई हैं। महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया है घायलों को अस्पताल, में दाखिल नहीं कराया गया है बल्कि खून से लथपथ व्यक्तियों को पकड़कर दुबारा पिटाई की गई है। जेल के कम्पाउंड में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी पुलिस ने लाठी चलाई है जिनमें काफी लोग घायल हुए हैं। करीब 5000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा कई हजार लोगों को पुलिस ने अपनी गाड़ियों में भरकर अन्जान स्थानों में छोड़ दिया है। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया है यह भी गुप्त रखा गया है। गिरफ्तार लोगों को पानी और खाना नहीं दिया गया है तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। शासन के इन कृत्यों के कारण जनता में काफी रोष व्याप्त हो गया है। अतएव इस अविलंबनीय महत्वपूर्ण निश्चित विषय पर चर्चा करने के लिये सदन की कार्यवाही दिनांक 8-9-78 को स्थगित की जाये।''

अध्यक्ष : इसके अतिरिक्त जो अन्य सूचनाएँ आई हैं, माननीय सदस्यों के आग्रह करने पर मैं उनको भी पढ़ देता हूँ।

अब मैं श्री लीलाधर, रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह की सूचना पढ़ता हूँ। कल दिनांक 7-9-78 को उन शांतिप्रिय प्रदर्शनकारियों पर भी नृशंसतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, जिन्होंने विधानसभा के फाटक के अन्दर आने की कोशिश भी नहीं की थी। महिलाओं, बच्चों और बच्चियों पर भी लाठी चार्ज किया गया व आँसू गैस छोड़ी गई जिसे कदापि उचित नहीं कहा सकता। कई प्रदर्शनकारियों के हाथ-पैर टूट गए व सर फूट गए व मार की चोटों से बेहोश भी हो गए। ऐसे घायल लोगों में कई भूतपूर्व विधायक भी हैं। ये आश्चर्य की बात है कि पहली बार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के पश्चात् जेल के अहाते में निर्दयतापूर्वक पीटा गया। पहली बार धारा 144 तोड़ने वालों को भी धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल में ठूँस दिया गया। पुलिस के निर्दयतापूर्वक व्यवहार से भोपाल का जनजीवन असुरक्षित है। जनमानस में घोर असंतोष, क्षोभ व रोष व्याप्त है अतः इस अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए।''

अब इसके पश्चात् मैं श्री हजारीलाल रघुवंशी द्वारा प्राप्त सूचना पढ़ देता हूँ—

''दिनांक 7-9-78 को काँग्रेस (आई) के निहत्थे हजारों महिला एवं पुरुष अहिंसक प्रदर्शनकारी जो नवागाँव बाँध प्रदेश में बढ़ती हुई गुण्डागर्दी, अराजकता, लूटपाट, हत्या, गोलीचालन के विरुद्ध नारे लगाते हुए विधानसभा के मुख्य द्वार के समक्ष आये। अचानक पुलिस ने अश्रुगैस के गोले फोड़े, दुष्टता एवं बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज शुरू किया, जिससे सैकड़ों कार्यकर्त्ता बुरी तरह घायल हुए। सिर फूटे, हड्डियाँ टूटी, कपड़े फटे, निर्दयतापूर्ण पिटाई ने हड़कंप मचा दिया। पुलिस वाहनों में उठा-उठा कर पटका, घसीटा एवं ले गए। इससे शहर एवं प्रदेश में भारी असंतोष व्याप्त है। अतएव इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न (विषय) पर आज दिनांक 8-9-78 की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा हेतु अनुमति प्रदान करें।''

एक और स्थगन प्रस्ताव श्री प्रतापसिंह बघेल, श्री मूलचन्द पटेल, श्री किरन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे मैं पढ़ देता हूँ:—

''नवागाँव बाँध की ऊँचाई, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महँगाई आदि को लेकर मध्यप्रदेश काँग्रेस (ई) के आह्वान पर दिनांक 7-9-78 को 1 बजे भोपाल टाकीज से एक विशाल रैली निकाली गई यह रैली करीब 2.30 बजे विधानसभा भवन के सामने आई। शांतिपूर्ण तरीके से काँग्रेस (ई) के कार्यकर्त्ता अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे कि अचानक पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे सर्वश्री सुरेश सेठ, शिवकुमार सिंह एवं सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं को चोटें आईं। पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन को इस तरह के बर्बर तथा नृशंस अमानवीय कार्यवाही से दबाने के परिणामस्वरूप प्रदेश की जनता में रोष व्याप्त हो गया है। पुलिस के इस अत्याचार से स्थिति विस्फोटक हो गई है। स्थिति नियंत्रण के बाहर है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस निश्चित महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने हेतु विधानसभा की कार्यवाही दिनांक 8-9-78 को स्थगित रखी जावे।''

अध्यक्ष : इसके बाबत शासन का क्या कहना है? आप कुछ कहें इसके पूर्व मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा

कि 4 स्थगन प्रस्ताव आये हैं इसलिए हर प्रस्ताव पर केवल एक ही एक माननीय सदस्य बोलने की कृपा करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि यह एक महत्व का विषय है और जिस पृष्ठभूमि में यह हुआ है और जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिये हैं, आपने जब अन्य प्रस्तावों पर लोगों को सुना है, उसी प्रकार सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात जो कुछ कहनी है वह संक्षेप में कह लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष : मैं आपकी बात को स्वीकार कर लेता हूँ लेकिन इतना जरूर चाहूँगा कि पुनरावृत्ति न हो।

श्री अर्जुनसिंह : यही प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्ष : तथ्यों पर प्रकाश भर डालें, लेकिन पुनरावृत्ति न करें।

श्री अर्जुनसिंह : ठीक है। मैं अपने दल की ओर से पहले बोलना चाहूँगा।

अध्यक्ष : लेकिन आपने तो आखिर में बोलने का कहा था?

श्री गोविन्द गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कल जो एक प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ था सुरेश सेठ को विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने बाबत निर्णय को प्रजातंत्र के मर्यादित आचरण के अनुकूल नहीं समझता।

अध्यक्ष : क्या आपने कोई प्रस्ताव दिया है?

श्री गोविन्द गीते : मैं इस तरह के प्रस्ताव का, सत्तापक्ष में होते हुए भी विरोध करना चाहता हूँ और उस प्रस्ताव पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं काँग्रेस के स्थगन प्रस्ताव के समर्थन के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ।

अध्यक्ष : इस पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। यदि आप विरोध करना चाहते हैं तो आप इस संबंध में लिखित रूप में दे दें।

श्री गोविन्द गीते : मेरा जो कथन है वह सदन में कहने करने दिया जाये।

अध्यक्ष : मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूँगा।

(व्यवधान)

मिस्टर गीते; इस समय स्थगन प्रस्ताव की चर्चा है इसमें आप शामिल नहीं होंगे। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो जाने के बाद कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको अभी बिल्कुल अनुमति नहीं दूँगा, आप बैठ जायें।

श्री गोविन्द गीते : ठीक है। मुझे बाद में बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी {गृह (पुलिस) मंत्री} : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दि. 7-9-78 के लगभग ढाई बजे अपरान्ह काँग्रेस (इ) का एक जुलूस, जिसका नेतृत्व श्री विद्याचरण शुक्ल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री सुरेश सेठ, विधायक, अजीज कुरेशी व श्यामसुन्दर नारायण मुश्रान आदि कर रहे थे, विधानसभा के समक्ष प्रतिबंधित क्षेत्र में आया। जुलूस में लगभग 2,000 लोग थे जिनमें से कई लोगों के हाथों में लाठियाँ व लोहे की छड़ों आदि पर पार्टी के झण्डे लगे हुए थे। जुलूस में आगे-आगे एक हाथी पर तीन काँग्रेस कार्यकर्त्ता बैठे हुए थे। विधानसभा के पूर्वी गेट पर पहुँचते ही लोग उग्र हो गए तथा वहाँ पर नियुक्त पुलिस व सुरक्षा कर्मचारियों को धकेलते हुए विधान सभा के अहाते में प्रवेश करने का प्रयास किया।

जुलूस के साथ आये विधायकों ने पूर्वी गेट पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों को यह बतलाते हुए कि वे विधानसभा के अन्दर जाना चाहते हैं तथा दरवाजा खोला जावे, सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उन्हें अन्दर प्रवेश हेतु थोड़ा-सा दरवाजा खोला गया जिस पर श्री सुरेश सेठ ने जुलूस को अन्दर घुसने के लिये नारे लगाये। लगभग 200-250 लोग हाथी की मदद लेते हुए पूर्वी गेट को धकेल कर विधानसभा अहाते में घुस आये। इसी बीच में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जो कि वहाँ पर उपस्थित थे, द्वारा भीड़ को गैर-कानूनी घोषित करते हुए अश्रुगैस छोड़ने का आदेश दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पुलिस की सहायता से भीड़ को बाहर धकेल दिया गया। इसी बीच श्री सुरेश सेठ, रामेश्वर व कुछ अन्य कार्यकर्त्ता अपने आप को विधायक बतलाते हुए सदन की ओर भाग गये।

पूर्वी गेट पर उत्पन्न स्थिति का लाभ उठाते हुए जुलूस के लोगों द्वारा मध्य गेट जो कि केवल वाहनों के निर्गम के लिए निश्चित है, पर हल्ला-गुल्ला तथा लगभग 100-150 लोग, वहाँ पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों को

धकेलते हुए अन्दर घुस गये तथा विधानसभा सदन की ओर जाने का प्रयास करने लगे। उन्हें सदन की ओर जाने से रोकने के लिये पुलिस व सुरक्षा अधिकारियों द्वारा केनपुशिंग कर बाहर धकेल दिया गया। इसी बीच भीड़ के लोगों द्वारा भयंकर पथराव किया गया जिससे कई पुलिस अधिकारियों को चोटें आईं। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा अश्रुगैस चलाने के आदेश दिये जाने पर अश्रुगैस के गोले छोड़े गये। इस पर भी भीड़ के लोगों के विसर्जित नहीं होने, पर पथराव जारी रखने पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा केन चार्ज के आदेश दिये गये, जिस पर पुलिस द्वारा केन चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। यहाँ से विसर्जित हुए बहुत से लोग पूर्वी गेट पर आ गये जहाँ पर कि पहले से ही काफी जमाव था तथा यहाँ पर भयंकर पथराव किया गया। यहाँ पर भी जिला दण्डाधिकारी द्वारा केन चार्ज करने के आदेश दिये जाने पर पुलिस ने केन चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए नगर में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जाप्ता फौजदारी की धारा 144 के अन्तर्गत 7-9-78 के सायंकाल 5 बजे से दिनांक 13-9-78 के संध्या 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये गये

घटना के दौरान पुलिस द्वारा 50 टियर गैस शैल भीड़ को तितर-बितर करने के लिए छोड़ गए। 299 प्रदर्शनकारियों को प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 जा.फौ. के अन्तर्गत बन्दी बनाया जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से उन्हें अदालत उठने तक की सजा हुई। इसके अलावा शांति भंग होने से बचाने की दृष्टि से लगभग 450 आन्दोलनकारियों को धारा 151 जा.फौ. के अन्तर्गत तथा 3 विधायकों को धारा 152 जा.फौ. के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया। भीड़ द्वारा पथराव किए जाने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक उप पुलिस अधीक्षक व 52 पुलिस अधिकारियों व जवानों को चोटें आईं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 20 आन्दोलनकारियों व वहाँ पर उपस्थित जनता के लोगों को चोटें आईं व इनमें से कुछ को पथराव से चोटें आना ज्ञात हुआ है।

स्थिति शांत है व नियन्त्रण में है। नगर में शांति बनाए रखने की दृष्टि से उचित पुलिस व्यवस्था की गई है तथा मोबाइल पेट्रोलिंग भी जारी कर दिया गया है। स्थिति पर निगाह रखी जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं और उनकी इस प्रसन्न मुद्रा का उचित प्रतिबिम्ब उनके शासन में पड़ेगा और इसलिये मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की अनेकों घटनाएँ इस प्रदेश में घटेंगी। इस बात को मानकर हम चलते हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस का क्या इरादा है। कल भी आपका इरादा देखा और आज भी देख रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को आश्वासन देना चाहता हूँ, वैसे आश्वासन देना तो सदन के नेता का काम है, लेकिन मैं अपने दल की तरफ से आपको इतना ही आश्वासन देना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री रामानन्दसिंह (स्थानीय शासन मंत्री) : क्या यही आपका आपके दल के ऊपर नियन्त्रण है?

अध्यक्ष : आप सुन लीजिए।

श्री रामानन्दसिंह : क्या सुन लें? क्या विरोधी दल के नेता यही अपने दल पर नियन्त्रण मानते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए। यह जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उन्होंने उस पर वे प्रकाश डाल रहे हैं। बीच में टोका-टाकी यह शोभनीय नहीं है और यह शोभनीय है तो पहले आप एक-एक माननीय सदस्य की बात को सुन लें।

श्री रामानन्दसिंह : गांधी जी की प्रतिमा पर जूते फेंके गये, क्या विरोधी दल के नेता यही अपने दल पर नियंत्रण मानते हैं। कल सुरेश सेठ यहाँ पर बैठे हुए थे। जो यह सब कुछ हुआ क्या यही आपका आपके दल के ऊपर नियन्त्रण है?

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, गोली दागी गई....

(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जोशी (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्या कल की घटना श्री अर्जुनसिंह जी के निर्देश से नहीं हुई?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब किसी विषय को हाउस के सामने रखना होता है, तो तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालना होता है, लेकिन यह कमेंट करना कि भविष्य में क्या होगा या क्या होने वाला है, यह न कर जो अपनी बात है, वह रखिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद मेरे आश्वासन को मुख्यमन्त्री और उनके दल के लोग सुनना नहीं चाहते .....

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता जी के वक्तव्य को हम बड़ी गम्भीरता से सुनना चाहते हैं लेकिन वे कोई ऐसी बात न करें कि जो घटित तथ्यों के विपरीत है। अगर ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से हम उसका विरोध करेंगे। आज वे आश्वासन अपने दल की ओर से देते हैं जो कल के तथ्य इस आश्वासन को झुठला रहे हैं।

श्री रामानन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी के नेतृत्व में कल दो हाथी लाये गये, भोपाल से हिजड़े लाये गये, भड़वे लाये गये। जो काँग्रेस के मेम्बर नहीं हैं उनको भी लाया गया।

श्री कृष्णपालसिंह : हाथी होंगे। गधों का जुलूस आप निकालिए।

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर-2) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो स्थगन प्रस्ताव है, वह सदन के बाहर की घटना के बारे में है और यहाँ सदन के अन्दर की बात की जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका कहना यह है कि सदन के अन्दर जो घटना हुई है, वह आपके प्रदर्शन का अंग नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जिसका सम्बन्ध प्रस्ताव से नहीं है उसकी चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए।

श्री जुगल किशोर गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता यह कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की मुस्कराहट से यह सम्भावना पैदा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जो घटना हुई है, वह विरोधी दल के नेता की अनुपस्थिति में उनके दल के लोगों द्वारा, उनके साथियों द्वारा ही हुई है।

अध्यक्ष : श्री जुगल किशोर गुप्ता, आप बैठ जाइए, आगे वाला प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है लेकिन जो पहले बात कही कि मुस्करा रहे हैं, इससे सम्भावनाएँ पैदा होती हैं तो वह सम्भावनाओं के संबंध में चर्चा नहीं है, घटना के तथ्यों के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। इसलिए व्यवस्था देता हूँ कि किसी के हँसने या रोने से क्या सम्भावनाएँ पैदा होती हैं इस पर न जाकर तथ्यों पर चर्चा कीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए मैं मुख्यमंत्री के किसी भी आचरण का जिक्र नहीं करूँगा लेकिन फिर भी जिस आश्वासन को देने के पहले आपत्ति उठा दी गई उसको इस सदन में और सदन के बाहर मैं अपने दल की ओर से दोहराना चाहता हूँ और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि यदि आतंक और भय के आधार पर इस प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करने के अधिकार को रोका जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री वैजनाथ प्रसाद जी, आप क्या मेरा अधिकार ग्रहण करना चाहते हैं? या फिर बैठ जाइए।

श्री माधव इन्दापुरकर : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टंडन : (व्यवधान)

अध्यक्ष : टंडन जी, आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनारायण टंडन (दमोह) : आप मुझे निकलवा दीजिए।

अध्यक्ष : जब सीमा का उल्लंघन होगा तो वह भी करूँगा। अभी नहीं सोचता कि वह स्थिति आ गई है।

श्री प्रभुनारायण सोलंकी (मनावर, संरक्षित स्थान) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर श्री सूरजमल जैन ने उठाया और आप मौका इन्दापुरकर को दे रहे हैं।

अध्यक्ष : मैंने ऐसे स्थगन प्रस्ताव को इसलिए लिया है ताकि तथ्यों के ऊपर प्रकाश पड़ सके, हर चीज का निराकरण हो सके और अगर कोई तथ्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं है और दे सकते हैं तो दें। लेकिन उसको देने के बजाय एक बार किसी ने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया तो टंडन जी इतने जोर से कहते हैं कि निकलवाइए। मैं नहीं चाहता कि निकलवाऊँ तो आप क्यों ऐसा चाहते हैं?

श्री प्रभुनारायण टंडन : जिस सदस्य ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था उसको बोलने का मौका देना चाहिए।

अध्यक्ष : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर श्री इन्दापुरकर ने भी उठाया था और श्री जैन ने भी उठाया था। मैंने पहले उनको मौका दिया है।

श्री प्रभुनारायण टंडन : श्री इन्दापुरकर ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की बात न कीजिए, अगर श्री इन्दापुरकर ने नहीं उठाया था तो उसको समाप्त कर दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने टंडन जी को अपना मित्र कहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह मित्रता कब से प्रारंभ की है?

अध्यक्ष : मेरे तो सब ही मित्र हैं।

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय सदस्य श्री सूरजमल जी ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था, श्री इन्दापुरकर जी ने नहीं उठाया था और आपने अनुमति श्री इन्दापुरकर जी को दी थी जबकि उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था, यह श्री टन्डन जी का कथन सही है।

अध्यक्ष : क्योंकि दोनों महोदय, खड़े हुए थे, इसलिए मैंने श्री इन्दापुरकर को पहले अपना प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने के लिए कहा।

श्री प्रभुनारायण टण्डन : अध्यक्ष महोदय, श्री इन्दापुरकर जी ने अनुमति नहीं माँगी थी। वे तो वहीं से बोलने खड़े हो गये थे। अनुमति तो श्री सूरजमल जी ने माँगी थी और बोलने खड़े हो गये श्री इन्दापुरकर जी।

श्री माधवराव इन्दापुरकर (मुरार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था यह सम्भव है कि माननीय सदस्य ने देखा न हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा खड़ा होने का आशय यही है कि मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूँ। मैं समझता था कि यह बात आपको मालूम होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय अर्जुनसिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि इस सदन में प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है। इतने शब्द वे बोल पाये थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग क्यों ऐसा करते हैं निर्णय तो मुझे करना है और उत्तर उनको देना है। उन्होंने इस प्रदेश के अन्दर कहा था।

श्री माधवराव इन्दापुरकर : अध्यक्ष महोदय, इसको देख लिया जाए अगर उन्होंने इस सदन के अन्दर प्रदर्शन करने का कहा हो तो उनको निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष : उन्होंने प्रदेश की बात कही थी।

श्री प्रेमलाल मिश्र (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूँ, मेरा प्वाइंट ऑफ इनफरमेशन यह है कि क्या प्रतिपक्ष के नेता ने यह साजिश की है कि उनका दल पूरे देश में अराजकता फैला देगा? क्या उनके पास कोई शांतिपूर्ण तरीका नहीं है अपनी बात कहने के लिए।

अध्यक्ष : मैं इसको अपनी अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री प्रेमलाल मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसी जानकारी है इसलिए मैं माननीय सदस्य से जानकारी लेना चाहता हूँ अगर उनका इरादा साजिश करने का नहीं है तो हम उस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्यों ने शंकाएँ उठाई हैं उनका

भी मैं उत्तर दूँगा और उनकी शंकाओं का समाधान भी कर दूँगा। अभी तो केवल जो विषय है उसी पर प्रकाश डालूँगा। मैं केवल इतना ही मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस प्रदेश के अंदर यदि वे चाहते हैं कि जोर-जुल्म से जनता की आवाज को रोक देंगे। लोगों पर अत्याचार करके उनको परेशान करेंगे, उनको जेलों में बन्द करेंगे, जनता को कुचल कर अगर वे आवाज रोकना चाहते हैं तो मैं उनको और सदन को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम मुख्यमंत्री की तरह न तो किसी से पैरोल की प्रार्थना करेंगे, न ही क्षमायाचना की प्रार्थना करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कल घटना हुई, वह न तो किसी राजनैतिक षड़यन्त्र का परिचायक थी और न हमारी ऐसी मंशा है कि देश और प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो। हम प्रदेश के अन्दर शांति व्यवस्था चाहते हैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : गौरीशंकर जी आप बैठ जायें, मैं आपको अनुमति नहीं दूँगा, आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है.....।

श्री गौरीशंकर : अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूँ जो अभी विरोधी दल के नेता ने सदन के सामने यह कहा है कि हमारा कोई षड़यन्त्र नहीं है अगर उनका षड़यन्त्र नहीं था तो काँग्रेस के लोग जितने रोष में थे और जो वे हाथी लाये थे अगर वे हाथी रोष में आते तो क्या होता।

अध्यक्ष : आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस तरह आप व्यवस्था के नाम पर कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते। (व्यवधान) अगर इस प्रकार की व्यवस्था रही कि प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से जो चाहे कहें, यह उचित नहीं है। अभी जो चर्चा हो उसे शांतिपूर्वक सुनने दिया जाना चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह ने व्यवस्था के सम्बन्ध में जो विचार सुझाव के रूप में रखे हैं वे ठीक हैं यदि कोई माननीय सदस्य व्यवस्था के माध्यम से कहे और उसको दो-तीन बार रिजेक्ट कर दिये जाने के बाद फिर उसे पूरे सत्र के लिए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की पात्रता न रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है, जैसा कि विरोधी दल के नेता ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही है। मैं कल घटना के समय सदन में उपस्थित था.....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता। मैं प्रथम बार आपकी व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकृत करता हूँ।

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ इनफरमेशन है। आपकी इजाजत होगी तो मैं बैठ जाऊँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि उन्होंने तय कर लिया है कि कोर्ट में पेश नहीं होंगे, जमानत नहीं देंगे, माफी नहीं मागेंगे, क्या इन्दिरा जी से लेकर नीचे तक के लोगों ने इस तरह देश के अन्दर अराजकता पैदा करने का तय कर लिया है.....

(व्यवधान)

पूरे देश भर में इनके नेता से लेकर जो कुछ हो रहा है क्या वह साजिश नहीं मानी जावेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने अभी प्वाइन्ट ऑफ इनफरमेशन के नाते जो जानकारी दी है, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप विरोधी दल के नेता का भाषण हो जाने दीजिए उसमें जानकारी आ जावेगी उसके अतिरिक्त हो वही आप दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : (व्यवधान के बीच) अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ इनफरमेशन के द्वारा जो बात शीतला सहाय जी ने कही है मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा।

श्री भूरेलाल फिरोजिया (गोहद, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ और विरोधी दल के नेता से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही नहीं है कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछा था कि क्या वह गिरफ्तारी देना चाहते है? इस पर उन्होंने कहा कि हमारा गिरफ्तारी देने का कोई विचार नहीं है और फिर उन्होंने यहाँ आकर प्रदर्शन किया .....

अध्यक्ष : यह किसी भी प्रकार से प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है और मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया—

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश रावल (इन्दौर-1) : अध्यक्ष महोदय, जो आश्वासन विरोधी दल के नेता ने दिया है उसके बारे में, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ .....

अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि आप सभी उनका भाषण हो जाने दीजिए इस प्रकार उनको मिनट-मिनट पर टोका जावेगा तो उनका भाषण भी समाप्त नहीं हो पावेगा।

श्री ओमप्रकाश रावल : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई आवश्यक बात नहीं उठाना चाहता। एक आश्वासन विरोधी दल के नेता ने दिया है क्या वह अपना आश्वासन ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बात का स्पष्टीकरण हो जावे। उनसे अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस देश में पिछले 30 वर्षों में अनेक जुलूस निकले हैं और जुलूसों में हाथी-घोड़े भी होते हैं। पर जब यह सत्याग्रह करने जा रहे थे तो फिर इस जुलूस में हाथी-घोड़ों को क्यों रखा गया? नम्बर दो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेता की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हमने हाथी-घोड़े इसलिए रखे हैं कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे पर उनके साथियों द्वारा गिरफ्तारी दी गई और अन्दर घुसकर उनके द्वारा प्रदर्शन किये गये। इस प्रकार विरोधी दल के नेता द्वारा जो आश्वासन दिया जा रहा है उसमें विरोधाभास है अथवा नहीं। यह मैं केवल आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इस प्रकार से आप कोई स्पष्टीकरण उनसे चाहें वह उसका दें तथा वह कुछ कहें और आप उत्तर दें। यह किसी भी प्रकार से प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं बनता (व्यवधान) (श्री भूरेलाल फिरोजिया के बार-बार खड़े होने पर) मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको बार-बार बैठने के लिए कह रहा हूँ पर आप मेरी बात मानते नहीं। मैं आपकी बात नहीं सुनूँगा। और इस प्रकार मेरे बराबर मना करने पर भी आप नहीं मानेंगे तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। आपका कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नही है, कृपया आप बैठ जाइए (व्यवधान) मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूँगा। अगर मैं आपका नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है—

(व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा (केवलारी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। जब इस प्रकरण पर मंत्री जी का भाषण हुआ तो हमने शांतिपूर्वक सुना। पर जब हमारे पक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो वे उन्हें शांतिपूर्वक नहीं सुनते और इनको उसमें साजिश नजर आती है। यह इस प्रकार व्यवधान उपस्थित करके तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते हैं और तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और जब हमारे पक्ष के नेता का भाषण हो रहा है उसमें इनके द्वारा टोका-टाकी नहीं होना चाहिए। आप कृपया इनको इसके लिए रोकिए।

अध्यक्ष : जो आप प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से रेज कर रही हैं, उसे मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, इसलिये इसमें आपके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है।

श्री चित्रकांत जायसवाल (बिलहा) : जो शीतला सहाय जी ने एलोज किया है और कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष : मैं कार्यवाही से निकालने की बात पर बाद में विचार करूँगा पहले मैं देखूँगा कि उन्होंने क्या कहा है। पहले मैं उनको सुन लूँ।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय लोक स्वास्थ्य मन्त्री, श्री शीतला सहाय जी को जो इनफरमेशन चाहिये, वह मैंने दी है। मैं उसे फिर से दोहरा देता हूँ।

हम प्रत्येक न्यायिक प्रक्रिया का आदर करेंगे, बुलाये जाने पर न्यायालय में पहुँचेंगे और न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे, लेकिन मुख्यमन्त्री जी की तरह पैरोल की प्रार्थना या क्षमायाचना नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह कहना सर्वथा गलत है कि कल के प्रदर्शन में, जैसा अभी माननीय पंचायत मन्त्री श्री हरिभाऊ जोशी ने कहा, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे किसी व्यक्ति के लिए सामूहिक रूप से इस प्रकार की बात कहना शायद न्यायोचित नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कल का प्रदर्शन इस तरह का था जिसमें हर जिले के और प्रदेश के कोने-कोने से हजारों लोग आये थे। बस्तर के आदिवासी, झाबुआ के आदिवासी और निमाड़ के भी लोग आये थे। ऐसा कोई जिला प्रदेश का नहीं था जिससे प्रदर्शनकारी न आये हों। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह सब शांति प्रिय नागरिक थे। केवल कॉंग्रेस पार्टी के सदस्य के नाते जो इस प्रदेश में चारों ओर भयावह स्थिति है और जन आक्रोश का जो बवण्डर उठ खड़ा हुआ है उसकी प्रतिध्वनि कल विधानसभा के सामने प्रस्तुत हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ आप जो लीपापोती करके सामूहिक आरोप लगा रहे हैं उससे इसे आप हवा में नहीं उड़ा सकते। जो जन आक्रोश का बवण्डर उठ खड़ा हुआ है, वह मुख्यमंत्री जी की तानाशाही को समाप्त करके रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह प्रदर्शनकारी भोपाल टाकीज से प्रदर्शन जुलूस बनाकर चले और हजारों की संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से वह प्रदर्शन करना चाहते थे। उस प्रदर्शन के मुद्दे थे— नर्मदा एवार्ड से उत्पन्न प्रतिकूल स्थिति को समाप्त करने, नवागाँव बाँध की ऊँचाई कम करने और प्रदेश में लूट-मार और आगजनी की घटनाएँ हो रही हैं, उन पर नियन्त्रण पाने में वर्तमान शासन अक्षम रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में आपके ही दल के लोगों, विधायकों और संसद सदस्यों द्वारा आरोप लगाये गये हैं। इस तरह से सामूहिक प्रश्न थे, उसके बारे में यह प्रदर्शन था। मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि किसी परिस्थिति में आप किसी मुद्दे को प्रदर्शन के लायक न समझें और दूसरा कोई राजनैतिक दल उस मुद्दे को प्रदर्शन के लायक समझे। इसमें मतभेद रह सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि कल जब प्रदर्शनकारी बाहर आये तो बिना किसी कारण के पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। कितने हथगोले, अश्रुगैस छोड़े गए इसका वर्णन पुलिस मन्त्री जी ने किया है और शायद 50 की संख्या बताई है। मैं उनके गणित के ज्ञान की बात नहीं कहना चाहता, वह ज्ञानी हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कल हथगोलों की जो गणना हुई जो यहाँ छोड़ गए उनके पास में जानकारी भेजी गई जो जेल के कम्पाउन्ड के बाहर छोड़े गए, 1250 अस्पताल में छोड़े गए तथा अन्यत्र छोड़े गए उसकी जानकारी माननीय पुलिस मंत्री के पास नहीं पहुँचाई गई ..... (व्यवधान) ..... मैं तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। इतना ही नहीं यहाँ पर मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं बाहर गया और वहाँ जिस प्रकार से लोगों को पीटा जा रहा था, महिलाओं को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया—

(शेम शेम की आवाजें)

फिर यहाँ पर हमसे कहा जाता है कि हमारी मुद्रा पर ध्यान दें। आपकी आज्ञा मानकर मैं माननीय मुख्यमन्त्री की मुद्रा की ओर ध्यान नहीं दूँगा पर प्रदेश के नागरिक अवश्य देंगे और जो वे करेंगे अंतिम होगा।

अध्यक्ष : रीडिंग गलत भी हो सकती है और सही भी।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक उस घटना का सवाल है, सेन्ट्रल जेल भोपाल के सामने घटी और वहाँ पर माननीय भूतपूर्व केन्द्र के मंत्रियों, वर्तमान में विधायक, भूतपूर्व विधायक, इस प्रदेश के कई भूतपूर्व मंत्री वहाँ ले जाकर बैठाए गए और जब वे बैठे थे इस धारणा को लेकर कि यहाँ की पहले जो प्रक्रिया है वह होगी उसके बाद उन्हें जेल भेजा जायेगा। सिटी सी.एस.पी. श्री सूर्यवंशी उनके साथ 5-7 वर्दी में लोग व बिना वर्दी में लोग जिनकी मैं शिनाख्त नहीं कर सकता, गये थे। सूर्यवंशी ने कहा डाक्टर शर्मा को, श्री मुश्रान व विद्याचरण शुक्ल को मारो तो मैं आप से निवेदन कर जानना चाहता हूँ कि क्या यह न्यायिक प्रक्रिया है— (व्यवधान) हमने चुपचाप आपकी बात सुन ली—

श्री हरिभाऊ जोशी पत्थरों से बसों के कांच फोड़ डाले, गुण्डागर्दी की गई इनके साथ जो सलूक हुआ वही होगा।

अध्यक्ष : ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। लाठी चार्ज गलत है या सही इसमें हम नहीं जाते।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा नहीं कहता। आप मेरी बात शायद समझ नहीं पाये। पुलिस लाठी

चार्ज करे, लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जेल के दरवाजे पर बैठा दिया जाए और पुलिस दस्ते का नेतृत्व पुलिस अधिकारी करें और बैठे हुए लोगों पर जो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे उन पर पुलिस लाठी चार्ज करे, क्या यह उचित है।

अध्यक्ष : लाठी चार्ज उचित है या अनुचित मैं इसकी चर्चा में नहीं जाता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : भेदभाव का प्रश्न नहीं है, जो घटना घटी उसका कह रहा हूँ।

अध्यक्ष : महत्व मिनिस्टर के मौजूद होने से न बढ़ता है और न घटता है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूँगा इस आसन्दी से कहकर घटना की गम्भीरता को कम करने का प्रयास न करें। मै प्रार्थना करता हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं न बोलूँ— बड़े दुख की बात—

श्री हरिभाऊ जोशी : मेरा औचित्य का प्रश्न है। दुख आपसे ज्यादा हमें भी है पर विरोधी दल के नेता आवेश में आकर—

श्री अर्जुनसिंह : मैं आवेश में नहीं आता।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष की आसन्दी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। आवेश को काबू में रखें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं कोई आरोप नहीं लगाता। मैं शांति से कहता हूँ। महत्व कम होता है, या नहीं, जहाँ मानवता का प्रश्न है, चाहे वह मंत्री हो या साधारण आदमी हो, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मन्त्री बैठाल लिये गये तो बढ़ जायेगा साधारण आदमी को बैठाल लिया जाये तो नहीं बढ़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता—

अध्यक्ष महोदय, इस घटना का उल्लेख किसी मंत्री के विषय को लाकर नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 251 है इसमें यह बताया गया है कि कोई भी सदस्य बोलते समय उस पर आरोप न लगावें जिसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई है। क्या आपको पूर्व में सूचना दी थी कि मैं श्री रघुवंशी पर आरोप लगाने जा रहा हूँ और यदि सूचना नहीं दी है तो उन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अर्जुनसिंह : मैं पटवाजी का अधिक आदर करता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं आपसे अधिक आपका आदर करता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि आपने बयान दिया है उनको ऐसी जानकारी होगी। मैं स्वयं खड़ा था इस घटना के समय तो आप इस प्रकार का बयान कर रहे हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। जब शिवभानु जी आपके साथ मौजूद थे, श्याम कुमार आपके साथ मौजूद थे तो आपको और हाथियों को लाने की क्या जरूरत थी?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब उसका उत्तर तो मैं और कई तरीके से दे सकता हूँ, लेकिन शायद किसी माननीय सदस्य के प्रति श्री पटवा का उत्तर उनके शब्दों में नहीं देना चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन्हें वह जानकारी है, जो आपको किसी को नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि जेल के समक्ष जो घटना हुई उसको किसी मंत्री के संदर्भ में महत्व मानकर नहीं किया है। मैंने उनको दो तरीके से किया। पहली बात जितने भी लोग वहाँ बैठाये गये थे वे लोग हिरासत में ले लिये गये थे। शासकीय वाहन में लाकर उनको वहाँ पर बैठाया गया। दूसरी बात जिन व्यक्ति ने वहाँ मारे जाने की बात कही उन्होंने जो कहा मैंने बयान दिया। अध्यक्ष महोदय, जो शब्द कहे वह मैंने आपको कहा। उन्होंने विद्याचरण शुक्ल, श्री मुश्रान के बारे में कहा, मैंने सारे तथ्य रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों के बारे में समय-समय पर हमने और हमारे साथी अन्य माननीय सदस्यों ने जानकारी लेने की कोशिश की। कौन कहाँ है इसकी जानकारी निश्चित रूप से हमको रात को 7.30 बजे तक नहीं मिली और विवश होकर अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कार्यालय में जाना पड़ा और अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर 9 घंटे तक इन्तजार करने के बाद आय.जी. साहब के निर्देश पर, उनके बुलाने पर, यहाँ के कलेक्टर और एस.पी. वहाँ पर आये और उन्होंने जानकारी दी की अमुक-अमुक स्थान पर यह बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आप सोचें कि लोगों को ढाई-तीन बजे गिरफ्तार किया गया, कहाँ रखा गया इसकी जानकारी नहीं और निश्चित

रूप से मुझे यह जानकारी मिली जो 8 सौ लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है उससे दुगने-तिगुने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और लोगों को शहर से बाहर छोड़ा है और इसकी कोई जानकारी शासन की ओर से नहीं दी जा रही है।

यह सूचना दे दी कि पूरी घटना में पुलिस के 50 साथी घायल हुए हैं और 12 प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मैं उनके नाम पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उनकी संख्या 32 है। अध्यक्ष महोदय, नाम पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है कि कल यह न कह दें कि गुण्डे थे, असामाजिक तत्व थे। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी में गुण्डे नहीं हैं जिस पार्टी में गुण्डे हैं वे सबको मालूम हैं हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता समझ रही है। अध्यक्ष महोदय, उनके नाम ये हैं : 1. श्री रामलाल सोनी, 2. डॉ. पुरुषोत्तम पटेल, 3. श्री विष्णुप्रसाद अग्रवाल, 4. श्री देवचंद भाई पटैल, 5. श्री सबल सिंह यादव, 6. श्री कृष्ण प्रताप सिंह, 7. श्री उंदरेव यादव, 8. श्री शारदा शिव, 9. श्री अगर सिंह, 10. श्री रामसिंह, 11 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, 12. श्री रविशंकर परसाई, 13. श्री गौर दलाल, 14. श्री चन्द्र मोहन तिवारी, 15. श्री सुन्दरलाल बथेरी, 16 के.एल. नागोरी, 17. श्री हरिशंकर अग्रवाल, 18. श्री एम.ए. अलीम, 19. श्री चमन गोदान, 20. श्री गनपत सिंह राजपूत, 21 श्री प्रेमलाल जायसवाल. 22. सत्य नारायण अग्रवाल, 23. डॉ. एस.डी. शर्मा, 24. श्री व्ही.सी. शुक्ला, 25. श्री अजीज कुरेशी, 26. श्री मोहीउद्दीन. 27. श्री जय बहादुर सिंह, 28. श्री चंद्रकुमार शुक्ला, 29. श्री अब्दुल सलीम, 30. श्री प्यारे मिया टेलर, 31. श्री उदयप्रताप सिंह भदौरिया, 32. श्री विद्याधर तिवारी और श्री बलवीर खनूजा। अध्यक्ष महोदय, उनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क हुआ है और इसके अतिरिक्त जिन लोगों को शासन ने भरती किया है, वे अलग हैं। उनकी संख्या अधिक है उनमें से बहुत सों को तो फर्स्ट एड तक नहीं दिया है। श्री सुरेश सेठ जिनको लाठियों से इस प्रकार पीटा गया कि वे करवट तक नहीं ले सकते। वे शासकीय अस्पताल में हैं, उनके बारे में मल्टीपल इंजुरी बताई गई है। मैं वहाँ पहुँच गया और स्वयं जाकर देखा है क्या श्री शीतला सहाय जी ने यह आज्ञा दी है कि इसी तरह से मारो कि करवट तक न ले सकें, लोग सुख से लेट न सकें?

श्री शीतला सहाय : मेरा विभाग इलाज करने का है मारने का नहीं। सुरेश सेठ हाउस में थे, पूरी तरह से तंदुरुस्त थे। मैंने बहुत समझाया आप सीनियर मेम्बर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए पर वे एक न माने उन्होंने उपद्रव करवाया, आसंदी पर थूकने और जूता पटकने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश सेठ के बदन पर चोटें आई हैं, अस्पताल में पहुँचाया गया है और आप यहाँ इस प्रकार की बातें करके पुलिस के जवानों को बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप उन चोटों को झुठलाना चाहते हैं। आपके मुँह से स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते सहानुभूति के शब्द नहीं निकले आप उनको देखने तक नहीं गये?

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : जब श्री सुरेश सेठ को मेम्बर यहाँ से वहाँ घसीट रहे थे तब भी मैंने जाकर कहा था कि आप सीनियर मेम्बर हैं, इस प्रकार की हरकतें करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। उन्होंने नाटक किया, यहाँ वहाँ लेटे और उनके साथी एक दूसरे को पकड़े थे। पुलिस के लोग हाथ जोड़ कर कह रहे थे कि सदन के बाहर चलिए। साथियों ने एक दूसरे को खींचा, उसका परिणाम बयान करो

श्री अर्जुनसिंह : आप बतला दीजिए किसने चोटें पहुँचाईं और अभी इस प्रदेश का शासन तंत्र ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी आशा करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ, कि शायद इस प्रदेश का शासन तंत्र, इस प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अभी इतने आतंकित नहीं हुए हैं कि वह सत्य बात छुपाएँ। आप बताएँ या न बताएँ मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि इस घटना को लेकर घायलों का उपचार न होना, लोगों के ऊपर बर्बर लाठी चार्ज करना, जेल के समक्ष शांतिप्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों को नाम पुकार-पुकार कर पीटना, ये ऐसी घटनाएँ हैं, मैं समझता हूँ आप उसे मानें या न मानें, ये किसी प्रजातंत्र के पोषक नहीं हो सकते (मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके विरोध में, इसकी न्यायिक जाँच कराने के लिए जो जेल के समक्ष घटना हुई है, इस विधानसभा के 4 सदस्य भूख हड़ताल पर हैं, इस माँग को लेकर इस बात की न्यायिक जाँच की जानी

चाहिए। मैं उनकी तारीफ करता हूँ। इसकी न्यायिक जाँच की जानी चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जो सुरेश सेठ ने यहाँ किया, उसकी जाँच के लिए आप नहीं बोलेंगे?

अध्यक्ष : आप समय से ज्यादा बोल चुके हैं, अभी सब लोगों को बोलना है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवधान भी तो बहुत हुए।

अध्यक्ष : वह समय काट कर भी आप 20 मिनट बोल चुके हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे अन्य साथी इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। इस विषय पर आए हुए प्रस्ताव को आप अपनी अनुमति दें, उस पर चर्चा हो, निश्चित रूप से चर्चा हो और मतदान भी हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि इस प्रदेश के अन्दर एक शांत वातावरण बनाकर रखने की एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाकर रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप उस जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं और यदि आप इस प्रदेश के अन्दर आतंक और भय के आधार पर राज्य करना चाहेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप संगीनों और बंदूकों के साये में इस प्रदेश में घूम सकते हैं, शांतिप्रिय प्रदर्शनकारी हर स्थान पर लेटेंगे, काले झंडे दिखाएँगे और आपको विवश करेंगे कि आप गुण्डागर्दी को समाप्त करें (मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह केसरी (आष्टा, संरक्षित स्थान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुरक्षित हैं। अभी मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय विरोधी दल के नेता ने जिन बातों का जिक्र किया उसके बारे में कुछ नहीं कहना है; लेकिन हाथियों के साथ दरवाजे तोड़ना, विधानसभा के अन्दर आ जाना इसकी निंदा और जाँच करनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश सोनकर (जबलपुर पूर्व, संरक्षित स्थान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय विरोधी दल के नेता ने जो अभी मुख्यमंत्री जी को इंगित करके कहा है कि हम तुम्हारे समान न तो पैरोल माँगेंगे और न ही माफी माँगेंगे। तो आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश के अन्दर या प्रदेश के अन्दर आपातकाल लगा हुआ है, क्या इस प्रदेश की सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया है, जिससे पैरोल और माफी नामे की आवश्यकता पड़ रही है, कृपया वे इस पर प्रकाश डालें।

श्री सुन्दरलाल जी जायसवाल (जामई) : ये पूछते हैं कि क्या इस समय आपातकाल जैसी स्थिति है, अब तो उससे भी बदतर स्थिति है। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जमानतें नहीं ली जातीं, लोगों का सोना हराम हो गया है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैंने आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पहली बार ओवर रूल कर दिया है।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की निर्ममतापूर्ण पिटाई की कार्यवाही की गई, वह जनरल डायर के जलियावाले बाग के समय जिस प्रकार से घटना हुई उसको तरोताजा करने के लिए पर्याप्त है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम लोग जलियावाला बाग की घटना को भूल चुके थे। सन् 1947 में आजादी के बाद वैसी घटना भोपाल में जो कल घटित हुई जो प्रदर्शन हुआ उसमें जलियावाला बाग की केवल एक घटना न होकर सारी की सारी बातें हुईं। केवल एक घटना बाकी थी वह यह थी कि सखलेचा जी की सरकार ने केवल गोली नहीं चलाई। जलियावाला बाग में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गये। सखलेचा जी की सरकार ने इतनी तो मेहरबानी जरूर कर दी अपनी निष्पक्षता का परिचय देने के लिए एक सबूत छोड़ दिया कि हमने गोली नहीं चलाई, केवल लाठी चलवाई।

अध्यक्ष : श्री यज्ञदत्त शर्मा?

श्री मोतीलाल वोरा : अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

अध्यक्ष : आपके नेताजी ने कहा था कि हमारे सदस्यों को दो-दो मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाये।

श्री मोतीलाल वोरा : मैं केवल 5 मिनट का समय चाहता हूँ।

श्री प्रभुनारायण टंडन : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष : आप शांतिपूर्वक बैठ जायें, बीच-बीच में न बोलें।

श्री प्रभुनारायण टंडन : मैं बोलूँगा, आप मुझे निकलवा दीजिए।

अध्यक्ष : मैं ऐसे आदमियों को नहीं निकलवाता।

श्री प्रभुनारायण टंडन : आप मुझे निकलवा दीजिए।

अध्यक्ष : मैं आपको अभी नहीं निकलवाऊँगा। आपको जो कुछ कहना है कह लें, फिर भी मैं नहीं निकलवाऊँगा, बाद में, मैं रिकार्ड देखकर ही कोई कार्यवाही करूँगा। पहले मैं रिकार्ड देख लूँगा।

श्री मोतीलाल वोरा : तो मैं कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से कल 25 हजार लोगों ने जुलूस में भाग लिया।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमासिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष : आपका प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है, कहिए?

श्रीमती सुषमासिंह : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी श्री वोरा जी ने जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जिक्र किया उस समय वोराजी वहाँ नहीं थे, वे यहाँ पर खड़े हुए थे।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की बात का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जो जुलूस 6 किलोमीटर लम्बा आया उसमें 25 हजार लोग शांतिपूर्ण तरीके से आये।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वोराजी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने हिटलर और गोयेबल्स की हिस्ट्री को पढ़ा है?

श्री मोतीलाल वोरा : मैं शीतला सहाय जी का आदर करता हूँ और आज भी करता हूँ लेकिन यहाँ निश्चित रूप से हिटलर और गोयेबल्स की बात नहीं है। यह सत्य से इन्कार करने की बात है। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा भोपाल शहर के लोग जानते हैं कि 25 हजार लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टंडन : अब यह सरकार जाने वाली है।

श्री नर्मदाप्रसाद किंकर (खातेगाँव) : इन लोगों का हाल ऐसा है जैसा कि कहा गया है—

जैसे जहाँ के नदी नाले, वैसे वहाँ के खड़का,
जैसे जिनके बाप मेतारी तैसे तिनके लड़का।

आपताकाल के समय इन्दिरा जी ने बारबार झूठ को भी सत्य कहने की कोशिश की इसी प्रकार श्री वोराजी भी असत्य को बार-बार दोहराकर सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार अपने शासन काल में इन्दिरा जी झूठ को सत्य कहने की कोशिश करती थीं वैसे ही यह इस समय भी असत्य कहने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, जो लोग कल प्रदर्शन में आए थे उनके हाथ में कोई लाठियाँ नहीं थीं। उनके हाथ में कोई भाले नहीं थे, उनके हाथ में कोई लोहे की छड़ें नहीं थीं। विधानसभा के गेट के पास जब प्रदर्शनकारी पहुँचे तो जानबूझकर वहाँ पर अश्रुगैस के गोले छोड़े गये जहाँ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र है वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तारी का उन लोगों ने ऑफर भी दिया। अध्यक्ष महोदय, यह कहना असत्य है, एकदम कपोल कल्पित है कि हाथी द्वारा गेट तुड़वाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदर्शनकारियों को देखा है उनमें जो महिलाएँ थीं और जो पुरुष थे सभी पर बड़ी ही निर्ममता के साथ लाठी प्रहार किया गया था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो समग्र क्रांति की बात करने वाले हैं, जो डॉ. लोहिया की बात करने वाले हैं और जो जयप्रकाश नारायण की बात करने वाले हैं वे सब उस समय कहाँ चले गये थे जो चुप रहे। क्या उनके मुँह में कपड़ा लगा हुआ था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सदन से और आपसे यह माँग करता हूँ कि इस सारे प्रकरण की न्यायिक जाँच करवाई जावे।

श्री नगीन कोचर (गाडरवारा)) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वोरा जी ने कहा कि समग्र क्रांति की बात करने वाले और डॉ. लोहिया की बात करने वाले कहाँ चले गये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य वोरा जी का बहुत आदर करता हूँ लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो आप डॉ. लोहिया और जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो लोहिया और जयप्रकाश नारायण की किस किताब में ऐसा लिखा है कि हाथी और हथियार लेकर प्रदर्शन किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो प्रदर्शन किया गया उसमें प्रदर्शनकारियों की नियत यही थी कि असुरक्षा फैलाई जाये। तो वहाँ पर मजबूर होकर पुलिस को उन पर लाठी चार्ज करना पड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा जी और इन्दिरा काँग्रेस के लोग सर्वत्र असुरक्षा फैलाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी अंतिम बात कहना चाहता हूँ।

श्री रमेश बल्यानी : अध्यक्ष महोदय, कल के प्रदर्शन में माननीय विद्याचरण शुक्ल भी थे तो जो आप यह कह रहे हैं कि प्रदर्शन में 25 हजार लोग थे तो क्या इसके आँकड़े उन्होंने ही आपको दिए थे?

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि भोपाल की सेन्ट्रल जेल में प्रदर्शनकारियों को घंटों बैठाए रखने के बाद पुलिस के एक उच्च अधिकारी द्वारा निर्ममतापूर्वक उनके ऊपर पत्थर फिकवाये गये।

अध्यक्ष : यह रिपीटीशन है। इसको अर्जुनसिंह अपने भाषण में कह चुके हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : मध्यप्रदेश सरकार किस प्रकार से तानाशाही रवैया अख्यार कर चुकी है। इस सरकार ने लाठियाँ चलवाई हैं। इसने अपने सत्याग्रहियों को पिटवाया है इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस पर न्यायिक जाँच की माँग करते हैं।

श्री हमीद कुरेशी (भोपाल उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम दोनों के ही दरम्यान में कानून का दफ्तर है और वह दफ्तर है गांधी जी का राम। जिसको आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। वे बतायें कि कल का जो डिमान्सट्रेशन था, क्या ऐसे डिमान्सट्रेशन की गांधी जी ने बात की है। श्री अर्जुनसिंह जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं तो बात वहीं से शुरू करें जहाँ से डिमान्सट्रेशन शुरू हुआ था। उसको नजरअन्दाज करके दरम्यान की बात कहना सत्य और अहिंसा के खिलाफ है। गांधी जी की मान्यताओं के खिलाफ है।

श्री शिवकुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विरोधी दल के नेता ने अपना वक्तव्य दिया और इसी बीच में अनेकों प्रश्न किये जा रहे हैं। मैं इस संबंध में व्यवस्था का प्रश्न चाहूँगा कि क्या इस प्रकार से विस्तार से इन प्रश्नों को उठाया जा सकता है और अगर उठाया जा सकता है तो हमको भी हमारे पक्ष को भी विस्तार पूर्वक उत्तर देने का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष : इसके पूर्व ही व्यवस्था दी जा चुकी है कि केवल तथ्यों के ऊपर ही माननीय सदस्य प्रकाश डालेंगे। किसी प्रकार का भी कोई इन्ट्रप्शन कोई भी माननीय सदस्य नहीं करेंगे।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल का जो आन्दोलन था उसका एकमात्र उद्देश्य केवल जनता को आगे होकर यह बताना था कि मध्यप्रदेश की जनता निमाड़ की एक इंच भूमि भी देना नहीं चाहती और हम सब एक हैं। इस प्रकार के यंत्र का मध्यप्रदेश की जनता खास तौर से निमाड़ की जनता विरोध करती है। आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। जनता ने प्रदर्शन किया लेकिन आप उस अधिकार को जनता को देना नहीं चाहते हैं। वह तो हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष : आप फैक्ट्स के ऊपर बोलिए।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि.....

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने यह व्यवस्था का सवाल उठाया था कि कोई भी सदस्य बीच में प्रश्न नहीं करेंगे, सिद्धांत ही सामने लायेगा। लोहिया जी तथा पुराने समाजवादियों के नाम भी लिये गये डॉ. लोहिया ने कभी नहीं कहा कि हाथी और हथियार लेकर प्रदर्शन करें। आपका उद्देश्य था कि इस तरह से प्रदर्शन करें जिससे लाठी चार्ज हो और प्रदेश में रद्दा फैले।

अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय कोचर जी से पूछूँगा कि जब किरदूल में आदिवासियों पर गोली चली थी तो क्या आदिवासी हाथी लेकर आये थे?

अध्यक्ष : मैं आपको प्रश्न करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आप अनुमति नहीं दें, कोई एतराज नहीं है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : हजारों आदमियों को कल गिरफ्तार किया गया, आपातकाल में आपकी तरह पूँछ दबाकर नहीं भागे। आप तो घबराते थे, जेलों में जाने से, वहाँ एक भी ऐसा नहीं था जो भागा हो। ये लोग जानते हैं आप किस तरह आगे थे। ईंट का जवाब पत्थर हो सकता है, शांतिपूर्ण आन्दोलन का जवाब लाठी नहीं हो सकता। कल भाग-भाग कर लाठी मारी गई, महिलाओं के साथ किस तरह से जुल्म ज्यादती हुई है। अस्पताल में जो थे जेल के अन्दर जो पहुँच गये थे, वे आपके नियंत्रण में थे, आपका फर्ज था उनकी रक्षा करना .....

अध्यक्ष : आपका राइट नहीं है कि उस पर चर्चा इस तरह से करें, मैं कह रहा हूँ कल 56 (2) के अनुसार चर्चा करें। संक्षेप में बोलें, एक घण्टा हो गया तीन आदमी बोल पाये हैं और एक लम्बी लिस्ट मेरे पास है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या हमारे इस सदन के बाहर जो परिसर है उसमें पत्थर फेंके गये और लाठी चार्ज नहीं हुआ .....

श्री हमीद कुरेशी : जहाँ से डिमांसट्रेशन शुरू हुआ था वहाँ से चर्चा शुरू करें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : जहाँ पर जुल्म हुआ है, वहाँ की चर्चा शुरू करूँगा, यहाँ पर जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया .....

अध्यक्ष : क्या यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं? आपके नेता ने डिसओन किया कि वह हमारे प्रदर्शनकारी नहीं थे। इसलिए आप बाहर की चर्चा करें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : जो सदन के बाहर परिसर में हमारे लोग गिरफ्तार किये गये उनकी बात कह रहा हूँ। आपने बसों में बिठाया, छत पर बिठाया उनके पेट में लातें मारीं, क्या यह आपका आदर्श है? रतलाम में डाकू नहीं पकड़ेंगे, खण्डवा में नहीं पकड़ेंगे, डॉ. सुमन के यहाँ डाका पड़ा, उसको नहीं पकड़ेंगे। यह सरकार (××.....××) और डाकुओं को नहीं पकड़ सकती और निहत्थों को मारती है। जब उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कानूनी कार्यवाही कीजिए। बसों में बिठाकर 6-6 मील छोड़ देना कौन-सी कानूनी कार्यवाही है? ध्यान कीजिए उन्हें 157 धारा में गिरफ्तार किया गया है? आपने दूसरी धारा क्यों नहीं लगाई? (व्यवधान) आपने 107 नहीं लगाई तो फिर गैर-कानूनी तरीके से उनको क्यों बन्द कर रखा है। आप उनके बयान को पढ़िये। आप उनका बयान देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ। .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने जो कुछ फैक्ट्स नेरेट किये हैं दे आर इन माई पजेसन। इसके अलावा कुछ कहना हो तो कहिए यह सारे फैक्ट्स रिपीटीशन मत कीजिए। आपने जो बताया है वह मेरे पास है इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। .....

श्री वेदराम (माल-खरौदा, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय आप उनको सुन नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष : मिस्टर वेदराम जी! जो कुछ फैक्ट्स वोरा जी के मार्फत सदन में कहे जा चुके हैं वही रिपीट कर रहे हैं।

श्री वेदराम : अध्यक्ष महोदय, आप उनको सुन नहीं रहे हैं आप जो कुछ करते हैं वह ट्रेजरी बेंचेज के इशारे पर करते हैं।

अध्यक्ष : जी फिर से कहिए।

श्री वेदराम : आप हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। आप उधर मौका देते हैं, हमको तो मौका ही नहीं देते हैं।

अध्यक्ष : वेदराम जी मैं आपको फिर कहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि मैंने आपको भी सुना है, मोतीलाल जी वोरा को भी सुना है। जहाँ रिपीटीशन होता है वहाँ टोकता हूँ। यह रिपीटीशन हो रहा है, आप भी जरा नोट कर लीजिए फिर आपको पता लगेगा कि कौन-सा रिपीटीशन है, मैं आपको बता दूँगा।

श्री नर्मदाप्रसाद किंकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे वेदराम जी के इस कथन पर घोर आपत्ति है। उन्होंने अध्यक्ष की आसंदी पर जो एक्सपरशन किये हैं। मैं प्रार्थना करूँगा कि उसे कार्यवाही से निकाला जाये और उनको चेतावनी दी जाये कि आसन के प्रति वे सम्मान करें।

अध्यक्ष : चेतावनी देने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ, लेकिन मिस्टर वेदराम मैं आप से कहूँगा कि शायद न तो आपने इनको सुना और न मोतीलाल जी को सुना। जब यज्ञदत्त जी को टोका कि आप रिपीट कर रहे हैं तब आप कहते हैं कि यह रिपीटीशन नहीं है, रिक्वेस्ट है। यू आर नाट टू सजेस्ट मी।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : आप यह बता दीजिए की क्या किसी भाषण में यह बात आई है? आपने 107 में गिरफ्तार नहीं किया आपने 157 में गिरफ्तार करके गलत काम किया। यह कहीं भाषण में नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप सुधारिए अपने आपको। अपना कानूनी ज्ञान बढ़ा लें। 151 मोड ऑफ अरेस्ट होता है 157 प्रीवेन्टिव मेजर होता है।

अध्यक्ष : आप एक मिनट रुकिए। मैं तो सुन नहीं पाया हूँ, व्हाट वर्ड्स यू हैव सेड मिस्टर वेदराम, आप ट्रेजरी बैंच के इशारे पर रहते हैं। यू हैव सेड दीज वर्ड्स।

श्री वेदराम : ट्रेजरी बैंच को देखें और आप इधर सुनते नहीं हैं।

अध्यक्ष : ट्रेजरी बैंच की तरफ तो मैंने 5-7 मिनट से देखा नहीं केवल यज्ञदत्त जी की ओर देख रहा हूँ। यू हैव मेड दिस एलीगेशन, कि आप ट्रेजरी बैंच के इशारे पर रहते हैं। ऐसा नहीं है जरा देखिए तो .....

श्री नर्मदाप्रसाद किंकर : मैंने सुनते ही श्रीमान आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : आप पूरे सदन के इशारे पर रहते हैं।

श्री शिवभानु सोलंकी : आपकी नजर पूरे सदन की तरफ रहती है आप पूरे सदन के इशारे पर चलते हैं।

अध्यक्ष : उन्होंने यह कहा है कि ट्रेजरी बैंच के इशारे पर चलते हैं।

श्री वेदराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय यह था कि एक दृष्टि से हम सबको देखने का आपका कर्त्तव्य है। हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं।

अध्यक्ष : और मैं कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हूँ। ट्रेजरी बैंचेज के इशारे पर रहता हूँ।

श्री वेदराम : कर रहे हैं। मैंने कहाँ कहा कि नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष : आपने ऐसा कहा क्या।

श्री वेदराम : मैंने ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : आपने नहीं कहा देख लीजिए रिकार्ड में अगर आपने ऐसा कहा तो विल यू विथड्रा दीज वर्ड्स।

श्री वेदराम : मैंने कहा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है तो आप विथड्रा करेंगे।

श्री वेदराम : मैं विथड्रा करने के लिए तैयार हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, कुछ भी कह देना और फिर कह दें कि मैं वापस लेता हूँ यह नहीं होना चाहिए। उस पर खेद प्रकट करना चाहिए। क्षमायाचना करना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पटवा जी का ऐसा कहना कि खेद व्यक्त करें जबकि वह सदस्य कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है और कहा है तो विथड्रा करने को तैयार हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं तो विरोधी दल के नेता से कहता हूँ कि वे स्वयं उसके लिए खेद प्रकट करें।

अध्यक्ष : खैर छोड़िये अपना समय हो रहा है अभी भी बोलने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को अपन लन्च के बाद भी थोड़ा-सा कन्टीन्यू करेंगे लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि लोगों से कि दे शुड बी शार्ट एण्ड ब्रीफ। अपनी भावना को व्यक्त करने वाली बात नहीं है। केवल फैक्ट्स देने वाली बात है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, अभी तो एजेन्डा का बहुत-सा बिजनेस बाकी है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने एक बात कही अब आप उसी पर कायम रहिए।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत-सा काम है सदन का आखिरी दिन है इम्पोरटेंट थिंग्स हैं, गवर्नमेंट का बिजनेस पूरा नहीं होगा। इस पर तो काफी चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं शार्ट में सुनूँगा। मैं 5, 7 मिनट का थोड़ा-सा समय आपसे और चाहूँगा।
(अनुमति प्रदान की गई)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/8 सितंबर 1978, पृष्ठ/1074-1090)

काँग्रेस (आई.) का विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन— चर्चा पूर्वानुबद्ध—

उपाध्यक्ष : जिस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, उसे जारी रखें।

कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, अभी रिसेस के समय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि प्रिविलेज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आयेगा और मुख्यमंत्री से निवेदन करूँ कि आपने बहुमत से या कैसे एक प्रस्ताव पास करा लिया, लेकिन रिसेस का पीरियड क्या माना जाये इस पर राय लेने के लिए एडवोकेट जनरल को आमन्त्रित किया जाये वे एक वेल स्टडीड आर्गूमेंट दें और सदन को इस बात पर आश्वस्त किया जाये कि रिसेस का पीरियड सिटिंग ऑफ दि हाउस की परव्यू में आता है या नहीं?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : इस प्रकार काफी चर्चा कर चुके हैं। श्री कृष्णपालसिंह जी को एडवोकेट जनरल की राय चाहिए तो बता सकते हैं सदन की सिटिंग है या नहीं, यह अलग प्रश्न है। अगर एडवोकेट जनरल की राय चाहिए तो मँगा सकते हैं। कन्टेप्ट होता है और इस बारे में जो कुछ सदन की परम्पराएँ हैं वह भी देख लें और आपने स्वयं भर्त्सना की है कि यह ठीक नहीं हुआ। इसलिए इतनी सारी चर्चा हो जाने के बाद इसको ड्राप किया जाये।

श्री अर्जुनसिंह : श्री कृष्णपालसिंह ने जो सुझाव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि अलग से एडवोकेट जनरल की राय मँगाकर सदन में देने का प्रश्न नहीं है। एडवोकेट जनरल को इस सदन में उपस्थित होने का अधिकार है। वे यहाँ पर उपस्थित होकर विवेचना करें ताकि सदन के अन्दर प्रश्न पूछ सकें और सन्तुष्ट हो सकें।

उपाध्यक्ष : आपने मुख्यमन्त्री की बात सुनी ही कि इस पर सदन का निर्णय हो चुका है। जब अध्यक्ष महोदय से चर्चा की है तो उनसे चर्चा करने के बाद जो उचित होगा वह कार्यवाही की जावेगी।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मैं स्थगन प्रस्ताव के संबन्ध में निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से विधानसभा के परिसर में लाठी चार्ज किया गया वह विधानसभा के इतिहास में एक नई बात है। आप उस बात को जस्टीफाई कैसे करेंगे जहाँ इतनी जनता ने देखा कि पुलिस ने निहत्थे लोगों पर पत्थर फेंके हैं। अगर यह भी मान लिया जाये कि पत्थर न आपने फेंके न जनता के फेंके तो क्या पुलिस को अधिकार देंगे कि निहत्थी जनता पर पत्थर फेंके। इसके बाद जब लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सीमा में भेजा गया फिर तैयारी के साथ एकदम लाठी चार्ज किया गया। पुलिस वहाँ एकदम से हमला करती है तो क्या कहा जाये?

उपाध्यक्ष : जो तथ्य आप सदन के सामने रख रहे हैं वे प्रायः सभी सदन के सामने पहले आ चुके हैं। यदि कोई नये तथ्य रखना हों तो रखें। मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि समय का आप लोग ख्याल रखें

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल का जो, प्रदर्शन हुआ था उसमें आपके विधायक थे, क्या उन विधायकों से आपकी सरकार गिरने का खतरा था? महिलाएँ थीं उन पर आपकी पुलिस ने पत्थर फेंके। यह क्या उचित है?

(व्यवधान)

श्री हमीद कुरेशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ कि अर्जुनसिंह जी आप अपना बयान शुरू से बताइए क्योंकि शुरू से मैंने देखा है यह बीच से किसी को बयान करके हाउस को गुमराह कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

क्या यह गांधी जी के सिद्धान्तों को नहीं मानते हैं? हम भी प्रजातन्त्र में आस्था रखते हैं हमने भी जुलूस

निकाले हैं, लेकिन यह उसके अन्दर हाथी, घोड़े, गधे कहाँ से आ गये कौन-सा जुलूस का तरीका है? .....

(व्यवधान)

जितने ये काँग्रेसी हैं उससे कहीं ज्यादा काँग्रेसी मैं रह चुका हूँ और मुझे यह कहते हुए फ़क्र है कि मैं गांधी के साथ रहा हूँ।.....

श्री मोतीलाल वोरा : हम गांधीजी का आदर करते हैं उनकी नीतियों पर ही चलते हैं।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी की प्रतिमा पर जूते मारे गये यह कहाँ तक उचित है? क्या यह इसी प्रकार का आदर करते हैं?

श्री मोतीलाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल झूठा आरोप है। अगर किसी ने ऐसा कार्य किया है तो हम उसकी निन्दा करते हैं। यह बहुत ही निन्दनीय कार्य किया है चाहे जिस किसी ने भी किया हो।

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से विधायकों को बन्द करके इस प्रदेश में शान्ति लाना चाहते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम भी आपके अत्याचारों का डटकर मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। क्या यह उचित है कि आपने अपने चार विधायकों को बन्दी बना रखा है। 107 के अन्दर कल जो प्रदर्शन हो रहा था वह इसलिये हो रहा था कि जनता पार्टी की इस प्रान्त की सरकार ने नर्मदा के प्रकरण पर घुटने टेक दिये हैं। हम जनता को यह बताना चाहते हैं कि नर्मदा बाँध के मामले में सरकार की क्या नीति रही। जनता सरकार ने घुटने टेक दिये हैं। यह जो प्रस्ताव आया है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इस पर चर्चा होना चाहिए मेरा यह निवेदन है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10-30 बजे से एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा चल रही है, इतना समय हो गया और इसके बाद भी अब 20 मिनट हो गये। इस पर अध्यक्ष महोदय, काफी समय हो चुका है दूसरा आवश्यक बिजनेस भी हाउस में पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय वैसे भी एडजर्नमेन्ट मोशन के लिए 2 घन्टे का समय होता है, लेकिन 3 घंटे इसके एडमिसिबिलिटी में खत्म हो गये। अब इसमें काफी समय हो गया है, मैं इस पर जवाब दे देता हूँ और इसे खत्म करें।

उपाध्यक्ष : एडजर्नमेंट मोशन 4 दिये गये थे। और उनमें नाम ज्यादा थे, यह बात भी सही है कि दूसरा बिजनेस भी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिनके नाम हैं और जिनके प्रथम नाम हैं वे ही बोलें और इसमें अधिक समय नहीं लें। नहीं तो 10 बजे रात होने वाली है .....।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी क्या माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था पर दूसरी कार्यवाही की जा सकती है? (व्यवधान) यह बात उपाध्यक्ष महोदय हो सकती है कि आप समय कम दें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री का आदेश बाहर चल सकता है, सदन के अन्दर नहीं चलना चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है क्या अध्यक्ष महोदय की आसंदी पर आक्षेप किये जा सकते हैं, क्या इस तरह आक्षेप किया जाना उचित है?

श्री मोतीलाल वोरा : आसंदी पर आक्षेप नहीं है, अध्यक्ष महोदय ने ऐसी व्यवस्था दी थी .....(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता मैंने एक वाक्य कहा और आप सब बेचैन हो गये, सब को बेचैनी पैदा हो गई, जिससे डिसआर्डन करने लगे। मैं विमला जी से प्रार्थना करूँगा कि जब शीतला सहाय जी खड़े हों तो उन्हें जवाब दें। आप पुराने सदस्य हैं .....।

उपाध्यक्ष : ठीक है मैं आपके औचित्य प्रश्न को समझ गया। आपका कहना है कि कोई भी आसंदी पर एक्सपर्सन नहीं करे। इस सम्बन्ध में जो वोराजी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कहने पर चलने की बात है, उनका शायद ऐसा ही मन्तव्य था .....।

श्री मोतीलाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा कहना नहीं था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब गले पड़ गया तो माफी माँग रहे हो।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : (मऊगंज) उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी आसंदी पर आक्षेप नहीं करते।

श्री मोतीलाल वोरा : हम आपकी आसंदी का सम्मान करते हैं, हम पटवाजी जैसे नहीं हैं।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार यह निवेदन करना चाहता हूँ, जो स्थगन प्रस्ताव है उसके तथ्यों पर मैं प्रकाश नहीं डालूँगा और न ही उन बातों पर प्रकाश डालूँगा जिनके बारे में माननीय सदस्य कह चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, पक्ष के माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है, मैं नेताओं के नाम नहीं घसीटना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जब नाम सदन में लिया गया है तो मेरे द्वारा उस सम्बन्ध में उल्लेख करना आवश्यक हो गया है। मैं उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सन् 1956 में विंध्यप्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मर्जर विरोधी आन्दोलन चला था उस समय भी वहाँ की विधानसभा में इस प्रकार की घटनाएँ घटी थीं ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : धन्यवाद। अब कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अच्युतानन्द मिश्र : उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बात यहाँ उठाई गई तथा जिसका उल्लेख किया गया है उसका उत्तर तो हमें देना ही पड़ेगा। श्री डूंगरवाल जी ने श्री लोहिया जी का उल्लेख विधानसभा में किया जिसमें मौजूदा बालेश्वर दयाल जी (व्यवधान) .....

श्री डूंगरवाल जी ने लोहिया जी का नाम लिया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ (व्यवधान) कि वह सोशलिस्टों को कानून तोड़ने के लिए बदनाम न करें। जब सरकार तानाशाह हो जावे, जब सरकार की स्थिति यह हो जावे कि डर के मारे वह सदस्यों पर झूठे आरोप लगाकर बन्द कर दे तो आन्दोलन की स्थिति आ जाती है।

उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : श्रीमान जी की स्थिति यह है कि हमारे मुख्यमंत्री सखलेचाजी ने तीन-तीन सदस्यों को जेल में बन्द किया, सोशलिस्ट भाइयों पर तरस आता है। (व्यवधान) (इस प्रकार की बात न कहें) उपाध्यक्ष जी, सन्दर्भ आ गया इसलिये मुझे कहना पड़ रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि लोहिया जी और गांधी जी को इसमें न घसीटा जाता तो अच्छा होता। मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार लोहिया जी और गांधी जी का नाम बदनाम किया जावे। अध्यक्ष महोदय, इनकी स्थिति तो यह है कि यह शान्ति से कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करते हैं उन पर अश्रुगैस का प्रयोग करते हैं और सभी ने उनके इस प्रकार के व्यवहार की निन्दा की है। इस बात के साथ मैं अपना कहना समाप्त करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : उपाध्यक्ष जी, प्वाइंट ऑफ आर्डर्स में ही काफी समय चला गया। एडजर्नमेंट मोशन पर भी काफी चर्चा इस सदन में हो चुकी है। दो बातें इस बारे में कही गईं। (व्यवधान) मुझे बड़ा दुःख है। (व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, मुझे बोलने का अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष : यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि इसी विधानसभा में विश्रामकाल के पूर्व, प्रत्येक माननीय सदस्य को जिनके नाम एडजर्नमेंट मोशन में हैं, उन्हें बोलने की अनुमति देंगे, ऐसी माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी। उस व्यवस्था को कायम रखा जाये, यही मेरा औचित्य का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष : यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। यह मेरा कर्तव्य है, मैं उसे देखूँगा।

(व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : मुझे बोलने दिया जाये।

उपाध्यक्ष : मैं अवसर दूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अध्यक्ष महोदय, रूल्स के अनुसार एडमिसिबिलिटी के बारे में विचार सुनने की व्यवस्था दी थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो माननीय सदस्य रिपीट करेंगे उन्हें वे एलाऊ नहीं करेंगे और वे सदस्यों को तभी अनुमति देंगे जब वे कोई नई बात कहना चाहेंगे।

इस एडजर्नमेंट मोशन पर डेढ़ घन्टे से चर्चा चल रही है और वही की वही बातें रिपीट की जा रही हैं। उन्हीं बातों को रिपीट करते हुए अलग-अलग सदस्य बोल रहे हैं। अगर बातें वही हैं तो हर सदस्य को बोलना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष : एडजर्नमेंट मोशन की ग्राह्यता के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया। नियम के 56 के परन्तुक में दिया गया है कि यदि पूरे फेक्ट्स अध्यक्ष को न मालूम हों तो वह मंत्री या संबंधित सदस्यों से तथ्यों के सम्बन्ध में संक्षिप्त वक्तव्य (ब्रीफ स्टेटमेंट) सुनेगा।

उपाध्यक्ष : अब श्री प्रतापसिंह बघेल 2 मिनिट में अपना संक्षिप्त वक्तव्य दें। मैं यह भी कहूँगा कि वह समय के साथ मेहरबानी करें।

श्री प्रतापसिंह बघेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबेरे से समय माँग रहा हूँ (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी तो हाथी पर बैठकर निकले, लेकिन कुछ लोगों में गधों पर बैठने की आदत आ गई है (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों के समक्ष एक बात स्पष्ट किए देता हूँ और वह यह कि यदि माननीय सदस्य कोई भी इर्रिलेवेन्ट बात कहेंगे, मारपीट करेंगे तो मैं उन्हें तत्काल रोक दूँगा और बोलने नहीं दूँगा।

श्री प्रतापसिंह बघेल : माननीय मुख्यमन्त्री जी, जो लाठी चार्ज किया गया उसके कारण स्पष्ट करें। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा यह कि विधानसभा भवन के सामने हमारे जो कुछ कार्यकर्त्ता विघटन कर रहे थे, लाठी चार्ज के बाद उन्हें ले जाया गया। वे क्या परिस्थितियाँ थीं कि लाठी चार्ज करना पड़ा? इस बात का मुख्यमन्त्री जी से स्पष्टीकरण व आश्वासन चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष : मैं कुमारी विमला वर्मा जी से भी यही कहूँगा कि समय के साथ न्याय करें।

(व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक ही निवेदन है हास-परिहास जरूर हो, लेकिन सीमा से बाहर न पहुँचे इतना ही निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा समय सीमित कर दिया है और अपने समय में आपका सम्मान रखते हुए थोड़े ही समय में बात कहूँगी। अध्यक्ष महोदय, यह सारा हमारा प्रदर्शन विधानसभा के सामने था वह सारे लोग उपस्थित हुए थे जिनके हृदय में देशभक्ति की भावना है। नर्मदा का जो बाँध बन रहा है उस पर जो एवार्ड दिया गया है उस वाद-विवाद को लेकर यहाँ उपस्थित हुए थे।

उपाध्यक्ष : माननीया सदस्या का ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उसमें शायद जिन शब्दों का उपयोग आप कर रही हैं उनका सम्बन्ध कहीं नहीं है। भावना का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है।

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में इंसान बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। (व्यवधान) बुरी तरह मारा (व्यवधान) हँस रहे हैं और डूब मरें। बुरी हालत हुई है। क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रही थी कि इस भावना से प्रेरित होकर उनके हृदय में आया कि वह नर्मदा के ऊपर अपनी सारी जनभावना को हमारे प्रदेश के विधानसभा की सामने रखें और इसी प्रेरणा से वे लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ आये। बाकी बहुत-सी चीजें हमारे माननीय सदस्यों ने बता दीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि माननीय पुलिस मन्त्री ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि जो दरवाजा या गेट है वह वहाँ पर तैनात पुलिस के कर्मचारी ने खोला। माननीय मन्त्री ने कहा था कि दरवाजा खोला उसको सुनने के बाद हाथी, घोड़े और गधे की बात आई है और जुलूस में गांधीवादी लोग थे जो अहिंसात्मक तरीके में विश्वास करते हैं। हमारा अहिंसात्मक ढंग था। इन्होंने अश्रुगैस के गोले चलाये। इन्होंने दरवाजे से अंदर

क्यों आने दिया उनको क्यों नहीं रोका गया। महिलाओं पर अत्याचार किये गए, महिलाओं को पकड़कर हिलाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सत्य कह रही हूँ उनको पकड़कर हिलाया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपरान्ह में स्पष्ट कहा है कि अगर किसी माननीय सदस्य के दो औचित्य प्रश्न, औचित्य के प्रश्न साबित नहीं होते हैं तो उनको बाद में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अगर एक भी औचित्य प्रश्न गलत हुआ तो मैं दूसरा औचित्य प्रश्न नहीं उठाने दूँगा।

कुमारी विमला वर्मा : इस प्रकार महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, उनके ऊपर प्रहार हुए, उनके चोटें लगीं तो उनको मेडीकल एड नहीं मिली।

उपाध्यक्ष : आप दुहरा रही हैं।

कुमारी विमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए एक ही महिला खड़ी हुई है। आप तो उसके प्रति सहानुभूति रखिए। उपाध्यक्ष महोदय, उनको 3, 3.30 बजे यहाँ से ले जाया गया और जेल की प्रिमिसेज के अन्दर 11.30, 12 बजे रात को एक महिला को पहुँचाया।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण कुसमरिया : विमला जी ने कहा कि हम गांधीवादी हैं। कल गांधी जी का अपमान इसी सदन में हुआ था। मुझे शंका होती है कि आप गांधीवादी हैं। आप कौन-सी गांधीवादी हैं?

(व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर तथ्य रख रही हूँ। मैं नाम बता रही हूँ। एक महिला जो अपनी गोद में सवा साल का बच्चा लेकर आई थी उसको 11.30 बजे रात को जेल प्रिमिसेज में लाया गया।

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। वे इंदिरा गांधी की सहयोगी हैं। आप पूर्ण विश्वास रखिए कि ये इन्दिरा गांधी की सहयोगी हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह प्वाइंट ऑफ आर्डर है जो यह आपने अलाउ किया?

एक माननीय सदस्य : आप प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर मानते हैं तो मानिए नहीं तो उन शब्दों को कार्यवाही से निकालिए।

उपाध्यक्ष : वे प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन कह रहे हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : तो क्या भाषण में प्वाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन अलाउ करेंगे।

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये सत्तापक्ष के लोग प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर और प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन कहकर बोलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एक महिला मारी गई उसको नग्न करके प्रदर्शन किया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, नाम पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

श्री नर्मदाप्रसाद किंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि ये सारे सदस्य जो बार-बार चिल्ला रहे हैं, इसको सुनकर मुझे एक देहाती कहावत याद आती है। एक नदी के किनारे एक ने दूसरे से कहा कि भैया इधर आना उसके आने पर कहा— ऊँट कहाँ चराने जाना है। ये सब के सब दुहाई देते हैं, ये दुहाई देकर गांधीवादी बनते हैं, कल गांधीजी के फोटो के सामने जूते फेंके, आज अपने काले कारनामों को छुपाना चाहते हैं।

कुमारी विमला वर्मा : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह बात दोहराई जा रही है कि गांधीजी के सामने जूते चलाए। जूते चलाने की परम्परा इनकी है, इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने जूते चलाये थे। यहाँ पर इसी गैलरी में वे सदस्य बैठे हुए हैं जिन्होंने यह कार्यवाही देखी है। ये झूठ इल्जाम हैं। मुझे आश्चर्य होता है, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले आज महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। इनको लज्जा आनी चाहिए। मैं उन लोगों के नाम पढ़कर आपको बताती हूँ ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इन महिलाओं को चोट लगी और इनको कोई मेडिकल एड नहीं दी गई ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपको दो मिनट का समय दिया था। आप बैठ जाइए। आप यह क्यों समझती हैं कि सभी फैक्ट्स आपको ही मालूम हैं। आप बैठ जाइए।

कुमारी विमला वर्मा : आप अगर मुझे नहीं बोलने देना चाहते तो मैं बैठ जाती हूँ।

उपाध्यक्ष : ठीक है बैठ जाइए।

श्री हजारीलाल रघुवंशी (सिवनी-मालवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूँ और जनता पार्टी के लोग सुनने तक को तैयार नहीं हैं। क्या अराजकता मचा रखी है इन लोगों ने। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम सब सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने, कल जो बाकया हुआ उसकी सही कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ और मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसकी ग्राह्यता का औचित्य बताना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, "पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान।"

"भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान।।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज ये सत्ता में हैं, डण्डे चलाएँ, गोलियाँ चलाएँ, इनको सब माफ है। लेकिन मेरी बात तो आप सुनिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता का प्रश्न यह था कि मुझे उम्मीद थी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आदरणीय श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा जी पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद इनके मन में सद्‌बुद्धि पैदा होगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि ये भस्मासुर का रूप धारण किए हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस भोपाल शहर के अन्दर जब से इस विधानसभा का सत्र प्रारम्भ हुआ है, आज तक इस विधानसभा में एक-एक गलियारे में आप देखें, पुलिस छावनी कायम कर दी है .....

श्री कैलाश जोशी (विद्युत मंत्री) : मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का अंतिम दिवस है। हमारे सामने महत्वपूर्ण बिजनेस हैं .....

(कुछ विपक्षी सदस्य : यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।) (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप सब लोग बैठ जायें। मैंने साफ कह दिया है कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चित्रकांत जायसवाल : आप शासकीय दल का पक्ष लेते हैं, यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष : माननीय जायसवालजी आपका यह एस्पर्शन ठीक नहीं है। आप बैठ जायें।

श्री कैलाशचंद्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है और वह यह है कि स्थगन प्रस्ताव जो लिया गया है वह स्वीकार किया जाये या नहीं, क्या यही विषय है?

उपाध्यक्ष : जी हाँ।

श्री कैलाशचंद्र जोशी : सारे सदस्य केवल एक ही बात कहते जा रहे हैं कि सखलेचा जी ने 12 महीने में यह किया, चार महीने में यह किया इस तरह से वे सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। वे तथ्य पर नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोग बोलने खड़े होते हैं तो आप हमें बैठा देते हैं और जब उधर के सदस्य खड़े होते हैं तो आप उन्हें नहीं बैठाते हैं।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से लेकर क्या केवल स्थगन प्रस्ताव पर ही चर्चा होती रहेगी, क्या इस तरह का विपक्षी दल ने निर्णय कर लिया है? अभी बहुत-सा शासकीय कार्य भी करना बाकी पड़ा है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं श्री जोशीजी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम केवल सखलेचाजी का ही बखान करेंगे, आपकी कोई बात नहीं कहेंगे, आप उद्वेलित न हों।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आज शासकीय काम नहीं होगा? क्योंकि सुबह 9.30 बजे से हम बैठे हैं और 4 बज गये हैं और अभी वही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। क्या इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि वे शासकीय कार्य को होने नहीं देंगे? (व्यवधान)

श्री नरेश जौहरी (लश्कर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य प्रश्न है?

श्री अच्युतानन्द मिश्र : मेरा भी औचित्य का प्रश्न है?

उपाध्यक्ष : आपका औचित्य प्रश्न क्या है?

श्री नरेश जौहरी : एडमिसिबिलिटी के सवाल की कोई सीमा भी होगी या नहीं? सारे समय इसी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती रहेगी। अभी शासकीय कार्य काफी पड़ा है उस पर भी विचार करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टण्डन जी आप बैठ जाएँ।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : हमको धमकी दी जा रही है।

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह केसरी : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री नारायणसिंह केसरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है और वह यह कि श्री प्रभुनारायण टण्डन जो कह रहे हैं इससे वे सदन की मर्यादा भंग कर रहे हैं।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब विधानसभा सवा बजे 7-9-78 को लंच के लिए एडजर्न हुई तब जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्य यह विचार कर रहे थे कि काँग्रेस (आई) का जो प्रदर्शन आ रहा है उससे हमें निपटना है। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय यहाँ सदन में मुख्यमन्त्री जी के खिलाफ अफीम की तस्करी की चर्चा हो रही थी उससे ध्यान हटाने के लिये यह सब किया गया है। काँग्रेस (आई) का प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आ रहा था उसमें मैं भी था और मेरे साथ श्री सुन्दरलाल जायसवाल भी थे।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, एक क्षण मेरी बात सुन लीजिए। मैं नियम 257 के अन्तर्गत इस चर्चा पर चर्चा बन्द करने के लिए सभा का निश्चय जानने के लिए क्लोजर का प्रस्ताव रखता हूँ। इस पर मैं श्रीमान् की अनुमति चाहता हूँ कि अब इस प्रस्ताव पर मत लिया जाये।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा औचित्य का प्रश्न है। स्थगन प्रस्ताव के ऊपर कोई क्लोजर मोशन मूव नहीं हो सकता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लोजर मूव किया है इस पर मत ले लिया जावे।

उपाध्यक्ष : इस स्थगन प्रस्ताव पर सदस्यों की ओर से शासन का वक्तव्य सुनने के बाद मैं इसको अपनी अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव ग्राह्य होना चाहिए।

(श्री हजारीलाल रघुवंशी सदन के फ्लोर पर बैठ गए)

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने-अपने स्थान पर बैठें। मैं श्री हजारीलाल रघुवंशी जी से भी कहूँगा कि वे अपने स्थान पर जाकर बैठें।.....

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय रघुवंशी जी से भी प्रार्थना करूँगा कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी सबको सुना भी नहीं आप चर्चा के लिये इसे ग्राह्य कीजिए।

(काँग्रेस पक्ष के सदस्य खड़े हो गए)

(व्यवधान)

(श्री हजारीलाल रघुवंशी विरोधी पक्ष की बैंचेज के आगे आकर नीचे बैठ गए)

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह कार्यवाही नहीं चलेगी। मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आप इस तरह से धमकी न दें।

श्री प्रभुनारायण टण्डन : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : मार्शल, टण्डन जी को हाउस के बाहर कीजिए।

(मार्शल द्वारा टण्डन जी को हाउस से निकालने का प्रयत्न)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : यह तानाशाही नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : ××.....××

उपाध्यक्ष : इन शब्दों को ×× .....×× विलोपित किया जाये।

श्री अर्जुनसिंह : हम इस सदन में बोल नहीं सकते .....

श्री अर्जुनसिंह : आप एक प्रस्ताव पारित कीजिए और हम सबको निकाल दीजिए, फिर बड़ी शांति से काम चलेगा।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आपकी आज्ञा के बावजूद भी जो माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चलने देना चाहते और सदन की कार्यवाही चलने देने में बाधा उपस्थित कर रहे हैं उनको नामांकित किया जाये और सदन की सदस्यता से सस्पेण्ड किया जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : मुझे यह विश्वास है कि माननीय सदस्य टण्डन जी सदन छोड़कर चले जायेंगे वर्ना मैंनें आदेश दे दिया मार्शल उन्हें सदन से बाहर निकालेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(4.7 बजे से 4.24 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही)

{ अध्यक्ष महोदय, (श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर) पीठासीन हुए}

{काँग्रेस (इ) का विधानसभा भवन के समक्ष प्रदर्शन (चर्चा पूर्वानुबद्ध) }

अध्यक्ष : अभी जबकि सदन स्थगित हुआ था, उसके पूर्व काँग्रेस (आई) के सदस्य टंडन जी से यह कहा गया था कि वह हाउस से विथड्रा करेंगे। मेरी उनसे मेरे कक्ष में हुई बातचीत के दौरान यह कहा गया कि एक दूसरे के सम्बन्ध में जो रिमार्क्स किये जाते हैं और जो इन्टरप्शन्स होते हैं, वह नहीं होंगे। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वह ढंग से विहेव (व्यवहार) करेंगे और सदन की कार्यवाही चलने देने में अपना पूरा सहयोग देंगे। ऐसी परिस्थिति में यदि माननीय सदस्य टण्डन जी अपनी कुछ बात कहना चाहें तो मैं उन्हें दो-चार मिनट का समय देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अभी टंडन जी के बारे में जो आपने कहा वह अपनी जगह ठीक है किन्तु जिस विषय पर टण्डनजी अपनी बात कहना चाहते थे उस विषय पर निर्णय दिया जा चुका है फिर भी उस पर पुनर्विचार करने की हमने प्रार्थना की है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हों तो ही टण्डन जी का कहना सार्थक होगा। उन्होंने केवल बोलने की अनुमति देने का आग्रह नहीं किया है बल्कि उस प्रस्ताव और निर्णय पर पुनर्विचार कर उसे ग्राह्य किये जाने के बारे में कहना चाहते हैं। उस पर पुनर्विचार करें और फिर टण्डन जी बोलें। मैं उसका स्वागत करूँगा।

अध्यक्ष : जो टण्डनजी ने मुझसे कहा था वही मैंने सदन के सामने कहा है।

श्री प्रभुनारायण टण्डन : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पकड़ा गया था, यह आपको पहले से मालूम है। मेरा आपसे निवेदन है कि 1 बजे जुलूस निकला। इतना लम्बा चौड़ा जुलूस भोपाल के इतिहास में कभी नहीं निकला। जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण था। कहीं किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेन्स नहीं हुआ। (व्यवधान) अगर रूलिंग पार्टी के लोग ही हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहें तो बात दूसरी है। मेरा निवेदन है कि मेरी बात शांति के साथ

सुनी जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि भोपाल टाकीज से विधानसभा तक कोई वारदात नहीं हुई जिसका पता समाचार-पत्रों से लग सकता है। इतने बड़े जुलूस में छोटी-मोटी घटनाएँ हो जाती हैं वह भी नहीं हुई। यहाँ हाउस में जो कुछ हुआ, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। जहाँ तक जुलूस का सम्बन्ध है, वह शांतिपूर्ण था। पहले हमें अरेस्ट करके लारी में बिठाया गया, वह उस लारी में हमें जंगल की तरफ ले जा रहे थे। जब हमने ड्राइवर से पूछा कि हमें कहाँ ले जा रहे हो उसने नहीं बताया। फिर हमें विधानसभा लाया गया। फिर जेल ले गये और फिर मनोरंजन गृह लाये। मेरी सजा 5 बजे पूरी हो गई। मैंने आपसे निवेदन किया, वहाँ बहुत भीड़-भाड़ थी। एक महिला की हालत खराब थी।, मैंने कहा, डाक्टर को बुलवाइये और इसका इलाज करवाइये। वह महिला करीब 2 घण्टे बेहोश रही। बाद में किसी तरह उसे अस्पताल भेजा गया। यह बात मैंने हाउस में भी बताई और आपसे भी निवेदन किया। आपने मेहरबानी करके तुरन्त डाक्टर को भिजवा दिया। फिर डाक्टर वहाँ पहुँचा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने भिजवा दिया था। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो काँग्रेस (आई) की तरफ से जुलूस निकाला गया था वह शांतिपूर्ण था, जिस समय लाठी चार्ज हुआ, हमें यह समझ में नहीं आता कि हम खुद गिरफ्तारी देना चाहते थे फिर भी अश्रुगैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद हम लोग भीतर आये। हमारा आपसे निवेदन है कि जिस ढंग से पीटा गया और जिस तरह का व्यवहार किया गया उसका कोई रिकार्ड नहीं होगा। श्री शर्मा जी, विद्याचरण जी, मुश्रान साहब और दूसरे लोग वहाँ पर बैठे हुए जेल गेट के बाहर थे। वहाँ पर जेल के अन्दर नहीं थे, बाउन्ड्री में थे और वहाँ पर पिटाई की गई। श्री अजीज कुरेशी की पीठ मैंने स्वयं देखी है अध्यक्ष महोदय, वह बुरी तरह घायल हैं और यह स्टेटमेंट दिया जाये कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ इतने सारे बड़े-बड़े लोग असत्य बोलते हैं। जो व्यवहार वहाँ पर किया गया वहा शर्मनाक है। शंकरदयाल जी के कपड़ों को फाड़ दिया। क्या इस तरह से वह स्वयं कपड़े फाड़ सकते हैं? इतने बुजुर्ग आदमी हैं। उनके साथ जो बर्ताव किया गया वह गलत है इसके बारे में सदन में सभी ने आपत्ति की है। आपसे मेरा निवेदन है कि हम चाहते हैं और अभी भी हमारा आंदोलन हो रहा है 144 धारा में अरेस्ट हुए हैं। मेरा निवेदन है कि अगर हमें शासन की ओर से एश्योरेंस नहीं मिलेगा तो हमें मजबूरन आंदोलन चलाना पड़ेगा और वह सारे प्रदेश में आगे बढ़ जायेगा और रोके नहीं रुक सकता।

श्री अर्जुनसिंह : इस प्रस्ताव को ग्राह्य करके चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष : अग्राह्य कर दिया गया। टण्डनजी ने जो बात कही वह बात स्वीकार कर ली है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को ग्राह्य करने की प्रार्थना है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पुनर्विचार करें।

अध्यक्ष : यह सदन के नियमों का उल्लंघन होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के नियम का उल्लंघन की बात है मैं यह नहीं कहना चाहता क्योंकि नियमों के बारे में आप आज भी और कल भी कहते रहे ऐसे नियमों के बारे में जो कुछ हुआ वह आप अपनाएँ लेकिन नियमों को सस्पेण्ड करके उनको ले सकते हैं और जो नियम आड़े आते हैं उनको अलग करते हुए ग्राह्य करें।

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनिए। नियम 56 का रेफरेन्स मैं कई बार दे चुका हूँ। साधारणतः स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के लिये भी दो घन्टे का समय रखा जाता है। स्थगन प्रस्ताव की चर्चा अनुपयुक्त है इस प्रकार इसको अलाऊ नहीं किया जा सकता। जिस हद तक मैंने लेटिट्युड देने का प्रयत्न किया है और मैंने उस लेटिट्युड के अनुसार यह प्रस्ताव 11.30 के लगभग दिया गया। एक-डेढ़ घन्टे तक चर्चा हुई 1 घन्टे अभी हुई। ढाई घन्टे चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद उसकी सूचना अग्राह्य हो चुकी है। एडमिसेबिलिटी के ऊपर चर्चा करने के साथ उस तथ्य के ऊपर भी चर्चा हो गई। फिर यह कहना कि अधिकारों का हनन हुआ है, रिकंसीडर किया जाये यह तो मुझे उचित नहीं जान पड़ता। जहाँ तक सदन की मर्यादा का प्रश्न है, जहाँ तक कि सदन की व्यवस्था का प्रश्न है मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और मैं अपेक्षा करता हूँ कि सब माननीय

सदस्य अपना सहयोग देकर सदन की व्यवस्था ठीक तरह से चलने देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन भलीभाँति चलता रहे अपना बिजनेस करे इसके महत्व को और तथ्य को हम सब भलीभाँति समझते हैं। हम आपके ऋणी हैं कि आपने हम सबको बात कहने का मौका दिया। यह आपका अधिकार है और आपके इस अधिकार को सदैव बरकरार रखेंगे, लेकिन नियमों के पालन की संयम की इन सबकी जिम्मेदारी केवल विरोधी पक्ष की नहीं है। यदि ऐसी मंशा सदन में हो गई है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ इस सदन में कल से जो कुछ हो रहा है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सदन के मुख्यमंत्री ऐसा समझते हैं कि वह जो चाहेंगे वही होगा। बाकी सब लोग यहाँ पर बैठेंगे और वे उनके इशारे पर खड़े होंगे और उनके इशारे पर बोलेंगे। मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग भटकते हुए यहाँ पर नहीं आये हैं जिस प्रकार जनता ने उनको चुना है उसी प्रकार जनता ने हमको चुनकर यहाँ भेजा है। वे यहाँ पर सदन में हमारे दायित्वों का निर्वहन करने में बाधा पैदा करेंगे तो वह नहीं चलेगा। हम अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आपसे माँग कर रहे हैं और हम शांतिमय तरीके से प्रयास करेंगे आज हमें इस बात का आभास होने लगा है कि जिस प्रकार की मुख्यमन्त्री के द्वारा कार्यवाही हो रही है वह कार्यवाही इस सदन की मर्यादा के ही विपरीत नहीं बल्कि संसदीय परम्पराओं को छिन्न-भिन्न करने की कार्यवाही है। इस अवस्था में विवश होकर कहना पड़ रहा है कि आप पुनः विचार करके प्रस्ताव को स्वीकार करें।

अध्यक्ष : जैसा संकेत मिला है कि मुख्यमंत्री अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं और उनके इशारे पर सदन चलने वाला है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक यह आसंदी यहाँ पर है इस प्रकार की बात आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए इस प्रकार की बात आपके दिमाग में आने से बड़ी गड़बड़ होगी। आपके दिमाग में इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : जो हम देख रहे हैं, तो हम अंधे नहीं हैं।

अध्यक्ष : आप अंधे नहीं हैं और मैं गलत बात कह रहा हूँ तो ठीक है। मैं सबेरे से पौने दो बजे तक इस आसन्दी पर रहा हूँ। इस आसंदी पर से तो भी बात हुई है उसके बाद यह आरोप कि मुख्यमन्त्री के इशारे पर बातें चल रही हैं और आपका यह आशय हो तो यह आरोप उपयुक्त नहीं मालूम पड़ता। आपको ठीक मालूम पड़े तो पड़े।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : इस स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा कहा ठीक कहा कि लगभग 11.30 बजे से चर्चा चल रही है। मैं भी वर्षों तक विरोधी दल के अंदर रहा। जितना इस स्थगन प्रस्ताव पर विरोधी दल को मौका मिला है अपनी-अपनी बात कहने का उतना मौका पहले कभी नहीं मिला। यहाँ पर असत्य, बे-बुनियाद, अनर्गल आरोप लगाये गये हैं। उससे अधिक और क्या हो सकता है? असंदिग्ध बातें कहीं (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ (व्यवधान) निरन्तर इस प्रकार की असत्य बातें कही जा रही हैं। यहाँ सदन में बार-बार कहा जा रहा है कि विद्याचरण शुक्ल को मारा, जेल के अंदर लाठी चार्ज किया गया ये सर्वथा असत्य बातें हैं।

श्री अर्जुनसिंह : जेल के अंदर नहीं कहा है, जेल के बाहर कहा है।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सारे शासन पर बिल्कुल असत्य आरोप लगाये हैं। मेडिकल रिपोर्ट में नियम है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि आतंक है, प्रजातंत्र सदन में (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है। सदन की गरिमा को रखते हुए नियमों का पालन कराना आपका कर्त्तव्य है। जबरदस्ती सदन में लोगों को प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी यहाँ भी घुसकर यहाँ तक चले आते हैं, उनको बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इस प्रदेश में दो साल तक कैसा आतंक रहा, प्रजातन्त्र की हत्या करने का प्रयास आप लोगों ने किया, आतंक हम लोग नहीं फैला रहे हैं, हमने तो संसदीय तन्त्र को दुबारा कायम किया है। आप लोगों को इतना अधिक समय देने के बाद भी निरन्तर आब्जेक्शंस किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : आई.जी. के एशोरेंस देने के बाद भी श्री विद्याचरण शुक्ल और मुश्रान जी का मेडिकल नहीं कराया गया।

कुमारी विमला वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फिर कहा गया कि झूठे आरोप लगाये गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर जेल के अंदर वहाँ बैठाकर सूर्यवंशी नामक पुलिस अफसर ने शंकरदयाल शर्मा और मुश्रान साहब को मारो, ऐसा कहा, मुश्रान साहब पर तो लाठी पड़ी है, चार आदमियों को मारने के लिये ऑर्डर दिये गये थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। उन्होंने जो झूठ शब्द का उपयोग किया है, इसको विलोपित करवा कर असत्य शब्द का प्रयोग करवाया है, लेकिन आपका यह कहना कि इनका स्टेटमेंट गलत है आपका सही या इनका सही है आपका गलत है, यह निर्णय यहाँ होने वाला नहीं है।

कुमारी विमला वर्मा : इसीलिए तो हमने ज्युडीशियल इन्क्वायरी की माँग की है।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें कहूँगा। एक तो यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जेल के अंदर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की एक समिति नियुक्त कर दें, जो इस बात की जाँच करे। जब उस समिति की यह रिपोर्ट आ जाए कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है, मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर आये हुए हैं, अपने-अपने घरों से अपने-अपने क्षेत्रों से, यहाँ हम अध्यक्ष महोदय के संरक्षण में हैं, न कि मुख्यमन्त्री जी के। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि जिन-जिन लोगों के नाम हैं, मैं उनको 2-2, 4-4 मिनट का समय अवश्य बोलने के लिए दूँगा। मैं आपको आश्वासन की याद दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आपने तो आश्वासन याद दिला दिया लेकिन एक आश्वासन पर कायम रहे और दूसरा न रहे, मैंने जब कहा था कि 2-2, 4-4 मिनट का समय सबको बोलने के लिए दूँगा, केवल पुनरावृत्ति नहीं, लेकिन जब एक-एक सदस्य आधे-आधे पौन-पौन घन्टे तक बोलता रहेगा तब आप बताइए कि कैसे काम चल सकता है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इंट्रप्शंस भी तो बहुत हुए हैं।

अध्यक्ष : इंट्रप्शंस का समय काटने के बाद भी निर्धारित समय से अधिक हो चुका है।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है उसे सुन लीजिए। विरोधी पक्ष के नेता ने निवेदन किया कि जो स्थगन प्रस्ताव पर आपने निर्णय दिया है ग्राह्यता के बारे में उस पर आप पुनः विचार कर लें। अध्यक्ष जी, इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि कल एक जुलूस निकला। हमारा कहना है कि वह जुलूस शांतिपूर्ण निकला।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, निवेदन है कि लाठी चार्ज हुआ यह एक निर्विवाद बात है।

अध्यक्ष : श्रीवास्तव जी में आपसे कहूँगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं कल के इंसीडेंट पर और कुछ नहीं कहने दूँगा।

काँग्रेस (इ) का विधानसभा भवन के समक्ष

प्रदर्शन (चर्चा— पूर्वानुबद्ध)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने हम लोगों की प्रार्थना स्वीकृत नहीं की इसके लिये मुझे अत्यन्त खेद है कि आप हमारी प्रार्थना करने पर भी इस पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं। आपने कहा कि बाद में विचार करेंगे, तो मेरा कहना है कि बाद में विचार करने का क्या रहेगा।

अध्यक्ष : इसमें पुनर्विचार करने का प्रश्न क्या है? जब उस पर मेरी व्यवस्था हो चुकी है तो क्या उस पर फिर से दुबारा व्यवस्था दी जा सकती है यह कैसे कर सकते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मैंने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जो नियम है उसके अन्तर्गत आपको ज्यादा से ज्यादा जो सुविधा दी जा सकती थी, वह दी गई है। जितना लेट्टियुड दिया जा सकता था वह देकर इस प्रश्न को समाप्त किया है। जहाँ तक संरक्षण देने का प्रश्न है तो मैंने विरोधी पक्ष को पूर्ण संरक्षण दिया है। मैं मानता हूँ कि विरोधी दल को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और वह मैंने दिया है लेकिन पूर्ण संरक्षण देने के पश्चात् भी और निर्णय हो जाने के पश्चात् भी फिर से उसी प्रश्न को उठाना, उसी इंसीडेन्ट को बार-बार उठाना यह ठीक नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहते।

श्री अर्जुनसिंह : यदि सचमुच में हमें संरक्षण मिला होता तो हमें निवेदन करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये बार-बार खड़े होकर आपसे प्रार्थना करनी पड़ रही है कि कृपा करके इसकी ग्राह्यता पर पुनर्विचार करें और इस पर चर्चा के लिए समय दिया जाये।

अध्यक्ष : मैंने आपको आवश्यकता से अधिक समय दिया है इसकी ग्राह्यता के बारे में और फैक्ट्स के सम्बन्ध में कि आर्गूमेंट के लिये क्या तर्क हो सकते हैं उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए काफी समय दे दिया।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि इस प्रदेश में हुई अमानुषिक घटनाओं के संबंध में जो कुछ कहा उसको यह सरकार सुनना नहीं चाहती। पुलिस द्वारा निन्दनीय कार्यवाही की गई उसको उठाने के लिए जो हमने सदन में प्रस्ताव चर्चा के लिये रखा है उसे आप सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आप एक तरफ कहते हैं कि आपको संरक्षण दिया और दूसरी तरफ हमें चर्चा के लिये, ग्राह्यता के बारे में सुनना नहीं चाहते, यह कोई न्याय नहीं हुआ। इस सबसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है, चाहे जो मन में आवे वह किया जाये।

अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं कल से देख रहा हूँ कि किस प्रकार से कार्यवाही हो रही है।

अध्यक्ष : यह आरोप मेरी दृष्टि से बिल्कुल गलत है। मैं फिर कहूँगा कि मैंने आपको काफी समय दिया है। एडमिसिबिलिटी के लिये और तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिये, मैंने आपको अधिक से अधिक समय दिया है। फिर भी यह कहना कि हमें समय नहीं दिया है। यह नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह सुनने के बाद शायद हमें भी आश्चर्य होता है कि सब कुछ करने के बाद भी यह आरोप हमारी इस आसन्दी पर लगाये जा रहे हैं।

(शेम-शेम की आवाज)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : यह क्या शेम -शेम है। क्या यही संरक्षण है आपका, हमें यहाँ जनता ने चुनकर भेजा है यदि आप हमें समय नहीं देंगे तो हमें कहना पड़ेगा? यह हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष : जो आपका अधिकार है वह दूसरों का कर्त्तव्य है और जो दूसरों का अधिकार है वह आपका कर्त्तव्य है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस का काम चलने नहीं देना चाहते हैं ये केवल सदन का समय बर्बाद करने के लिए कह रहे हैं और कुछ नहीं है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जोशीजी हमें नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं?

अध्यक्ष : कोई नियमों का पाठ नहीं पढ़ा रहा है।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर आपकी आसन्दी पर लंच के बाद उपाध्यक्ष महोदय बैठे हुए थे और उस समय मैं बोल रहा था। किस तरह सत्तापक्ष के लोगों ने हल्ला किया और उसी बीच उपाध्यक्ष महोदय ने उस प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं समय का बन्धन लगायें ही नहीं और आप दिन भर बोलते रहें तो कैसे होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में मुझे आपसे निवेदन करना पड़ेगा कि आपने जो हमें संरक्षण देने का वचन दिया है और हमने आपकी बात पर विश्वास किया है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ..... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चूँकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन मैं अपने दल सहित इस चर्चा में भाग लेना नहीं चाहता हूँ।

(काँग्रेस (इ) के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

(म.प्र. विधानसभा कार्यवाई/8 सितंबर 1978, पृष्ठ/1097-1110)

8 सितंबर 1978 को क्रमशः पंचायत मंत्री श्री हरिभाऊ जोशी ने मध्यप्रदेश पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक 1978, शिक्षामंत्री श्री उमराव सिंह ने मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) संशोधन विधेयक 1978 और स्थानीय शासन मंत्री श्री रामानन्द सिंह ने मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक 1978 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया। इन विधेयकों पर हुई चर्चा यहाँ दी जा रही है। इस चर्चा में नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुनसिंह ने भी भाग लिया—

श्री हरिभाऊ जोशी (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1978 (क्रमांक-34, सन् 1978) पर विचार किया जावे।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक 1978 (क्रमांक-34, सन् 1978) पर विचार किया जावे।

श्री शिवभानु सोलंकी (मनावर, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, इस तृतीय म.प्र. पंचायत संशोधन में जनपद पंचायतों के चुनावों का प्रावधान है। जनपद पंचायतों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए हम इसके पक्षपाती हैं। लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जो प्रक्रिया अपनायी गई है उसमें इनके दिमाग की जो सूझ है उसकी तरफ ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ तक संसद के सदस्य का सवाल है उसमें एक प्रस्तावक हो और एक अनुमोदक की आवश्यकता होती है। विधानसभा सदस्य बनने के लिये एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक की आवश्यकता होती है लेकिन आपने जो जनपद पंचायत के वास्ते अगर 30 पंचायतें हैं तो और उनमें यदि 5 पंच के लिये 10 पंच प्रस्ताव करेंगे। आपने इसके लिये राष्ट्रपति के चुनाव को भी मात कर दिया और जो आपने इस प्रकार की कार्यवाही की है वह अध्यक्ष महोदय, इनके दिमाग की सूझ है और इनके दिमाग की तारीफ करना पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, जनपद के अध्यक्ष के लिए अगर 30 से अधिक पंचायतें हों, वहाँ कम से कम आठ सरपंचों ने या कम से कम सोलह सरपंचों का अनुमोदक होना आवश्यक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। कहाँ तक, अध्यक्ष महोदय, हम इनके फरटाइल दिमाग की बात करें। पूरे प्रदेश की जनता इनके इस कार्य को देखेगी। इसके अलावा उपाध्यक्ष के वास्ते अगर 30 पंचायतें हैं तो 5 सरपंच और 8 सरपंच का अनुमोदन चाहिए। यानी सीधे-सीधे पैसे वालों का काम रह गया है। वही जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जा सकेंगे। इन संशोधनों के द्वारा पंचों और सरपंचों के लिये 16-16 आदमी प्रस्तावक होंगे हर गाँव में उनको जाना पड़ेगा और संपर्क करना पड़ेगा। जब तक किसी के पास 15 हजार रुपये चुनाव के लिये नहीं हों वह जनपद अध्यक्ष नहीं बन सकता। अप्रत्यक्ष रूप से पैसे वालों और मालदार आदमियों को आप अध्यक्ष बनाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों यह व्यवस्था थी कि जिन जनपद पंचायतों में आधे से ज्यादा आदिवासी होते थे वहाँ जनपद का अध्यक्ष आदिवासी ही होता था। आपने आदिवासियों की दुहाई दी और जब कहीं से प्रेशर आया तो आर्डीनिन्स के द्वारा अधिनियम में संशोधन कर दिया। पहले यह व्यवस्था थी कि जो आदिवासी ब्लॉक होंगे वहाँ सरपंच आदिवासी ही होगा। उसके स्थान पर आप चाहे जिसको खड़ा होने का अधिकार दे रहे हैं। अब आदिवासी लोग सरपंच नहीं बन सकते। अब उन्हीं की जीत होगी जो पैसे वाले होंगे। शोषित और पीड़ित अब अध्यक्ष नहीं बन सकते। अब अध्यक्ष वही हो सकेगा जो दारू पिलायेगा और मुर्गा खिलायेगा। (व्यवधान) अभी तक हर चुनाव में एक प्रस्तावक और अनुमोदक होते रहे हैं, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हों चाहे संसद सदस्य का चुनाव हो और चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो। आपने 16 समर्थकों का प्रावधान करके गड़बड़ की है। मैं इसका विरोध करता हूँ।

दूसरे आपने विकासखण्डों का नाम बदलने का प्रावधान किया है। यह नाम बदलने का क्या मतलब है? टी.डी. ब्लॉक और जनपद ब्लॉक पहले से बने हुए हैं। जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलने दो। वह गड़बड़ इसलिए की गई है कि अपने लोग फिट हो जायें। इस प्रावधान को आप निकाल दो। मैं इसका भी विरोध करता हूँ। इसमें जानबूझकर यह व्यवस्था की गई है। जहाँ आदिवासियों का बहुमत है वहाँ के लिये आपने रिजर्वेशन क्यों

नहीं किया? रिजर्वेशन रखते तो यह गरीब लोग आगे बढ़ सकते थे और सत्ता में आ सकते थे और अपने आदिवासी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था कर सकते और अन्य व्यवस्था कर सकते अपने क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दे सकते क्योंकि रिजर्वेशन समाप्त किया गया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और जो व्यवस्था की गई है उससे पूँजीवादी व्यवस्था कायम हुई है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री हरिभाऊ जोशी : माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया व कुछ सुझाव दिये तथा उन्होंने जो विचार व्यक्त किये उनके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सदस्य ने भाषण में कहा कि नाम बदलने की क्या बात है, अध्यक्ष महोदय, मूल योजना जो थी उसमें जनपद और विकासखण्ड दोनों इकाइयों में कोई तारतम्य नहीं था, लेकिन प्रथम दृष्टि में ग्राम पंचायतों की अधिक सेवा की जा सकेगी, अधिक व्यवस्था दी जा सकेगी। इसलिये माननीय सभापति महोदय, इस सदन ने निर्णय लिया है कि जनपद और विकासखण्ड का कोटा बढ़ा दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, उदाहरण के लिये कहूँ, पहले आपके द्वारा 390 जनपद पंचायतें गठित की गई थीं और उसमें 419 विकासखंड थे। परन्तु माननीय सभापति महोदय, अब 419 विकासखंड और 419 जनपद भी स्थापित होंगे (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव कराने का सवाल है आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। माननीय सदस्य ने एक आपत्ति यह उठाई है कि जनपद के चुनाव के सदस्य खड़े होंगे उनको 30 से कम पंचायत करना होंगी तो उसमें 5 सरपंच या 10 पंच या सरपंच और पंच मिलाकर 10 पंच-सरपंच और पंच मिलकर 10 पंच और सरपंच प्रस्तावक होना चाहिए। 30 से ऊपर होगी तो 8 सरपंच या 16 पंच या दोनों मिलकर 16 होना चाहिए। यह कहा गया कि इससे पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे।

श्री शिवभानु सोलंकी : यह आप हिन्दुस्तान में नया उदाहरण रख रहे हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : हिन्दुस्तान में बहुत-सी बातें नहीं हुई थीं जो होंगी और आज की जनता की भलाई के लिए नई बातें होना चाहिए। सभापति महोदय, सोलंकी जी ने एक शंका व्यक्त की कि इसके कारण पूँजीपति ही चुनाव लड़ सकेंगे (व्यवधान)। एक प्रस्तावक और एक समर्थक होते हैं तो चुनाव कितने खर्चीले होते हैं। लोकप्रियता के आधार पर जनपद के अध्यक्ष को चुनाव में आना चाहिए और जितना लोकप्रिय होगा उसको उतना ज्यादा समर्थन मिलेगा यह उसका टेस्ट है। एक आदमी ने प्रस्ताव कर दिया और वह चुनाव के लिए खड़ा हो गया, यह था। पर हम लोकप्रियता के आधार पर प्रक्रिया स्थापित कर रहे हैं। पंच और सरपंच जनपद के सदस्य होंगे उस पर श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह ने आपत्ति की है। पुरानी विधानसभा के समय पंचायतों को डी-फेक्टी बना कर रखा था। सरपंचों को अधिकार देंगे, जनपद के अध्यक्ष को अधिकार देंगे ऐसा नहीं था, जिम्मेदारी का सवाल नहीं था। तमाम जनता ने जिसको सरपंच चुना है, जो डायरेक्ट चुन कर आया है उन सरपंचों की लोकप्रियता होती है हम उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। आगे आने वाली जनपद पंचायतें निर्माणी जनपद पंचायतें हों, उनको ग्रामीण क्षेत्र की सामर्थ्यवान पंचायत होना चाहिए। वह सरपंच जो अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी वहन करने वाला है। वह अपनी पंचायतों का निर्माण करेगा। वहाँ पर प्रभावकारी कार्य हों, सरपंच जनपद के पंच हों, पंच और सरपंच मिलकर वोट देंगे। कोई भी व्यक्ति जो ग्राम सभा का मतदाता है उस चुनाव में खड़ा हो सकेगा, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की सेवा करने वालों को आकर्षित करने का प्रयत्न है। अपनी लोकप्रियता की कसौटी पर पंचायत का अध्यक्ष बन जावे और जनता की सेवा करे। इन बातों को लेकर संशोधन लाये हैं और काँग्रेस सदस्यों से अपेक्षा है कि जो उनके हृदय में पाप है उसको वे निकालें, हमारे ऊपर न थोपें, हम पापों को धुलाना चाहते हैं और कुछ नई व्यवस्थायें स्थापित करना चाहते हैं। आपने तानाशाही के आधार पर व्यवस्था करने की कोशिश की है, हम पंचायतों को जिंदा रखने वाली व्यवस्था करना चाहते हैं, आप अपनी सारी शंकाएँ अपने मन से निकाल दें और इस संशोधन को स्वीकार करें।

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश पंचायत (तृतीय) विधेयक 1978 (क्रमांक-34, सन् 1978) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

सभापति : अब इसके खंडों पर विचार होगा।

श्री विद्याभूषण ठाकुर : माननीय सभापतिजी, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन केन्टीन में न चाय है, न भजिए हैं, हम लोग कब तक यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे?

सभापति : व्यवस्था हो गई है।

श्री विद्याभूषण ठाकुर : मैं देखकर आ रहा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति : यह प्रश्न है कि खण्ड 2 से 16 विधेयक के अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 16 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हरिभाऊ जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक 1978 (क्रमांक-34, सन् 1978) पारित किया जाए।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक 1978 (क्रमांक-34, सन् 1978) पारित किया जाए।

श्री शिवभानुसिंह सोलंकी : माननीय सभापति महोदय, आपने बाद में बोलने का आश्वासन दिया था। माननीय मंत्री जी का जवाब सुनने के बाद, उनके दिल में क्या छिपा हुआ है, क्या षड्यन्त्र है, बिल्कुल साफ हो गया है। यहाँ अब किसी जनपद अध्यक्ष के वास्ते 8 सरपंच 16 पंच प्रस्ताव करेंगे, एक आदमी के लिए 16 आदमी प्रस्ताव करेंगे, उनमें से 2-3 आदमियों ने दूसरे का प्रस्ताव किया तो फिर दोनों का नामीनेशन खारिज। माननीय सभापति जी, सारी पंचायतों के सरपंच काँग्रेस के आए हैं। अब इन्होंने देखा कि जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं बन सकते, इसलिए नॉमिनेशन प्रस्तावक 16-16 रहें। अब कहीं-कहीं थोड़ा-सा इधर-उधर हुए कि नॉमिनेशन खारिज, फिर अपने अधिकार से अपने पिट्ठू को, किसी को बैठा दें। जनपद का अध्यक्ष बना दें। यह पूरा पाप जोशीजी का अब सामने आ गया है। सभापति जी, दूसरी बात जो माननीय पंचायत मंत्री जी ने कही है कि हम ब्लॉक के साथ जनपद को मिलाना चाहते हैं। ये जो 125 आदिवासी विकासखंड हैं, उनको आप कैसे करेंगे? 2-2 का एक बनाओगे या 1 बनाओगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कह दिया कि नाम अलग दिए गए हैं। ये सारे आदिवासी ब्लॉक्स नॉन आदिवासियों के लिये रखे हैं तो फिर गड़बड़ करके सेठ साहूकारों को जनपद का अध्यक्ष बनाने की पक्की मंशा शासन की है। माननीय सभापति जी, एक दूसरी बात जोशीजी देख रहे हैं, जोशी जी पंचायत के बारे में कुछ समझते तो हैं नहीं। अच्छा होता यदि श्री रामानन्द सिंह जी को पंचायत मन्त्री बनाया जाता, क्योंकि वे पंचायत इंस्पेक्टर के पद पर बहुत दिनों तक रहे हैं, वे कम से कम पंचायत की बातों को समझते तो हैं, वे कुछ अच्छा काम कर सकते थे, आपकी बुद्धि के तो बाहर की बात है।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : माननीय सभापति जी, माननीय पंचायत मन्त्री महोदय के इस अथक प्रयास के बावजूद जो विधेयक यहाँ प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको कोई संज्ञा नहीं देना चाहता, इसलिए नहीं कि मंत्री महोदय के लिए कोई संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जा सकता लेकिन इसलिये नहीं देना चाहता, सभापति महोदय, कि पंचायत मन्त्री महोदय पंचायतों को बिल्कुल गैर-पंचायती तरीके से चलाने के लिये कटिबद्ध हैं। सभापति महोदय, यही नहीं यदि आप अनुमति दें तो उसके एक दर्जन नहीं 25, नहीं, कम से कम सैकड़ों प्रमाण इस विधानसभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिसमें इस प्रजातन्त्र के हामी भरने वाले उस दल की ओर से प्रयास किये गये हैं। इससे स्पष्ट हो जायेगा कि पंचायतों को प्रजातंत्र की नींव मानकर इस शासन ने उनको चलाने के लिए, गठित करने का प्रयास किया है। उसकी जड़ों में मट्ठा डालकर अपने दल के हित में पोषण किया है। इतना ही नहीं, यह और भी आश्चर्यजनक है कि पूरे प्रदेश में पंचायत के बारे में लंबे-चौड़े भाषण देते रहे और पंचायत मंत्री स्वयं अपने

निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश पंचायतों में हार गये। इतना ही नहीं सभापति महोदय, वहाँ पर जो सर्वसम्मति से पंचायतें बनाई और यह कहा गया कि यहाँ दलबन्दी नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे। पंचायत मंत्री के निर्वाचन में वे अब उन पंचायतों को भंग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं मैं आपसे आग्रह करता हूँ और मैंने इस बात को कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है और आज विधानसभा में भी कहना चाहता हूँ कि यदि प्रजातन्त्र के इतने बड़े हिमायती हैं तो जनपद पंचायतों का चुनाव उसी स्पष्ट मतदान तरीके से, सीधे मतदान तरीके से करवाएँ तो आपको पता चलेगा।

श्री प्रभुनारायण टण्डन : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सरपंच चुनाव में हार गए हैं क्या वे चुनाव लड़ सकेंगे?

श्री सुन्दरलाल जायसवाल (जामई) : सभापति महोदय, मैं पंचायत मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप नॉमीनेशन करेंगे हारे हुए लोगों को, जिनकी जमानत जब्त हो गई है और जो बदमाश लोग हैं उनका नॉमीनेशन तो नहीं करेंगे? 16 हजार में से 8 हजार लोग हार गए हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इनकी अनिवार्यता है, मजबूरी है क्योंकि जनता पार्टी के लोग काफी तादाद में हारे हुए हैं यदि नामीनेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?

श्री हरिभाऊ जोशी : सभापति जी, विरोधी दल के नेता श्री अर्जुनसिंह जी, मालूम देता है कि वे तरोताजा होकर आये हैं। मैं सोच रहा था कि वे इस विधानसभा से सम्बन्धित कोई बात कहेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : मैं तो सुबह तक तरोताजा रहता हूँ।

श्री हरिभाऊ जोशी : वे विधानसभा से सम्बन्धित कोई बात कहेंगे लेकिन उन्होंने तो अपना राजनैतिक दृष्टिकोण केवल व्यक्त किया है। यदि उस दृष्टिकोण की चर्चा करनी हो तो, सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि अखबारों में छपा था कि जनता पार्टी ने एक फैसला किया था कि पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े जायेंगे। सभापति महोदय, आपको यह भी स्मरण होगा कि जिस समय पंचायतों के चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ा चुनाव के बाद अगर किसी का बयान आया तो वह विरोधी दल के नेता का आया कि पंचायत के चुनाव में 95 प्रतिशत काँग्रेस (इ) के लोग चुनकर आये हैं। माननीय सभापति महोदय, इच्छा न होते हुए भी —।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा यह बयान नहीं है।

श्री हरिभाऊ जोशी : मुझे आपकी बात स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है लेकिन यदि हम अपने हिसाब से, हम भी राजनीति में हैं, हम भी हिसाब लगायें तो यह बात सामने आती है कि अर्जुनसिंह जी आज तक हवा में ही बोलते रहे हैं और भगवान करे वे हवा में ही बोलते रहें। इन्होंने हवा में तैरने का दूसरा उदाहरण यह दिया कि मेरे चुनाव क्षेत्र के सारे के सारे काँग्रेस (आई) के पंच और सरपंच चुनकर आये हैं।

श्री अर्जुनसिंह : सारे के सारे नहीं कहा।

श्री हरिभाऊ जोशी : सभापति महोदय, मैं भाई अर्जुनसिंह जी को अपने क्षेत्र में आमन्त्रित करता हूँ कि वे मेरे क्षेत्र में आवें और एकाध जनपद की पंचायत में परीक्षक की जगह बैठें और फिर अपनी राय कायम करें कि मेरे क्षेत्र में काँग्रेस (इ) के सदस्य पंचायतों में ज्यादा हैं या क्या हैं। सभापति महोदय, एक काँग्रेस (आई) के सरपंच मेरे क्षेत्र से निर्विरोध चुनकर आये हैं तो उसके लिए मेरे सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया गया कि मैं उनको अपदस्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा या मेरे किसी भी सहयोगी द्वारा उस सरपंच को अपदस्थ करने की कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा रही है। जब तक किसी भी पंच या सरपंच के खिलाफ कोई चार्ज सिद्ध न हो जावे तब तक हम किसी भी सरपंच को अपदस्थ करने का इरादा नहीं रखते हैं। यह तो आप लोग ही हैं, यह तो आप लोगों का ही खेल रहा है कि हम विधानसभा के सदस्य रहते हुए भी जेल के फाटक के अन्दर हमें रक्खा गया है और उस पर हमें कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी और इतना ही नहीं, सभापति महोदय, हमारे नेता कैलाश जोशी जब विधानसभा में आ रहे थे तो उनको विधानसभा के फाटक पर ही गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया था। 19 महिने तक हम लोग जेल में रहे हैं। हमारा क्या अपराध था जो जेल में रखा गया।

श्री अर्जुनसिंह : कुछ भी अपराध रहा हो, लेकिन आपके मुख्यमन्त्री जी तो पैरोल पर रहे हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : सभापति महोदय, हमारा अपराध केवल यह था कि हम इन्दिरा जी की तानाशाही नहीं चलने देना चाहते थे। इस कारण ही हमको 19 महिने तक जेल के अन्दर बन्द रहना पड़ा था। यह आपकी राजनीति रही है लेकिन हम प्रजातंत्र के दायरे में रहते हुए काम करना चाहते हैं इसीलिए, माननीय सभापति महोदय, हमने पंचायतों के चुनाव करवाये हैं और जनपद के चुनाव भी तुरन्त करवायेंगे।

श्री नगीन कोचर : सभापति महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा कि कॉंग्रेस (आई) के 95 प्रतिशत पंच और सरपंच चुनकर आये हैं तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जब आपके 95 प्रतिशत पंच और सरपंच आये हैं तो फिर आप यह क्यों बार-बार कहते हैं कि जनपदों के चुनाव डायरेक्ट करवाइए। जब आपके 95 प्रतिशत सरपंच और पंच चुनकर आये हैं तो उन सरपंच और पंचों के माध्यम से ही जनपदों के चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए। इससे स्पष्ट पता लगता है कि आपकी घोषणा गलत है।

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश पंचायत तृतीय संशोधन विधेयक, 1978 (क्रमांक-34, सन् 1978) पारित किया जावे।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)।

(विधेयक पारित हुआ)।

श्री प्रभुनारायण टण्डन : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सीधा साधा प्रश्न पूछा है उसका जवाब देने में मन्त्री महोदय को क्या दिक्कत है। आपने विश्वास दिलाया था कि मन्त्री जी उत्तर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है कि जो सरपंच हार गया वह चुनाव लड़ सकेगा।

XXX X XX X X X X X X X

श्री उमराव सिंह (शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1978 (क्रमांक-25, सन् 1978) पर विचार किया जाये।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1978 (क्रमांक-25, सन् 1978) पर विचार किया जावे।

सभापति : श्री मोतीलाल वोरा अपना भाषण प्रारम्भ करें।

(कुछ आवाजें : हम मंत्री जी को सुनना चाहते हैं।)

सभापति : श्री मोतीलाल वोरा जी अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री शिवभानु सोलंकी (मनावर, संरक्षित स्थान) : सभापति महोदय, मंत्री जी अगर बोल दें तो माननीय सदस्यों को विदित हो सकेगा कि किन कारणों से यह बिल वे लाये हैं। आठ बज रहे हैं विधानसभा के कर्मचारी भी परेशान हैं। अगर वे प्रकाश डाल देंगे तो कार्यवाही जल्दी समाप्त हो जायेगी।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : सभापति महोदय, यह संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, मैं इतना विश्वास करता हूँ कि श्री उमराव सिंह, शिक्षामन्त्री जी इस पर निश्चित रूप से प्रकाश डालेंगे। सभापति महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि जब कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो सम्बन्धित मंत्री का उसके उद्देश्यों और कारणों पर भाषण अवश्य होता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि संशोधन विधेयक प्रस्तुत हो और मन्त्री जी का भाषण न हो। इसको लाने के लिए उनका क्या मंतव्य है इस पर उन्हें प्रकाश अवश्य डालना चाहिए। अगर वे नहीं डाल सकते तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य खड़े होकर इस पर प्रकाश डाल सकता है।

श्री प्रभुनारायण टण्डन : अगर नहीं बोल सकते तो इस्तीफा दें।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य एवं कारणों के विवरण में बताया गया है कि "केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या किसी ऐसे अभिकरण द्वारा जिसका प्रबन्ध या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार करती हो या जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने अनुमोदित किया हो, प्रायोजित किये गये किसी शैक्षणिक प्रयोग सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कठिनाई महसूस की जा रही है क्योंकि उस कार्यक्रम के अधीन यह अपेक्षित होता है कि शालाओं में पाठ्य पुस्तक से भिन्न पुस्तके उपयोग में लाई जायें। अतएव यह

प्रस्तावित है कि ऐसे मामलों में छूट देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु एक समर्थकारी उपबन्ध किया जाये।" तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि राज्य शासन को ऐसी कौन-सी कठिनाई प्रस्तुत हो गई थी कि इस बिल में इसका पूरे तौर से उल्लेख नहीं हुआ है।

मैं समझता हूँ कि कुछ विशेष प्रकार की पुस्तकें जो पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई थीं वह राज्य शासन इस विधेयक के माध्यम से थोपना चाहता है। यह विशेष प्रकार की पुस्तकें कैसी हो सकती हैं इसका अन्दाजा कुछ कुछ लग रहा है। अगर उमराव सिंह जी साफ-साफ कह देते कि हमें इस प्रदेश में बालकों के लिए मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल में केवल आर.एस.एस. से सम्बन्धित पाठ्यक्रम रखना है तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि आज की सरकार आर.एस.एस. और जनसंघ द्वारा संचालित है, समाजवादी तो गिनती के हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी स्थिति मंत्रिमण्डल में नगण्य है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या आजकल अर्जुनसिंह जी ने आर.एस.एस. का चार्ज आपको दे दिया है?

श्री मोतीलाल वोरा : सदन के नेता सखलेचा जी जिस बात को कहेंगे आप उसका समर्थन नहीं करेंगे, अर्जुनसिंह जी जो बात करेंगे, मैं उसका समर्थन करूँगा। आप में और मुझ में इतना फर्क है। सभापति जी, जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका मैं कुछ सिद्धांतों के कारण विरोध कर रहा हूँ। सरकार की मंशा पर पूरी शंका है। अभी प्राथमिक शालाओं की पुस्तक में इन्दिराजी से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के पन्ने निकाल दिये जाने का सरकार ने आदेश दिया था। ग्यारह साल तक जिसने देश में शासन किया है, प्रजातांत्रिक परम्पराएँ कायम की हैं .....

(व्यवधान)

हम लोग कोई नागपुर से संचालित नहीं होते हैं। हमें उम्मीद थी कि आप दिल्ली और भोपाल से संचालित होंगे लेकिन नागपुर से जैसा आदेश मिलता है, वैसा करते हैं। इसलिए इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूँ। इसमें ऐसी पुस्तकें न डाली जायें जिससे राष्ट्र की भावी संतान का दिमाग संकुचित हो जाये जैसा आप करते आये हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : बच्चों का दिमाग चाहे परिवर्तन हो या न हो, लेकिन आपका दिमाग जरूर परिवर्तित हो गया है।

एक माननीय सदस्य : इन्दिराजी के शासन काल में 'ग' माने गधा पढ़ाया जाता था अब 'ग' माने गणेश पढ़ाया जायेगा।

श्री मोतीलाल वोरा : हम तो 'ग' का मतलब उमराव सिंह से लेते हैं। यदि हमारे समय में 'ग' का मतलब गधा था तो आपके शिक्षामंत्री जी को उसी श्रेणी में रखना चाहते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति : मैं समझता हूँ कि आप पर्सनल मामलों में न आयें तो अच्छा होगा।

श्री मोतीलाल वोरा : मैं हल्की-फुल्की बातों में पड़ता नहीं हूँ। मैंने तो ठोस बातें आपके सामने रखी हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पुस्तक का समावेश इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से प्रदेश के लिये दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जानबूझकर इसको छिपाया है। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूँ।

श्री जीवनलाल (पथरिया, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षामंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूँ। परन्तु शिक्षामंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में जो हरिजन-आदिवासी टीचर रहते हैं उनके लिये देहातों में बड़ी कठिनाई जाती है। इसलिये सरकारी क्वार्टर जहाँ पर हों वहीं पर हरिजन-आदिवासी शिक्षक रखे जायें और जहाँ पर क्वार्टर न हों वहाँ पर न रखे जायें। अतः शहर में ही रखे जावें क्योंकि ग्रामों में इनको रहने को मकान नहीं मिलते हैं। यही मेरी प्रार्थना है।

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक स्कूल (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1978 (क्रमांक-25, सन् 1978) पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)।

सभापति : अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री उमराव सिंह : मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 1978 में पाठ्य पुस्तकों के बारे में विद्यालयों के लिये जो वर्तमान विधेयक में संशोधन लाया गया है उसका मूल कारण यह है कि इस नियम के अन्तर्गत हम मध्यप्रदेश में सामूहिक रूप से कोई परिवर्तन करना चाहें, पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में तो उसका पूर्ण परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसमें कई प्रकार के दोष पहले से हैं। इसलिए स्थानीय पर्यावरण को देखते हुए कोई एक साथ परिवर्तन करना बहुत कठिन हो जाता है। इस संशोधन के अनुरूप कोई नहीं हो पाता और शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये धारा 4 (3) के अन्तर्गत इसमें कुछ संशोधन करके धारा 7 के अनुसार मध्यप्रदेश में कुछ चुने हुए स्कूलों में कुछ जिलों में स्थानीय पर्यावरण को देखते हुए संशोधन किया जा सकता है .....

श्री मोतीलाल वोरा : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ..... यह पर्यावरण .....

श्री उमराव सिंह : इस विधेयक के अनुसार कोई भी वैज्ञानिक नियंत्रण न होने के कारण कठिनाई होती है। माननीय वोरा जी ने सुझाव दिया लेकिन शायद उन्होंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं इसलिए उनके दिमाग में बात नहीं बैठी .....(हँसी) ..... सभापति महोदय, वोरा जी के दिमाग में तो हमेशा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भूत घुसा रहता है ..... (व्यवधान)

आपातकाल में कक्षा 5 से लेकर 8वीं कक्षा तक की पुस्तकों में इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रशंसा थी और इंदिरा गांधी की वानर सेना के पाठ थे। हमने उन पाठों को बदल दिया। उनको समाप्त कर दिया है आपातकाल के पूर्व भी जिन पुस्तकों में व्यक्ति विशेष को महत्व दिया गया था उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी उनको भी समाप्त कर दिया है। .....

श्री चित्रकान्त जायसवाल : सभापति महोदय, स्कूलों में टाट पट्टी नहीं है उनकी व्यवस्था तो कर दीजिए।

श्री उमराव सिंह : जब हम चाहें पुस्तकों का वैज्ञानिक परीक्षण करके उनको लागू कर सकते हैं। धारा 3, 4 के अन्तर्गत उनको प्रभावहीन कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। उनको बदल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि सदस्यगण इससे संतुष्ट होंगे और इस विधेयक को पारित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1978 (क्रमांक-25, सन् 1978) पारित किया जाये।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1978 (क्रमांक-25, सन् 1978) पारित किया जाये।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : सभापति महोदय, शिक्षामंत्री महोदय ने जिस वैज्ञानिक पर्यावरण के अन्तर्गत संशोधन स्वरूप में संशोधन विधेयक शिक्षामंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और उन्होंने जो संशोधित प्रकाश डाला है उसको तो मैं समझने में असमर्थ रहा हूँ। इस वैज्ञानिक युग के विज्ञान की दृष्टि से यह जो संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किया है वे मंत्रिमंडल के एक प्रभावी मंत्री हैं मुख्यमंत्री जी के काफी घनिष्ठ हैं। .....

श्री कन्हैयालाल डूंगरवाल (नीमच) : सभापति महोदय, आपका भी स्वरूप काफी संशोधित हो गया है। आप आदिवासियों को ऊँचा उठाने की इतनी बातें करते हैं, और हमारे शिक्षामंत्री जी आदिवासी समाज के हैं तो आप यहाँ पर उनको इस तरह से कह रहे हैं। क्या यह उचित है।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मैं तो आपके दल का हूँ नहीं लेकिन आपके दल में बहुत अच्छे लोग हैं मैं उनको जानता हूँ, जो शिक्षामंत्री का पद अच्छी तरह सम्भाल सकते हैं। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वह विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ इस विषय पर माननीय डूंगरवाल जी ने प्रकाश डाला है .....।

श्री विष्णुदत्त तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जो 30 साल में आपने किया है, उसके आधार पर जनता ने जिसको योग्य समझा है, उसके अनुसार जनता के अपना फैसला किया है। माननीय विरोधी पक्ष के नेता कोई मौलिक बात कहते तो अच्छा था .....।

श्री उमराव सिंह : हमने, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पाठ रखा था उसको हटा दिया है और वैज्ञानिक ढंग से रखा है .....।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं इस वैज्ञानिक विधान की ओर माननीय शिक्षामंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ .....।

सभापति : आप बिल पर आ जाइए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब बिल के बाहर शिक्षा मंत्री जी का भाषण हुआ है तो हमें भी बाहर बोलना पड़ रहा है, अगर उनका भाषण बिल के बाहर नहीं होता हो हम भी नहीं जाते। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पटवा जी के संशोधन का स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो वैज्ञानिक आधार पर आधारित विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी सही समीक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे सही व्यक्ति को इसके लिए प्रस्तुत करें जो हमें समझा सके .....।

श्री शीतला सहाय : आप माननीय शिक्षामंत्री जी के कक्ष में चले जायें वे आपको समझा देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : आप तो कक्ष की बात कहते हैं मैं तो उनके घर गया था लेकिन मंत्री जी वहाँ से चल दिये .....।

श्री उमराव सिंह : माननीय विरोधी दल नेता ने जो आरोप लगाया है वह ठीक नहीं है, मैंने पता लगाया था, और मैं रात को ढाई-तीन बजे आया था .....।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ। एक बात माननीय शिक्षामंत्री जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में कही कि उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर बटन लगवा दिया .....।

श्री विद्याभूषण ठाकुर (डोंगरगांव) : अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को न पढ़ाने का अच्छा निर्णय लिया, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि अर्जुनसिंह जी की और उमराव सिंह जी की ऐसी साँठ-गाँठ है, आज भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम सामाजिक अध्ययन कक्षा 7 और 8 में मौजूद है आज भी प्रधानमंत्री मुरार जी देसाई नहीं हैं आज भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लिखी गई हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुनसिंह जी ने उमराव सिंह जी से साँठ-गाँठ कर ली है।

श्री अर्जुनसिंह : विद्याभूषण जी ने जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा कि उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर संशोधन कर लिया है और वैज्ञानिक आधार पर विशेष रूप से किया है .....।

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, वे स्वीकार कर लें आज भी पुस्तकों में यह पढ़ाया जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : अगर शिक्षामंत्री जी पुस्तक को पढ़ लेते तो फिर यह संशोधन क्यों लाते?

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं वह पुस्तकें पटल पर रखना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष जी, मैंने इसकी सूचना शिक्षामंत्री उमराव सिंह जी को टेलीफोन पर दी थी। पर हमारे शिक्षामंत्री जी बहुत ज्यादा योग्य हैं इसलिये जो गलती किताबों में रह गई है अब उसमें वह सुधार कर लें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी इस विधेयक पर समय बचा है मुझे बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य बात है कि जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका स्तर वही होगा जो उसके प्रणेता देंगे। शिक्षामन्त्री जी अपने प्रवचन में नीचे चले जायें तो गलती है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस स्तर से नीचे नहीं जाऊँगा।

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे शिक्षामंत्री जी ने रखा है, मैं उसकी तहेदिल से ताईद करता हूँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि शिक्षामंत्री जी प्रस्ताव की भावना को लेकर संशोधन नहीं कर सकेंगे तो गड्ढे में जल्दी गिर जावेंगे ..... (हँसी)

(व्यवधान)

(पुलिस मंत्री श्री त्रिपाठी के खड़े होने पर) सभापति जी, यह शिक्षा मंत्री जी का संशोधन विधेयक है इसमें

पुलिस मंत्री जी का क्या काम यह शिक्षामंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसको हमारे पुलिस मंत्री जी ने नहीं रखा। यदि शिक्षामंत्री जी न कह सकें तो हमारे विद्वान मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करें। यहाँ पुलिस मंत्री जी का क्या कार्य। वह तो लाठी चलायें (हँसी)

सभापति : इसमें पोर्ट फोलियो वाली बात नहीं है। मंत्रिमंडल की संयुक्त जवाबदारी होती है।

श्री विद्याभूषण ठाकुर : सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संशोधन विधेयक शिक्षामंत्री जी के नाम से छपा है उन्हीं के नाम से आपने इसे प्रस्तुत किया है। विधेयक में पुलिस मंत्री कहीं भी नहीं लिखा है.....

सभापति : मैंने अभी निवेदन किया है। ऐसी बात नहीं है।मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य बोल सकता है।

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अगर हमारे शिक्षामंत्री जी अकर्मण्य हैं।

(व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर पुलिस मंत्री जी को ही बोलना है तो उनको शिक्षा विभाग दे दिया जाना चाहिये .....

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी (गृह (पुलिस) मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से एक बात पूछना चाहूँगा कि उन्होंने संशोधन शब्द बार-बार प्रयोग किया है और शिक्षामंत्री जी को संशोधन करने की सलाह दी है। क्या विरोधी दल के नेता अपने व्यवहार में, अपने दल के व्यवहार में लगातार ज़ो व्यवहार अभी रहा है, उसमें संशोधन करेंगे ..... (हंसी)

श्री अर्जुनसिंह : सभापति जी, मैंने अपने कथन में स्पष्ट रूप से पुलिस मंत्री कहा है यदि मेरे कथन को गलत नोट कर लिया गया हो तो उसमें संशोधन कर लिया जाये, मैंने पुलिस मन्त्री ही कहा है पुलिस मंत्री नहीं कहा है। (हँसी)

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, जहाँ तक पुलिस मन्त्री महोदय का .....।

(व्यवधान)

श्री बसन्तीलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विरोधी दल के नेता अभिनेता का काम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : एक मुद्दे की बात माननीय शिक्षामंत्री उमराव सिंह जी ने कह दी कि इन्दिरा जी के समय में उनकी वानर सेना का विवरण था। उन्होंने उसे व्यक्तिगत बात समझकर पाठ्य पुस्तकों में से उस पाठ को लोप करने का महान कार्य किया है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वतन्त्रता संग्राम के समय इन्दिरा जी ने वानर सेना बनाई उसका आभास शिक्षामंत्री जी को कैसे हो सकता है क्योंकि इनके दल के बहुत से लोग .....।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : वानर सेना में जामवन्त और हनुमान भी हो सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इसे आपकी कल्पना मानूँगा। यह आपकी समझ की बात है, उसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ माननीय शिक्षामन्त्री जी ने सदन को बताया है, यह सदन उसे समझने में सक्षम होगा और इसे किस रूप में संशोधित करना है इसे सदन ही समझेगा।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1978 (क्रमांक-25, सन् 1978) पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ)

श्री रामानन्दसिंह (स्थानीय शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि म.प्र. नगर पालिक निगम (संशोधन विधेयक, 1978 क्रमांक-26, सन् 1978) पर विचार किया जावे।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (संशोधन विधेयक, 1978 (क्रमांक-26, सन् 1978) पर विचार किया जावे।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा संशोधन

विधेयक के लिये कार्य-मंत्रणा समिति ने 2 घन्टे का समय निर्धारित किया है और उसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया है। इसलिए उसमें कमी करने का अधिकार किसी को नहीं है।

सभापति : इसमें कमी करने का प्रश्न नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके इस विधेयक के लिये 2 घंटे का समय निर्धारित किया है। उसमें कमी करने का अधिकार नहीं है।

सभापति : इसमें मैं आपके सहयोग की कद्र करता हूँ। आपने जो कहा उसके कारण समय में कटौती नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : मेरा निवेदन है कि आप मेरा ध्यान मत रखिए लेकिन सदन का जो निर्णय है उसका ध्यान रखिए।

सभापति : यह गलत बात है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री अर्जुनसिंह : अभी मेरे औचित्य के प्रश्न का निर्णय तो हुआ नहीं।

सभापति महोदय, इस विधेयक के लिए 2 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। क्या वह दो घंटे पूरे हो गये? कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : इसमें बोलने का प्रश्न नहीं है .....।

श्री अर्जुनसिंह : क्यों नहीं बोलेंगे?

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : यह बहुत गलत बात है। मैं यह प्रार्थना करूँगा कि जो समय निर्धारित है उसका उपयोग करने का अधिकार आप सदस्यों को दीजिए।

सभापति : मैं दे सकता हूँ लेकिन यह बात नहीं है। बोलने वालों के नाम मेरे पास आये थे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय प्रतिपक्ष के नेता सदन के नियमों के बारे में... .

(व्यवधान)

श्री विद्याभूषण ठाकुर : समय की कटौती कर रहे हैं एक साथ सब प्रस्ताव आपकी टेबिल पर रखकर जय हिन्द कर दिया जावे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : समय का प्रश्न प्रतिपक्ष के नेता ने उठाया है, कार्य-मंत्रणा समिति और सदन ने जो समय निर्धारित किया, इस पर सदन में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और कोई सदस्य चर्चा न करना चाहें .....

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : सहयोग इस प्रकार का लिया जावे, आप क्या जबर्दस्ती करना चाहते हैं, समय बाकी है सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री नरेश जौहरी : जो सूची आई है ....

श्री अर्जुनसिंह : सूची का प्रश्न नहीं है, समय बाकी है तो बोलने नहीं देंगे?

(व्यवधान)

श्री रामानन्दसिंह : इसमें 500/- दण्ड का प्रावधान है पिछले महीने इन्दौर नगर पालिक निगम को संशोधन कर पेश किया गया .....(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : सुनाई नहीं पड़ा क्या कहा मंत्री जी ने।

श्री विद्याभूषण ठाकुर : दो घन्टे का समय था आपने क्या वह खत्म कर दिया ऐसे कैसे पास हो गया?

श्री मोतीलाल वोरा : मन्त्री जी संशोधन विधेयक तो प्रस्तुत करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप सो रहे हैं।

श्री मोतीलाल वोरा मैं तो जाग रहा हूँ सभापति महोदय .....

श्री राजेन्द्र धारकर : क्या कोई बोलने वाला नहीं है?

इस विधेयक में धारा 428 संशोधन प्रस्तावित है।

श्री मोतीलाल वोरा : सभापति महोदय, एक सौ रुपये की जुर्माने की राशि थी उसको बढ़ाकर पाँच सौ रुपये कर दिया जाये क्योंकि पहले सौ रुपये की राशि और 10 रुपये प्रतिदिन का प्रावधान रखा था वह राशि बहुत कम थी और उस विधि का ठीक उपयोग न होने की और विपरीत कार्य करने की शंका है। माननीय मंत्री जी को मालूम है क्यों इन्दौर नगर निगम का उदाहरण दिया। इन्दौर नगर निगम का क्यों यह प्रस्ताव किया कौन-सी विधि जो म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, 1956 की धारा 428 में थी इसमें क्यों संशोधन करना माननीय मंत्री जी ने प्रस्तावित किया। माननीय सभापति जी, यह बात तो बहुत स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1956 की धारा का सही ढंग से पालन नगर निगम के द्वारा किया जाना चाहिये। अगर उस धारा का सही ढंग से पालन किया जाये तो जुर्माने की राशि 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और 100 रुपये के जुर्माने की जो राशि है वह पर्याप्त है। माननीय सभापति जी, मैंने इसके उद्देश्यों और कारणों को बराबर देखा और उनको देखने के बाद मैं यह जो जुर्माने की राशि 500/- कर दी गई है यह बहुत अधिक होती है। ज्यादा जुर्माना वहाँ पर लगाने से न्याय करना नहीं होगा। 10 रुपये बहुत बढ़ायें तो 15 रुपये कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अगले सत्र में संशोधन लाकर जुर्माने की राशि की ओर ध्यान दें। माननीय सभापति जी, श्री पटवा जी ने बराबर नहीं पढ़ा। 428 में ऐसा लिखा है माननीय पटवा जी, "ऐसे जुर्माने से जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग चालू रहे दस रुपये तक का हो सकेगा।" इसमें आपने संशोधन किया है। यह धारा 428 का माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें और जुर्माने की राशि प्रस्तावित की है वह बहुत अधिक है वह कम करें तथा इससे विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है और पटवा जी भी यह देखें कि इतनी अधिक न हो इन सब बातों से मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री रामानन्दसिंह (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका में 5 सौ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है किन्तु नगर निगम में एक सौ रुपया यह विसंगति रही है इसलिये उपविधियों के उल्लंघन पर 5 सौ रुपया जुर्माना रखा गया है। दूसरी बात यह है कि निरन्तर उल्लंघन पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पनिशमेंट है क्योंकि कार्पोरेशन में जो उपविधियों का उल्लंघन करता है उसके लिए 100 रु. का जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ काफी सोच समझ कर प्रस्तुत करता हूँ और उस पर बाद में सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती है इसलिये उसे तुरन्त पास किया जावे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/8 सितंबर 1978, पृष्ठ/1032-1043)

तत्कालीन सिंचाई मंत्री तथा वर्तमान मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा के विरुद्ध नेता प्रतिपक्ष अर्जुनसिंह ने निन्दा प्रस्ताव 8 सितम्बर 1978 को रखा जिस पर बहस 9 सितंबर तक चली। श्री अर्जुनसिंह ने आरोप लगाया कि श्री सखलेचा ने अपनी मंत्रिपरिषद के पीठ पीछे और सदन से छिपाकर नर्मदा जल के बँटवारे के संबंध में मध्यप्रदेश के हितों की उपेक्षा की है। उनके द्वारा अपने पद के दायित्वों का उचित निर्वहन न करने पर यह सदन उनकी तीव्र निन्दा करता है। श्री अर्जुनसिंह का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उनके सुदीर्घ भाषण के पश्चात् श्री सखलेचा ने अपना वक्तव्य दिया उसके बाद फिर श्री अर्जुनसिंह बोले। इस तीखी बहस के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त भारी मन से यह निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

"यह सदन श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा, जो 1977 में तात्कालिक सिंचाई मंत्री थे, की इस कार्यवाही पर अत्यन्त आश्चर्य व्यक्त करता है कि, नर्मदा न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत यह पक्ष कि गुजरात को नर्मदा के पानी का केवल 4.2 एम.ए.एफ. मात्रा ही उपलब्ध होना चाहिए, उसके स्थान पर दिसम्बर, 1977 में मध्यप्रदेश की ओर से न्यायाधिकरण के समक्ष निम्न आश्वासन प्रस्तुत करवाया—

"For the Sardar Sarovar Dam with FRL210 and any allocation upto including 10HAF of Narmada waters at 75% dependability to Gujrat, Madhya Pradesh will give the necessary regulated releases at 75% dependability to meetGujrat'sneed for consumptive use as may be determined and directed by this hon'ble Tribunal" (vol. II; page 496-97 of award)

इस आश्वासन से मध्यप्रदेश 4.2 एम.ए.एफ. के स्थान पर गुजरात को 10 एम.ए.एफ. तक पानी देने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है।

यह सदन इस तथ्य पर और भी उद्विग्नता व्यक्त करता है कि श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने मध्यप्रदेश के पक्ष में परिवर्तन करने के पूर्व मन्त्रिमण्डल की अनुमति नहीं ली और दिनांक 31 अगस्त व 1 सितम्बर , 1978 को इस विषय पर विधानसभा में हुई चर्चा के समय भी इस तथ्य को सदन से छुपाया।

यह सदन इस तथ्य पर और भी चिंता व्यक्त करता है कि यह आश्वासन दिनांक 21-11-77 को न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यप्रदेश के पक्ष की सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने स्वयं की जिम्मेदारी पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करवाया।

यह सदन श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा के उपरोक्त आचरण को मध्यप्रदेश के हितों के विपरीत निरूपित करता है और उस पर गहन खेद व्यक्त करता है एवं उनके द्वारा अपने पद के दायित्वों के उचित निर्वहन न करने पर उनकी तीव्र निंदा करता है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है और प्रसन्नता इसलिये नहीं हो रही है कि इस सदन का कोई माननीय सदस्य या इस प्रदेश का कोई भी नागरिक ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि जिस व्यक्ति के हाथों में पूरे प्रदेश की बागडोर हो और जिस व्यक्ति को एक ऐसी जिम्मेदारी के पद पर बैठा दिया गया हो, जो इस प्रदेश के समूचे कार्यभार को संचालित करता हो, अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति के द्वारा इस प्रदेश के हितों पर कुठाराघात किया जायेगा और इसलिए विवश होकर हमें इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में लाना पड़ा। मैंने तो कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को यहाँ लाकर अपने कर्त्तव्य को जरूर निभा रहा हूँ लेकिन मेरे मन में इसके लिए कोई प्रसन्नता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बहुत से कारणों की ओर सदन का ध्यान नहीं ले जाना चाहता हूँ कि जिसके कारण नर्मदा न्यायाधिकरण के निर्णय के समय को नष्ट किया जाये। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो यह उचित होगा कि इस बात को मैं सदन से समक्ष रखूँ और अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं केवल सम्बन्धित विषय पर ही नर्मदा न्यायाधिकरण के निर्णय के वाल्यूम पृष्ठ 7 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिसमें उन ईशूज का हवाला दिया है जिनको न्यायाधिकरण ने निर्णय देने के लिए मुद्दा कहा है। उसमें अन्य मुद्दों के अलावा जिससे मेरा सीधा सम्बन्ध है वह मुद्दा नं. 7 है, पृष्ठ 7 पर उसके 'बी' में लिखा है— "व्हाट शुड बी दि एलोकेशन ऑफ ईच स्टेट" पानी के सम्बन्ध में। उसके बाद इस तथ्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इसी वाल्यूम के पृष्ठ 8 में जो फॉरवर्ड है उसमें लिखा हुआ है कि मध्यप्रदेश के पक्ष को प्रथम बार 14 अगस्त, 1975 में प्रारम्भ किया गया और 6 अक्टूबर, 1976 को समाप्त किया गया। दुबारा इसमें लिखा है कि मध्यप्रदेश कमेंस्ड इट्स आर्गूमेंट्स ऑन दि होल केस ऑन 7-10-77 एण्ड कंक्लूडेड ऑन 21-11-1977।

इसके पश्चात् मैं दूसरे तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। वाल्यूम 2 के पेज 497 पर दिए गए इस आश्वासन का उल्लेख हमारे प्रस्ताव में है, उसमें केवल उस वाक्य का उल्लेख है जिसमें पूरे तौर से आश्वासन

का मूल समाहित है। मैं सदन का समय उस पूरे आश्वासन को इस पृष्ठ पर नर्मदा न्यायाधिकरण ने उद्धृत किया है, पैराग्राफ 1 में, और उसको उद्धृत करके विचार किया है और इस आश्वासन को नर्मदा न्यायाधिकरण से किसी महत्व का नहीं समझा है इसके पश्चात् मैं दूसरे तथ्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो वाल्यूम 2 पृष्ठ 762 पर है जहाँ अपने निर्णय को पंजीबद्ध करते हुए लिखा है कि "गुजरात इस इन्टाइटिल्ड टु ए शेयर ऑफ 9 मिलियन एकड़ फीट।" ये जो तथ्य हैं वह सदन के सामने रखें जिनके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है, और मैं आपके माध्यम से इस तथ्य को सदन के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि वह तथ्य श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा के इस सम्पूर्ण प्रकरण पर जो उनका दृष्टिकोण था, उसको प्रतिबिम्बित करता है। जिस समय नर्मदा अवार्ड की घोषणा हुई, प्रदेश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होने लगी, स्वाभाविक था कि संबंधित व्यक्ति जो प्रभावित होते हैं, जो सार्वजनिक रूप से अपने दायित्व के निर्वहन में रुचि रखते हैं, उन्होंने अपनी-अपनी राय व्यक्त करना शुरू किया। आपको स्मरण होगा इसी विधानसभा में दो दिन तक इस पर व्यापक चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण रखे। इस बात का स्मरण दिलाना चाहूँगा कि जिस समय चर्चा प्रारम्भ होने वाली थी उस समय भी इसका प्रयास किया गया कि सबसे प्रथम नर्मदा न्यायाधिकरण की जानकारी कम से कम सदन के सदस्यों को मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30 अगस्त को पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूचना दी कि एवार्ड को लाइब्रेरी में रख दिया गया है। उसके पश्चात् मैंने 30 अगस्त को माननीय मुख्यमन्त्री जी को पत्र लिखा और उनसे निवेदन किया कि नर्मदा न्यायाधिकरण के निर्णय के वाल्यूम 2 के पृष्ठ 496 और 97 पर 1977 में मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये आश्वासन का उल्लेख है और नर्मदा न्यायाधिकरण पर सदन में हो रही चर्चा पर उचित तरीके से भाग लेने के लिए मुझे इस आश्वासन की प्रतिलिपि की आवश्यकता है। मैं अनुगृहीत होऊँगा यदि मुझे यह जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, इस पत्र का मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। 31 अगस्त को मैंने पुनः मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जिसमें मैंने कहा कि मैंने कल ही आपको एक पत्र लिखा है जिसके द्वारा दिसंबर 1977 में नर्मदा न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये आश्वासन की प्रति चाही थी। मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में आपने न तो कोई उत्तर दिया और न ही कोई जानकारी ही उपलब्ध कराई। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि यह जानकारी गोपनीय है। आप मुझसे सहमत होंगे कि इस निर्णय पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिये यह जानकारी आवश्यक एवं अनिवार्य है जिसके अभाव में सभी पहलुओं पर प्रकाश डाल सकना संभव न होगा। इस संदर्भ में आपकी ओर से यह जानकारी उपलब्ध न कराने का क्या मैं यह तात्पर्य निकालूँ कि आप इस चर्चा को अपूर्ण या जानकारी के अभाव में कराना चाहते हैं। इस पत्र का भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। दिनांक 1 सितम्बर को मुझे विवश होकर पुनः मुख्यमंत्री को सम्बोधित करना पड़ा। मैंने इस पत्र में निवेदन किया कि मैंने पूर्व में दो पत्र 30 और 31 अगस्त को आपको संबोधित किये थे लेकिन दो में से किसी का भी मुझे कोई उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। नर्मदा न्याय्राधिकरण के सम्बन्ध में किस कारण से मेरा पत्र अनुत्तरित रहा यह मुझे नहीं मालूम है। फिर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 सितम्बर का पत्र प्राप्त हुआ और उस पत्र के द्वारा यह मालूम हुआ कि विलम्ब से जानकारी प्राप्त हुई इसलिए मैं आज आपके पास आश्वासन की प्रति भेज रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, यदि यह जानकारी पहले दी गई होती तो निश्चित रूप से नर्मदा न्यायाधिकरण के विषय में जो चर्चा दो दिन पूर्व हुई उसी समय सदन मुख्यमन्त्री जी से स्पष्टीकरण प्राप्त करता। इसके पूर्व में दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद माननीय सदस्यों को देखते हुए जो प्रदेश के हितों पर कुठाराघात हो रहा था विवश होकर हमारे दल को निन्दा प्रस्ताव की सूचना देनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, हम आपके अत्यन्त आभारी हैं कि इसके महत्व को देखते हुए आज आपने समय देने की कृपा की। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर इस प्रश्न को लेकर माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने काफी लम्बी-चौड़ी बातें कही थीं। यह कहा था कि यह विवाद दो मुख्य पहलुओं पर, उन मुद्दों पर जिनसे विवाद प्रभावित होता था हम लोगों पर आरोप लगाया गया था कि हमने और हमारे दल ने इस प्रदेश के हितों पर कुठाराघात किया है और दूसरों के हितों के सामने घुटने टेक कर सरेन्डर किया है। मैं उस भाषा में मुख्यमन्त्री जी को उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि मैंने शुरू से ही इस विषय को राजनीति से अलग

रखकर सोचने का प्रयत्न किया था। मुझे खेद है कि मुझे तो संतुलन खोने की बात कहते हैं लेकिन आपने तो एक शब्द भी इंगित नहीं किया है कि जो आश्वासन आपने विपक्ष तथा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक में दिया गया था उसको आप कितना महत्व देते हैं, उस आश्वासन के अनुरूप आप कितनी दूर तक काम करना चाहते हैं। इसके बजाय आपने अपने उत्तर में न केवल राजनैतिक उछालबाजी करके दोषारोपण करने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, इस बात का यह प्रतीक है कि आज सदन की बैठक का आखिरी दिन है आज सदन की बैठक सभी पहलुओं पर व अन्य विषय पर चर्चा करने के बाद स्थगित हो जायेगी, एडजर्न होगी और इस विषय को इस प्रदेश के मुख्यमन्त्री सार्वजनिक रूप से सदन के अन्दर, सदन के बाहर, राजनीति से हटकर हमको देखने का भाषण देते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका आश्वासन कहाँ है? इस आश्वासन के तहत दस दिन के अन्दर टेक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट आनी थी और उस रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी और उस चर्चा के अनुरूप इस सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाना था।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा हूँ। यह प्रश्न वह लोग पूछ रहे हैं जिनको आपके वचन पर भरोसा होने लगा था कि आप इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिये अपने छोटे-मोटे वादों से ऊपर उठकर काम करने में सक्षम हैं। आज आपके स्वयं के दिये हुए वचनों का जो मखौल आपने स्वयं उड़ाया है उससे हमारी शंका और बलवती होती है कि जो आश्वासन दिया गया था उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी। हम इसको अद्‌भुत संयोग की भी संज्ञा दे सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि यह किसी वकील की करामात थी जिसके हमारे मुख्यमंत्री महोदय शिकार हो गये। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी टेक्नीकल आदमी ने उसको गुमराह करके यह आश्वासन दिलाने की बात कही, लेकिन मेरे पास जानकारी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी तकनीकी आधार पर इस आश्वासन को देने की कोई अनिवार्यता नहीं थी और न मध्यप्रदेश शासन के किसी टेक्नीकल एडवाइजर ने जो इससे सम्बन्धित थे उनमें से किसी ने भी इस आश्वासन को देने की आश्यकता पर बल दिया। यह प्रस्ताव नहीं किया। जहाँ तक नर्मदा विवाद के निर्णय का प्रश्न न्यायाधिकरण के समक्ष है इस प्रदेश के पक्ष को मानने न मानने का पक्ष था उससे इस आश्वासन का कोई सम्बन्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आश्वासन क्यों दिया? अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ से बहुत अलग न हटकर आपकी अनुमति से मैं एक बहुत बड़े राजनैतिक नेता का एक वाक्य आपकी अनुमति से उद्धृत करना चाहता हूँ। शायद हमारे मुख्यमन्त्री महोदय को इस उद्धरण से नाराजी हो और वे इसे बिना किसी महत्व का समझें, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसे उद्धृत करने की इसलिए आपसे अनुमति चाहता हूँ कि हम जैसे बहुत से साधारण लोग जो इस सदन में उपस्थित हैं हम लोग चाहते हैं कि जो कुछ इस उद्धरण में कहा गया है उनके अनुरूप चलने का प्रयास करें। हम में से बहुत जो करना चाहते, वे नहीं कर सकते हैं। हगमें से बहुत इस प्रयास की ओर बढ़ना चाहते हैं उसमें विफल होते हैं, सफल नहीं होते। हम में से बहुत इन बातों को अपने सार्वजनिक जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं अनेकों कोशिशों के बावजूद भी हम सफलता नहीं पाते और ऐसे ही संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, यह उदाहरण है क्योंकि अँग्रेजी में है इसलिए मैं आपकी अनुमति चाहूँगा इसे पढ़ने की अध्यक्ष महोदय —

the only guide to a man is his conscience the only shield to his memory is the sincerity and rectitude of his actions it is very imprudent to walk through life without this shield for we are so mocked by the failure of our hopes but with his shield howver the fates may play— we march always in the ranks of honour.

अध्यक्ष महोदय, गैरत की लम्बी कतार में खड़े होने के लिए अपनी मन की शुद्धि की आवश्यकता है। अनेक अपूर्णता के होते हुए भी अपने आप में अनेक प्रकार की कमी होते हुए भी यदि हमने ईमानदारी और निष्ठा का जो हमारे ऊपर सौंपी गई है और जो हमारे दायित्व हैं उन दायित्व को निभाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। हमसे गलती हो सकती है और हमें और प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन विश्वासघात का आरोप हमारे ऊपर नहीं लग सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन

करना चाहता हूँ कि यह अद्‌भुत संयोग भले हो, लेकिन संयोग है और अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से मैं संयोग की जो बीच की कड़ी है उसका उल्लेख करने के पहले मैं उस संयोग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पढ़कर सुनाया 21-11-77 की नर्मदा ट्रिब्यूनल के सामने मध्यप्रदेश के पक्ष में अपनी सुनवाई समाप्त की। यह अद्‌भुत संयोग है अध्यक्ष महोदय, कि उसी दिनांक को इस देश के प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई का इस प्रदेश में आगमन हुआ। अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर 1977 को जैसा कि एवार्ड में अंकित है, मुख्यमंत्री की ओर से मण्डल की पीठ के पीछे, मैं आज यहाँ पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमन्त्री का उल्लेख इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि यह सदन ही नहीं समस्त प्रदेश इस बात को जानता है कि वे उन दिनों अत्यधिक अस्वस्थ थे और उन पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी और किसी प्रकार के आरोप मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से लगाना उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए मैं उनका उल्लेख नहीं करता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मन्त्रिमण्डल की पीठ के पीछे दिसम्बर 1977 में 20 दिसम्बर 1977 को यह आश्वासन ट्रिब्यूनल के सामने प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष महोदय, उस अद्‌भुत संयोग की अन्तिम कड़ी यह है कि 16 जनवरी, 1978 को श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा इस प्रदेश के मुख्यमन्त्री के उच्च पद पर पदारूढ़ हुए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा यह पूर्णतः संयोग हो सकता है, अद्‌भुत संयोग भी हो सकता है लेकिन जिन तथ्यों को मैंने पहले वर्णित किया है, उसके संदर्भ में इस प्रदेश की जनता, नर्मदा के पानी में डूबने वाले उन हजारों परिवार के लोग जिनके घर-बार, धन व्यवस्था सब कुछ जाने वाला है और अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है सदन के माध्यम से नहीं, ऐसा कि इस सदन को, प्रत्येक माननीय सदस्य को विदित है कि इस सदन के मार्फत नहीं की, इस प्रदेश में मुख्यमन्त्री श्री सखलेचा जी के बनने के बाद जो प्रदेश के कोने-कोने में जनश्रुति फैली वह यही फैली कि श्री सखलेचा जी इस प्रदेश के हित में नर्मदा न्यायाधिकरण के समक्ष उसके हित के अनुरूप काम करके और उसी आधार पर सौदा हुआ और वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अध्यक्ष महोदय, वह जनश्रुति थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय परम्परा में कभी-कभी जनश्रुति एक ऐसा स्वरूप धारण करके सामने आती है कि जिसकी कल्पना भी ऐसे लोग नहीं कर सकते जो समझते हैं कि परदे के पीछे उन्होंने सब कुछ कर लिया है, कोई उसको जानने वाला नहीं है, इसको समझने वाला नहीं है और उसके फल से वे सदैव फलते और फूलते रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस संयोग के पीछे, इस संयोग की कड़ी जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ रहा है, श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा की अंधी महत्वाकांक्षा है। अध्यक्ष महोदय, महत्वाकांक्षा किसी भी व्यक्ति में होना अच्छी बात है, बिना महत्वाकांक्षा के कोई पुरुष-पुरुष कहला सकता है। लेकिन जब अंधी महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति को ऐसा विकृत काम करने के लिए प्रेरित करे जो उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी को बालाये ताक रख अन्याय के साथ विश्वासघात करने के लिए प्रेरित करे। ऐसी अन्धी महत्वाकांक्षा न केवल इस प्रदेश के लोगों को बर्बाद करेगी वरन मैं कहूँगा कि यहाँ पर बैठे अन्य माननीय सदस्य जिनका मैं अत्यधिक आदर करता हूँ और जो जनता पार्टी की तरफ से चुनकर आये हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि इस अंधी महत्वाकांक्षा को यदि इस प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने दिया तो निश्चित रूप से एक न एक दिन यह जिम्मेदारी आप सबके कन्धे पर आवेगी और इस प्रदेश की जनता विवश करेगी कि इसके लिए न केवल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा की निन्दा करें बल्कि आप लोगों की भी निन्दा करें, कि इस बात की जानकारी होने के पश्चात् भी ऐसे व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी कहेंगे हमने तो यह आश्वासन दिया था कि हमने लिख दिया कि ऊँचाई नवागाम बाँध की 210 फीट ही रहेगी तो मैंने उसी दिन लिख दिया कि हमको केवल 4.2 एम.ए.एफ. पानी देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वकील तो नहीं, यह तो बहुत बड़े वकील हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि यदि जब ऐसा ही रहेगा तो फिर 10 एम.ए.एफ.पानी देने के आश्वासन की क्या आवश्यकता थी? यह तो अपना पक्ष ही था वह पक्ष तो प्रदेश की तरफ से सदैव प्रस्तुत किया जाता रहा है कि 4.2 एम.ए.एफ. पानी देना है। गुजरात के बाँध की ऊँचाई 210 फीट रहनी

है। फिर आपने इस आश्वासन में उसको उल्लेख करके 10 एम.ए.एफ. पानी का आश्वासन किस आधार पर दिया? अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश को और इस विधानसभा के माननीय सदस्यों को इस बात को जानने का अधिकार है और केवल थोड़े से इस सदन में भ्रामक तत्वों को प्रस्तुत करके यहाँ जो नॉन टेक्नीकल लोग बैठे हैं उनको आपने मायाजाल में फँसाने का प्रयास किया है कि वह आपके इस प्रकार के कहने से भ्रमित हो जावें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भले ही संतोष करके बैठ जावें, और आपको भले ही अपना वक्तव्य देकर आत्म संतोष हो जावे कि आपने इस प्रकार के प्रस्ताव को अमान्य करवा दिया और अगले 5 साल तक या तीन वर्ष तक जब तक इस विधानसभा का काल है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इस आत्मविश्वास को पाले रखें। आप प्रसन्न हो लीजिए, आप फूलिए-फलिए, यह आपके और आपकी पार्टी के बीच की बात है लेकिन इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश के अन्दर जो जनतांत्रिक आधार पर चलने वाला होगा आपका यह विश्वासघात कभी भी स्वीकार नहीं किया जावेगा और इस प्रदेश की जनता आपको इस पद पर से हटाने में आज भले ही सक्षम न हो लेकिन आप अपने स्वयं के द्वारा दिये गये कार्यों से अपने पद से च्युत होंगे। यह प्रस्ताव आपको नहीं करेगा, तो इस प्रदेश के लाखों-करोड़ों लोगों की आहें करेंगी और हम उस दिन का इन्तजार करेंगे।

श्री सूरजमल जैन (रतलाम ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने प्रस्ताव रखते समय जो बातें कही हैं उनमें कुछ बिंदुओं का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। मैं केवल चार प्वाइंट्स पर माननीय विरोधी दल के नेता का स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

1— न्यायाधिकरण के मुद्दे न्यायाधिकरण के सामने कब पेश किये गये और उस समय किस दल की सरकार थी?

2— इन मुद्दों पर शासन की ओर से लिखित में कब उत्तर दिया गया और उस समय किस दल की सरकार थी?

3— क्या पूर्व की सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की स्वीकारिता से परे भी कुछ तथ्यों को उठाया जा सकता है? और

4— बहस करते समय क्या जो बातें पहले की सरकार ने रखी थीं, उसके विपरीत बहस में बातें उठाई गई हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्टीकरण आदरणीय विरोधी दल के नेता से चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब मैं बहस का उत्तर दूँगा तब इसका उत्तर भी दे दूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव लाया गया है, इसके सम्बन्ध में हम शुरू से ही जानते थे। नर्मदा एवार्ड आने के बाद से हमारे विपक्ष के नेताओं से बार-बार अपील करने के बाद भी कि दल की बातों से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में आप विचार करें, जनता की सेवा के नाम पर हमारे विपक्ष के नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास किया। यदि उन्हें निमाड़ के लोगों से कोई सहानुभूति होती तो उनका दूसरा ही व्यवहार होता। शुरू दिन से ही उनका व्यवहार परिलक्षित होने लगा था कि वे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हमने अध्यक्ष महोदय, फैसला आते ही विरोधी दल के साथ विचार विनिमय करने का प्रयास किया लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इतने प्रयास किये जाने के बाद आज अर्जुनसिंह जी दुःख व्यक्त कर रहे थे .....

आज कोई तथ्य उनके पास नहीं थे इसलिए दिन भर हल्ला मचाने का काम करते रहे। आज इतने सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया लेकिन फैक्ट्स के आधार पर कोई तथ्य प्रकाश में नहीं ला सके। इसके बजाय विरोधी दल के नेता कहते हैं; गुजरात का क्लेम स्वीकार करके आपने चार के बजाय दस एम.ए.एफ. की बात कही। लेकिन वास्तव में उद्देश्य दूसरा है। उन्होंने अपने चश्मे से उसको देखा है। दूसरों पर महत्वाकांक्षा का आरोप लगाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को छिपाकर वह चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से कुछ प्राप्त हो जाये और वह प्राप्त नहीं होने से जो फ्रस्ट्रेशन है वह दिखाई दे रहा है। उनके मन की भावना है कि कैसे वीरेन्द्र कुमार सखलेचा मुख्यमन्त्री नहीं रहें और मैं मुख्यमन्त्री बन जाऊँ। इसके अतिरिक्त और कोई आकाँक्षा उनके मन में नहीं है। 22 तारीख के पत्र में जो उन्होंने लिखा, वे कहते हैं— "यदि उपरोक्त स्थिति से व्यवहारिक और न्यायपूर्ण प्रश्नों को समुचित महत्व नहीं दिया जाये और प्रदेश के नागरिकों के हितों को दुर्लक्ष्य किया जाये तो विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री

अपने मन्त्रिमंडल से त्याग पत्र दे दें। यानि मैं मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दूँ और अर्जुनसिंह को मुख्यमंत्री बना दें। इस तरह से उनकी इच्छा सही रूप से परिलक्षित होती है। इस तरह से अपने चश्मे से, अपनी संकुचित दृष्टि से कैसे विचार करते हैं यह पता चलता है। जैसे छोटे से कुएँ में मेंढकी रहती है उसको सारा संसार वह कुआँ ही दिखाई पड़ता है। वही हालत विपक्ष के सदस्य और उनके नेता की हो रही है; उनका संसार वही है, एक छोटा-सा कुआँ भर। इस पवित्र सदन के अन्दर मैं अपेक्षा करता था, इस सदन के प्रस्ताव के विपरीत जब आपकी सरकार ने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके मामला ट्रिब्यूनल को सुपुर्द किया इसका वे कुछ उत्तर देते, क्या ट्रिब्यूनल को केस वापस किया लेकिन इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा है और मुझको कहते हैं महत्वाकाँक्षी हैं और देश के प्रधानमन्त्री के ऊपर और ट्रिब्यूनल के जजेज, जस्टिस रंगास्वामी जैसे के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया है जो इनके सीमित दृष्टिकोण का परिणाम है। इनको अपने नेता का ध्यान है जिसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसी दृष्टिकोण से ये विचार कर रहे हैं। जनता पार्टी का कोई मन्त्री या कार्यकर्त्ता अपने पद के लिए इस प्रदेश और देश के हित के खिलाफ काम नहीं कर रहा है यह केवल आपके संकुचित विचार का प्रतीक है।

अध्यक्ष महोदय, अब हम फैसले को देखें। केवल राइट ऑफ रिप्लाई के अन्दर हमारे यहाँ एडवोकेट गया, इनसे सरकार की कुछ माहिती पूछी गई कि क्यों आश्वासन दिया गया अगस्त के अन्दर, वर्किंग टेबुल पूछा गया। नवांगाँव बाँध ऊँचा न बंधे, ज्यादा जमीन डूब में न जाये, इसका प्रयास करते रहे, सरकार प्रयास करती रही, एडवोकेट प्रयास करते रहे और हमने इतनी गम्भीरता बताई कि वर्षों तक प्लीड करते रहे। जिसके बारे में हमने भी चेलेंज नहीं किया, केवल हमको तो राइट ऑफ रिप्लाई था। ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वयं पूछा गया था। हमारे पास तो प्रोसीडिंग है इसके अन्दर ट्रिब्यूनल ने यह बात कही है कि नवांगाँव की कितनी ऊँचाई के तथा पाने के ऐश्योरेंस के बारे में यह एवार्ड पढ़कर सुनाऊँगा हम पानी का स्टोरेज पानी का पुनासा में स्टोरेज कर सकते हैं वहाँ से रेगुलेटेड रिलीज के द्वारा नवांगाँव को पानी पहुँचा सकते हैं और उस पर भी 210 फुट से ज्यादा ऊँचाई की नवांगाँव में आवश्यकता नहीं है। कितना पानी आप दे सकते हैं यह प्रोसीडिंग में है कि ट्रिब्यूनल ने गुजरात और मध्यप्रदेश से पूछा था .....

In order to determine certain important issues in this case it is, in our opinion, necessary that the following directions should be given to Madhya Pradesh and Gujrat :

(1) Madhya Pradesh and Gujrat should work out for their respective states the monthly requirements of water at canal heads (or Withdrawal points) on the assumption that each State is granted the total allocation of Narmada waters including water required for domestic and industrial use as follows:—

G U J R A T	M A D H Y P R A D E S H
(1) 8 MAFT	(1) 9.25 MAFT
(2) 10 MAFT	(2) 11.25 MAFT
(3) 12 MAFT	(3) 15.25 MAFT
(4) 16 MAFT	(4) 17.25 MAFT
(5) 18 MAFT	(5) 19.25 MAFT

और गुजरात 8, 10, 16, 18, एम.ए.एफ. का टेबुल माँगा गया और मध्यप्रदेश ने 9.25, 11.25, 15.25, 17.25 और 19.25 एम.ए.एफ. पानी का दिया। यहाँ तक पानी दिया तो कहाँ तक हम वर्क आउट करेंगे। हम पुनासा से गुजरात को 4 एम.ए.एफ. के बजाय 10 एम.ए.एफ. पाने देते रहे तो भी नवागाँव की ऊँचाई 210 फीट पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। ये सारी चीजें ट्रिब्यूनल के सामने फाइल कर दी गई हैं। हमने जो टेबुल दिया था वह मध्यप्रदेश के हित में नवांगाँव की ऊँचाई 210 फीट तक दी थी। फिर भी कहा गया कि हमने छुपाने का प्रयास किया है। आपने उस दिन यह बात डिबेट में नहीं उठाई। यह तो हमारे इन्जीनियर्स और एडवोकेट्स द्वारा हमारा केस प्लीड किया जाता रहा है इसमें मन्त्रिमन्डल या मुख्य मन्त्री की आवश्यकता नहीं थी। इसके अन्दर कहा था .....

In the light of the above considerations and without prejudice to its other contentions,

including the contention that the quantum of Gujrat's equitable Share of Narmada waters can in no case exceed 4 MAF, Madhya Pradesh gave the following assurance to the Hona'ble Tribunal..

लेकिन चूँकि आपने डाइरेक्शन दिया 10 एम.ए.एफ. प्रोवाइड कर सकते हैं फिर भी नवागाँव की ऊँचाई 210 फीट से ऊपर नहीं हो सकती। इस प्रकार से रेगुलेटेड रिलीज के द्वारा पानी प्रोवाइड करने की बात कही गई लेकिन 210 फुट से किसी भी हालत में नवांगाँव की ऊँचाई नहीं बढ़नी चाहिए। इस केस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यह सारी डिस्कशन करने की बात कही जा रही है। यह सारी बातें गलत, झूठीं, असत्य केवल अपनी राजनैतिक महत्वाकाँक्षा को पूरी करने के लिए कही जा रही हैं। इसी कारण जो एवार्ड दिया गया है उस एवार्ड में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है इसके पेज 454 के ऊपर वाल्यूम .....

श्री अर्जुनसिंह : कौन-सा वाल्यूम?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, इसका वाल्यूम दो है जो आपने रिफर किया था उसी में से बता रहा हूँ जिसको आपने रिफर नहीं किया था। जो पानी हम पुनासा में करके रेग्यूलेटेड रिलीजेज के द्वारा लेंगे क्योंकि नवांगाँव बाँध की ऊँचाई ज्यादा नहीं चाहते हैं।

"ASSURANCE BY MADHYA PRADESH REGARDING REGULATED RELEASES

11.13.1 Madhya Pradesh has in Exhibit MP—1196 filed in December, 1977 given the following "Assurance.

(1) For the Sardar Sarovar Dam with FRL 210 and any allocation up to and including 10 MAF of Narmada water at 75 percent dependability to Gujrat, Madhya Pradesh will give the necessary regulated releases at 75 percent dependability to meet Gujrat's needs for consumptive use as may be determined and directed by this Hon'ble Tribunal. In the event of any shortfall in a 75 percent dependability year in the allocated use (upto and including 10 MAF) in Gujrat with the Sardar Sarover Dam FRL 210 Jalsindhi Dam FRL 420, Narmadasagar FRL 860 and other storages as proposed by Madhya Pradesh (CMP 432 of 1970 MPD 1019), Madhya Pradesh will bear the shortfall by restricting its irrigation and will make available the specified quantum (upto and including 10 MAF) in a 75 percent dependability year allocated to Gujrat; as may be decided by this Hon'ble Tribunal the regulated releases as aforesaid will be made subject to the condition that Gujrat will make such payment to Madhya Pradesh, as may be decided by this Hon'ble Tribunal for the benefits accruing to Gujrat on account of such regulated releases."

11.13.2. In G-1282, Gujrat filed a reply to the "Assurance of Madhya Pradesh" Gujrat pointed out that the so called assurance based on the assumption the FSL of Navagam Canal is restricted to 190 and the FRL of Sardar Sarovar to 210. In Ex R-304. Rajasthan also said that Madhya Pradesh has given no assurance to Rajasthan and in any event the "Assurance" is unacceptable as it is based upon the hypothesis of FSL 190 canal with a slope of 1 in 12,500 and it does not even reach Rajasthan border In chapter x, we have held for the reasons therein given, that for enabling Gujrat and Rajasthan to effectively utilise their respective allocated shares of Narmada waters for irrigation, the FSL of the canal shoud be fixed at a minimum level of 300.

अध्यक्ष महोदय, यह एवार्ड, यह एशोरेन्स सारा इस बाँध को परिलक्षित करता है। हम यह आग्रह करते रहे हैं कि नवागाँव बाँध 210 फुट का रखा जाये। केनाल 190 फुट पर निकाली जाये। राजस्थान को पानी पहुँचे या न पहुँचे, लेकिन केनाल 190 पर निकाली जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आता हूँ इसके बाद आपने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके ट्रिब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दिया था उसको विड्रा किया। आपने राजस्थान के

साथ एग्रीमेंट करके राजस्थान को पानी पहुँचाने का एशोरेन्स दिया है। आपने एग्रीमेंट किया उसी टाइम पर यह परिस्थिति पैदा हुई है। 300 फुट की केनाल से उनको पानी दिया और ऊँचा नवांगाँव डेम की 455 की बात हुई और अब आप दूसरों पर टालना चाहते हैं। जो एशोरेंस टेक्नीकली दिया गया था बचाने के लिये कि 210 फूट का ही बाँध लिया जाये। इसके ऊपर से यह सारे असत्य आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सारे विश्वासघात किसने किये हैं? यह स्पष्ट हो चुका है इस प्रदेश की जनता के सामने प्रकट हो चुका है और उसी के अन्दर से यह बात प्रकट हुई है निन्दा प्रस्ताव की। उस रोज 139 की बहस हुई और यह तथ्य जनता के सामने आये कि किस प्रकार सदन के प्रस्ताव के विपरीत सारा आचरण काँग्रेस के नेताओं ने, काँग्रेस की सरकारों ने किया। अपनी कुंठा दिखाई। इसीलिए यह इस तरह का प्रस्ताव लेकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, अन्यथा कोई अन्य तथ्य प्रकट कर नहीं सके हैं कि यह मध्यप्रदेश के हितों के खिलाफ है। गुजरात के आफीसर्स के बारे में इन्होंने आरोप की बात कही है। शायद विमला जी से आकर गुजरात के आफीसर्स मिले होंगे और उनसे पैसों की बात करी होगी।

हमारी जानकारी में अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसे असत्य आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि इस प्रकार विश्वासघात की बात करना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने देश और प्रदेश के हित में पूरा प्रयास किया है, लेकिन आपने शुरू से आखिर तक इस इशू को पोलिटिक्लाइज करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि नर्मदा की घटना को लेकर सर्वदलीय समिति के अन्दर उनके नेताओं ने आकर किस प्रकार की बातें की हैं मैं बतलाना चाहता हूँ, निमाड़ के अन्दर जाकर और निमाड़ के सुगेना गाँव में जाकर, जहाँ के उमराव सिंह जी भी बैठे हैं, उस गाँव की सभा के अन्दर शिवभानु सोलंकी भी थे। उस सभा में उस गाँव का सरपंच भी था जो कि उसका अध्यक्ष था। जब अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति की बातें करने लगे तो उस सरपंच ने जो कि अध्यक्ष था जो कि जनता पार्टी का था खड़े होकर कहा कि हम राजनीति की बातें नहीं करने देंगे, आप नर्मदा की बातें कर सकते हैं तो इस पर अध्यक्ष महोदय, जनता के उस अध्यक्ष को रोका गया और वहाँ पर सुरेश सेठ ने सभा को समाप्त घोषित कर दिया, बिजली के कनेक्शन काट दिये और उनके साथ लाये गये गुण्डे के द्वारा चाकू से वार किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इनके द्वारा आचरण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, और ये राजनीति की बातें की जा रही हैं। .....

श्री शिवभानु सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, यह कहना इनको शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल असत्य है। वहाँ कोई नहीं गया इस प्रकार की गलत जानकारी देना शोभनीय नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात नहीं है, जिन्हें मारा है उनके नाम रिपोर्ट दर्ज है और वह व्यक्ति किसने मारा था वह व्यक्ति फरार है उसको अरेस्ट किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें यह सिद्ध करती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको नर्मदा और निमाड़ के लोगों की चिन्ता नहीं है, आप केवल राजनीतिक लाभ उठाने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा प्रयास है नर्मदा के हित में, निमाड़ के लोगों के हित में और उनको संरक्षण देने का दायित्व हमने उठाया है उसका हम पूरी तरह से निर्वाह करते रहेंगे। हमने ट्रिब्यूनल से क्लीयरीफिकेशन माँगा है, लेकिन आपका इरादा सर्वदलीय ढंग से करने का नहीं है। आप बातें कुछ करते हैं और सारा काम राजनीति के ढंग से करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण, अध्यक्ष महोदय, एक और प्रस्ताव करते हैं, टेक्नीकल रिपोर्ट आ गई है लेकिन इसके बाद 4 तारीख के बाद आप निन्दा प्रस्ताव भेजते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आप इसके बाद। अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव भेजकर केवल अपने मन की बात बता दी है कि आपके हृदय के अन्दर केवल राजनीति है, आपके हृदय में जनता के हित की और प्रदेश के हित की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम तो इस प्रदेश की जनता के हित में नर्मदा का एक-एक बूंद पानी और एक-एक बाँध बनाकर इस प्रदेश की 66 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करना चाहते हैं, इस प्रदेश की कायाकल्प करना चाहते हैं, प्रदेश के अन्दर पूरा परिवर्तन करना चाहते हैं? उसका चित्र बदलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जनता से सहयोग लेकर, भारत सरकार से सहयोग लेकर ही यह करेंगे। आप चाहे कितनी तारीफें बनायें, आपके नेता छोटे मन और मन्द बुद्धि के हो सकते हैं, लेकिन हमारी जनता पार्टी के नेता

छोटे मन और मन्द बुद्धि के नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे एक कहानी याद आती है, हमारे विपक्ष के नेता को देखकर और अध्यक्ष महोदय, इसका वर्णन करने के बाद में अपना कथन समाप्त कर दूँगा। अध्यक्ष महोदय, कहानी सबने पढ़ी होगी बचपन में। अध्यक्ष महोदय, छोटी लोमड़ी थी, लेकिन छोटी लोमड़ी की जबान बड़ी लम्बी थी,और उसकी पूँछ काफी बड़ी थी, लेकिन वह थी छोटी, बाहर बहुत अच्छे अंगूर देखकर मन में इच्छा तो बहुत आई कि छलाँग लगाकर अंगूर तोड़ लें और खा जायें, जबान भी बहुत लपलपायी, पूँछ भी बहुत घुमाई और बहुत कूद लगाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष महोदय, फिर भी अंगूर नहीं मिले। उछल-कूद में अंगूर तो नहीं मिले, लेकिन उसकी टाँग टूट गई, वैसी ही हालत आज हमारे विपक्ष के नेताओं की हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज वे हृदय से चाहते हैं, सत्ता से अलग हो गए हैं, इसके कारण उनको वे सारे दिन याद आ रहे हैं। उनको ख्याल में आता है, वे अंगूर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रकार के निन्दा प्रस्ताव से इस प्रदेश की जनता से राजनैतिक अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यह इस बात का प्रमाण हैं कि मध्यप्रदेश के हित में एश्योरेंस दिये गये और एश्योरेन्स के आधार पर हमने प्रयास किया है कि नवांगाँव बांध 210 फीट का हो। आज भी हम प्रयास करेंगे। नवांगाँव बाँध से हम अधिक से अधिक जमीन बचायेंगे और इसके द्वारा निमाड़ के लोगों का हित साधन किया जायेगा। आपके द्वारा राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्मिक वक्तव्य सुना। 'मार्मिक' मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि जिन बातों का उल्लेख हमने अपने निन्दा प्रस्ताव में किया है उनमें से जो मुख्य बातें थीं उनका किसी का भी तथ्यों के आधार पर खण्डन करने की अवस्था में उनको केवल लोमड़ी की कहानी याद आई। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की लोमड़ियाँ हम लोगों ने बहुत-सी देखी हैं और उनकी तरफ हमारी निगाहें नहीं जातीं। लोमड़ियों के आकार, उसकी मनोभावना, उसकी चेष्टा के अनुरूप जिसके मन में बात होती है उसकी निगाह लोमड़ी की तरफ जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दो मुख्य बातें हैं। पहली बात तो यह कि हमने यह आरोप लगाया था कि मध्यप्रदेश के मन्त्रिमन्डल की पीठ के पीछे यह एशोरेन्स दिया गया और इस तथ्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, यह उनका मत हो सकता है, परन्तु दूसरी बात जिसका मुख्यमंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, हमने तो एक सन्देह मन में रखते हुए भी श्री कैलाश जोशी का नाम नहीं लिया था पर, अध्यक्ष महोदय, आज वह बात भी स्पष्ट हो गई कि मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय के मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। मैं मानता हूँ कि सखलेचाजी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब वह अपने को सब शक्तियों से सम्पन्न मानते थे और उसके अनुरूप उन्होंने आचरण किया, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सदन इस प्रदेश के मुख्यमन्त्री के द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर नर्मदा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विषय पर आश्वासन देने के तथ्य को मान्यता देता है? यदि मान्यता देता है तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप ख्याल रखें कि आपके समर्थन में बैठे हुए कुछ लोग चाहे तालियाँ बजावें, लेकिन इस प्रदेश की जनता आपके इस आचरण का कभी भी समर्थन नहीं करेगी (थपथपाहट)। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात बड़ी होशियारी से मुख्यमन्त्री ने कई किताबों को बार-बार उलट-पलट कर कई बार हमें प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन निकला क्या? अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात निकली कि मुख्यमन्त्री जी ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने इनसे और गुजरात से टेक्नीकल डेटा प्रजेन्ट करने के लिए कहा कि किस प्रकार से कितना पानी, किसको कैसे मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हम नहीं समझ सकते, हमारे दल के सभी सदस्य नासमझ हो सकते हैं पर मैं अपने विद्वान मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल की ओर से आपसे डेटा माँगा जाना, आपसे जानकारी माँगा जाना और एशोरेन्स देना, इन दोनों को आप बराबर मानते हैं। उन्होंने तो डेटा माँगा था आपने आगे बढ़कर एशोरेन्स दे दिया और अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में वह एशोरेन्स पढ़ा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : वह एशोरेन्स रेग्युलेटेड रिलीज के बारे में था।

श्री अर्जुनसिंह : मैं उस एशोरेन्स के एक और सेन्टेन्स की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने इसलिए उस समय उसको नहीं पढ़ा था क्योंकि जिस एशोरेन्स को पढ़कर मैंने समझा, उस एशोरेन्स में कहा गया है कि

"Madhya Pradesh will bear the shortfall by restricting its irrigation and while make availble the specified quantum (upto and including 10 MAF) in a 75 percent dependability year allocated to Gujrat, as may be decided by this hon'ble Tribunal"

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने तो आपसे डेटा मांगा था और आपने 10 एम.ए.एफ. पानी की बात कही और इससे आगे बढ़कर आपने यह भी कहा कि यदि किसी वर्ष में शार्ट फॉल होगा तो मध्यप्रदेश की इरीगेशन फैसिलिटी को कम करके हम 10 एम.ए.एफ. पानी देंगे। और अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर भाषण दिये। मैं इन सब के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, किंतु श्री नरेश जौहरी जी ने बड़े जोर-शोर से कहा कि आपने दोतरफा बात की। मुख्यमन्त्री जी ने भी यही बात कही कि एक तरफ तो आप बात करते रहे और दूसरी ओर आंदोलन करते रहे। अध्यक्ष महोदय, हमने बात की, यह बात इस सदन को और इस प्रदेश की जनता को मालूम है। हमने आपसे निवेदन किया कि आप सर्वदलीय समिति बनाने की कृपा करें और जिस 22 अगस्त के पत्र का आपने यहाँ उल्लेख किया, जैसी आपने मुझसे अपेक्षा की, मैं भी आपसे अपेक्षा करता था कि समूचे पत्र को पढ़कर आप सदन को सुनायेंगे, वह पत्र जरा लम्बा है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे पत्र को पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता, किंतु मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ कि इस विषय पर रेकार्ड रहे, इसलिए उस पत्र को सदन के पटल पर रखने की मुझे अनुमति दी जाये। उस पत्र से स्पष्ट होगा कि हमसे इस्तीफे की माँग उस समय की है जबकि आप सभी सम्भावनाओं को पूरा करने के बाद असफल हो जायें तब इस प्रदेश के सर्वोपरि हित को ध्यान में रखते हुए, इस प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हमने आपसे त्याग पत्र की माँग की। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी को उसी बात की चिन्ता हो गई इसलिए मैं अपनी वह माँग वापस लेता हूँ। आप बने रहिए इस पद पर और जिस प्रकार से चाहें इस प्रदेश के हितों को बालाये ताक रखते जाइए। आप बने रहें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक श्री माहेश्वरी जी का प्रश्न है, क्योंकि और बातें आपने पहले ही निर्णीत कर दी हैं, इसलिये मैं इस समय उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने एक अजीब तर्क यहाँ पर दिया कि अगर वह सौदेबाजी हुई भी है तो वह आफिसियल केपेसिटी में नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है। वह किस केपेसिटी में हुई है, इसकी मुख्यमंत्री जी विवेचना कर देते तो शायद हमको यह सवाल उठाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पंडित रेवती रमण जी ने एक बहुत ही अलौकिक बात कही। एक तो मैं उनका भ्रम निवारण कर दूँ कि आपके बसाने से हम यहाँ बसे हुए हैं, यह भ्रम आपको न रहे। हमें यहाँ जनता ने चुनकर भेजा है। आपके बुलाने से हम यहाँ नहीं आये हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दूसरी बात यह कही कि प्रसव से बुद्ध पैदा होते हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे कौन इन्कार करेगा। जिस प्रसव, से बुद्ध हुए, उसी प्रसव से माननीय सदस्य रेवती रमण जी पैदा हुए और इस सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य हुए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी उस पुत्र के लिए भी कभी कुछ कहा जाता है जो प्रसव से पैदा होते समय अपनी माता को ही कालकवलित कर देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि शायद माननीय सदस्य रेवती रमण जी बड़े विद्वान हैं और बड़े प्रकाण्ड पंडित हैं। मैं तो जानता नहीं मैं साधारण व्यक्ति हूँ। ऐसे लोगों के लिए अपने धर्म शास्त्रों में क्या उल्लेख है, क्या व्याख्या है, वह सदन के बाहर मुझे समझाने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीति नहीं थी। हमने अन्तिम क्षण तक प्रतीक्षा की। आपने जो वायदा किया था और जो टेक्नीकल कमेटी आपने बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर देने का वचन आपने ही इस मीटिंग में दिया था। हम तो 7 दिन में चाहते थे किंतु आपने कहा कि 10 दिन तो लग जायेंगे। मैंने कहा था कि आप 10 दिन ले लीजिये। वह 10 दिन पूरे हुए और अध्यक्ष महोदय, आपको शायद एक पत्र 21 अगस्त को लिखा, आपको स्मरण होगा कि दिनांक 23-8-78 को सभी राजनैतिक दलों

के प्रतिनिधियों की बैठक में यह तय किया गया था कि तकनीकी विशेषज्ञ 10 दिन के भीतर नर्मदा न्यायाधिकरण के फैसले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कोई व्यवहारिक विकल्प सुझायेंगे।

इसी विधानसभा सत्र में उस आधार पर प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। 2-9-78 को 10 दिन पूर्ण हो जाते हैं और मैं अपेक्षा करता हूँ कि उस दिन के पूर्व आपके पास समिति की रिपोर्ट आ जावेगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि उसके तत्काल बाद आप सर्वदलीय समिति की बैठक बुलावें व इस निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करें ताकि आपके द्वारा दिये गये वचन के अनुसार कोई प्रस्ताव इसी विधानसभा सत्र में पारित किया जावे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 2 तारीख के बाद इस सर्वदलीय समिति को बुलाने का क्या प्रयास किया? मैंने अखबारों में छपवाया कि 10 दिन पूरे हो गये आज तक क्यों नहीं बुलाई गई। तब जाकर 4 तारीख को निन्दा प्रस्ताव की सूचना दी, इसलिये कि मुझे भरोसा हो गया कि सर्वदलीय समिति बनाने का जो प्रस्ताव किया था उससे हमने राजनीति से बाहर ले जाकर इस विषय पर विचार कर आपके हांथ को मजबूत करने की प्रक्रिया चालू की थी (मेजों की थपथपाहट) पहले यह समझकर सर्वदलीय समिति की बात की है कि ये मामला टलता चला जावे इस विधानसभा सत्र में न आने पाये फिर 6 महीने विधानसभा बैठेगी नहीं 6 महीने में सब समाप्त हो जायेगा आधिकारिक रूप से इस प्रदेश की जनता में अभिव्यक्त न हो सकेगा। मैंने मंशा समझी व 4 तारीख को निन्दा प्रस्ताव दिया (मेजों की थपथपाहट) सदन में पारित हो या न हो। यह निन्दा प्रस्ताव ध्वनिमत से मतदान द्वारा कदाचित अस्वीकृत होगा। पर प्रदेश की जनता आपसे कहना चाहती है, मैं यहाँ पर सभी विद्वान माननीय सदस्य साथियों से कहना चाहता हूँ कि इसे भले ही ध्वनिमत से पराजित कर दें, मतदान देकर पराजित कर दें पर यह निश्चित है कि नागरिकों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। मन्त्रिमन्डल के पीछे जाकर जनता के साथ विश्वासघात किया गया है इस सदन में प्रस्ताव के पराजित होने या अपराजित होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सात समन्दर के पानीसे भी ये विश्वासघात धुल न सकेगा। (मेजों की थपथपाहट)

इसकी जिम्मेदारी अन्य लोग भी अपने ऊपर लेना चाहें इसे मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। जनता स्वयं निर्णय पर पहुँच जायेगी आपको मालूम पड़ जायेगा। आप भी प्रतीक्षा करें, मैं भी प्रतीक्षा करूँगा। मुझे जल्दी नहीं है। आप इसे अपने गले में फंदा लगाने के लिए भले ही लें पर कृपा करके अच्छे लोगों के गले में सामूहिक रूप से फंदा न डालें, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री रामानन्द सिंह (स्थानीय शासन मंत्री) : क्षत्रिय लोग शाप नहीं देते हैं आप तो शाप दे रहे हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, गाडरों के शाप से गायें नहीं मरा करतीं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि .....

"यह सदन श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा, जो 1977 में तात्कालिक सिंचाई मंत्री थे, की इस कार्यवाही पर अत्यन्त आश्चर्य व्यक्त करता है कि नर्मदा न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत यह पक्ष किं गुजरात को नर्मदा के पानी का केवल 4.2 एम.ए.एफ. मात्रा ही उपलब्ध होना चाहिये, उसके स्थान पर दिसम्बर 1977 में मध्यप्रदेश की ओर से न्यायाधिकरण के समक्ष निम्न आश्वासन प्रस्तुत करवाया :—

"For the Sardar Sarover Dam with FRL 210 and any allocation upto and including O MAF of Narmada water at 75% dependability to Gujrat, Madhya Pradesh will give the necessary releases at 75% dependability to meet Gujrat's need for consumptive use as may be determind and directed by this Hon'ble Tribunal" (Vol. II, Page 496, 97 of Award)

इस आश्वासन से मध्यप्रदेश 4.2 एम.ए.एफ. के स्थान पर गुजरात को 10 एम.ए.एफ. तक पानी देने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है।

यह सदन इस तथ्य पर और भी उद्विग्नता व्यक्त करता है कि श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने मध्यप्रदेश के पक्ष में परिवर्तन करने के पूर्व मन्त्रिमण्डल की अनुमति नहीं ली और दिनांक 31 अगस्त व 1 सितम्बर, 1978 को इस विषय पर विधानसभा में हुई चर्चा के समय भी इस तथ्य को सदन से छुपाया।

यह सदन इस तथ्य पर और भी चिंता व्यक्त करता है कि यह आश्वासन दिनांक 21-11-77 को न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यप्रदेश के पक्ष की सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने स्वयं की जिम्मेदारी पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करवाया।

यह सदन श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा के उपरोक्त आचरण को मध्यप्रदेश के हितों के विपरीत निरूपित करता है और उस पर गहन खेद व्यक्त करता है एवं उनके द्वारा अपने पद के दायित्वों के उचित निर्वहन न करने पर उनकी तीव्र निंदा करता है।

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/8 सितंबर 1978, पृष्ठ/1156-1159 और 9 सितंबर 1978, पृष्ठ/1173-1178)

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न—

नर्मदा जल विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने के निर्णय को केन्द्रीय शासन द्वारा वापस लेने संबंधी संकल्प को 27-6-69 को पारित करने के बावजूद तत्कालीन मन्त्रिपरिषद द्वारा नर्मदा विवाद को न्यायाधिकरण के सुपुर्द करना

श्री सुन्दरलाल पटवा (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्रीमान् के कार्यालय में इस सदन के विशेषाधिकार भंग के बारे में एक प्रस्ताव की सूचना दी है वह इस प्रकार है। दिनांक 27 जून 1969 को मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा यह संकल्प पारित किया गया है। "इस सदन का मत है कि नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है तथा किसी भी परिस्थिति में इस नदी से उपलब्ध होने वाले पूर्ण लाभों से इस प्रदेश को वंचित नहीं किया जा सकता। इसके जल का उपयोग करने का मध्यप्रदेश को पूर्ण अधिकार है।"

अतः केन्द्रीय शासन द्वारा इस प्रश्न को न्यायाधिकरण को सौंपने के निर्णय का यह सदन विरोध करता है और अपेक्षा करता है कि इस निर्णय को वापस लिया जावे।

विधानसभा के उपरोक्त निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेश याचिका प्रस्तुत की जाकर दिनांक 23 फरवरी 1972 को सर्वोच्च न्यायालय से राज्य शासन के पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया।

दिनांक 10 या 16 मई 1974 को विचार एवं महाधिवक्ता की राय मन्त्रिपरिषद द्वारा सुनने के पश्चात् लगभग दिनांक 23 मई 1974 को तत्कालीन मंत्रिपरिषद् द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकरण को वापस लेने का निर्णय किया गया।

दिनांक 12-7-74 को एग्रीमेंट के द्वारा मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी एवं उनकी मन्त्रिपरिषद द्वारा नर्मदा विवाद "नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण" को सुपुर्द कर दिया गया।

विधानसभा के दिनांक 27 जून 1969 के स्पष्ट आदेश की अवज्ञा करके दिनांक 12-7-74 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा के विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

दिनांक 1-9-78 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में अपने भाषण.....

अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव तो यहीं पर खत्म होता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : तीन लकीर और हैं।

अध्यक्ष : वे प्रस्ताव का भाग नहीं हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, ठीक है पर मेरा कथन यह है कि दिनांक 1 सितम्बर 1978 को माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने भाषण में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। 27 जून 1969 को इस विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया उसकी कार्यवाही मेरे पास है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विशेषाधिकार और विधानसभा की अवमानना का प्रश्न कैसे बनता है और उसके संबंध में क्या करना चाहते हैं और क्या किया जा सकता है। मैं श्रीमान् का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ 43 पर आकर्षित करना चाहूँगा उसमें लिखा है कि :

"Each House also claims the right to punish actions, which, while not breaches of any specific privilege, are offences against its authority or dignity, such as disobedience to its legitimate commands or libels upon itself its officers or its Members. Such actions, though often called "Breaches of privilege" are more properly distinguished as "contempts"

"The privileges of a legislative assembly would be entirely ineffectual to enable it to discharge its functions, if it had no power to punish offenders, to impose disciplinary regulations upon its members, or to enforce obedience to its commands."

अध्यक्ष महोदय, इसी के पृष्ठ 111 पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। उसमें लिखा है कि :—

"Disobedience to the orders of either house, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain from doing a particular act, or contravention of any rules of either house is a contempt of that house ...."

यह कहा जा सकता है कि पूर्व विधानसभा का संकल्प था और उसके बाद अवहेलना की गई तो क्या यह विधानसभा कुछ एक्शन लेने के लिये सक्षम है इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के पृष्ठ 133 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। उसमें लिखा है कि :

"Either house will punish in one session offences that have been committed in another"

"It also appears that a contempt committed against one parliament may be punished by another .....

अध्यक्ष : आपकी सूचना इतनी ही है। इस विशेषाधिकार की सूचना का प्रकरण विचाराधीन रखा जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें भी इस पर कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय, : आपको मैं समय दूँगा।

अब विधानसभा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाती है।

1 बजकर 7 मिनट पर विधानसभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई

म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/9 सितंबर 1978, पृष्ठ/1179-1180)

कोई भी राजनीतिक दल सत्तारूढ़ राजनैतिक दल के संरक्षण में सशक्त एवं सार्थक विपक्ष की भूमिका का भलीभाँति निर्वाह नहीं कर सकता।

— अर्जुनसिंह
(4 फरवरी, 1978)



1979

1979 का बजट सत्र 6 मार्च को प्रारंभ हुआ। राज्यपाल श्री सी.एम. पुनाचा, अध्यक्ष श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर, उपाध्यक्ष श्री रामचन्द्र माहेश्वरी और मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा।

इसी दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। सदस्य श्री शालिगराम श्रीवास्तव (बुधनी) ने उस पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन में उल्लेख किया कि भूतपूर्व वित्तमंत्री पंडित शम्भुनाथ शुक्ल तथा विधानसभा के चार भूतपूर्व सदस्य श्री मोहनलाल बाकलीवाल, श्री गोवर्धनलाल खण्डेलवाल, श्री उदयराम और श्री वंशपति सिंह का निधन हो गया है। सदन में मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा और नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुनसिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

9 मार्च को प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा से निष्कासन और कारावास के निर्णय के प्रति विरोध प्रकट करने वाले आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के विधायकों को गिरफ्तार किये जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। जिस पर अध्यक्ष ने प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी। पूरी चर्चा इस प्रकार है—

अध्यक्ष : मेरे पास दिनांक 22 दिसम्बर, 1978 को वल्लभ भवन में आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के विधायकों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में **श्री अर्जुनसिंह** सदस्य की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ—

"श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा से निष्कासन एवं कारावास के निर्णय के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए माननीय विधायक सर्वश्री भंवरसिंह पोर्ते, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, सत्येन्द्रसिंह ठाकुर, रामजी महाजन एवं हजारीलाल रघुवंशी दिनांक 22 दिसम्बर 78 को मुख्य सचिव के कार्यालय वल्लभ भवन में गये और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया इन सभी आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के विधायकों को गिरफ्तार किया गया और सचिवालय के एक कमरे में बैठाया गया और गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसी बीच श्री सुरेन्द्र विक्रमसिंह, डी.आई.जी. पुलिस ने कमरे में प्रवेश करके बिना किसी कारण के इन विधायकों को अत्यन्त अशोभनीय शब्दों में सम्बोधित करते हुए अपमानित किया और उनके आदिवासी होने का व्यंगात्मक टिप्पणी करके अपमानित किया। इस घटना से स्वाभाविक रूप से इन विधायकों को ठेस पहुँची और भोपाल के कारागृह में इन्होंने इस घटना की चर्चा मुझसे की। इस सन्दर्भ में दिनांक 22 दिसम्बर, 78 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मैंने इस घटना की जाँच की माँग की, लेकिन खेद है कि बिना विधिवत् जाँच किये और शिकायतकर्त्ताओं को अपने पक्ष की बात करने का अवसर दिये हुये आरोप को बहुत ही हल्केपन से नामंजूर कर दिया गया। इस घटना से प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को आघात पहुँचा है, क्योंकि यह दलीय प्रश्न नहीं है, जन प्रतिनिधियों की मर्यादा को सुरक्षित रखने का विषय है। मुख्यमन्त्री के अत्यन्त अनुदार एवं संकीर्ण दृष्टिकोण से प्रदेश में उद्दण्ड एवं अनुशासनहीन कर्मचारियों को जन प्रतिनिधियों का अपमान करने के लिये प्रोत्साहन मिला है और समस्त जन प्रतिनिधियों को अपनी मान-मर्यादा को अक्षुण्ण रखने में सन्देह उत्पन्न हो गया है। अतएव इस सार्वजनिक महत्व के अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा

करने के लिये दिनांक 7 मार्च, 79 की कार्यवाही स्थगित की जावे।

इसके सम्बन्ध में शासन का क्या कहना है?

श्री शिवभानु सोलंकी : (गृह (पुलिस) मंत्री) श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी के खड़े होने पर) पत्र तो मुख्यमन्त्री को लिखा था वे ही इसका उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इनकी तो आवाज ही नहीं आती है। मुख्यमन्त्री जी मौजूद हैं हमारे विरोधी दल के नेता ने पत्र मुख्यमंत्री को ही दिया है वे जवाब दे देंगे तो कुछ ज्यादा बता सकेंगे।

अध्यक्ष : आप शांतिपूर्वक सुन लेंगे तो आवाज भी सुनाई देगी।

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी गृह (पुलिस) मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दि. 22-12-78 को सर्वश्री (1) भंवरसिंह पोर्ते विधायक, भरवाही (बिलासपुर), (2) सत्येन्द्रसिंह ठाकुर विधायक, लखनादोन (सिवनी), (3) हजारीलाल रघुवंशी विधायक, (सिवनी मालवा), (4) वीरेन्द्र बहादुर सिंह विधायक, बसना (रायपुर), (5) रामजी महाजन विधायक, मसोद बैतूल तथा (6) जसवन्तसिंह बरेली (रायसेन) भूतपूर्व विधायक तथा अध्यक्ष रायसेन जिला काँग्रेस पार्टी वल्लभ भवन में विधायक के नाते प्राथमिकता से प्रवेश पाकर सचिव के कक्ष में गये और कहा कि गिरफ्तार कर लिया जाये अन्यथा वे काम नहीं करने देंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि वे ऐसी अप्रिय बात नहीं करना चाहते। इस पर विधायकगण का दल मुख्य सचिव के कक्ष में अपनी जेबों से निकालकर काँग्रेसी झण्डे हिलाने लगे और इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद और मुरारजी भाई मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। लगभग डेढ़ घण्टे तक यह गतिविधि चलती रही और उन्हें समझाने के सभी प्रयास विफल हुए अतः सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उन्हें बाहर ले जाया गया और वे बरामदे में भी नारे लगाते रहे।

पुलिस को इस घटना बाबत और उनके रवैये बाबत सूचना दी गई जहाँ से पुलिस अधीक्षक और कुछ पुलिस दल वल्लभ भवन गया चूँकि घटना मुख्य सचिव के कक्ष में हुई थी और प्रकरण में 5 विधायकगण संबंधित थे अतः पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशानुसार स्थिति को देखने के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक भी वहाँ गये। उन्होंने उन्हें समझाया कि श्रीमती गांधी की गिरफ्तारी और निष्कासन आदि लोकसभा के निर्णय के अनुसार हुआ है और स्थानीय पुलिस से इस बाबत कोई शिकायत नहीं होना चाहिये। इस पर इन लोगों ने पुलिस उप महानिरीक्षक से कहा कि वे तो काम काज ठप्प करने के इरादे से वहाँ बैठेंगे। इस पर उन्हें उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा वाहन में थाना जहाँगीराबाद लाया गया। उनके साथ न तो कोई अशोभनीय व्यवहार किया गया और न ही उन्हें किसी प्रकार अपमानित किया गया। माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा लिखे गये पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच करने के पश्चात् उन्हें समुचित उत्तर दिया गया। मुख्य सचिव के निजी सहायक की शिकायत पर उनके विरुद्ध थाना जहाँगीराबाद में अपराध क्र. 1466/78 धारा 147,148,166 भा.द.वि. 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद में उन्हें ए.डी.एम. (ई) की अदालत में पेश किया गया जहाँ से उन्हें धारा 151 जाप्ता फौजदारी में दिनाँक 4-1-79 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि कथित घटना के संबंध में संबंधित विधायकगणों ने स्वयं कोई शिकायत नहीं की है।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ कि आपने इस विषय को पढ़कर सुनाया ताकि मैं इस संबंध में अपने पक्ष को आपके सामने और सदन के सामने रख सकूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही मैं इसको महत्व देता हूँ, मैंने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उसका उत्तर भी उन्होंने दिया, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जो तथ्य सदन के सामने असन्तुष्ट होने के रखे गये हैं यह सब अनायास ही नहीं हुआ है, यह एक भ्रम में डालने के लिए शायद मुख्यमंत्री जी यह समझते हैं पहले कोई वर्सन उनके मन्त्री का हो जाये और यदि उस वर्सन में कुछ त्रुटि रह जाये तो मुख्यमन्त्री जी का दूसरा वर्सन हो जाये और इसके बाद भी कुछ रह जाये तो किसी मन्त्री का तीसरा वर्सन हो जाये, इस तरह की स्थिति यहाँ पर निर्मित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि 4-5 विधायक मुख्य सचिव के कक्ष में गये उन्होंने वहाँ मुख्य सचिव के कक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि वे प्रदर्शन करना चाहते थे और इसके बाद उनको बाहर ले

जाया गया और वहाँ जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया मुख्य सचिव के कक्ष में न तो वे प्रदर्शन करना चाहते थे और न ही उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया। इसलिये उन्होंने वहाँ से बाहर प्रदर्शन किया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी शिकायत उन्हें गिरफ्तार करने की नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी है। लेकिन इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय, जो सारा काण्ड हुआ उन्हें सचिवालय कक्ष में बैठाया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय सुरेन्द्र विक्रम सिंह आये और उन्होंने जिस प्रकार से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, मैं, अध्यक्ष महोदय, उस भाषा का यहाँ प्रयोग ही नहीं कर सकता। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वे बहुत ही निंदनीय कहे जा सकते हैं। इसके बाद भी माननीय सदस्यों ने संयम रखा और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उससे माननीय सदस्य भी उत्तेजित हो सकते थे और फिर स्थिति दूसरी होती, अदालत के सामने प्रकरण जाता और वहाँ सारे तथ्य सामने रखे जाते, सारी घटना के तथ्य प्रस्तुत किये जाते और वहाँ सबूत भी प्रस्तुत किया जाता। सारे तथ्य शासन को रखना पड़ते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, तथ्यों को दबाने का प्रयत्न किया गया। इन विधायकों को जेल भेज दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय में पत्र लिखा था। इसके सम्बन्ध में जो श्री त्रिपाठी जी ने 27 दिसम्बर को पत्र लिखा उसमें उन्होंने मुख्य सचिव के कक्ष के भीतर और बाहर प्रदर्शन करने को कहा है, स्थिति इससे विपरीत है। इसी विषय में, अध्यक्ष महोदय, जब, प्रधानमन्त्री जी भोपाल आये उनके सामने सारी स्थिति को रखा गया, उन्होंने प्रदेश शासन के हवाले से जो उन्होंने लिखा है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ—

"जहाँ तक शिकायत का सवाल है जिसमें यह कहा गया है कि चार विधायकों को गिरफ्तार करके सचिवालय के एक कमरे में बंद रखा गया और पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया, इस बारे में राज्य सरकार का कथन बिल्कुल दूसरा है। ऐसा लगता है कि वे विधायक स्वयं ही मुख्य सचिव के कक्ष में यह शिकायत करने गये थे कि खुफिया पुलिस उनका पीछा कर रही है और बाद में कहने लगे कि वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ प्रदर्शन करने आये हैं। जब उनको वहाँ से जाने के लिये कहा गया तो कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आकर उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा।"

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय विद्वान राज्य मन्त्री जी गृह ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया।

श्री शीतला सहाय (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह जी इस प्रदेश की गतिविधियों से नावाकिफ होंगे यह मुझे जरा भी अन्दाज नहीं था।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह कहूँ कि मुझे मन्त्री क्या राज्य मन्त्री या उपमन्त्री कहने में संकोच है तो इनके कामों की वजह से है। मैं क्या करूँ? ठीक है, ये मन्त्री हैं।

श्री शीतला सहाय : सवाल यह नहीं है। मगर आपका बस चले तो आप तथ्य को तथ्य नहीं मानेंगे, लेकिन चले कैसे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अब एक नई बात प्रधानमन्त्री के माध्यम से डाल दी गई है लेकिन उसका उल्लेख भी नहीं किया गया और न ही पत्र में कहा गया है। आगे पत्र में और कहा गया कि प्रधानमन्त्री के पत्र में कि "जब उन्हें वहाँ से ले जाने के लिये कहा गया तो कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आकर उन्हें अपने साथ ले ज़ाना पड़ा।" इसका तात्पर्य यह है कि श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं आये और इन विधायकों को लेकर मुख्य सचिव के कक्ष में गये अध्यक्ष महोदय, यह तरीका है। मुख्यमंत्री महोदय ने किसी विषय को भ्रम में डालकर अपनी बात को मनवाने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि शासन को अपने पक्ष के बारे में इतना ज्यादा भरोसा है तो केवल विधायक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि वहाँ पर और लोग भी मौजूद थे जिस समय यह घटना घटी थी, तो फिर आपको इस बात की जाँच कराने में क्या एतराज है। क्या आप चाहते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर उसी प्रकार की प्रक्रिया जो कल अपनाई गई अशिष्ट कर्मचारियों के बारे में यहाँ पर धरना देकर क्या वही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाये? केवल स्थानांतर कर देने से काम नहीं चलेगा। यदि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने के लिये आप बाध्य करते हैं तो न केवल आप इस पद के साथ अन्याय कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ इस प्रदेश के

हर स्तर पर जन प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं जिससे प्रदेश में एक उत्तेजनापूर्ण वातावरण पैदा होगा और फिर यदि कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री जी जाँच से कतराते हैं तो आप स्वयं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं, जाँच करने की पहल करें। मुझे जानकारी मिली है कि इन सभी माननीय सदस्यों ने अपनी ओर से आपसे प्रार्थना की है कि आप स्वयं इस घटना की जाँच करें यदि यह सही है तो आप स्वयं इसकी जाँच करवाकर निष्कर्षों की सूचना इस सदन को दें तभी हम सन्तुष्ट होंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक हम सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैं। हमें लगता है कि किसी अधिकारी को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन हम उस अधिकारी के व्यवहार से सन्तुष्ट नहीं हैं और उसको बिल्कुल भी सहन करने को तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो आप इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये स्वीकृति दें या फिर आप स्वयं इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों के हित संरक्षण के लिये जाँच करवायें और जो भी निष्कर्ष निकले उससे सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि इस घटना से हमारा भी सम्बन्ध है। हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है इसलिये हमें भी दो मिनट का समय दिया जाये। हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है।

अध्यक्ष : बिल्कुल अन्याय नहीं हुआ। आपको ये शब्द नहीं कहने चाहिये।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : कम से कम दो मिनट का समय दिया जाये। आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि जो कुछ हुआ है उसकी मैं भी जानकारी देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आपके लीडर ने सभी जानकारी दे दी है इसलिए अब मैं आपको समय नहीं दे सकता।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : हम पर अत्याचार हुआ उसके लिये आपके पास दो मिनट का भी समय नहीं है?

अध्यक्ष : अत्याचार हुआ जैसा कि आप कहते हैं तो मैंने आपके लीडर को समय दे दिया और उन्होंने सारी बात यहाँ रख दी। इसलिये रघुवंशी जी आप बैठ जायें।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैं सभी से निवेदन करूँगा। माननीय अर्जुनसिंह जी मैं निवेदन कर रहा हूँ। (व्यवधान) तो मैं अपना स्टेप लूँ, आप नहीं बैठेंगे।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे बार-बार निवेदन किया है कि मुझे आप दो मिनिट का समय बोलने के लिये दे दीजिये।

श्री शिवभानु सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को दो मिनिट बोल लेने दीजिए? (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ नियमों का सवाल नहीं है, बल्कि इनके साथ वह अपमानजनक घटना घटित हुई है, इसलिये आप उनकी बात को सुन लीजिये और दो मिनिट का समय आप उनको दे दीजिये?

अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के साथ घटना घटित हुई है उनमें 7 के नाम हैं यदि इस तरह से मैं सभी को समय दूँगा तो फिर कैसे होगा।

श्री लीलाधर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के साथ वह घटना घटित हुई है। इसलिये आपका संरक्षण चाहते हैं। आप उनको दो मिनिट बोलने की अनुमति दें तो उचित होगा।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। प्रश्न कितना भी महत्वपूर्ण हो उसके लिये जो नियम हैं उसके अन्तर्गत यदि आप मुझे सूचना देते कि इसके अन्तर्गत श्री हजारीलाल रघुवंशी भी बोलने वाले हैं तो मैं उनको भी समय देता। लेकिन इस तरह से कोई भी ऐटरेन्डम खड़ा हो जाये कि बड़ा अन्याय हो रहा है इसलिये बोलने दिया जाए यह उचित नहीं है। इस घटना से सम्बन्धित जो भी संरक्षण हो सकता है वह कार्यवाही मैं कर रहा हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐटरेन्डम खड़ा हो जावे। इस सदन में ऐसे अनेक अवसर आये हैं जबकि आपने विशेष परिस्थितियों में माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है चाहे वह नियमों में रहा हो या न रहा हो। अब चूँकि इनके साथ वह घटना घटित हुई है इसलिये आप इनको दो

मिनिट का समय बोलने के लिये दे दीजिये तो उचित होगा आखिर उस पर निर्णय तो आपको ही करना है।

श्री वंशराज तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हल्ला करने वालों को इस तरह से बोलने के लिये समय देना गलत परम्परा होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये। आप भी बैठ जाइये। आप की ओर से सारी बातें घटना से सम्बन्धित कह दी गई हैं। अब आप मुख्यमन्त्री को सुनना नहीं चाहते। यह रूल 55 रखा है इसको आप देख लीजिये।

श्री शिवभानु सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनिट तो आपको मुख्यमन्त्री जी ने रोक दिया घंटी बजती रही .....

अध्यक्ष : मुझे किसी ने नहीं रोका।

श्री शिवभानु सोलंकी : यदि नहीं रोका गया तो फिर आपने 5 मिनिट का समय क्यों बढ़ा दिया।

अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चूँकि माननीय सदस्य के साथ घटना का सम्बन्ध आता है इसलिये उनको दो मिनिट का समय देना उचित होगा।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री हरिभाऊ जोशी (पंचायत मंत्री) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, इस प्रकार से दुराग्रहपूर्वक कोई सदस्य जोर से आवाज लगाकर आपके आदेशों की अवहेलना करके बार-बार बोले, यह सदन की गरिमा के विपरीत है ....

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : हमें आग्रह करने का अधिकार है और आप इसको दुराग्रह मानते हैं तो कह दीजिये हम यहाँ नहीं बैठें।

श्री हरिभाऊ जोशी : दूसरी बात यह कि बार-बार शिवभानु जी सोलंकी कुछ बोल देते हैं हम मजाक में टाल देते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शिवभानु जी हर बात को हल्के-फुल्के ढंग से लेकर अध्यक्ष की आसंदी पर जब चाहें एस्पर्शन किया करें। (व्यवधान) अध्यक्ष की आसंदी पर किया गया एस्पर्शन सारे सदन का अपमान है और इस प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री शिवभानु सोलंकी : पाँच मिनिट तक घंटी बजती रही, यह क्या बात थी?

श्री उमाशंकर पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रघुवंशी जी द्वारा यह सदन का और अध्यक्ष की आसंदी का अपमान है। अगर रघुवंशी जी खड़े होते हैं तो हम भी खड़े हो सकते हैं। वे इस प्रकार का दुराग्रह नहीं करें। ये पूरे सदन का अपमान कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे ऐसा दुराग्रह न करें।

श्री माधवलाल दुबे : यह प्रश्न आग्रह और दुराग्रह का नहीं है। एक माननीय विधायक के अधिकारों का हनन हुआ है और वह विधायक यहाँ उपस्थित हैं, वह अपनी कथा अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं तो आपका संरक्षण मिलना चाहिए। जहाँ तक श्री अर्जुनसिंह जी का प्रश्न है उन्होंने जो बात सदन में रखी है वह उनको माननीय विधायक ने बताई थी। तो यह थर्ड पार्टी का कथन होता है।

अध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंह जी ने जो तथ्य दिये हैं वे वही हैं जो उनको बताये गये होंगे, या विपरीत हैं?

श्री माधवलाल दुबे : मैं मानता हूँ कि वही हैं। एक व्यक्ति विशेष पर जो बीत जाती है उसे वही अच्छी तरह से बता सकता है।

श्री वंशराज तिवारी : एक बार जब आपने मना कर दिया तो फिर बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं।

अध्यक्ष : मैं सुनना चाहूँ तो सुन सकता हूँ।

श्री वंशराज तिवारी : फिर हम यहाँ से घर जाते हैं। बैठकर क्या करें।

अध्यक्ष : जाइए।

श्री वंशराज तिवारी : सदन से बाहर गए।

अध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंह कह देते कि दो मिनट पहले उनको बोल लेने दीजिए। वे खड़े हो जाते हैं, कि यह मेरा अधिकार है, मैं बोलूँगा आप निकलवा दीजिये। वह सदन का कन्ट्रोल लेना चाहते हैं तो ले लें। सदन की इस तरह से मर्यादा भंग करना सहन नहीं होगा।

श्री शिवभानु सोलंकी : उन्होंने आपसे प्रार्थना की थी।

श्री कृष्णपालसिंह (सोहागपुर) : अध्यक्ष महोदय, रूल 56 आपने कोट किया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ—

Provided further that where the Speaker is not in possession of full facts about the matter mentioned therein, he may before giving or refusing his consent read the notice of the motion and hear from the minister and/or members concerned a brief statement on facts then give his decision on the admissibility of the motion

"every member of the house is the concerned member who is concerned with the affairs or

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मेम्बर्स कन्सर्ड केवल वही नहीं है जिसने कि मोशन दिया है बल्कि ऐवरी मेम्बर ऑफ दि हाउस इज दि मेम्बर कन्सर्ड।

अध्यक्ष : मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से असहमत हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों के नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं थे, उन्होंने आपसे निवेदन किया और आपने उन्हें स्वयं बोलने की अनुमति दी है। मैं आपसे केवल इसी आधार पर संरक्षण चाहता हूँ कि जिस प्रकार की घटना रघुवंशी जी के साथ घटी, उससे उनके मन में क्षोभ है वही बात वे आपके सम्मुख कहना चाहते हैं। यदि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है, जो उनको नहीं कहनी चाहिये तो मैं उसके लिये अपनी ओर से अपने दल की ओर से क्षमा चाहता हूँ लेकिन यह जरूर है कि जो घटना उनके साथ घटी है, वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह घटना विधानसभा के माननीय सदस्यों से संबंधित है। आज बहुमत के आधार पर या और किसी आधार पर इस बात की चर्चा को यहाँ रोका जा सकता है या आपके सामने ऐसे तथ्य प्रकाशित किये जा सकते हैं कि जिससे आप सही निर्णय न करें, लेकिन चूँकि माननीय सदस्यों का अपमान किया गया है, उनको उस अपमान के संबंध में इस माननीय सदन के समक्ष दो शब्द भी न कहने दिया जाये तो मैं समझता हूँ कि आप भी ऐसा होने देना नहीं चाहेंगे कि माननीय सदस्य अपने भाव भी आपके समक्ष प्रकट न कर सकें।

अध्यक्ष : यह सदन भाव या भावना व्यक्त करने के लिये नहीं है। यदि भावना की ही बात होती तो रूल्स फ्रेम न होते।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ। यदि इस सदन में हम उन नागरिकों की भावना को उपस्थित नहीं कर सकते जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं और इसी प्रकार से सचिवालय में हरिजन-आदिवासी विधायकों के साथ इस प्रकार की घटना हो जाये और वे मुँह न खोल सकें, अपनी भावना व्यक्त न कर सकें तो किस लिये हम यहाँ पर हैं? .....

श्री शीतला सहाय : आन ए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर यह है कि श्री रघुवंशी जी अभी भी इस सदन की मर्यादा को डिफाइन करते जा रहे हैं और खेद का विषय है कि विपक्ष के नेता उनके पक्ष का समर्थन करते चले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य मेरी विनम्र प्रार्थना को फाँसी लगवा दो कहते हैं तो वस्तुस्थिति क्या होगी यह आप स्वयं समझ सकते हैं।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : पिछले सत्र में आपके साथ भी छात्रों की घटना हुई थी और आपका गला अवरुद्ध हो गया था आँसू निकल आये थे, आप हमारी व्यथा को क्या जानें .....

अध्यक्ष : अगर रघुवंशी जी ने अपना नाम दिया होता कि मुझे बोलने का समय दिया जाये तो बात ठीक थी लेकिन जब वे कहते हैं कि वह मेरा अधिकार है, आप चाहें तो बाहर निकलवा दें, मैं ऐसा करूँगा आदि .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये खेद व्यक्त करता हूँ .....

अध्यक्ष : वो खुद क्यों नहीं खेद व्यक्त करते।

(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जिस मासूमियत से हजारीलाल रघुवंशी के बारे में खेद व्यक्त किया, अध्यक्ष महोदय, चलो मजबूरी में खुदा याद

तो आया, कोई हर्ज नहीं, भले ही देर से आया। अध्यक्ष महोदय, यह कौन-सी बात है कि एक बार अध्यक्ष की तोहीन कर दी जायें तथा अध्यक्ष की आसन्दी का अपमान किया जाये, अध्यक्ष उसके बाद निर्णय भी दे दें और उस निर्णय को माना न जाये—

(व्यवधान)

....माननीय सदस्य के द्वारा निर्णय माना न जाये, और खड़े रहें और अपमानित करें और फिर मजबूरी में कह दिया जाये कि माफ कर दीजिये और जिसके लिये अभी भी तैयार नहीं हैं .....

(व्यवधान)

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि जब माननीय सदस्य ने क्षमायाचना कर ली, दो-दो बार कह दिया तब ये हेडमास्टर साहब जोशी जी शिक्षा देने लगे और कहते हैं कि उन्होंने सुना नहीं तो शीतला सहाय जी उनके पास बैठे हैं मैं कहूँगी कि उनके कानों का इलाज करवा दें।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी देर से आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि विमला जी बड़ी देर से मेरे ऊपर परेशान हो रही हैं, शीतला सहाय जी कहाँ गये हैं .....

(व्यवधान)

श्री शिवभानु सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी और ज़ोशी जी के पिताजी दोनों आजकल च्यवनप्राश खा रहे हैं.....

श्री हरिभाऊ जोशी : और शिवभानु जी दुबले होते जा रहे हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी मामले को उलझाना चाहते हैं वे चाहते हैं कि श्री जोशी जी की तरह सदन के बाहर श्री रघुवंशी जी को भी निकलवा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, जब मामला निपट चुका है तो रघुवंशी जी को बोलने का मौका मिलना चाहिये .....

अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिये या नहीं। प्रश्न यह है कि श्री रघुवंशी ने जो आचरण किया क्या वह शोभनीय था?

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी चाहते हैं कि जैसे इनको बाहर निकाला गया था उसी प्रकार रघुवंशी जी को भी निकाला जाये।

कु. विमला वर्मा : माननीय विरोधी दल के नेता ने भी क्षमायाचना कर ली है, अब तो उनको मौका दिया जाना चाहिए।

श्री वल्लभ शर्मा : रघुवंशी जी रघुवंश की रीति को जानते हैं — रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाई पर वचन न जाई।।, इसलिए वे क्षमा नहीं माँगेंगे।

श्री अरुणप्रताप दुबे : अध्यक्ष महोदय, रहिमन अंसुआ नयन ढरि हिय दुख प्रकट करेय। जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देय।। बरें बालक एक सुभाऊ। इन्हीं न संत विदूषहिं काहू।।

श्री माधवलाल दुबे : जहाँ तक रघुवंशी जी का सवाल है, उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया है। आपसे और सदन से क्षमायाचना कर ली है और निवेदन कर रहे हैं कि उनको समय दिया जाये। हम आपके विवेक से अपील कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मेरा विवेक ठीक है।

श्री मोतीलाल वोरा : हमारे विरोधी दल के नेता ने भी आपसे निवेदन किया है। खेद व्यक्त करने के बाद सारी बातें वहीं समाप्त हो जाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय रघुवंशी जी को दो मिनट बोलने का मौका दिया जाये, सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और आक्षेप का वातावरण समाप्त हो जावेगा।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से अनुशासनहीनता करना और धौंस देकर अध्यक्ष की आसंदी का अपमान करना यदि कोई भी सदस्य इस प्रकार करेगा, तो क्या यह संसदीय परम्परा के अनुकूल है? अगर आपके सामने इस प्रकार का व्यवहार है, तो वल्लभ भवन में किस प्रकार का होगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि उनका इस प्रकार का व्यवहार करना सभ्यता नहीं है, इसलिए उनको सभ्यता सिखाना चाहिए।

अध्यक्ष : मुझे अवसर देना होगा, दूँगा मगर इस प्रकार का रवैया होगा तो नहीं दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी संसदीय परम्पराओं में यह बात है कि कहीं, कहीं

किन्हीं विषयों को लेकर सदन में उत्तेजना हो जाती है, और माननीय सदस्य ऐसी बात कहते हैं, जो शायद संयत रहते तो न कहते और इस बारे में उन्होंने सदन और अध्यक्ष से खेद व्यक्त कर दिया है, तो यह सामान्य शिष्टाचार और परम्परा के नाते किया जाता है, कि उसको समाप्त करके अध्यक्ष इस विषय पर विचार करते हैं।

अध्यक्ष : श्री सखलेचा के विचार जान लेता हूँ।

वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् को अच्छी तरह से स्मरण होगा, यह आज जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है यह 22 दिसम्बर 1978 की घटना के बारे में है। अब श्रीमान् ने चूँकि यह सदस्यों से सम्बन्धित मामला था, इसलिए इतने विलम्ब के बाद भी इसे लाने की अनुमति दी। अन्यथा श्रीमान जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव अर्जेन्ट मेटर ऑफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट पर आता है। 22 दिसम्बर के बाद 'दूसरा रेग्युलर नोटिस दे सकते थे। लेकिन फिर भी चूँकि सदस्यों से संबंधित था, उसके कारण श्रीमान् ने स्थगन प्रस्ताव पढ़कर विरोधी दल के नेता का वक्तव्य सुना। इसी भावना से मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ, प्रथम बात जो श्री अर्जुनसिंह ने कही है।

वल्लभ भवन के अन्दर वे आये और मुख्य सचिव के कक्ष में बैठे थे। माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि मुख्य सचिव ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब डेढ़ घंटा वे मुख्य सचिव के कक्ष में बैठे रहे। अध्यक्ष महोदय, पूरे फैक्ट्स के साथ यहाँ पर जवाब देना था, उन्होंने और विवरण भी बताया है कि सदस्यों द्वारा झंडे अपनी जेबों में से वहीं पर कक्ष में निकाल लिये गये थे, काफी देर तक वे वहाँ पर बैठे रहे और बातचीत करते रहे, उन्होंने चाय भी पिलाई। मुख्य सचिव से इन्होंने कहा कि हम लोग ग्वालियर से आए हैं और रास्ते में खुफिया पुलिस ने हमारा पीछा किया। मुख्य सचिव महोदय ने उसी समय पुलिस हेड क्वार्टर से पता किया और जाँच करवाई कि क्या इस प्रकार खुफिया पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया, परन्तु वहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं पाई गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को लेकर के जो कुछ भी विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए वह उनके निर्णय की बात है, लेकिन मुख्य सचिव के कमरे में मिलने के लिए पर्चा भेजा गया कि हम लोग मिलना चाहते हैं और कक्ष में जाकर वहाँ गिरफ्तारी की बात करना कहाँ तक उचित है, इस बात का निर्णय आप करें और सदन के सदस्य करें। विरोध प्रदर्शन और बात है। कई तरीके हैं। अगर सत्याग्रह करना चाहते हैं तो शुरू से कह देते कि वल्लभ भवन में हम लोग गिरफ्तारी देने के लिये जाना चाहते। .....

(व्यवधान)

श्री कृष्णपालसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव का कक्ष कोई ऐसा पवित्र भवन है जहाँ पर विधायक जाकर अपनी बात नहीं कर सकते।

अध्यक्ष : ये कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री शिवभानु सोलंकी : मुख्य सचिव महोदय को कोई शिकायत नहीं है.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : कोई शिकायत है, यह बात नहीं कही, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप को सत्याग्रह करना था तो यह आपके निर्णय करने की बात है, आप कहते कि हमें सत्याग्रह करना है जैसा कि कलेक्टोरेट्स में या अन्य स्थानों पर किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने भेंट करने का बहाना लिया, आप शुरू से कह देते कि हम लोग सत्याग्रह करने आये हैं, उसमें कोई बात नहीं थी। वहाँ पर आप पहुँचते और जो भी कार्यवाही करनी होती, कानून तोड़ने पर, वह की जाती। आप कक्ष में गये और काफी देर तक बातचीत करते रहे और उसके बाद आपने कहा कि हम लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं। मेरा कहना सिर्फ यह है कि अगर शुरू से सत्य पर आपका आग्रह होता तो गिरफ्तारी देने की बात शुरू से कहते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक दुर्व्यवहार वाली बात है, उन्होंने वल्लभ भवन के सुरक्षा अधिकारी एवं आई.जी.को कहा कि विधायक गिरफ्तारी देना चाहते हैं। आई.जी. ने डी.आई.जी. को भेजा। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया इसके बाद माननीय अर्जुनसिंह जी की चिट्ठी मेरे पास आई। चिट्ठी आने के बाद श्री सुरेन्द्र विक्रमसिंह जी से जवाब माँगा गया, जाँच की गई, उसके बाद गृह विभाग के मंत्री महोदय द्वारा आपको जवाब

दिया गया। जहाँ तक प्रधानमन्त्री जी के पत्र के उत्तर की बात है, उसमें भी कोई विरोधाभास नहीं है। प्रधानमन्त्री जी ने जो इनफरमेशन पूछी, हमने जवाब दिया। आपने उनको भी लिखा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि इससे पहले भी कई प्रश्नों को हरिजन-आदिवासी या हरिजन समस्या से जोड़ा जाता है। आप स्वयं जानते हैं कि जिन सदस्यों के नाम श्री भंवरसिंह पोर्ते, वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री सत्येन्द्र सिंह व श्री रामजी महाजन हों, श्री हजारीलाल रघुवंशी क्या ये भी हरिजन हैं? तो अध्यक्ष, महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न में हरिजन-आदिवासियों का प्रश्न नहीं है। किसी विधायक के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कोई अधिकारी यदि इस तरह का कार्य करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : जब आप जाँच करने के लिये तैयार नहीं हैं तो कार्यवाही किस तरह से करेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आपके संरक्षण में इस तरह का व्यवहार हुआ है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यह गलत है।

अध्यक्ष : (श्री अर्जुनसिंह से) आप भी बोल चुके हैं। सुन लीजिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता किसी भी प्रश्न के ऊपर इतने जल्दी उत्तेजित होकर अपना संतुलन खो देते हैं यह आश्चर्य की बात है। जो प्रश्न माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है हम उस पर पूरी तरह से विचार करने को तैयार हैं। हरिजन-आदिवासी या सामान्य सदस्य के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिये। कोई दुर्व्यवहार करेगा तो हम जाँच करने को तैयार हैं हर बात से आपको राजनैतिक लाभ उठाना है यह आपका मोटो हो सकता है हमारा मोटो नहीं है। जाँच की गई, असत्य पाया गया। आप फिर चाहेंगे तो जाँच कराने के लिये तैयार हैं। यह असत्य है वहाँ पर मुख्य सचिव स्वयं उपस्थित थे। आप कमरे के अन्दर पहुँचे। आप गिरफ्तारी देना चाहते थे इसलिये गिरफ्तारी हुई। पर यह खेद की बात है कि इस सदन के माननीय सदस्य होने के बाद भी आपने सही इच्छा नहीं बताई। दूसरी बात बता कर जाना फिर गिरफ्तारी की बात कहना मैं उसे उचित नहीं मानता। वे सदस्य जो मानते हों वे मानें।

अध्यक्ष महोदय, उत्तेजनावश बात कही गई है। माननीय सदस्य अभी भी कुछ तथ्य बतायेंगे, आपको लाकर दिये हैं, उसका उत्तर दिया है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो फिर जाँच कराने को तैयार हैं।

अध्यक्ष : रघुवंशी जी, आप भावनाएँ, व्यक्त न करेंगे। जो तथ्य श्री अर्जुनसिंह जी ने कहे हैं क्या उसके अतिरिक्त कोई तथ्य कहना है?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : जी हाँ।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपने एक बार अनुमति नहीं दी। उनको राजनैतिक लाभ लेने के सिवाय, लीडर बनने के सिवाय और कोई काम नहीं है। आपके दायरे के बाहर एक भी बात कहें तो आपको रोकना चाहिये।

अध्यक्ष : रोका है (व्यवधान)

श्री विश्वेश्वर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि जैसा कि नियमों में प्रावधान है और पूरा सदन, विरोधी पक्ष के नेता और सदस्य सहमत हो गये कि यह रेजोलूशन मूव करने के बाद माननीय रघुवंशी जी को स्पस्टीकरण देने और प्रकाश डालने का नियमों में प्रावधान नहीं है और उसी के मुताबिक मुख्यमन्त्री जी से पूछा गया था तो क्या आप इन नियमों को शिथिल कर रहे हैं या एक्सपंज कर रहे हैं?

अध्यक्ष : नियमों को शिथिल नहीं कर रहा हूँ। श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा कि तथ्यों पर प्रकाश डालना है। अगर कोई तथ्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा छूट गया है तो कहिए।

श्री विश्वेश्वर प्रसाद : माननीय रघुवंशी जी इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं इसकी प्रक्रिया को जानते हैं। क्या उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि यह प्रस्ताव वे स्वयं मूव करते और तथ्यों पर प्रकाश डालते। उन्होंने नेता को अधिकार दिया।

अध्यक्ष : वह तो पहले ही कह दिया था कि 15 तारीख तक सोते क्यों रहे।

श्री विश्वेश्वर प्रसाद : माननीय विरोधी पक्ष के नेता पूराका पूरा समय ले लें अपनी बात कहने के लिए।

इस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन का बहुत ही कीमती समय बार-बार उन्हीं बातों को दोहराने में चला जाता है और इस प्रकार उन नियमों में शिथिलता नहीं बरतना चाहिये।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि विधानसभा हमारी है और जैसा कि विपक्ष में बैठे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया हमारे साथ ऐसा कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, इतना (हँसी)
हँसिए मत जरा सुनिए तो।

(व्यवधान)

और नीचे हमको वल्लभ भवन सिक्युरिटी गार्ड के कमरे में लाये वहाँ डेढ़-दो हजार कर्मचारी थे। वल्लभ भवन में बैठाया गया जहाँ डी.आय.जी. सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी आये। मैं पहचानता नहीं था और दूसरे विधायक भी नहीं पहचानते थे। उन्होंने पूछा क्यों बैठे हो? हमारे माननीय सदस्य ने कहा हम सरकार का काम रोकने के लिये आये हैं और अन्डर अरेस्ट हैं। उन्होंने डाँटा और इन शब्दों का प्रयोग किया— ब्लडी नॉनसेन्स तुम क्या इस सरकार का काम बन्द करोगे।

(शेम-शेम की आवाज)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों कर्मचारी वहाँ खड़े थे उनके सामने इस तरह का दुर्व्यवहार किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने तथ्यों को छिपाया है हम यह जानकारी सदन को देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/9 मार्च 1979, पृष्ठ/ 230-238)

सदस्य श्री शालिगराम श्रीवास्तव (बुधनी) ने 6 मार्च को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव रखा था। 21 मार्च 79 को उस पर संशोधन आये। इसी दिन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा प्रारंभ हुई। प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह ने ही चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि एक मुट्ठी भर नमक को लेकर इस देश की स्वतंत्रता का शंखनाद किया गया था उस मुट्ठी भर नमक से भी इस देश का नागरिक मोहताज हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास की जिम्मेदारी है वे अपना ही ताना-बाना बुनने में लगे हुए हैं। श्री अर्जुनसिंह का विस्तृत वक्तव्य और चर्चा के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं—

अब राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शालिगराम श्रीवास्तव, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री अर्जुनसिंह चर्चा प्रारंभ करेंगे। विधानसभा 2 बजकर 35 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(1.08 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

{सभापति महोदय (श्री माधवराव इन्दापुरकर) पीठासीन हुए}

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, आज मध्यप्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर बोलने के लिये मुझे अवसर मिला है। मैं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिये तो धन्यवाद अवश्य देना चाहूँगा कि उन्होंने कष्ट करके विधानसभा में पधारने की कृपा की, लेकिन चूँकि उनसे यहाँ पर कहलवाया गया, सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि जो दल इस देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर इतने प्रचण्ड जनमत और बहुमत को प्राप्त करके पदासीन हुआ है और जिसने प्रारम्भ में ही अपनी मंशाओं का इज़हार करके इस प्रदेश व देश के अन्दर एक ऐसे शासन तन्त्र को स्थापित करने की घोषणा की है जो हर दृष्टिकोण से वह सराहनीय हो सकता है वही दल और उसी दल के मुख्यमन्त्री महोदय आज राज्यपाल

महोदय से जो भाषण यहाँ पर उन्होंने दिलवाया है वह अपने आप में ऐसा है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जिस आधार पर समर्थन प्राप्त करके .....

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री व सिर्फ 2 राज्य मन्त्री मौजूद हैं। यह तो धन्यवाद प्रस्ताव का महत्व ही शासन द्वारा आंका जा रहा है। मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठ मन्त्रियों का पता नहीं है कितनी अहमियत दी जा रही है।

श्री शिवभानु सोलंकी : कम से कम हर विभाग से सम्बन्धित एक मन्त्री होना चाहिए क्योंकि इस आलोचना में हर एक की बात कही जायेगी। यदि मन्त्री इसे महत्व नहीं देना चाहते तो राज्यपाल की मन्त्रिमण्डल द्वारा तोहीन सरीखी बात होगी।

श्री मोतीलाल वोरा : विपक्ष के नेता राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं केवल दो राज्य मन्त्री उपस्थित हैं क्या बाकी मन्त्रियों को बर्खास्त कर दिया है ऐसी मुख्यमंत्री घोषणा करें।

श्री प्रेमलाल मिश्र : 2-3 मन्त्री आये हैं हमारे मुख्यमंत्री पूरी केबिनेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम 15 लोग बैठे हुए हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : जो मौजूद हैं वे अपना चांस क्लीयर करना चाहते हैं।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : अलग-अलग विभागों के प्रस्ताव की चर्चा होना है .....व्यवधान .....जो स्थान सदन में मुख्यमन्त्री का है वही स्थान हमारे विरोधी दल के नेता का है .....व्यवधान .....यही परम्परा लोकसभा के विगत पार्लियामेन्ट में भी रही है .....व्यवधान .....यह एरोगेन्ट और इनडिफरेन्ट एटीट्यूड है, यह मैं मानता हूँ।

(व्यवधान)

सभापति : यह अपेक्षा है कि अधिकतर लोग सदन में रहें।

श्री मोतीलाल वोरा : आप निर्देश दीजिये और बुलवाइये उन्हें सदन में।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : इस प्रश्न को इतना लाइटिली न लिया जाये मैं माननीय सखलेचा जी के एक बार के नहीं 10 बार के भाषणों को कोट कर सकता हूँ जिनमें उन्होंने उस समय यही आपत्ति उठाई थी और उस समय जो भी अध्यक्ष की आसंदी पर थे उन्होंने यह निर्देश दिये थे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय और बजट की सामान्य चर्चा के समय मन्त्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री मोतीलाल वोरा : सभापति महोदय, यह इस सदन की परम्परा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय सभी मन्त्री सदन में उपस्थित रहें। उस समय माननीय सखलेचा जी ने विपक्ष के नेता के रूप में जो आपत्ति उठाई थी, वह अपनी जगह सही थी। इस समय भी सखलेचा जी मुंडी हिला रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोधी पक्ष के प्रति क्या रुख है, मैं इस समय उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। क्योंकि शायद इसमें कुछ व्यक्तिगत बात समझ में आये, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत प्रश्न अगल है और विरोधी दल की बात अलग है। विधानसभा का एक भी माननीय सदस्य चाहे वह किसी भी दल का हो उसे यदि सचमुच में आपने इस प्रदेश के अन्दर प्रजातान्त्रिक परम्पराओं के अनुकूल सही रूप में प्रतिस्थापित करने और उसका पालन करने का संकल्प किया है तो यह उसके अनुरूप है। विरोधी पक्ष के प्रति, प्रत्येक माननीय सदस्य के प्रति आपका दृष्टिकोण सहानुभुति, आदर और सहयोग का रहेगा, यह अपेक्षा इस प्रदेश की जनता आपसे करती है। ऐसा नहीं हुआ, यह भी सत्य है। यह उचित है या नहीं इसका निर्णय इस प्रदेश की जनता और इस विधानमण्डल में बैठे हुए सदस्य ही करेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय राज्यपाल महोदय से जो बात कहलवाई गई है उसका उल्लेख दूसरे ही पैराग्राफ में है। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि— लगभग दो साल पहले जब मेरे शासन ने कार्यभार संभाला तब उसने जो संकल्प किये थे उन्हें पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठाये गये हैं। सभापति महोदय, यदि केवल औपचारिकता के नाते यह बात कही गई है तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन यदि यथार्थ को सामने रखकर यह बात कही गयी है तो मैं यह अपेक्षा करता था और इस प्रदेश की जनता यह अपेक्षा करती थी कि इस अभिभाषण में उठाये गये कदमों का भी स्पष्ट उल्लेख होगा। उठाये गये कदमों का

उल्लेख नहीं है और माननीय राज्यपाल महोदय से यह कहलवा दिया गया है कि जो संकल्प किये थे उन्हें पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठाये गये हैं, यह सदन के प्रति अन्याय है और इस प्रदेश की जनता के प्रति भी अन्याय है।

सबसे ज्यादा शोर-शराबा मचाया गया था। दो वर्ष पहले जब शासन पदारूढ़ हुआ था कि हम संकल्पों को पूरा करेंगे। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, और इस प्रदेश के पिछड़े हुए हरिजन तथा आदिवासियों के हितों का सम्बन्ध है, लम्बी-चौड़ी बातें कही गई थीं। भ्रष्टाचार के बारे में पहले ही अभिभाषण में तात्कालिक राज्यपाल महोदय के द्वारा इस सदन में कहलाया गया था।

"मेरा शासन प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कारगर कार्यवाही करेगा। केन्द्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 1971 के आधार पर मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त विधेयक 1974 विधानसभा द्वारा पारित किया गया था जो अभी राष्ट्रपति की अनुमति के विचाराधीन है। लोकसभा के हाल के चुनाव के बाद केन्द्र की नई सरकार ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक को नये रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। मेरा शासन इसी के अनुरूप राज्य के लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त विधेयक को भी यथा-समय संशोधित करेगा।"

राज्यपाल महोदय ने इस बात को कहा था उसको अब दो वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सदन में किसी भी समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात की सूचना दी कि क्या वह लोकायुक्त विधेयक को वापस लेकर उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि उस विधेयक को पास कराने में क्या कठिनाई है? यदि यथार्थ में इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कार्यवाही की गई है तो वह क्या है? यह वचन वर्ष 1977 में राज्यपाल महोदय द्वारा दिलाया गया था। पर अभी वर्तमान राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण इस सदन में दिया है उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सदन में जो दो वर्ष पूर्व जो वायदे किये गये थे उनको पूरा करने के लिये शासन द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये। शायद वर्ष 1977 के वातावरण में और वर्ष 1979 के वातावरण में इतना फर्क आ गया है कि उस समय शासन भ्रष्टाचार उन्मूलन की आवश्यकता समझता था लेकिन आज अब माननीय मुख्यमंत्री कम से कम भ्रष्टाचार उन्मूलन को कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री इस विषय को महत्वपूर्ण समझते तो अभी जो राज्यपाल महोदय ने इस सदन में अपना अभिभाषण दिया है उसमें भ्रष्टाचार उन्मूलन के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई उल्लेख कराया जाता इतना ही नहीं, दूसरा महत्वपूर्ण वचन दिया गया था कि इस प्रदेश के अन्दर होने वाले चुनाव, चाहे वह ग्रामीण स्तर के हों, चाहे नगर पालिकाओं के स्तर के हों, जो भी चुनाव प्रदेश में हों वह निष्पक्ष रूप से हो सकें, इसके लिए प्रदेश में एक चुनाव आयोग की स्थापना की जावेगी। यह बात भी सभापति महोदय, वर्ष 1977 में जो राज्यपाल महोदय, द्वारा अभिभाषण इस सदन में दिया गया था उसमें कहलवाई गई थी। क्या मैं मुख्यमन्त्री जी से पूछ सकता हूँ कि उन्हें इन दो पिछले वर्षों में प्रादेशिक चुनाव आयोग बनाने के लिये कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई कर्मचारी नहीं मिला और कोई अशासकीय व्यक्ति नहीं मिला और इस कार्य को वैसे ही छोड़ दिया। सभापति महोदय, शासन का जो प्रादेशिक चुनाव आयोग का गठन करके, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के साथ समय पर कराने का संकल्प था वह पूरा करने की बात तो एक तरफ रही, मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि नगर पालिकाओं, पंचायतों, जनपद पंचायतों के चुनावों में खुले रूप से शासन तन्त्र का उपयोग, और कोई कसर उठा नहीं रखी कि अपने पक्ष के पंच, सरपंच तथा पालिकाओं के सदस्य चुनकर आयें। इस सबके बावजूद भी जब चुनावों में पराजय हुई तो शायद चुनाव आयोग की सार्थकता मुख्यमन्त्री जी की नजरों में समाप्त हो गई। हमारे प्रदेश की विधानसभा में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कोई हँसी-मजाक का विषय नहीं होता और यह सदन उसे भी हँसी-मजाक का विषय नहीं समझता। आपकी समझ में हो सकता है कि राज्यपाल महोदय से कुछ कहलवा दिया जावे और फिर इस सदन में उस कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव करके सब चले जावेंगे। सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है और शासन के द्वारा किये गये कार्यों को दर्शाता है और भविष्य में शासन जो कार्य करने जा रहा उसकी रूपरेखा को प्रतिस्थापित करता है। लेकिन अध्यक्ष जी, इस प्रकार राज्यपाल

महोदय से उनके अभिभाषण में कहलवाने से और उनको पूरा न करने से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे और किस प्रकार से हम उनके अभिभाषण पर अपनी कृतज्ञता दर्शायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं सेवाओं के संबंध में इस बात का उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय ने किया था कि प्रदेश में निष्पक्ष कनिष्ठ सेवाओं के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की जायेगी। इस चुनाव आयोग की स्थापना नहीं करने के पीछे उनकी क्या मंशा है यह समझ में नहीं आता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन की राज्यपाल महोदय से घोषणा कराने के पीछे क्या मंशा रही है मैं उसको नहीं समझ पाया। मुख्यमंत्री जी इस समय कनिष्ठ स्तर पर चुनाव आयोग की स्थापना कभी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होगा कि अयोग्य हो या योग्य हो या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हो उसे सेवा में भरती करने का पूर्ण अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए वे कनिष्ठ सेवाओं के लिये चुनाव आयोग की स्थापना नहीं करेंगे।

श्री प्रेमलाल मिश्र : ऐसे आयोग की स्थापना करने के बाद तो वे यह शिकायत नहीं करेंगे कि किसी खास दल के लोगों को या जैसा उन्होंने उल्लेख किया, उनकी भरती की जा रही है?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति जी, मैं भाई मिश्र को इसका उत्तर अवश्य देता यदि मेरे उत्तर को शासन मान लेता। मिश्र जी आप जानते हैं आप भले ही संतुष्ट हो जायें लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सभापति महोदय, शासन की मूलभूत नीतियों का उल्लेख निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होता है, मैंने उन नीतियों के सम्बन्ध में, उनको देखने के सम्बन्ध में बहुत कोशिश की, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में उन नीतियों को नहीं ढूँढ़ पाया कि उन नीतियों के द्वारा इस प्रदेश के भविष्य को वे क्या देंगे। प्रशासन चलाने की बात नहीं है, कोई भी योजना जो प्रशासन में बैठा होता है चला सकता है, मैं उन नीतियों की बात कहता हूँ जिनके कारण योजनायें उत्पन्न होती हैं और उससे शासन की नीति को दिशा मिलती है और उस नीति के पीछे योजनाएँ पहुँचती हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इसके सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है कि इस विशाल प्रदेश के नागरिकों के लिए पीड़ित और दुखित नागरिकों के लिये, सामाजिक न्याय देने के लिये और शोषण से बचाने ने लिये क्या करने जा रहे हैं, इसका सभापति महोदय, कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर 4-5 पैरा दिये गये हैं जिनका कोई सिर-पैर नहीं है। मैं सभापति महोदय, बिना सिर-पैर की बात नहीं करना चाहता, सिर की बात करता हूँ तो यहाँ यादव जी नहीं हैं, पैर की बात करता हूँ तो उमरावसिंह भी नहीं हैं। बिना सिर-पैर की मैं बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ जैसा कि कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक-उन्मुख शिक्षा देंगे। इस बात को कहते हुए 3 साल हो गये, लेकिन अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाये कि व्यवसायोन्मुख शिक्षा किस स्तर से होगी, कब से दी जायेगी और किस माध्यम से दी जायेगी। 10-2-3 से दी जाएगी अभी तक शासन नहीं समझ पाया है, आप कहते हैं 10-2-3 से दी जाये तो मोरार जी कहते हैं, ठीक नहीं है 10-3-2 से होना चाहिये।

लेकिन वह 10-4-6 हो या जो भी। इस प्रदेश के बालकों को तो मालूम होना चाहिए, उनके अभिभावकों को तो मालूम होना चाहिये कि हमारे बच्चे को किस आधार पर शिक्षा मिलेगी। अपने यहाँ पर स्कूलों की संख्या कितनी होगी 10-2 के हिसाब से खुलेंगे या 10-3 के हिसाब से खुलेंगे। या फिर जैसे अभी खुल रहे हैं वैसे ही खुलेंगे। एक दिन में श्री उमरावसिंह जी को सपना हुआ कि स्कूल खोल दिये जायें बस स्कूल खुल गये।

श्री लीलाधर : अभी नागपुर से आदेश नहीं आये हैं आदेश आने पर बताया जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, भाई लीलाधर जी ने अच्छा कह दिया नहीं तो मैं कहता तो पटवा जी को खड़े होना पड़ता और वे कहते कि आखिर आप आ ही गये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, मुझे खड़े होना पड़ेगा क्योंकि मुझे भाभी जी ने कह कर भेजा था कि अगर अर्जुनसिंह जी कहीं रास्ता चूकें तो खड़े होकर उनको बता देना।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, सब ही सालों का यही कर्त्तव्य होना चाहिए। सभापति महोदय, मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हुक्म कहाँ से निकलता है और कौन उसको मानता है और कौन नहीं मानता

हैं उन्होंने स्वयं ने श्री सखलेचा जी को किसी समय पराजित किया था। उन्होंने उनके सम्बन्ध में शासन में जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं उनका उल्लेख किया। उन्होंने कर्त्तव्य के निर्वहन में पार्टी के हित में और जनहित में प्रकरण निपटाने की कोशिश की तो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। जिसके कारण उन पर प्राणघातक हमले हुए और उनके लड़के पर भी प्राणघातक हमले किये गये। उनको पकड़ कर बंद कर दिया गया। बाहर से पकड़कर घर लाये और उनको घर से हथकड़ी लगाई गई।

(शेम-शेम की आवाजें)

सभापति महोदय, आप स्वयं इसको समझिए कि क्या इससे शासन बलवान होगा? हथकड़ी लगाने से क्या शासन बलवान होगा? मैं कहता हूँ कि क्या इस आधार पर शासन तन्त्र इस प्रदेश में मजबूती से चल सकेगा? आपकी यह एक भूल है। आपको यह भ्रम हो गया है। ईश्वर ही आपका मालिक है। मैं और क्या कुछ कहूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप चाहे हमें एक बार जाली मुकदमे लगाकर फँसा दीजिये हम आपके पास कभी भी माफी माँगने नहीं आयेंगे। हममें से एक भी आदमी जो हमारा कर्त्तव्य है जनहित के लिए उसको पूरा करने में नहीं हिचकेगा आप चाहे जो कुछ भी कर लें।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि केंद्र से लेकर यहाँ तक लंबे-चौड़े बयान दिये जाते हैं। इंदिरा जी ने आपातकाल में न जाने क्या-क्या सेंसर लगाये, लोगों को बन्द कर दिया और परेशान कर दिया आदि जो कुछ कहा जा सकता है वह कह नहीं सकते। प्रेस सेंसरशिप समाचार-पत्रों पर लगाई। यह जो कहा जाता है कि हमने एक दूसरी आजादी की सुबह में प्रवेश कराया आदि जो कुछ भी कहा जा सकता है वह कहा गया। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता की दुहाई आये दिन दी जाती है। उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री का क्या रुख है वह सदन के लिये अवगत कराना आवश्यक है।

मैं कोई कपोल-कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। यह सदन सचमुच में चाहता है तो मैं आग्रह करूँगा कि यह सदन अपने सदस्यों की एक समिति का निर्माण करे और उसको यह जिम्मेदारी दे कि पिछले वर्ष समाचार-पत्रों और समाचार-पत्रों के मालिकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, दोनों को जो यह धौंस-दपट दी गई है कि आपके पत्र का जो अमुक करेस्पान्डेट है उसको निकाल दीजिये नहीं तो फिर आपका एडवर्टिजमेंट केंसिल कर दिया जावेगा और उसके बाद में उनका एडवर्टिजमेंट काटा गया है। उनका जो पहले एडवर्टिजमेंट था बाद में उसको उसका एक बटा सात भी एडवर्टिजमेंट नहीं मिला है। नाम उसका मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप उसको तंग करेंगे। यदि इसके लिए आप सदन की एक समिति बनायें जिसमें कि बहुमत आपके दल का ही होगा तो उसके सामने हम इस प्रकरण को ले जाने के लिये तैयार हैं। आज जो अखबार निकलते हैं उसमें यदि एक भी समाचार ऐसा निकला जो कि मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा तो फिर उस अखबार के मालिक को बुलाया जाता है और धमकी दी जाती है कि हमारा और आपका जो एडवर्टिजमेंट का कांट्रक्ट है वह खत्म। क्या यही आपका सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा है? क्या यही सम्पूर्ण आजादी आप मानते हैं? क्या इसी को सम्पूर्ण प्रजातांत्रिक पद्धति मानकर समाचार-पत्रों को आप आजादी दिये हैं। सभापति महोदय, हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हुई हों और उनको हमने स्वीकार किया है, लेकिन आज वे ही गलतियाँ दोहराई जा रही हैं, लेकिन उन पर कोई बोलने वाला नहीं है। यह मेरा आपका प्रश्न नहीं है यह प्रजातंत्र में आस्था रखने वालों का प्रश्न है। सभापति महोदय, अब मैं अन्त में एक-दो बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करूँगा। यह बात सत्य है कि इस विशाल प्रदेश की उन्नति और इसमें रहने वाले करोड़ों लोग जिन्होंने कि इसकी उन्नति का नक्शा नहीं देखा है स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश की जो प्राकृतिक सम्पदा है उसका उचित दोहन और साथ ही साथ उनके दोहन के समय इस बात को ध्यान में रखकर कि इस प्रदेश के कोने-कोने में किसी प्रकार का असंतुलन न होने पाये इस आधार पर निर्भर है। चाहे वह उद्योगों के विषय में हो और चाहे वह प्राकृतिक साधनों के विषय में हो व तदर्थवाद के आधार पर जो सौदा सबसे ज्यादा पटाया जा सके उसी आधार पर उद्योगों की स्थापना मध्यप्रदेश में हो रही है। तो उसके लिये आप सेन्टर्स को आईडेन्टीफाई करिए वह केन्द्र बनें। यह नहीं कि जिससे आपका सौदा पट जाये वह ठीक, जिससे सौदा न पटे वह

है। न केवल इस प्रदेश में बल्कि सारे देश में इसकी पर्याप्त जानकारी हो गई है और दल में ही इसकी विवेचना करने के लिये काफी व्यक्ति मौजूद हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, घर से निकलते हैं तो आदेश लेकर निकलते हैं कि क्या करना है।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मैं एक मोटी बात जिसका कि नीति के सम्बन्ध में उल्लेख होना चाहिए था, का सर्वथा अभाव है। शांति-व्यवस्था जैसी बात के लिये माननीय राज्यपाल द्वारा अपने भाषण में केवल एक ही वाक्य पर्याप्त समझा गया है। "इस वर्ष हमारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है।" प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति संतोषप्रद रही यह स्थिति किसके लिये संतोषप्रद रही राज्यपाल महोदय के लिये या त्रिपाठी जी के लिये या मुख्यमंत्री महोदय के लिये इसकी विवेचना करना पड़ेगी। वास्तव में प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर का जो सही मानों में उपयोग किया जाना चाहिये था वह नहीं किया गया। उसका सर्वथा अभाव रहा। त्रिपाठी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों को या अपने मित्रों के पक्ष में या विपक्ष में उपयोग किया है ऐसे प्रमाण मौजूद हैं और उनकी पुष्टि भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री या पुलिस मंत्री जी पुलिस को अपना निजी नौकर समझते हैं और जो कुछ करवाना हो वह करवाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं आपने इधर के पक्ष के लोगों को तो समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है अब तो उधर के लोगों का भी नम्बर लग गया है। यह बात इस विधानसभा में हो चुकी है। उस दल के तीन-चार माननीय विधायकों के विरुद्ध कई प्रकरण दर्ज कराये गये हैं और वे भी संगीन से संगीन जुर्म। एक माननीय सदस्य को तो स्वतन्त्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। 307 के मुकदमे मर्डर के समान चार्ज लगाये गये हैं और 7, 8 और 9 दिन तक जेल में रखा गया। और एक दिन यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान खींचा गया तो जवाब में नहीं कहा गया। मैं उस दिन की प्रोसीडिंग साथ में लाया हूँ। सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन उसी प्रोसीडिंग में पहले उत्तर देकर गृह मन्त्री महोदय ने कहा कि उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 3 मिनिट के अंदर ही मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हम मुकदमे को वापस लेने की कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि माननीय विधायक महोदयों ने एक पत्र लिखा है इसलिये उस पत्र के आधार पर हमें पुनर्विचार करना है। मैं इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने उस समय भी पत्र की माँग की थी कि यह प्रश्न माननीय सदस्यों का ही नहीं है यह प्रश्न प्रदेश की पूरी जनता से संबंधित है जिसे उसे जानने का पूरा हक प्राप्त है। इसमें मुख्यमंत्री और हमारे बीच का प्रश्न नहीं है। प्रशासनिक तन्त्र का उपयोग विधायकों के साथ किस तरह किया जाता है और सामान्य नागरिकों के साथ कैसा किया जाता है यह एक विचारणीय प्रश्न है। उस पत्र में कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले से शासन को मालूम न हो और पहले से हो इस बात का अनुसंधान करें कि उनको जुर्म से साबित मानकर जेल भेजा है। एक शब्द भी उस पत्र में उसके विपरीत कुछ नहीं लिखा है। उस पत्र को मुख्यमन्त्री वापस लेने की घोषणा करते हैं। सभापति महोदय, आप समझिये इसके तात्पर्य को कि इसका क्या मतलब है। यह केवल आम नागरिकों को एक तरह से आगाह करने का प्रकरण है कि जब वे अपने ही दल के विधायकों को नहीं छोड़ सकते तो फिर दूसरे दल के विधायकों की बात ही दूसरी है जो हमसे टकरायेगा हम उससे हर तरह से निपट लेंगे। इससे दूसरे नागरिक भी सहम जायेंगे और कोई भी इस तरह की कार्यवाही न कर सके। जो बात मुख्यमंत्री को प्रिय न हो अगर की जाती है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसे सभी देख लें, यही इनकी मन्शा है। उदाहरण के तौर पर हमारे दल के सदस्यों को प्रदेश के कोने-कोने में परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैंने जो प्रकरण संकलित किये हैं आप चाहें तो मैं उनको सदन के पटल पर रख सकता हूँ हमारे दल के सैकड़ों साथियों को मुकदमों में फंसाया गया है और जेलों में बन्द किया गया है। जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल होगा, यह इस शासन की मंशा है। एक प्रकरण तो ऐसा है, सभापति महोदय, जिसे मैं यहाँ सदन में रखना चाहता हूँ ताकि प्रदेश के नागरिक इस बात से अवगत हो जायें कि स्वयं मुख्यमंत्री जी की इस दिशा में क्या भावना है। मंदसौर जिले में हमारे प्रदेश के एक भूतपूर्व विधायक श्री कन्हैयालाल नागौरी जो कि हमारे दल के एक सदस्य

नहीं ठीक। जिनसे आपका सौदा पट जाये उनकी स्थापना हो जाये और वह राज्यपाल के अभिभाषण में आ जाये कि हमने 300 उद्योगों की स्थापना मध्यप्रदेश में की है और उस दिशा में आपके बढ़ने की मंशा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ वर्ना इस प्रदेश में बहुत से स्थान हैं, चाहे सिंगरौली हो, कोरबा हो, वेलाडीला हो या अन्य स्थल हों जिनको केन्द्र बिन्दु मानकर इस प्रदेश के अन्दर एक मजबूत आधारशिला रख सकते हैं। उस दिशा में क्या किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और जो स्थल पर जाकर देखने को मिलता है, मैं समझता हूँ और माननीय सदस्य जाते होंगे और एक इम्प्रेशन लेकर आते होंगे कि वहाँ पर जो होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि वहाँ के मजदूरों, नागरिकों स्थानीय लोगों को जिनको नौकरी मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। आज स्थिति यह हो रही है कि रेगिस्तान में जैसे ओइसिस होता है वैसे लोग खड़े देख रहे हैं। स्थानीय लोगों को नौकरी में लेना चाहिये, ऐसे नियमों को कार्यान्वित नहीं करा पा रहे हैं। चाहे भिलाई हो, कोरबा हो, वेलाडीला हो, दल्ली राजहरा हो, सिंगरौली हो या दूसरा स्थान हो। क्या कारण है, मैं नहीं जानता। उद्योगों के सम्बन्ध में जो प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, एक विशाल दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं, यहाँ के नागरिकों की आवश्यकताओं को देखकर एक योजना बनाई जानी चाहिये जो प्रदेश को सर्वतोमुखी विकास की ओर ले जा सके। वित्तमंत्री जी आ गये हैं, योजना बनाने का काम केवल आँकड़ों के आधार पर भाषण देने से नहीं हो सकता है। इस प्रदेश के लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्या कारण है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त हुए दो वर्ष हो गये और छठी योजना की रूपरेखा भी नहीं मालूम। प्रतिवर्ष योजना बनाकर काम चलता है और अभी तक शायद इस बात का मूल्यांकन नहीं हो सका, सही रूप से आपने अपने दिमाग में एक तस्वीर नहीं बनाई कि छठी योजना की क्या रूपरेखा होगी, किस आधार पर साधन जुटाये जायेंगे और किस तरह उनका उपयोग किया जायेगा? सदन को स्पष्ट नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो वित्तमन्त्री को मालूम है। बहुत-सी बातें जो मालूम रहती हैं वह यहाँ नहीं कहना चाहते और जो जानकारी मिलती है उसको लेकर उसका उपयोग नहीं करना चाहते। रोलिंग प्लान है तो कहाँ जाकर टिकेगा। दो साल हो गये तीन साल और लुढ़क चलिए जैसा शालिगराम जी ने कृतज्ञताज्ञापन में कहा था कि निश्चित रूप से लक्ष्य की तरफ पहुँच जायेंगे जहाँ आपने सोच रखा था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बीच में इस प्रदेश के अभागे नागरिकों का क्या होगा। मुझे चिन्ता है, आपको होगी, मुख्यमन्त्री और वित्त मन्त्री को उसकी चिन्ता है या नहीं, इस बात का प्रमाण मिलना शेष है। अन्त में प्रदेश के हरिजन-आदिवासियों के सम्बन्ध में इस भाषण में उनके विकास में सहायक होने वाली योजनाओं का उल्लेख है उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ उनमें से कुछ योजनायें ऐसी हैं जो उनके हाथों में कुछ साधन पहुँचायेंगे, लेकिन किसी पिछड़े, किसी गरीब, किसी साधनहीन व्यक्ति के हाथ में साधन पहुँचा देना ही उसकी प्रगति को आश्वस्त कर देना नहीं है..... साधन पहुँचाये बिना ही उसकी प्रगति को आश्वस्त नहीं करते हैं, क्योंकि जो शासन की श्रृंखला है, वह नीचे से ऊपर तक बनी हुई है और श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास तक इस शासन की ओर से नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि जो साधन पहुँचते भी हैं तो वे भी बहुत थोड़े समय में उन लोगों के हाथ में पहुँच जाते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जमाखोर हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग उन साधनों को हड़प कर उस व्यक्ति के पास, जिनके पास शासन सत्ता होती है पहुँचते हैं और उसको उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ वह पहले था। इस प्रथा को तोड़ने की क्या चेष्टा की जा रही है, इस सम्बन्ध में इस अभिभाषण में कुछ नहीं दर्शाया गया है। मैं तो यह भी कहूँगा कि जहाँ पिछले अभिभाषण में मुनाफाखोरी और जमाखोरी की चर्चा की जाती थी, अभी के अभिभाषण में उसका उल्लेख तक नहीं किया गया है। शायद शासन यह समझता है कि वे सब समाप्त हो गये हैं और अब उनसे कोई खतरा पैदा होने की सम्भावना नहीं है। इसीलिये सम्भवतः इस अभिभाषण में उसका उल्लेख तक नहीं किया गया है। एक कहावत कही जाती है— नून, तेल और लकड़ी। ये तीन चीजें होती हैं जिनको प्राथमिक आवश्यकता की चीजें कहा जाता है— एक मुट्ठी भर नमक को लेकर इस देश की स्वतन्त्रता का शंखनाद किया गया था। जिस नमक को लेकर लंगोटी बाँधकर आंदोलन किया गया था और जिस नमक ने किसानों को, मजदूरों को और सभी वर्ग के लोगों को शक्ति दी थी कि उस शक्ति के आगे इतने बड़े साम्राज्य को घुटने टेकने पड़े थे,

उस मुट्ठी भर नमक से भी इस देश का नागरिक मुहताज हो गया है। और इस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं सभापति जी, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप कृपा करके मुख्यमन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने में हमारी सहायता करें क्योंकि यह तभी संभव है जबकि वे स्वयं इन भावनाओं से उत्प्रेरित हों। इस प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास की उनकी जिम्मेदारी है। शोषण को समाप्त करने की भी उनकी जिम्मेदारी है, हर प्रकार के भ्रष्टाचार व आतंक को समाप्त करने की भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते हैं कि इसका भान भी इन मुख्यमंत्री जी को नहीं है। वे तो केवल अपना ही ताना-बाना बुनने में लगे हुए हैं। यदि शासन तन्त्र का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभों के लिये करने का तय कर लिया जाये तो यह इस प्रदेश को सर्वतोमुखी विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर ही ले जायेगा। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी स्वयं के आगे किसी को कुछ नहीं समझते, इससे इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि इस कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव को अस्वीकृत करके यह सदन विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

श्री श्रीवल्लभ शर्मा (चाचौड़ा) : माननीय सभापति जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अभी विरोधी दल के नेता आदरणीय बाबू अर्जुनसिंह जी ने जब अपनी बात प्रारम्भ की तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अनुभव में हीन अनुभवी बाबू अर्जुनसिंह जी के विचार सुनकर कुछ ग्रहण करने की कोशिश करूँगा; लेकिन पूरा भाषण केवल एक सीमा पर ही आधारित था और वह सीमा थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि वे किसी आइने के सामने खड़े हुए हैं और अपना चेहरा देखकर बखान कर रहे हैं। वे पत्रकारों की बात कर रहे थे। वे वह जमाना भूले नहीं होंगे कि जब इस सदन में पत्रकार बैठ नहीं सकते थे, अर्जुनसिंह जी उस समय में थे, उन्हें याद होगा उस जमाने को भूले नहीं होंगे आप्रातकाल याद करें।

श्री अर्जुनसिंह : मेरी प्रार्थना है शर्मा जी से कि वे भाई अर्जुनसिंह जी कहें, बाबू-बाबू क्यों कह रहे हैं .....

श्री श्रीवल्लभ शर्मा : सभापति महोदय, मैं 'बाबू' शब्द वापस ले लेता हूँ मैंने सोचा था कि 'बाबू' शब्द श्री अर्जुनसिंह जी को प्यारा लगेगा।

श्री प्रभुनारायण टंडन : ब्लेक मार्केटिंग में इन्हें बाबू के पास जाना पड़ता है इसलिए ये बाबू-बाबू कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्री वल्लभ शर्मा : इसलिये मैंने कहा था, सभापति महोदय, कि अर्जुनसिंह जी सामने आइना लगाकर अपना बखान कर रहे थे। उन्होंने प्रारम्भ करते हुए कहा था तो उस सम्बन्ध में मैं श्री अर्जुनसिंह को इस सरकार के पहले राज्यपाल के अभिभाषण की आखिरी लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि माननीय सदस्यगण सहमत होंगे कि तीन सप्ताह का समय किसी भी लोकप्रिय सरकार के कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए बहुत कम है। यह पहला भाषण हमारी सरकार के पास आया उसके बाद दूसरा अभिभाषण राज्यपाल श्री वांचू साहब का आया जिसका इन्होंने उल्लेख किया। जब पहला अभिभाषण आया तो इस सरकार को तीन सप्ताह ही हुए थे और दूसरे अभिभाषण का प्रारम्भ हुआ नीतियों के आधार पर उन्होंने उसमें बताया था कि इस शासन की विकास नीतियाँ क्या होंगी, सिंचाई की योजना क्या होगी, ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाएँ क्या होंगी, कृषि विकास की योजना, शिक्षा, बिजली की योजना एवं वन विभाग की योजना क्या होगी, हरिजन-आदिवासियों की क्या होगी इन सब बातों पर विस्तृत प्रकाश डाला था उसी परिप्रेक्ष्य में अर्जुनसिंह जी ने इस भाषण को पढ़ा होता तो उनकी वार्ता को कुछ और बल मिलता लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और केवल अपनी ही बातें उल्लिखित करते रहे। उन्होंने उन नीतिगत सिद्धांतों की ओर ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, अब मैं कुछ आँकड़ों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। राज्यपाल महोदय ने 15 पेजी अभिभाषण के 68 खंडों में व्यक्त किया है। प्रथम खंड में ही उन्होंने जनोपयोगी वस्तुओं जैसे गेहूँ, चावल, दाल, तेल, शक्कर आदि जिनके भाव कम हो गये हैं, से ही उन्होंने अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया; लेकिन माननीय अर्जुनसिंह जी ने अपना भाषण नमक पर समाप्त किया मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे इस ओर देखें।

श्री अर्जुनसिंह : नमक पर इसलिए समाप्त किया क्योंकि हम लोग नमक हलाल हैं।

श्री श्री वल्लभ शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह कहना नहीं चाहता था लेकिन अच्छा ही हुआ कि उन्होंने स्वयं ही यह स्वीकार कर लिया मैं उनसे कहना चाहता था कि वे नमक के हलाल बनें, न कि नमक के हराम इस सदन में भी कुछ नमक है और वो पानी उनके पास.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : किसके नमक हलाल हैं श्रीमती जी के या महात्मा गांधी के .....

श्री अर्जुनसिंह : कम से कम हम लोग छल और दम के बल पर गांधी जी की समाधि पर शपथ नहीं खाते, मन से हम गांधी के हैं, झूठी शपथ गांधी जी की समाधि पर नहीं लेते .....

एक माननीय सदस्य : गांधी जी के सिद्धांतों की हत्या करके इस प्रकार की बातें करते हैं, भूली हुई बातें .....

श्री अर्जुनसिंह : हमने तो सिद्धांतों की ही हत्या की आप लोगों ने तो गांधी जी की हत्या कर दी .....

श्री मोतीलाल वोरा : वास्तव में गांधी जी की हत्या करने वाले नमक हराम हैं, हम तो इन्दिरा जी को भी मानते हैं और गांधी जी को भी .....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/21 मार्च 1979, पृष्ठ/ 372-377)

दिल्ली विकास प्राधिकरण में एक जमीन की नीलामी में मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा के पुत्र श्री ओमप्रकाश सखलेचा द्वारा एक करोड़ बीस लाख रुपये की बोली लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह का स्थगन प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय से चर्चा का निवेदन किया गया किन्तु चर्चा की अनुमति न मिलने और कार्रवाई रिकार्ड न किये जाने के आदेश के विरोध में काँग्रेस (आई) के सदस्यों ने बहिर्गमन किया। पूरी चर्चा इस प्रकार है—

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन लिया जाए।

अध्यक्ष : कौन-सा एडजर्नमेंट मोशन?

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपकी अनुमति चाहूँगा कि आपको स्मरण होगा कि विधानसभा में आपने कृपापूर्वक—

अध्यक्ष : आप लिखवाकर ले आये हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं जानकारी देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : जानकारी तो दे दी गई है।

श्री अर्जुनसिंह : आप पहले सुन तो लीजिये। स्थिति यह है कि वहाँ पर इस बात को सदन के नेता महोदय ने कहा था कि दिल्ली प्राधिकरण में कुछ नीलामी में उनके पुत्र ने भाग नहीं लिया। मेरे पास जो जानकारी है उसमें 5 लोगों ने भाग लिया था। एक भाटिया ने, दूसरे ओमप्रकाश सखलेचा ने।

(व्यवधान)

श्री नरनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

(काँग्रेस बैंचेज की तरफ से एक साथ जोर की आवाज "बैठ जाओ बैठ जाओ")

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इस तरह से किसी को डाँटेंगे नहीं चाहे वह काँग्रेस पक्ष के हों या कोई भी हों। दैट विल नाट अलाउड।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन पाँच लोगों ने बोली लगाई थी वे इस प्रकार हैं— 1. श्री अंसल इंडस्ट्रीज प्रोप्राइटर सहवल एन्ड भाटिया। इन्होंने 1 करोड़ 32 लाख की बोली लगाई थी और दूसरे नम्बर हैं, श्री ओमप्रकाश सखलेचा इन्होंने 1 करोड़ 31 लाख की बोली लगाई थी और अध्यक्ष महोदय, इसके बाद तीन नाम और हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उप-राज्यपाल, दिल्ली, को दिनांक 10-2-79 को इस नीलामी की सूचना दी, जिसमें

श्री ओमप्रकाश सखलेचा की बोली का भी उल्लेख किया गया। उप-राज्यपाल दिल्ली ने इस नस्ती को देखकर दिनांक 14-2-79 को हस्ताक्षर किये। इस प्रकरण की जानकारी रेवेन्यु इण्टेलीजेन्स ने भी अपने इन्स्पेक्टर श्री लालसिंह द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त की। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने सूचित किया है कि मैं डी.डी.ए. से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूँ इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली प्राधिकरण के अन्दर की बात है, वे मुझे कोई उत्तर देंगे इसमें मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह जानकारी, संसद के कुछ सदस्यों ने भी अल्पसूचना प्रश्न द्वारा चाही थी। उनको भी यह जानकारी नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजेन्द्र प्लेस में भू-खण्ड की नीलामी में मैंने पाँच नाम आपके सामने रक्खे हैं जिन्होंने कि उस नीलामी में हिस्सा लिया। जब संसद के सदस्यों को भी दिल्ली प्राधिकरण ने उस नीलामी में किस-किस ने हिस्सा लिया यह जानकारी नहीं दी तो फिर वे मुझे भला क्यों जानकारी देने लगे। इसलिये मैं चाहता हूँ कि चूँकि यह प्रकरण अभी पेंडिंग है इसलिये इसको डिसपोज ऑफ करने के लिये दिल्ली प्राधिकरण से नाम माँगिए कि किस किसने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजेन्द्र प्लेस में भू खण्ड की नीलामी में भाग लिया है।

अध्यक्ष : दि मैटर इज नाट पेंडिंग विफोर दि हाउस।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि विरोधी दल के नेता ने इस तरह की बात किसी डाकूमेंट के आधार पर कही है। जो कि सर्वथा बनावटी बेबुनियाद और गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि विरोधी पक्ष के नेता कहते हैं कि किसी इन्स्पेक्टर ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट डी.डी.ए. को दी है और माननीय अध्यक्ष महोदय, वे खुद रेफर कर रहे हैं कि राज्यसभा के अन्दर चर्चा हुई। राज्यसभा के अन्दर हाउसिंग मिनिस्टर के द्वारा यह बात स्पष्ट कही गई कि केवल हाईएस्ट विडर के अलावा और कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। इसके अलावा लोकसभा के अन्दर प्रश्नोत्तर हुए और लोकसभा के अन्दर प्रश्नोत्तर के जवाब में यह भी कहा गया कि दिल्ली प्राधिकरण के अन्दर यह सिस्टम है कि केवल हाईएस्ट विडर का रिकार्ड रखा जाता है। अन्य किसी भी विडर का रिकार्ड नहीं रखा जाता । हमारे यहाँ यह सिस्टम है, अध्यक्ष महोदय, कि अन्य विडर से डिपोजिट लिया जाता है दस्तखत करवाये जाते हैं। किसी प्रकार से भी अगर वे दस्तखत प्रस्तुत कर दें अध्यक्ष महोदय, तो मैं इसके लिये पूरी तरह से जिम्मेदारी मानने के लिये तैयार हूँ । यद्यपि मेरा पुत्र वहाँ पर दिल्ली में रहता है। आज अर्जुनसिंह का सुपुत्र अगर वेस्ट जर्मनी में रहता है उसके आफेन्स के लिये यदि वे अपने को रिस्पान्सिवल मानते हैं तो मैं यह बात स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ, लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्थिति क्या है।

XX.....XX अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की झूठी बातें फैलायी जा रही हैं और कि इस प्रकार के झूठे डाकूमेंट और फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण का मामला है जो सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड है। उसके बारे में सिकंदर बख्त जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर हैं वे भी हाऊस में डिनाई कर चुके हैं कि हाईएस्ट विडर के अलावा किसी का रिकार्ड दिल्ली प्राधिकरण में रखा नहीं जाता लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने आप स्वयं पूछने गये थे उनकी सूचना आने के बाद उसमें अथॉरिटेटिव इनफार्मेशन उसको नहीं मान सके। तब लोकसभा के अंदर इस प्रकार का उत्तर दिया गया है।

×××.....××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

इस प्रकार की अनअथॉराइज्ड सूचना सदन में लाकर गलतफहमी पैदा करना, यह सदन की परम्पराओं के प्रतिकूल है। इसलिए इस प्रकार जो अनअथॉराइज्ड सूचना पढ़ी गई, इसको सदन की कार्यवाही से निकला जाना चाहिये।

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर-2) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, जैसा अभी हमारे नेता अर्जुनसिंह ने कहा कि मि. सिकन्दर बख्त केन्द्रीय मन्त्री ने घोषित किया है कि हमें जो कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उसमें हाईएस्ट विडर का नाम है। इसके अलावा और कोई सूचना उनको प्राप्त नहीं है। निश्चित रूप से सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं लेकिन मिनिस्टर साहब को नहीं दिया गया। उनसे राज्यसभा में कहा गया कि बाद में प्राप्त हो गए तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उस आफिस में सारे कागजात मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ जनहित में उन सारे कागजात को मँगायें, वर्ना हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। यह कहने से नहीं बचा जा सकेगा कि हमारे मुख्यमंत्री के पुत्र ने इसमें भाग नहीं लिया।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, पाँच लोगों के विडर किया उसमें केवल हाईएस्ट विडर का नाम रखा गया मुख्यमंत्री ने इस बात को इन्कार नहीं किया।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैं इंकार कर चुका हूँ कि इसमें विड नहीं किया।

श्री मोतीलाल वोरा : मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि इन्हें बदनाम करने के लिये दिल्ली प्राधिकरण में जो अधिकारी गये हैं वह अनाप-शनाप अफवाह फैला रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से यह उठता है कि मुख्यमंत्री जी जिनके स्वयं के लड़के श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बोली लगाई, वह हाईएस्ट विडर नहीं था, और वह हाईएस्ट विडर होता तो उसका नाम आता। क्या मुख्यमंत्री जी के लड़के ने एक लाख बीस हजार की बोली लगाई थी (व्यवधान) हम लोगों ने प्रयास करके पाँच नाम प्राप्त किए।

अध्यक्ष : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मोतीलाल वोरा : जी हाँ।

अध्यक्ष : मैं इसको डिस अलाउ करता हूँ।

श्री माधवराव इंदापुरकर : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, जब मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से इंकार कर चुके हैं तो बार-बार यह बात किस तरह से उठाई जा सकती है?

अध्यक्ष : इसके बारे में जंवाब देने वाला था लेकिन आप चर्चा करते हैं तो कर लीजिए!

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, क्या कभी भी, किसी भी समय बिना किसी मोशन को प्रस्तुत किये कोई बात उठाई जा सकती है? यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।

अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं उठाई जा सकती है।

श्री शीतला सहाय : जब आपकी व्यवस्था है कि नहीं उठाई जा सकती तो यह कैसे उठा रहे हैं?

अध्यक्ष : श्री मोतीलाल जी वोरा, आपका कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, मैं उसको डिस अलाउ करता हूँ। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से किसी चीज की चर्चा करना चाहते हैं और हाउस के ऑर्डर को डिस्टर्व करना चाहते हैं। विरोधी दल के नेता ने जो बात रखी उसके बारे में मैंने कहा था कि मेरे कक्ष में आइए, मुझे सेटिस्फॉय करिए, मुझसे बात कीजिए, लेकिन आपके नेता ने विचार नहीं किया न अध्यक्ष से मिले। उन्होंने हमेशा इस बात को हाउस में रखने की कोशिश की जबकि एडजर्नमेंट मोशन डिस अलाउ हो चुका था। उन्होंने हमेशा मसले को हाउस में रखने पर जोर दिया, मेरे कक्ष में चर्चा नहीं की।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करता हूँ, लेकिन कृपा करके इस बात को ध्यान में रखें कि इस मसले पर पुनर्विचार की बात ही आपने कही थी और उसके बाद भी मैंने आपको पत्र लिखा कि आप स्वयं जानकारी लें। अध्यक्ष महोदय, साधारण नागरिक की हैसियत से जितनी जानकारी हम ला सकते थे, उतनी जानकारी हम लाये। अब हम यह चाहते हैं कि क्या सत्य और क्या असत्य है इसका पता चले। आपने सदन में कहा कि हम मँगायेंगे। मैं तो यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मँगा लें जिससे चीज साफ हो सके।

अध्यक्ष : जब यह प्रश्न आया था, मैंने यह कहा था कि मैंने आपको पत्र लिखा कि आप जानकारी मँगवा लीजिये या आपको सूचना दी कि आप जानकारी मँगवा लीजिये तो आप बाई फोर्स नहीं कह सकते। आप मुझको ओवर रूल करके, बाई पास करके सदन में यह चीज लाना चाहते हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : जब जानकारी लाने का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एकार्डिंग टु युअर विशेज आप चलाना चाहते हैं। आप बाई फोर्स किसी चीज को नहीं कर पायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइये— आप मुझको किसी से बात नहीं करते देना चाहते?

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यदि सखलेचा जी आपत्ति करते हैं कि जानकारी न मँगाई जाये तो

बात समझ में आती है लेकिन

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यू फेल टू हैव ऐनी टॉक विद मी फार फोर आर फाइव डेज।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : आप जनता की आवाज को बन्द नहीं कर सकते।

श्री सूरजमल जैन : अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा है कि प्रश्नोत्तरों के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है उसके बाद यदि कोई काम रोको प्रस्ताव आता है तो उसके बाद आप शासकीय कार्य लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, शासकीय कार्य के बाद काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे अनुभव हो रहा है कि माननीय श्री राजेन्द्र धारकर जी द्वारा कार्य-मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के बाद चर्चा हो रही है जो परिपाटी के खिलाफ है। दूसरा सवाल यह है कि यह परिपाटी के खिलाफ है तो क्या यह जो कार्यवाही हुई है उसको कार्यवाही से निकालने हेतु आप निर्देश देंगे?।

अध्यक्ष : मैं देख लूँगा। इसके लिये मैं कोई आश्वासन नहीं देता।

श्री प्रभुनारायण टंडन : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : अगर आप भी इसी सम्बन्ध में बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूँगा।

श्री प्रभुनारायण टंडन : अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि—

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार आगे की कार्यवाही रिकॉर्ड नहीं की गई)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा आगे की कार्यवाही रिकार्ड न किये जाने के आदेश दिये जाने के विरोध में काँग्रेस (आई) के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 अप्रैल 1979, पृष्ठ/ 1136-1139)

आचार्य बिनोवा भावे द्वारा देश में गोवध बन्द करने के लिए 24 अप्रैल 79 से आमरण अनशन करने की घोषणा की गयी।

श्री अर्जुनसिंह (नेता प्रतिपक्ष) : *संत आचार्य बिनोवा भावे के द्वारा गोवध को भारत में बन्द करने के लिए घोषित 24 अप्रैल 1979 का आमरण अनशन समस्त देशवासियों एवं इस प्रदेश के नागरिकों के लिए एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। आधुनिक भारत के इस महान मनीषी के जनहित में उठाये गये इस कदम के प्रति सामूहिक समर्थन है। मध्यप्रदेश की विधानसभा भी केन्द्रीय शासन से यह अनुरोध करना चाहेगी कि उनकी इस औचित्यपूर्ण माँग को पूरा करवा के एक अत्यंत अप्रिय एवं राष्ट्रहित में विपरीत परिस्थिति को बचाये।*

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/11 अप्रैल 1979, पृष्ठ/ 1359)

11 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने अपने विभागों से संबंधित माँगों की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन माँगों पर कटौती प्रस्ताव भी आये चर्चा की शुरूआत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह ने आरोपों की झड़ी लगा दी। उनका विस्तृत वक्तव्य और चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

अध्यक्ष : उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब माँगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री अर्जुनसिंह चर्चा प्रारम्भ करेंगे। विधानसभा 2 बजकर 50 मिनिट तक के लिए स्थगित।

(1.23 से 2.50 बजे तक अन्तराल)

{उपाध्यक्ष (श्री रामचन्द्र माहेश्वरी) पीठासीन हुए।}

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, ----------।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं हुआ है, आप गिनती करा लीजिए। सिवाय मुख्यमंत्री जी के शासकीय बैंच पूरी खाली है।

उपाध्यक्ष : सदन 5 मिनिट के लिए स्थगित।

(2.50 से 2.55 बजे तक विधानसभा स्थगित रही)

{उपाध्यक्ष (श्री रामचन्द्र माहेश्वरी) पीठासीन हुए।}

उपाध्यक्ष : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन 5, 7 दिनों में दो बार कोरम के अभाव के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा।

श्री कृष्णपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सब लोग मुख्यमन्त्री जी की डिमाण्ड्स से कितना असहयोग कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा?

उपाध्यक्ष : ठीक है, अगर सब मंत्रिगण उपस्थित नहीं हैं फिर भी काफी हाजिर हैं। फिर भी यह बात मुख्यमंत्री जी के सोचने की है मेरे सोचने की नहीं।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : उपाध्यक्ष जी, और तो और वित्तमंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति खल रही है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उपाध्यक्ष जी, आप तो पूरी सरकार के प्रति खेद प्रकट कर दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य प्रशासन विभाग, सिंचाई विभाग, और सूचना विभाग तथा उनसे सम्बन्धित अन्य विभागों की जो माँगें सदन में रखी हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विशेष करके जिन माँगों के उपयोग के लिए सदन से अनुमति चाही है, उन विभागों के कार्य-कलाप जो पिछले एक वर्ष में हो रहे उनसे आगे के वर्ष के लिए जो पूर्वाभास होता है, उनकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है तथा अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे, इसलिये संक्षेप में ही कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष जी, प्रजातंत्र में प्रशासन, चाहे उसका मुखिया कोई भी क्यों न हो, यह सर्वमान्य मौलिक सिद्धान्त के आधार पर चलाया जा सकता है और उपाध्यक्ष जी, यह दल जो जनता पार्टी के नाम से चुनकर आया है वह स्वयं अपनी स्थिति के अनुसार एक पार्टी कहने का हकदार नहीं रहा है फिर भी यह अपने को एक पार्टी कहते हैं और इन्होंने जब शासन सम्हाला था तब बड़े लम्बे-चौड़े वायदे, एक स्वस्थ प्रशासन देने के, सब प्रकार से भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देने के तथा सब लोगों को समान रूप से अधिकारों का प्रयोग करने के तथा सब लोगों को इनके प्रशासन के तहत अपने विकास के रास्तों के अवसर देने के, यह सब वायदे इन्होंने किये थे। आज मुख्यमन्त्री जी उस प्रशासन तन्त्र के मुखिया के नाते किस हद तक उन वायदों को पूरा करने में सफल हुए हैं और किस हद तक उनके स्वयं के तथा उनके मन्त्रियों के आचरण की वजह से एक दूसरे तरह की स्थिति आज इस प्रदेश में उत्पन्न हुई है, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अपने विभागों का कार्य करते हुए उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं जिन अधिकारों का प्रयोग उन्हें जनहित में करना आवश्यक है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यदि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अपने उन अधिकारों का उपयोग जनहित में नहीं करके केवल अपने व्यक्तिगत या कुछ लोगों के हित में प्रारम्भ कर दें और उसी आधार पर प्रशासन तंत्र में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से प्रशासन कभी स्वच्छ न रह सकता, न भ्रष्टाचार से मुक्त रह सकता, न अपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है जिस उद्देश्य की पूर्ति की आवश्यकता और आकांक्षा प्रजातन्त्र में की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं अन्य मन्त्रियों के बारे में अन्य साथी लोग कहेंगे? मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ, यदि सब से ज्यादा प्रशासन तंत्र में हस्तक्षेप देखें राजनैतिक स्तर पर, व्यक्तिगत आधार पर तो वह मुख्यमन्त्री जी द्वारा किया गया है। इसके अनेक उदाहरण हैं, मैं केवल एक ही उदाहरण देकर और मुख्यमंत्री से उसके बारे में सदन को आश्वस्त करने और सदन में जानकारी देने के लिए आग्रह

करूँगा— वह प्रकरण है इस प्रदेश के जो भूतपूर्व इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, श्री दबे हैं, सदन यह जानना चाहेगा कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से एक इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अवकाश लेना पड़ा और इस बात के लिए विवश होना पड़ा कि वे इस प्रदेश की सेवा नहीं कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है जो स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा हस्तक्षेप या यों कहिए अधिकार चेष्टा की परिधि में जो आता है वह उनके और उनके मन्त्रिमण्डल के बीच जो सामन्जस्य की बात है, जब मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों के कार्य-कलापों में वे नहीं हिचकते वह हस्तक्षेप नहीं जो मुख्यमंत्री के नाते उनकी उपेक्षा की जाती है, बल्कि ऐसा हस्तक्षेप जिसका न कोई औचित्य है, जिसका न कोई आधार है, बल्कि यह कहा जाये तो शायद सर्वथा उचित होगा कि इसके विपरीत ही आचरण की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको स्मरण होगा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विभागों का बँटवारा करके कुछ विभागों का भार श्री कैलाश जोशी जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे उनको सौंपा , उद्योग का भी और छोटे-छोटे अन्य विभाग श्री याकूब रजवानी को सौंपे गये। इन दो मंत्रियों को जो विभाग सौंपे गये उन से सम्बन्धित जो सीधे तरह से कार्य करने वाले तन्त्र थे, जिनके द्वारा प्रदेश के विकास की पूरी तरह से रखवाली की जाती है, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण तंत्रों पर आज भी मुख्यमंत्री अपने ही रूप में उनके अध्यक्ष और सभापति के रूप में विद्यमान हैं। उद्योग विभाग श्री कैलाश जोशी देख रहे हैं लेकिन जो स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन है, जो इस प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों या अन्य लोगों के सहयोग से यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए सिफारिश करता है, उसका प्रोसेस करता है, अनुमति देता है, वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही हैं। एक मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन है, माननीय याकूब रजवानी साहब जिसके मंत्री हैं, उस मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के चेअरमैन आदरणीय मुख्यमन्त्री महोदय ही हैं। एक एक्सपोर्ट कारपोरेशन है, जिसका सीधा सम्बन्ध उद्योग से है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उद्योग मंत्री पर है उस स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन के आज भी अध्यक्ष माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ही हैं। साधारण तौर पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर वे कौन-से कारण हैं, जिनकी वजह से अपने मंत्रिमण्डल के जिन साथियों को उन्होंने जिम्मेदारी बाँटी, उस जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह से वहन करने में उनकी सहायता न करके स्वयं अपने पास असली रूप में जो काम करने की प्रक्रिया अपने कब्जे में रखकर उनको वे विभाग सौंप गये। क्या हम ऐसा समझें कि इन 3 कारपोरेशन्स के माध्यम से जैसी कार्यवाहियाँ हुई हैं, जिनको दबाने के लिए या जो प्रकट न हो अपने मंत्रिमण्डल के साथियों की जानकारी में भी न आयें इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने आवश्यक समझा कि वे स्वयं उसमें रहें। इस प्रकार की शंकाएँ सदन में उठती हैं, सदन के बाहर भी उठती हैं तो उपाध्यक्ष महोदय ये लोगों की बेजा बात नहीं है। यह स्वयं मुख्यमंत्री जी की कार्य-शैली और उनके कार्य-कलापों की वजह से है, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि जो कि इस प्रकार की शंकाएँ उठ रही हैं, क़हीं-कहीं पर उद्योगों को, मल्टी नेशनल को मध्यप्रदेश में प्रवेश दिया जा रहा, जिसके प्रमाण उद्योग विभाग की माँगों पर प्रस्तुत किये जायेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए यदि सदन की एक समिति बना कर एक स्टेट इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन और एक्सपोर्ट कारपोरेशन के क्रिया-कलापों की जाँच की जाये या कि उपाध्यक्ष महोदय, आप जो इस विधानसभा की पंब्लिक अन्डर टेकिंग कमेटी है, उसको ही आप निर्देशित करें कि वह इन प्रकरणों पर इन समस्त मसौदों की जाँच करके सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जो पिछले एक वर्ष में कारनामे किये गये हैं, निश्चित रूप से ऐसे तमाम कारनामे सदन के सामने आयेंगे जिनसे बातों को सदन को मानने के लिये विवश होना पड़ेगा कि इन विभागों को इस प्रकार से तोड़मोड़ कर अपने कब्जे में रखने के पीछे मुख्यमंत्री महोदय का क्या उद्देश्य है? उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस प्रदेश के अन्दर एक व्यक्तिगत हित और अनहित के आधार पर एक प्रशासन तन्त्र को कायम करने का और उस प्रशासन तन्त्र को उपयोग करने की एक प्रक्रिया जो उन्होंने चालू की है, इस सदन ही के विधायक बन्धुओं के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने अपनी जानकारी स्वयं दी है उसको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अब तो उपाध्यक्ष महोदय बात हमारे प्रदेश के जो केन्द्रीय शासन में मंत्री हैं वहाँ तक पहुँच गई है। समाचार-पत्रों से और अन्य तरीकों से इस बात की जानकारी सदन को और

इस प्रदेश की जनता को मिली है कि इस प्रदेश के भारत शासन में बैठे हुए एक कैबिनेट मंत्री के सम्बन्ध में कुछ मामले बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी जानकारी उन मंत्री महोदय को मिली, उन्होंने प्रधानमन्त्री को पत्र लिखा और कहा कि हमको फँसाने की जो साज़िश प्रदेश का शासन कर रहा है इस साजिश से हमको छुड़ाने के लिए आवश्यक है कि सी.बी.आई. के द्वारा समूचे प्रकरण की जाँच की जाये और इस जाँच की हम लोगों को जानकारी मिली है कि सी.बी.आई. की जाँच न की जाये इस प्रकार की मन्शा इस शासन के द्वारा व्यक्त की जा रही है। स्वयं यह इस बात का प्रमाण है कि यदि इस प्रदेश का केन्द्र में बैठा हुआ मंत्री जो आप ही के दल का है, उसको आपकी मन्शा पर शंका है वह चाहता है कि सी.बी.आई. के द्वारा जाँच कराके उसको बचाया जाये और उस जाँच को रोकने में आप लगे हुए हैं। तो इसके बाद क्या निष्कर्ष इस प्रदेश की जनता निकालेगी। आप स्वयं सोच सकते हैं। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात की भी जानकारी है कि कुछ लोगों के माध्यम से यह बात कहलाने की कोशिश की गई है कि वे मंत्री महोदय मुख्यमंत्री जी से आकर चर्चा कर लें तो सब मामला रफा-दफा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपके प्रजातन्त्र को संचालित करने के यही आधार हैं और ऐसे दल के द्वारा जो अपने को प्रजातंत्र का हामी ही नहीं दूसरी आजादी को इस देश में लाने का हकदार मानता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक ही नहीं काँग्रेस के अनेकों व्यक्तियों को, छोटे-छोटे कार्यकर्त्ताओं को, फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं को, विधायकों को तरह-तरह से मुकदमों में फँसाकर उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ऐसे लोगों का सवाल आ जाता है जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, तो हमें स्मरण आता है इसी सदन में स्वयं शासन की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि सरगुजा जिले में वहाँ के एक डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध जो कुछ हुआ उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उन पर 302 का मुकदमा कायम हुआ, लेकिन समझौते के आधार पर माफीनामे के आधार पर 302 का मुकदमा वापस ले लिया गया और इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से नागरिकों के जनजीवन इस प्रकार से असुरक्षित हैं इस बात का प्रमाण इस बात से ही मिलता है कि इस प्रदेश के गृह मन्त्री महोदय ने स्वयं सरगुजा के नागरिकों की एक सभा में, जो उन्होंने वहाँ शान्ति व्यवस्था स्थापित करने पर विचार करने के लिये बुलाई थी यह समाचार-पत्रों में छपा है कि उन्होंने यह कहा कि पुलिस की गुन्डागर्दी यदि मैंने समाप्त नहीं कर दी तो मैं पद से त्यागपत्र दे दूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब गृहमन्त्री जी स्वयं .....

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, यह समाचार गलत है और इसका मैंने खण्डन भी कर दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक आपने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था शायद आपके ही दल के जो जिले के माननीय सदस्य हैं वे हमसे ज्यादा प्रकाश डाल सकेंगे यदि उनमें से किसी को बोलने की अनुमति मिली तो स्थिति स्पष्ट होगी उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि जनजीवन की सुरक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी शासन की है उसका सर्वथा अभाव है। आम लोगों के हितों की रक्षा करने की बात है उनके हितों के बारे में स्वयं प्रशासन तन्त्र द्वारा हस्तक्षेप करके उनके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इस प्रदेश में ऐसे प्रकरण भी हैं, जिनमें आम नागरिक जो न्यायिक प्रक्रिया को इस आधार पर लेता है कि व्यक्ति विशेष की संज्ञा उसके सामने कुछ नहीं है, मैं केवल एक प्रकरण के तथ्य की ओर ही ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, जिसका कि शासन ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, बालाघाट में एक घटना हुई यह प्रश्न के उत्तर में दिया है, इसमें एक व्यक्ति की पत्नी का स्वर्गवास दिनाँक 28-1-78 को हो गया जिसमें यह शंका थी कि जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया, आपरेशन किया वह योग्य नहीं था, उसके पास प्रमाण-पत्र नहीं था। उस व्यक्ति ने इस बात की शिकायत उसी दिन से करनी शुरू कर दी। शुरू से अन्त तक उसने कोई भी दफ्तर नहीं छोड़ा, जहाँ जाकर उसने दरवाजे न खटखटाये हों। वह व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से आता है और वह एक शासकीय कर्मचारी है। इस संबंध में मैंने भी एक पत्र दिनाँक 10-8-78 को मुख्यमन्त्री महोदय को लिखा कि यह प्रकरण है, जिस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में आया कि दिनाँक 22-8-78 को तो केस रजिस्टर

हुआ जबकि घटना 28-1-78 की है यहाँ जब 15 जनवरी को माननीय प्रधानमन्त्री आये तो उनसे फिर हम लोगों ने शिकायत की लेकिन उस घटना को दबाने की इसलिये कोशिश की जा रही है कि इससे संबंधित डॉक्टर देवरस के पक्ष में बड़े-बड़े लोगों के प्रभाव आ रहे हैं। 7-2-79 को इस प्रकरण से संबंधित व्यक्ति को ठीक 1 वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया और अब यह अपेक्षा करते हैं कि उस प्रकरण में जो साक्ष्य हैं, गवाह हैं वे यथावत् बने हुए हैं और उसके आधार पर न्यायिक प्रक्रिया चलाकर लोगों को न्याय दें। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जिनको आपके समक्ष रखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे मीसा बन्दी हैं, उनको बहुत-सी सुविधाएँ देने की बात है। जो मीसा में बन्द कर दिये गये थे उन लोगों को ऋण देना चाहते हैं, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का ऋण दिया गया। हमें कोई शिकायत नहीं है। यह आपके देखने की बात है कि इसमें कौन-सा औचित्य है। स्वयं प्रदेश की जनता उसके औचित्य को समझेगी, लेकिन मैं कम से कम ऐसा मानता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश की आजादी की लड़ाई के समय ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष करते समय इस देश के जिन नौजवानों ने, जिन बड़े-बूढ़ों ने त्याग किया, तपस्या की और बलिदान किया उनको सुविधाएँ मिलती थीं उनको बन्द करने का कौन-सा औचित्य है। इस औचित्य को आज तक इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं बताया लेकिन यह आम बात है, आम जानकारी की बात है कि सैकड़ों स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशनें बन्द कर दीं। उनकी सुविधाएँ समाप्त की गईं और उनके ही द्वारा इस बात की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। अभी हाल में 22-12-78 को एक और नया आदेश निकाला गया है जिसमें कि पहले जो सुविधाएँ प्राप्त थीं, यह आदेश है जी.ए.डी. का 3-9-78/3 भोपाल, दिनांक 22-12-78 जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो जेल गये थे उनको यदि वे शासन में हैं तो उनको एक्टेंशन देने का रिएम्पलायमेंट देने का एक प्रावधान था उसको भी शासन ने इस आदेश के द्वारा समाप्त कर दिया और इससे सर्वाधिक प्रभावित वे लोग हैं जो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज में शामिल थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका क्या औचित्य है? केवल एक औचित्य ही समझ में आता है कि इस शासन में बैठे हुए कुछ लोगों के मन में स्वतन्त्रता संग्राम के पूर्व देश के वे सारे सर्वमान्य नेताओं के बारे में चाहे वे फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, अबुलकलाम आजाद हों, चाहे नेताजी सुभाष बोस हों, उनके बारे में जो पूर्व से दुराग्रह है वह पूरी तरह से इस शासन के मन में विद्यमान है, सवार है और इसी से प्रेरित होकर शासन कार्यवाही कर रहा है, ताकि उनकी अवमानना की जाये और इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा जा सके। इसके बाद एक नये इतिहास का सृजन किया जायेगा जिसमें यही देखने को मिले कि जो कुछ किया गया है वह सखलेचा जी ने किया है या सखलेचा जी के दो-चार प्रिय लोगों ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जिसको कि 20 वर्षों से भी ज्यादा हो गये हैं और जहाँ तक मुझे स्मरण है 25 वर्षों से भी ज्यादा हो गये हैं पूरे भारतवर्ष में 14 नवम्बर का दिन जो कि स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिन है उसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो क्या कारण है कि उसको पिछले वर्ष बाल दिवस के रूप में नहीं मनाया गया और उसके न मनाने का जो शासन ने कारण दिया है वह बड़ा ही लीचड़-सा है चूँकि बच्चों की बीमारी फैली हुई है इस कारण बाल दिवस नहीं मनाया गया है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय सखलेचा जी यह भी देखें कि उन्हीं तिथियों में देश के कोने-कोने से बच्चों को दिल्ली ले जाया गया है और उन्होंने उस बीमारी को बच्चों के लिये खतरा नहीं माना।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा कि आज प्रेस की आजादी को किस प्रकार से समाप्त किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में मैंने पहले भी जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई थी निवेदन किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा था। तो हम चाहते हैं कि इस विषय को केवल प्रचार का माध्यम न बनाया जावे, इस संबंध में शासन को अधिकृत रूप से जानकारी होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहूँगा प्रकरण नम्बर-1 हितवाद दैनिक अंग्रेजी जो यहाँ से प्रकाशित होता है उसके डायरेक्टर नेमीचंद जैन जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गये तो उनसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके समाचार-पत्र के जो करेस्पोडेन्ट हैं वे शासन के खिलाफ लिखते रहते हैं। उनको आप अपने अखबार से दूर

कर दीजिए। उन्होंने इसकी जानकारी अपने संपादक को दी तो संपादक ने कहा कि यह हमारे प्रेस की स्वतन्त्रता का मामला है इसके लिए हम अपने करेस्पोडेन्ट (हरदेनिया) को अलग नहीं कर सकते। प्रकरण नम्बर-2 इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है वह जनता पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थक है। जब उसके सम्पादक का स्थानान्तर हुआ और दूसरे सम्पादक की नियुक्ति का सवाल आया तो यह प्रयास किया गया कि यह नियुक्ति न की जावे और जब इसमें सफलता नहीं मिली तो कहा गया कि यह मकान जिसमें आपके पिछले करेस्पोडेन्ट रहते थे वह आपको उपलब्ध नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं वहाँ पर पी.डब्ल्यू.डी. के लोग भी पहुँच गये कि यह मकान आपको नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि जब वहाँ पर जनता पार्टी के आर.एस.एस. के बड़े पदाधिकारी पहुँचे और उन्होंने देखा तो कहा कि आपने इस तरह क्यों उथल-पुथल मचा रक्खी है तब जाकर उनको उस झंझट से छुट्टी मिली।

उपाध्यक्ष : इसी बीच मेरा निवेदन है कि आप समय का ख्याल रखें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं बिल्ली मारने का आदी नहीं हूँ वैसे धारकर जी को शौक हो तो बात दूसरी है। मैं दूसरे प्रकरण की जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक इण्ड़ियन एक्सप्रेस के इन करेस्पोड़न्ट महोदय को शासन से एक्रेडिएशन मिलता है वह टेम्परेरी एक्रेडिटेशन भी नहीं दिया गया। यू.एन.आई. के संवाददाता को भी नहीं दिया गया जबकि कमेटी ने तीन महीने पहले उसकी स्वीकृति दे दी थी लेकिन वह एक्रेडिएशन कार्ड उनको नहीं दिया गया। ये प्रकरण अपने आप में जाहिर करते हैं कि शासन तंत्र का जो ताना-बाना सखलेचा जी बुन रहे हैं वह केवल अपने हित और स्वार्थों को संरक्षण देने के लिए है, चाहे अपने दल में ही अपने विरोधियों का विरोध समाप्त करने के लिये हो। यह संकेत चिन्तनीय है। मैं निवेदन करूँगा सदन और प्रदेश की जनता मुख्यमन्त्री द्वारा किये गये आचरण का ध्यान रखे और उसका विरोध करें और इस बात को स्पष्ट कर दें कि आपके द्वारा इस प्रकार के जो प्रकरण बनाये जा रहे हैं, उदाहरण के लिए आपने रायपुर का देखा, उसमें क्या गलती है आप खड़े होकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ देते हैं और चर्चा होने देते, लेकिन चूँकि आपने पढ़ दिया और भाषण हो गया इसलिए चर्चा नहीं होगी .....

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, ने जो व्यवस्था दी उसके बाद उस बात को मेरे सामने बार-बार उठाया जाये, यह कौन-सा औचित्य बनता है? क्या अध्यक्ष महोदय, ने जो कह दिया वह गलत है? अध्यक्ष महोदय, ने व्यवस्था दी थी कि यह सबजुडिस है इसलिए बहस नहीं करा सकते। आप उसका उल्लेख कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : उसका उल्लेख इस सन्दर्भ में कर रहे हैं कि यदि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, इंक्वायरी के बारे में शासन की सचमुच मान्यता होती तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा कर देते। मैं प्रकरण पर नहीं जा रहा हूँ।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, ने रूलिंग दी है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस गृहमन्त्री सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको थोड़ी-सी गलत जानकारी है।

उपाध्यक्ष : मैं उस समय सदन में था और पूरी बात सुनी थी।

श्री अर्जुनसिंह : मैं अपने विचार इन शब्दों में समाप्त करना चाहूँगा कि आज ही प्रश्नों के उत्तर में जो जानकारी मिली है उससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि चुनाव के सम्बन्ध में जो निष्पक्षता की लम्बी-चौड़ी बात आपकी ओर से कही जाती थी उसकी असलियत क्या है। प्रश्न सं. 29 में जो जानकारी मुख्यमन्त्री जी ने दी है उससे स्पष्ट हो जायेगा कि इस प्रदेश के 8-10 मंत्रियों ने अपने शासकीय वाहन को ले जाकर खण्डवा के चुनाव में रखा। कई लोगों ने उनको उपयोग करते देखा। वे वाहन शासकीय खर्च पर वहाँ गये और वापस आये। यह जानकारी सरकार ने सदन में दी है। इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय इस प्रदेश के अन्दर एक अत्यन्त आतंक भरा शासन अपने लोगों को हित पहुँचाने और समूचे प्रशासन का उपयोग राजनैतिक विरोधियों को दबाने और उसका उपयोग उद्योगों के सम्बन्ध में, जो व्यापक सखलेचा उद्योग की स्थापना की जा रही है, जिसका आने वाले दिनों में स्पष्टीकरण होगा, कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि कृपा करके प्रशासन तन्त्र को जनहित का साधन बनाइए, व्यक्तिगत हित का साधन न बनाइए वर्ना प्रदेश का शासन तन्त्र अस्त-व्यस्त हो जायेगा और उसका व्यय प्रदेश की जनता को सहना पड़ेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी ने आज परम्परा से हटकर आर.एस.एस. की तारीफ

की है। इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि आजू-बाजू से उनकी रस्सी खिंची हुई है।

श्री अर्जुनसिंह : तारीफ नहीं की है। यथार्थ है यह। मैं यथार्थ को छिपाने का आदी नहीं हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जरूर कोई बात है जिसके कारण अर्जुनसिंह जी सच बोलने पर मजबूर हो गये हैं। जरूर आजू-बाजू से कोई प्रेशर आया है।

(म.प्र. विधान सभा कार्रवाई/11 अप्रैल 1979, पृष्ठ/ 1367-1372)

दिल्ली विकास प्राधिकरण में एक जमीन की नीलामी में मुख्यमंत्री के पुत्र श्री ओमप्रकाश सखलेचा द्वारा एक करोड़ बीस लाख रुपये की बोली लगाये जाने के संबंध में प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह ने फिर बहस छेड़ दी और कहा कि मुख्यमंत्री ने इस सदन की गरिमा को गिराया है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी चर्चा इस प्रकार है—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं खेद के साथ कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस सदन में अध्यक्ष महोदय दिनांक 26-3-79 को सदन के नेता श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा, मुख्यमंत्री ....

अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं ..... (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि सदन के नेता श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने सदन में गलत जानकारी दी है। मैं आपको विधानसभा की कार्यवाही दिनाँक 26-3-79 में से पढ़कर सुनाता हूँ "यह बेबुनियाद आरोप है कि डी.डी.ए. की नीलामी में उसने विड लगाई। मेरा पुत्र मेरे साथ रहता नहीं है, दिल्ली में रहता है। उसने कोई विड नहीं लगाई, विड में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया। उसके बाद भी झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं तो इससे किसी की छवि धूमिल नहीं होती" (व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या आपने मुझे इसकी सूचना दी है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कृपया आज का समाचार-पत्र देखिए। उसमें है लोकसभा में आवास और निर्माण मंत्री श्री सिकंदर बख्त ने स्वीकार किया है कि 17 जनवरी को एक प्लाट की नीलामी के दौरान ओम सखलेचा, मुख्यमन्त्री श्री सखलेचा के पुत्र ने बोली लगाई है ..... (व्यवधान) ऐसी अवस्था में ..... अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा को गिराया गया है और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माँग करता हूँ कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए .....(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इंदौर-2) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर है, मुख्यमन्त्री जी ने सदन को गलत जानकारी दी है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष : यज्ञदत्त जी आप बोलते चले जा रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। आपकी बात को श्री अर्जुनसिंह जी ने कह दिया है .....

(व्यवधान)

श्री लीलाधर (नरयावली, संरक्षित स्थान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी को त्याग-पत्र दे देना चाहिए क्योंकि यह उनका नैतिक कर्त्तव्य है, उन्होंने गलत जानकारी दी है .....

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि एक सदस्य ने माननीय सखलेचा के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसको आपने अग्राह्य कर दिया था, उन्होंने जो जानकारी दी थी वह सही नहीं दी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में प्लाट खरीदने के लिए ओमप्रकाश सखलेचा ने बोली नहीं लगाई ..... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह साबित हो गया है कि ओम प्रकाश सखलेचा ने बोली लगाई है।

इसलिए सदन की गरिमा को रखने के लिए सखलेचा जी को त्याग-पत्र दे देना चाहिए, उनके खिलाफ अनेक आरोप हैं .....!

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं इसको डिस अलाउ करता हूँ।

श्री भूरेलाल फिरोजिया : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। मैं आपको नहीं सुनूँगा। मैं आपको चेतावनी देता हूँ। आप इतना दुराग्रह मत कीजिए।

श्री सूरजमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो बात कही है और इस तरह की जो कार्यवाही हो रही है, यह किस नियम के अंतर्गत है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : फिरोजिया जी आप यह मत समझिए कि आप अपनी बात कहने में मजबूत हैं। हम भी मजबूत है। आप अपनी बात कहिए।

श्री भूरेलाल फिरोजिया : अध्यक्ष महोदय जी, मुझे बड़ा दुख है कि आप मुझे रोज डाँटा करते हैं। यह क्या अच्छी परम्परा है।

अध्यक्ष : क्या इसीलिए आज आपने मुझे डाँट दिया।

श्री भूरेलाल फिरोजिया : क्या यह सदन की स्वस्थ परम्परा है कि आपने श्री अर्जुनसिंह जी को बिना किसी नोटिस के पढ़ने की अनुमति दे दी। उन्होंने कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी फिर भी आपने उनको पढ़ने दिया है यह सदन की अच्छी परम्परा नहीं है।

अध्यक्ष : मैंने आपका प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लिया।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, ओमप्रकाश सखलेचा ने .....

(व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जोशी (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि विरोधी दल के नेता ने सदन में कुछ बात कही और उसका उत्तर सदन के माननीय नेता दे रहे थे कि विपक्ष के माननीय सदस्य एक के बाद एक खड़े होकर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से वही एक बात का रिपीटेशन कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से उनको अवसर दिया गया, अभी श्री वोरा ने भी वही बात कही श्री शिवकुमार जी भी वही बात कह रहे थे और सब ही सदस्यों ने उसी बात का रिपीटेशन किया है। क्या आपने उनको इस प्रकार की बात कहने की अनुमति दे दी है?

अध्यक्ष : ओमप्रकाश सखलेचा या दूसरे के नाम न लिए जायें और दूसरी बात जो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में उठाना है उसको उठाइए।

(व्यवधान)

श्री भूरेलाल फिरोजिया : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दे दी है?

अध्यक्ष : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर तो कोई माननीय सदस्य उठा सकते हैं।

श्री भूरेलाल फिरोजिया : अध्यक्ष महोदय, इस सदन से सदन की परम्परा बिगड़ रही है। वही बातें दुहराई जा रही हैं।

अध्यक्ष : सदन की परम्परा बन रही है आप उसको बिगाड़िए मत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैजनाथ प्रसाद जी, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। आप हर मसले पर हमेशा खड़े होकर सीधे ही बातें करने लगते हैं। जैन साहब आप भी बैठिए आप भी व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपनी बात कहने लगते हैं।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको अधिक सूचना दी है, मुख्यमन्त्री जी ने सदन को गलत दी है उनके त्याग-पत्र की माँग करने के लिये मुझे शून्यकाल में प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष : आपने तारीख 13 को 11.40 बजे भेजा है जबकि नियम यह है कि 10 बजे आना चाहिए था।

श्री गौरीशंकर : माननीय विरोधी दल के नेता ने जो प्रश्न उठाया है उसके लिए उनको पहले नोटिस देना

चाहिए था क्योंकि यह सदन की परम्परा रही है। धोखे से बार करने का कोई औचित्य नहीं है उनको पहले नोटिस देना चाहिए था।

अध्यक्ष : ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। इसके संबंध में मैंने भी पहले कहा है कि नोटिस देना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री जी इसके संबन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर जिसे आपने नहीं सुना।

अध्यक्ष : आपने कोई प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया था। ठीक है अब कहिए कि आपका प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर क्या है? लेकिन व्यवस्था के माध्यम से आप गलत चीज मत कहिए।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मेरा प्वाइण्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि कल संसद में हमारे प्रान्त के मुख्यमन्त्री के नाम को लेकर जिस प्रकार से चर्चा हुई (व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिए? यज्ञदत्त जी कल संसद में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ यह मैं नहीं सुनना चाहता। आप अपना प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर कहिए।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मेरी बात तो जरा सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं आपके प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर को ओवर रूल करता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : * माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन के अन्दर ..... (व्यवधान)

26 तारीख को जो मैंने वक्तव्य दिया वह सही दिया है और उस वक्तव्य को आज भी मैं सदन में कहने को तैयार हूँ लोकसभा के अंदर श्री सिकंदर बख्त ने जो बात कही उनको माननीय अर्जुनसिंह जी ने यहाँ पर सदन में मिस रिप्रीजेंट करके कही। सिकन्दर बख्त ने यह नहीं कहा कि मुख्यमन्त्री के पुत्र ने बोली लगाई। (थपथपाहट)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही की परम्परा यह होती है कि एक आदमी को पहले सुना जाता है उसके बाद दूसरे को सुना जाता है। शायद अदालत में भी हमारे यज्ञदत्त जी ऐसा ही बिहेव करते होंगे। मुख्यमन्त्री जी जो बात कह रहे हैं उसको जरा सुन लीजिए। उसके बाद आपको संतोष न हो तो आप फिर कहने के लिये फ्री हैं। यू कैन मेक ए मूव।

(व्यवधान)

श्री विद्याभूषण ठाकुर : अपने लड़के को स्वीकार करो। (व्यवधान)

(थपथपाहट)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि .....

श्री यज्ञदत्त शर्मा : ऐसा तो नहीं है कि ओमप्रकाश .....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : घबराने की कोई बात नहीं है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : घबरा तो आप रहे हैं। शक्ल तो आपकी घबराई लग रही है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि दस-बीस सदस्य जोर से कोई बात कह दें तो वह सत्य नहीं हो जाती और जो सत्य है उसे स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैंने उस रोज भी निवेदन किया था, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है। सेन्ट्रल मिनिस्टर उसके लिये जिम्मेदार हैं। इसीलिये उस पर 11 तारीख को राज्य सभा में, 16 तारीख को लोकसभा में प्रश्नोत्तर हुए। दोनो में श्री सिकन्दर बख्त ने कहा, हमारे यहाँ फाइनल विड का रिकार्ड रखा जाता है और फाइनल विड वाले का सोर्स ऑफ इन्कम बताया और फाइनल विड किस के नाम पर खत्म हुआ उसका रिकार्ड है, बाकी का रिकार्ड नहीं है और कल टेलीप्रिंटर पर जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि फाइनल विड का रिकार्ड है, अन्य का नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि—

"He said in the note sent to the Lt. Governor on February 8/9, 1979 seeking

sanction for disposal of four other plots in similar fashion. It had been mentioned about the January 18 auction that there were about 500 persons present of whom the D.D.A. Officials could indentify five prominent bidders of Delhi. He Said it had been mentioned in the same not that a few bidders also participated in the auction and among them was a young man who gave an intermediate bid of Rs. 1.31 crore. Details including the address of this bidder were not collected/recorded, as he was not the highest bidder."

अध्यक्ष महोदय, फाइनल विड का केवल रिकार्ड है। मैंने उस रोज अर्जुनसिंह जी को चुनौती दी थी और आज भी देता हूँ, अगर मेरे पुत्र ने बोली लगाई और उसके दस्तखत कहीं से बता दें, उस रिकार्ड में, तो मैं आज भी जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हूँ। (व्यवधान) मैं श्री यज्ञदत्त शर्मा से पूछना चाहता हूँ उन्होंने भी बहुत से ऑक्सन देखे होंगे, मध्यप्रदेश में जो ऑक्शन होते हैं, उसमें विडर को डिपाजिट करना होता है, कुछ पैसा डिपाजिट करके ऑक्सन में भाग लेना होता है, साल्वेंसी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, कोई रिकार्ड मेन्टेन किया जाता है। कल यज्ञदत्त शर्मा के नाम से कोई विड में भाग ले और उसके दस्तखत तक न हों तो क्या यह आप मन्जूर कर लेंगे?

श्री यज्ञदत्त शर्मा : मैं मन्जूर नहीं करूँगा, लेकिन में हाजिर रहा हूँ तो?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप मन्जूर कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस प्रकार असत्य बात कहने से कुछ नहीं होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री यज्ञदत्त जी , हम असेम्बली में बैठे हैं, थोड़ा कन्ट्रोल्ड रहें तो अच्छा होगा। इतने जोर से चिल्लाने से शायद आप पर प्रेशर ज्यादा पड़े।

श्री दिग्विजयसिंह : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, श्री सखलेचा जी और शर्मा जी परस्पर एक दूसरे से बातें करते हैं जबकि आपके माध्यम से बातें करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आपस में क्यों झगड़ रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक पक्ष का आर्ग्यूमेंट पूरी तरह सुन लेने के पश्चात् दूसरा पक्ष आर्ग्यूमेंट करेगा। आपने बात कही, वे उत्तर दे रहे हैं। आपने व्यवस्था के माध्यम से उठाया, यह अर्जुनसिंह जी का जवाब है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : वे जो जवाब देंगे, उसमें मुझे बोलने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष : हाँ, मिलेगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, किसी पर भी रिस्पांसिबिलिटी जब तक फिक्स नहीं करना चाहिए, जब तक कि साईन न हो। उन्होंने यह बात कही है, फायनल विडर के अलावा पूरा रिकार्ड नहीं रखते हैं। इस नाते से मैं तैयार हूँ प्रधानमंत्री कोई भी जाँच करा लें। फिर अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और किया गया था। माननीय अर्जुनसिंह का पुत्र वेस्ट जर्मनी में है उनके लिये क्या रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार हैं (व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण टण्डन : .....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : जब तक सदन के माननीय सदस्यों का विश्वास हमें प्राप्त है, आपको त्याग पत्र माँगने का अधिकार नहीं है। ऐसे कहने से कोई प्रभाव नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री नरनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, चौथी क्लास के बच्चे भी इतना हल्ला नहीं करते हैं, अगर ये समझते हैं कि चिल्लाकर हम किसी बात का नाटक कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव इन्दापुरकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। कल शून्यकाल में एक प्रश्न उठाया गया था, जिसमें सदस्यों ने यह आपत्ति की थी की कोई प्रमाण के आधार पर बहस करें, अखबार के आधार पर बहस करें, अखबार के आधार पर नहीं, वह प्रश्न था अमेरिका से आये हुए धन का। आज जो चर्चा उठाई

उसका निर्णय हो चुका है, उसको रिजेक्ट किया जा चुका है। कल इन्होंने आपत्ति उठाई थी, तो ये आज किस प्रमाण के आधार पर बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सूरजमल जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या इस विषय पर चर्चा करने के लिये आप हमको समय देंगे?

अध्यक्ष : किसी को नहीं दूँगा।

श्री सूरजमल जैन : यह सदन के किस नियम के अंतर्गत हो रहा है, मुझे बताइए।

अध्यक्ष : पहले नियम पढ़े जायें, और फिर समझ में न आयें तो मेरे पास आइए। मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को ओवर रूल्ड कर दिया है। इन्होंने एलिगेशन लगाया है, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है, चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सूरजमल जैन : अध्यक्ष महोदय, एक बार इस प्रश्न को सदन में अग्राह्य कर दिया गया है फिर किस आधार पर चर्चा हो रही है और चर्चा में केवल विरोधी दल के नेता ही भाग ले सकेंगे, अन्य सदस्य नहीं ऐसा क्यों हो रहा है?

अध्यक्ष : आपके ऊपर कोर्ट एलिगेशन नहीं है, इन्होंने एक प्रश्न उठाया, जब प्रश्न उठा तो मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब देना चाहा। अब इसके बाद किसी को नहीं सुनूँगा।

श्री हरिभाऊ जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने सवाल उठाया एलिगेशन किया और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया अब चर्चा किस बात की होना है। यह चर्चा की शुरूआत नहीं तो और क्या है।

अध्यक्ष : इन्होंने प्रश्न का जवाब दिया, जवाब में इन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन पर श्री अर्जुनसिंह कुछ कहना चाहेंगे, तो— (व्यवधान)

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं आपकी यह बात स्वीकार करता हूँ कि अगर मुख्यमन्त्री ने जवाब में श्री अर्जुनसिंह की व्यक्तिगत बात उठाई है, उनको उसकी व्यक्तिगत सफाई देने का अधिकार है, लेकिन ऐसा मालूम पड़े कि जिस बात पर एलिगेशन किया है, उसका जवाब हो जाने के बाद इसी विषय पर श्री अर्जुनसिंह बोलना चाहते हैं तो मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि यह किस काननू के तहत, किस नियम के तहत, किस परम्परा के तहत ऐसी डिवेट का कार्य हो रहा है।

अध्यक्ष : मैं भी बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ, जिस विनम्रता से आपने पूछा है कि जितनी बात हो रही है, उससे स्पष्ट है कि कोई एलिगेशन श्री अर्जुनसिंह ने लगाए हैं, तो उनका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है और मुख्यमंत्री महोदय ने चुनौती दी है, उस चुनौती के सम्बन्ध में यदि ये कहना चाहें, कह लें (व्यवधान) यदि कोई चुनौती विधानसभा के अन्दर दी जाती है, तो उस चुनौती के सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। नथिंग वियांड दैट।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदन के नेता का बयान हमने सुना, उन्होंने अपने बयान में इस बात का उल्लेख किया है कि इस बोली में इस बात का प्रमाण नहीं है— (व्यवधान) किसके पास कितना पैसा दिया। पूरा मुद्दा इस बात के लिये है (व्यवधान) श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बोली में भाग लिया है या नहीं (व्यवधान)

(व्यवधान)

उसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी दी, उस जानकारी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर) (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : व्यवधान ..... इस जानकारी को स्वीकार किया कि ओमप्रकाश सखलेचा नाम के व्यक्ति ने बोली लगाई ..... (व्यवधान) इसका हमें जवाब नहीं देंगे ..... (व्यवधान) .....

अध्यक्ष : ये सारी इनफारमेशन जो आप दे रहे हैं क्या इसकी अथेंटिसिटी आपके पास है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, समाचार एजेन्सियों से जो समाचार आये हैं (व्यवधान) जिसको पढ़कर (व्यवधान)

अध्यक्ष : कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं है कि मध्यप्रदेश के मन्त्री पुत्र ने कोई बोली लगाई है, ऐसा कहीं नहीं है ..... (थपथपाहट) ..... (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसी घोषणा की जायेगी कि श्री ओमप्रकाश सखलेचा, श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा के पुत्र नहीं हैं ..... (व्यवधान)

श्री शिवभानु सोलंकी : व्यवधान— एक आई.ए.एस. अधिकारी मुझे बदनाम कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, विधानसभा में अपना बचाव नहीं कर पाते, इस तरह की बातें करके ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पुरानी बातें कर रहे हैं, आज की नहीं— (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सखलेचा जी इस्तीफा दें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/13 अप्रैल 1979, पृष्ठ/ 1582-1588)

भोपाल से प्रकाशित होने वाले 'नवभारत' समाचार-पत्र के कार्यालय में कुछ लोगों द्वारा तोड़-फोड़ की कार्रवाई के संबंध में अध्यक्ष महोदय के पास सूचनाएँ पहुँचीं। इनमें तीसरी सूचना प्रतिपक्ष के नेता श्री अर्जुनसिंह की भी थी। उन्होंने इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति माँगी और इस घटना के बहाने समूचे प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न पर सदस्यों से विचार प्रकट करने का आग्रह किया। चर्चा के अंश यहाँ प्रस्तुत हैं—

अध्यक्ष : मेरे पास दिनांक 14 अप्रैल, 1979 को भोपाल के 'नव भारत' समाचार-पत्र के कार्यालय में कुछ व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

जिसमें पहली सूचना : श्री लीलाधर सदस्य की, दूसरी सूचना : श्री अच्युतानन्द मिश्र, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री मोतीलाल वोरा, श्री हजारीलाल रघुवंशी, श्री मथुराप्रसाद दुबे सदस्यों की तथा तीसरी सूचना : श्री अर्जुनसिंह सदस्य की है।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबसे पहली सूचना थी।

अध्यक्ष : क्या आपकी सूचना स्थगन में थी?

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : नहीं ध्यानाकर्षण में थी।

अध्यक्ष : ठीक है आप भी इसमें चर्चा कर लेना। चूँकि श्री लीलाधर, सदस्य के स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले प्राप्त हुई है, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ—

"दिनांक 14-4-79 दिन शनिवार को भोपाल स्थित 'नव-भारत' कार्यालय में दिन को 12.30 बजे 30 व्यक्ति मोटर साइकिल, कार तथा एक प्राइवेट सिटी बस में भर कर आये और सीधे संपादकीय विभाग में चले गये तथा अपने आपको सिंह युवक सभा, भोपाल का सदस्य बताते हुए पूछने लगे कि यह "राजा" कौन है? इस पर श्री ध्यानसिंह तोमर 'राजा' ने कहा— क्या बात है 'राजा' मैं हूँ। इस पर वे श्री ध्यानसिंह तोमर को गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे तथा जान से मारने की धमकी दी और वहीं सम्पादक श्री विक्रमसिंह को भी मारा, उनका कुर्ता फाड़ दिया तथा श्री रमेशचंद मिश्र के सिर में वहीं रखे ब्लाक मारकर चोटें पहुँचाईं, दरवाजे भी तोड दिये, टेलीप्रिंटर लाइनें काट दीं, टेलीफोन तोड़ दिया, टेबलें उलट दीं और तमाम कागज जो समाचारों से संबंधित थे, वे फाड़ डाले। फिर नीचे खड़ी मोटर साइकिल, कार और बस में बैठकर चले गए। प्रेस की इस तरह स्वतन्त्रता पर हमला करना, गुण्डागर्दी, मारपीट और वहशियाना हमले के कारण प्रदेश के पत्रकार जगत में तथा आम जनता में रोष, क्षोभ और भय व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु आज सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।"

इसके सम्बन्ध में शासन का क्या कहना है?

श्री प्रभुनारायण त्रिपाठी (गृह पुलिस मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 14 अप्रैल 1979 को 12 व 12.30 बजे के बीच कुछ सिक्ख सम्प्रदाय के युवकों ने 'नवभारत' कार्यालय जहाँगीराबाद में एक-एक करके प्रवेश किया और नवभारत संपादकीय विभाग में जाकर पूछा कि पिछले होली के अंक में सिक्खों से संबंधित सामग्री किसने छापी थी और ध्यानसिंह राजा कौन है? श्री ध्यानसिंह राजा वहाँ थे उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में पूर्व में भी खेद प्रकट कर चुके हैं और प्रतिवाद भी छापा जा चुका है परन्तु वे नवयुवक उससे

संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वहाँ की 4 टेबिल उलटीं, टेलीफोन को जमीन पर पटका और टेलीप्रिन्टर पर हाथ मारा और तत्काल वहाँ से जाने लगे। वापसी के समय सहायक संपादक श्री आर.सी. मिश्रा से भी हाथापाई की। प्रेस के दरवाजे को खींचकर तोड़ दिया और एक-एक करके प्रेस के बाहर चले गये। बाहर निकल कर बस स्टेंड से टेंपो और बसों में वापस हो गए।

इस घटना से दरवाजे का एक भाग टूटा एवं एक टेलीफोन को क्षति पहुँची। टेलीप्रिन्टर बराबर काम करते पाये गए। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर गयी। प्रेस के कर्मचारियों के साथ अभियुक्तों की खोज के लिये प्रयास किये गये। घटना कुछ मिनिट में ही हो गयी थी। कोई भी व्यक्ति वहाँ नवयुवक को नहीं जानता था और न ही वे पूर्व परिचित थे इसलिये पूर्ण प्रयास के पश्चात् भी कोई अभियुक्त अभी तक बन्दी नहीं बनाये जा सके हैं। प्रकरण में अपराध क्रमांक 379/79 धारा 147, 451,332 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया और विवेचना जारी है।

श्री लीलाधर (नरयावली, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसी कि मन्त्री महोदय ने सूचना दी कि यह घटना घटी और उसमें यह बताया गया कि टेलीप्रिंटर लाइनों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं जाकर के 'नवभारत' प्रेस में देखा कि टेलीप्रिंटर उल्टा पड़ा हुआ था। वहाँ के टेलीफोन की लाइन टूटी पड़ी थी और युवकों ने एक साथ हमला किया। वहाँ पर 2 संपादकों को मारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना उस स्थान पर घटी जहाँ ठीक सामने आई.जी. पुलिस का कार्यालय है। एक तरफ आई.जी. आफिस और दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना और यह सरकार कहती है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में ठीक प्रकार से चल रही है। इस घटना के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के लिये एक कुचक्र चल रहा है। यह घटना किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं हुई, अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। यह एक गंभीर घटना है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस स्थगन प्रस्ताव को आप ग्राह्य करें ताकि और जो तथ्य हैं वे माननीय सदस्य इस सदन के सामने ला सकें।

श्री मथुराप्रसाद दुबे (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना वहाँ पर हुई जहाँ पर कि दिन भर आवागमन रहता है, और यह घटना दोपहर के समय हुई। 15-20 लोग मिनी बस में बैठ कर आए, उनके पास दूसरी गाड़ियाँ भी थीं, कार्यालय में घुसे, मारा और भाग गए। अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर बिल्ला और रंगा जैसे पकड़ लिये गये और वहाँ अभी तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आई.जी. को यह चुनौती दें कि अगर 24 घंटे के अन्दर अपराधी नहीं पकड़े गए तो वे अपनी कुर्सी खाली कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे सिक्ख समाज पर आरोप लगा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना की होगी पर किसी समाज पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। यह आरोप असत्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उन्होंने समाज पर आरोप नहीं लगाया है, असामाजिक तत्वों पर लगाया है।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मैं मानता हूँ कि गुलाबसिंह जी वहाँ नहीं थे।

श्री गुलाब सिंह : हमारे समाज का तो बैसाखी का त्यौहार था हमारा वहाँ रहने का सवाल ही नहीं है।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मान लीजिए कि आप सज्जन हैं।

श्री शीतला सहाय (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी श्री दुबे जी ने सदन में कहा कि मुझे मालूम है कि गुलाब सिंह जी वहाँ पर नहीं थे, इसका तात्पर्य यह है कि श्री मथुराप्रसाद जी वहाँ पर थे अतः मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे कृपा करके सारी जानकारी मय नामों के शासन को दें।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मैं पाठ अवश्य करता रहता हूँ मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएँ शंका पैदा करती है कि भोपाल में ऐसा वातावरण बढ़ रहा है। जो सज्जन आदमी हैं, जो सामाजिक

कार्यकर्त्ता हैं उनका जीवन खतरे में है पुलिस अधिकारियों को पकड़ना चाहिए। अगर इस तरह की छूट मिल गई तो इस तरह की सैकड़ों घटनाएँ होंगी। माननीय गृह मन्त्री तत्परता से स्पेशल प्राइस, अवार्ड घोषित करें 1 हजार, 5 हजार, 10 हजार, रुपये की और उनको पकड़वायें। यहाँ की पुलिस सतर्क होगी तो 6 घंटे में पकड़ कर सामने खड़े कर सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह दिखता है कि भोपाल में लॉ एण्ड ऑर्डर नहीं रह गया है यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मैं कल 'नवभारत' कार्यालय में गया था। स्थिति देखी थी। भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ घटना हुई वहाँ सामने आई.जी. का दफ्तर नहीं है वहाँ पास में तालाब है। अतः माननीय सदस्य को कम से कम तथ्यों पर ठीक से प्रकाश डालना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस घटना के छोटे-मोटे तथ्यों को लेकर किसी प्रकार से, किसी पर लांछन लगाने की बात नहीं करना चाहता हूँ। स्पष्ट बात इतनी-सी है कि इस प्रदेश की राजधानी में और इस प्रदेश में प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार-पत्र, दैनिक समाचार-पत्र के कार्यालय में दिन के 12.30 बजे यह घटना हुई और इस घटना को यदि हम यह न कहें कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह के षड्यंत्र का परिणाम है तो जिस प्रकार का वातावरण समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि इस घटना के पीछे जो संदर्भ है वह थोड़े दिन पहले का है और इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए यदि इस प्रकार की घटनाएँ समाचार-पत्रों के बारे में हुआ करेंगी किसी के बारे में या किसी के खिलाफ कुछ बात छपी और उसका परिणाम यह निकले कि वहाँ के काम करने वाले लोगों पर, समाचार-पत्र के अधिकारियों पर, वहाँ के कार्यकर्त्ता पर, संपादकों पर हमला करें या संपत्ति को क्षति पहुँचायें और लोगों को आतंकित करें ऐसे व्यक्तियों को दबाना चाहिए चाहे वह कोई भी क्यों न हों। यह अत्यंत शोचनीय है कि घटना राजधानी में हुई। घटना स्थल के सामने तालाब जरूर है लेकिन क्या दो सौ गज पर पुलिस मुख्यालय नहीं है? लेकिन यह तथ्य अपने आप में प्रभाव नहीं रखता। इस प्रकार की घटनाएँ प्रदेश में घट रही हैं, अभी कुछ दिन पहले इंदौर में घटी। राजधानी का वातावरण सामने स्पष्ट नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि सदन को इस विषय पर, इस प्रकरण पर किसी समाचार-पत्र विशेष के बारे में ही नहीं समूचे प्रदेश के अन्दर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न पर चर्चा करके माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे तभी उससे इस घटना में भाग लेने वाले असामाजिक तत्वों पर बंधन लगाने की बात सामने आ सकेगी और शासन अपने कर्त्तव्य के बारे में अधिक सक्षम साबित हो सकेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा के लिए आप अनुमति प्रदान करें।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव (सागर) : अध्यक्ष महोदय, जो घटना घटी है वह निश्चित रूप से बहुत चिंता पैदा करने वाली घटना है यह न केवल पत्रकारिता पर बल्कि विचार स्वातंत्र्य में विश्वास रखने वाले लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। विचार की स्वतंत्रता को इस प्रकार रोका जावे और विचार व्यक्त करने पर आतंक से प्रतिबंध लगाया जावे यह अच्छा काम नहीं है और निश्चित रूप से यह असामाजिक कार्य है इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सब के बावजूद हमारे गृहमंत्री यह मानते हैं कि न तो कानून और व्यवस्था बिगड़ी है और न कोई रोष जनता में व्याप्त है। यह बात तर्कसंगत नहीं लगती। जब तक उनके दरवाजे पर रक्षा करने को गार्ड बन्दूक लेकर खड़ा है शायद उनकी समझ में नहीं आयेगा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था किस प्रकार छिन्न-भिन्न हो रही है। छोटी-मोटी घटनाएँ रोज अखबारों में छपती हैं, लेकिन वे भी नहीं छपें इस तरह की कार्यवाही असामाजिक तत्व करने लगे हैं। इससे सदन में समाज के व्यक्ति और आवाज के प्रतिनिधि बैठे हैं उन्हें इस पर क्षोभ होना स्वाभाविक है। इन सब बातों को देखते हुए, स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके सदन की कार्यवाही रोककर, इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

श्री यज्ञदत्त शर्मा (इन्दौर-2) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से शासन का वक्तव्य सुना। उसमें यह बताया गया है कि सिख सम्प्रदाय के युवकों ने ऐसा किया। उचित होता कि हमारे मन्त्री महोदय इन हमलावरों को असामाजिक तत्व, गुण्डा, तत्व कहें। जो इस प्रकार का बेशर्म हमला करने का काम करता है वह असामाजिक तत्व नहीं माना जावे यह आश्चर्य है क्योंकि आपने कहीं उसका जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि शासन

ऐसे मामलों को गम्भीरता से ले। एक आदमी को भी अभी तक आपने पकड़ा नहीं। आप जानते हैं कि गुण्डे बस में बैठकर आये अथवा कार या स्कूटर में बैठकर आये। आपके पास उन गाड़ियों के नम्बर नोट हैं। आपने इस आधार पर क्या उन्हें गिरफ्तार किया। मोटर कार पकड़ी, कौन-कौन सी थीं। माननीय मन्त्री जी चूँकि इन्हें असामाजिक तत्व नहीं मानते इसलिए गम्भीरता से न लेकर मामले को टाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है। गलत खबर अखबार में छप सकती है, लेकिन क्या यह तरीका होगा उसका विरोध करने का। बात साफ है शासन अखबारों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है जो कि तत्काल ही देना चाहिये। एक-एक गुण्डा जिसने सम्पादक के साथ मारपीट की वह पकड़ा जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री हजारीलाल रघुवंशी (सिवनी मालवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय गृहमन्त्री श्री त्रिपाठी का वक्तव्य सुना। वैसे तो इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है यह तो हमारे सभी माननीय सदस्यों ने बताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। एक समाचार-पत्र के कार्यालय में पहुँच कर इतने सारे 30 युवक धीरे-धीरे कर के कार्यालय के अन्दर घुसे 29 युवक तो सन्तुष्ट थे एक युवक सन्तुष्ट नहीं था। उस एक युवक ने सारी कार्यवाही की है जैसा श्री गौर साहब ने बताया है।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने नहीं कहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पेपर में यह तो नहीं लिखा बाबूलाल गौर ने ऐसा कहा।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। अभी तक अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था रही है कि स्थगन प्रस्ताव में वही सदस्य बोलता है जिसको कि जवाब देना है। क्या आपने किसी नियम के अन्तर्गत श्री बाबूलाल गौर को बोलने का मौका दिया? यदि वे आपकी बिना अनुमति के बोले हैं तो क्या वे अंश आप कार्यवाही से निकालेंगे?

अध्यक्ष : नहीं निकालूँगा। चूँकि इन्होंने नाम लिया है।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं पहले की बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूँगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/15 अप्रैल 1979, पृष्ठ/ 1729-1731)

...ER COLL...
ACC No. 26923
Book No.
Date.....
H.E.L., BHOPAL
26923

खनिज साधन मंत्री श्री याकूब रजवानी ने अपने विभाग से संबंधित व्यय की माँग का प्रस्ताव किया। इस पर कटौती प्रस्ताव भी आये। माँगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा एक साथ प्रारंभ हुई। चर्चा की शुरूआत करते हुए विरोधी दल के जागरूक नेता श्री अर्जुनसिंह ने मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा पर यह आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश के खनिजों से होने वाली आय व्यक्तिगत लाभों के लिए उपयोग में लायी जा रही है। मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को मुख्यमंत्री खुद अपने हाथ में लेकर और उसके अध्यक्ष बनकर मनमानी कर रहे हैं जबकि इस पर नियंत्रण खनिज साधन मंत्री को ही करना चाहिए। उनका विस्तृत वक्तव्य यहाँ दिया जा रहा है—

..... उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं माँगों पर अपने विचार व्यक्त करूँ, आप कहें तो प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत या वैसे ही, एक जानकारी चाहता हूँ ताकि इस पर चर्चा ठीक ढंग से कर सकूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, खनिज साधन विभाग के मन्त्री श्री याकूब रजवानी हैं, लेकिन इस विभाग के अन्तर्गत कार्यरत मिनरल डेव्लपमेंट कारपोरेशन के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय, (श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा) हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उनका नियंत्रण खनिज साधन विभाग के मन्त्री होने के नाते इस कारपोरेशन पर है या नहीं?

उपाध्यक्ष : माननीय रजवानी साहब चाहें तो जवाब दें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यह प्रश्न पूछने की बात नहीं है। कारपोरेशन होता है एक्ट के अन्तर्गत। उसका फ्युचर में सेट-अप क्या है, इस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, चूँकि मंत्री महोदय, ने उत्तर नहीं दिया और मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी ओर से इस पर टिप्पणी की है इसलिये यह आवश्यक समझता हूँ कि इस विषय में कुछ कहने से पहले इस विधानसभा में कुछ दिन पूर्व सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसका उद्धरण सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 7 पर यह सिफारिश की है कि जो शासकीय निगम हैं, उनमें किसी मन्त्री या मुख्यमंत्री को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों और विभागीय सचिवों को उपक्रमों का अध्यक्ष न बनाने के सम्बन्ध में उपक्रम समिति के पंचम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को शासन द्वारा मान्य किया जा चुका है और 2-6-77 को एक परिपत्र भी जारी किया जा चुका है लेकिन जब जनता पार्टी शासन में आई तो श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा उद्योग मन्त्री बने और उसके बाद वे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दिनाँक 9-1-79 को शासन द्वारा समिति को जो उत्तर भेजा गया, उसमें उन्होंने इन्कार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिये और तर्क यह दिया कि—

"ऐसा करने में शासन का मंतव्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि इन उपक्रमों में कड़े नियंत्रण के साथ और पूरी ताकत के साथ अत्यधिक वरीयता के कार्यों को सक्षमता से सम्पादित किया जा सके।"

इस पर इसी प्रतिवेदन में समिति ने अपनी राय जाहिर की है और फिर से यह कहा है कि—

"इससे भी अधिक चिन्ताजनक स्थिति तो तब निर्मित हो जाती है जब एक विभाग के मन्त्री के अधीन उपक्रम का अध्यक्ष दूसरे विभाग का मन्त्री अथवा मुख्यमंत्री हो। इससे विभाग और विभागीय मन्त्री का अधीनस्थ उपक्रम पर नियन्त्रण तो क्षीण होता ही है, सत्ता के विकेन्द्रीकरण के मान्य सिद्धान्त पर कुठाराघात भी होता है। उपक्रमों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यकता तो इस बात की है कि उपक्रमों को अपेक्षित स्वायत्तता मिले, उन पर शासन का कारगर नियन्त्रण हो। शासन उनके काम का समय-समय पर जायजा लेता रहे और मार्गदर्शन करता रहे।"

सभापति महोदय, मुझे यह इसलिये पढ़ना पड़ा कि माननीय मन्त्री महोदय की असमर्थता तो मैं समझ सकता हूँ लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्सुकता का राज अगर सदन को न मालूम हो तो उसे बताना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। सभापति महोदय, खनिज इस प्रदेश का बहुत बहुमूल्य साधन है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रदेश के विपुल खनिज भण्डार का सही रूप से दोहन, उसका उपयोग और उस पर आधारित उद्योगों की स्थापना ही इस प्रदेश के औद्योगीकरण के भविष्य को उज्जवल बना सकती है; लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि यह काम बजाय सुनियोजित ढंग के, बजाय विशेषज्ञों की राय के, बजाय इसके कि पूरे प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चलाने के लिए कारगर तरीका अपनाया जाये, यह पूरा काम केवल लाभ के लिये किया जाये और वह लाभ भी शासन के लाभ को मदेनजर न रखकर, व्यक्तिगत लाभ को सामने रखकर उसको ज्यादा महत्व दिया जाये तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की सबसे बड़ी सम्पत्ति का दुरुपयोग ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से तो उत्तर इसलिये नहीं माँग सकता कि उन्होंने चुप्पी साधकर हम लोगों को भी मुश्किल में डाल दिया, और शासन के नियमों के अनुसार, यह यहाँ कहें चाहे न कहें, लेकिन नियमों के अनुसार वे ही उत्तरदायी हैं— इस विभाग के जब तक कि वे मंत्री हैं और उन्हीं के नियंत्रण में, उन्हीं के विभाग के अन्तर्गत काम कर रहे मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के बारे में। यदि मुख्यमंत्री जी इस कारपोरेशन को इस विभाग से बाहर मानते हैं या कारपोरेशन को कोई स्वायत्त संस्था मानकर उसके चेयरमैन की हैसियत से कार्य करना चाहते हैं तब उस उपक्रम समिति के अध्यक्ष और सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वह कृपा कर कम से कम जब इस विभाग के बाहर नियन्त्रण में काम हो रहा है मुख्यमंत्री जी को जब वह इस विभाग के बाहर चेयरमैन होने की हैसियत से काम करना चाहते हैं कम से कम इस सदन के अन्दर उनके ऊपर नियंत्रण होना ही चाहिए और मैं सदन की ओर से, अपनी ओर से इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि चेयरमैन

की हैसियत से मुख्यमंत्री जी इस समिति के सामने बुलायें और इस उपक्रम के बारे में जिन बातों की ओर मैं सदन का ध्यान दिला रहा हूँ उसकी जाँच करके सदन के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन जिसके हाथों में आज सबसें ज्यादा जिम्मेदारी इस प्रदेश के खनिज के दोहन की है उसका ढाँचा क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक चेयरमैन है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता न उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन एक चीज बहुत साफ नजर आती है कि जिन लोगों को इस कारपोरेशन में नये-नये पदों पर बैठाया जा रहा है एक सूत्र में, यह देखने को मिलता है कि किसी न किसी समय वह उड़ीसा के डालमिया जैन के किसी न किसी कन्सर्न में उन्होंने नौकरी की है या उनसे सम्बन्धित रहे हैं, वही लोग इस मिनरल कारपोरेशन में आज ऊँचे-ऊँचे पद पर बैठे हैं; इतना ही नहीं जो लोग पदों पर बैठाये गये हैं उनका प्रदेश के अन्य समकक्ष पदों से कोई तालमेल नहीं बैठता। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस प्रदेश के माइनिंग डिपार्टमेंट में ज्योलोजिस्ट का पद है जिसका वेतनमान 1100 से 1300 है। पर इसी कार्य को करने वाले जो कारपोरेशन में रखे गये हैं उनको 1300 से 1800 का ग्रेड दिया गया है। इतना ही नहीं उनको पोस्ट करते समय दो एडवान्स इन्क्रीमेंट भी दिये गये हैं। आप इसी से अन्दाज कर सकते हैं कि कारपोरेशन का खर्चा कितना टाप हेवी, कितना भारी भरकम बनाया गया। जिससे अधिकांश पैसा तो इन लोगों की तनख्वाहों, एलाउंसेज और भत्तों में निकल जाता है। इसके पश्चात् इन्टरटेन्मेंट में हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं जिस प्रकार प्राइवेट कम्पनियों में कान्ट्रेक्ट प्राप्त करने के लिए इन्टरटेन्मेंट करने के लिये खर्च किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले इसी विषय पर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इससे क्या मतलब कि कौन अध्यक्ष है? हमें तो अच्छी तरह से काम करना है और जो पहले नहीं हुआ करता था वह सब काम करके लम्बे-लम्बे फायदे इस कारपोरेशन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार जो वेलेंस शीट पिछले चार-पाँच वर्षों की है और जो शुद्ध लाभ हुआ है।

वह पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वर्ष 1973-74 में जबकि कारपोरेशन इस रूप में नहीं था, दूसरे रूप में काम कर रहा था इसको 2,33,486 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष 1974-75 में 3,26,458 रुपये, वर्ष 1975-76 में 16,36,353 रुपये, वर्ष 1976-77 में 17,33/755 रुपये, वर्ष 1977-78 में 12,11,270 रुपये।

अध्यक्ष महोदय, यह वह वर्ष है जिसमें मुख्यमंत्री जी चेयरमैन रहे और इस प्रकार उनके कार्यकाल में आय 17 लाख से घटकर 12 लाख रह गई। और यह तय हुआ जब कारपोरेशन के तहत सबसे बड़ा काम रॉक फास्फेट में किया जाता है और इसी बीच केवल मध्यप्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हर एक खनिज के दाम दुगुने, तिगुने और चौगुने तक बढ़ गये और इसका अन्दाज दूसरे तथ्यों से भी लगता है, वर्ष 1973 में और 1975-76 में जहाँ कारपोरेशन में 20 प्रतिशत बोनस बाँटा वहाँ वर्ष 1977 में स्थिति यह आ गई कि केवल 8.33 प्रतिशत बोनस वह दे सके।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा धोखा भी इस प्रदेश की जनता के साथ किया जाता है। कुछ दिन पहले समाचार-पत्रों में एक तस्वीर छपी थी जिसमें 50 लाख रुपये का चेक मुख्यमन्त्री जी को देते हुए बताया गया था बतौर कारपोरेशन के मुनाफा के। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरी जानकारी है इस 50 लाख में से 25 लाख रुपये तो बैंक से ओव्हर ड्रॉफ्ट लोन के रूप में लेकर यह राशि प्रस्तुत की गई थी।

अध्यक्ष महोदय, सभी मिनरल्स का सही-सही दोहन हो सके जिससे प्रदेश का औद्योगिक विकास हो सके उसके लिए रॉक फास्फेट काम में आता है। बहुत कुछ उद्योग रॉक फास्फेट पर निर्भर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सब से ज्यादा और अच्छा मिनरल मेघनगर झाबुआ में है और दूसरा सागर छतरपुर में है। अध्यक्ष महोदय, मेघनगर में मिनरल निकलता है उसका इंचार्ज ऐसे व्यक्ति को बनाया जो न तो क्वालीफाइड है और न ही वह कोई इंजीनियर है। अध्यक्ष महोदय, जो मिनरल निकलता है वह ग्रेडवाइज निश्चित किया जाता है और उसी हिसाब से उसकी कीमत निश्चित की जाती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप देखें, जो प्रोडक्शन हुआ उसमें ग्रेडवाइज कितना हुआ उसका हिसाब-किताब नहीं लिखा गया है। नतीजा स्पष्ट है कि कौन-से साथी को और किन लोगों को फायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है, यह इससे साफ हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब से यह कारपोरेशन बना, झाबुआ के

मिनरल से जो रॉक फास्फेट निकलता है उसका 70 प्रतिशत मिडिल मेन के द्वारा, जो बिचौलिए हैं उनके द्वारा बेचा जाता है जो कि यह कारपोरेशन सीधे बेच सकता है, लेकिन 70 प्रतिशत मिडिल मेन के द्वारा बेचा जाता है और उसमें भी अध्यक्ष महोदय, 30 प्रतिशत बम्बई की एक फर्म है मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको ही 40-50 लाख का रॉक फास्फेट दिया गया इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, उस फर्म ने लोवर ग्रेड की माँग की थी लेकिन उसको जो सप्लाई किया गया वह हाई ग्रेड का दिया गया। लोवर ग्रेड की कीमत कम होती है और हाई ग्रेड की कीमत अधिक होती है लेकिन यहाँ पर हाई ग्रेड का सप्लाई किया गया और लोवर ग्रेड की कीमत ली गई इससे साफ जाहिर है कि उसको इससे दुगुना और तिगुना लाभ पहुँचाया गया। इससे साफ हो जाता है कि उसमें कौन-कौन हिस्सेदार हैं।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, दूसरा उदाहरण में देना चाहता हूँ एक कलकत्ता की फर्म है जो एटॉमिक इनर्जी का काम करती है। उस फर्म ने सुपर फास्फेट की माँग की थी, लेकिन उसको लोवर ग्रेड फास्फेट भेजा गया जिसके परिणाम स्वरूप उसका काफी नुकसान हुआ और मशीनरी खराब हो गई। इस पर उस फर्म ने, अध्यक्ष महोदय, कारपोरेशन पर दावा कर दिया है, अब कारपोरेशन लेटीगेशन में आ गया है। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय, सागर छतरपुर के मिनरल का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में बहुत ही चिन्तनीय जानकारी सदन में देना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि सागर छतरपुर में एटॉमिक इनर्जी कमीशन के दल के द्वारा कुछ दिन पूर्व खोज की थी, उनमें कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की पुष्टि की गई थी। अध्यक्ष महोदय, वहाँ से जो रॉक फास्फेट निकलता है, उसमें रेडियो एक्टिव होने के कारण वह मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इसकी एटॉमिक इनर्जी कमीशन द्वारा जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा नुकसान होता है, जिसे किसान इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। केवल इस बात का ध्यान रखा गया कि इससे पैसा मिल रहा है, कारपोरेशन को पैसा मिल रहा है, बस इतना ही कारपोरेशन ने पर्याप्त समझा। अध्यक्ष महोदय, एक और बहुत मनोरंजक बात है। शासन किसी निजी पार्टी से ज्वाइन्ट सेक्टर बनाता है यह सिद्धान्त है, लेकिन मिनरल डेव्लपमेंट कारपोरेशन ने महाराष्ट्र की ज्वाइन्ट सेक्टर से अनुबन्ध किया, समझौता किया है, ऐसे ज्वाइन्ट सेक्टर में किन-किन को शामिल किया गया है मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ लेकिन मैंने उनकी पहले सूचना नहीं दी इसलिये नाम नहीं बताऊँगा। उसमें अध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े लोग गोवा और महाराष्ट्र के हैं : उनको किस प्रकार से ओवलाइज करना चाहते हैं।

उन लोगों को इस बात में शामिल करने की गरज से केवल ज्वाइन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के साथ किया है। जो महाराष्ट्र का ज्वाइन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट है उसके साथ ज्वाइन्ट सेक्टर की प्रोजेक्ट का एग्रीमेन्ट कारपोरेशन ने किया है, उद्योग विभाग के मन्त्री जी इस समय यहाँ नहीं हैं लेकिन वे होते भी तो क्या करते क्योंकि उनका कोई नियन्त्रण अपने विभाग पर नहीं है असली काम तो आज भी मुख्यमंत्री महोदय ही देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि बस्तर में एक बहुत बडे टिन के भण्डार का निश्चित रूप से उचित रूप से दोहन करना इस प्रदेश के लिये बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तथा आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि इस टिन का भण्डार कारपोरेशन को दिया गया है लेकिन कारपोरेशन को जो और 35 पैसे पर के.जी. मिलता है। उसको 3 रुपये पर के.जी.से ही संतुष्टि है। जब कि मेटिल टिन पिघला हुआ टिन शुद्ध रूप में उसकी मार्केट वेल्यू 120 रुपया पर के.जी. है। इतना बड़ा अन्तर जिसकी कीमतों में हो वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर उसका नतीजा एक ही होगा और वही हो रहा कि लाखों रुपये की तादाद में यहाँ से टीन स्मगल हो रहा और बस्तर से बाहर जा रहा है। प्रदेश के बाहर जा रहा है। शुद्ध हानि हो रही है इस प्रदेश को और कारपोरेशन 3 रुपये खरीद कर संतुष्ट है। बिचौलिए और वहाँ के स्मगलर लोग, पता नहीं उनको कहाँ से प्रशिक्षण मिल गया बस्तर के भोले-भाले आदमियों को उसका असर कहाँ से आया यह भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि स्मलिंग करने की दीक्षा और प्रशिक्षण तो कुछ ही लोगों को होती है— इसका पूरा-पूरा असर अगर आपको देखना हो कि टिन की स्मलिंग इस प्रदेश के बाहर हो रही है और लाखों रुपयों की सम्पत्ति की हानि इस प्रदेश को हो रही है। हजारों एकड़ जमीन प्रदेश के अन्दर मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को दी गई है विभिन्न प्रकार के खनिजों

को दोहन करने के लिये, लेकिन वे सब ही एरिया बेकार पड़े हैं दोहन इसलिये नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ चुने-चुने क्षेत्रों में कुछ चुने-चुने लोगों के माध्यम से ही कारपोरेशन काम करना चाहता है ताकि ऊपर से नीचे तक सब को फायदा बराबर बना रहे। उदाहरण के लिये डौलामाइट बाराद्वार में निकलता है और बाराद्वार के डौलामाइट को कुछ कारपोरेशन के लोगों ने गिट्टी के लिये माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर जबरसिंह जी के विभाग को सड़क बनाने के लिये बेच दिया। डौलामाइट जैसा कीमती मिनरल जिसका स्टील प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, उसे सड़क बनाने के लिए बेच दिया और आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जो व्यक्ति इनके लिए जिम्मेदार बनाया गया उसको एवार्ड दिया गया पनिशमेंट देने की तो बात ही दूर रही। यह सवाल इस बात का द्योतक है कि मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन पूरी तरह से थोड़े से स्वार्थी तत्वों की पूर्ति के लिये एक साधन बन गया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि इस डेवलपमेंट कारपोरेशन की मियाद समाप्त हो चुकी है और अब उसका नये सिरे से गठन करना है इसी सदन की समिति के द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किसी हालत में भी मुख्यमंत्री महोदय या किसी मंत्री महोदय को इसका अध्यक्ष न बनाया जावे वरना सदन के साथ सदन की समिति का अपमान होगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि जिन तथ्यों की ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है उनकी जाँच करा कर सदन के सत्र के समाप्त होने के पहले वे सदन को सूचित करें ताकि सही अन्दाज हम लगा सकें कि यह कारपोरेशन जो इस प्रदेश के समूचे खनिजों के दोहन के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है किस प्रकार से अक्षमता की वजह से, भाई-भतीजावाद की वजह से पूरी तरह स्वार्थ से प्रेरित होने की वजह से इस प्रदेश की सर्वप्रथम सम्पत्ति को नष्ट कर रहा है इसकी जानकारी सदन को होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ में इन विभागों की माँगों का विरोध करता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/17 अप्रैल 1979, पृष्ठ/ 1995-1998)

शीतकालीन सत्र 24 अक्टूबर 1979 से शुरू हुआ। 29 तारीख को श्री पवन दीवान जेल मंत्री द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मोतीलाल वोरा ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा। इस चर्चा का एक छोटा-सा अंश यहाँ प्रस्तुत है। श्री अर्जुनसिंह ने भी अत्यंत मानवीय स्थिति के आधार पर वस्तुस्थिति जानने का अनुरोध किया—

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष वैधानिक स्थिति पैदा हो गई है। जेल मन्त्री श्री पवन दीवान तीन दिनों से सदन से गायब हैं, उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है या उनको गायब कर दिया गया है उस पर मुख्यमंत्री महोदय चुप्पी साधे बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके बारे में सूचना सदन में मिलना चाहिये, आज तीसरा दिन है, मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं।

अध्यक्ष : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को डिस अलाऊ करता हूँ। आपका यह व्यवस्था का प्रश्न प्वाइंट ऑफ ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अगर आप चाहते हैं तो आप लिखकर दीजिए। इस तरह व्यवस्था का प्रश्न उठाने से मसला हल नहीं होगा। इट हैस नो सिगनीफिकेन्स।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जैसा आपने कहा कि यह प्रश्न व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता और हमने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसको नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय विधानसभा के सदस्य जो कि सौभाग्य से मन्त्री हैं उनके बारे में ऐसी स्थिति बन गई है कि उनके हेयर-अबाउट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो यह जानकारी सार्वजनिक रूप से सभी को होना चाहिए, यह मुख्यमंत्री और उनके मन्त्रिमण्डल के लिये शोभनीय बात नहीं है कि उनके सम्बन्ध में वे सदन को जानकारी नहीं दे रहे हैं, पवन दीवान जी तो मन्त्री हैं लेकिन अगर कोई सदस्य भी हो तो सदन में जानकारी देना चाहिये किसी

भी माननीय सदस्य के बारे में इस प्रकार की स्थिति हो तो सदन को जानकारी दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष : वे कब से गायब हैं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों में तो तीन दिन से आ रहा है।

अध्यक्ष : आपको कब से मालूम हुआ?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से समाचार-पत्रों में आ रहा है तभी से हमको मालूम हुआ। इस सम्बन्ध में यहाँ पहले भी बात उठाई गई है।

अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुख्यमंत्री जी से इतना तो कहें कि सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी भी इतने दिन से गायब थे लेकिन हमने तो नहीं पूछा था। आज बड़े भाग्य से उनके दर्शन हो रहे हैं।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब कोई मंत्री विधानसभा सेशन में नहीं आता, तो यह हरदम की प्रथा है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर देता है कि वह किन कारणों से उपस्थित नहीं हो पाया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा कोई पत्र आपको लिखकर दिया है कि इतने दिनों तक और इन-इन कारणों से वे सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे?

अध्यक्ष : मेरे पास उनकी सूचना आई है। उनके निजी सचिव ने भेजी है यह मैं पढ़ देता हूँ।

"श्री पवन दीवान, जेल मंत्री, मध्यप्रदेश आवश्यक कार्य होने के कारण दिनांक 24-10-79 की रात्रि में भोपाल से बाहर चले गये हैं।"

ह. .....

सूचनार्थ प्रस्तुत — निज सचिव, जेल मंत्री, मध्यप्रदेश"

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या निज सचिव की सूचना पर ही सदन को विश्वास करना पड़ेगा।

अध्यक्ष : इस प्रकार से सदन से उनको गायब कर दिया गया है, यह सब कहिये न।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर इस दृष्टि से बात करनी होती जैसा कि आप कह रहे हैं तो हम आरोप लगाते। हम आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं और इसीलिए कह रहे हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 अक्टूबर 1979, पृष्ठ/ 454-455)

25 अक्टूबर 1979 को सदस्य श्री रामकुमार अग्रवाल (रायगढ़) ने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के अन्तर्गत प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा न होने के कारण सूखे की समस्या, पेयजल संकट और मत्स्यपालन की समस्या से संबंधित पहली सूचना अध्यक्ष महोदय को दी। इस सूचना पर लम्बी चर्चा हुई। 29 अक्टूबर को भी चर्चा पूर्वानुबद्ध हुई।

इस चर्चा में नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुनसिंह ने भाग लेते हुए कहा कि जो जिले पीड़ित हैं उन्हें तत्काल अकालग्रस्त घोषित किया जाये। दूसरे दिन ही इस माँग को ध्यान में रखते हुए जनता सरकार ने प्रदेश के 56 हजार गाँवों को अकालग्रस्त घोषित किया और दलगत भावना से ऊपर उठकर सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री ने श्री अर्जुनसिंह को बधाई दी। दोनों दिन की चर्चा—

श्री डी.पी. पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर, सूखे पर चर्चा हो रही है लेकिन न तो मुख्यमंत्री जी और न ही मन्त्रिमण्डल के कोई मन्त्री सदन में उपस्थित हैं। विरोधी दल के नेता का भाषण होने वाला है उनको यहाँ उपस्थित रहना चाहिए।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : मन्त्रिमण्डल पर सूखा का प्रभाव पड़ गया है।

श्री डी.पी. पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिये। ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार प्रदेश में जो सूखा पड़ा है उसके प्रति सजग नहीं है और कोई काम नहीं करना चाहती।

(शेम, शेम की आवाजें)

उपाध्यक्ष : माननीय श्री अर्जुनसिंह जी?

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस सम्बन्ध में अपना भाषण प्रारम्भ करूँ.....

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी भले ही देर से आयें लेकिन राजस्व मन्त्री जो कि अकाल के चार्ज में हैं और विरोधी दल के नेता का भाषण होने वाला है तो आप निर्देश दें शिक्षामन्त्री जी को कि वे राजस्व मन्त्री जी श्री लक्ष्मीनारायण जी के पास सूचना भिजवायें ताकि वे यहाँ उपस्थित हों। उनको आना चाहिये।

श्री बसन्तराव उइके : प्रोप्रायटी तो यहीं है कि कंसर्न्ड मिनिस्टर को हाजिर रहना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ कहिए इस सम्बन्ध में।

श्री शिवभानु सोलंकी : उपाध्यक्ष महोदय, आपको जरूर कुछ न कुछ कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष : ठीक है, मैं कहता हूँ, आप बैठ जायें। मैं जानता हूँ कि इसमें संयुक्त जिम्मेदारी का सवाल है लेकिन मन्त्रिमण्डल के जब इतने सारे सदस्य उपस्थित हैं फिर भी यह उचित होता कि जो राजस्व मन्त्री हैं या मुख्यमंत्री हैं यदि वे आना चाहें, आ सकें तो आ जायें।

(व्यवधान)

(राजस्व मन्त्री श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा के सदन में आने पर)

श्री बसन्तराव उइके : उपाध्यक्ष महोदय, शर्माजी आ गये, आप उनको डाँट लगाइए।

श्री शिवभानु सोलंकी : आप कहते हैं कि आना चाहिये, आ भी सकते हैं तो यह उचित नहीं है।

श्री कृष्णपालसिंह : राजस्व मन्त्रीजी आ गये, आप उनके आने पर स्वागत का प्रस्ताव लाइए और उस पर अभिनन्दन का भाषण हो जाए।

उपाध्यक्ष : मेरा भाषण? स्वागत तो मैं आप सबका भी करता हूँ।

श्री मोतीलाल वोरा : हमें राजस्व मन्त्री जी का अभिनन्दन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष : आप लिखकर दे दें तो विचार किया जायेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (राजस्व मंत्री) : हमारे विरोधी दल के नेता देर से आए, आज आये। मुझे देर हो गई मैं इसके लिए क्षमा माँगता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या पर बोलने के पहले मैं आपके माध्यम से अपने दल के हजारों साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन्होंने प्रदेश के कोने-कोने से चल कर यहाँ आये और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश में व्याप्त अकाल की भीषण समस्या को इस प्रदेश के सुनने वाले शासन के कानों तक पहुँचने की चेष्टा की है और उनमें से हजारों की संख्या में लोगों ने गिरफ्तारी भी दी है। यह उनकी कर्तव्यपरायणता का पहला सोपान है, क्योंकि इस प्रदेश के लाखों लोग अकाल की भीषण ऊष्मा में झुलस रहे हैं। इस प्रदेश के कोने-कोने में भूख की ज्वाला भड़क रही है और इस ऊष्मा का प्रभाव इस प्रदेश के प्रत्येक समझदार व्यक्ति पर हो रहा है। वह इससे चिन्तित हैं। यह हो सकता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को यह ज्वाला न स्पर्श कर पा रही हो। यह इस देश के अन्दर एक इतिहास रहेगा, इस प्रदेश के अन्दर एक इतिहास रहेगा कि इससे अधिक अकर्मण्य, अपनी जिम्मेदारी से परे रहकर काम करने वाला मन्त्रिमण्डल कभी नहीं रहा होगा। मैंने इस समस्या को राजनीति से हट कर हल करने का प्रयास किया था। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि राखी के बाद से जब से वर्षा नहीं हुई थी अखबारों में अनेकों बार स्टेटमेंट दिये थे। वे इस बात का प्रमाण हैं तथा महामहिम राज्यपाल महोदय से भी इस समस्या पर चर्चा की थी और कहा था कि प्रदेश की इस अकाल की समस्या को राजनीति से परे रखना चाहिये। यह इस बात का प्रमाण है कि काँग्रेस पार्टी

इस निर्मम समस्या को राजनीति से परे रह कर हल खोजना चाहती थी। बार-बार इसका प्रयत्न किया गया; लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। जहाँ तक इस प्रदेश का सवाल है इस प्रदेश में ही क्या पूरे देश में इन्होंने आँकड़ों का मायाजाल फैला रखा है और इसी का यह परिणाम है कि यह प्रदेश आज अकाल की विभीषिका की निर्मम ज्वाला में जल रहा है। ऐसी स्थिति में गाँव-गाँव में काम होना चाहिये था, खेतों में कुदाली चलाई जानी थी, प्रदेश के जिन भागों में अनाज की कमी है वहाँ पर द्रुतगति से अनाज पहुँचाया जाना चाहिये था, लेकिन उस समय तो यह शासन आँकड़ों में उलझा हुआ था। आज जब अकाल की ऊष्मा निर्मम हो गई है तो यह शासन उसके लिये हमको भी भागीदार बनाना चाहता है, लेकिन यह सब बातें अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इस प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग स्त्री पुरुष अपने छोटे-छोटे बच्चों को बगलों में समेटे हुए छत्तीसगढ़ से, महाकौशल से, विन्ध्य से, मध्यभारत से अपने-अपने घरों को बन्द करके बाहर जा रहे हैं। और उस समय आपकी तरफ से वक्तव्य निकल रहे थे और वह वक्तव्य भी ऐसे वैसे वक्तव्य नहीं। राज्य शासन के प्रेस नोट निकल रहे हैं और उनमें आप कह रहे थे कि यह तो साधारण बात है इस प्रकार का तो हर वर्ष होता है। हर वर्ष लोग प्रदेश से बाहर काम की तलाश में जाते हैं। यह अमानवीय विचार थे आपके उन भूख की ऊष्मा में जलते हुये गरीब लोगों के लिये? यह सहानुभूति उनके लिए जो थी अपना घर का दरवाजा बन्द करके अनिश्चित भविष्य के लिये निकल पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, जो योजनाएँ बनाईं इस महान् संकट का सामना करने के लिये, अध्यक्ष महोदय, ये योजना केवल मृग तृष्णा के अलावा कुछ नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, हमारे राजस्व मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने हवाई जहाज से 1-2 जगह दौरा किया और वहाँ पर वे गये, लेकिन उन्होंने जन प्रतिनिधियों, पत्रकारों और नागरिकों को अपने दर्शन लाभ से भी वंचित रखा। शायद इसका कारण यह रहा होगा कि लोग उनसे पूछेंगे और उनको कुछ न कुछ कहना पड़ेगा क्योंकि काम कुछ भी नहीं हुआ है। पत्रकार बन्धुओं ने उन से मिलने का समय माँगा था, लेकिन वे उनसे नहीं मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ आखिर उनकी प्रदेश की जनता के प्रति जिम्मेदारी क्या है? क्या उन्होंने इसके लिए कोई प्रभावशाली कोशिश की है, मुख्यमंत्री होने के नाते एक भी दौरा किया है? जिस जगह पर राहत कार्य चल रहे हैं क्या उनकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है? क्या यह उनका फर्ज नहीं है? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन के बाहर और सदन के भीतर, अपने दल के बाहर और दल के भीतर केवल आरोप की झड़ी से बचने के लिये अथक प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी आप लाखों लोगों की आवाज दबा नहीं सकते हैं यहाँ पर बहुमत दल के आधार पर विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी याद रखिये प्रदेश के कोने-कोने से जो हजारों लाखों लोग अपने जीवन रखने के लिए निकल पड़े हैं, सारे के सारे परिवार के लोग जो 24 घन्टे खड़े रहे हैं, जिनका जीवन संकट में पड़ा हुआ है, उनका विश्वास का मत इसका फैसला होगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की समूची जनता के साथ आपने किस प्रकार से विश्वासघात किया है .....।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनसिंह जी अभी-अभी अनशन से आये हैं, उन्हें बैठकर बोलने की अनुमति दे दी जाये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, भाई शालिगराम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता की है क्योंकि वे मेरे मित्र हैं लेकिन मैं उनसे यह अनुरोध करता हूँ कि वे अपने दल के उप नेता भी हैं वे मुख्यमंत्री जी से कान में कहने की कृपा करें कि प्रदेश के अन्दर जनता के स्वास्थ्य की चिन्ता का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, बस्तर से लेकर झाबुआ तक और ग्वालियर से लेकर सीधी तक जो काम के आँकड़े दिये हैं, मैं अध्यक्ष महोदय, दावे के साथ कह सकता हूँ कि किस प्रकार से काम हुए हैं, मैं कह सकता हूँ 10 फीसदी भी काम नहीं हुए हैं, जो आँकड़े प्रसारित किये हैं जिन्हें अंकाल का सामना करना पड़ रहा। उपाध्यक्ष महोदय, यदि सचमुच अकाल की विभीषिका का सामना करना है तो उसके लिये दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अभी हमें इस प्रदेश में ऐसा

आभास नहीं मिलता है कि उस संकल्प में दृढ़ता है या नहीं है। वह संकल्प कहीं है या नहीं है। मेरे बहुत से पहले के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें याद होगा कि 1966-67 में जब इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई थी तो तत्कालीन काँग्रेस के मुख्यमंत्री श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने इसी सदन में यह घोषणा की थी कि जब तक वह मुख्यमंत्री रहेंगे एक भी व्यक्ति को इस प्रदेश के अन्दर भूख या प्यास से नहीं मरने देंगे यह उनका प्रयास रहेगा। हमारे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री इस प्रकार .....।

श्रीमती सविता वाजपेयी (राज्य मंत्री, लोक निर्माण) : उसी विन्ध्य सम्भाग में 1966 में बहुत से लोग मरे थे जिसके लिये हमने आन्दोलन और सत्याग्रह किया था।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय बहन जी की बात का मैं खण्डन नहीं करूँगा। (व्यवधान) लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि वे जो कह रही हैं वह सत्य के विपरीत है। कम से कम उस समय के मुख्यमंत्री ने इतनी दृढ़ता तो दिखलाई थी और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करने का साहस किया था। आज के मुख्यमंत्री मुँह छिपाते फिर रहे हैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना तो दूर है।

मेरी तो यही शिकायत है और यही कहना है कि हमारे और आपके सामने और इस मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के सामने, आज इस बात की आवश्यकता है, हम और आप या जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री जी का दर्शन कर सकते हैं किन्तु उन्हें जिनका प्रथम सेवक होना चाहिये, उन जनता या जनप्रतिनिधियों को उनका दर्शन लाभ मिलना मुश्किल है। सवाल यह है कि इसके लिये निश्चित रूप से कुछ निर्णय लेना पड़ेगा।

मैं आपके समक्ष अभी उन्हीं बातों का उल्लेख करूँगा। जो अन्य माननीय सदस्य हैं वह अपने-अपने क्षेत्रों की विशिष्ट बातों का उल्लेख करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के उन समस्त जिलों को जो अकाल से प्रभावित हैं उन्हें तत्काल अकालग्रस्त घोषित किया जाये। दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश के उन लोगों या नागरिकों को जीवन-यापन के साधन उपलब्ध कराने की वैधानिक जिम्मेदारी शासन अपने ऊपर ले। अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोग इस प्रदेश के कोनों में जाकर बाहर निकलने के लिये घूम रहे हैं उनके पास तक पहुँच कर उन्हें अपने घर लौटने का अवसर प्रदान किया जाये ताकि वह अपने घर वापस आ जायें, उन्हें उनके घर या उसके आसपास ही जीवन-यापन के साधन उपलब्ध कराये जायें। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विधानसभा जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च संस्था है। इस बात का आभास इस प्रदेश के कोने-कोने तक लोगों को हो कि हमारी आवाज विधानसभा में गूँज रही है। इसका पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि कोई योजनाबद्ध तरीका हमारे पास नहीं है। इसलिए इस शासन को जनप्रतिनिधियों को अकाल की इस समस्या से निपटने के लिये विश्वास में लेने में हिचकिचाहट हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर चुनी हुई जन-पंचायतों के अध्यक्ष के संयोजकत्व में सर्वदलीय समिति बनाई जायेगी जो उन खण्डों की समस्या और उसके निराकरण के उपाय सुझायेगी, सहयोग करेगी और निगरानी रखेगी।

मैं नहीं जानता कि अभी तक ऐसी समितियाँ बनीं हैं या बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है और किस स्थान पर जाकर रुकी है या नहीं रुकी है। इसलिए यह निर्णय तो लिया गया है और उस निर्णय को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इस शासन की है मैं आज इस विधानसभा के अन्दर ये सुझाव देना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि चूँकि ये विधानसभा इस प्रदेश की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है और जनप्रतिनिधियों का जो दायित्व है, निर्वहन करने की उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, से ये विधानसभा से निवेदन करें कि आप स्वयं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी राजनैतिक दलों से लेकर 5 सदस्यों की एक समिति बनाएँ जो सदन की समिति हो और इस प्रदेश के अन्दर इस समय जो अकाल की समस्या है उसके निवारण में, उसके कार्यों का विवरण, जाँच पड़ताल, सुझाव वह ले और अगले सत्र में विधानसभा के सामने प्रस्तुत करे। इस प्रकार जनतांत्रिक पद्धतियों पर जनप्रतिनिधियों का वर्चस्व एक्जीक्यूटिव पर होना चाहिए। वह ऐसे संकट के समय और भी आवश्यक है, अत्यन्त आवश्यक है। इस बात का निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भूख और प्यास की कोई राजनीति नहीं होती। उसकी कोई विभाजन

रेखा नहीं होती और उसके सामने एक सीमा के बाद कोई विवेक नहीं होता। इस शासन ने अभी तक जो किया है मेरे मत में, मेरे साथियों के मत में, इस विभीषिका को और बढ़ाने के लिए ही किया है कम करने के लिए नहीं। यदि सचमुच में आप इस प्रदेश के लाखों लोगों को राहत देना चाहते हैं उन लोगों को जीवन और मरण के संघर्ष में इस प्रकार से सहयोग देना चाहते हैं, जिस सहयोग से वे सक्षम हो सकें उसे इन कठिनाइयों से निकालने के लिए तथा आपमें वह संकल्प शक्ति आये हर एक व्यक्ति का सहयोग लेने के लिए आप भूमिका तैयार करें और तीन-चार बातें मैंने कही हैं उस पर घोषणा करके वह आधार प्रस्तुत कर सकें, इस सहयोग के साथ करोड़ों इन्सानों को कठिनाई से निकालने में सक्षम हो सकें।

मैं आशा करता हूँ, विश्वास तो नहीं करता, आशा जरूर करता हूँ कि मध्यप्रदेश शासन अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से इस कठिनाई के समय महसूस करेगा और उसे पूरा करने के लिए सक्षम और प्रभावी कदम उठाएगा इस कदम के साथ हमारा सहयोग होगा। और यदि महान धोखे की राजनीति खेली तो विवश होकर कहना पड़ेगा कि विरोधी पक्ष वाले जनता के प्रति अपना दायित्व भलीभाँति समझते हैं। उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं है सिवा इसके कि वे संघर्ष के माध्यम से आपको विवश करें कि प्रदेश की जनता को भूख से बचाया जा सके।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 अक्टूबर 1979, पृष्ठ/ 472-476)

XXXXXXXXXX

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातः के आल इण्डिया रेडियो समाचार बुलेटिन में यह समाचार सुनने को मिला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने प्रदेश को सर्वत्र अकालग्रस्त घोषित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, औचित्य तो यह था कि इस विधानसभा में कल हुई बहस और उसके दौरान उसके उत्तर में जो कुछ भी मुख्यमन्त्री महोदय ने यहाँ कहा उसके सम्बन्ध में इस प्रकार की बात सदन में की जानी चाहिये थी। लेकिन मैं इस चीज को इसलिये नहीं प्रेस करना चाहता क्योंकि विषय इतना गंभीर है कि टेक्नालॉजी पर लाकर में उसे नहीं लटकाना चाहता लेकिन अभी भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इस विधानसभा के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि मध्यप्रदेश शासन सभी प्रभावित क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करता है और तदनुसार जितने भी प्रावधान हैं वे लागू होंगे और उसके अनुसार प्रदेश के अन्दर राहत कार्य व अन्य कानूनी प्रावधान हैं उनको प्रभावशील करने में शासन तत्परता से कार्यवाही करेगा इस प्रकार की घोषणा सदन के मुख्यमंत्री के द्वारा तत्काल होना चाहिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (मुख्यमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल ही स्पष्ट घोषणा कर चुका हूँ। इस प्रदेश में सत्तर हजार में से 56 हजार गाँव प्रभावित हैं, अकालग्रस्त हैं। मैंने सूखाग्रस्त घोषित करने का स्टेटमेंट दिया है। फिर कहता हूँ सभी प्रभावशील क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं, उनकी घोषणा मैंने कल कर दी है। उन पर सभी प्रोविजन्स लागू हैं। वसूली स्थगित करने के बारे में यह सारे प्रोविजन्स लागू होंगे। उन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : चूँकि कल आपने इस प्रकार की घोषणा नहीं की थी लेकिन फिर भी आप कल की बात को दोहराकर आज उस घोषणा को करते हैं तो हमें एतराज नहीं। हम अपने दल की ओर से यह स्पष्ट करना चाहते हैं इन प्रावधानों को लागू करने में और इस प्रदेश के लाखों पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने में हम हर प्रकार से जो भी संभव सहयोग हमसे होगा हम सहयोग करने के लिये तैयार हैं। हम आपसे केवल एक ही निवेदन करते हैं जिस भावना से इस समस्या का समाधान करने के लिये हम लोग सहयोग करना चाहते हैं उसी भावना से इस प्रदेश का शासन उस सहयोग को लेने की चेष्टा करे और उसके लिये जो कुछ कदम आपको उठाना चाहिए वे आप अवश्य उठाएँगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, ताकि प्रदेश के अन्दर अकाल की विभीषिका से काश्तकार, मजदूर जो भी पीड़ित हैं उनको सहायता पहुँचाने में हम और आप मिलकर कार्य कर सकें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है कि अकाल की समस्या सभी दलों को प्रभावित करती है, प्रदेश की जनता को प्रभावित करती है और आप दलगत भावना को छोड़कर पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं मैं उसका स्वागत करता हूँ। हम सब मिलकर इस भीषण समस्या

के निराकरण में जुटें उसमें राजनीति को प्रवेश न करें यह अपेक्षा करता हूँ। वे इस महान् संकट को दूर करने में अपना सहयोग देंगे यह आश्वासन दिया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ।

डॉ. के.एल. दुबे : मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूँ और अपना सहयोग देने का आश्वासन देता हूँ।

श्री शरीफ मास्टर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकदल की ओर से घोषणा का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि बिना राजनैतिक असमानता से पूरे प्रदेश .....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा और उसका विरोधी दल के नेता का वक्तव्य सुनने से स्पष्ट है कि सारा सदन घोषणा का स्वागत करता है। प्रत्येक माननीय सदस्य खड़े होकर मुख्यमन्त्री जी की तारीफ करें मैं इसमें सदन का समय खराब नहीं करने दूँगा।

(व्यवधान)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 अक्टूबर 1979, पृष्ठ/ 670-671)

30 अक्टूबर को उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि— "अब अनुपूरक माँगों पर चर्चा होगी। सदन की परम्परा के अनुसार सभी माँगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय वित्तमंत्री जी से कहूँगा कि सभी माँगें एक साथ प्रस्तुत करें। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होगी।

वित्तमंत्री श्री रामहित गुप्त ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और चर्चा की शुरूआत प्रतिपक्ष के नेता अर्जुनसिंह ने की। उन्होंने समाचार-पत्रों के साथ सरकार द्वारा किये जा रहे भेदभाव की ओर ध्यानाकर्षण किया—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माँग अनुपूरक अनुदानों के लिये वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई है इसमें शंका नहीं है कि इसी के अविरल चक्र के चलने का परिणाम है कि यह चर्चा इस माननीय सदन के एक प्रभावशाली माननीय सदस्य जो पहले आपके मन्त्रिमण्डल में सदस्य थे, उनके इस्तीफे के कारणों पर प्रकाश डालने के बाद हो रही है। जो विषय श्री रजवानी जी ने उठाये हैं चूँकि नियमों के मुताबिक उन पर चर्चा नहीं हो सकती इसलिये मैं नियमों का पालन करूँगा लेकिन जिन मूलभूत तथ्यों की ओर श्री रजवानी जी ने इस सदन में वक्तव्य देकर इस प्रदेश की लाखों जनता और इस देश के शुभचिन्तक जितने भी लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित किया है इसके परिप्रेक्ष्य में.....

(व्यवधान)

श्री सूरजमल जैन : आपके ही कहने पर स्टेटमेन्ट दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री सूरजमल जी जैन से स्टेटमेंट की अपेक्षा नहीं करता क्योंकि उनके सब काम तो बगैर स्टेटमेंट के ही होते हैं।

श्री सूरजमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता द्वारा कहा गया कि वे मेरे स्टेटमेंट की अपेक्षा नहीं करते हैं .....

उपाध्यक्ष : जब वे आपके स्टेटमेंट की अपेक्षा नहीं करते हैं तो आप क्यों दे रहे हैं।

श्री सूरजमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, असल में जिस तरह के स्टेटमेंट विरोधी लोग सड़कों पर देते रहते हैं मैं उसका आदी नहीं हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि अनुपूरक माँगों को सदन में प्रस्तुत करने के लिये प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार शासन को अधिकार है और जिस प्रकार का खर्चा

इस बजट में दिखाया गया है उसमें से कुछ व्यय अनिवार्य भी हैं यह मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जिन परिस्थितियों और पृष्ठभूमि से परेशान होकर इसको पेश किया गया है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसका अनुमान इस पूरक अनुमान से ही मिलता है। अभी रजवानी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वह कल्पना पर आधारित नहीं है वह पूर्ण रूप से यथार्थ पर आधारित है यह अनुपूरक माँग से स्पष्ट हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार संकीर्णता से प्रेरित दल ने संकीर्ण भावना से प्रेरित होकर किसी गुट विशेष को ही राजनीतिक स्थितियों का उपयोग करने के लिये किस प्रकार प्रेरित किया जाता है।

जब यह पार्टी शासन में आयी तो उस समय बड़े जोर-शोर से कहा जाता था और जैसा कि रजवानी जी ने अभी कहा कि दूसरी आजादी के तथाकथित प्रवर्तक। यह शब्द तो हम लोगों ने उस समय से ही इस्तेमाल करने शुरू कर दिये थे जब आप चुनकर आये थे और दो-चार महीने में ही अपनी करतूतों से सबको मालूम हो गया था। .....

श्री हरिभाऊ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष : इससे पूर्व कि हरिभाऊ जोशी व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी बात कहें, मैं सदन से निवेदन करूँगा कि 5 मिनट सदन का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाये।

(अनुमति प्रदान की गई)

श्री हरिभाऊ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूँ कि अनुपूरक अनुदानों पर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत से उसमें से ऐसे प्रावधान हैं जिससे सूखे के संकट से मुकाबला करने के लिये सरकार और विरोधी दल के सदस्यों को बल मिल सके। जनरल चर्चा का अनुपूरक अनुमान नहीं होता। जनरल चर्चा में अगर इसके प्रावधानों की ओर सदस्य प्रकाश डालें तो मैं अर्जुनसिंह जी का अनुगृहीत होऊँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जोशी जी को आश्वस्त करता हूँ कि न केवल इन प्रावधानों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूँगा बल्कि आपके विभाग के प्रावधानों के प्रति भी और जो आपने इस प्रदेश में तानाशाही मचा रखी है जो कार्य पूर्वाग्रह से किये जाते हैं .....

{सभापति महोदय (श्री माधव इंदापुरकर) पीठासीन हुए}

श्री अर्जुनसिंह : (भाषण पूर्वानुबद्ध) आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस सदन में और सदन के बाहर हमारे शासन के कर्णधारों द्वारा इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि वे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जनता से वचनबद्ध हैं और उसी के अनुरूप यह शासन कार्यवाही करता है और हम लोगों को बार-बार इंगित करके प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है जैसे समूची स्वतन्त्रता और उपलब्धियाँ हम लोगों ने नष्ट की हैं और उनका संरक्षण आप लोगों के द्वारा हो रहा है। जबकि तथ्य इसके कितने विपरीत हैं, इसका उदाहरण देना चाहता हूँ और वह इसलिये कि इस अनुपूरक अनुदान में सूचना प्रकाशन विभाग के लिये जो मद रखी गई है उसमें 8 जिलों में फिर से नये पदों को स्थापित करने के लिये और इकाई स्थापित करने के लिये कहा है। अपने आप में किसी को इस बात से एतराज नहीं हो सकता, लेकिन समूचे प्रशासन के तन्त्र को मुख्यमंत्री स्वयं अपने राजनीतिक और आर्थिक स्रोत जो उनके हाथ में हैं उनका उपयोग समाचार-पत्रों को प्रताड़ित और परेशान करके, उन लोगों को हर तरह से नुकसान पहुँचाने की धमकी देकर और नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार के प्रावधानों का कोई मतलब नहीं है और मैं साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने इस बात के प्रमाण हैं कि मुख्यमन्त्री ने स्वतन्त्र आलोचना करने वाले समाचार-पत्र के विरुद्ध व्यक्तिगत अभियान चला रखा है। आज ही एक समाचार-पत्र ने अपने एडीटोरियल में उसका उल्लेख किया है। चूँकि सदन में समाचार-पत्र पढ़ना उपयुक्त नहीं है लेकिन उसके नाम का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। अँग्रेजी दैनिक 'हितवाद' है, जिसका उल्लेख करूँगा, इसकी स्थापना स्वतन्त्रता के कई दशक पहले की जा चुकी है। वह आज भी छप रहा है और एक अच्छे समाचार-पत्र के रूप में उसने अपना स्थान इस देश में बनाया है। उस समाचार-पत्र को काफी परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसने मुख्यमन्त्री महोदय के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को, उनके प्रशासनिक कार्यकलापों को जनहित में उजागर किया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो पैसा 'हितवाद' को देय

है वह पैसा उससे न लिया जाए। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि पैसा 'हितवाद' की तरफ से देय है और 'स्वदेश'की तरफ से भी देय है तो जो कार्यवाही आप 'स्वदेश' के साथ करते हैं वही कार्यवाही 'हितवाद' के साथ भी होना चाहिये।

श्री बाबूलाल गौर : सभापति महोदय, इमर्जेंसी पीरियड में स्वदेश समाचार-पत्र को बन्द कर दिया गया था क्या यह आप जानते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जो कार्यवाही स्वदेश के साथ आप करें वही कार्यवाही 'हितवाद' के सोथ होना चाहिए।

श्री सूरजमल जैन : स्वदेश समाचार-पत्र को इमर्जेंसी में बन्द किया था या नहीं यह तो बतलाएँ?

श्री राजेन्द्र धारकर : सभापति महोदय, इमर्जेंसी पीरियड में केवल 'स्वदेश' को ही बन्द नहीं किया गया था बल्कि उसके एक साधारण से कर्मचारी से लेकर सभी को बन्द किया गया था?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य जैन साहब की बात का तो उत्तर नहीं दिया था, लेकिन धारकर साहब की बात का उत्तर जरूर देना चाहता हूँ। माननीय धारकर साहब ने एक सवाल पूछा है। उसकी सत्यता के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं धारकर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उसी आधार पर आपने "हितवाद" समाचार-पत्र को निबटाने का निर्णय लिया है और यदि आपने ऐसा कोई निर्णय ले लिया है तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है। यह बात केवल "हितवाद" तक ही सीमित नहीं है।

श्री राजेन्द्र धारकर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अर्जुनसिंह जी ने यह पूछा है कि क्या आप "हितवाद" के साथ उसी तरह से व्यवहार करना चाहते हैं। तो आप व्यवहार की तुलना कीजिए।

एक के साथ केवल वसूली की कार्यवाही की जा रही है और दूसरे को मीसा में आपने बन्द ही नहीं किया था बल्कि उसके एक साधारण से कर्मचारी से लेकर सभी को बन्द कर दिया था और उनको 19-19 महीने तक के लिए बन्द कर दिया था? अब आप ही तुलना कीजिए दोनों की। जब उसको बन्द किया था तब आप मौजूद थे उस समय आपकी आवाज क्यों बन्द रही थी?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, यह अकेले 'हितवाद' की बात नहीं है। यह दृष्टिकोण शासन की ओर से इस प्रदेश में छपने वाले जितने प्रमुख समाचार-पत्र हैं, सबसे प्रमुख समाचार-पत्र हिन्दी का दैनिक 'नई दुनिया' छपता है, उसके लिये कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी पार्टी के मुख पत्र के रूप में छपता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 'नई दुनिया' में शासकीय विज्ञापन क्यों नहीं छप रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि "नई दुनिया" को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया है।

(शेम, शेम)

जब वह समाचार-पत्र प्रभावित नहीं हो सकता तो उसकी विज्ञापन की दरों को कम कर दिया गया। जो मान्यता प्राप्त दरें मिलना चाहिये वह उसको नहीं दी गईं। इतना ही नहीं समाचार-पत्र में यह समाचार छपा है कि लोगों ने इस बात की जानकारी हासिल की है कि स्वयं मुख्यमन्त्री महोदय ने मंदसौर में इस बात को कहा है कि 'नई दुनिया' के जो लोग हैं वे हमको ब्लैक मेल करना चाहते हैं इसलिये हम उनके आगे झुकेंगे नहीं। हम जानते हैं कि 'नई दुनिया' किस प्रकार ब्लैक मेल करना चाहता है मुख्यमन्त्री को। अगर आप आरोप लगाते हैं तो उनका यहाँ पर स्पष्टीकरण होना चाहिए और यह बहुत जरूरी भी है।

इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितनी दरें जिनको कि आप यहाँ सदन में जनहित के आधार पर नहीं बता रहे हैं, मेरे पास उन दरों की सूची है कि इसी साल से आपने विज्ञापनों की दरों में केवल 'स्वदेश' को छोड़कर जिसको आप दुगुना, तिगुना विज्ञापन देते हैं, बाकी दूसरे सभी समाचार-पत्रों को चाहे वह जबलपुर से छपने वाला 'नवीन दुनिया' हो, चाहे इन्दौर से छपने वाला 'इन्दौर समाचार' हो और चाहे 'हितवाद' हो जितने भी समाचार-पत्र हैं उन सबकी दरों में कमी की है। इसका क्या औचित्य है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप इस बात की दुहाई देते रहते हैं कि आप समाचार-पत्रों और विचार स्वातन्त्र्य के हामी हैं। अब आपने एक नया रोल अख्तियार कर लिया है जो कि आपकी

जनसंघ संस्था को शोभा देता है। वह यह है कि जो आपके मत के विरोध में हो, जो आपकी वाइस के विमत में हो चाहे वह समाचार-पत्र के माध्यम से हो चाहे राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के द्वारा हो, आपके दल के लोगों द्वारा स्वयं कहा गया है कि इनको कुचल देना चाहिये, बन्द कर देना चाहिये। यह एकमात्र उद्देश्य शासन का है। इसलिए अब इस प्रदेश की जनता को सचेत होना पड़ेगा।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं पंचायत मन्त्री महोदय, के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। मैं उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि सार्वजनिक रूप से कोई प्रश्न न उठाया जाये। बड़े जोर-शोर से बात की गई कि समूचे मध्यप्रदेश में राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया जायेगा।

मेरा कहना है कि जो चीज 30 सालों में काँग्रेस पार्टी नहीं कर सकी और न उसने कभी कहा कि नीचे से लेकर सबको अधिकार देंगे, काम सौंप देंगे और उनके कार्यक्षेत्र बाँट देंगे और उसमें काम करने की छूट दे देंगे।

सभापति महोदय, अगर कोई उपलब्धि है तो केवल एक है कि इन्होंने एक समिति जरूर बना दी प्रवर समिति और उसको एक विधेयक दे दिया और कहा है आप अपनी राय दे दें।

लेकिन इनकी मंशा क्या है यह इस बात से साबित होता है कि चाहे वह जनपद हों, चाहे ग्राम पंचायत हों जितनी चुनी हुई इकाइयाँ हैं उनके अधिकारों पर शासन ने पूर्णतया अंकुश लगा दिया है।

श्री पुरुषोत्तम बिपट : सभापति महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इन्होंने एक प्रवर समिति बना दी है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसको सरकार ने बनाया है या इनने? मैं स्पष्ट कर दूँ कि इस समिति को सदन ने बनाया है न कि सरकार ने।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपका अत्यन्त अनुगृहीत हूँ। मैं आपके नाम से परिचित नहीं हूँ।

श्री पुरुषोत्तम बिपट : मेरा नाम पुरुषोत्तम बिपट है।

श्री अर्जुनसिंह : बिपट साहब। मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने मुझे मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से सदन की बनाई हुई है, लेकिन प्रस्ताव तो सरकार ने दिया है प्रस्ताव के लिये धन्यवाद कर दीजिए। इसमें आप एतराज मत करिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा जनपद पंचायतों को या ग्राम पंचायतों को जो पहले अधिकार थे जब यह शासन पदारूढ़ नहीं हुआ था उन अधिकारों को भी इस शासन ने छीन लिया है बल्कि कुछ सरपंच तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम त्याग-पत्र दे देंगे। इन्होंने बहुत से सरपंचों को समाप्त करके अपनी राजनैतिक विचारधारा के लोगों को उन पदों पर पदारूढ़ कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सूरजमल जैन : आपने तो पंचायतों के चुनाव ही खत्म करा दिये थे। हमने चुनाव कराये हैं और उपसरपंच पर हरिजन-आदिवासी ही होना चाहिए यह निश्चित किया है।

सभापति महोदय, इस प्रदेश की पंचायतों के सरपंचों की एक मीटिंग बुला ली जाये। तो पता चल जायेगा कि प्रदेश में आपके प्रति क्या भावना है। कुछ लोग तो इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं। इस प्रकार से जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायतों के लिये जो अधिकार पहले थे उनका आपने हनन किया है।

सभापति महोदय, मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ जो शिक्षा से सम्बन्धित है। यहाँ पर शिक्षामंत्री जी नहीं हैं वित्तमन्त्री महोदय शायद उत्तर देना उचित न समझें, लेकिन मैं उनसे अपेक्षा यही करता हूँ। सप्लीमेन्ट्री बजट में यह जो सरस्वती शिशु मंदिर का संचालक मंडल है उसको अनुदान देने की बात कही गई है।

अनुदान के बारे में तरह-तरह की अफवाहें हैं। और फिर शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देना बन्द भी कर दिया गया है। इस बात को श्री हरिभाऊ जोशी जी जानते होंगे क्योंकि वे शिक्षा मन्त्री रह चुके हैं शायद वित्तमन्त्री जी न जानते हों। यह संस्था विशेष राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ी संस्था है। ऐसी स्थिति में क्या शासन को इसको अनुदान देना चाहिए।

श्री रामहित गुप्त : सभापति महोदय, अभी विरोधी दल के नेता ने इसको विशेष राजनीतिक दल से जुड़ी

संस्था बताया है क्या आपके या और ऐसे कितने काँग्रेसी होंगे जिनके बच्चे इसमें पढ़ने जाते हैं तो फिर यह कैसे विशेष राजनीति विचारों से जुड़ी संस्था हो गई है।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, विशेष विचारधारा से जुड़ी हुई तो है आप इसको मानें या ना मानें। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करके अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

इस अनुपूरक बजट में जिन मदों पर जो पैसा रखा गया है, जैसे अकाल की मद है, सिंचाई की मद है, उसमें जो पैसा रखा गया है उस पर तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो खर्च करने का तरीका है, आप जिस प्रणाली को प्रश्रय दे रहे हैं उससे विरोध है। जो खतरा सामने आता जा रहा है जिसके बारे में लोक दल के एक सदस्य ने इंगित भी किया था। इस खतरे से इस प्रदेश के भविष्य को बचाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस संशोधन के साथ इस अनुपूरक पर विचार किया जायेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 अक्टूबर 1979, पृष्ठ/ 686-691)

विधानसभा सचिवालय के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के निर्णय को जानने की उत्सुकता। विरोधी दल के नेता श्री अर्जुनसिंह ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक जानकारी सदन को देना चाहता हूँ—

श्री अर्जुनसिंह (चुरहट) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक जानकारी सदन को देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि पिछले विधानसभा सत्र में आपने सदन में घोषणा करके इस विधानसभा के सेटअप के बारे में एक समिति की घोषणा की थी और उस संबंध में आपके मार्गदर्शन में इस विधानसभा में सम्पूर्ण सेटअप के बारे में मेरी सिफारिश आपके पास प्रस्तुत कर दी गई। चूँकि इसका संबंध इस विधानसभा की सार्वभौम सत्ता से है और वह रिपोर्ट आपके द्वारा बनाई गई समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैं चाहूँगा कि आप उस संबंध में सदन को कृपया जानकारी देने की कृपा करें कि उस समिति की रिपोर्ट को आपने स्वीकार कर लिया है या नहीं। शासन ने क्या मत दिया है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा था जिसके आधार पर उस समिति का निर्माण भी किया गया और उसके अन्दर प्रिसाइडिंग आफीसर की कान्फ्रेन्स का संकल्प था उसके प्रकाश में किया गया था। एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच एक दूसरे के ऊपर प्रभाव न पड़े इस संदर्भ में घोषणा की थी। मैं समझता हूँ न केवल सदन बल्कि कार्यरत कर्मचारी तथा प्रदेश की जनता भी इस बात को जानने के लिए इच्छुक है। अंतिम रूप देने के लिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय का क्या निर्णय है?

अध्यक्ष : इस संबंध में जो समिति बनी थी उस समिति की रिपोर्ट तैयार होकर मेरे पास आ गई। उस समिति में विभिन्न विधायक थे और उनके साथ-साथ वित्तमंत्री महोदय और राज्यमंत्री महोदय श्री धारकर भी थे। सर्वसम्मति से विधायकों और मंत्रिगण जो शासन के प्रतिनिधि थे उन्होंने रिपोर्ट दी थी। मैंने उसे स्वीकार करके इम्प्लीमेंटेशन के लिये दिनांक 2 मई 1979 को शासन के पास भेज दिया था उसके क्रियान्वयन में किस प्रकार की कार्यवाही शासन ने की इसके बारे में दो बार स्मरण पत्र भी जा चुके हैं। कल ही स्मरण पत्र भेजा है। आज भी मैंने फोन पर मुख्यमन्त्री जी से चर्चा की थी और उसके बाद मुख्यमन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे मेरे साथ बैठकर चर्चा कर लेंगे। स्थिति यहाँ तक पहुँची है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/31 अक्टूबर 1979, पृष्ठ/ 802)

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
B.H.E.L., BHOPAL
26923


26923